

भारतीय राजनीतिक प्रणाली (INDIAN POLITICAL SYSTEM)

[राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष कला के
विद्यार्थियों के लिए]

[31 जुलाई 1975 तक के संविधान में संशोधनों सहित]

लेखक

पी० के० चड्ढा

एम० ए०

प्रवक्ता, राजनीति शास्त्र

एम० एस० जे० कॉलेज, भरतपुर

1975

आदर्श प्रकाशन

घोडा रास्ता, जयपुर-3

प्रथम आवृत्ति

1975

मूल्य आठ रुपये पचास पैसे

मुद्रण
हरिहर प्रिन्टर्स
तथा
देव फाउन्डेशन प्रेस
जयपुर

प्रथम सस्करण की भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम सस्करण को अध्यापना, विद्यार्थियों और सामान्य पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए लेखक अपार हृष का अनुभव कर रहा है। पुस्तक को राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिये नवीन पाठ्यक्रमानुसार रचा गया है। यद्यपि विषय क्षेत्र को पाठ्यक्रम तक सीमित रखा गया है परन्तु प्रत्येक अध्याय में इतनी सामग्री अवश्य रख दी गयी है कि वह बी ए (हानस) और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिये भी पुस्तक लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आलोचनात्मक और तुलनात्मक प्रश्नों को, जिनका उत्तर देने में विद्यार्थी कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, पुस्तक में सम्बंधित अध्यायों में पृथक् शीपको के अंतर्गत दिया गया है। लेखक की आशा है कि पुस्तक अध्यापकों, विद्यार्थियों और सामान्य पाठकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल होगी। फिर भी, पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये यदि अध्यापक या विद्यार्थी या सामान्य पाठक अपने सुझाव देना चाहते हैं तो लेखक उन सुझावों का हृदय से स्वागत करेगा। इन सुझावों को दूसरे सस्करण में आभार सहित संकलित करने का प्रयास किया जायगा।

प्रत्येक अध्याय के अंत में समीक्षा प्रश्नों की एक सूची दी गयी है। इस सूची में दिये गये प्रश्न भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में से लिये गये हैं। इनका अध्ययन एवं अभ्यास कर विद्यार्थी विषय का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

लेखक उन सभी विचारकों, लेखकों, तथा टीकाकारों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता है जिनके ग्रंथों से उसने वाक्यांशों को उद्धृत किया है।

लेखक श्री आनंद मिश्र, सचालक, आदर्श प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर, श्री हरिविंशत हरिहर प्रिंटर्स, श्री गुप्ता, प्रूफ रीडर तथा कम्पोजिटर्स के प्रति अपना आभार प्रकट करता है जिन्होंने पुस्तक को समय पर और बड़े सुंदर ढंग से प्रकाशित एवं मुद्रित कर लेखक को अनुगृहीत किया है।

“रक्षा बंधन”

अगस्त 21, 1975

—पी० के० चड्ढा—



SYLLABUS

UNIVERSITY OF RAJASTHAN

Second Year Arts, 1976 & Afterwards

Paper II—Indian Political System

The syllabus would cover in the main the following items

- 1 Landmarks in Indian National Movement 1885–1947
 - 2 The Constituent Assembly—its structure and approach
 - 3 Outline of Indian Constitution—Federalism , The Indian Presidency , Office of Prime Minister, The Parliament office of Governor, Supreme Court and Judicial Review
 - 4 The Nature and determinants of Indian Politics
 - 5 The Party System and Pressure Groups
 - 6 Elections
 - 7 India's Foreign Policy
-

विषय-सूची

पुस्तक 1—भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में
सीमा चिन्ह 1885-1947

अध्याय

विषय

पृष्ठ

1 भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं कांग्रेस की स्थापना

परिचय, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय के कारण, कांग्रेस की पूर्वगामी संस्थाएँ, कांग्रेस का जन्म, कांग्रेस की प्रकृति तथा स्वरूप, कांग्रेस के उद्देश्य, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिये एक रक्षा नली के रूप में की गयी थी ? कांग्रेस इतिहास के भिन्न भिन्न काल समीक्षा प्रश्न ।

1-47

2 उदारवादी, उग्रवादी, आतंकवादी और क्रांतिकारी

परिचय, उदारवादिया की विचारधारा, उदारवादियों के सिद्धांत, उदारवादी विचारधारा की सफलताएँ और असफलताएँ, उग्रवादियों की विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा के विकास के कारण, कांग्रेस का विघटन, उग्रवादियों का दमन उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा—एक तुलनात्मक अध्ययन, आतंकवादी तथा क्रांतिकारी आन्दोलन क्रांतिकारी आन्दोलन की असफलता, क्रांतिकारी आन्दोलन का महत्त्व, उदारवादी और उग्रवादी नता—गापाल कृष्ण गोखले, क्या गोखले कमजोर दिल उदारवादी थे ? या क्या वे रुप राजद्रोही थे ? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक—क्या तिलक असतोष के जनक थे ? या क्या तिलक क्रांतिकारी थे ? तिलक और गोखले—एक तुलनात्मक अध्ययन, तिलक और गांधी—एक तुलनात्मक अध्ययन, लाला लाजपत राय, समीक्षा प्रश्न ।

48-125

3 1909 से 1919 तक भारतीय राजनीति

1909-1919 दशाब्दी का महत्त्व, उदारवादिया और उग्रवादिया का पुनर्मिलन लखनऊ सम्मेलन, 1916, होमरूल आन्दोलन, मैसोपोटामिया की अस्तव्यस्तता, अगस्त 20, 1917 की घोषणा, माण्टफोर्ड रिपोर्ट, समीक्षा प्रश्न ।

126-159

4 गांधी युग का प्रारम्भ तथा 1920 से 1936 तक भारतीय राजनीति

परिचय, रोलट अधिनियम, जलियावाला बाग हत्याकाण्ड, खिलाफत आन्दोलन असहयोग आन्दोलन स्वराज दल, साइमन आयोग

नेहरू प्रतिवेदन 1928, जिना के चौदह सूत्र, सविनय अवज्ञा आन्दोलन—नमक सत्याग्रह (डाण्डी यात्रा), प्रथम गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड या स म्प्रदायिक पचाट, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, समीक्षा—प्रश्न ।

160-233

5 1937 से 1947 तक भारतीय राजनीति

फरवरी 1937 के निर्वाचन, कांग्रेस मंत्रिमण्डल का निर्माण, द्वितीय महायुद्ध और भारत, अगस्त प्रस्ताव, क्रिस प्रस्ताव, भारत छोड़ो आन्दोलन, सी० आर फामूला भूलाभाई—लियाकत अली समझौता, वेबन योजना, केबिनेट मिशन, सीधी कायवाही दिवस, माउण्ट बेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया ? क्या विभाजन अनिवार्य था ? अंग्रेजों ने भारत को क्यों छोड़ा ? समीक्षा—प्रश्न ।

234-316

6 भारत में साम्प्रदायिक समस्या

साम्प्रदायिकता का अर्थ साम्प्रदायिक समस्या का उत्तरदायित्व—अंग्रेजों का उत्तरदायित्व मुस्लिम लीग का उत्तरदायित्व कांग्रेस का उत्तरदायित्व मुस्लिम साम्प्रदायिकता के भिन्न भिन्न काल समीक्षा प्रश्न ।

317-347

7 कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नेता

महात्मा गांधी—राष्ट्रीय आन्दोलन का गांधीजी का योगदान, अहिंसा और सत्याग्रह पर गांधीजी के विचार, गांधीजी का राजनीतिक और आर्थिक विचार, व्यावहारिक आदर्शवादी । सुभाषचंद्र बोस—क्या बोस फासीवादी थे ? पंडित जवाहरलाल नेहरू समीक्षा प्रश्न ।

348-372

पुस्तक 2—सविधान सभा—सरचना एवं दृष्टिकोण

1 सविधान सभा—सरचना एवं दृष्टिकोण

भूमिका, केबिनेट मिशन योजना और सविधान सभा की स्थापना, सविधान सभा की रचना क्या सविधान सभा सम्प्रभु सत्त्वा थी ? क्या सविधान सभा एक प्रतिनिध्यात्मक सत्त्वा थी ? सविधान सभा के उद्देश्य, सविधान निर्माण में कठिनाइयां, सविधान सभा की समितियाँ, सविधान—सहमति और समायोजन की अभिव्यक्ति, सविधान की आलोचना—भारतीय सविधान उधार काप है, कबीलों के लिये स्वयं, भारतीयतर एवं अन्तराष्ट्रीय सविधान समीक्षा—प्रश्न ।

1-34

पुस्तक 3—भारतीय संविधान की रूपरेखा

- 1 **भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषतायें**
प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषतायें—लिखित निर्मित एवं विस्तृत संविधान, सहमति और समायोजन का परिणाम, सावभौम लोकतांत्रिक गणराज्य, नमनीयता और अनाम्यता का मिश्रण, ससदात्मक शासन व्यवस्था, सघात्मक और एकात्मक तत्त्वा का मिश्रण, ससदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों में मध्यम भाग, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्त्व, लोक-कल्याणकारी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, वयस्क मताधिकार, इकहरी नागरिकता, सामाजिक समानता, निर्दिष्ट जातियों के लिए विशेष उपबंध, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समयक, समीक्षा प्रश्न । 1-13
- 2 **धर्म निरपेक्षता और भारतीय संविधान**
धर्म निरपेक्षता का अर्थ, धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ, धर्म निरपेक्षता और भारतीय संविधान, भारतीय धर्म निरपेक्षता की विशेषतायें, समीक्षा-प्रश्न । 14-22
- 3 **भारतीय संविधान में सशोधन की प्रक्रिया**
सशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता, भारत में सशोधन की प्रक्रिया, सशोधन की प्रक्रिया में स्पष्टतायें और अस्पष्टतायें, क्या सशोधन प्रक्रिया जटिल है ? सशोधन प्रक्रिया में सुधार के सुभाव, संविधान में किये गये सशोधन । 23-37
- 4 **भारत में सघवाद**
भारतीय संविधान के सघात्मक स्वरूप, भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप, क्या भारत एकात्मक या अर्द्ध सघात्मक राज्य है ? भारतीय सघवाद का सहकारी स्वरूप, सहकारी स्वरूप की समस्यायें, समीक्षा-प्रश्न । 38-64
- 5 **सघ-राज्य सम्बन्ध**
सघ और राज्यों में विधायी सम्बन्ध, विधायी शक्तियों में ससद की प्रधानता, सघ और राज्यों में प्रशासनिक सम्बन्ध, सघ और राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध, समीक्षा-प्रश्न । 65-86
- 6 **मूल अधिकार**
मूल अधिकारों का अर्थ, मूल अधिकारों की विशेषतायें या स्वरूप, नागरिकों को प्रदत्त किये गये मूल अधिकार-समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार निवारक निरोध शोषण के विरुद्ध अधिकार,

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, सम्पत्ति के अधिकार में किये गये सशोधन, सर्वधानिक उपचारों का अधिकार, लेख मूल अधिकारों की आलोचना, समीक्षा-प्रश्न ।

87-125

7 राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व

परिचय, नीति निदेशक तत्त्वों के उदाहरण—लोक कल्याणकारी राज्य से सम्बन्धित तत्त्व, गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित तत्त्व, अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा से सम्बन्धित तत्त्व, ऐतिहासिक इमारतों से सम्बन्धित तत्त्व, नीति निदेशक तत्त्वों की आलोचना, नीति निदेशक तत्त्वों का महत्त्व, नीति निदेशक तत्त्वों और मूल अधिकारों में अंतर, मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्त्वों में क्या कोई द्वन्द्व या विरोध है? नीति निदेशक तत्त्वों की कार्यविधि समीक्षा-प्रश्न ।

126-141

8 राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पद के लिये योग्यतायें तथा सेवा की शर्तें, राष्ट्रपति की शक्तियाँ सकलकालीन शक्तियाँ, क्या राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है? क्या भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भाँति गौरवपूर्ण शून्य है? उप राष्ट्रपति, स्वतंत्र राष्ट्रपति का सिद्धांत, समीक्षा-प्रश्न ।

142-179

9 मन्त्रि परिषद् एवं प्रधान मन्त्री

परिचय, मन्त्रि परिषद् एवं मन्त्रिमण्डल भारतीय मन्त्रि परिषद् की विशेषतायें, मन्त्रि-परिषद् की रचना, मन्त्रिमण्डल के कार्य, मन्त्रिमण्डल और लोकसभा में सद्भावितक और व्यावहारिक सम्बन्ध, प्रधान मन्त्री—परिचय, नियुक्ति, शक्तियाँ, प्रधान मन्त्री पद का राष्ट्रपतीयकरण, प्रधानमन्त्रीय प्रणाली की सरकार भारतीय प्रधान मन्त्रियों—नेहरू शास्त्री ई दत्ता का तुलनात्मक अध्ययन

180-208

10 भारतीय ससद

परिचय क्या भारतीय ससद सम्प्रभु है? क्या ससद को मूल अधिकारों के अध्याय में सशोधन का अधिकार होना चाहिये? राज्य सभा—रचना, शक्तियाँ और उपयोगिता लोक सभा—रचना, शक्तियाँ, पदाधिकारी (स्पीकर)—विशेषाधिकार, ससदीय समितियाँ, विधायी प्रक्रिया—साधारण विधेयकों के पारण की विधि, समीक्षा-प्रश्न ।

209-251

11 सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन

परिचय, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, सेवा की शर्तें, सर्वोच्च

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र , 'यायिक पुनरावलोकन-अथ और परिभाषा , भारत में 'यायिक पुनरावलोकन , भारत में 'यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति , भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र , भारत में 'यायिक पुनरावलोकन का मूल्यांकन , समीक्षा प्रश्न । 252-276

12 राज्यपाल

पश्चिम, राज्यपाल की नियुक्ति एवं विमुक्ति , राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ, राज्यपाल की भूमिका और स्थिति-संवैधानिक मध्यक्ष के रूप में, विवेकाधिकार शक्तियाँ के उपभोक्ता के रूप में , राज्यपाल के मुख्यमंत्री और विधान सभा के साथ सम्बन्ध , क्या राज्यपाल मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिये बाध्य है (प्रणाली का व्यक्तिगत अध्यक्ष) राज्यपाल के लिये निदेशक रेखाएँ, राज्यपाल को निर्दलीय और निष्पक्ष बनाने की आवश्यकता , समीक्षा-प्रश्न । 277-307

पुस्तक 4—भारतीय राजनीति का स्वरूप और उसके निर्धारक तत्त्व

1 भारतीय राजनीति का स्वरूप और उसके निर्धारक तत्त्व परिचय, भारतीय राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप, भारतीय राजनीतिक प्रणाली की विशेषताएँ, भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्त्व-जाति और राजनीति, धर्म और राजनीति, क्षेत्रवाद और राजनीति, भाषा और राजनीति, दल-बदल और राजनीति, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के दुबल एवं सबल तत्त्व, भारत में ससदात्मक प्रणाली, भारतीय राजनीति और प्रतिपक्ष, संयुक्त (मिलीजुली) सरकारें , समीक्षा-प्रश्न । 1-73

पुस्तक 5—राजनीतिक दल प्रणाली और दबाव समूह

1 राजनीतिक दल प्रणाली

दली का अर्थ और लोकतंत्र में महत्त्व , भारतीय राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति , भारतीय राजनीतिक दलों की विशेषताएँ , स्वयं राजनीतिक दलों के विकास में बाधक , भारतीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण , एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली—क्या यह ससदीय समस्याओं को जीवित रखती है ? दल विहीन शासन , दल-बदल राजनीति , भारतीय राजनीतिक दलों का गठन, नीतियाँ और कार्यक्रम—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस का गुटों का स्वरूप समाजवादी दल , भारतीय साम्यवादी दल , भारतीय जनमध

स्वतन्त्र दल भारतीय लोकदल क्षेत्रीय दल—द्रमुक (DMK), शिरोमणि अकाली दल, समीक्षा-प्रश्न ।

1-73

2 दबाव समूह ।

परिचय, अथ, उद्देश्य एवं परिभाषा, हितवद्ध गुट-दबाव समूह लॉबी, दबाव समूह और राजनीतिक दल-भिनतायें, दबाव-समूह और राजनीतिक दल— एक दूसरे के पूरक के रूप में दबाव समूहों का वर्गीकरण तथा प्रभाव शक्ति, हितवद्ध समूहों द्वारा अपनाई जाने वाली युक्तियाँ, दबाव समूहों का मूल्यांकन—गुण दोष भारत में हितवद्ध समूह, भारतीय हितवद्ध समूहों का वर्गीकरण विशेष हितों वाले समूह—यावमायिक समूह, श्रमिक संघ, छात्र संघ, कृषक समूह, शिक्षित वर्गों से सम्बन्धित संघ, सांस्कृतिक समूह, अनियत समूह, मामुदायिक संघ, विचारधारा से सम्बन्धित समूह, समीक्षा-प्रश्न ।

74-100

पुस्तक 6 निर्वाचन

1 निर्वाचन

परिचय, भारत में निर्वाचन मशीनरी निर्वाचन आयोग और उसके पदाधिकारियों की शक्तियाँ, निर्वाचन कानून एवं निर्वाचन प्रक्रिया भारतीय निर्वाचनों की प्रकृति निर्वाचनों की प्रकृति, निर्वाचनों का संक्षिप्त विवरण, भारतीय निर्वाचन प्रणाली—समस्याएँ तथा सुधार (जन समिति के सुझाव) समीक्षा प्रश्न ।

1-43

पुस्तक 7—भारतीय विदेश नीति

1 भारतीय विदेश नीति

विदेश नीति का अर्थ, भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्त्व, भारतीय विदेश नीति के मूल तत्त्व या लक्षण, भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन—विपक्ष और और पक्ष में तक पंचशील के निरन्तर पड़ोसी देश के साथ भारत के सम्बन्ध—भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध, कश्मीर समस्या ताजिक दल समझौता, शिमला समझौता, भारत-रूस सम्बन्ध—भारत-रूस संधि, भारत-चीन सम्बन्ध भारत, ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल, भारत-दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया समीक्षा-प्रश्न ।

1-87

BIBLIOGRAPHY

1-2

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में सीमाचिन्ह 1885-1947

- 1 भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं कांग्रेस की स्थापना
- 2 उदारवादी, उग्रवादी, आतंकवादी और क्रान्तिकारी
- 3 1909 से 1919 तक भारतीय राजनीति
- 4 गांधी युग का प्रारम्भ तथा 1920 से 1936 तक भारतीय राजनीति
- 5 1937 से 1947 तक भारतीय राजनीति
- 6 भारत में साम्प्रदायिक समस्या
- 7 कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नेता

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं कांग्रेस की स्थापना

(Indian National Movement and
Establishment of Congress)

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उदय (Rise of National Movement in India)

परिचय (Introduction)

राष्ट्रीय आन्दोलन कभी भी एक घटना का परिणाम नहीं होता यद्यपि कोई तत्कालिक घटना उसका प्रधान कारण बन सकती है। वास्तव में, राष्ट्रीय आन्दोलन अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के एकत्रीभूत (Cumulative effect) का परिणाम होता है। प्रारम्भ में इन घटनाओं का स्वरूप बहुत सरल होता है पर तु धीरे-धीरे उग्र रूप धारण कर लेता है। प्रारम्भ में तो कुछ घटनायें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उनका प्रभाव दृष्टिगोचर ही नहीं होता पर तु वे अपने अदर धुएँ में लुपी अग्नि की शक्ति रखती हैं और फिर एकदम विस्फोट होता है। सन् 1857 का विद्रोह कुछ इसी प्रकार का विस्फोट था। यह जहाँ भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की प्रथम सीढ़ी था वहाँ यह भारतीय असंतोष की प्रथम अभिव्यक्ति भी था।

राष्ट्रीय आन्दोलन सर्वदा "असंतोष" का परिणाम होता है जो साम्राज्यों की स्वाभाविक विशेषता है। यह असंतोष धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न होता है जो साम्राज्य विरोधी और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावनाओं को जन्म देता है। भारत में उन्नीसवीं शताब्दी में राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों को इसी 'असंतोष' में ढूँढा जा सकता है। वास्तव में, पूर के पचास वर्षों की घटनाओं में ही इस असंतोष ने अकुर स्पूत होते नजर आते हैं। इस असंतोष ने ही स्वतन्त्रता के नारे को बुलन्द किया, उसे निखारा तथा उसे स्वरूप प्रदान किया। इन्द्र विद्यावाचस्पति ने ठीक लिखा है कि "जब सम्बन्धी दासता से बजर हुई भारत की भूमि को सशस्त्र शान्ति

के विशाल हल ने खोद कर तयार कर दिया और खूब सुधारका के दल ने उसमें मानसिक स्वाधीनता के बीज बो दिये, तब यह सम्भव हो गया कि उसमें राजनीतिक स्वाधीनता के अंकुर उत्पन्न हों।"

राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्देश्य सबदा विदेशी शासन या कुशासन से मुक्ति प्राप्त करना होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कि-ही साधना का उपयोग—सवधानिक तथा असवधानिक—उचित समझा जाता है। भारत में जहाँ कांग्रेस प्रारम्भ में सवधानिक साधनों का प्रयोग करती रही वहाँ गांधी काल में उसने उग्र (असहयोग, हड़ताल धरना, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, उपवास आदि) साधना का प्रयोग किया। भारत में कुछ ऐसे भी शान्तिकारी, आतङ्कवादी राष्ट्रीय नेता थे जो 'हत्या', 'बम की जाति' और 'विस्फोट' में विश्वास करते थे। भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन इन सबके सामूहिक प्रयत्नों का फल था।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के सम्बन्ध में एक बात को समझ लेना अध्ययन की दृष्टि से लाभदायक होगा। वह यह है कि इससे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय तथा विकास अभेद्य रूप से जुड़ा (Indissolubly associated) हुआ है। यद्यपि उसे पूर्यतया पृथक् करना बेठिन है परन्तु राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय और विकास से भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उदय और विकास समझ लेना भी गलत होगा। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में अनेक ऐसे तत्व विद्यमान थे जिनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। उदाहरणतया कांग्रेस का माध्यमार्थिक राजनीति, आतङ्कवाद और श्रांतिकारी कार्यकर्ताओं से कोई सम्बन्ध नहीं था परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन का इन सबसे गहरा सम्बन्ध है। एक दृष्टि में कांग्रेस का राष्ट्रीय आन्दोलन से गहरा सम्बन्ध रहा है और वह है राष्ट्रीय भावनाओं के विकास तथा जन जागृति के सम्बन्ध में।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में अनेक शक्तियाँ का सश्लेषण रहा है। जहाँ धार्मिक और सामाजिक आन्दोलनों ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की पण्डभूमि तयार की थी वहाँ अंग्रेजों की क्रूर, निन्द्य, अराष्ट्रीय और जानीय भेदभाव की नीतियों ने उसकी अच्छी खाती फसल तयार कर दी थी। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों ने ही भारत में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक असन्तोष का जन्म लिया जिन्होंने अतत राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावनाओं को जन्म दिया। राष्ट्रीय एकीकरण की विदेशी घटनाओं ने भी इन भावनाओं का प्रज्वलित किया।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय के कारण

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय में जिन कारणों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया उनमें मुख्य निम्न थे —

1 राजनीतिक एकता—भारत में सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता सबदा विद्यमान रही है परन्तु राजनीतिक एकता सबदा विद्यमान नहीं रही। अशोक और अश्वर जैसे महान सम्राटों द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता भी अल्पजीवी रही।

मुगल साम्राज्य के पतन के साथ भारत फिर से छोट-छोटे टुकड़ों में बिसरता हुआ उजर आया परंतु अंग्रेजों के आगमन से राजनीतिक एकता स्थापित हो गई। "भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का ध्येय अंग्रेजों को ही प्राप्त है।"

भारत में भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, भिन्न भिन्न भाषाएँ हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायी हैं, भिन्न भिन्न रीति रिवाज और परम्पराएँ हैं, परंतु फिर भी "मौलिक एकता" है। जसा कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि "सम्पूर्ण प्रायद्वीप के निवासियों की मानसिक पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण और विचारधारा में आश्चर्यजनक समानता रही है।"¹ भारत के प्रमुख तीर्थ स्थान चांगे दिशाओं में विद्यमान हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम्, पश्चिम में द्वारिका और पूर में पुरी। भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायियों में भी यहाँ सौहार्द विद्यमान रहा है क्योंकि भारत ही उनकी पुण्यभूमि थी। डॉ० पट्टाभि सीतारमय्या के शब्दों में "जिस चीज को हम भारत में पाते हैं वह यह है कि भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न सस्कृतियाँ, समय की गति से, एक महान एकता में गुँथ गई हैं। हिमालय में केप कोमोरिन तक और दक्खिन में मिनहट तक एक ही सस्कृति थी, एक ही धर्म था, एक ही दर्शन था, एक ही प्रकार की धार्मिक पुस्तकें और वर्णाश्रम धर्म थे, एक ही प्रकार के तरीके और रीति रिवाज थे, सामान्य नागरिक संस्थाएँ और सामाजिक कानून थे और सामान्य ऐतिहासिक परम्परा थी।"

अंग्रेजों का शासन प्रतिगामी शासन था। उन्होंने साम्राज्यीय हितों की रक्षा और भारत के आर्थिक शोषण के लिए राजनीतिक एकता उत्पन्न की थी। सारे देश को एक प्रशासनिक इकाई के अधीन ला दिया। केन्द्रीय ब्रिटिश सरकार सारे भारत के प्रशासन की सर्वोच्च कमाण्डर थी, प्रांतीय सरकारें तो उसके अधिकार में मान थे। वित्त, प्रशासन, विधान, सुरक्षा आदि के क्षेत्र में उसका पूरा नियन्त्रण था। सारे देश के लिए एक कानून, एक ही न्याय व्यवस्था को स्थापित किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं ने प्रशासनिक एकता को उत्पन्न किया। संक्षेप में, सारे देश की सर्वोच्च सत्ता केन्द्रीय सरकार के पास थी।

परंतु इस राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकता के परिणाम सर्वदा साम्राज्यीय हितों के अनुकूल नहीं हुए। इसने राष्ट्रीय जागृति को जन्म दिया। जसा कि जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है कि भारत की राजनीतिक एकता "सामान्य अधीनता की एकता थी, परंतु उसने सामान्य राष्ट्रीयता की एकता को जन्म दिया।"² इसी एकता ने अस्पृश्य और स्वतंत्र भारत के विचार को उत्पन्न किया, इसी ने शोषित भारतीयों के हृदयों में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करने के विचार पैदा किये, इसी ने भारतीय

1 Nehru Jawahar Lal Unity of India, P 16

2 Nehru, J L Autobiography, P 437

प्रातीय नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन को स्थापित करने की भावनाएँ पैदा की और इसी ने उन स्वतंत्र एवं उदार भावनाओं को जन्म दिया जिन्होंने स्वराज्य की मांग की। इस राजनीतिक जागृति से अंग्रेज इतने भयभीत हो गये कि उन्होंने देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों के सन्तुलन" (Divide and rule) के सिद्धांत को अपनाया।

2 धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन—अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में बहुत अधिक सहयोग दिया। ये आंदोलन धार्मिक और सामाजिक होत हुए भी राष्ट्रीय थे। जी० एन० सिंह के शब्दों में, "इन्होंने भारतवासियों को अपने महान उत्तराधिकार के प्रति सचेत किया और उनमें राष्ट्रीय भावना जाग्रत की। धर्म ने राष्ट्रीयता का प्रेरित किया और उनमें राष्ट्रीय पतित हिंदू समाज की कुरीतियों में सुधार लाना था। परंतु जैसे जैसे इन्होंने समाज में स्वस्थ जीवन पर बल दिया वैसे वैसे राष्ट्रीय स्वतंत्र विचारों का विकास हुआ। 'नव जीवन', 'राष्ट्रीय चेतना', 'देश प्रेम', 'दश भक्ति', 'स्वदेशी', 'स्वराज्य', 'स्वशासन' आदि की भावनाएँ इन्हीं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों से प्रज्वलित हुईं। जो भारतीय ईसाई मिशनरीज (Christian Missionaries) के प्रचारार्थक कार्यों के फलस्वरूप अपनी प्राचीन सभ्यता को भूल चुके थे, इन्हीं आंदोलनों के फलस्वरूप वे पुनः उसी में विश्वास और गव्व बन लगे, भारतीयों में आत्म विश्वास और स्वतंत्रता की भावनाएँ जाग्रत हुईं और उन्होंने जीवन का आधुनिक ढंग पर संगठित करने का प्रयास किया। इन्हीं आंदोलनों के कारण भारतीयों में तब तक, विज्ञान और विवेक का विकास हुआ तथा वे मानसिक और आध्यात्मिक जजीरा को तोड़ने में सफल हुए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इन आंदोलनों का ऋणी रहेगा।

जिन धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण तथा राजनीतिक जागृति में सहयोग दिया उनमें मुख्य निम्न हैं—

- (i) ब्रह्म समाज
- (ii) धर्म समाज
- (iii) राम कृष्ण मिशन
- (iv) थियोसोफीकल सोसायटी

(i) ब्रह्म समाज—ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने अगस्त 20, 1828 को बंगाल में की। इसका मूल उद्देश्य हिंदू धर्म को उसकी बुराईयों

1 Singh, G N Landmarks in Indian Constitutional and National Movement (Atma Ram & Sons) 4th edn P 110

से छुटकारा दिलाना तथा ईसाई मिशनरीज द्वारा हिंदू धर्म में विरुद्ध भूठे प्रचार का खण्डन करना था। ब्रह्म समाज ने सती, छूपासून, कठोर जाति प्रथा, बाल विवाह, लडकियों की हत्या, बाधित विधवापन आदि की जो कुरीतियाँ हिंदू समाज में विद्यमान थी उन्हें दूर करने में भरसक प्रयास किया। इसने निराचार, शाश्वत ईश्वर पर बल दिया, अंधविश्वासों, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खण्डन किया। इसने हिंदू धर्म की मौलिक पवित्रता एवं श्रेष्ठता पर बल दिया। संक्षेप में, जो हिंदू धर्म घुरी तरह से उलट चुका था तथा जिसका दीप बुझता हुआ नजर आ रहा था उसे ब्रह्म समाज तथा अन्य सुधार आंदोलनों ने बचा लिया।

राजा राममोहन राय का "दशन बड़ा विस्तृत और दृष्टि विदु व्यापक था।"¹ उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और स्त्री उद्धार पर अत्यधिक बल दिया। य "भारतीय राष्ट्रीयता के देवदूत" (The Prophet of Indian Nationalism) और नये युग के "अग्रदूत" भी थे। जिस "अग्नि को उन्होंने प्रज्वलित किया वह तब से भारत में जलती रही है।"² डा. आर. सी. माजुमदार लिखते हैं "राजा राममोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने देशवासियों की कठिनाइयों तथा शिवायता को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखा और भारतीयों को संगठित होकर राजनीतिक आन्दोलन चलाने का मार्ग दिखलाया। उन्हें आधुनिक सवधानिक आन्दोलन का अग्रदूत होने का श्रेय भी दिया जा सकता है।"³ राजा राममोहन राय के सम्बन्ध में श्रीमती एनी बेसेंट लिखती हैं कि उनमें "एक अद्भुत शक्ति, लगन और दृढ़ता थी। उन्होंने साहस पूर्वक बट्टरपथी सीमा को तोड़ने का प्रयत्न किया और स्वतंत्रता का बीज बोया जिसने पुष्पित, पल्लवित और फलवान होकर राष्ट्र के जन्म जीवन को उई चेतना से अनुप्राणित किया।"³

(ii) आर्य समाज—जो वाय वगाल में ब्रह्म समाज तथा राजा राममोहन राय ने किया वही वाय स्वामी दयानंद सरस्वती ने उत्तरी-पश्चिमी भारत में सिख किया। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में सन् 1875 में की। आर्य समाज ने न केवल हिंदू धर्म की इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रहारों से रक्षा की बल्कि इस्लामिज और ईसाइयत सत्सृति और सम्पत्ता के जादू को भी तोड़ा। आर्य समाज ने वेदा की सत्सृति और सम्पत्ता पर बल दिया। वेदा का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब धर्मों का परम धर्म बन गया। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म

- 1 Sitaramayya, Dr Pattabhi History of the Nationalist Movement in India
- 2 Majumdar, R C. History of Freedom Movement in Vol I
- 3 Besant Anne Quoted by Dr Raghuvanshi in his Indian onalist Movement and Thought

को उसके मिथ्या विश्वासों से जुटकारा दिलाया उहाने अस्पृश्यता, जाति प्रथा, बाधित विधवापन, बाल विवाह आदि की भत्सना ही नहीं की बल्कि उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास किया। सक्षेप में, आय समाज ने हिंदू जाति में एक नवीन जीवन का संचार किया।

स्वामी दयानंद केवल धर्म या समाज सुधारक ही नहीं थे वे एक महात् देश भक्त भी थे। देश प्रेम, देश भक्ति, स्वतंत्रता, स्वदेशी, स्वशासन आदि के बारे में उन्होंने अपनी रचना सत्याथ प्रकाश में प्रचुर मात्रा में निडरता पूर्वक लिखा है। स्वामीजी को राजनीतिक समस्याओं का भी गहन अध्ययन था, उहाने अनेक सूत्रों का पहली बार प्रयोग किया जिनका आने वाले राष्ट्रीय नेताओं ने प्रयोग किया। उदाहरणतया "भारत भारतीयों के लिए है" (India for Indians), बंदिक सभ्यता को अपनाओ" (back to Vedas) अपने देश, उसकी सस्कृति और परम्पराओं से प्रेम करे", आदि सूत्र उही के द्वारा प्रचलित किये गये। 'स्वराज्य' (Swaraj), 'स्वदेशी' (Swadeshi) शब्दों का प्रयोग भी पहली बार उन्होंने किया। स्वामी जी का कहना था कि 'सुशासन' (good government) कभी भी 'स्वशासन' (self government) से अच्छा नहीं होता। ये ही तत्त्व है जो स्वामीजी को राष्ट्रवादी बनात हैं और इही तत्वों ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया। कनल अल्कोट (Col Olcott) लिखते हैं कि स्वामी दयानंद ने 'अपने अनुयायियों पर अपूर्व राष्ट्रीयता की छाप छोड़ी और भारत को भारतीयों का घोषित कर दिया।' एच वी शारदा के अनुसार "राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति स्वामी दयानंद का एक मुख्य उद्देश्य था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया और अपने देशवासियों को विदेशी माल के स्थान पर स्वदेशी माल के प्रयोग की प्रेरणा दी। उन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया। रोमेन रोलेण्ड ने स्वामीजी की तुलना हरकुलीस से की है। उनके शब्दों में "वे (स्वामी दयानंद) इलियड के अथवा गीता के एक प्रमुख नायक के समान थे। उनमें हरकुलीस की सी शक्ति थी।"

उत्तरी भारत में राष्ट्रीय जागृति में आय समाज का इतना अधिक हाथ था कि साम्राज्यवादी सरकार की आंखा में वह अनेक वर्षों तक सटकता रहा। सर वलेण्टाइल शिरोल तो उसे भारत में ब्रिटिश प्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा समझना था।¹

(iii) रामकृष्ण मिशन—रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य नरद्वनाय (स्वामी विवेकानंद) ने भारतीयों को अपने देश और उसकी सस्कृति पर गर्व करना

1 Chitrol V Quoted by Hans Kohn in his History of Nationalism in the East, p 68

सिखाया। स्वामी विवेकानन्द ने तो भारतीयों को आशा, आत्मविश्वास, आत्म शक्ति, स्वाभिमान और काय का सन्देश दिया। सन् 1893 के शिकागा के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय सस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या की तथा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारत मानव जगत का आध्यात्मिक गुरु है। भारतीयों को भी उन्होंने यही शिक्षा दी कि जब तक वे विश्व का अपनी आध्यात्मिकता से जोन नहीं लेते तब तक उन्हें अधिक प्रयास करना चाहिए।

स्वामी विवेकानन्द के लिए भारत तथा उसकी सस्कृति सब कुछ थी। उनकी पूजा की देवी उनकी मातृभूमि थी। वहिन निवेदिता लिखती है "स्वामी विवेकानन्द भारत का नाम लेकर जीते थे। वे मातृभूमि के अनन्य भक्त थे और उन्होंने भारतीय युवकों को उसकी पूजा करना सिखाया।"¹ स्वामीजी को ठीक ही "दशभक्त सन्त" (Patriot Saint) की सना दी गई है।

स्वामी विवेकानन्द के लिए हिंदू धर्म एक वज्ञानिक धर्म है। यह कम परायण है। स्वामी विवेकानन्द ने जाति पाति, छूआ छूत की भत्सा की तथा दलित जातियों में एक नवीन उत्साह का संचार किया।

(iv) थियोसोफीकल सोसाइटी—जो काय ब्रह्म समाज ने बंगाल में, आय समाज ने उत्तरी और पश्चिमी भाग में, रामकृष्ण मिशन ने बंगाल और शिकागो में किया लगभग वही काय थियोसोफीकल सोसाइटी ने भारत के दक्षिणी भाग के लिए किया।

थियोसोफीकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में यूयाक में की गई थी। भारत में इसकी शाखा सन् 1882 में मैडम ब्लवटस्की (Madame Blavatski) और बनल हेनरी स्टील ओल्कॉट (Col Henry Steel Olcott) द्वारा मद्रास में अदियार (Adyar) के स्थान पर की गई। सन् 1893 में श्रीमती एनी बेसेट इसके सदस्य के रूप में भारत आई और बाद में उसके अध्यक्ष पद पर आसीन हुई।

श्रीमती एनी बेसेट हिंदू धर्म से अत्यधिक प्रभावित थी। उन्होंने इस धर्म को अपना लिया। थियोसोफीकल सोसाइटी ने धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ प्राचीन भारतीय आदर्शों और परम्पराओं का प्रचार भी किया। इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म की "फु सिया" (कुरीतियों) में सुधार लाकर उसके 'ज्ञानदार भूत' को स्थापित करने का प्रयास किया। एनी बेसेट का तो कहना था कि हिंदू धर्म और उसकी सस्कृति सर्वोच्च ज्ञान का भण्डार है। उसके देवी देवता, उसका दर्शन, उसकी नतिकता, पश्चिम की सस्कृति और नतिकता से कहीं अधिक उच्च स्तर पर है। श्रीमती बेसेट के अन्य महत्त्वपूर्ण काय थे सेट्रल हिंदू कालिन्, जो बनारस हिंदू

1 Sister Nivedita Quoted by Sarkar and Dutt "The Text" of Modern Indian History, p 315

विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, की स्थापना तथा होम रूल आन्दोलन (Home Rule Movement) का संचालन ।

(v) अन्य सुधार आन्दोलन—उपयुक्त धार्मिक और सामाजिक आन्दोलनों के अतिरिक्त अनेक अन्य ऐसी सस्थायें भी विद्यमान थीं जो सामाजिक सुधारों का प्रचार कर रही थीं तथा राष्ट्रीयता का निर्माण कर रही थीं । उदाहरणतया श्री महादेव गोविंद रानाडे द्वारा सन् 1861 में स्थापित “विधवा पुनर्विवाह समुदाय” (Widow Remarriage Association), दक्षिण शिक्षा मन्त्री सोसाइटी (Deccan Education Society) इत्यादि । मुमनमाना में भी अनेक सामाजिक सुधारक हुए जैसे निर्जा गुलाम अहमद, सयद अहमद बरलवी तथा सर सैयद अहमद खा । सर सयद अहमद खा ने तो मुसलमानों के उत्थान के लिए अलीगढ़ में सन् 1875 में एम ए ओ कालिज की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

संक्षेप में, धार्मिक और सामाजिक आन्दोलनों ने भारतीय संस्कृति को उसके पतन से बचाया भारतीयों को उनकी मानसिक और आध्यात्मिक दुर्बलताओं से छुटकारा दिलाया सामाजिक कुरीतियों का दूर किया, अंध विश्वासों का खण्डन किया, तर्क और ज्ञानवीन की भावना को उत्पन्न किया, विवेक और विज्ञान को जन्म दिया तथा स्वराज्य स्वदेशी और स्वशासन की राष्ट्रीय भावनाओं को प्रज्वलित किया ।

3 पश्चिमी शिक्षा—जहाँ धार्मिक और सामाजिक सुधार आन्दोलनों ने भाग्य में राष्ट्रीय जागृति के लिए भूमिका तैयार की तथा जन साधारण में अपनी संस्कृति और सम्यता की उच्च विरासत में विश्वास पैदा किया तथा सामान्य समस्याओं (विशेष कर सामाजिक कुरीतियों) की ओर ध्यान आकर्षित किया वहाँ पश्चिमी (अंग्रेजी) शिक्षा ने भारतीयों में स्वतंत्रता राष्ट्रीयता और स्वशासन आदि के जीवन प्रेरक विचार भर । इस शिक्षा ने ही भारतीयों को इस ज्ञान का बाध कराया कि “राजा प्रजा के लिए हाता है, प्रजा राजा के लिए नहीं ।”² इस शिक्षा ने ही उन्हें सामान्य राष्ट्रीय भाषा (Lingua Franca) का मूल्यवान उपहार दिया, इस शिक्षा ने ही उन्हें ऐसा माध्यम एक मंच प्रदान किया जिसके द्वारा देश में भिन्न भिन्न स्थानों में विस्तरे हुए राष्ट्रीय तत्त्व एकत्रित हो सकते थे, राष्ट्रीय नेता एक दूसरे के निकट आ सकते थे, विचार विमर्श कर सकते थे सभाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन कर सकते थे तथा सामान्य वाक्य (सांभा मोचा) तैयार कर सकते थे । यह सामान्य अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का ही फल था कि भारतीय इतिहास में पहली बार भारत के

1 This was introduced in India under the Act of 1833 by the Law Member Lord Macaulay

Dada Bhai Naoroji

भिन्न भिन्न प्रांतों से आये हुए लोग बम्बई में गोकलदास संस्कृत कालिज में 28 दिसम्बर, 1885 को एकत्रित हुए। वास्तव में भारतीय एकता का सूत्र यही से प्रारम्भ होता है। संक्षेप में जो राष्ट्रीय शक्तियाँ प्रांतों में बटी हुई थी वे अब संगठित होनी शुरू हो गईं और दिन प्रतिदिन प्रबल होती गईं। श्री के.एम. पानिककार ने ठीक लिखा है कि "सारे देश की शिक्षा पद्धति और शिक्षा का माध्यम एक होने से भारतीयों की मनोदशा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके विचारों तथा अनुभूतियों में एक-रसता होना कठिन न रहा। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीयता की भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई।"

भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ अंग्रेजी उदारता या भारतीय उत्थान की भावना का परिणाम नहीं था। यह तो अंग्रेजों द्वारा अपने प्रशासनिक एवं साम्राज्यीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई थी।¹ उनका विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीयों का 'अंग्रेजीकरण' करना सरल हो जायगा और वे (भारतीय) "ब्रिटिश शासन को सहृदय स्वीकार लेंगे।"² कुछ सीमा तक यह हुआ भी। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय पश्चिमी सभ्यता, रूढ़ियों, पहरावों और आदतों में रग गये और अपनी प्राचीन और श्रेष्ठ संस्कृति और सभ्यता को भूलने लगे। परन्तु इतना होने पर भी अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के लिए 'ईश्वरीय वरदान' (a blessing in disguise) भी सिद्ध हुई। इसने भारतीयों के लिए उस ज्ञान भण्डार की खिड़की को खोल दिया जो पश्चिम के स्वतंत्र, उदार और राष्ट्रीय भावनाओं से भरी पड़ी थी। इन भावनाओं का प्रभाव भी भारतीयों पर पड़ना स्वाभाविक था और कुछ समय बाद भारतीयों ने उही स्वतंत्र राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की मांग करना शुरू कर दिया जिनका अनुभव उन्होंने पश्चिम में रहकर किया था।

शिक्षित भारतीय विदेशों में गये। वहाँ उन्होंने पश्चिम के साहित्य का अध्ययन किया, उनमें नवीन स्फूर्ति और प्रेरणा जागृत हुई। सर आशुतोष मुखर्जी का कहना है कि अंग्रेजी भाषा 'स्वतंत्रता की भाषा है' (English language is the language of freedom) और इसके अध्ययन ने भारतीय मस्तिष्क पर

- 1 अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को भारत में शुरू करने के बहुमुखी उद्देश्य थे (i) पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करना (ii) भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विनाश करना, (iii) एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो परन्तु रुचि (स्वादों) विचारों, शक्तियों और बुद्धि में अंग्रेज हो, (iv) ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के लिए सस्ते भारतीय क्लर्कों को उपलब्ध कराना, आदि।
- 2 एलफिंस्टन, मोस्टुप्रेंट वृषाराम बम्बाल की पुस्तक भारतीय राजनीति और शासन से उद्धृत आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, (1967), पृ 28

“नागरिक स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता की छाप डाल दी”¹। वायरन, वड्सवर्थ, शनी, बक, शरीडन, जान आईट, मिल्टर, मिल, हरबट स्पेन्सर, थामस पन, आदि के मानवीय, स्वतंत्र उदार विचारों ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। डा० ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में ‘पश्चिम के राजनीति शास्त्र विशेषज्ञ लाक, स्पेन्सर और मैकॉले, जेम्स मिल और बक के लेखों ने न केवल भारतीयों के राजनीतिक विचारों का ही प्रभावित किया, अपितु राष्ट्रीय आंदोलन की रूप रेखा और सञ्चालन पर भी गहरा प्रभाव डाला”²। रमजे मैकडानल्ड का विश्वास है कि “हरबट स्पेन्सर का व्यक्तिवाद तथा माले का उदारवाद वह शास्त्र है जिन्हें भारत ने हमसे छीन कर हमारे ही विरुद्ध प्रयुक्त करना शुरू कर दिया।”³ जी० एन० सिंह के शब्दों में “इंग्लैंड में रहने से उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक सस्थाओं की काय पद्धति का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ और इसने उन्हें स्वतंत्रता के मूल्य का पाठ पढ़ाया और उनके मस्तिष्क से दीनतापूरा एक दास्य मनोवृत्ति को दूर कर दिया”⁴।

मैकॉले और गरीवालडी के राष्ट्रीय एकता के विचारों ने भारतीयों में मातृ-भूमि की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता का संचार किया। अमरीका की स्वतंत्रता की घोषणा, फ्रांस की राज्य प्राप्ति, इटली का एकीकरण और यूगान का स्वतंत्रता संग्राम उनके लिए पथ-प्रदर्शक बन गए।

लाक मैकॉले ने अंग्रेजों जिन्हा क परिणामों का पूर्वानुमान कर लिया था यद्यपि उनका उद्देश्य यह न था। मैकॉले ने कहा था कि “यूरोपीय शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक दिन वे (भारतीय) यूरोपीय सस्थाओं के लिए मांग करेंगे और अंग्रेज इतिहास के लिए वह अधिपतम गंव का दिन होगा।”⁵ डा० जकारिया न ठीक लिखा है कि “अंग्रेजों ने 100 वर्ष (अब उस बात को लगभग 150 वर्ष हो गये हैं) पूर्व शिक्षा का जो काय आरम्भ किया था उससे अधिक हितकर और बड़ी काय उन्होंने भारतवर्ष में नहीं किया।”⁶

जिम्हिन भारतीय बग के नेता राष्ट्रीय आन्दोलन के अग्रणी नेता होने के साथ साथ उमने “राजनीतिक आर बौद्धिक” नेता भी थे। ये नवजागरण के अग्रणी

1 डा० दत्त तथा सरकार उद्धृत हास कोहन, A History of Nationalism in the East, P 72

2 Prasad D. I History of Modern India

3 Singh G. N Ibid, P 109

4 Speech of Lord Macaulay July 10 1833 Quoted by Keith in his Speeches and Documents on Indian Policy Vol I P 265

Dr Zakaria Renascent India

ये। इनमें मुरय थे डब्लू० सी० बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोखले आदि। ससदीय अर्थीत् उत्तरदायी सस्थाओं की माग इन्हीं नेताओं द्वारा की गई। "भारतवर्ष की शिक्षित जातों के लिए अब यह स्वीकार करना बहुत कठिन था कि विदेशी सत्ता उसके (भारत के) हित में है।"¹ इनका कहना था कि "यदि अंग्रेज ब्रिटिश उपनिवेशों में ब्रिटिश ससदीय सस्थाओं को प्रतिरोपित (transplant) किया जा सकता है तो भारत में भी धीरे-धीरे इनका विकास किया जा सकता है।"² जैसे-जैसे शिक्षित मध्यम वर्ग की सरया में वृद्धि हुई तथा उनमें असंतोष बढ़ने लगा वैसे वैसे ससदीय सस्थाओं और स्वशासन की माग दृढ़ होती गई। रोनाल्ड शॉ ने ठीक लिखा है कि "पश्चिमी अध्ययन की नई मदिरा ने भारतीयों के मस्तिष्क में गहराई से प्रवेश किया और भारतीयों ने भी उसका गम्भीरतापूर्वक स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के रास्ते से पान किया, जिसके फलस्वरूप उनका दृष्टिकोण क्रांतिकारी बन गया।"

(4) आर्थिक असंतोष—जैसा कि गैरट ने लिखा है कि "राष्ट्रीयता में शिक्षित वर्ग का अनुराग हमेशा ही कुछ हद तक आर्थिक और कुछ हद तक धार्मिक कारणों से हुआ है।"³ भारत में भी लगभग यही हुआ। इस समय भारत में सबत्र असंतोष और विद्रोह की भावनाएँ विद्यमान थीं। व्यापारी, श्रमिक, हस्तशिल्पी सभी ब्रिटिश सरकार की अराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के कारण असंतुष्ट थे, भारतीयों का उच्च पदा से वहिष्कृत करने की नीति से शिक्षित वर्ग असंतुष्ट था, दुर्भिक्ष के समय अपनाई गई उदासीन और दोषपूर्ण नीतियों से जनमानस असंतुष्ट थे। इस असंतोष ने ही राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत कर उन्हें प्रबल बनाया।

ब्रिटिश सरकार ने भारत को इंग्लैंड के लिए कच्चे माल की खरीद और बने हुए माल की मण्डी बना रखा था। बड़े व्यवस्थित ढंग से भारतीय उद्योग धंधों और व्यापार को नष्ट किया गया था। पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में "लकाशायर से आने वाले कपड़े का मूल्य जा 1803 में तीन लाख था, 1829 में उनतीस लाख और 1929 में बहत्तर करोड़ तक पहुँच गया।"⁴ विदेशी मशीनों से बने माल के साथ प्रतिद्वन्द्विता न कर सकने के कारण भी "दस्तकारियों का आमूल विनाश आकस्मिक ढंग से हो गया था।"⁵ वस्त्र उद्योग की दुदशा को डा० पट्टाभि सीतारामय्या ने इस प्रकार व्यक्त किया है "धीस लाख जुलाहे जीविका में वंचित हो गये तीन करोड़ सूत कातने वाले रोजी खो बटे बढई, लोहार, चमार कुम्हार भी अपनी जीविका खो बटे।"⁶

1 See Lovett Sir Verney A History of Indian National Movement

2 See Coupland India A Restatement P 88

3 'The interest of the educated class in nationalism has always been partly economic and partly religious' Garrat An Indian Commentary P 119 Quoted by Singh G N Ibid P 110

4 & 6 See Sitaramayya Dr Pattabhi The Nationalist Movement in India p p 56

5 See Gadgil D R The Industrial evolution of India in times, P 6

ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योग धंधों को संरक्षण देने के स्थान पर, इंग्लैंड के स्वाध के लिए (लक्वाशायर और लिवरपूल की मिलों के सहायताय) श्रमध नीति (Laissez faire) और मुक्त व्यापार (Free Trade) की नीति को अपनाया। सन् 1877 में कपास पर आयात शुल्क (Import duty) हटा कर और भारत के बने माल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर भारत के वचे खुचे उद्योग धंधों को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया। इन अराष्ट्रीय नीतियों के कारण भारत का धन प्रचुर मात्रा में बाहर जाने लगा और देश लगभग एक शताब्दी में निधन हो गया।¹

भारत के उद्योग धंधे नष्ट होने से घरती (कृषि) पर दबाव बढ़ने लगा परन्तु यहाँ भी दशा अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों की भूमि सम्बन्धी नीति, जमींदारी प्रथा, कृषि की परम्परागत दुबलताएँ इस अतिरिक्त भार को सहन नहीं कर सकती थी। इस पर शासन व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण एवं व्ययपूर्ण थी। प्रकृति का प्रकोप भी कम न था। वर्षों के अभाव में दुर्भिक्ष पड़ते थे। संक्षेप में, सब साधारण की निधनता स्थाई हो गई थी और उन्हें कुचले जा रही थी। लगभग 75 प्रतिशत भारतीय ऐसे थे जिन्हें भर पेट भोजन प्राप्त नहीं होता था। स्वयं अंगिल ने, जो 1872-76 तक भारत सचिव थे, लिखा है कि "भारत की जनता में दरिद्रता और रहन सहन का स्तर जितनी तेजी से गिरता जा रहा है उसका उदाहरण पश्चिमी जगत में नहीं मिलता है।" सन् 1880 में सर विलियम हण्टर ने भी लिखा था कि 'करोड़ों भारतीय हैं जो अपर्याप्त भोजन पर जीवन यापन करते हैं।' लाड सेलिसबरी ने भी भारतीयों की इस दुदशा को स्वीकार किया।

शिक्षित वर्गों में भी बेकारी का बोलबाला था। महारानी विक्टोरिया की घोषणा (1858) तथा अग्र्य घोषणाओं ने भारतीयों में बड़ी ऊँची आशाएँ जागृत की थी परन्तु लाड लिटन की नीतियों ने उनमें क्षोभ (resentment) और असंतोष को जन्म दिया। आई० सी० एस० की परीक्षा में बैठने की अवस्था को कम करने का उद्देश्य भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करना था। यहाँ यह बात भी ध्यान देने की है कि भारत में Indian Association, Calcutta द्वारा आयोजित प्रथम सगठित आन्दोलन भारतीय सिविल सेवाओं के सम्बन्ध में 1877-78 में किया गया था। 25 मार्च 1877 को क्लक्त्तों के टाऊन हॉल (Town Hall) में जो विराट सभा हुई वह देश के अग्र्य भागों में हुई सभाओं की पूर्वगामिनी थी।² इन सिविल सेवाओं के आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य देश के भिन्न भिन्न लोगों में एकता और सुदृढता की भावना पैदा करना था।³

1 See Satyapal and Prabodh Chandra Sixty years of Congress, P 72

2]_ See Singh, G N Ibid, P 111

3 See Bannerji Surendernath A Nation in the making P 44

(5) **आवागमन और संचार साधनों का विकास**—साम्राज्यीय हितों की रक्षा और प्रशासनिक कुशलता के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में आवागमन और संचार के आधुनिक साधनों का विकास किया। रेल और सड़कों के जाल विछाये गये, डाक, तार, टेलीफोन आदि की व्यवस्था की गई। सन् 1860-1870 के दौरान इन साधनों का प्रचुर मात्रा में विकास किया गया। इन साधनों ने प्रशासनिक सुविधाये अवश्य उत्पन्न कर दी परंतु साथ ही राष्ट्रीय तत्त्वा के लिए ये "ईश्वरीय वरदान" सिद्ध हुए। इन्होंने "दूरी" को "समीप" में बदल दिया, दूर-दूर बिखरे हुए स्थानों को मिला दिया, लोग एक दूसरे को समझने लगे, प्रान्तीय नेता राष्ट्रीय एकता में गुंथने लगे, यात्राओं के कारण नेताओं में पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ने लगे, नेताओं का जनता के साथ सम्पर्क भी बढ़ने लगा। राजनीतिक प्रश्नों पर सामान्य कार्यक्रम तैयार होने लगा, राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करना तथा जन जागृति उत्पन्न करना सम्भव हो सका। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने सिविल सर्विस के सम्बन्ध में सारे देश का भ्रमण कर राष्ट्रीयता और एकता की भावना का विकास किया। जी० एन० सिंह ने ठीक लिखा है कि "संचार साधनों ने विस्तृत देश को एक सूत्र में गुंथ दिया और भौगोलिक एक्य सुस्पष्ट हो गया।"¹

(6) **समाचार पत्र तथा राष्ट्रीय साहित्य**—स्वतंत्र प्रेस को "चतुर्थ राजसंस्था" (Fourth Estate) की सजा दी जाती है। इसका कारण यह है कि छापाखाना तथा पत्र-पत्रिकाएँ न केवल घटनाओं को प्रकाशित करती हैं बल्कि जनसाधारण की समस्याओं और शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करती हैं। वे राजनीतिक शिक्षा ही प्रदान नहीं करती बल्कि घटनाओं का अवलोकन कर विचारों के दलाल के रूप में भी कार्य करती हैं। संक्षेप में, प्रेस का जन-जागृति में निष्पत्तिक हाथ होता है।

भारत में प्रेस ने राष्ट्रीय जागृति में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारम्भिक स्थिति में जब राष्ट्रीय नेताओं के पास कोई सामान्य मंच नहीं था तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्रों ने, जिनके मालिक और सम्पादक भारतीय थे, राष्ट्रीय मंच (National Platform) का वाय किया।

सन् 1857 से पूर्व भारत में गिने चुने राष्ट्रीय पत्र थे जैसे "सम्वाद कौमुदी", "बाम्बे समाचार", 'बगदूत' और "रास्तगुफनार"। परंतु 1857 के विद्रोह के बाद समाचार पत्रों की बाढ़ सी आ गई। सन् 1877 तक ब्रिटिश भारत में लगभग 644 समाचार पत्र प्रकाशित होते थे जिनमें 400 से अधिक लौकिक भाषाओं में प्रकाशित होते थे। केवल बम्बई प्रेसीडेन्सी में 62 पत्र प्रकाशित होते थे, उत्तरी

भारत में भी लगभग इतने ही पत्र प्रकाशित होते थे, बंगाल और दक्षिण भारत में क्रमशः 28 और 20 समाचार पत्र प्रकाशित होते थे ।¹

जहाँ भारत में "अमृत बाजार पत्रिका", "ट्रिब्यून", "पायनियर", "हिन्दू", "इण्डियन मिरर", "बंगाली", "केसरी" आदि जैसे राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत पत्र विद्यमान थे वहाँ "टाइम्स ऑफ इण्डिया", "मद्रास मेल", "स्टेट्समैन", "सिविल एण्ड मिलिटरी गजट", जैसे एंग्लो इण्डियन पत्र भी थे जो साम्राज्यीय हितों के प्रवक्ता थे । जब कभी ये सरकार समर्थक पत्र घटनाओं को तोड़-मोड़ कर साम्राज्यीय हिता की रक्षा के लिए राष्ट्र विरोधी नीति अपनाते तो राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण पत्र उनका मुँह तोड़ उत्तर देते तथा घटनाओं का सही मूल्यांकन करते । जैसाकि मुनरो ने लिखा है कि 'एक स्वतंत्र प्रेस तथा विदेशी राज्य एक दूसरे के विरुद्ध हैं और दोनों एक साथ नहीं चल सकते ।'²

भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत पत्रों ने भारतीयों में असंतोष और प्रयायों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की, विदेशी शासन की अप्रसूताओं और असफलताओं का भडा फोडा भारतीयों को यह सिखलाया कि परतंत्रता उन्नति और विकास में सबसे बड़ी बाधा है और परतंत्रता को समाप्त करने के लिए एक ऐसे राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति हो । अपने सम्पादकीय द्वारा इन पत्रों ने भारतीयों में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया । "राष्ट्रीय नेताओं ने भी अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए प्रेस का उपयोग किया' ।³

सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता (विशेष कर देशी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्रों की) का गला घाटने के लिए प्रेस कानूनो और अध्यादेशों का सहारा लिया । लाउ लिटन के 1878 के Vernacular Press Act का उद्देश्य, जकारिया के शब्दा में, "चिमनी को बंद करके उमड़ती हुई असंतोष की ज्वाला को दबाना था" ।⁴ परंतु इसके विरुद्ध सारे देश में प्रतिक्रिया हुई और लाउ रिपन ने 1882 में इसे रद्द कर दिया ।⁴

1 See Philips India P 94

2 Munro Quoted by Dr Ishwari Prasad in his History of Modern India Vol I P 308

3 See Burns, M The Indian Press P 16

4 The object of the Vernacular Press Act was 'to smother the rising flame of discontent by blocking the Chimney' Zacharias Renascent India P 103

राष्ट्रीय प्रेस के साथ राष्ट्रीय साहित्य के विकास ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में अत्यधिक सहयोग दिया। बंगाली, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी आदि अनेक भाषाओं में नवीन राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजेन्द्रपाल मिश्र, माइकेल मधुसूदन दत्त, बंकिम चन्द्र चटर्जी, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, हेमचन्द्र बनर्जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, बेशचन्द्र सन, आदि प्रसिद्ध साहित्यकारों तथा लेखकों ने राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत और जातीय स्वाभिमान से भरे हुए साहित्य का सृजन किया। बंकिम चन्द्र चटर्जी की रचना "आनन्द मठ" को "आधुनिक बंगाली देशभक्ति की गीता" (The Bible of Modern Bengali patriotism) कहा गया है। इस रचना में ही "बन्दे मातरम्" (Bande Matram) गान पहली बार सामने आया। जी० एन० सिंह लिखते हैं कि "आनन्द मठ" ने "बंगाल में प्रातिविकारी राष्ट्रीयवाद की पाठ्यपुस्तक का काम किया।" "नील दर्पण" नाम का नाटक भी इसी समय प्रकाशित हुआ। इस कोटन निम्नलिखित है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के ध्येय को "स्वप्न में हस्तगत भारत का इतिहास" (History of India gained in a Dream) आदि शब्दों में व्यक्त किया गया।

7 शासक और शासितों में जातीय कटुता—अंग्रेजों का शासन जातीय कटुता, वैमनस्य और घृणा से भरा पड़ा है। यद्यपि 1857 के विद्रोह से पूर्व यह जातीय कटुता तीव्र नहीं थी और भारतीयों तथा अंग्रेजों में पारस्परिक सम्बन्ध भी विद्यमान थे परन्तु विद्रोह के बाद यह कटुता अपनी चरम सीमा पर थी। गरेट की तो यह धारणा है कि इस "जातीय कटुता ने ही भारतीय राष्ट्रीयता को जन्म दिया।"³

अंग्रेज भारतीयों को अशुभ, हीन और पशु समझते थे। उनके लिए वे "आधे बंदर मानुष" (Half Gorilla) और "आधे नीग्रो" (Half Negro) थे जिन्हें केवल भय द्वारा ही समझाया जा सकता था। गरेट के अनुसार इसके तीन महत्त्वपूर्ण सिद्धांत थे—

- (1) एक यूरोपियन का जीवन कितने ही भारतीयों के जीवों के बराबर है।
- (ii) देशवासी (Oriental) केवल भय को ही समझता है।
- (iii) वे (अंग्रेज) वहाँ (भारत में) लोकहित के लिए नहीं अपितु अपने त्याग के फलों का स्वाद लेने के लिए और साथ ही अपने निजी लाभ के लिए आये थे।⁴

1 Singh, G N Ibid, P 112

2 See Kohn H A History of Nationalism in the East, P 360

3 Garrat An Indian Commentary P 116

4 Garrat Ibid, C P 116

दैनिक व्यवहार में भारतीयों को अपमानित किया जाता था। उन्हें "काली चमड़ी वाले गुलाम, पत्थरों की पूजा करने वाले और दासों पर झूठने वाले"¹ कहकर निर्दिष्ट किया जाता था। उन पर मनचाहा अत्याचार किया जाता था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की हत्याएँ साधारण बात थी। इस बातोंवरण ने जहाँ भारतीयों में दौन और दास्य मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया वहाँ उनमें घृणा और अग्रता (defiance) की भावना को बढ़ावा भी दिया।

जातीय भेदभाव सर्वत्र विद्यमान था। भारतीयों पर अविश्वास किया जाता था, उनका बहिष्कार किया जाता था। एंग्लो इण्डियन क्लबों में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। भारतीयों को उच्च पदों से, विशेषकर सेना, पुलिस, गुप्तचर विभाग आदि से वंचित रखा जाता था। बिना अभियोग बनाये उन्हें तोप से उड़ा दिया जाता था² और अंग्रेज अपराधियों को भी दण्ड नहीं दिया जाता था। सर थियोडोर मोरीसन लिखते हैं कि "धोर अदालती पापाचार था यह एक निन्दनीय सत्य है कि अंग्रेज भारतीयों की हत्या बार बार करते थे।"³ इतना ही नहीं सारे देश का निःशस्त्रीकरण कर दिया गया। शस्त्र एक्ट (Arms Act) को बड़ी निर्दयता और क्षुद्रता से कार्यान्वित किया गया। सब साधारण को अतकित करने के लिए सेना का प्रयोग किया गया। इस बरतापूण व्यवहार ने, जी० एन० सिंह के शब्दों में, "सबसाधारण के मस्तिष्क में घृणा की ज्वाला को जीवित बनाये रखा।"⁴

8 लार्ड लिटन का दमनकारी शासन — लार्ड लिटन ने अपने शासन काल में (1876-1880) ऐसे अनेक जनविरोधी और अत्यापपूर्ण कार्य किये जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय आन्दोलन को ही उत्तेजित किया बल्कि जातीय भेदभाव, कटुता और विरोध को भी बढ़ावा दिया। ये लार्ड लिटन की भूलें ही थी जो राष्ट्रीय आन्दोलन को मगड़ित करने में सहायक हुई तथा उसे तीव्र और उग्र रूप भी प्रदान किया। जसा कि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि 'सुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए बरदान बन जाते हैं।'⁵ लार्ड लिटन के शासन काल की मुख्य भूलें निम्न थी —

1 Cotton, Henry New India

2 सन् 1872 में मन्नेरकोटला के उपद्रव में, बिना अभियोग निराय के 49 सिक्खों को तोप से उड़ा दिया गया। Quoted by Singh, G N Ibid, P 114

3 Morrison, Sir Theodore Quoted by Gerrat in his "An Indian Commentary"

4 Singh, G N Ibid, P 114

5 Bannergjee Surendranath A Nation in the Making

(i) साम्राज्यीय दरबार—सन् 1877 में दक्षिणी भारत भयंकर दुर्भिक्ष से पीड़ित था। लाड लिटन ने दुर्भिक्ष पीड़िता की सहायता के स्थान पर दिल्ली में 1 जनवरी 1878 का साम्राज्यीय दरबार का आयोजन किया और विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया। इस दरबार पर अपार धन का अपव्यय किया गया था। लाड लिटन का यह वाय रोम के बादशाह नीरो की याद दिलाता है "जा उस समय भी खिलवाड़ कर रहा था जब रोम जल रहा था।" इसी दरबार से सुरद्रनाथ बनर्जी का देशवासिधा का संगठित करन तथा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन के आयोजन करने का विचार उत्पन्न हुआ। समुक्त भारत का विचार भी इसी दरबार से उत्पन्न हुआ। उनमें यह भावना जागृत हुई कि 'यदि एक स्वेच्छाचारी बाइसराय की प्रशंसा के लिए देश के राजा तथा अमीर उमरा को एकत्रित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है तो देशवासिधा का 'यायसगत ढग से, स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए क्यों नहीं संगठित किया जा सकता।'

(ii) सन् 1876 में सिविल सर्विस की परीक्षाओं में बैठने की आयु 21 वर्ष में घटाकर 19 वर्ष कर दी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों के लिए उच्च सेवाओं के दरवाजे बंद करना था।

(iii) सन् 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (Vernacular Press Act) द्वारा देशी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर कड़े नियंत्रण लगाने लगे। इस एक्ट ने जिनाधीशा को भी प्रेस पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया। लागू न होने 'गगिंग एक्ट' (Gagging Act) की सजा दी।

उपयुक्त दोनों बातों का सारे भारत में कड़ा विरोध हुआ और बाद में सरकार को ये दोनों अधिनियम रद्द करने पड़े। इसमें राष्ट्रीय तत्त्वों को अत्यधिक मनाबल मिला और उनमें यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि वे संगठित विरोध द्वारा अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं।

(iv) शस्त्र एक्ट (Arms Act) का पालन बड़ी छुद्रना से किया गया। इस एक्ट में सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह थी कि इसे केवल भारतीयों पर लागू किया गया था अंग्रेजों पर नहीं। एक असह्य और निरपराध जनता का पूरी तरह निःशस्त्रीकरण कर दिया गया। इसने जातीय वमनस्थ को बढ़ावा दिया।

(v) लवाशायर के स्वाय के लिए कपास सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया। इससे भारतीय उद्योगों का और व्यापारियों का अत्यधिक हानि हुई।

(vi) रूसी आतंक के कारण सेना में अनावश्यक वृद्धि की गई, काबुल पर स्वेच्छानुसार आक्रमण किया गया बंनानिक ढग से सुरक्षा सीमा बनाने की वाशिष्ठ की गई। इन सभी बातों पर अत्यधिक व्यय किया गया।

लाड लिटन के शासनकाल के उपयुक्त सभी नाम भारतीयों के लिए अपमानजनक होने के साथ साथ अग्रहाय थे। इन सबने मिलकर भारतीयों में उग्र राष्ट्रीय

भावनाओं का विनाश किया और धृष्टता तथा विरोध की शक्ति को लोगों के मस्तिष्क में जलाये रखा। सर विलियम बडरफन ने ठीक किया है कि "लाड लिटन के शासन के अन्तिम दिनों में स्थिति नाति के छोर पर पहुँच रही थी।"¹

9 सामाजिक परिवर्तन अंग्रेजों के आगमन से नई नीतियाँ अपनाई गईं। इन नीतियों ने नई विचारधाराओं और नये वर्गों को जन्म दिया। प्राचीन रूढ़ियाँ और विचारधाराओं में परिवर्तन होने लगा। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था का विकास होने लगा। शहरो के विकास से मध्ययुगी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था नष्ट होने लगी। कल-कारखानों की स्थापना से एक नये पूँजीपति वर्ग का जन्म हुआ जो समय बीतने पर विदेशी पूँजी से प्रतिद्वन्द्विता करने लगा। इसी प्रकार शिक्षा के विस्तार से एक नये मध्यम वर्ग—गुद्विजीवी, बरील, शिक्षक, पत्रकार, डाक्टर, बारीगर आदि का जन्म हुआ। ये दोनों वर्ग अंग्रेजी शासन की साम्राज्यीय नीतियों से असंतुष्ट थे। ये वर्ग ही कुछ समय बाद राष्ट्रीय आन्दोलन की धुरी बन गये।

10 विदेशी शासन के प्रति घृणा—अंग्रेज भारत में विदेशी थे। भारतीयों के हृदय में उनके लिए घृणा, ईर्ष्या और वमनस्य की भावनाएँ होना स्वाभाविक था। यह बात उन लोगों के हृदय में विशेष रूप से विद्यमान थी जो मुगल साम्राज्य के शासनकाल में विशेषाधिकारों का उपभोग करते थे। परंतु जब उनके साथ अभद्र या सेवकों जसा व्यवहार किया जाता या उन्हें यूरोपीय क्लबों, रेस्तराँ (Restaurant) आदि में प्रवेश नहीं दिया जाता तो उनमें बटुता और विरोध की भावना पैदा होना स्वाभाविक था। सन् 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो पृथक्त्व की नीति को बड़ी क्रूरता से लागू किया तथा जातीय भेदभाव की नीति को अपनाया। उससे न केवल भारतीय प्रतिभा को हानि हुई बल्कि उनका विकास भी रुक गया। श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी लिखते हैं कि भारतवासी "भूमिदान, जंगल काटने वाले, पानी खींचने वाले अथवा गोरे देवताओं के सेवक थे।"

श्वेत लोगों का व्यवहार बहुत ही अहंकारपूर्ण एवं हठी था। यहाँ तक कि यदि अंग्रेज किसी भारतीय की हत्या भी कर देते तो भी उन्हें दण्डित नहीं किया जाता और यदि दण्ड सिद्ध भी हो जाता तो भी या तो उन्हें छोड़ दिया जाता या उन्हें नाममात्र का दण्ड (Nominal Penalty) दिया जाता। हेनरी कॉटन ने इस अत्याय को इन शब्दों में व्यक्त किया है—यदि किसी चाय रोपक पर किसी असहाय कुली को निदयतापूर्वक पीटने का अभियोग चलाया जाता है तो इसका निराय करन के लिए चाय रोपक की जुरी बनाई जाती है। यह जुरी स्वाभाविक रूप से अभियुक्त के पक्ष में होती है। यदि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप या अन्य किसी कारण से दोष सिद्ध हो

1 'The state of things at the end of Lord Lytton's reign was bordering upon revolutions Wedderburn, Sir William

जाता है तो अंग्रेजों का सारा जनमत उस निरणय की निंदा करता है। अंग्रेज भारतीय समाचार पत्र भड़काने वाली बात करते हैं विरोध को अपने पत्रों में व्यक्त करते हैं, अपराधी के व्यय के लिए सावजनिक खर्च की उगाही की जाती है प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा सरकार के लिए स्मरण पत्र तयार किये जाते हैं और उनमें अभियुक्त को छोड़ने के लिए निवेदन किया जाता है।¹ अंग्रेज शासकों तथा अंग्रेज जाति के इस व्यवहार ने भारतीयों के हृदय में घृणा की अग्नि को जलाय रखा और भारतीय सगठित होने की बात सोचने लगे।

11 विदेशी घटनाओं का प्रभाव तथा जन जागृति शिक्षित भारतीय वर्ग अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से फ्रांस की राज्य प्राप्ति के 'स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व' के संदेश से तथा ग्रायरलण्ड के होमरूल आन्दोलन से भली भाँति परिचित था। इनके अतिरिक्त यूरोप में सन् 1861 और 1884 के दौरान कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुईं जिनका भारतीय मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इन घटनाओं से भारत का साधारण जन-मानस भी प्रभावित हुए बिना न रहा। (अंग्रेजों) शासन ही है और वे अब अनुभव करने लगे कि वे सगठित होकर उन भारतीयों को यह विश्वास हो गया कि उनके दुःखा और कष्टों का कारण विदेशी निवासियों न सगठित होकर प्राप्त की है। डा० इश्वरी प्रसाद ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि 'फ्रांसिसिया का जब इस बात की चेतना हुई कि उनकी सब कठिनाइयों का एकमात्र कारण उनके बुराबन शासन है तो उन्होंने एक क्रांति करके उन्हें राज्य सिंहासन से उतार दिया। अंग्रेजों को जब इस तथ्य का ज्ञान हुआ कि 'स्टुअर्ट शासक' की स्पेच्छाचारिता के कारण उनकी स्वतंत्रता खतरा है तो उन्होंने उसके विरुद्ध गहरे युद्ध लड़ा। इसी प्रकार भारतीयों ने इस विचार से प्रेरित होकर कि उनकी सब विपत्तियों के लिए विदेशी राज्य ही उत्तरदायी है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की।'²

जिन यूरोपीय घटनाओं से भारतीय सगठित होने के लिए उत्साहित हुए उनमें प्रमुख निम्न हैं —

(i) जर्मनी, इटली, स्पानिया, सर्बिया और माटीनिग्रो आदि देशों की एकीकरण।

(ii) इंग्लैण्ड में द्वितीय और तृतीय सुधार अधिनियम पास हुए जिससे बड़े मताधिकार के विस्तार के साथ बड़ा प्रजातंत्र का विचार हुआ।

(iii) फ्रांस में तृतीय रिपब्लिक (Third Republic) की स्थापना।

1 Cotton, Sir Henry New India
2 Prasad Dr J History of Modern India P 311

(iv) इटली और स्पेन में सवधानिक राजतंत्र की स्थापना ।
 (v) अमरीका में गृह युद्ध के फलस्वरूप नीग्रोज को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई ।

(vi) रूस ने भी, अलेक्जण्डर द्वितीय (Alexander II) के शासन काल में, कुछ उदार नीति का अपनाया, आदि ।

12 प्राचीन भारतीय साहित्य को विदेशी विद्वानों द्वारा प्रशंसा-यूरोप के प्रसिद्ध विद्वानों ने प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन किया और उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की प्रशंसा की । इन प्रशंसकों में मुख्य थे सर विलियम जोन्स (Sir William Jones), जैकोबी कोन ब्रुक (Colbrook), ए बी कीच (A B Keith) मैक्स मूलर (Max Muller), मोनियर विलियम्स (Monier Williams), रौथ (Roth), सॅसून (Sassoon), बुनूफ (Burnouf) आदि । इन विद्वानों ने 'संस्कृत भाषा की सम्पन्नता और श्रेष्ठता का उत्सव ऐतिहासिक एवं साहित्यिक महत्व का भारतीय सभ्यता के आधारभूत हिंदू साहित्य का प्रयत्न करण न केवल पश्चिमी जगत के लिए किया बल्कि स्वयं भारत के लिए भी किया ।'¹

अनेक भारतीय विद्वानों जैसे डा. आर. डी. भण्डारकर, हर प्रसाद शास्त्री, रानाडे, राजेद्रलाल मित्रा आदि ने भी प्राचीन भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता पर प्रशंसा डाली ।² इनसे पूर्व स्वामी दयानंद सरस्वती तथा विवेकानंद ने भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का गुण गाया था । भारतीय तथा विदेशी विद्वानों की इन लोका का परिणाम यह हुआ कि भारतीयों में हीनता की भावना का अन्त हो गया और उनमें चेतना, गव, आत्म विश्वास और आशावाद का जन्म हुआ ।

13 सिविल सर्विस आन्दोलन-सिविल सर्विस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में एकता और सुदृढता की भावना को जागृत करना था तथा शिक्षित भारतीयों को संगठित करना था । जसाकि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि "आन्दोलन तो साधन था प्रतिद्वन्द्विता परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाने और समकालीन परीक्षा की व्यवस्था करने के उद्देश्य भी इस आन्दोलन में शामिल थे परंतु सिविल सर्विस आन्दोलन में अतर्निहित विचार और इसका यथार्थ उद्देश्य तो भारतीयों में एकता और सुदृढता की भावना को जागृत करना था ।"³

शिक्षित एवं मध्यम वर्ग के लोगों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण यह था कि जो वचन तथा प्रतिज्ञायें सरकार इस वर्ग से सन् 1833 से करती आ रही थी उन्हें पभी पूरा नहीं किया गया । भारतीयों का भारतीय प्रशासन में, विशेष कर

1 Chitrol India p 80

2 For details see Panikkar, K M The Foundations of New India p 68

3 Bannery S N A Nation in the Making p 44

उच्च पदा पर, कोई स्थान नहीं था। सन् 1833 के एक्ट ने यह विश्वास दिलाया था कि उच्च पदों पर नियुक्ति पात्रता (योग्यता) के आधार पर की जायगी और जाति, रंग या भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायगा। परन्तु इस विज्ञापन को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। सन् 1833 और सन् 1853 के बीच किसी भारतीय को किसी उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया गया। इसी निराशा और रोष का प्रकट करने के लिए सन् 1853 में शिक्षित भारतीयों ने, कम्पनी के चाटर की वृद्धि (extension) के समय, ससद के समक्ष अनेक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रार्थना पत्र (Petition) प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र को भारतीय राजनीतिक और सावजनिक जागृति का प्रथम प्रदर्शन कहा गया है। सन् 1858 की महानगी विक्टोरिया की घोषणा में इस वचन और विश्वास को फिर दाहराया गया परन्तु इसकी पालना भी इसे तोड़ कर की जाती थी। (It was mostly honoured in its breach)

भारतीयों के लिए भारतीय उच्च सेवाओं में प्रवेश लेना कठिन था। इसके धनक वारण था। प्रथम, ये परीक्षाएँ इंग्लैण्ड में होती थीं, द्वितीय, इन परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी या तृतीय, सन् 1876 में इन परीक्षाओं में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटा कर 19 वर्ष कर दी गई थी। ब्रिटिश सरकार का यह कान, जसा कि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने लिखा है, "भारतीय विचारधारा को इस नौकरी से जान बूझ कर वंचित रखने की चाल थी।"

उपयुक्त कठिनाइयों के बावजूद भी जो भारतीय इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते तो उनके साथ भेदभाव की नीति अपनाई जाती। उन्हें या तो उच्च सेवाओं में लिया ही नहीं जाता या उन पर किसी प्रकार का अभियोग लगाकर उन्हें हटा दिया जाता। उदाहरणतया सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सन् 1869 में आई सी एस की परीक्षा पास की परन्तु उन्हें उच्च सेवा में इसलिए नहीं लिया गया कि उनकी आयु के बीच में कुछ विरोध (discrepancy) थी। इस पर श्री बनर्जी ने विवन बेंच के समक्ष परमाधिदेश (Writ of Mandamus) के लिये प्रार्थना की। इस पर 'यायालय न श्री बनर्जी का सेवा में लेने लिए आदेश जारी किया। परन्तु दो वर्ष बाद श्री बनर्जी पर अभियोग लगाकर उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया। इसी प्रकार सन् 1877 में अरवि द घोष ने आई सी एस की परीक्षा पास की परन्तु उन्हें सेवा में इसलिए नहीं लिया गया कि वे घुड़ सवारी में असफल रहे। इस तरह ब्रिटिश सरकार शिक्षित भारतीयों से भेदभाव की नीति अपना कर उन्हें उच्च पदा से वंचित रखती।

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने शिक्षित भारतीयों को संगठित करने के लिए 'वंगाल में सन् 1876 में "इण्डियन एसोसियेशन" (Indian Association) नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से ही श्री बनर्जी ने 1877-78 में उत्तर और

दक्षिणी भारत का दौरा किया, सभाओं को सम्बोधित किया, तथा भारतीया को संगठित किया। इस गाय म जसाकि सर हेनरी वाटन न लिखा है, उह "महान सफलता" मिली। सर हेनरी वाटन ने तो श्री वनर्जी को 'भारतीय असतोप के पिता' (Father of Indian Unrest) की सजा दी है। श्री लाल मोहन घोष को इंग्लड भी भेजा गया जहा उन्होंने वॉमन सभा को एक प्राथना पत्र (Memorial) भी प्रस्तुत किया तथा भारतीयों के दृष्टिकोण का ब्रिटिश अधिकारि-के समक्ष प्रस्तुत किया।

14 इल्वट विधेयक (Ilbert Bill) —उन्नीसवीं शताब्दी म राष्ट्रीय चेतना म विकास म ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो योगदान रहा है उपयुक्त कारण म उक्तका उल्लेख किया गया है। परन्तु राष्ट्रीय चेतना को संगठित करन तथा उसे राष्ट्रीय राजनीतिक सस्था का रूप देन म इल्वट विधेयक का मुख्य स्थान रहा है। इल्वट विधेयक ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का तत्काल कारण था। उस समय भारतीय मजिस्ट्रेट अग्रज अपराधिया के मुनदमे न तो स्वतन्त्रता पूर्वक सुन सकते थे और न ही उन्हें दण्डित कर सकते थे जबकि अग्रज मजिस्ट्रेट चाहे व भारतीय मजिस्ट्रेटो से कनिष्ठ (Junior) होते थे, ऐसा कर सकते थ। यह जाति भेद नीति की चरम सीमा थी। लाड रिपन, जो भारत म सुधार के लिए प्रसिद्ध हैं इस असंगतिपूर्ण अवधता, अनियमितता और ईर्ष्यास्पन् भेद का दूर करना चाहता था तथा भारतीय मजिस्ट्रेटो को अग्रज अपराधिया का दण्ड देन का अधिकार देना चाहता था। इस उद्देश्य से लाड रिपन की कार्यकारिणी परिपद (Executive Council) के कानूनी सदस्य (Law member) सर वटनी पी इल्वट (Sir Courtney P Ilbert) ने विधान परिपद म सन् 1883 मे एक विधेयक प्रस्तुत किया जो इल्वट विधेयक के नाम से प्रसिद्ध है।

भारत म विद्यमान सारी अग्रज जाति ने इस विधेयक का विरोध एक स्वर से किया और इसे "काले विधेयक" (Black Bill) की सजा दी। इस विरोध ने नभूतपूर्व आंदोलन (Unprecedented agitation) का रूप धारण कर लिया। विधेयक का विरोध करन के लिए एक यूरोपीय रक्षा समुदाय (European Defence Association) नाम की सस्था का निर्माण किया मुक्तमा लडने के लिए 1,50,000 रु की धन राशि भी एकत्रित की गई। भिन्न भिन्न स्थानों पर सभायों की गई और इन बात का संगठित रूप से प्रचार किया गया नि विधेयक शासक जाति का अपमान है, इसम ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल जायगी काल भारतीय मजिस्ट्रेट अग्रजा का शपमानिन करन के लिए सरलत सजायें देंग इत्यादि। सर हेनरी वाटन लिखते हैं कि वक्तवत् न कुछ अग्रजा न सरकारी भवन के सतगिया का का म करके लाड रिपन को बाधकर वापस इंग्लड भेजने का पडयान भी रचा। 1 सरकार इस

आन्दोलन के तूफान का सामना न कर सकी और विधेयक का वापिस ल
 लिया।”¹

इल्बट विधेयक पर यूरोपीय जाति क विरोध न भारतीयों की भाँसे खोल
 दी। उन्हें अनुभव हुआ कि विदेशी शासन कितना क्रूर निदयी और एक पक्षीय हो
 सकता है। उन्हें स्पष्ट हा गया कि जहा शासक बग के विशेषाधिकार का प्रश्न है
 वहा पर 'याय की आशा नहीं की जा सकती। उनम यह भावना जागत हुई कि दमन
 और शोषण से छुटकारा पान तथा राजनीतिक उद्देश्या की प्राप्ति के लिए "राष्ट्रीय
 सगठन अनिवार्य है। उन्हें यह विश्वास हा गया कि राजनीतिक प्रगति राष्ट्रीय
 सगठन और राष्ट्रीय सभा की माग करती है सयुक्त एव समायोजित काय द्वारा ही
 'याय प्राप्त किया जा सकता है तथा इनके द्वारा ही जन जागृति पदा की जा सकती
 है तथा सरकार को झुकाया जा सकता है। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जा लिखत है कि 'कोइ
 भी स्वाभिमानी भारतीय अथ आप्र मूँद कर नहीं बठा रह सकता था। जो इल्बट
 विधेयक विवाद के महत्त्व को समझते थे उनके लिए वह देशभक्ति की महार्प
 पुकार थी।'²

इल्बट विधेयक विवाद भारतीयों क लिए चेतावनी थी और इन्हान इस
 'तावनी का मुावला करने के लिए अनेक प्रांतीय सम्मेलनों, सभाया और सस्थाया
 निर्माण किया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी (forerunners) सिद्ध
 हुए। सन् 1883 म सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने जो राष्ट्रीय सम्मेलन (National Confe-
 rence) का चीन् उठाया वह यूरोपीय रक्षा सगठन का प्रत्युत्तर था। इस सम्मलन
 में ही उद्दान लोगा का देश के लिए सगठित होने की बात बही। यह राष्ट्रीय
 सम्मेलन ही "राष्ट्रीय ससद की दिशा म प्रथम चरण था।"³
 कांग्रेस की पूर्वगामी सस्थाये या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
 स्थापना से पूर्व स्थापित की गई सस्थाये

(The fore-runners of Congress or Organizations formed before the
 Origin of Congress)

सन् 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पूव भारत म अनेक प्रकार की सस्थाये

1 सरकार और यूरोपीय जाति के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अनुसार केवल
 भारतीय जिलाधीशा और सशान जजा को ही यूरोपियन अपराधिया के मुकदमा
 का फसला बरने का अधिकार दिया गया परंतु यहा भी यूरोपियन अपराधिया
 को यह अधिकार दिया गया कि वे जूरी की माग कर सकते थे जिसम कम स
 कम आधे सदस्य अवश्य ही यूरोपियन हा।

2 Banerjee, S N A Nation in the Making reported by
 3 'The first stage towards a National Parliament
 Mr Wilfred Blunt Quoted by Banerjee A Nation in the Mak-
 ing pp 86 87

स्थापित की गई थी। यह संस्थाएँ मुख्यतया सन् 1843 और 1885 के बीच स्थापित की गई थी। इन संस्थाओं में अधिकांश तो भारत में और कुछ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। बंगाल इन संस्थाओं की स्थापना के लिए न केवल अग्रणी था बल्कि अत्यधिक क्रियाशील भी था।

कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित की गई संस्थाओं की एक विशेषता यह थी कि ये राष्ट्रीय स्तर की नहीं थी, ये सब प्रांतीय स्तर की थीं। इनके पास कोई "राजनीतिक स्वाधीनता की परिवर्तना" नहीं थी। इनके पास कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं था, ये स्वतंत्रता नहीं प्रशासन में बचल सुधार चाहती थी। इनका क्षेत्र सरकारी कानून और शासन कार्यों की आलाचना करने तक सीमित था। अधिक से अधिक ये भारत के मुश्किल बग को समझित करना चाहती थी। कांग्रेस की इन पूर्वगामी संस्थाओं को "जन संस्थाएँ" भी नहीं कहा जा सकता। ये बड़े बड़े जमींदारों व्यापारियों और अग्रणी पढ़े लिखे यादों के लोगों की संस्थाएँ बनीं रहीं। फिर भी, इन संस्थाओं की स्थापना इस बात की द्योतक है कि भारत के शिक्षित तथा उच्च वर्ग में पारस्परिक समझित होने की भावना का विकास हो रहा था। इन्हीं संस्थाओं ने कांग्रेस की स्थापना के लिए आवश्यक भूमिका तैयार की। उनके लिए राष्ट्रीय वानावरण उत्पन्न किया तथा अपने दृष्टिकोण से तथा अपने निर्धारित क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का जागृत कर राष्ट्र की असूख संवा की।

जो संस्थाएँ इस क्षेत्र में स्थापित की गईं उनमें मुख्य निम्न थीं —

(1) ब्रिटिश इण्डिया सोसाइटी 1843 (British India Society 1843) —

इस सोसाइटी की स्थापना सन् 1843 में बंगाल में की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में रहने वाले लोगों की वास्तविक अवस्था के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना तथा उनमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना था। यह संस्था अधिक लोकप्रिय न बन सकी और सन् 1851 में ब्रिटिश इण्डिया एसोसिएशन में मिल गई।

(2) ब्रिटिश इण्डिया एसोसिएशन 1851 (British India Association 1851) — इन एसोसिएशन की स्थापना सन् 1851 में की गई थी। इसके संस्थापकों में मुख्य थे डा. राजद्राल मिश्र, प्रसन्नकुमार ठाकुर, रामगोपाल घोष, राजा निगम मिश्र, हरिश्चन्द्र मुखर्जी और प्यारचन्द मिश्र। इस एसोसिएशन ने लगभग 50 वर्ष तक भारत की सेवा की तथा समय समय पर भारतशासियों के लिए राजनीतिक

1. ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन ने भारत के निम्न निम्न भागों में अपनी शाखाएँ खोलने का प्रयास किया था, परन्तु इसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी।

रियायतो की भाग थी। इसने ब्रिटिश ससद को सन् 1852 में जा प्रतिबदन भेजा उसमें निम्न मार्गें प्रस्तुत की —

- (1) ब्रिटिश भारत के लिए पृथक विधान मण्डल हो,
 - (ii) आई सी एस की भर्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था हो
 - (iii) प्राता को कुछ सीमा तक स्वतंत्रता हो।
- यह कहा जाता है कि सन् 1853 के चाटर एक्ट में उक्त मांगों को कुछ सीमा तक स्वीकार किया।

3 बम्बे एसोसियेशन, 1852 (Bombay Association, 1852)

इस एसोसियेशन की स्थापना सन् 1852 में बम्बई में की गई। इस स्थापना में मुख्य थे जगन्नाथ शंकर सेठ और दादा भाई नौरोजी। शताब्दी प्रतिम चरण में ईस्ट इण्डिया एसोसियेशन ने इसका स्थान ले लिया।

4 मद्रास नेटिव एसोसियेशन (Madras Native Association)

इस एसोसियेशन की स्थापना सरकारी कर्मचारियों ने मद्रास में की थी। इस ईस्ट इण्डियन एसोसियेशन, 1866 (East Indian Association, 1866)

इस एसोसियेशन की स्थापना सन् 1866 में इंग्लैण्ड में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी।

6 हिंदू (Hindu)

इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। सचिव श्री रामवीर राघनाचार्य, रमेश नायडु जी० मुनह्यम रोयल और एम० सुब्रह्मण्यम पन्तलु इसके सस्थापकों में से थे। इसने सांख्यिक सेवा क्षेत्र में प्रथितीय कार्य किया।

7 इण्डिया लीग, 1875 (India League, 1875)

यह पहली भारतीय राजनीतिक संस्था थी जिसकी स्थापना सन् 1875 में, बंगाल में, एक खुली सभा में की गई। इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक जागृति पैदा करना था। "यह संस्था भारत में राजनीतिक चेतना का प्रथम चिह्न" था। इसने अभी कार्य शुरू ही किया था कि इण्डियन एसोसियेशन ने इसका स्थान ले लिया।

8 पूना सार्वजनिक सभा, 1875 (Poona Sarvajamik Sabha, 1875)

इस सभा की स्थापना सन् 1875 में पूना में की गई। महादेव गाविंद रानाडे ने इसकी स्थापना में पूरा सहयोग दिया। बड़े बड़े जागीरदार, सरदार भी इस सभा के सन्ध्य थे। इस सभा ने "पश्चिमी भारत का जगान में और साथ ही सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं पर जनमत तयार करने में महत्वपूर्ण काम किया।"¹

¹ See Kellock. Mahadeva Govind Ranade, P 25

9 इण्डियन एसोसियेशन, 1876 (Indian Association, 1876)

कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में जितनी भी संस्थाएँ स्थापित की गईं उन सबसे महत्वपूर्ण संस्था "इण्डियन एसोसियेशन" थी। इसकी स्थापना बलकृष्ण कृष्णन द्वारा 26 जुलाई, 1876 को हुई। इसके संस्थापक थे श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और इसके मंत्री थे श्री आनन्द माहान घोष। इस एसोसियेशन के मुख्य उद्देश्य निम्न थे —

- (i) शिक्षित वर्ग को संगठित करना
- (ii) शक्तिशाली एवं सतक जनमत तैयार करना
- (iii) समान राजनीतिक उद्देश्या और आकांक्षाओं के आधार पर भारत की विभिन्न जातियों का एकीकरण करना
- (iv) हिंदुओं और मुसलमानों में मैत्रीभाव पैदा कर एकता की भावना पैदा करना
- (v) सावजनिक आंदोलन में किसानों के सहयोग को प्राप्त करना।

इण्डियन एसोसियेशन ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। इस सरकार की अत्यायपूर्ण एवं साम्राज्यीय नीति की आलोचना की। लाडलिटन की क्रूर नीतियों के विरुद्ध इसने सारे देश में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। इनके तत्वावधान में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सन् 1877 में उत्तरी भारत और सन् 1878 में दक्षिणी भारत का भ्रमण किया तथा सिविल सर्विस की आयु के घटाने (जो 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी) के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन की भावनाएँ पैदा कर दीं। इसी एसोसियेशन ने ब्रिटिश संसद को एक स्मृति पत्र भी पेश किया। कुछ समय बाद सरकार ने इण्डियन सिविल सर्विस परीक्षा में बढ़ने की आयु को फिर 21 वर्ष कर दिया। भ्रमण के दौरान श्री बनर्जी को सन् 1877 के दिल्ली दरबार का देखने का अवसर मिला तथा उनमें राष्ट्रीय समस्या को निर्मित करने के भाव यही उत्पन्न हुए। सावजनिक आन्दोलन का शीरोन्मेष भी इसी एसोसियेशन में किया।

इण्डियन एसोसियेशन ने बलकृष्ण कृष्णन द्वारा 28 दिसम्बर 1883 से 30 दिसम्बर, 1883 तक एक राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference) का आयोजन किया। यह सम्मेलन भी इटंबट हाल में हुआ। इस सम्मेलन में बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद, लाहौर, इलाहाबाद, नागपुर, मरठ आदि बड़े-बड़े नगरों से लोग भी भाग लिया। इस सम्मेलन की विशेषता यह थी कि इसने प्रांतीय समस्याओं के म्यान पर राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार किया। इसमें प्रांतीय विधान परिषदों के सुधार तथा अन्य सुधारों की मांग की। इस सम्मेलन में ही श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 'मधुत वापवाही की आवश्यकता' पर उल्लेख किया। इस ही ही "राष्ट्रीय संसद की प्रथम मीठी" (The first stage towards a National Parliament) की सजा दी गई है।

इण्डियन एसोसियेशन ने द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन सन् 1885 में बुलाया। यह ठीक उस समय हुआ जबकि बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो रहा था। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के भिन्न भिन्न भागों से 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सन् 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद इस सम्मेलन के सभी प्रतिनिधि कांग्रेस में सम्मिलित हो गये।

10 बम्बई प्रेसीडेंसी एसोसियेशन, 1883
(Bombay Presidency Association, 1883)

इस एसोसियेशन की स्थापना सन् 1883 में बम्बई में की गई। सचिवी फिरोजशाह मेहता और बद्रुद्दीन तयवजी इसके संस्थापकों में से थे। इस एसोसियेशन ने प्रस्तावों, जलसों आदि द्वारा लोगों में, सावजनिक विषयों में दिलचस्पी उत्पन्न की तथा उनमें राजनीतिक चेतना पैदा की।

11 मद्रास प्रांतीय सम्मेलन, 1884 (Madras Provincial Conference, 1884)

इस सम्मेलन का आयोजन मद्रास महाजन सभा द्वारा सन् 1884 में किया गया।

12 राष्ट्रीय लीग, 1884 (National League, 1884)

इस लीग की स्थापना सन् 1884 में बंगाल में की गई। इसका उद्देश्य तथा कार्यक्रम वसा ही था जसाकि बाद में कांग्रेस ने अपनाया।

कांग्रेस का जन्म
(Birth of the Congress)

उपर्युक्त वचन से स्पष्ट है कि कांग्रेस की स्थापना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह किसी एक घटना या किसी एक व्यक्ति के प्रयत्नों का फल नहीं थी। यह ब्रिटिश शासन द्वारा अनिच्छापूर्वक (Unintentional) और भारतवासियों द्वारा इच्छापूर्वक (Intentional) किये गये प्रयासों का फल थी। पश्चिमी शिक्षा पश्चिमी सम्मत्ता और पश्चिमी विचारधारा ने भारतीयों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वशासन की भावनाएं जागृत कर दी थीं सन् 1857 के विद्रोह ने विदेशियों के प्रति घृणा और स्वदेश के प्रति प्रेम और बलिदान की भावनाओं को जागृत रखा था, धार्मिक और सामाजिक झड़ोलनों ने भारतीय सम्मत्ता और संस्कृति की श्रेष्ठता पर बल दिया था, भारतीय समाचार पत्रों ने सामान्य राष्ट्रीय मंच की मांग की थी, ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी आर्थिक नीतियां न अस्त-तोष उत्पन्न कर दिया था भिन्न-भिन्न प्रांतीय संस्थायें तथा सगठन अपने-अपने क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान कर रही थीं। सन् 1877 में दिल्ली दरबार के अवसर पर सुरद्रनायक वनर्जी के मस्तक पर एक राष्ट्रीय संस्था को स्थापित करने का विचार उत्पन्न हो गया था और सन् 1883 में भारतीय एसोसियेशन (Indian Association) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference) इस शिक्षा की ओर ठोस

कदम था। स्पष्ट है कि कांग्रेस "राजनीतिक दासत्व की अनुभूति" और "धार्मिक पुनरुत्थान द्वारा राष्ट्रीय जागृति" तथा भारतीय नेताओं के प्रयासों का परिणाम थी।

जब उपयुक्त सभी शक्तियाँ राष्ट्रीय मंच की मांग कर रही थीं तो श्री एलेन ओक्टवियन ह्यूम (Allan Octavian Hume) ने, जो भारतीय सिविल सेवा के अवकाश प्राप्त सदस्य (a retired member of ICS) थे, बलकृता विश्व विद्यालय के स्नातकोत्तों को मार्च 1, 1883 को एक खुला पत्र (Open letter) लिख कर उन्हें "अपने देशवासियों" के मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए एक समुदाय को संगठित करने के लिए प्रेरणा दी।" इस पत्र में श्री ह्यूम ने 'इस शाश्वत सत्य पर बल भी दिया कि सुख और स्वतंत्रता के लिए आत्म त्याग और निस्वार्थता ही विश्वसनीय पथ प्रदर्शक हैं।" इस पत्र में श्री ह्यूम ने 50 ऐसे निस्वार्थ व्यक्तियों की मांग भी की जो अपने देश पर सर्वस्व 'यौद्धावर करने के लिए तैयार हों।

श्री ह्यूम के उपयुक्त पत्र का भारतवासियों पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। दिसम्बर 1884 को देश के भिन्न-भिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 'भले और सच्चे' (good men and true) व्यक्ति मद्रास में दीवान बहादुर रघुनाथ राव (Dewan Bahadur Raghunath Rao) के निवास स्थान पर एकत्रित हुए तथा उन्होंने राष्ट्रीय संस्था बनाने के लिए देश के भिन्न-भिन्न भागों में जाय करने का प्रण लिया। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय संघ (Indian National Union) की स्थापना की गई। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया जो कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। मार्च 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ ने चंडे दिनों की छुट्टियाँ में (Christmas holidays) भारत के भिन्न-भिन्न भागों के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन के लिए घोषणा पत्र निकाल दिया। इस घोषणा पत्र में सम्मेलन के निम्न उद्देश्य स्पष्ट किये गये थे —

- (अ) राष्ट्र के काम में लगे हुए सभी निष्ठावान कार्यकर्ता एक दूसरे से परिचित हो सकें
- (ब) आगामी वर्ष के कार्यक्रम को निश्चित किया जा सके, तथा
- (ग) अप्रत्यक्ष रूप से, यह सम्मेलन राष्ट्रीय संसद के रूप में प्रफुटित हो सके।

संघ ने श्री ह्यूम का इस सम्मेलन को आयोजित करने तथा उसके लिए विवरण तैयार करने के लिए प्रभारी (In charge) नियुक्त कर दिया।

1 Mr Hume emphasized the eternal truth that self sacrifice and unselfishness are the only unfailing guides to freedom and happiness. Quoted by Mazumdar Indian National Evolution P 47

इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए ह्यूम को इसलिए नियुक्त किया गया था कि उस समय के नेताओं में ह्यूम ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय सन्धा का निर्माण कर सकते थे और वे इस उद्देश्य में सफल भी हुए। उन्होंने इस सन्धा (Congress) की स्थापना में सरकारी हमदर्दी और समयन प्राप्त किया। ह्यूम इस सम्बन्ध में वाइसराय लाड डफरिन (Viceroy Lord Dufferin) से भी मिले तथा इस सन्धा के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। यद्यपि ह्यूम इसे "सामाजिक विषय" पर विचार करने वाली सन्धा बनाना चाहते थे परन्तु लाड डफरिन के कहने पर ही उन्होंने इसे राजनीतिक स्वरूप दिया। लाड डफरिन यह चाहते थे कि नई सन्धा इंग्लण्ड के राजकीय विरोधी दल की भाँति कार्य करे सरकार को यह बताये कि शासन में क्या और क्या दोष हैं और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है।" इस सम्बन्ध में श्री ह्यूम इंग्लण्ड भी गये और उन्होंने लाड रिपन, डलहौजी, जॉन राइट और श्री स्लेग जैसे अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सद्भावनाएँ प्राप्त की। हाउस ऑफ कामन्स (H O C) में भारतीय विषय पर दिलचस्पी पदा करने के लिए, इंग्लण्ड से लौटने वहाँ इण्डियन पार्लियामेण्टरी कमेटी (Indian Parliamentary Committee) की स्थापना की।

कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में 25 से 28 दिसम्बर 1885 को होना निश्चित हुआ था परन्तु पूना में हैजा (Cholera) की बीमारी फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में हुआ। भारत के भिन्न भिन्न भागों से आये हुए 72¹ प्रतिनिधि श्री बामेश चन्द्र बनर्जी (Womesh Chandra Banerjee) की अध्यक्षता में गोकुल दास तेजपाल सस्कृत कॉलेज के भवन में दिन के 12 बजे 28 दिसम्बर 1885 को राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए। इस तरह उस राष्ट्रीय सन्धा का निर्माण हुआ जिसने समय बीतने पर बृहद रूप ग्रहण कर लिया। इसे ठीक ही 'देशी सदन का अकुर' कहा गया है। उस समय से कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन देश के किसी न किसी भाग में होते रहें हैं। इसने राष्ट्र की भावनाओं को व्यक्त किया है तथा राष्ट्र की अमूल्य सवायें की हैं।

रूपलण्ड का यह विश्वास कि "भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिथु थी तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालन पोषण का आशीर्वाद दिया' पूरा सत्य नहीं है। यह ठीक है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी स्थापना में और इसके प्रारम्भिक काल में उस आशीर्वाद दिया परन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है यह

1 ये लोग निवाचित सदस्य नहीं थे, इसलिए इन्हें जनता के प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। परन्तु ये लोग राष्ट्र के सर्वोत्तम विचारों का प्रतिनिधित्व अवश्य करते थे।

भारतीयों के स्वयं के प्रयत्नों और राष्ट्रीय भावनाओं का परिणाम थी। जब कांग्रेस का अविवेकन वर्मई में हो रहा था तब उस समय कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन¹ (A National Conference) हुआ। इस सम्मेलन में केवल अंगान के ही प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे बल्कि मेरठ, इलाहाबाद, बनारस आदि बड़े शहरों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे। बाद में राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्य कांग्रेस में मिल गए। इस तरह कांग्रेस केवल ब्रिटिश शासन की शिष्टु नहीं थी बल्कि ब्रिटिश और भारतीय दोनों के संयुक्त प्रयत्नों का फल थी। डा० जनारिया ने ठीक लिखा है कि कांग्रेस “भारत और ब्रिटिश प्रजातन्त्रवादियों के संयुक्त प्रयत्नों का फल थी जो सकीण राष्ट्रीय उद्देश्यों से प्रेरित नहीं थे बल्कि जो सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा रखते थे जिनकी पुष्टि में दोनों अपने अपने देश के गौरव को देते थे तथा शताब्दी के पारम्परिक लाभकारी सहयोग की परिपूर्ति समझते थे।”²

कांग्रेस की प्रकृति तथा स्वरूप

(Nature and Character of Congress)

कांग्रेस की प्रकृति तथा स्वरूप क्या था इसके बारे में दो विचारधाराएँ हैं। इसके विरोधियों का कहना है कि यह प्रारम्भ से ही वर्गीय और साम्प्रदायिक संस्था थी। भारतीय रियासतों का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। शिरोल ने अपनी रचना इण्डियन अनरस्ट में लिखा है कि वह केवल एक वर्ग का अथवा एक वर्ग के भी एक खण्ड का प्रतिनिधित्व करती है। इस वर्ग में पश्चिमी शिक्षा पाये हुए व्यवसायी वकील डाक्टर, अध्यापक, सम्पादन आदि मध्यम श्रेणी के लोग हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह वर्ग महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली है परन्तु वह कुल जनसंख्या से शतांश (One hundredth Part) से अधिक नहीं है।³ कई लोगों का यह भी कि इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था अनेक को इसके साथ हमदर्दी नहीं थी। लाड लिटन ने इसे “पढ़े लिखे छोटे से वर्ग का अंग कहा जो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती।” डफरिन ने इसे भारतीय जनता की “नगण्य संख्या” (Microscopic minority) की प्रतिनिधि कहा। कुछ का यह कहना था कि यह केवल हिंदुओं का संगठन है। इसमें मुसलमानों और दलित (अस्पृश्य) वर्गों का किसानों तथा श्रमिकों का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं।

दूसरी विचारधारा इसके समर्थकों की है जो इसे राष्ट्रीय संस्था मानते हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस प्रारम्भ से ही एक राष्ट्रीय संस्था थी, वर्गीय या साम्प्रदायिक नहीं। वे प्रारम्भ से ही राष्ट्र के सभी वर्गों सभी जातियों और सम्प्रदायों

1 इस सम्मेलन के मुख्य सगठनकर्ता थे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा अमीर अली।

2 Zacharias Renascent India, P 114

3 Chirol, Sir Valentine Indian Unrest PP 164-155

के हिता का प्रतिनिधित्व करती रही है। इसके सभी काय या निर्याय राष्ट्रीय भावनाओं में प्रेरित थे' साम्प्रदायिक भावनाओं से नहीं। प्रो० हीरालाल सिंह ने ठीक कहा है कि "कांग्रेस के कार्यक्रम में एक भी बात ऐसी नहीं है जिसके विरुद्ध कोई भी वग्न अगुली उठा सके।"

प्रारम्भ से ही इसकी सदस्यता सभी वर्गों के लिए खुली थी, किसी विशेष वर्ग या जाति के लिए नहीं। इसका राष्ट्रीय स्वरूप इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि जिन लोगों ने इसकी स्थापना की तथा जिन लोगों ने इसका पालन पोषण किया वे केवल हिन्दू ही नहीं थे बल्कि भिन्न भिन्न प्रदेशों तथा भिन्न भिन्न भाषायों वाले व्यक्ति थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप को द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में इस प्रकार व्यक्त किया था "यह वही है जो इसका अभिप्राय है अर्थात् यह राष्ट्रीय सत्ता है। यह किसी विशेष वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह सभी भारतीय हिता और वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। इस सत्ता की उपज एक अग्रज मन्त्रिपरिषद्, एलेन आक्टेवियन ह्यूम में हुई, इसका पोषण फिरोजशाह मेहता और दादा भाई नौरोजी जैसे महान् पारसियों ने किया। प्रारम्भ से ही कांग्रेस में मुसलमान, ईसाई और एंग्लो इण्डियन थे। मैं यह कह सकता हूँ कि सभी धर्म, सम्प्रदाय तथा मतों का इसमें पूर्णाधिक भाग में प्रतिनिधित्व हुआ है। स्वर्गीय वदरहीन तयब ने तो अपने आपको कांग्रेस के साथ मिला लिया था, मुसलमान और पारसी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। स्त्रियाँ भी इसके अध्यक्ष पद पर विराजमान रही हैं। डा० एनी बेसेन्ट इसकी प्रथम स्त्री अध्यक्ष थी तथा उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष रही। इस तरह यह पूर्ण रूप से एक राष्ट्रीय सत्ता है।"

कांग्रेस ने कभी भी समस्याओं पर साम्प्रदायिक, प्रादेशिक या वर्गीय दृष्टिकोण से विचार नहीं किया। इसके वार्षिक अधिवेशनों में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधि किसी एक जाति सम्प्रदाय या प्रदेश से नहीं होते थे। यह कहना भी सत्य नहीं कि कांग्रेस ने देशी रियासतों या उनके शासकों के हिता की रक्षा नहीं की। यद्यपि कांग्रेस के कार्यक्रम में रियासतों के सम्बन्धित विषय शामिल नहीं थे परन्तु उनके हितों की रक्षा कांग्रेस ने अवश्य की। जैसे सन् 1889 में कांग्रेस के द्वितीय श्री चार्ल्स ब्रोडला ने बख्शी के राजा के पक्ष में, जिसे गद्दी से उतार दिया गया था, ब्रिटिश संसद में आवाज उठाई। इसी तरह सन् 1896 में कांग्रेस ने एक पस्ताव पास किया जिसमें यह अनुरोध किया गया कि 'किसी राजा को शासकीय अव्यवस्था के कारण तब तक गद्दी से न हटाया जाय जब तक उसके दोषों की पुष्टि एक ऐसे न्यायालय द्वारा न हो, जिसमें भारत सरकार तथा भारतीय राजकुमारों का एक समान विश्वास हो।'

स्पष्ट है कि जिन लोगों ने (विशेषकर यूरोपीय विचारकों ने जिनके साम्राज्यीय हित थे तथा साम्प्रदायिक मुसलमानों ने जो धार्मिक कट्टरता में विश्वास

भारते थे तथा जो अंग्रेजी शासकों की चाल में पसंद गये) कांग्रेस को वर्गीय सत्ता बदलाने का प्रयास किया है उनका स्वयं की भावनाएँ सर्वोपरि तथा एवंपक्षीय थी। कांग्रेस की प्रकृति और स्वरूप प्रारम्भ में ही व्यापक और राष्ट्रीय रहा है वर्गीय या साम्प्रदायिक नहीं। यह सत्य है कि प्रारम्भ में यह एक शिक्षित वर्गों की समस्या थी परन्तु उनका दृष्टिकोण सीमित नहीं था बल्कि राष्ट्रीय था, धीरे धीरे यह श्रमिक और गाय-पशु-योगी की समस्या बन गयी। इसीसे उन गण्डा लाना का प्रतिनिधित्व किया है जो अद्ध भूखे, अद्ध नये और अशिक्षित गँवार थे। यह सत्य है कि इसमें हिन्दुओं की संख्या अधिक थी और मुसलमानों तथा अल्पमत जातों की संख्या कम थी। परन्तु इस तथ्य का नहीं नुलाया जा सकता कि भारत में हिन्दुओं की जनसंख्या भी अधिक है और कांग्रेस में हिन्दुओं की संख्या अधिक है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। यह स्वाभाविक है। इस आधार पर इसे राष्ट्रीय सत्ता न मानना वास्तविक तथ्य की उपेक्षा करना है। यदि उस समय के मुस्लिम नेता सर सय्यद अहमद (Sir Syed Ahmed) ने अपने आपको कांग्रेस में अलग रखा तो इसमें उनके अपने स्वार्थ दृष्टि हो सकते हैं। यह तथ्य नहीं भुलाया जा सकता कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाले मुस्लिम नेता उस समय भी कांग्रेस के सदस्य थे।

कांग्रेस की प्रकृति और स्वरूप ही एक ऐसा तथ्य है जो उसके सारे इतिहास में नहीं बदला। यह सर्वदा राष्ट्रीय रहा है। इसके साधना और उद्देश्य में समय-समय पर अवश्य परिवर्तन हुए हैं परन्तु इसके राष्ट्रीय स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसने हमेशा राष्ट्रीय भावनाओं को मवधानिक तरीका से सुलभाने का प्रयास किया।

कांग्रेस के उद्देश्य

(Aims and objectives of Congress)

जसा कि ऊपर लिखा गया है, कांग्रेस के उद्देश्यों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। प्रारम्भ में कांग्रेस छोटे-छोटे सुधारों से ही संतुष्ट थी, वह बदनामों, प्रायनामा द्वारा ही तथा प्रस्तावों और शिष्टमण्डलों द्वारा ही सुधार प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। परन्तु जब 1906 में इसमें उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ा तो उसने ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत औपनिवेशिक साम्राज्य के उद्देश्य को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, यद्यपि इसने स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की नीति को अपना ता लिया परन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया। जब स्वधात्मिक साधन वांछित सुधारों को लाने में अपर्याप्त सिद्ध हुए तो हिंसा रहित उग्र तरीका को अपनाया गया तथा स्वदेशी, बहिष्कार असहयोग और अनियम अवज्ञा और "भारत छोड़ो" के तरीकों को अपनाया गया। सन् 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य (complete Independence) को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, आदि। इस

तरह जैसे जैसे राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रगति होती गई वैसे वैसे कांग्रेस के उद्देश्यों में तथा उसकी प्राप्ति के तरीकों में भी परिवर्तन होता गया ।

कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में श्री वामेशचन्द्र बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस के उद्देश्यों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया,—

- (i) साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले कायकर्ताओं में—जो भारतीय हितों के लिए प्रयत्नशील हैं—आपसी सम्पर्क और मित्रता को प्रोत्साहन देना ।
- (ii) लाड रिपन के शासनकाल में उत्पन्न राष्ट्रीय गकता की भावना को विवसित और दृढ़ करना तथा भारत के देश प्रेमियों में घण, धम और प्रा णीय मतभेदों को सीधे सम्पर्कों द्वारा दूर करना ।
- (iii) महत्वपूर्ण वर्तमान सामाजिक समस्याओं के सम्बन्ध में भारतीय शिक्षित वर्ग के मत को प्रमाणित रूप से एकत्रित करना ।
- (iv) उस नीति को निवारित करना जिसके अनुसार आगामी वर्षों में भारतीय राजनीतिक नेता जनहित के कार्य कर सकें ।

क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक 'रक्षा नली' (अभय दीप) (Safety-Valve) के रूप में की गई थी ?

इस सम्बन्ध में दो प्रकार की विचारधाराएँ विद्यमान हैं । एक विचारधारा यह है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से रोकने के लिए की गई थी । दूसरी विचारधारा यह है कि कांग्रेस उदार भावनाओं का परिणाम थी । ह्युम तो इसे सामाजिक सस्था बनाना चाहते थे परन्तु लाड डफरिन के बहो पर इमें राजनीतिक स्वरूप दिया गया । लाड डफरिन चाहते थे कि "नई सस्था (कांग्रेस) इंग्लैण्ड के राजकीय विराधी दल की भांति काम करे सरकार को यह बताए कि शासन में क्या और क्या दोष हैं और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है ।"¹ इस तरह यह कहा जाता है कि कांग्रेस को भारतीय हितों के लिए तथा भारतवासियों को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए स्थापित किया गया था ।

जो विचारक तथा नेता यह मानते हैं कि कांग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए बनाया गया था उनमें मुख्य हैं लाला लाजपतराय तथा सर विलियम बैंडरबन । इनका यह विश्वास है कि उनीसवीं शताब्दी की आठवीं दशाब्दी में भारत में असन्तुष्टताप इतना अधिक था कि स्थिति निश्चित रूप से विस्फोटक थी । यह भी सम्भव था कि शिक्षित वर्ग लोगों को संगठित कर एक दूसरे राष्ट्रीय विद्रोह (सन् 1857 के विद्रोह की भांति) का उत्पन्न कर देता । सर विलियम बैंडरबन ने तो

स्पष्ट लिखा है कि "लाड लिटन के शासन के अंतिम दिनों में स्थिति प्राति के छोर पर पहुँच गई थी।" श्री ह्यूम¹ उन गुप्तचर प्रतिवेदनों (C I D Reports) से परिचिन थे जिनमें 'पट्टयंत्रकारी संगठनों के तजी से बढ़ने की बात कही गई थी।' बम्बई प्रेसीडे ती के दक्षिणी भाग में तो विद्रोह फूट ही पडे थे।² लालाजी कहते हैं कि ह्यूम ने, जो इस भयकर विस्फोट का अनुमान कर चुके थे, ब्रिटिश साम्राज्य को रनाने के लिए ही प्रातीय नेताओं को एकत्रित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। सर विलियम बंडरवन के शब्दों में "यह योजना (कांग्रेस की स्थापना) प्राति का भय दूर करने तथा भारत के राष्ट्रीय उत्साह को भग करने के उद्देश्य से ही बनाई गई थी।" लालाजी ने अपनी रचना 'यंग इण्डिया' में स्पष्ट लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को खतर से बचाना था, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य का हित प्रमुख था, भारत का गौण और यह वाई नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने इस उद्देश्य का पालन नहीं किया।"³

कांग्रेस की स्थापना द्वारा ह्यूम भारतीयों की कल्पनाओं और भावनाओं को भी वश (Capture) में करना चाहते थे। वे उन राष्ट्रीय असातोप का ममेट लेना चाहते थे जो दंग में उखड रहा था। वास्तव में, कांग्रेस के माध्यम से वे भारतीयों के तत्कालीन असातोप को जानना चाहते थे। इस उद्देश्य में उन्हें सफलता भी मिली। राष्ट्रीय नेताओं ने तत्कालीन असातोप को कांग्रेस के मंच पर व्यक्त कर बहा किया। राष्ट्रीय उत्साह ठण्डा पडने लगा और राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश न्याय की दान कर भिक्षावृत्ति में विश्रवाम करने लग। कांग्रेस ने मवध निव और शांतिमय तरीकों को अपनाया जिनमें आतिवागी और आतकवादिया का नष्ट करने के लिए सरवार को बबसर मिल गया। भारतीयों के असातोप का उभार ठण्डा पडन लगा। सपेप में जिस चीज को ब्रिटिश सरकार तलवार से (आतक, भय, दमन अपमान, जाति भेदभाव आदि से) प्राप्त नहीं कर सरी ह्यूम ने उसे मीठे शब्दों और मनोहारी

- 1 श्री ए० आ० ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। वह उसके प्रथम सचिव भी रहे। वे भारतीय सिविल सर्विस के सदस्य थे तथा इस सेवा में निवृत्त (retire) होने से पूर्व अनेक महत्त्वपूर्ण पदा पर रहे थे। इन्हें गुप्तचर विभाग द्वारा तयार प्रतिवेदनों से अन्वेषी जानकारी थी।
- 2 शिक्षित वर्ग में से एक नेता ने अपने आपको शिवाजी द्वितीय कहना शुरू कर दिया था और उसने बम्बई के गवर्नर सर रिचर्ड टम्पल (H E Sir Richard Temple) के सिर के लिए 500 रु के इनाम की घोषणा भी की थी।
- 3 See Lala Lajpat Rai's Young India, pp 135-138 and pp 141-142

वायदो से प्राप्त किया।¹ एक लेखक ने ठीक कहा है कि "कांग्रेस की स्थापना द्वारा वे भारत की जागृत राष्ट्रीय चेतना का एक ऐसी निशा में ले जाया चाहते थे, जो ब्रिटिश शासन को देश के लिए बरदान मानते हुए शासन सम्प्रदायी सुधारों के लिए वैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से यत्न करती रहें।"

कोई भी अंग्रेज चाहे वह कितना ही उदार प्रकृति का क्यों न हो और भारतवासियों से उसकी हमदर्दी चाहे कितनी ही क्यों न हो वह यह नहीं चाहता था कि कोई भी भारतीय सत्य ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को खोलता करे। यह बात स्वयं ह्यूम के उन विचारों से स्पष्ट है जो उसने अपने मित्र सर आक्लण्ड कॉलविन (Sir Auckland Colvin) को व्यक्त किये। उन्होंने उसे कहा था कि "भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचन के लिए एक 'रक्षा नली' का आवश्यकता थी तथा कांग्रेस से बढ़कर रक्षा नली कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती थी।"² स्पष्ट है कि ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के सुधार या उन्नति के लिए नहीं की गई थी बल्कि ब्रिटिश राज की नींवों को निश्चित और सुदृढ़ करने के लिए की गई थी। श्री रजनी पाम दत्त (Shri Rajni Palme Dutt) का भी यही विश्वास है कि असंतोष और अंग्रेजी विरोधी भावना के विरुद्ध संरक्षण के रूप में ही कांग्रेस की स्थापना की गई।

डा० न इलाल चटर्जी का यह विश्वास है कि कांग्रेस की स्थापना रूसी आक्रमण के भय से की गई थी और जब यह भय समाप्त हो गया तो उसके प्रति सरकार का व्यवहार बदल गया। चटर्जी के शब्दों में "श्री ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना का विचार उस समय देश के सम्मुख प्रस्तुत किया जबकि भारत पर रूसी आक्रमण का विशेष भय था, अतः यह स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य भारतीय आन्दोलन को ठीक दिशा में परिवर्तित कर देना तथा दश में रूसियों के हथकण्डों तथा शरारतों को रोकना था जब रूसी आक्रमण का भय समाप्त हो गया तो भारत सरकार का व्यवहार कांग्रेस के प्रति एतदम बदल गया।"³

लाड डफरिन के ये शब्द भ्रमपूर्ण नजर आते हैं कि वे कांग्रेस को भारत में इंग्लैंड के विरोधी दल का स्वरूप देना चाहते थे क्योंकि यदि वे भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित करना चाहते थे तो उसकी स्थापना के दो वर्ष बाद ही उसे "भारतीयों की नगण्य सहाय की प्रतिनिधि" (Represents a microscopic

1 See Satyapal and Praboth Chandra Sixty years of Congress, P 110

2 Quoted by Sir William Wedderburn in his A O Hume, P 71

3 See Modern Review October, 1950

minority of India) की सज़ा नहीं देते। जब कांग्रेस की स्थापना के लिए लाड डफरिन ह्यूम से सहयोग कर रहे थे तथा उन्हें इसके लिए आशीर्वाद दे रहे थे उस समय भी लाड डफरिन कांग्रेस को एक सुदृढ़ राष्ट्रीय संगठन के रूप में नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने ह्यूम के इस मुकाम का स्वीकार नहीं किया कि बम्बई के गवर्नर सर रिचर्ड टम्बल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करें। उनका कहना था कि ऐसे संगठन की बैठों में सरकार की नीति एवं कार्यों की आलोचना होगी और सरकार ऐसे संगठन को समर्थन नहीं दे सकती।¹

जब कांग्रेस ने अपने मंच से परिपदा में सुधार और उनके अधिकारों की मांग करना शुरू किया, वतमान शासन प्रणाली से असंतोष व्यक्त किया, और निर्वाचित सदस्यों को सरकारी वृद्धि की मांग की तो शासनाधिकारियों तथा शासक जाति ने उसकी निंदा करना शुरू कर दी। इतना ही नहीं उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में फूट डालना शुरू कर दिया। मुसलमानों को पक्ष दिया गया² और कांग्रेस को "हिंदू जमात" कहा गया। शिरोल के लिए ता कांग्रेस "साम्प्रदायिक हिंदुओं की प्रवृत्तियों", यह "भारत की केवल शताब्दी जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती थी।" कांग्रेस को निंदित करने का एक ही उद्देश्य हो सकता था कि राष्ट्रीय तत्त्वा को गिबल कर साम्राज्यीय हितों को सुदृढ़ किया जाय।

उपयुक्त कारण से लाला लाजपतराय का यह कथन ठीक पतित हाता है कि 'कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य का खतरे से बचाना था भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य का हित प्रमुख था, भारत का गौण।' कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक रक्षा नली थी।

दूसरी विचारधारा उन विचारकों की है, जो पहली विचारधारा का पूणतया खण्डन तो नहीं करते या उसे पूण असत्य तो नहीं मानते, परंतु जो यह कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम के हृदय में भारतवासियों का हित भी था तथा वे उन्हें अपने अधिकारों के लिए प्रहार करना सिखाना चाहते थे और इसके लिए संगठन की आवश्यकता थी। अपने पक्ष में ये विचारक यह तक प्रस्तुत करते हैं कि 'ह्यूम एक उदार प्रकृति के व्यक्ति थे भारतीयों से उन्हें विशेष सहानुभूति की स्वतंत्रता के पुजारी थे, दुःख और दरिद्रता के दृश्य से उनका हृदय बराह उठता था आदि। ये विचारक कहते हैं कि स्वयं लालाजी ने स्वीकार किया है कि भारतीयों के प्रति

1 See Grover British Policy towards Indian Nationalism, P 112

2 यह बात भी ध्यान देने की है कि उस समय के महान मुस्लिम नेता सर सयद अहमद गॉ ने अपने आपका कांग्रेस में पक्ष रखा। क्या यह वाय एम० ए० आ० कालिज के अंग्रेज प्रिंसिपल श्री बरु का नहीं था ?

अपने देशवासियों के कायरतापूर्ण व्यवहार से उन्हें बड़ा दुःख होता था इतिहास के गम्भीर अध्ययन से उन्हें यह बात भली भाँति पता थी कि बाईं सरकार, चाहे वह राष्ट्रीय हो अथवा विदेशी हा, सावजनिक भागों को केवल नीचे से दबाव पड़ने पर ही स्वीकार करती है अतः वह यह चाहते थे कि भारतवासी अपनी स्वतन्त्रता के लिए प्रहार करें प्रथम कदम या सगठन। अतः उहाँ सगठन के लिए मनसूमा दी।¹

लाला लाजपतराय के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण नजर आते हैं कि 'यह कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने उस उद्देश्य का (साम्राज्य की सुरक्षा का) पालन नहीं किया।' यह कहना बहुत बठिन है कि दादाभाई नौरोजी डब्ल्यू सी बनर्जी, फीरोजशाह मेहता, तैयबजी, रानाडे, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का उद्देश्य साम्राज्यीय हितों की रक्षा करना था। यह सत्य है कि कांग्रेस के कारण क्रांतिकारियों और आतंकवादियों का दमन हुआ परन्तु यह ठीक नहीं है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय तत्त्वा को बुचलने में सहायता की। कांग्रेस एक विशुद्ध राष्ट्रीय और स्वदेशी मस्यौदा थी। यह साम्राज्यवाद की पोषक नहीं थी।

उपयुक्त दावा विचारधाराओं में आशिक सत्यास ही है क्योंकि जहाँ ह्यूम उदारवादी भावनाओं से प्रभावित थे वहाँ ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा भी चाहते थे। इतना अवश्य है कि उन परिस्थितियों में किसी भारतीय द्वारा कांग्रेस जसी राष्ट्रीय मस्यौदा की स्थापना करना असम्भव था। ब्रिटिश नौकरशाही इसकी कभी आज्ञा नहीं देती। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय तो ह्यूम को देना ही होगा। श्री गोपालकृष्ण गोखले ने ठीक तब कहा है कि "कोई भी भारतीय इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। प्रथम तो इसलिए कि ऐसी महान मस्यौदा की नींव रखने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसका देश भर में प्रभाव हो। भारतीय नेताओं में उस समय ऐसे कम ही व्यक्ति थे, क्योंकि अधिकतर नेता स्थानीय मामलों में उलझे हुए थे। दूसरे, यदि कोई भारतीय ऐसी मस्यौदा की नींव रखने का माहस करता भी तो नौकरशाही उसके इस प्रयत्न का कदाचित् सफल न होने देती। नौकरशाही में उन दिनों राजनीतिक आन्दोलन के प्रति सदह था और यदि ह्यूम एक अग्रज तथा प्रसिद्ध पदाधिकारी न होते तो सम्भवतः वह उसके द्वारा चलाय जाने वाले इस आन्दोलन का भी किसी न किसी तरह दमन कर देती।"²

यहाँ यह बात भी ध्यान देने की है कि कांग्रेस की स्थापना केवल ह्यूम के प्रयासों का ही फल नहीं थी। यह उन घटनाओं का स्वाभाविक परिणाम थी जो

1 See Lala Lajpat Rai Ibid pp 141 & 142

2 Gokhale, Gopal Krishan Indian National Documents Vol II p 85

ब्रिटिश राज के कारण उत्पन्न हुई थी।¹ यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असंतोष, जन जागृति और विदेशी शासन के प्रति घृणा की गायना तथा शिक्षित वर्ग की बेचनी और असंतोष का परिणाम थी। इसमें ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन, पूना सावजनिक सभा भारतीय एसोसियेशन (Indian Association), राष्ट्रीय सम्मेलन तथा ऐसी ही अनक प्रांतीय संस्थाओं के प्रयासों का फल था। डा. मा. जी. मजूमदार ने ठीक लिखा है कि 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्भव कोई आकस्मिक घटना नहीं थी और न ही इसके तौर तरीकों में कोई नयापन था। सन् 1883 और 1885 में होने वाला राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference) अपने मौलिक स्वरूप में काफी सीमा तक इसके अनुरूप था।'² डा. पट्टाभि सीतारमय्या के शब्दों में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों के संयोग तथा राजनीतिक दासता की अनुभूति का परिणाम थी तथा यह संस्था राष्ट्रीय पुनरुत्थान का प्रतिपादन करने वाली संस्था थी। रूपलण्ड का विश्वास है कि 'सही अर्थ में भारतीय कांग्रेस ब्रिटिश राज्य की पुत्री थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने इसके पोषण का आशीर्वाद दिया।'³

कांग्रेस इतिहास के भिन्न भिन्न काल (Different phases of Congress History)

कांग्रेस इतिहास के भिन्न भिन्न कालों को दो आधारों पर बाटा जा सकता है (i) कांग्रेस द्वारा अपनाये गये साधनों के आधार पर (ii) कांग्रेस द्वारा निश्चित किये गये उद्देश्यों के आधार पर।

(1) साधनों के आधार पर — साधनों के आधार पर कांग्रेस इतिहास का दो कालों में बाटा जा सकता है। पहला काल "राजनीतिक भिक्षावृत्ति" का काल है जो सन् 1885 से लेकर सन् 1919 तक रहा। इस काल में कांग्रेस के साधन केवल सवधानिक एवं शांतिमय थे। प्रार्थनाओं, आवेदन पत्रों, प्रस्तावों और शिष्ट मण्डलों द्वारा कांग्रेस ब्रिटिश जाति की ग़ाय भावनाओं को जागृत कर आवश्यक सुधारों को प्राप्त करना चाहती थी। दूसरा काल "हिंसा रहित सीधो कायवाही" का काल है जो सन् 1920 से लेकर 1947 तक रहा। इस काल में सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग किया गया। इस काल के साधनों की विशेषता यह थी कि इसमें हिंसा का प्रयोग बिल्कुल नहीं था। सरकार की क्रूर नीतियों, दमन

1 जिन कारणों ने राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की उनका वर्णन पहले किया गया है।

2 Majumdar, R C 'History of the Freedom Movement in India

3 Coupland 'The Indian Problem 1833-1933' p 23

अत्याचार का विरोध भी असहयोग, बहिष्कार, हड़ताल, सविनय अवज्ञा, उपहास तथा "भारत छोड़ो" आन्दोलनों द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आन्दोलन में कांग्रेस द्वारा अपनाये गये ये साधन भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की विशेषता थी। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राजनीति शास्त्र को कांग्रेस की यह अनुपम देन है। ये साधन युद्ध का एक विकल्प है।

(2) उद्देश्या के आधार पर — उद्देश्या के आधार पर कांग्रेस इतिहास का निम्न कालों में बाटा जा सकता है —

(i) प्रथम काल 1885-1905

(ii) द्वितीय काल 1906-1919

(iii) तृतीय काल 1920-1929

(iv) चतुर्थ काल 1930-1939

(v) पंचम काल 1940-1947

(i) प्रथम काल 1885-1905 — कांग्रेस इतिहास का यह प्रारम्भिक काल था। इस काल की मुख्य विशेषताओं को निम्न त्रिदुओं में व्यक्त किया जा सकता है

(अ) इस काल में कांग्रेस का उद्देश्य बहुत सीमित था। वह छोटे छोटे सुधारों (piece meal reforms) को ही पर्याप्त समझती थी। विधान परिषदों में सुधार तथा उनकी शक्तियों में विस्तार, निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि, कायपालिका और व्यवस्थापिका को पृथक् करना तथा भारतीयों का भारतीय प्रशासन में भाग दिवान तक ही इसके उद्देश्यों की पूर्ति थी। इस काल में कांग्रेस ने गम्भीर सुधारों की मांग तक नहीं की। सन् 1895 में श्री मुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि "वे इस बात से परिचित नहीं कि किसी भी जिम्मेदार कांग्रेसी ने लागू के लिए प्रतिनिधि सस्थाओं की मांग की हो" वे "शिक्षित वर्ग के लिए प्रतिनिधि सस्थाओं के संशोधित (modified) स्वरूप से ही सतुष्ट हो जाते हैं।"

(ब) इस काल में कांग्रेस ब्रिटिश शासन की पूर्ण भक्त थी। उसे ब्रिटिश जाति की योग्यता और औचित्य की भावना पर पूर्ण आस्था थी। इतना ही नहीं कांग्रेस इस काल में ब्रिटिश शासन को भारत के लिए "ईश्वरीय वरदान" मानती थी। इसका विश्वास था कि भारत का विकास ब्रिटेन के साथ म्याई सम्मेलन बनाने में ही है।

(स) इस काल में कांग्रेस अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न केवल सवधानिक तथा शांतिमय साधना में विश्वास करती थी बल्कि बहिष्कार तथा प्राथमिक भरो भाषा में सुधारों की मांग करती थी। वह प्रस्तावों, शिष्टमण्डलों द्वारा अपने पक्ष के औचित्य का सिद्ध कर ही अंग्रेजों से सुधारों की मांग करती थी।

(द) इस काल में कांग्रेस एक मध्यवर्गीय संस्था थी। सर्वथी तिनका और

लाला लाजपतराय को छाहकर इसके नेताग्रा का जगता के साथ सम्पर्क नहीं था। परन्तु प्रा कूपलण्ड के ये विचार मिथ्या प्रतीत होते हैं कि 'कांग्रेस की कमजारी इस बात में थी कि राष्ट्रीय आंदोलन के सभी शिक्षित वर्गों ने इसका समर्थन नहीं किया या यह अखिल भारतीय देशभक्ति की अभिव्यक्ति नहीं'¹ थी। यद्यपि सर सैय्यद अहमद² ने इसका साथ नहीं दिया परन्तु उस समय के सभी प्रमुख नेताग्रा न कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस राष्ट्रीय मस्या थी वर्गीय या साम्प्रदायिक नहीं। इसके सदस्यों में सभी जानिया, धर्मों, भाषाग्रा और प्रांतों के लोग थे। समस्याग्रा पर इसका दृष्टिकोण भी राष्ट्रीय था, सकीण या वर्गीय नहीं। इस काल की कांग्रेस के बारे में केवल यह कहा जा सकता है कि इसके नेता राजनीति में अभी निपुण नहीं थे और उन्हें जनता की भाषाग्रा का पूरा ज्ञान नहीं था।³

(ii) 'द्वितीय काल 1906-1919' — इस काल में कांग्रेस का उद्देश्य अथ उपविशेषा के समान भारत में भी स्वराज्य का प्राप्त करना था। इस उद्देश्य की घोषणा 1906 में, कलकत्ता में हुई कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, कांग्रेस अध्यक्ष दादाभाई नानोजी न स्वयं की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने 'स्वदेशी', 'बहिष्कार' और "राष्ट्रीय शिक्षा" के प्रस्तावों का भी स्वीकार किया। परन्तु सन् 1907 में, मुरत में, कांग्रेस में उदारवादियों और उग्रवादियों में विघटन होने के कारण इन प्रस्तावों को कायाचित नहीं किया गया। सन् 1916 तक कांग्रेस उदारवादियों के अधीन रही और वे मूलन संवैधानिक तरीके ही अपनाते रहे।

इस काल की एक विशेषता यह है कि इसी काल में (सन् 1916 में) उग्रवादी (सर्वश्री गोपने और फिरोजशा मेहता की मृत्यु के कारण और एनी बेनेट के प्रयासों के कारण) फिर कांग्रेस में मिल गये। सरनरु समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करना निश्चित हुआ तथा लीग भी कांग्रेस के साथ मिल गई। इसी काल में श्री तिलक और एनीबेनेट द्वारा चलाये गये होम रूल आंदोलन को कांग्रेस के कार्यक्रम में स्वीकार कर लिया गया।

1 Its real weakness lay in the fact that the nationalist movement was not supported by all educated Indians. It was not expression of a Pan Indian patriotism. Coupland India, A Restatement p 90

2 उस समय के प्रमुख नेताग्रा में केवल सर सैय्यद अहमद ही ऐसे मुस्लिम नेता थे जिन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया था। सम्भवतः उन्होंने यह अलीगढ़ विरुद्ध विद्यालय के पिसपल श्री बूक (Buck) के समझाने पर किया।

3 See Zacharia Renascent India p 116

इस काल की एक अन्य विशेषता यह है कि, कांग्रेस के 1907 में विघटन के बाद, ब्रिटिश सरकार ने "सुधारों और दमन" (Reforms and Repression) की दोहरी नीति को अपनाया। सन् 1909 के सुधारों ने जहाँ विधान परिषदा की रचना तथा शक्तियाँ में सुधार किया वहाँ इसने साम्प्रदायिक चुनावों का आरम्भ करके भारतीय राजनीति में विपत्ति डाल दी। उगवाड़िया और आतंकवादियों का सफाया करने के लिए लड़े दण्ड दिये गये, स्वयं श्री तिलक को छह वर्षों के कारावास का दण्ड दिया गया, अनेक पर मुद्दों में चलाये गये, अनेकों को मृत्यु दण्ड दिया गया। नागरिक स्वतन्त्रताओं का हनन किया गया, समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता का गला घाटने के लिए सन् 1908 में समाचार पत्र (असतोप की उत्तेजना) अधिनियम पास किया गया। सन् 1908 में ही फौजदारी सशोधन अधिनियम बनाया गया, सन् 1911 में पड़ोसकारी सभा अधिनियम पास किया गया। परन्तु जितना सरकार ने उगवाड़िया और आतंकवादियों का दमन किया उतना ही नातिकारी आन्दोलनों को प्रोत्साहन मिला। मारपीट, लूट, हत्याएँ सामान्य घटनाएँ हो गईं। सन् 1912 में लाड हाइडिंग पर बम्ब भी गिराया गया। सन् 1915 में तो नातिकारियों ने जमन सेनाओं के साथ मिलकर 1857 के विद्रोह के बाद पुनः ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया परन्तु यह प्रयास सफल नहीं हुआ।

इसी काल में, सन् 1914 में, प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के प्रयासों से सरकार की तन-मन-धन से सहायता की। ब्रिटिश सरकार की युद्ध घोषणाओं से स्पष्ट था कि युद्ध विश्व में "प्रजातन्त्र को सुरक्षित रखने के लिए लड़ा जा रहा है।" भारतीय कांग्रेसी नेता यह विश्वास करते थे कि युद्ध के बाद उन्हें भी स्वशासित संस्थाएँ प्रदान की जायेंगी। इसी काल में सरकार ने 1917 की घोषणा द्वारा भारतीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को अधिक से अधिक सन्ध्या में सम्मिलित करने तथा स्वशासित तथा उत्तुंगदायी संस्थाओं के नमिक विकास की नीति स्पष्ट की।

इस काल की एक भयंकर दुःखद घटना यह है कि सरकार ने "युद्ध घोषणाओं" और "1917 की घोषणा" की भावनाओं (Spirit) में काम करने के स्थान पर 'माशुन ना', रौतट विषयक' और जलियावाला बाग के हत्याकाण्ड का सहारा लिया। इन घटनाओं ने सार दश में निराशा, घृणा और विराध की भावनाओं को जन्म दिया।

(iii) तृतीय काल 1920-1929—इस काल में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगमन और यदि आवश्यक हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर औन्नत्यपूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति ही रहा। परन्तु इस काल की तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं। एक तो यह कि इसमें कांग्रेस की बागडार महात्मा गांधी के हाथों में आ गई और सन् 1947 तक यह उन्हीं के हाथों में रही। दूसरी विशेषता यह है कि कांग्रेस ने,

अपने सबधानिक तरीका का त्याग दिया और हिंसा रहित निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति का अपनाया। 'असहयोग' और बहिष्कार की नीति इस काल में सक्रिय रूप से प्रयोग में लायी गयी। सन् 1920-22 का असहयोग आन्दोलन इस काल की प्रमुख घटना है जिसे पंजाब और खिलाफत की गलतियाँ को दूर कराने के लिए शुरू किया गया था। तीसरे यह कि कांग्रेस जन साधारण की सत्स्था बन गई।

ब्रिटिश संसद द्वारा यद्यपि माटेग्यू चम्सफोर्ड सुधारों को 1919 में पास कर दिया गया था परन्तु इन्हें कार्यान्वित 1921 में किया गया। प्रांता में द्वेष प्रणाली और भारत सचिव की शक्तियाँ में परिवर्तन इन सुधारों की मुख्य विशेषताएँ थीं।

इस काल में कांग्रेस के भीतर एक नया दल का जन्म हुआ जिसे स्वराज दल (Swraj Party) कहते हैं। विधान परिषदा में प्रवेश के प्रश्न पर कांग्रेसी नेताओं में भिन्नता होने पर इसका निर्माण किया गया था। जो विधान परिषदा में प्रवेश चाहते थे तथा अदर से उन्हें सोखला करना चाहते थे उन्हें परिवर्तनवादी (Changers) की संज्ञा दी गई। इनमें प्रमुख थे स्वामी मोतीलाल नेहरू तथा सी० आर० दास। जो कांग्रेसी परिषदा में प्रवेश नहीं चाहते थे उन्हें 'अपरिवर्तनवादी' (Non Changers) की संज्ञा दी गई। इनमें प्रमुख थे डा० आसारी और राज गोपालाचारी।

इस काल की सरकारी भूला में सर्वोत्तम भूल श्वेत साईमन आयोग की नियुक्ति थी जिसका बहिष्कार भारत के सभी वर्गों में किया। सरकारी चेतावनी का स्वीकार कर कांग्रेस ने सबधानिक सुधारों के लिए एक सबदलीय प्रतिवेदन तैयार किया जिसे नेहरू रिपोर्ट (Nehru Report) कहते हैं। इस प्रतिवेदन को ठीक ही वर्तमान संविधान का नक्शा (blue print) कहा गया है। इस प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि 1928 में भी भारतीयों के मस्तिष्क में भारतीय संविधान की रूप रेखा स्पष्ट थी।

(iv) चुनाव काल 1930-1939—इस काल में कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता (Complete Independence) की प्राप्ति था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव का 31 दिसम्बर 1929 का आधी रात के समय लाहौर में राणी नदी के किनारे आयोजित वार्षिक अधिवेशन में पास किया। इसके कुछ दिन बाद ही कांग्रेस कार्यकारिणी ने 26 जनवरी 1930 का स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया।

इस काल की अनेक प्रमुख घटनाएँ हैं जिनमें प्रमुख निम्न हैं —

(अ) कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience Movement) का प्रारम्भ नमक कानून को तोड़ कर किया। डंडी यात्रा इस आन्दोलन की मुख्य विशेषता है जिसकी तुलना श्री रामचन्द्र की लम्बा पर चढ़ाई से की गई है।

- (व) ब्रिटिश साम्राज्य ने एक विरोधी नेता के साथ (वाइसराय लार्ड इरविन ने महात्मा गांधी के साथ) समझौता किया जो इतिहास में गांधी इरविन समझौते के नाम से प्रसिद्ध है।
- (म) इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन, कांग्रेस ने प्रथम गोल मेज में भाग नहीं लिया। द्वितीय सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग तो लिया परन्तु निराशा हुई।
- (क) साम्प्रदायिक प्रश्न पर इंग्लैंड के प्रधान मंत्री रेम्जे मैकडोनाल्ड ने अपना पचास निणय दिया जो "मैकडोनाल्ड निणय" (MacDonald Award) के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु गांधीजी ने इस निणय के विरुद्ध बत रता और अत में सवण हिन्दुओं और दलित वग में समझौते द्वारा इसका निणय हुआ।
- (ख) ब्रिटिश अनुदारवादी सरकार ने 1935 के सुधारों की घोषणा की। ये इतने प्रतिक्रियावादी थे कि भारत के सभी दलों ने इन्हें अस्वीकार कर दिया।
- (ग) प्रांतों में सन् 1937 के चुनावों के फलस्वरूप कांग्रेस ने 8 प्रांतों में मन्त्रिमण्डलों का निर्माण किया। परन्तु 1939 में युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने त्याग पत्र दे दिये।

(घ) पंचम काल 1940-1947—यह काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस इतिहास का अन्तिम काल है। इसमें कांग्रेस का उद्देश्य चतुर्थ काल की भाँति "पूर्ण स्वाधीनता" रहा। इस उद्देश्य की प्राप्ति इन्हीं काल में हुई। इस काल में कांग्रेस ने सन् 1942 में 'भारत छोड़ो' जैसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये। सविनय अवज्ञा आंदोलन को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप में लागू किया गया। सरकार का दमन चक्र भी तीव्र गति से चला। परन्तु सरकार ने सवधानिक गतिरोधों को दूर करने का प्रयास भी किया गया। सन् 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स अपनी योजनाओं के साथ भारत आये परन्तु यह प्रयास असफल रहे। इनके बाद वेवेल प्लान, क्विंट मिशन प्लान द्वारा गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास किये गये। परन्तु यह भी सफलता नहीं मिली। सन् 1946 में कांग्रेस ने अन्तरिम सरकार (Interim Government) की स्थापना भी की। अन्त में लार्ड माउंट बैटन योजना के स्वीकृत होने से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत दो उपनिवेश—भारत और पाकिस्तान—में विभक्त हो गया। इस तरह भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ।

समीक्षा प्रश्न (Review Questions)

- 1 "बहुत दिनों में अनेक ऐसे तत्त्व कार्य कर रहे थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया।" सन् 1858 से 1884 तक तक की घटनाओं के आधार पर हम उनमें की विवेचना कीजिये।

- 2 भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास के कारणों का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिये। ए० ओ० ह्यूम और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के योगदान का समझाइये।
- 3 "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म वास्तव में परिस्थितियों का परिणाम था, व्यक्तिगत प्रयत्नों का नहीं" समीक्षा कीजिये।
- 4 'भारत में राष्ट्रवाद का विकास 1857 के विद्रोह के बाद विवक्षित हुआ, पहले नहीं' इस कथन की विवचना कीजिये।
- 5 "भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ब्रिटिश शासन का स्वाभाविक परिणाम था।" आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।
- 6 "भारतीय राष्ट्रवाद मूलतः अपनी प्रकृति में राजनीतिक था परन्तु इसकी जड़े आर्थिक सामाजिक राजनीतिक आदि अनेक कारणों में भी थीं" विवेचना कीजिये।
- 7 उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीयता का विकास के कारणों पर प्रकाश डालिये।
- 8 'भारतीय राष्ट्रीय जागृति में सामाजिक और धार्मिक आन्दोलनों के योगदान का मूल्यांकन कीजिये।
- 9 "सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण का भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महत्त्वपूर्ण योगदान है" इस कथन की समीक्षा कीजिये।
- 10 उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राष्ट्रीय एकता के क्या कारण थे ?
- 11 उन कारणों का सन्निपत्त में वर्णन कीजिये जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय जागृति का विकास किया। पश्चिमी शिक्षा की भूमिका के सन्दर्भ में इसकी व्याख्या कीजिये।
- 12 राष्ट्रीयता में शिक्षित वर्ग का अनुराग हमेशा ही कुछ हद तक प्राथिक और कुछ हद तक धार्मिक कारणों से हुआ है।" (गरट, इस कथन के सन्दर्भ में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास के कारणों की विवचना कीजिये।
- 13 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्राचीन संगठनों की क्या भूमिका थी ?
- 14 कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी प्राचीन में ऐसी समस्याएँ विद्यमान थीं जो भारतीयता में राष्ट्रीयता का विकास कर रही थीं। इन समस्याओं का वर्णन कीजिये और राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- 5 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्गमन कोई प्रचानक घटना नहीं थी और इसके विचारों और तरीकों में भी कोई अनुठापन नहीं था।' इस कथन की समीक्षा कीजिये।

- 16 "अपने उद्गमन में कांग्रेस सरकार द्वारा अनुसमर्थित सस्था थी जिसका उद्देश्य भारत में अस-तोप की बढ़ती हुई शक्तियों से साम्राज्य की रक्षा के लिए अभय दीप (रक्षा नली) के रूप में काय करना था ।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? कारण सहित समीक्षा कीजिये ।
- 17 ' ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित नीति के अतगत तथा उसकी पहल पर वाइसराय के साथ गुप्त रूप से पूर्व निर्धारित एक योजना के अनुसार राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण वास्तव में इस उद्देश्य से हुआ था कि वह भारत में अंग्रेजी शासन का संरक्षण जनता के बढ़ते हुए अस-तोप तथा अंग्रेजी विरोधी भावना से बर सके' (रजनी पाम दत्त) क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? कारण सहित व्याख्या कीजिये ।
- 18 उन कारणों की विवेचना कीजिये जिनके फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ।
- 19 संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये
 (अ) ब्रिटिश इण्डिया सोसाइटी, (ब) ब्रिटिश इण्डिया एसोसियेशन, (स) इण्डियन एसोसियेशन । (द) इल्वट विधेयक ।

उदारवादी, उग्रवादी, आतंकवादी और क्रान्तिकारी

(Liberals, Extremists, Terrorists
and Revolutionaries)

परिचय (Introduction)

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में तीन प्रकार की विचारधाराएँ कार्य कर रही थीं। ये विचारधाराएँ थी—उदारवादी, उग्रवादी और आतंकवादी तथा क्रान्तिकारी। तीनों का उद्देश्य भारतीय राष्ट्र को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना था परन्तु तीनों के साधन एक-दूसरे से इतने भिन्न थे कि वे पृथक् पृथक् विचारधाराएँ बन गईं। उदारवादी ब्रिटिश शासन के बरदानों के गुणगान करने में बड़ी थकान अनुभव नहीं करते थे। इन्हें अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति तथा अंग्रेजों की दयाप्रियता, औचित्य और उपकार की भावना में पूर्ण विश्वास था। अपने उद्देश्यों का प्राप्त करने के लिए ये पूर्णतया अवैधानिक एवं शांतिमय साधनों का प्रयोग करते थे। इनके प्रस्तावों में बदला और स्तुति की भावना का आभाव होता था। उग्रवादी ब्रिटिश परोपकारिता के स्थान पर आत्मविश्वास और स्वावलम्बन में विश्वास करते थे। इन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महानता और श्रेष्ठता में अद्वैत विश्वास था। ये परोपकारिता के स्थान पर आत्मविश्वास पर निर्भर करते थे। इन्हें ब्रिटिश न्याय पर विश्वास नहीं रहा था। ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय साधन में (स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा) विश्वास करते थे राजनीतिक भिक्षावृत्ति में नहीं। परन्तु इन उग्रवादियों का आन्दोलन भी अवैधानिक था हिंसात्मक नहीं। आतंकवादी और क्रान्तिकारी उग्रवादियों का ही एक रूप था जो ब्रिटिश शासन की प्रतिनिधावादी और दमन की नीति के कारण आतंकवादी और क्रान्तिकारी बन गया था। यह असंतुष्ट नवयुवकों का छोटा सा समूह था जिनमें राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई थी और जो मातृभूमि के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तत्पर रहते थे। ये ब्रिटिश शासन को हिंसा द्वारा उखाड़ फेंकना चाहते थे। ये हिंसा, राजनीतिक हत्या, राजनीतिक डकैती और राजनीतिक छूट में विश्वास करते थे। इनका कहना था कि ब्रिटिश शासन पाशविक शक्ति पर

भाधारित था । इसे पान्थिक शक्ति द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है । "तब और नतिक प्रनुनय का एन टन जो काम नहीं कर सकता वह नाम गोली का एन अऊन (Ounce) भासानी से कर सकता है ।"

(प्र) उदारवादी राष्ट्रीयता या उदारवादियों की विचारधारा

(Liberal Nationalism or Views of Liberals)

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में उदारवादी राष्ट्रीयता या उदारवादी विचारधारा से अनिप्रभय उस विचारधारा से है जो पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी सम्भता, और पश्चिमी सभ्यता के भारतीय शिक्षा, सम्भता और सभ्यता से उच्चतर समझती थी जा ब्रिटिश शासन के सहयोग में विश्वास करती थी, उससे द्वारा प्रदत्त गुणों का बखान करती थी, उससे प्रति असदिग्ध भक्ति का प्रदर्शन करती थी, उसी समय और औचित्य की भावना में पूरा आस्था रखती थी, उससे भारत में आगमन को ईश्वरीय वरदान समझती थी तथा उससे साथ स्थायी सम्बन्धों को बनाये रखने में विश्वास करती थी ।

कांग्रेस के प्रारम्भिक नेता (दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सर फिरोजशाह महता, प० मदानमोहन मातकीय, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रास बिहारी, लाल माहन घोष, आदि) उदारवादी विचारधारा के थे । उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति को कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में बार-बार व्यक्त किया । कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जितने भी वक्ता थे सब ने ब्रिटिश शासन की न्यायपरायणता में पूरा विश्वास प्रकट किया और राज्य भक्ति का प्रदर्शन किया । प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपनी भक्ति को इन शब्दों में व्यक्त किया "आओ, हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम आच्छूड राजभक्त हैं ।" सुरेन्द्रनाथ बनर्जी "इ ग्लण्ड को अपना पथ प्रदर्शक" मानते थे । वे "भारत के साथ इ ग्लण्ड के सम्बन्धों को ऊँचे और शासक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईश्वरीय वरदान" समझते थे । सरदार दयालसिंह मजीठिया ने सन् 1893 में ब्रिटिश शासन की प्रशंसा इन शब्दों में की "यह भारत में ब्रिटिश शासन की कीर्ति का कलश है ।" टी माधवराव ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में ब्रिटिश शासन की प्रशंसा में ये शब्द कहे "कांग्रेस ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च यशस्वी और ब्रिटिश जाति का कीर्ति मुकुट है ।"

कांग्रेस में उदारवादियों का बोलबाला होने में उसकी मांग और उद्देश्य बड़े नम्र होते थे । वह छोटे छोटे सुधारों से ही सन्तुष्ट थी । सरकार से वह केवल जिम्मेदारता की अपेक्षा करती थी वह यह थी कि वह भारतवासियों की कठिनाइयों समझे तथा ऐसी सभ्यताओं की स्थापना करे जिनमें भारतवासियों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के प्रथम तीस वर्षों में उसकी प्रमुख मांगों निम्न प्रकार से थी —

(1) विधान परिषदों का पुनर्गठन तथा उनका विस्तार ।

(ii) विधान परिषदों में मनोनीत सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि, संसदों को वोट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने व पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार ।

(iii) भारतीय उच्च सेवाओं में सेवा सहित भारतीयों की नियुक्ति ।

(iv) आई० सी० एस० सेवाओं की भांति उच्च प्रांतीय सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था ।

(v) अभियोगों में जूरी प्रथा (Jury System) की व्यवस्था, इत्यादि ।

उदारवादियों की मांगें बड़े नम्र शब्दों और चर्चना की भाषा में व्यक्त की जाती थी । ये पूरातया सवधानिक साधना में विश्वास करते थे । इनके साधन ये— भाषण, समाचार पत्र, प्रस्ताव, आवेदन पत्र, शिष्टमण्डल आदि ।

उदारवादियों के सिद्धान्त या उदारवादी विचारधारा के आवश्यक तत्व (Principles of Liberals or Essential features of Liberal Thought)

उदारवादियों के सिद्धान्तों की विस्तारपूर्वक व्याख्या इस अध्याय में वर्णित "उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा—एक तुलनात्मक अध्ययन" में की गई है । यहाँ उन्हें दोहराने से कोई लाभ नहीं ।

उदारवादी विचारधारा की सफलताएँ और असफलताएँ—

(Successes and failures of Liberal Thought)

उदारवादी विचारधारा को जहाँ अनेक सफलताएँ प्राप्त हुईं वहाँ उतने अनेक चूटियाँ होने के कारण उसे असफलता का सामना भी करना पड़ा । इन्हें निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—

असफलताएँ या कमजोरियाँ

(Failures or Weaknesses)

उदारवादी विचारधारा में अनेक कमजोरियाँ थीं जिनके कारण वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही । इन्हीं कमजोरियों के कारण उदारवाद उग्रवादियों की आलोचना के पत्र पड़े । उदारवादियों की ये कमजोरियाँ मुख्य रूप से निम्न थीं—

1 पश्चिमी सभ्यता और सभ्यता में आवश्यकता से अधिक छाँटा रखते थे— उदारवादियों की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे पश्चिमी रंग में इतने रगे हुए थे कि उन्हें भारतीय सभ्यता और सभ्यता की श्रेष्ठता का आभास ही नहीं हुआ । वे प्रेरणा के लिए पश्चिम की ओर भागते थे, अंतरात्मा की आरंभ ही । वे अपने अतीत को पथ प्रदर्शक मानने के स्थान पर एक भारी समझते थे । वे इंग्लैंड का अपना पथ प्रदर्शक मानते थे ।

2 भारत में ब्रिटिश शासन के आधार को समझने में गलती की— उदारवादी यह समझ ही नहीं गये कि ब्रिटिश शासन का भारत में आधार क्या है ?

उनका यह विश्वास था कि यह भारत के हित में है तथा अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों का उद्धार करना है। परन्तु वास्तविकता यह थी कि ब्रिटिश शासन "लाभा" पर आधारित था जिसका मूल आधार भारत का आर्थिक शोषण था। वे भारतीयों के हित के लिए नहीं बल्कि अपने "प्रयत्नों के फलों" को इकट्ठा करने के लिए भारत आये थे।

3 उदारवादियों में आरम त्याग की भावना का अभाव था—इसमें कोई सन्देह नहीं कि उदारवादी "देशभक्त" थे परन्तु वे "राज्यभक्त" अधिक थे, वे राष्ट्र का निर्माण तो चाहते थे परन्तु उनमें उसके लिए आवश्यक त्याग, बलिदान और कष्ट सहन करने की शक्ति नहीं थी। श्री जी एन सिंह ने ठीक लिखा है कि "तिलक और गोखले को छोड़कर कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत त्याग करने तथा कष्ट सहन करने की शक्ति नहीं थी।" लाला लाजपतराय ने भी अपनी रचना "यंग इण्डिया" (Young India) में लिखा है कि उदारवादी आन्दोलन "लगडा और निरत्साही राजनीतिक आन्दोलन था यह रियायत और स्वतंत्रता की भाग तो करता था परन्तु यह बलिदान पर आधारित न था।"

4 उदारवादियों का आन्दोलन जो आन्दोलन न था सफल—उदारवादी बुद्धिजीवी गवश्य थे परन्तु सामान्य जनता पर वे अधिक प्रभाव नहीं डाल सके। इनका जनता के साथ सम्पर्क भी नहीं था। इसी कारण उनका आन्दोलन शिक्षित वर्ग तक सीमित रहा। यह न तो जनता से प्रेरित था और न ही जनता को यह प्रेरित कर सका। लाला लाजपतराय ने ठीक लिखा है कि "यह न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा आयोजित था। यह आन्दोलन अन्दर से नहीं था।"

5 उदारवादी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे—उदारवादियों के उद्देश्य सीमित थे। वे ब्रिटिश शासन से पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद नहीं चाहते थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की भाग कभी नहीं की। अधिक से अधिक वे उपनिवेशों की भाँति प्रतिनिधित्वपूर्ण समझौतों की मांग करते थे। परन्तु इन सीमित उद्देश्यों को भी वे उन सर्वधानिक साधनों द्वारा प्राप्त नहीं कर सके जिनको उन्होंने अपनाया। वे यह समझ नहीं सके कि विदेशी साम्राज्यीय शासन से, जो पशुशक्ति पर आधारित है, अधिकारों की प्राप्ति केवल सर्वधानिक साधनों द्वारा नहीं हो सकती। उनके लिए ठोस, सक्रिय और उग्र साधना की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण उदारवादियों ने उदारवादी साधनों की "राजनीतिक शिक्षावृत्ति" बहुर निन्दा की।

सफलताएँ या वेन

(Achievements or Contribution)

यद्यपि उदारवादी आन्दोलन में अनेक कमजोरियाँ थीं, यद्यपि उद्देश्यों में सफलता नहीं मिली, यद्यपि वे राजनीतिक शिक्षावृत्ति में ही थे फिर भी वे पक्के देशभक्त थे, उनमें राष्ट्र के निर्माण की अभिनिष्ठा थी

प्रारम्भिक काल में राष्ट्र की अमूल्य सेवाओं की थी। वे न तो कायर थे और न ही भिष्यारी। डा० रास बिहारी ने ठीक लिखा है कि "हमें उन महान् व्यक्तियों के प्रति (उदारवादियों के प्रति) सद्भावनाएँ अवश्य रखनी चाहिए जिन्होंने अपने समय में अपने आदर्शों को पूरा करने का सतत प्रयत्न किया।" डा० ईश्वरी प्रसाद ने भी ठीक लिखा है कि "अपनी सेवाओं के आधार पर उदारवादी विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। इन प्रतिभाशाली तथा उच्च चरित्र वाले ने नौकरशाही के बलशाली तथा दृढ़ होने के बावजूद भी भारत के पुनरुत्थान में बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया।" "सर हेनरी कॉटन के शब्दों में" कांग्रेस के सदस्य (उदारवादी) किसी भी दशा में सरकारी नीति में परिवर्तन लाने में सफल नहीं हुए लेकिन अपने देश के इतिहास के विकास में और देशवासियों के चरित्र निर्माण में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की है।"¹

उदारवादियों की सफलताओं तथा राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी देन को निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है —

1 भारतीय समाज के भिन्न तत्वों को एकता के सूत्र में सगठित किया— उदारवादियों की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन यह है कि इन्होंने उस समय उन प्रांतीय तत्वों को एकत्रित कर राष्ट्रीय सूत्र में गूथा जबकि ये तत्व भिन्न-भिन्न भागों में बिखरे हुए थे, इनमें कोई सामंजस्य नहीं था, सम्पर्क नहीं था। उदारवादियों ने इन सबमें सम्पर्क स्थापित कर सामंजस्य उत्पन्न किया। इन्होंने उस भवन (कांग्रेस) की नींव रख दी जिसने समय पाकर एक विशाल, दृढ़ शक्तिशाली और प्रभावशाली रूप ग्रहण कर लिया। यदि इन तत्वों को प्रारम्भिक काल में सगठित नहीं किया गया होता तो आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को चलाना कठिन होता। श्री के० एम० मुंशी ने ठीक लिखा है कि "यदि पिछले तीस वर्षों में कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था देश के राजनीतिक क्षेत्र में कायम न होनी तो ऐसी अवस्था में गांधीजी का कोई भी महान् आंदोलन सफल न होता और न ही सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस इतना कुशल राजनीतिक यंत्र प्रमाणित होती।"²

2 प्रारम्भिक परिस्थितियों में सवधानिक साधन अपनाते ही लाभदायक था— प्रारम्भिक काल में उदारवादियों ने सवधानिक तथा वृत्तानुसारी साधन अपना कर बड़ी बुद्धिमता, विवेक और दूरदर्शिता का परिचय दिया। कठोर, दृढ़, निरवश, निदयी और सत्तामूढ ब्रिटिश नौकरशाही से मुकाबला करने तथा मुषारों का प्राप्त कर का यही साधन था। यदि उदारवादी उग्रवादियों और श्रान्तिवारियों की भांति उग्र तथा हिंस्र साधनों को अपनाते तो सम्भवतः कांग्रेस

1 Cotton Sir Henry New India

2 Munshi, K M Advent of Independence P VIII

कभी न पनप सकती और न ही उसका विकास सम्भव होता। नातिवारियों की भांति उनका भी दमन कठोरता से कर दिया जाता। सर्वधानिक और राज्य भक्ति के साधनों को ग्रपना कर उदारवादियों ने न केवल ब्रिटिश समाज के पतिष्ठित उदारवादी व्यक्तियाँ वा समथन प्राप्त किया बल्कि भारत म ब्रिटिश शासकों का (कम से कम प्रथम 3 वर्षों में) समथन भी प्राप्त किया। पहले वर्षों की सरकारी मित्रता बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई यद्यपि बाद में नौकरशाही ने इसे शका और फिर विरोध के दृष्टिकोण में देखा। इसके गतिरिक्त राष्ट्र का निर्माण हिसात्मक या उग्र सिद्धांतों के आधार पर नहीं किया जा सकता था। स्थायित्व तो सर्वधानिक साधनों को ग्रनाने से ही प्राप्त हो सकता था।

3 भारतीय राष्ट्रीयता और जन जागृति के जनक— उदारवादी ही भारतीय राष्ट्रीयता और जन जागृति के जनक थे। वे साम्प्रदायिकता और प्रन्तीयता की भावनाओं में बहुत ऊपर थे। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों, प्रस्तावाँ तथा शिष्टमंडलों द्वारा जहाँ वे सरकार के समक्ष भारतीय कठिनाइयों और समस्याओं को प्रस्तुत करते थे वहाँ वे जन-जागृति भी पैदा करते थे। वे लोगों को राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान करा कर उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते थे तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाते थे।

4 इण्डिया कौंसिल अधिनियम, 1892—(Indian Council Act, 1892)
यह उदारवादियों के प्रयत्नों का ही फल था कि 1892 का इण्डिया कौंसिल अधिनियम पास हुआ। यद्यपि इस अधिनियम से उग्रवादी तो क्या उदारवादी भी घस तुष्ट थे परंतु उसने भारत का उस सड़क पर ताकर खड़ा कर दिया जो ससदात्मक भवन की ओर जाती थी। इस अधिनियम के अन्तगत सरकारी बहुमत को विधान परिषदों में अविश्वस्त का प्रस्ताव पास करके हटाया नहीं जा सकता था परंतु राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रिम दस्तों ने इनका प्रयोग राजनीतिक मंच के रूप में किया जहाँ इसके सदस्य अपने भेदों को प्रकट कर उनका प्रचार करते थे। प्रधान ने ठीक लिखा है कि 1892 का अधिनियम “सरकारी विचारों और शिक्षित भारतीयों के विचारों में समझौता था। सरकारी विचारों में विधान परिषदों का एक मात्र उद्देश्य सरकारी निष्णयों की पुष्टि करना था और शिक्षित भारतीय उनको समद के अवर के रूप में देखते थे।”

(ब) उग्रवादी राष्ट्रीयता या उग्रवादियों की विचारधारा

(Extreme Nationalism or Views of Extremists)

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी राष्ट्रीयता या उग्रवादी विचारधारा से अभिप्राय उस विचारधारा से है जो विदेशी (ब्रिटिश) शासन से घृणा करती थी,

जिसका ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता और औचित्य में विश्वास नहीं था, जो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए अभिशाप मानती थी, जो पश्चिमी सभ्यता और सभ्यता की श्रेष्ठता के स्थान पर पाश्चिमी भारतीय सभ्यता और सभ्यता की श्रेष्ठता में विश्वास करती थी, जो विदेशी (अंग्रेजी) शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करती थी, जो विदेशी न्यायालयों के स्थान पर राष्ट्रीय न्याय मण्डल और पंचायतों की स्थापना चाहती थी, जो स्वदेशी और बहिष्कार के सिद्धांतों को अपनाती थी, जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति, अंग्रेजी उदारता और परोपकारिता के स्थान पर सघप, त्याग, बलिदान, स्वावलम्बन में विश्वास करती थी। सक्षेप में, उग्रवादी विचारधारा हिंदू धर्म के "मुक्तिगुण" में विश्वास करती थी तथा आत्म सयम, आत्म विश्वास और आत्म सामर्थ्य पर बल देती थी।

उग्रवादी विचारधारा पूर्ण स्वतंत्रता (Complete independence) की बात करती थी "औपनिवेशिक स्वराज्य" की नहीं। यह "अधिकार" की मांग करती थी "परोपकारिता" की नहीं। इसके लिए स्वतंत्रता लोभा का जन्मसिद्ध अधिकार था जिसे "सामर्थ्य" द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सर्वैधानिक साधनों को अपर्याप्त समझती थी और सक्रिय एवं संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध (active and organized passive resistance) का समर्थन करती थी।

उग्रवादी विचारधारा के विकास के कारण

उग्रवादी विचारधारा के विकास के लिए कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता। यह तो अनेक देशों तथा विदेशी घटनाओं के एकत्रीभूत प्रभाव का परिणाम था। सन् 1892 के बौंसिल सुधारों में असंतोष, सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन में भारतीयों की उपेक्षा की नीति, आर्थिक असंतोष, लाड कृषकों की मूल्यतापूर्ण नीतियाँ, दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों के प्रति अमानुषिक व्यवहार तथा एशियाई शक्तियों द्वारा (जापान और एशिया) पश्चिमी शक्तियों की अजेयता के भाँडे का फोड़ देना आदि कारणों ने उग्रवादी विचारधारा का जन्म दिया। सर्वश्री बाल गंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कांग्रेस का युवा वर्ग सरकार की नीतियों पर बड़ी निगरानी रख रहा था जिसने बीसवीं शताब्दी के प्रथम पाँच वर्षों में उग्र विरोध का रूप धारण कर लिया। श्री जी० एन० सिंह ने ठीक लिखा है कि "वस्तुतः लोगो में एक नवीन जीवन का संचार हुआ गया था और राष्ट्रीय आन्दोलन विस्तृत होकर जन आन्दोलन के रूप में परिणत हो रहा था।"

उग्रवादी विचारधारा के विकास के मुख्य कारण निम्न थे —

1 विदेशी घटनाओं के प्रभाव (Effect of Foreign events) उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में विश्व में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुईं जिन्होंने भारतवासियों में देशभक्ति, बलिदान और राष्ट्रियता की भावनाओं को प्रबल बना दिया। इन घटनाओं में मुख्य घटनाएँ थी—एबीसिनिया द्वारा इटली को (सन् 1896 में) और जापान द्वारा रूस का (सन् 1905 में) पराजित करना। इन दोनों घटनाओं ने विशेषकर पिछली घटना ने, यूरोपीय श्रेष्ठता और अजेयता के मिथ का भाड़ा फोड़ दिया और सारे एशिया में नये युग का जन्म हुआ।¹ एशिया की यूरोप पर इस विजय ने भारतीयों में निराशा और दीनता की भावनाओं को निवाल बाहर किया, उनमें आत्मविश्वास, आत्म निर्भरता, उत्साह और साहस पैदा किया। सारा एशिया ही तब तक नीचे लेने लगा। इन घटनाओं के चरित्र ने प्रेरणात्मक ने इस प्रकार व्यक्त किया है “पूर्व के इन द्वीप निवासियों के चरित्र ने प्रेरणात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया तथा देशभक्ति की शक्ति का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। भारत पर इस उदाहरण का प्रभाव बेकार नहीं गया।”² गैरट का विश्वास है कि “इटली की हार ने 1897 में तिलक के आन्दोलनों को बल दिया।”³ डा जकारिया के अनुसार “जापान की सम्मानपूर्ण विजय ने केप कैमोरिन से हिमालय पर्वत तक एक जोश पैदा कर दिया। प्रधान का विश्वास है कि भारतीयों को इस बात का ज्ञान हुआ कि “भारत जसा गुलाम और निरद्वेष देश भी इन गुणों (देशभक्ति, बलिदान और राष्ट्रियता) के द्वारा अपने आपको इंग्लैण्ड के घातक वधना से मुक्त कर सकता है।”⁴ संक्षेप में, गुलामी से छुटकारा पाने की इच्छा इन्हीं घटनाओं से तीव्र हो उठी।”⁵

उपरोक्त उदाहरणों के प्रतिरिक्त मिस्त्र, फारस और टर्की के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आन्दोलनों ने भारतीयों में अत्यधिक प्रभाव डाला। मैजिनी, गैरीबाल्डी तथा केवर (Mazzini, Garibaldi, Cavour) के प्रयासों से इटली का जो एकीकरण हुआ उसने भी भारतीयों को प्रभावित किया। इन नेताओं के राष्ट्रीय विचारों से भारतीय नेता इतने अधिक प्रभावित थे कि जन जागृति और स्वदेश प्रेम की भावनाओं को जागृत करने के लिए उन्होंने इटली के उदाहरण प्रस्तुत किये।

- 1 Pradhan India's Struggle for Swaraj p 69 Quoted by
- 2 Singh, G N, Ibid, p 136
- 3 Cotton, Henry New India p 14
- 4 Garrat An Indian Commentary, p 134
- 5 Pradhan, Ibid, p 75
- 6 Sec Mukherjee Harendra Nath India's Struggle for Freedom

2 आर्थिक असंतोष (Economic Dissatisfaction) जैसा कि वेबन ने लिखा है कि "अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष नाति को ज म देते हैं।" सरकार की आर्थिक नीतिया ने जहा एक और शिक्षित मध्यम वर्ग में असंतोष उत्पन्न किया वहाँ औद्योगिक वर्ग भी इन राष्ट्रीय नीतियों से तग आ गया था। शिक्षित भारतीयों के लिए यह खुली चुनौती थी कि सर्वोच्च सिविल पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित हो। इस वर्ग में बेरोजगारी की समस्या बड़ी गंभीर हो गई थी जिसने राजनीतिक असंतोष को जन्म दिया। श्री० ए० आर देसाई ने ठीक लिखा है कि "मध्यम वर्ग के शिक्षित भारतीयों में बेकारी के परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक असंतोष उत्पन्न हुआ उससे उग्रवाद की उस विचारधारा को विशेष बल मिला जिसके प्रमुख नेता बाल, लाल, और पाल थे।" ¹ दादाभाई नौरोजी, रमेशचन्द्र दत्त रानाडे, डी एन वाचा और सर विलियम डिग्बी (Sir William Digby) ने अपनी रचनाओं में विदेशी शासन को भारत की गरीबी का मूल कारण बताया। श्री विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के शब्दों में "हमारी गरीबी का मुख्य कारण विदेशी शासन है। अंग्रेजों के मालिक बन बैठने से पहले यह देश सम्पन्न एवं समृद्ध था और मुसलमानों का शासन, जिसे जुलमी कहा जाता है, आज के सुधरे हुए शासन से सौ गुना अच्छा था।" इन विचारधाराओं ने उग्र विचारधाराओं को ठास बना दिया। जैसा कि प० जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है कि "इन रचनाओं ने हमारे राष्ट्रीय विचारों के उत्थान में नातिकारी काय किया।"

सरकार की औद्योगिक नीति ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। इससे लघु उद्योगों तथा घरलू उद्योगों में लगे हुए लोग बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों ने भारत को एक 'मण्डी' समझते थे जहाँ वे लाभ प्राप्त करने के लिए आते थे। यहाँ से कच्चा माल लेते और बना हुआ माल यहाँ बेचते। भारतीय उद्योगों को नियमित ढंग (Systematic and planned way) से नष्ट किया गया। कपास की बनी चीजों पर जो आयात कर (Import tax), 5% था वह घटाकर 3½% कर दिया गया। इतना ही नहीं भारतीय मिला के सूती माल पर 3½ प्रतिशत का प्रत्यक्ष उत्पादन कर (direct excise duty) लगा दिया गया। इन सब नीतियों का उद्देश्य विदेशी (विशेषकर ब्रिटिश) माल को देशी माल से सस्ता रखना था। इससे जहाँ भारतीय उद्योगों को बड़ी हानि हुई वहाँ 7 करोड़ पौंडों से अधिक परिमाण की भारतीय सम्पत्ति भारत से ल दन के लिए स्थानांतरित हो गई। श्री जी० एन० सिंह ने ठीक लिखा है कि भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश व्यावसायिक, औद्योगिक और

1 See Desai, A R Social Background of Indian Nationalism, p 182

वित्तीय स्वार्थों के लिए भारतीय हितों को निलज्जता के साथ बलिदान कर दिया गया।¹

सक्षेप में, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल थी जिससे सब साधारण जन में विदेशी शासकों के प्रति घृणा और तीक्ष्णता में वृद्धि हुई। जन साधारण का विदेशी शासकों की 'यायप्रियता और सच्चाई में से विश्वास उठ गया और ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ बढ़ गईं।

3 प्राकृतिक प्रकोप—अकाल, प्लेग और अकाल (Natural Calamities—drought, plague and drought) उग्रवादी विचारधाराओं के विकास में प्राकृतिक प्रकोपों का उतना ही हाथ था जितना कि उनके निवारण में सरकार की उदासीनता, सुस्ती और उपेक्षा का। वास्तव में सन् 1896 से 1901 तक के वर्ष प्राकृतिक प्रकोपों, आपदाओं और महामारियों के वर्ष थे। अकाल प्लेग और अकाल के चक्र लगाएँ के दुखों को बहुत बढ़ा दिया। लोग अकथनीय कष्ट सहन कर रहे थे, अपार जन जीवन की हानि हो रही थी परन्तु सरकार की मशीनरी बड़ी मंद गति से कार्य कर रही थी। सरकार ने लगान में कमी के स्थान पर वृद्धि कर दी। श्री तिलक ने अपने समाचार पत्रों द्वारा किसानों को लगान न देने के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि किसान लगान देने के लिए अपनी सम्पत्ति न बचे। उन्होंने अपने समाचार पत्र में लिखा कि "क्या तुम ऐसे समय में भी साहस नहीं दिखा सकते, जबकि मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है।" लोगों में यह बात घर-घर गई कि उनके दुखों का कारण विदेशी सरकार है। उनका विश्वास हो गया कि यदि राष्ट्रीय सरकार होती तो लोगों का अकाल और भूख से बचाने के लिए सबस्व-याँछावर कर देती।

सन् 1896-1897 में भारत के दक्षिणी भाग में ऐसा भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा कि जिसका उदाहरण उस समय तक के ब्रिटिश भारत के काल में नहीं मिलता। 70,000 बग मील का क्षेत्र दुर्भिक्ष से पीड़ित था। सन् 1897 में सहायता पाने वाले अकाल पीड़ितों की संख्या 40 लाख थी।

अभी लोगों को अकाल से राहत मिली नहीं थी कि सन् 1897-98 में चम्बई प्रेसीडेंसी के पश्चिमी भाग में (पूना में) प्लेग की भयंकर बीमारी फैल गई। लोगों की दशा दयनीय हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन् 1898 में मरने वालों की संख्या 1,73,000 थी परन्तु मरने वालों की वास्तविक संख्या 2 करोड़ तक थी। सरकार ने बीमारी का सामना करने के लिए प्रयत्न तो किए परन्तु जिन साधनों का प्रयोग सरकार ने किया वे न केवल अप्रयोज्य थे बल्कि बठोर, लोगों की धार्मिक

भावनाओं से अनभिन्न और साम्राज्यीय थे। इससे लागा भ अस्तित्व और बढ़ गया। पूना के प्लेग कमिश्नर श्री रण्ड न सनितों में काम लिया। य सति धरो म घुस धर स्त्री, पुरुष और बच्चा को छात्र करन तथा रोग से पीड़ित लोग वा दूर अस्प-नाला म भेज देते। इसमें रूढ़िवादी लोगो म रोप फला। सनिक जागा मे दुव्यवहार भी करते थे। "एक स्थान पर नौबर को नाग कर उसके चारो आर गारे सनिक नाचे" मनिक् निस् तरह लोग से व्यवहार करते थे उसने एक भनन रामगोपाल के इा शब्दो से मिल जाती है। वह लिखते हैं कि "प्लेग कमिश्नर रण्ड के पीछे सेना और पुलिस चलती थी और वे बीमारी वाले मरा ॥ जो जबरदस्ती गिरा देते थ और मवाना के निवासियों को जबरदस्ती कम्पो म भेज दिया जाता था। अनेक स्याता पर प्लेग के टीटाणुओं का नष्ट करने के लिए विस्तर और कपडे जला दिये गये परन्तु, उन्हें कीटाणु रहित वस्त्र नहीं दिये गये। रण्ड और उनके सनिक मरान के हर हिस्से में, यहा ता कि रसोई घर घर के अंदर स्थिया के कमरा म घुस जाते थे और मनमाना व्यवहार करते थे। सारा काम इस ढग का था जमे दुश्मन द्वारा जीते गये किसी ग्रहर को फूका जा रहा हो।" स्पष्ट है कि विपत्ति से अस्त लागा की सहायता के स्थान पर अंग्रेज सनिको ने उनसे दुव्यवहार किया। डी० वी० तहमन्कर ने ठीक निम्ना है कि अंग्रेज सनितो के दुराचार क कारण प्लेग अस्त लोग महामारी की अपक्षा उनसे अधिक डरते थे।"

पूना के प्लेग कमिश्नर श्री रण्ड क उत्तेजनापूर्ण उपाया क विरुद्ध विरोध की भावना भडक उठी। श्री तिलक न अपन पथ केगरी म इन उपाया की बड़ी आलोचनाएँ की। कई स्थानों पर ता उपद्रव भी भडक उठे। दामोदर हरि चापेकर नाम के एक साहसी युवक न श्री रण्ड और उसके सहायक लेफ्टीनेंट आयरस्ट (Lt Ayerst) को गोती मार दी। डा० इश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि "दामोदर के हाथा उन दो पदाधिकारियों को हत्या उस तथ्य की सूचक थी कि राष्ट्रीय आन्दोलन म उग्रवाद का जन्म हो चुका था।" श्रीमती एनी बीनेट का भी यही विचार था कि इन घटनाओं ने ही उग्रवाद की जन्म दिया।

इन दो हत्याओं के बाद महाराष्ट्र म साम्राज्यीय ताण्डव नृत्य प्रचण्ड रूप म सामन आया। दामोदर का फासी की सजा दी गई, कई अन्य लोगो को भिन्न भिन्न सजायें दी गई और तिलक पर केसरी म सजा और भाषणा द्वारा उद्मान का अभियोग चलाया गया तथा उन्हें 18 मास का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। उन्हें प्रिवी कांसिल (Privy Council) में अपील की आज्ञा नहीं दी गई। इसमें सारे राष्ट्र म आग की अग्नि भडक उठी। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी न लिखा है

1 (Sec Dr Lal Bahadur's The Swaraj Party)

2 Prasad Dr I History of Modern India, p 425

कि "तिलक की कैंद पर सारा गप्पू रो रहा है।" मद्रास के पत्र "हिन्दू" (Hindu) ने इस पर यह टिप्पणी की "बम्बई सरकार के हाल के वारनामा के अतिरिक्त पिछले 40 वर्षों में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जबकि लोगो ने अपनी अधम साचारी (abject helplessness) का अनुभव किया हो तथा जिसने उनकी राजनीतिक पराधीनता को तीक्ष्णता प्रदान की हो।"¹

सन् 1899-1900 में एक बार फिर भयंकर अकाल पड़ा और सरकार की नीति पहले की भांति मन्द गति से चलती रही।

उपयुक्त कारणों की आपदाओं और कष्टों के कारण लोगों में बड़ा असंतोष पैदा हुआ और वे अपने दुःखों के लिए विदेशी (ब्रिटिश) सरकार को दोषी ठहराते लगे। इन सब कारणों से उग्रवादी भावनाओं का विकास होना स्वाभाविक था।

4 लाड कजन का प्रतिक्रियावादी शासन (Reactionary administration of Lord Curzon) लाड कजन का प्रतिक्रियावादी शासन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी और क्रांतिकारी विचारों के विकास के लिए प्रमुख स्तर से उत्तरदायी था। उसकी "औरगजेवी निरबुधता", उसका "कुशासन", उसकी "दमन की नीति", उसका "स्वेच्छाचारी एवं साम्राज्यवादी अहंकार", उसमें भारतीयों के प्रति "सहानुभूति का अभाव", 'कुशलता और दक्षता की खोज में भारतीय भावनाओं और आकांक्षाओं की उपेक्षा" आदि ऐसे तत्व थे जिन्होंने उग्रवाद और क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी आत्मकथा में ठीक लिखा है कि "प्रतिक्रियावादी शासक महान सामाजिक आंदोलनों को उत्पन्न करते हैं।"

लाड कजन का शासन ही केवल प्रतिक्रियावादी नहीं था। उसके पहले दा गवर्नर जनरल के शासन भी प्रतिक्रियावादी थे। लाड लैन्डाउन (Lord Lansdown 1888-1894) और लाड एलिंग (1894-1898) भी प्रतिक्रियावादी शासक थे। लाड लैन्डाउन के शासन काल में मुद्रा चलन (currency) की कठिनाई उत्पन्न हुई। लाड एलिंग के शासन काल में भयंकर दुर्भिक्ष (Severe famine) पड़ा। सेवा से निवृत्त होते समय लाड एलिंग ने यूनाइटेड सर्विसेज क्लब (United Services Club) में भाषण देते हुए ये मूल्यवादी शब्द कहे "हिन्दुस्तान तलवार के जोर से जीता गया था और तलवार के जोर से ही उसकी रक्षा की जायगी।" लाड कजन के काल में ऐसी कठोर नीति अपनाई गई कि भारतीय नवयुवकों की आशाओं और आकांक्षाओं को परो तले कुचल दिया गया। रमेशचंद्र दत्त ने ठीक लिखा है कि कजन ने "कुछ ऐसी विशेषताओं का अभाव था जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सफल शासक नहीं बन सकता उसका आदेश था तानाशाही

1 Hindu (Madras) Quoted by Andrews The Rise and Growth of the Congress, p 193

शासन ।" अपने कठोर शासन से कजन ने भारतवासियों को यह अनुभव करा दिया कि वे "ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सेदार नहीं बरन् गुलाम हैं ।"

लाड कजन के शासन काल में जिन अप्रिय अधिनियमों को पास कर कार्यान्वित किया गया तथा जिन्होंने भारतीयों में विदेशी शासन के प्रति घृणा उत्पन्न की उनमें मुख्य निम्न थे —

- (i) कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम (The Calcutta Corporation Act, 1899)
- (ii) भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (Indian Universities Act, 1904)
- (iii) सरकारी गोप्य विषय अधिनियम (Official Secrets Act, 1904)
- (iv) सीमा प्रांतीय, अफगानिस्तान तथा तिब्बत सम्बन्धी नीति (Frontier Policy and Policy towards Afghanistan and Tibet)
- (v) सावजनिक सम्मेलन तथा सभाओं में भारतीयों की निन्दा तथा उन पर अविश्वास (Open denouncement and no confidence on Indians)
- (vi) बंग भंग (Partition of Bengal)

(i) कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम (The Calcutta Corporation Act, 1899) लाड कजन भारतवासियों को स्वशासन की शिक्षा देने में विश्वास नहीं करता था जगा कि लाड रिपन करता था । वह स्थानीय मावजनिन मस्थायों के विश्वास में भी विश्वास नहीं करता था । वह इन मस्थायों पर सरकारी प्रभुत्व और नियंत्रण का डकडूक था । जगा कि गुरुमुख निहालामिह ने लिखा है कि 'भविष्य में कुशलता और स्वतंत्रता के लिए वह बतमान में कुशलता का बलिदान करने को तयार नहीं था।' इस उद्देश्य से सन् 1899 में उसने कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम पास किया । इसने अनुगार कलकत्ता कॉर्पोरेशन के सदस्यों की संख्या 75 में घटा कर 50 कर दी गई । जो 25 सदस्यों की संख्या कम की गई वह निर्वाचित सदस्यों (वरदाताओं के प्रतिनिधियों) में थे । इन सदस्यों की संख्या कम करने का उद्देश्य कॉर्पोरेशन में ब्रिटिश सदस्यों का निश्चिन्त बहुमत देना था ताकि कॉर्पोरेशन तथा उसकी समितियों में भारतीय अल्प संख्या में हो जायें । कॉर्पोरेशन के मनातीत सदस्यों द्वारा सरकारी मामलों में मनमाना रूप में पानन करवाने का यह प्रयत्न नहीं था । जगा ने इस अधिनियम का धार विगत किया और विराध के रूप में कॉर्पोरेशन के 28 भारतीय सदस्यों ने समुक्त रूप में हस्ताक्षर दिये । परन्तु इसका कड़ा जसी विरुद्ध रूप साम्राज्यीय सरकार पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा ।

(ii) भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (Indian Universities Act, 1904) भारतीय विश्वविद्यालयों पर अधिकारीकरण की नीति लागू करने का निष्पत्ति सन् 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया । इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को नष्ट करना था । जगा कि यह गान्धेयों ने किया है कि इसका 'मुख्य

उद्देश्य विषयविद्यालयों की सीनेट और सिन्डीकेट का यूरोपीयकरण था और इन विश्वविद्यालयों को पूरारूप से सरकारी विश्वविद्यालय बनाना था।¹ इस अधिनियम ने सीनेट, सिन्डीकेट तथा सवायों (Faculties) के सदस्यों की सरया कम कर दी तथा विश्व विद्यालयों को मायता प्रदान करने अथवा न करने के निराय का सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। भारतीय शिक्षित वग म इससे बड़ा असंतोष तथा क्षाम फला, उन्होंने इस काय की व्यापक तथा कटु आलोचना की। उनका यह पूरा विश्वास था कि 'बायसराय विश्वविद्यालय व्यवस्था का शक्ति पट्टुचाना चाहते हैं।' इस अधिनियम से विश्वविद्यालय शिक्षा बहुत महगी भी हो गई। इसके द्वार केवल 'सोन' की चाविया स ही खुल सक्ते थे अर्थात् शिक्षा केवल धनिक वग के लिए हो गई, निधन शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे।

(iii) सरकारी गोप्य विषय अधिनियम (Official Secrets Act, 1904, इस अधिनियम ने न केवल असनिक(Civil) विषयों के भेद को देना दण्डनीय बना दिया बल्कि समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाली समालोचनाओं का भी गला घोट दिया। सन् 1889 के अधिनियम द्वारा केवल सनिक भेद देना ही दण्डनीय था अब उसम असनिक (Civil) भेदों को देना भी दण्डनीय बना दिया। सन् 1898 के अधिनियम के अनुसार "साम्राज्य अथवा ब्रिटिश भारत में विधिनिर्मित सरकार के प्रति अभक्ति के अनुसार "साम्राज्य अथवा ब्रिटिश भारत में विधिनिर्मित सरकार के प्रति अभक्ति की भावनाओं उत्तेजित करने को अथवा उत्तेजित करने के प्रयत्न को राजद्रोह बना दिया गया। भारतीय दण्ड संहिता (The Indian Penal Code) में एक तथा विभाग (153 A) जोड़ा गया जिसके अनुसार वग द्वेष को प्रोत्साहन देने वाले अपराधी दण्डनीय थे।" श्री नेविंसन (Nevinson)ने ठीक लिखा है कि 'इस विधेयक के फलस्वरूप भारतीय पत्र और पत्रकार केवल वे ही बातें प्रकाशित कर सकते थे जिनको सरकार पसंद करे।'

(iv) सीमा प्रांतीय, अफगानिस्तान तथा तिब्बत सम्बंधी नीति (Frontier Policy and Policy towards Afghanistan and Tibet) लाड वजन पकरा साम्राज्यवादी था। अपने साम्राज्यीय हिता की रक्षा के लिए वह भारतीय सीमाओं की सुरक्षा चाहता था। इस उद्देश्य से उसने भारत के पड़ोसी दशा का भारत में मिलाने के लिए सनिक कायवाही भी की। सीमा प्रांत, अफगानिस्तान, तिब्बत चीन तथा फारस सम्बंधी उसकी नीतियां न भारतीयों म असंतोष पैदा किया। इन सनिक कायवाहियां म भारतीय सनिक का प्रयोग किया गया और इनके सचों को भारतीय सरकार पर डाल दिया गया।

(v) सायजनिक सम्मेलनों तथा सभाओं में भारतीयों की निंदा तथा उन पर अविश्वास व्यक्त करना (Open denunciation & no confidence on Indians)

1 Ronaldshay The life of Lord Curzon Vol II p 193

2 Fraser, Sir Lovat India Under Curzon and After, p 181

लाड कजन सावजनिक सम्मेलनो और सभायो मे भारतीयो की निंदा करने तथा उन पर अविश्वास को व्यक्त करने मे कभी गृही हितता था। वह भारतीयो को मूढ, अयोग्य, असभ्य और अनतिक मानता था। उच्च सेवायो के लिए वह भारतीयो को अयोग्य मानता था। वह उन्हे भूठे और बेईमान भी कहता था। वह कहा करता था कि "ईश्वर ने एक ही जाति को शासन करने के हेतु पदा किया है और वह है अंग्रेज जाति। भारतीयो को शासनाधिकार सौंप कर उस सर्वोच्च सत्ता ईश्वर के नियम का तिरस्कार करना है।" इसलिए कजन ने उच्च सावजनिक पद केवल अंग्रेजो के लिए सुरक्षित रखे थे क्योंकि "उम अपन पठुकाधिकार, पोषण और शिक्षा के कारण, शासन के लिए अनिवाय चरित्र बल, शासन के सिद्धान्तो का बोध और मनोयोग था।"¹

लाड कजन ने अपने वक्तव्यो मे भारतीयो के आत्म सम्मान को पैरो तले रोदा। वह कहा करता था कि 'भारतीय राष्ट्र नाम की कोई वस्तु नहीं', "सत्य को भारतवासियो ने कभी आदर गृही माना।" सन् 1905 मे कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षात भाषण(Convocation address) मे बोलते हुए कजन ने भारतीय चरित्र और नैतिकता पर भयकर आक्षेप किया। उसने कहा कि "इसमे सन्देह नहीं कि पूव मे आदर पाने से कहीं पहले सत्य को पश्चिम मे कहीं ऊँचा स्थान मिला था। पूव मे तो धृत्ता तथा कूटनीति सम्बन्धी चालाकियो का सदैव आदर हुआ है।"² भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे मे भी उसने उसकी "शीघ्र मृत्यु" की भविष्य बाणी की। लाड कजन के ये सब वक्तव्य भारतीयो के लिए सतकार थे। इनके विरोध मे भारतीय जनता के हृदय मे जो क्रोध और बदल की भावना का दावानल उमडा उसने उग्रवाद और क्रांतिकारी भावनाओ को जन्म दिया और बग-भग ने तो गंगा मे ही आग लगा दी। स्वराज्य, स्वदेशी और स्वशासन का नारा बुल द किया गया। इस तरह लाड कजन का शासन ईश्वरीय वरदान सिद्ध हुआ। उसने राष्ट्रीय चेतना मे ऐसे भाव पदा कर दिये जिहाने भारत के भविष्य को ही बदल दिया, कांग्रेस की कन्न खुदने के स्थान पर उसे नया जीवन मिला और वह उग्र रूप धारण कर गई।

(vi) बग भग (Partition of Bengal)~ लाड कजन का शासन भारत मे परिवर्तनो के लिए जाना जाता है। यह मिशानो, लापरवाहियो और चुटियो (missions, omissions, and commissions) के लिए भी प्रसिद्ध है। बग भग

1 Quoted in Buchan Lord Minto Quoted by Singh, G N, Ibid p 126

2 Undoubtedly truth took a high place in the codes of the West before it had been similarly honoured in the East where craftiness and diplomatic wile have been held in high repute Calcutta University Convocation Speech

इसी नीति का परिणाम था। यह लाड कर्जन की क्रूरतम नीतियो, वृणित और भूगतापूण बायीं मे सर्वोत्तम काय था। भारतीय राजनीति मे "फट डाला और शासन करो" की नीति का यह श्रीगणेश था, भारतीय राष्ट्रीयता को कुचलने का यह तरीका था, होम रूल आन्दोलन की आवाज को दबाने और बंगाली राष्ट्रीयता के विकास को रोकने का यह प्रयाम था तथा मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत को बनाने की यह चाल थी।

उस समय बंगाल का प्रांत भारत मे सबसे बड़ा प्रांत था। सन् 1901 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 8 करोड थी जो स्पेन की जनसंख्या के बराबर और फ्रांस की जनसंख्या से कुछ कम थी। इसमे बंगाल स्वय, बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर के चार बड़े प्रदेश शामिल थे।

बंग भंग की योजना कोई तत्काल योजना नहीं थी। ब्रिटिश नौकरशाही इस प्रश्न पर सन् 1892 से विचार कर रही थी। सन् 1892 मे दीवानी और मजिस्ट्रेट विभाग के विशेषज्ञों की एक समिति ने उत्तर पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए लूशाई पहाड़ियों और चिटगाव कमिश्नरी को असम के साथ मिलाने का सुझाव दिया था। सन् 1896 मे सर विलियम वाड ने, जो उस समय असम के कमिश्नर थे, यह सुझाव दिया था कि ढाका और मैमनसिंह के जिले असम के साथ मिला दिये जायें। परन्तु इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया। सन् 1903 में बंगाल के गवर्नर सर एड्रूज फ्रैजर ने भारत के गवर्नर जनरल का सुझाव दिया कि पूर्वी बंगाल के कुछ भाग असम को दे दिये जायें। इन सुझावों को लाड वजन ने स्वीकार कर लिया और सन् 1903 मे ही बंगाल के विभाजन के प्रस्ताव की घोषणा कर दी। 16 अक्टूबर, 1905 को इस योजना को कार्यान्वित कर दिया गया।

बंग भंग द्वारा पूव बंगाल और असम के नये प्रदेश का जन्म हुआ जिसमे पूर्वी भाग, ढाका, चिटगाव, राजशाही, मानदा, त्रिपुग, ब्रह्मपुत्र और मुरमा घाटी के जिले शामिल किये गये। इस प्रान्त में मुसलमानों की बहुतायत थी। पूर्वी बंगाल और असम की कुल जनसंख्या 3 करोड 10 लाख थी जिनमे मुसलमान 1 करोड 80 लाख थे।

इसमे कोई सन्देह नहीं कि उस समय के बंगाल जैसे बड़े प्रांत को कुशलतापूर्वक चलाना कठिन था। यदि इस उद्देश्य को लेकर बंगाल प्रांत का विभाजन किया जाता या भाषा के आधार पर¹ भी इसका विभाजन किया जाता तो सम्भवत

1 यदि हिंदी भाषाई बिहार और उड़ीसा को बंगला भाषाई बंगाल से पृथक् किया जाता तो सम्भवत भारतीय इसका विरोध नहीं करते। परन्तु विभाजन तो बंगला भाषाई बंगाल का किया गया था, बिहार और उड़ीसा तो बंगाल के साथ रहे।

बंगाली राष्ट्रीयता और भारतीय जनता इसका घोर विरोध नहीं करती। परन्तु इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा या सुधार नहीं था। इसका उद्देश्य बड़ा कुटिल और गूढ़ था। यह बंगाली राष्ट्रीयता को कुचलना चाहता था, उसमें फूट डालना चाहता था, धर्म के आधार पर लोगों का विभाजित करना चाहता था, मुस्लिम प्रांत बनाना चाहता था।¹ लाड कजन ने स्वयं मुसलमानों की सभा में कहा था कि "विभाजन का उद्देश्य केवल शासन की सुविधा ही नहीं था, वरन् विभाजन द्वारा एक ऐसा मुस्लिम प्रांत बनाया जा रहा है जिसमें इस्लाम और उसके अनुयायियों की प्रधानता होगी।"² एक अन्य स्थान पर लाड कजन ने मुसलमानों को भटकाने वाले ये शब्द कहे "इससे मुसलमानों को वह एकता प्राप्त होगी जो मुसलमान बादशाहों और सूबेदारों के राज के बाद उन्हें नसीब नहीं हुई।" डा. जकारिया न ठीक लिखा है कि बंग भग का काय "अपने उद्देश्य और प्रभाव में एक धूर्ततापूर्ण (Machiavellian) काय था।"³

बंग भग भारतीय जनमत की घोर उपेक्षा थी। श्री गोखले लिखते हैं कि "यह योजना अकार में तैयार की गई थी (इसने) देश के अभूतपूर्व विराध की उपेक्षा की। वर्तमान अंग्रेज शासन की दृष्टि में भारत की प्रजा की कोई कीमत नहीं थी।" श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि "चकित जनता के ऊपर बंग भग एक बम्ब के गोले के समान था।" रास बिहारी घोष ने लाड कजन के इस काय को गलत बताया। लाड रोन्ल्डशे लिखते हैं कि "प्रात के जागत बंग के अनुसार इस विभाजन द्वारा बंगाली राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई दृढ़ता पर आक्रमण किया गया था।"⁴

बंग भग ने प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति दे दी। "इसने गंगा में आग लगा दी और सारे बंगाल ने अनुभव किया कि उसे अपमानित, उपेक्षित और प्रवर्चित किया गया है।"⁵ यह घोखा था और भविष्य तथा राष्ट्रीय जागृति का नष्ट करने का प्रयास था। यह कूर वज्रपात था। इसका विराध सारे भारत में एक स्वर से हुआ। बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को (जिस दिन बंग भग कार्यान्वित किया गया था) भूख हड़ताल और उपवास के रूप में मनाया गया, बंदे मातरम् के गीत गाये

- 1 See Dr Lal Bahadur The Muslim League Its History Activities, and Achievements
- 2 Majumdar, A C Indian National Evolution, p 207
- 3 'The whole purpose and effect of the measure was manifestly machiavellian' Dr Zacharias Renascent India
- 4 Quoted by Singh, G N, Ibid, P 138
- 5 Banerjee, Surendra Nath A Nation in the Making, P 187

गये, विदेशी माल की होली जलाई गयी, विदेशी माल की दुकाना पर घरणा दिया गया, जगह-जगह पर विरोध सभायों की गईं। केवल बंगाल प्रांत में 500 सावजनिक सभायों की गईं। ब्रिटिश मसद को 60,000 हस्ताक्षर सहित एक आवेदन पत्र भी भेजा गया जो बेकार गया। इस सम्बन्ध में एक शिष्टमण्डल लाड कजन से मिलने गया परन्तु उनमें मिनने से इन्कार कर दिया। बंगाल भग के विरोध में भारतीयों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सवथ्री गाखले और लाला लाजपतराय इग्लैण्ड भी भेजे गये परन्तु उनके प्रयास असफल रहे। इग्लैण्ड से लौट कर लाला लाजपतराय ने अपने देशवासियों को बताया कि "ब्रिटिश प्रजातन्त्र (जनता) अपने निजी विषयों में इतनी व्यस्त थी कि वह उसके लिए कुछ भी करने का तैयार नहीं थी और भारतीय समस्याओं को लोगो तक पहुँचाना कठिन था।"¹ लाड मार्ले ने बगभग को एक निश्चित तथ्य (a settled fact) बताया। लाड कजन ने तो जलते हुए पर नमक छिड़का और कहा कि बगभग का विरोध कुछ उपद्रवियों द्वारा बनावटी रचना है। इससे स्वदेशी आन्दोलन "बदले की भावना में उभड़ा।" युवक बग यह पूछने लग गया कि "यदि सवधानिक पद्धति का परिणाम बंगाल का विभाजन ही है तो उसको अपनाने का क्या लाभ।"

बग भग की कार्यवाही करने का समय भी अनुपयुक्त था। इसे ऐसे समय पर कार्यवाही किया गया (16 अक्टूबर 1905) जब जापान जमी एशिया की छोटी शक्ति ने रूस जैसी यूरोप की महान शक्ति को पराजित कर दिया था। रूस की पराजय ने यूरोप की अजेयता के मिथ (myth) का भाड़ा फोड़ दिया। भारतीय अब यह विचार करने लगे कि विरोधी सभाओं और प्रस्तावों के स्थान पर कुछ और अधिक स्पष्ट, निश्चित और शक्तिशाली, बदले की भावना से, बचम क्यों न उठाये जायें।

बस फिर क्या था, भारत में एक नये राष्ट्रवाद का जन्म हुआ जिसे उग्र राष्ट्रवाद (Extreme nationalism) की सजा दी जाती है। काग्रेस की भिक्षावृत्ति (Policy of Mendicancy) का अन्त कर दिया गया। उग्र दल जोर पकड़ता गया। भारतवासी "शताब्दियों की दासता को अपने रघिर ही धार से बहाने का तयार हो गए।" स्वराज्य, स्वदेशी, स्वशासन की नीति अपनाई गई। "बहिष्कार" राष्ट्रवादियों का नारा बन गया। 7 अगस्त 1905 को बलकत्ते के टाउनहाल में बहिष्कार की नीति अपनाई गई और यह निश्चय किया गया कि "जिस समय तक बंगाल विभाजन का अन्त नहीं कर दिया जाता उस समय तक विदेशी माल का बहिष्कार किया जाय क्योंकि अंग्रेज जाति भारतीय समस्याओं से पूर्णतया उदासीन है और तत्कालीन सरकार जनमत की पूर्ण अवहेलना कर रही है।"² स्वदेशी आन्दोलन प्रचल होता

1 Rai, Lajpat Young India Quoted by Singh, G N Ibid p 145

2 Bannerjee S N A Nation in the Making p 129

गया। "परीक्षार्थियों ने विदेशी कागज की कापिया छूने से इन्कार कर दिया, बच्चों ने विदेशी जूने पहनने व ज्वर में विदेशी दवा खाने से मना कर दिया और विवाह में मिली ऐसी विदेशी भेंटें अस्वीकार की जाने लगी जो भारत में भी बन सकती थी।"

सरकार ने दमन की नीति प्रपनाई तथा मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया। सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया पूर्वी बंगाल के ल० गवर्नर सर बम्फाइल्ड फुनर के इन शब्दों से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा कि "उसकी दो स्त्रियाँ हैं, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान, किंतु वह दूसरी को अधिक चाहता है।" मुसलमानों ने इससे उत्साहित होकर हिंदू व्यापारियों की दुकानें लूटी, हिंदू स्त्रियों का अपहरण किया तथा उन पर अत्याचार किये।¹ इन सब घटनाओं ने नातिकारी और आतंकवादी आंदोलन को भी जन्म दिया जिसके प्रमुख नेता थे वारीन्द्र कुमार घोष और भूपेन्द्रनाथ दत्त। लाड रोमलडशे ने ठीक लिखा है कि 'यह भावना ही थी जिसने आंदोलन को प्रेरक शक्ति प्रदान की।'²

5 धार्मिक जागृति और बाल, पाल और लाल का प्रबुद्ध नेतृत्व (Religious awakening and Enlightened leadership of Bal, Pal and Lal) उग्र विचारधाराओं को धार्मिक पुनरुत्थान से प्रेरणा मिली। वास्तव में उग्र राष्ट्रीयता हिंदू धर्म पर आधारित थी। जसा कि जी० एन० सिंह ने लिखा है कि "1905 के राष्ट्रीय आंदोलन को देश के धार्मिक पुनरुत्थान से प्रेरणा मिली।"³ हिंदू सस्कृति, वेद और भारतीय सभ्यता की प्रशंसा स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट ने की। स्वामी दयानंद ने इस बात का नारा लगाया कि भारत भारतीयों के लिए है। उन्होंने देशवासियों को अपनी सस्कृति और परम्पराओं से प्रेम करना सिखाया। स्वराज्य और स्वदेशी शब्दों का प्रयोग सबसे प्रथम उन्होंने किया। वे कहते थे 'सुशासन' कभी भी 'स्वशासन' से अच्छा नहीं होता। श्रीमती एनी बेसेंट के लिए "सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है।" श्री अरविंद घोष तो हिंदू धर्म में ही स्वतंत्रता की पूर्ति समझते थे। उनके शब्दों में "जीवन का लक्ष्य मुक्ति (स्वतंत्रता) है और हमारी इस आकांक्षा को केवल हिंदू धर्म ही पूरा कर सकता है।" बकिम चंद्र चटर्जी जैसे उपयासकारों और रविंद्रनाथ टैगोर

- 1 See Mazumdar, A C Indian National Evolution and The Modern Review, June 1907
- 2 "It was sentiment that gave the movement the force it ultimately acquired" Ronaldshay Life of Lord Curzon, vol II p 322
- 3 Indeed the National Movement in 1905 derived its inspiration mainly from religious revival in the country" Singh G N Ibid, p 144

जसे कवियों ने भारतीय भाषाओं को सम्पन्न करने के साथ राष्ट्रीय कविताओं और उपन्यासों की रचना की। वकिम चन्द्र चटर्जी के 'आनन्द मठ' का 'वन्दे मातरम्' राष्ट्रीय गान बन गया।

उपयुक्त धार्मिक नेताओं तथा राष्ट्रीय उपन्यासकारों और कवियों के अतिरिक्त बाल, पाल और लाल के कुशल तथा प्रबुद्ध (दिवक्शील) नेतृत्व ने भारतीयों का अपने पूर्वजा, अपनी सस्कृति और सभ्यता में गव करना सिखाया। ये पश्चिमीकरण के जितने ही विरोधी थे उतने ही वे स्वदेशी, स्वशासन, स्वराज्य के प्रेमी थे। इन्हें पश्चिमी सभ्यता और सस्कृति की श्रेष्ठता में विश्वास नहीं था जैसा कि नरम दलीय नेता (गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आनन्दमोहन घोष, मदन मोहन मालवीय आदि) करते थे। तिलक विदेशी शासन को अभिशाप (Curse) मानते थे, विपिन चन्द्र पाल "अधिराज्य स्थिति (Dominion status) से घृणा करते थे। लाला लाजपतराय आत्म विश्वास, त्याग और बलिदान में विश्वास करते थे नरम दल वालों की भाँति भिक्षावृत्ति में नहीं। निडरता, वीरता, देशभक्ति और आत्म त्याग की भावनाएँ इन्हीं उपवादी नेताओं ने जन साधारण में जागत की। 15 जून, 1897 के एक लेख में श्री तिलक ने लिखा कि "यदि हमारे घर में चोर घुस आयेँ और हम में उन्हें बाहर निकालने की सामर्थ्य न हो तो हमें बिना किसी भिन्नक के उन्हें अदर बढ़ करके जगा देना चाहिए।"¹ राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने के लिए इन नेताओं ने धार्मिक उत्सवों का पूरा प्रयोग किया। "आध्यात्मिक लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद पूर्ण हो सकता है।" अरविन्द घोष के लिए "राष्ट्रीयता राजनीतिक उद्देश्य और भौतिक सुधार के किसी साधन से कहीं बड़ी चीज थी।"

सक्षेप में, उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा धार्मिक पुनरुत्थान पर आधारित थी। हिंदू धर्म उसकी परम्पराओं, उसकी सभ्यता तथा सस्कृति से प्रेम सिखाकर उन्हीं पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सस्कृति, पश्चिमी भाषा, पश्चिमी वैशभूषा तथा पश्चिमी विचारधारा के विरुद्ध तूफान खड़ा कर दिया। डा० ईश्वरी प्रसाद ने ठीक लिखा है कि "लोकमान्य तिलक ने अपनी शिक्षाओं, वायविधि तथा प्रचार के द्वारा भारतीय जनता की विरोध भावना को जागृत किया और उन्हें विदेशी राज्य का शत्रु बना दिया।"²

1 Tilak, Kesari, June 15, 1897

2 श्री तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी दिवस तथा विपिनचन्द्र पाल ने बंगाल में काली और दुर्गा दिवस को राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए प्रयोग में लिया।

3 Prasad, Dr I, History of Modern India, p 428

6 आंग्ल भारतीयों का अहंकारयुक्त व्यवहार तथा आंग्ल भारतीय पत्रों का भारत विरोधी दृष्टिकोण (Arrogant behaviour of Anglo Indians and anti-Indian attitude of Anglo Indian Press—अंग्रेजों का भारतीयों के साथ व्यवहार न केवल अहंकार युक्त था बल्कि धूर्तता, निंदयता और अमानवीयता का भी था। भारतीयों को काले आदमियों की सजा देकर उनसे घृणा की जाती थी। यदि गोरे भारतीयों के साथ घातक मारपीट भी करते तो गोरे अपराधियों को दण्डित नहीं किया जाता था। एक मामले में ब्रिटिश सैनिकों ने “एक देशी स्त्री को बलात्कार से मार डाला”¹ परंतु अपराधियों को दण्डित नहीं किया गया। सन् 1902 में सियालकोट में स्थित 9 लांसर (9th Lancers) घुड़सवार दल के दो सैनिकों ने एक रसोइए का इतना पीटा कि वह मर गया। उसका अपराध यह था कि उसने उनके लिए एक देशी स्त्री का प्रबंध करने के लिए मना किया था। ये घटनाएँ स्वयं में दुर्भाग्यपूर्ण थीं। लार्ड कर्जन ने इनके बारे में भारत मंत्री को अपने अभिलेख में ये शब्द लिखे “पता नहीं इन अभियोगों के बारे में आपके क्या विचार हैं किंतु इनसे मेरी आत्मा तो कराह उठती है।”²

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि आंग्ल भारतीय पत्र ऐसे अपराधों और हत्याओं को प्रोत्साहन देते थे। लाहौर के सिविल एण्ड मिलिट्री गजट जैसे महत्वपूर्ण पत्र भी शिक्षित भारतीयों को गालियाँ देते थे। शिक्षित भारतीयों को ‘वाचाल बी० ए०, हीन जाति बी० ए०’, ‘गुलाम’, घुड़सवार भिखमरो ‘नीच जाति’, आदि गानियाँ दी जाती थीं।³ लार्ड कर्जन ने स्वयं भी क्लकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भारतीय सम्यता, सस्कृति, चरित्र, नतिकता और राष्ट्रीयता पर आक्षेप किया था। इन सब घटनाओं ने भारतीया में क्रोध, घृणा और विरोध की भावनाएँ जागृत की जिनमें उग्रवादी भावनाओं को बल मिला।

7 ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार (Inhuman Treatment to Indians in British Colonies)—ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों की स्थिति बड़ी शोचनीय और अपमानजनक थी। उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार होता था उसने भारतीया में क्षोभ की भावनाएँ पैदा कर दीं। दक्षिण

- 1 Ronaldshay Life of Lord Curzon, Vol II, p 71 Quoted by Singh G N Ibid p 142
- 2 “I do not know what you think of these cases They eat into my very soul Ronaldshay Life of Lord Curzon, Vol II, p 246 Quoted by Singh, G N Ibid, p 141
- 3 Nevins The New Spite in India pp 17-18 Quoted by Singh G N Ibid, p 142

अफ्रीका में, विशेषकर बोएर उपनिवेशों (Boer Colonies), में सभी भारतीय बहिष्कृत थे। उन पर व्यक्तिगत कर लगाया जाता था। नटाल और ट्रांसवाल में भारतीयों को 3 पौंड पोल टैक्स (Poll tax) देना पड़ता था। राजनीतिक अधिकार तो दूर उच्च सामाजिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। जो स्थान यूरोपियन लोगों के लिए सुरक्षित थे वहां भारतीय मकान नहीं बनवा सकते थे। अपने नाम पर वे भूमि नहीं खरीद सकते थे। शहर के बाहर कुछ निर्दिष्ट स्थानों में "घूरो"¹ पर उन्हें रहना पड़ता था। कुछ उपनिवेशों में वे "राज मार्ग पर नहीं चल सकते थे और न गाड़ी के पहले और दूसरे दर्जे में यात्रा कर सकते थे। वे वहां का सोना नहीं रख सकते थे और रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रह सकते थे।"² होटल, स्कूलों और अस्पतालों में प्रवेश नहीं ले सकते थे। ये तथा अन्य ऐसी ही शर्तें अपमानजनक थीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसे स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया "हमारी भारतीय प्रजा के इस अपमान से हमारा रक्त उबलने लगता है।"³

सत्रमें अपमानजनक बात सन् 1907 में ट्रांसवाल की सरकार ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन अधिनियम (Asiatic Registration Act, 1907) पास करके की। उसके द्वारा सभी भारतीयों को अपराधी मान लिया गया और उन्हें अपनी अंगुलियों के निशान (Finger-Prints) दकर अपना निबन्धन (registration) कराने के लिए कहा गया। महात्मा गांधी ने इसे शतानी (पशाची—Satanic Law) कानून की सजा दी और अपना निबन्धन करने से इन्कार कर दिया। इस कानून के विरुद्ध गांधी जी ने वहां सत्याग्रह शुरू कर दिया। भारतीय इस सार अग्रद्वार और अमानवीय व्यवहार का बड़ी असहनीय दृष्टि से देख रहे थे। उनके मन में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और उग्र भावनाओं को बल मिला। उनका विश्वास बन गया कि उनकी दामनी ही उनके अपमान का कारण है और ब्रिटिश सरकार की उदासीनता ही इस अपमान के लिए उत्तरदायी है। इसलिए वे दासता की जजिरा का तोड़ने के लिए तयार हो गये।

8 राजनीतिक भिक्षावृत्ति में अविश्वास अथवा नरम दिल की असफलता (Loss of faith in Political mendicancy or Failure of Moderates) बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में उग्र राष्ट्रियता के विकास के कारणों में एक कारण यह भी था कि युवा पीढ़ी का बौद्धिक माधवों की उपयोगिता पर विश्वास

-
- 1 Besant, Annie How India Wrought for Freedom, p 280
 - 2 Thompson, The Reconstruction of India, p 76
 - 3 "These insults to our Indian fellow subjects made his blood boil" Quoted by Singh, G N Ibid, p 143

उठ चुका था। इस पीढ़ी ने अनुभव कर लिया था कि वाञ्छित सुधारों को कार्यान्वित कराने तथा शिवायता का दूर करवाने में याचिकाएँ, प्रस्ताव तथा शिष्ट-मण्डल जैसे भवैधानिक उपाय अपर्याप्त हैं। इस वग का अंग्रेजों की 'यामप्रियता' और औचित्य की भावना में कोई विश्वास नहीं रहा था। युवा पीढ़ी यह प्रश्न करने लग गयी थी कि उन साधनों को अपनाने से क्या लाभ जो बीस वर्षों के प्रयत्नों के बाद भी विधान परिषदों में वाञ्छित सुधार नहीं ला सके, भारतीयों को भारतीय प्रशासन में उनका स्थान नहीं दिला सके इत्यादि। सन् 1892 के अधिनियम द्वारा जो सुधार लाये गये थे वे न केवल अपर्याप्त थे बल्कि निराशाजनक भी थे।

इस नई विचारधारा का नेतृत्व बाल, पाल और लाल जैसे कुशल राष्ट्रीय नेता कर रहे थे। तिलक स्पष्ट कहते थे कि "हमारा आदेश दया की भिक्षा मागना नहीं अपितु आत्म निर्भरता था"। पाल कहते थे "स्वराज्य का अपने सामर्थ्य से प्राप्त करेंगे। लाला लाजपत राय कहते थे कि 'बीस वर्ष के निरन्तर आन्दोलन के बाद हमें रोटी के स्थान पर पत्थर प्राप्त हुए हैं। अब अंग्रेजों की कृपा के लिए अधिक समय तक गिड़गिड़ाने तथा भिखारी बने रहने का विशेष नाम नहीं होगा।' यह राष्ट्रीय नेता राजनीतिक या प्रशासनिक रियायतों के लिए याचनाओं पर नहीं 'कठार मगाम' और 'बलिदान' पर विश्वास करते थे। इनका विश्वास बन गया था कि "अधिक उग्रवादी एवं नातिवादी साधनों द्वारा शीघ्र और महान परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है।"¹ इनका कार्यक्रम था "बहिष्कार" "स्वदेशी" और राष्ट्रीय शिक्षा और इनका उद्देश्य था "स्वराज्य"।

कांग्रेस का विघटन (Split in Congress)

सन् 1907 में, सूरत में, कांग्रेस के विघटन होने के बीज कांग्रेस के सन् 1905 के बनारस अधिवेशन और सन् 1906 के बलुक्ता अधिवेशन में दिये जा सकते हैं। वास्तव में, इन अधिवेशनों में उत्पन्न विरोधों ने ही सूरत में विम्फोर्ट का रूप धारण कर लिया और उग्रवादी कांग्रेस से पृथक् कर दिये गये।

बनारस अधिवेशन, 1905—उग्रदल की स्थापना

भारत में नवीन राष्ट्रीयता की भावनाएँ जो पिछले दस वर्षों से विकसित हो रही थी उनका स्पष्ट प्रदर्शन 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ। बनारस अधिवेशन उस समय हुआ था जबकि लाड बजन ने अपने औरगजवी झंडेकार के कारण

मर हेनरी वॉटन¹ की अध्यक्षता में कांग्रेस के एक शिष्टमण्डल से मिलने में इकार कर दिया था तथा कांग्रेस को "गंस छोड़ने" वाली सस्था कह कर विदित किया था, वग भग के जहम अभी हरे थे क्योंकि मॉर्ले ने स्पष्ट कह दिया था कि 'वग भग' एक "निश्चित तथ्य" (settled fact) है और गोखले तथा लाला लाजपत राय इ मंडल से खाली हाथ लौटे थे। अधिवेशन में बोलते हुए लाला लाजपत राय ने अपने देशवासियों से कहा था कि "ब्रिटिश जनता अपने विषय में इतनी व्यस्त है कि वह उनके लिए कुछ भी करने को तयार नहीं है, ब्रिटिश समाचार पत्र भारतीय आवाजों को व्यक्त करने के लिए तयार नहीं और भारतीय समस्याओं को लोगों तक पहुँचाना कठिन है" लालाजी ने अपने देशवासियों से यह भी कहा कि "यदि वे स्वतंत्रता चाहते हैं तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर करना पड़ेगा।" लालाजी के भाषण का प्रभाव युवा पीढ़ी पर ही नहीं पुराने कांग्रेसियों पर भी पड़ा।

जनरल अधिवेशन की अध्यक्षता श्री गोखले कर रहे थे। उन्होंने भी अपने अध्यक्षीय भाषण में सरकार के दृष्टिकोण पर खेद प्रकट किया, वग भग की भत्सना की और स्वदेशी आन्दोलन पर सहमति प्रकट की। इस अधिवेशन में वगल के राष्ट्रवादियों ने जो बलिदान दिये थे उन्हें भी रजिस्ट्रार (record) में लाया गया। परन्तु विषय निर्धारणी समिति (Subjects Committee) में एक विषय पर उदारवादियों और उग्रवादियों में मतभेद उत्पन्न हो गया। यह विषय था "प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत।"² उदारवादी प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करना चाहते थे क्योंकि वह सरकार का किसी प्रकार नाराज नहीं करना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि प्रिंस के बहिष्कार का अभिप्राय होगा सबधार्मिक प्रगति में बाधा प्रस्तुत करना। परन्तु उग्रवादी उदारवादियों के इस तर्क से सहमत नहीं थे। वे प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार कर भारतीयों के अमनोप और रोष को व्यक्त करना चाहते थे। वे संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध (Policy of Organized Passive Resistance) की नीति अपनाना चाहते थे। वे सरकार का सहयोग तब तक नहीं करना चाहते थे जब तक वह भारतीयों का प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में अधिक अधिकार नहीं देती। लाला लाजपत राय ने अधिवेशन में बोलते हुए कहा कि "दश में भीषण दुर्भिक्ष है, नाहि नाहि मची हुई है और लोग भूख में मर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लाड कजन के शासन ने भारी असंतोष उत्पन्न कर दिया है। ऐसे अवसर पर युवराज को आमंत्रित करना नीरस-पाही की चानाबी है। उनका वास्तविक उद्देश्य जनता का ध्यान राजनीतिक असंतोष

1 Sir Henry Cotton was the President of Indian National Congress in 1904

2 प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में 1906 के आरम्भ में आने वाले थे और सरकार यह नहीं चाहती थी कि कांग्रेस कोई ऐसा कदम उठाये जो उनके लिए अपमानजनक हो।

मे हटा कर जलूसों और तमाशा की घोर लगाना है। हम उनके घोसे में नहीं आना चाहिए।' श्री तिलक ने लालाजी के इन विचारों का पूरा समर्थन दिया। परन्तु इन वास्तविक तथ्यों के बावजूद भी उदारवादी, अपने बहुमत के कारण, 'प्रिन्स ऑफ वेल्स' के स्वागत प्रस्ताव को पास कराने में सफल हो गये। परन्तु इस विवाद ने बानावरण पर जो प्रभाव छोड़ा उसमें विच्छेद और अलगाव का बीज विद्यमान थे।

बनागम अधिवेशन के बाद श्री तिलक ने एक सभा का सम्पादन किया और इस तरह एक नये दल का जन्म हुआ जिसे उग्रवादी दल (गरम दल) कहते हैं। इस दल ने कांग्रेस के अंतर्गत रह कर ही कार्य करने का निश्चय किया। इस दल ने निष्पक्ष प्रतिराध (बहिष्कार, असहयोग) और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण (स्वदेशी, स्वराज्य और राष्ट्रीय शिक्षा) के कार्यक्रम को अपनाया। इस दल के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, नाना लाजपत राय द्विपिन चन्द्र पाल और अरविन्द घोष। दूसरी ओर, उदारवादी दल (नरम दल) के प्रमुख नेता थे गापाल वृष्ण गोखले, सर फिरोजशाह मेहता और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी।

कलकत्ता अधिवेशन 1906—शक्ति परीक्षा

कांग्रेस के दानो पक्षों ने अपने-अपने कार्यक्रम के लिए हर सम्भव प्रयास किये तथा एक-दूसरे के साधनों की आलोचना की। यह स्वाभाविक था कि जब कांग्रेस अपने वार्षिक अधिवेशन में 1906 में कलकत्ता में एकत्रित हुई तो दोनों के सम्बन्ध तनावपूर्ण थे। दानो अपने पक्ष को सुरक्षित करना चाहते थे। उग्रदल वाले लालमाय तिलक का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत करना चाहते थे परन्तु उदारवादी इस कड़को छूट को निगल नहीं सकते थे। उन्होंने चालाकी से काम लिया। उन्होंने दादाभाई नौरोजी का नाम प्रस्तुत कर इस कठिनाई से छुटकारा पाया। उस समय नौरोजी की आयु 82 वर्ष की थी और उन्हें इंग्लैंड से बेंबल इसलिए लाया गया था कि नहीं श्री तिलक अध्यक्ष पद पर नियुक्त न हो जायें। अध्यक्ष पद के लिये सकट तो दूर हुआ और इसमें विजय उदारवादियों की हुई। परन्तु इस अधिवेशन में अंतिम विजय उग्रवादियों की हुई। क्योंकि जो प्रस्ताव इसमें पास हुए वे उग्रवादियों के प्रस्ताव थे उदारवादियों के नहीं। स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार भारत के लिये उपनिवेश की भाँति स्वशासन के उद्देश्य की घोषणा की गई अर्थात् 'श्रीपनिवेशिक स्वराज्य' ¹ (Dominion Status) कांग्रेस का उद्देश्य बन गया। जी० एन० सिंह

1 श्रीपनिवेशिक स्वराज्य का अर्थ उस समय पूरा स्वतन्त्रता या ब्रिटेन से सम्बन्ध विच्छेद नहीं था बल्कि इसका अर्थ भारत में वैसी ही शासन व्यवस्था की स्थापना थी जमी स्वशासन उपनिवेशों में विद्यमान थी।

ने ठीक कहा है कि 1906 का वर्ष राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में विशेष महत्व का है।¹

सुरत अधिवेशन 1907 — कांग्रेस का विघटन

यद्यपि सन् 1906 की कलकत्ता कांग्रेस ने स्वराज्य, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा (Swaraj, Swadeshi, Boycott and National Education) के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया था परन्तु उदारवादियों ने इन सिद्धांतों को कभी भी हृदय से स्वीकार नहीं किया था। वे इनमें सशोधन के इच्छुक थे। उदारवादियों की विचारधारा को डा० वी० पी० एस० रघुवशी तथा अय्य लैंगको ने इस प्रकार व्यक्त किया है "उदारवादी नेता सरकार की शक्ति का ढिंढोरा पीट कर उग्र विचारधारा का गला घोटने तक का प्रयत्न कर रहे थे।"² सुरत अधिवेशन के शुरु होने से पूर्व ही गवर्नर जनरल लाड मिंटो ने उदारवादियों में आगामी सुधारों के बारे में विचार विमर्श करना भी शुरु कर दिया था। उग्रवादी उदारवादियों की इन दोनों बातों से सहमत नहीं थे। वे न तो सन् 1906 के प्रस्तावों में परिवर्तन चाहते थे और न ही वे यह समझते थे कि उदारवादी सरकार के साथ व्यवहार में 'साहसी कदम' (bold step) उठाने का साहस कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पर अपना प्रभुत्व जमाने का निश्चय किया।

कांग्रेस में यह परम्परा चली आ रही थी कि पिछले अधिवेशन में स्वागत समिति (Reception Committee) के अध्यक्ष को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता था। इस तरह उदारवादियों ने डा० रास बिहारी घोष (Dr Rash Behari Ghosh), जो उदारवादी विचारधारा के थे, का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। उग्रवादी नेता इसके विरुद्ध थे। तिलक तो गुला चुनाव (Open elections) चाहते थे और इन मन्वन्ध में वे भाषण भी देना चाहते थे परन्तु उन्हें इसकी आज्ञा नहीं दी गई। वास्तव में उग्रवादी लाला लाजपतराय का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करना चाहते थे। इसके द्वारा, एक ओर वे सरकार की अराष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध रोष प्रकट करना चाहते थे और, दूसरी ओर वे उसे बताना चाहते थे कि जिस व्यक्ति को (लाला लाजपतराय को सन्देश अजीनसिंह के साथ बिना अभियोग लगाये मई 1907 में भाण्डले भेज दिया गया था और 6 महीने बाद वे वापस भारत हाल ही में आये थे) सरकार बिना अभियोग लगाये जेल में धकेल सकती है उस व्यक्ति का सम्मान राष्ट्र में कितना अधिन है। वातावरण को

1 See Singh, G N Ibid, P 146

2 - रघुवशी, कुन्ध्रेष्ठ और कश्यप की रचना "राष्ट्रीय आन्दोलन तथा भारत का संविधान से उद्धृत पृ० 49 -

देखते हुए लालाजी ने अध्यक्ष पद के लिए खडा होना उचित नहीं समझा। वातावरण बहुत ही तनावपूर्ण था। अध्यक्ष ने, डा० रास बिहारी घोष ने, अराजक और उच्छल लाल स्थिति में बचने के लिए अधिवेशन को स्थगित कर दिया।

कांग्रेस के दोनों पक्षों में भेद इतने गहरे थे कि समझौते के सभी प्रयास असफल रहे। दोनों अपने अपने विद्वानों पर दृष्टि रहे। उदारवादियों को अपने बहुमत पर घमण्ड था और उपद्रववादियों को अपने भविष्य और सावजनिक समय पर विश्वास था। इसका परिणाम यह हुआ कि जत्र अगले दिन (27-12-1907) अधिवेशन हुआ तो उपद्रव और अव्यवस्था के कारण वह दिन भिन्न हो गया। 27 दिसम्बर 1907 के दृश्य को नेविंसन ने इस प्रकार व्यक्त किया है "भारतीय महिलाएँ पडाल से बाहर खिसक गईं, मच के नता भी खिसक गये तिलक को उनके अनुयायी ले गये परन्तु पडाल में बड़ा उपद्रव हुआ, कुत्तियाँ फेंक कर मारी गईं, लाठियाँ चली और बहुत से सिर फूट गये।"¹

28 दिसम्बर, 1907 को उदारवादियों ने पुलिस सुरक्षण में एक सम्मेलन किया। इसमें कांग्रेस के 1600 प्रतिनिधियों में से केवल 1000 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस सम्मेलन में लाला लाजपतराय भी उपस्थित थे। असम्य भगडों से बचने के लिए इस सम्मेलन में कांग्रेस के 100 प्रमुख सदस्यों की एक समिति बनाई। इस समिति का उद्देश्य कांग्रेस के लिए विधान तयार करना था। कांग्रेस का विधान सन् 1908 में बन कर तयार हुआ।

भद्रास अधिवेशन, 1908—पुरानी पद्धति में विश्वास और उपद्रवियों का कांग्रेस से निकाला जाना— कांग्रेस के 100 सदस्यों वाली समिति ने जिस सविधान को तयार किया उसे 1908 में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। इस सविधान में कांग्रेस के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से इन शब्दों में व्यक्त किया गया "अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए (अर्थात् अधिराज्य स्थिति का प्राप्त करने के लिए) कांग्रेस सब धार्मिक तरीकों का प्रयोग करेगी और उन्हीं लोगों का इसमें प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया जायगा जो लिखित रूप में इस सविधान को स्वीकार करें। इस तरह सन् 1908 का कांग्रेस का सविधान सन् 1906 के मिद्धात्ता के सचचा विपरीत था। इसी निष्क्रिय प्रतिरोध और बहिष्कार की नीति को, जिसमें तिलक तथा अय

1 Nevins The New Spirit in India pp 256 259 Quoted by Singh G N Ibid p 147

उग्रवादी विश्वास करते थे, तिलाजली दे दी। उग्रवादियों का कांग्रेस से निकाल दिया गया।

सूरत विघटन के परिणाम तथा उग्रवादियों का दमन

सूरत विघटन के बड़े दुःखद परिणाम निकले। इसने जहाँ सरकार को उग्रवादियों का कठोरता से दमन करने के लिए प्रोत्साहित किया वहाँ इमने कांग्रेस की प्रतिष्ठा और सम्मान को बड़ा धक्का पहुँचाया। एनी बेसेन्ट ने ठीक लिया है कि "सूरत का विघटन कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुःखदायक घटना है।"¹

कांग्रेस में केवल उदारवादी रह गये। इसके सदस्यों की संख्या में कमी होने लगी। सन् 1906 में इसके अधिवेशनों में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या जहाँ 1600 तक पहुँच गई थी, वहाँ सन् 1908 में केवल 606 सदस्य ही एकत्रित हुए। एक अधिवेशन में तो एकत्रित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या केवल 207 थी। सन् 1916 में उग्रवादियों के कांग्रेस में सम्मिलित होने पर ही इसकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ा तथा इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। धीरे-धीरे कांग्रेस एक जन आंदोलन में बदल गई।

उग्रवादियों का दमन करने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार की कठोर नीतियाँ अपनाईं। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का गला घाटने के लिए सन् 1908 में समाचार पत्र (असंतोष की उत्तेजा) अधिनियम (Newspaper Incitement to Offences Act, 1908) पास किया। सन् 1908 में ही फौजदारी सशोधन अधिनियम (Criminal Law Amendment Act, पास किया गया। सन् 1911 में पंडित शंकराजी सभा अधिनियम (Seditious Meetings Act) पास किया गया। इसके द्वारा सरकार सावजनिक सभाओं तथा वक्तव्यों के भाषणों पर प्रतिबन्ध लगा सकती थी।

सरकार ने उग्रवादी नेताओं को अनेक प्रकार के दण्ड दिये। श्री तिलक को सन् 1908 में कैमरी में "देश का दुँव" और "ये उपाय टिकाऊ नहीं हैं" नामक लेखों के लिए, राजद्रोह के अपराध में, 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया। अनेक लोगों पर अभियोग चलाये गये, अनेक को मजबूरों दी गई, अनेक को फाँसी पर चढ़ा दिया गया। लेखकों, प्रकाशकों, मुद्राओं और सम्पादकों का नाम भी नहीं छोड़ा गया। सन् 1906 से 1911 तक सरकार का दमन चक्र अपनी चरम सीमा पर था, इस काल में आनंदवादी अपराध भी अपनी चरम सीमा में थे।

1 The Surat episode was the "saddest episode in the history of the Congress" Besant, Annie How India Wrought for Freedom p 465

उपयुक्त दमनकारी नीति उग्रवादियों का सफाया नहीं कर सकी बल्कि उसने नास्तिकारी और आतंकवादी रूप धारण कर लिया। यह आन्दोलन भूमिगत (Underground) हो गया। बदले की भावना पदा हुई, गुप्त रूप से प्रचार किया जाने लगा तथा बमों का निर्माण होने लगा।

उग्रवादियों के सिद्धान्त या उग्रवादी विचारधारा के आवश्यक तत्व (Principles of Extremists or Essential features of Extremist Thought)

उग्रवादियों के सिद्धान्तों की विस्तार पूर्वक व्याख्या इस अध्याय में वर्णित "उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा—एक तुलनात्मक अध्ययन" में की गई है। यहाँ उन्हें दोहराने से कोई लाभ नहीं।

उग्रवादी विचारधाराओं का मूल्यारूढ—उग्रवादी विचारधारा की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इसने राष्ट्रीय आन्दोलन को, जो अभी तक शिक्षित वर्ग तक सीमित था, जन आन्दोलन का रूप दिया। सघष, त्याग और बलिदान द्वारा इसके नेताओं ने जो जन जागृति पदा की वह राष्ट्रीय आन्दोलन में अभी तक पदा नहीं हुई थी। इन्होंने जनता को विदेशियों की पराजयिता पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वावलम्बन और आत्म विश्वास पर निर्भर रहना सिखाया। निरजुग, स्वेच्छाचारी विदेशी सत्ता से भिडन के लिए इन्होंने जनता को सश्रिय सगठित निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धान्त दिया। नैतिकता के ऊपर आश्रित तत्त्वों के ऊपर निर्भर रहने के स्थान पर आत्म सामर्थ्य पर निर्भर रहना सिखाया।

उग्रवादी आन्दोलन 'बहिष्कार' के रूप में केवल विरोध का सिद्धान्त नहीं था, 'स्वदेशी' और 'राष्ट्रीय शिक्षा' के रूप में यह एक रचनात्मक आन्दोलन भी था। बहिष्कार द्वारा इसने लोगों को विदेशी वस्तुओं, विदेशी सस्थाओं और न्यायालयों तथा विदेशी नौकरियों, प्रतिष्ठाओं और उपाधियों पर जुठाराघात करना सिखाया। बहिष्कार के प्रभाव को एंग्लो इण्डियन समाचार पत्र "दि इंग्लिशमैन" ने इस प्रकार व्यक्त किया है "बहिष्कार के रूप में राज के शत्रुओं ने दश में ब्रिटिश हितों पर जुठाराघात करने का एक अत्यन्त प्रभावशाली शस्त्र पा लिया है।" 1 'स्वदेशी' और 'राष्ट्रीय शिक्षा' द्वारा उग्रवादी आन्दोलन ने भारतीय वस्तुओं, सस्थाओं और स्कूलों का पचार किया। यद्यपि उस समय उग्रवादी वाप्रेस में अल्पमत में थे फिर भी व सन् 1906 में वाप्रेस द्वारा 'स्वराज्य', 'स्वदेशी', 'बहिष्कार' और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों को पास करने में सफल हुए। स्वदेशी के प्रभाव में थी गोपाल कृष्ण गांधी ने इस प्रकार व्यक्त किया है "मातृभूमि के प्रति भक्ति भाव जो कि स्वदेशी

1 Quoted by Desai A R in his Social Background of Indian Nationalism p 307

में उच्चतम रूप से सुप्रतिष्ठित है, एक प्रभाव है—इतना गुरुगम्भीर और इतना उत्तेजक कि इसका विचार मात्र ही स्फुरण कर देता है और इसका यथाथ सस्पश व्यक्ति के मन शिखर को उच्च से उच्च कर देता है।¹

उग्रवादियों के सिद्धांतों की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आने वाला राष्ट्रीय आन्दोलन इन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित किया गया। महात्म गांधी द्वारा संचालित अमहयोग आन्दोलन और सविनय अवज्ञा आन्दोलन में स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का तत्व ही सन्निहित थे। गांधी आन्दोलन के यही आधार स्तम्भ थे।

केवल एक दृष्टि में उग्रवादी राष्ट्रीयता को प्रतिक्रियावादी कहा गया है। प० जवाहरलाल नेहरू ने इसे "सामाजिक रूप से निश्चित प्रतिक्रियावादी कहा है। इसका कारण यह है कि उग्रवादी आन्दोलन धार्मिक भावनाओं से प्रेरित था। आलाचकी का कहना है कि हिंदू उत्सवों, हिंदू वीरों और हिंदुओं के वदिक अतीत, चंद्रगुप्त और अशोक के स्तूपों, राणा प्रताप एवं शिवाजी के वीरतापूर्ण कृत्यों तथा सन् 1857 की नजी भासी की रानी लक्ष्मीबाई के देशप्रेम की स्मृतियों को पुनः ताजा करने से मुसलमान राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति उदामीन हो गये। यह आलाचना बिलकुल अद्ध सत्य है। यह नहीं भुलाया जा सकता कि उस समय के मुस्लिम नेता जो कट्टर पंथी थे, अपना पृथक् अस्तित्व चाहते थे और ब्रिटिश शासक (लाड मिटो सहित) अपने साम्राज्यीय हितों की रक्षा के लिए उन्हें भन्दा रह थे। मुस्लिम नेता विदेशी नौकरशाही के बहकावे में आकर ही राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति उदामीन हुए थे।

उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा—एक तुलनात्मक अध्ययन

(Liberal and Extremist Ideology—a Comparative Study)

उदारवादी और उग्रवादी दोनों विचारधाराओं में महान राष्ट्रीय नेता थे, दोनों के नेता साहसी व्यक्ति थे, उनमें दशभक्ति कूट-कूट कर भरी हुई थी, दोनों ही वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट थे, दोनों राजनीतिक मस्थाओं में, विशेषकर विधान सभा की रचना, उसकी शक्तियों तथा प्रशासन में सुधार चाहते थे, दोनों सरकार की अराष्ट्रीय और दमनकारी नीति से असंतुष्ट थे, दोनों भारतीय राष्ट्रीयता के आवग्यक पहलू थे, दोनों भारतीयों में जागृति पैदा करना चाहते थे, दोनों ने राष्ट्र की अपार सेवाएँ की हैं और उन सेवाओं के लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं, दोनों का अंतिम उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था।

1 के० आर० वागवाल द्वारा उद्धृत भारतीय राजनीति और शासन (1967)

दोनों विचारधाराएँ एक दूसरे की पूरक थीं। श्री रामनाथ सुमन ने अपनी रचना "हमारे राष्ट्र निर्माता" में ठीक लिखा है कि "जब हम उदार एवं उग्र दोनों की प्रवृत्तियों का विशेषण और अध्ययन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारी राष्ट्रीयता के विकास में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों हमारी राजनीति के रणभाविक उपकरण हैं। वस्तुतः ये एक ही आन्दोलन के दो पक्ष हैं। पहला बुद्धि पक्ष है दूसरा भाव पक्ष। पहला जहाँ कुछ सुविधाएँ सहूलियतें प्राप्त करना चाहता है वहाँ दूसरे का उद्देश्य राष्ट्र में मानसिक परिवर्तन करना है।"

दोनों विचारधाराओं में महान समानताएँ हाथ हुए भी तथा एक दूसरे के पूरक होने हुए भी उनमें कुछ मौलिक भेद थे। यही भेद मुख्यतः उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधनों में तथा ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति दृष्टिकोण में थे। इन भेदों को, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है—

| उदारवादी विचारधारा | उग्रवादी विचारधारा |
|---|--|
| <p>1 इसके अधिकांश नेता उच्च वर्ग के थे।</p> <p>उदारवादी विचारधारा के अधिकांश नेता उच्च वर्ग के शिक्षित व्यक्ति थे। वे पश्चिमी शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित थे। इसलिए इनका प्रभाव केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था, इनका आन्दोलन जनता द्वारा प्रेरित नहीं था।</p> <p>उदारवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे दादाभाई नौरोजी, गोपान कृष्ण गोखले, सर फिरोजशाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, डब्ल्यू० सी० बनर्जी लाल मोहन घोष सर सी० मरिन नयर, पी० आनंद चालूँडा० रास बिहारी घोष, गुरेदर नाथ बनर्जी, सर मुब्रह्मण्यम् अय्यर, आदि।</p> | <p>1 इसके अधिकांश नेता मध्यम वर्ग के थे।</p> <p>उग्रवादी विचारधारा के अधिकांश नेता मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा में अधिक विश्वास था। इन्हें केवल मध्यम वर्ग का ही समर्थन प्राप्त नहीं था अपितु सब साधारण जनता का समर्थन भी प्राप्त था। इनका आन्दोलन जनता द्वारा प्रेरित था।</p> <p>उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ब्रह्मबाबू उपाध्याय तथा लाला लाजपत राय। यह आन्दोलन मुख्यतः वात, पाल, लाल के नाम से विख्यात है।</p> |

उदारवादी विचारधारा

2 उदारवादी पश्चिमी (अंग्रेजी) सम्पत्ता और सस्कृति को भारत के लिए ईश्वरीय वरदान समझते थे।

पश्चिमी शिक्षा में रहे इन भारतवासियों पर पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सस्कृति, पश्चिमी भाषा तथा पश्चिमी सस्थाओं का अत्यधिक प्रभाव था। इनका विश्वास था कि भारत का उद्धार, कल्याण और विकास पश्चिम से सम्बन्ध बनाये रखने में ही है। ये इन सम्बन्धों को स्थायी एवं चिरगामी बनाना चाहते थे। इनकी धारणा थी कि "भारत के साथ इंग्लैण्ड का सम्बन्ध ऊँचे और शानदार उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईश्वरीय वरदान है।"¹

उदारवादी "इंग्लैण्ड को अपना पथ प्रदर्शक" मानते थे। ये ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदत्त लाभों की स्तुति करने में कभी थकान अनुभव नहीं करते थे। ये कहते थे कि भारत की राजनीतिक एकता, शासन व्यवस्था संचार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, स्थानीय समुदायों, ब्रिटिश शासन की अमूल्य देन हैं। पश्चिमी शिक्षा, साहित्य और विचारधारा ने भारत में राष्ट्रीयता और प्रजातान्त्रिक विचारधाराओं को जन्म दिया है।

उग्रवादी विचारधारा

2 उग्रवादी पश्चिमी (अंग्रेजी) सभ्यता को भारत के लिए अभिशाप समझते थे।

उग्रवादी पश्चिमी सभ्यता और सस्कृति को भारतवासियों के लिए अभिशाप मानते थे। ये ब्रिटिश शासन के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं बनाये रखना चाहते थे। ये उससे सम्बन्ध विच्छेद चाहते थे। इनका कहना था कि भारत के अंध पतन का मुख्य कारण विदेशी शासन है। ये कहते थे कि पहले देश स्वतंत्र हो, तभी उसकी आर्थिक, सामाजिक और नैतिक उन्नति हो सकती है।

उग्रवादी भारतीय सस्कृति और सभ्यता को पश्चिम की सस्कृति और सभ्यता से श्रेष्ठ मानते थे। वे भारतीय सस्कृति और सभ्यता को ही अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। इनका आन्दोलन धार्मिक था और "हिन्दू धर्म" में ही अपनी मुक्ति के स्रोत देखते थे। अरविन्द घोष ने तो स्पष्ट कहा था कि "जीवन का लक्ष्य मुक्ति (स्वतंत्रता) है और हमारी इस आकांक्षा को हिन्दू धर्म ही पूरा कर सकता है।"

उदारवादी विचारधारा

3 उदारवादियों की ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति असंदिग्ध थी।

उदारवादी ब्रिटिश शासन के भक्त थे। दाना भाई नौरोजी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही ये शब्द कहे थे "आओ, हम पुष्टो की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम आचूड राजभक्त हैं।" ये नेता तो कांग्रेस की स्थापना को ही अंग्रेजी उदारता का फल कहते थे। मरदार दयाल सिंह मजीठिया ने सन 1893 में कहा था कि "यह भारत में ब्रिटिश शासन की कीर्ति का क्लेश है।" टी माधव राव ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में कहा था कि 'कांग्रेस ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च पक्ष शिखर और ब्रिटिश जाति का कीर्ति मुकुट है।

उदारवादी ब्रिटिश शासन की गुन कर आनोचना नहीं करते थे। उन्होंने कभी ऐसा कार्य करने का प्रयास नहीं किया जो सरकार को अप्रिय हो। उन योजनाओं को वे कभी स्वीकार नहीं करते थे जिनमें सरकार के साथ सघप की सम्भावना हो। दमनकारी, अत्याचारी और क्रूर नीतियों, कार्यों तथा कानूनों की आलोचना भी बड़ी दबी हुई मयत और निमग्न भाषा में करते थे।

उग्रवादी विचारधारा

3 उग्रवादी ब्रिटिश शासन के विरोधी थे।

उग्रवादी ब्रिटिश शासन के भक्त नहीं थे और न ही वे कांग्रेस को ब्रिटिश उत्पत्ता का परिणाम मानते थे। वे ब्रिटिश शासन के गुण नहीं गाते थे। वे ब्रिटिश शासन के विरोधी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को वे भारतीयों के प्रयत्न का फल मानते थे। इनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार ने इसकी स्थापना के लिए जो सहयोग दिया वह ब्रिटिश साम्राज्य को छिन भिन होने से बचाने के लिए दिया था, भारतीयों की राजनीतिक शिक्षा के लिए नहीं।

उग्रवादी ब्रिटिश शासन की खुलकर आलोचना करते थे। जिन कानूनों या नीतियों को वे राष्ट्रीय अहित में समझते थे उनकी वे कटु आलोचना करते थे। सरकार की भेदभाव की नीति की वे भत्सना करते थे। वे उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए तयार रहते थे जो राष्ट्रीय हित में होती थीं चाहे इनके लिए उन्हें सरकार से सघप ही क्या न करना पड़े। ये ब्रिटिश अध्यायों के प्रति जागृति पैदा करना चाहते थे।

उदारवादी विचारधारा

उदारवादी अपनी देश भक्ति के लिए कभी भी ब्रिटिश सरकार द्वारा सताय नहीं गये, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए वे कभी जेल नहीं गये। वास्तव में, उदारवादियों ने कोई ऐसा नेता नहीं था जो दोष कारावास, दण्ड निर्वासन और सम्पत्ति के हरण को स्वीकार कर लेता।

सरकार ने उदारवादियों को उनकी सेवाओं के लिए (यद्यपि उनमें योग्यता भी थी) पदवियों और नियुक्तियों से सम्मानित किया। श्री गोखले को सी० आई० ई० की पदवी प्रदान की गई, अनेक को नाइटहुड' या 'सर' की उपाधि दी गई, कुछ को विधान सभा के लिए मनोनीत किया गया, कुछ को गवर्नर जनरल की कायफाजिगी का सदस्य बनाया गया, कुछ को हाई कोर्ट के 'यायाधीश नियुक्त किया गया।

4 उदारवादी ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करना चाहते थे।

उदारवादियों का विश्वास था कि ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने विपत्तियों का समाधान किया जा सकता है तथा वांछित सुधारों का प्राप्त किया जा सकता है।

उग्रवादी विचारधारा

उग्रवादी अपनी देशभक्ति के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा अनेक बार सताये गये। इन्होंने अनेक दुःख और कष्ट भेले। राजद्रोह के अपराध में इन्हें अनेक बार दण्डित किया गया, कठोर कारावास की सजा दी गई तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति का हरण किया गया।

सरकार उग्रवादियों को राजद्रोही समझती थी। इसलिए योग्यताएँ होते हुए भी इन्हें कभी पदवियाँ से विभूषित नहीं किया गया।

4 उग्रवादी ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग करना चाहते थे।

उग्रवादी ब्रिटिश शासन के साथ तब तक सहयोग करने के लिए तयार नहीं थे जब तक वह वांछित सुधारों को कार्यान्वित न कर दें, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की

मन्या न बडा दे तथा भारतीया तो उक्त मनाया म म्यान १ दिया जाय प्रादि । अथान उग्रवादी भारतीय प्रशासन का भारतीयकरण कराने के दृष्टुन थे ।

5 उदारवादी ब्रिटिश न्याय और औचित्य की भाषणा में विश्वास करते थे ।

5 उग्रवादी ब्रिटिश न्याय और औचित्य की भाषणा में विश्वास नहीं करते थे ।

उग्रवादिना ११ ब्रिटिश न्याय और औचित्य में विश्वास समाप्त हो गया था । वे उक्त उग्रवादी नहीं बनिये मन्स कि और प्रतिनिधताकी मानते थे । उनको भारत में उक्त उग्रवादी न्याय ११ ब्रिटिश न्याय का विनाश करना था । उक्त ब्रिटिश न्याय और औचित्य समाप्त हो गया था ।

6 उदारवादी क्रमिक विकास चाहते थे। उदारवादी एक छलाग से स्व-राज्य प्राप्त करना नहीं चाहते थे। वे क्रमवद्ध तरीक से विकास चाहते थे। वे किशत दर किशत सुधारो म विश्वास करत थे। वे 'श्रौपनिवेशिक स्वराज्य' पर बल दत थे। उहाने वभी भी ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध विच्छेद की बात नहीं सोची।

7 उदारवादियों का राजनीतिक आन्दोलन भिक्षावृत्ति पर आधारित था

उदारवादी अपनी मागो के लिए लडना या सघप करना नहीं जानते थ। उनका राजनीतिक आन्दोलन लगडा (Halting) और निरत्साही (Half Hearted) होता थ। उनका आन्दोलन नतिरु था। वह उही लोगो की दया और सदभावना पर निर्भर करता था जिनके विरुद्ध वह लडा जाता था। वह अश्रेजो की उपहार नीति पर निर्भर करता था।

उदारवादी रियायतें और स्वराज्य चाहते थे पर तु उनकी प्राप्ति के लिए बनिदान देन या जेल जाने के लिए तैयार नहीं थ। उग्रवादी इसी कारण उदारवादिया के राजनीतिक आन्दोलन को राजनीतिक भिक्षावृत्ति (Political mendicancy) कह कर निन्दित करते थे।

6 उग्रवादी तत्काल विकास चाहते थे। उग्रवादी ब्रिटिश साम्राज्य से तत्काल 'स्वराज्य' की माग करते थे वे कहते थे पहले स्वराज्य प्राप्त हो फिर अर्य समस्याओ को मुलभा लिया जायगा। वे स्वराज्य की बातें करते थे, 'श्रौपनिवेशिक स्वराज्य' की नहीं। वे ब्रिटिश शासन म सुधार नहीं चाहत थे, उनका अरत चाहते थ।

7 उग्रवादियों का राजनीतिक आन्दोलन स्वावलम्बन, आत्मविश्वास और आत्म सम्मान पर आधारित था

उग्रवादी अपनी मागा के लिए लडना और सघप करना जानत थे। उनका कार्यक्रम परिकल्पित (Devised) एव नियोजित (Planned) होता था जो मतन शरीरा में भी उल्साह पदा कर दता था। वे स्वावलम्बन, आत्म-विश्वास और आत्म सम्मान म विश्वास करत थे। वे कहत थ राज, नीति म परोपकारिता (philanthropy) या उपकार का कोई स्था नहीं। लाला लाजपत राय के शब्दा में 'हम भिखारी नहीं है', हम 'आत्म विश्वास की बात करते है', 'हमने गिडगिडाने की नीति का त्याग कर दिया है। हम उन साम्राज्य की प्रजा हैं जहा लोग अपन अधिकार को प्राप्त करन के लिए सघप की नीति का प्रयोग करते हैं।' विपिन चन्द्र

उदारवादी विचारधारा

उग्रवादी विचारधारा

8 उदारवादी सवधानिक साधनों में विश्वास करते थे ।

उदारवादी अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केवल सवधानिक एवं शांतिमय साधनों का प्रयोग करते थे । इनके मुख्य साधन थे समाचार पत्र, प्लेट फॉर्म (भाषण), कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन आन्दोलन पत्र प्रतिनिधि मण्डल, आदि । हिंसा, निष्क्रिय प्रतिरोध तो दूर उनके प्रोग्रामों में "खलकारना" शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जाता था । मदन मोहन मालवीय के शब्दों में "यद्यपि हमें अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई फिर भी हमें सरकार से बार बार प्रायना करनी है कि वह हमारी मांगों पर शीघ्रता से ध्यान दें ।"

पाल कहा करते थे "स्वराज्य को हम अपनी सामर्थ्य से प्राप्त करेंगे, भिक्षावृत्ति या दया से नहीं ।" तिलक जी का कहना था कि "हमारा आदर्श दया की भिक्षा मागना नहीं, अपितु आत्म निर्भरता है ।" तिलक जी के ही शब्दों में "स्वतंत्रता मेरा (हमारा) जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं (हम) इसे लेकर रहूँगा (रहेंगे) संक्षेप में, उग्रवादी 'राजनीतिक' रियायतों की मांग नहीं करते थे बल्कि "अधिकार" की मांग करते थे ।

8 उग्रवादी उग्र साधनों में विश्वास करते थे

उग्रवादियों की धारणा थी कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सवधानिक साधन अप्रयाप्त हैं जसा कि तिलक जी ने स्पष्ट कहा था कि 'उदार दल सोचता है कि वे समझने से प्राप्त हो सकते हैं । हम सोचते हैं कि वे तीव्र दबाव से प्राप्त हो सकते हैं ।' तिलक जी के ही शब्दों में "तुम्हारी जाति रक्तहीन होनी चाहिए परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि आपका कष्ट न उठाना पड़े और जेल न जाना पड़े ।" इसलिए उग्रवादी सवधानिक साधनों के साथ संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध (Organized Passive Resistance) और बहिष्कार (Boycott) का भी प्रयोग करते थे ।

वे 'स्वदेशी' और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देते थे ।

उग्रवादी ब्रिटिश शासन की नुटिया और दुबलताओं का पर्दा फाश करते थे और भारतीयों को अत्याचार और अत्याचार के विरुद्ध "सघप" करना सिखाते थे । इनका विश्वास था कि स्वतंत्रता दान में प्राप्त नहीं की जाती इसे "शक्ति" से प्राप्त किया जाता है ।

उदारवादी ब्रिटिश शासन की नुटिया और दुबलताओं से अनभिज्ञ नहीं थे, वे उनके अत्याचार और दमन से भी परिचित थे व जनता के दुखों और बप्टा को भी जानते थे, परन्तु फिर भी वे सवधानिक साधना द्वारा ही इन्हें दूर कराना चाहते थे । ब्रिटिश संसद और जनता के समक्ष अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अनेक सत्याग्रहों की स्थापना की जिनमें सन् 1888 में इण्डियन एजेंसी (Indian Agency), सन् 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस (British Committee of Indian National Congress), सन् 1890 में "इण्डिया" (India) नामक मासिक पत्रिका भी निवाली गई सन् 1893 में इण्डियन पार्लियामेन्टरी कमेटी (Indian Parliamentary Committee) आदि । उदारवादियों ने चार्ल्स ब्रडला, मैक्नील और समुएल स्मिथ जैसे भारत से सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों का प्रयोग भी किया । उदारवादियों को ब्रिटिश जाति की स्वतंत्र भावना पर इतना विश्वास था कि वे कहते थे कि जब उस भारतीय पक्ष का सही पान हा जायगा तो वह उन स्वतंत्रता दोगी ।

(स) आतंकवादी तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन (Terrorist and Revolutionary Movement)

क्रान्तिकारी आन्दोलन उही घटनाओं का परिणाम था जिनसे कारण उस राष्ट्रीयता का विकास हुआ था। वास्तव में यह उस राष्ट्रीयता का ही एक रूप था जो उससे अधिक तीव्र और हिमात्मक था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई प्रतिप्रियावादी और दमनकारी नीति ने ही इसके जन्म दिया था। श्री माटंग्यु न, जो उस समय उप-भारत मंत्री थे, सन् 1910 में स्वीकार किया था कि "पैनल कोड (Penal Code) की सजाओं तथा "चाकू चरान की नीति" ने साधारण और विगड़े नवयुवकों का शहीद बनाया और विप्लवकारी पन्ना की सत्याग्रह दी।"

क्रान्तिकारी 'हत्या', 'ठाकू' या 'आतंकवादी' नहीं थे। वे पंचमे दशभक्त थे। उनमें राष्ट्रीयता बूट-बूट कर भरी हुई थी। वे दशभक्ति, आदर्शवादिता और बलिदान की भावनाओं से आतप्रोत थे और मातृभूमि के लिए बड़े-से बड़े बलिदान देने के लिए तैयार रहते थे। वे इतने अनुशासन प्रिय थे कि दमनकारी कानून, ठाकू दण्ड, अमानुषिक व्यवहार, अज्ञान द्वारावास और फासी भी उन्हें अपने विश्वत मांग से विचलित नहीं कर सकत थे। 'क्रान्तिकारी अराजकता' कथाना नहीं चाहते थे बल्कि अपने हत्यारा (जो देशभक्तों को निदयतापूर्वक और अत्याधिक दण्ड देते थे) के हृदय में यह भय उत्पन्न करता चाहते थे कि देशभक्तों की हत्याओं का बदला हत्यारों होगा। वे राष्ट्र के अपमान का बदला लेते थे। वे राजनीतिक हत्यारों या राजनीतिक डकतियाँ केवल इसलिए करते थे कि अंग्रेजी और बहरी ब्रिटिश सरकार का यह महसूस करा सक कि वह निर्दोष जनता पर अत्याचार न करे। वे केवल उन पुलिस अधिकारियों, अभियोगों के निराकरण करने वाले उन मजिस्ट्रेटों, सरकारी वकीलों और सरकारी गवाहों को आतन्त्रित करते थे जो अत्याचार का साथ देते थे तथा निर्दोष देशभक्तों को निदयतापूर्वक दण्ड देते थे या निर्दोष जनता पर अत्याचार करते थे।

क्रान्तिकारी "बम की नीति" (Cult of the Bomb) में विश्वास करते थे। उनके लिए साध्य की परिव्रता साधना का औचित्य थी। स्वतन्त्रता प्राप्त के लिए वे गुप्त हत्याओं, मरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने तथा तोड़ फोड़ की कार्यवाहियाँ करते थे। वे कहते थे कि 'अग्नेज की विधि (कानून) पाशविक शक्ति पर आधारित है और यदि हम पाशविक शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह उचित ही है।' ² वे लोग

1 क्रान्तिकारियों को बदनाम करने के लिए अग्नेजा नये सजायें उन्हें दी थी, दुभाग्य की बात तो यह है कि उदारवादी राष्ट्रवादी भी उनका दमन चाहते थे।

2 Chisol Indian Unrest p 93

को व्यायाम सिखलाते थे, नाटित का पाठ पढाते थे, अस्त्र-शस्त्र चलाना सिखाते थे तथा बम्बो का निर्माण करना सिखाते थे। भारतवासियों में "दासता के प्रति घृणा" उत्पन्न करने के लिये वे उह आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। श्री वारीड्र घोष ने अपने लेख "भारत में गीता के युग के पुनरागमन" (The Age of Gita again in India) में लिखा कि "श्रीकृष्ण ने गीता में कहा था कि जब धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होगा, तब धर्म की स्थापना के लिये और अधर्म के विनाश के लिये ईश्वरावतार होगा भारतवासिया डरो नहीं। ईश्वर निष्क्रिय नहीं रहेगा।" क्रांतिकारी वही धार्मिक ग्रन्थों का प्रचार करके लोगों को प्राणा की बलि देना सिखाते थे और शत्रु के प्राण लेना सिखलाते थे।

क्रांतिकारी "बदला" लेते थे आतंक नहीं फैलाते थे। वे अराजकता नहीं न्याय चाहते थे। वे केवल उन अधिकारियों से बदला लेते थे जो निर्दोष जनता तथा दश भक्ता को अमानुषिक दण्ड देते थे तथा जो अपनी निन्द्यता के लिये बदनाम थे। जो अधिकारी गण्ट या अपमान करते थे उह ही क्रांतिकारी अपना निशाना बनाते थे। उदाहरणतया श्री रण्ड और उसके सहायक लेफ्टिनेन्ट को चापेकर भाइयों ने गोली इसलिये मारी कि उहों बड़े क्रूर ढंग से और लोगों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान न रखते हुए उन पर अत्याचार किये थे, ऊधमसिंह ने इंग्लैण्ड में जनरल ओ० डायर की हत्या इसलिये की कि उसने पंजाब में जलियावाला बाग में हजारों की संख्या में निहत्थे, निर्दोष व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चा को बिना चेतावनी दिये गोलियाँ से मृत दिया, मदनलाल हींगरा ने कजल बाइली (जो भारत मंत्री के ए० डी० सी० थे) को इण्डिया आफिम में इसलिये गोली का निशाना बनाया कि श्रीगणेश सावरकर को दण्ड दिलाने में उसका हाथ था, साइस की हत्या इसलिये की गयी कि उसने लाला लाजपतराय पर साइमन आयोग के बहिष्कार के जलूस में लाठीचार्ज स्टेशन पर लाठियाँ की बौद्धों की जिसके फलस्वरूप लालाजी की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गयी।

रूस और इटली की गुप्त सस्थाओं के नमून पर क्रांतिकारियों ने अनेक प्रकार की गुप्त समितियाँ तथा एसोसियेशन्स स्थापित कर रखी थीं। ये देश-विदेश में स्थापित की गयी थीं। इनमें प्रमुख थी "अनुशीलन समिति", "सरस्वती समिति", "युगांतर भुष", "इस्ट क्लब", "अभिनव भारत" आदि। विदेश में भी "इण्डियन होम रूल सोसायटी" और "गदर पार्टी" जसी सस्थाओं की स्थापना की गयी थी। ये सथायें अपने पत्रों द्वारा क्रांति का प्रचार करती थीं। इनमें प्रमुख थे "युगांतर", "सत्या", "नव शक्ति", 'वदेमातरम्', "यू इण्डिया", 'इण्डियन सोशियलोजिस्ट', "हिन्दुस्तान गदर" आदि। ये क्रांतिकारी साहित्य को वितरित करते थे, विदेशी क्रांतिकारी नेताओं की जीवनी का इन्होंने प्रांतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया, आदि।

क्रांतिकारी विदेशी शक्तियों से अस्त्र शस्त्रों तथा सैनिक प्रशिक्षण की सहायता प्राप्त करने से भी नहीं चूकते थे। समय पाकर उन्होंने सन् 1915 में (सन् 1914 में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हो गया था) जर्मन सैनिकों के साथ मिल कर सन् 1857 के नमूने पर भारत में एक बार फिर विद्रोह को उत्पन्न की योजना बनाई। जर्मनी ने इस योजना में पूर्ण सहायता का विद्यमान दिलाया। इस उद्देश्य से श्री पिल्ले (Pillai) ने बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल (Indian National Party) को संगठित किया जिसे जर्मन जनरल स्टाफ (German General Staff) के साथ मिला दिया गया। इस दल के अग्र प्रमुख सदस्य थे हरदयाल (जिन्होंने गदर दल का निर्माण अमरीका में किया था), चरकत उल्ला, तारकनाथ दास, कै० सी० चन्द्रवर्ती, हेराम्बा लाल गुप्ता आदि। इसके लिये तीन केंद्र स्थापित किए गए थे बंगाल के लिये बटाविया (Batavia), पंजाब के लिये बंकाय (Bangkok), मुसलमानों के लिये पायुल। बंगाल के लिये सत्येंद्र सेन और यू० पी० और पंजाब के लिये पिंग्ले (Pingley) को अमरीका से भेजा गया था। परन्तु देशद्रोही वृपालसिंह ने पंजाब पुलिस को सारी योजना की खबर देकर इसे समय से पूर्व ही नष्ट कर दिया। अतः क्रांतिकारियों का दमन किया गया, भारतीय सेनाओं से हथियार छीन लिए गये और अनेक क्रांतिकारियों को फासी दी गयी। लाहौर पडपत्र केस इसी घटना से सम्बन्धित है।

क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ मुख्यतया बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब तक सीमित थीं। परन्तु ये प्रांतीय स्तर तक ही सीमित रहे क्योंकि उनके कार्यों को निर्देशित एवं नियंत्रित करने वाली कोई केंद्रीय संस्था नहीं थी।

क्रांतिकारियों के प्रोग्राम

क्रांतिकारियों के प्रोग्राम मुख्यतया निम्न थे —

- (i) प्रबल प्रचार द्वारा शिक्षित वर्ग के मस्तिष्क में दासता के प्रति घृणा जागृत करना।
- (ii) राष्ट्रीय वीरों और शहीदों के चरित्रों के अभिनय द्वारा मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिये जनता में उत्साह एवं प्रेम पैदा करना।
- (iii) शत्रुओं को प्रदर्शना और आंदोलनों द्वारा—बन्धेमातरम जलूस, स्वदेशी सम्मेलन, बहिष्कार सभा द्वारा—ब्यस्त रखना।
- (iv) नवयुवकों को क्रांतिकारी आंदोलन में भर्ती करना, उन्हें सैनिक प्रशिक्षण देना, अनुशासन सिखलाना तथा फासी और भ्रम के भय को मिटाना।
- (v) अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करना, बम्बों का निर्माण करना।
- (vi) चन्दे या डकतिया द्वारा धन एकत्रित करना।
- (vii) देश में क्रांति लाना, आदि।

क्रांतिकारी आन्दोलन के उद्देश्य

क्रांतिकारियों का उद्देश्य औनिवेशिक स्वराज्य या आत्म निर्यात के अधिनार की प्राप्ति नहीं था। वे राजनीतिक अधिपारो या स्वशासन की बिश्तो से भी सन्तुष्ट नहीं थे। वे तो पूण स्वाधीनता चाहते थे। वे अंग्रेजी शासन का अन्त चाहते थे। वे क्रांति द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य को अण्डस्य करना चाहते थे। जहा वाघ्रेस न 45 वष तक मघष करने के पश्चात 1930 मे पूण स्वाधीनता के लक्ष्य को विधागित किया वहा क्रांतिकारियों न 25 वष पूव ही (1905) म इम लक्ष्य को निर्धारित कर लिया था। इतना ही नहीं, क्रांतिकारियों के मस्तिष्क मे उस समय भी समाजवाद की कल्पना थी जब वाघ्रेस के मस्तिष्क म यह विचार अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। क्रांतिकारी सच्चा लक्ष्य चाहते थे। वे किसानों और श्रमिकों का शासन चाहते थे व शोषण की प्रणाली का अन्त चाहते थे। वे अममानताका का अन्त चाहते थे। क्रांति का अर्थ ममकाले हुए अमर गहीद सरदार भगतसिंह न लिया था कि "क्रांति का यह अर्थ नहीं कि इममे खून लच्छर हो। यह धम और पिस्तौल का धम नहीं है। क्रांति का सही अर्थ यह है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो जिसम किसी प्रकार का शोषण न रहे, पूजादी और साम्राज्यवादो राज्य का नष्ट होकर जनता का राज्य स्थापित हो।"

प्रान्तो में क्रांतिकारी आन्दोलन

A बंगाल मे क्रांतिकारी आन्दोलन

बंगाल क्रांतिकारी आन्दोलन का गढ़ था। यहा क्रांतिकारियों के नेता सवश्री वारीन्द्र कुमार घोष और भूपद्र दत्त थे। श्री वारीन्द्र कुमार घोष वानू अरविंद घोष के दाटे भाई थे और श्री भूपेद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानन्द के। इनका उद्देश्य क्रांति उत्पन्न करता था। 22 मई, 1908 को एक मजिस्ट्रेट के सामने अपने वक्तव्य म श्री वारीन्द्र कुमार घोष ने स्पष्ट कहा था कि "हमारी दृष्टि सुदूर भविष्य म क्रांति पर जमी हुई है और हम उसके लिए तैयार होना चाहते हैं।"¹ ये क्रांतिकारी अपने विचारों का प्रचार "युगांतर" और "सधया" नामक दो पत्रा द्वारा करते थे। बंगाल के अर्थ पत्र जो क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने थे उनम मुख्य थे "नव शक्ति" व दे मानरम्" "यू इण्डिया"। बंगाल म "अनुशोचन", "सरस्वती", "युगांतर", "ईस्ट रनर" जसी अनेक गुप्त समितिया विद्यमान थी।

बंगाल के क्रांतिकारियों ने सन् 1907 के बाद अनेक प्रकार के आतङ्कपूर्ण कार्य किये। उदाहरणतया मिदनापुर के निकट उप गवर्नर की रथगाडी को 6 दिसेम्बर, 1907 को उडाने का प्रयत्न किया गया। फरीदपुर के जिले म

1 "We are always thinking of a far off revolution to be ready for it Sedition Committee Report 191

स्टेशन पर ढाका के भूतपूर्व जिला मजिस्ट्रेट श्री एलन (Allen) पर 23 दिसम्बर 1907 को गोली चलाई गई परंतु वह घातक सिद्ध नहीं हुई। विहार में मुजफ्फरपुर के अग्रिय जज किंग्सफोर्ड (Kingsford) की बन्धु द्वारा हत्या के प्रयास में दो निर्दोष अंग्रेज महिलाओं (श्रीमती कनेडी और मिस कनेडी) की हत्या हो गई। इसके लिए प्रफुल्ल चाकी (Profulla Chakie) को फासी की सजा दी गई जो बंगालियों के लिए "वीर और शहीद" बन गया। दरोगा (Sub Inspector) नदलाल की हत्या नवम्बर 1908 को की गई, आशुतोष त्रिश्वाम की हत्या 10 फरवरी 1909 को की गई। उप पुलिस अधीक्षक शमशुल आलम (Dy Supdt of Police Shamsul Alam) की हत्या 24 जनवरी 1910 को की गई। श्रीश चंद्र चक्रवर्ती (Srish Chandra Chakravarti) की हत्या कलकत्ता में 11 दिसम्बर 1911 को की गई आदि।

सन् 1913 और 1915 के दौरान बंगाल में तथा पंजाब में क्रांतिकारी आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर था। राजनीतिक हत्याएँ, राजनीतिक हकिय्या, लूट और सड़का पर रोक लना (holds up on roads) आदि सामान्य घटनाएँ थीं। बंगाल में सन् 1913 में 16 और सन् 1914 में 29 अराजकतापूरा (outrages) प्रहार किये गये।

क्रांतिकारियों के विरुद्ध अनेक प्रकार के पडयान मुकदमे (Conspiracy Cases) चलाये गये। इनमें प्रमुख थे अलीपुर पडयान केस तथा पडयान केस, बारीमाल पडयान केस और हावड़ा पडयान केस। इनमें अनेक देशभक्तों पर मुकदम चलाये गये, अनेक को फासी की सजा दी गई अनेक को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया, अनेक का आजीवन देश निवासन का दण्ड मिला आदि।

B महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आन्दोलन

महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आन्दोलन बंगाल से भी पहले विद्यमान था। वासुदेव बलवंत फडके (Vasudev Balwant Phadke) और चापकर भाई (दामोदर चापकर और बालकृष्ण चापकर) महाराष्ट्र में प्रारम्भिक क्रांतिकारी आन्दोलन के पिता थे। श्री फडके अपने भाषणा में स्पष्ट कहते थे कि "म अंग्रेजों को भगाकर जनता का राज वापस करूँगा।" चापकर भाई अपनी कविताओं और श्लोकों द्वारा लोगों में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने में बड़े योगदान देते थे। वे प्राण देने से पूरा प्राण लेने की बात कहते थे। अपनी कविताओं में वे इस प्रकार के क्रांतिकारी शब्दों का प्रयोग करते थे 'राष्ट्रीय युद्ध के लिए हम समस्त भूमि में प्राणों की बाजी लगायेंगे, हम अपने रक्त से पृथ्वी को रंग देंगे, यं शत्रु हमारे धर्म का नाश करने वाले हैं हम उन्हें मार कर ही रहेंगे क्या आपने अपनी दासता पर लज्जा नहीं आती य

दुष्ट गाया और बछड़ों की हत्या करते हैं मर जाओ परंतु अंग्रेजों को मार दो यह देश हि दुस्तान कहलाता है फिर यहाँ अंग्रेजों का राज्य क्यों है।¹ चापकर भाइयों ने 1899 में पूना के बदनाम प्लेग कमिश्नर रण्ड और उसके साथी लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या इसी उद्देश्य से की थी।

महाराष्ट्र के अग्र प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर भाई (गणेश सावरकर और विनायक सावरकर) थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा तो सन् 1905 में लण्डन चले गये और वहाँ उन्होंने इण्डिया होम रूल सोसाइटी (Indian Home Rule Society) की स्थापना की। विदेशों में श्यामजी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारियों के पिता थे।

सावरकर भाइयों ने गणपति उत्सव मनाने के लिए मित्र मेला (Mitra Melā) नाम से एक सोसाइटी सन् 1899 में शुरू की। सन् 1906 में इस सोसाइटी को क्रांतिकारी गठन में बदल दिया गया और इसका नाम 'अभिनव भारत सोसाइटी' (Abhinav Bharat Society or Young India Society) रखा गया। डा० आर० सी० मजुमदार का विश्वास है कि पूना तथा बम्बई में कम ही ऐसी शिक्षा संस्थाएँ थीं जिनमें एक न एक 'गुप्त समिति या अभिनव भारत की शाखा न हो। इस सोसाइटी की एक शाखा ग्वालियर में नवभारत सोसाइटी (New Bharat Society) के नाम से और सतारा में अभिनव सोसाइटी (Abhinav Society) के नाम से स्थापित की गई थी। सन् 1905 में, स्वदेशी आंदोलन के समय वीर सावरकर ने पूना में विदेशी कपड़े की हाली जलाई जिसमें दक्षिण भारत में हलचल पैदा कर दी। नासिक पड़यंत्र केम, ग्वालियर पड़यंत्र केस और सतारा पड़यंत्र केस इन्हीं सोसाइटियों से सम्बन्धित थे।

विनायक दामोदर सावरकर 'छात्रवृत्ति' लेकर इंग्लैंड चले गये और वहाँ जाकर इण्डिया हाउस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गये। यहाँ उन्होंने मजिनी की स्वलिखित जीवन कथा का अनुवाद मराठी में किया तथा 1857 के विद्रोह पर "भारतीय स्वतंत्रता युद्ध" (The Indian War of Independence) के नाम से एक पुस्तक लिखी। दामोदर ने इन दोनों पुस्तकों को अपने भाई गणेश के पास भेज दिया। ये पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए पाठ्य पुस्तकें बन गईं। दामोदर इंग्लैंड से महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की गतिविधियों का निर्देशन देता था, उन्हें बम्ब

1 Sedition Committee Report 1918, p 2 Quoted by Singh G N Ibid P 149

2 ये छात्रवृत्तियाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एम० आर० गाना की मारपना से भारतीय विद्यार्थियों के लिए शुरू की थीं जो इंग्लैंड में राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता थे।

निर्माण की विधि लिखता था, क्रांतिकारी साहित्य तथा अस्त्र शस्त्र (20 पिस्तौलें भेजी थी) भी भेजता था तथा उन्हें राजनीतिक हथियारों करने तथा आतंकपूर्ण कार्यों को करने के लिए प्रेरित भी करता था ।

इसी बीच 'लघु अभिनव भारत मेला' के शीपक के अंतर्गत भडकाने वाली कविताओं के अपराध में गणेश सावरकर को 9 जून, 1909 को आजीवन देश निर्वासन का दण्ड मिला । गणेश सावरकर इस प्रकार के क्रांतिकारी शब्द अपनी कविताओं में लिखते थे "तलवार हाथ में ली और सरकार का मिटा दो क्योंकि वह विदेशी और दमनकारी है ।"¹ विनायक का इसकी सूचना मिलते ही उसने "अग्नेजो से बदला लेने की अपनी शपथ का दोहराया ।"

जिन व्यक्तियों ने गणेश सावरकर को छाटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दण्ड दिया था उनकी हत्या करने की योजना बनाई गई । सर विलियम क्जिन वाइली, जो भारत मंत्री के प्रमुख परामशदाता थे, की हत्या लन्दन में इम्पीरियल इस्टीमेट के सम्मेलन के अवसर पर 1 जुलाई 1909 को श्री मदनलाल ढीगरा द्वारा की गई । नासिक के जिला मजिस्ट्रेट श्री जकसन की हत्या आनंत काहरे द्वारा 21 दिसम्बर, 1909 को कर दी गई । यद्यपि इन अपराधों के लिए इन्हें फासी का दण्ड दिया गया था परन्तु इससे क्रांतिकारी आंदोलन की प्रकृति और उमके कारण स्पष्ट हो जाते हैं । श्री ढीगरा की जेब में जा कागज प्राप्त हुआ उममें सर विलियम क्जिन वाइली की हत्या के कारण स्पष्ट होते हैं । इस पत्र में यह शब्द लिखे थे "मैंने एक अग्रज का खून भारतीय नवयुवकों को फासी और देश निर्वासन के दण्ड देने के विरुद्ध बड़ा विराध प्रकट करने के लिए जानबूझ कर बहाया है ।"² नवम्बर 1909 में अहमदाबाद में लाड और लेडी मिटो की गाडी (Carriage) को उड़ाने का असफल प्रयास भी किया गया ।

C पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन

पंजाब का क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन के समान नहीं था । यहाँ किसी प्रकार की गुप्त संस्थाएँ स्थापित नहीं की गई थी और न ही राजनीतिक हत्याओं या राजनीतिक इकतिया का सहारा लिया गया था ।³ यहाँ पर उपद्रवा का कारण "असंतोष" और स्थानीय सरकार की गलत तथा विवशुय नीतिया थी ।

- 1 'Take up the sword and destroy the Government because it is foreign and oppressive' Sedition Committee Report p 8
- 2 Madan Lal Dhingra Quoted in Acharya Balshastri Hardas Armed Struggle for Freedom p 210
- 3 मर्च 1912 में नाड हार्डिज के प्राण हरण का असफल प्रयास उस समय किया गया था जब वह दिल्ली में प्रवेश कर रहा था और चादनी चौक नेशनल बैंक पास एक बम फटा ।

पंजाब का क्रांतिकारी आन्दोलन मुख्यतः भूमि सम्बन्धी आन्दोलन था। यहाँ असातोप का कारण 'उपनिवेशीकरण विधेयक' (Colonisation Bill) था। इस विधेयक से माल गुजारी में विशेष वृद्धि हुई, चनाब क्षेत्र (Chenab Colony) में भूमि की चकबंदी को हतोत्साहित किया तथा सम्पत्ति के विभाजन के अधिकारों में हस्तक्षेप किया।

पंजाब के क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे—सरदार अजीतसिंह (जो सरदार भगतसिंह के चाचा थे), भाई परमानन्द, बालमुकन्द, लाला हरदयाल। सरदार अजीतसिंह ने अपने सहयोगियों और मित्रों के साथ मिलकर एक सस्था स्थापित की जिसे "अजुमन-इ-मुहिब्वान वतन" कहते थे। यह सस्था "भारत माता" के नाम से प्रसिद्ध थी। उपनिवेशीकरण विधेयक का विरोध करने के लिए सरदार अजीतसिंह ने सैयद हैदर रिजा (Syed Hyder Riza) से मिलकर इण्डियन पैट्रिआट्स एसोसियेशन (Indian Patriots Association) नाम की सस्था स्थापित की। इस सस्था ने लायलपुर, रावलपिण्डी, लाहौर तथा अन्य स्थानों पर अनेक सभायें की तथा सरदार अजीतसिंह ने जोशीले भाषण दिये। उन्होंने किसानों को विद्रोह के लिए भड़काया और किसानों को न देने की प्रतिज्ञा की। जब सन् 1907 में "इण्डिया" (India) और "दी पंजाबी" (the Punjabee) के सम्पादकों और मालिकों का एक पत्र के छापने पर (जो अमरीका से आया था और जिसमें भारतीय सेना को भड़काया गया था) भयानक सजायें दी गईं तो उस समय उत्साह और उद्वेग के कारण उपद्रव हुए। सत्यपाल और प्रबोधचन्द्र ने ठीक लिखा है कि "सरदार अजीतसिंह, सूफी अम्बाप्रसाद, लाला पिण्डीदास और लालचन्द फलक ने पंजाब के लोगों में जागृति लाने के लिए वही काय किया जो कि बकिमचन्द्र चटर्जी और दूसरे बंगाली लेखकों ने बंगाल में किया।"¹

पंजाब में स्थिति उस समय शांत हो गई जब वायसराय लार्ड मिण्टोन उपनिवेशीकरण विधेयक को निषिद्ध (veto) कर दिया।

D अय प्रांतों में क्रांतिकारी आन्दोलन—मद्रास, राजस्थान, बनारस

भारत के अय प्रांतों में भी क्रांतिकारी आन्दोलन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। मद्रास, राजस्थान और बनारस में क्रांतिकारियों की गुप्त समितियाँ विद्यमान थीं। अप्रैल, 1907 में विपिनचन्द्र पाल ने मद्रास प्रेसीडेंसी का दौरा किया और वहाँ लोगों में दशभक्ति और स्वदेशी की भावनाओं का संचार किया। अक्टूबर, 1907 में अरविन्द घोष के विरुद्ध राजद्रोह के मुकदमे में गवाही देने से इन्कार करने पर विपिनचन्द्र पाल को 6 महीने का दण्ड दिया। विपिनचन्द्र पाल के दो प्रशंसकों

1 See Satyapal and Prabodh Chandra Sixty years of Congress p 256

सुब्रह्मण्यम शिव (Subramniam Siva) और चिदम्बरम पिल्लै (Chidambaram Pillai) ने सावजनिक सभाओं द्वारा, स्वराज्य के ऋण्डे को लहरा कर तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार द्वारा 9 मार्च 1908 के दिवस को उनके छूटने की गुशी में मनाने की योजना बनाई। 12 मार्च 1908 को सभा के आयोजन कर्त्ताओं को बंदी बना लिया गया। 13 मार्च, 1908 को टिनेवली में उपद्रव हुए जिसमें "सर्कारी सम्पत्ति को जानबूझ कर नष्ट किया गया, पुलिस चौकियों पर हमले किये गये तथा इमारतों को जलाया गया।" पत्रों के सम्पादकों और आन्दोलन के नेताओं पर अभियोग चलाये गये। क्रातिकारियों ने अपना सगठन पाटंचेरी (Pondicherry) में स्थापित किया। यहाँ इनके नेता तिरमल आचार्य और वी० वी० एस० ऐयर थे जो मदरसा का पिस्तौल का मिशाना लगाने का अभ्यास करते थे। नीलवात ब्रह्मचारी 1 कुछ गुप्त समितियों का भी संगठन किया। वाची ऐयर (Vanchi Aiyer) ने 17 जून 1911 को टिनेवली के जिला मस्जिद ट्रेड को गोली मार दी। टिनेवली पडयत्र अभियोग इ ही गुप्त समितियों से सम्बंधित था जिसमें अनक सदस्या का फांसी दी गई तथा अन्य कठोर दण्ड दिये गये।

राजस्थान में क्रातिकारी आन्दोलन के प्रमुखा नेता अजुन लाल सेठ, भारत बेसरी सिंह और राव गोपात थे। बनारस भी कुछ समय तक क्रातिकारी गतिविधियों का केन्द्र रहा।

E विदेशों में क्रातिकारी गतिविधियाँ—लंदन, पेरिस, बर्लिन, फेलीफोनिया

क्रातिकारियों की गतिविधियाँ केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी सत्रिय थीं। इंग्लंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा क्रातिकारियों के पिता थे। एस० आर० राना वामा, मेडम कामा, विनायक दामोदर, मदनलाल ढीगरा, अय प्रमुख क्रातिकारी थे। अमरीका में लाला हरदयाल श्री करतारसिंह सराभा, प० जगत राम हरियानवी वावू तारकनाथ दास वी० जी० पिंगले भाई परमानंद आदि प्रमुख क्रातिकारी थे। ये क्रातिकारी पत्र पत्रिकाओं द्वारा नवयुवकों में क्रातिकारी विचारधारा का विकास करते, उन्हें सनिक प्रशिक्षण देते, अस्त्र शस्त्रों का एकत्रित करते तथा उन्हें भारत भेजते थे।

विदेशों में क्रातिकारियों की गतिविधियाँ का मुख्य केन्द्र लंदन में "इण्डिया हाउस" (India House) था जहाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा "इण्डियन होम रूल सोसायटी" (Indian Home Rule Society) की स्थापना की गई थी। इस सोसायटी द्वारा सोशियोलोजिस्ट (Sociologist) में एक पत्रिका निकाली जाती थी जो क्रातिकारी विचारों का प्रचार करती थी। लंदन में इण्डिया हाउस

की गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाने पर श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गये परन्तु वहाँ में भी वे इस पत्र द्वारा नातिवारिया को निर्देशन देते रहे । दिसम्बर 1907 के सोशियालोजिस्ट में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने (श्यामजी कृष्ण वर्मा ने) लिखा कि "भारत में किसी आन्दोलन को गुप्त रूप से ही चलाया जा सकता है । अंग्रेज सरकार को होश में लाने के लिए रूसी उपाय ही एक मात्र उपाय हैं । जब तक अंग्रेजों का अत्याचार समाप्त न हो जाय और वे देश से भाग न जायें तब तक उन उपायों को निरन्तर दृढ़तापूर्वक काम में लाना चाहिए ।"¹ "बन्दे मातरम्" के नाम से एक पत्र जीनेवा (Geneva) से प्रकाशित होता था । इसका सम्पादन मेडम कामा करती थी ।

जब दामोदर सावरकर इंग्लैंड में सन् 1906 में पहुँचे तो उन्होंने "इण्डिया हाउस" की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया । जब श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गये तो "सोशियालोजिस्ट" का सम्पादन दामोदर सावरकर ही करते थे । इन्होंने इंग्लैंड में रह कर मजिनी की आत्म बयां का अनुवादन मराठी में किया तथा उसे प्रकाशित करने के लिये भारत भेज दिया । उन्होंने सन् 1857 के विद्रोह पर "भारतीय स्वतन्त्रता युद्ध" के नाम से एक पुस्तक भी लिखी । उन्होंने 20 पिस्तौलें भारत के नातिवारिया के प्रयोग के लिए भेजीं । सर विलियम कजन वाइली की हत्या भी मदनलाल दीगरा ने बदले की भावना से की थी ।

अमरीका में नातिवारिया के नेता लाला हरदयाल थे । उन्होंने कैलिफोर्निया में गदर पार्टी की नींव रखी और सन् 1913 में "हिन्दुस्तान गदर" नाम से एक पत्रिका भी प्रकाशित करनी शुरू कर दी । 'गदर पार्टी' का उद्देश्य "भारत में राज-नीतिक शक्ति लाना तथा अंग्रेजों के चंगुल से भारत को छुटकारा दिलाना था ।" एक सभा में लाला हरदयाल ने कहा कि "विदेशों में रहने वाले भारतीयों को एक हाकर मातृभूमि को स्वतन्त्र कराने के लिए प्रथम महायुद्ध के छिड़ने पर विदेशी राज्य पर गहरा आघात करना चाहिए ।' गदर पार्टी न बर्लिन समिती से मिल कर काम करना भी शुरू किया और 22 फरवरी 1915 को जमनी की सहायता से विद्रोह की योजना बनाई परन्तु कृपाल सिंह की देशद्रोहिता के कारण यह योजना असफल हो गई और अनेक देशभक्तों को फाँसी की सजा दी गयी ।

अमरीका के प्रशांत महासागर के तट पर दो और संस्थायें विद्यमान थीं । एक का नाम था "इण्डो अमरीकन एसोसियेशन" (Indo American Association) और "यंग इण्डिया एसोसियेशन" (Young India Association) । इन संस्थाओं का

मुख्य के द्र कलिफोनिया था। यूयाक, शिकागो, तथा अमरीका के अन्य महत्वपूर्ण नगरो मे भी इनकी शाराएँ थी। "इण्डा अमरीकन एसोसियेशन" अपन पत्र "फ्री हिन्दुस्तान" (Free Hindustan) द्वारा कातिकारी विचारा का प्रचार करती थी। "यंग इण्डिया एसोसियेशन" आयरलैंड की क्रांतिकारी सस्थाओ के ढग पर सगठित थी। सर बलेनटाइल शिरोल लिखते है कि "इन दोनो सस्थाओ का भारत के भिन्न भिन्न स्थानो—दक्षिण, बंगाल, पजाब—की सस्थाओ मे सगब व था और उनका राजद्रोहपूर्ण समाचार पत्र और साहित्य मुद्रित एव प्रकाशित करने वाला से पत्र व्यवहार हाता रहता था।"¹

क्रातिकारी आन्दोलन की असफलता

क्रातिकारी आन्दोलन मे अनक प्रकार की कमजोरिया थी जिसके कारण यह अधिक लाकप्रिय न बन सका और कुछ समय बाद यह शिथिल पड गया। इसकी असफलता के मुख्य कारण निम्न थे —

1 **केन्द्रीय सगठन का अभाव (Lack of Central Organization)** क्रातिकारी आन्दोलन की सबसे बडी कमजोरी यह थी कि इसके पास कोई केन्द्रीय सगठन नहीं था जो भिन्न भिन्न गुप्त समितियां मे पारस्परिक सम्बन्ध सहयोग या समन्वय उत्पन्न कर सकती। प्रांता मे जो भिन्न भिन्न गुप्त समितियां थी वे व्यक्तिगत स्तर पर स्थापित की गई थी। निर्देशन देने वाली सामान्य सस्था के अभाव मे क्रातिकारी जनता के सामने न तो कोई सयुक्त कायन्म प्रस्तुत कर सके और न ही कोई रचनात्मक काय दे सके। क्रातिकारी व्यक्तिगत बदले की भावना से काय करते थे।

2 **यह असन्तुष्ट नवयुवको का आन्दोलन था (It was a movement of dissatisfied young men)** क्रातिकारी आन्दोलन कभी भी जन आन्दोलन न बन सके। जनता का समर्थन तो दूर उच्च शिक्षित वर्ग की हमदर्दी भी इसे प्राप्त नहीं थी। इसका मुख्य कारण यह था कि क्रातिकारी हिंसा, हत्या, डकती, भय और आतंक के साधनो मे विश्वास करते थे जिन पर उस समय के वरिष्ठ नेताओ (सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, गापालकृष्ण गालले, फिरोजशाह मेहता) का विश्वास नहीं था। इतना ही नहीं, उदारवादियो ने तो इस आन्दोलन का कुचलने के लिए सरकार से कठोर साधनो के प्रयोग का अनुरोध भी किया। उदाहरणतया सुरेन्द्र नाथ बनर्जी तथा आशुतोष मुखर्जी ने सरकार से ऐसा अनुरोध किया।

3 **गांधीजी का राजनीति मे प्रवेश (Gandhi's entrance into Politics)** गांधीजी का भारतीय राजनीति मे प्रवेश क्रातिकारी आन्दोलन के लिए घातक सिद्ध हुआ। गांधीजी का आन्दोलन हिंसा रहित निष्क्रिय प्रतिरोध का था जिससे जन

सभूह अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसका नातिकारी साधनों पर जो भी थोड़ा बहुत विश्वास था वह भी समाप्त हो गया। गांधीजी शत्रु को कष्ट देने के स्थान पर स्वयं को कष्ट देना पसंद करते थे। उनके अहिंसक अस्त्र थे सत्याग्रह, हड़ताल, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास आदि। एक बार भारतीय राजनीति में इन साधनों का प्रवेश होने से स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये साधन राष्ट्रीय आन्दोलन पर छाये रहे।

4 सरकार की दमनकारी नीति (Repressive Policy of Government) ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए बड़े अमानुषिक ढंग से व्यवहार करती थी। क्रांतिकारियों के लिए "संक्षेप अभियोग" (Summary trials) की व्यवस्था की गई। उनके लिए फाँसी, आजीवन देश निर्वासन, कठोर कारावास तथा अत्यमानुषिक यातनायें सामान्य बातें थीं। अण्डमान इन क्रांतिकारी अपराधियों का सरकार ने घर बना दिया था। इतना ही नहीं, नागरिकों के सामान्य अधिकारों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे जैसे सावजनिक सभाओं तथा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध थे। थोड़ी सी शक्ति साधारण नागरिकों को जेल में डालने के लिए पर्याप्त थी।

5 क्रांतिकारियों के पास साधनों का अभाव था (Revolutionaries lacked means)—क्रांतिकारियों के पास धन और शस्त्रों का अभाव था। लोग उन्हें चंदा देने से घबराते थे क्योंकि सरकार चंदा देने वालों पर अत्याचार से व्यवहार करती थी। दूसरे, उर्ध्वतया द्वारा प्राप्त किया हुआ धन पर्याप्त नहीं होता था। तीसरे, अस्त्र-शस्त्रों की कमी थी। यद्यपि गुप्त समितियाँ थीं जो बम आदि का निर्माण करती थीं परन्तु सरकार की सगठित और शस्त्रों से लैस सैनिक शक्ति का सामना करने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं था।

क्रांतिकारी आन्दोलन का महत्त्व

यह सत्य है कि क्रांतिकारी आन्दोलन असफल हुआ परन्तु इसका महत्त्व इसकी असफलता में नहीं बल्कि इसके द्वारा उत्पन्न की गई भावनाओं में विद्यमान है। सरकारी दमन के कारण यह आन्दोलन अधिक लोकप्रिय बन सका परन्तु यह लोगों के हृदय में राष्ट्रप्रेम और वलिदान की भावनाओं पैदा कर गया। इन देशों का "हत्यारो" की सजा देना गलत है, वस्तुतः ये उन लोगों की हत्याएँ करते थे जो देश के निर्दोष नवयुवकों के साथ अत्याचार करते थे। इन देशभक्तों के माह्न, त्याग और वलिदान से भयभीत होकर ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में सुधारों और आतंक के दोहरे अस्त्रों को अपनाया। इन बीरों ने "पूर्ण स्वतंत्रता" का वचन तब लिया जब कांग्रेस इसकी कल्पना भी नहीं करती थी। सरकार जितना ही इन देशभक्तों पर अत्याचार करती थी क्रांतिकारी उतना ही स्ववलिदान का उपहार प्रस्तुत कर राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करते थे। हंसत-हंसत, राष्ट्रीय गीत गाते हुए मातृभूमि का प्रणाम करते हुए जिस ढंग से क्रांतिकारी फाँसी के रस्में की पूँ

ये दृश्य जन माधारण मे अवश्य ही उरमाह, त्याग और विदेशी शासन के प्रति घणा उत्पन्न करते थे। यही कारण है कि आतिवारी भावनाओं का कभी अंत नहीं हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण तक ये भारत में विद्यमान रही। सरदार भगतसिंह, चंद्रशेखर आजाद, बी० के दत्त, जितेंद्रदत्त तथा सुभाष बोस इसी विचारधारा की सतान थे, इण्डियन नेशनल आर्मी (INA) और नव-सेना विद्रोह इसी के फल थे। इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि राष्ट्रीय जागृति में कांग्रेस का सवधानिक आंदोलन और आतिकारिया के साधन एक दूसरे के पूरक थे।

उदारवादी और उग्रवादी नेता

1 गोपाल कृष्ण गोखले (1866-1915)

जीवन परिचय—श्री गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र के एक नियत चितपावन ब्राह्मण परिवार में रतनागिरी जिले में कोल्हापुर नाम के स्थान पर मई 9, 1866 को हुआ था। जब वे 13 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। सन् 1884 में 18 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐल्फिंस्टोन कॉलेज (Elphinstone College) बम्बई से वडी गरीबी की दशा में बी० ए० की परीक्षा पास की। पूना में एक स्कूल में वे अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। यही स्कूल बाद में फर्ग्युसन कॉलेज (Fergusson College) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहीं पर वे इतिहास और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बने तथा बाद में इसी कॉलेज में आचार्य के पद पर आसीन हुए। इन्होंने बक की पुस्तक 'रिफ्लेक्शंस ऑन दी रेवोल्यूशन इन फ्रांस' (Reflections on the Revolution in France) का गहन अध्ययन किया था तथा इसी कारण उनके विचारों में रुढ़िवादिता की छाप नजर आती है।

श्री गोखले का सावजनिक जीवन उसी समय से शुरू हो जाता है जब सन् 1886 में वे दक्षिण शिक्षा समाज (Deccan Education Society) के सदस्य बने। उन्होंने बीस वर्ष तक 70 रु० मासिक वेतन लेकर इस समाज के अधीन कार्य किया। दक्षिण सभा के वे अवतनिक सचिव भी रहे। अनेक वर्षों तक उन्होंने सावजनिक सभा की पत्रिका का सम्पादन भी किया। चार वर्ष तक उन्होंने "सुधारक" का सम्पादन भी किया। सन् 1889 में वे कांग्रेस के सदस्य बने। सन् 1895 में वे कांग्रेस की बम्बई शाखा के मंत्री रहे। सन् 1899 में वे बम्बई व्यवस्थापिका सभा के लिए प्रदेश के केन्द्रीय क्षेत्र की नगरपालिका के प्रतिनिधि चुन गए। सन् 1902 में वे केन्द्रीय विधान परिषद के सदस्य चुने गये और अपनी मृत्यु तक¹ वे इसके सदस्य रहे। सन् 1903 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री

1 गोखले जी की मृत्यु फरवरी 19, 1915 का हुई।

गन । सन् 1904 में उहे सी० आई० ई० (C I E)¹ की उपाधि से सुशोभित किया गया । सन् 1905 में वह बनारस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए । सूरत में सन् 1907 में कांग्रेस विभाजन में वे अत्यंत दुःखी हुये । यद्यपि वे कांग्रेस के दोनों वर्गों (नरम दल और गरम दल) में समझौता कराने का प्रयास करते रहे परंतु वे 1916 में दाना वर्गों के विलयन को देखने के लिए जीवित न रहे ।

श्री गोखले सात बार² इंग्लैंड गए । सन् 1897 में उन्होंने वेल्बी आयोग (Welby Commission) और सन् 1908 में हाब्हाउस विवेकीकरण आयोग के समक्ष गवाही दी । सन् 1912 में सावजनिक सेवाओं के लिए बनाये गये इसलिंग्टन शाही आयोग के व सदस्य नियुक्त हुए । गांधीजी के नियंत्रण पर गोखले 1912 में दक्षिण अफ्रीका गये और 1913 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया । इस तरह गोखले एक बार सावजनिक जीवन में प्रवेश पाने के बाद जीवन पथ पर उसमें सलग्न रहे ।

श्री गोखले का व्यक्तित्व गत्यधिक प्रभावशाली था । उनके व्यक्तित्व की विशेषता यह थी कि वे बठोर स बठोर शब्दों को भी नम्र भाषा में व्यक्त कर साते थे । उनके आकड़े एक तथ्य सुनिश्चित एक तकपूरण होते थे । उनके बजट सम्बन्धी भाषण उनके व्यक्तित्व के प्रतीक थे । वे ब्रिटिश शासन के भक्त थे परंतु नौराजाही की आलाचना करने से घबराने नहीं थे ।

श्री गोखले पर महादेव गोविंद रानाडे के विचारों का अत्यधिक प्रभाव था । सन् 1887 से 1901 तक वे उन्हीं के शिष्य रहे । गोखले जी गुरु की भाँति उदारवादी नृपतिवर्ण के थे । जसा कि डॉ० जकारिया ने लिखा है कि "जिसी गुरु को और अधिक अर्द्धा शिष्य नहीं मिला जितना कि रानाडे को गोखले के रूप में मिला ।" श्री गोखले मित्ताचार (moderation) से कभी विचलित नहीं हुए । श्री गोखले फिरोजशाह मेहता के विचारों से भी प्रभावित थे । वे कहा करते थे कि "फिरोजशाह के बिना उचित काम करने की अपेक्षा मैं उनके साथ मिल कर अनुचित काय करना भी पसंद करूँगा ।"³

श्री गोखले उदारवादी थे । वह की भाँति उह "सावधानी की नीति, नमिक विकास और बुद्धि सगत प्रगति" (caution slow progress and rational

1 C I E stands for Companion of the Order of the Indian Empire

2 गोखले सन् 1897, 1905, 1906, 1908, 1912, 1913 और 1914 में इंग्लैंड गए ।

3 Quoted by Varma, Dr V P Modern Indian Pol Thou-
p 209

progress) में विश्वास था। वे सर्वैधानिक आन्दोलन के समर्थक थे, उग्र आन्दोलन के नहीं। उन्हें बहिष्कार की नीति पसन्द नहीं थी। वे अतिवादी उपायो और सावजनिक उत्पात के विरुद्ध थे। वे प्रायतन पत्रों, आवेदन पत्रों और शिष्टमण्डलों में विश्वास करते थे।

श्री गोखले राष्ट्रवादी तथा पक्के देशभक्त थे। उनका कहना था कि "कष्ट सहन के बिना, मैत्री भाव के बिना तथा जीवन की सरलता के बिना राष्ट्रवाद एक जीवित शक्ति नहीं बन सकता।" वे राष्ट्र का एकीकरण चाहते थे तथा लोमा की सामाजिक कुशलता, नैतिक चरित्र और बौद्धिक कुशलता का विकास चाहते थे। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 12 जून, 1905 को भारत सेवक समाज (Servants of India Society) की स्थापना की। इस समाज द्वारा वे ऐसे देश भक्तों को तैयार करना चाहते थे जो निस्वार्थ भावना से, अनुशासन में रह कर, मातृभूमि की सेवा करें। इस समाज के मूल उद्देश्य थे, "देश भक्ति की भावनाओं पैदा करना, राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना तथा जातियों में सहयोग और सद्भावना का विकास करना।" स्त्रियों और पिछड़ी हुई जातियों का ये विशेष रूप से उत्थान चाहते थे।

श्री गोखले स्वशासन के देवदूत थे और नौकरशाही की क्रूरता, निदयता और अनुत्तरदायित्व और सावजनिक इच्छा की उपेक्षा के विरोधी थे। विधान परिषदा में वे निडर भावना से सावजनिक विरोधी नीतियों की कटु आलोचना करते थे। बग भग की गाखले जी ने बटु आलोचना की। वस्तुतः गोखले उस साम्राज्यवाद को निम्न श्रेणी का साम्राज्यवाद कहते थे जो जातीय सर्वोच्चता और अहंकार पर आधारित था।

श्री गोखले ब्रिटिश शासन के भक्त थे। वे ब्रिटिश साम्राज्य को ईश्वरीय विधान की योजना का ही एक अंग समझते थे। ब्रिटिश 'यायप्रियता' में उन्हें पूर्ण विश्वास था। ब्रिटिश 'यायप्रियता' में उनका विश्वास उस समय भी नहीं डगमगाया जब दादाभाई नौरोजी जैसे सर्वैधानिक प्रिय नेता भी सन् 1909 के अधिनियम की धाराओं से निराश हो गए थे। इतना ही नहीं, श्री गोखले ने 1909 के अधिनियम का पूर्ण समर्थन किया। उनका कहना था कि ब्रिटिश समाज की आत्मा उदारवादी है जो भारत के साथ 'याय' करेगी। श्री गोखले भारत के उज्ज्वल भविष्य की कामना ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ही करते थे। वे कहा करते थे 'मुझे अपने देश के लक्ष्य और चेतना में पूरा विश्वास है, मैं इसकी असंमित क्षमताओं में विश्वास करता हूँ परंतु भारत का यह शानदार भविष्य ब्रिटिश ताज की अवाध सर्वोच्चता में ही प्राप्त किया जा सकता है।'¹

**“क्या गोखले कमजोर दिल उदारवादी थे ?” या
“क्या वे छुपे हुए राजद्रोही थे ?”
Was Gokhale “a faint hearted moderate” ? or
“a Seditious in disguise” ?**

गोपाल कृष्ण गोखले के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। उनके विचारों की उदारवादिता और सर्वधानिकता के कारण उग्रवादी उन्हें ‘कमजोर दिल उदारवादी’ नेता कहते थे और उनकी देश भक्ति और अगाध राष्ट्रीय प्रेम के कारण ब्रिटिश शासक तथा प्रतिक्रियावादी उन्हें “ठुपा हुआ राजद्रोही” कहते थे। परन्तु श्री गोखले के सम्बन्ध में ये दोनों विचार अतिशयोक्तिपूर्ण ही नहीं अपितु मिथ्या और भ्रमपूर्ण भी हैं। ये दोनों विचार उनकी योग्यता, प्रतिभा और विचारधाराओं के सही मूल्यांकन से परे हैं।

क्या गोखले कमजोर दिल उदारवादी नेता थे ?

श्री गोखले कमजोर दिल उदारवादी नेता नहीं थे। वे उदारवादी अवश्य थे, उनमें सर्वधानिकता कूट कूट कर भरी हुई थी परन्तु वे कमजोर दिल नहीं थे। उनमें व्यक्तित्व और साहस की कमी नहीं थी। वे सरकार की निर्भीक आलोचना करने में कभी धवरते नहीं थे। वेल्बी आयोग (Welby Commission) और हाब्सबाउस विवेकीकरण आयोग के समक्ष उनकी गवाही, ब्रिटिश नौकरशाही की नूरता और निदयता की कटु आलोचना, उनके ये विचार कि “नौकरशाही के साथ जनहित की दृष्टि से सहयोग करने की सारी आशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई,” सन् 1906 में सेडिशन मीटिंग बिल (Sedition Meeting Bill) पर उनके द्वारा व्यक्त किया गया विरोध, तमक पर से कर हटाने के लिए उनके द्वारा किया गया प्रयास अनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा पर बल, सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ सम व्यवहार की मांग, भारतीय वित्त पर नियंत्रण को दूर करने तथा सरकारी खर्चों को कम करने के सुझाव, ये तथा अन्य बातें गोखले के “कमजोर दिल” होने के प्रमाण नहीं बल्कि ये उनकी निर्भीकता, निडरता और यायप्रियता को अभिव्यक्त करत हैं।

श्री गोखले में मध्यम वृत्ति और तब-सम्मतता कूट-कूट कर भरी हुई थी। उनकी राजनीतिक प्रतिभा और परिपक्वता का ही यह परिणाम था कि वे कठोर से कठोर बात को भी नरम भाषा में कह सकते थे और कठोर विरोध को भी मधुर शब्दों में व्यक्त कर सकते थे। सरकार की नीतियों की आलोचना वे ऐसे शब्दों में किया करते थे “ब्रिटिश शासन से देश में अब शांति और व्यवस्था हुई है परन्तु यह यथोचित है पाश्चात्य शिक्षा न स्वतंत्र विचारों का विकास किया है परन्तु भारतीयों को सत्ता से वंचित किए जाने से विकास रुक गया है।

हमारी प्राकृतिक योग्यतायें काम में न आने के कारण कम हाती जा रही हैं अनेक आर्थिक बुराइया भी उत्पन्न हुई हैं इन सबका एक मान हल यही है कि भारत में क्रमिक रूप से स्वशासन स्थापित किया जाना चाहिये।”

श्री गोखले नरमवादी (उदारवादी) थे, गरमवादी (उग्रवादी) नहीं थे। वे आन्दोलन के सवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे, क्रांतिकारी या उग्र साधना में नहीं। वे याचिकाओं, प्रार्थनाओं, भेंटों आदि में विश्वास करते थे। उनका वायक्ष्य विधान परिषद् के वक्ष्य थे, गांव की चौपाल नहीं। वे शिक्षित जनता को अपील करते थे, सबसाधारण को नहीं। वे सतकता, क्रमिक विकास और ताकिक प्रगति में विश्वास करते थे। समस्याओं के समाधान में वे विचार-विमर्श, समय और समझौता वृत्ति का पालन करते थे। वे सहयोग चाहते थे असहयोग या बहिष्कार नहीं, वे सुधार चाहते थे, क्रांति नहीं। वे समन्वय चाहते थे, विरोध नहीं। वे मानव प्रकृति की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे, उसकी निकृष्टता में नहीं। वे राजनीति का आध्यात्मीकरण चाहते थे। वे साध्य साधन की पवित्रता पर बल देते थे। अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए वे कभी भी बुरे साधनों का सहाय नहीं लेते थे। गोखले जी के इन्हीं विचारों से प्रभावित हो कर गांधीजी ने उच्च अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया।

क्या गोखले छुपे हुए राजद्रोही थे ?

श्री गोखले के सम्बन्ध में यह कथन भी मिथ्या है कि वे छुपे हुए राजद्रोही थे। यह ब्रिटिश शासकों और प्रतिक्रियावादी तत्वों की सकीरता का घातक है, उनकी विचारधाराओं का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं। गोखले वस्तुतः ब्रिटिश शासन के अनन्य भक्त थे, उन्हें ब्रिटिश उदारवाद में अटल विश्वास था, ब्रिटिश आत्मा पर उन्हें भरोसा था, ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं के प्रति उनकी पूरी आस्था थी, ब्रिटिश न्यायप्रियता और कानून के शासन में उनकी श्रद्धा थी। ब्रिटिश शासन के वे सच्चे भक्त ही नहीं बल्कि भारत में ब्रिटिश शासन का ‘वरदान’ एवं “द्वी द्वी व्यवस्था” समझते थे। यह सत्य है कि गोखले उस साम्राज्य का निष्ठा श्रेणी का साम्राज्य मानते थे जो जातीय सर्वोच्चता और अहंकार पर आधारित था, यह भी सत्य है कि वे परिषदा में सरकार की गलत नीतियां अलाकप्रिय कार्यों और नागरिकाओं की क्रूरता और निंदयता की निर्भीक आलोचना करते थे, परंतु इन आघातों पर उन्हें छुपे हुए राजद्रोही की सजा देना ‘व्यायमगत’ नहीं क्योंकि गोखले ब्रिटिश शासन की सर्वोपरि सत्ता (Paramount Power) को स्वीकार करते थे, उन्हीं काय भारत के स्थायी सम्बन्ध काय सम्बन्ध के दृष्टान्त थे और उसी के सम्बन्ध में भारत के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करते थे। सन् 1903 में वजेट पर भाषण देते हुए विधान परिषद् में गोखले ने कहा था कि ‘मुझे अपने देश के उत्थान और चरित्र में पूरा विश्वास है, मैं हमकी असीमित क्षमताओं में विश्वास करता हूँ।’

परन्तु भारत का यह शानदार भविष्य अंग्रेजी ताज की अबाध सर्वोच्चता में ही प्राप्त किया जा सकता है।" ब्रिटिश चायप्रियता और सदभावना में उनका विश्वास उस समय भी समाप्त नहीं हुआ जब दादाभाई नौरोजी जैसे सर्वधार्मिकता प्रिय नेता भी 1909 के मुद्यारो से हताश हो गये थे। श्री गोखले तो इन मुद्यारो को, जिनमें साम्प्रदायिकता का विष घोला गया था, कार्यान्वित करने के पक्ष में थे।

श्री गोखले ब्रिटिश स्वभाव को अपील कर उनकी हृदयार्थी प्राप्त करना चाहते थे। वे कहा करते थे कि "देश का पुनर्निर्माण राजनीतिक उत्तेजना की आधी से नहीं बल्कि धीरे धीरे ही हो सकता है, धीमी प्रक्रिया में समस्या का वास्तविक हल था। अंग्रेजों की प्रवृत्ति के श्रेष्ठ पहलू पर विजय पाना और इस प्रकार उनकी सहायता एवं समर्थन प्राप्त करना था।" डा० जकारिया लिखते हैं कि "बहुत उन थोड़े से सच्चे महान् व्यक्तियों में से है जो दलगत से ऊपर उठकर कार्य कर सकते थे, वे अपने विरोधी की अच्छाई की भी प्रशंसा करते थे, वे मानव के कार्यों की प्रशंसा समय की उपयोगिता के आधार पर नहीं अपितु उन महान् सिद्धांतों के आधार पर करते थे जो समय के साथ समाप्त नहीं होते थे।"

श्री गोखले को मैकमाहिलियन तरीका से घृणा थी। वे नकारात्मक कार्यों के स्थान पर रचनात्मक कार्यों पर बल देते थे, वे शिक्षा विस्तार, नौसिल सुधार, आर्थिक विकास आदि चाहते थे। वे जागरूक नागरिक चाहते थे परन्तु उन्हें पड़्यत्र का पाठ नहीं पढाते थे। उन्होंने 1905 में भारत सर्वक समिति (Servants of India Society) की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने के लिए नहीं बल्कि देशभक्ता की सत्ता पदा करने, ब्रिटिश के साथ सम्बंधों को बनाये रखने और शिक्षा विस्तार के लिए की थी। वे स्वदेशी, स्वशासन के भी समर्थक थे, आदि।

उपरोक्त वचन से स्पष्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले न तो कमजोर दिल उदारवादी नेता थे और न ही छुपे हुए राजद्रोही थे। वे ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं में और उनकी चायप्रियता में विश्वास रखने वाले शुद्ध राष्ट्रीय देश भक्त व्यक्ति थे।

2 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (1856-1920)

परिचय—लाभमाय वाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 को महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इस परिवार का सम्बंध इतिहास के गौरवशाली पेशवाओं से था। इनके पिता सरकारी शिक्षा विभाग में इन्सपेक्टर थे। बचपन में ही श्री तिलक को राजनीति में बड़ी रुचि थी। सन् 1879 में उन्होंने वकालत की प्रीति तो प्राप्त की परन्तु सन् 1880 से ही अपने साथी आगरकर के साथ मिल कर 'कर्मरी' (साप्ताहिक जा मराठी में प्रकाशित होता था) और 'मराठा' (साप्ताहिक जो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था) नाम के दफ्तरों का

प्रकाशित करना शुरू कर दिया। इनका उद्देश्य विदेशी शासन के अत्याचारा और अत्याचारों का भण्डा फोड़ना तथा जन जागृति पैदा करना था।

श्री तिलक ने अपने जीवन के 40 वर्ष सावजनिक क्षेत्र के कार्यों में बिताये। सन् 1889 में वे कांग्रेस में शामिल हो गये। दो बार वे बम्बई विधान परिषद् के सदस्य चुने गये। तीन बार वे कारावास गये।¹ सन् 1907 में वे उग्रवादी दल के सन् 1916 में उठोने होम रूल आन्दोलन को शुरू किया तथा अप्रैल 1920 में निर्माताओं में से थे, उठोने कांग्रेस लोकतांत्रिक दल (Congress Democratic Party) की स्थापना की और 1 अगस्त 1920 को परलाक चले गये।

श्री तिलक का कायक्षेत्र बड़ा विस्तृत था। वह एक शिक्षाशास्त्री एवं प्रकाण्ड पण्डित थे। ज्योतिष, गणित, विधि दर्शन तथा धर्म में उनकी गति अबाध थी। मराठी और संस्कृत साहित्य पर उन्हें स्वामित्व था। ऋग्वेद, वेदांग, महाभारत और गीता का उन्हें अछ्छा ज्ञान था। उनके तीन बड़े ग्रन्थ हैं 'द ओरायन' (The Orion), 'द आर्कटिक होम इन द वेदाज' (The Arctic Home in the Vedas) और वैदिक क्रोनोलॉजी और वेदांग ज्योतिष (Vedic Chronology and Vedanga Jyotisha)। गीता पर उन्होंने एक भाष्य 'गीता रहस्य' के नाम से लिखा। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सब कृतियाँ कारावास के काल में रचित की गईं।

श्री तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। आगरकर से मिल कर पूना में उठाने 2 जनवरी 1880 को 'न्यू इंग्लिश स्कूल' (New English School) की स्थापना की और यहीं पर वे बीजगणित के अध्यापक हो गये। सन् 1884 में दक्षिण शिक्षा समिति (Deccan Educational Society) की स्थापना में श्री तिलक का पूरा सहयोग और नेतृत्व था। 2 जनवरी 1885 को फर्ग्युसन कॉलेज (Fergusson College) की स्थापना की गई। सबंधी गोल्ले और आगरकर से मतभेद होने के कारण श्री तिलक ने 14 अक्टूबर 1890 को दक्षिण शिक्षा समिति से त्यागपत्र दे दिया। श्री तिलक की देख रेख और संरक्षण में तालेगाव में श्री समर्थ विद्यालय की स्थापना की गई।

श्री तिलक मानवतावादी थे। सन् 1896-97 और 1898-1899 में (भयंकर अन्धकार और प्लेग की महामारी के समय) जा सेवार्थें उठाने मानव समाज की की व सराहनीय थी।

श्री तिलक अपने देशभक्त और स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचारक थे।

1 पहली बार 4 महीने के लिए वाल्हापुर महाराजा के साथ नियुक्त किया गया व्यवहार की आनाजना के कारण, दूसरी बार सन् 1897 में 18 महीने के लिए श्री रण्ड और लफिटनंट आयरस्ट की हत्याओं का उन्मान के अपराध में, तीसरी बार सन् 1908 में 6 वर्ष के लिए राजद्रोह (Sedition) के अपराध में।

उन्होंने लोगों को अयाय वे विरुद्ध तीव्र सघप करने की प्रेरणा दी। उ होने स्वराज्य और बहिष्कार का नारा बुल द किया। वे एक महान सगठन कर्ता और त्रिपुरा राजनीतिज्ञ थे। वे एक कुशल पत्रकार थे। मम्पादन कला तो मानो उन्हें प्राकृतिक देन थी। उनके लेख प्रभावी और स्वतन्त्र विचारों से भरे हाते थे। वे एक निर्भीक आलोचन थे। व हिन्दू धर्म के पक्के अनुयायी थे परंतु साम्प्रदायिकता से बहुत ऊपर थे।

तिलक के मुख्य विचार—श्री तिलक के मुख्य विचारों को निम्न त्रिदुओं में व्यक्त किया जा सकता है, —

1 पुनरुत्थानवादी होते हुए भी साम्प्रदायिकता से बहुत ऊपर थे—श्री तिलक सनातनी थे और उह इसका गव था। इसके मुक्ति गुण में भी उनकी पूरा आस्था थी। वे कहा करते थे कि "विश्व में हिन्दू धर्म को छोड़कर अन्य किसी धर्म में ऐसा कल्याणकारी वचन नहीं दिया गया है कि जितनी बार हमें ईश्वर की आवश्यकता होती है उतनी ही बार वह हमारे पास आता है।"¹ श्री तिलक हिन्दू धर्म के समर्थक ही नहीं बल्कि उसमें आवश्यक सुधारों पर भी बल देते थे। परन्तु हिन्दू धर्म या हिन्दू समाज में सुधारों के लिए ब्रिटिश नौकरशाही को अयाय समझने थे। उनका विश्वास था कि हिन्दू समाज अपनी कुरीतियों को दूर करने की सामर्थ रखता है। वे इसमें ब्रिटिश नौकरशाही के हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। वे कहते थे कि जिन लोगों की सभ्यता और सस्कृति भिन्न है, जिनके जीवन के मूल्य भिन्न हैं उह भारतीय समाज के कानून को बनाने या उनमें सुधार का अधिकार नहीं होना चाहिए।

कुछ आलोचकों का कहना है कि श्री तिलक जनोत्तेजक (Demagogue) थे और हिन्दू देवों देवताओं, मतवादा, धार्मिक भावनाओं और सामाजिक उत्सवों का प्रयाग अपने नेतृत्व को सुदृढ़ करने के लिए करते थे। परन्तु श्री तिलक की यह आलोचना मिथ्या है। श्री तिलक ने सन् 1891 के स्वीकृति आयु अधिनियम (The Age of Consent Act, 1891) का विरोध अपने स्वाथ के लिए नहीं किया था बल्कि इसलिए किया था कि सरकार इनके उहाने लोगों की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप न कर सके। वग भग का विरोध तिलक ने अपने नेतृत्व को सुदृढ़ करने के लिए नहीं अपितु इसलिए किया था कि सरकार राष्ट्र की दृष्टि की उपेक्षा कर रही थी और श्री तिलक उसके विरुद्ध जन जागृति पैदा करना चाहते थे। शारदा सदन (Sarda Sadan) का विरोध भी उहोंने इसलिए किया था कि उसकी सस्थापिका पण्डिता रमादाई धर्म निरपेक्ष शिक्षा और स्त्री सुधार के नाम पर हिन्दू रित्रया को ईमाई धर्म में परिवर्तित कर रही थी।

नि सद्द श्री तिलक हिन्दू धर्म के प्रशंसक म न थे और उसका उचित हिता की रक्षा भी करना चाहते थे। यह भी सत्य है कि वे भारतीय सभ्यता और सस्कृति का पश्चिमी सभ्यता और सस्कृति से श्रेष्ठ मानत थे तथा पश्चिम की नवन बन

वाला ही हँसी उड़ाते थे। परन्तु पॉल, प्राइस, शिगल और पाम दत्त जस आलोचका का यह कहना असत्य है कि श्री तिलक की हिंदू धर्म में आस्था तथा विश्वास मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक् करने के लिए उत्तरदायी था। वास्तव में, जैसा कि जकारिया ने लिखा है, श्री तिलक “हिंदुओं की मुस्लिम विरोधी और बदले की भावना के विरोधी थे।”¹

श्री तिलक के पुनरुत्थानवाद के कारण यदि मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक् हुए होते तो जिना, एम०ए० अंसारी और हुसैन इमान उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं और समझौते की प्रवृत्ति की सराहना नहीं करते, शौकत अली और हुसरत मुहानी उन्हें अपना गुरु नहीं मानते। सन् 1916 का कांग्रेस-लीग समझौता श्री तिलक की समझौते की प्रवृत्ति का फल था। अली बंधुओं की मुक्ति के लिए तिलक ने कांग्रेस में स्वयं प्रस्ताव प्रस्तुत किया। खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी तिलक करने का तैयार थे यदि मुसलमानों का बहुसंख्यक उसने लिए तैयार था। मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक् इसलिए हुए कि उनके कुछ नेता महत्वाकांक्षी थे तथा ब्रिटिश नीतिशाही की “विभाजन करो और शासन करो” की नीति के शिकार हो गये थे।

2 सत्रिय निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रवक्ता या उग्रवादियों के नेता—स्वराज्य प्राप्ति के लिए श्री तिलक उदारवादियों के सवैधानिक एवं प्राथनापूर्ण साधना का राजनीतिक भिक्षावृत्ति कह कर उपहास करते थे। इनके स्थान पर वे सत्रिय निष्क्रिय प्रतिरोध के साधनों—स्वदेशी, वहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा—का प्रतिपादन करते थे। यह भी तिलक के प्रयासों का ही फल था कि कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य, स्वदेशी, वहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और जब 1907 में सूरत में उदारवादियों द्वारा इन पुस्तकों को बदलने का प्रयास किया गया तो कांग्रेस का विघटन हो गया और उग्रवादी दल जो पहले से ही विद्यमान था, पृथक् रूप से स्थापित हो गया।

श्री तिलक उग्रवादी अवश्य थे परन्तु हिंसा या क्रांति के समर्थक नहीं थे। वेय तर्गेना में उन्हें पूर्ण विश्वास था। वे कानून की मर्यादा में रह कर ही राष्ट्रीय आंदोलन चलाता चाहते थे। सत्रिय निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा वे लोगों का संगठित कार्य में प्रशिक्षण देना चाहते थे ताकि जनता शनाब्दियों की दासता, निर्जीवता का त्याग कर तमय्य बन जाय। सन् 1896 में दुर्भिक्ष के समय चलाय गय लगान वृत्त आंदोलन (no rent campaign) का यही उद्देश्य था, होम रूल, स्वदेशी, वहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा धरना आदि का भी यही उद्देश्य था। यह कहा जा सकता

1 Tilak was the spokesman of an anti Moslem retaliation”
Zacharia *Renascent India*, p 121

है कि जिस समय उदारवादी ब्रिटिश उदारता और हमदर्दी की भीख माग रहे थे उस समय तिलक लोगो को स्वावलम्बन, आत्म विश्वास और सघष की शिक्षा दे रहे थे ।

3 लोकोत्तांत्रिक यथायथादी—श्री तिलक निपुण राजनीतिज्ञ थे । व राजनीति को एक खेल की तरह समझते थे जिसमें प्रतिद्वन्द्वी पक्षों को विजय के लिए निरन्तर सघष करना चाहिए । उनकी राजनीति कल्पना, आदर्शवादिता या सदाचार पर आधारित नहीं थी । वे “जसे को तैसा” (Tit for tat) की नीति में विश्वास करते थे । तिलक कहा करते थे कि ‘यदि हमारे घर में चोर घुस आये और हमारी भुजाओं में उह मार भगाने की पर्याप्त सामर्थ्य न हो तो हमें बिना सल्लोच के उन्हें बंध करके जीवित जला देना चाहिए ।’ श्री तिलक के ही शब्दों में “मैं अपने घर की कुँजी चाहता हूँ, केवल एक परदेशी को ग्राहक निकाल कर सत्तोप नहीं करना चाहता । मैं पूरी रोटी चाहता हूँ आधी नहीं ।” श्री तिलक यह भी कहते थे कि जो प्राप्त हो जाय उसे ले लो और जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए सघष जारी रखो ।

4 गणपति और शिवाजी उत्सवों का सावजनिक उपयोग—महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सव व्यक्तिगत स्तर पर मनाये जाते थे । श्री तिलक ने इन उत्सवों को सावजनिक स्तर पर मनाने के लिए प्रेरित किया । सन् 1893 से गणपति उत्सव और सन् 1895 से शिवाजी उत्सव सावजनिक स्तर पर मनाने शुरू हुए । इन सावजनिक उत्सवों का प्रयोग श्री तिलक ने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया । इनके द्वारा लोगों में सगठन, त्याग, बलिदान राष्ट्रीय गर्व, राष्ट्रीय सेवा, अनुशासन, आत्म विश्वास, आत्म सामर्थ्य, भाईचार और सामूहिक सघष की भावनाएँ पैदा की गईं । लोगों में पौरुष और साहस उत्पन्न करने के लिए गौहत्या विरोधी समितियों, अलाडा और लाठी क्लबों की स्थापना की गई । इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सावजनिक सभाओं, जलूसों आदि का आयोजन किया गया । श्री तिलक का पूरा विश्वास था कि शिक्षित और अशिक्षित लोगों में भाईचार और सयुक्त मोर्चों की भावनाएँ पैदा करने के लिए ये साधन (सावजनिक उत्सव, सावजनिक सभाएँ तथा जलूस) महत्त्वपूर्ण हैं । श्री तिलक कहा करते थे कि सामूहिक समाराह जहाँ शिक्षित वर्ग में नई स्फूर्ति पैदा करते हैं वहाँ ये अशिक्षित वर्ग में (जन समूह में) भावनात्मक जागृति उत्पन्न करते हैं तथा उनका दृष्टिकोण व्यापक, उदार एवं राष्ट्रीय बनता है । राष्ट्रीय आन्दोलन को, वास्तव में जन आन्दोलन का रूप श्री तिलक के इसी क्रियाकलापों से प्राप्त हुआ ।

सावजनिक उत्सवों में श्री तिलक गीता जैसी महान धार्मिक पुस्तक और शिवाजी जन्म महान राष्ट्रीय नेताओं के जीवन में उदाहरण प्रस्तुत कर लोगों को राष्ट्रीय भावनाओं का जागृत करने के, उह अर्थात् और अत्याचार से भिन्ना सिखाते थे, विराधी शासन से सघष करना सिखाते थे ।

श्री तिलक कहा करते थे कि यदि उद्देश्य उच्च, सद्, नैतिक, सायजनिक एव स्वाथ या आसक्ति रहित है तो उसे प्राप्त करने के लिए सिन्ही साधना वा प्रयाग उचित और यायिक है। क्याकि श्री तिलक शिवाजी वा, गीता के अथ म, एक विभूति (Vibhuti) मानते थे इसलिए उनके द्वारा अफजन गा की हत्या को यायाचित मानते थे। परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं कि श्री तिलक राजनीतिक हत्याआ को बढ़ावा देते थे या उहे निमंत्रण देते थे यद्यपि यह भी ठीक है कि व किसी व्यक्ति के इस प्रकार के काम की भत्सना भी नहीं करते थे। वे कहा करते थे कि "महाय् पुरुष नतिकता के साधारण सिद्धांतो मे ऊपर हाते हैं।"

5 विदेशी शासन के आलोचक एव स्वतंत्रता के पुजारी—श्री तिलक विदशी शासन से घृणा करते थे। व उसके घटु आलोचन थे तथा उसकी घराष्ट्रीय नीतियो की भत्सना करते थे। उनका विश्वास था कि भारतीया के दुख, नैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पतन मुख्यत विदेशी शासन का परिणाम ह। इसलिए वे इससे समझौता करना नहीं चाहते थे बल्कि उसे नष्ट करना चाहते थे, वे इससे सुधारो को भीर नही मागत थे बल्कि अपने अधिकार की माग करते थे, वे विशिया की दया के पात्र बनना नहीं चाहते थे बल्कि अपने सामर्थ्य और आत्म विश्वास पर बल देते थे। वे कहते थे 'स्वतंत्रता दी नहीं जाती ली जाती ह', "याचना वृत्ति से स्वराज्य की नैतिक और बौद्धिक नीव कमजोर होनी है।" "जिन लोग न इम ससार म स्वराज्य का उपभोग नहीं किया व परलाक म भी स्वराज्य के अधिकारी नहीं हो सकत।" व कहा करते थे कि स्वतंत्रता मेरा जममिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। व स्वतंत्रता को धम, नैतिकता और आध्यात्म के लिए अनिवाय मानते थे। वे इसे ईश्वरीय गुण मानते थे। व कहा करने थे कि 'स्वतंत्रता के अभाव म नैतिक और आध्यात्मिक जीवन सम्भव नहीं।' स्वतंत्रता स उनका अभिप्राय "स्वशासन", 'आत्म नियह की पूरता', "आध्यात्मिक स्वतंत्रता से या "अपन मे केन्द्रित और अपने पर निर्भर जीवन ही स्वराज्य है।"

स्वराज्य की माग पर श्री तिलक किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तयार नहीं थे। वे कहा करते थे कि पहले राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हा जाय फिर सामाजिक और आर्थिक समस्याआ का समाधान धीर-धीरे अपने आप हो जायगा। वे कहते थे "स्वराज्य भारत की नीव है न कि भावी उन्नति की चरम सीमा।"

6 जन जागृति और जन आंदोलन के निर्माता—आधुनिक भारत मे सबथी तिलक और गांधी ही ऐसे दा महान नेता थे जिहाने जनता म आशचयजनक जागति, साहस और निर्भीकता उत्पन्न कर दी। जिस जन आंदोलन की नीव श्री तिलक ने रखी

1 Speeches and writings of Tilak pp 276-280, Quoted by Varma, Dr V P, , Ibid, p 247

थी उसी पर गांधीजी ने अपने राजनीतिक आन्दोलन (असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन आदि) के प्रासाद का तैयार किया। स्वयं गांधीजी ने 1 जून 1947 की प्राथमा सभा में स्वीकार किया कि "मैंने अन्तरात्मा का मूल्य तिलक महाराज से सीखा है।" यह श्री तिलक के सतत प्रचार और अथक प्रयासों का फल था (स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, होम रूल आन्दोलन आदि द्वारा) कि नोगा में विदेशी सरकार के आयातों के विरुद्ध अमृतोष उत्पन्न हुआ और शक्तिशाली साम्राज्यवादी नौकरशाही दुर्ग उहे अपना अकृत्रिम शत्रु समझने लगा। श्रीमती ऐनी बेरोट ने ठीक लिखा है कि "यदि भारतवर्ष की जनता में राजनीतिक चेतना पर्याप्त होती तो तिलक श्रामवेत के समान देश के सफल नायक होते।"

राजनीतिक जीवन में श्री तिलक "भारतीय राष्ट्रवाद के भीष्म थे।" अपने देशवासियों को उन्होंने सबप्रथम स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार, और राष्ट्रीय शिक्षा के अमूल्यदान उपहार दिये। स्वराज्य से वे स्वशासन लाना चाहते थे, स्वदेशी से लोगों में भारतीय वस्तुओं और संस्थाओं के लिए अनुराग उत्पन्न करना चाहते थे, बहिष्कार द्वारा विदेशी सरकार से असहयोग करना सिखाते थे तथा राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा राष्ट्र का नव निर्माण चाहते थे।

राष्ट्र के प्रति श्री तिलक की अमूल्यवान सेवाओं को गांधीजी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है "लोकमान्य तिलक मातृभूमि के अनन्य भक्त थे। वे देशप्रेम के अतिरिक्त और किसी धर्म को नहीं जानते थे। जन्म में ही वे लोकतन्त्रवादी थे। उन्होंने अपने मनोबल से देश को मेवा की। उनका जीवन विलुक्त निष्पट और निष्कल था। किसी अन्य व्यक्ति ने उनकी सी असाधारण दृढ़ता से स्वराज्य का प्रचार नहीं किया। उनके देशवासी उनमें पूर्ण विश्वास रखते थे। श्री तिलक सदैव आशावादी रहे और कभी हतोत्साहित नहीं हुए। वे अपने जीवन में भारत को स्वतन्त्र देगने की आशा रखते थे। यदि वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हुए तो इसमें उनका कोई दोष नहीं था। उन्होंने निश्चित ही स्वराज्य को निष्कट लाने में महत्प्रयत्न किये।"

राष्ट्रीय आन्दोलन को तिलक की देन

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को श्री तिलक की अन्न देने थी जिनमें मुख्य निम्न है —

- 1 राष्ट्रीय आन्दोलन के आधार को श्री तिलक ने विस्तृत किया। जो आन्दोलन अभी तक शिक्षित वर्ग तक सीमित था उसे मध्यम वर्ग तथा जन आन्दोलन में परिणत किया। जन जागृति और जन आन्दोलन के श्री तिलक निर्माता थे।

1 "In political life, Tilak was the Bhisma of Indian nationalism" Varma, Dr V P, Ibid, p 226

- 2 श्री तिलक । विद्रोही सैन्य शक्ति में स्वायत्तता और मर्दानगी की भावना प्रकट कर दी । धार्मिक भावनाओं और उग्रता का मार्गदर्शित उग्रता का भावना का प्रभाव और प्रभावित मनाहोने का पाठ श्री तिलक पढ़ाया ।
- 3 उदा । राष्ट्रीय धर्मोपदेश में उग्रता का जन्म दिया और राष्ट्रीय धर्मोपदेश में सत्रित निष्पक्ष प्रभाव का प्रभाव का बताया । सगति धर्मोपदेश का विचार श्री तिलक ने किया ।
- 4 "स्वायत्तता का जन्मदत्त धर्मोपदेश है और मैं इस में एक गुरु" इत्यादि का दावा श्री तिलक । स्वयं के प्रति, बौद्धिक और धार्मिक विचार पर चल दिया ।
- 5 स्वयं और राष्ट्रीय शिक्षा जन्म स्वयं का दावा के माध्यम प्रकृत किया ।

उपरोक्त सभी विचारों का विचारपूर्ण उत्तर देने किया जा चुका है इसलिए यहाँ उसे आदर्श के रूप में नहीं ।

क्या तिलक असंतोष के जनक थे ? या क्या तिलक क्रान्तिकारी थे ?

विरोधियों का विचार करने वाले प्राइम विचार और हायलैंड का विचार इतिहासकार और पारलमन्ट तथा ग० गानगारे जब भारतीय धर्मोपदेश का, यह है कि तिलक 'राज्य सत्ता के प्रति शक्ति की प्रेरणा का दावा में प्रकृत मयकर' 1 'भारतीय धर्मोपदेश के जन्मदाता' 2 'क्रान्ति के उपासक' तथा 'हिंसा के मयकर' थे । शिवाजी विराट हैं कि तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याकाण्ड का जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण किया । 3 जा० एस० हायलैंड विराट हैं कि तिलक "भौतिक बल के सिद्धांतों का साथ विचारों के साथ था । 4 ब्रिटेन का कहना है कि तिलक के लेख 'विद्रोह की प्रवृत्ति धर्मोपदेश से भरे' 5 पढ़े हैं तथा वे स्वयं अथवा बम का उपदेश करते थे । डा० पी० एस० गानगारे विराट हैं कि श्री तिलक क्रान्तिकारी युवकों के गुरु और शिक्षक थे । 6

1 & 2 One of the most dangerous pioneers of disaffection, 'The Father of Indian Unrest' Chitral Indian Unrest pp 40 & 41

3 'Tilak had been the first to create the atmosphere which breeds murders Chitral India p 122

4 Tilak had been 'coquetting with doctrines of physical force, Hoyland, John S Gokhale, p 25

5 Tilak's articles contained "a covert theory of mutiny" and preached 'Swrajya or bombs Branson the advocate general who conducted the prosecution case against Tilak in 1908

6 See articles of Khankhore, Dr P S published in Kesari in 1953 and 1954

श्री तिलक के विचारों पर व्यक्त की गई उपयुक्त आलोचनाएँ न केवल एक तरफ है बल्कि मिथ्या, श्वरी और मही मूल्यांकन से बहुत परे है। यह नहीं भूलना चाहिए कि श्री तिलक पक्के देशभक्त थे, भारतीयों की दीनता, दुःख, पतन, अज्ञानता और आर्थिक दुःशशा को देखकर उनका हृदय कराह उठता था। वे जन जागृति चाहते थे सशस्त्र क्रांति या विद्रोह नहीं। वे उग्रवादी अवश्य थे परन्तु हिंसावादी या क्रांतिकारी नहीं। वे लोगों को सगठन की शक्ति और महत्व का पाठ अवश्य पढ़ाते थे, उन्हें राजद्रोही नहीं बनाते थे। उनके लेख तथा भाषण उत्तेजनापूर्ण एवं महान राष्ट्रीय नेताओं के साहस, त्याग और बलिदान की कहानियों और घटनाओं से भरपूर अवश्य होते थे परन्तु वे राजनीतिक हत्याओं या राजनीतिक डकतियों को निमंत्रण नहीं देते थे और न ही उनका समर्थन करते थे। श्री तिलक ने निरपेक्ष हिंसा का समर्थन कभी नहीं किया यद्यपि उन्होंने निरपेक्ष अहिंसा को भी कभी अंगीकार नहीं किया।

श्री तिलक क्रांतिकारी नहीं थे और न ही उन्होंने किसी क्रांतिकारी आन्दोलन का सगठन या नेतृत्व किया। उन्होंने क्रोपाटकिन, बेकुनिन और लेनिन जैसे रूसी क्रांतिकारियों के साधनों को कभी नहीं अपनाया यद्यपि श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा सावरकर बंधुओं जसे क्रांतिकारियों से उनका सम्पर्क था परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता, जसाकि डा० पी० एस० खानखोरे ने अपने लेखों में सिद्ध करने का प्रयास किया है, कि श्री तिलक क्रांतिकारियों के गुरु या शिक्षक थे या तिलक स्वयं क्रांतिकारी थे। यह सत्य है कि श्री तिलक ने शिवाजी द्वारा अफजल म्या की हत्या को 'यायोचित ठहराया, यह भी सत्य है कि उन्होंने चापेकर बंधुओं तथा अन्य क्रांतिकारियों के कार्यों की सावजनिक भत्सना कभी नहीं की परन्तु इससे उनके स्वयं क्रांतिकारी होने का प्रमाण नहीं मिलता। वे राजनीति में "जसे को तँसा" (Tit for tat) में विश्वास करते थे और राजनीति में "सहयोग को अयो-याश्रित" (Cooperation is mutual) समझते थे। वे सरकार से उतना ही सहयोग करना चाहते थे जितना वह जन इच्छा का आदर करती थी। बंग भंग के समय ब्रिटिश सरकार ने जन इच्छा की उपेक्षा की इसलिए उन्होंने सरकार की बड़ी आलोचना की। श्री तिलक गीता के इन वाक्यों को दाहराते थे "हे पाथ ! नपु सकता का मत प्राप्त हो यदि हमारे शिक्षक व निकटतम सम्बन्धी भी अयाय का पक्ष ग्रहण करे तो उनका वध कर देने तक में कोई दोष नहीं है, शत यह है कि यह काय अनामक्त भाव से किया जाय।' स्पष्ट है कि श्री तिलक उच्च साध्य की प्राप्ति के लिए किन्हीं साधनों के प्रयोग को उचित समझते थे। श्री तिलक की राजनीति में कल्पना आदर्शवादिता, भावुकता और सदाचार का कोई स्थान नहीं था। उनकी राजनीति लाकृतांत्रिक यथाथवादी (Democratic Realism) थी। वे इसे ऐसा खेल समझते थे जिममें प्रतिद्वन्द्वी पक्षों को विजय के हेतु सघप करने के लिए तयार रहना चाहिए।

श्री तिलक राजनीतिक संगठन और आन्दोलन के वैधानिक तरीके में विश्वास करते थे। वे वानून को तोड़ना नहीं चाहते थे बल्कि उसकी मर्यादा के दायरे में रह कर ही स्वराज्य, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धांतों का प्रसार करते थे। उनका यह पूर्ण विश्वास था कि तत्कालीन परिस्थितियों में जहाँ निरंकुश साम्राज्यवादी विदेशी सरकार विद्यमान है तथा जनता राजनीतिक अधिकारों से अनभिज्ञ है) हिंसा कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए वे सक्रिय प्रतिरोध का प्रचार करते थे।

श्री तिलक पूर्ण राष्ट्रवादी और पक्के देशभक्त थे। जिस समय गोखले तथा अन्य उदारवादी ब्रिटिश उदारता, परापकारिता और हमदर्दी की भीख मागत थे तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शब्द कहने से थरते थे उस समय श्री तिलक ने जनता को स्वावलम्बन, आत्मविश्वास, आत्मसामर्थ्य का पाठ पढ़ाया, उसे अत्याचार और जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध सघप करना सिखाया, उसे निर्भीकता पूर्वक अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति दी। वे लोगों को अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देते थे। ब्रिटिश नीकरशाही श्री तिलक को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु तथा भारतीय असतोष का जनक इसलिए मानती थी क्योंकि वे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कोई भी प्रलोभन अथवा अनुग्रह अपने स्वनिर्धारित मार्ग से भ्रष्ट नहीं कर सकता था। जिनता ही सरकार उन्हें निन्द्य तथा बठार दण्ड देती उतना ही उन्हें अपने सिद्धांतों में अटल विश्वास हा जाता। स्वयं माटेम्बू ने स्वीकार किया था कि 'भारत में केवल एक ही अग्रणीय उग्रराष्ट्रवादी थे और वे थे तिलक।'¹

श्री तिलक ब्रिटिश शासन को भारत के लिए अभिशाप समझते थे इसलिए वे उसके विरुद्ध निरंतर सघप करने लगे। भारतवासियों के दुःख, दारिद्र्य, पतन आर्थिक निगम (economic drain) और शोषण के लिए विदेशी सरकार को दोषी ठहराते थे। इसलिए वे स्वराज्य चाहते थे। वे कहते थे "कोई राष्ट्र तब तक शक्तिशाली और स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक वह स्वतंत्र नहीं है।"² इसी उद्देश्य को लेकर श्री तिलक ने पेरिस शांति सम्मेलन के अध्यक्ष क्लेमेंसो (Clemenceau) को 21 मार्च 1919 के एक स्मरण पत्र (Memorandum) में भारत के लिए आत्मनिर्णय के सिद्धांत (Right of Self-Determination) की मांग की। उहाँ इस स्मरण पत्र में लिखा था कि 'एशिया और शांति के लिए यह बात नितांत आवश्यक

1 See Chintamani C Y Indian Politics Since the Mutiny, P 117

2 'No nation can be strong and healthy unless it is free' Tilak Quoted by Varma Dr V P in his Modern Indian Political Thought P 274

है कि भारत को आत्मशासन प्रदान करके पूर्ण स्वतन्त्रता का गढ़ बना दिया जाय ।” उस समय श्री तिलक औन्निवेशिक स्वराज्य (Dominion Status) से ही सन्तुष्ट थे यद्यपि उनके हृदय में पूर्ण स्वतन्त्रता की कल्पना थी । विदेश नीति पर वे ब्रिटिश सरकार को निमन्त्रण देने के लिए तैयार थे । वे प्राप्ति का भाषा के आधार पर बाटना चाहते थे तथा भारत के लिए सघात्मक सरकार के इच्छुक थे ।

सक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि श्री तिलक क्रांतिकारी और भारतीय असंतोष के जनक नहीं थे । भारतीय असंतोष तो ब्रिटिश सरकार की अराष्ट्रीय और दमनकारी नीतियों, अत्याचार, अत्याय और आर्थिक शोषण का फल था । श्री तिलक न तो उस असंतोष को केवल चित्रित किया तथा जन समूह का उसका बोध (ज्ञान) करा करके उसके विरुद्ध उसे सघप करने के लिए तैयार किया । यह नहीं भुलाया जा सकता कि उनके आदर्श, त्याग, बलिदान, योग्यता, देशभक्ति के कारण ही राष्ट्र ने उन्हें “लोकमान्य” की पदवी प्रदान की थी “असंतोष के जनक” की नहीं । यह साम्राज्यवादी व्याख्या थी जिसने उन्हें असंतोष के जनक बताया”, राष्ट्र तो उन्हें देश “भक्तों के आदर्श” (Prince of patriots) मानता था और मानता है ।

वस्तुतः स्थिति यह है कि देश भक्तों के प्रति साम्राज्यवादियों का दृष्टिकोण सदैव विरोधपूर्ण, दमनकारी और निन्दा से भरपूर रहा है क्योंकि वे (देशभक्त) ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जन जागृति पैदा कर साम्राज्यवाद की कब्र खोदते हैं । यही स्थिति लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक ने साथ ही । जहाँ अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी नौकरशाही तथा अन्य साम्राज्यवाद के समर्थक श्री तिलक को “भारतीय असंतोष के जनक” कहकर निन्दित या अपमानित करना चाहते थे वहाँ राष्ट्र उन्हें अपना “सर्वोत्तम पुत्र”, “अकृत्रिम देशभक्त” और “स्वतन्त्रता का पुजारी” समझता था तथा समझता है ।

तिलक और गोखले—एक तुलनात्मक अध्ययन

तिलक और गोखले दोनों ही महाराष्ट्र के तेजस्वी सुपुत्र थे, दोनों चितपावन आह्वान थे, दोनों की बौद्धिक प्रतिभा तथा चरित्र आसाधारण कोटि का था, दोनों देश भक्त और पूणतया स्वायत्त रहित व्यक्ति थे, दोनों ने देश के लिए महान् त्याग किये थे, दोनों ने अपने-अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित किया । गोखले लिखते हैं कि “तिलक उन्हें हिमालय की तरह उच्च तथा अगम्य दिखाई पड़ते थे और गोखले उन्हें गंगा की पवित्र धारा के सदृश प्रतीत होते थे जिसमें वे आसानी से गोता लगा सकते थे ।”

दोनों में कुछ समानताएँ होती हुए भी उनकी विचारधाराओं में मूलभूत भेद पाये जाते थे । देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात थी कि दोनों एक दूसरे के वायव्यताप में सहयोग न कर सके । गोखले इंग्लैण्ड और भारत के पारस्परिक सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे, तिलक स्वराज्य चाहते थे । गोखले प्रशासनिक सुधारों एवं छोटी छोटी

परिवर्तनो से ही सन्तुष्ट थे परन्तु तिलक इनसे सन्तुष्ट नहीं थे, वे ब्रिटेन से सम्बन्ध विच्छेद चाहते थे। गाखले न ब्रिटिश यायप्रियता पर विश्वास था तिलक को उस पर विश्वास नहीं था, गाखले विदेशी शिक्षा, सम्मता और मस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे, तिलक भारतीय सम्मता और मस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे, गोखले राजनीतिक भिक्षावृत्ति (सर्वैधानिक साधन) में विश्वास करते थे, तिलक स्वावलम्बन और सधप को स्वतन्त्रता के लिए अनिवार्य समझते थे। गोखले शिक्षित वर्ग का प्रभावित करते थे, तिलक साधारण जनता को। वी० सी० पाल लिखते हैं कि "वे भारत की सरकार को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं परन्तु उनका उद्देश्य यह नहीं है कि सरकार किसी भी अर्थ में ब्रिटेन के हाथ से निकल जाय, इसके विपरीत हम उसे स्वायत्त अर्थात् ब्रिटेन के नियन्त्रण से पूर्ण स्वतन्त्र चाहते हैं।" डा० पट्टाभि सीतारमैया ने गोखल और तिलक के विचारों में भिन्नता को इस प्रकार व्यक्त किया है "गोखले नरम दम के प्राण थे, तिलक उग्रदम के बरणधार थे, गोखले सरल स्वभाव के थे तथा उनमें सज्जनता कूट कूट कर भरी हुई थी तिलक उग्र स्वभाव के थे और सरकार की क्रूर नीतियों की खुले शब्दों में आलोचना करते थे, गोखले प्रचलित सविधान में सुधार चाहते थे, तिलक उसका पुनर्निर्माण चाहते थे, गोखले उच्च साधनों में विश्वास करते थे, तिलक साध्य की प्राप्ति के लिए समस्त सम्भव उपायों तथा साधनों को उचित समझते थे, गोखले नौकरशाही के साथ सहयोग के इच्छुक थे, तिलक उससे भिन्न चाहते थे, गोखले शासन प्रथम और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल देते थे, तिलक राष्ट्र-निर्माण पर बल देते थे, गोखले का आदेश था प्रेम और बलिदान, तिलक का आदेश था मेवा और कष्ट भ्रमना, गोखले विदेशिया का हृदय जीतना चाहते थे, तिलक उन्हें बाहर निकालना चाहते थे, गोखले दूसरों की महायत्ना में विश्वास करते थे, तिलक स्वावलम्बन पर विश्वास करते थे, गाखले अपने समय के माय थे, तिलक अपने समय से बहुत आगे थे, गोखले उच्च वर्ग और बुद्धिजीवियों की तरफ देखते थे, तिलक सबसाधारण और करोड़ों की ओर देखते थे, गोखले का अगाड़ा था परिपक्व भवन, तिलक की अदानत थी गाव की पचायत, गोखल अंग्रेजों में लिखते थे, तिलक मराठी में, गोखले का उद्देश्य था स्वशासन तिलक का उद्देश्य था स्वराज्य।"¹

तिलक और गांधी—एक तुलनात्मक अध्ययन

तिलक और गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के अपने अपने काल के महान नेता थे। एक (तिलक) प्रथम महायुद्ध से पूर्व के काल के और दूसरे (गांधी) महायुद्ध के पश्चात् के काल के अग्रणी नेता ही नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता भी थे। दोनों ने अपने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश, त्याग और बलिदान से राष्ट्रीय आंदोलन का गति प्रदान की। दोनों लोकप्रिय नेता थे। दोनों का जीव

1 Sitaramayya Dr Pattabhi The History of Congress, p 166

निर्मल और निष्कलक था। दोनों का जीवन राष्ट्र की सेवा में बीता। दोनों ने अपने अपने ढंग से राष्ट्रीय आन्दोलन को सीधा तथा उसका विकास किया। जिस प्रामाद की आधारशिला तिलक ने डाली थी उस प्रसाद को गांधी ने पूरा किया। दोनों स्वतंत्रता के इच्छुक थे, एक उसकी प्राप्ति को देखने के लिए जिंदा नहीं रहा, दूसरा इतना भाग्यशाली था कि वह इसे अपने जीवन में प्राप्त कर सका।

तिलक और गांधी के विचारा में समानताएँ होते हुए भी कुछ मूल भेद थे। इन भेदों को निम्न बिंदुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—

1 तिलक निरपेक्ष अहिंसा के उपासक नहीं थे, गांधी की अहिंसा निरपेक्ष थी—तिलक और गांधी के विचारों में सर्वोत्तम अंतर यह है कि तिलक यदि निरपेक्ष हिंसा का समर्थन नहीं करते थे तो निरपेक्ष अहिंसा को भी उन्होंने कभी अगीकार नहीं किया था। दूसरी ओर, गांधीजी की अहिंसा निरपेक्ष, सावध और अपरिवर्तनशील थी। तिलक कहते थे कि इस अपूरण जगत में ऐसे गवसर आते हैं जबकि व्यक्ति को अहिंसा और विनम्रता त्यागनी पड़ती है। वह कहते थे महापुरुष नतिकता के सामान्य नियमों से ऊपर होते हैं। यदि काय आसक्ति रहित और अहंकार से ऊपर उठ कर किया जाय तो उनके करने से पाप नहीं लगता। तिलक जी का विश्वास था कि गीता का यही उपदेश है। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि "हे पाथ ! नपुं सक्ता को प्राप्त मत हो।" "यदि हमारे शिक्षक व निवृत्तम सम्यग्धी भी अत्याय का पक्ष ग्रहण करें तो उनका बंधन तो मे को कोई दोष नहीं है, शत यह है कि काय अनासक्त भाव से किया जाय।" इसी आधार पर तिलक ने शिवाजी द्वारा अफजल खा की हत्या को "पापीचित ठहराया। दूसरी ओर, गांधीजी की अहिंसा का क्षेत्र बहुत विस्तृत था किसी भी क्षेत्र में और किसी भी रूप में वे अहिंसा को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए "अहिंसा ही सत्येश्वर का दर्शन करने का सीधा और छाटा माग है।"¹ गांधीजी कहते थे "म तो अहिंसा और सत्य हतु देश को होमने के लिए तयार हूँ, देश के लिए अहिंसा और सत्य को नहीं।" गांधीजी के लिए "अविनय", 'तिरस्कार', 'अहंकार', 'दोष', 'वर-डाह' 'विवशता का अनुचित लाभ' हिंसा है।² डा० वी० पी० वर्मा ने दोनों के भेदों को इस प्रकार व्यक्त किया है "यदि गांधी मुझे ईसा, तॉल्सतॉय, थारा, रामकृष्ण तथा भारतीय इतिहास के अथ सता का स्मरण दिलाते हैं तो तिलक का नाम सुन कर मुझे मूसा, लूथर, प्रताप, शिवाजी, दयानंद और विवेकानंद का स्मरण हो आता है।"³

1 Harijan Sewak, dated 10 11 1933

2 From Mangal Prabhat dated 29 7 1930

3 Varma, Dr V P Modern Indian Political Thought, pp 224 225

2 तिलक साध्यों (उद्देश्यों) की पवित्रता पर बल देते थे, गांधी साध्य साधनों दोनों की पवित्रता पर बल देते थे—तिलक साध्यों की पवित्रता पर ही बल देते थे उनको प्राप्त करने के साधनों पर नहीं। वे कहते थे कि यदि विरोधी छल कपट का प्रयोग करता है, व्यक्ति के विचारों और मूल्यों की गलत व्याख्या करता है तो ऐसे समय में उदासीनता का रवया अपनाना अपने पक्ष को निश्चित रूप में हार्न पहुँचाना है। तिलक कहते थे कि यदि मन में दुर्भाव नहीं तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कटु भाषा का प्रयोग पाप या अनतिक्रम नहीं होती। दूसरी ओर, गांधीजी के लिए “साध्य और साधन अपरिवर्तनीय शब्द है”, “साध्य और साधन में बड़ा सम्बन्ध है जो बीज और पेड़ में”, “कोई व्यक्ति साधनों का ध्यान रखता है तो साध्य स्वयं अपना ध्यान रखेगा।” तिलक जी का कहना था कि “साध्य साधनों का औचित्य है” (end justifies the means) जबकि गांधीजी कहते थे कि “यदि पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन उपलब्ध नहीं तो उस साध्य को त्याग देना ठीक है।”

3 तिलक प्रजातान्त्रिक यथार्थवादी थे, गांधीजी यथार्थवादी नहीं थे—तिलक की राजनीतिक विचारधारा पर महाभारत तथा हिन्दू धर्म की अग्र पुस्तिका का प्रभाव अत्यधिक था। उनका राजनीतिक आदर्श श्रीकृष्ण, कौटिल्य शिवाजी और पेशवाओं जैसा था। वे न तो कल्पनावादी थे और न ही हॉब्स और विस्माक की भाँति यथार्थवादी। वे मैकियावेली और ट्राइट्स्के (Trietschke) की भाँति राजनीति में पशु शक्ति और छल कपट का खुला समर्थन करते थे। वे वस्तुतः प्रजातान्त्रिक यथार्थवादी थे। तिलक एक निपुण राजनीतिज्ञ थे और राजनीति को वे एक खेल की भाँति खेलना चाहते थे जिसमें प्रतिद्वन्द्वी पक्षों को विजय के लिए सधम में सलम रहना चाहिए। वे कहा करते थे कि “यदि हमारे घर में चोर घुस आये और हमारे भूजाओं में उन्हें मार भगाने की पर्याप्त सामर्थ्य न हो तो हमें बिना सक्क के उन्हें बंद करके जीवित जला देना चाहिए।”¹ तिलक कहते थे कि किसी सीमा से अधिक ‘दया या क्षमाशीलता व्यक्ति को नपुंसक बना देती है। राजनीति में तिलक की नीति ‘जैसे को तैसे’ (Tit for tat) की थी। तिलक कहते थे “दुष्टों के नाश में साधुओं की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं प्रकट होता है।”²

सक्षेप में, तिलक किसी कार्य की नैतिकता को उसके उद्देश्य और मूल्यों से देखते थे उसके बाह्य परिणामों से नहीं।

दूसरी ओर, गांधीजी राजनीति में यथार्थवादी नहीं थे। वे स्वभाव से राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे धार्मिक पुरुष थे। राजनीति में तो उन्हें आवश्यकता का ध्यान पड़ा। उनके विचारों पर ‘गिरी प्रवचन’ तॉल्मताय, थोरो, रम्बिन, रायबर्न भाई और नरसी मेहता के विचारों का अत्यधिक प्रभाव था। वे राजनीति का

1 Quoted by Varma, Dr V P Ibid, p-282

2 (Good manifests Himself in order to protect the good - 'destroy the wicked' Quoted by Varma, Dr V P Ibid p 25

की भाँति नहीं बल्कि मानवता एवं नतिकता और अहिंसा के नियमों पर खेलते थे। वे विरोधी का दुःख पहुँचाने के स्थान पर स्वयं कष्ट सहन में विश्वास करते थे। विरोधी की विवर्णता से लाभ उठाना गांधीजी के लिए अनैतिकता ही नहीं हिंसा भी थी। गांधीजी विरोधी के लिए कटु शब्दों के प्रयोग को भी हिंसा समझते थे।

4 तिलक कानून की मर्यादा में काम करते थे गांधी अनैतिक कानूनों को तोड़ने की शिक्षा देते थे। राजनीतिज्ञ आदालत का चतान की पद्धतियों में भी तिलक और गांधी के विचारों में भेद थे। तिलक कानून की मर्यादा में रह कर ही अनैतिक कानूनों की आलाचना करते थे तथा उनके विरुद्ध जन जागृति पैदा करते थे। वे कानून का तोड़ना या उस पर अतिभ्रमण करना नहीं चाहते थे। वे स्वराज्य आंदोलन को कानून की मर्यादा में ही चलाते थे। उनका बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन भी कानून की परिधि में था। व उदारवादियों के सर्वैधानिक तरीका का राजनीतिक भिक्षाप्रति वह कर उपहास अवश्य करते थे परंतु कानून को भंग करने की अनुमति उन्होंने कभी नहीं दी। दूसरी ओर, गांधी जी व्यक्ति का यह पवित्र आर प्रश्नातीत (unimpeachable) अधिकार समझते थे कि जिस कानून को उसकी अन्तरात्मा स्वीकार नहीं करती या जिसे वह अनैतिक मानती है उसे वह भंग करे। गांधी जी ने स्वयं 1930 में डण्डी में नमक कानून (Salt Law) को भंग किया। वास्तव में, गांधी जी के सत्याग्रह का सारा सिद्धांत ही इसी भावना पर आधारित था और दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में उन्होंने उसका प्रयोग भी किया।

5 पश्चिमी शिक्षा, सभ्यता और सस्कृति के सम्बंध में तिलक और गांधी के विचारों में भिन्नता—तिलक भारतीय प्राचीन सभ्यता और सस्कृति को पश्चिमी सभ्यता और सस्कृति की तुलना में श्रेष्ठ समझते थे। वे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के महत्त्व को भी समझते थे तथा उसका प्रचार भी करते थे। परंतु फिर भी, वे इस बात को नहीं भूलते थे कि जन जागृति में पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी उदार रूढ़ियाँ तथा विचारों का भी योग रहा है। इतना ही नहीं तिलक को पश्चिमी प्रतिनिधि प्रजातांत्रिक प्रणालियाँ तथा संस्थाओं से अनुराग भी था। परंतु गांधीजी ने केवल पश्चिमी शिक्षा के कटु आलोचक थे बल्कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सस्कृति और पश्चिम की नकल पर आधारित प्रतिनिधि प्रजातांत्रिक समझ को भी अस्वीकार करते थे। “हिंद स्वराज” में गांधी जी ने यंत्रों (मशीनों) पर आधारित पश्चिमी सभ्यता की भत्सना की है। ब्रिटिश संसद की तुलना गांधीजी ने बाँध और बंध्या स्त्री से की है। गांधीजी राजनीतिक सत्ता से नैतिक नियमों के प्रभुत्व का अधिक महत्त्व देते थे। वे कहते थे कि एक अच्छा नैतिक व्यक्ति एक बड़ी सभा (संसद) में लागा का अधिक अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता है।

तिलक गणितज्ञ थे, उन्हें संख्या की शक्ति में विश्वास था। वे बहुमत का साथ लेकर चलने में अधिक विश्वास करते थे। गांधीजी गणितज्ञ नहीं थे, वे संख्याओं में विश्वास नहीं करते थे। संख्याएँ उनके लिए दुबलता की निशानी थीं। वे अन्तरात्मा

की आवाज से काय करते थे और जिस काय का वे न्यायोचित समझते थे उसे अव्यक्त करने के लिए तैयार होते थे।

6 विधान परिषदों में प्रवेश के सम्बन्ध में अन्तर—यद्यपि तिलक गांधी के द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन का देखन के लिए जीवित नहीं रहे परन्तु विधान परिषदों में प्रवेश के सम्बन्ध में उनके विचार स्पष्ट थे। अप्रैल 1920 में तिलक द्वारा स्थापित कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल (Congress Democratic Party) का उद्देश्य ही 1919 के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित परिषदों के लिए चुनाव लड़ना था। तिलक सरकार से असहयोग करने के समर्थक थे परन्तु उनका कहना था कि लोग इसका पूरातया पालन नहीं कर सकेंगे। वे कहते थे कि यदि राष्ट्रवादी परिषदों में नहीं गये तो दूसरा लग (सरकार के पिन्डलंगू, रुढ़िवादी साम्प्रदायिक या प्रतिक्रियावादी लोग) परिषदों में जायेंगे और इस प्रकार उनका देश के विरुद्ध प्रयोग करेंगे। तिलक कहते थे कि "व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि परिषदा में जाना अच्छा है, और जब आवश्यक हो तो बाधा डाली जाय और उसी प्रकार जब आवश्यक हो तो सहयोग किया जाय।"¹ दूसरी ओर, गांधीजी परिषदों में प्रवेश के विरोधी थे। वे सरकार से पूरातया असहयोग कर स्वराज्य चाहते थे। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने 1920-1922 में असहयोग आन्दोलन को संचालित किया। परन्तु इस उद्देश्य में उन्हें उस समय सफलता नहीं मिली।

यद्यपि असहयोग आन्दोलन की विचारधारा का निरूपण गांधीजी ने किया परन्तु इस आन्दोलन के तत्व गोखले, तिलक और अरविन्द घोष की विचारधारा में विद्यमान थे। सन् 1905 में ही गोखले ने कहा था कि यदि वग भग रद्द न किया गया तो "जनता के हित में हम नौकरशाही के साथ हर प्रकार के सहयोग को तिला जलि बना पड़ेगी।" सरकार से असहयोग की विचारधारा तिलक की स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की विचारधारा में सम्मिलित थी। अरविन्द घोष तो निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थक थे और बहिष्कार का नतिक दृष्टि से उच्च मानते थे।

7 हिन्दू धर्म की रुढ़ियों के सम्बन्ध में भिन्नता—तिलक और गांधी दोनों ही हिन्दू धर्म के उपासक थे दोनों उसकी श्रेष्ठता में विश्वास करते थे, दोनों धर्म का राष्ट्रीयता का आवश्यक तत्व मानते थे, परन्तु जहाँ तिलक हिन्दू धर्म की रुढ़ियों और साम्प्रदायिक मान्यताओं के साथ समझौता करने के लिए तैयार थे वहाँ गांधीजी उसकी गहन रुढ़ियों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। तिलक की विचारधारा में पुरानप्रियता और अविश्वास का भी स्थान था परन्तु गांधीजी की विचारधारा में इनका स्थान नहीं था। गांधीजी धर्म की मान्यताओं को अपने अनुभवों के तराजू में तालते थे, जो उसमें खरी उतरती थीं उन्हें ही

वे स्वीकार करते थे। तिलक हिंदू धर्म की असामाजिक रूढ़ियों में सुधार चाहते थे परन्तु सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में विदेशी नौकरशाही के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते थे। वे कहते थे कि जिन लोगों की (अंग्रेजों की) मम्यता और सस्कृति भिन्न है, उन्हें भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। गांधीजी सामाजिक सुधार को स्वीकार करते थे चाहे वह विदेशियों द्वारा ही क्यों न लाया जाय। तिलक एक राजनीतिज्ञ की भाँति अल्पमतों के हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे परन्तु वे हिंदू धर्म के हितों की रक्षा भी चाहते थे अल्पमत के हितों की रक्षा के लिए वे बहुमत (हिंदुओं) के हितों का बलिदान करने के लिए तयार नहीं थे। दूसरी ओर, गांधीजी न सारे राष्ट्रीय आंदोलन में अल्पमत वालों को रिभाने का काय किया चाहे ऐसा करते समय उन्हें बहुमत के हितों की बलि ही देनी पड़ती। परन्तु अत तक गांधीजी अल्पमत वालों को संतुष्ट न कर सके और 1947 में देश का विभाजन हुआ।

3 लाला लाजपत राय¹ 1865-1928 (Lala Lajpat Rai 1865-1928)

बाल, पाल और लाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारम्भिक नेताओं में प्रमुख नेता थे। बाल और पाल की भाँति लालाजी उग्रवादी विचारधारा के थे। स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा से उन्हें अद्भुत प्रेम था। राष्ट्रीयता तो उनमें बूट बूट कर भरी हुई थी। वे सवधानिक आंदोलन में विश्वास करते थे परन्तु विदेशियों के बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध का भी सहारा लेते थे। वे अंग्रेजों की भिन्नता चाहते थे परन्तु स्वराज के लिये वे आत्म विश्वास पर बल देते थे। वे कहा करते थे कि 'अपने अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास न करो। तुम केवल स्वयं अपने प्रयासों से ही ऊँचा उठ सकते हो। याद रखो राष्ट्रों का निर्माण स्वयं अपने द्वारा ही होता है।' अतः लालाजी राष्ट्रीयता के विदेशी शत्रुओं को समाप्त करने के उद्देश्य से जनसाधारण को संगठित करना चाहते थे।

लालाजी उदारवादियों की भिक्षावृत्ति में विश्वास नहीं करते थे। परन्तु वे हिंसा और क्रांति पर बल भी नहीं देते थे। वे तो आत्मनिर्भरता और आत्मबल पर बल देते थे। वे कहा करते थे कि "हम आवश्यकता हिंसा की नहीं दृढता की है, अस्थिरता की नहीं दृढ संकल्प की है, अवसरवादिता की नहीं सिद्धांतवादिता की है।"

लालाजी निश्चित ही साहसी, निर्भीक और निष्ठापूर्ण दशभक्त थे। जैसाकि

- 1 लाला लाजपत राय मुंशी राधाकृष्ण के पुत्र थे। उनका जन्म पंजाब के लुधियाना जिले की जगरॉव तहसील के दुधिया गांव में 28 जनवरी, 1865 का हुआ था। साइमन आयोग का विरोध करते हुए, लाहौर स्टेशन पर जलूस की अगुवाही करते हुए लाठियों के प्रहार के कारण 17 नवम्बर 1928 को उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गयी।

वी० पी० वर्मा ने लिखा है कि "यह निर्विवाद है कि लाला लाजपत राय रणजीतसिंह के बाद पंजाब के महानतम व्यक्ति थे। स्वाधीनता के सेनानिया की पक्ति में उनका उच्च स्थान है।"¹ लालाजी ने स्वयं अपने सम्बन्ध में बड़े मातरम् में लिखा था कि "मेरा मजहब हकपरस्ती, मेरी मिल्लत बौम परस्ती, मेरी अदालत अत करण और मेरी जायदाद मेरी बलम" है। लालाजी को पंजाब में वही स्थान प्राप्त था जो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और बंगाल में विपिनचन्द्र पाल को था। लाला जी को ठीक ही शेरे-पंजाब (Sher-i Punjab), पंजाब केसरी, की सजा दी जाती है।

भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में सम्भवतः लालाजी ही ऐम नेता थे जो सुयाय लेखक, अोजस्वी पत्रकार, महान वक्ता और राजनीतिक यादवा थे। उहान अपनों आत्म कथा के अतिरिक्त अनक महान नेताओं की जीवनिया लिखी, 1892-93 में उहान गेरीगाल्डी, 1895 में मेजिनी और 1898 में स्वामी दयानन्द की जीवनिया लिखी। उहोने श्रीकृष्ण, अशाक, शिवाजी, गुरदत्त की जीवनिया लिखी। लालाजी ने समाचार पत्रों के माध्यम से सैयद अहमदखा की रचनाओं—द कॉजज आफ द म्युटिनी (The Causes of the Mutiny), सोशल रिफॉर्मर (Social Reformer) अलीगढ़ इन्स्टीट्यूट गजट (Aligarh Institute Gazette)—की बटु आलोचना का। लालाजी के इन आलोचनात्मक पत्रों की तुलना जूनियस के 'खुले पत्रों' से की गयी है।² लालाजी अनेक पत्रों का सम्पादन भी करते थे पंजाबी (The Punjab), बड़े मातरम् और पीपुल के माध्यम से उहोने स्वराज और सामाजिक सुधारों का सन्देश पत्तान की कोशिश की। लालाजी ने अनक पुस्तकों की रचना भी का यग इण्डिया, इन्डियन डैट टु इण्डिया, द पोलीटिकल फ्यूचर ऑफ इण्डिया, द फाइट फार क्रम्बज (The Fight for Crumbs), ए काल टू यग इण्डिया, एन ओपिन लटर टू लायड जार्ज, सर्फ डिटरमिनेशन फार इण्डिया, द यूनाइटेड स्टेटस आफ अमरिका, अनहेपी इण्डिया, तवारीखे हिन्द, द स्टारी आफ माइ डिपोटेशन आदि प्रमुख है।

लालाजी महान शिक्षाशास्त्री, समाजशास्त्री और समाज सुधारक थे। वे पक्के आर्य समाजी थे। निस्वाय, निडरता और समाज सेवा के भावा का उहोने इसी सगठन से प्राप्त किये थे। लालाजी¹ जून 1886 को लाहौर में स्थापित किये गये डी ए वी कालिज के सस्थापकों में से एक थे। वे राष्ट्रीय शिक्षा के उपासक थे परन्तु साथ ही में वे पश्चिमी शिक्षा की उपलब्धियों से लाभ उठाना चाहते थे। वे भूत की भारतीय ससृष्टि को वर्तमान की भारतीय ससृष्टि अर्थात् हिन्दूवाद का राष्ट्रवाद के साथ मिलाना चाहते थे। वे सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिये धार्मिक विकास का आवश्यक समझते थे। वे कहा करते थे "धर्म को जीवन से निष्कासित

1 Varma, Dr V P Modern Indian Political Thought P 301

2 See Varma, Dr V P Ibid, P 302

करना बहुत ही गतरनाक है।¹ इस तरह लालाजी परम्परा और आधुनिकता का मिश्रण चाहते थे।

लालाजी सामाजिक वायवर्ता भी थे। सन् 1897 में लालाजी ने पंजाब में अज्ञान पीड़िता की सहायता की तथा 1899 में राजपूताना में अज्ञान के समय और 1905 में नागपुर में भूचाल के समय पीड़िता की सहायता की।

लालाजी पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने समाजवाद, वात्सेयिकवाद, पूँजीवाद, और श्रमिक संगठना की समस्याओं पर विचार किया। लालाजी जहाँ एक ओर पूँजीपतियों और जमींदारों की शक्ति में वृद्धि के विरोधी थे वहाँ दूसरी ओर यूरोप में मजदूरों द्वारा अपनाय गए तरीके भी उन्हें पसंद नहीं थे। लालाजी इस बात को जानते थे कि साम्यवाद से झुटकारा पाने के लिए समाज के पिछड़े हुए वर्गों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाना अनिवार्य है। वे कहा करते थे कि "सत्तुष्ट तथा स्वशासित भारत (साम्यवाद) के विरुद्ध रक्षा कवच का वायव्य कर सकता है और असत्तुष्ट तथा उत्पीड़ित भारत उसके लिए सवाधिक उबरा भूमि सिद्ध होगा।"²

लालाजी पहले राष्ट्रवादी और राजनीतिक योद्धा थे।³ उनकी राष्ट्रवादिता काग्रेसवादप्रतिमक, अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं थी। राष्ट्रवाद पर उनके विचार उन्नीसवीं शताब्दी के इंग्लैंड के राष्ट्रवादियों से मिलते जुलते थे। वे इस बात का स्वीकार करते थे कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने आदर्श निर्धारित करने का अधिकार है और इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को अत्याधिक एक अप्राकृतिक मानते थे। लालाजी की सहमति का वे किसी भी सरकार का बंधनधार मानते थे। लालाजी का यह पूर्ण विश्वास था कि भारत ससदात्मक प्रणाली के योग्य है। उनका कहना था कि लार्ड लिटन और लार्ड कर्जन जैसे बट्टर निरकुशतावादियों ने ही आतंकवादियों और प्रातिकारियों को जन्म दिया है। अपनी रचना अनहैपी इण्डिया में लालाजी ने अंग्रेजों के मेकवाविलियन तरीके का "न" शब्द में व्यक्त किया है 'अंग्रेजों ने भारतीय जन और भारतीय मूल से भारत को जीता है।'⁴ उनका कहना था कि "राष्ट्रवाद शहीदा करके से फलता फूलता है।"⁵ उनका विश्वास था कि भारतीयों की मुक्ति का एक ही विकल्प है 'स्वशासन' (Home rule)

सन् 1905 में लालाजी गोखले के साथ दूरलैण्ड गये ताकि वग भग की योजना का वायव्य करन से राहा जा सके। परन्तु ब्रिटिश जनता, समाज, ससद

1 Quoted by Varma, Dr V P Ibid p 309

2 Quoted by Varma Dr V P Ibid p 308

3 कांग्रेस की स्थापना के तीन वर्ष बाद अर्थात् 1888 में लालाजी कांग्रेस में शामिल हुए।

4 & 5 Quoted by Varma, Dr V P Ibid, p 306

व नेता और प्रेस भारतीय विवेक और समस्या के प्रति उदासीन थी। अतः लालाजी को अत्यधिक निराशा हुई और ब्रिटिश "यायप्रियता" पर से उनका विश्वास उठ गया। सन् 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में लाला जी ने कहा 'अंग्रेजी जनता भारत के राजनीतिक प्रश्नों में कुछ रुचि नहीं रखती और न भारतीयों की चिन्ता करती है।' उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि "भारत यदि स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहता है तो उसे अंग्रेजों से भिक्षा वृत्ति की प्रवृत्ति का परित्याग करके अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा।"

मार्च 1907 में सरदार अजीतसिंह के साथ मिल कर लालाजी ने नई बस्तिया के विधायक (Colonization Bill) का विरोध किया। उन्हें सरदार अजीतसिंह के साथ 6 महीने के लिये माण्डल में दस निवासा दे दिया गया। परन्तु इस देश निकाले ने लालाजी का "राष्ट्रीय नेता" (national hero) बना दिया। 7 सितम्बर 1907 को उन्हें रिहा कर दिया गया। यद्यपि राष्ट्रवादियों का नया दम उन्हें सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहता था परन्तु उदारवादियों के विरोध के कारण उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। सूरत विच्छेद के बाद भी लालाजी ने उदारवादियों से सम्पर्क बनाये रखे। क्योंकि सरकार उन्हें उग्रवादी मानती थी अतः उन्हें प्रथम युद्ध के दौरान भारत वापस आने की आज्ञा नहीं दी गयी। विदेश में रह कर ही लालाजी राष्ट्रीयता का प्रचार करते रहे।

प्रथम महायुद्ध के बाद जब लालाजी 1919 में भारत लौटे तो उस समय पंजाब मासल ला और जलियावाला बाग हत्याकाण्ड से कराह रहा था। सितम्बर 1920 में लालाजी कांग्रेस के बलवत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये। उनकी अध्यक्षता में ही कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन के प्रस्ताव का पास किया। यद्यपि इस आन्दोलन से सहमत नहीं थे परन्तु एक बार प्रस्ताव पास होने के बाद उन्होंने उसका हृदय से साथ दिया। परन्तु जब चोरी चोरा काण्ड के प्रश्न पर गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन का वापस ले लिया तो "द पिपुल" के प्रथम अंक में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा कि 'राजनीति में अतिशय भावुकता और नाटकीय आचरण के लिए स्थान नहीं है। राजनीति का सम्बन्ध प्रथमतः और तत्त्वतः राष्ट्र के जीवन के तथ्यों से है और उसमें देवता पड़ता है कि उन तथ्यों के आधार पर उसकी प्रगति की क्या सम्भावनाये हैं। पैगम्बर, स्वप्न दृष्टा तथा कल्पनावादी पृथ्वी के लावण्य होते हैं। उनके बिना ससार फीका पड़ जायगा। परन्तु किसी राष्ट्र की मुक्ति का आन्दोलन मनुष्य स्वभाव का शीघ्र बदलने के प्रयत्न पर आधारित नहीं किया जा सकता, विशेष कर जबकि उह शासन तलवार के बल पर स्थापित है और तलवार के बल पर ही कायम हो।'¹

सन् 1925 में लालाजी के द्वािीय व्यवस्थापिका में स्वराज दल के उप-नेता

नियुक्त किये गये। परन्तु एक तो उह स्वराज दल की "वाहर चले जाणे" की नीति (walk out policy) से सतोप नहीं था और दूसरे वे मुसलमानों को अत्यधिक रियायतें देने के पक्ष में नहीं थे। लालाजी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे परन्तु उहे कांग्रेस की यह नीति पसंद नहीं थी कि मुसलमानों का प्रसन्न करने के लिए हिंदुओं के हितों का बलिदान दिया जाय। वे धर्म का राजनीति से पृथक् रखते थे। जब मोपलास (Moplas) ने हिंदुओं पर अत्याचार किये तो उह अत्यंत खेद हुआ।

कुछ समय तक लालाजी का सम्बन्ध हिंदू महासभा से भी रहा। सन् 1925 के हिंदू महासभा के बलवत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लालाजी ने की। उहान हिंदू महासभा के प्रोग्राम और नीतियों को भी निर्धारित किया।

लालाजी साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के भी विरोधी थे। वस्तुतः वे पंजाब की राजनीति से इतने अधिक परिचित थे कि उहोंने समस्या का समाधान करने के लिए पंजाब के विभाजन का भी सुझाव दिया जिसे 20 वर्ष बाद 1947 में ही राष्ट्रीय नेताओं ने स्वीकार किया।

30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लालाजी साइमन आयोग के बहिष्कार करने के लिए जलूस का नेतृत्व कर रहे थे। उसी जलूस में अग्नेज हत्यारा ने लालाजी पर लाठिया की बौछार की। साथ ही भाषण देते हुए लालाजी ने एक विराट सभा में कहा कि मेरे शरीर पर लगा हुआ लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील की तरह सिद्ध होगा। लालाजी की यह भविष्यवाणी ठीक सिद्ध हुई और 1947 में दश स्वतंत्र हुआ। इसी भाषण में लालाजी ने ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी भी दी थी कि वही ब्रिटिश अत्याचार, आतंकवाद और चान्ति तथा हिंसा का जन्म न दे दे। लालाजी की यह भविष्यवाणी भी ठीक सिद्ध हुई और भगतसिंह, राजगुरु, सुभाषचंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। लाठिया के पड़े घावा को लालाजी महन न कर सके और 17 नवम्बर 1928 को उनकी मृत्यु हो गयी।

समीक्षा-प्रश्न

(Review Questions)

- 1 "अपने प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस पूरात 'नरम दल' के नेताओं के प्रभाव में थी, जिनका विश्वास शुद्ध सवधानियन साधना में था और जिनके आन्दोलन का लक्ष्य यही था कि भारतीय शासन व्यवस्था में बड़े बहुत सुधार कर दिय जायें।" इस कथन के प्रकाश में उदारवादियों की नीति की समीक्षा कीजिए।
- 2 भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के 'उदार काल' (1885-1907) में आप क्या समझते हैं? इन वर्षों में कांग्रेस भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने में कहां तक सफल हुई?

- 3 "राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक वर्षों में उदारवादियों द्वारा अपनायी गयी सर्वधार्मिक नीति राष्ट्रीय आन्दोलन के उद्देश्यों का प्राप्त करन में उचित थी।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण लिखिए। उदारवादियों द्वारा अपनायी गयी सर्वधार्मिक नीति क्या थी?
- 4 "एक कमजोर दिल नेता"—गोपाल कृष्ण गांधल व सम्भव में इस विचार से आप वहाँ तक सहमत हैं? भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में उनकी दल का मूल्यांकन कीजिए।
- 5 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारम्भिक नीति और कार्यक्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्या तत्कालीन परिस्थितियाँ में यह नीति उचित थी?
- 6 भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उदय व कारणों का विवेचन कीजिए।
- 7 उन कारणों का विवेचन कीजिए जिनके फलस्वरूप भारत में उग्रवाद का विकास हुआ। लाता लाजपतराय की भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को दल का मूल्यांकन कीजिए।
- 8 'राजद्रोह के सबसे बड़े खतरनाक अग्रदूता में से एक और भारतीय असतोष के वास्तविक जनक' (शिरोल) तिलक के सम्बन्ध में दिये गये इस विचार से क्या आप सहमत हैं? भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में तिलक के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
- 9 उदारवादी और उग्रवादी दल थे? इनकी विचारधाराओं और साधनों में क्या अंतर था? क्या उग्रवादी अमैधानिक साधनों का प्रयोग करते थे?
- 10 भारतीय राजनीति में 'नरम' और 'गरम' दलों की नीति और कार्य पद्धति की तुलना कीजिए और इन दोनों दलों के 1905 में 1916 ई० तक के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास का वर्णन कीजिए।
- 11 गांधी और तिलक की राजनीतिक विचारधाराओं एवं कार्य-प्रणालियों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में उनकी क्या देन है?
- 12 भारतीय राजनीति में उग्र स्कूल के उदभव के क्या कारण थे? इसका कारण आन्दोलन के स्वरूप का किस प्रकार परिवर्तित किया?
- 13 'बंगाल विभाजन काल के शासन काल की सत्रम बड़ी भूल थी।' इस कथन के स दल में भारत में उग्रवाद के विकास पर प्रकाश डालिये।
- 14 भारत में नातिकारी आन्दोलन के संगठन, सिद्धांत तथा प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए तथा उनकी आवश्यकता का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- 15 बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों की उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें उग्रवादी एवं आतंकवादी आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ।
- 16 बीसवीं शताब्दी की दूसरी दशाब्दी में भारतीय राजनीति में 'युद्धु राष्ट्रवाद' (militant nationalism) के विकास के क्या कारण थे? उस

अपने उद्देश्य में कहां तक सफलता मिली ? राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान है ?

17 तिलक "अपने जीवन काल में पूरा स्वराज की स्थापना चाहते थे। यदि वे असफल हुए तो यह उनका दोष नहीं था। निश्चित ही उन्होंने इसे अनेक वर्ष निकट ला दिया।" (गांधी) इस कथन के सन्दर्भ में तिलक की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए।

18 संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए

(अ) बंग भंग, 1905, (ब) सूरत विभाजन, 1907 (स) राजनीतिक भिक्षावृत्ति (द) गदर पार्टी।

1909 से 1919 तक भारतीय राजनीति (Indian Politics from 1909 to 1919)

1909-1919 दशकाब्दी का महत्व—जैसा कि गुरुमुख निहालसिंह ने लिखा है कि "ब्रिटिश राज्याधीन भारत के इतिहास में सन् 1909 से 1919 तक का काल भारत के इतिहास में सबसे छोटा काल है परन्तु इसका महत्व इसके वर्षों की सख्या के आधार पर नहीं आका जा सकता।"¹ यह कथन सत्य से भरपूर है। एक के बाद एक महत्वपूर्ण घटना का घटित होना ही इस दशकाब्दी की प्रमुख विशेषता है। यह दशकाब्दी 1909 में मॉर्ले-मिंटो सुधारों से शुरू होकर 1919 के माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर समाप्त होती है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, संवैधानिक विकास, प्रशासन, राष्ट्रीय जागृति आदि का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो इस दशकाब्दी में घटित होने वाली घटनाओं से प्रभावित न हुआ हो। इन महत्वपूर्ण घटनाओं को निम्न शीर्षकों के अतगत व्यक्त किया जा सकता है—

1 राष्ट्रीय आन्दोलन और संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाएँ—सर्वप्रथम, सन् 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों में जहाँ परिषद की रचना और शक्तियाँ² में विस्तार करके प्रजातान्त्रिक सिद्धांतों को आरम्भ करने की वांछना की गयी वहाँ पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपना कर प्रजातान्त्रिक विराधी सिद्धांत को

1 Singh G N Landmarks in Indian Constitutional and National Development (1959) Atma Ram & Sons Delhi:-6, p 221

2 मॉर्ले मिंटो सुधारों में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। विधान परिषदों में अब तीन प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था थी—सरकारी, निर्वाचित और गैर-सरकारी मनानीत। परिषदों को वित्तीय विवरण पर विचार करने, उन पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने, सांख्यिक महत्व के विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने, विचार करने, पूरे प्रश्न पृच्छा, वाद लेने आदि के अधिकार दे दिये गये थे।

भी भारतीय राजनीति में शामिल कर दिया गया था। इस तरह इन सुधारों द्वारा साम्राज्यीय हितों की रक्षा और भारतीय राष्ट्रीय हितों का सख्खित करने का प्रयास किया गया। दूसरे, जहाँ मॉर्ले मिण्टो सुधारों द्वारा उदारवादियों और 'भारत के विचारशील व्यक्तियों'¹ का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की गयी वहाँ 1910 के इण्डियन प्रेस एक्ट² (The Indian Press Act, 1910), 1911 के राजद्रोह पूर्ण मीटिंग वजन एक्ट (The Prevention of Seditious Meetings Act, 1911) और 1913 के फौजदारी कानून (सशोधन) (Criminal Law (Amendment) Act, 1913) द्वारा उग्रवादियों और क्रांतिकारियों के कठोर दमन का प्रयास भी किया गया।³ तीसरे, दमनकारी और निंदनीय कानूनों के बाद भी क्रांतिकारियों की गति-विधियों में कोई कमी न आई, सड़कों पर लूट मार, दिन में डकतियाँ और हत्याएँ सामान्य घटनाएँ थीं। जनवरी 24, 1910 को डिप्टी सुपरिन्टेण्डेंट शमसुल आलम की हत्या की गई, 1910 में हावड़ा (Howrah) और ढाका पब्लिक अभियोग चलाये गये, 1912 में वायसराय लाड हाडिंग की सवारी पर बम फेंक कर उसकी हत्या का प्रयास किया गया।⁴ 1915 का वर्ष क्रांतिकारियों की गतिविधियों के कारण क्लृप्त वर्ष⁵ के नाम से प्रसिद्ध है। इसी वर्ष, 1857 के विद्रोह के बाद एक बार फिर भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मन अभिकर्ताओं (agents) के साथ मिल कर व्यापक व्युत्थान (General uprising) का निष्फल प्रयास किया।⁶ चौथे, युवा पीढ़ी के प्रभाव के कारण मुस्लिम लीग ने 1913 में, लखनऊ अधिवेशन में, स्वराज्य प्राप्ति

- 1 Buchan Lord Minto, P 392 Quoted by Singh G N
Ibid P 240
- 2 For details See Singh G N Ibid, pp 241-243 specially
P 243
- 3 1909-14 तक भारतीय राजनीति में शिथिलता आ गयी, उदारवादी नेता गोखले और मेहता किसी गतिमान और उत्तेजित नीति को अपना देने के लिये तैयार नहीं थे, उग्रवादी नेता श्री तिलक माण्डले जेल में 6 वर्ष की सजा भुगत रहे थे, राष्ट्रीय दल (उग्रवादी दल इसी नाम से जाना जाता था) लाला लाजपत राय और विपिनचंद्र पान की शिथिलता के कारण कमजोर पड़ गया था और अरविंद घोष राजनीति से स्वयं अलग हो गये थे।
- 4 For details See Singh G N Ibid pp 245-248
- 5 See Singh, G N Ibid, p 248
- 6 इस व्यापक व्युत्थान के प्रमुख नेता थे पिल्लई (Pillai) जिन्होंने बर्लिन में इण्डियन नेशनल पार्टी का निर्माण किया था, श्री हरदयाल जिन्होंने अमरीका में गदर पार्टी का गठन किया था। अन्य क्रांतिकारी नेता थे चरबतुल्ला, तारकनाथ दास, के० सी० चक्रवर्ती, हेरम्बलाल गुप्त, रास बिहारी, पिंगले आदि।

को अपना उद्देश्य बना लिया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य "ब्रिटिश शासन को हटाने का, गवर्नर-जनरल द्वारा, भारत में निरस्वशासन प्राप्त करना है। इस तरह मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस की भांति राजनैतिक समस्याओं पर राष्ट्रीय दृष्टिमान अपनाया शुरू कर दिया। पाँचवें, 1907 के मुसल विभाजन के 9 वर्ष बाद, गांधी और मेहता की मृत्यु के बाद, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी दोनों पक्षा का 1916 में पुनर्मिलन हुआ। छठे, 1916 की कांग्रेस लीग योजना (लगनऊ समझौता) के अनुसार भारत के दो महत्वपूर्ण राजनैतिक और दो प्रमुख जातियाँ एक दूसरे के निजट प्रायों। सातवें, 1916-17 में श्री कृष्ण ने 'मराठा' और 'केसरी' के माध्यम से और श्रीमती एनी बेन्टन "कॉमन वॉर" और 'यू इण्डिया' के माध्यम से होम रूल आन्दोलन का उग्र प्रचार करना शुरू कर दिया। इसमें भारतीयों में न केवल अपार जन जागृति का मंचार हुआ अपितु उन्हें संगठित राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति का अनुभव भी होना लगा। राष्ट्रीय आन्दोलन की दृष्टि में इस दशाब्दी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सभी राष्ट्रीय गतियों ने संयुक्त रूप से भारत के लिये स्वशासन की मांग की। राष्ट्रीय आन्दोलन का दृष्टि से इस दशाब्दी की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि लगनऊ समझौते में कांग्रेस ने अपने प्रजातान्त्रिक राष्ट्रीय और धर्म निरपेक्ष मित्रताओं का बलिदान दे दिया और मुसलमानों के लिये पृथक् निर्वाचन प्रणाली गुरुभार और साम्प्रदायिक बंटों के मित्रताओं को स्वीकार करके भारत के विभाजन की नींव रख दी। जमानि आर० सी० मजूमदार ने लिखा है कि "1916 के कांग्रेस अधिवेशन में उस पाकिस्तान की नींव को रखा जिसका पूर्ण स्वल्प तीस वर्ष बाद दृष्टिगोचर हुआ।" 1 आठवें, सर्वप्रकार विरोध होने पर भी ब्रिटिश सरकार ने, युद्ध के बाद, भारतीय राष्ट्रीयता, सामाजिक नागरिक स्वतंत्रताओं और सुधारों के (1919 के) विरोध को कुचलो के लिए 1919 में दा गौल्ट विधेयक को प्रस्तुत किया। इनमें से एक ही कानून बन पाया। नवें, 13 अप्रैल, 1919 को, हिन्दू नव वर्ष के दिन, अमृतसर के जलियावाला बाग में जनरल ओ डायर ने "निर्दोष, निरपराध निशम्य" स्त्री पुरुषों और बच्चों पर गोलियाँ फी बौछार करके निदय हत्याओं की जो हिटलर के गस चेम्बर्स में भस्म किये गये यहूदियों की हत्याओं को भी फीका कर देता है।

संवैधानिक विकास की दृष्टि से भी यह दशाब्दी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 20 अगस्त 1917 को माण्टेग्यू ने भारत के प्रति ब्रिटिश नीति के उद्देश्य का स्पष्ट कर दिया। इस घोषणा में कहा गया था कि ब्रिटिश नीति का लक्ष्य भारत में शान्ति शान्ति उत्तरदायी शासन की स्थापना है। यह घोषणा अत्यन्त प्रातिपक्षिक थी। इसने भारतीयों के स्वराज्य के अधिकार को स्वीकार कर लिया और भारत

को उस सड़क पर लाकर सड़ा कर दिया जो प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता की ओर ले जाती थी। इसने आने वाले 30 वर्षों के लिये कांग्रेस को आन्दोलन के आधार को भी प्रदान कर दिया।

2 स्वतन्त्र भावनाओं के विकास की दृष्टि से भी यह दशाब्दी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रथम महायुद्ध के शुरू होने से राष्ट्रावादी, प्रजातांत्रिक और स्वतन्त्र भावनाओं को बल मिला। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रा की इन घोषणाओं ने कि 'युद्ध निरंकुश शासनो के विरुद्ध लड़ा जा रहा है', विश्व में प्रजातन्त्र को सुरक्षित रखने और राष्ट्रा को आत्म निर्णय का सिद्धांत प्रदान करने के लिये इसे लड़ा जा रहा है।' भारतीयों की स्वशासन की भावनाओं को बल दिया। हामरूल लीग के नेताओं ने स्वशासन, स्वदेशी और राष्ट्रीय भाषा का जोरदार प्रचार किया। इनके प्रचार की विशेषता यह थी कि ये स्वशासन की मांग राज्य भक्ति या युद्ध प्रयत्नों में सहायता के उपलक्ष में नहीं बल्कि अपने अधिकार के रूप में करते थे। दूसरे, जो भारतीय युद्ध में भरती होकर विदेशों में गये थे और जिन्होंने ब्रिटिश सैनिकों और अन्य मित्र राष्ट्रा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध जीता था उनमें स्वतन्त्रता, आत्म विश्वास, आत्म शक्ति और आत्म त्याग की भावनाएँ घर कर गयी थी। जब ये सैनिक युद्ध के बाद स्वदेश लौटे तो उन्होंने भी स्वशासन की मांग की।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर लादी गयी अपमानजनक शर्तों और फिजी में शतवर्द श्रम (Indentured Labour) की दृष्टि ने भारतीयों को एहसास करा दिया कि यदि वे स्वतन्त्र होते या उनकी स्वयं की सरकार हाती तो भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार न होता। इसमें भी स्वशासन की मांग को बल मिला।

3 प्रशासनिक दृष्टि से भी इस दशाब्दी में अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुईं। प्रथम, श्री हावहाऊस की अध्यक्षता में भारतीय विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट फरवरी 1909 में प्रस्तुत की गयी। इसमें जहाँ भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों के सम्बन्धों का विश्लेषण किया गया था वहाँ प्रांतीय सरकारों और स्थानीय सरकारों (सस्थाओं) के साथ सम्बन्धों का भी विश्लेषण किया गया था। इसने प्रशासनिक तर्कों का सरल बनाने और अधिकारियों के नियंत्रण में हिलाई लाने के अनेक सुझाव दिये।¹ दूसरे 1911 में हाईकोर्ट अधिनियम द्वारा हाईकोर्ट के 'यायाधीशों की अधिकतम संख्या 20 निश्चित कर दी गई, सत्राट को नवीन हाईकोर्ट में निर्माण का अधिकार दे दिया गया और गवर्नर जनरल को अस्थायी अतिरिक्त 'यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तीसरे, भारतीय इतिहास में पहली बार ब्रिटिश सम्राट जाज पञ्चम, साम्राज्ञी मेरी और एक प्रमुख राज

1 See Singh, G N, Ibid, pp 222-227

मन्त्री के साथ, भारत आये। सम्राट और साम्राज्ञी के सम्मान में 12 दिसम्बर 1911 को दिल्ली में एक शाही उत्सव रखा गया। उत्सव एक बड़े साम्राज्यवादी सम्मेलन के मुहूर्त उत्सव और 'गूगरी' द्वारा भारतीयों की सम्भावना और भक्ति का प्राप्त करने का प्रयास किया। चौथे, भारत की राजधानी बनवते से बन कर दिल्ली कर दी गयी और उस साम्राज्यी नगर बनाने का निश्चय किया गया। सारे भारत पर मुबारक रूप से विचारण रगन के लिये यह आवश्यक था। पाँचवें वग भग का रह कर दिया गया और बंगाल का एक 'गवर्नर' प्राप्त बना दिया गया। 21 मार्च 1912 का लाड वारमाइनेल बंगाल के प्रथम गवर्नर बने। बिहार, छोटा नागपुर और उड़ीसा का 'परिषद्' उप गवर्नर प्राप्त बना दिया गया। और असम को चौक कमिश्नर प्राप्त बना दिया गया।¹ इन सब परिवर्तनों से प्रांतीय स्वायत्तता की मूलभूत भ्रष्ट मित्रता थी परन्तु भारत मन्त्रिण ला' श्रीव के हाउस ऑफ लाड में 24 जून 1912 को दिये गए भाषण में इन आशाओं पर पानी फेर दिया। लाड श्रीव ने कहा था कि उन्हें "इस दिशा में भारत का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता।"² छठे 21 अगस्त 1912 को लार्ड इस्लिंग्टन (Lord Islington) की अध्यक्षता में एक राजकीय आयोग (Royal Commission) की नियुक्ति का गयी जिसे साम्राज्यीय और प्रांतीय सेवाओं की वर्तमान स्थिति उनकी नियुक्ति पदावधि तथा की शर्तों आदि के सम्बन्ध में शयन सुझाव देने के लिये कहा गया। जून जनवरी 1917 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गयी (यद्यपि इसे 1915 में ही प्रस्तुत कर दिया गया था) ता भारतीयों ने इसकी निंदा की। यह न केवल भारतीय आकांक्षाओं के विपरीत थी बल्कि जातीय सर्वोच्चता पर भी आधारित थी। सातवें, सन् 1915 में भारत सरकार अधिनियम 1915 द्वारा कानूनों को संहिताबद्ध (Codify) करने के लिये एक कांसलिटेटिंग एक्ट (Consolidating Act) पास किया गया। आठवें, 1916 के भारत सरकार अधिनियम ने देशी रियासतों और नेपाल के नागरिकों को भी मजिस्ट्रेट और असैनिक पदों के लिये योग्य बना दिया।

4 भारतीयों के सम्मान की दृष्टि से भी यह दशाब्दी महत्वपूर्ण है। यद्यपि इस दशाब्दी में भारत को अत्यन्त स्वशासित उपनिवेशों की भाँति स्वशासन प्रदान नहीं किया गया परन्तु फिर भी साम्राज्यीय सम्मेलन, साम्राज्यीय युद्ध परिषद और शांति सम्मेलनों आदि में पहली बार भारत को बराबरी का दर्जा दिया गया। भारत ने अत्यन्त ब्रिटिश अतिराज्य के समाप्त बसाय के शांति सम्मेलन में भाग लिया और भारत राष्ट्र संधि (League of Nations) का स्वतन्त्र सदस्य बना। इस

1 ये सब परिवर्तन 1912 में वायपालिका आदेशों और उद्घाटनार्थक द्वारा किये गये थे जिनमें से कुछ परिवर्तन 1912 के भारत अधिनियम में शामिल कर लिया गया था।

2 See Singh G N Ibid, P 229

तरह, जैसा कि गुम्मुख निहानसिंह ने विरल है कि "त्रिदशी मामता म भारत को एक अधिराज्य का दजा द दिया गया।"¹ सन् 1917 म ही भारत के प्रतिनिधि के रूप म भारत मन्त्री को, साम्राज्यीय युद्ध केबिनेट और साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन में, निमन्त्रित किया गया। सन् 1918 म साम्राज्यीय युद्ध केबिनेट में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार ने सत्येन्द्र सिनहा को नियुक्त किया।

5 सुधारा की दृष्टि से भी यह दशाब्दी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 1909 के माले मि टो सुधारो के कार्यान्वित होते ही नय सुधारो की माग उठ खडी हुई। नय सुधारो की माग मान्यने ने 1915 म अपनी राजनीतिक वसीयन (political testament) द्वारा² की जिसम प्रांतीय सरकारो को केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण स मुक्त रखने का सुभाव दिया गया था। परन्तु इस वसीयत में किसी प्रकार की उत्तरदायी सरकार की कल्पना नहीं की गयी थी। सन् 1916 में वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने आते ही सुधारा पर अपने प्रस्तावो को एक सरकारी पत्र (despatch) द्वारा भारत सचिव को भेजा। इन प्रस्तावो से प्रारम्भित होकर साम्राज्यीय विधान परिषद के मभी 19 भारतीय निर्वाचित सदस्यो 7 सुधारो पर एक आवेदन पत्र तैयार किया जो इतिहास में "19 के आवेदन पत्र" (जापन) (The Memorandum of the Nineteen) के नाम से प्रसिद्ध है। इस जापन में भी 'उत्तरदायी सरकार' के सुभाव का अभाव था। इसी समय भारत परिषद के एक सदस्य श्री लियानल कर्टिस³ (Lionel Curtis) के सहयोगी श्री विलियम ड्यूक ने (जो वगाल के भूतपूर्व उप-गवर्नर और अग्र भारत परिषद् के सदस्य थे) सुधारो से सम्बन्धित एक योजना तैयार की जो ड्यूक आवेदन पत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें द्वध प्रणाली का सुभाव दिया गया था। 1916 में ही कांग्रेस लीग योजना में सुधारो की योजना

1 Singh, G N Ibid, P 239

2 गोपले ने यह योजना वम्बई के गवर्नर लार्ड विलिंग्टन के सुभाव पर तैयार की थी और उनकी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व ही तैयार हुई थी। परन्तु इसमें उत्तरदायी सरकार के सुभाव का अभाव होने में यह योजना अपर्याप्त थी। इस योजना का अगस्त 1917 में प्रकाशित किया गया था। यह उसी दिन स पुरानी पड गयी थी जिस दिन इसे प्रकाशित किया गया था।

3 श्री कर्टिस "इंग्लिश राउण्ड टबल ग्रुप" के नेता थे। इनका विश्वास था कि भारत में प्रतिनिधि शासन तुरन्त स्थापित हो सकता है और उत्तरदायी शासन का बाद में धीरे धीरे विकास हो सकता है। इस ग्रुप के विवादा में ही पहली बार द्वध योजना का उदभव हुआ यद्यपि ड्यूक आवेदन पत्र का जिन किसी भी सरकारी दस्तावेज में नहीं किया गया था फिर भी यही द्वध योजना ही 1919 के सुधारो का आधार थी।

संगान की गयी थी परन्तु इसे मंगलान । गीतान गरी रिया यदनि मरसारः
गाजात ए गुम्प्राधिक भाग वा गीतान कर निता ।

इस गृष्टभूमि में भाग्य मणिय वागे व वाग माण्डगू नवम्बर 10, 1911
को भारत प्राय और मंगमग 6 मंगीग गृष्ट भाग्याय नेत्राया, राजनीतिद इगे
प्रतिनिधि मण्डल¹ और प्रजासत्तिय अधिनागिया के माय बातभी बनने क बा
8 जुलाई 1918 वा एक रिपोट प्रकाशित की गयी जो माण्डगू पेम्पकोट रिपोट
नाम में प्रसिद्ध है । यह रिपोट नी निरागजान थी, कष्ट में उत्तरदायी सरकार
स्थापना करता ता दूर प्राण में भी पूरा उत्तरदायी सरकार वा गुम्पव नही नि
गया था, प्राण में प्राणित उत्तरदायितर वा गवाग के विद्ययाधिसरों क प्रया
कर दिया गया था । भी निवक वा इमे 'गुम्पहीग उपा'² की मंग दी और
निाद्रलाल बनर्जी न इमे, प्रतिगदापूरा धन्य ताकायो और बहून हा निरागू
और मपूर³ की सगा दी । मनी यत ट । नी इकी धातोपना यह कष्ट कर
नि य "इम्पण्ड के निम द्वा माय्य गरी व और भारत के निम सेा, माय्य गदा व इ
योजना ता द्वा इम्पण्ड क निम धनाभनीय वा और भारतीयों के निम इत स्वीक
करता धपमानजात वा ।⁴ सर 1919 में इनी माण्डगू पेम्पकोट की रिपोट
आधार पर 1919 वा भारत सरकार अधितीयम वायाया गया जितम गृष्टिया हो
हुए नी उत्तरदायी सरकार की धार (मनेही प्राणित रूप में) पहली मुरमात थी
भारतीय दगी रिपासतो के नरना की भी भारतीय प्रजासन में सम्वा यत मामलों
शामिल करन का प्रयाग था ।

6 आर्थिक कठिनाइयों और प्राकृतिक प्रकोप (मसतोप) की दृष्टि से भी व
दशाची महत्वपूर्ण है । प्रथम, युद्ध श्रम और भरती के तरीके "धनधिद्वत प्रापि
जनक और धत्याचार पूरा' होने से भारतीयों में मसतोप का कारण बन हुए व
दूसरे धनिवाय यन्तुमा की कमी होने के कारण यन्तुमो की कीमतें धारचयजत

- 1 गुन मिताकर 110 प्रतिनिधि मण्डल श्री माण्डगू से मिले और उन्होंने 331
लोका स भेंट की । दरिये पवत, टी०, वी०, वाल गगाधर तिल
(शिवलाल अप्रवाल एण्ड कम्पनी) धनुवादक भगवानदास गुप्त पृ० 411
- 2 तिलक पवते, टी० वी० पू० उ० पृ० 427
- 3 बनर्जी जितेद्रलाल पवते, पू० उ० पृ० 428
- 4 उदारवादियो न मुरेद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में माण्डफोड रिपोट वा स्वाग
निया और उन्होंने काँग्रेस से गृधक होकर 1918 में भारतीय राष्ट्रीय
उदार दल (All India National Liberal Federation) की स्थापना व
परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति तक काँग्रेस में उप्रवादियो वा प्रभाव रहा । गाधीज
के सत्याग्रह के तरीके उदारवादी नहीं उप्रवादी थे ।

तरीके से बढ रही थी, पूँजीपति तथा व्यापारी स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे थे, 1917 में वर्षा की तमी के कारण अनाज की स्थिति थी, प्लेग, एन्फ्लूएन्जा, हैजा और मलेरिया की बीमारियों से साधारण जन मानस अत्यन्त दुःखी थे। लासा लोग (एक अनुमान के अनुसार लगभग एक करोड़) मौत के शिकार हो गये, चम्पारन, ग्रहमदासाद और मेडा आदि में तिसाना और मजदूरों ने सत्याग्रह द्वारा अपने असंतोष का व्यक्त किया। सबसे असंतोष विद्यमान था।

7 कांग्रेस उद्देश्यों और साधनों में परिवर्तन¹ की दृष्टि से भी यह दशाब्दी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अभी तक कांग्रेस का उद्देश्य "ब्रिटिश साम्राज्य के अतगत स्वराज को प्राप्त करना" था परन्तु अब उसका उद्देश्य 'सम्भव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उससे बाहर स्वराज प्राप्त करना' बन गया। इसका अर्थ यह था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक् भी हो सकता था। दूसरा परिवर्तन कांग्रेस के साधनों में किया गया। अभी तक स्वराज्य प्राप्ति को केवल सवधानिक साधनों द्वारा प्राप्त करना था परन्तु अब इमकी प्राप्ति सभी शांतिमय और उचित उपायों द्वारा की जा सकती थी। इसका अभिप्राय यह था कि कांग्रेस अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये "अहिंसक सीधी कायवाही" के साधनों (अमहयोग, सविनय अवज्ञा, हड़ताल, धरणा, हिंजरत, उपवास, आदि साधनों) का प्रयोग कर सकती थी।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि 1909-1919 की दशाब्दी महत्वपूर्ण घटनाओं से भरपूर थी।

उदारवादियों और उग्रवादियों का पुनर्मिलन (Reunion of Moderates and Extremists)

इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस के दोनो पक्षों के पुनर्मिलन की थी। कांग्रेस जो 1907 में सूरत में विभक्त हो गयी थी वह 1916 में लखनऊ में पुनः एक हो गयी। दोनो पक्षों के मिलने से राष्ट्रीय आन्दोलन में पुनः जान आ गयी।

माण्डले जेन से स्वतन्त्र होने के कुछ समय बाद श्री तिनक ने एक वक्तव्य में (27 अगस्त 1914 को) अनेक बातों का स्पष्टीकरण किया और उन्होंने अपनी राजभक्ति का भी परिचय दिया। उन्होंने इस बात का निरर्थक और बहूदा बताया कि किसी समय उनकी सरकार से शत्रुता थी और वे ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने देश में हो रही हिंसक घटनाओं की निंदा

1 वास्तविक रूप से परिवर्तन कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में किये गये थे यद्यपि इसकी भूमिका 1918-1920 की घटनाओं में तयार कर दी थी।

ति की। तथापि युद्ध शुरू हो चुका था इसलिए उन्होंने कहा कि "एक मरद बसना मे प्रत्येक भारतीय का बतव्य है कि वह यथाराम्यव गत्याग और गहायता प्रदान करे।"¹

श्री तिलक ने उपयुक्त वक्तव्य का श्रीमती ऐनी बेसेट ने कांग्रेस के दलों पक्षा का मिलाने का सुझावगत समझा। इस उद्देश्य का लेखक उन्होंने श्री गान्धी और सर फिरोजशाह मेहता न भेद की। परन्तु "11 उग्रवादिया ने कांग्रेस में प्रवेश के विरोधी थे। इनका विश्वास था कि उग्रवादिया के कांग्रेस में प्रवेश से उम पर श्री तिलक का अधिपत्य हा जायगा और वे तीररशाही से भिड़न का बीडा उठायेगे। उग्रवादिया का कांग्रेस में न मिला दे के लिये सर फिरोजशाह मेहता न कांग्रेस के आगामी अधिवेशन (1915 का अधिवेशन) के लिये बम्बई का चुनाव और इसका अध्यक्षता के लिये सत्यद्व प्रसाद मि हा का नाम रखा गया। श्री मेहता का निरवधान कि बम्बई में अपना व्यक्तित्व और प्रभाव के कारण - वे उग्रवादिया का कांग्रेस में प्रवेश नहीं लन देंगे। परन्तु, जसाकि विधाता का मजूर था, 19 फरवरी 1915 का गांधी जी की मृत्यु हा गयी और कांग्रेस के वापिक अधिवेशन के कुछ सप्ताह पूर्व नवम्बर 1915 में सर फिरोजशाह मेहता चन बम। अथ उग्रवादिया में कोई एमा नेता नहीं था जा उसका नतत्व सम्भाल सक्ता, वाचा बद्ध हा गय थे, सत्यद्व सि हा, यद्यपि वे बम्बई कांग्रेस के अध्यक्ष थे, की र्चि कांग्रेस में समाप्त हा गयी थी, श्री मालवीय उदारवादिया का नेतृत्व सम्भालन की स्थिति न नहीं थे, गांधीजी ने अभी तब भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधिया पर स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं अपनाया था। स्पष्टतया कांग्रेस और देश का नेतृत्व लावमाय तिलक के हाथ में था। श्रीमती ऐनी बेसेट के प्रयासा द्वारा बम्बई कांग्रेस ने कांग्रेस सचिवान के अनुच्छेद 20 में सशोधन कर दिया। इस सशोधन में कहा गया था कि "उन सब संस्थाओं द्वारा बुलाई गयी सावजनिक सभायें कांग्रेस के लिये प्रतिनिधि चुन सकेंगी जिनकी स्थापना 1915 से दो वर्ष पूर्व हो चुकी हो और जिनका उद्देश्य बंध उपाया से ब्रिटिश साम्राज्य के अ तगत स्वराज्य प्राप्त करना हो।" इस सशोधन के पास ही जाने से उग्रवादिया का कांग्रेस में मिलना सम्भव हा गया। 1 जनवरी 1916 में श्री तिलक न आशिक सुले द्वारा ² द्वारा कांग्रेस में प्रवेश की इच्छा का व्यक्त कर दिया। परिणामस्वरूप उग्रवादियों ने 7 वर्ष बाद लखनऊ में पुन कांग्रेस अधिवेशन में भाग

- 1 See Athalye Lokamanya Tilak, P 216 Quoted by Singh G N Ibid P 277
- 2 Quoted by Singh G N Ibid, P 277
- 3 See Gupta D C Indian National Movement & Constitutional Development, P 72

लिया। ज्याही श्री तिनव अपने गधिया के ग। व ताप्रेग पण्डान म आये उनका हादिक स्वागत और सम्मान किया गया।

कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ समझौता, 1916

(Congress-League Scheme or Lucknow Pact, 1916)

लखनऊ समझौते का कारण या समझौता क्यों ?

मार्च 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना ब्रिटिश स्वीट्ज़रलैंड में हुई थी और उन्हीं के प्रास्ताविक पत्र पर मुस्लिम लीग का उद्देश्य 'प्रथम निर्वाचित प्रणाली' की मांग कर रहे थे (और समय उन्हीं परफरता भी मिली क्योंकि 1909 में सुधारों में इस प्रणाली का लागू कर दिया गया था) जिन समय कांग्रेस प्रग-भग का विरोध करती थी जीवन मरण की बाजी लगा रही थी। परन्तु ब्रिटिश-मुस्लिम समझौते 1916¹ का ही रस्ता और 1911 में, जब सरकार ने मुसलमानों की उपक्षा करके प्रग-भग का रद्द कर दिया, यह उदलना हुआ नजर आया। मुसलमानों को महसूस हुआ कि ब्रिटिश शासन अपने हितों के लिये मुसलमानों के हितों की उपक्षा कर सकते हैं। उन्हीं अनुभव किया कि 'कांग्रेस के साथ मित्रता करने में ही उनके अधिकार सुरक्षित हैं'² वायसराय काउन्सिल ने कांग्रेस के प्रति मेलजोल की नीति में भी उन्हीं स्पष्ट कर दिया कि उनकी गति भी कांग्रेस के साथ सहयोग करने की ही है।

दूसरा कारण, ब्रिटिश शासन पर भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी जिनमें भारतीय मुसलमान अग्रजों का अनास्तित्व था। मार्च 1911, 1912 और 1913 के त्रिपाली और वाल्वन युद्धों में और प्रथम महायुद्ध में अग्रजों ने अर्थों के सुधारों के प्रति, जिसे मुसलमान खलीफा (शाब्दात्मक मुनिता) समझते थे, विरोधी नीति का अनुसरण किया जिससे भी भारतीय मुसलमान रुष्ट थे। प्रथम महायुद्ध में अर्थों के खलीफा ने जमीनों का माय दिया था। जब शेरउल हिन्द मेहमूदुल हसन मौलाना हुसैन अहमद नदवी, मौलवी अजीज मुन्सि, हुसैन भाहानी और मौलाना मुहम्मद अली और शीख अली ने अर्थों के प्रति हमदर्दी दिखाई तो सरकार ने उन्हीं

1 1910 में ही अलीगढ़ कालिदास के अर्थों में प्रिन्सिपल और नयाय कर उन मुन्सि (Waqar-ul mulk), जो लीग के सस्थापका में स थे, मानेद उत्पन्न हो गये। नयाय साहब का मुसलमानों में उन्हीं सम्मान था, अर्थों का प्रभाव से मुनिता के लिए आता था ने 1910 में ही लीग का मुख्य कार्यालय की अलीगढ़ में बदल कर लखनऊ कर दिया। See Gupta, DC Ibid p 73

2 See Bahadur, Dr Lal The Muslim League—Its History, Activities and Achievements

नजरबंद कर दिया। सरतार के इस काय से भारतीय मुसलमानों का अग्रजा स श्रुद्ध होना स्वाभाविक था।

तीसरे बदरुद्दीन तयबजी और रेहमत उल्ला जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान पढ़ने से ही मुसलमानों को कांग्रेस का साथ देने के लिये परामर्श दे रहे थे। मौलाना आजाद जैसे युवक मुस्लिम नेता अपने पत्र 'अन हिलाल' (Al Hilal) द्वारा हिंदू मुसलमानों के सामाज्य हितों राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के विचारों का प्रचार कर रहे थे। मुहम्मद अली भी अपने पत्रों द्वारा (उद्दू में हमदद और अग्रजी में 'द कॉन्फेड')¹ राष्ट्रवाद की विचारधारा का विकास कर रहे थे। जिन्ना न, जो इस समय पहले राष्ट्रवादी थे, पृथक् निवाचन प्रणाली का "अहितकर जहर" (Obnoxious virus)² की सला दी थी जिस भारतीय राजनीति में "कुर इरादा" स आरम्भ किया गया था।

चौथे, मुस्लिम लीग में युवा पीढ़ी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस पीढ़ी की मांग पर ही लीग के नवीन सविधान का निर्माण करने के लिये बलकत्त में दिसम्बर 1912 में लीग परिषद की बैठक बुलाई गयी। इस बैठक में जिन्ना³, सर अब्राहीम रहीम अतुल्ला, मौलाना मुहम्मद अली, मजहरल हक, हसन इमाम, मुहम्मद शफी, बजीर हसन जैसे प्रगतिशील मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया। इस बैठक में लीग के नये सविधान के मसविदे को तैयार किया गया जिसे लीग ने लगनऊ में 22 मार्च 1913 के अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। इस सविधान में, अग्र बातों के सहित, लीग के निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये —

- (i) लीग में ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति को बनाय रखना तथा उसका वृद्धि करना,
- (ii) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की सुरक्षा करना तथा उनका विकास करना,
- (iii) मुसलमानों और भारत की अग्र जातियों में पारस्परिक मित्रता और सगठन को (एकता को) बढ़ावा देना।
- (iv) ब्रिटिश शासन की छत्रच्छाया में, सवधानिक साधनों द्वारा, भारत के लिये स्वशासन को प्राप्त करना।

मुस्लिम लीग के उपयुक्त उद्देश्यों और नीति का कांग्रेस ने, दिसम्बर 1913 के कराची अधिवेशन में, एक विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वागत किया।

1 Quoted by Chaudhri Binayendra Mohan Muslim Politics in India p 20 Also see Gupta D C Ibid p 73

2 मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक नीति के कारण जिन्ना उससे अभी तक पृथक् थे। दिसम्बर 1912 में पहली बार जिन्ना न लीग के अधिवेशन में भाग लिया।

पावें, राष्ट्रीय एता और सामान्य कायदम का निश्चित करन म जिन्ना के प्रयत्न भी बहुत लाभकारी सिद्ध हुए। जिन्ना के प्रयासा से ही 1915 म लीग का अधिवेशन उती स्थान पर (बम्बई म) हुआ जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। लीग अधिवेशना म मदन भाहन मालवीय, गांधी और सरोजनी नायड जैसे कांग्रेसी नेतामा ने भाग लिया। जब कांग्रेसी नेता मुस्लिम अधिवेशन म पहुँचे ता उनका बग सम्मान किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष एस० पी० सिन्हा और लीग के अध्यक्ष मजहरुल हक (Mazharul Haq) न आपस म विचार विमश किया। दोनों सगठना ने निश्चय किया कि वे पारम्परिक सहयोग द्वारा दश म गवधानिक सुधारों की योजना तयार करेंगे और सन्धार म अनुराध करेंगे कि उसे स्वीकार कर कायाचित करें। जिन्ना के प्रस्ताव पर ही, सुधारों की सामान्य योजना तयार करन के लिये, कांग्रेस और लीग के सदस्या ती एन समुक्त समिति का गठन किया गया। इस समिति न पहले कलकत्ता म और फिर लगनऊ म सुधारों की योजना पर विचार विमश किया। विचार विमश के फलस्वरूप सुधारों की जा योजना तयार की गयी वह इतिहास म कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। सन् 1916 म लगनऊ मे कांग्रेस और लीग ने अपने पृथक् पृथक् अधिवेशन मे इस योजना को स्वीकार कर लिया। यथाकि यह योजना लगनऊ म स्वीकार की गयी थी इसलिये इमे लगनऊ समझौता भी कहते हैं। सन् 1917 म कांग्रेस और लीग न इसका अनुसमथन भी कर दिया था।¹

कांग्रेस लीग योजना की विशेषतायें — कांग्रेस-लीग योजना के दो भाग थ। एक भाग साम्प्रदायिक समस्या से सम्बन्धित था और दूसरा भाग सवधानिक सुधारों से।

(अ) साम्प्रदायिक समस्या से सम्बन्धित विशेषतायें — कांग्रेस लीग योजना मे साम्प्रदायिक समस्या से सम्बन्धित मुख्य विशेषतायें निम्न थी—

(i) कन्द्रीय विधान सभा म कुल सदस्या की संख्या 150 हा, इसम 120 गर सरकारी निर्वाचित सदस्य हा जिनमे एक तिहाई सदस्य मुसलमान हाने चाहिये।

(ii) मुसलमानों के लिये पृथक् निर्वाचन पद्धति और गुर्भार की प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया परन्तु उह साधारण निर्वाचन क्षेत्रों म मतदान के अधिकार का छोडना पडा। जिन प्रांतो म मुसलमानों का बहुमत था वहा उह जन संख्या से कम परन्तु जिन प्रांतो म वे अल्प संख्या म थे वहा उह जन संख्या से अधिक स्थान दिये गये। उदाहरणतया बंगाल म मुसलमानों की जन संख्या 52.7 प्रतिशत थी

1 गांधीजी का कांग्रेस लीग योजना म कोई हाथ नहीं था परन्तु व इसके समर्थन म से थे और उहने इसके पक्ष मे हजारों हस्ताक्षर करवा के उसका गुजरात मे बहुत अधिक प्रचार कर दिया। Sec पवत, टी० बी० पू० उ० पृ० 409

- (xi) सेवा के पदा गृहित, सभी प्रकार के पदा पर भारतीयों को दिया जाता ताहिय ।
- (xii) भारत परिषद (India Council) को समाप्त कर दिया जाय ।
- (xiii) भारत गविय के कता ब्रिटिश ताब म दिय जायें आर उसकी रिशति प्रापनिवशिय गविय की भाति हानी चाहिय । भारत सरकार, भारत गविय क नियंत्रण मे क्या सम्भव भुत हा ।
- (xiv) भारत सचिव की महायता के लिए दा अधिकारी हा जिनम एक गव्य भारतीय हो ।
- (xv) ताबगानिका अधिनारिया को गव्य गव्य की अधिनार गही हान ताहिय ।
- (xvi) गधीनम्य वाधानय उच्च वाधानय क अधीन हा ।

कांग्रेस लीग योजना का मूल्यांकन— भारतीय राष्ट्रीय आ आनन के इतिहास मे कांग्रेस लीग याजना कागम की भयकर भूना म एक भूत ती । यह ऐसी भयकर भूत थी जिनम, जैगाकि आर० सी० मजूमदार ने लिखा हे, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन म उम पाकिस्तान की नीव का रखा जिसका पूरा स्वरूप तीस वष बाद दृष्टिगोचर हुगा ।¹ उम समय के कांग्रेसी नेता कम दान का अनुभव ही न कर सके कि यह कांग्रेस के मौजिब सिद्धांत का विपरीत ह । जसा कि गरट न भी निया ह कि “परिणामा का किंचित मान भी विचार न करत हुए कांग्रेस न काय किया है ।”²

इसम बाद सादर नहीं कि कायम लीग याजना न भारत का दा बटी जातिया और दा बटी राजनीतिक संस्थाया म समझीता या एकता उत्पन्न कर दी परतु इस एकता को प्राप्त करन क लिए कांग्रेस को बहुत बड़ी कीमत चुनानी पटी । “पृथक निर्वाचन पद्धति गुम्हार आर साम्प्रदायिक निषेधाधिकार” का स्वीकार करके कांग्रेस ने साम्प्रदायिक मांगा का घी की आहृति द दी । यही स कांग्रेस की मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टिकरण की नीति का प्रथम शुरु हाता हे । एक बार निर्वाचन की साम्प्रदायिक प्रणाली का स्वीकार करके कांग्रेस उस कभी अस्वीकार न कर सकी, यहा तक कि 1932 के निदनीय मैट्टागट्ट पचाट म भी वह साम्प्रदायिकता के विरुद्ध आवाज न उठा सकी, इसम गांधीजी न केवल दलित वर्गों का पृथक करने के विरुद्ध ही आभरण अनशन रगा था । मुस्लिम लीग को मागे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई जिह कांग्रेस कभी भी तुष्ट न कर सकी ।

1 'The Congress action in 1916 well and truly laid the foundations of Pakistan thirty years later' Majumdar R C History of the Freedom Movement in India vol II, p 353

2 See Garrat An Indian Commentary p 179

इस योजना द्वारा जिस राष्ट्रीय एकता की अपेक्षा की गयी थी वह अल्प कालीन रही और खिलाफत आन्दोलन के समाप्त होते ही राष्ट्रीय एकता खण्डित हो गयी। साम्प्रदायिक वर्गों और साम्प्रदायिक हठ धर्मिता ने फिर सिर निकानना शुरू कर दिया। कांग्रेस-लीग समझौता ऐसी बड़बोली गेली थी जिसने कांग्रेसियों के जीवन भर के सिद्धांत—राष्ट्रीयता, प्रजातन्त्र और धर्मनिरपेक्षता को निगल लिया। यह अन्ततः राष्ट्रीय जीवन के लिए घातक सिद्ध हुई। ब्रिटिश सरकार को, जो भारत की प्रमुख जातियाँ को विभक्त करके अपने साम्राज्यीय हितों को सिद्ध करना चाहती थी—अपनी “फूट डालो और शासन करो” की नीति के लिए आधार मिल गया और उन्होंने याजना के साम्प्रदायिक भाग को 1919 के सुधारों में लागू कर दिया परन्तु सुधारों के भाग को ठुकरा दिया।

कांग्रेसी नेताओं के पक्ष में केवल यही तर्क दिया जा सकता है कि उन्होंने इस योजना को केवल इस आशय से स्वीकार किया था कि यह रियायतों की अंतिम किस्त सिद्ध होगी। परन्तु दुर्भाग्य से यह रियायतों की प्रथम किस्त सिद्ध हुई। इस समझौते ने यह भी सिद्ध कर दिया कि हिन्दू मुसलमानों में कोई अतिरिक्त या अलघनीय सीमाएँ नहीं जित् पार नहीं किया जा सकता। उचित परिस्थितियों के उपलब्ध होने पर दोनों में सामान्य हितों पर मनैक्यता को प्राप्त किया जा सकता था अर्थात् दोनों जातियों में समझौता हो सकता था। लखनऊ समझौते का समर्थन करते हुए श्री तिलक ने कहा था कि 'लखनऊ में दा अत्यधिक महत्त्व की बातें हुई हैं एक तो यह कि स्वराज की एक निश्चित भाग अवसम्मति से स्वीकृत हो गया और दूसरी यह कि हिन्दू और मुसलमानों ने सयुक्त स्वर से इसकी मांग की। हमने एकता के इस अस्त्र को गढ़ा है और यही आज सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है।'¹

होम रूल आन्दोलन

(Home Rule Movement)

अथ तथा उद्देश्य—साधारण भाषा में होम रूल शब्द के अर्थ हैं स्वशासन अर्थात् हम अपने घर के स्वामी हों, हम पर स्वयं का शासन हो और हमारे शासन अपने कार्यों के लिये हमारे प्रति (विधान सभाओं के मध्यम में) उत्तरदायी हों। दूसरे शब्दों में, हम रूल नौकरशाही शासन की कल्पना नहीं करता यह ऐसी शासन प्रणाली की कल्पना करता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी है। श्री जामेफ वॉल्टर² के लिये यह लागा वा 'स्वयं के शासन का सरलतापूर्वक वाध बनाने'³

1 दैनिक—पत्र, टी० बी० पू० उ० पृ० 385-386

2 श्री जामेफ वॉल्टर पूना होम रूल लीग के अध्यक्ष थे।

3 वही, पृ० 397

का ढग था । श्री तिलक के लिये यह "सुधार करने के लिये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने"¹ का माध्यम था । श्रीमती ऐनी बेसेंट के लिए यह "सोये हुए भारतीयों को जगाने" और स्वशासित उपनिवेशों की भांति भारत को बराबरी का दर्जा दिलाने की टमटम² थी ।

होम रूल आन्दोलन पूणतया सवधानिक आन्दोलन था । यह हिंसक आन्दोलन नहीं था, यह ब्रिटिश शासन का अंत नहीं चाहता था, यह भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक् नहीं करना चाहता था । इसने तो भारत के लिए "पूण स्वतंत्रता की मांग भी नहीं की थी जैसाकि बाद में 1929 में कांग्रेस ने की थी । इसका उद्देश्य तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतगत, सवधानिक साधनों द्वारा, अथवा ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति, भारत को स्वशासन दिलाना चाहता था । वॉमन वील (Common Weal)³ के प्रथम अंक में ही ऐनी बेसेंट ने इसके उद्देश्यों को इस प्रकार व्यक्त किया था "राजनीतिक सुधारों से हमारा अभिप्राय ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों और नगरपालिकाओं, प्रांतीय विधान सभाओं और राष्ट्रीय ससद तक पूण स्वशासन स्थापित करना । इन सब संस्थाओं को वैसा ही स्वशासन प्राप्त होना चाहिये जैसाकि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों को प्राप्त है चाहे वे वहाँ किसी नाम से जानी जाती हों । यदि ब्रिटिश ससद में अथवा स्वशासित उपनिवेशों के प्रतिनिधि लिये जायें तो भारत को भी वहाँ पर प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होना चाहिये ।"⁴

दूसरे, हम रूल आन्दोलन युद्ध काल में अंग्रेजों को परेशान करना नहीं चाहता था । वस्तुतः वह युद्ध प्रयासों में साम्राज्य की अधिकतम सहायता करने के लिए लोगों को प्रेरित करता था । परंतु उसका यह भी विश्वास था कि स्वशासित भारत युद्ध प्रयासों में और अधिक सहायता कर सकता है ।

तीसरे, हम रूल आन्दोलन, सोये हुए भारतीयों को जगाना चाहता था ताकि युद्ध काल में लोगों के "दबाव डालने के प्रयासों में शिथिलता न आये ।"⁵ यह भारतीयों का "अक्सर पर चोट मारना"⁶ सिखाना चाहता था । यह लोगों को

1 पवते, टी० वी० पृ० उ० पृ० 369

2 'I am an Indian Tom tom, waking up all the sleepers so that they may wake and work for the motherland' Annie Besant Quoted in Levett's V A History of National Movement p 107

3 ऐनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र । इसका प्रथम अंक 2 जनवरी, 1914 का निकाला गया था ।

4 Besant, Annie India Bound or Free pp 162-163

5 पवते, टी० वी० द्वारा उद्धृत, पृ० उ० पृ० 369 ।

6 पवत, टी० वी० द्वारा उद्धृत, पृ० उ० पृ० 368 ।

इस योजना द्वारा जिस राष्ट्रीय एकता की अपेक्षा की गयी थी वह अल्प कालीन रही और खिलाफत आन्दोलन के समाप्त होते ही राष्ट्रीय एकता लुप्त हो गयी। साम्प्रदायिक वर्गों और साम्प्रदायिक हठ धर्मिता ने फिर फिर निकानना शुरू कर दिया। कांग्रेस-लीग समझौता ऐसी कड़वी गोली थी जिसने कांग्रेसियों के जीवन भर के सिद्धान्त—राष्ट्रीयता, प्रजातन्त्र और धर्मनिरपेक्षता को निगल लिया। यह अतन्त्र राष्ट्रीय जीवन के लिए घातक सिद्ध हुई। ब्रिटिश सरकार को, जो भारत की प्रमुख जातियों को विभक्त करके अपने साम्राज्यीय हितों को सिद्ध करना चाहती थी—अपनी “फूट डालो और शासन करो” की नीति के लिए आधार मिल गया और उन्हीन योजना के साम्प्रदायिक भाग को 1919 के मुधारों में लागू कर दिया परन्तु मुधारों के भाग को ठुकरा दिया।

कांग्रेसी नेताओं के पक्ष में केवल यही तर्क दिया जा सकता है कि उन्हीं इस योजना का केवल इस आशय से स्वीकार किया था कि यह रियायतों की अंतिम किश्त सिद्ध होगी। परन्तु दुभाग्य से यह रियायतों की प्रथम किश्त सिद्ध हुई। इस समझौते में यह भी सिद्ध कर दिया कि हिन्दू मुसलमानों में कोई अन्तर्निहित या अलघनीय सीमायें नहीं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। उचित परिस्थितियों में उपबन्ध हाने पर दोनों में सामान्य हितों पर मतभेदों को प्राप्त किया जा सकता था अर्थात् दोनों जातियों में समझौता हो सकता था। लखनऊ समझौते का समयन करत हुए श्री तिलक ने कहा था कि “लखनऊ में दो अत्यधिक महत्त्व की बातें हुई हैं एक तो यह कि स्वराज की एक निश्चित मांग सर्वसम्मति में स्वीकृत हो गयी और दूसरी यह कि हिन्दू और मुसलमानों में संयुक्त स्वर से इसकी मांग की। हमने एकता के इस अस्त्र का गढ़ा है और यही आज सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है।”¹

होम रूल आन्दोलन

(Home Rule Movement)

अथ तथा उद्देश्य—साधारण भाषा में होम रूल शब्दों का अर्थ है स्वशासन अर्थात् हम अपने घर के स्वामी हों, हम पर स्वयं का शासन हो और हमारे शासन अर्थों के लिये हमारे प्रति (विधान सभाओं के मध्यम में) उत्तरदायी हों। दूसरे शब्दों में, हम अपने नोकरशाही शासन की कानूनी शक्ति को खत्म कर देंगे, यह हमें शासन प्रणाली की कल्पना करता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी है। श्री जाम्स विल्किंसन² ने तब यह लागू का “स्वयं का शासन का भरलतापूर्वक बोध कराने”³

1 दमिण—पृष्ठ, टी० बी० पू० उ० पृ० 385-386

2 श्री जाम्स विल्किंसन द्वारा तब लीग का अध्यक्ष था।

3 यही, पृ० 397

का ढग था। श्री तिराक के लिये यह "सुधार करने के लिये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने"¹ का माध्यम था। श्रीमती ऐनी बेसेंट के लिए यह "सोये हुए भारतीयों को जगाना" और स्वशासित उपनिवेशों की भांति भारत को बराबरी का दर्जा दिलाने की टमटम² थी।

होम रूल आन्दोलन पूणतया सवधानिक आन्दोलन था। यह हिंसक आन्दोलन नहीं था, यह ब्रिटिश शासन का अंत नहीं चाहता था, यह भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक् नहीं करना चाहता था। इसने तो भारत के लिए "पूण स्वतंत्रता की माग भी नहीं की थी जैसाकि बाद में 1929 में कांग्रेस ने की थी। इसका उद्देश्य तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतगत, सवधानिक साधनों द्वारा, अर्थात् ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति, भारत को स्वशासन दिलाना चाहता था। कॉमन वील (Common Weal)³ के प्रथम अंग में ही ऐनी बेसेंट ने इसके उद्देश्यों को इस प्रकार व्यक्त किया था "राजनीतिक सुधारों से हमारा अभिप्राय ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों और नगरपालिकाओं, प्रांतीय विधान सभाओं और राष्ट्रीय संसद तक पूण स्वशासन स्थापित करना। इन सब संस्थाओं को वैसा ही स्वशासन प्राप्त होना चाहिये जैसाकि ब्रिटिश साम्राज्य के अर्थात् उपनिवेशों को प्राप्त है चाहे वे वहाँ किसी नाम से जानी जाती हों। यदि ब्रिटिश संसद में अर्थात् स्वशासित उपनिवेशों के प्रतिनिधि लिये जायें तो भारत को भी वहाँ पर प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होना चाहिये।"⁴

दूसरे, होम रूल आन्दोलन युद्ध काल में अंग्रेजों को परेशान करना नहीं चाहता था। वस्तुतः वह युद्ध प्रयासों में साम्राज्य की अधिकतम सहायता करने के लिए लोगों को प्रेरित करता था। परन्तु उसका यह भी विश्वास था कि स्वशासित भारत युद्ध प्रयासों में और अधिक सहायता कर सकता है।

तीसरे, होम रूल आन्दोलन, सोये हुए भारतीयों को जगाना चाहता था ताकि युद्ध काल में लोगों के "दबाव डालने के प्रयासों में शिथिलता न आयें।"⁵ यह भारतीयों को "अक्सर पर चोट मारना"⁶ सिखाना चाहता था। यह लोगों को

1 पवते, टी० वी० पू० उ० पृ० 369

2 "I am an Indian Tom tom waking up all the sleepers so that they may wake and work for the motherland" Annie Besant Quoted in Levetts V A History of National Movement, p 107

3 ऐनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र। इसका प्रथम अंक 2 जनवरी, 1914 को निकाला गया था।

4 Besant Annie India Bound or Free pp 162-163

5 पवते, टी० वी० द्वारा उद्धृत, पू० उ० पृ० 369।

6 पवते, टी० वी० द्वारा उद्धृत, पू० उ० पृ० 368।

शिक्षित कर जमाना को सगठित करना चाहता था। इसी उद्देश्य में "स्वदेशी, स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा के तारों को बुलंद किया गया। श्री तिलक कहते थे कि 'आप जो चाहते हैं उसे सरकार से लेने के लिए, उसे विवश कर देना चाहिये।'¹

चौथे, यह उदारवादिया और उग्रवादिया में समझौता कराकर संयुक्त मोर्चा बनाना चाहता था ताकि उदारवादियों की निर्दयता के कारण उग्रवादी (जो अब राष्ट्रवादों दल कहलाता था) क्रांतिकारियों के प्रभाव में न आ सकें। डा० ज्वारिया लिखते हैं कि ऐनी बेसेंट की योजना "उग्रवादी राष्ट्रीय व्यक्तियों को क्रांतिकारियों से समझौता करने से रोकने की थी। वे भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन दिला कर संतुष्ट रखना चाहती थी और वे कांग्रेस में उग्रवादियों को उदारवादियों के साथ दुबारा लाना चाहती थी।"²

इण्डिया होम रूल लीग की स्थापना—ऐतिहासिक दृष्टि से "होम रूल लीग" का सम्बन्ध आयरलैंड के नेता रडमण्ड से है जिसने आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए इसी स्थापना की थी। क्योंकि ऐनी बेसेंट³ इस लीग के नेताओं में प्रभावित थी इसलिये उन्हीं के सुझाव पर उन्होंने भारत में होम रूल के कार्यक्रम को तयार किया। इस उद्देश्य को लेकर ऐनी बेसेंट 1914 में कांग्रेस में शामिल हुईं। उन्होंने अपनी सारी राज्या⁴ को उदारवादी नेता सर फिरोजशाह मेहता, गोखले और अन्य कांग्रेसियों के समक्ष रखा। परन्तु वे उनके कार्यक्रम का सम्भवतः इसलिये नहीं अपनाना चाहते थे कि इस प्रकार का संगठन कांग्रेस को अतिछादित करने के साथ निबल भी कर देता।⁵ यह अनुभव फलित हुए कि उदारवादियों में राष्ट्र में प्रेरणा फैलाने का साहस नहीं, ऐनी बेसेंट ने कॉमन वेल (Common Weal) और न्यू इण्डिया (New India) द्वारा होम रूल के विचारों का प्रचार करना शुरू कर

1 पवत, टी० बी० द्वारा उद्धृत, पृ० ३० पृ० 395

2 Zacharia Renascent India, p 165

3 श्रीमती ऐनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। उन्हें भारतीय सम्प्रति से उतना पता था कि उन्हें भारत को ही अपनी मातृ भूमि बना लिया था। वे भारत में 1893 से रह रही थी। भारत में वे थियासाफिल सासाइटी की अध्यक्षता की और भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक उत्थान में पर्याप्त दिलचस्पी रखती थी।

4 उन योजना में भारतीयों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए धार्मिक सामाजिक और शिक्षा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था।

5 See Banerjee, S N A Nation in Making p 237 Also see Gupta D C Indian National Movement & Constitutional Development p 78

दिया। इन पत्रों में ही श्रीमती ऐनी बेसेंट ने भारत के लिए "स्वशासन", "बराबरी का दर्जा", आदि की मांग की। तब ही उन्होंने आरम्भिक रूप से संप्रसारित आन्दोलन शुरू करने की प्रेरणा दी। 1915 की बम्बई कांग्रेस में श्रीमती ऐनी बेसेंट ने एक बार फिर कांग्रेस द्वारा होम रूल आन्दोलन का स्वीकार कराने का प्रयास किया परन्तु मरा भी उनसे प्रस्ताव को अनियमित कह कर अस्वीकार कर दिया गया।

श्री बाल गंगाधर तिलक माण्डवे जेल में 6 वर्ष व्यतीत करने के बाद 1914 में पूना आ गए थे। तब ही उन्होंने अनुभव किया कि राष्ट्रवादी दल निर्मित पड़ रहा है, कांग्रेस, उदारवादियों के प्रभाव के कारण निर्जीव सस्था बन गयी है और राष्ट्रीय जीवन में प्रारण करने के लिए किसी गतिशील और ओजस्वी सस्था की आवश्यकता है। इस उद्देश्य में उन्होंने राष्ट्रवादी दल (The Nationalist Party) को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया और कांग्रेस के दोनो पक्षों को मिटाने का प्रयास किया। परन्तु गांधी और मेहता का जीवनित रहत यह सम्भव न हुआ। यह 1916 में ही, उनकी मृत्यु के बाद, सम्भव हो सका।

श्री तिलक ऐनी बेसेंट के होम रूल शब्द के प्रति आकर्षित हो चुके थे। वे कांग्रेस का भी एक "प्रचार सस्था में बदला चाहते थे"², उस "अखिल प्रगतिशील, अखिल उदात्त और सन्धिक" सस्था बनाना चाहते थे। इन उद्देश्यों को लेकर ही उन्होंने 28 अप्रैल 1916 को पुना (पूना) में इण्डियन होम रूल की स्थापना कर दी। यही पर उन्होंने होम रूल आन्दोलन पर अपना प्रथम भाषण दिया। 'नेसरी' और 'मराठा' द्वारा श्री तिलक ने होम रूल आन्दोलन का जागृकार प्रचार शुरू कर दिया। श्रीमती ऐनी बेसेंट ने, जो पहले ही होम रूल का प्रचार कर रही थी, 1 मिनस्टर 1916 का गांधी भारत में इण्डियन होम रूल की शायतों को करने की अग्रणी भूमिका दी। 3 मिनस्टर 1916 को इण्डियन होम रूल नाम की मद्रास गंगा का (गांधी के हाल में) औपचारिक उद्घाटन कर दिया गया। सारे देश में होम रूल की चहल दौड़ पडी और इसके लिए सारे देश में सभायें की गयी और भाषण दिए गये। अनेक उदारवादी कांग्रेसी भी इसमें शामिल हो गये। उस आन्दोलन के प्रमुख नेता थे, श्री तिलक, श्रीमती ऐनी बेसेंट, जी० एस० अरुणेंद्र, बी० पी० वाडिया, चित्तमणि, ए० सी० केलकर, भावि दराधर अय्यर, नारायण राव बरह, जिनराजदास, पी० के० तलम, जमादास, जासेफ वष्टिन्ट, डी० बी०

1 ऐनी बेसेंट के अथक प्रयासों में ही 1915 की बम्बई कांग्रेस में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके फलस्वरूप राष्ट्रवादी दल (उदारवादियों के लिए) के लिए कांग्रेस में शामिल होना सम्भव हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, लगभग में, सहयोग की भावना पैदा करने में भी ऐनी बेसेंट का काफी हाथ था।

गोखले, आर० पी० करदीकर, वे० पी० राड्लिकर आदि। कांग्रेस-लीग योजना के बाद जब लीग ने भी राष्ट्रीय उद्देश्यों को अपना लिया तो मुहम्मद अली जिन्ना भी होम रूल लीग में शामिल हो गए और उन्हें बम्बई शाखा का अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके साथ बम्बई बार सघ (Bar Association) के अनेक सदस्य होम रूल आन्दोलन के सदस्य बन गये।

इण्डियन होम रूल के कार्य

पूना और मद्रास की होम रूल लीगें पृथक पृथक सगठन थी परंतु दोनों में पूरा सहयोग था, दोनों के उद्देश्य एक थे, दोनों की विचारधारा एक जैसी थी, दोनों समान सिद्धान्तों (स्वशासन और समान प्रतिष्ठा) का प्रचार करती थी, दोनों सर्वधार्मिक साधनों द्वारा (प्रचार, भाषण, जनमत द्वारा) अपना उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती थी, दोनों के सदस्य एक दूसरे के सदस्य थे।

श्री तिलक और श्रीमती ऐनी बेसेंट दोनों कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे राजनीति को परोपकारिता या उत्पारता की बात नहीं समझते थे। इसलिये वे स्वशासन का मांग "उपहार" के रूप में नहीं "अधिकार" के रूप में करते थे। श्रीमती बेसेंट ने स्पष्ट कहा था कि "भारत युद्धकालीन राजभक्ति का इनाम नहीं मागता, वह अपने बेटों के रक्त और बेटियों के आसुओं के बदले में स्वतंत्रता की किशता का सौदा नहीं करता। वह तो एक राष्ट्र होने के नाते अपने अधिकार चाहता है और साम्राज्य की प्रजा की विभिन्न जातियों के बीच धाय की मांग करता है।"¹ एक अर्थ स्थान पर भी ऐनी बेसेंट ने लिखा है कि "भारत अब राज्य के शिशु गृह में एक शिशु की भांति बंद नहीं रहना चाहता। भारत को स्वराज्य देना आवश्यक है।"

श्री तिलक युद्ध (प्रथम महायुद्ध) को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दैवी अवसर मानते थे। उनका कहा था कि यदि युद्ध विश्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिये और पराधीन राष्ट्रों को आत्म निर्णय के अधिकार देने के लिए² लड़ा जा रहा है तो भारत को भी स्वशासन और आत्म निर्णय का अधिकार मिलना चाहिये। जब कभी भी उह युद्ध सम्मिलना में आमंत्रित किया जाता तो वे 'स्वशासन' (Self Government) और 'समान प्रतिष्ठा' (Equality of Status) के प्रश्न को युद्ध सहायता के प्रश्न के साथ जोड़ देते।³ श्री तिलक का कहना था कि यदि लोगों को 'नकडहारा'

1 Sec Besant Annie How India Wrought for freedom p 575

2 ब्रिटन तथा अन्य मित्र राष्ट्र युद्ध काल में इन सिद्धांतों की बार बार व्याख्या कर रहे थे।

3 See Singh G N Ibid p 279

और 'माशकी' हो सम्भ्रा जाता है तो उसे लड़ने के लिए कहना उचित नहीं। इस तरह श्री तिलक युद्ध सम्मेलनों में स्वशासन की माग को प्रस्तुत करने और भोग सहित अथ उच्च पदा पर भारतीयों की नियुक्ति की माग करत। वे मरवार से यह निश्चित आश्वासन चाहते थे कि युद्ध के बाद देश स्वतंत्र देश होगा। वे कहते थे "स्वर्क्षा और स्वराज सदैव साथ-साथ चलते हैं।"¹

पूना और मद्रास की होम रूप लीग के नेताओं ने होम रूल का प्रचार करने के लिए सारे देश का भ्रमण किया, जगह-जगह पर भाषण दिये, लोगों का सगठित हान के लिए प्रेरित किया, उनमें देश भक्ति, निडरता, आत्म-सम्मान, त्याग और स्वशासन की भावनाएँ पैदा कर दी। इन नेताओं की "प्रचार यात्राएँ विजय यात्राओं" से कम न थीं। हजारों की सख्या में लोग इनके भाषणों को सुनने आते। परिणाम स्वरूप लोगों में अद्वितीय जागृति उत्पन्न हो गयी और होम रूल सारे देश की जवान (talk of the country) बन गया। देश नय विचारों में आन्दोलित हो उठा। श्री जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि "देश के वातावरण में बिजली सी दौड़ गयी, हम नवयुवक एक अजीब उत्साह और स्फूर्ति का अनुभव कर रहे थे। हम यह आशा करते थे कि भविष्य में इसका परिणाम कुछ होगा।"²

होम रूल आन्दोलन का दमन—मार्च 1917 में होम रूल आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर था, सारा देश इसी के विचारों से प्रफुल्लित था उत्साहित था। परन्तु ब्रिटिश नौकरशाही को यह सबजीवन पसन्द नहीं था।³ उसने इसके दमन के लिए हर सम्भव उपाय उठाये, प्रेस एक्ट, चाटर एक्ट और भारत सुरक्षा अधिनियम का सहारा लिया गया। जो प्रेस और पत्र होम रूल आन्दोलन का समर्थन कर रहे थे उनसे जमानतें ली गयी तथा उन्हें जर्ब कर लिया गया। 26 मार्च, 1916 को 'यू इण्डिया' में 2,000 रु० की जमानत मागी गयी, उसे दे दिया गया और 28 अगस्त, 1916 को उसे जर्ब कर लिया गया। इसी पत्र से फिर 10,000 रु० की जमानत मागी गयी।⁴ कॉमन वील से 5,000 रु०⁵ की जमानत मागी गई और भी जमानतें मागी गयी। कुल मिला कर श्रीमती वसेंट ने 20,000 रु०⁶ जमानत के रूप में जमा कराये। इन जमानतों के विरुद्ध की गयी अपीलें सफल नहीं हुईं।

होम रूल आन्दोलनों के सम्बन्ध में दिये गये भाषणों को लेकर सरकार ने श्री तिलक से एक वर्ष तक अच्छे व्यवहार के अनुबन्ध के लिए 20,000 रु० का मुचलका (निजी बाण्ड) और दस दस हजार रुपये की दो जमानतें देने के आदेश दिये।

1 देखिए, पवते, टी० बी०, पृ० ३० पृ० 427

2 Nehru, J L Autobiography

3 पवते, टी० बी० पृ० ३० पृ० 369

4 See Singh, G N Ibid, p 280

5&6 देखिए पवते, टी० बी० पृ० ३० पृ० 370

श्री तिलक ने इस आदेश के विरुद्ध दम्बई हाइकोर्ट में अपील की जिमने 9 नवम्बर 1916 के निर्णय द्वारा इस आदेश को रद्द कर दिया। हाइकोर्ट ने राजद्रोह का उस व्याख्या को भी इन्कार कर दिया जिमने अतगत श्री तिलक को 1897 मत्ता किया जा रहा था।

सरकार श्री तिलक और श्रीमती ऐनी वेसेट की गतिविधियां से इतना परेशान थी कि उसने इन नेताओं की साधारण नागरिक स्वतंत्रताओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। श्रीमती वेसेट के दम्बई और मध्य प्रदेश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया और श्री तिलक का पंजाब और बाद में दिल्ली जाना वर्जित कर दिया गया। मद्रास में लाइसेंस के बिना सरकारी इतनी घबरा गयी थी कि उसने एक अध्यादेश द्वारा विद्यार्थियों को राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने से वर्जित कर दिया, श्रीमती ऐनी वेसेट को भागत सुरक्षा अधिनियम के अतगत नजरबंद कर दिया गया। कुछ सप्ताह बाद उनके सहयोगिया अरुण्डेल¹ और वाडिया² को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार का यह विश्वास था कि नेताओं पर पाबंदी से आन्दोलन शिथिल हो जायगा परन्तु हुआ ठीक इसके विपरीत। श्रीमती ऐनी वेसेट और उसके साथियों की गिरफ्तारी से आन्दोलन का दावानल बढ़क उठा³, सारे देश में विरोध सभायें हुई और नेताओं की रिहाई के लिये पस्ताव पास किये गये। वे लोग भी आन्दोलन में शामिल हो गये जो इससे अब तक अलग थे। जिन्ना ने इसी समय आन्दोलन में भाग लिया। सर एस० सुब्रह्मण्यम ने श्रीमती वेसेट और उनके साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी "सर" की उपाधि को त्याग दिया।⁴ कांग्रेस ने सरकार से स्वराज्य की किशत देने के लिये भी अनुरोध किया। मार्च 1917 की 20 अगस्त 1917 की घोषणा से यह आन्दोलन शिथिल पड़ा गया। सरकार ने 17 सितम्बर 1917 को श्रीमती ऐनी वेसेट और उनके साथियों को रिहा कर दिया। श्रीमती वेसेट की ग्याति इतनी उब गयी कि कांग्रेस ने उहे 1917 में (कलकत्ता अधिवेशन) अपना अध्यक्ष चुन कर सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध भारतीय जनता की इच्छाशा का प्रदर्शन किया। राष्ट्र ने मुहूर्तोड उत्तर दिया। यह भारतीय जनता की ब्रिटिश दमनकारी नीति पर करारी चपेट थी।

होमरूल आन्दोलन का महत्व—भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में होम रूल आन्दोलन का अत्यधिक महत्व है। इसने उस समय स्वतंत्रता की ज्योति का जलाये रखा जब कांग्रेस निष्प्राण नजर आती थी, उसने ही लोगों में नय विचारों और

1 अरुण्डेल यू इण्डिया के लिये लेख लिखते थे

2 वाडिया यू इण्डिया के उप सम्पादक थे।

3 देखिये मास्यप डा मुभाय गवधानिक विकास और स्वाधीनता सभ्य
पृ० 73

4 दगिय पवते, टी० बी० पृ० ३० पृ० 404

नये उत्साह का सञ्चार किया। स्वदेशी, स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा के विचारों का प्रसार किया। वे० बी० पुन्निया लिखते हैं कि हाम रत आन्दोलन से सारा देश 'नये विचारों से आन्दोलित हो उठा।' तोगो म "एसा नव जीवा भर उठा जैसा पहले कभी न था।"¹ इमन राष्ट्र के समक्ष स्वशासन की ठोस याजना प्रस्तुत की और उसकी प्राप्ति के लिये भारत के सभी वर्गों म सयुक्त मोर्चे की भावना का आह्वान किया। इमन इस विचारधारा का जन्म दिया कि यदि कांग्रेस अपने राजनीतिक उद्देश्यों का प्राप्त करना चाहती है तो इसका नतुत्व ऐसे लोगों के हाथ म होना चाहिये जा अपना सारा समय राष्ट्र की सेवा म लगा सके। होम रूल भारत का लक्ष्य बन गया। विदेशों म भी इस आन्दोलन का प्रभाव हुआ। श्रमिक दल ने अपने नॉटिचम अविरोधन म भारत के लिये 'होम रूल' का समर्थन किया और इम उद्देश्य संसद म एक समिति नियुक्त की जो उस माग पर बल दे सके।

मैसोपोटामिया की अस्तव्यस्तता या घाघलेबाजी (Messopotamian Muddle)

प्रथम महायुद्ध मे तुर्की के शामिल होने² के बाद इसके विरुद्ध सैनिक कायवाही के सञ्चालन का काय भारत सरकार के हाथों मे था।³ परंतु शीघ्र ही मैसोपोटामिया से युद्ध सञ्चालन म दापा की अफवाये फैलने लगी। इस पर ब्रिटिश सरकार ने युद्ध सञ्चालन की जाच बरन के लिये 1916 मे समद सदस्यों के एक आयोग (Parliamentary Messopotamian Committee) की नियुक्ति की। इस आयोग की रिपोर्ट मई 1917 मे प्रकाशित हुई जब भारत मे हाम रूल आन्दोलन चाटी पर पहुच चुका था। इस रिपोर्ट ने जहा भारत सरकार की अयोग्यता, अकुशलता और अक्षमता का प्रदर्शन किया वहा भारतीयों की राजनीतिक सुधारों की माग का समर्थन भी किया।

मैसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट मे कहा गया था कि मैसोपोटामिया मे सैनिक अभियान की असफलता का कारण "आवश्यक मात्रा म सैनिक और सामग्री की महायता का अभाव" था, सैनिकों के लिये सामान्य आराम की चीजें गौर डाक्टरी सुविधायें भी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नहीं थीं। रिपोर्ट ने ब्रिटेन और भारत म सनसनी पैदा कर दी। यह दावे फीके पड गये कि पूव के दशों के लिये निरकुश और अनुत्तरदायी शासन ही उपयुक्त थे। डा० जकारिया लिखते हैं कि यह "पुरानी कपोल कल्पना कि स्वज के पूव म मौके पर बठे हुए शांत और मुदृढ व्यक्ति ही

- 1 Punniyah K V The Constitutional History of India
- 2 तुर्की युद्ध म 5 नवम्बर 1914 को शामिल हुआ था और उसन इममे जमनी का साथ दिया।
- 3 ब्रिटिश युद्ध विभाग ने फरवरी 1916 मे मैसोपोटामिया मे सैनिक सञ्चालन के कार्यों को अपने हाथ मे लिया।

प्रभावपूर्ण ढंग से वाय कर सकते हैं।"¹ भूतपूर्व उप भारत मन्त्री माण्टेग्यू ने बट आलोचना करते हुए कहा कि "हमारे आधुनिक उद्देश्यों की दृष्टि से भारत सरकार अत्यधिक बाध्यत, लौहवत, अपरिव्यतनशील और बहुत अधिक आदिवालीन है।"²

रिपोर्ट में सुधारों की मांग का समयन किया गया था। आयोग के एक सदस्य जॉसिया वेजवुड (Col Josiah Wedgwood) ने सुझाव दिया था कि भारतीयों को अपने प्रशासन में भाग लेने के अवसर मिलने चाहियें। ब्रिटिश जनमत के प्रबुद्ध भाग ने भी भारत के लिये प्रजातांत्रिक सस्यामों का सुझाव दिया था।³ स्वयं माण्टेग्यू ने अपने भाषणों में भारत सरकार के लिये अधिक स्वतंत्रता, भारतीय विधान परिषदों के लिये अधिक अधिकारों, भारत परिषद के अधिकारों में कमी आदि की मांग की थी। माण्टेग्यू ने भारतीयों की इस मांग का भी समयन किया कि ब्रिटिश नीति की तत्काल घोषणा कर दी जाय।

संसद में हुई आलोचना के फलस्वरूप भारत सचिव आस्टिन चेम्बरलेन ने अपने पद में त्याग पत्र दे दिया और ई० एम० माण्टेग्यू को भारत सचिव नियुक्त कर दिया गया। भारतीयों को भारतीय प्रशासन में अधिक मात्रा में लेने के लिये और भारत में उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास के लिये 20 अगस्त 1917 को श्री माण्टेग्यू ने एक घोषणा की जो इतिहास में इसी नाम से प्रसिद्ध है। इस घोषणा से भारतीय जितने अधिक प्रसन्न हुए थे उतने ही 1918 की माण्टेफोर्ड रिपोर्ट और 1919 के गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट से निराश हुए।

अगस्त 20, 1917 की घोषणा

(August 20, 1917 Declaration)

ब्रिटिश सरकार अगस्त 20, 1917 की घोषणा का यदि टाल सकती तो सम्भवतः इसे कभी भी घोषित नहीं करती। जिस चीज को (स्वशासित सस्यामों का निर्माण तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना) सन् 1909⁴ और सन् 1912⁵ में

- 1 Zacharia Quoted by Suda, J P Indian Constitutional Development & National Movement, p 87
- 2 Montague described the Government of India as "too wooden too iron too inelastic, too anti diluvian to be of any use for the modern purposes we have in view Quoted by Singh G N Ibid p 282
- 3 श्री कर्टिस के नवृत्त में इङ्गलिश राउण्ड टेबल ग्रुप भारत में प्रजातांत्रिक सुधारों का समयन कर रहा था।
- 4 सन् 1909 में लार्ड माले ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि यह सिद्ध किया जाय कि 1909 के अधिनियम का मातृव्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में ससदात्मक प्रणाली की स्थापना है तो उसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं।
- 5 सन् 1912 में लार्ड क्रू (Lord Crew) ने कहा था कि वह स्वशासित उपनिवेशों की परम्परा के अनुकूल भारत के भविष्य की कल्पना नहीं करते।

अनुपयुक्त एव असम्भव समझा जाता था उसे ही सव 1917 में न केवल सम्भव ही समझा गया अपितु आवश्यक और वाछनीय भी समझा गया। स्वाभाविक है कि इस घोषणा के कुछ ऐसे ठोस कारण रहे होंगे जिनके घशीभूत हानकर ब्रिटिश सरकार को यह घोषणा करनी पड़ी।

अगस्त 20, 1917 की घोषणा को अभिव्यक्त करने के कारण

अगस्त 20, 1917 की घोषणा को अभिव्यक्त करने के मुख्य कारण निम्न थे —

1 ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष—भारत सरकार की नीतियों से न केवल उग्रवादी ही असन्तुष्ट थे बल्कि उदारवादी भी असन्तुष्ट थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर ढाये गये अत्याचार तथा अपमान, कनाडा में भारतीयों को नागरिकता प्रदान करने से इन्कार तथा सरकार की दमन की नीतियां कुछ ऐसे काय थे जिससे भारतीय अत्यंत रष्ट एव उत्तेजित हो रहे थे। इससे क्रांतिकारी और आतंकवादियों का भी प्रभाव बढ़ने लगा था।

2 प्रथम महायुद्ध की घोषणाओं ने भारतीयों की आशाओं को उभार दिया—प्रथम महायुद्ध ने सारी स्थिति को ही बदल डाला। इसी के प्रभाव के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य उग्रवादियों की आशाएँ बढ़ने लगी। 'विश्व में प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए', तथा 'आत्म निर्णय' जसी युद्ध घोषणाओं ने भारतीय जनमत पर अत्यधिक प्रभाव डाला। भारत के बुद्धिजीवी ही नहीं अपितु साधारण नागरिक भी यह प्रश्न करने लग गये थे कि यदि युद्ध विश्व में प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए लड़ा जा रहा है तथा पराजित राष्ट्रों में 'आत्म निर्णय' के सिद्धांत को लागू किया जायगा तो क्या भारत में स्वशासित संस्थाओं का निर्माण किया जायगा। श्री एस० पी० सिंहा ने तो ब्रिटिश सरकार से भारत के प्रति उनकी नीति को स्पष्ट करने के लिए कहा।

3 होम रूल आंदोलन—मार्च 1916 में श्री ऐनी बेसेट ने मद्रास में और लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन का संगठन किया। इस आंदोलन ने भारत में आश्वयजनक राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर दी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सामान्य असंतोष को जन्म दिया। इस आंदोलन की कायवाही से सरकार इतनी भयभीत हो गई थी कि उसे ऐनी बेसेट को नजरबंद करना पड़ा और तिलक जी से अनुचित जमानतें मांगी गईं। परंतु इसमें भारतीय जनमत और अधिक उत्तेजित हुआ। वाद में सरकार को ऐनी बेसेट का रिहा करना पड़ा।

4 राष्ट्रीय एकता की भावना तथा स्वशासन की मांग—इस समय भारत नवीन विचारों से पलमट भर रहा था। भारतीय स्वशासन, स्वराज्य और स्वदेशी की मांग कर रहे थे। भारतीयों में एक नवीन जीवन का संचार हो रहा था। उन्होंने एक संगठित दृष्टिकोण अपना लिया था। कांग्रेस, जो 1907 में गरम और

नरम दला म विभक्त हा गई थी, वह गांगले और फिरोजशाह की मृत्यु के बाद, एक हो गई थी। इतना ही नहीं, थी तिनव और श्रीमती एनी वेघट के नक़्ब म वापस श्रम व्यावहारिक रूप से उग्रवादिया के हाथ म थी। वाप्रेम और मुन्निम नीग भा 1916 क लगनऊ समझीते के कारण एन दूसरे के निवट आ गई थी। सबत्र एका की भावना नजर आ रही थी।

5 सुधारो की माग —जब लाड चेम्पफोट गवर्नर जनरल बन ता उहा सुधारो पर अपनी योजनाएँ बनाकर भारत मन्त्री का प्रस्तुत की। इसस भारत में सुधारा की माग बढ़ी तथा उनीस व्यक्तिया न सुधारा क बार म अपना स्मरण लत्र (Memorandum of Nineteen) प्रस्तुत किया। मिसापाटमिया आयोग का प्रति वेदन भी जुलाई 1917 म प्रकाशित हुआ। उसन भारतीय सरकार का 'अनुशा' बताया था। श्री मो ट्यू, भारत मन्त्री न भी कहा कि "हमारे आधुनिक उद्देश्य क लिए भारत सरकार निष्प्राण, बटार, हठी एव सुधार विराधी है।" "अत्यधिक काष्ठवत, लौहवत, अपरिवतनशील और बहुत अधिन आदिवालीन बताया था।"¹ उहोने यह भी कहा कि युद्ध प्रयासा म भारतीयों का सहयोग प्राप्त करन क लिए उहे उत्तरदायी सरकार का अश दना आवश्यक है। क्योंकि युद्ध अभी चल रहा था इसलिए ब्रिटिश सरकार न अनुभव किया कि भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार का नीति का स्पष्ट करके भारतीय जनमत का शांत करना आवश्यक है ताकि वह युद्ध प्रयासा के लिए तयार हा सके। इस उद्देश्य से एडविन माटेग्यू न ब्रिटिश कानून सभा में अगस्त 20, 1917 का निम्न घोषणा की।

घोषणा—'साम्राज्य सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप स सहमत है यह है कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को अधिन में अधिन माना में सम्मिलित किया जाय और स्वशासन सस्थाओं का नमिक विनास किया जाय ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अनर्गत (अर्थात् अग क रूप में) भारत म उत्तरदायी सरकार की स्थापना हा सब मैं यह और करना चाहूंगा कि इस नीति की प्रगति नमश कद हिस्ता म ही हो सकनी है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिन पर भारत के विभिन्न लागा की उन्नति और भलाई का उत्तरदायित्व है, प्रत्येक हिस्त क समय और परिमाण का निणय करगी जिसमें व इस बात का ध्यान म रगेगी कि जिन लागा का सेवा के नये अवसर प्रदान किये जा रह है उनस कितना

1 The Government of India is too wooden too iron too inelastic too anti diluvian to be of any use for the modern purposes we have in view Mr Edwin Montague The Indian Annual Register 1919 p IX Quoted by Gurmukh Nihal Singh in his Landmarks in Indian Constitutional and National Movement Vol I p 282 (1959)

महयोग प्राप्त हुआ है और उन पर उत्तरदायित्व का जितना बोझ डाला जा सकता है।”¹

घोषणा का मूल्यांकन अथवा घोषणा में प्राचीनता एवं नवीनता

मोटेमूू भी घोषणा अनेक दृष्टिकोणों में नवीन, महत्त्वपूर्ण, क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील थी परंतु साथ में यह प्राचीन, उदासीन और घिसी पिटी भी थी। जहां नरम दम वालों ने “मैगना कार्टा” (Magna Carta) बहू तर इस घोषणा का स्वागत किया वहां गरम दल वाले इससे असंतुष्ट थे। श्रीराम शर्मा का मत है कि इस घोषणा ने “भारत के मवधानिक इतिहास में एक अध्याय को समाप्त कर दिया और एक नय अध्याय को आरम्भ कर दिया।”² इन घोषणा में परोपकारी निरंकुशता (benevolent despotism) का हमेशा के लिए अंत कर दिया। भारतीय सभ में वह अत एक पुरातन घटना बन गई।

(अ) घोषणा में प्राचीन, उदासीन, एवं घिसे पिटे तत्व—आस्त 20, 1917 की घोषणा में जा प्राचीन, उदासीन एवं घिसे पिटे तत्व विद्यमान थे वे निम्न हैं—

1 घोषणा में प्राचीन आश्वासनों को केवल दोहराया गया था —घोषणा में यह कहा गया था कि भारतीयों को प्रशासन की प्रत्येक शाखा में अधिक मात्रा में लिया जायगा। परंतु इस आश्वासन या वचन अथवा प्रतिज्ञा में कोई नवीनता नहीं थी क्योंकि भारत सरकार ने 1833 के चार्टर एक्ट की इस धारा को पहले भी 1853 में, 1858 में और 1861 में दोहराया था और “आगत भारतीय इतिहास के पृष्ठ टूटी हुई प्रतिज्ञाओं के गण्डा में भरे पडे हैं।”³

2 घोषणा में निश्चितता और स्पष्टता का अभाव था—घोषणा पर सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि इसमें निश्चितता और स्पष्टता का अभाव था। घोषणा में यह तो कहा गया था कि भारत में स्वशासित सस्थाओं का क्रमिक विकास किया जायगा परंतु उस क्रमिक विकास का न तो समय निश्चित किया गया था और न ही उसकी मात्रा का। कब और किस मात्रा में स्वशासन की किम्त प्रदान की जायगी इसमें कुछ नहीं कहा गया था। इस घोषणा पर दूसरी आपत्ति यह थी कि यह ‘निश्चित क्रमिक प्रगति भी इस बात पर निर्भर कर दी गयी कि ‘भारतीयों से जितना महयोग’ प्राप्त होता है। घोषणा का यह भाग उसकी प्रगतिशीलता पर गुरु ब्रोक थी। इसका अभिप्राय यह था कि यदि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों से सहयोग प्राप्त नहीं होता तो वे भारत में स्वशासित सस्थाओं का क्रमिक विकास भी नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश सरकार न स्वशासन रूपी घोड़े को देन का वचन नो

1 Report on Indian Constitutional Reforms page 1

2 It closed one chapter in the Constitutional History of India and opened another’ Sharma Sri Ram A Constitutional History of India (1954) p 154

3 Banerjee, S N A Nation in the Making p 303

दिया परन्तु उसकी लगाम को अपने हाथों में रख लिया। इस घोषणा पर तीव्र आपत्ति यह थी कि भारत में स्वशासित सस्यामों का निर्माण भारतीयों का हाथों में ही करना पड़ता था और इस योग्यता के निर्णायक स्वयं भारतीय नहीं बल्कि इस योग्यता का निर्णय ब्रिटिश संसद ने करना था। बाद वाली घटनाओं ने (1919 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई व्यवस्था) सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज अभी भी भारतीयों की प्रशासनिक योग्यता पर विश्वास नहीं करते थे जबकि भारतीयों को अपनी प्रशासनिक योग्यता पर पूर्ण विश्वास था। ब्रिटिश सरकार का भारतीयों की प्रशासनिक योग्यता पर यह अविश्वास ही बाद के सपनों का कारण बना। स्पष्ट है कि घोषणा का उद्देश्य भारतीयों को तत्काल स्वशासित सस्यामों प्रदान करना नहीं था बल्कि भारतीय राष्ट्रीयता की उमड़ती हुई भावनाओं का शिथिल करना था।

3 घोषणा में उदासीनता प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी—अगस्त 20, 1917 की घोषणा इस विचार पर आधारित थी कि स्वतंत्रता केवल उन लोगों का प्राण हो सकती है जो स्वतंत्रता प्रिय हों। परन्तु इस विचार के अनुसार जिस व्यवस्था को 1919 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था वह स्वतंत्रता के दर्शन और सिद्धांतों के विपरीत थी। यदि ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार को ही भारत की "प्रगति की किस्त का निर्णायक बनना" या तो घोषणा में इस धारा का औचित्य ही समाप्त हो जाता है कि वे भारत में स्वशासित सस्यामों का निर्माण करना चाहते थे। भारतीय तभी ही अपनी स्वतंत्र विचारधाराओं का परिचय दे मंगेंगे यदि स्वशासित सस्यामों स्थापित की जाती, वयस्क एवं सयुक्त मताधिकार के आधार पर विधानमण्डल के निर्वाचन कराये जाते और सवधानिक सरकार की स्थापना की जाती। परन्तु ये सब बातें 1919 के अधिनियम में, जिसे घोषणा की प्रथम किस्त कहा जा सकता है, अनुपस्थित थी। स्वाभाविक है कि घोषणा के इस भाग में भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं, मनोवृत्तियों और सम्मान को अत्यधिक चोट पहुँची।

(ब) घोषणा में नवीन एवं क्रांतिकारी तत्व—यद्यपि घोषणा में प्राचीन, उदासीन और घिमे पिटे तत्व विद्यमान थे परन्तु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी विद्यमान थे जो नवीन युग के चेतन थे। जसा कि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि "भारत भारतीय इतिहास के पृष्ठ हटी हुई प्रतिज्ञाओं के खण्डों से भरे पड़े हैं परन्तु अब सम्भवतः एक नूतन अध्याय आरम्भ होने को था।" ये नवीन तत्व ऐसे क्रांतिकारी तत्व थे कि यदि इन्हें पूर्णतया लागू कर दिया जाता तो स्वशासित सस्यामों और उत्तरदायी सरकार की स्थापना तत्काल हो जाती।

घोषणा में नवीन तत्वों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है —

1 प्राचीन विचारधारा में साहसिक परिवर्तन—अभी तक भारत में अंग्रेजों की नीति 'परोपकारी निरंकुशता (benevolent despotism)' की थी। वे भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना को न केवल अनुपयुक्त बल्कि 'असम्भव' भी मानते

थे। लार्ड मार्ले और लार्ड मिंटो ने 1909 में इसी आशवासन को दोहराया था। परन्तु इस घोषणा में पहली बार 'भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना' की बात कही गयी थी। यही बात घोषणा में सबसे महत्त्वपूर्ण बात थी। यद्यपि इसकी स्थापना 'नमिक' और 'अग्रज' की सम्भावना पर निर्भर कर दी गई थी परन्तु इसने ब्रिटिश सरकार की भारत के प्रति नीति के उद्देश्य को न केवल स्पष्ट कर दिया बल्कि इसे निर्धारित भी कर दिया। इसने 'परोपकारी निरकुशता' का हमेशा के लिए अन्त कर दिया। इस घोषणा से होम रूल आन्दोलन की नेता एनी बेसेन्ट इतनी प्रभावित हुईं कि वह अपनी उग्रता भूल गईं और एकदम नरम पड़ गईं। कांग्रेस ने भी अपने सत्याग्रह के विचार को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया।

2 आगामी तीस वर्षों के कांग्रेस आन्दोलन का आधार—इस घोषणा से न केवल कांग्रेस की नीतियों को बल मिला बल्कि उसे ऐसा आधार भी प्रदान कर दिया कि जिसका राग अलाप कर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल सकती थी कि वह भारत में स्वशासित संस्थाओं का निर्माण करे। इसी आधार पर कांग्रेस ने अपने सघष का तीव्र बनाया, जनता के सहयोग को प्राप्त किया तथा ब्रिटिश सरकार से अपना वचन पूरा करने के लिए कहा। इसी आधार पर कांग्रेस ने सुधारों की मांग द्वारा जन जागृति बनाये रखी तथा विवेकीकरण और हस्तांतरण की वृत्तियाँ को बढ़ावा दिया।

3 भारत को स्वतंत्रता की सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया—भारत के शतरजी इतिहास में यह घोषणा एक महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति (momentous utterance) थी क्योंकि इसने भारत को उसी दिन स्वतंत्रता की सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया जिस दिन इसे अभिव्यक्त किया गया था। यह स्वशासित अथवा उत्तरदायी सरकार की सड़क पर प्रथम मांग शिला (mile stone) थी। यह एक नातिवारी घोषणा भी थी क्योंकि एक बार अपनी नीति के उद्देश्य को स्पष्ट करने के बाद ब्रिटिश सरकार के लिए उससे विचलित होना असम्भव था। स्पीयर (Spear) ने ठीक लिखा है कि 'ब्रिटिश शासन के अन्तिम तीस वर्षों के लिए यह प्रलेख स्वशासन की ओर ब्रिटिश नीति का आरम्भ था।'¹ ए० बी० कीथ के शब्दों में, "1917 की घोषणा में 'उत्तरदायी सरकार' शब्द के उल्लेख ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए वचनबद्ध कर दिया कि वह भारत सरकार के उस स्वरूप को स्थापित करे जो स्वशासित उपनिवेशों में विद्यमान थी।"²

1 This document was the starting point of British policy towards self government for the final thirty years of British rule
Spear India p 342

2 'The inclusion of the term "responsible government" in the declaration of August 1917 irrevocably committed Britain to concede to India the same form of government as existed in the self governing Dominions Keith A B A Constitutional History of India

4 भारतीयों की स्वराज्य की माग और उनकी योग्यता को स्वीकार कर लिया इस घोषणा से ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारतीयों के स्वराज्य के अधिकार को स्वीकार कर लिया बल्कि भारतीयों की योग्यता और शासन करने की क्षमता को भी स्वीकार कर लिया। अब भारतीयों पर विश्वास किया जाना था कि वे अपने दल का शासन चला सकते हैं, शासन के प्रत्येक विभाग में उन्हें पदों पर नियुक्त किया जाना था। क्योंकि भारतीयों को अपनी प्रशासनिक योग्यता पर पूर्ण विश्वास था इसलिए उन्होंने घोषणा का स्वीकार कर लिया।

5 राष्ट्रीय एकता को बल मिला— इस घोषणा ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि सभी राष्ट्रीय दल एक अर्थ तत्त्व मिल कर कार्य करें तो वे सरकार में अपनी मांगों को स्वीकार करवा सकते हैं और सरकार के लिए संगठित लोकमत की आवश्यकता करना कठिन होगा। यह घोषणा इस बात का परिणाम थी कि कांग्रेस के दाना दान (नरम दल और गरम दल) एक हो गये थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ सम्मेलन के फलस्वरूप एक दूसरे के अधिक निकट आ गई थी, राष्ट्र में होम रूल आन्दोलन के कारण आन्दोलन जनक जागृति उत्पन्न हो चुकी थी। डा० ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में "सन् 1916 में राष्ट्रीय आन्दोलन इतना प्रबल हो चुका था कि अपना कुछ परिणाम निकलना अनिवार्य था"। श्री राम शर्मा के शब्दों में "सभी प्रकार की शर्तों को एक तरफ रख कर इस घोषणा का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया।"¹

6 यह एक क्रान्तिकारी घोषणा थी प्र० रूपलण्ड का मत है कि यह घोषणा एक क्रान्तिकारी घोषणा थी। जिस चीज को ब्रिटिश सरकार 1909 और 1912 में असम्भव समझती थी उसी चीज के लिए 1917 में बचनबद्ध होना इस बात का प्रतीक है कि परिस्थितियाँ तथा राष्ट्रीय आन्दोलन ने सरकार की नीति में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया था।

माण्टेग्यू का भारत आगमन और माण्टफोर्ड रिपोर्ट

(Montagu's visit to India and Montford Report)

20 अगस्त 1917 की घोषणा के लगभग तीन महीने बाद माण्टेग्यू अपने मिशन के सदस्यों के साथ 10 नवम्बर 1917 को भारत पहुँचे। इस मिशन का उद्देश्य भारत की राजनीतिक दशा की जाँच करना तथा भारतीयों की मांगों को ब्रिटिश सरकार में प्रस्तुत करने में पूरा उद्यम समीप पर भारतीय जनता, राजनीतिक

1 So all ifs and buts were ignored and the announcement was welcomed by almost all parties in India' Sharma Sri Ram A Constitutional History of India, p 154

दलो मावजनिक सस्थाओ तथा ब्रिटिश नौकरशाही आदि के विचार का अनुमान लगाना था।¹

श्री माण्टेग्यू इस निश्चय से भारत आये थे कि वे उत्तरदायी सरकार की सारभूत खुराक (substantial dose) भारतीयों को प्रदान करेंगे। इसी आशय पर, भारत आने पर, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री का अपने प्रथम पत्र में उहोंने लिखा था कि "मेरे भारत आने का अर्थ यह है कि हम लोग कोई बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं। मैं इंग्लैण्ड लौटकर कोई खोसलापन नहीं दिखा सकता। वह बात युगांतरकारी होनी चाहिये अथवा वह निरर्थक है वह भारत के भावी सविधान की केंद्रशाला (कुजी) होनी चाहिये।"² परन्तु भारत में ठहरने और ब्रिटिश नौकरशाही से विचार-विमर्श के बाद उहाने अनुभव हुआ कि वह सुधारों के लिये केवल तैयार ही नहीं बल्कि उसे भी बहुत धीमी गति से चलाने के लिये आग्रह कर रही है। अपनी डायरी में श्री माण्टेग्यू लिखते हैं कि क्या ही अच्छा होता यदि मैं इस घृणित नौकरशाही को समझा सकता कि हम जाति के मोड़ पर (झुकम्प पर) खड़े हैं।³ परिणाम स्वरूप माण्टेग्यू रिपोर्ट में जिन सुझावों की सिफारिश की गयी वे माण्टेग्यू की इच्छानुसार नहीं थे। उहें तो इसी बात में सतोप था कि "युद्ध के अत्यन्त सकटपूर्ण समय में मैंने भारत को छ महीने तक शांत रखा है, मैंने राजनीतिज्ञों को अपने मिशन के अतिरिक्त और किसी विषय पर ध्यान ही नहीं देना दिया।"⁴

श्री माण्टेग्यू भारत में लगभग 6 महीने (मई 1918 तक) भारत में रहे और इस दौरान में उहोंने वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ सारे भारत का दौरा किया।

- 1 एक मत यह भी है कि सुधारों की योजना मार्च 1916 में ही तैयार कर ली गयी थी और लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, जिसे भारत का वायसरॉय नियुक्त किया जा रहा था, दिना दी गयी थी। माण्टेग्यू जब भारत आये तो उनका उद्देश्य उस योजना के समर्थन में आवश्यक वातावरण तैयार करना था ताकि उनका समर्थन करने के लिये भारतीयों का एक दल तैयार हो जाय। दक्षिण पवत, टी० बी० पू० उ० पृ० 410। भारत आने से पूर्व माण्टेग्यू ने सुधारों में सम्पन्न 1916 की कांग्रेस की योजना को देख लिया था परन्तु वह उसे कार्यान्वित करना नहीं चाहते थे।
- 2 Montague An Indian diary, p 8 Quoted by Singh G N Ibid p 292
- 3 'I wish I could get the damned Bureaucracy to realise that we are sitting on an earthquake' Montague An Indian Diary p 288
- 4 Montague An Indian Diary, p 288

उन्होंने राजनीतिक दलों, नेताओं और सावजनिक सस्थाओं के प्रतिनिधि मण्डल¹ और ब्रिटिश नौकरशाही से विचार-विमर्श किया। मई 1918 में माण्टग्यू इन्फ्लू लौट गये।

8 जुलाई 1918 को सुधारा में सम्बन्धित एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जो माण्टफोर्ड रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इसे माण्टफोर्ड रिपोर्ट केवल इसलिये कहते हैं कि इसे भारत मन्त्री ई० एस० माण्टेग्यू और भारत के वायसराय लार्ड चम्सफोर्ड ने तैयार किया था। क्योंकि दोनों ने इसे समुक्त रूप से तैयार किया था इसलिये इसे समुक्त रिपोर्ट (Joint Report) भी कहते हैं।

माण्टफोर्ड रिपोर्ट रचयिताओं की इस मायता पर आधारित थी कि ससदीय अनुभव की कमी के कारण भारतीयों को एक दम उत्तरदायी शासन सौंपना उचित नहीं, फिर भी, भारत में स्वशासन का क्रमशः अधिकाधिक विकास किया जाना चाहिये और उत्तरदायित्व की कुछ मात्रा तो तत्काल सौंप देनी चाहिये। भारत में भावी सर्वेधानिक विकास के लिये जिन चार मुख्य सिद्धांतों को निर्धारित किया गया था वे निम्न प्रकार से थे। यही चार सिद्धांत सन् 1919 के अधिनियम के आधार थे—

(i) स्थानीय निकायों पर जनता का नियंत्रण हो और उन्हें बाह्य नियंत्रण से अधिकतम सम्भव स्वतंत्रता प्राप्त हो।

(ii) प्रांत ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ क्रमशः अधिकाधिक उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिये शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिये। यद्यपि हमारा उद्देश्य, जब परिस्थितियाँ अनुकूल हों, पूरे उत्तरदायित्व प्रदान करना होना चाहिये परन्तु उत्तरदायित्व के कुछ अधिकार तो तत्काल प्रदान कर देने चाहिये। इस उद्देश्य से विधान प्रशासन और वित्तीय क्षेत्र में प्रांतों को भारत सरकार के नियंत्रण से उम सामाजिक अधिकतम सम्भव स्वतंत्रता हो जा भारत सरकार के उत्तरदायित्वों के निर्माण से मेल जाती हो। स्पष्टतया इस सिद्धान्त में प्रांतों में द्वैध याजना का सुभाव था।

(iii) भारत सरकार पूर्णतया ब्रिटिश मसद के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिये यद्यपि कुछ मामला में उसके (भारत सरकार के) अधिकार निर्दिष्ट हान चाहिये। भारतीय विधान परिषद् को अधिनः प्रतिनिधिक बनाने के लिये उमकी सदस्य सन्ध्या में वृद्धि की जाय और उम भारत सरकार का प्रभावित करने के अवसर अधिक प्राप्त होने चाहिये।

(iv) जिस अनुपात में उपयुक्त परिवर्तन किये जायें उमो अनुपात में भारत सरकार और प्रांतों पर समान और भारत सचिव के नियंत्रण में विनाद (relaxation) प्राणी चाहिये।

1 "भव विनाकर मि० मोंटग्यू ने 110 प्रतिनिधि मण्डल मिन और उ० 330 भागा में भट की मरिन दृश्य माप्रेग मीग याजना का विराय नहीं किया गया था। दलिये पवन पू० उ० पृ० 411

उपर्युक्त चार सिद्धांतों के आधार पर सुधारों की विस्तृत योजना तैयार करने के लिये अनेक विशिष्ट समितियाँ बनाई गईं जैसे लाड साउथ वारो की अध्यक्षता में मताधिकार समिति, श्री रिचर्ड फीथम की अध्यक्षता में शक्तियों के विभाजन की समिति, लाड श्रीव की अध्यक्षता में गृह प्रशासन समिति, लाड मेस्टन की अध्यक्षता में वित्तीय समिति आदि ।

साम्प्रदायिक समस्या पर भी माण्टफोर्ड रिपोर्ट ने विस्तार से विवेचन किया था । इसे राष्ट्र विरोधी और प्रजातन्त्र विरोधी स्वाकार करते हुए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखने का सुझाव दिया गया । इतना ही नहीं पृथक निर्वाचन प्रणाली को सिक्खों को भी देने का सुझाव दिया गया ।

माण्टफोर्ड रिपोर्ट के उपर्युक्त सुझावों से स्पष्ट है कि इसने भारतीयों की स्वशासन की मांग का स्वीकार नहीं किया । 20 अगस्त 1917 की घोषणा द्वारा जो आशाएँ बांधी गयी थी वे फीकी पड़ गयी । केन्द्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना तो दूर प्रांतों में भी इस आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था और उसे भी अनेक सीमाओं द्वारा मर्यादित किया गया था । पृथक निर्वाचन प्रणाली के विषय को भी जारी रखा गया । यह स्वाभाविक था कि रिपोर्ट पर भारतीयों की प्रतिक्रियाएँ उग्र और कटु होती । रिपोर्ट निराशाजनक, असंतोषजनक और अपूरण थी । श्री तिलक के लिये यह "सूयहीन उपाय" थी । श्रीमती ऐनी बेसेंट के लिये "यह इंग्लैंड के लिये देने योग्य नहीं थी और भारत के लिये लेने योग्य नहीं थी ।" विठ्ठलभाई पटेल के लिये "ये सुझाव बहुत ही पिछड़े हुए थे । केलकर के लिये ये निराशापूर्ण और "भारतीय नेताओं को उनके ही रस में पकाने का दुष्टतापूर्ण प्रयास था ।" डा० सुब्रह्मण्यम अय्यर के लिये "यह जहर था" जिसे स्पष्ट न करने की चेतावनी उसने देशवासियों को दी । जिते दलाल बनर्जी के लिये "सुधार अनिच्छापूर्ण, अल्प, नाकाफी और बहुत ही निराशापूर्ण तथा अधूरे थे ।" सारी रिपोर्ट में, जसा कि श्री चन्वर्ती ने कहा था, "शांति व्यवस्था और सुशासन का ही गीत गाया गया है ।"¹

इस रिपोर्ट में सुझावों की सबसे दुःखद बात यह थी कि यह "भारतीयों की योग्यता में अविश्वास पर आधारित थी । ऐनी बेसेंट ने लिखा है कि "भारत को जो दिया जा रहा है वह आत्म निराण्य नहीं, विदेशी निराण्य है ।"²

भारत में यूरोपीय सगठनों ने माण्टफोर्ड रिपोर्ट में सुधारों के प्रस्तावों का घोर विरोध किया । इनका यह कहना था कि अत्याग्य होते हुए भी भारतीयों को

1 देविसे पवते, टी० वी० पृ० ३० पृ० 427-428 Also see Singh G N Ibid, p 343 (foot note)

2 देखिये वाश्यप, डॉ० सुभाष सवधानिक विकास और स्वाधीनता संघ (1972) रिसर्च दिल्ली, पृ० 78

सुधारों की अधिकतम किश्त देना उचित नहीं। इण्डो ब्रिटिश एसोसियेशन का दृष्टिकोण तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और उसने राजनीतिक सुधारों की नीति के विरोध में, ब्रिटेन और भारत में, जनमत जागृत करने का हर सम्भव प्रयत्न किया।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदार सघ

(An All-India National Liberal Federation)

माण्टफोर्ड रिपोर्ट पर कांग्रेस का दृष्टिकोण मिश्रित था। जहाँ उदारवादियों के लिये माण्टफोर्ड रिपोर्ट प्रगतिशील और तात्त्विक थी वहाँ उग्रवादियों के लिये यह अमनोपजनक और निराशाजनक थी। उदारवादियों का कहना था कि रिपोर्ट रचयिताओं की सच्चाई, महानुभूति और सद इरादों की द्योतन थी। उनकी धारणा थी कि इसमें सशोधनों की आवश्यकता होत हुए भी (विशेष कर केन्द्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिये) यह उत्तरदायी शासन की ओर एक महान प्रगति थी। उनका विश्वास था कि यह शासकों के दृष्टिकोण में वास्तविक परिवर्तन की परिचायक है इसलिये भारतीय नेताओं को भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेना चाहिये। उन्हें इस बात का भी भय था कि यदि इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया तो उग्रवादियों की अस्वीकृति और यूरोपीयों के विरोध के कारण कहीं सुधारों का मुझवसर हाथ से न निकल जाय। दूसरी ओर उग्रवादियों का दृष्टिकोण रिपोर्ट के पक्ष में नहीं था। उनका कहना था कि रिपोर्ट भारतीयों की योग्यता में अविश्वास पर आधारित है, इसमें सशासन या सुधार की कोई सम्भावना नहीं। इसलिये इसे अस्वीकार कर देना चाहिये। रिपोर्ट पर उग्रवादियों की प्रारम्भिक प्रतिक्रियाएँ उग्र और कटु होने से उदारवादियों ने अपने पृथक् सगठन को जन्म देने के विचार का दम किया और उन्होंने कांग्रेस के विशेष अभिवेशन में जो अगस्त माह के अन्त में 1918 में बम्बई में हुआ, भाग नहीं लिया। नवम्बर 1918 में सुरेन्द्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में उदारवादियों का एक सम्मेलन बम्बई में हुआ जहाँ अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदार सघ की स्थापना की गई। एक प्रस्ताव द्वारा उदारवादियों ने माण्टफोर्ड प्रस्तावों का स्वागत किया और उन्हें बतमान शासन प्रणाली में निश्चित विकास माना। उन्होंने अगस्त 1917 की घोषणा के अनुकूल मानकर प्रस्तावों का उत्तरदायी शासन की ओर महान प्रगति कहा। इस तरह कांग्रेस में एक बार फिर विभाजन हुआ जो फिर कभी एक नहीं हो सका। इस तार उदारवादी कांग्रेस से अलग हुए थे।

समीक्षा-प्रश्न

(Review Questions)

- 1 "ब्रिटिश राज्याधीन भारत के इतिहास में मई 1909 से 1919 तक का काळ भारत के इतिहास में सबसे छोटा काल है परन्तु इसका महत्व उसके लोगों की संख्या के आधार पर नहीं आँका जा सकता। वस्तुतः यह युग

गत्यत महत्वपूर्ण घटनाओं से परिपूर्ण है।" (गुरुमुख निहाल सिंह) इस कथन की विवेचना कीजिये।

- 2 सन् 1906 से 1919 तक कांग्रेस की राजनीति की प्रगति की रूपरेखा दीजिये। इस काल में सरकार का राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति क्या व्यवहार था ?
- 3 प्रथम महायुद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर क्या प्रभाव पड़ा ? कांग्रेस और लीग की नीतियाँ पर इसने क्या प्रभाव डाला ?
- 4 जन कांग्रेस का उल्लेख कीजिये जिनके कारण 1916 में कांग्रेस लीग सम्मेलन हुआ। राष्ट्रीय आन्दोलन में इसका क्या महत्व है ? क्या कांग्रेस ने लीग को सन्तुष्ट करने के लिये अपने राष्ट्रीय उद्देश्य और सिद्धांतों का बलिदान दे दिया ?
- 5 'होम रूल आन्दोलन विशुद्धतः सवधानिक और प्रचारात्मक आन्दोलन था। इसने देश में एक सनसनी पैदा कर दी।' इस कथन की विवेचना कीजिये और बताइये कि इस आन्दोलन का भावी राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा ?
- 6 एनी बेसेंट और तिनक द्वारा शुरू किये गये होम रूल आन्दोलन के क्या उद्देश्य थे ? राष्ट्रीय चेतना के विकास में इसकी क्या भूमिका थी ?
- 7 सन् 1914 और 1919 के मध्य महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिये। क्या ये घटनाएँ प्रथम महायुद्ध का परिणाम थीं या कि राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वाभाविक विकास थीं ?
- 8 "20 अगस्त, 1917 की घोषणा ने भारतीय सवधानिक विकास में एक युग को समाप्त कर दिया और एक नये युग को जन्म दिया" (माण्टफोर्ड रिपोर्ट) व्याख्या कीजिये।
- 9 गंधिपत्र टिप्पणियाँ लिखिये —
(अ) लखनऊ सम्मेलन (ब) होम रूल आन्दोलन (स) 20 अगस्त 1917 की माण्टेग्यू घोषणा (द) उनीस का आवेदन पत्र (य) मैसोपोटामिया धांधलेवाजी (दुघटना)।

गांधी युग का प्रारम्भ (The Beginning of Gandhian Era)

दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रयोगों के अनुभव के साथ गांधीजी सन् 1915 में भारत वापस आये। भारतीय राजनीति में तत्काल गतिमान भाग लेने के स्थान पर उन्होंने एक प्रेरक और अचपक की तरह उभरना शुरू किया। यही कारण है कि सन् 1916 की कांग्रेस की योजना के निर्माण में गांधीजी का सक्रिय योगदान नहीं था यद्यपि वे इनके पूर्ण समर्थक और प्रचारक थे। परन्तु जब भारत में अहिंसक प्रयोग (चम्पारन सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह) के बाद के भारतीय राजनीतिक रंग मंच पर आये तो अन्ततः (1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक) वे इससे दार्शनिक, निर्देशक और निर्माता बन रहे। यही कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1920 से 1947 के काल को गांधी युग कहा जाता है। इस युग में ही सत्याग्रह के अस्त्र (असहयोग, हड़ताल, धरणा, हिंजरत, कर-बंदी, बहिष्कार, उपवास आदि अस्त्रों) का उपयोग किया गया। इस युग में गांधी द्वारा जो प्रमुख आंदोलन निर्देशित किये गये वे थे असहयोग आंदोलन (1920-1922) सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34) व्यक्तिगत सत्याग्रह (1940), भारत छोड़ो आंदोलन (1942) आदि।

प्रारम्भ में गांधीजी पूर्ण सहयोगी थे। उन्हें ब्रिटिश नागरिकता, उनकी उदारता और मायप्रियता में पूर्ण विश्वास था। इस विश्वास के आधार पर ही गांधीजी ने प्रथम महायुद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सरकार की तन, मन, धन से सहायता देने के लिये अनुरोध किया। परन्तु युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार के विश्वासघाती, उसकी दमनकारी नीति और भारतीय भावनाओं के प्रति उसकी उदासीनता ने गांधीजी का सहयोगी से असहयोगी बना दिया। मुख्यतया रौलेट विधेयक जलियावाला बाग का हत्याकाण्ड, सर माइकेल ओ' डायर की पञ्चायत

1 भारतीय राजनीति में गांधीजी का सक्रिय योगदान 1920 में असहयोग आंदोलन से शुरू होता है।

दमनकारी नीति, माशुल लॉ, हण्टर समिति की रिपोर्ट जिसमें सरकारी अपराधा की अवहेलना की गयी थी और हत्यारा को छाड़ दिया गया था और खिलाफत के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार के विश्वासघातो ने ही गाधीजी को असह्यागी बनाया था ।

चम्पारन सत्याग्रह गाधीजी द्वारा भारत में सत्य और अहिंसा का यह प्रथम प्रयोग था । चम्पारन में नील की खेती करने वाले किसानों की दशा दयनीय और असह्य थी । कानून द्वारा उन्हें अपने मालिका के लिये खेता में नील की खेती करनी पडती थी । सावजनिक कायकर्ताओं और पत्रों द्वारा शिक्षायतो को दूर कराने के मभी प्रयास निष्फल गये । बृजकिशोर प्रसाद और नन्दकिशोर लाल आदि बिहार के सावजनिक कर्ताओं के अनुरोध पर गाधीजी अप्रैल 1917 में चम्पारन पहुचे । गाधीजी नील की खेती कराने वाले मालिका के संगठन और तीरहुत के कमिश्नर से बात करना चाहते थे परन्तु इनमें उन्हें कोई सफलता न मिली अपितु चम्पारन के जिता मजिस्ट्रेट ने उन्हें शांति भंग होने के नाम पर, चम्पारन को छाड़ने के आदेश दिये जिन्हें गाधीजी ने मानने में इकार कर दिया । गाधीजी पर अभियोग चलाया गया । बिहार के उप राज्यपाल के दखल देने पर अभियोग को वापस ले लिया गया परन्तु गाधीजी की निडरता और साहस ने चम्पारन को सारे देश का विषय बना दिया । गाधीजी के प्रयासों से चम्पारन के किसानों की दशा की जाच करने के लिये एक जाच समिति का गठन किया गया । गाधीजी इस समिति के सदस्य थे । इसी समिति की रिपोर्ट पर चम्पारन भूमि सुधार अधिनियम पास किया गया जिमने किसानों की अनक शिफायतो को दूर कर दिया । देश ने, विशेष कर किमानों ने, सत्याग्रह के प्रथम पाठ को चम्पारन में सीखा ।

अहमदाबाद सत्याग्रह अहमदाबाद में वेतनों की वृद्धि के प्रश्न पर मिल मालिकों और मजदूरों में सघष चल रहा था । श्रीमती अनुसूइया बाई के अनुरोध पर गाधीजी फरवरी 1918 में अहमदाबाद पहुचे । उन्होंने मिल मालिकों से अनुरोध किया कि वे "वेतन वद्धि" के प्रश्न को विवाचन (Arbitration) द्वारा निश्चित करा ले । मालिकों के इकार करने पर गाधीजी ने मजदूरों को अहिंसक, शांतिपूर्ण और एक जुट होकर हड़ताल करने का परामश दिया । यह हड़ताल 21 दिन तक चली । अंत में मजदूरों के वेतनों में 35 प्रतिशत की वृद्धि कर हड़ताल को समाप्त किया गया । सत्याग्रह के अस्त की यह दूसरी विजय थी ।

खेडा सत्याग्रह अहमदाबाद की हड़ताल समाप्त ही हुई थी कि गाधीजी का ध्यान दम्बई प्रांत के खेडा जिले की ओर आकर्षित हुआ जहां किसान, फसल के नष्ट होने पर, सरकार से राजस्व को स्थगित करने का अनुरोध कर रहे थे । गाधीजी ने खेडा में कर-बन्दी आन्दोलन को चलाया । सवथी वल्लभ भाई पटेल इंदूलाल धजनीक, महात्मेव देसाई आदि ने इस आन्दोलन में भाग लिया । यद्यपि सरकार ने दमन की नीति अपनायी, स्वयं सेवकों को बन्दी बनाया गया, किसानों की चल सम्पत्ति और पशुओं को बेचा गया, फिर भी किसान (सत्याग्रही) निडर, शांत और दृढ़ रहे । अंत

में सरकार और विमानों के मध्य एक समझौता हुआ जिस पर कर बंदी प्राणस्य गित कर दिया गया ।

इस तरह जहां उपयुक्त तीन सत्याग्रह आंदोलनों की सफलता न गवाया जा सके तो प्रोत्साहित किया गया वहां भारतीय जन माधारण या सत्याग्रह आंदोलन का प्रगति प्राप्त हुआ । तब म अद्वितीय जागृति उत्पन्न हुई और स्वतंत्रता के लिये दुःख और सगठन बतान की भावनाएँ पैदा हुई ।

रोलट या काला अधिनियम (Rowlatt or Black Act)

क्रांतिकारियों और आतंकवादियों का दमन करने के लिये प्रथम महासुदूरक दौरान भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत नौकरशाही को अनेक शक्तियाँ से विभूषित किया गया था । यह अनुभव करत हुए विद्वानों के बाद ये विशेष शक्तियाँ समाप्त हो जायेंगी वायमराय लाड चेम्सफोर्ड न्यायाधीश सिडनी ए० टी० रोलट की अध्यक्षता में 10 दिसम्बर 1917 का एक समिति का गठन किया जिसे "राजद्रोह के अल्पिक की जांच करने के लिये और उमंगे निपटने के लिये कहा गया था ।"¹ इस समिति की नियुक्ति का उद्देश्य 'तोड़ शिकायत दूर करना नहीं था बल्कि बंगाल के तब कथित क्रांतिकारी पंडित से निपटने के लिये वायकारियों को अधिक शक्तियाँ दे कर सशक्त करने के लिये नये कानून बनवाना था ।² इस तरह ब्रिटिश नौकरशाही क्रांतिकारियों और आतंकवादियों के दमन के बहाने राष्ट्रवादियों और सुधारकों विरोध करने वाला को कुचलने के लिये पहले म ही अपने शस्त्रागार में दुबारा (Double edged) अस्त्र को सुरक्षित कर लेना चाहती थी ।

रोलट समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1918 में, मोटफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशित होने के ठीक बाद प्रकाशित की गयी थी । इस रिपोर्ट में तिलक के कार्यों और उनके विरुद्ध राजद्रोह के मुकदमों की विशद व्याख्या की गयी थी । जैसाकि पहले न लिखा है कि "ऐसा प्रतीत होता था कि सर वलेटाइल गिरोल ने जाकर सरकारी तौर पर लिखा था उमी की इस सरकारी रिपोर्ट द्वारा पुष्टि करने की कोशिश की गयी थी ।"³ इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि क्रांतिकारी अपराधों से निपटने के लिये साधारण फौजदारी कानून अपर्याप्त हैं, प्रांतीय सरकारों का नजरबंदी (internment) की शक्तियाँ प्राप्त हानी चाहिये और कुछ परिस्थितियों में बिना ज्यूरी (Jury) की सहायता के राजनीतिक अपराधों की जांच की व्यवस्था होनी चाहिये । समिति ने दण्डात्मक और प्रतिवन्धात्मक (punitive and preventive) दोनों प्रकार के उपायों का सुझाव दिया । इन सिफारिशों के आधार पर ही

1 पहले, टी० वी पू० उ० पृ० 440

2 वही पृ० 413

3 वही पृ० 438

साम्राज्यीय विधान परिषद (Imperial Legislative Council) में दो विधेयक प्रस्तुत किये जिन्हें रोलट विधेयक कहा जाता है। इन्हें रोलट विधेयक केवल इसलिये कहा जाता है कि ये रोलट समिति की सिफारिश पर आधारित थे। भारतीयों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिये इन्हें "काले विलो" की सजा दी थी।

इन काले विलो का विरोध सारे भारत में एक स्वर से किया। परिषदों के अदालत व बाहर, उग्रवादियों, उदारवादियों और मुस्लिम लीग के सदस्यों तथा समाधारण जनता ने प्रेस और मंच के माध्यम से इनका विरोध किया। खापड़ों, विठ्ठल भाई, मालवीय, सुरे द्रनाथ, राजा साहिब महमूदाजाद, मजहबूल हक, जिन्ना आदि ने उनका विरोध किया। श्रीनिवास शास्त्री ने तर्कों के आधार पर इन्हें वापस लेने का अनुरोध किया। सर तेजवहादुर मन्नू ने चेतावनी दी कि इन दमनकारी कानूनों से देश एक भयंकर आन्दोलन की भवरो में फस जायगा।¹ कुछ सदस्यों ने इन्हें सुधारों के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली परिषदों के गठित होने तक स्थगित करने का सुझाव दिया। गांधीजी ने भी चेतावनी दी थी कि यदि इन विधेयकों को पास कर दिया गया तो वे इसका विरोध सत्याग्रह द्वारा करेंगे। सबत्र विरोध और चेतावनियों के बाद भी सरकारी मता के आधार पर 18 मार्च, 1919 को एक विधेयक² पास हो गया और 21 मार्च को वह कानून बन गया जिसे 'अराजकतापूर्ण और शक्तिकारी अपराध कानून, 1919 (Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1919) की सजा दी गयी। चिन्तामणि लिखते हैं कि "परिषदों के घर भारतीय सदस्य और मनोनीत सदस्य सबने विधेयकों का गमान रूप से विरोध किया परन्तु सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और तनिक भी न झुकी।"³

अराजकतापूर्ण और शक्तिकारी अपराध कानून बहुत ही अत्यायपूर्ण और अपमानजनक था। यह राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा था। इसके अंतर्गत नीकरशाही उचित राजनीतिक आन्दोलन का गला घाट सकती थी, नेताओं को बन्दी बना कर देश निकाला दे सकती थी, जिन्ना अभियोग लगाये उन्हें अनिश्चित जेल तक जेलों में सजा सकती थी, यायालयों ऐसी गवाही (Evidence) स्वीकार कर सकती थी जो इण्डियन ऐक्टिविटीस एक्ट के अनुसार मान्य नहीं थी, यायालय अपनी कायदाही को गुप्त रख सकती थी। नीकरशाही लोगों को जमानत देने के लिये या अपना पता देने के लिये या किसी स्थान पर रहने के लिये या किसी निदिष्ट काम से दूर रहने के लिये या थाने में हाजरी देने के आदेश दे सकती थी। इस कानून की सबसे दुर्घटना

1 Quoted by Singh G N Landmarks in Indian Constitutional & National Development p 359

2 See Singh G N Ibid p 357

3 Chintamani, C Y Indian Politics Since the Mutiny P 115

यह थी कि इसके अंतगत "दलील अपील या वकील का अधिकार"।¹ संक्षेप में इस वानून ने नागरिका की उन सामान्य नागरिक स्वतंत्रताओं का समाप्त कर दिया जिन्की रक्षा के लिये भारतीयों ने प्रथम महायुद्ध में खून² जहाया था।

महात्मा गांधी पहले ही सरकार की चेतावनी दे चुके थे कि यदि रौलट विधेयको का पास किया गया तो वे मृत्यु के आधार पर अहिंसक सत्याग्रह द्वारा इसका विरोध करेंगे। रौलट एक्ट (अराजकतापूर्ण और शान्तिकारी अपराध वानून, 1919) के पास ज्ञान के बाद गांधीजी के पास सत्याग्रह शुरू करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प न था। इस उद्देश्य में उन्होंने बम्बई में सत्याग्रह सभा का निर्माण किया और 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की घोषणा कर दी। क्योंकि दिल्ली में इसी मूचना समय पर प्राप्त नहीं हुई वहां 30 मार्च, 1919 का हड़ताल की गयी। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व में एक जलूस निकाला गया। गोली की चेतावनी मिलने पर स्वामीजी ने अपना सीना (Chest) नगा कर दिया। इस उत्साह और निडरता को देखकर पुलिस न गोली नहीं चलाई परंतु रेलवे स्टेशन पर हिंसक घटनाएँ हुई और गोली भी चलाई गयी।

सारे देश में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की गयी, सभाओं का आयोजन किया गया, उपवास रखे गये और प्राथनाएँ की गयी। इस हड़ताल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्ण, शांतिमय और सफल हड़ताल थी। गांव और नगर बंद थे, सवारियों और बैलगाड़ियों का चलना बन्द था, हलो तक को नहीं जोना गया।³

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड (Jallianwalla Bagh Tragedy)

6 अप्रैल 1919 को सारे देश में हड़ताल बड़ी शान्तिपूर्ण हुई परंतु पंजाब दिल्ली, और बंगाल में कुछ दुःघटनाएँ हुई। इस चिन्ता से स्वामी श्रद्धानन्द और पंजाब के कांग्रेसी नेताओं—डा० सत्यपाल और डा० रिचलू के निमन्त्रण पर गांधीजी बम्बई से 7 अप्रैल का गाड़ी से रवाना हुए। दिल्ली के पास पलवल (अब हरयाणा में) नामक स्टेशन पर उन्हें दिल्ली और पंजाब में जाने से मनाही के आदेश⁴ दिये गये। गांधीजी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें बंदी बनाकर वापस बम्बई भेज दिया गया। अहमदाबाद में गांधीजी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गयी और अनेक हिंसक घटनाएँ घटी।

1 See Pts I to III of Criminal & Revolutionary Act 1919,

2 देखिये सीकरी, एम० एल० भारतीय सविधान का इतिहास, पृ० 365

3 देखिये राजेंद्र प्रसाद आत्म कथा पृ० 116

4 गांधीजी को यह आदेश भारत सरकार ने, दिल्ली और पंजाब सरकार के

पंजाब ने युद्ध काल में सरकार की पुरखो, धन और पदार्थों (Men, Money and Material) से अत्यधिक सहायता की थी परन्तु सरकार द्वारा दमन भी पंजाब में ही सबसे अधिक किया गया था। इस कारण पंजाब में असंतोष और उत्तेजना का वातावरण था। यद्यपि पंजाब शान्तिकारियों का गढ़ था परन्तु अब पंजाब के नेता आन्दोलन को शान्तिपूर्ण और वैधानिक ढंग पर चलाना चाहते थे।¹ 10 अप्रैल, 1919 तक पंजाब में शान्ति थी। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में 'राम नवमी' (Ram Naumi) का उत्सव बड़ी शान्ति से मनाया गया। इस उत्सव में मुसलमानों ने भी भाग लिया। हिंदू मुसलमानों की इस एकता का देखकर पंजाब के उप गवर्नर सर माइकेल ओ डायर (Sir Michael O' Dwyer) आश्चर्यचकित रह गये। नगर में उत्तेजना पदा करने के लिये 10 अप्रैल, 1919 को अमृतसर के दो प्रमुख नेताओं, डा० सत्यपाल और डा० किचलू को नजरबंद कर घमशाला निष्कासित कर दिया गया। शहर में इन नेताओं की गिरफ्तारी की खबर फलते ही हड़ताल की घोषणा कर दी गयी और लोगों की भीड़ डिप्टी कमिश्नर के मकान की ओर बढ़ने लगी। इस समय तब भीड़ पूणतया शांत और अहिंसक थी।² पुलिस ने उन्हें रेलवे लाइन के पास तितर बितर होने का आदेश दिया परन्तु भीड़ के इनकार करने पर पुलिस ने उस पर गालियों की बौछार की जिससे दा व्यक्ति मारे गये और अनेक घायल हुए। मरो हुआ का बंधो पर लेकर भीड़ उन्नेजित होकर वापस लौटी। अनेक हिंसक घटनाएँ घटी, रास्ते में यूरोपीय स्त्री पुरुष और बच्चा को बुरी तरह पीटा गया, नेशनल बैंक और ऐलाइस बैंक को आग लगा दी गयी उनके यूरोपीय मैनेजरो की हत्या की गयी, टाउनहाल और सांख्यिक इमारतों को आग लगाई गयी, टेलीफोन के तार काट दिये गये, मिस शेरवुड (Miss Sherwood) नाम की एक प्रचारिका को गली में अधमरा छोड़ दिया गया।

पंजाब के गवर्नर सर माइकेल ओ डायर ने जालंधर सैनिक डिवीजन के कमाण्डेंट ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर (Brig-General O Dyer) को अमृतसर शहर की कमाण्ड दे दी। जनरल डायर 11 अप्रैल को अमृतसर पहुँचा। वह बदले की भावना से अमृतसर आया था, वह आतंक फैलाना चाहता था, वह लोगों का ऐसा सबक सिगाना चाहता था कि वे कभी हँस न सकें। इस उद्देश्य से उन्होंने 12 अप्रैल को अनेक गिरफ्तारियाँ की, सारे शहर में 144 धारा लगादी, जलूमा और नभाओं पर प्रतिबंध लगा दिये। परन्तु इन सबकी घोषणा शहर के सभी स्तरों पर नहीं की गयी थी।

1 See Singh, G N Ibid p 362

2 The Disorders Inquiry Committee Report Quoted by Singh G N Ibid p 363

जनरल डायर के कारनामों से जनता उत्तापित थी। पुलिस अत्याचार का निन्दा करने के लिये और मृतकों के लिये शाक प्रस्ताव पास करने के लिये हिन्दू नव वय के दिन, 13 अप्रैल 1919 को साय 4½ बजे जलियावाला बाग में एक सावजनिक सभा का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने सभा को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जब लगभग 20,000 पुरुष, स्त्रियां व बच्चे, बूढ़े और जवान, बाग में एकत्रित हो गये तो जनरल ओ डायर 100 भारतीय सिपाहिया 50 अर्ध सिपाहिया और दो जिरह्वरतर कारो (armoured cars) के साथ बाग में पहुँचा। बाग का रास्ता इतना तंग था कि जिरह्वरतर कारो को बाग के बाहर ही छोड़ना पडा। डायर सिपाहियों के साथ बाग में अन्दर गया और एक ऊँची टेकड़ी से बिना चेतावनी दिये 'निर्दोष, निरपराध निशस्त्र पुरुषों और बच्चों पर' अधाधुष गोलियों की बौछार करनी शुरू करदी। गोलियां दस मिनट तक लगातार बरसती रही और तभी बंद हुई जब सारा वारुद समाप्त हो गया। कुल मिलाकर 1650 गोलियां चलायी गयी। सरकारी आकड़ा के अनुसार 379 की मृत्यु हुई और 200 घायल हुए, सेवा समिति के आकड़ा के अनुसार 500 की मृत्यु हुई और 1000 से अधिक घायल हुए। लाला गिरधारी, पंजाब चैम्बर ऑफ काम्स के उप अध्यक्ष, के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से कम नहीं। इस निमम नर सहाय काण्ड की सबसे दुःखद बात यह थी कि मृतकों और घायलों को सिपाहियों ने अपने बूटों से लताड़ा, मृतकों और घायलों को बिना पानी और डाक्टरों सहायता के खून से लतपत, पीडा से कराहते हुए लोगों को सारी रात भर बाग में ही पड़े रहने दिया।

जनरल डायर सम्भवत जलियावाला बाग के हत्याकाण्ड में मनुष्य नहीं था। वह ब्रिटिश सत्ता को बनाय रखने के लिये हर सम्भव काय करन का इच्छु था। जिन अमानवीय और बबर विपदाओं का लोग पर दायरा गया वे विश्व में एक मात्र उदाहरण हैं। जिस गली में शेरवुड पर आक्रमण किया गया था उसमें कई दिन तक लोगों का कोड़े मारे गये और लोग का पेट के घल रेंगकर चलने व आग दिय गये, नलों में पानी का बंद कराना, बिजली काटना, स्त्रियां व समाज नग बरब पुष्पा या वाटे मारना, तीसरे दर्जे का टिकट न देना, अफसरा को सलाह न देना, सैनिक अफसरा के समक्ष और धान में हाजरी देना, नगर को बिना द्जानत न छानना, सावजनिक भोजनालयों को बंद करना अपराधियों का वरील चुंगी की आगा न देना, मार्शल ला व पास्टरा का हटान पर दण्ड देना गेता में गड्डे किसानों की भांड पर गांविया चनाना आदि सामान्य बातें थी।

मार पंजाब में मानव तों चामू कर लिया गया। यद्यपि मरणा का वयन था कि मार्शल ला की घोषणा 10 अप्रैल को कर दी गयी थी परन्तु वास्तविकता यह

थी कि गमृतनर और लाहौर में इसकी घापणा 15 अप्रैल को और अय जिला में 17 अप्रैल को की गयी।¹ जलियाँवाला बाग की प्रतिक्रिया के रूप में लाहौर, बसूर, गुजरावाला आदि स्थानों में अनेक हिंसक घटनाएँ घटीं। सरकार ने हर स्थापना पर लोगों पर गालियों की बौछारों की। गुजरावाला में तो हवाई जहाजों और मशीनगनों द्वारा गोलियाँ चलायी गयीं।

गांधी सहित अनेक भारतीय नेताओं ने पंजाब आन की इच्छा व्यक्त की परंतु उन्हें इजाजत नहीं दी गयी। पंजाब से सूचनाओं का बाहर जाना भी बंद कर दिया गया। पंजाब की घटनाओं पर अपना रोष प्रकट करने के लिये बंदि रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइटहुड (Knighthood) की उपाधि को त्याग दिया और गवर्नर जनरल की कायकारिणी परिषद के भारतीय सदस्य शंकरनारायण ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। सारे देश में पंजाब काण्ड की निष्पक्ष जांच की मांग की जाने लगी। सरकार ने चार महीने तक चुप्पी ठाने रखी। बाद में अनुभव करते हुए कि लोगों के रोष की सीमा रक्षित हो गयी सरकार ने लाडल्टर की अध्यक्षता में एक जांच समिति की नियुक्ति की। इसके अय सदस्य थे जस्टिस रैकिन, मि० राइस, मेजर जनरल सर जाज जेरा, सर चिमनलाल सितलवादी और साहजजादा सुल्तान अहमद। बाद में पण्डित जगतनारायण और टामस स्मिथ का भी इस समिति में शामिल कर लिया गया।²

हटर समिति के समक्ष अपने बयानों में जनरल डायर ने स्वीकार किया कि "निंद्य हत्या करने में उसका मूल उद्देश्य अच्छी तरह से गाली चलाना था ताकि दोषारा किसी को गोली चलाने का अवसर ही न मिले।" उसने इस बात को भी स्वीकार किया कि वह "लागों के नतिक बल को नष्ट करना चाहता था" और घायलों का मेडीकल सहायता देना उसका कर्तव्य नहीं था।"

कांग्रेस ने मांग काण्ड की जांच करने के लिये अपनी एक पृथक समिति का निर्माण किया। श्री बे० सतानाम इसके मंत्री थे और मोतीलाल नेहरू, सी० आर० दास०, अब्दुस तय्यबजी, एम० आर० जयकर, फाजल हक और महात्मा गांधी इसके सदस्य थे। इस समिति का निश्चित मत था कि जलियाँवाला बाग का हत्याकाण्ड "निर्दोष, निरपराध, निशस्त्र पुरुषों और बच्चा का सुनिश्चित नर हत्याकाण्ड था, जो अपनी हृदयहीनता और कायरतापूर्ण पार्श्विकता के लिये आधुनिक समय में अपमान है।"³ समिति का यह मत भी था कि इस हत्याकाण्ड के लिये सरकार ही उत्तरदायी थी, उसने नेताओं को नजरबंद कर, लोगों पर गालियाँ चलाकर उन्हें भयकाया था।

1 दक्षिण पवत, टी० वी० पू० उ० पृ० 443

2 See Singh, G N Ibid p 371

3 पवने, टी वी द्वारा उद्धृत, पृ० 449

हटर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पूर्व ही पंजाब सरकार ने अत्याचार से सम्बन्धित अधिकारियों को मुक्त करने के लिये क्षतिपूर्ति अधिनियम (Indemnity Act) पास कर दिया। जब 1920 में हटर समिति का रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो वह और भी निराशाजनक थी। उसने सारे काण्ड पर और प्रशासन के कुर्मों को छुपाने की वीक्षण की। सर माईकेल ओ डायर को कोई दण्ड नहीं दिया, जनरल डायर को सेवा से मुक्त कर दिया गया परन्तु उसके कुर्मों को, उसके निराय की, जो स्थिति को युक्तिमूलक आवश्यकताओं को नहीं समझ सका था, एक भयंकर भूल बताया और उसके आचरण को कृतव्य से सत्यनिष्ठ परन्तु गलत धारणा पर आधारित बताया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश जनता, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद में उसको कृतव्य परायणता और वफादारी के गुण गाये गये। जिस व्यक्ति को भारतीय सूनी राक्षस, हृदयहीन और क्रूर समझता था ब्रिटिश समाज उसे साम्राज्य का शेर और रक्षक समझता था। उसके प्रशंसकों द्वारा उसे एक तलवार और 20,000 पाँड की धली भेंट की गयी।¹ अपराधी और अत्याचारों को बढ़ावा देने वाले अनेक पदाधिकारियों को कोई दण्ड नहीं दिया गया।

हटर समिति की रिपोर्ट और उस पर अपनाये गये ब्रिटिश सरकार के रव्य न ही गांधीजी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया। एक अर्थ घटना जिसने गांधीजी को असहयोगी बनाया वह थी 'खिलाफत का प्रश्न।'

खिलाफत आन्दोलन

(The Khilafat Movement)

सन् 1918-19 के वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में अत्यन्त क्रमताप और क्लेश के वर्ष थे। रोलट विधेयक और जलियावाला बाग के हत्याकाण्ड से लोगों में रोष की अग्नि का संचार हो रहा था। ठीक इसी समय खिलाफत के प्रश्न पर भारतीय मुसलमान भी चिन्तित, वेचन और उत्तेजित हो रहे थे। मुसलमानों के लिए तुर्कों का सुल्तान इस्लाम जगत का खलीफा (धार्मिकगुरु ईश्वर का प्रतिनिधि) था। प्रथम महायुद्ध में टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। इस तरह जहाँ भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भक्ति तुर्कों के प्रति थी वहाँ उनकी राजनीतिक भक्ति ब्रिटेन (मित्र राष्ट्र) के प्रति थी। ब्रिटिश प्रधान मंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने (5 जनवरी 1918 को) भारतीय मुसलमानों को विश्वास दिलाया था कि "युद्ध के बाद इंग्लैंड तुर्कों के प्रति अनिश्चय की नीति नहीं अपनायेगा उम्मेद साम्राज्य का छिन्न भिन्न नहीं हाने देगा और उनके एशियाई प्रदेशों और अरबों के धार्मिक स्थानों का हानि नहीं पहुँचयेगा।"

1. उद्यमिताह १ 21 वर्ष बाद सर माईकेल ओ डायर की 13 मार्च 1940 के हत्या करके पंजाब के हत्याकाण्ड का उदना किया जिनमें उम्मेद पिता का जान गयो थी।

ब्रिटेन के इसी विश्वास पर भारतीय मुसलमानों का सतोंप हो गया और उन्होंने अंग्रेज भारतीयों की तरह ब्रिटिश सरकार की तन मन धन से सेवा की।

परन्तु अक्टूबर 1918 से ही ये अफवाह फैलनी शुरू हो गयी कि युद्ध के बाद तुर्की पर अपमानजनक शर्तें थोपी जायेंगी, उसके साम्राज्य को छिन भिन किया जायगा और उसके धार्मिक नेतृत्व को भी नष्ट करने का प्रयास किया जायगा। इसका विरोध करने के लिये ही भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आन्दोलन को शुरू किया जिसके मुख्य तीन उद्देश्य थे —

- (i) तुर्की साम्राज्य को छिन भिन होने से रोकना,
- (ii) तुर्की पर अपमानजनक शर्तों को लादने से रोकना,
- (iii) तुर्की के सुल्तान के धार्मिक नेतृत्व को स्थायी बनाये रखना।

इस तरह खिलाफत आन्दोलन भारत में विद्वशी प्रश्न को लेकर देशीय आधार पर चलाया गया था। इस आन्दोलन के प्रमुख नेता थे—मुहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आजाद। इनके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने अपने आपको खिलाफत आन्दोलन में संगठित कर 27 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया। 24 नवम्बर 1919 को दिल्ली में एक खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें हिन्दुओं ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। गांधीजी ने, जो स्वयं हिन्दू मुस्लिम एकता के पुजारी थे और जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिये इनकी एकता पर बल देते थे, इस अवसर को हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये सुप्रवसर समझा। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में न केवल खिलाफत आन्दोलन का समर्थन किया बल्कि हिन्दू मुस्लिम एकता और सहयोग पर भी बल दिया। कुछ समय तक तो ऐसा महसूस होने लगा कि 1857 के विद्रोह के बाद जो हिन्दू मुस्लिम सदभावना समाप्त हो गयी थी वही को पुनः लौट तो नहीं आयी।

अपने अध्यक्षीय भाषण में ही गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन की ओर संकेत कर दिया था। उन्होंने कहा था कि “सहयोग देने में इनकार करना लागा का अविच्छेद्य अधिकार है यदि खिलाफत जम महान प्रश्न पर भी सरकार धागा दे सकती है तो हम असहयोग के अतिरिक्त और कर ही क्या सकते हैं?”

गांधीजी के अनुरोध पर ही 19 जनवरी 1920 को डा० एम० ए० अमारी के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड से मिली परन्तु उम्माद फन नहीं हुआ। एक अंग्रेज मुस्लिम शिष्टमण्डल मार्च 1920 को मौताना मुहम्मद अली के नेतृत्व में इंग्लैंड भेजा गया। परन्तु वहाँ भी, भारत सचिव माण्टग्यू की सम्भावना होते हुए भी, उम्माद फन नहीं मिली और वह गान्धी शायद भारत लौट आया।

14 मई 1920 को सीव्रेस संधि (Treaty of Sevres) की शर्तों का प्रकाशन किया गया। इनके प्रकाशन के बाद ही भारतीय मुसलमानों में उत्तेजना का

सत्कार हुआ। गांधीजी के कहने पर उन्होंने असहयोग आन्दोलन को स्वीकार कर लिया। खिलाफत आन्दोलन की शान्ति सारे भारत में खोज दी गयी। मुस्लिम धार्मिक सस्थाओं ने भी इस आन्दोलन में सहयोग दिया। मुस्लिम उलेमाओं ने अपने आपको जमीयत उल उलेमा (Jamiat ul-ulema) में संगठित करके आन्दोलन में सहयोग दिया। उलेमाओं ने यह "फतवा निकाल दिया कि सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग करना हराम है।"¹

परन्तु जब भारतीय मुसलमान खिलाफत आन्दोलन को (असहयोग आन्दोलन के अग्र के रूप में) चला रहे थे तो तुर्की की राजनीति में शीघ्र और उग्र परिवर्तन हुए जिनको देख कर भारतीय मुसलमान हक्क खोके रह गये। स्वयं तुर्कियों ने मुहम्मद अब्दुल हमीद और उसकी खिलाफत को समाप्त कर दिया। तुर्की के नये शासक कमाल पाशा की रुचि धर्म में नहीं थी। अतः उनमें सन्तान और खिलाफत का समाप्त करके तुर्की में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी। जब वास ही न रहा तो वासुरी वजाने का प्रश्न ही नहीं था, जब स्वयं तुर्कियों ने खिलाफत को समाप्त कर दिया तो भारतीय मुसलमानों के लिये विदेशी प्रश्न के आधार पर आन्दोलन चलाना व्यर्थ था। इन सब घटनाओं ने भारतीय मुसलमानों में अस्थिरता और उदासीनता को जन्म दिया, हिन्दू मुस्लिम एकता को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया और मापला विद्रोहों ने साम्प्रदायिक दंगों का बढावा दिया। संक्षेप में, भारतीय राजनीति में आन्दोलन में इस विदेशी तत्त्व को जोड़ना अराजकीयता और अदूरदर्शिता का द्योतक था।

असहयोग आन्दोलन (1920-1922)

(Non Cooperative Movement 1920-1922)

कारण यद्यपि पिछले पृष्ठों में असहयोग आन्दोलन के कारणों का विस्तारपूर्वक व्याख्या की गयी है फिर भी विद्यार्थियों के लिये उन्हें इस संक्षेप में लिख देना अनुचित न होगा। आन्दोलन के प्रारम्भ होने के मुख्य कारण निम्न थे—

1. माण्टेग्नु चम्सफोर्ड सुधारों से असंतोष—प्रथम महायुद्ध के दौरान भारतीयों ने तन, मन, धन में अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों ने भारतीयों की इस सहायता की प्रशंसा भी की। अंग्रेज यह भी वादावली कर रहे थे कि युद्ध रिकार्ड में प्रजातन्त्र का सुरक्षित (to make the world safe for democracy) रखने के लिए लड़ा जा रहा था। राष्ट्रपति विल्सन ने अपने चौदह सिद्धान्तों में आत्मनिर्णय के सिद्धान्त की बात बर्ती थी। इन सब बातों ने भारतीयों में यह आशा जागृत कर दी थी कि युद्ध के पश्चात् उनका देश में स्वशासन सन्स्थापना की जायेगी। परन्तु जा गुप्तार याजना 1918 में प्रकाशित की गई उनमें भारतीयों

केवल अमन्तुष्ट हुए बल्कि गिराश भी हुए। जैसाकि ऐन वनेट ने लिखा है कि "एसे सुधारा वा देना जहा इ ग्लैण्ड के अनुदार दृष्टिकोण वा सूचक था वहा इनको स्वीकार करना भारत के लिए अपमानजनक था।"

2 आर्थिक कठिनाइयाँ—सन् 1917 से 1920 तक भारतीया का अनेक प्रकार की आर्थिक कठिनाइया का सामना करना पडा जिससे उनमे असंतोष की भावना जागृत हुई। सर्वप्रथम, युद्ध प्रयासो के कारण ऋषि विकास की ओर ध्यान नही दिया गया था जिससे अनाज की कीमतें बहुत बढ गई। दूसरे, अंग्रेजो का ब्यवहार बिहार के चम्पारन और गुजरात के खेडा किसानो के प्रति इतना अमानुषिक था कि उससे भारत मे असंतोष उत्पन्न हुआ। तीसरे, प्राकृति प्रकोप भी इस समय प्लेग और इन्फ्लूएन्जा के रूप मे प्रकट हुआ। चौथे, जा लोग युद्ध के दौरान भरती किये गये थे उह युद्ध के बाद निकाल दिया गया। ये लोग बेकार हो गये और रोजगार उपलब्ध न होने से असंतोष वा जन्म होना स्वाभाविक था। सक्षेप मे, प्रथम युद्ध के बाद सारा भारत आर्थिक सकट और राजनीतिक निराशा मे डूबा हुआ था।

3 रौलट विधेयक—युद्ध के सकट वा सामना करने के लिए जो अस्थाई विशेषाधिकार ब्रिटिश नौकरशाही को दिये गये थे वह युद्ध के बाद भी उह छोडना नही चाहती थी अपितु नान्तिकारिया तथा आतङ्कवादिया का सफाया करन के लिए तथा सामान्य रूप मे भय उत्पन्न करे के लिए उह अपन पास रखना चाहती थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जस्टिस सिडनी रौलट की समिति की सिफारिशा के आधार पर केन्द्रीय व्यवस्थापिका मे दो विधेयक प्रस्तुत किये गये जो रौलट विधेयक के नाम से प्रसिद्ध है। विधान मण्डल मे गर सरकारी सदस्यो ने एकमत से इन विधेयक वा विरोध किया परन्तु सरकारी बहुमत के कारण ये विधेयक पास हो गये। इन विधेयको वा विरोध "काले विधेयक (black Acts) कह कर किया गया। सारे भारत मे इनका विरोध करने के लिए प्रदर्शन किये गये, जलूस निकाले गये तथा हडतालें की गई। परन्तु ब्रिटिश निरंकुश एव निष्ठुर सरकार तथा नौकरशाही पर इनका प्रभाव न पडा।

4 जलियावाला बाग हत्याकाण्ड—पजाब मे माईकल आ डायर वा दमनकारी शासन, उसके द्वारा सेना मे भारतीया वा भरती करन के लिए अप्ताय गय। अत्याचारी तरीके तथा जबरदस्ती वसूल किये गये युद्ध महाधता धन और नेतागण पर डाय गये अत्याचार ही पजाब मे हुए उपद्रव तथा दगो के लिए उत्तरदायी थ। डायर ने पजाब मे शासन ला लागू कर दिया तथा दगा वा दमन करने के लिए सना की सहायता ली। इसी सम्प्रथ मे 13 अप्रेल 1919 को जलियावाला बाग वा अमानुषिक हत्याकाण्ड हुआ। जनरल डायर न बिना चेतावनी दिय निहत्थे आ मया, स्त्रिया और बच्चा पर उम समय तक गाली चलाई जब तक वाहद समाप्त गया। यह सारा काण्ड इतनी निंदयता मे किया गया कि डायर न भायल

म ही तडपने छाउ दिया । आण्चय की बात ता यह है कि जारन डामर न यह मारा काण्ड जानू भार आतर और भय पदा करन क निण किया । इम काण्ड न एन असतोप को जम दिया जा असहयोग आन्दोलन क रूप म प्रकट हुमा ।

5 सरकार की दमनकारी नीति तथा भ्रमानुषिक व्यवहार—पजाब में माशल ना प्रशासन न योगा पर जा अत्याचार डाय उनका उदाहरण विश्व म कही नही मिलता । सेडीशन एक्ट (Sedition Act) और प्रेम एक्ट का गुनमसुलना प्रया किया गया । लोगो को अतक प्रतार के अपमाना और निरस्तरा का सहन करना पडा । नला म पानी उद करना विजरी पाटना, पट के बन रेंग कर चना (उन गली म जहा मिस मेरबुड की हत्या की गई थी) मित्रया ने नामन पुस्या का नग करन बैठ लगाना, तीगर दर्जे का टिकट न देना, नगर का त्रिना इजाजत न हाडना, सब जनिक रमोई घरा का बन्द करवाना, माशल ता क पान्टम का हटान म सजाये दना अपराधियो का वकील चुनने की आगा न दना, मदहास्पद व्यक्तिया का बिना किनी वारट के गिरफतार करना आदि मामूली बातें थी । सर वलेन्टाइन चिराल (Sir Valentine Chirol) के शब्दा म "जनता का खुन ग्राम काडे लगवाना, त्रिना त्रिना अपराध के गिरफतार करना, सम्पत्ति जप्त करना, आदि दमनकारी नाय विश्राहिया और आतकवादियो को दण्ड दन के लिए निण गए थे, बलि सम्पूर्ण राष्ट्र को अपमानित एव आतकित करन के लिए निण गय थ । 2 एक्ट है कि य सब बातें भारतीया के लिए न केवल अपमानजनक थी अपितु अमहनीय भी थी । सक्षेप म, जो अगारे दमन और आतक की वफ के नीचे ढके टुए थ व अमहयाग के रूप म प्रकट हुए ।

6 खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमानो मे असतोप—मुसलमाना के सतीफा टर्की के सुल्तान, के प्रति ब्रिटिश सरकार की क्रूर नीति मे भारतीय मुसलमान न केवल अमनुष् थे बल्कि उत्तेजित भी हो रहे थे । उहाने अपन आपको खिलाफत सम्मेलन (Khilafat Conference) म संगठित किया । नवम्बर 24, 1919 का दिल्ली मे हिंदू मुसलमानो की एक सभा आयोजित की गई । इम सभा के लिए महात्मा गांधी को अध्यक्षता करने के लिए निमन्त्रित किया गया । यह पहला अवसर था कि मुस्लिम सभा के लिए एक हिंदू को अध्यक्ष पद के लिए निमन्त्रित किया गया । गांधीजी ने, जो पहले ही हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के समर्थक थे, इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त अवसर समझा ।

सक्षेप मे माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुवारा स असतोप, आर्थिक कठिनाइया, रौलट विधेयक, सरकार की दमनकारी और अपमानजनक नीति जलियावाला बाग हत्या काण्ड और खिलाफत के प्रश्न ही असहयोग आन्दोलन का शुभ करन के कारण थ । इ ही घटनाया के फलस्वरूप गांधीजी भी एक सहयोगी से असहयोगी बन गय और

इन अत्याचारों को समाप्त करने के लिए ही उन्होंने मार्च 10, 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी।

कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन को स्वीकार करना—महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जो 1920 में कलकत्ता में हुआ, प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य उस समय तक "अहिंसक असहयोग की नीति को अपनाना या जब तक कि उपयुक्त शायद दूर नहीं हो जायें" और "स्वराज्य की स्थापना न हो जाय।" उग्रवादी नेता तथा बाद में जिन्होंने स्वराज्य दल की स्थापना की जैसे देशबन्धु चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्रपाल प० मदन मोहन मालवीय ऐनी बेसेंट आदि नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। परंतु इनके विरोध के बावजूद यह प्रस्ताव 884 के विरुद्ध 1886 मता से पास हो गया। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जो नागपुर में दिसम्बर 1920 में हुआ, कलकत्ता अधिवेशन के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यह कहा जाता है कि इस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का विरोध करने के लिए चित्तरंजन दास पूर्वी बंगाल और अरम से 250 प्रतिनिधियों को अपने खर्च पर लाय थे। परंतु महात्मा गांधी के तर्कों से चित्तरंजन दास भी प्रभावित हुए बिना न रह सके और कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन ने भी असहयोग आंदोलन को पास कर दिया।

असहयोग आंदोलन का उद्देश्य—असहयोग आंदोलन के उद्देश्य मुख्यतः दो थे (1) अहिंसक असहयोग द्वारा अमुक्त श्रमियों को दूर करना, (2) स्वराज्य की स्थापना करना। जसाकि पट्टाभि सीतारमय्या ने लिखा है कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य 'शांतिमय व उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना।' कृपण्ड के शब्दों में असहयोग आंदोलन का उद्देश्य "ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ हैं उन सब का बहिष्कार कर दिया जाय और इस प्रकार सरकार की मशीनरी विलुप्त ठप्प हो जाय।"

असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम—असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार में निश्चित किया गया —

- 1 सरकारी उपाधियाँ और अवतनिक पद छाड़ दिये जायें।
- 2 स्थानाय सस्थाओं के नामजद सदस्य त्याग पत्र दे दें।
- 3 सरकारी दरबारों, उत्सवों और भोजों में शामिल न हुआ जाय।
- 4 सरकारी स्कूलों तथा कालेजों का बहिष्कार किया जाय तथा उनके स्थान पर राष्ट्रीय पाठशालाओं और कालेजों का निर्माण किया जाय।
- 5 सरकारी न्यायालयों का धीरे धीरे बहिष्कार किया जाय तथा जनता की पचायता की स्थापना की जाय।
- 6 सरकारी काम के लिए तथा सनिक व असनिक भर्तियों के लिए तथा

मैगोपोटेमिया म मेवा के लिए बोर्ड भारतीय अपनी सेवार्थें श्रित नहीं करे ।

- 7 विधान सभाप्रा का बहिष्कार किया जाय अर्थात् उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लें तथा मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं करें ।
- 8 विदेशी मान तथा कपड़े का बहिष्कार किया जाय तथा स्वदेशी वस्तु का प्रयोग किया जाय ।
- 9 अस्पृश्यता का अन्त किया जाय ।
- 10 हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जाय ।

असहयोग आन्दोलन की प्रगति—कलकत्ता अधिवेशन के बाद गांधीजी न सारे भारत की यात्रा कर असहयोग आन्दोलन का प्रचार किया । लगभग पूरा गांधी के वह बिना असहयोग आन्दोलन में भाग ले रहे थे । किसानों में तो विशेष उत्साह था । राय बरेली और प्रतापगढ़ के किसानों में तो विशेष जोश था । पचासों का निर्माण किया गया जो सफलतापूर्वक कार्य करने लगी । उम्मीदवारों ने, जो चुनाव में खड़े हुए थे अपने नाम वापस ले लिये, दो तिहाई से अधिक मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, अनैक स्थानों पर मत पट्टियाँ गाली पड़ी रही, विद्यार्थी सरकारी स्कूलों तथा कालिजा से बाहर आ गये, राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों का निर्माण किया गया । काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, बंगाल और पंजाब के राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और दिल्ली के जामिया मिलिया का स्थापना इमी समय की गयी । हजारों बन्धियों ने (मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी० आर० दास लाला लाजपत राय, सी० राजगोपालाचारी, पटेल, आदि) अपनी वकालत छोड़ दी । विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा उनकी होली जलाई गयी । चरखा कातना राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया और चरखा राष्ट्रीय चिह्न बन गया । सहर और गांधी टोपी ने राष्ट्रीय पोशाक का रूप ले लिया । सम्मानित व्यक्तियों ने अपनी उपाधियों को त्याग दिया । गांधी ने केमरे-हिंद टगोर ने 'सर' और सेठ जमनालाल बजाज ने 'राय बहादुर' और अवैतनिक मजिस्ट्रेट की उपाधि त्याग दी । सर शंकरन नायर ने कौंसिल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया । हिंदुआ और मुसलमानों में जो एकता इस समय दखन का मिली वह 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद पहली बार दिखाई दी । नेहरूजी लिखते हैं कि 'सबसे हिंदू मुस्लिम की जय का बोलवाला था ।' मुस्लिम उलेमाओं और मुल्लाओं ने सरकार की सेवा करना 'हराम' (Sin) घोषित कर दिया । अली बुख्त (मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली), मौलाना अबुल कलाम आजाद और डा० अंसारी असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग ले रहे थे । भारतीयों ने बहिष्कार की नीति का अनुसरण करते हुए सरकारी उत्सवों और सरकारी मेहमानों का बहिष्कार किया । फरवरी 1921 में जब कनोट के ड्यूक (Duke of Connaught) भारत आये तो उनका स्वागत बहिष्कार और हड़तालों से किया

गया। इसी तरह 7 नवम्बर 1921 को जय वेल्स के राजकुमार (Prince of Wales) भारत आये तो उनका स्वागत भी हड़ताल से किया गया।

इस आन्दोलन की सभसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने लोगों में आत्म-विश्वास पैदा कर दिया था। राष्ट्रीय वेदी पर लागू अपना जीवन यौद्धावर करने के लिए उत्सुक थे। डा० राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि 'जब से भारत का सम्बन्ध ब्रिटेन के साथ स्थापित हुआ इसके इतिहास में जनता का क्षोभ तथा उत्साह इस सीमा तक पहले कभी नहीं पहुँचा था। इस दीर्घकाल में देश को अपने इतने अधिक सुपुत्रों की स्नहपूर्ण एवं अडिग सेवा पहले कभी नहीं प्राप्त हुई थी। जनता का अपनी योग्यता में तथा अपनी कठिनाइयाँ स्वयं दूर कर लेने की क्षमता में इतना प्रबल विश्वास पहले कभी नहीं रहा था।'¹

सरकार का दमन चक्र और असहयोग आन्दोलन—असहयोग आन्दोलन की प्रगति से सरकार अत्यधिक चिन्तित हुई और उसने असहयोगियों का दमन करने के लिए अपना दमन चक्र शुरू कर दिया। असहयोग आन्दोलन की गति और तीव्रता के साथ सरकारों तड़ोरता, निष्ठुरता और अमानुषिकता में तेजी आयी। आन्दोलन का निदयतापूर्वक दमन करने के लिये कोई भी बहाना पर्याप्त था। सरकार की नजरों में चरता रचना दशद्राहिता का चिह्न बन गया और उसके रखने वाले का तग किया जाता था। 'सरकारी अराजकता और पाशविपता' अपनी चरम सीमा पर थी। अधिकांश नेताओं का बंदी बना लिया गया था। अली बख्त, मोतीलाल नेहरू, चित्तरजन दास, लाला लाजपत राय, मुभाषचन्द्र बोस आदि बड़े बड़े नेता भी बंदी बना निय गये थे। मई 1921 के अन्त तक 50,000 व्यक्तियों में अधिकांश व कारागार में ठाम दिया गया था। प० जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि "लोग अपने जीवन का जेल में बिता रहे थे।"² सभी सामाजिक मन्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिये गये थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का घर कानूनी घोषित कर दिया गया था।

दूसरी ओर, असहयोग आन्दोलन से ब्रिटिश पदाधिकारी भी इतना भयभीत हो गये थे कि वे उन भारतीयों पर भी विश्वास नहीं करते थे जा उनके घरों में नौकर थे। वह हथौड़ा अपनी जेब में रखाकर (Revolver) रखते थे और यह कहा जाता है कि अनाहाराद के तिले को अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रख दिया गया था।

1 Never before in the history of India, its connection with Britain, had popular indignation and popular enthusiasm been greater. Never before during this long period had the country secured the loving and ungrudging services of her sons. Never before had the faith of the people in themselves and in the country's ability to solve its own difficulties burned bright "

—Dr Rajendra Prasad

2 'People were spending their youth in prison' Nehru, J. L.

गाधीजी की वायसराय रीडिंग को फरवरी 1922 की चेतावनी—सरकार के अमानुषिक दमनचक्र के विरुद्ध गाधीजी ने फरवरी 1922 को वायसराय रीडिंग को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उम चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर दमन-नीति में परिवर्तन नहीं किया गया तो वे अश्वना आंदोलन शुरू कर देंगे। परन्तु दुर्भाग्य से, एक सप्ताह समाप्त हो जाने से पूर्व ही चौरीचौरा काण्ड हो गया और सविनय अश्वना की धात के साथ-साथ असहयोग आंदोलन भी स्थगित हो गया।

चौरीचौरा काण्ड तथा असहयोग आंदोलन की स्थगित करना—जब असहयोग आंदोलन सशक्त और प्रभावशाली बन रहा था, जब भारतीयों में आशावाद की जागृति स्वावलम्बन, उत्तेजना और निर्भीकता उत्पन्न हो गई थी, जब “निवृत्त शत्रु और आग्रहपूर्ण प्राथनाओं का स्थान उत्तरदायित्व के एक नये भाव और स्वावलम्बन की एक नयी भावना” ने ले लिया था, संक्षेप में, जब असहयोग आंदोलन जन आन्दोलन बन गया था उस समय एक हिंसक घटना ने उमड़ती हुई ज्वालामुखी पर बपा का काम किया। 5 फरवरी 1922 का असहयोगी सत्याग्रहियों का एक जलूस चौरीचौरा गाव (उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में) से गुजर रहा था। जलूस के पिछले भाग पर पुलिस ने लाठिया बरसाई, इस पर जलूस पीछे मुड़ा। एक थानदार तथा 21 सिपाहियों ने अपने आपको थाने में छुपा लिया परन्तु सत्याग्रहियों की भीड़ ने थाने को ही आग लगा दी और थानेदार तथा सिपाहियों को हत्या हो गई। इस घटना की सूचना जब महात्मा गांधी को मिली तो उन्हें अत्यधिक दुःख एवं सताप हुआ। उनकी चिन्ता और मानसिक पीडा बढ़ गई। इस पर गांधीजी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।

यद्यपि असहयोग आंदोलन को बन्द करने का तत्कालीन कारण चौरीचौरा का काण्ड या परन्तु वास्तविकता यह थी कि सभी प्रमुख नेताओं के बन्दी कर लिए जाने पर योग्य नवृत्त का अभाव हो गया था। जनता में प्रतिशोध लेने की भावना बलवती हो रही थी। हिंसात्मक घटनाएँ बढ़ रही थी और गांधीजी के अहिंसक आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। जसाकि गांधीजी ने स्वयं लिखा है कि “अहिंसा मानव जाति का विशिष्ट गुण है जबकि हिंसा पशुओं का गुण है।”¹ गांधीजी को यह भी नजर आ रहा था कि हिंसा की घटनाएँ बढ़ने में सरकार भी बहुत बहाने और आतंक से राज करने में कभी हिचकिचाहट नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने आन्दोलन का वापस ले लिया।

असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर गांधीजी की आलोचना—गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगित किये जाने की सूचना जब अय काफ़ेती नेताओं का जो उस समय जेल में थे मिली तो उन्होंने गांधीजी के इस वाक्य की आलोचना की। प० जवाहर लाल नेहरू, प० मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मुभाप चन्द्र बोस आदि नेताओं ने कहा कि ‘एक स्थान के पाप के कारण सारे

1 ‘Non violence is the law of our species as violence is the law of the brute’ “Gandhi Mahatama

भारत को दण्ड देना" गलत है। "जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था उसे मैदान छोड़ने के लिए कहना दुर्विपाक (राष्ट्रीय सबूट) से कुछ कम न था।"¹ जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में "हमने बड़े आश्चर्य और उद्वेग के साथ जेल में सुना कि गांधी जी ने हमारे सघष के उग्र पहलुओं को रोक दिया है और सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगित कर दिया है।"² जब सभी मोर्चों पर भारतीय आगे बढ़ रहे थे उस समय पीछे लौटने के लिए कहना न केवल सिद्धांतिक भूल थी बल्कि व्यावहारिक भूल थी। इसके स्थगित होने से हिंदू मुस्लिम एकता को ऐसा धक्का लगा कि दोनों जातियाँ फिर कभी एक दूसरे का सहयोग न कर सकी।

गांधीजी के प्रति असंतोष की लहर का लाभ उठाकर 4 मार्च 1922 को सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा उन पर 18 मार्च 1922 को ग्रहमदावाद में ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा शुरू किया गया। गांधीजी को सरकार के विरुद्ध जनता में विद्रोह भावना जागृत करने के अपराध में 6 वर्ष की जेल की सजा दी। परंतु उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया।

असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन—असहयोग आंदोलन के मूल्यांकन को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। एक इसकी आलोचना और असफलता के रूप में और दूसरे इसके महत्त्व के रूप में।

(अ) असहयोग आंदोलन की असफलता—असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। न तो यह उन अमानुषिक विधेयकों को दूर कर सका जिनको दूर कराने के लिये इसे शुरू किया गया था और न ही सरकार को दमन चक्र बंद करने के लिये बाध्य कर सका। (पंजाब और खिलाफत के आयाया को) "एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का वचन न केवल अविवकपूर्ण था बल्कि बालक सद्देश्य भी था।"³ इतना ही नहीं खिलाफत के प्रश्न को भारतीय राजनीति में घुसेड़ना गलत था। जसाकि पोलक ने लिखा है कि "खिलाफत की बुनियाद गलत थी" और जब मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की में धर्म निरपेक्ष गणराज्य की स्थापना की गयी और 1922 में खिलाफत के पद का ही समाप्त कर दिया गया तो भारत में खिलाफत आंदोलन की जड़ ही कट गई। खिलाफत आंदोलन को भारतीय राजनीति में घुसेड़ना न केवल धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत की उल्लंघना थी बल्कि यह वह दूरगामी त्रुटि सिद्ध हुई जिसकी कीमत देश के विभाजन के द्वारा चुकानी पड़ी। इससे न केवल कांग्रेस लीग की मित्रता नष्ट हो गई बल्कि मोपला विद्रोह

1 'To sound the order of retreat just when public enthusiasm was reaching the boiling point was nothing short of a national calamity' Bose Subhash The Indian Struggle p 90

2 Nehru Jawahar Lal Autobiography, p 81

3 Bose, Subhash Chandra The Indian Struggle p 104

(Mopala Revolt) हुए जिन्होंने न केवल अंग्रेजों को बल्कि हिंदुओं का भी मार डाला। साम्प्रदायिक दंगे इतने बढ़े कि दोनों जातियाँ फिर कभी एक दूसरे का सहयोग न कर सकी। मुसलमान और हिंदू विरोधी खेमों में विभक्त हो गए, मुसलमान अपने आपको तंजीम (Tanzim) आन्दोलन में और हिंदू संगठन (Sangathan) आन्दोलन में संगठित कर रहे थे।

असहयोग आन्दोलन को एक दम बढ़ कर देने से सारे देश में घोर निराशा फैल गई और जनसाधारण का उत्साह मंद पड़ गया। वे लोग भी अब खिन्न तथा पश्चात्ताप कर रहे थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था क्योंकि कांग्रेसी देशभक्तों ने विधान सभाओं का बहिष्कार किया था इसलिये जो लोग निर्वाचित हुए थे वे न केवल सरकारी पिटठू, स्वार्थी, और अवसरवादी थे बल्कि जमींदार और पूँजीवादी भी थे जो अनुदार नीति अपनाते थे। गांधीजी की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा।

(ब) असहयोग आन्दोलन का महत्त्व—असहयोग आन्दोलन असफल होने का बाद भी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह असहयोग आन्दोलन ही था जिसने कांग्रेस को मध्यवर्गीय सत्ता के स्थान पर साधारण नागरिकों की सत्ता बना दिया, जो राष्ट्रीय आन्दोलन अभी तक बुद्धिजीवियों तक सीमित था वह जन आन्दोलन बन गया¹, इसने उदासीन और मृतक शरीरों में स्वावलम्बन आत्मविश्वास उत्तेजना और निर्भीकता भर दी, इसने उत्तरदायित्व की भावनाएँ पैदा कर दी। कारावास (जेल) स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए असुराल और तीव्र स्थान बन गये।

असहयोग आन्दोलन में कांग्रेस के स्वरूप और स्वभाव में ही मूलभूत परिवर्तन कर दिया। कांग्रेस एक "गतशील" (dynamic) सत्ता बन गयी और "राष्ट्रीय आन्दोलन क्रांतिकारी आन्दोलन बन गया।" सरकार की मत्ता को मानने से इनकार करना अत्याचारों वानूनों का विरोध करना और सीधी कार्यवाही का सहारा लेना साधारण सी बात हो गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सघन करना एक उद्देश्य बन गया। सीतारमय्या के शब्दों में 'निचले क्रोध और आग्रहपूर्ण प्रार्थनाओं का स्थान उत्तरदायित्व के एक नये भाव और स्वावलम्बन की एक नयी भावना न ल लिया।' वूपल्लेण्ड के शब्दों में गांधीजी ने यह काम किया जिसे तिलक नहीं कर सके थे। राष्ट्रीय आन्दोलन को क्रांतिकारी ही नहीं बनाया बल्कि लोकप्रिय भी बनाया केवल नगरीय ही जागृति पैदा नहीं की अपितु देहातो में भी जागृति पैदा कर दी। असहयोग आन्दोलन न राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया। भारत के निवासियों ने अपने आपका एक भण्डे के अधीन कर लिया। स्वदेशी वस्तुओं में प्रेम भारतीयों के लिये राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। चर्चा और गद्दर राष्ट्रीय

चिह्न बन गये। सादी स्वाधीनता के सिपाहिया की पोशाक बन गई। स्वदेश प्रेम की गूँज कान काने से आने लगी। सुभाष चन्द्र बोस के शब्दा में "1921 के वर्ष ने देश को निम्नोद्देश एक सुव्यवस्थित पार्टी-संगठन प्रदान किया। इससे पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल था और वह मुख्यतः एक बातचीत करने वाली संस्था थी। महात्माजी ने इसको एक नया सविधान ही नहीं दिया अपितु उसे एक क्रांतिकारी संगठन में परिवर्तित कर दिया। देश के एक काने से दूसरे कान तक एक जैसे नारे लगाये जाने लगे और एक जैसी नीति और एक जैसी विचारधारा सब हर्टिगोचर होने लगी। अंग्रेजी भाषा का महत्व जाता रहा और कांग्रेस ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। खादी अब कांग्रेसियों की नियमित पोशाक बन गई।"¹

असहयोग आन्दोलन भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने में भी सहायक हुआ, विधेयक श्रद्धोद्धार और शराब बंदी के विषय में। इस आन्दोलन से खादी का प्रचार हुआ जिससे न केवल हजारों जुलाहों को जीविका कमाने का साधन प्राप्त हुआ बल्कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लोगों की भावनाएँ जागृत हुई। ये सब तत्त्व मिल कर ब्रिटिश राज के आधारे को ही काटने लगे।

असहयोग आन्दोलन ने ही आने वाले जन आन्दोलनों की नींव रखी। जैसा कि माइकेल ब्रेकर (Michael Brecher) लिखते हैं कि "यद्यपि आन्दोलन स्थगित हो गया परन्तु लोग उसकी महानता की स्मृति का भूल न सके और कुछ ही समय के बाद इस स्मृति ने राष्ट्र को एक और व्यापक तथा गम्भीर आन्दोलन चलाने की प्रेरणा दी।"

असहयोग आन्दोलन से ही भारतीय राजनीति में "गांधी युग" (Gandhian era) का आरम्भ हुआ। वास्तव में असहयोग आन्दोलन की सारी योजना और कार्यक्रम उन्हीं के थे। यह ऐसे सत्य पर आधारित आन्दोलन था कि इसमें असत्य (हिंसा) के आते ही गांधीजी ने इसे त्याग दिया। यद्यपि गांधीजी सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे परन्तु भारतीय राजनीति में यह पहला संगठित प्रयोग था और इसके बाद भारतीयों ने इसका प्रयोग निर्भीकता से किया।

स्वराज दल

(Swaraj Party)

जिस समय असहयोग आन्दोलन महात्मा गांधी द्वारा संचालित किया गया था तो उस समय भी कांग्रेस में तीन प्रकार की वृत्तियाँ काम कर रही थी। एक वृत्ति उन लोगों की थी जो गांधीजी के भक्त होने के कारण उनकी अहिंसक असहयोग की नीति में पूर्णतया विश्वास करते थे। दूसरी वृत्ति उन लोगों की थी जो अहिंसक असहयोग तथा बहिष्कार की नीति में विश्वास तो नहीं करते थे परन्तु जिन्होंने,

1 See Bose, Subhash Indian Struggle, p 112

कांग्रेस के सदस्य होने के नाते, बहुमत के निराण्य (असहयोग आन्दोलन के निर्या) को स्वीकार कर लिया था। तीसरी वृत्ति उन लोगों की थी जो असहयोग आन्दोलन में केवल इसलिये सम्मिलित हुये थे कि खिलाफत के प्रश्न को उसमें शामिल कर लिया गया था। चोरीचोरा काण्ड के बाद जब असहयोग आन्दोलन स्थगित कर लिया गया तो तीसरी वृत्ति वाले लोग न केवल कांग्रेस से पृथक् हो गये बल्कि उसके विरोधी और प्रतिद्वन्द्वी भी बन गये। दूसरी वृत्ति वाले लोग इससे न केवल असंतुष्ट थे बल्कि उन्होंने इसे "महात्माजी की बहुत भारी तथा भद्दी गलती कहा।"¹ इन्हीं लोगों का धारणा थी कि गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन को स्थगित करके राष्ट्रीय एकता तथा संगठन को गहरा आघात पहुँचाया है। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद अपनी आत्म-कथा में लिखते हैं कि "यदि इस समय कांग्रेसी नेता बाहर (जेल से) होते तो वे गांधीजी का पदच्युत कर देते और सत्याग्रह आन्दोलन को जारी करते।"² इन्हीं लोगों ने इस बात को कहना आरम्भ कर दिया कि बहिष्कार की नीति ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने में अपर्याप्त थी, असहयोग आन्दोलन अपने उद्देश्य में असफल रहा है तथा वह राष्ट्र में जागृति पैदा नहीं कर सका है। इन्हीं लोगों ने विधान मण्डल में प्रवेश (Council entry) पर बल दिया तथा इन्हीं कांग्रेस के एक अंग के रूप में स्वराज दल का निर्माण किया।³

कांग्रेस का गया अधिवेशन, स्वराज दल का निर्माण तथा उसे कांग्रेस के एक अंग के रूप में स्वीकार करना—मार्च 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया (Gaya) में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री सी० आर० दास ने की। इस अधिवेशन में उन लोगों ने, जिनका विश्वास असहयोग आन्दोलन पर नहीं था, विधान मण्डल के निर्वाचन लड़ने और उनमें प्रवेश प्राप्त करने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के पक्ष में 890 मत और प्रस्ताव के विपक्ष में 1748 मत पड़े। इस तरह यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। इस पर सी० आर० दास ने, जो विधान मण्डल में प्रवेश के पक्ष में थे, अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया।

सी० आर० दास ने 1 जनवरी, 1923 में अपने सहयोगियों के साथ मिल कर कांग्रेस के भीतर ही एक नये संगठन को जन्म दिया जिसका नाम स्वराज दल रखा गया। इस दल के अध्यक्ष थे श्री सी० आर० दास तथा इसके सचिव थे श्री मोतीलाल नेहरू। इस दल के अन्य प्रमुख नेता थे विठ्ठल भाई पटेल (Vithalbhai Patel) हकीम अजमल खान (Hakim Ajmal Khan), एन० सी० बेलकर (N.C.

1 Das, C R

2 राजेन्द्र प्रसाद आत्मकथा पृ० 182

3 स्वराज दल का विचार सी० आर० दास का था और उन्होंने इसे कलकत्ते की धलिपुर जेल में ही अपने साथियों के साथ बातचीत करके बनाने का निश्चय कर लिया था।

Kelkar), एम०आर० जयकर (M R Jaykar) वी० अभयकर (V Abhayankar),
सी० एस० रंगा अय्यर (C S Ranga Iyer) ।

कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में सितम्बर 1923 में हुआ। इस समय कांग्रेस में उन लोगों की सरया बढ़ गई थी जो विधान मण्डलों में प्रवेश के समर्थक थे। इसलिये य लोग गया प्रस्ताव का बदलन में सफन हा गये और कांग्रेस दो पक्षों में विभक्त हो गई। जो विधान मण्डला में प्रवेश के समर्थक थे उन्हें परिवर्तनवादी (Changers) कहा जाने लगा और जो विधान मण्डलों में प्रवेश के समर्थक नहीं थे उन्हें अपरिवर्तनवादी (Non Changers) कहा जाने लगा। अतः में, दोनों पक्षा में एक समझौता हुआ और यह निश्चित किया गया कि परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों दोनों को अपने-अपने कार्यक्रम पर चलन की स्वतंत्रता होगी। इस तरह कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन की भांति विभाजित होने से बच गई और महात्मा गांधी और सी०आर०दास में हुए 1924 के कलकत्ता समझौते (Calcutta Pact, 1924) के अनुसार, स्वराज दल को कांग्रेस ने अपने "विधान मण्डल प्रवेश अंग" (Council entry wing) के रूप में मायना दे दी तथा स्वराज दल कांग्रेस का एक अंग बन गया। गांधीजी ने भी, जो विधान मण्डल में प्रवेश के विरोधी थे, विधान मण्डलों में प्रवेश के लिए मौन स्वीकृति दे दी।

स्वराजवादियों के उद्देश्य

स्वराजवादियों का उद्देश्य गांधीवादियों की भांति ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वराज (Dominion Status) की प्राप्ति थी। परन्तु स्वराजवादियों का विश्वास था कि कांग्रेस ने विधान मण्डलों का बहिष्कार करके एक भयंकर भूल की थी क्योंकि इससे उसने स्वतंत्रता की लड़ाई में एक सुविधाजनक अवस्था (Vantage point) को अपने हाथ से खो दिया था तथा निर्वाचनों में उन लोगों को निर्वाचित होने का अवसर दे दिया था जो न केवल उदारवादी थे बल्कि अवसरवादी और सरकारी पिठु भी थे। इससे दोहरी हानि हुई थी। एक तो सरकार को यह आडम्बर रचन का अवसर मिला कि वह जनता की इच्छामात्र द्वारा विभागों का संचालन कर रही है और दूसरे लोगों में, असहयोग आन्दोलन के समाप्त हो जाने से भारतीय जनता के पास कोई कार्यक्रम न होने से, उदासीनता और निराशा की भावना का संचार हुआ।

इसलिए स्वराजवादियों के उद्देश्य थे निर्वाचन लड़े जायें, अधिक मात्रा में निर्वाचित स्थानों का प्राप्त करके विधान मण्डलों में प्रवेश किया जाय, अवाञ्छित तत्त्वों (उदारवादियों अवसरवादियों और सरकारी पिठुओं) का विधान मण्डल में निर्वाचित होने में रोका जाय, 'एकरूप, अविच्छिन्न और सतत अडगा' (Uniform, Continuous and Consistent opposition) द्वारा सरकार का विरोध किया जाय सरकार के कार्यों में इतनी अधिक बाधा प्रस्तुत की जाय कि वह अपनी नीतियां में

परिवर्तन लाने के लिए वाध्य हो जाय। स्वराजवादी विधात मण्डल म स्वशासन की माग करना चाहते थे। उनकी राजनीतिक लड़ाई का स्थल विधान मण्डल था। स्वराजवादी उस उदासीन और निराशा के वातावरण का अग्रत वर देना चाहते थे जो असहयोग आन्दोलन के एकदम समाप्त करने से उत्पन्न हो गया था। वे सार्तो मे प्राण फूटना चाहते थे उनमे आशा की जोत जगाना चाहते थे। श्री दशबजु चित्तरन्जन दास ने सन् 1925 म बंगाल की विधान सभा म स्वराज दल के उद्घोष पर प्रकाश डालते हुये कहा था कि "यह कहा गया है कि हमारा नारा है नष्ट करो, नष्ट करो। हम नष्ट करना क्या चाहते हैं ? हम किससे मुक्त होना चाहते हैं ? हम उस प्रणाली को नष्ट करना चाहते हैं हम उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिये हितकर नहीं है और जो हमारे लिए कोई हित नहीं कर सकती। हम उसे नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम उसके स्थान पर एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करना हैं जो सफलतापूर्वक काय कर सके और जो हम इस योग्य बनायेगी कि हम सत्ताशा का हित कर सकें।"

स्वराजवादियों का कार्यक्रम

स्वराजवादियों का कार्यक्रम उनके द्वारा प्रकाशित 'चुनाव घोषणा पत्र' (Election Manifesto) से स्पष्ट हो जाता है जिसे निम्न बिन्दुओं म ब्यक्त किया जा सकता है—

- (i) निर्वाचन म भाग लेकर विधान मण्डलो म बहुमत प्राप्त किया जाय। सरकार से यह माग की जाय कि शासन तंत्र और व्यवस्था पर जनता के अधिकार का तुरन्त स्वीकार किया जाय तथा उसे प्रभाव बनाया जाय।
- (ii) यदि सरकार इस माग का स्वीकृत नहीं करती, तो बजट को अस्वीकार कर गतिरोध उत्पन्न किया जाय तथा 'एकरूप, अविच्छिन्न और सतत अडगा द्वारा सरकार का चलना असम्भव कर दिया जाय। उन सरकारी प्रस्तावों तथा कानूनों का विरोध किया जाय जो नौकरशाही का सुदृढ एवं शक्तिशाली बनाते हैं।
- (iii) उन प्रस्तावों को विधान मण्डला म प्रस्तुत किया जाय जो राष्ट्रम हित म हा तथा जिनसे कांग्रेस व उद्देश्यों की पूर्ति होती हो।
- (iv) यदि स्वराजवादी परिवर्तन लाने म असफल हुए तो व अपने पक्ष त्याग देंग तथा गांधीजी के नेतृत्व म सविनय अवज्ञा आन्दोलन म शामिल हो जायेंग।

सन् 1923 के निर्वाचनों मे स्वराजवादियों की सफलता—स्वराज दल के अग्रत 'निर्वाचन घोषणा पत्र' के अनुसार 1923 के निर्वाचन म भाग लिया। दलने कायंत्रम का समर्थन प्राप्त करने के लिए दशबजु चित्तरन्जन दास न सारे भारत में का दौरा किया। दक्षिण म एक स्थान पर प्रोवत हुए उन्होंने कहा कि 'यदि'

विद्रोही हूँ ? मैं कांग्रेस के विरुद्ध या भारत की किसी सस्या के विरुद्ध विद्रोह करूँगा।

मैं स्वराज्य चाहता हूँ, स्वतंत्रता चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में अभी भी कायर नहीं रहा। मैं अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। मेरी परीक्षा ले लो तथा मैं यह सिद्ध करूँगा कि क्या मैं आपके स्तर तक नहीं पहुँच पाऊँगा।'

सन् 1923 के निर्वाचनों में स्वराज दल को न केवल आशातीत सफलता मिली बल्कि आपसव्यजनक सफलता भी मिली। केन्द्रीय विधान सभा (Central Legislative Assembly) में स्वराज दल को 145 स्थानों में से 45 स्थान प्राप्त हुए। मध्य प्रांत (C.P.) में इसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बंगाल में यह ही एक दल था जिसे काफी स्थान प्राप्त हुये थे परन्तु यहाँ यह स्वयं अकेले सरकार बनाने के लिये पर्याप्त स्थानों को प्राप्त नहीं कर सका था। बम्बई और यू० पी० में भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मद्रास, पंजाब, बिहार और उड़ीसा में यह दल बहुत कमजोर था। परन्तु, फिर भी, यह उदारवादियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों का सफलतापूर्वक विरोध करने में सफल हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि "दल की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने उन स्थानों पर भी कब्जा कर लिया जो स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित थे।

दशबन्धु चित्तरंजन दास के कारण ही बंगाल में वे लोग निर्वाचन में विजयी हुए जो राजनीति में विल्कुल नवीन थे तथा वे लोग पराजित हुए जो मूलतः राजनीतिज्ञ और भारत में प्रतिष्ठित, माननीय तथा प्रसिद्ध व्यक्ति समझ जाते थे।

के द्र तथा प्रातो में स्वराजवादियों के काय—केन्द्रीय विधान सभा में श्री मोतीलाल नेहरू इस दल के नेता तथा लाता लाजपतराय इस दल के उपनेता थे। यद्यपि केन्द्रीय विधान सभा में स्वराजवादियों का पूर्ण बहुमत नहीं था परन्तु, फिर भी, इसमें कुछ निदलीय और पण्डित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में राष्ट्रीय दल (National Party) के सदस्यों के सहयोग से अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। अनेक बार इसने सरकार को महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर पराजित किया, बजट तथा अर्थ विधेयकों को पास होने में धार-धार रोकना। स्वराज दल ने 1924, 1925 में अनेक राष्ट्रीय महत्त्व के प्रस्तावों का विधान सभा में न केवल प्रस्तुत किया बल्कि उनमें से अनेकों को पास भी करवाया। उदाहरणतया, 8 फरवरी, 1924, को स्वराजवादियों ने केन्द्रीय विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित कर उसे पास करवाया यद्यपि इस प्रस्ताव का सरकार ने घोर विरोध किया था। प्रस्ताव के पक्ष में 76 और विपक्ष में 48 मत पड़े। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि "यह सभा परिषद्-सहित गवर्नर जनरल को सन्तुष्टि (recommend) करती है कि वह भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए भारतीय शांति अधिनियम के सहायन के लिए कदम उठाये तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए (i) शीघ्र ही एक प्रतिनिधिक गोल मेज सम्मेलन का आयोजन करे जो अल्पमस्यकों के हितों और अधिकारों के उचित संरक्षण का ध्यान रखते हुए भारतवर्ष के लिये एक सबधानिक योजना को

तयार करे, और (ii) केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का विघटित करके उक्त व
 नौ नव निर्वाचित भारतीय विधान मण्डल के सम्मुख स्वीकृति के लिये रखा जाय
 फिर उसे ब्रिटिश ससद के सम्मुख सविधि (वानून, Statute) बनाने के लिए प्र-
 किया जाय ।

उपर्युक्त प्रस्ताव के फलस्वरूप सरकार ने, गृह सदस्य (Home Member)
 सर एलेक्जेंडर मुडीमेन (Sir Alexander Muddiman) की अध्यक्षता में
 "मुधारो की जांच करने वाली एक समिति" (Reform Enquiry Committee) को
 नियुक्त किया । जब स्वराज दल के नेता श्री मोतीलाल नेहरू को इस समिति का
 सदस्य बनाया गया तो उन्होंने इसकी सहायता स्वीकार करने से इंकार कर दिया ।
 परन्तु श्री जिना और सर तेज बहादुर सप्रू ने इस समिति का सदस्य बनना स्वीकार
 कर लिया ।

स्वराज दल ने केन्द्रीय विधान सभा में और भी अनेक प्रकार के प्रस्ताव
 प्रस्तुत किये जिनका मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी नीतियां को अपनाते
 दमनकारी कानूनों को समाप्त करने तथा सनिक विद्यालय खोलने आदि से था ।
 इतना ही नहीं वे अपना विरोध प्रकट करने के लिए अनेक बार विधान मण्डल
 से बाहर चले गये आदि । श्री सी० वाई० चिंतामणी के शब्दों में "मार्च 1926
 से व्यवस्थापिका सभा के अवसान तक के मध्य में यह साधारण दृश्य था कि काश्मी
 व्यवस्थापिका के भीतर जाते तथा तुरन्त बाहर चले आते । इस वाय के मम को
 वह ही समझते थे ।"

प्रा तो म भी स्वराज दल की नीति न केवल 'अडगा अपनाते की रही
 बल्कि सरकार को ठप्प करने की भी रही । मध्य प्रांत में स्वराज दल के नेता
 श्री एस० बी० ताम्बले (S B Tambre) थे । मध्य प्रांत में स्वराज दल की प्रणा
 नीति के कारण ही विधान अशत नष्ट हो गया और 1924-26 में द्वध
 प्रणाली को स्थगित करना पडा । यहां पर बजट घाट न मिलने के कारण मंत्रियों
 के स्थान खाली रहे । बंगाल में भी स्थिति इसी प्रकार की थी । यहां पर भी
 1924-27 और फिर 1929 में कुछ महीनों के लिए द्वध प्रणाली स्थगित कर दा
 गयी । यहां पर विधान मण्डल में स्वराज दल के नेता श्री सी० आर० दास थे ।
 उहाने बंगाल विधान मण्डल में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सरकार तथा
 जनता के विचारों में विरोधाभास है तथा भारत में ब्रिटिश शासन न केवल निर्युक्त
 एव स्वेच्छाचारी है बल्कि जनमत की इच्छा की अवहेलना ही नहीं बल्कि उसका
 अपमान भी है तथा विधान मण्डल केवल घाला एव तभाशा है । प्रतिदिन किसी न
 किसी विधान मण्डल ने स्वराजवादी वाहर निवृत्त जाते उहाने सरकार को एव
 पराजय के बाद दूमरी पगाजय दी । बंगाल में तीन बार मंत्रिमण्डल बनाय गय
 परन्तु उह पराजित किया गया नौरणाही के लिए तो वहा प्रत्येकी । परन्तु नि
 नी सरकार जन इच्छा से प्रभावित नहीं हुई और वह निर्युक्त बनी रही । प्रत्ये

प्राता मे जहा स्वराजवादियो का बहुमत नही था वहा अवरोध और असहयोग की नीति अग्रहीन सिद्ध हुई ।

स्वराज दल का पतन

स्वराजवादियो का कार्यक्रम निपेधात्मक था इसलिए उसके सदस्यो मे उसके सिद्धांता के प्रति आस्था, समय बीतने पर, शिथिल होती गई । केवल अवरोध के लिये अवरोध को अधिकाधिक तकहीन समझा जाने लगा । अंत मे जब यह 1925 मे कांग्रेस मे पुन मिल गई तो इसका अस्तित्व ही ततम हो गया ।

स्वराज दल के पतन के मुख्य कारण निम्न थे —

(i) जवाबी सहयोग की नीति (Responsive Cooperation) (उत्तरदायित्व पूर्ण सहयोग) जैसे जमे समय बीतता गया वैसे वैसे स्वराजवादियो ने सरकार के साथ सहयोग की नीति को अपनाना शुरू कर दिया । इस काय का प्रारम्भ मध्य प्रांत के स्वराज दल के नेता श्री एस० बी० ताम्बले ने गवर्नर की परिपद् की सदस्यता को स्वीकार करके किया । ताम्बले का उदाहरण ही स्वराज दल मे फूट का पूर्वसूचक (Forerunner) बन गया । बम्बई मे एन० सी० केलकर, एम० आर० जयकर, डा० बी० एस० मुन्जे (B S Moonje) जैसे बड़े-बड़े स्वराजवादी इस नई लहर के समर्थक हो गये । सन् 1924 मे तो सी० आर० दास ने स्वयं सरकार से सहयोग करने के लिए छ शर्तें रखी थी । 1925 मे पण्डित मोतीलाल नेहरू ने थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गयी स्कैन समिति (Skeen Committee) की सदस्यता स्वीकार कर ली । श्री विठ्ठल भाई केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष चुन लिये गये । इतना ही नही, स्वयं अनेक स्वराजवादिया ने स्वराज दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि स्वराजवादियो का कांग्रेस पर प्रभाव कम हो गया और 1925 मे वह कांग्रेस के साथ फिर मिल गये ।

(ii) स्वराज दल के नेता की मृत्यु (Death of its Leader)—स्वराज दल के असंगठित होने तथा उसका पतन होने का एक मुख्य कारण यह भी था कि इसके नेता श्री चित्तरंजन दास की असामयिक मृत्यु 16 जून, 1925 को हो गई । इसमे न केवल दल की शक्ति क्षीण हुई बल्कि उसमे फूट भी पड़ गई ।

(iii) स्वराजवादी अवसरवादी थे (Swarajists were opportunists)—यदि सभी नही तो कुछ तो अवश्य ही स्वराजदल मे अवसरवादी लोग थे । वे मूलत उदारवादी थे जा न केवल 'आ दोलन की गद' से घबराते थे बल्कि उनमे शासन के विरुद्ध लडन, बप्ट उठाने और त्याग की भावना का भी अभाव था । वे तो केवल विधान मण्डना मे भागण देना, बातचीत करना तथा तब प्रस्तुत करना जानते थे । सक्रिय सघष (जेल जाना, लाठिया खाना, हडतालें करना आदि) और स्व बलिदान उनके बस की बात नही थी । डा० जकारिया के शब्दो मे "स्वराजवादिया की स्थिति उन व्यक्तिया जसी थी जो अपनी रोटी खाना भी चाहते थे तथा उसे अपन पास

तैयार करे, और (ii) केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का विघटित करके उक्त योजना को नव निर्वाचित भारतीय विधान मण्डल के सम्मुख स्वीकृति के लिये रखा जाय और फिर उसे ब्रिटिश संसद के सम्मुख सविधि (कानून, Statute) बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाय।

उपयुक्त प्रस्ताव के फलस्वरूप सरकार ने, गृह सदस्य (Home Member) सर एलेक्जेंडर डर मुडीमेन (Sir Alexander Muddiman) की अध्यक्षता में "सुधारों की जांच करने वाली एक समिति" (Reform Enquiry Committee) को नियुक्त किया। जब स्वराज दल के नेता श्री मोतीलाल नेहरू को इस समिति का सदस्य बनाया गया तो उन्होंने इसकी सहायता स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। परन्तु श्री जिन्ना और सर तेज बहादुर सप्रू ने इस समिति का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया।

स्वराज दल ने केन्द्रीय विधान सभा में और भी अनेक प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिनका मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी नीतियों को प्रपन्न, दमनकारी कानूनों को समाप्त करने तथा सैनिक विद्यालय खोलने आदि से था। इतना ही नहीं वे अपना विरोध प्रकट करने के लिए अनेक बार विधान मण्डल से बाहर चले गये, आदि। श्री सी० वाई० चिन्तामणी के शब्दों में "माघ 1926 से व्यवस्थापिका सभा के अवसान तक के मध्य में यह साधारण दृश्य था कि काँग्रेसी व्यवस्थापिकाओं के भीतर जाते तथा तुरन्त बाहर चले आते। इस काय के मर्म को वह ही समझते थे।"

प्रातो में भी स्वराज दल की नीति न केवल 'अडगा' अपनाने की रही बल्कि सरकार को ठप्प करने की भी रही। मध्य प्रात में स्वराज दल के नेता श्री एस० बी० ताम्बले (S B Tamble) थे। मध्य प्रात में स्वराज दल की अग्रणी नीति के कारण ही सविधान अशत नष्ट हो गया और 1924-26 में दूध प्रणाली को स्थगित करना पड़ा। यहाँ पर बजट ग्राह न मिलने के कारण मन्त्रियों के स्थान खाली रहे। बंगाल में भी स्थिति इसी प्रकार की थी। यहाँ पर भी 1924-27 और फिर 1929 में कुछ महीनों के लिए दूध प्रणाली स्थगित कर दी गयी। यहाँ पर विधान मण्डल में स्वराज दल के नेता श्री सी० आर० दास थे। उन्होंने बंगाल विधान मण्डल में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि 'सरकार तथा जनता के विचारा में विरोधाभास है तथा भारत में ब्रिटिश शासन न केवल निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी है बल्कि जनमत की इच्छा की अवहेलना ही नहीं बल्कि उसका अपमान भी है तथा विधान मण्डल केवल धागा एक तमाशा है। प्रतिदिन यिनी न किसी विधान मण्डल में स्वराजवादी बाहर निकल जाते, उन्होंने सरकार को एक पराजय के बाद दूसरी पराजय दी। बंगाल में तीन बार मन्त्रिमण्डल बनाय गये परन्तु उन्हें पराजित किया गया नौरङ्गशाही के लिए ता वहाँ प्रलय थी। परन्तु फिर भी सरकार जन इच्छा से प्रभावित नहीं हुई और वह निरंकुश बनी रही। अन्त

प्रांती में जहाँ स्वराजवादियों का बहुमत नहीं था वहाँ अवरोध और असहयोग की नीति अथहीन सिद्ध हुई।

स्वराज दल का पतन

स्वराजवादियों का कार्यक्रम निपेधात्मक था इसलिए उसके सदस्यों में उसके सिद्धांत के प्रति आस्था, समय बीतने पर, क्षिण होती गई। केवल अवरोध के लिये अवरोध को अधिकाधिक तक हीन समझा जाने लगा। अंत में जब यह 1925 में कांग्रेस में पुनः मिल गई तो इसका अस्तित्व ही खतम हो गया।

स्वराज दल के पतन के मुख्य कारण निम्न थे —

(i) जवाबी सहयोग की नीति (Responsive Cooperation) (उत्तरदायित्व पूर्ण सहयोग) जस जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे स्वराजवादियों ने सरकार के साथ सहयोग की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। इस कार्य का प्रारम्भ मध्य प्रांत के स्वराज दल के नेता श्री एस० बी० ताम्बले ने गवर्नर की परिषद की सदस्यता को स्वीकार करके किया। ताम्बले का उदाहरण ही स्वराज दल में फूट का पूर्वसूचक (Forerunner) बन गया। वम्पई में एन० सी० केलकर, एम० आर० जयकर, डा० बी० एस० मुंजे (B S Moonje) जैसे बड़े-बड़े स्वराजवादी इस नई लहर के समर्थक हो गये। सन् 1924 में तो सी० आर० दास ने स्वयं सरकार से सहयोग करने के लिए छः शर्तें रखी थीं। 1925 में पण्डित मोतीलाल नेहरू ने थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गयी स्कैन समिति (Skeen Committee) की सदस्यता स्वीकार कर ली। श्री विट्ठल भाई केन्द्रीय विधान-सभा के अध्यक्ष चुन लिये गये। इतना ही नहीं स्वयं अनेक स्वराजवादियों ने स्वराज दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वराजवादियों का कांग्रेस पर प्रभाव कम हो गया और 1925 में वह कांग्रेस के साथ फिर मिल गये।

(ii) स्वराज दल के नेता की मृत्यु (Death of its Leader)—स्वराज दल के अरागठित होने तथा उसके पतन होने का एक मुख्य कारण यह भी था कि इसके नेता श्री चित्तरंजन दास की असामयिक मृत्यु 16 जून, 1925 को हुई। इससे न केवल दल की शक्ति क्षीण हुई बल्कि उसमें फूट भी पड़ गई।

(iii) स्वराजवादी अवसरवादी थे (Swarajists were opportunists)—यदि सभी नहीं तो कुछ तो अवश्य ही स्वराजदल में अवसरवादी लोग थे। वे मूलतः उदारवादी थे जो न केवल 'आंदोलन की गद' से घबराते थे बल्कि उनमें शासन के विरुद्ध लड़ने, बप्ट उठाने और त्याग की भावना का भी अभाव था। वे तो केवल विधान मण्डल में भाग लेना, बातचीत करना तथा तब प्रस्तुत करना जानते थे। मन्त्रिय सभ में जेल जाना, लाठिया खाना, हडतालें करना आदि और स्वयंनिदान उनके बस की बात नहीं थी। डा० जकारिया के शब्दों में "स्वराजवादियों की स्थिति उन व्यक्तियों जैसी थी जो अपनी रोटी खाना भी चाहते थे तथा उसे अपने पास

(vii) साम्प्रदायिक दंगे—स्वराजवादियों ने स्वयं अनुभव किया कि साम्प्रदायिक दंगे उत्पन्न होने से हिंदू-मुसलमानों के मतभेद तीव्र हो गये हैं। इससे न केवल स्वराज दल की एकता की क्षति हुई बल्कि हिंदुओं के हितों को भी काफी हानि पहुंची। कांग्रेस के गया अधिवेशन के पूर्व ही जमीयत उल-उलेमा ने एक फतवा जारी किया था जिसमें विधान मण्डल प्रवेश को 'ममनून' घोषित किया गया था।

स्वराज दल की 'अडगा नीति', 'विरोध की नीति', 'सरकार को वजट तथा अथ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर पराजित करने की नीति', तथा 'विधानमण्डल से बाहर जान की नीति' न तो सरकार के काय का रोक सकी और न ही उसे जन इच्छा के अनुकूल बना सकी। जब कभी स्वराजवादी गतिरोध उत्पन्न करते तो गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर, जैसी भी स्थिति होती, अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर उस गतिरोध को समाप्त कर देते, वजट अस्वीकृत होने पर भी प्रमाणित कर दिये जाते।

स्वराज दल का मूल्यांकन—स्वराज दल की 'अडगा' नीति दोषपूर्ण एवं अव्यावहारिक थी।" विपिनचंद्र पाल और जोसेफ बप्टिस्ता (Joseph Baptista) तो इसे 'निरर्थक (Futile) मानते थे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इसे "निरर्थक और अर्थशून्य" (Futile and Meaningless) मानते थे। विधान मण्डल से बाहर निकल आने की नीति को सर तेज बहादुर सप्रु ने चक्कर लगाने वाली देश भक्ति" की सजा दी है। इसकी अडगा नीति से कोई ठोस परिणाम भी नहीं निकले। न ही तो यह अपने स्वर्गज्य के उद्देश्य को निवट ला सके और न ही द्वंद्व प्रणाली को समाप्त करा सके।

यह ठीक है कि स्वराज दल की नीतियां हमें आज तकशून्य और अव्यावहारिक प्रतीत होती हैं परंतु उस समय जो काय स्वराजवादियों ने किया वह न केवल सराहनीय था बल्कि उपयोगी भी था। इन्होंने उस समय राष्ट्रीय जात को जगाये रखा जिस समय अमहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारण देश में उदासीनता, निराशा और उत्साहीनता फैली हुई थी। इन्होंने उस समय देश के सामने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया जब देश के समक्ष कोई निश्चित राजनीतिक कार्यक्रम (उद्देश्य) न था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में (1930-34) भारतीय जनता ने जो सन्धिये भाग लिया उसके लिए भूमि तो के स्वराजवादियों ने राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करके ही तैयार की थी। उन्होंने सरकार की निरंतर आलोचना द्वारा न केवल उसे अप्रिय बनाया बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सरकार भारत की जन-इच्छा के अनुसार नहीं चलाई जा रही। इसका प्रभाव ब्रिटिश तथा विदेशी जनता पर भी पड़ा जो इस बात को जानने लग गई कि भारतीय जनता वर्तमान भारतीय शासन पद्धति में अप्रसन्न है। एच० एन० ब्रेक्सफोर्ड लिखते हैं "कि मेरे विचार से अडगा लगाने की नीति बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उसने ब्रिटिश अनुदार दल वालों को भी इस बात का बायल कर दिया कि द्वंद्व प्रणाली अव्यवहार्य है।"¹ उन्होंने ही भारतीयों के

रखना भी चाहते थे। एक तरफ व नौप्रियता प्राप्त करना के लिए उपवास का वातावरण आवश्यक समझते थे परन्तु वे ममदवादी म भी पूर्ण विश्वास करते थे। परिणाम स्वरूप जिस भाग का स्वराजवादिया न अनुसरण किया उसमें सहयोग का अर्थ था असहयोग।”

(iv) स्वराजवादियों की नीतियाँ में तर्कहीनता और विरोधाभास—उनका ‘अडगा’ और ‘विरोध’ नीति नकारात्मक होती है सकारात्मक नहीं। इतना ही नहीं उनकी नीतियों में विरोधाभास भी था। एक तरफ तो वे 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्था (द्वैध प्रणाली) का अन्त करना चाहते थे और दूसरी ओर वे उन्हीं के लिए (विधान मण्डल के लिए) स्थापित विवाचित प्रणाली में भाग लेते थे। एक तरफ वे विधान मण्डल को श्रियाहीन मिद्ध करना चाहते थे और दूसरी ओर वे विधान मण्डल को अपनी नीतियों का प्रचार करने का यत्न अव्यवा माध्यम मानते थे। एक तरफ वे अतिवादी और सहयोग ही वात करते थे और दूसरी ओर वे ‘मुक्त सहयोग’ और ‘जवाबी सहयोग (Responsive Cooperation) के लिए तयार थे। कहा जाता है कि सी० आर० दास ने बंगाल के गवर्नर से यह मुक्त समझौता कर लिया था कि यदि वे सभी राजनीतिक विद्वेषों को छोड़ दें तथा मंत्रियों को उत्तरदायित्व सौंप दें तो वह बंगाल में मंत्रिमण्डल का निर्माण कर सकते हैं।

(v) 1926 के निर्वाचनों में स्वराजवादियों की असफलता—1926 के निर्वाचनों में स्वराजदल के सदस्यों को विधान मण्डल में 1923 की तुलना में भारी असफलता का सामना करना पड़ा। केवल मद्रास प्रेमीडे मी को छोड़कर बाकी सब स्थानों पर उसे भारी क्षति हुई। उत्तरप्रदेश (UP) और पंजाब में जहाँ नाम्नी दायित्व बमनस्य बहुत अधिक था ता इमें सबसे भारी हानि हुई। उन्हीं अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने का पूर्ण अवसर मिल चुका था परन्तु वे उनमें असफल मिद्ध हुए थे। इससे स्वराजवादी कांग्रेस में मिल गये। सुभाष काश्यप ने ठाक लिखा है कि “जिस प्रकार असहयोग आंदोलन के असफल होने पर कांग्रेस का सक्रिय नवृत्त स्वराजवादियों की भोली में आ गिरा था, उसी प्रकार अब स्वराजवादियों के असफल हो जान पर कांग्रेस की वागडोर वापस गांधीजी के हाथ में चली गई”।¹

(vi) राष्ट्रवादी दल का निर्माण (Formation of the Nationalist Party)—केन्द्रीय व्यवस्थापिका में प० मदन मोहन मालवीय श्री जयवर और लाला लाजपत राय जैसे कांग्रेसी नेताओं ने एक नवीन दल का संगठन किया जिसे उन्होंने ‘राष्ट्रीय दल का नाम दिया। हिंदू महासभा के साथ मिलकर इन्होंने काफी स्थानों को प्राप्त कर लिया।

1 काश्यप सुभाष सबधानिक विकास और स्वाधीनता संघ (1972) पृ० 114 (रिसेच दिल्ली)

(vii) साम्प्रदायिक दगे—स्वराजवादिया ने स्वयं अनुभव किया कि साम्प्रदायिक दगे उत्पन्न होने से हिंदू मुसलमानों के मनभेद तीव्र हो गये हैं। इससे न केवल स्वराज दल की एकता को क्षति हुई बल्कि हिंदुओं के हितों को भी काफी हानि पहुंची। कांग्रेस के गया अधिवेशन के पूर्व ही जमीयत उल उलेमा ने एक फतवा जारी किया था जिसमें विधान मण्डल प्रवेश को 'ममनून' घोषित किया गया था।

स्वराज दल की 'अडगा नीति', 'विरोध की नीति', 'सरकार को बजट तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पराजित करने की नीति', तथा विधानमण्डल से बाहर जान की नीति' न तो सरकार के कार्य को रोक सकी और न ही उसे जन इच्छा के अनुकूल बना सकी। जब कभी स्वराजवादी गतिरोध उत्पन्न करते तो गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर, जैसी भी स्थिति होती, अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर उस गतिरोध को समाप्त कर देते, बजट अस्वीकृत होने पर भी प्रमाणित कर दिये जाते।

स्वराज दल का मूल्यांकन—स्वराज दल की 'अडगा' नीति दोषपूर्ण एवं अव्यावहारिक थी।" विपिनचंद्र पाल और जोसफ बप्टिस्ता (Joseph Baptista) तो इसे 'निरर्थक' (Futile) मानते थे। मुरेद्रनाथ वनर्जी इसे 'निरर्थक और अर्थशून्य' (Futile and Meaningless) मानते थे। विधान मण्डल से बाहर निकल आने की नीति को सर तेज बहादुर सप्रू ने चक्कर लगाने वाली दश भक्ति" की संज्ञा दी है। इसकी अडगा नीति से कोई ठोस परिणाम भी नहीं निकले। न ही तो यह अपने स्वराज्य के उद्देश्य को निकट ला सके और न ही द्वैध प्रणाली को समाप्त करा सके।

यह ठीक है कि स्वराज दल की नीतियां हम आज तकशून्य और अव्यावहारिक प्रतीत होती हैं परन्तु उस समय जो कार्य स्वराजवादियों ने किया वह न केवल सराहनीय था बल्कि उपयोगी भी था। इन्होंने उस समय राष्ट्रीय जात को जगाये रखा जिस समय (असहयोग आन्दोलन के स्थगित होने के कारण) देश में उदासीनता, निराशा और उत्साहीनता फैली हुई थी। इन्होंने उस समय देश के सामने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया जब देश के समक्ष कोई निश्चित राजनीतिक कार्यक्रम (उद्देश्य) न था। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में (1930-34) भारतीय जनता ने जो सक्रिय भाग लिया उसके लिए भूमि तो वे स्वराजवादियों ने राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करके ही तैयार की थी। उहांत सरकार की निरंतर आलोचना द्वारा न केवल उसे अप्रिय बनाया बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सरकार भारत की जन-इच्छा के अनुसार नहीं चलाई जा रही। इसका पभाव ब्रिटिश तथा विदेशी जनता पर भी पड़ा जो इस बात को जानने लग गई कि भारतीय जनता वर्तमान भारतीय शासन पद्धति में अप्रसन्न है। एच० एन० ब्रेटमफोर्ड लिखते हैं "कि मेरे विचार से अडगा लगाने की नीति बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उसने ब्रिटिश अनुदार दल वालों को भी इस बात का कायल कर दिया कि द्वैध प्रणाली अव्यवहारिक है।"¹ उहांत ही भारतीयों के

प्रतिनिधियों की गोलमेज परिषद का भाग की जिसे बाद में सरकार ने स्वीकार किया। मुडीमेन समिति (सुधारों की जांच के लिए बनाई गई समिति) की नियुक्ति भी उन्हीं की मांग पर आधारित थी। इस तरह उन्होंने न केवल भारतीय संवैधानिक विकास में योग दिया बल्कि राष्ट्रीयता की ज्योति को भी जगाये रखा। श्री मुभाय काश्यप लिखते हैं कि “स्वराजवादियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन की ज्योति को किसी न किसी रूप में जलाये रखा और विधान मण्डली में अवरोध का भाग अपना कर राष्ट्रीयता की वाणी को अवरुद्ध होने से बचा लिया।”¹

साइमन आयोग

(Simon Commission)

साइमन आयोग के जीवन तत्त्व सन् 1919 के अधिनियम की धारा 84 (a) में ही दर्शित होते हैं। अधिनियम की इस धारा में यह व्यवस्था की गई थी कि सुधारों को कार्यान्वित करने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की स्थापना की जायगी जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम के अंतर्गत स्थापित व्यवस्था कहां तक सफल हुई है तथा क्या भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में और अधिक प्रगति करने की स्थिति में है या नहीं। इस व्यवस्था के अनुसार आयोग की नियुक्ति 1931 में होनी चाहिए थी क्योंकि सुधारों को 1 अप्रैल, 1921 को कार्यान्वित किया गया था। और यदि यह मान भी लिया जाय कि सुधारों को ब्रिटिश संसद ने 1918 में पास कर दिया था तो भी इस आयोग की नियुक्ति 1929 में होनी चाहिए थी। परंतु आयोग की नियुक्ति 5 नवम्बर, 1927 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने एक घोषणा में की।

इस आयोग को निश्चित समय से (2 वर्ष) पूर्व नियुक्त करने के निम्न कारण बताये जा सकते हैं —

- (1) ब्रिटिश सरकार भारतीय जनमत को संतुष्ट करना चाहती थी। जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड और अमानुषिक अत्याचार की नीति के कारण जो विश्वास ब्रिटिश सरकार ने खो दिया था उस वह पुनः प्राप्त करना चाहती थी।
- (2) इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थितियाँ न भी अनुदार दल व भारत मंत्रालय लॉर्ड विक्टोरीयस का इस सम्प्रदाय में जल्दी करने के लिए विवश किया। 1929 में इंग्लैंड में चुनाव हार जा गये थे जिन्होंने श्रमिक दल (Labour Party) की विजय की सम्भावना थी। अनुदार दल भारत के राजनीतिक भविष्य का अपने विरोधी दल के हाथ में सौंपना नहीं

चाहता था कि कहीं वह भारत के पूरे स्वराज्य की भाग को स्वीकार न करले ।

- (iii) सन् 1924-27 में भारत में उधल-पुथल और साम्प्रदायिक दंगों का बोलबाला था और अनुदार दल की हार्दिक इच्छा थी कि इस समय आयोग को नियुक्त किया जाय ताकि वह भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में सही अंदाजा न लगा सके ।
- (iv) एक विचार यह भी है कि सरकार ने इस आयोग की नियुक्ति विवशता में की थी । भारत में क्रांतिकारी विचारों का विकास हो रहा था । इन्हें दवाने के लिए तथा उदारवादियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए आयोग को शीघ्र नियुक्त किया गया । लाला लाजपत राय लिखते हैं कि "भारत में युवक आंदोलन के जन्म ने आयोग की शीघ्र नियुक्ति में सहायता की ।"
- (v) भारत में साम्यवाद के विकास को रोकने के लिए भी आयोग को जल्दी नियुक्त किया गया । "रूस में साम्यवादी क्रांति की सफलता और समाजवादी राज्य की स्थापना ने भारत के क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों में समाजवादी और साम्यवादी सिद्धांतों के प्रति रुचि उत्पन्न कर दी ।"¹ कारखानों में कई प्रकार के श्रमिक संगठन उत्पन्न हो गये जिन्होंने हड़तालें करके राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग दिया । युवक संघों और विद्यार्थी संघों का जन्म भी इसी काल में हुआ ।

साइमन आयोग का उद्देश्य—साइमन आयोग का उद्देश्य भारत में शासन पद्धति के क्रिया-व्ययन, शिक्षा की वृद्धि, ब्रिटिश भारत में प्रतिनिधिक संस्थाओं के विकास की जांच करना था और इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन देना था कि क्या भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना वांछनीय है या कि नहीं और यदि है तो किस सीमा तक तथा इस समय भारत को जिस मात्रा में उत्तरदायी शासन प्राप्त है उसे किस सीमा तक विस्तृत, सशोधित या प्रतिबद्धित करने की आवश्यकता है । दूसरे शब्दों में, साइमन आयोग ने इस बात का निर्णय करना था कि क्या भारतीय अपना शासन करने के योग्य है कि नहीं और प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आयोग ने न केवल भारतीय स्वराज्य से आर्षे मूढ़ ली बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में निरंकुश शासन तथा साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को ही उचित समझा ।

साइमन आयोग की रचना—साइमन आयोग के कुल 7 सदस्य थे । इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे जो ब्रिटिश लिबरल पार्टी के सदस्य थे । उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम साइमन आयोग पड़ा । आयोग के सभी सदस्य

अग्रज थे और भारतीयों में आश्चर्य और आक्रोश उत्पन्न करने वाला यही एक मुख्य तत्त्व था ।

लाड विक्रोहैड को इस बात की चेतावनी दी गई थी कि यदि आयोग के वक्त्र अग्रज सदस्य ही रखे गये तो उमका बहिष्कार किया जायगा परन्तु उसने इस चेतावनी की जरा चिन्ता न की बल्कि इसके उत्तर में यह कहा कि भारतीयों को निराकृत करने (वंचित excluded) का कारण यह है कि भारत में अनेक वर्ग तथा सम्प्रदाय हैं और किसी वर्ग को असंतुष्ट किये बिना इस आयोग में शामिल नहीं किया जा सकता और यदि सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को लिया जाय तो आयोग व सन्धियों की संख्या बहुत अधिक हो जायगी । लाड विक्रोहैड ने दूसरा कारण यह बताया कि "आयोग न अपना प्रतिवेदन ब्रिटिश समद को प्रस्तुत करना है इसलिए सदस्य ही इस आयोग के सदस्य हो सकते हैं ।"

साइमन आयोग का बहिष्कार—साइमन आयोग की नियुक्ति भारतीयों के लिए अशुभ, दुःखद और अनिष्टकर थी । यह जले पर नमक छिड़कने के समान था । यह भारतीय जनता और उसकी योग्यता का अपमान था । यही कारण है कि भारत के सभी वर्गों ने 'प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक रूप में' इसका बहिष्कार किया । भारतीयों ने इसकी आलोचना "राजनतिक घूतता" कह कर की । क्या हिंदू महासभा, क्या उदात्तवादी, क्या कांग्रेस, क्या मुस्लिम लीग सभी ने आयोग का विरोध किया । 11 दिसम्बर 1927 को इलाहाबाद में जो सार्वजनिक सम्मेलन हुआ उसमें आयोग में एक भी भारतीय न लिय जाने की कड़ी भत्सना की गई । दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि इस आयोग ने भारत के भावी सविधान के निये प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था परन्तु कोई भारतीय इस आयोग में नहीं था । यही कारण था कि सभी ने इस आयोग का विरोध किया । केवल दक्षिण की जस्टिस पार्टी और सर मुहम्मद ज़की के नेतृत्व में लीग के थोड़े से प्रतिगामी पक्ष ने कमीशन के स्वागत करने का निश्चय किया लेकिन श्री जिन्ना और उनके वामपंथी अनुयायी कांग्रेस के साथ हाँ गये । मिन विल्किन्सन के शब्दों में 'अमृतगर काण्ड के पश्चात् ब्रिटिश सरकार के जिन्ना की वाम से भारत में टूटनी जारी निरन्तर हुई जितनी कि साइमन आयोग का ।"

भारतीय अपने देश के सविधान के निर्धारण में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिये गये थे । यह भारतीयों की क्षमता, बुद्धिमत्ता, योग्यता और बुद्धिमत्ता का अपमान था । सर तेज बहादुर सप्रू (Sir Tej Bahadur Sapru) के शब्दों में "भारतीयों का बहिष्कार (यद्यपि किसी भारतीय का आयोग में नहीं लिया गया था) निश्चित रूप से भारत के लोग का अपमान एक निश्चय है क्योंकि यह एक केवल उन्हें निश्चय कर ही नहीं करती बल्कि हम भी अधिक दूषित था यह है कि हमारा देश अपने अपने देश के विधान का निर्धारण करने में उदात्त भाग लेता था

लाड विक्टो-हैड का यह कथन भी मिथ्या था कि क्योकि आयोग ने ब्रिटिश ससद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है इसलिए केवल ब्रिटिश ससद के सदस्य ही उस आयोग के सदस्य हो सकते हैं। वास्तविकता यह है कि उस समय भी दो भारतीय ब्रिटिश ससद के सदस्य थे। लाड सिन्हा उस समय ब्रिटिश लाड सभा के सदस्य थे थे और शपुरजी सकलतवाला (Shapurji Saklatwala) ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्य थे। यदि लाड विक्टो-हैड इस आयोग में भारतीयों को नियुक्त करना चाहता तो कर सकता था परन्तु ब्रिटिश सरकार को इस आयोग में किसी भारतीय को नियुक्त न कर उनका अपमान करना था तथा अनुदारवादी प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाना था ताकि भारत में ससदात्मक तथा उत्तरदायी प्रणाली का विकास न हो सके। ब्रिटिश सरकार तो भारतीय सवधानिक प्रगति का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहती थी।

उपयुक्त सभी कारणों से भारतीयों ने साइमन आयोग का पूरा बहिष्कार किया। जब आयोग बम्बई में 3 फरवरी 1928 को पहुँचा तो उसका स्वागत काले भण्डों, हड़तालों, तूफानी प्रदर्शनों और 'साइमन वापस जाओ' के नारा से किया गया। जहाँ-जहाँ भी आयोग गया वहीं पर उसका स्वागत इसी प्रकार किया गया। जगह-जगह पर आयोग के विरोध में जलूस निकाले गये। लखनऊ की स्थिति एक सैनिक शिविर के तुल्य रही। सामाजिक उत्सव भी पुलिस के पहरे में होते थे। परन्तु पुलिस की लाठियाँ तथा सरकारी अत्याचार और दमन भारतीयों के विरोध का दमन न कर सका। लाहौर में जब आयोग पहुँचा तो उसका विरोध करने के लिये लाला लाजपत राय एक बड़े जलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस की लाठियाँ उन पर भी बरसाई गयीं जिससे कुछ सप्ताह बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। मरते समय लालाजी ने ये शब्द व्यक्त किये जो उनके साथ ही अमर हो गये "मेरे शरीर पर लाठियों का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की शवपटी में कील का काम करेगा।"

लालाजी की मृत्यु ने आयोग के विरुद्ध प्रदर्शनों में और भी उत्तेजना पैदा कर दी। इससे पंजाब और बंगाल में आतंकवादियों के कार्यों को बल मिला। भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदन में बम का विस्फोट किया। जिस अफसर (Saunders) ने लालाजी पर लाठियों की बौछारों का आदेश दिया था उसे लाहौर में मार दिया गया। इस विद्रोहपूर्ण वातावरण में आयोग का अपनी जांच समाप्त करनी पटी और जो प्रतिवेदन इस आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया वह भी इसी वातावरण का परिणाम था।

साइमन रिपोर्ट— भारतीयों के बड़े विरोध और बहिष्कार के बावजूद आयोग ने दो वर्षों के बड़े परिश्रम से प्रतिवेदन तैयार किया। इस प्रतिवेदन का तैयार करने के लिए वह दो बार भारत आया। यह प्रतिवेदन मई 1930 का प्रकाशित किया गया। परन्तु दोनों बार आयोग के समक्ष केवल सरकारी गवाह ही पेश हुए। जनता ने

किसी रूप में आयोग का साथ नहीं दिया। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्न थी —

(अ) भारत के स्वरूप के सम्बन्ध में—आयोग ने भारत के वधानिक स्वरूप की कल्पना सघीय आधार पर की। प्रतिवेदन में यह आशा व्यक्त की गई थी कि देशी राज्य भी ब्रिटिश भारत में सम्मिलित हो जायेंगे। परन्तु धतमान समय में जूने एक ऐसी परामश परिषद् (Council of Greater India) की सिफारिश की जिमें देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत दोनों का प्रतिनिधित्व हो। इसका काम समान हि के विषयों पर विचार विमश करना होगा।

(ब) केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में—केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में निम्न सिफारिशें की गई थी —

(1) केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्माण सघात्मक शासन के सिद्धान्तानुसार होना चाहिए।

(ii) केन्द्रीय व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए, सघीय सभा (Federal Assembly) और राज्य परिषद् (Council of States)। सघीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय सभाओं के द्वारा जन सख्या के आधार पर किया जाय। सघीय सभा का यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन सघीय सिद्धान्त के विरुद्ध था। राज्य परिषद् का निर्माण भी प्रांतीय आधार पर रखा गया था। इसमें प्रत्येक राज्य को 3 सदस्य भेजने की सिफारिश की गई थी।

(iii) प्रतिवेदन में केन्द्रीय कायकारिणी के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन का सिफारिश नहीं की गई थी अर्थात् केन्द्रीय कायकारिणी पहले की भांति अनुत्तरदायी एवं निष्कुश ही रहनी थी। इसका स्वरूप पहले का भांति सरकारी ही रखा गया था। वह तो केवल भारत मंत्री और ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी थी। प्रतिवेदन के इस भाग से स्पष्ट है कि अंग्रेजों की दृष्टि में अभी भी भारतीय अपने कार्यों के सम्पान के योग्य नहीं थे।

(iv) आयोग ने केन्द्र में द्वध प्रणाली के सुभाव को मानने से इनकार कर दिया।

(v) भारतीय सेना मन्त्राट के अधीन ही रखी गई। परन्तु इस आवश्यकता को स्वीकार किया गया कि उसका शन शन भारतीयकरण किया जाय।

(स) प्रांतीय सरकारों के सम्बन्ध में—प्रांतीय सरकारों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में निम्न सिफारिशें की गई थी —

1 "Faith which had prompted the adoption of the Parliamentary system had not been justified

- (i) आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अशत निहित त्रुटियों के कारण और अशत साम्प्रदायिक विरोध (प्रतिद्विधता) के कारण द्वैध प्रणाली असफल सिद्ध हुई है। इसलिए आयोग ने यह सिफारिश की कि "द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय और जहाँ तक सम्भव हो सके वहाँ तक प्रत्येक प्रांत अपने स्वयं के क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए।" अर्थात् प्रांतीय शासन का सम्पूर्ण क्षेत्र मंत्रियों को सौंप दिया जाय, जो व्यवस्थापिका मना से हा और उसके प्रति उत्तरदायी हो। आयोग का यह भी मत था कि कानून और व्यवस्था के उत्तरदायित्व के बिना उत्तरदायी सरकार का खण्डित (निष्फल) करना है।
- (ii) प्रांतीय स्वायत्तता की सिफारिश करने के बाद भी आयोग ने सिफारिश की कि प्रांतीय गवर्नरों के पास कुछ रक्षा बचक होने चाहिए ताकि प्रांत की सुरक्षा और अल्पमत दलों के हितों की रक्षा की जा सके। इसलिए महत्त्वपूर्ण मामलों में गवर्नर को अपने मंत्रियों के निराया के उल्लंघन करने का विशेषाधिकार होना चाहिए। इतना ही नहीं, गवर्नर जारल का प्रांता पर नियंत्रण भी ज्यों का त्यों बना रहा।
- (iii) प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं का विस्तार किया जाय और अधिक महत्त्वपूर्ण प्रांतों में 200 से 250 तक सदस्यों को शामिल किया जाय।
- (iv) आयोग ने सावधानीपूर्वक मताधिकार के प्रस्ताव को अव्यावहारिक बताया परंतु साथ में यह भी कहा कि मताधिकार का विकास किया जाय।
- (v) प्रांतीय विधान सभाओं का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो।

ऐतिहासिक पुनर्गठन के सम्बन्ध में—

आयोग ने वर्मा को भारत से और सिंध का बम्बई प्रांत से अलग करने सुझाव दिया परंतु उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में स्वराज्य की मांग को स्वीकार नहीं किया।

(द) साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में—आयोग ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का अतिरिक्त, दूयिन एव हानिकारक बताया परंतु साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों में उसे आवश्यक बताया। यह भी सुझाव दिया गया कि जिन प्रांतों में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है वहाँ विधान सभाओं में उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाय।

(क) वैधानिक विकास के सम्बन्ध में—आयोग ने सिफारिश की कि वैधानिक विकास क्रमिक होना चाहिए। सामयिक परीक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। विधान को इतना लचीला बना दिया जाय कि वह स्वयं ही विकसित हो।

- 1 Each Province should, as far as possible, be mistress in her own affairs

(ख) भारत परिषद् के सम्बन्ध में - आयोग ने भारतीयों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया कि भारत परिषद् को समाप्त कर दिया जाय। आयोग ने केवल यह सिफारिश की कि उसकी शक्तियों में कमी कर दी जाय।

साइमन आयोग के प्रतिवेदन का मूल्यांकन—साइमन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दो विचार हैं। एक विचार साम्राज्यवादियों का है जिनके लिए "यह प्रतिवेदन सरकारी पत्रों में एक महत्वपूर्ण पत्र रहेगा।" ए०वी० कीय के शब्दों में, भारतीयों द्वारा साइमन आयोग का बहिष्कार एक नुटिपूर्ण कदम था।¹ दूसरे का मत है कि 'साइमन आयोग का प्रतिवेदन तब तक की भारतीय समस्याओं का सबसे अधिक सम्पूर्ण अध्ययन था और इसी राजनीति शास्त्र के पुस्तकालय को एक और उच्च कोटि की रचना प्रदान की।'²

दूसरा विचार भारतीय जनमत का था जिसने इसे बिल्कुल ठुकरा दिया। भारतीय जनमत द्वारा इस प्रतिवेदन को ठुकराये जाने के ठोस कारण निम्न थे -

- (i) इस प्रतिवेदन में औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status) का जिक्र नक न था।
- (ii) केन्द्रीय प्रशासन में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की सिफारिश नहीं की गई थी।
- (iii) प्रांतीय स्वायत्तता को गवर्नर के विशेषाधिकारों के अधीन रखा गया था।
- (iv) साम्प्रदायिक प्रणाली और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को जारी रखने की सिफारिश की गई थी।

स्पष्ट है कि साइमन रिपोर्ट में भारतीय जनता की अभिलाषा तथा आकांक्षाओं की पूर्ण उपेक्षा की गई थी। यह प्रतिवेदन जहाँ एक ओर निराशाजनक था वहाँ इसमें निष्पक्षता और उदारता का भी अभाव था। श्री रिचर्ड बी० ग्रा (Richard B Gregg) का मत है कि आयोग ने सदस्या न कई तथ्यों का जान बूझकर इस प्रकार उल्लंघन किया कि इंग्लैण्ड और अमरीका के लोग यह समझें लगे कि भारतीय समस्या बड़ी जटिल तथा कठिन है। भारतीयों ने मांगी थी राय और उन्हें मिल पत्थर।

साइमन आयोग भारतीयों की समस्याओं को कभी नहीं समझ सका क्योंकि वह भारतीय जनता के साथ सम्पर्क में नहीं आया, वह तो केवल सरकारी गवाहों से ही मिल सका। वह नवीन उमड़त हुए भारत के जीवन को नहीं पहचान सका। था एण्ड्रूज (Andrews) का मत है कि 'हमने अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन से सारे देश में पर्दा हुए परिवर्तन और जनता की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं की पूरी उपेक्षा की।'

¹ Keith A B A Constitutional History of India P 204
² Coupland, Indian Problems 1833-1935 p 100

इसने उस भारत को अपने सम्मुख रखा जो राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू होने के 30 वर्ष पूर्व था, राष्ट्रीय जागृति के परिणामस्वरूप उदीयमान युवक भारत का इसमें परिचय नहीं मिलता।¹ सर शफात अहमद या के शब्दों में "इसने केन्द्र में उत्तरदायित्व के मुख्य तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं दिया है इसके अनुसार गवर्नर जनरल शाहजहा से भी अधिक शक्तिशाली और शाहअलम से भी अधिक अनुत्तरदायी बन गया होता।² सर शिवा स्वामी आयर का मत है कि "प्रतिवेदन को फटे कागजा को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए।"³ यह प्रतिवेदन इतना सड़ा हुआ था कि ब्रिटन के श्रमिक दल की सरकार ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। प्रथम गोल मेज सम्मेलन में भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। परंतु अनुदारवादी सरकार के तत्वाधान में सर मेम्यूल होर (Sir Samuel Hoare) के काल में, इस प्रतिवेदन को स्वागत मिला और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में इसकी बहुत सी सिफारिशों को मूल रूप मिला।

नेहरू प्रतिवेदन, 1928

(Nehru Report, 1928)

साइमन आयोग में सभी श्वेत सदस्यों को नियुक्त करते समय अनुदार दल के भारत सचिव लाड बिकोर्हैड ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि वे एक मत होकर एक स्वीकृत विधान को सदन के सम्मुख उसके विचाराथ प्रस्तुत करें। यह चुनौती दो बार दी गई थी। एक बार लाड सभा में भाषण देते हुए 7 जुलाई 1925 का दी गई थी और दूसरी बार 1927 में उस समय दी गई जब साइमन आयोग के श्वेत सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस चुनौती को देते समय लाड बिकोर्हैड को विधान-बनाने के काय में न केवल भारतीयों की योग्यता पर अविश्वास था बल्कि उसकी यह भी धारणा थी कि भारतीय अपने जातीय वैमनस्य के कारण (क्योंकि भारत में भिन्न भिन्न जातियाँ हैं जिनके विचार न केवल एक दूसरे से भिन्न हैं बल्कि एक दूसरे के विरोधी भी हैं) कभी भी एक मत होकर किसी स्वीकृत विधान का प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार करते समय इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। डा० राजेन्द्र प्रसाद का यह भी मत है कि भारतीयों में सविधान बनाने का प्रयत्न केवल (लाड बिकोर्हैड) चुनौती का उत्तर देने में ही प्रभावित नहीं था बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष दला का सहमति से तैयार हुए सविधान, के द्वारा अपने पक्षवासियों के सामने अपने विचारों और भागों को भी पण करना चाहती थी ताकि एन आर, भारतीयों को उन मागों से अवगत करा दिया जाय तथा दूसरे, सरकार पर उह मानन के लिए दबाव डाला जाय।

1 Andrews India and the Simon Commission p 39

2 Sir S A Khan The Indian Federation

3 'It should be placed on the scrap heap' Ayer, Sir Sivaswamy

सब दलीय सम्मेलन (All Parties Conference)—कांग्रेस कायकारिणी ने ए सवदलीय सम्मेलन दिल्ली मे 28 फरवरी 1928 को आयोजित किया। इस सम्मेलन मे 29 सगठनो तथा दला ने भाग लिया जिसम मुख्य थे—कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, तिलाफत समिति, भारतीय ईसाई काग्रस, राष्ट्रीय उदारवादी सभ आदि। इस सम्मेलन म कुछ प्रारम्भिक और मूल आधार पर विचार किया गया तथा यह निराय लिया गया कि भारत की वधानिक समस्या पर विचार "पूर्ण उत्तरदायी शासन" के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद सम्मेलन की बठक स्थगित कर दी गई।

सम्मेलन की दूसरी बठक 11 मई, 1928 को बम्बई म डा० एम० ए० आसोरी की अध्यक्षता मे हुई। इस सम्मेलन ने एक समिति की नियुक्ति की जिने एक विधान निर्माण की बाय सौपा गया तथा उस अपना प्रतिवेदन 1 जुलाई 1928 तक प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया।

समिति के कुल सदस्य 9 थे जिसके मभापति श्री मोतीलाल नेहरू तथा सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति के अय सदस्य थ सर तज बहादुर सर सर अली इमाम एम० एस० अण्णे, सरदार मगलसिंह श्री शवव कुरेशी, जी० आर० प्रधान और सुभाषचन्द्र बोस। इस समिति ने 3 महीने के कठिन परिश्रम और 25 बठको के पश्चात एक विधान तयार किया जो सबसम्मत था अर्थात जो समिति के सभी सदस्यो को स्वीकार था। समिति ने जो प्रतिवेदन 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया वह "भारतीय बुद्धिमत्ता का प्रथम वधानिक पुष्प" था। यह प्रतिवेदन ही नेहरू प्रतिवेदन के नाम से प्रसिद्ध है।

प्रतिवेदन (Report)—नेहरू प्रतिवेदन द्वारा भारत के सम्बन्ध म जो सा खीचा गया या उसकी मुख्य बातें निम्न थी —

1 प्रभुसत्ता के सम्बन्ध मे—नेहरू प्रतिवेदन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसम यह स्पष्ट कर दिया गया था कि "प्रभुसत्ता भारत के लोग म निहित है अर्थात सरकार जिन शक्तियो का प्रयोग करती है वह लोग द्वारा प्रदत्त हैं और लोग ही अंतिम सत्ता के आधार हैं।

2 स्वशासित उपनिवेश के सम्बन्ध मे—प्रतिवेदन मे कहा गया था कि भारतवष के लिए स्वशासित उपनिवेश के विधान के प्रादश पर आधारित पूर्ण उत्तरदायी सरकार ही उपयुक्त रहेगी।' ब्रिटिश साम्राज्य म भारत का वही स्थान हो जो 'यूजीलैण्ड, कनाडा और आस्ट्रेलिया आदि का है और भारत को कॉमनवष आफ आस्ट्रेलिया की भांति कॉमनवल्थ आफ इण्डिया (Commonwealth of India) का नाम दिया जाय। प्रतिवेदन उत्तरदायी सरकार म त्रिमिक् विकास के सिद्धांत स सहमत न था। प्रतिवेदन म कहा गया था कि औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status) की उपलब्धि "हमार विनास की दूरस्थ अवस्था नहीं, अपितु

अगला तात्कालिक कदम है।" स्पष्ट है कि प्रतिवेदन में औपनिवेशिक स्वराज्य को स्वीकार करते हुए भी पूरा स्वतंत्रता के लक्ष्य के विचार का त्याग नहीं गया था।

3 साम्प्रदायिक वमनस्य के निवारण के सम्बन्ध में—प्रतिवेदन में कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में से दूसरे व्यक्ति के निराधार भय को हटा दिया जाय और समस्त जातियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाय। इसके लिए प्रतिवेदन में निम्न सुझाव दिये गये थे —

(i) मूल अधिकारों की घोषणा—भारत के विधान में मूल अधिकारों की घोषणा की जाय ताकि समस्त जातियाँ अपने धर्म और संस्कृति सम्बंधी पूरा स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें। प्रतिवेदन में 19 मूल अधिकारों की व्याख्या की गई थी जिनमें से मुख्य है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, स्त्री पुरुष की समानता, मातृत्व की रक्षा, बच्चों की सुरक्षा वृद्धावस्था, अशक्ति और बेरोजगारी की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा, स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म को अपनाने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना शस्त्रों के शांतिमय तरीका से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संध तथा समुदाय की स्वतंत्रता, इत्यादि। दलित बगों, महिलाओं और श्रमिकों का सुरक्षा की गारंटी दी गई थी।

(ii) धर्म निरपेक्ष राज्य—भारत के कॉमनवेलथ (Commonwealth of India) तथा किसी प्रांत का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य न तो किसी धर्म का प्रचार करेगा और न ही किसी धर्म का कोई विशेष सुविधाएँ ही देगा। धर्म, जाति, लिंग, भाषा किसी आधार पर नागरिकता में भिन्नता नहीं की जायगी। संक्षेप में, प्रतिवेदन में भारत के लिए एक धर्म निरपेक्ष राज्य की कल्पना की गई थी।

(iii) साम्प्रदायिक या पृथक निर्वाचन का उन्मूलन—प्रतिवेदन में न केवल साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को दूषित माना गया था बल्कि हानिकारक भी बताया गया था क्योंकि, ममिति का मन था यह पद्धति ही जातीय वमनस्य को जन्म देती है तथा उसका विकास करती है। इसलिए प्रतिवेदन में कहा गया था कि साम्प्रदायिक या पृथक निर्वाचन पद्धति का समाप्त कर उनके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन पद्धति का स्थापित किया जाय। परन्तु अल्पमत वाना के लिए "आरक्षण (Reservation of Seats) गारंटीया और सांस्कृतिक स्वायत्तता" को स्वीकार करते हुए भी प्रतिवेदन में किसी सम्प्रदाय के लिये निर्वाचन में गुग्भार (weightage) का स्वीकार नहीं किया। 'गुरभार का अस्वीकार करने हुए प्रतिवेदन में कहा गया था कि "राष्ट्रीय हिता के लिए विचारित किसी भी प्रतिनिधित्व प्रणाली में उट्ट कोई स्थान नहीं दिया जा सकता।" इसमें कहा गया था कि केन्द्र तथा उन प्रांतों में जहाँ मुसलमानों की संख्या अल्प है वहाँ उनके लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये जायें तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत (N W F P) में जहाँ हिन्दुओं की संख्या अल्प है वहाँ उनके लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये जायें जिससे जातीय गुग्भार स्थायी

वनी रहे। सुरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या उस जाति व आकार (जनसंख्या के आधार पर) के अनुपात में होनी चाहिए। किसी अल्पमत को कोई अल्पसंख्यक की विशेष सुविधा या गुरभार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन में कहा गया था कि "एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के ऊपर निम्नकुश शासन करे, इस बात को सहन नहीं किया जा सकता।" अल्पसंख्यक सुरक्षित स्थान के लिए निर्वात लड़ सकते थे परन्तु अल्प स्थानों के लिए (सुरक्षित स्थानों के अतिरिक्त) चुनाव व

(iv) नये प्रांतों का निर्माण—भारत के मुसलमान इस बात की मांग कर रहे थे कि सिंध को बम्बई प्रांत से पृथक कर दिया जाय और उत्तरी पश्चिमी क्षण प्रांत को एव पृथक प्रांत का स्थान दिया जाय। नेहरू प्रतिवेदन में इन दोनों मांगों की स्वीकार कर लिया गया था और कहा गया था कि इन दोनों प्रांतों को स्वतंत्र प्रांतों की स्थिति प्रदान की जाय। यह सिफारिश इसलिए की गई थी ताकि मुस्लिम बहुमत प्रांतों को हिंदू बहुमत प्रांतों के साथ सन्तुलित किया जा सके तथा क मुस्लिम बहुल प्रांतों (पंजाब, बंगाल सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत) में निर्माण हो सके। स्पष्ट है कि नेहरू प्रतिवेदन "साम्प्रदायिकता की कठिनाइयाँ दूर ठीक ठीक सामना करने के लिए भारतीयों द्वारा अब तक की गई सुसंयोजित चेष्टा थी।

4 शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में—केन्द्रीय तथा प्रांतीय शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में नेहरू प्रतिवेदन में निम्न व्यवस्थाये सुभाई गई थी —

(i) गवर्नर जनरल एक संवैधानिक अध्यक्ष होना चाहिए—देश का शासन ब्रिटिश सम्राट के हाथ में हो और गवर्नर जनरल उसका प्रतिनिधि हो जिस भारत पर राजस्व से वेतन तथा भत्ते दिये जायें उसकी स्थिति एक संवैधानिक अध्यक्ष की है तथा वह लोकप्रिय मंत्रियों की सम्पत्ति से काम करे। गवर्नर जनरल प्रधान मंत्री की नियुक्ति करे परन्तु अल्प मंत्रियों तथा पदाधिकारियों की नियुक्ति (मन्त्री, राज्य आडिटर जनरल आदि) गवर्नर जनरल प्रधानमन्त्री के परामर्श से करे। प्रधान मंत्री के अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या 6 निश्चित की गई थी।

मंत्रिमण्डल का निर्माण व्यवस्थापिका सभा के दोनो सदन म सं हो और वह उस प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी हो। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया था कि विधान के लागू होने के प्रथम तीन वर्ष तक, अष्टाचार के आराप के अतिरिक्त न ता केन्द्रीय और न ही प्रांतीय मंत्रिमण्डल का हटाया जा सकता था। परन्तु तीन वर्ष बाद उसे अवशिष्टता के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता था।

(ii) केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के दो सदन हों—नेहरू प्रतिवेदन में व्यवस्थापिका के दो सदन हों एक सी.ए. (जो उच्च मन्त्री होगा) तथा दूसरा प्रतिनिधि सदन (जो निम्न मन्त्री होगा)। उच्च मन्त्री के तीन मन्त्री की संख्या 200 निर्धारित की गयी थी जिनका निर्वाचन 7 वर्ष के लिए प्र. शासक सभा द्वारा एक न सत्रमण्डलीय मन तथा अनुपातित निर्वाचन प्रणाली द्वारा कि

जाना था। दूसरे शब्दों में, उच्च सदन का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होना था। निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर होना था। नेहरू प्रतिवेदन में प्रांता के लिए उच्च सदन की व्यवस्था नहीं की गई थी।

केन्द्रीय व्यवस्थापिका को यह अधिकार दिया गया था कि वह शांति व्यवस्था और सुशासन बनाये रखने के लिए कानून बना सकती है।

(iii) प्रतिरक्षा—प्रतिरक्षा के लिये नेहरू प्रतिवेदन में एक प्रतिरक्षा समिति का सुझाव दिया गया था। इस समिति के जो सदस्य निश्चित किये गये थे वे थे प्रधान मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सर्वोच्च सेनापति, वायु तथा जल सेना के मुख्य सेनापति, जनरल स्टाफ के अध्यक्ष तथा अन्य दो विशेषज्ञ। इस समिति का कार्य था प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में और अन्य प्रश्नों पर परामर्श देना।

व्यवस्थापिका सभा को सेना के बजट पर विवाद करने और उसके प्रति मत प्रकट करने का अधिकार दिया गया था। यद्यपि आपत्कालीन स्थिति में सरकार को (कायपालिका को) यह अधिकार दिया गया था कि वह सुरक्षा के लिये धन व्यय कर सकती थी।

(iv) शक्तियों का बंटवारा—नेहरू प्रतिवेदन में केन्द्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों के बंटवारे की योजना बनाई गई थी और यह कहा गया था कि अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास रहेंगी।

(v) लोक सेवास्ये—लोक सेवास्ये पर केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का नियंत्रण हो।

(vi) महत्त्वपूर्ण विषय—महत्त्वपूर्ण विषयों का निर्णय उपनिवेश और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अन्य सदस्यों के पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा किया जायगा।

(vii) सर्वोच्च न्यायालय—अंतिम न्यायालय के रूप में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का सुझाव दिया गया था। प्रिवी कांसिल को सभी अपीलें बंद करने के लिये कहा गया था। केवल विशेष परिस्थितियों में ही परिषद-सहित राजा के पास अपील की व्यवस्था की जानी थी। अन्य संधीय सविधानों की भांति भारत की सर्वोच्च न्यायालय भी सविधान की व्याख्या करेगी तथा केन्द्र और प्रांतों के आपसी झगड़ा का निर्णय करेगी।

(viii) हाई कमिश्नर—प्रतिवेदन में कहा गया था कि अन्य उपनिवेशों की भांति भारत की कॉमनवेल्थ को दूसरे दशक में अपने हाई कमिश्नर तथा प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया जाय।

5 देशी राज्यों के सम्बन्ध में दशम राज्या के अधिनियमों और उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा के सम्बन्ध में नेहरू प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण था। परंतु प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कहा गया था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता को नष्ट स्वतंत्रता नहीं होगी। अर्थात् यह भारतीय अल्स्टर (Ulster) के रूप में नहीं

करने व किसी प्रयास को सहन नहीं किया जा सकता। यदि सघीय-संविधान बन जाय तो उन्हें उसमें सम्मिलित होने का अधिकार तभी दिया जाय जब उनका म स्थापित निरकुश शासन नष्ट कर दिया जाय तथा वहाँ उत्तरदायी सरकार स्थापना हो जाय। इस तरह नई केन्द्रीय सरकार ब्रिटिश सरकार से देशी राजा प्रति उन समस्त अधिकारों और कत्तव्यों को ले लेगी जो सावभौम सत्ता (Paramountcy) में नहीं होनी थी बल्कि ब्रिटिश सरकार की उत्तराधिकारी के रूप में उस नई सत्ता को दे दिया जाना था।

6 प्रांतों के सम्बन्ध में केंद्र की भांति प्रांतों में भी नेहरू प्रतिम, उत्तरदायी सरकार की स्थापना का सुझाव दिया गया था। प्रांत की वायव्यी को प्रांत की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी रखा गया था, प्रांत की ही विधान मण्डल में निहित की गई थी। विधान मण्डलों का निर्वाचन वयस्क मतदाता द्वारा होना था। एक लाख जनसंख्या के पीछे एक प्रतिनिधि निर्वाचित करने की व्यवस्था की गई थी। प्रांत के मुख्य मंत्री का गवर्नर नियुक्त करेगा परन्तु मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर मुख्य मंत्री के परामर्श से करेगा। प्रांत के मंत्रिमन्त्रियों की संख्या 5 निर्धारित की गई थी।

नेहरू प्रतिवेदन के प्रति दलों की प्रक्रिया—नेहरू प्रतिवेदन को 10 अक्टूबर 1928 को प्रस्तुत किया गया था। लखनऊ में जो सार्वभौम सम्मेलन 28, 29 अक्टूबर 30 अगस्त 1928 का हुआ उसमें इस सर्वसम्मति से (unanimously) स्वीकार कर लिया गया था। परन्तु जब दिसम्बर 22, 1928 का बलवत्ता में इन सभी समर्थन के लिये भिन्न भिन्न दलों की पृथक् पृथक् बैठकें मंगलाई गईं तो प्रतिवेदन पर सकीर्ण साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना लगा। भारतीय मुसलमान अपने विचारों में विभक्त हो गए थे। डा० अंसारी, हकीम अजमल तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान प्रतिवेदन को पूर्ण स्वीकार करने के पक्ष में थे परन्तु सर मुहम्मद शफी (Mohammed Shafi) ने नृत्व में साम्प्रदायिक मुसलमान इस अस्वीकार करना चाहते थे और मोहम्मद अली जिन्ना इसमें ऐसे सहायता पर बल देना चाहते थे जो इसका वास्तविक स्वरूप (Jinnah's Fourteen Points) प्रस्तुत किया जिनमें मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिये विशेष व्यवस्था की गई थी तथा उनके लिए गुर्राम अधिकारों की रक्षा के लिये विशेष व्यवस्था की गई थी तथा उनके लिए गुर्राम अधिकारों की रक्षा के लिये विशेष व्यवस्था की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसका विचारों में एक मत नहीं थी। यद्यपि कांग्रेस ने नेहरू प्रतिवेदन का अपने 19 अक्टूबर के बलवत्ता अधिवेशन में स्वीकार कर लिया परन्तु गुभाय चन्द्र बाग नवाहा

नेहरू तथा श्रीनिवास आयंगर जैसे कांग्रेस के युवक सदस्य औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status) से सतुष्ट नहीं थे, वे पूर्ण स्वतंत्रता (Complete independence) के पक्ष में थे। इस कठिनाई को महात्मा गांधी के हस्तक्षेप (मध्यस्थता) द्वारा दूर किया गया और कांग्रेस ने देश के राजनीतिक ढांचे के लिए 'औपनिवेशिक स्वराज्य' को स्वीकार कर लिया। परन्तु साथ में सरकार को यह चेतावनी दी गई कि यदि दिसम्बर 31, 1929 तक अर्थात् एक वर्ष के भीतर, नेहरू प्रतिवेदन को स्वीकार न किया गया तो कांग्रेस का उद्देश्य "पूर्ण स्वतंत्रता" होगा।

नेहरू प्रतिवेदन का महत्त्व - नेहरू प्रतिवेदन "भारतीय बुद्धिमत्ता का प्रथम पुष्प था।" यह भारतीयों की राजनीतिक परिपक्वता और सूक्ष्मता का परिचायक था। यह "राजनीतिक विकास की दिशा में एक महान पग था।" यह उन सब चुनौतियों का उत्तर था जो ब्रिटिश सरकार के अनुदार दल के भारत मंत्री लाडबिक हैड ने दी थी। इस प्रतिवेदन ने सिद्ध कर दिया था कि 1928 में भी भारतीय नेता भारतीय सवधानिक ढांचे के रूप के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। अंग्रेजों का यह दावा कि भारतीय प्रशासन करने की योग्यता नहीं रखते तथा उनमें जातीय मंत्रीभाव और सौहाद विद्यमान नहीं उनकी "विभाजन करो और शासन करो" की नीति का परिणाम था। क्लैप्लेण्ड के शब्दों में "यह केवल इस चुनौती का ही उत्तर नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीयता रचनात्मक कार्यों के लिए अयोग्य थी बल्कि साम्प्रदायिक विपक्ष को निष्पक्ष रूप से नष्ट करने के लिए भारतीयों द्वारा जो प्रयत्न किये गये थे यह उनमें सबसे अधिक निष्कपट एवं स्पष्ट था।"

नेहरू प्रतिवेदन अनेक दृष्टिकोणों से व्यावहारिक और समयानुकूल था। जहाँ साइमन प्रतिवेदन का महत्त्व उसके पुरातन असामयिक और भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं के विपरीत होने में था वहाँ नेहरू प्रतिवेदन का महत्त्व उसके रचनात्मक होने, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल होने तथा भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं के अनुकूल होने में था। यदि साइमन प्रतिवेदन ब्रिटिश राजनीति के आदर्श एवं व्यावहारिक सिद्धांतों पर लिखा गया एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ था तो नेहरू प्रतिवेदन व्यावहारिक तथा राष्ट्रीय सिद्धांतों पर लिखा गया एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ था।

नेहरू प्रतिवेदन में भारत की तत्कालीन समस्याओं पर पूर्ण विचार किया गया था तथा जो उनका हल निकाला गया वह भी त्वरित और व्यावहारिक था। जहाँ, एक ओर, नेहरू प्रतिवेदन में स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया था वहाँ अल्पमत वाला के भय को भी सरभंग द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया था। प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए इसमें मूल अधिकारों की भी व्यवस्था की गई थी। जिस तरह भारत के वर्तमान संविधान में (1950 के संविधान में) सभी नागरिकों का मूल अधिकार प्राप्त है तथा उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना उन्हीं तरह की व्यवस्था नेहरू प्रतिवेदन में की गई थी। देशी राज्यों

के सम्बन्ध में भी नेहरू प्रतिवेदन युग-प्रवक्तक था। वास्तविकता यह है कि नेहरू प्रतिवेदन और वर्तमान सविधान में इतनी अधिक समता है कि इसे वर्तमान सविधान का प्रारम्भिक क्रम या नकशा (Blue Print) कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

नेहरू प्रतिवेदन की अनेक लेखकों ने प्रशंसा की है। जी० आर० प्रधान के शब्दों में "यह सर्वोत्तम योजना है जिसने शक्तिशाली अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के दावा में सामंजस्य उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है।" डॉ० जकारिया के शब्दों में 'प्रतिवेदन अत्युत्तम और व्यवहारकुशल प्रतिवेदन है। यह प्रतिवेदन तत्परूप में पढ़ने और अध्ययन करने योग्य है क्योंकि इसमें जिन विषयों पर विचार किया गया है उनमें संप्रत्येक पर यह प्रकाश डालता है। यह प्रतिवेदन व्यावहारिक ज्ञान का प्रदशन करता है जो न तो अपने आपको कल्पनाओं में सोन है और न ही निरर्थक बातों का आश्रय लेता है।" सर शफात अहमद खा के शब्दों में "नेहरू प्रतिवेदन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचनात्मक प्रयास था। अब तक जो भी इस प्रकार के प्रयास अथवा संगठना द्वारा किये गये उनमें इसका अपना एक विशेष महत्त्व था। इसने देश के सम्मुख एक महान् आदर्श उपस्थित किया था जिसका स्वीकार की कभी पूर्ति नहीं हो सकती।"

नेहरू प्रतिवेदन इतना प्रगतिवादी (Progressive) था कि ब्रिटिश सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया।

जिन्ना के चौदह प्वाइन्ट (सूत्र) या
नेहरू प्रतिवेदन पर मुसलमानों की प्रतिक्रिया
(Jinnah's Fourteen Points or
Muslim Reaction to Nehru Report)

नेहरू प्रतिवेदन के प्रति भारतीय मुसलमानों का दृष्टिकोण मिश्रित था। डॉ० अंसारी, हबीब अजमल खान, टी० ए० के० शेरवानी और मौलाना प्रमुन बलाम आगाद जस राष्ट्रवादी मुसलमान प्रतिवेदन को पूरातया स्वीकार करने में पक्ष में थे, सर मुहम्मद शफी जस मुसलमान उस अस्वीकार करने चाहते थे, आगा खा जस मुसलमान अधिक सं अधिक लाभ प्राप्त करने में दृष्टान्त थे। मुसलमानों का कहना था कि नेहरू प्रतिवेदन न 'गुरभार' (Weightage) और 'पृथक निर्वाचन प्रणाली' (Separate electorate) का परित्याग करने लगने का समझौता का उल्लंघन की है। इनके लिए नेहरू प्रतिवेदन मुसलमानों के लिए 'मौत का नदश पत्र' (death warrant) था। इन मुसलमानों का हिंदुओं पर यह भी आरोप था कि बहुमत का कारण वे अपने प्रभुत्व का मुसलमानों पर जमाना चाहते

है। चौथा ग्रुप जिन्ना का था जो इस बात में विश्वास करता था कि हिन्दू मुस्लिम एकता के बिना कोई विकास सम्भव नहीं। इस उद्देश्य को लेकर ही जिन्ना ने 31 दिसंबर, 1928 को सभी मुस्लिम दलों का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया। परन्तु इस सम्मेलन में कोई समझौता न हो सका और इसे स्वगित कर दिया गया। सम्मेलन में सभी दलों के साथ विचार-विमर्श करने का अधिकार जिन्ना को दे दिया था। समझौते के रूप में जिन 14 प्वाइंट्स (Points) को जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मार्च 1929 के दिल्ली अधिवेशन में प्रस्तुत किया वे ही इतिहास में "जिन्ना के चौदह प्वाइंट्स" के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये प्वाइंट्स निम्नलिखित थे—

- 1 भारत का भावी संविधान सघीय आधार पर होना चाहिए जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ (residuary powers) एकको (प्रांती) के पास हों।
- 2 सभी प्रांतों को समान स्वायत्त शासन का अधिकार होना चाहिए।
- 3 विधान सभाओं सहित, सभी निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिये उचित एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिए। जिन प्रांतों में अल्पसंख्यकों का बहुमत है उसे अल्पमत या समान नहीं बदलना चाहिये।
- 4 केन्द्रीय विधान सभा में मुसलमानों का एक-तिहाई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।
- 5 पृथक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा जाय परन्तु किसी भी जाति को स्वेच्छा से संयुक्त प्रतिनिधित्व (joint electorate) की प्रणाली अपनाने का अधिकार होना चाहिये।
- 6 किसी भी भावी प्रादेशिक पुनर्विभाजन का पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुस्लिम बहुमत पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिये।
- 7 धर्म, विश्वास, उपासना, उत्सव, प्रचार, सम्मेलन और शिक्षा की स्वतंत्रता सभी को होनी चाहिए।
- 8 किसी भी विधान सभा में प्रस्तुत किसी विधेयक, प्रस्ताव या उसके भाग पर यदि किसी जाति के तीन-चौथाई सदस्यों का विरोध है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- 9 सिखों को बम्बई प्रांत से पृथक कर दिया जाय।
- 10 दूसरे प्रांतों की भांति उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में सुधारों का लागू किया जाय।
- 11 सभी सेवाओं में योग्यता की आवश्यकताओं के अनुरूप, अर्थात् भारतीयों की तरह मुसलमानों का भी पर्याप्त स्थान दिया जायें।

- 12 मुस्लिम गण्टि, भागा घोर धम व निय मजिमान म गरक्षणा की ब्यवस्था की जाय ।
- 13 किसी भी केन्द्रीय या प्रांतीय मंत्रिमण्डल म मुसलमाना व एक सदस्य होने चाहिये ।
- 14 सविधान म परिवर्तन तभी होना चाहिये जब मध की सनी इरा उस पर महमति प्रकट करें ।

जिन्ना व उपयुक्त चौदह प्वाइंटस की विगी भी मुस्लिम समूह न स्वाद नहीं किया । राष्ट्रवादी मुसलमाना वा बटना या कि म् प्वाइंटस अलसत्यको भारत की साम्प्रदायिक समस्या वा पूण हल नहीं । मोलाना आजाद के नृत्य व राष्ट्रवादी मुसलमान । मुस्लिम लीग स पृथक हा गय और राष्ट्रवादी मुस्लिम न् (Nationalist Muslim Party) के नाम से उठाने अपने पृथक सगठन वा निर्माण कर लिया । मुहम्मद शफी और आगा खा भी इनम सतुष्ट नहीं थे ।

जिन्ना के चौदह प्वाइंटस के अन्व परिणाम निकले । प्रथम जिन्ना, शरी और आगा खा एक दूसरे के निकट आ गय, दूसरे, मुस्लिम लीग हमशा व नि कायमे स अलग ही गयी, तीसर, लीग मुसलमानो के लिय पृथक मातृभूमि (separate homeland for the Muslims) की माँग बरन लगी, चौथ, ब्रिटिश शासक न भारतीय म साम्प्रदायिक भिन्नता वा लाभ उठाते हुए 'विभाजन करो और शासन करो' की नीति वा बिम्बार कर दिया । मैकडानल्ड पचाट न जिन्ना व इन चौदह प्वाइंटस वा प्राय स्वीकार कर लिया । पाँचवें, लाड बिक्नेहैंड की मर् चेतावनी अलघ्य (insurmountable) प्रतीत होने लगी कि भारतीय एक मत हा अपने लिए सविधान वा निर्माण नहीं कर सकते ।

इ ग्लण्ड से निर्वाचन, मजदूर दल की सरकार तथा इरविन घोषणा—इ ग्ल मे मई 1929 म चुनाव हुए जिसमे अनुदार दल की पराजय हुई । परन्तु बिजरी होन पर भी मजदूर दल का पूण बहुमत प्राप्त न हो सका । परिणाम स्वरूप उन्तर दल के सदस्या के सहयोग स मजदूर दल ने सरकार वा निर्माण किया । म् मैकडोनेल्ड ब्रिटिश प्रधान मंत्री बने । चुनाव से कुछ दिन पूव ही मैकडोनेल्ड ने राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन म कहा था कि मुझे आशा है कि कुछ वर्षों म नहीं मरिनु कुछ महीना म ही राष्ट्रमण्डल क देशो म एक और देश अधिराज्य क हन म तर्मित हो जायेगा—यह अधिराज्य दूसरी नस्ल वा हागा परन्तु राष्ट्रमण्डल म उठ बराबरी वा स्थान प्राप्त होगा । मेरा अभिप्राय भारत स है ।' मजदूर दल के सता म आते ही लाड बिक्नेहैंड के स्थान पर वज्रबुड बेन को भारत सचिव नियुक्त किया गया । भारतीय त्रिपथी पर विचार विमश करने के लिय लाड इरविन को सदन बुलाया गया जो जून स अक्टूबर 1929 तक इ ग्लण्ड रह । 25 अक्टूबर 1929 को वे भारत लौटे और 31 अक्टूबर को उठाने एक घोषणा की जो इरविन घोषणा क नाम स प्रसिद्ध है ।

इरविन घोषणा में कहा गया था कि "1917 की घोषणा में यह बात अतर्निहित है कि अतंत भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त हो।" इस घोषणा में यह भी कहा गया था कि साइमन रिपोर्ट के प्रकाशित होने के शीघ्र बाद लंदन में गोल मेज सम्मेलन बुलाया जायगा जिसमें सम्राट की सरकार ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से मिलेगी ताकि अंतिम प्रस्तावों पर (भारतीय स्व-शासनिक समस्या के सम्बन्ध में) अत्यधिक सहमति प्राप्त हो सके जिसे सरकार संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

इरविन घोषणा में शब्दावली को बड़ी सावधानी से प्रयोग किया गया था। इसमें न तो औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की बात कही गयी थी और न ही उसके लिये कोई तिथि निश्चित की गयी थी। फिर भी, जैसा कि डॉ० जकारिया ने लिखा है, वेन और इरविन ने भारतीय समस्या के प्रति यथ, ईमानदारी और समानता का दृष्टिकोण अपनाया।"

इरविन घोषणा के 24 घण्टे के भीतर ही (1 नवम्बर 1929) भारत के प्रमुख नेता दिल्ली में एकत्रित हुए। इसमें कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य, उदारवादी नेता हिंदू महासभाई आदि शामिल हुए।¹ इन नेताओं में एक घोषणा पत्र निकाला² जिसमें "भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिये" वायसरॉय के प्रयासों की प्रशंसा की गयी थी। घोषणा में यह भी कहा गया था कि भारतीयों में विश्वास पैदा करने के लिये और उनसे सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार को कुछ कार्य करना चाहिये। (जैसे राजनीतिक बाँटवों को छोड़ दिया जाय) और कुछ बिंदुओं को स्पष्ट कर देना चाहिये। घोषणा में यह आशा भी व्यक्त की गयी थी कि "सम्मेलन को इसलिये नहीं बुलाया जा रहा था कि वह इस बात पर विचार विमर्श करे कि अधिराज्य को कब स्थापित किया जाय बल्कि उसे इसलिये बुलाया जा रहा था कि वह भारत के लिये अधिराज्य संविधान के निर्माण पर विचार विमर्श करे।"

ब्रिटिश संसद में विवाद तथा भारतीय नेताओं की निराशा— ब्रिटिश संसद में लार्ड इरविन की घोषणा पर उग्र प्रतिक्रिया हुई। चर्चिल, लार्ड ब्रिक्के हेड, लार्ड रीडिंग और अथ अनुदारवादी राजनीतिज्ञों ने सरकार पर आलोचना का पहलू गिरा

- 1 दिल्ली में जो नेता इकट्ठे हुए उनमें प्रमुख थे गांधी, दोनो नेहरू, डॉ० अंसारी, प० मदन मोहन मालवीय सरदार पटेल, डॉ० मूजे श्री ऐनी बेसेंट, सर तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, इत्यादि। इन सब नेताओं ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये थे।
- 2 सब श्रीसुभाष चंद्र बोस और श्री निवास आयंगर ने घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किये।

दिया। भारत के लिये औपनिवेशिक राज के प्रस्ताव को चर्चित ने "अपराध (Crime) की सजा दी। मजदूर दल ग दती धमता या साहस नहीं था कि व अपन चुनाव चापलाभा का पूरा कर सक। यह भारतीय समस्या के समाधान के लिए अपन अस्तित्व का भी सतरे म नहीं डालना चाहता था। परिणाम स्वतः विरोधियों को सन्तुष्ट करने के लिये बड़े अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया और यह बतान का प्रयास किया कि भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वायसराय लार्ड इरविन न भारतीय नेताओं की घोषणा का न तो कोई उत्तर ही दिया और न ही राजनीतिक बदिया को मुक्त किया।

ब्रिटिश गसद म हुए वाद विवाद के फलस्वरूप, कुछ बातों का स्पष्टीकरण करने के लिये मोतीलाल नेहरू, सप्रू, पटेल, जिन्ना आदि के साथ गांधीजी ने 23 दिसम्बर 1929 को लार्ड इरविन से नोट की।¹ परन्तु इरविन इस बात में निश्चित उत्तर देने में असमर्थ थे कि "गोन मेज सम्मेलन का भारत के लिये प्रौढी वशिक स्वराज का आधार पर नवीन सविधान का निर्माण करने के लिये बुलाया जा रहा है। इस तरह वायसराय से यह भेंट निरर्थक सिद्ध हुई और गांधीजी ग्ल्ला के खाली हाथ लौटे।

पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार—कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन— दिसम्बर 1929 के अंतिम दिना में कांग्रेस का वापिक अधिवेशन, ५० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, रावी के किनारे आरम्भ हुआ। 31 दिसम्बर 1929 को मध्यरात्रि के समय बडाके की सर्दी में परन्तु साहस जोश और त्याग की भावना में कांग्रेस ने वह प्रस्ताव पास किया जो 'पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव' के नाम से प्रसिद्ध है।² इस प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने अपने विधान की प्रथम धारा में उल्लिखित "स्वराज्य" शब्द के अर्थ को 'पूर्ण स्वतंत्रता' में परिवर्तित कर दिया। दूसरे शब्दों में भारत के लिये 'पूर्ण स्वतंत्रता' की प्राप्ति कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। प्रस्ताव में जिन अर्थ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया था उनमें प्रमुख थीं (i) नेहरू प्रतिवेदन को वापस ले लिया गया, (ii) गोल मेज सम्मेलन में भाग लेना व्यर्थ है, (iii) सभी कांग्रेसियों से अनुरोध किया गया कि वे अपना सारा ध्यान स्वतंत्रता प्राप्ति में लगा दें (iv) कांग्रेसी चुनाव में भाग न लें और विधान सभाओं तथा नरकारी समितियों से त्याग पत्र दें तथा (v) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को न बात के लिये अधिवृत्त कर दिया गया कि वह जब उचित समझे अहिंसक सैनिक

इसी दिन कोल्हापुर से लौटते समय दिल्ली के निक्ट वायसराय की ट्रेन में नीचे बम फटा था और वे बाल बच्चे थे। सुभाष और आयोगगर इस प्रस्ताव से सन्तुष्ट नहीं थे। वे लाहौर अधिवेशन से उठकर चले गये और उन्होंने 'कांग्रेस प्रजातांत्रिक दल (Congress Democrat Party) के नाम से पृथक सगठन का निर्माण किया।

अवज्ञा आ-दोलन को शुरू कर दे। इस तरह "पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव" ने सविनय अवज्ञा आ-दोलन की भूमिका को तयार कर दिया।

स्वतन्त्रता दिवस—कांग्रेस कायकारिणी समिति ने 2 जनवरी 1930 को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतन्त्रता दिवस मनान का निश्चय किया गया। सारे भारत में प्रतिज्ञाओं सहित यह दिवस हर गांव और नगर में मनाया गया। प्रतिज्ञा में स्वतन्त्रता के अधिकार को भारतीय लोगों का अहर्नीय (inalienable) अधिकार बताया गया था। प्रतिज्ञा में यह भी कहा गया था कि "हम उस शासन को अस्वीकृत रहना, जिसने हमारे देश का चौमुखी विनाश किया है, ईश्वर और मनुष्य के प्रति अपराध समझते हैं। परंतु हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये हिंसा ही प्रभावकारी उपाय नहीं। इसलिये हम ब्रिटिश सरकार से यथासम्भव स्वेच्छापूर्वक असहयोग की नीति अपनायेग और कर-बंदी (लगान बंदी) सहित सविनय अवज्ञा आ-दोलन की तयारी करेंगे।

देश में अशांत वातावरण—सन् 1928-29 में भारत में राजनीतिक आर्थिक कठिनाइयों के कारण असंतोष फैल रहा था, युवक सघों का विस्तार हो रहा था और प्रातिवारी घटनाएँ फैल रही थीं। युवा पीढ़ी नहरू प्रतिवेदन के "अपनिवेशिक स्वराज" और कांग्रेस के अहिंसक साधनों से असंतुष्ट थी। बंगाल, बम्बई और पंजाब में अनेक युवक सघों और विद्यार्थी सघों का निर्माण हो चुका था। श्रमिक वर्ग में भी चेतना और उद्यमिता का विकास हो चुका था। बम्बई की कपड़ा मिलों, कलकत्ता की पटसन मिलों और जमशेदपुर के लोहा उद्योगों में गम्भीर हड़तालें हुई थीं। इनसे न केवल सामान्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा बल्कि उद्योग भी अस्त-व्यस्त हो गये। जब मार्च 1929 में श्रमिक सघों के 31 नेताओं को बंदी बनाया गया तो श्रमिक वर्ग के असंतोष की सीमा नहीं रही। लाहौर में प्रातिवारियों ने साण्डर्स (Saunders) की, जिसने लाला लाजपत राय पर लाठियाँ की बौद्धिकता की थी, हत्या कर दी। सरदार भगतसिंह और बटुश्वर दत्त ने केन्द्रीय विधान सभा में बम फेंक कर भारतीयों में जागृति पैदा करने की कोशिश की।¹ जब प्रातिवारियों ने जेल में अभद्र व्यवहार और साधारण सुविधाओं की अनुपस्थिति के विरुद्ध भूख हड़ताल शुरू कर दी तो सरकार का दृष्टिकोण कठोर हो रहा। भूख हड़ताल के कारण एक प्रातिवारी जतेन्द्रनाथ दास की मृत्यु हो गयी। देश ने उसे शहीद का सम्मान दिया। इसकी मृत्यु ने देश की युवा पीढ़ी में अद्वितीय जोश पैदा कर दिया। किसानों की दशा भी बहुत दयनीय थी। सन् 1928 में बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, बारदोनी के किसानों ने कर-बंदी आ-दोलन को सफलता पूर्वक चलाया था। इसने न केवल गुजरात के किसानों में बल्कि सारे देश में अद्वितीय जागृति पैदा कर

1 यह अभियोग "मेरठ पडयंत्र अभियोग" के नाम से प्रसिद्ध है।

2 यह अभियोग लाहौर पडयंत्र अभियोग के नाम से प्रसिद्ध है।

दी थी। इस आन्दोलन की सफलता पर ही गांधीजी ने पटेल को उनके साथ लिये 'सरदार की उपाधि दी थी। उपयुक्त सभी घटनाओं से गांधीजी को विश्वास हो चला था कि यह अहिंसक सविनय अवज्ञा आन्दोलन को शुरू न किया गया तो भारत हिंसक आन्दोलन में फस जायगा।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन-नमक सत्याग्रह (डाण्डी यात्रा) (Civil Disobedience Movement-Salt Satyagraha (Dandi March))

31 दिसम्बर 1929 की मध्य रात्री को 'पूर्ण स्वतंत्रता' के प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद से गांधीजी इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रहे थे कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन को किस प्रकार आरम्भ किया जाय। साबरमती में 14 से 16 फरवरी 1930 को हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा गांधीजी को आन्दोलन शुरू करने के लिये अधिकृत कर दिया गया था। गांधीजी ऐसे कानून को तोड़ कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन को शुरू करना चाहते थे जो भारत के गरीब से गरीब और असहाय से असहाय व्यक्ति पर भा प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था। इसके लिये उन्होंने नमक कानून को चुना और डाण्डी में इतने कानून को तोड़कर आन्दोलन को शुरू करने के विचार को व्यक्त किया। नमक सत्याग्रह में वे सत्र तत्व विद्यमान थे जो उच्च कोटि की रणनीति (Strategy) में विद्यमान होते हैं। जसाकि ताराचंद ने लिखा है कि इसमें "आश्चर्य शक्तियाँ साधनी तथा शत्रु की सेनाओं को सब आर से घेरने और ललकारने की सामान्य उपलब्धि, ड्रामा आदि सभी तत्व विद्यमान थे। यह एक अजीब युद्ध था जिसमें हानियाँ, दुर्घटनाएँ तथा कष्ट सभी एक पक्ष के लिये थे।"¹

नमक सत्याग्रह को शुरू करने से पूर्व, अपने सामान्य आचरण के अनुसार, गांधीजी ने वायसराय लाड इरविन को 2 मार्च, 1930 को एक पत्र लिखा। इस पत्र को आश्रम निवासी रेजिनाल्ड रोनाल्ड्स (Reginald Reynolds) द्वारा वायसराय तक पहुँचाया गया। इस पत्र में गांधीजी ने वायसराय को यह समझाने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिये अभिशाप क्यों है और वे नमक कानून को क्या ताड़ना चाहते हैं।

इस पत्र से पूर्व गांधीजी अपने पत्र यंग इण्डिया द्वारा सरकार को पढ़ने का दण की विगडती हुई आर्बिन और राबनीति स्थिति से अवगत करा चुके थे। यंग इण्डिया में गांधीजी ने भारतीय असंतोष को व्यक्त किया था और यह विचार

¹ Tara Chand History of the Freedom Movement in India, Vol iv pp 124 125

व्यक्त किया था कि यदि इसे दूर करने का प्रयास नहीं किया गया तो देश में हिंसक शांति की सम्भावना हो सकती है।

वायसराय लाड इरविन न गांधीजी के पत्र और विचारों का बड़े संक्षेप में उत्तर दिया। उन्होंने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि गांधीजी ऐसे वाय को करने जा रहे हैं जिससे न केवल सावजनिक कानून की उल्लंघना होगी बल्कि सावजनिक शांति भी खतरे में पड़ जायगी। गांधीजी ने अपने प्रत्युत्तर में लिखा कि "बड़ी नम्रता से मैंने रोटी की मांग की थी परंतु मुझे पत्थर मिला है। अंग्रेज जाति केवल शांति को पहचानती है। मुझे वायसराय के उत्तर पर तनिक भी आश्चय नहीं। जिस शांति को राष्ट्र जानता है वह केवल सावजनिक कारागार की शांति है। मैं इस कानून को अस्वीकार करता हूँ और लादी गयी शांति की दुःखद एकरसता को तोड़ना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ क्योंकि इसमें स्वतंत्रता के कारण राष्ट्र का सांस रुक (गला घुट) रहा है।"

डाण्डी यात्रा अपनी योजना के अनुसार गांधीजी ने 12 मार्च, 1930 को प्रातः 6½ बजे 61 वय की आयु में सावरमती आश्रम से उस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू किया जिसका इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं। यह यात्रा डाण्डी यात्रा के नाम से विख्यात है क्योंकि डाण्डी¹ नामक स्थान पर नमक बना कर नमक कानून की उल्लंघना की जानी थी। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना इल्वा (Elba) से लौटने पर नेपोलियन की 'पेरिस माच'² और राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिये मुसोलिनी की 'रोम माच' से की है।

डाण्डी यात्रा में, गांधी सहित, 79 सदस्य थे। यात्रा शुरू होने पर लगभग 75000 लोगो ने गांधीजी तथा उनकी पार्टी को प्रतिनाम्रो और शुभकामनाम्रो के साथ विदाई दी। नहरूजी ने गांधीजी और स्वयं सेवका के मनोभाव को इस प्रकार व्यक्त किया है "उनमें प्रतिभा की अग्नि है, दुःखी देशवासियों का असीम प्रेम है। इससे भी बड़ा सत्य प्रेम और स्वतंत्रता प्रेम है जो नमरा भुलसा देता है तथा प्रेरित करता रहता है।" जैसे जैसे यात्रा अपनी मजिल की ओर आगे बढ़ी वैसे वैसे राष्ट्र और विश्व की नजर डाण्डी पर पड़ने लगी। डाण्डी की गूँज सारे राष्ट्र में दृष्टिगोचर होती थी। स्वतंत्रता, प्रेरणा, उत्साह त्याग और बलिदान पर्यायवाची प्रतीत होते थे। बल्लभ भाई पटेल सदेश वाहक के रूप में यात्रा के आगे आगे चलते और लोगो को गांधीजी के आगमन की सूचना देते और यात्रा का उद्देश्य समझाते। जारा लोगो न गांधीजी तथा उनकी पार्टी का अभिनंदन किया। रामगोपाल लिखते कि "गांधीजी के छोटे दल की यात्रा का प्रभाव विजयी सेना के बड़े जलूस के समान था। राष्ट्र को नव उद्देश्य की प्राप्ति की घोषणा कर रहा था।"

¹ डाण्डी एक गाव का नाम है जो गुजरात के समुद्री तट पर स्थित है। सावरमती आश्रम से यह 241 मील की दूरी पर स्थित है।

241 मील के फासले की यात्रा को 24 दिन में तैयार किया गया और यात्रा 5 मील को डाण्डी पहुँची। 6 अप्रैल, 1930 को समुद्र में स्नान करने के बाद, गांधीजी न किनारे पर पड़े नमक को उठाकर उस साम्राज्य के कानून की उल्लंघना की बिना पर कभी सूय अस्त नहीं होता था। सरोजनी नायडू ने "कानून तोड़ने वाला" कह कर गांधीजी का अभिवादन किया।

डाण्डी में पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई लाठी या गोली नहीं चलायी, किसी को बंदी नहीं बनाया। इसका कारण यह था कि नमक सत्याग्रह और डाण्डी यात्रा का सरकार बड़ी गम्भीरता से नहीं ले रही थी। इसे वह पागलपन के सिवाय कुछ नहीं समझती थी। उसका विश्वास था कि यह तो या स्वयं सम्पादन ही जायगी या इसे वापस ले लिया जायगा। इंग्लिश दैनिक पत्रों और सम्वादनामों ने नमक सत्याग्रह और डाण्डी यात्रा की खिल्ली तक उड़ाई। दी स्टेट्समैन (The Statesman) ने अपने सम्पादकीय में लिखा था कि "महात्मा गांधी समुद्र के पानी को उस समय तक उवाल सकते हैं जब तक श्रीपनिवेशिक स्वराज प्राप्त नहीं हो जाता। ब्रेस्फोर्ड ने डाण्डी यात्रा को "प्रान्ति की किडरगाटन अवस्था" कह कर पुकारा। उन्होंने इस विचार की हँसी उड़ाई कि "समुद्र के पानी को नेतली में उवाल कर सम्राट को अपदस्थ किया जा सकता है।"

जहाँ विदेशी पत्रकारों ने नमक सत्याग्रह और डाण्डी यात्रा की खिल्ली उड़ाई वहाँ राष्ट्रीय पत्रकारों ने इन विचारों की नतिकता, पवित्रता और शुद्धता का अत्यधिक प्रचार किया। देशवासियों को स्वतंत्रता की नई प्रेरणाओं से अत्यंत प्रोत्साहित किया। वाम्ये क्रानिकल (Bombay Chronicle) ने लिखा कि "मानव जाति के इतिहास में देश भक्ति की लहर कभी भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी कि इस समय था। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के इतिहास में यह महान आंदोलन की महान शुरुआत रहेगी।"

डाण्डी में नमक कानून को तोड़ने की सूचना मिलते ही सार राष्ट्र में बिना दौड़ गयी। भारतीय मूल में हलचल पैदा होगी माना गांधीजी ने उनमें नया मूलक दे दिया हो। जगह-जगह पर नमक कानून को तोड़ा गया। जहाँ नमक कानून को नहीं तोड़ा जा सकता था वहाँ अथवा कानून को तोड़ा गया, उदाहरणतया मध्य प्रांत में "जंगल कानून" (Forest Law) और कलकत्ता में 'राजद्रोह सभा अधिनियम' (Sedition Law) का तोड़ा गया। शराब अधीन और विदेशी वपड़े की दुकानों पर धरौटे लिये गए, जलूस निकाले गए, सावजनिक सभाओं की गयी, कारखानों और मिला में हड़तालें की गयी, बहिष्कार की नीति सर्वत्र अपनायी गयी एक स्थान पर 200 राजस्व कमचारियों (पटेल और पटवारियों) ने अपने घरों से रयाग पत्र दे दिये कर-बन्दी (No-tax Campaign) का भी शुरू किया गया, भारतीय धन और पुलिस ने घण्टी बजी कि नमक सत्याग्रहियों को अपना भारी समर्थन।

आन्दोलन में गति और प्रेरणा फूटने के लिये गांधीजी ने धरसना नमक वक्स (Dharsana Salt Works) पर सामूहिक धावा बोलने का निश्चय लिया और वायसराय को एक पत्र द्वारा इस निश्चय की सूचना दी। परंतु इससे पूर्व कि गांधीजी धरसना नमक वक्स पर धावा बोल पाते उन्हें 5 मई, सुबह 1 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पूना में यवदा जेल पहुंचा दिया गया। गांधीजी की गिरफ्तारी देश में सनसनी पदा कर दी। विदेशों में भी गांधीजी की गिरफ्तारी पर खेद प्रकट पा गया। पनामा, सुमात्रा, नरोबी, फ्रांस जमनी आदि देशों में भारतीयों ने हड़तालें की तथा प्रदर्शन किये।

जैसे जैसे आन्दोलन में गति आती गयी वैसे वैसे सरकार का दमन चक्र बढ़ता गया और दबदबा की सीमा तक पहुंच गया। नेताओं को बंदी बना लिया गया, निहत्थे सत्याग्रहियों पर लाठिया बरसायी गयी, प्रदर्शन करने वाली भीड़ों पर गोलियों की बोझों की गयी, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लोगों को आतंकित करने के लिये

स्तरवाद गांधियों का प्रयोग किया गया, बड़ी सख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया एक अनुमान के अनुसार एक लाख लोगों को जनवरी 1931 तक बंदी बना लिया गया था, भ्रवंध नमक को जप्त किया गया, परदे में स्त्रियों की तलाशी ली गयी, सभाओं और जलूसों पर प्रतिबंध लगा दिये गये कांग्रेस तथा उसकी समितियों को ही नहीं बल्कि उनसे सम्बंधित या उनसे हमदर्दी रखने वाली सस्थाओं का भी भ्रवंध घोषित कर दिया गया। जेलों में बड़े लगाना और सावजनिक स्थानों पर सावजनिक रूप से दण्डित करना सामान्य बातें थी। अध्यादेश पर अध्यादेश जारी किये गये, राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करने के सभी साधनों पर प्रतिबंध लगा दिये गये, 1910 के प्रेस ऐक्ट को पुन जीवित किया गया, दैनिक पत्रों पर पाबंदिया लगा दी गयी, उनसे जमानतें ली गयी तथा उन्हें जप्त कर लिया गया। दमन के बाद भी सत्याग्रही वही कार्य करते जिसकी मनाही अध्यादेश करते। सत्ता का उल्लंघन प्रतिदिन की घटनायें थी। सारे देश में अनिश्चितता का वातावरण था।

आन्दोलन के दौरान "अधिकारियों ने इस प्रकार का व्यवहार किया माना श्रिटिश शासन उगड रहा हो और यवद से बबर तरीके अपना कर भी उम बचाना श्रावश्यक हो।" गांधीजी ने सरकारी अत्याचार दमन और दबदबा का इन शब्दों में व्यक्त किया, "डापरवाद भी इनके सामने फीका पठ जाता है।" मजिस्ट्रेटों और पुलिस का इतना अधिकार दे दिये गये कि मानो "उनकी इच्छा ही कानून हो।" वोरगद वारणली और यारसद में पुलिस अत्याचार का नरक भ्रवयनीय है। वोरगद में 21 जनवरी 1931 को गिरफ्तार न किया जा नीचे फेंककर अपना बूटा में उनकी छातिया को लताड़ा। अधिकारियों ने उन लोगों का आतंकित किया जा आन्दोलन में शामिल नहीं थे। उनका अपराध केवल यह था कि उन्होंने पुलिस अत्याचार और दमन के बाद गली बूचा में पायल और गून में तनपत पड़े सत्याग्रहियों को भाजन, पानी या महारा दिया था।)

गांधीजी की गिरफ्तारी और सरकार का दमन सत्याग्रहियों को ह्मा-
न कर सका और गांधीजी की अनुपस्थिति में भी आन्दोलन तीव्र गति में चलता
प्रोग्राम के अनुसार 21 मई 1930 को 2,500 सत्याग्रहियों द्वारा सरोजनी ;
और श्री इमाम के नवृत्व में धरसना नामक वस्त्र पर धावा बोला गया। यह
के पुत्र मनीलाल और उनके मंचिव प्यारेलास भी स्वयंसेवकों में थे। धरसना
सरकारी दमन और सत्याग्रहियों के अनुशासन को बच मिलर, जाज सोलोनी
ब्रेंसफोर्ड आदि विद्वानों पत्रकारों ने अपने पत्रों में भेजे गए सम्पादकीय में व्य-
क्त किया है। मैनचेस्टर गार्जियन (Manchester Guardian) के लिये लिखी गयी रिपोर्ट
में ब्रेंसफोर्ड ने लिखा था कि सत्याग्रहियों के लिये "लाठी के प्रहार का सामना
करना सम्मान का प्रश्न बन गया और शहीद होने की भावना से हजारों स्वयंसेव-
कों को घात के लिये बाहर जाते।" न्यू किमैन के सम्पादकदाता वच मिलर ने धरसना
के आलोचकों को इस प्रकार व्यक्त किया है "अठारह वर्ष तक 22 वर्षों में
संवाद संग्रह के काम में मैनचेस्टर उपद्रव, सघष, गली बूचों में जम कर लड़ी नहीं
लड़ाईयाँ और विद्रोहों को मैन देता है। परन्तु जिन दुःखद दृश्यों को मैन धरसना में
देता है उन्हें मैन बर्भी नहीं देता। बर्भी ये दृश्य इतने पीडाजनक होते थे कि कुछ छात्रों
के लिये मुँह आँसू फेर लेनी पड़ती थी। सबसे आश्चर्यजनक बात स्वयंसेवकों के
अनुशासन की थी। ऐसा दिखाई देता था कि वे गांधीजी की अहिंसा सम्मोद प्राप्त थे"
किसी सत्याग्रही ने पुलिस प्रहार की रोकने के लिये हाथ तक नहीं उठाया जिन पर
प्रहार होता वे गिर जाते जो बच रहते वे कतार की तोड़े बिना शांति से हट
तक चलत रहते जब तक वे पुलिस प्रहार से गिर नहीं पड़ते। प्रत्येक सत्याग्रही
जानता था कि कुछ ही मिनटों में उसे नीचे गिरा दिया जायगा परन्तु फिर भी
किसी के चेहरे पर सन्नोच या भय नहीं था कोई लड़ाई नहीं थी, कोई सघष नहीं
था सत्याग्रही केवल आगे बढ़ते रहे जब तक उन्हें प्रहार से गिरा ही नहीं किया
जाता।' १

बडाला नामक डिपा पर 22 मई 1930 को धावा बोला गया। यहाँ के
दृश्य के बारे में रामगोपाल लिखते हैं कि 'गाली की प्रत्येक आवाज सत्याग्रहियों
के लिये मातृभूमि की पुकार थी और घायल सत्याग्रहियों की दृढ़ की बूँद साहस का
संकेत थी।' ताराचंद ने भी लिखा है कि "यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें एक
पक्ष दूसरे पक्ष की पशु शक्ति के आघार पर आतंक फैलाने की इच्छा के विरुद्ध एक
सहन करने की इच्छा रखता था। गांधीजी ने अपने कार्यक्रम की सत्यता और
श्रीचित्त की प्रस्तुत कर दिया था और जन मानस से उसकी पुष्टि कर दी थी। दुर्-
किशोर लिखते हैं कि "भारतीय न ही तो भुके और न ही पीछे हटे। इसी न इतना
को शक्तिहीन और भारत को अज्ञेय बना दिया था।"

उत्तर पश्चिमी सीमा प्राप्त म खान अब्दुल गफ्फार ग्रा-फिटियर गाधी क नेतृत्व म 'खुदाये खिदमतगार' (Khudai Khidmatgar)—रेड शर्ट (Red Shirt)—नाम की सस्था को स्थापित किया। इसका उद्देश्य भी देश को स्वतंत्र कराना तथा भूला का रोटी और नगो को बपड़ा देना था। पेशावर म 10 दिन तक ब्रिटिश सत्ता (25 अप्रैल स 4 मई 1930) विल्कुल समाप्त हो गयी और सत्ता लोग व हाथ म आ गयी।

गवर्नय भवना आन्दोलन के सम्बन्ध म राम गोपाल लिखते हैं कि "यह सारा मामला भारतीय था सत्याग्रही भारतीय थे, गोली तथा लाठी बरसाने वाले सिपाही भारतीय थे, शारीरिक और मानसिक यातना देने वाले भारतीय थे और प्रतिशोध (वदले) के रूप म जिन पुलिस कमचारियों को दण्डित किया गया व भारतीय थे।"

तीन महीने व प्रातः प्रत्याचार और दमन व बाद, जिसम सड़के व्यक्तिया को अपनी जान स हाथ धोने पड़े और हजारों व्यक्ति घायल हुए, सरकार सविनय भवना आन्दोलन पर नियंत्रण करने म सफल हुई। फिर भी आन्दोलन नहीं हुआ यह भूमिगत हो गया। "भारत 1930" (India 1930) म सरकार न स्वयं स्वीकार किया कि गुजरात म "कर बग्गी आन्दोलन को पर्याप्त सफलता मिली,"

सविनय भवना आन्दोलन की उपलब्धियाँ

सविनय भवना आन्दोलन की अनेक उपलब्धिया भी थी। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि भारतीय राष्ट्रीयता स्वतंत्रता के लिये लालायित हो उठी। स्वतंत्रता व वार म भारतीया के हृदय म अज कोई भिन्न या शका नहीं थी। इससे सभी प्रभावित थे और सभी के मुँह पर एक ही आवाज थी कि अग्रजो का अवश्य ही भारत स चल जाना चाहिये। "इसने यह सिद्ध कर दिया कि भारतवासी लहू और आँसू बहा कर भी जीवित रहना जानते हैं।"¹ इस आन्दोलन की दूसरी उपलब्धि यह थी कि इसने अहिंसा की शक्ति को प्रदर्शित कर दिया। तीसरे, स्त्रिया न भी इस आन्दोलन मे अपनी शक्ति त्याग और बलिदान का परिचय दिया। चौथे कांग्रेस तथा उससे हमदर्दी रखने वाले संगठनों पर प्रतिबन्ध लग जाने स समाचारो का प्रसारित करने के लिये और लागो को साठित करने के लिय "प्रभात फेरिया" (Prabhat pheris) और वानर सेना (Vanar Sena) जसी सस्थाओं का जन्म दिया गया। पाचवें, विशेष दिवसो को राष्ट्रीय स्तर पर मनान के विचार का जन्म गया—स्वतंत्रता दिवस, गांधी दिवस, मोतीलाल नेहरू दिवस, फिटियर दिवस शहीद दिवस, ऋण्डा दिवस आदि मनाये जाने लगे।

आन्दोलन के प्रति मुसलमानों का दृष्टिकोण—ग्रसहयाग आन्दोलन की भाँति मुस्लिम लोग न सविनय भवना आन्दोलन म कोई भाग नहीं लिया। जिनाता

¹ (From Dyr. by to Self Govt Pt I, Labh...)

तरीका के कटु आलाचक थे। जिन्ना का कहना था कि "हम गांधी व साथ शामिल हुए से इन्कार करते हैं क्योंकि उनका आन्दोलन भारत की पूरा स्वतंत्रता क लिये नहीं मान्यु भारत के 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदू महासभा के आश्रित बना देने के लिये है। इतना ही नहीं, जिन्ना मुस्लिम वर्गों और सगठनों को गोल मेज सम्मेलन में बज लेने के लिये प्रेरित करते रहे और औपनिवेशिक राज्य की मांग करते रहे। वायसराय लाड इरविन ने मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक रखने का पूरा प्रयास किया। 13 मई 1930 को वायसराय लाड इरविन ने मुसलमानों को सुरक्षा का विश्वास द्वा म दिया 'राजनीतिक समस्या के किसी समाधान को तब तक सतोपजनक नहाना जायगा जब तक उसे महत्वपूर्ण अल्पमता का समर्थन प्राप्त नहीं होगा।' इस तर्क वायसराय ने मुसलमानों को वीटो का अधिकार देकर उनकी असदिग्ध भक्ति को खरीद लिया। परंतु इस पर भी अग्रवास तैयबजी, अबुल कलाम आजाद, अन्नाज जैस राष्ट्रवादी मुसलमानों और जमायत उल उलामा, अहरारुल इस्लाम, सगरे विदमतगार और राष्ट्रवादी मुसलमानों के सगठनों ने कांग्रेस का साथ दिया।¹ समझौते का प्रयास जब आन्दोलन चल रहा था और सरकार का दस्त जारी था ता अंग्रेज पत्रकार सोलोकीम्ब और सर तेजवहादुर सप्रू तथा एम० आर० जयकर जत उदारवादियों ने कांग्रेस और सरकार के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया। परन्तु समझौते के ये प्रयास असफल रहे क्योंकि वायसराय वास्तव में इन मांगों को मानने के लिये तयार नहीं थे कि ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होने के भारतीयों के अधिकार को स्वीकार किया जाय, राष्ट्रीय-सरकार की स्थापना कर उस लोगो के प्रति उत्तरदायी बनाया जाय सावजनिक ऋणों के सम्बन्ध में भारतीयों को निष्पक्ष जाच का अधिकार दिया जाय और राजनीतिक विदिया का छाड़ दिया जाय। वायसराय कांग्रेस की इन मांगों को असम्भव समझते थे, इसलिये समझौते का प्रयत्न असफल हुए।

प्रथम गोल मेज सम्मेलन (First Round Table Conference)

गोल मेज सम्मेलन का विचार स्वयं ब्रिटिश शासकों का नहीं था। स्वराज दल ने सर्वप्रथम 8 फरवरी 1924 का केन्द्रीय विधान सभा में एन प्रस्ताव में भारत की सर्वैधानिक समस्या पर विचार करने के लिये एक प्रतिनिधिक गोल मेज सम्मेलन की मांग की थी परन्तु ब्रिटिश शासन उक्त समय इसके लिये तयार नहीं था। मार्च 1928 में गोल और वायसराय एम सम्मेलन बुलाने का पार विरावी थे। परंतु जून 1928 में सर्वेधानिक सम्मेलन की धमकानता के बाद भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का प्रभाव गयी थी, गविन्दय धरणा का गठन व पारगण राष्ट्रीय भावनायें बढ़े वगैरे सब

लगे और 1930 में साइमन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने से उसकी उग्र आलोचना होने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने 12 नवम्बर 1930 को इंग्लैंड में गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया।

गोल मेज सम्मेलन का गठन गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें 57 ब्रिटिश भारत के थे, 16 भारतीय देशी राज्यों के थे और 16 ब्रिटेन के प्रमुख तीन राजनीतिक दलों के सदस्य थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों को भारत के प्रतिनिधि कहना गलत होगा। प्रथम इसलिये कि इनका चयन न तो भारतीय जनता ने निर्वाचन द्वारा किया था और न ही भारतीय राजनीतिक दलों ने इनका चयन किया था। दूसरे, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तीसरे, वायसराय लाड इरविन ने इनका चयन राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं बल्कि सम्प्रदाय, जाति, वर्ग और हिन्दू के आधार पर किया था। चौथे वायसराय ने ऐसे लोगों का चयन किया जो उग्र राष्ट्रीय विचारों के नहीं थे, जो नम्र स्वभाव के थे, जो बहिष्कार की नीति में विश्वास नहीं करते थे तथा जो भारत की ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहने के ही इच्छुक थे।¹ ब्रेलमफोर्ड ने ठीक लिखा है कि "से ट जेम्स प्रासाद में भारतीय नरेश, हरिजन, सिक्ख, मुसलमान, हिन्दू, ईसाई, जमींदार, मजदूर सबों और वाणिज्य सभा के प्रतिनिधि सम्मिलित थे परन्तु भारत माता (कांग्रेस) बड़ा उपस्थित नहीं थी।" यह 'बिना दूल्हे के बरात थी।' स्पष्ट है कि जिन सदस्यों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वे सिवाय अपने-अपने भारत में और किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।

सम्मेलन की कायवाही 12 नवम्बर, 1930 को ब्रिटिश सम्राट् जाज पंचम ने से ट जेम्स प्रासाद में सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधान-मंत्री मैकडोनाल्ड ने की। सम्मेलन 19 जनवरी 1931 तक चला। मैकडोनाल्ड ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ही उन आधारों का उल्लेख कर दिया जिन पर विचार-विमर्श किया जाना था। ये आधार मुख्यतया तीन थे (i) भारत के लिये सघीय व्यवस्था। इसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव था। (ii) भारत में उत्तरदायी सरकार। इसके अंतर्गत केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रस्ताव था। परन्तु केंद्र में मुद्रा और विशेष विभाग गवर्नर जनरल के अधीन रखने का भी प्रस्ताव था। (iii) अंतरिम काल में रक्षकमन्त्रिणियान (Statutory Safeguards) की व्यवस्था की जायगी।

सम्मेलन के पूर्णाविवेशन (Plenary Session) में ही जो 17 में 21 नवम्बर तक हुआ, उन आधारों का समय कर दिया जिन पर भारत का भावी गवर्नरानिर्माण किया जाना था। विवाद का आरम्भ करते हुए मंत्र न भारतीय मण और घण (United India) भारत की मांग की। देशी रियासतों के राजाओं की आ-

से बोलते हुए बीकानेर के राजा ने 'सघ और 'स्वशासन' के विचारों का समर्थन किया। भोपाल के नवाब ने भी सत्ता के हस्तान्तरित करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि 'हम केवल स्वशासित और सपीय ब्रिटिश भारत के साथ हानि नहीं हैं।' जिना और मोहम्मद शफी ने भी सघ और अधिराज्या की समानता के विचार का समर्थन किया। जयकर का तो यह कहना था कि "यदि आप भारत को आज औपनिवेशिक स्वराज्य दे दें तो स्वतंत्रता की आवाज अपने आप समाप्त हो जायगी।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि किसी भी अल्पमत ने स्वशासन की मांग का विरोध नहीं किया। सभी भारतीयों को सत्ता हस्तान्तरित करने के पक्ष में थे और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। इस दूसरी उपलब्धि यह थी कि 'सामान्य हित के लिए सामान्य विषय पर विचार करने हेतु भारतीय एक स्थान पर एकत्रित हुए।'

सम्मेलन की सबसे बड़ी असफलता साम्प्रदायिक प्रश्न पर थी। अल्पमत को सौपा गया था वह इनका समाधान करने में असफल रही और इसी के कारण सम्मेलन असफल हुआ। बहुसंख्यक 'संयुक्त निर्वाचन प्रणाली' के पक्ष में यद्यपि वे अल्पसंख्यकों के लिए स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए तैयार थे। डॉ० अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। जिना ने अपनी 14 मांगों पर बल दिया और सिक्ख सदस्य सरदार उज्जलसिंह अपने हितों के संरक्षण की मांग करने लगे। इस तरह अल्पसंख्यकों ने चेतावनी दी कि जब तक सविधान अल्पमत के हितों की रक्षा नहीं करता और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा नहीं करता तब तक उन्हें कोई सविधान स्वीकार नहीं होगा। अल्पसंख्यक भारत का जो स्वरूप सम्मेलन के प्रारम्भ में उबरता हुआ नजर आ रहा था वह डूबता हुआ नजर आने लगा।

एसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि साम्प्रदायिकता, जाति वर्ग या हित के आधार पर मनोनीत किए गये सदस्यों से इससे अधिक अच्छे व्यवहार की आशा भी नहीं की जा सकती थी। जिन हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें वहाँ मनाया गया था उहाँन ठीक वैसा ही किया। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता की नहीं अपनी जाति वर्ग या हितों के अधिकारों की सुरक्षा की चिन्ता थी।

समस्याओं का वृत्तन करते हुए वेन ने 29 नवम्बर 1930 का कहा था कि सबसे गम्भीर समस्या हिन्दू-मुस्लिम मतभेदों की है। वस्तुतः ब्रिटिश शासन ने सम्मेलन द्वारा यही प्रदर्शित करना चाहते थे। ताराचन्द ने ठीक लिखा है कि सम्मेलन का उद्देश्य भारत की एकता को प्रदर्शित करने के स्थान पर उसका निर्याता का प्रचार करना था।

कारण सम्मेलन में पृथक रह कर भारतीय स्वतंत्रता के हितों की रक्षा अधिक अच्छे ढंग से कर सकी। ब्रिटिश सरकार और जनता भारतीय स्वतंत्रता की

भाग के महत्व को समझने लगी। सम्मेलन में भारत के लिये सघीय व्यवस्था और आरक्षण सहित उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया।

गांधी-इरविन समझौता या दिल्ली समझौता-5 मार्च, 1931

(Gandhi-Irwin Pact or Delhi Pact-5 March, 1931)

कारण—सन् 1930 के अत होते होते ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने अनुभव कर लिया था कि कांग्रेस को तुष्ट किये बिना भारत की सवधानिक समस्या के बारे में कोई निणय लेना सम्भव नहीं। दी टाइम्स जैसे पत्रों ने भी लिखा था कि “गांधी, दोनो नेहरूयो, मालवीय या पटेल के बिना किसी भी भारतीय शिष्टमण्डल को प्रतिनिधि मण्डल के रूप में नहीं देखा जा सकता।” दूसरे सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारण कांग्रेस के महत्व और प्रभाव में वृद्धि से सरकार की बेचनी भी बढ़ रही थी, गुजरात, यू० पी०, और बंगाल के कुछ भागों में कर-रद्दी आन्दोलन (no tax campaign) से सरकार परेशान थी, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त में आतंकवादियों की गतिविधियों से सरकार चिन्तित हो रही थी, कानून की अवज्ञा, कमचारियों की हत्या, दंगे आदि साधारण बात बन गयी थी। ये सब घटनायें सरकार के नैतिक अस्तित्व को धराशाही किये जा रही थीं। ठीक इस समय ब्रिटेन गम्भीर विश्व आर्थिक मन्दी से घिरा हुआ था और वह स्थिति को हाथ से निकलने देना नहीं चाहता था। सारी स्थिति को शांत करने के लिये और कांग्रेस की सदभावना और सहयोग को प्राप्त करने के लिये प्रधानमंत्री मैकडोनेल्ड, भारत सचिव वेजवुड वेन और वायसराय लार्ड इरविन इच्छुक हो रहे थे। यही कारण है कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन के समाप्त होने के बाद जब उदारवादी नेता सप्रू न प्रधानमंत्री मैकडोनेल्ड से राजनीतिक विवादों के प्रति दया की अपील की तो उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण उत्तर दिया। 26 जनवरी 1931 को गांधी सहित कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को छोड़ दिया गया और कांग्रेस सगठन पर लगी कानूनी पाबंदियाँ हटा लीया।

दूसरी ओर गांधीजी भी सरकार से साथ समझौते का रास्ता ढूँढ रहे थे। व अनुभव कर रहे थे कि 1920 के आन्दोलन की भाँति सविनय अवज्ञा आन्दोलन को सार राष्ट्र का समर्थन नहीं था, मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया था, हिंसा की घटनायें बढ़ रही थी और लोगों का साहस ढीला पड़ रहा था। जेल से छूटने के बाद वम्बई में एक वक्तव्य में गांधीजी ने कहा था कि “मैं शांति के लिये तालाशित हूँ यदि इसे सम्मानपूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।”

जब प्रथम गोल मेज सम्मेलन के बाद उदारवादी नेता सचरी सप्रू, जयकर और वी० एस० शास्त्री भारत वापस लौट तो उन्होंने गांधीजी में अनुरोध किया कि वे वायसराय लार्ड इरविन से भेंट करें। इनके अनुरोध पर ही गांधीजी 17 फरवरी 1931 का लार्ड इरविन से मिले। इन दोनों की बातचीत 15 दिन तक चलती रही। 5 मार्च 1931 को शान्ति के इच्छुक, दाना नेताओं में एक समझौता हुआ

जो इतिहास में गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। जसाकि रामगोपाल ने लिखा है कि "राजनीतिक आन्दोलनों के इतिहास में पहली बार वायसरॉय ने कानून तोड़ने वाले आन्दोलन के नेता के साथ समझौता किया।" गांधी-इरविन समझौते की शर्तों को, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, तीन भागों में बांटा जा सकता है (1) गांधीजी द्वारा स्वीकृत शर्तें, (2) इरविन द्वारा स्वीकृत शर्तें (3) सवधानिक समस्या पर वातचीत के आधार की शर्तें।

1 गांधीजी द्वारा स्वीकृत शर्तें-गांधी-इरविन समझौते में गांधीजी ने शर्तों को स्वीकार किया उनमें प्रमुख प्रभावित थी—

- (i) सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर दिया जायगा।
- (ii) कांग्रेस द्वितीय गाल मेज सम्मेलन में भाग लेगी।
- (iii) सभी प्रकार के विरोध का समाप्त कर दिया जायगा।
- (iv) राजनीतिक अस्त्र के रूप में ब्रिटिश वस्तुओं के विरुद्ध बहिष्कार की नीति को रोक दिया जायगा परंतु दशो वस्तुओं का प्रचार में अधिकार होगा।
- (v) पुलिस व्यवहार के सम्बन्ध में किसी सार्वजनिक जांच की मांग नहीं की जायगी क्योंकि ऐसा करने से आरोप और प्रत्याराप को जन्म मिलेगा।
- (vi) यदि कांग्रेस इस समझौते के उत्तरदायित्व का नहीं निभायगी तो सरकार कानून और व्यवस्था लागू करने के लिये उचित क़ायदाएँ

2 इरविन द्वारा स्वीकृत शर्तें गांधी-इरविन समझौते में इरविन ने शर्तों को स्वीकार किया उनमें प्रमुख निम्न थी—

- (i) गर-भारतीय वस्तुओं (विदेशी कपड़े) और मादक वस्तुओं (शराब और अफीम) की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरणी के अधिकार को स्थापित किया गया।
- (ii) आदालत से सम्बन्धित सभी अध्यादेश (ordinances) और विनियम (ordinances) का वापस ले लिया जायगा।
- (iii) आदालत के सम्बन्ध में बनाये गये सभी राजनीतिक विधियाँ जो जिनके विरुद्ध हिंसा के आरोप थे, छोड़ दिया जायगा।
- (iv) समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में बिना नमक के बिलों का निर्माण किया जायगा। परंतु स्थानीय बाजारों में ही लागा का नमक बचन की योजना होगी जो वह जहाँ के लोगों के साथ व्यापार करने की योजना नहीं दी जायगी।
- (v) तुमान और जमानता का, यदि उन्हें नहीं किया गया, माफ कर दिया जायगा।

- (vi) अतिरिक्त पुलिस को वापस ले लिया जायगा ।
- (vii) अचल सम्पत्ति का, जिसे तृतीय पक्ष को बेचा नहीं गया हो, वापस कर दिया जायगा ।
- (viii) गैर-फ़ानूनी आधार पर प्राप्त की गयी राशि (dues) की दशा में सरकार क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगी ।
- (ix) जिन सरकारी कर्मचारियों ने आन्दोलन के दौरान अपने पदों को त्याग दिया था उनकी पुनः नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार उदार नीति का अनुसरण करेगी ।

3 वातचीत का आधार—गांधी इरविन समझौते की यह विशेषता भी थी कि इसमें गोल मेज सम्मेलन में सर्वैधानिक समस्या पर वातचीत के आधार का भी उल्लेख किया गया था । इसमें कहा गया था कि “जहाँ तक सर्वैधानिक प्रश्नों का सम्बन्ध है, भावी वातचीत का उद्देश्य होगा भारत के लिये सर्वैधानिक सरकार की उम योजना पर आगे विचार करना जिम पर प्रथम गोल मेज सम्मेलन में चर्चा हुई थी । उस योजना के मुख्य अंग हैं—सघातमय व्यवस्था, भारतीया की अपनी उत्तरदायी सरकार तथा सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, अल्पसंख्यकों की स्थिति, भारत का वित्तीय ऋण और दायित्वों का निवाह जमे बुद्ध मामला में भारत के हित में आवश्यक आरक्षण और रक्षापाय ।”

समझौते पर प्रतिक्रिया—गांधी इरविन समझौते पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई । कांग्रेस का वामपंथी बंग और भारत की युवा पीढ़ी इसकी कटु आलोचक थी । सुभाष चंद्र बोस के लिये यह समझौता निन्दनीय था क्योंकि यह “सरकार के प्रति आत्म समर्पण था ।” नेहरू के लिये यह एक “मदमा” या क्वाकि आरक्षण और उत्तरदायी सरकार में कोई मेल नहीं था । नेहरूजी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि “मुझे समझौते की धारा 2 से बहुत मदमा हुआ ।” इन दोनों नेताओं का विश्वास था कि समझौते द्वारा गांधीजी ने “आन्दोलन में भारत का बेच दिया है ।”

समझौते से युवा पीढ़ी अत्यन्त रुष्ट थी । उसका विश्वास था कि समझौता अपने किसी उद्देश्य को प्राप्त न कर सका । समझौते पर अभी स्याही भी नहीं सूखी थी कि सरकार ने भगतसिंह, राजगुरु और सुब्रह्मण्य जैसे देशभक्त वीरों को 23 मार्च 1931 को फाँसी दे दी । इस तरह युवा पीढ़ी की गांधी इरविन समझौते पर यह प्रतिक्रिया थी कि यह न तो इन वीरों की रक्षा कर सका, न उनका वानन को रद्द करवा सका जिसके विरुद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया गया था, न उहिण्वार की नीति पर अटल रह सका जिसे आन्दोलन के दौरान अहिंसक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया था और न ही स्वतंत्रता के लिये किसी ठोस नीति का स्वीकार करा सका । इस तरह जिना बुद्धि दिये या बचनबद्ध हुए सरकार आन्दोलन का समाप्त करवाने में सफल हुई । जमावि एच० मुन्शी ने लिखा है कि “सांभ्राज्यवाद ने राष्ट्रवाद के साथ संधि तो अवश्य की परन्तु अपनी गतों पर ।” दो टाट्म ने

भी लिया कि "इस प्रकार की विजय किसी वायसराय को बहुत कम मिला है यही कारण है कि जब समझौते का समयन करन के लिये कांग्रेस की बैठक 29 मार्च 1931 को हुई ता गांधीजी का स्वागत वाले भण्डो स किया गया और बड़ा कठिनाई से समझौते का अनुसमयन किया गया।

कांग्रेस का दक्षिण पन्थी वग ही समझौते का समयक था। उसका विश्वास था जैसाकि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद न लिखा है, कि 'यह पहला अवसर था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता की प्रतिनिधि सस्था से समानता के आधार पर बातचीत और समझौता करना स्वीकार किया। इससे कांग्रेस का महत्त्व बढ़ गया।' नेहरू जी ने भी आत्मकथा में लिखा है कि "समझौते के बाद वे लोग भी कांग्रेस के निकट आने शुरू हो गये जो उपप्लव के दिना में उससे दूर थे, सम्प्रदायवादिनों (Communalists) ने भी कांग्रेस से समझौता करने का प्रयास किया।" वे० एम० मुंशी का भी मत है कि समझौता 'भारतीय इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है।"

यह सत्य है कि कांग्रेस ने समझौते का वराची में अनुसमयन कर दिया, यह भी सत्य है कि गांधीजी ने समझौते को दोनों पक्षा की विजय कहा परन्तु समझौता किसी रूप में कांग्रेस की विजय नहीं थी। युवा पीढ़ी का यह विचार सत्य प्रतीत होता है कि बिना कुछ प्राप्त किये गांधीजी ने आत्म समर्पण कर दिया। अधिक सं अधिक शब्दा में यह कहा जा सकता है कि समझौता कर्त्ताओं की सद इच्छा का व्यक्त करता है। जैसाकि जकारिया ने कहा है कि 'समझौता दोनों पक्षा की उच्च दश भक्ति और सद्भावना का स्मारक चिह्न है।' परन्तु यह बात दोनों के अनुयायियों, विशेष कर ब्रिटिश नौकरशाही या वायसराय लाड इरविन व उत्तराधिकारी लाड विलिंग्टन के लिये नहीं कही जा सकती।

दूसरी ओर, चर्चित जस कट्टर अनुदारवादियों का विश्वास था कि 'इरविन न ग्रेट ब्रिटेन को बेच दिया है।' और "ब्रिटिश साम्राज्य (अथ) अथ नग फतीर का वृषा पर निर्भर करता है। समझौता ब्रिटिश साम्राज्य (अथ) अथ नग फतीर का घमण्ड में प्रमथ्य व्यवहार की आदत पड़ गयी थी, अवश्य क्लेशवद्ध व (पशुविषा जनक) था। अब उम एसा निश्चित व्यवहार करना था जिसकी उम आदत नहीं उसे अब समझौते के एक पक्ष के रूप में व्यवहार करना था, शांतिपूर्ण धरणा सहन करना था, गर वानूनी रूप से प्राप्त की गई राशि की सूचिया तयार कर थी। इस समानता या अपमान की स्थिति को सहन करन के लिये ब्रिटिश नौकरशाही तयार नहीं थी। यही कारण है कि लाड विलिंग्टन के वायसराय बनत ही नौकरशाही न समझौते की उपधा ही नहीं की वलिये उमकी गुल्लमपुल्ला उल्लेखनी भी था। जब गांधीजी ने समझौते की उल्लेखना की निरायत वायसराय ने भी और इन हानता दृग्गण्ट जान का अनिच्छा प्रकट की तो वायसराय ने इन शकाम्रा का निरापार दृग्गण्ट जान का अनिच्छा प्रकट की तो वायसराय ने इन शकाम्रा का निरापार

मात हुए निमत में 25 अगस्त 1931 का द्वितीय समझौता (Second Settlement)

ment) किया जिसमें गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गयी। गांधीजी के सुझाव पर वायसराय ने सम्मेलन के सदस्यों में मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू के नामों का जोड़ दिया। उनका नाम व्यक्तिगत स्थिति में रखा गया था। परन्तु वायसराय ने डॉ० ब्रसागी के नाम को यह कह कर जोड़ने से इंकार कर दिया कि मुसलमानों का इसमें आपत्ति है। इस तरह यहाँ भी वायसराय विनिर्गटन के वाग्रेस का हिंदू जमात सिद्ध करने का प्रयास किया।

गांधीजी एस० एस० राजपूताना नामक जहाज से 29 अगस्त 1931 को द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिये इंग्लैंड खाना हो गये। वाग्रेस ने, कराची सम्मेलन में, केवल गांधी को ही अपना एक मात्र प्रतिनिधि नियुक्त किया था।

द्वितीय गोल मेज सम्मेलन

(Second Round Table Conference)

द्वितीय गोल मेज सम्मेलन इंग्लैंड में 7 सितम्बर, 1931 का शुरू हुआ और 1 दिसम्बर 1931 को समाप्त हुआ। प्रथम गोल मेज सम्मेलन की भांति द्वितीय गोल मेज सम्मेलन भी साम्प्रदायिक समस्या का समाधान न कर सकने के कारण असफल हुआ।

प्रतिकूल परिस्थितियाँ—द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में परिस्थितियाँ भारत के अनुकूल नहीं थी। इंग्लैंड में सरकार के स्वरूप और भारत में विनिर्गटन के वायसराय के पद पर आने से भारत सरकार की विचारधारा में परिवर्तन हो चुका था। यद्यपि अब भी प्रधान मंत्री पद पर रज्जे मैकडोनाल्ड ने परन्तु अक्टूबर चुनावों के कारण उनका दल बहुमत रख चुका था। नव निर्वाचन में अनुदारवादियों और उदारवादियों की स्थिति प्रभावपूर्ण थी। उप प्रधान मंत्री पद पर अनुदारवादी नेता वेल्डविन थे, ब्रिटिश सरकार का स्वरूप राष्ट्रीय था और भारत सचिव पद पर वेजवुड वेन के स्थान पर कट्टर अनुदारवादी सेमुअल होर विराजमान थे। अनुदारवादी गांधी इरविन समझौते से क्रुद्ध थे, वे वाग्रेस के साथ समानता साभेदारों या समझौते के आधार पर विचार-विमर्श करने के लिये तैयार नहीं थे, वे उसकी मांगों को धिक्करेहीन समझते थे और उनको कुचरने पर उताह थे। इसलिये सम्मेलन में अनुदारवादियों ने भारत के प्रतिश्रियावादी तत्वों से मित्र बन ऐसी चालें चली कि मूल प्रश्न पीछे रह गये और तुच्छ प्रश्न उभर कर सामने आये। डॉ० जकारिया लिखते हैं कि “1930 में श्री वेन के अधीन सम्मेलन विपरीत की वास्तविक मयुक्त मंत्रणा था परन्तु 1931 में श्री सेमुअल होर के अधीन यह मंत्रणा करने वाला आडम्बरीय समाज की वृष्टिकारी वपौती थी जिसे समाप्त किया जा रहा था।”

सम्मेलन का गठन—सम्मेलन में कुल 107 सदस्यों ने भाग लिया। वाग्रेस की ओर में उनके एक मात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया। वाग्रेस को छोड़ कर बाकी सब भारतीय सदस्यों की नियुक्ति साम्प्रदायिक

या वर्गीय आधारों पर की गयी थी। वे भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे बल्कि अपने सम्प्रदाय, वग या हिंदू का ही प्रतिनिधित्व करते थे। जसाहि गांधीजी ने कहा था कि 'अब सब दल साम्प्रदायिक हैं। कांग्रेस ही केवल सारे भारत और सब हिता के प्रतिनिधित्व का दावा कर सकती है। यह कोई साम्प्रदायिक संस्था नहीं। किसी भी रूप में यह साम्प्रदायिकता की कट्टर शत्रु है। कांग्रेस नल्ल नग और धर्म का भेद भाव नहीं जानती। इसका मंच सबके लिये खुला है। प्रायः ही केवल ऐसी संस्था है जिसका प्रभाव 70,000 ग्रामों पर है। कांग्रेस ही सारे अल्पमतों का प्रतिनिधित्व करती है।' सम्मेलन में अब उन ब्रिटिश प्रतिनिधियों को लिया गया था जैस लार्ड वर्किनहेड, सेमुअल होर, जो या तो साम्राज्यीय या कांग्रेस विरोधी दृष्टिकोण अपनाते थे। उन ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को सम्मेलन में नहीं लिया गया जो भारत के प्रति उदार या सहभावना की नीति अपनाते थे।

(i) भारत के भावी सवधानिक ढांचे पर और (ii) अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर। परंतु दोनों विषयों पर कोई-समझौता न हो सका। जहाँ गांधी तथा अय रिड् सदस्य "भारतीय हिता में आरक्षण सहित उत्तरदायी संधीय सरकार की बात बतें थे वहाँ मुस्लिम सदस्य इसे असाध्य (unworkable) मानते थे। दशों रियासतों के प्रतिनिधियों को भारतीय स्वतन्त्रता में अब कोई रुचि नहीं थी क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं भारतीय स्वतन्त्रता से उनके पृथक् अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न न हो जाये। दरभंगा के महाराजाधिराज और वॉबिल के राजा ने, जो स्वयं बड़े जमींदार थे, जमींदारों के लिये पृथक् संरक्षणों पर बल दिया।

सबसे दुःपद दृश्य अल्पसंख्यकों की उस समिति में देखने को मिले जहाँ न केवल मुस्लिम सदस्यों का दृष्टिकोण ही अराष्ट्रीय और प्रतिक्रियावादी था बल्कि सिक्खों, दलित वर्गों और अन्य अल्पमत वालों और वर्गों का दृष्टिकोण भी प्रतिक्रियावादी था। मुस्लिम सदस्य पंजाब और बंगाल में पूर्ण बहुमत चाहते थे लखनऊ सम्मेलन के अनुसार गुजरात चाहते थे तथा केन्द्र में बहु प्रतिनिधित्व चाहते थे, सिक्ख मुसलमानों की भांति पंजाब में गुजरात चाहते थे यूरोपीय बंगाल में गुजरात की बात कर रहे थे, डा अम्बेडकर व नेतृत्व में दलित गण पृथक् निवाचन की मांग कर रहे थे, जमींदारों के वर्गीय हिता का संरक्षण चाहते थे।

सम्मेलन में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों और भारतीय प्रतिक्रियावादी तत्वों गठ-गठ (गम-गम) कर रखी थी। मुसलमानों द्वारा अपनाय गये दृष्टिकोण के सम्मेलन में तान्त्रीक लिये हैं कि उन व्यक्तियों से बात करना अगम्य है जो धर्म धर्म की परम मूल्यता में ही विश्वास करते हैं।' उनके नेता में बात करना प्रायः दोबारा के साथ बात करना है। अंग्रेजों के दृष्टिकोण का समुद्र होर व इन लोगों में व्यक्त किया जा सकता है कि "इन व्यक्तियों का काले व्यक्ति व समझ भ्रमन के लिये करना गरी तान्त्रिक।"

द्वितीय गोन मेज सम्मेलन में गांधीजी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाकर साम्प्रदायिक समझौते की बात कर रहे थे। परन्तु उनके ग्रथक प्रयासों और अपीलों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। 8 अक्टूबर, 1931 को गांधीजी ने कहा कि “बड़े दुख और मान मदन के साथ मुझे इस बात की घोषणा करनी पड़ रही है कि भिन्न भिन्न समूहों के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक बातचीत द्वारा साम्प्रदायिक समस्या पर समझौता करने में मैं असफल हुआ हूँ।”

1 दिसम्बर 1931 को सम्मेलन के समापन भाषण में मैकडोनल्ड ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उसने भारत के लिये सरकारों सहित उत्तरदायी सरकार सघीय व्यवस्था, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर प्रान्त बनाने और सिंध को पृथक् करने के सकेत दिये थे। इस पर गांधीजी ने कहा कि हमारे “रास्ते और नीतियाँ” अलग-अलग हैं। मुस्लिम लीग मैकडोनल्ड के वक्तव्य पर बहुत प्रसन्न थी और आगा खा मुसलमानों की मांगों को स्वीकार कराने के लिये मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन को मिला कर एक मुस्लिम संगठन बनाने की अपील कर रहे थे।

उपयुक्त वरान से स्पष्ट है कि द्वितीय गाल मेज सम्मेलन में भारत के विरुद्ध अनक शक्तियाँ काम कर रही थी। ब्रिटिश शासक भारत की प्रतिक्रियावादी शक्तियों से समझौता करके साम्राज्यीय चालें चल रहे थे और भारत की प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ जो साम्प्रदायिकता पर ही चल रही थीं सही दृष्टिकोण को अपना कर ब्रिटिश खेल को ही खेल रही थीं। जहाँ कांग्रेस भारत की स्वतन्त्रता और अखण्डता के लिये सम्युक्त रूप प्रस्तुत करना चाहती थी वहाँ लीग तथा अन्य मुस्लिम सदस्य अपना पृथक् अस्तित्व जताने में तुल्य हुए थे।

इतना हाने पर भी सम्मेलन ने सघीय 'यायपालिका, सघीय विधान मण्डल के संगठन और भारतीय रियासतों के अखिल भारतीय सघ में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में कुछ निर्णय ले लिये थे। साम्प्रदायिक समस्या के निर्णय को ब्रिटिश प्रधान मंत्री मैकडोनल्ड पर छोड़ दिया गया था। यही पर उस मैकडोनल्ड पचाट या साम्प्रदायिक पचाट के स्रोत विद्यमान थे जिसकी घोषणा अगस्त 1932 में की गई थी और जिसने विरुद्ध गांधीजी ने आमरण अनशन रखा।

सचिनय अवज्ञा आन्दोलन का पुन आरम्भ (Resumption of Civil Disobedience Movement)

गांधीजी इंग्लैंड से खाली हाथ लौटे। 28 दिसम्बर, 1931 को वे जब बम्बई पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भारत अध्यादेशों द्वारा शासित हो रहा था। गांधी इरविन समझौते की उल्लंघना खुल्लमखुल्ला की जा रही थी। कांग्रेस और सरकार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे थे। सरकार का कहना था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कर वदी आन्दोलन को उत्साहित कर रही थी, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खाँ और उनके भाई खाँ साहिव के नेतृत्व में

खुदाई खिदमतगार सविनय भ्रवज्ञा आन्दोलन की तैयारी कर रहे थे। बगल में नातिवारियो की हिंसक घटनायें बढ़ रही थी। दूसरी ओर विलिग्टन काग्रेस तथा साथ किसी प्रकार का समझौता या साभेदारी करने के लिये तैयार नहीं थे। वे तो कांग्रेस को कुचलने पर तुल हुए थे। इसीलिए देश में अध्यादेशों का जाल बिछा रखा था, उत्तर प्रदेश और सीमा प्रान्त में अध्यादेशों द्वारा शासन चल रहा था, बगल तो सनिक शासन के अधीन था। ऐसे अध्यादेश जारी किये गये थे कि अपराधियों की अनुपस्थिति में भी उन पर मुकदमे चलाये जा सकते थे। प्राधिक कठिनाइयों के बावजूद भी सरकार भूमि कर वसूल करने पर उत्तारु थी। नेहरू, शरवानी, पुरपोत्तम दास टण्डन, खान अब्दुल गफार खा, खाँ साहिब आदि नेता जेलों में थे।

गांधीजी ने दमन और अत्याचार को देखत हुए 29 दिसम्बर 1931 को वायसराय लाड विलिग्टन से, बिना किसी पूर्व शर्त के भेंट की प्राथना की। परन्तु वायसराय ने भेंट देने और सरकार द्वारा अपनाये गये कठोर उपायों के बारे में बात करने से इनकार कर दिया। सविनय भ्रवज्ञा आन्दोलन को शुरू करने के अनिश्चित काग्रेस के पास अब और कोई विकल्प नहीं था। अतः कांग्रेस ने 3 जनवरी 1932 को वायसराय के वाक्योपदेशों सहित सविनय भ्रवज्ञा आन्दोलन को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी।

सविनय भ्रवज्ञा आन्दोलन के शुरू होने ही सरकार ने कठोर अध्यादेशों और दमन के पहाड़ को कांग्रेसिया पर गिरा दिया। दो दिन के अन्दर (2 जनवरी से 4 जनवरी 1932 तक) 5 अध्यादेश जारी किये गये और अगले 5 अध्यादेश फरवरी से जुलाई 1932 तक जारी किये गये।¹ गांधीजी तथा सरदार पटल को, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 4 जनवरी 1932 को ही बन्दी बना लिया गया। कांग्रेस तथा उसकी सहायक संस्थाओं को अवैध घोषित कर दिया गया। कांग्रेस तथा उसकी सरकारी न बन्ना कर लिया, कांग्रेसियों के घरों और सम्पत्ति तथा उनके गहनों और फर्नीचर तक को नष्ट किया गया, कांग्रेसियों को डाक-तार की सुविधाओं से वंचित कर लिया गया कांग्रेस स्वयंसेवकों को किसी प्रकार का आश्रय देना अपराध बना लिया गया सावजनिक सभाओं, जलूसों पर पाबन्दी लगा दी गयी, राष्ट्रीय पत्रों को या तो जप्त कर लिया गया या उन पर कठोर नियंत्रण लगा दिया, सोन (स्त्रिया मजिद) बन्नी बनाया गया। सुभाष बोस लिगत हैं कि "एक सप्ताह में" कांग्रेस के न केवल इंग्लैंड बन्नी बनाया गया कि वह ब्रिटिश वस्तुओं के साथ ही ब्रिटिश वस्तुओं की नीति का प्रचार करत थे बल्कि उन्हें इतना ही बन्नी बना

¹ See Tara Chand Ibid, p 179

गया कि वे "भारतीय वस्तुओं को मरीदन" का प्रचार करते थे। सरकार का यह विश्वास था कि वह कांग्रेस के साथ युद्ध की स्थिति में है, क्योंकि वह उसकी सत्ता को उखाड़ना चाहती है इसलिए उन (कांग्रेस को) बुचलना आवश्यक है। जसा कि समुग्रल हार न कहा था कि हमारी सत्ता का ललकारने वाले का दमन करने के लिये हम हर सम्भव बाय करन के लिये दृढ सवल्प थे।'

कांग्रेस की प्रत्येक गतिविधि का दमन सरकार ने बड़ी निदयता से और पूरी शक्ति के साथ किया। भारत के सामान्य जीवन पर सरकार का पूरा नियंत्रण था, भारत अध्यादेशों द्वारा शासित था। अत्याचार और दमन की कोई सीमा नहीं थी। बटर्लैंड रसल लिखते हैं कि "नाजियों के दुष्कर्मों के प्रति लोग की रचि में कोई कमी नहीं परंतु इंग्लैंड में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यह अनुभव करते हैं कि ऐसे दुष्कर्म ब्रिटिश द्वारा भारत में भी किये जा रहे हैं। समुग्रल हार ने काँग्रेस में स्वयं स्वीकार किया कि जो उपाय अपनाये गये वे "प्रचण्ड और उग्र थे। परंतु सरकार के द्वारा बर्बर तरीके अपनाये जाने पर भी वह कांग्रेस, सत्याग्रहियों, स्वयं सेवकों और भारतीयों के साहस को "छ सप्ताह" में जिसकी तब यह आंदोलन चलता रहा। प्रतिवधो और कठिनाइयाँ के बावजूद भी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में श्री रणछारदास की अध्यक्षता में हुआ जिसमें 700 प्रतिनिधियाँ न भाग लीया। अत्यधिक गिरपतारियाँ होने से आंदोलन स्वयं ढीला पड़ने लगा। 8 मई 1933 का गांधीजी को जेल से रिहा कर दिया गया, 19 मई को गांधीजी ने 12 सप्ताह के लिये आंदोलन को रोक दिया और 14 जुलाई का इसे रोक दिया। यद्यपि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 9 महीनों तक गौर चलता रहा परंतु उसे भी 7 अप्रैल 1934 को समाप्त कर दिया।

आंदोलन को स्थगित करना अपनी पराजय को स्वीकार करना था। मुभाप बोस और विटठल भाई पटेल न इसकी बड़ी आलोचना की और गांधीजी के नेतृत्व को ही चेतावनी मिलनी शुरू हो गयी। 28 नवम्बर 1934 को गांधीजी स्वयं कांग्रेस से पृथक् हाँ गये और अपना समय हरिजनों के उद्धार में व्यतीत करने लगे।

मैकडोनाल्ड या साम्प्रदायिक पचाट (Mac Donald or Communal Award)

प्रथम और द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में साम्प्रदायिक समस्या का निवारण करने के लिए "अल्पमता की उप समिति" (Minorities Sub-committee) का गठन किया गया। परंतु जिना और डा० अम्बेदेकर के साम्प्रदायिक और सङ्कुचित दृष्टिकोण के कारण यह समिति साम्प्रदायिक समस्या का वाई विश्वसनीय एव सभी को स्वीकृत हल न निकाल सकी। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के अंत में ने कि 'साम्प्रदायिक समस्या को हल करने का उत्तरदायित्व

भारतीयों का है। यदि वे इस समस्या का कोई ऐसा हल न निकाल सकें जो हमें को स्वीकृत हो तो ब्रिटिश सरकार को स्वयं अपनी ओर से इसका कोई हल निकालना पड़ेगा।' साम्प्रदायिक समस्या का जो हल ब्रिटिश सरकार ने निकाला वह इतिहास में मैकडोनेल्ड या साम्प्रदायिक पचाट के नाम से प्रसिद्ध है। इस पचाट की धारणा 17 अगस्त 1932 को की गयी। घोषणा करते समय मैकडोनेल्ड ने यह भी कह दिया कि इसे लागू करने से पूर्व यदि भारतीय किसी और योजना पर सहमत होते जाते हैं तो ब्रिटिश सरकार को वह योजना स्वीकार होगी।

साम्प्रदायिक पचाट की योजना को केवल प्रांतीय विधान सभाओं में ही लागू किया जाना था। केन्द्रीय विधान सभा के निर्णय के प्रश्न को अनिर्णीत छोड़ दिया गया था क्योंकि उसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी अंतर्निहित था।

साम्प्रदायिक पचाट की विशेषताएँ

साम्प्रदायिक पचाट की मुख्य विशेषताएँ निम्न थीं—

1 साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को प्रणाली की विविधता—साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की जिस प्रणाली को अर्थात् अल्पमतों के लिये पृथक निर्वाचन की प्रणाली को 1909 के अधिनियम में लागू किया गया था तथा जिसे 1919 के अधिनियम में 10 वर्गों और हिता में विभक्त कर दिया गया था उसे इस पचाट ने 17 वर्गों और हिता में विभक्त कर दिया। इस पचाट ने उन वर्गों और हिता को अल्पमत मान कर पृथक निर्वाचन और निश्चित स्थान प्रदान कर दिये जिन्होंने इसकी मांग तक नहीं की थी। उदाहरणतया स्त्रियों और मान्य भारतीयों ने पृथक निर्वाचन की मांग नहीं की थी परन्तु उन पर भी यह पद्धति लागू कर दी गयी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर, प्रत्येक प्रांतीय विधान सभा में स्त्रियों के लिए लगभग 3 प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिए गए और उन्हें भी विभिन्न समुदायों में विभक्त कर दिया गया।

साम्प्रदायिक पचाट ने जिन वर्गों और हिता को अल्पमत स्वीकार किया उनमें मुख्य निम्न थे—

- (1) मुसलमान (2) दलित वर्ग (3) पिछड़ी जातियाँ, (4) भारतीय ईसाई, (5) आंग्ल भारतीय, (6) यूरोपियन, (7) वाणिज्य (8) उद्योग, (9) बन्धु और वागाव सभ, (10) जमींदार (11) श्रम, (12) विश्वविद्यालय, (13) सिक्ख (पंजाब में) (14) मराठा (बम्बई में), और (15) स्त्रियाँ।¹

इस पचाट की विशेषता यह थी कि इसने प्रत्येक अल्पमत को पृथक निर्वाचन प्रदान किया और निश्चित स्थान प्रदान कर दिए। दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन प्रदान

¹ See Tara Chand History of the Freedom Movement in India Vol IV p 182

निश्चित स्थान देने के अतिरिक्त उन्हें साधारण निर्वाचन में भी एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार दे दिया गया।

2 गुरुभार की पद्धति साम्प्रदायिक पंचाट की दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें गुरुभार की पद्धति को अद्वितीय ढंग से अपनाया गया। उदाहरणतया जिन प्रांतों में हिंदू बहुमत था वहाँ मुसलमानों को गुरुभार तो प्रदान किया गया परंतु जिन प्रांतों में मुस्लिम बहुमत था उनमें हिंदुओं को गुरुभार प्रदान नहीं किया गया। उदाहरणतया जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों को मद्रास में 17 स्थान मिलने चाहिये थे परंतु उन्हें 29 स्थान प्राप्त हुए, यू० पी० में उन्हें 35 स्थानों के स्थान पर 66, बिहार में 20 के स्थान पर 40 और सी० पी० में 5 के स्थान पर 14 स्थान प्राप्त हुए। दूसरी ओर बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या 43 प्रतिशत थी परंतु उन्हें स्थान 32 प्रतिशत ही प्राप्त हुए। पंजाब में हिंदू 27 प्रतिशत थे उन्हें स्थान भी 27 प्रतिशत ही मिले।

साम्प्रदायिक पंचाट ने मुसलमानों, सिक्खों और यूरोपीयों के प्रति पक्षपातपूर्ण ढंग से अपनाया और हिंदुओं के प्रति नग्न अत्याय का। जिन प्रांतों में मुसलमानों का बहुमत था वहाँ उनके बहुमत को कम तो किया गया परन्तु उसका लाभ हिंदुओं को नहीं दिया गया। उसका लाभ सिक्खों और यूरोपीयों को दिया गया। उदाहरणतया पंजाब में मुसलमानों की जनसंख्या 57 प्रतिशत थी परंतु उन्हें स्थान 49 प्रतिशत दिए गए, पंजाब में सिक्खों की जनसंख्या 13 प्रतिशत थी परंतु उन्हें स्थान 18 प्रतिशत प्राप्त हुए। बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या 55 प्रतिशत थी परंतु उन्हें स्थान 47.6 प्रतिशत दिये गये। बंगाल में यूरोपीयों की जनसंख्या 01 थी परंतु उन्हें स्थान 10 प्रतिशत प्राप्त हुए। बंगाल में यूरोपीयों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 1000 गुणा स्थान देने का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश पूँजी की रक्षा करना तथा जातियाँ में शक्ति सन्तुलन को बनाये रखना था।

आलोचना—साम्प्रदायिक पंचाट की अनेक आघातों पर आलोचना की गयी जिसमें मुख्य निम्न हैं—

1 स्वस्थ राजनीतिक दलों के विकास में बाधक—साम्प्रदायिक पंचाट ने सभी निर्वाचन व्यवस्था को ऐसे ढाँचे पर खड़ा किया था—पृथक निर्वाचन प्रणाली (क्षेत्र), साम्प्रदायिक मतदान प्रणाली सुरक्षित स्थान, गुरुभार पद्धति—कि भारत में सभी भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या अन्य स्वस्थ सिद्धांतों के आधार पर राजनीतिक दलों का विकास ही नहीं हो सके और भारत की किसी विधान सभा में (केन्द्र या प्रांत में) किसी दल, जाति या वर्ग के स्वयं के बहुमत के आधार पर (केन्द्र या प्रांत में) किसी दल, जाति या वर्ग के स्वयं के बहुमत के आधार पर नियंत्रण का निर्माण न हो सके। हिंदू बहुमत वाले प्रांतों में मुसलमानों के देने का उद्देश्य यही था। इस तरह साम्प्रदायिक पंचाट भारतीय राजनीति में ऐसा विषय था जो सबका सबी और साम्प्रदायिक भावनाओं को प्राप्ताह्न दता रहता

और जिसने विधान मण्डल में "पडयानो, दलवदलुयो, सिद्धातहीन और सगल शून्य गठ ब धनो (समभौतो) के लिए द्वार खोल दिये।"

2 प्रजातान्त्रिक उत्तरदायी, स्वशासन के विपरीत साम्प्रदायिक पर प्रजातान्त्रिक देश में जाति, धर्म, या लिंग के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रजातान्त्रिक देश में जाति, धर्म, या लिंग के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली लायु नहीं किया गया था। भारतीयों को विभक्त करने की यह क्रूर चाल थी। जसाकि ताराचन्द ने लिखा है कि 'देश के टुकड़े करने और राष्ट्रीयता के विना को रोकने का इससे अच्छा और कुशल तरीका क्या हो सकता था।' यह बात में ध्यान देने की है कि भारत की साम्प्रदायिक समस्या इतिहास का परिणाम है थी। यह ऐसा विदेशी विचार था जिसे विदेशी हितों की रक्षा के लिये गढ़ा था। जब ब्रिटिश शासक भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते थे और उसे केवल मि भिन्न जानियो, धर्मों सञ्चतियों और समूहों का ही पुज मानते थे तो उन्होंने भारत के लिए प्रजातान्त्रिक उत्तरदायी और स्वशासन के ढोंग को रचा ही क्यों।

3 राष्ट्रीय एकता पर क्रूर प्रहार—साम्प्रदायिक पचाट भारत के राष्ट्रीयता और हिंदू एकता पर क्रूर प्रहार था। इसीलिए यह घृणा, तिरस्कार और विरोध का पात्र बना। वस्तुतः यह ब्रिटिश सरकार की "फूट डालो और शांत करो की नीति" का ही वृहद् रूप था। इसने न केवल मुसलमानों को भारत के अर्थ समूहों, विशेष कर दलित वर्गों को भी सामान्य जीवन से पृथक करने का प्रयास किया।

4 साम्प्रदायिक पचाट अयायपूर्ण था—इस पचाट की घोषणा तत् समय मकडोनल्ड ने यह दावा किया था कि यह किसी के साथ पक्षपात नहीं करे और सभी के हितों का ध्यान रखता है। परंतु मकडोनल्ड ने ये दावे मिथ्या थे। प्रथम यह हिंदुओं के प्रति सकीण और अयायपूर्ण था परंतु मुसलमानों के प्रति और ऐंग्लो इण्डियनों के प्रति उदार था। दूसरे यह साम्प्रदायिक समस्या का हल नहीं था। समुक्त निर्वाचन प्रणाली से ही जातीय बंधनस्य और घृणा का हल किया जा सकता था, पृथक निर्वाचन प्रणाली और गुरभार की पद्धति के विना द्वारा नहीं।

5 गांधी जी का विरोध—गांधीजी के लिए साम्प्रदायिक पचाट प्रकट था। उनका विश्वास था कि इससे हिंदुओं में स्थायी फूट पैदा हो जायेगी कि समाज विघटित हो जायेगा, प्रस्पृश्यता की बीमारी सगल के लिये भारत में जड़ें बसेगी। इसीलिए उन्होंने इसका विरोध करने के लिए आमरण अनशन किया।

गांधीजी का आमरण अनशन तथा पूना समझौता—माघ 1932 ई. गांधीजी ने समुपन होर को चेतावनी दी थी कि यदि सरकार न दलित वर्गों का भारत में सामान्य जीवन से पृथक करने का प्रयास किया तो अपने जीवा का बर्न

लगाकर भी वे इसका विरोध करेंगे। मैकडानल्ड पचाट की घोषणा हान के बाद गांधीजी ने जा उम समय जेल में थे, 18 अगस्त, 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडानल्ड का एक पत्र लिखा जिन्होंने पचाट को वापिस लेने की बात की प्रार्थना की और यह चेतावनी भी दी कि यदि इसे वापिस नहीं लिया गया तो वे आमरण अनशन (मरण व्रत) रखेंगे। क्योंकि प्रधान मंत्री का उत्तर बिलम्ब से मिला तथा पचाट के विरुद्ध पहले से ही असंतोष था इसलिए गांधीजी ने 20 सितम्बर, 1932 से आमरण अनशन की घोषणा कर दी।

गांधीजी के आमरण अनशन की घोषणा ने सारे देश में चिंता और व्याकुलता फैला दी। कुछ नेताओं ने इसकी आलोचना की और कुछ ने गांधीजी के जीवन को बचाने का प्रयास किया। डा० अम्बेदकर ने इसे राजनीतिक घूतता (Political stunt) कहा और अय आलोचकों ने इसे बलपूर्वक अपनी बात मनवाने का तरीका कहा। मदन मोहन मालवीय ने गांधीजी के जीवन को बचाने के लिए बम्बई में हिंदू नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। बाद में इस सम्मेलन का स्थान पूना कर दिया। सम्मेलन में, विचार विमर्श के बाद 25 सितम्बर, 1932 को जो हिंदू नेताओं में समझौता हुआ वह इतिहास में पूना समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते का बाद में हिंदू महासभा ने अनुसमर्थन कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया। 26 सितम्बर 1932 को गांधीजी ने अपने अनशन को समाप्त कर दिया।

पूना समझौता— पूना समझौते की मुख्य विशेषताएँ (शर्तें), निम्न थी—

1 दलित वर्गों ने अपने लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को त्याग दिया। वे सामान्य निर्वाचन के ही अग बन रहे।

2 पूना समझौते के लिए सबका हिंदू भाव को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें दलित वर्गों को कई प्रकार के संरक्षण देने पड़े। उदाहरणतया जहाँ मैकडानल्ड पचाट ने दलित वर्गों को प्रांतीय विधान सभाओं में कुल 71 स्थान प्रदान किए थे वहाँ पूना समझौते से उन्हें 148 स्थान प्राप्त हुए जो दुगुने से भी अधिक थे। दूसरे, दलित वर्गों के लिए रखे गये सुरक्षित स्थानों के लिए दोहरे निर्वाचन की व्यवस्था की गयी, प्रथम, साम्प्रदायिक पद्धति द्वारा और द्वितीय संयुक्त पद्धति (Joint electorate) द्वारा। दूसरे शब्दों में, दलित वर्गों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में दलित वर्गों के पंजीकृत (registered) मतदाता साम्प्रदायिक निर्वाचन द्वारा 4 उम्मीदवारों के पैनल (Panel) को निर्वाचित करते जिनमें से एक उम्मीदवार को संयुक्त निर्वाचन द्वारा (जिसमें हिंदू दलित वर्ग) निर्वाचित कर लिया जाता। तीसरे, दलित वर्गों का अय सामान्य स्थानों के लिए भी, जो उनके लिए सुरक्षित नहीं थे, एक अतिरिक्त मत का अधिकार दिया गया।

3 केन्द्रीय विधान सभा में भी दलित वर्ग सामान्य निर्वाचन के अग बने रहे। वहाँ भी, प्रांतीय विधान सभाओं की भाँति उनके लिए स्थान सुरक्षित कर

दिए गए जा सामान्य स्थानों के 18 प्रतिशत¹ के बराबर थे। इनके निर्वाचन-व्यवस्था भी वही थी जो प्रांतों में थी।

4 स्थानीय सस्थाओं और सावजनिक सेवाओं में दलित वर्गों को र्ण स्थान दिये गए तथा उनके विकास के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था राग गयी।

5 पूना समझौते को बाद में, सामान्य सहमति द्वारा, समाप्त किया सकता था।

पूना समझौते का मूल्यांकन—पूना समझौते की उपर्युक्त विवक्षणा स्पष्ट है कि यह समझौता केवल दलित वर्गों (Depressed classes) से र्ण था। इसने किसी रूप में अल्प मतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली या साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली या गुरुभार की प्रणाली को समाप्त नहीं किया वास्तविक रूप से भारतीय एकता और अखण्डता के लिए घातक थी तथा निर् आधार पर ब्रिटिश शासक 'फूट डालो और शासन करो' की नीति का र्ण कर रहे थे। क्योंकि पूना समझौता ब्रिटिश शासन की मूल नीतियों पर प्रहार करता था सम्भवत इसीलिए उन्होंने (ब्रिटिश शासक ने) इस स्वीकार कर र्ण पूना समझौता सम्प्रदायिक समस्या का हल नहीं था, अधिक से अधिक यह पूना समझौता द्वारा साम्प्रदायिक समस्या की विभाजन की नीति को एक नवान स समझौते द्वारा शाब्िक अर्थ में दृष्टिकोण से कम घणित था। पा² कम हो गयी परन्तु घाव की गहराई वसी ही रही।³

पूना समझौते से दलित वर्गों को विशेष लाभ हुए। प्रथम उह र्ण के अनुपात से वही अधिक स्थान प्राप्त हुए, दूसरे हिंदुओं में असमता दूर के लिए भरसक प्रयास गुरु कर दिये। अखिल भारतीय असमता विरोध (All India Anti Untouchability League) की स्थापना की गया र्ण माग्यों के भारत में गाली गयी। गांधीजी ने भी उनके उद्धार के लिये 'हरिजन नामा माप्नाहिक पत्रिका नितालनी गुरु की। हिंदू सावजनिक स्थानों में दलित वर्गों के लिए गोल दिया गया। कौयन ठीक लिखा है कि पूना समझौते में 'दलित वर्गों को नैतिक और गांधीजी का प्राध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ। हिंदुओं में नी र्णियों के राजनैतिक महत्व का गमभंग गुरु कर र्ण।

तृतीय गोल मेज सम्मेलन (17 नवम्बर-24 दिसम्बर 1932)
(Third Round Table Conference 17 Nov-24 Dec 1932)

जन 1932-35 में दोगा ब्रिटिश जागना में दाहरी नीति का र्ण किया। पर घाग गुरु र्णियाग का दाग र्णता गया और दूगगा र्णियाग

1 दलित वर्गों के अनुपात में मुनाय गवर्णािक विभाग र्ण स्थापना में गमगु ।
2 र्णितार गग र्ण र्णियाग र्णियाग र्णियाग गवर्णित गृ 179।³

का दमन किया गया। भारतीय राजनीतिक दलों से सम्पर्क बनाये रखने के लिये भारत सरकार ने, कांग्रेस को छोड़कर, एक परामशदात्री समिति (Consultative Committee) की स्थापना भी। सेमुग्रल होर ने, जो भारतीयों से सवैधानिक प्रश्नों पर विचार विमर्श का इच्छुक नहीं था, 27 जून 1932 को घोषणा कर दी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का परित्याग कर दिया गया है। परन्तु जब भारतीय उदारवादियों ने परामश समिति से त्याग पत्र दे दिया तो वायसरॉय ने घोषणा की कि भारतीय प्रतिनिधियों का विचार विमर्श के लिये इंग्लैण्ड बुलाया जायगा।

अतः तृतीय गोल मेज सम्मेलन इंग्लैण्ड में 17 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 1932 तक हुआ। यह सम्मेलन प्रथम दो सम्मेलनों की तुलना में आकार में बहुत छोटा और कायवाही में निर्जीव था। वस्तुतः यह सम्मेलन केवल दिखावा मात्र था। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, ब्रिटिश श्रमिक दल ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके प्रतिनिधि के रूप में वेजवुड वेन और ली स्मिथ सरकार को स्वीकार नहीं थे। भारतीय, नरेशों की रुचि इसमें नहीं थी। यही कारण है कि नरेशों के स्थान पर उनके मन्त्रियों या अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

सम्मेलन के समक्ष कोई मूलभूत प्रश्न उसके विचार के लिये नहीं थे। इस लिये इसकी कायवाही में कोई जान नहीं थी। सम्मेलन में केवल उही बातों की पुष्टि की गयी जिन पर निम्नलिखित प्रथम और द्वितीय सम्मेलन में लिये गये थे।

1. विधान सभा के चुनाव—जब कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को वापस ले लिया और विधान परिषद के लिए होने वाले भावी चुनावों में हिस्सा लेना का निश्चय ले लिया तो सरकार ने कांग्रेस पर लगायी गयी पाबंदियों को हटा लिया। नवम्बर 1934 में जो चुनाव हुए उनमें कांग्रेस को आशातीत सफलता प्राप्त हुई केवल पंजाब को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला। दक्षिणी भारत में कुछ प्रतिष्ठित स्थानों पर विजय प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस अब भी लोकप्रिय संस्था है और सरकार की वरतापूर्ण नीति तथा दमनकारी कानून उसके महत्त्व को कम नहीं कर सके।

श्वेत पत्र (The White Paper)—27 जून, 1932 को कॉमन सभा में दिये गए भाषण में ही सेमुग्रल होर ने घोषणा कर दी थी कि भारत के भावी संविधान के सम्बन्ध में सरकार स्वयं अपनी ओर से एक श्वेत पत्र (White Paper) जारी करेगी। तृतीय गोल मेज सम्मेलन की समाप्ति के बावजूद सरकार ने यह श्वेत पत्र 15 मार्च, 1933 को जारी किया। इस पत्र में जो संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी थी वह सूनाधिक मात्रा में साइमन रिपोर्ट पर ही आधारित थी। भाविक था कि इस श्वेत पत्र से कोई मतुष्ट नहीं था। भारतीय विज्ञान भारतीय राजनीतिक दलों यहाँ तक कि ब्रिटिश श्रमिक दल ने भी इसकी आलोचना

की। यह भारतीयों के साथ "धोया" और उनकी "उपेक्षा" के अतिरिक्त कुछ नहीं था।

इन श्वेत पत्र पर विचार-विमर्श करने के लिये लाइ लिनिंगो अध्यक्षता में संसद के दानो सदनों के 32 सदस्य (प्रत्येक सदन से 16 सदस्य) लिये एक एक संयुक्त प्रवर समिति (Joint Select Committee) का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी बैठकें 12 अप्रैल 1933 से शुरू की और 18 मास के प्रयास बाद 22 नवम्बर 1934 को अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया। इसी रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक (Bill) तैयार किया गया जिसे 22 जनवरी 1935 को प्रकाशित किया गया, 24 जुलाई, 1935 को संसद ने इसे कुछ संशोधनों सहित पास कर दिया और 2 अगस्त¹ को सम्राट की स्वीकृति मिलने पर यह भारत सरकार अधिनियम 1935 बन गया।

समीक्षा प्रश्न

(Review Questions)

- 1 "सन् 1919 की घटनाओं ने भारत की आत्मा पर बहुत गहरा छाप डाला और भावनाशील भारतीयों के लिये उन सब बड़ी सच्ची बुद्धि का जो अंग्रेजी शासन में थी वे एक प्रतीक बन गयी।" सन् 1919 के पत्र में लगाये गये मार्शल लॉ और जलिया वाला बाग की दुःघटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस कथन की विवचना कीजिये।
- 2 वामसेवकों द्वारा सन् 1920 में आरम्भ किये गये असहयोग आन्दोलन की विचारधारा तथा कार्यक्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिये। यह आन्दोलन सफल क्या नहीं हो सका ?
- 3 विचारधारा आन्दोलन के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं ? राष्ट्रीय कांग्रेस में इसकी क्या भूमिका है ?
- 4 उस परिस्थिति का उल्लेख कीजिये जिनके फलस्वरूप 1923 में स्वयंशासन पार्टी का निर्माण हुआ। कौंसिल (परिषद्) प्रवेश करने के पक्ष में उनका नेतृत्व द्वारा क्या तब उपस्थित किये गए ? स्वराज पार्टी का अर्थ उद्देश्य क्या था ?
- 5 मादमन आयोग की मुख्य सिफारिशों पर मधोप में प्रकाश डालिये। इस इरादे की सिफारिशों भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करती थी ?
- 6 'भारतीय बुद्धिमत्ता का प्रथम पुष्प नरक प्रतिबन्धन के सम्बन्ध में ही बन गया' की विवचना कीजिये। वर्तमान भारतीय संविधान और नरक प्रतिबन्धन के बीच क्या सम्बन्ध है ? क्या यह वर्तमान संविधान की रूपरेखा (blue print) है ?

1 For dates in this paragraph see Gupta DC Ibid p 169

- 7 उन परिस्थितिया का वरण कीजिये जिनमें कांग्रेस ने पूरा स्वतंत्रता के प्रस्ताव (31 दिसम्बर 1929) को पास किया। मुस्लिम लीग का इस प्रस्ताव के प्रति क्या दृष्टिकोण था ?
- 8 सन् 1930 के महात्मा गांधी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सक्षिप्त वरण दीजिये। यह आन्दोलन किस मात्रा में सफल हुआ ?
- 9 सन् 1931 का गांधी इविन समझौता किन परिस्थितियों में सम्पन्न हुआ। इसकी प्रमुख शर्तें (विशेषतयाँ) क्या थीं ? क्या ब्रिटिश नौकरशाही ने इन्हें ईमानदारी से कार्यान्वित किया ?
- 10 साम्प्रदायिक पचाट से आप क्या समझते हैं ? गांधीजी ने इसके विरुद्ध क्यों मरण व्रत रखा ? पूना समझौते में इसका क्या समाधान किया गया ?
- 11 "गोल मेज सम्मेलन का इतिहास असफलताओं का इतिहास है" इस कथन के सन्दर्भ में 1930-1931 के गोल मेज सम्मेलनों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।
- 2 सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिय —
- (i) रौलेट (काला) अधिनियम, (ii) जलियावाला बाग हत्याकाण्ड, (iii) खिलाफत आन्दोलन (iv) जिन्ना के चौदह सूत्र (v) पूरा स्वतंत्रता का प्रस्ताव (vi) डण्डी यात्रा (vii) द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (viii) साम्प्रदायिक पचाट (ix) पूना समझौता।

की। यह भारतीया व साथ "घाया" और उनकी "उपेक्षा" के अनिर्दिष्ट को
बुद्ध नहीं था।

इन शक्त पत्र पर विचार विमर्श करने के लिये लाड निरालियणो का
अध्यक्षता म मसद के दाना सदन के 32 सदस्या (प्रत्येक सदन स 16 सदस्य लिये गये)
की एक समुक्त प्रवर समिति (Joint Select Committee) का गठन किया गया। इन
समिति न अपनी वठके 12 अप्रैल 1933 से शुरू की और 18 मास के प्रयास के
वाद 22 नवम्बर 1934 को अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया। इसी रिपोर्ट के
आधार पर एक विधेयक (Bill) तैयार किया गया जिसे 22 जनवरी 1935 को
प्रकाशित किया गया, 24 जुलाई, 1935 को ससद ने इसे कुछ संशोधनो सहित
पास कर दिया और 2 अगस्त¹ को सम्राट की स्वीकृति मिलने पर यह भारत
सरकार अधिनियम 1935 बन गया।

समीक्षा प्रश्न

(Review Questions)

- 1 "सन् 1919 की घटनाओ ने भारत की आत्मा पर बहुत गहरा आघात
पहुँचाया और भावनाशील भारतीया के लिये उन सब बड़ी से बड़ी बुराईओ
का जो अंग्रेजी शासन म थी वे एक प्रतीक बन गयी।" सन् 1919 के पत्र
म लगाय गये मार्शल लॉ और जलिया वाला बाग की दुघटनाओ को ध्यान
मे रखते हुए इस कथन की विवेचना कीजिये।
- 2 कांग्रेस द्वारा सन् 1920 म आरम्भ किय गये असहयोग आंदोलन की
विचारधारा तथा कार्यक्रम का सुक्षिप्त वर्णन कीजिये। यह आंदोलन सफल
क्यो नहीं हो सका ?
- 3 लिनाफ्त आंदोलन के सम्बन्ध म आप क्या जानते हैं ? राष्ट्रीय आंदोलन
म इसकी क्या भूमिका है ?
- 4 उन परिस्थितिया का उल्लेख कीजिये जिनके फलस्वरूप 1923 म स्वराज
पार्टी का निर्माण हुआ। कीसिल (परिपद्) प्रवेश करने के पक्ष म उसके नेताओ
द्वारा क्या तक उपस्थित किय गये ? स्वराज पार्टी को अपने उद्देश्यो म कहीं
तक सफलता मिली ?
- 5 साइमन आयोग की मुख्य सिफारिशो पर संक्षेप म प्रकाश डालिये। क्या
इसकी सिफारिशो भारतीया की आकांक्षाओ की पूर्ति करती थी ?
- 6 "भारतीय बुद्धिमता का प्रथम पुष्प" नहरू प्रतिबदन के सम्बन्ध म इस कथन
की विवेचना कीजिये। वर्तमान भारतीय संविधान और नहरू प्रतिबन्धन म
क्या समानताये हैं ? क्या यह वर्तमान संविधान की रूपरेखा (blue print) की ?

¹ For dates in this paragraph see Gupta, D C Ibid, p 169

उन परिस्थितिया का वरण कीजिये जिनमे कांग्रेस ने पूरा स्वतन्त्रता के प्रस्ताव (31 दिसम्बर 1929) को पास किया। मुस्लिम लीग का इस प्रस्ताव के प्रति क्या दृष्टिकोण था ?

सन् 1930 के महात्मा गांधी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सक्षिप्त वरण दीजिये। यह आन्दोलन किस मात्रा में सफल हुआ ?

सन् 1931 का गांधी इविन समझौता किन परिस्थितियों में सम्पन्न हुआ। इसकी प्रमुख शर्तें (विशेषतयाँ) क्या थीं ? क्या ब्रिटिश नौकरशाही ने इन्हे ईमानदारी से कार्यान्वित किया ?

साम्प्रदायिक पचाट से आप क्या समझते हैं ? गांधीजी ने इसके विरुद्ध कयो मरण व्रत रखा ? पूना समझौते में इसका कहा तक समाधान किया गया ?

“गोल मेज सम्मेलना का इतिहास असफलताओं का इतिहास है” इस कथन के सन्दर्भ में 1930-1931 के गोल मेज सम्मेलनों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।

सक्षिप्त टिप्पणिया लिखिय —

- (i) रौलट (काला) अधिनियम, (ii) जलियावाला बाग हत्याकाण्ड, (iii) खिलाफत आन्दोलन (iv) जिन्ना के चौदह सूत्र (v) पूरा स्वतन्त्रता का प्रस्ताव (vi) डण्डी यात्रा (vii) द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (viii) साम्प्रदायिक पचाट (ix) पूना समझौता।

मस 11 स्थान प्राप्त हुए थे। पांचवें, उदारवादियों का इन निर्वाचना में सभा में हो गया। जस्टिस दल जिसका 1922 से मद्रास विधान सभा पर नियंत्रण था, केवल 21 स्थान प्राप्त कर सका।

कांग्रेस मंत्रिमण्डलों का निर्माण विवाचना में विजयी हान के परभाव का प्रेम व ममता का प्रेम मंत्रिमण्डल के निर्माण की समस्या थी। इस विषय पर कांग्रेस में दो प्रकार की विचारधाराएँ बाय कर रही थी। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू व नरुत्व में कांग्रेस समाजवादी दल मंत्रिमंडल को स्वीकार करते का विरोधी था परन्तु राजगापासाचारी डॉ० राजद्र प्रसाद और सरदार पंनेत के नरुत्व वाला कांग्रेसी वग मंत्रिमंडल को स्वीकार करने के पक्ष में था। इन में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से 'समझौता फामूला' निराला गया, जिसे "विश्वास धारा (assurance clause) भी बहुत है जिस पर दोनों पक्ष सहमत थे। इस विश्वास धारा में कहा गया था कि विधान सभाओं के कांग्रेसी सदस्य मंत्रिमंडल में तभी स्वीकार करेंगे यदि प्रांतों के गवर्नर यह आश्वासन दें कि वे अपनी शक्तियाँ का प्रयोग नहीं करेंगे और सवधानिक गतिविधियों में मंत्रियों के परामर्श प्रस्वीकार नहीं करेंगे। प्रांतों के गवर्नरों ने ऐसा आश्वासन देने से इनकार नहीं दिया। भारत सचिव लाड जेटलण्ड ने भी ब्रिटिश संसद में कहा कि ऐसा आश्वासन नहीं दिया जा सकता। इससे सवधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। उन छ प्रांतों में जहाँ कांग्रेस का बहुमत था वहाँ गवर्नरों ने अल्पमत वाला से अन्तरिम मंत्रिमण्डल (Interim Ministries) का निर्माण किया और अन्य पाँच प्रांतों में मिली जुली सरकारें (Coalition Governments) का निर्माण किया गया।

छ प्रांतों में सवधानिक गतिरोध अर्थात् कांग्रेस गवर्नर विवाद लगभग तीन महीने तक चलता रहा। अन्तरिम मंत्रिमण्डल के निर्माण के बाद भी गवर्नर प्रांतीय विधान सभाओं का आहूत करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि न तो अन्तरिम मंत्री बहुमत को अल्पन साथ कर सकते थे और न ही वापिक बजट पास हो सकता था। इस तरह प्रांतों में स्थिति कुछ विगड़ रही थी। दूसरी ओर, यूरोप में हालात गम्भीर हो रहे थे। परिणामस्वरूप गृह सरकार की अनुमति पर वायसराय लाड लि लिथगो ने 21 जून 1937 को एक वक्तव्य में घोषणा की जिसमें कहा गया था कि प्रांत की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर के नाम पर चलायी जाती है परन्तु मंत्रालयिक क्षेत्र (ministerial field) में गवर्नर मंत्रियों के परामर्श पर ही कार्य करने के लिए बाध्य है। मंत्री केवल प्रांतीय विधान सभाओं के प्रति ही उत्तरदायी हैं। इस विचार का बार्ड आधार नहीं कि गवर्नर, विशेष उत्तरदायित्व के सीमित क्षेत्र को छोड़ कर प्रांतों में दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र हैं या उनके पास ऐसी बाई शक्ति है। लाड लि लिथगो के इस वक्तव्य ने 1935 के अधिनियम में बाई परिवर्तन नहीं किया और न ही यह कांग्रेस के लिये पूर्णतया सतोपजनक था पर तु फिर भी कांग्रेस ने वायसराय के "सात्वना युक्त स्वर का

मित्रतायुक्त" भावा में उत्तर दिया और इसे "सम्मानित समझौता" (gentleman's agreement) समझ कर कांग्रेस सदस्यों को मंत्रपद स्वीकार करने की आज्ञा दे दी परन्तु साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस "अधिनियम से भिन्न (resist) के लिए और रचनात्मक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने" के उद्देश्य से ही मंत्रपदा को स्वीकार कर रही थी। परिणामस्वरूप 7 जुलाई 1939 को कांग्रेसी सदस्यों ने छ प्रान्तों में अपने मंत्रिमण्डल का निर्माण किया और इसके साथ ही गवर्नरों द्वारा नियुक्त किये गए अंतरिम मंत्रिमण्डल ने त्याग पत्र दे दिये।

यह पहला अवसर था जबकि कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उत्तरदायित्व को ग्रहण किया और उस नीकरशाही से मिल कर काय किया जिसका वह विरोध करती थी। राजद्रोही (कांग्रेसी) अब शासक बन गए थे। अपने 28 महीना के शासन काल में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने जो रचनात्मक काय किये वे उनकी प्रशासनिक योग्यता, क्षमता उत्साह और सार्वजनिक कल्याण की भावना के द्योतक हैं। जसाकि कूपलैंड ने लिखा है कि मंत्रियाँ की सफलताएँ इतनी पर्याप्त थी कि 'कांग्रेस उन पर उचित गौरव कर सकती थी। इसके नेताओं ने दिखा दिया कि वे काय भी कर सकते थे और आंदोलन भी चला सकते थे। उनमें और उनके अनुयायियों में समाज सुधार की यथाय भावना थी।"

कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने जो सुधार काय किये उनमें प्रमुख थे भूमि सुधार, किसानों की ऋण और साहूकारों के शिकंजा से मुक्ति (अर्थात् ऋण मुक्ति और भाडेदारी सुधार) जेल, गृह और पुलिस प्रशासन में सुधार। श्रमिकों की दशा सुधारन के लिए श्रम कानून बनाये गए, काय के घण्टा में कमी की गयी और श्रमिक सघों को मायता दी गयी। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के साथ गांधीजी की बुनियादी शिक्षा का भी प्रयोग किया गया, राजनीतिक बर्तन दया को छोड़ा गया और मध्य विप्रेष की नीति का श्रीगणेश किया गया।

कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों पर आरोप कांग्रेसी मंत्रिमण्डल पर दो प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं। प्रथम, उन पर एक आरोप यह लगाया जाता है कि उन्होंने प्रान्तों में एकात्मक शासन स्थापित करके प्रांतीय स्वायत्तता और उत्तरदायी शासन की उल्लंघना की थी। इस आरोप का आधार यह था कि कांग्रेसी मंत्रिमण्डल और सदस्यों पर अत्यधिक Congress High Command) का कांग्रेसी मंत्रिमण्डल और सदस्यों पर अत्यधिक नियंत्रण था और वह मंत्रिमण्डल के कायक्रम में हस्तक्षेप करती थी। कांग्रेस पर यह आरोप सत्यापन पर है। य घालाचन भूल जाते हैं कि उन परिस्थितियों में, जब साम्राज्यीय, प्रतिनिधायी और साम्प्रदायिक शक्तियाँ मिल कर राष्ट्रीय शक्तियाँ के विभाग में बाधा प्रस्तुत कर रही थी और साम्प्रदायिक भावनाओं का उभार रही थी, उस समय कांग्रेसी सदस्यों और मंत्रिमण्डलों के कायक्रम पर नियंत्रण शक्ति आवश्यक था। दूसरे उत्तरदायी सरकार की मुचारी रूप में घटाने

टाता नियंत्रित और अनुशासित बंद दलों की आवश्यकता शायद ही और बाधेस ही उम समय का उगा दल था जो इन प्रकार की व्यवस्था बनाए रखे माना था। बंद करना ठीक नहीं कि कांग्रेस हार्ड बसाण्ड कांग्रेसी मंत्रिमंडल के प्रति वाक्यन में हस्तक्षेप करते थे। कांग्रेस हार्ड बसाण्ड का कांग्रेसी मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण रख कर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठित करना प्रांतीय स्वायत्तता और उत्तरदायी गठन का निराधी नयी था अपितु सरकारों प्रांता में मुख्य मंत्रियों का विधान सभाओं में बहुमत हात हुए भी उन्हें पदच्युत कर देना, बराकि गवर्नर का उमदा बाइ प्रभुत्व काय पसाद नहीं था समय ही प्रांतीय स्वायत्तता और उत्तरदायी सरकार के विरुद्ध था। सिंध के मुख्य मंत्री गान बहादुर प्रजासत्ता का विधान सभा में बहुमत हात हुए भी बचन इसलिए पदच्युत किया गया था कि वे गवर्नर के विरुद्ध मतदान नहीं थे। दूसरे सिंध बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांता में प्रत्येक में हात हुए भी मंत्रिमंडल का पदच्युत करना गैर-नियमित था।

दूसरा कहना था कि कांग्रेसी प्रांता में मुसलमानों और अन्य प्रत्येकता के प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता प्राप्त की चुकता गया था मुसलमानों के साथ प्रत्याचार किए गए थे और वस्तुतः इन प्रांता में हिंदू राज्य की स्थापना कर दी गयी थी। परंतु मुस्लिम लीग के अंतर्गत सदा भूटे और इंदिया तथा साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित प्रोत्साहित थे। सन् 1937 में निर्वाचन में पूर्णतया पिछ जाते वे वाद और कांग्रेस द्वारा उससे साथ मिल कर, कांग्रेसी बहुमत वाले प्रांता में मिली-जुली सरकारों के निर्माण करने से इन्कार करने के वाद लीग ने इन साम्प्रदायिक हथकण्डों को अपनाया था और ब्रिटिश नौकरशाही ने इसमें उसका पूरा सहयोग दिया था। मुस्लिम लीग को इस बात का भी भय था कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की कामकुशलता और लोक प्रियता से उसके सम्मान और प्रतिष्ठित्व को खतरा उत्पन्न हो जायगा। इसलिए लीग ने इन साम्प्रदायिक भावनाओं को उभार कर मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक् करने की कोशिश की और अन्य मुस्लिम संगठनों को अपनी लपेट में लेने का प्रयास किया।

कांग्रेस लीग मंत्रिमंडलों का श्रेष्ठिय या क्या कांग्रेस को लीग के साथ मिल कर मिले जुले मंत्रिमंडलों का निर्माण करना चाहिए था ?

कुछ आलोचकों का मत है कि 1937 के चुनावों में विजयी होने के पश्चात् कांग्रेस को कांग्रेसी बहुमत वाले प्रांतों में मिली जुली सरकारों का निर्माण करना चाहिए था। इनका कहना है कि लीग के साथ मिले जुले मंत्रिमंडलों का निर्माण से इनकार करने कांग्रेस ने व्यावहारिक भूल की और इससे मंत्रिमंडलों का निर्माण से इनका कहना है कि इससे लीग कांग्रेस से बिल्कुल पृथक् हो गयी और अंग्रेज शासन को साम्प्रदायिक खाई चौड़ी करने का अवसर मिल गया। इस आलोचना में भी सत्यापन की कमी है। आलोचक भूल जाते हैं कि उत्तरदायी सरकारों के संचालन के

लिए न केवल राजनीतिक उद्देश्यों पर मतैक्यता की आवश्यकता होती है बल्कि ठोस राष्ट्रीय दृष्टिकोण और दलीय अनुशासन एवं नियंत्रण की आवश्यकता भी होती है। प्रथम, जब-जब कांग्रेस ने लीग के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई तब तब मुस्लिम लीगी नेताओं की साम्प्रदायिक मांगों में विस्तार हुआ। दूसरे, कांग्रेस और लीग के राजनीतिक दृष्टिकोणों में अंतर था। जहाँ कांग्रेस का दृष्टिकोण राष्ट्रीय और उसकी नीतियाँ समाज कल्याण पर आधारित थी वहाँ लीग का दृष्टिकोण साम्प्रदायिक और नीतियाँ मुस्लिम समाज के कल्याण पर आधारित थी। तीसरे, कांग्रेस ने मन्त्रपद को इस उद्देश्य से नहीं ग्रहण किया था कि वे 1935 के अधिनियम को कार्यान्वित करना चाहती थी बल्कि इस उद्देश्य से ग्रहण किया था कि वे इसे आदर से नष्ट भ्रष्ट करके यह सिद्ध करना चाहती थी कि उत्तरदायी शासन में गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्वों का होना अनावश्यक और असंबन्धित था। दूसरी ओर लीग 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय व्यवहार को स्वीकार कर चुकी थी। सिद्धांत और उद्देश्यों की भिन्नता के कारण कांग्रेस लीग मिली जुली सरकारों का स्थायित्व हमेशा खतरे में रहता। चौथे, स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के बाद कांग्रेस के लिए मिली जुली सरकारों की कल्पना भी अतार्किक थी। पाचवें, कांग्रेस की नीतियों के पीछे पूर्ण बहुमत था, उनके सदस्यों पर उसका पूरा नियंत्रण था जबकि लीग की नीतियों के पीछे केवल तुच्छ मत था। लीग तो सारी मुस्लिम जाति का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। जमीयत उल उलेमा ए हिंद, दी अहरार (The Ahrats), दी मोमिन (The Momins), दी शियास (The Shias), इपक प्रजा पार्टी, यूनियेनिस्ट दल आदि मुस्लिम संगठन विद्यमान थे जिनकी उपेक्षा करके कांग्रेस लीग को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं मान सकती थी और लीग ने इसकी मांग की थी।

द्वितीय महायुद्ध और भारत

(The Second World War & India)

सितम्बर 1, 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस पर ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध सितम्बर 3, 1939 को युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा करते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलीय देशों से भी ऐसा ही करने की अपील की। इस पर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की सदस्यों ने युद्ध की घोषणा कर दी। परन्तु भारत में केन्द्रीय या प्रांतीय विधान परिषदों से परामर्श किये बिना और भारतीय जनता, उनके प्रतिनिधियों और नेताओं की विश्वास में लिये बिना ही वायसरॉय लॉर्ड लिंलिथगो ने स्वयं ही यह घोषणा 3 सितम्बर 1939 को कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल है। वायसरॉय की यह घोषणा न केवल 40 करोड़ भारतीयों की उपेक्षा थी बल्कि यह इस बात का भी द्योतक थी कि 'ब्रिटिश सरकार भारत को अपनी

इच्छा की वठपुतली मात्र समझती है और युद्ध जैसे प्राश्न पर भी भारतीयों के प्राश्न
 निराय के अधिचार को मानने के लिये तयार नहीं।”
 वायसराय लाड लिखिया ने भारत वा युद्ध म सामिन हा नई
 अपितु आतरिक व्यवस्था को बनाय रगन के लिय घनेक कठोर अध्यादेशा कं
 रिया , 1935 क अधिनियम म तत्काल सशोधन करवाकर (Government
 India Amending Act) प्रातीय स्वायत्तता को अधहीन बना दिया। इत
 कायवाहिया पर लीपापोती करने के लिय वायसराय न गाधीजी को गिम्ना
 4 सितम्बर 1939 को आमन्त्रित किया।

युद्ध तथा कांग्रेस—युद्ध काल म कांग्रेस अध्रजेजा की सहायता करन की इतु
 थी। परन्तु उसका विश्वास था कि लोगो को युद्ध कायों म सहायता देने क लिये
 तभी कहा जा सकता था जब के स्वय स्वतन्त्र हा, दूसरा के बराबर हा। स्वय परत
 रहकर दूसरो की स्वतन्त्रता के लिये युद्ध म बूदना अताकिव, अध्यावहारिक और
 गलत था। नेहरूजी न भी लिखा है कि “हमारे लिये स्वतन्त्रता का वाई अय नहीं
 रह जाता जब हम स्वय ही स्वतन्त्रता प्राप्त न हा।” ब्रैक्सफोड ने भी ठीक लिखा
 है कि ‘वे जो स्वय पराधीन थे, दूसरो को स्वतन्त्र कराने के लिये युद्ध म कस भण
 ले सकते थे।’ इसलिये कांग्रेस ने माग की कि ब्रिटेन अपने युद्ध उद्देश्या को स्पष्ट
 करे अपने साम्राज्यवाद का अन्त करे और भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करे।

कांग्रेस वायकारिणी समिति गाधीजी के इस विचार से सहमत नहीं थी कि
 युद्ध काल म ब्रिटेन की सहायता बिना शत की जाय। वर्षा प्रस्ताव म कांग्रेस का
 कारिणी समिति ने नाजी शक्तियों की भत्सना की ब्रिटिश विश्वासघातो को
 गिनाया ब्रिटिश नीति पर विरोध प्रकट किया और इस बात पर दु ख व्यक्त किया
 कि वायसराय की घोषणा, अध्यादेशो और संबधानिक सशोधन ने भारतीय जनता
 की उपेक्षा की है। इस प्रस्ताव मे स्पष्ट कहा गया था कि “सहयोग समान स्तर काले
 मे पारस्परिक सहमति के आधार पर ही’ हो सकता है। प्रस्ताव मे कांग्रेस न स्पष्ट
 शब्दा मे कहा था कि—

‘यदि युद्ध का उद्देश्य यथा स्थिति की रक्षा करना है अर्थात् साम्राज्यवादी
 वस्तिया, उपनिवेशा अतनिहित स्वार्थों और विशेषाधिकारो की रक्षा करना है तो
 भारत का उससे कोई सरोकार नहीं। परन्तु यदि प्रश्न प्रजातन्त्र पर आधारित विश्व
 व्यवस्था का है तो भारत को उसम गहरी दिलचस्पी है यदि ब्रिटेन प्रजातन्त्र की
 रक्षा और विकास के लिये युद्ध लड रहा है तो उसे अपने उपनिवेशो म साम्राज्यवा
 को अवश्य समाप्त करना होगा, भारत मे पूर्ण प्रजातन्त्र की स्थापना करनी होगी
 भारत की जनता का यह अधिकार देना होगा कि वह अपनी संबधानिक सभा बनाकर
 बिना बाह्य हस्तक्षेप के अपना सविधान तयार कर सके, अपने बारे मे स्वय निराय
 कर सके तथा अपनी नीति स्वय निर्धारित कर सके। स्वतन्त्र प्रजातांत्रिक भारत

ही विदेशी आक्रमण के विरुद्ध पारस्परिक रक्षा के लिये स्वेच्छा से और सह्य मिन देशों के साथ सहयोग करेगा।”

युद्ध और मुस्लिम लीग—युद्ध सहायता के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण शतहीन (unqualified) नहीं था। उसका दृष्टिकोण न केवल शर्तों से युक्त था बल्कि भारतीय राष्ट्रीयता के लिये घातक, सामाजिक सामन्जस्य के लिये सकीरण और स्वार्थों की पूर्ति की दृष्टि से चेतावनीपूर्ण था। लीग ने अपने 18 सितम्बर, 1939 के प्रस्ताव में कांग्रेस पर स्पष्ट आरोप लगाया था कि कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों की “स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सम्पत्ति और सम्मान” को पाव तले कुचला जा रहा है। लीग ने ब्रिटिश सरकार को युद्ध सहायता इस शर्त पर देने का आश्वासन दिया कि कांग्रेस शासित प्रांतों में मुसलमानों को “याय और साम्य व्यवहार” दिलाने के लिये गवर्नर अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करे और लीग को “भारतीय मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था स्वीकार किया जाय।” लीग ने यह मांग भी की कि संवैधानिक विकास के सम्बन्ध में कांग्रेस को न तो किसी प्रकार का आश्वासन दिया जाय और न ही लीग की अनुमति और समर्थन के बिना किसी संविधान का निर्माण किया जाय। इन सारी मांगों के पीछे लीग के दो उद्देश्य काम कर रहे थे। पहला कांग्रेस को बदनाम करके उसके प्रभाव में बर्फी करके, अथवा मुस्लिम सदस्यों और संगठनों को, विशेष करके जो कांग्रेस की नीतियों का समर्थन कर रहे थे, लीग की रापेट में लाया जाय। दूसरा, ब्रिटिश शासकों की कृपा से राजनीतिक और संवैधानिक विकास में ‘धीटो’ का अधिकार प्राप्त कर लिया जाय। जसा कि बाद की घटनाओं से स्पष्ट है कि लीग इन दोनों उद्देश्यों में सफल हुई।

ब्रिटिश सरकार की निराशापूर्ण घोषणायें—कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण बहुत ही निराशापूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण और अस्पष्ट था। न तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, न भारत में श्री और न ही वायसराय के वक्तव्यों में “भारत की स्वतंत्रता” और “ब्रिटिश युद्ध लक्ष्य” के बारे में कोई स्पष्ट आश्वासन दिया गया था। इन्हें तो टालने की कोशिश की गयी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिये ब्रिटेन का तत्काल उद्देश्य “आत्म रक्षा” था, ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के एक अन्य सदस्य के लिये “युद्ध जीतना” ही ब्रिटेन का लक्ष्य था। भारत में श्री लाड जेटलण्ड ने लाड सभा में भाषण देते हुए “फूट डालो और शासन करो” की नीति के आधार पर भारतीयों में विभाजन रखा खींचन का प्रयास किया और जीवन मरण के समय कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग को निराशाजनक बताया। वायसराय लाड लिंलिथगो ने 17 अक्टूबर, 1939 को एक वक्तव्य में कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग को अध्यावहारिक बताते हुए पुराने घिसे पिटे औपनिवेशिक स्वराज्य के वायसराय को दोहराया गया और उन्हें भी युद्ध के बाद देने का आश्वासन दिया। यह भी कहा गया कि 1935 के अधिनियम में, अल्पमतों के विचारों का ध्यान रखते हुए आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे। इसमें लीग के “धीटो” की मांग को भी अप्रत्यक्ष रूप से

स्वीकार कर लिया गया था। तत्काल के लिये, युद्ध प्रयासों में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिये वामसंसार ने परामर्श समिति (Consultative Committee) का सुभाव दिया।

कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के त्यागपत्र—ब्रिटिश सरकार के उपयुक्त बतव्य होने स्ताहित करने वाले थे। गांधीजी ने इन बतव्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि "कांग्रेस ने गांधी थी रोटी, उमे मिले पत्थर।" परिणामस्वरूप अन्तम को छात्र 7 प्राता म कांग्रेसी मन्त्रिमण्डला ने त्याग पत्र दे दिये। सबप्रथम मद्रास क मन्त्रिमण्डल ने 28 अक्टूबर, 1939 को त्याग पत्र दे दिया। अन्तम म कायसी मुस्लिम मन्त्री वारदीलाय के त्याग पत्र देने पर सर मुहम्मद सादुल्ला ने अपने मन्त्रिमण्डल निर्माण किया।

प्रातो म कांग्रेसी मन्त्रिमण्डला के त्याग पत्र देने पर गवर्नर ने सेवकन 91 के अतगत प्रातो के प्रशासन को अपने हाथा म ले लिया और उत्तरदायी शक्त समाप्त हो गये। प्राता म पुन निरकुश शासना की स्थापना हो गयी। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो के त्यागपत्र देने से एक दुष्परिणाम यह निकला कि लीग को साम्प्रदायिक विष फलाने और मुक्ति दिवस मनाने का अवसर मिल गया। वामसंसार भी मुसलमानों की और अधिप भुक्त गये।

मुक्ति दिवस और पृथक मुस्लिम राज्य की मांग—राजनीतिक कारणों के कारण कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डला से त्याग पत्र दिये थे परन्तु जिना तथा लीग ने इस अवसर को साम्प्रदायिक भावनायें फलाने और उन्हें उग्र बनाने के लिये प्रयोग किया। इस उद्देश से जिना ने 22 दिसम्बर 1939 को 'मुक्ति दिवस' (Deliverance Day) के रूप में मनाने की अपील निकाल दी। इस पर गांधीजी ने जिना से अपील की कि वे ऐसा नहीं करें परन्तु इसका कोई परिणाम न निकला। परिणाम स्वरूप मुसलमानों ने सारे देश में मुक्ति दिवस बड़े धूम धाम और आनन्द के साथ मनाया। सभायें की गयीं, प्रस्ताव पास किये गये और कांग्रेस शासन के अत्याचार, उत्पीडन और अत्याय से दुःखाने पर सुख और चन की गहरी अनुभूति प्रकट की गयी। लीग के सदस्यों ने इस साम्प्रदायिक भावनाओं का प्रचार तीव्र कर दिया और पृथक मुस्लिम राज्य की मांग दब होती गयी। जिना 1938 म ही 'मुस्लिम बहुमत प्रान्तों के सप और सप' मुस्लिम प्रांतों के दो पृथक सपों की मांग कर ही चुके थे¹। रहमत अली और सप² अब्दुल लतीफ ने पृथक मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिये उग्र प्रचार शुरू कर दिया। रहमत अली तो स्पष्ट कहते थे कि 'हम मुसलमान हैं, हिंदू नहीं पाकिस्तानी हैं हिंदुस्तानी नहीं, एशिया के निवासी हैं भारत के नहीं।'³ मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन म 24 मार्च 1940 को एक प्रस्ताव पास किया जो लाहौर प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रस्ताव में लीग ने भारत के मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों को पृथक

1 Quoted by Gupta, D C Ibid, P 184

कर एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य (जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया) की माग की थी। दूसरे शब्दों में, लीग के लाहौर प्रस्ताव में भारत के विभाजन और पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, बंगाल और असम को मिलाकर एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की माग की गयी थी। धर्म के आधार पर पृथक मुस्लिम राज्य की माग स्वधायीयता नहीं थी परन्तु लीग की सकीणता, जिम्मा की हठधर्मिता और ब्रिटिश शासकों के प्रोत्साहन से यह माग दिन प्रति दिन फलती फूलती गयी।

अगस्त प्रस्ताव (8-8-1940)

(August Offer 8-8-1940)

प्रांतों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के त्याग पत्र देने से भारत में स्वधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। सात प्रांतों में (जहां कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्याग पत्र दिये गये थे) सेक्शन 93 लागू कर दिया गया था और प्रांतों का प्रशासन गवर्नरों के अधीन आ गया था। कांग्रेस स्वतंत्रता की माग कर रही थी और ब्रिटिश सरकार उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता की माग को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थी। अल्पमतों, व्यापारियों और सेवाओं के हितों की दृष्टि में ब्रिटिश सरकार अपने विशेष उत्तरदायित्वों को दोहरा रही थी। कांग्रेस का कथन था कि युद्ध साम्राज्यीय हितों की रक्षा के लिये लड़ा जा रहा था इसलिये युद्ध प्रयामा में उसकी सहायता करना सम्भव नहीं।

कांग्रेस कार्यवाहिकी समिति की एक बैठक रामगढ़ में 20 मार्च, 1940 को हुई। इसमें एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने अपनी स्वतंत्रता की माग को दोहराया। प्रस्ताव में कहा गया था कि "किसी स्वतंत्र देश के संविधान का निर्माण करने के लिये स्वधानिक सभा ही एक मात्र लोकतन्त्रात्मक उपाय है। स्वधानिक सभा ही सागरप्रदायिक तथा अर्थ कठिनाइयों को सुलझाने का एक मात्र उपयुक्त साधन है।" प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि "यदि अल्पसंख्यक वर्गों के कुछ अधिकारों के सम्बन्ध में आपस में समझौता न हो सके तो पंचनिरण (Arbitration) द्वारा समझौते का प्रयास किया जायगा।" प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि "स्वधानिक सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिये और यदि कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिये पृथक निर्वाचन मण्डल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं परन्तु स्वधानिक सभा में उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर ही होना चाहिये।" इस प्रस्ताव में गांधीजी के नेतृत्व और उत्तरदायित्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की बात भी कही गयी थी। परन्तु गांधीजी ने 1 जून, 1939 को स्पष्ट कर दिया था कि "हम ब्रिटेन के विनाश में अपनी स्वतंत्रता की तलाश नहीं करते।" नेहरूजी ने भी कहा था कि "ब्रिटेन की विपत्ति भारत का सुयोग नहीं है।"

कांग्रेस कार्यवाहिकी समिति की एक अर्थ बैठक दिल्ली में 3-7 1940 को हुई। इस बैठक में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा युद्ध सहायता के

को भारत की स्वतन्त्रता और अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के प्रश्न के साथ जोड़ दिया। दूसरे शब्दों में, कांग्रेस का कहना था कि वह तब तक (Money & Material) से सुरक्षा प्रयासों में पूर्ण सहयोग देने के लिये तैयार है। ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दे और तत्काल ऐसी प्रस्तावों को राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करदे जिसे केन्द्रीय विधान सभा के सभी निर्वाचित तत्वों का विश्वास प्राप्त हो।

इसी समय यूरोप में युद्ध की गम्भीर स्थिति से इंग्लैंड में राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हुआ जिसमें चेम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल ब्रिटिश प्रधान मन्त्री बने और लॉर्ड जेटलण्ड के स्थान पर एमरी ने भारत के प्रति सहानुभूति पूर्ण नहीं था। चर्चिल ने इन दोनों का दृष्टिकोण भारत के प्रति सहानुभूति पूर्ण नहीं था। चर्चिल ने प्रधान मन्त्री के पद को सम्भालने के कुछ समय बाद ही एक वक्तव्य में कहा था कि "वह महामयी सम्राट का प्रथम प्रधान मन्त्री इसलिये नहीं बना था कि वह साम्राज्य का दिवाला निकाल दे। परन्तु युद्ध की गम्भीर परिस्थितियों ने चर्चिल को मान लिया कि वह भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श कर उन्हें पठाने का प्रयत्न करे। अतः कांग्रेस के उपयुक्त प्रस्तावों के उत्तर में वायसरॉय लॉर्ड लिटिलटन 8 अगस्त, 1940 को एक वक्तव्य दिया जो भारतीय सर्वैधानिक इतिहास में "अगस्त प्रस्ताव" के नाम से प्रसिद्ध है। अगस्त प्रस्तावों की मुख्य विशेषतायें निम्न थीं—

- (i) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार किया जायगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कुछ प्रतिनिधिक भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद् में सम्मिलित करने के लिये उन्हें नियुक्त किया जायेगा।
- (ii) युद्ध प्रयासों में भारतीय ज्ञान अनुभव को प्राप्त करने के लिये एक भारतीय जनमत को जानने के लिये एक युद्ध परामर्श परिषद् (War Advisory Council) की स्थापना की जायगी। इसके कुल सन्धियों की संख्या 20 होगी तथा इसमें भारतीय रिपब्लिक और भारत के राष्ट्रीय जीवन के अग्र हितों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। इनमें वेठें नियमित रूप से समय समय पर होंगी।
- (iii) युद्ध के बाद भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख तत्त्वों की प्रतिनिधित्व की एक सन्धिया स्थापित की जायगी जो भारत के भावी संविधान का रूप देना निश्चित करेगी।
- (iv) भारत के संविधान निर्माण का कार्य मुख्यतः भारतीयों का ही उत्तरदायित्व (जिम्मेदारी) होगा।
- (v) भावी संवैधानिक योजना में अल्पमत के हितों पर पूरा ध्यान दिया जायगा और भारत का शांति तथा बल्याण के प्रश्न उत्तरदायित्व को ब्रिटिश सरकार किसी ऐसी शासन प्रणाली को नहीं सौंपेगा।

जिसकी सत्ता को भारतीय राष्ट्रीय जीवन के विशाल एवं शक्तिशाली तत्त्व अस्वीकार करते हो। दूसरे शब्दां में, भारत का भावी सविधान भारतीयों के पारस्परिक समझौते पर निर्भर करता है।

(vi) युद्ध काल में, जबकि राष्ट्रमण्डल जीवन मरण के सघप में सलग्न है तो भारत की सर्वधानिक समस्याओं के सम्बन्ध में कोई निर्याय नहीं लिया जा सकता।

(vii) ब्रिटिश सरकार भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना का वचन देती है। भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य "ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में स्वतंत्र एवं समान साझेदारी" की प्राप्ति है।

(viii) युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार भारतीय राजनीतिक दलों में समझौते और युद्ध प्रयासों में सहयोग का स्वागत करती है।

अग्रस्त प्रस्तावों का मूल्यांकन—महत्त्व तथा आलोचना—अग्रस्त प्रस्तावों का भारतीय सवधानिक इतिहास में निश्चित महत्त्व है। ये प्रस्ताव भारतीय सवधानिक विकास के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा अब तक की गई घोषणाओं में सबसे आगे बढ़े हुए थे। इनमें भारत के लिये "औपनिवेशिक स्वराज्य" की स्थापना का वचन दिया गया था, "ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में स्वतंत्र और समान साझेदारी का विश्वास दिलाया गया था तथा, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, यह स्वीकार किया गया था कि भारतीय सविधान के निर्माण का कार्य मुख्यतः भारतीयों की ही जिम्मेदारी थी। प्रो० कूपलण्ड का मत है कि अग्रस्त प्रस्ताव "सवधानिक समस्या को मुलभान की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सराहनीय प्रयत्न थे।"

परन्तु प्रो० कूपलण्ड का उपयुक्त मत एवतरफा है क्योंकि इन प्रस्तावों द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और लीग में स्थायी विभाजन देखा खींचने की कोशिश की, साम्प्रदायिक समस्या को उभाड़ने की कोशिश की और सर्वधानिक समस्या के स्थायी हल को ढालने की कोशिश की। कांग्रेस के दृष्टिकोण से ये प्रस्ताव इतना निराशापूर्ण और प्रस्तावजनक थे कि कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद ने प्रस्ताव पर विचार करने के लिये वायसराय के निमन्त्रण को ठुकरा दिया और वे उससे मिलने नहीं गये।

अग्रस्त प्रस्ताव अपूर्ण, निराशापूर्ण एवं अस तोपजनक थे। डा० पट्टाभि सीतारमय्या लिखते हैं कि "इन प्रस्तावों में बहुत सी ऐसी बातें दोहराई गयी थीं जिन्हें छोड़ा जा सकता था।" कांग्रेस ने पूरा स्वतंत्रता की मांग की थी परन्तु ये प्रस्ताव केवल "स्वतंत्र और समान साझेदारी तक सीमित थे" और इन शब्दों (स्वतंत्र और समान) को भी स्पष्ट नहीं किया गया था, कांग्रेस तत्काल अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की मांग कर रही थी परन्तु इनमें कार्यकारिणी परिषद् के विस्तार की बात नहीं आई थी, कांग्रेस सभी विभागों पर भारतीयों का नियंत्रण चाहती थी परन्तु इनमें सुरक्षा विभाग के हस्तांतरण की बात नहीं की गयी थी, कांग्रेस वायकारिणी परिषद्

म भारतीय राजनीतिक दला के प्रतिनिधियों को, जिन्हें विधान सभा में सभी निवासि सदस्यों का विषय प्राप्त हो, लेना चाहती थी परन्तु इनमें इसका कोई विचार नहीं दिलाया गया था, कांग्रेस अस्थायी राष्ट्रीय सरकार को विधान सभा के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहती थी परन्तु इनमें सदस्यों को 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल के अधीन रखने की बात ही बही गई थी। सन्धि में कांग्रेस कांग्रेस तत्काल पूर्णतया प्रतिनिध्यात्मक सरकार की स्थापना नहीं तो कम से कम उसका सार (Substance) तो अवश्य चाहती थी परन्तु इन प्रस्तावों में उसका भलक तक नहीं थी।

अमीय चटर्जी (Amiya Chatterji) ने ठीक लिखा है कि 'विन्तु वायवारिणी परिपद ता द्वैध प्रणाली भी नहीं थी प्रस्ताव बलात् हस्तगत थे।' इस तरह इन प्रस्तावों में सत्ता हस्तांतरण करने का लेश मात्र भी विश्वास नहीं दिलाया गया था, परन्तु युद्ध में भारतीय सहयोग की अपेक्षा की गयी थी। अग्रस्त प्रस्तावों में एक अर्थ गम्भीर दाप यह था कि इनमें अल्पमत वाले को, विशेषकर मुस्लिम लीग को, भारतीय सवधानिक विकास में बाधा प्रस्तुत करने के लिये प्रोत्साहन दिया गया था। यह कहना कि "ब्रिटिश सरकार अपने उत्तरदायित्वों को किसी ऐसी शासन प्रणाली को सौंप नहीं सकती जिसकी सत्ता को भारत के राष्ट्रीय जीवन के विशाल एवं शक्तिशाली तत्त्व अस्वीकार करते हैं।" स्पष्टतया मुस्लिम लीग का यह विश्वास दिलाया था कि भारत के किसी ऐसी भावी सविधान को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जायगा जब तक कि उस पर उसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। इस तरह इन प्रस्तावों में भारतीय सवधानिक विकास में भारत के विभाजन और पाकिस्तान की मांग को मुहब्बत करने के लिये लीग को स्वयं अग्रसर प्रदान किया था। दूसरे शब्दों में, इन प्रस्तावों ने अल्पमत को वीटो (Veto) का अधिकार देकर बहुमत को उसकी दया के पात्र बनाने की कोशिश की।

मुस्लिम लीग ने अग्रस्त प्रस्तावों के इस तत्व का स्वागत किया कि उसमें सहमति के बिना किसी भावी सविधान को स्वीकार नहीं किया जायगा परन्तु फिर भी उसने इन प्रस्तावों को यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि इनमें भारत के विभाजन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया।

क्योंकि भारत के सभी प्रमुख दलों ने अग्रस्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था इसलिये न तो गवर्नर जनरल की वायवारिणी परिपद का विस्तार ही किया गया और न ही युद्ध परामर्श परिपद की स्थापना की गई।

व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन—ब्रिटिश सरकार ने 'जब कांग्रेस की पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग को अस्वीकार कर दिया, जब उसने इस बात को मानने में भी इन्कार कर दिया कि बिना भारतीयों की सहमति के भारत को युद्ध में ध्वस्त करने से भारतीयों की इच्छाओं एवं भावनाओं की अवहेलना हुई है और जब गांधीजी की मांग करने पर भी, इस बात की मन्तव्यता भी नहीं दी गई कि वे युद्ध के निरन्तर

प्रचार या भाषण दे सकें और युद्ध प्रयासों में सहायता देने से लोगो को मना कर सकें तो गांधीजी ने युद्ध के विरोध में अपने भावा को व्यक्त करने के लिये सीमित रूप में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन को शुरू कर दिया।

व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन को 17 अक्टूबर, 1940 को पनूर स्थान से शुरू किया गया। यह आन्दोलन जसा कि नाम से ही स्पष्ट है व्यक्तिगत था, सामूहिक नहीं यह युद्ध का नतिक विराय था यह प्रतीकात्मक था आघात्मक नहीं। कांग्रेस युद्ध काल में ब्रिटिश कठिनाइयों को बढ़ाना नहीं चाहती थी और न ही उनसे अनुचित लाभ उठाना चाहती थी। गांधीजी ने तो जून, 1940 में ही कह दिया था कि वे 'ब्रिटिश विनाश पर अपनी स्वतन्त्रता नहीं चाहते।' नेहरूजी ने भी कहा था कि "इंग्लैंड की कठिनाई भारत का सौभाग्य नहीं।" गांधीजी किसी रूप में जन आन्दोलन आरम्भ करने के पक्ष में नहीं थे। क्याकि यह आन्दोलन सीमित एक व्यक्तिगत था इसलिये गांधीजी ने आचार्य विनोबा भाव को प्रथम सत्याग्रही मनोनीत किया। धीरे धीरे यह आन्दोलन राष्ट्रव्यापी बन गया। सभी नेता जेलों में चले गये और मई 1941 तक हजारों व्यक्ति जेलों में थे।

कायकारिणी परिषद् विस्तार तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की स्थापना— 22 जुलाई 1941 को गवर्नर जनरल लाड लिंथगो ने कायकारिणी परिषद् का विस्तार कर दिया। 13 सदस्यों वाली इस परिषद् में भारतीया की संख्या 8 थी, जिसमें 4 हिन्दू 3 मुसलमान और 1 पारसी था। केवल संख्या की दृष्टि से यह कहा जा सकता था कि कायकारिणी परिषद् में भारतीया का बहुमत है और सरकार बहुमत की इच्छा के अनुसार प्रशासन चला रही है परन्तु वस्तुतः यह परिषद् किसी रूप में राष्ट्रीय सरकार नहीं कही जा सकती क्याकि भारत के प्रमुख दलों ने कायकारिणी परिषद् में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था इसलिए जिन व्यक्तियों को इसमें नियुक्त किया गया वे भारतीय राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। उन्हें केवल गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित किया गया था, व सिवाय अपने आपक और किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, व विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे वे तो केवल गवर्नर जनरल के प्रति ही उत्तरदायी थे। इस तरह गवर्नर जनरल की विस्तृत कायकारिणी परिषद् राष्ट्रीय परिषद् नहीं थी।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की स्थापना भी 22 जुलाई 1941 को की गई। इसके सदस्यों की संख्या 30 रखी गई। इसके सदस्य भी गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित किये गये थे। इसमें प्रांतों और दशों रियासतों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया था। उदाहरणतया पंजाब, बंगाल और असम के मुख्य मंत्रियों (इन प्रांतों में लोग का बहुमत होने से यहाँ मंत्रिमण्डलान त्याग पत्र नहीं लिये थे) असम सर सिक्कर हयातया, फजलुल हक और सर मुहम्मद सादुल्ला का इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का सदस्य बनाया गया परन्तु मुस्लिम लोग के बहाने पर इन्होंने

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् स त्याग पत्र द दिये । वह परिषद भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् नहीं बनी जा सकती क्योंकि इसमें भी भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों ने भाग नहीं लिया ।

चर्चित की निराशापूर्ण घोषणा—14 अगस्त, 1941 को अटलांटिक वार्द द्वारा मित्र राष्ट्रों ने (ब्रिटेन और अमेरिका) पहली बार अपने युद्ध उद्देश्यों को प्रकाशित किया । इस चाटर में कहा गया था कि मित्र राष्ट्रों किता प्रकार के प्रादमिक विस्तार नहीं चाहते तथा व सभी लोगों द्वारा अपनी शासन पद्धति के चले के अधिचार का सम्मान करते हैं । दूसरे शब्दों में, इस चाटर द्वारा मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चाटर भारत पर लागू हाता है, चर्चित ने 9 सितम्बर, 1941 को एक वक्तव्य में कहा कि 'यह चाटर यूरोप में नष्ट हुए राष्ट्रों पर ही लागू हाता है । जा देश ब्रिटिश राजन के प्रति भक्ति रखते हैं उनकी समस्या विल्कुल पृथक है क्योंकि वहां प्रश्न स्वशासित सत्याग्रा के क्रमिक विकास का है ।' मई 1941 में, बने चर्चित ब्रिटेन की मिली जुली सरकार के प्रधान मन्त्री वन थे तब से उन्होंने एक रूप से कहना शुरू कर दिया था कि वे "साम्राज्य के प्रधान मन्त्री इसलिये बने वने कि उनका दिवाला निकाल दे ।"

चर्चित के उपयुक्त वक्तव्य से न केवल कांग्रेस में निराशा उत्पन्न हुई वल्कि राष्ट्र में भी असंतोष बढ़ा । इस वक्तव्य से ब्रिटिश अनुदारवादी दल का भाव और विचारों को भी स्पष्ट कर दिया । कम से कम इतना तो स्पष्ट हो गया कि युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतन्त्रता की मांग को स्वीकार नहीं करगी ।

सत्याग्रहियों की रिहाई तथा आन्दोलन को स्थगित करना—सा 1940-41 में यूरोप और एशिया में मित्र राष्ट्रों की युद्ध में दुदमा हो रही थी । यूरोप में पोलण्ड, नावों, डेन्मार्क, हालण्ड, बेल्जियम तथा फ्रांस का पतन हा गया था । ब्रिटेन पर युद्ध का दबाव अत्यधिक बढ़ रहा था । 7 दिसम्बर, 1941 को जापानी जहाजों ने पल हावर पर गम्भीर बमबारी की थी । एशिया में जापान ने फिलिपाईन्स द्वीप समूह, हिंद चीन, मलाया, जापान के अधिकार में आ गये थे । बर्मा पर जापानी आक्रमण की सम्भावना थी । इस तरह युद्ध भारत के दरवाजे पर खडखडाने लगा था । इससे न केवल ब्रिटिश सरकार ही चिन्तित हुई वल्कि कांग्रेस भी भारत का सुरक्षा के बारे में विचार करने लगी । भारत की सविधानिक समस्या का समाधान करने के लिए ब्रिटेन पर अमेरिका का दबाव बढ़ रहा था । ब्रिटिश सरकार ने भी भारत के सहयोग की आवश्यकता को अनुभव करते हुए तथा सवधानिक गतिरोध का समाप्त करने और सदभावना के वातावरण को उत्पन्न करने के लिये, सत्याग्रहियों को, विशेषकर आजाद, नहरू जैसे प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया । गांधीजी नेताओं की इस रिहाई पर प्रसन्न नहीं थे क्योंकि व व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित करना नहीं चाहते थे । परन्तु सितम्बर, 1941 में

चिन्ते

बारदौली अधिवेशन में (जो 23 30 दिसम्बर 1941 तक बारदौली में हुआ) व्यक्तित्व सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर दिया। फरवरी, 1942 में चीन के राष्ट्रपति च्यांग काई शेक भारत की यात्रा पर आये। जहाँ उन्होंने भारतीयों से युद्ध प्रयासों में सहयोग के लिए अनुरोध किया वहाँ उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भी अपील की कि वह भारत की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार करले।

क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 (Cripps Proposals—March, 1942)

क्रिप्स प्रस्ताव क्यों ? (Why Cripps Proposals ?)—जब तक अमेरिका द्वितीय महायुद्ध में उभरा नहीं था तब तक अमरीकी प्रशासन और जनता इस बात से विशेष रूप से चिंतित नहीं थी कि ब्रिटेन भारत की सवधानिक समस्या का ल किस प्रकार से करता है। परंतु पल हावर पर अमरीकी नौ सेना की भीषण आति, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और पूर्व में जापान की आशचर्यजनक सफलताओं उद्दे भी अनुभव करा दिया कि 'युद्ध प्रयासों में भारत के स्वच्छिन्न सहयोग आवश्यकता है।' रूढ़ के जापानियों के कब्जे में आने के दो दिन बाद अर्थात् मार्च, 1942 का भारत की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में हजबल्ट न आ को भारतीय राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए अनुरोध किया। टन यह भी कहा था कि "अटलांटिक चार्टर सारे विश्व में समान रूप में लना चाहिये।"

अमरीका में अतिरिक्त चीन के राष्ट्रपति च्यांग काई शेक और आस्ट्रेलिया के एनी इवाट (Evatt) ने भारतीय समस्या के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए "यदि भारत यात्रा के दौरान श्री च्यांग ने ब्रिटिश सरकार से यह अपील भी की गयी तो उनका दिन प्रतिदिन बढ़ता जायगा।" ब्रिटिश सत्त के अन्तर्गत सदस्या ने भारतीय समस्या के स तोपजनक समाधान के लिये अनुरोध किया।

भारत में कांग्रेस का दृष्टिकोण स्पष्ट, दृढ़ एवं निश्चित था। वह आशासना से नहीं वास्तविकताओं से सम्बन्धित थी। वह पुरी राष्ट्र (अर्थात् फासीवाद नाजीवाद और सैन्यवाद) के पक्ष में नहीं थी और न ही वह उनकी सत्पत्ता करना चाहती थी और न ही उनसे सहायता लेना चाहती थी। वह पूरा स्वतंत्रता चाहती थी और भारतीय स्वाधीनता की मांग को ब्रिटिश शासन से स्वीकार करना चाहती थी। साथ में वह ब्रिटिश शासन के भारत विरोधी दृष्टिकोण में विरोध भी करना चाहती थी। इसलिये कांग्रेस ने सामूहिक सत्याग्रह के स्थान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन किया और 'युद्ध सहायता' का स्वतंत्रता और लाहौर के साथ जा

दिया। मुस्लिम लीग न युद्ध सहायता के प्रश्न का "पाकिस्तान की मा" के देश क विभाजन के साथ जाड़ दिया।

जापान दक्षिणी पूर्वी एशिया म बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। सिंगापुर, मन्न इण्डोनेशिया अण्डमान, निकोबार द्वीप और रगून पर उसका अधिकार हा गया था। जिन भारतीय मनाश्रा न जापानी सेनाओं के आग आत्म समर्पण किया था वे एन ए म भरती हाकर भारतीय मुक्ति क लिय कटिबद्ध हा चुकी थी। प्रब था एन ए म भरती आक्रमण की शकाय बढ़ गयी थी। इस तरह जापान की दक्षिणी एशिया म आश्चयजनक सफलता युद्ध की विगडती हुई स्थिति, मित्र राष्ट्र के दस्त और भारत पर जापानी आक्रमण की शकाओ स ब्रिटिश शासका ने भारतीय एन नीतिक और सवधानिक गतिराध को दूर करने का प्रयास किया। इस उद्देश तथा युद्ध प्रयास म भारतीय राजनीतिक दला का सहयोग प्राप्त करने क तिरे ॥

सर स्टफड क्रिप्स समाजवादी नेता थे और व अपन उदार विचारो क वा सर स्टफड क्रिप्स मिशन की घोषणा की। प्रसिद्ध भी थे। इसक अनिरिक्त व हाल ही म उस के साथ संधि करन क दुष्क काय म सफल भी हुए थ। क्रिप्स प्रयासा से ही इस युद्ध म शामिल हुआ था। महान गारी और नेहरू के व व्यक्तिगत मित्र म भी थे। इसलिए उनका भारत म स्वात हाना स्वाभाविक था। परंतु जब उन्होंने प्रस्तावा को प्रस्तुत किया तो गांधीजी ने कहा कि यदि आपके प्रस्ताव यही थे तो आपन आन का कष्ट ही क्यों किया ? यदि भारत के सम्बन्ध म आपकी यही योजना है तो आपका यही परामश है कि आप अगल हवाई जहाज से इंग्लण्ड वापस चल जायें।

प्रस्ताव— मर क्रिप्स 22 मार्च 1942 को एक मतविद (draft declaration) के साथ दिल्ली पहुंचे। आते ही उन्होंने सभी राजनीतिक दला (कांग्रेस, लाग, हिंदू महासभा, राजाश्री व प्रतिनिधियो राष्ट्रवादी मुसलमानो, उदारवादिया तथा अन्य राजनीतिक दलो) स विचार विमश करना गुरु कर दिया। ब्रिटिश सरकार की आर स 30 मार्च 1942 का जिन प्रस्तावा का भारतीयो के समक्ष उहाने प्रस्तुत किया उह क्रिप्स प्रस्ताव कहत है।

क्रिप्स प्रस्ताव दो प्रकार के थ। एक वर्तमान स्थिति से सम्बन्धित तथा दूसरे भविष्य म सम्बन्धित थ। वर्तमान म सम्बन्धित प्रस्तावा म युद्ध के दौरान भारतीयों के रचनात्मक सहयोग और सन्धिय भाग की बात कही गई थी और भविष्य क प्रस्तावा म मर्यादित समझौते की बात कही गई थी जिन युद्ध क ब कायालिका लिया जाना था।

(अ) वर्तमान से सम्बन्धित प्रस्ताव—वर्तमान म सम्बन्धित प्रस्ताव निम्न लिगित थ—

(1) "ज की परिपक्व ब्रिटिश साम्राज्य आर गुरु राष्ट्र एन ए भारतय जाता क प्रमुख बगों क ताया का भारत एव प्रभावशाली उग थ सन्धिय ताग नने क त्रिण समझौते लिया जायगा।

निम्न जनमत संग्रह द्वारा किया जायगा। सघ स पृथक् रहने वाले प्रांत को अपना पृथक् सविधान बनाने का अधिकार होगा जिसका स्थान और महत्व भारत के सविधान की तरह होगा। देशी रियासतों को भी इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि वे उन नवीन सविधान को स्वीकार करें या कि अस्वीकार करें।

(ख) संवैधानिक सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि की जायगी जिसमें उन सभी विषयों का उल्लेख किया जायगा, जो सत्ता हस्तांतरण से उत्पन्न होंगे। इस संधि में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा की व्यवस्था भी की जायगी।

(vii) क्रिप्स प्रस्तावों के मूलभूत आधारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। उन्हें पूर्णतया स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा गया था।

क्रिप्स प्रस्ताव—आगे बढ़े हुए थे (Cripps Proposals—an advance)— भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा अब तक किये गये प्रयासों में क्रिप्स प्रस्ताव काफी आगे बढ़े हुए थे। यद्यपि सुनिश्चित और बुद्ध स्पष्ट भी थे। इनमें भारत के प्रमुख दलों और जातियों को प्रसन्न करने का प्रयास भी किया गया था। कांग्रेस को प्रसन्न करने के लिये, इन प्रस्तावों में अधिराज्य की स्थिति को स्वीकार किया गया था, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में पृथक् होने के भारतीयों के अधिकार को स्वीकार किया गया था तथा सविधान का उत्तरदायित्व स्वयं भारतीयों को सौंपा गया था। विचार विमर्श के प्रारम्भिक दौर में प्रस्तावों के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा था कि "इनका उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण और निरपेक्ष आत्मनिर्णय और स्वशासन है।" ये प्रस्ताव इस दृष्टि से भी आगे बढ़े हुए थे कि सविधान निर्माण का उत्तरदायित्व स्वयं भारतीयों का था और ब्रिटिश सरकार उस सविधान को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य थी जिस पर भारतीय महमत हो।

इन प्रस्तावों में मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने का प्रयास भी किया गया था। इन प्रस्तावों में यह सुझाव कि प्रांत नवीन सविधान को स्वीकार करने के लिये स्वतंत्र होंगे इस बात का प्रतीक था कि इनमें पार्लियामेंट की मांग का अग्रतम रूप में स्वीकार किया गया था। इतना ही नहीं, इन प्रस्तावों में लीग का यह प्रास्ताव भी दिया गया कि यदि वह पार्लियामेंट की मांग पर दब रही तो यह प्रांत उद्देश्य में सफल हो सकती है।

क्रिप्स प्रस्तावों की आलोचना या अस्वीकृति—क्रिप्स प्रस्ताव वास्तविकता में बहुत दूर थे। य "गांधीजी की पिढारी मात्र ही स दिखाती है चमकीली परतु बन्दुन गायन और धमकूण थे। ये केवल 'तमाशा मात्र थे जिनका उद्देश्य भारत

तथा विश्व की आंखों में घूल भोकना था। ये ईमानदारी रहित प्रचार हथकड़े थे जो अन्तर्गर्भीय मित्रों को शांत कर यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि भारत की समस्या इतनी जटिल है कि इसका समाधान युद्ध काल में नहीं हो सकता। नेहरूजी ने अपने मित्र त्रिप्स को ठीक ही "शतान के वकील" की सजा दी।

भारत के सभी राजनीतिक दलों ने त्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया यद्यपि प्रत्येक ने अपनी अस्वीकृति के भिन्न भिन्न कारण प्रस्तुत किये। कांग्रेस ने इन्हे इसलिये अस्वीकार किया था कि इनमें प्रतिप्रियावादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया गया था। ब्रिटिश शासक भारतीयों को वास्तविक सत्ता प्रदान करने के इच्छुक नहीं थे। वे न तो गवर्नर जनरल को सवधानिक अध्यक्ष बनाने के इच्छुक थे और न ही वायपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहते थे। कांग्रेस ये तीनों बातें चाहती थी। संक्षेप में, कांग्रेस मंत्रिमण्डलात्मक सरकार की स्थापना चाहती थी परन्तु ब्रिटिश शासक इसे देने के लिए तैयार नहीं थे। 'मुस्लिम लीग' ने त्रिप्स प्रस्तावों को इसलिये अस्वीकार कर दिया कि इनमें पाकिस्तान की मांग को स्पष्टतया स्वीकार नहीं किया गया था तथा उसे भी दूर की सम्भावना मान बना दिया गया था।

सिक्खों ने त्रिप्स प्रस्तावों को इसलिये अस्वीकार कर दिया कि वे अपनी जन्म भूमि पंजाब को महादेश से पृथक करने के इच्छुक नहीं थे। उनका यह विश्वास था कि पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष स्वीकृति सिक्ख सम्प्रदाय के साथ विश्वासघात है। हिंदू महासभा ने त्रिप्स प्रस्तावों को इसलिये अस्वीकार कर दिया कि इसमें "देश को टुकड़ों में बाटने (Balkanization of the Country) की चेष्टा की गयी थी। सर तेज बहादुर सप्रु और डा. जयकर जैसे उदारवादि्यों तक ने इन प्रस्तावों को 'गातम निर्णय का उपहास' कह कर अस्वीकार कर दिया। अनुसूचित जाति के लोग भी इन प्रस्तावों से असंतुष्ट थे। उनका कहना था कि इन प्रस्तावों के स्वीकार कर लिये जाने पर उन्हें सर्वार्थ 'हिंदू शासन' के अधीन रहना पड़ेगा। राजनीतिक दलों में केवल रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी (Radical Democratic Party) ही ऐसी पार्टी थी जिसने त्रिप्स प्रस्तावों का स्वीकार किया परन्तु इस दल का महत्व भारत में कुछ नहीं था।

त्रिप्स प्रस्तावों ने भारत के प्रत्येक वर्ग, जाति और दल को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया और यही कारण है कि ये किसी का भी प्रमत्त करने में असफल रहे। डा० पट्टाभि सीतारमय्या ने ठीक लिखा है कि "त्रिप्स योजना में भिन्न भिन्न प्रकार के स्वार्थ वाले लोगों को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की रचिवर बातें थी। कांग्रेस को प्रसन्न करने के लिए इसमें पूर्ण अधिराज्य, सवैधानिक सभा और ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से पृथक् होने के तत्व विद्यमान थे मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने के लिए इसमें सबसे बड़ी सत्ता की बात यह थी कि प्रत्येक प्रांत का सध में सम्मिलित होने या न होने का अधिकार था। भारतीय नरेशों का सध में सम्मिलित

होने या उगमे पृथक् रहने का वेचन अधिनार ही नहीं लिखा गया।
गैरपारित सभा में प्रतिनिधि नामांकित करने का उन्हें एक मंत्र
गया था।"

त्रिपक्ष प्रस्तावों के अस्वीकृत (अग्रगण्य) होने के मूल कारण निम्न

1 प्रस्ताव भविष्य से सम्बन्धित थे वर्तमान से नहीं—किन्तु
निराशाजनक, अनिश्चित और भविष्य के गम में डूबे हुए थे। अतः
कोई सम्बन्ध नहीं था। इनमें न तो सत्ता हस्तांतरण का समय निर्दिष्ट
था और न ही इनमें उत्तरदायी या राष्ट्रीय सरकार का व्यवस्थापक
जहाँ कांग्रेस प्रशासन में तत्काल परिवर्तन की मांग कर रही थी वहाँ
भविष्य का महत्व सम्झा रहे थे।

गांधीजी ने भी प्रस्तावों को "भविष्य की तिथि में मुद्रित वाले चेक"
(dated cheque) की संज्ञा दी जिसमें एक अर्थ आलोचक ने 'निर्वाण'
(on a failing bank) के शब्द और जोड़ दिये।

2 प्रतिक्रियावादी तत्वों को बढ़ावा—कांग्रेस कार्यकारिणी
भारतीयों के आरम नियम के सिद्धांत को स्वीकार करती थी वहाँ उत्तम
विश्वास था कि उससे सलग्न धाराएँ और बाधाएँ ऐसी हैं कि वास्तविक
केवल दिखावा या धोखा मात्र बन कर रह सकती है। कांग्रेस इस बात को
स्वीकार नहीं कर सकती थी कि संवैधानिक सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि
को वहाँ के नरेश नामांकित करें। इन प्रस्तावों में देशी रियासतों के प्रतिनिधि
निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह न केवल देशी रियासतों की
जनता की अपेक्षा थी बल्कि उनके "शासकों के हाथों की व्यापारिक वस्तु बना
प्रजातान्त्रिक और स्वशासित सस्याओं के विपरीत था। इतना ही नहीं, 1931
तथा प्रतिक्रियावादी तत्व मिलकर प्रगतिशील तत्वों के विकास में बाधा प्रस्तुत
सकते थे।

3 विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा—किन्तु प्रस्ताव भारतीय अग्रगण्यता
आधारित नहीं थे बल्कि उनमें उसके विनाशक तत्वों को स्पष्ट एवं दृढ़
प्रयास किया गया था। प्रस्तावों में इस सिद्धांत को सम्मिलित किया गया था कि
प्रांत और देशी रियासतों भारत सभ में सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र होंगे।
इसका अर्थ यह था कि प्रांत या राज्य सभ से पृथक् रह सकते हैं और भारत के
भिन्न भिन्न टुकड़े कर सकते हैं। यह स्पष्टतया "भारतीय एकता का धारणा पर
घातन प्रहार था।" इसमें ही साम्प्रदायिक भावनाओं, साम्प्रदायिक दंगों और
अपद्रवों के बीज विद्यमान थे। इसमें ही मुस्लिम लीग को प्राप्त किया गया था
कि यदि वह अपनी मांग पर दृढ़ रहें तो उन्हें अपने उद्देश्यों में सफलता मिल सकती
है। प० नेहरू ने ही कहा है कि "राज्य और प्रांत गव्यधान निर्माण में नए
लेंगे, उसे प्रभावित भी करेंगे, परन्तु स्वयं वे उसमें बाधक रह सकते हैं एन सुन्दर"

प्रगतिशील एवं एकीकृत राष्ट्रीय राज्य के निर्माण के प्रयत्न को, भिन्न भिन्न प्रतिक्रियावादी तत्व इकट्ठे होकर, विफल कर सकते थे।”

क्रिप्स प्रस्तावों में यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि संविधान निर्माण में प्रांत या राज्य प्रतिगामी तत्वों के रूप में कार्य नहीं करेंगे, वे भारतीय अल्सटर नहीं बनेंगे। वस्तुतः स्थिति यही थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इन्हीं “गढ़वा” में अपने “अड्डे” जमाये रखना चाहते थे और जब तक वे यहाँ थे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होना कठिन था।

4 वास्तविकता सत्ता ब्रिटिश हाथों में थी—कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्तावना को स्वीकार न करने का मुख्य कारण सुरक्षा विभाग को ब्रिटिश शासन के अधीन रखना था। इसका अर्थ यह था कि ब्रिटिश शासकों की दृष्टि में भारतीय अपने देश की सुरक्षा करने में योग्य नहीं थे। कांग्रेस अपने आपको योग्य समझती थी और एक जुट होकर सकट का सामना करने के लिए तैयार थी। कांग्रेस का कहना था कि सकट में सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसका प्रभाव मजदूर जीवन पर पड़ता है। सुरक्षा विभाग को अपने अधीन रखकर ब्रिटिश शासक उत्तरदायित्व का गला घोटना चाहते हैं।

5 गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक अध्यक्ष की नहीं थी—क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत जनरल की स्थिति संवैधानिक अध्यक्ष की नहीं थी। कांग्रेस इस बात पर दृढ़ थी कि गवर्नर जनरल एवं संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करें और कायपालिका मंत्रिमण्डल के रूप में कार्य करें। परंतु ब्रिटिश शासक गवर्नर जनरल के हाथों में निषेधाधिकार (Veto) की शक्ति रखना चाहते थे। कांग्रेस इस बात पर दृढ़ रही कि कायपालिका “एक स्वतंत्र सरकार के रूप में” कार्य करे और क्रिप्स ऐसा आश्वासन देने में असमर्थ थे। अंत प्रस्ताव असफल रहे।

6 क्रिप्स का बहुदलीय स्वरूप—क्रिप्स और भारतीय नेताओं में लगभग 20 दिन तक वार्तालाप होती रही। परंतु इतने अल्प समय में क्रिप्स के दो रूप सामने आये जिससे अंग्रेजों के नेक इरादों पर शका हाना स्वाभाविक था। वार्तालाप के प्रथम चरण में (29 मार्च, 1942) क्रिप्स ने भारतीय नेताओं को ‘पूर्ण और निरपेक्ष आत्मनिर्णय तथा स्वशासन’ का आश्वासन दिया था परंतु वार्तालाप के दूसरे चरण में (1 अप्रैल, 1943) उसने मौलाना आजाद से कहा कि “कानून में परिवर्तन किये बिना कायसराय की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस वाक्य से स्पष्ट था कि कायपालिका को ‘निर्णय की पूर्ण एवं निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गयी थी। यह समझ नहीं आता कि एक बार पूर्ण निरपेक्ष आत्मनिर्णय, स्वशासन और मंत्रिमण्डलात्मक सरकार का आश्वासन देकर ‘कानून में परिवर्तन’ और कायकारिणी परिषद’ की बात करणा कहा तब व्यापकित था। क्रिप्स ने अपने पूर्ववर्ती विश्वासों और स्पष्टीकरण को सम्भवतया इसलिये बदला था कि चर्चित ने उसे चेतावनी दे दी थी कि “यदि वह वार्तालाप में बहुत दूर चला गया

होने या उससे पृथक् रहने का केवल अधिकार ही नहीं दिया गया था बल्कि संवैधानिक सभा में प्रतिनिधि नामांकित करने का उन्हें एक मात्र अधिकार दिया गया था।”

त्रिप्स प्रस्तावों के अस्वीकृत (असफल) होने के मूल कारण निम्न थे—

1 प्रस्ताव भविष्य से सम्बन्धित थे वर्तमान से नहीं—त्रिप्स प्रांत निराशाजनक, अनिश्चित और भविष्य के गर्भ में डूबे हुए थे। तत्काल से जहाँ कोई सम्बन्ध नहीं था। इनमें न तो सत्ता हस्तांतरण का समय निश्चित किया गया था और न ही इनमें उत्तरदायी या राष्ट्रीय सरकार की व्यवस्था ही की गयी थी। जहाँ कांग्रेस प्रशासन में तत्काल परिवर्तन की मांग कर रही थी वहाँ त्रिप्स प्रांत भविष्य का महत्व समझा रहे थे।

गांधीजी ने भी प्रस्तावों को “भविष्य की तिथि में भुनाने वाले चक” (3rd dated cheque) की मज़ा दी जिसमें एक अर्थ आलोचक ने “दिवानिये बँक (on a failing bank) के शब्द और जोड़ दिये।

2 प्रतिक्रियावादी तत्वों को बढ़ावा—कांग्रेस कायकारिणी समिति व भारतीयों के आत्म निर्णय के सिद्धांत को स्वीकार करती थी वहाँ उसका पूर्ण विश्वास था कि उससे सलग्न धाराएँ और बाधाएँ ऐसी हैं कि वास्तविक स्वतंत्र केवल दिग्भावा या धोखा मात्र धन कर रह सकती है। कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती थी कि संवैधानिक सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को वहाँ के नरेश नामांकित करें। इन प्रस्तावों में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह न केवल देशी रियासतों की प्रजातान्त्रिक और स्वशासित सस्यामों के विपरीत था। इतना ही नहीं, अनुशासित तथा प्रतिक्रियावादी तत्व मिलकर प्रगतिशील तत्वों के विकास में बाधा प्रस्तुत करते थे।

3 विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा—त्रिप्स प्रस्ताव भारतीय प्रजातान्त्रिक आधिपत्य को बढ़ावा देने के लिए उनमें उनके विभाजन के तत्काल का पुष्ट एवं दृढ़ बनने प्रयास किया गया था। प्रस्तावों में इस सिद्धांत को सम्मिलित किया गया था प्रांत और देशी रियासतों भारत सभ में सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र इकाई के रूप में था कि प्रांत या राज्य सभ में पृथक् रहना था और न ही अलग अलग इकाई के रूप में था। यह स्पष्ट था कि भारतीय प्रजातान्त्रिक आधिपत्य को बढ़ावा देने के लिए विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। इसमें ही मुस्लिम लीग को प्राणनाशन किया गया है। यह स्पष्ट है कि “भारत और प्रांत गणराज्य निर्माण में एक ही धारा हैं।”

प्रगतिशील एवं एकीकृत राष्ट्रीय राज्य के निर्माण के प्रयास को, भिन्न भिन्न प्रति-क्रियावादी तत्व इकट्ठे होकर, विफल कर सकते थे।”

क्रिप्स प्रस्तावों में यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि संविधान निर्माण में प्रांत या राज्य प्रतिगामी तत्वा के रूप में काय नहीं करेंगे, वे भारतीय अल्सटर नहीं बनेंगे। अस्तुत स्थिति यही थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इन्हीं “गड्डों” में अपने “अड्डे” जमाये रखना चाहते थे और जब तक वे यहाँ थे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होना बठिन था।

4 वास्तविकता सत्ता ब्रिटिश हाथों में थी—कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्तावना को स्वीकार न करने का मुख्य कारण सुरक्षा विभाग को ब्रिटिश शासन के अधीन रखना था। इसका अर्थ यह था कि ब्रिटिश शासकों की दृष्टि में भारतीय अपने देश की सुरक्षा करने में योग्य नहीं थे। कांग्रेस अपने आपको योग्य समझती थी और एक जुट होकर सक्कट का सामना करने के लिए तयार थी। कांग्रेस का कहना था कि सक्कट में सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसका प्रभाव सबत्र जीवन पर पडता है। सुरक्षा विभाग को अपने अधीन रखकर ब्रिटिश शासक उत्तरदायित्व का गला घोटना चाहते हैं।

5 गवर्नर जनरल की स्थिति संवधानिक अध्यक्ष की नहीं थी—क्रिप्स प्रस्तावों के अंतगत जनरल की स्थिति संवधानिक अध्यक्ष की नहीं थी। कांग्रेस इस बात पर दृढ़ थी कि गवर्नर जनरल एक संवधानिक अध्यक्ष के रूप में काय करे और कायपालिका मंत्रिमण्डल के रूप में काय करे। परन्तु ब्रिटिश शासक गवर्नर जनरल के हाथों में निषेधाधिकार (Veto) की शक्ति रखना चाहते थे। कांग्रेस इस बात पर दृढ़ रही कि कायपालिका “एक स्वतंत्र सरकार के रूप में” काय करे और क्रिप्स ऐसा आश्वासन देने में असमर्थ थे। अंत प्रस्ताव असफल रहे।

6 क्रिप्स का बहुहृषिया स्वरूप—क्रिप्स और भारतीय नेताओं में लगभग 20 दिन तक वार्तालाप होती रही। परन्तु इतने अल्प समय में क्रिप्स के दो रूप सामने आये जिससे अंग्रेजों के नेक इरादा पर शका होना स्वाभाविक था। वार्तालाप के प्रथम चरण में (29 मार्च, 1942) क्रिप्स ने भारतीय नेताओं को ‘पूर्ण और निरपेक्ष आत्म निणय तथा स्वशासन’ का आश्वासन दिया था परन्तु वार्तालाप के दूसरे चरण में (1 अप्रैल, 1943) जमन मौलाना आजाद से कहा कि “कानून में परिवर्तन किये बिना कायसराय की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस वाक्य से स्पष्ट था कि कायपालिका को ‘निणय की पूर्ण एवं निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गयी थी। यह समझ नहीं आता कि एक बार पूर्ण निरपेक्ष आत्म निणय, स्वशासन और मंत्रिमण्डलात्मक सरकार का आश्वासन देकर “कानून में परिवर्तन” और कायकारिणी परिपक्व” की बात करना कहाँ तक “यायोचित था। क्रिप्स ने अपने पूर्ववर्ती विश्वासों और स्पष्टीकरण का सम्भवतया इसलिये बदला था कि चर्चिल ने उसे चेतावनी दे दी थी कि “यदि वह वार्तालाप में बहुत दूर चला गया

तो उसका तिरस्कार कर दिया जायगा।' मौलाना आजाद ने ठीक लिखा है कि "ज्यो-ज्यो बात-चात आगे बढ़ती गयी त्या त्यो वह सब्ज दाग सुखता गया जो गुरु में स्टैफड ने दिखाया था। डा० क्वेसी लिखते हैं कि "सर क्रिप्स केवल घोषेबाजी, छद्म, कपट, विश्वासघात तथा दोहरी चालों से काम ले रहे हैं, जिस पर उन्हें तनिक भी पाश्चात्ताप नहीं था।"

7 हेलीफक्स का निराशपूर्ण एव निराधार भाषण—कांग्रेस और क्रिप्स के मध्य चल रहे विचार विमर्श का अचानक विफल होने का कारण हेलीफक्स द्वारा दिया गया 7 अप्रैल, 1942 का भाषण था। यह भाषण न केवल अनावश्यक था बल्कि हेलिफक्स का यह कथन कि "कांग्रेस से सहाय्य प्राप्त नहीं हुआ और क्रिप्स का यह आरोप कि "कांग्रेस अल्पसंख्यकों पर आधिपत्य जमाना चाहती है" ब्रिटिश धृति और मक्कारी के प्रमाण थे। क्रिप्स भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने नहीं आया था बल्कि अपने अंतर्राष्ट्रीय मित्रों को शांत करने के लिए इनके द्वारा ढोंग रचा गया था। जैसा कि जानसन ने लिखा है कि "लाड हेलिफक्स के भाषण ने क्रिप्स मिशन की असफलता के काय को पूरा कर दिया, सम्भवतः इसका भी उद्देश्य यही था।"

क्रिप्स प्रस्तावों को 11 अप्रैल, 1942 को वापस ले लिया गया और 12 अप्रैल, 1942 को क्रिप्स लंदन के लिये रवाना हो गये।

क्या कांग्रेस क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार करने में न्यायोचित थी? क्या क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकृत करने में न केवल मही थी बल्कि न्यायोचित भी थी। ब्रिटिश शासक बार-बार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की चिंता व्यक्त कर रहे थे और क्रिप्स प्रस्तावों में "भारत ब्रिटिश सचि" में इनकी व्यवस्था की गयी थी। वस्तुतः यह चिंता अल्पसंख्यकों के हितों के लिए नहीं थी बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों के लिए थी। इनकी आड़ में ही ब्रिटिश हितों की रक्षा की जा रही थी। १० अक्टूबर १९४० आर० लुम्बी ने ठीक लिखा है कि "जब तक भारत में बहुमत की इच्छा का विरोध करने वालों एक भी अल्पसंख्यक जाति विद्यमान थी तब तक सत्ता का बंटवारा रखने की ब्रिटिश शासकों की क्या यह कपट चाल नहीं थी? यदि ब्रिटिश शासकों के नेक इरादों पर विश्वास कर भी लिया जाय तो देश में तृतीय दल (ब्रिटिश शासकों) के विद्यमान होने से, जो अपनी सारी सत्ता का प्रयोग नेताओं की शक्ति रखने में कर रही थी, यूनानम समझौते की क्या सम्भावना थी? ब्रिटिश व्यवहार क्या हठधर्मिता का निमंत्रण नहीं दे रहा था और इस व्यवहार में लाभ उठा कर क्या जिना ब्रिटिश खेल को नहीं खेल रहा था?"

चर्चित के वक्तव्यों से स्पष्ट था कि वह भारत को दाम्निविक सत्ता देने का इच्छुक नहीं था। दूसरे चर्चित जम बट्टर साम्राज्यवादियों से यह आशा करना सिद्ध था कि युद्ध काल में वह भारतीयों को वास्तविक सत्ता हस्तांतरित करने का इच्छुक था। नयुन सरकार में प्रधान मंत्री बनने के बाद 11 मई, 1940 को ही उन

घोषणा की थी कि वह "सम्राट की सरकार का प्रथम मन्त्री इसलिये नहीं बना था कि वह साम्राज्य के पतन की अध्यक्षता करे।" यह पूछे जाने पर कि क्या अटलाटिक चाटर भारत पर लागू होता है तो चर्चिल ने सितम्बर, 1941 में ही कह दिया था कि यह भारत पर लागू नहीं होता। युद्ध काल में सुरक्षा विभाग में चर्चिल भारतीयों को घुमाने भी नहीं देना चाहता था, सुरक्षा विभाग को भारतीयों को सौंपने का प्रश्न ही नहीं था। उसकी स्पष्ट धारणा थी कि "सुरक्षा यन्त्र में विरोधी तत्वों को मिलाना काय को कुंठित करना है।"

स्पष्ट है कि निम्न प्रस्ताव कांग्रेस की दृढ़ नीति के कारण नहीं बल्कि ब्रिटिश शासक की घृणता और मक्कारी के कारण असफल हुए। भारतीयों को वास्तविक स्वतंत्रता देने की भावना से प्रेरित होकर चर्चिल ने निम्न को भारत नहीं भेजा था बल्कि "ज्वार युक्त (राष्ट्रीय) आंदोलन को रामोश (ठण्डा) करने के लिये" (To still febrile agitation) अपनी परगानिया का दूर करने के लिये और मित्र राष्ट्रों को शांत करने के लिये उसे भेजा था।

भारत छोड़ो आन्दोलन

कारण—सन् 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के शुरू होने के मुख्य कारण निम्न थे

1 क्रिप्स प्रस्तावों की असफलता तथा देश में निराशा और असंतोष का वातावरण— जिस नाटकीय ढंग से निम्न प्रस्तावों को वापिस लिया गया था उसने स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार अपनी पुरानी नीति से टट से मस नहीं हुई और वह भारतीयों को वास्तविक सत्ता हस्तांतरित करने की इच्छुक नहीं। प्रस्तावों की असफलता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इनका मुख्य उद्देश्य प्रचारात्मक था और इन्हें अमरीका जैसे मित्र राष्ट्रों को सन्तुष्ट करने के लिये प्रस्तुत किया गया था। इन प्रस्तावों द्वारा ब्रिटिश सरकार यह भी प्रदर्शित करना चाहती थी कि भारत में साम्प्रदायिक समस्या इतनी जटिल है कि इसका समाधान शीघ्र नहीं हो सकता अर्थात् भारतीयों में एकता के अभाव में उन्हें सत्ता हस्तांतरण करना सम्भव नहीं। इस तरह निम्न प्रस्तावों ने जहाँ निराशा और असंतोष के वातावरण को जन्म दिया वहाँ ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को भी गति प्रदान की।

2 सरकार की दमनकारी नीति— ब्रिटिश सरकार ने केवल भारतीय राजनीतिक और सर्वधार्मिक विकास के प्रति उदासीन थी बल्कि उसने कांग्रेस को खण्डित करने, सरकार के समर्थकों का बढ़ावा देने, अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने और विरोधियों के दमन करने की नीति का सहारा लिया। जसावि नेहरू ने लिखा है कि सरकार "साधारण राजनीतिक और सावजनिक कार्य" के दमन

1 Nehru Discovery of India p 478 quoted by Gupta, D C
Ibid, p 212

का प्रयास कर रही थी। बहुत से कांग्रेसी पहले से ही जेलों में जीवन व्यतीत कर रहे थे और बहुतों को और अधिक मात्रा में जेलों में ठूसा जा रहा था। मई, 1942 में यू० पी० के प्रमुख नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। सरकार की इस नति ने अविश्वास और निराशा को जन्म दिया।

3 सुभाष का आजाद हिन्द रेडियो से उग्र प्रचार—15 फरवरी, 1942 को सिंगापुर के पतन के बाद सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द रेडियो से भारतीय जनता के नाम सन्देश देना शुरू कर दिये।¹ जैसे जैसे युद्ध की गति तीव्र होती गई बमेन्ड बोम के रेडियो भाषण सतत, प्रभावशाली और उग्र होते गये। इन भाषणों में बमेन्ड जोशीले और भडकाने वाले शब्दों का प्रयोग करते। वे भारतीय जनता को बार-बार बताने लगे कि "ब्रिटिश सरकार की कठिनाई भारत की स्वतन्त्रता के लिए स्वाभाविक अवसर है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शत्रु हमारे मित्र और सहयोगी हैं", सामान्य शत्रु को हराने के लिये तथा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त करने के लिए भारत की सभी शक्तियों को पारस्परिक सहयोग करना चाहिये। वे जापान के साथ पूर्ण सहयोग पर बल दे रहे थे और भारतीया को उकसा रहे थे कि वे जापानियों को "उद्धारकर्ता" और "सहायक" के रूप में स्वागत करें।

4 जापान के आक्रमण की सम्भावना—ब्रिटिश विरोधी भावनाओं और जापान की दक्षिण पूर्वी एशिया में सफलताओं ने भारतीयों को जापान की ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। बोस के भाषणों का प्रभाव भी भारतीय जनता पर बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस को यह भय था कि वही "ब्रिटिश विरोधी भावना जापान के पक्ष में न हो जाये" और जापानी आक्रमण को वही "भारतीय स्वीकार न कर लें।" परन्तु कांग्रेस किसी भी दशा में अपने "स्वामिया" को बर्तने का इच्छुक नहीं थी। जापानी आक्रमण का सामना करने के लिए, स्वतन्त्रता की लड़ना को बनाये रखने के लिए और जनता को उत्साहित करने के लिये किसी दृढ़ और दौलत कायम की आवश्यकता थी और भारत छोड़ो आन्दोलन द्वारा कांग्रेस इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती थी।

वर्षा प्रस्ताव—कांग्रेस कार्यकारिणी समिति (CWC) ने एक बैठक 27 अगस्त 1942 को दलाहाबाद और दूसरी बैठक 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई। इन बैठकों में गांधीजी की इस विचारधारा का समर्थन किया गया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ कर चले जाना चाहिए। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जिस प्रस्ताव का समर्थन कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने किया उसकी मुख्य बातें निम्न थी

- (1) भारत में ब्रिटिश शासन का अन्त सीधे-सीधे (तत्काल) होना चाहिए।
- (2) दासता की स्थिति में भारत सुरक्षा के साधनों को नहीं जुटा सकता।

1 Subhash made his first broadcast to the Indian people on 15th February, 1942 See Chatterji, Amiya, Ibid p 207

- (iii) भारत की स्वतंत्रता न केवल भारत के हित में आवश्यक है बल्कि विश्व की सुरक्षा और नाजीवादी, फासीवादी, सैन्यवादी या अन्य किसी प्रकार के साम्राज्यवादी आक्रमण का अंत करने के लिए भी आवश्यक है।
- (iv) ब्रिटिश शासन के तत्काल अंत की मांग करके कांग्रेस ब्रिटिश या मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों में बाधा प्रस्तुत नहीं करना चाहती और न ही किसी आक्रमण को प्रोत्साहित करना चाहती है।
- (v) यदि इस मांग को स्वीकार न किया गया तो कांग्रेस, गांधीजी के नेतृत्व में अहिंसक आन्दोलन को शुरू करेगी।

वर्षों के उपयुक्त प्रस्तावों के पास होने के बाद समिति ने सरकार को प्रस्तावों पर विचार करने के लिये 24 दिन का अवसर दिया और 7 अगस्त, 1942 को प्रकृत भारतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक बम्बई बुलाने का निश्चय किया।

आन्दोलन शुरू करने से पूर्व गांधीजी सरकार से बातचीत करना चाहते थे। वर्षों के उद्देश्य, स्वरूप और महत्त्व को बताने के लिए गांधीजी ने मिस सलेड, जो मीरा बेन (Mira Ben) के नाम से प्रसिद्ध है, को वायसराय से भेंट के लिए भेजा परंतु वायसराय ने मिस सलेड से भेंट करने से इंकार कर दिया।

बम्बई अधिवेशन और भारत छोड़ो आन्दोलन—वर्षों के अनुसार प्रखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) का अधिवेशन बम्बई में 7 अगस्त, 1942 का शुरू हुआ। इस अधिवेशन में प्रखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति (CWC) के 14 जुलाई, 1942 के वर्षों प्रस्ताव का न केवल अनुसमर्थन किया बल्कि उसे सही और उचित भी समझा गया। यही प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में “भारत छोड़ो” प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्न थीं—

- (1) “भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत” और भारत की स्वतंत्रता की तत्काल स्वीकृति।
- (ii) “स्वतंत्रता की लालिमा” ही भारत में ब्रिटिश विरोधी भावना को सद्भावना में परिवर्तित कर सकती है। गुनाम भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चिह्न रहेगा और साम्राज्यवाद का यह ध्वज सयुक्त राष्ट्रों की समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
- (iii) भारत की स्वतंत्रता न केवल भारत के लिए अपितु सयुक्त राष्ट्रों की सफलता और विश्व सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। स्वतंत्र भारत ही नाजी, फासी और साम्राज्यवादी आक्रमण के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
- (iv) साम्प्रदायिक समस्या का समुचित समाधान केवल इसलिये नहीं है

सका कि विदेशी सत्ता ने (ब्रिटिश शासकों ने) "विभाजन की नीति को बड़ी निपटुरता से लागू किया है।

(v) भारत की स्वतंत्रता की घोषणा होने पर एक अस्थायी सरकार निर्माण किया जायगा और स्वतन्त्र भारत मित्र राष्ट्रों का साथ जायगा जो स्वतंत्रता और प्रजातन्त्र की रक्षा में उनके सभी पराक्रम और आपत्तियाँ में साभेदार होगा।

(vi) अस्थायी सरकार की स्थापना देश के सभी प्रमुख दलों और जनता के सहयोग से की जायगी अर्थात् अस्थायी सरकार समुक्त (मित्र राष्ट्र सरकार होगी जिसमें भारत के सभी महत्वपूर्ण वर्गों के प्रतिनिधि होंगे।

(vii) एक सर्वधार्मिक सभा की स्थापना की जायगी जो सर्वोच्च सचिवालय का निर्माण करेगी। कांग्रेस के दृष्टिकोण में यह सार्वजनिक मतात्मक होगा जिसमें एकको का अधिकतम स्वायत्तता दी जायगी अर्थात् अवशिष्ट शक्तियाँ एकको के पास रहनी।

(viii) भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की भांग करके कांग्रेस मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों में बाधा नहीं डालना चाहेगी और न ही किसी आक्रमण को बढ़ावा देना चाहेगी है। कांग्रेस अथवा किसी आक्रमण का प्रतिरोध करने और चीन की सुरक्षा के लिये यदि इच्छा प्रकट की जाय तो कांग्रेस मित्र राष्ट्रों की सहायता को भारत में रखने के लिए तैयार है।

(ix) यदि ब्रिटिश शासन न स्वतंत्रता की भांग को स्वीकार न किया तो कांग्रेस स्वतंत्रता के अविच्छेद्य अधिकार को प्राप्त करने के लिए 22 वर्षों की अहिंसक शक्ति के गठन के आधार पर, गांधीजी के नेतृत्व में विशाल पैमाने पर अहिंसक आन्दोलन को शुरू करेगी।

अंग्रेज भारतीय कांग्रेस समिति के प्रस्ताव के उपर्युक्त तत्वों से स्वतंत्रता के लिए "भारत छोड़ो (Quit India) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। गणराज्य जिस शब्द का प्रयोग किया था वह था "भारत में ब्रिटिश की क्रमबद्ध और व्यवस्थित वापसी" (Orderly and timely British withdrawal from India) शब्द को छोड़ो (Quit India) शब्द का प्रयोग तो अंग्रेजी पत्रकार न गांधीजी के हस्तक्षेप से किया था, जिसका प्रयोग बाद में सरकार प्रेष और लोग ने किया। दूसरे देशों में भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, ब्रिटिश या मध्यम राष्ट्रों की भौतिक उपस्थिति की गमाव की बात नहीं की गई थी। यही प्रस्ताव प्रयोग के लिए, कांग्रेस ने ब्रिटिश और मध्यम राष्ट्रों की गमाव का भारत में पर गमाव प्रकट की थी। तीसरे प्रस्ताव में 'भारत छोड़ो' का प्रयोग विस्तृत वाक्य में प्रस्तुत नहीं किया गया था। चौथे प्रस्ताव में गमाव का प्रयोग नहीं किया गया था। अंग्रेजों के विचारों को निपटार नहीं किया गया था। अंग्रेज यह बात नहीं

आन्दोलन गाधीजी के नेतृत्व में शुरू किया जायगा अर्थात् प्रस्ताव ने गाधीजी को आन्दोलन शुरू करने की अनुमति दी थी। प्रस्ताव ने आन्दोलन शुरू नहीं किया था।

कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी—गाधीजी ने यह सावजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि आन्दोलन शुरू करने से पूर्व वे वायसराय को पत्र लिखेंगे और उसके उत्तर का इंतजार करेंगे। दूसरे शब्दों में यह आन्दोलन तभी शुरू किया जाना था जब ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते के सभी प्रयास निष्फल हो जाते और गाधीजी इसकी अनुमति दे देते। परन्तु सरकार ने इस बार उन्हें बातचीत या समझौते का अवसर ही नहीं दिया और 9 अगस्त, 1942 की रात को गाधीजी, उनकी पत्नी, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य और बम्बई के 40 प्रमुख नागरिकों को हिरासत (गिरफ्तार) में ले लिया। गाधीजी और श्रीमती नायडू को पूना में आगा खा महल में और अन्य नेताओं को अहमदनगर के मुगल किले में बंदी बना दिया गया। सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि कांग्रेस के व्यवहार के कारण ही ऐसा किया गया है।

स्वचालित जन आन्दोलन—कांग्रेसी नेताओं की अचानक गिरफ्तारी ने जनता में क्रोध की ज्वाला पैदा कर दी, उसमें विजयती जैसी उत्तेजना उत्पन्न हो गई। जो आन्दोलन गाधीजी के नेतृत्व में विधिवत शुरू किया जाना था वह स्वतः शुरू हो गया। नेतृत्वहीन जनता ने आन्दोलन को जन आन्दोलन का रूप दिया। नेतृत्व युवा पीढ़ी ने सम्भाला। नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जलूस निकाले गये, उनकी स्वतन्त्रता (रिहाई) के लिये प्रदर्शन किये गये, सभाओं और हड़ताला का आयोजन किया गया। सरकार का दमन चक्र भी अपनी बबरतापूर्ण प्रकृति में प्रकट हुआ। “कांग्रेस समितियों को गैर कानूनी सस्थायें घोषित कर दिया गया, कांग्रेस कार्यालयों को हथिया कर उन पर ताले लगा दिये गये और कांग्रेस कार्यक्रमों को निषेध कर दिया गया।” जन आन्दोलन के सम्बंध में किसी खबर को छापने या आन्दोलन का दमन करने के लिए सरकार के द्वारा अपनाये गये तरीकों को छापने पर केवल सरकारी सूत्रों से प्राप्त समाचारों को छोड़कर पाबंदी लगा दी गई। सरकार ने देश में पुलिस राज्य की स्थापना की, अध्यादेश जारी किये गये, नग्न शक्ति का प्रदर्शन किया गया, गोलियां चलायी गईं, अश्रुगस छोड़ी गईं, लाठियां बरसाई गईं, गिरफ्तारियां की गईं। प्रदर्शनकारियों ने भी हिंसक साधना को अपनाया। रेलवे स्टेशन नष्ट किये गये, पुलिस स्टेशनों को जलाया गया, डाक घरों पर हमले किये गये, टेलीफोन और तार की लाइनें काट दी गईं, सरकारी भवनों का जन्नाकर राख कर दिया गया, अंग्रेजी शासन की अर्थी निकाली गई, सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराये गये आदि।

सरकार ने जितने दमनकारी साधना का सहारा लिया, आन्दोलन उतना ही प्रचण्ड और तीव्र होता गया और सरकार और अधिक कठोर और सख्त बंदम उठाती।

अनेक स्थानों पर हवाई जहाजों से मशीनगनों द्वारा भीड़ पर गोलियाँ चलाई गईं। सामूहिक दण्ड दिये गये, गाव के गाव को कोड़े मारे गये, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मकानों को जलाया गया, युवकों को पीटा गया। सन् 1857 के विद्रोह का स्मरण करने के लिए जिन क्रूर, नृशंस और निन्द्य साधनों का प्रयोग किया गया था, वे साधनों का प्रयोग इस "स्वचालित जन आन्दोलन" का दमन करने के लिए प्रयोग किया गया। हजारों व्यक्ति सरकार की गोलियों के शिकार हुए, हजारों जलो में मारे गये, हजारों भूमिगत हो गये।

सन् 1942 के आन्दोलन में लोगों की भीड़ों और पुलिस तथा फौजों के सडकों पर खुली लड़ाई हुई। अनेक स्थानों पर ब्रिटिश शासन बिल्कुल ठप्प हो गया और समानान्तर सरकारें स्थापित की गईं। सयुक्त प्रांत के बलिया और बस्ती जिलों में, बम्बई में सितारा में, बंगाल में मिदनापुर में और बिहार के अग्र भागों में भारतीयों ने समानान्तर सरकारें स्थापित कीं। इन स्थानों को सरकार ने "जीत" लिया।

आन्दोलन की असफलता—तीन महीनों के क्रूर और नृशंस दमन के बाद सरकार पशु शक्ति के आधार पर आन्दोलन का दमन करने में सफल हुई। आन्दोलन भी अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। न तो यह ब्रिटिश शासन का तत्काल अन्त कर सका और न ही भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों व वर्गों में एकता या सहयोग की भावना उत्पन्न कर सका। इस असफलता का मूल कारण कांग्रेस नेताओं की अचानक गिरफ्तारी, उनकी अनिश्चितता तथा अदूरदर्शिता थी। न तो आन्दोलन की राजनीति तैयार कर सके और न ही जनता के समक्ष स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके। वे अंग्रेजों की नीति का सही पूर्वानुमान भी नहीं कर सके।

आन्दोलन के प्रति अग्र राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण—सन् 1942 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के प्रति भारतीय राजनीतिक दलों में सन् 1920-22 के असहयोग आन्दोलन की भांति न तो विचारों में मतभेद था और न ही भावनाओं और उद्देश्यों की तत्काल प्राप्ति के सम्बन्ध में समान दृष्टिकोण ही था। जहाँ 1930-31 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में "राष्ट्रीय नेतृत्व" उपलब्ध था वहाँ भारत छोड़ो आन्दोलन में इसका अभाव था। सत्याग्रहियों में भी 1930 के अहिंसक और अहिंसा की कमी थी।

भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रति अग्र राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण न तो उदासीनता का था बल्कि निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाला भी था। इसका व्यवहार तो निन्दनीय और भत्सना करने योग्य था। इस आन्दोलन में जिन नेताओं ने अग्र नेतृत्व किया, वे राम मनोहर लाला, श्रीमती अरुणा आसफ़ अली और प्रच्युत कृष्ण जैसे समाजवादियों का छोड़कर कांग्रेस का साथ किसी ने नहीं दिया। मुस्लिम लीग ने न केवल आन्दोलन में पृथक् ही रही बल्कि कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी पर भी

प्रसन हुई। जिन्ना ने आन्दोलन की निंदा की तथा मुसलमानों को आन्दोलन से पृथक् रहने की अपील की। इतना ही नहीं जिन्ना ने गैर कांग्रेसी तत्त्वा से मिलकर अस्थायी सरकार की स्थापना की कोशिश भी की। 16 अगस्त, 1942 को, बम्बई में एक विशेष भेंट में यह विचार व्यक्त किया कि मुस्लिम लीग अस्थायी युद्ध कालीन सरकार में हिस्सा लेने के लिए तैयार है यदि उसे हिन्दुओं के साथ समान स्थान दिये जायें और युद्ध के बाद पाकिस्तान का आश्वासन दिया जाय। इस तरह सारे आन्दोलन में मुस्लिम लीग का सरकार के प्रति दृष्टिकोण "उदार तटस्थता" (benevolent neutrality) का रहा। सावरकर जैसे हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने भी हिन्दुओं को आन्दोलन से पृथक् रहने का परामर्श दिया। 4 सितम्बर 1942 के एक वक्तव्य में उसने हिंदू महासभावादियों का अपने पदा पर बने रहने के लिए कहा। साम्यवादियों की नीति तो राष्ट्रीय आन्दोलन की पीठ पर छुरा घापने की थी। उनके काय विश्वासघात और देशद्रोहिता के समान थे। उनका खयाल शमनाक था। जय तन्व हस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था तो द्वितीय युद्ध "साम्राज्यवादी युद्ध" (Imperialist War) था और जब हस युद्ध में शामिल हो गया तो उनके लिए वही युद्ध "लोक युद्ध" (Peoples' War) बन गया। इतना ही नहीं साम्यवादियों ने तो सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता करनी शुरू कर दी। उन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन भी किया और कांग्रेस को आन्दोलन स्थगित करने का परामर्श भी दिया। सर तेज बहादुर सप्रू जैसे उदारवादी नेता के लिए वर्धा प्रस्ताव "अविचारित और असामयिक" (ill considered and ill-opportune) था। डा० अम्बेदकर जैसे दलित वर्गों के नेता का विश्वास था कि कांग्रेस को युद्ध समाप्ति तक इतजार करना चाहिये था। उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन को "अनुत्तरदायित्वपूर्ण एवं पागलपन" (irresponsible and insane) कहा। सिक्ख आन्दोलन से पृथक् ही नहीं रह बल्कि इसकी निंदा भी की। इस तरह सभी राजनीतिक दलों ने भारत छोड़ो आन्दोलन के साथ न केवल असहयोग किया बल्कि उसकी निंदा और भर्त्सना भी की।

विदेशियों का भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रति दृष्टिकोण—विदेशियों में चीन के राष्ट्रपति जियांग काई शेक का और पल वन और लिन यू तु ग जैसे अमरीकी लेखक और बैडन विल्की तथा हेनरी ए० वैलास को छोड़कर किसी ने कांग्रेस की मांग का समर्थन नहीं किया।

भारत छोड़ो आन्दोलन का महत्त्व—यह सत्य है कि भारत छोड़ो आन्दोलन अपने तत्काल उद्देश्यों में असफल रहा परन्तु जो जन जागृति इस आन्दोलन ने उत्पन्न की उससे भारतीय स्वतन्त्रता एक निश्चित तथ्य बन गया। भारत स्वतन्त्रता के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। अंग्रेजों के लिए भारत में अपनी सत्ता को बहुत देर तक बनाये रखना असम्भव हो गया। डा० ईश्वरी प्रसाद ने ठीक लिखा है कि "विद्रोह की आग में अधिराज्य स्थिति की सारी बात जलकर राख हो गई। भारत अब पूर्ण स्वतन्त्रता चाहता था, भारत छोड़ो एक निश्चित तथ्य बन गया। यह साम्राज्यीय

भारत के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था।" डा० ईश्वरी प्रसाद ने आन्दोलन की तुलना फ्रांसीसी और रूसी प्राति से की है। वे लिखते हैं कि "अगस्त प्राति दमन और अत्याचार के विरुद्ध जन आन्दोलन था और इसी तुलना प्रास के इतिहास में बेसिले के पतन और रूस की अक्टूबर प्राति से की जा सकती है। यह लोग के नवन उरसाह और गरिमा का चोवन था।"¹

सी० आर० फामूला या राजाजी फामूला

(C R Formula or Rajaji Formula)

राजाजी ने, कांग्रेस लीग समभौत के लिये, एक नया फामूले को निवाला। यही फामूला जिने 10 जुलाई, 1944 का प्रकाशित किया गया, भारतीय संवधानिक इतिहास में सी० आर० फामूले के नाम से प्रसिद्ध है और इसी के आधार पर गांधीजी ने जिन्ना से वार्तालाप की। इस फामूले की मुख्य विशेषतायें निम्न थी—

- (i) मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की माग का समर्थन करती है और सत्रमण काल में अस्थायी अन्तरिम सरकार के निर्माण में वह कांग्रेस के साथ सहयोग करने का आश्वासन देती है।
- (ii) युद्ध के बाद एक आयोग की स्थापना की जायगी जो इस बात का निर्धारण करेगा कि भारत के उत्तर पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में किन किन जिलों में मुसलमानों का पूरा बहुमत है। दूसरे शब्दों में, मुस्लिम बहुमत वाले जिलों की सीमा का निर्धारण एक आयोग करेगा।
- (iii) वयस्क मताधिकार या अन्य व्यावहारिक मताधिकार के आधार पर मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जनमत संग्रह (plebiscite) द्वारा यह निर्णय करने का अधिकार दिया जायगा कि क्या वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या कि उससे पृथक होना चाहते हैं।
- (iv) यदि इन क्षेत्रों का बहुमत भारत से पृथक होने का निर्णय लेता है तो एक पृथक प्रभुत्व सम्पन्न राज्य का निर्माण किया जायगा। सीमावर्ती जिलों (क्षेत्रों) को किसी राज्य में सम्मिलित होने का अधिकार दिया जायगा।
- (v) दोनों राज्यों में सुरक्षा व्यापार और संचार साधनों तथा अन्य आवश्यक प्रयोजनों के लिये पारस्परिक समझौते किये जायेंगे।
- (vi) जनमत संग्रह से पूर्व सभी दलों को अपने अपने दृष्टिकोण का प्रचार की स्वतंत्रता होगी।

- (vii) क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अदना-वदली स्वेच्छा से होगी ।
- (viii) गांधीजी और जिन्ना इम फामूले पर सहमत हैं और वे क्रमशः कांग्रेस और लीग की सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ।
- (ix) इस फामूले की उपयुक्त शर्तें तभी वाध्यकारी होंगी यदि ब्रिटेन भारतीयों को सत्ता और उत्तरदायित्व पूर्णतया हस्तांतरित कर देता है ।

उपयुक्त फामूले के आधार पर गांधीजी जिन्ना से सितम्बर, 1944 का मिले । गांधीजी और जिन्ना की बातचीत लगभग 18 दिन तक चलती रही । इस बातचीत के असफल होने का मूल कारण यह था कि जिन्ना 'द्वि-राष्ट्र के सिद्धांत' (Two-Nations Theory) पर अड़ा रहा । अतः, अगहिन और दीमरू लगा हुआ पाकिस्तान उसे स्वीकार नहीं था ।

गांधीजी जिन्ना की असफलता के बाद कांग्रेस के अनेक सदस्यों ने इसकी आलोचना की । स्वयं आजाद ने, जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, इस बातचीत की यह कह कर आलोचना की कि इससे जिन्ना का महत्त्व अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया गया तथा लीग की प्रतिष्ठा में वृद्धि की गई । वे मुसलमानों को जिन्ना की नीतियों के प्रति शक्ति थे वे जिन्ना के प्रति श्रद्धा रखने लगे ।

सी० आर० फामूला असफल हुआ परन्तु फिर भी इसमें जा नवीनताये थी उनका उल्लेख करना उचित होगा । इस फामूले में जो नवीनताये थी वे निम्न थी -

- (i) इसमें विभाजन को स्वीकार किया गया था परन्तु विभाजन का आधार प्राप्त नहीं जिला रखा गया था ।
- (ii) भारत से पृथक् होने का कारण क्षेत्रों के लोगों का स्वयं जनमत संग्रह के द्वारा वयस्क मताधिकार या अन्य व्यावहारिक मताधिकार द्वारा करना था ।
- (iii) इसमें सुरक्षा, व्यापार और संचार साधना तथा अन्य प्रयोजना के लिये मामलाय केन्द्र के अधीन व्यवस्था की गई थी ।

भूलाभाई लियाकत अली समझौता, 1945

(Bhulabhai-Liaquat Ali Pact, 1945)

गांधीजी जिन्ना की बातलाप की असफलता के बाद कांग्रेस और लीग में समझौता कराने के लिये एक और प्रयास किया गया । यह प्रयास प्रधान सभा में कांग्रेस दल के नेता भूलाभाई देसाई और लीग के उपाय नेता लियाकत अली द्वारा किया गया दाना नेताओं की बातचीत के बाद जो उनमें समझौता हुआ (11-1-1945) 'भूलाभाई लियाकत अली समझौता' कहते हैं । परन्तु समझौते के पदा होते हैं

जिना और लियाकत अली ने टुट्टा दिया और समझौते के पैदा हान ही मृत दी गई ।

भूलाभाई-लियाकत अली समझौते, जो राजनीतिक गतिरोध को दूर कर और अन्तरिम सरकार की स्थापना से सम्बन्धित था, की मुख्य विशेषतायें निम्न थीं—

- (I) केंद्र में अन्तरिम सरकार की स्थापना के लिये कांग्रेस और लीग सहमत पर सहमत है कि इसमें बराबर सभ्यता में दोनों के सदस्यों को मनोनीत किया जायगा, इसमें अल्पमता के प्रतिनिधि का सम्मिलित किया जायगा तथा प्रधान सेनापति उसका सदस्य होगा ।
- (II) अन्तरिम सरकार 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत ही कार्य करेगी। कांग्रेस और लीग इस पर एक मत हैं कि जो विषय सदन द्वारा पार नहीं किया गया उसे वायसराय की शक्तियां द्वारा पास कराने का प्रयास नहीं किया जायगा, अर्थात् वायसराय के वीटो को व्यवहार में प्रभावहीन बना दिया जायगा और प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायक होगा ।
- (III) यूरोपीय सदस्य या यदि अन्तरिम सरकार में सम्मिलित किया जाय है तो वह कांग्रेस और लीग की सहमति से होगा ।
- (IV) कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को रिहा कर दिया जायगा ।
- (V) प्रांतो में धारा 93 को समाप्त कर दिया जायगा और जितनी जमीन होगी प्रांतों में मिली जुली सरकारों की स्थापना की जायगी ।

वेवल योजना और शिमला सम्मेलन, 1945

(Wavel Plan and Simla Conference, 1945)

कारण—वेवल योजना को प्रस्तुत करने के मुख्य कारण निम्न थे

1 यूरोप में युद्ध की समाप्ति सन् 1945 के प्रारम्भिक मास में यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय और धुरी राष्ट्रों की पराजय के आसार स्पष्ट नजर आ रहे थे । भारतीय स्वतन्त्रता के अग्रगण्य कदम पर विचार करने के लिये सन् 1945 में वायसराय लार्ड वेवल को इंग्लैंड बुलाया गया । लार्ड वेवल ने इंग्लैंड में ही ये कि यूरोप में 7 मई, 1945 को युद्ध सहसा बंद हो गया । इनके भारतीय राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट की जाने लगी ।

2 जापान की पराजय के लिए भारतीय सहयोग की आवश्यकता—यूरोप में युद्ध समाप्त हो चुका था परन्तु एशिया में अभी युद्ध जारी था और इसका समाप्त होना की सम्भावना नहीं थी । यद्यपि जापान कुछ पीछे हटा था परन्तु सिंगापुर, इण्डोनेशिया आदि क्षेत्रों पर उसका अधिकार था । जापान विनाशित आत्मसमर्पण करने के लिये तैयार नहीं था । अमरीका के लिये यूरोप की युद्ध में एशिया के युद्ध को जीतना आवश्यक था । अमरीका का यह भी विश्वास था कि

सुरक्षा का भार ब्रिटिश कंधा पर हाने से, युद्ध की स्थिति में, प्रबल सेनापति परिषद् का सदस्य रहेगा। पहली बार विदेश विभाग, जो अभी तक वायसराय के पास होता था, तथा गृह और वित्त विभाग, जो अभी तक ब्रिटिश कर्मचारियों के हाथों में हात थे, भारतीय सदस्यों को सौंपे जाने का प्रस्ताव किया गया था।

- (iv) नवीन कार्यकारिणी परिषद् सन् 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कार्य करेगी। वायसराय विशेष परिस्थितियों में परिषद् के बहुमत के निर्णय का अस्वीकृत कर सकता था। दूसरे शब्दों में, वायसराय के निषेधाधिकार (Veto) को समाप्त नहीं किया गया था। श्री एमरा ने वायसराय के वीटो के सम्बन्ध में कहा था कि 'यह सामान्य प्रयोग का यंत्र नहीं है बल्कि उसके हाथों में रखी गई सुरक्षित शक्ति है।' मौलाना आजाद ने भी लिखा है कि वायसराय ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि "वह सर्वदा परिषद् के परामर्श पर कार्य करने के अभिसमय को स्थापित करेगा।"
- (v) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति वायसराय राजनीतिक नेताओं के परामर्श पर करेगा यद्यपि उनकी नियुक्ति पर सम्राट के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
- (vi) यह व्यवस्था अतिरिक्त व्यवस्था है जो भारत में भविष्य के किसी भी समझौते या समाधान पर या सविधान निर्माण करने के भारतीयों के अधिकार पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- (vii) भारतीय विषयों में भारत-मन्त्री का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और वह भी भारतीय हितों की दृष्टि में ही किया जायगा।
- (viii) ब्रिटिश व्यापारिक तथा अन्य हितों की रक्षा करने के लिए भारत में हाई ब्रिटिश कमिश्नर की नियुक्ति की जायगी।
- (ix) यदि भारतीय नेता इस योजना को स्वीकार कर लेते हैं तो केन्द्र में नवीन कार्यकारिणी परिषद् की रचना की जायगी। जिन प्रांतों में सेक्शन 93 लागू है वहां उत्तरदायी मंत्रिमण्डल की स्थापना की जायगी। यह सुझाव भी दिया गया था कि प्रांतों में मंत्रिमण्डल मिश्रित (Coalition) हाथों में प्रमुख दलों को मिला कर वहां मंत्रिमण्डल का निर्माण किया जायगा। केन्द्रीय और प्रांतीय विधान मण्डलों के नव निर्वाचन का उपयुक्त समय सम्मेलन में ही निश्चित किया जायगा।

कार्यकारिणी परिषद् के कार्यों को लाइ वेबल ने निम्न प्रकार से स्पष्ट

शिमला सम्मेलन (25 जून-14 जुलाई, 1945)

जिन व्यक्तियों या प्रतिनिधियों को शिमला सम्मेलन में भुग लने के लिए निमन्त्रित किया गया उनमें से थे भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता गांधी और जिन्ना, दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में रॉय बहादुर एन० शिवराज (Rao Bahadur N Shivaraj) और सिक्खा के प्रतिनिधि के रूप में मास्टर तारामिह। अन्य व्यक्ति जो सम्मेलन में शामिल हुए वे 4 केन्द्रीय विधान सभा के कांग्रेस दल के नेता और मुस्लिम लीग के उपनेता, राज्य सभा में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता, केन्द्रीय विधान सभा में राष्ट्रीय दल और यूरोपियन समूह के नेता। प्रांतीय सरकारों के व सदस्य जो या तो प्रीमियर पद पर थे या इस पद पर रह चुके थे अर्थात् उन प्रांतों के प्रीमियरों को भी आमन्त्रित किया गया जहाँ इस समय सेक्रेटरी 93 लागू था। यद्यपि हिंदू महासभा ने सम्मेलन में सम्मिलित होने का प्रयत्न किया परन्तु वायसरॉय ने उसे आमन्त्रित नहीं किया।

जन 25, 1945 को शिमला में सम्मेलन शुरू हुआ। गांधीजी का ध्येय वर सभी आमन्त्रित व्यक्ति सम्मेलन में उपस्थित हुए। यद्यपि गांधीजी सम्मेलन में शामिल नहीं हुए परन्तु ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस को परामर्श देने के लिए सम्मेलन के दौरान वे शिमला में ही रहे।¹

सम्मेलन के प्रारम्भ में ही सभी राजनीतिक दलों ने केवल प्रस्तावों को मुद्दा सिद्धांतों पर महमति प्रकट कर दी। सभी दलों ने स्वीकार कर लिया कि नवीन कार्यकारिणी परिषद युद्ध वात तक कार्य करेगी, युद्ध प्रयासों का पूरा समय दिया जायगा तथा अल्पमतों को प्रतिनिधित्व दिया जायगा। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौते की दृष्टि से तथा स्वशासन को शीघ्र प्राप्त करने की आशा से सबकुछ हिंदुओं और मुसलमानों में बराबरी के सिद्धांतों की कड़वी गाली को भी निगल लिया यद्यपि ऐसा करना अनुचित था। सबकुछ हिंदुओं की जनसंख्या 70 प्रतिशत थी और मुसलमानों की केवल 30 प्रतिशत थी।

ज्योंही सम्मेलन कार्यकारिणी परिषद के सगठन पर विचार करने लगे तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दृष्टिकोणों में गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो गये। कांग्रेस राष्ट्रीय सत्ता होने से सभी जातियों के प्रतिनिधित्व करने के अपने अधिकारों को त्याग नहीं सकती थी। कांग्रेस कभी भी इस बात पर समझौता नहीं कर सकती थी कि वह जातीय सगठन है, राष्ट्रीय नहीं। इसलिये कांग्रेस ने इस बात की मांग की कि उसे न केवल सबकुछ हिंदुओं के प्रतिनिधियों को नामांकित करने का अधिकार है बल्कि अन्य जातियों के प्रतिनिधियों को भी नामांकित करने का अधिकार है। परन्तु जिन्ना तथा मुस्लिम लीग इस बात पर अटल रही कि मुस्लिम लोग ही भारत के मुसलमानों को एवमात्र प्रतिनिधि सत्ता है और उसे ही मुसलमानों के प्रतिनिधियों

1 See Lumby, Ibid, p 49

को नामांकित करने का एकमात्र अधिकार है। इस विन्दु पर पारस्परिक वार्तालाप करने के लिए सम्मेलन का जून 29, 1945 को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। जब किसी तरह भी इस समझौते पर कोई समझौता न हो सका तो 14 जुलाई, 1945 को वेवल ने सम्मेलन की असफलता की घोषणा कर दी। यद्यपि "सम्मेलन की असफलता का उत्तरदायित्व वेवल ने अपने कंधा पर ले लिया" परन्तु यह पहली बार था जबकि वार्ता राजनीतिक प्रश्न का लेकर असफल नहीं हुई थी बल्कि भारतीय समूहों में साम्प्रदायिक समस्याओं को लेकर असफल हुई थी।

सम्मेलन की असफलता—किसका उत्तरदायित्व कांग्रेस, लीग या सरकार

शिमला सम्मेलन असफल हुआ। यद्यपि इस असफलता का उत्तरदायित्व वायसरॉय ने अपने कंधा पर ले लिया परन्तु इसके लिए मूलतः मुस्लिम लीग का सकीण और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण तथा जिन्ना की अनुचित हठधर्मिता ही सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थी। कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति और ब्रिटिश सरकार की जिन्ना को विशेषकर और मुस्लिम लीग को सामोयतया अपथयी ही इसके असफलता के लिए कम उत्तरदायी नहीं थी।

(a) कांग्रेस का उत्तरदायित्व शिमला सम्मेलन के समय कांग्रेस का दृष्टिकोण बड़ा ही सयत, सहयोगी और बिना बटुता की भावना जसा था। उसने सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोई शर्त नहीं रखी जबकि अनेक कांग्रेसी नेता और सत्याग्रही जेलों में थे। सबका हिन्दुओं और मुसलमानों में बराबरी का सिद्धांत न केवल जातीयता पर आधारित था बल्कि अनुचित भी था, फिर भी कांग्रेस ने अन्तरिम व्यवस्था के रूप में मुस्लिम लीग के साथ समझौते की भावना से और स्वशासन को शीघ्र प्राप्त करने के लिए इस बराबरी वाले सिद्धांत को स्वीकार कर लिया।

समय समय पर अपनायी गई कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति ने केवल जिन्ना की हठधर्मिता को प्रोत्साहन नहीं दिया बल्कि लीग की भागा का भी विस्तार किया। यदि कांग्रेस 1916 में लखनऊ में पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार नहीं करती, यदि 1920 में मिलाफ्त जैसे राज्य क्षेत्रातीत (extra territorial) प्रश्न को असहयोग आन्दोलन में शामिल नहीं करती, यदि गांधीजी जिन्ना को "कायद-ए-आजम" (Qaid-i-Azam) में सम्बोधित कर उसका सम्मान न बढ़ाते और यदि 'सबका हिन्दुओं और मुसलमानों में बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती तो जिन्ना की हठधर्मिता को प्रोत्साहन मिलना तो दूर वह अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त न कर सक्ता जिसे उसने प्राप्त किया। इस तरह कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति भी इसके लिए उत्तरदायी है।

(b) मुस्लिम लीग का उत्तरदायित्व—शिमला में मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण

शिमला सम्मेलन (25 जून-14 जुलाई, 1945)

जिन व्यक्तियों या प्रतिनिधियों को शिमला सम्मेलन में
निमंत्रित किया गया उनमें से थ भारत के प्रमुख राजनीतिक
और जिम्मेदार दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में राँ बहादुर
Bahadur N Shrivastya) और सिक्का के प्रतिनिधि के रूप में
अन्य व्यक्ति जो सम्मेलन में शामिल हुए वे थे केन्द्रीय विधान स
नेता और मुस्लिम लीग के उपनेता, राज्य सभा में कांग्रेस
ता, केन्द्रीय विधान सभा में राष्ट्रीय दल और यूरोपियन स
सरकारों के व सदस्य जा या तो प्रीमियर पद पर थे या स
अर्थात् उन प्रांतों के प्रीमियरों को भी आमंत्रित किया गया
93 लागू था। यद्यपि हिंदू महासभा ने सम्मेलन में सम्मिलि
परंतु वायसराय ने उसे आमंत्रित नहीं किया।

जून 25 1945 को शिमला में सम्मेलन शुरू
कर सभी आमंत्रित व्यक्ति सम्मेलन में उपस्थित हुए।
शामिल नहीं हुए परंतु ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस
सम्मेलन के दौरान व शिमला में ही रहे।¹

सम्मेलन के प्रारम्भ में ही सभी राजनीतिक द
सिद्धांतों पर सहमति प्रकट कर दी। सभी दलों ने
वायकारिणी परिषद गठन कर दी। सभी दलों ने
जायगा तथा अल्पमतों का प्रतिनिधित्व दिया जाय
साथ समझौते की दृष्टि से तथा स्वशासन को श
हिंदू और मुसलमानों में बराबरी के सिद्धांत
लिया यद्यपि ऐसा करना अनुचित था। सर्वेण हि
और मुसलमानों की केवल 30 प्रतिशत थी।

ज्योंही सम्मेलन वायकारिणी परिषद
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दृष्टिकोणों में सम्म
राष्ट्रीय सस्था होने से सभी जातियों के प्रति
त्याग नहीं सकती थी। कांग्रेस व भी भी इस बात
कि वह जातीय संगठन है, राष्ट्रीय नहीं। इसलि
कि उसे न केवल सर्वेण हिंदूओं के प्रतिनिधियों
बल्कि अन्य जातियों के प्रतिनिधियों को भी ना
जिन्ना तथा मुस्लिम लीग इस बात पर अटल
मुसलमानों की एवमात्र प्रतिनिधि सस्था है औ-

1 See Lumby Ibid, p 49

वेवल की यह घोषणा कि "परिषद का गठन जातियों की सहमति पर ही हो सकता है" इस बात का प्रतीक थी कि वे जिना को अप्रत्यक्ष रूप से बढावा दे रहे थे। डा० मुकर्जी ने ठीक लिखा है कि "वायसराय का बीटो जिन्ना के हाथों में सौंप दिया गया है।" यह भी समझ में नहीं आता कि जब मुस्लिम लीग भारत के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी तो जिन्ना की इस हठधर्मिता के ऊपर कि वह ही एकमात्र मुस्लिम सस्था है जो मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व कर सकती है सम्मेलन की असफलता की घोषणा करना न्यायोचित नहीं था। सम्मेलन की असफलता ने न केवल जिना और मुस्लिम लीग की स्थिति को सुदृढ़ कर दिया बल्कि पाकिस्तान की माग को भी बल दे दिया और आने वाली प्रवृत्तियों (trends) को स्पष्ट कर दिया। वेवल प्रस्ताव में सवण हिं दुओ और मुसलमानों का बराबर स्थान देना भी गतत था।

वेवल प्रस्तावों के परिणाम—वेवल प्रस्तावों की असफलता ने आने वाली प्रवृत्तियों को स्पष्ट कर दिया था। इन प्रस्तावों की असफलता से जो परिणाम निकले उनमें प्रमुख निम्न थे—

1 वेवल प्रस्तावों ने स्पष्ट कर दिया कि अनुदार दल का वास्तविक स्वरूप क्या था अर्थात् वेवल प्रस्ताव चञ्चल का चुनाव पड्यत्र था। यह भी स्पष्ट हो गया कि जब तक अनुदार दल के लिए सम्भव होगा तब तक वह जिना तथा मुस्लिम लीग का प्रयोग अपने उद्देश्यों के लिए करेगा और उह सवधानिक विनास में बाधा प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगा।

2 शिमला सम्मेलन ने स्पष्ट कर दिया कि जिन्ना तथा मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माग की स्वीकृति के बिना कोई समझौता करने को तैयार नहीं होगी।

3 वेवल प्रस्तावों और शिमला सम्मेलन का सबसे अच्छा लाभ यह हुआ कि इमने लोगो में नया उत्साह, नया जीवन और नया दृष्टिकोण पैदा कर दिया। नेताओं की गिह्टाई से निराशा आशा में परिवर्तित हो गयी और लोग एक बार फिर अतिम सघम के लिए तैयार हो गये। कांग्रेस की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई। जो उत्साह जनता ने आई० एन० ए० के अभियोगों के समय प्रदर्शित किया उसन सिद्ध कर दिया कि सरवार आजाद हिंद फौज के जिन वीरों को राजद्रोही समझती है भारतीय उहे "राष्ट्रीय वीर" (National Heroes) समझत हैं।

वेवल योजना और केबिनेट मिशन योजना के मध्य का काल

अर्थात् जुलाई, 1945 से मार्च, 1946 तक

(Between July, 1945 and March, 1946)

इस काल की प्रमुख घटनायें निम्न हैं—

(1) इंग्लंड में अमिक दल की सरकार।

निराशापूर्ण, अनुचित धराद्वीय एवं हट्टमिता का था। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण थी कि लीग कांग्रेस का हिन्दू जमात" सिद्ध करना चाहती और मुस्लिम मुसलमानों की एक प्रतिनिधि मन्दा यताना चाहती थी जबकि उनमें दो निराधार और मिथ्या थे। दूसरे मुस्लिम लीग के प्रतिरिक्त पंजाब में त्रिबिर्ना (Khizir Hyat Khan) के तत्त्व में यूनिवनिस्ट पार्टी (Unionist Party) और जमायत उन-उलमा आदि मुस्लिम मन्दायों थी जो भारत में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने का दावा रखती थी। स्वयं मुस्लिम लीग विधान सभाओं के 600 मुस्लिम स्थानों में 420 स्थानों पर ही दावा करती थी। इतना ही नहीं कि छ प्रान्तों में मुस्लिम बहुमत था और जिना मिला कर जिना पाकिस्तान में स्थापना करना चाहता था उन प्रान्तों में भी मुस्लिम लीग के भाग प्रमण्डल नहीं जिना के लिए बवल याजना एक "जात" या जिम पर यदि मुस्लिम हस्ताक्षर कर देती तो वह गण "मृत्यु पत्र" पर हस्ताक्षर कर देती। अब जिने ने यह कहना शुरू कर दिया कि परिपद में सबका हिन्दुओं और मुसलमानों के बराबरी हाते हुए भी मुस्लिम लीग अल्पमत में रहेगी क्योंकि उनमें सदस्यों की सख्या परिपद के कुल सदस्यों का $\frac{1}{3}$ भाग होगी। जिना का यह भी कहना था कि दलित वर्गों सिक्कों उमाय्यो तथा अन्य अल्पमत वाला के उद्देश्य प्राप्त के मन्दा ही है (स्वतन्त्रता और अगण्ड भारत) उमनिय मूल प्रश्नों पर कांग्रेस का ही बन्दा रहता और मुस्लिम लीग का कम मत होन न वह पराजित हो जाती। इसनि अय जिना ने कांग्रेस तथा अय अल्पमत दला को दिये जाने वाले स्थानों की मन करना शुरू कर दिया। जिना को अन्तरिम अवस्था भी पसन्द नहा थी क्योंकि यह अनिश्चित काल तक हो सकती थी जिसमें पाकिस्तान की माग को स्थगित न टाला जा सकता था। इतना ही नहीं जिना गांधी हिन्दू कांग्रेस, बवल की भौगोलिक एकता और पंजाब के गवर्नर तथा प्रीमियर में पाकिस्तान की माग के विरुद्ध साठ गठ की बात करने लगे। स्पष्ट है, जैसाकि लुम्धी न लिखा है कि 'मुस्लिम लीग की नीति का उद्देश्य अयन लिए सत्ता प्राप्त करना नहीं था बल्कि अपने विरोधियों को सत्ता से वचित रखना था।

(c) ब्रिटिश सरकार का उत्तरदायित्व—ब्रिटिश सरकार की नीति और बवल का दृष्टिकोण भी शिमला सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी था। प्रथम तो ब्रिटिश सरकार ने ही विभाजन करो और शासन करो" की नीति अयन कर भारतीय राष्ट्रीयता की लहर से मुसलमानों को प्रयत्न किया, उन्हें पुनर्निर्वाचन प्रणाली देकर तथा उन्हें विधान मण्डलों में जातीय आधार पर गुरनार देकर पृथक्तावादी तत्वा को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासन मुसलमानों को पृथक्ता का पाठ पढा कर जिना से जो कट्टर और हठधर्मी मुस्लिम नेता था, अन्धे एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण की अपेक्षा नहीं कर सकता था। शिमला सम्मेलन के समय भी

वेवल की यह घोषणा कि "परिषद का गठन जातियों की सहमति पर ही हो सकता है" इस बात का प्रतीक थी कि वे जिन्ना को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे थे। डा० मुकर्जी ने ठीक लिखा है कि "वायसराय का बीटो जिन्ना के हाथों में सौंप दिया गया है।" यह भी समझ में नहीं आता कि जब मुस्लिम लीग भारत के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी तो जिन्ना की इस हठधर्मिता के ऊपर कि वह ही एकमात्र मुस्लिम सत्ता है जो मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व कर सकती है सम्मेलन की असफलता की घोषणा करना "यायोचित नहीं था। सम्मेलन की असफलता ने न केवल जिन्ना और मुस्लिम लीग की स्थिति को सुदृढ़ कर दिया बल्कि पाकिस्तान की मांग को भी बल दे दिया और आने वाली प्रवृत्तियों (trends) को स्पष्ट कर दिया। वेवल प्रस्ताव में सवण हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर स्थान देना भी गलत था।

वेवल प्रस्तावों के परिणाम—वेवल प्रस्तावों की असफलता ने आने वाली प्रवृत्तियों को स्पष्ट कर दिया था। इन प्रस्तावों की असफलता से जो परिणाम निकले उनमें प्रमुख निम्न थे—

1 वेवल प्रस्तावों ने स्पष्ट कर दिया कि अनुदार दल का वास्तविक स्वरूप क्या था अर्थात् वेवल प्रस्ताव चर्चिल का चुनाव पड़यंत्र था। यह भी स्पष्ट हो गया कि जब तक अनुदार दल के लिए सम्भव होगा तब तक वह जिन्ना तथा मुस्लिम लीग का प्रयोग अपने उद्देश्यों के लिए करेगा और उन्हें सवधानिक विकास में बाधा प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगा।

2 शिमला सम्मेलन ने स्पष्ट कर दिया कि जिन्ना तथा मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति के बिना कोई समझौता करने को तैयार नहीं होगा।

3 वेवल प्रस्तावों और शिमला सम्मेलन का सबसे अच्छा लाभ यह हुआ कि इसने लोगों में नया उत्साह, नया जीवन और नया दृष्टिकोण पैदा कर दिया। नेताओं की रिहाई से निराशा आशा में परिवर्तित हो गयी और लोग एक बार फिर अंतिम संधप के लिए तैयार हो गये। कांग्रेस की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई। जो उत्साह जनता ने आई० एन० ए० के अभियोगों के समय प्रदर्शित किया उसने मिट्ट कर दिया कि सरकार आजाद हिंद फौज के जिन वीरों को राजद्रोही समझती है भारतीय उन्हें "राष्ट्रीय वीर" (National Heroes) समझने हैं।

वेवल योजना और कैबिनेट मिशन योजना के मध्य का काल

अर्थात् जुलाई 1945 से मार्च, 1946 तक

(Between July, 1945 and March, 1946)

इस काल की प्रमुख घटनाएँ निम्न हैं—

(1) इंग्लैंड में शक्ति दल की सरकार।

- (ii) 19 मितम्बर, 1945 की घोषणा ।
- (iii) भारत में चुनाव ।
- (iv) भारत में बढ़ता हुआ असातोप ।
- (v) सगदीय शिष्टमण्डल ।
- (vi) आजाद हिन्द फौज के अफसरा पर आरोप ।
- (vii) सैनिक विद्रोह ।

(i) इ ग्लैण्ड में अश्रमिक दल की सरकार—यूरोप में युद्ध समाप्त होने के बाद जुलाई, 1945 में इ ग्लैण्ड में सामान्य निर्वाचन हुए जिनमें, एटली के नेतृत्व में अश्रमिक दल की विजय हुई । अश्रमिक दल के असातोप होते ही भारत मंत्री के पद पर एमर्सेन के स्थान पर लॉर्ड पैथिक लारन्स (Lord Pethick Lawrence) का नियुक्त किया गया । अपने प्रथम सावजनिक वक्तव्य में ही लारन्स ने "ब्रिटन और भारत में समान साझेदारी के आदेश" की बात कही । इसी समय लॉर्ड वेवेल को विचार विमर्श के लिये इ ग्लैण्ड बुलाया गया ।

(ii) 19 सितम्बर, 1945 की घोषणा इ ग्लैण्ड से वापस लौट कर लॉर्ड वेवेल ने 19 सितम्बर, 1945 को रेडियो प्रसारण में निम्न घोषणायें की—

- (a) जितना शीघ्र सम्भव होगा सविधान निर्मात्री सभा का आयोजन किया जायगा ।
- (b) केन्द्रीय और प्रांतीय विधान-मण्डलों के लिए 1945-46 के शीतकाल में निर्वाचन कराये जायेंगे ।
- (c) निर्वाचन के पश्चात् ऐसी कार्यकारिणी परिषद् का गठन किया जायेगा जिसे भारत के सभी प्रमुख दलों का समर्थन प्राप्त होगा ।
- (d) जितनी जल्दी सम्भव होगा ब्रिटिश सरकार भारत को स्वशासन प्रदान करने में दृढ़ संकल्प है ।
- (e) निर्वाचन के बाद प्रांतीय विधान-मण्डलों और दशों रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करके यह निश्चय किया जायगा कि सविधान निर्मात्री सभा क्या क्रिप्स योजना पर विचार करेगी या कि अन्य किसी योजना पर विचार करेगी ।
- (f) ब्रिटिश सरकार उस सचिव के मूल तत्वों (विषय सूची) पर विचार कर रही है जो ग्रेट ब्रिटेन और भारत के मध्य की जायगी ।

वायसरॉय की उपयुक्त घोषणा किसी को सतुष्ट न कर सकी । वायसरॉय ने इसे "अस्पष्ट, अपूर्ण एवं असातोपजनक" (vague, inadequate and unsatisfactory) की सजा दी । इसमें न तो भारत की स्वतन्त्रता की बात कही गई थी न तत्काल किसी विकास का संकेत दिया गया था और न सेक्शन 93 के प्रांतों

सेक्शन 93 को समाप्त किया गया था। इसमें तत्काल केन्द्रीय कायकारिणी परिषद के निर्माण की बात भी नहीं की गई थी। चुनाव का आधार भी साम्प्रदायिक रखा गया था, वयस्क मताधिकार की इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। फलतः किसी भारतीय राजनीतिक दल ने इस घोषणा की ओर ध्यान नहीं दिया।

(iii) भारत में चुनाव—19 सितम्बर, 1945 की घोषणा में 1945-46 के शीतकाल में केन्द्रीय और प्रांतीय विधान-मण्डल के निर्वाचन की बात स्पष्ट कर दी गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के चुनाव घोषणा पत्र एक दूसरे से विरुद्ध भिन्न थे। जहाँ कांग्रेस, चुनाव को "संयुक्त स्वतंत्र भारत" (United Independent India) के आधार पर लड़ना चाहता था वहाँ मुस्लिम लीग "विभाजित भारत और पाकिस्तान के निर्माण" के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती थी।

कांग्रेस कायकारिणी समिति ने सितम्बर, 1945 को एक प्रस्ताव भी पास किया जिसमें यह कहा गया था कि "भारत का मविधान सघीय होगा, यह सविधान भिन्न भिन्न भागों की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा, अवशिष्ट शक्तियाँ एकत्र के पास होगी तथा नागरिकों के मूल अधिकार इसमें अभिन्न अंग होंगे।"

मुस्लिम लीग का चुनाव घोषणा पत्र भारत के विभाजन और पाकिस्तान की मांग पर आधारित था। मुस्लिम लीग ने यह घोषणा की कि "वह पाकिस्तान और भारतीय मुसलमानों की एकमात्र अधिकृत और प्रतिनिधि सस्था के आधार पर" चुनाव लड़ेगी। लीग के सचिव लिखित अली खा ने घोषणा की कि भारत के मुस्लिम इस पर दृढ़ सक्ल्प हैं कि संयुक्त भारत कभी भी अस्तित्व में नहीं आये।"

चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही अपनी अपनी जातियों का बहुमत प्राप्त है। जहाँ कांग्रेस ने 1937 के चुनावों की तुलना में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया वहाँ मुस्लिम लीग भी मुसलमानों की प्रतिनिधि सस्था के रूप में सामने आई। केन्द्रीय विधान सभा में मुस्लिम स्थानों और विशेष हितों के लिए सुरक्षित कुछ स्थानों को छोड़ कर कांग्रेस ने सभी निर्वाचित स्थानों को प्राप्त कर लिया। प्रांतीय विधान सभाओं में भी उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई। प्रांतीय विधान सभाओं में आठ प्रांतों में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत मिला और बाकी तीन प्रांतों में भी वह दूसरी बड़ी पार्टी थी। मुस्लिम लीग ने केन्द्रीय विधान सभा में उन सभी स्थानों को प्राप्त कर लिया जो मुसलमानों के लिए सुरक्षित थे।

कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में मंत्रिमण्डल का निर्माण किया। इनमें असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के ऐसे दो प्रांत भी थे जिन्हें मुस्लिम लीग अपना क्षेत्र मानती थी तथा जिन्हें वह पाकिस्तान में शामिल करना चाहती थी। अन्य प्रांत जिनमें कांग्रेस ने मंत्रिमण्डल का निर्माण किया वे थे बिहार, यू० पी०, मद्रास, मध्य प्रांत (C P) और उड़ीसा। बंगाल और सिंध ही ऐसे दो प्रांत थे

मुस्लिम लीग के मंत्रिमण्डल बनाये गये। 9 जून में कांग्रेस, अकाली दल और यूनिवर्सिटी पार्टी के संयुक्त मंत्रिमण्डल का निर्माण किया गया जिसके प्रीमियर ब्रिजसर सिंजर हयात रा थे।

(iv) भारत में बढ़ता हुआ असंतोष—ब्रिटेन में श्रमिक दल के मतासुर हान से भारतीयों में कुछ आशा की निराला जागृत हुई थी परन्तु शीघ्र ही इसने अमनोप और व्याकुलता का जन्म दिया। मिमना सम्मेलन असफल हो चुका था, 19 मितम्बर, 1945 की घोषणा भारत में किसी राजनीतिक दल को मनुष्य न कर सता और सबधानि विकास में अगला कदम उठाने के लिए चुनाव परिणामों तक इल जा करने की बात कही गई थी। जूट इण्डोनेशिया और हिंद चीन (Indo-China) में स्वतंत्रता की मांग को कुचन के लिए तथा फिर में इन प्रदेशों में शौरनिवेशि शासन को स्थापित करने की कोशिश की गई तो इस सारे वातावरण में द्विनि विरोधी भावनाओं को तीव्र कर दिया। प्रेस तथा कांग्रेस ने यह कह कर सरकार का भ्रमना करना शुरु कर दिया कि उसके द्वारा "युद्ध उद्देश्यों और युद्ध घोषणाओं" के विपरीत हैं। कांग्रेस ने "भारत छोड़ो" को "एशिया छोड़ो" के सदम में प्रयोग करना शुरु कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी ब्रिटिश सरकार की आलोचना की।

(v) ससदीय शिष्टमण्डल—असंतुष्ट, अविश्वास और विपले वातावरण को शांत करने के लिए तथा सभी प्रकार की गलतफहमियों (भ्रातियों) को दूर करने के लिए ससदीय शिष्टमण्डल के भारत भेजे जाने की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने मस के दोनो सदनों में 4 दिसम्बर, 1945 का की। लार्ड पेथिक लारेस ने इस घोषणा में स्पष्ट कर दिया कि यह शिष्टमण्डल कोई सरकारी पूछताछ नहीं करेगा और न ही कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इसका कतव्य तो प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के साथ सम्पर्क करके ब्रिटिश लोग और ब्रिटिश समद की इस इच्छा को स्पष्ट करना था कि वे भारत को शीघ्र पूर्ण स्वशासन प्रदान करना चाहते हैं। यह ससदीय शिष्टमण्डल भारत में जनवरी और फरवरी 1946 में भ्रमण करना रहा। क्योंकि इस शिष्टमण्डल को सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना था और क्योंकि उसके सदस्य म्याति प्राप्त व्यक्ति नहीं थे इसलिए इसके आगमन से भारत में कोई विशेष जोश या उत्साह पैदा नहीं किया।

(vi) आई० एन० ए० अभियोग—आई० एन० ए० ने भारतीय स्वतंत्रता सघप के इतिहास में एक नये अध्याय को जोड़ दिया। भारत की भिन्न भिन्न जातियों से संगठित इस फौज ने भारतीयों के लिए देशभक्ति, त्याग और स्वतंत्रता का आग्रह का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इसने न केवल सवसाधारण में नयी उत्तकन व जागृति उत्पन्न कर दी बल्कि सनियों में भी स्वतंत्रता की भावनाओं का स्वर कर दिया। युद्ध के बाद जब आजाद हिंद फौज (I N A) के कुछ अफसरों पर राजनेतृ का मुद्दमा चलाने के लिए उन्हें नवम्बर 1945 में दिल्ली लाया गया तो जनता ने उम समय अद्वितीय उत्साह और देशभक्ति का परिचय दिया। सारा राष्ट्र इन 'वीरो', तथा "स्वतंत्रता सेनानियों" की रक्षा के लिए एक जुट हो गया और उन्हीं

रिहाई की माग करने लगा। अनेक स्थानों पर इनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन क्रिय गये, हड़तालें की गईं, जलूस निकाले गये। अमीया चटर्जी लिखते हैं "कि आई० एन० ए० ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जन जागृति का प्रतीक बन गई।" जिहे ब्रिटिश सरकार राजद्रोही समझती थी भारतीय उन्हें वीर और स्वतंत्रता सेनानी समझते थे। कांग्रेस ने भी इन अफसरों की रक्षा का दौड़ा अपने कंधों पर लिया और उन लोगों ने भी वकालत के चोगे पहन लिये जिहे वकालत छोड़े अनेकों वप हो गये थे। भूलाभाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, के एन वाटजू बरशी टेक्चर आदि न इस मुकदमे की पेरवी की। सचिव अदालत ने इहे दोषी मानकर आजीवन कारावास का दण्ड दिया परन्तु इस घोषित दण्ड का सरकार कायाचित न कर सकी और सर्वोच्च सेनापति अचिनलेक ने उहे रिहा कर दिया। आई एन ए के अय 11,000 सैनिकों को भी विना शर्त छोड़ दिया गया। इससे कांग्रेस की प्रतिष्ठा को चार चाद लग गय।

(vii) सैनिक विद्रोह—आजाद हिन्द फौज के अफसरों पर अभियोग ने ब्रिटिश प्रतिष्ठा को धक्का लगाया, ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को तीव्र किया, कांग्रेस की प्रतिष्ठा को बढ़ाया तथा सेनाओं में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावनाओं का संचार करके विद्रोह की भावनाओं को जन्म दिया। फरवरी, 1946 के सैनिक विद्रोह इसके प्रत्यक्ष फल थे। जसाकि लुम्बी ने लिखा है कि 'कुछ समय के लिए नौसैनिक विद्रोह हुआ था।' 18 फरवरी, 1946 को बम्बई सिगनल स्कूल के नौसैनिकों (Ratings of the Signal School Bombay) ने अंग्रेज कमाण्डरो द्वारा भारतीय राष्ट्रीय चन्ड्री की भत्सना करने पर उहोंने विद्रोह कर दिया। बम्बई, कलकत्ता और कराची के हवाई अड्डों में हड़ताल ने खुले विद्रोह का रूप धारण कर लिया। यद्यपि अंग्रेज अफसरों तथा अंग्रेज सैनिकों की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया गया परन्तु इन घटनाओं ने राष्ट्रीय विचारा को स्पष्ट कर दिया। इसने न केवल अंग्रेजों की आखें ही खोल दी वल्कि उहे यह अनुभव भी करा दिया कि वे अब भारत को अधिक दिनों तक अपने अधीन नहीं रख सकते। मोलाना आजाद के शब्दों में "सन् 1857 के बाद यह पहला अवसर था जब रक्षा सेनाओं ने राजनीतिक प्रश्न के ऊपर खुले रूप से विद्रोह किया था। इन सब घटनाओं ने ब्रिटन को विश्वास दिला दिया कि राजनीतिक समस्या का बाईं स तौपजनक हल नहीं निकल जाता, वे शस्त्र सनाओं पर निर्भर नहीं कर सकते।"²

केबिनेट मिशन (Cabinet Mission)

सैनिक विद्रोहों के दूसरे ही दिन अर्थात् 19 फरवरी, 1946 का ब्रिटिश समद

1 'There was a Short lived Naval Mutiny' Lumby, Ibid, p 68

2 Azad, Ibid, pp 131-132

वे दोनो सदना म यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार मंत्रियों का एक मिशन भारत भेज रही है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय नेताओं और कार्यकर्ता की सहमति से सर्वधानिक समस्या के समाधान के लिए सिद्धांत और कार्यक्रम को निश्चित करना था। मिशन का कार्य भारत के लिए किसी संविधान का निर्धारण करना नहीं था, यह कार्य तो स्वयं भारतीयों का था। इसका कार्य तो 19 मिन 1945 की वायसराय की घोषणा के प्रोग्राम को कार्यान्वित करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मिशन के दो कार्य थे। (i) सर्वधानिक सभा के निर्माण प्रक्रिया को निश्चित करना, तथा (ii) भारत के प्रमुख दलों के समर्थन में एक कार्य-कारिणी परिषद् की स्थापना करना।

15 मार्च, 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत की स्वतंत्रता की को स्वीकार कर लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि वेविनट मिशन का उद्देश्य भारत को शीघ्र और पूरा स्वतंत्रता दिलाने में सहायता करना है। एक प्रश्न उत्तर में सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने भी कहा था कि "जितनी जल्दी और जितनी शांति नज़र आती है हम भारत को स्वतंत्रता दे सकते हैं उतनी ही जल्दी और शांति से भारत का स्वतंत्रता देना चाहते हैं।" मिशन "विरोधी दावों का निराकरण करने के लिए नहीं अपितु सत्ता हस्तान्तरण के लिए आया था।" लारेम ने भी कहा था कि मिशन 'गुले मस्तिष्क से भारत आया है।' प्रधानमंत्री एटली ने 15 मार्च, 1946 को अपने वक्तव्य में यह भी कहा था कि "हम अल्पमत के अधिकारों के प्रति समर्थ हैं और अल्पमत वाला को भय से मुक्त रह कर जिंदा रहने का अधिकार चाहिए। दूसरी ओर, हम किसी अल्पमत को बहुमत के विकास में बाधा नहीं दे सकते।" भारतीय देशी रियासतों से भी एटली ने यह वाक्य व्यक्त की कि वे भारत की प्रगति में बाधा प्रस्तुत नहीं करेंगी। भारतीय लीग एटली ने यह अपेक्षा की कि वे "ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में रहना पसंद करेंगे।" 'अखिल भारतीय कांग्रेस' की बात भी एटली ने इसी घोषणा में कही।

एटली की उपर्युक्त घोषणा का ब्रिटिश संसद के सभी दलों ने स्वागत किया। भारत में भी इसका प्रभाव अच्छा हुआ। इस घोषणा ने अशांति और विप्लव की वरणा को शांत कर दिया। कांग्रेस ने लोगों को शांत रहने और धीरे-धीरे रहने के लिए कहा। मुस्लिम लीग इस घोषणा के सम्बन्ध में कुछ शकित थी क्योंकि वे पाकिस्तान की आवश्यकता के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। इसमें तो यह कहा गया था कि "किसी अल्पमत को बहुमत के विकास में बाधा का अधिकार नहीं दिया जायगा।" जिन्ना की यह शिकायत थी कि एटली कांग्रेस के प्रचार जाल में फँस चुके हैं। उसने कहा कि बहुमत की प्रगति को रोकने का कोई प्रयास नहीं उठना, भारतीय मुमनमान कोई अल्पसंख्यक नहीं, वे एक राष्ट्र हैं और आत्म निर्णय का अधिकार

उनका जन्म मित्र अधिवार है। हमारी स्थिति निश्चिन् और स्पष्ट है, हम भारत का विभाजन चाहते हैं और पाकिस्तान की स्थापना चाहते हैं।

मिशन का सगठन तथा भारत में उसका प्रागमन—बेनिट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत (पराची) पहुँचा और 24 मार्च 1946 का वह दिल्ली पहुँचा। इसके कुल तीन सदस्य थे—भारत मंत्री लाड पथिक तारस वोड ग्रफ ट्रेड व अध्यक्ष सर स्टेफर्ड रिप्स और नौवाहन विभाग (Admiralty) के प्रथम लार्ड श्री ए वी एलेक्जेंडर। भारत मंत्री पथिक तारस इसका अध्यक्ष थे। वायसराय लाज बवल यद्यपि सिद्धांततः इस मिशन के सदस्य नहीं थे पर तु व्यवहार में, जन तन् मिशन भारत में रहा, वे इसके साथ काम करते रहे।

भारतीय राजनीतिक दलों तथा नेताओं से वार्तालाप—मिशन ने दिल्ली पहुँचने ही सावजनिक क्षेत्र में मलग्न श्री पुष्पा से भेंट करना शुरू कर दिया। प्रकृत भारतीय तथा प्राचीन राजनीतिज्ञ दलान, अल्पमत वाला, विशेष हिता और राजाओं से भी वार्तालाप करना शुरू कर दिया। वार्तालाप इस विदु पर आधार असफल रही और वार्ड सफल परिणाम न मिले। तीन सप्ताह तक ये वार्तालाप चलती

है। वार्ड 'वाप्रेस सयुक्त भारत' चाहती थी और मुस्लिम लीग 'भारत का विभाजन' चाहती थी। जब कोई समझौता न हो सके तो 17 अप्रैल का वार्तालाप स्थगित कर दी गई। बाद में समझौते का पुन प्रयास किया गया और 5 मई, 1946 से 11 मई, 1946 तक शिमला में त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग व चार चार प्रतिनिधियान भाग लिया। परन्तु इस सम्मेलन में

कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मूल सिद्धांत पर कोई समझौता न हो सका। कांग्रेस 'सयुक्त भारत' और लीग 'पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही। कांग्रेस भारत के लिए एक ही संवधानिक सभा चाहती थी जो भारत के सभी संविधान का निर्माण करेगी तथा जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास रहेंगी जबकि मुस्लिम लीग दो संवधानिक सभायें चाहती थी, एक भारत के लिए और दूसरी दो राज्यों में

के लिए संविधान का निर्माण करेगी। मुस्लिम लीग अधिक सं अधिक दो राज्यों में राज्य सभ (Confederal union) के लिए सहमत थी और इसमें भी वह राज्य सभ की वायपालिका और व्यवस्थापिका में दो राज्यों में बराबरी (Party) के आधार पर ही सम्मिलित हान के लिए तैयार थी।¹ असाकि लुम्बी ने लिखा है कि "कांग्रेस के लिए प्रथम आवश्यकता केन्द्र को सुदृढ करने और प्रपक्ष के क्षेत्र को कम करने की थी, लीग के लिए प्रथम उद्देश्य सुदृढ मुस्लिम युग के निर्माण करने की थी, जिसका वास्तविक अर्थ पाकिस्तान की प्राप्ति थी और केन्द्र की शक्तियों को यूनतम करने की

1 See Chatterji Amiya, Ibid p 139 and also Lumby, Ibid, p 83

उनका जम मिट्ट अधिनार है हमारी स्थिति निश्चित और स्पष्ट है, हम भारत का विभाजन चाहते हैं और पाकिस्तान की स्थापना चाहते हैं।

मिशन का सगठन तथा भारत में उतका आगमन—वेबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत (कराची) पहुंचा और 24 मार्च 1946 का वह दिल्ली पहुंचा। इसके कुल तीन सदस्य थे—भारत मंत्री लाड पथिक लारेन्स, वा. ग्राफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टाफर्ड क्रिप्स और नौवाहन विभाग (Admiralty) के प्रथम लाड थी ए वी एलेक्जेंडर। भारत मंत्री पथिक लारेन्स इसके अध्यक्ष थे। वायसराय राज वेवेल यद्यपि सिद्धांततः इस मिशन के सदस्य नहीं थे परन्तु व्यवहार में, जब तक मिशन भारत में रहा, वे इसके साथ काम करते रहे।

भारतीय राजनीतिक दलों तथा नेताओं से वार्तालाप—मिशन ने दिल्ली पहुंचन ही सावजनिक क्षेत्र में सलग्न स्त्री पुष्पा से भेंट करना शुरू कर दिया। अखिल भारतीय तथा प्रांतीय राजनीतिक दलों में, अल्पमत वाला, विशेष हितों और राजाभा में भी बातचीत करना शुरू कर दिया। तीन सप्ताह तक यह बातचीत चलती रही और कोई सफल परिणाम न निकला। वार्तालाप हम विदु पर आकर असफल हो गई कि 'कांग्रेस संयुक्त भारत' चाहती थी और मुस्लिम लीग 'भारत का विभाजन' और पाकिस्तान की स्थापना। दोनों अपनी अपनी मांग का त्याग करने लिए तैयार नहीं थे। जब कोई समझौता न हो सका तो 17 अप्रैल को वार्तालाप स्थगित कर दी गई। बाद में समझौते का पुनः प्रयास किया गया और 5 मई, 1946 से 11 मई, 1946 तक शिमला में त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के चार-चार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परन्तु इस सम्मेलन में भी वायस और मुस्लिम लीग में मूल सिद्धान्तों पर कोई समझौता न हो सका। कांग्रेस 'संयुक्त भारत' और लीग 'पाकिस्तान' की मांग पर अड़ी रही। कांग्रेस भारत के लिए एक ही संवैधानिक सभा चाहती थी जो भारत के संघीय संविधान का निर्माण करेगी तथा जिसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रायः के पास रहेंगी जबकि मुस्लिम लीग का संवैधानिक सभावे चाहती थी, एक भारत के लिए और दूसरी पाकिस्तान के लिए संविधान का निर्माण करेगी। मुस्लिम लीग अधिक से अधिक दो राज्यों में राज्य संध (Confederal union) के लिए सहमत थी और इसमें भी वह राज्य संध की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में दो राज्यों में बराबरी (Party) के आधार पर ही सम्मिलित होने के लिए तैयार थी।¹ जसाकि लुम्बी ने निम्न है कि 'कांग्रेस के लिए प्रथम आवश्यकता केन्द्र को सुदृढ़ करने और ग्रन्थ के क्षेत्र को कम करने की थी, लीग के लिए प्रथम उद्देश्य सुदृढ़ मुस्लिम ग्रुप के निर्माण करने की थी, जिसका वास्तविक अर्थ पाकिस्तान की प्राप्ति थी और केन्द्र की शक्तियों का न्यूनतम करने की

1 See Chatterji, *Amiya*, *Ibid*, p. 139 and also Lumby, *Ibid*, p. 83

वे दाना सदाना म यह घोषणा की गइ जि ब्रिटिश सरकार म प्रया का एन विशेष मिशन भारत भेज रही है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय नेताघ्रा और वायसराय की सहमति से सवधानिक समस्या के समाधान के लिए सिद्धाना और वायप्रणाली को निश्चित करना था। मिशन का वाय भारत के लिए किसी सविधान का निर्माण करना नहीं था, यह वाय तो स्वय भारतीयो का था। इसका वाय तो 19 सितम्बर, 1945 की वायसराय की घोषणा के प्रोग्राम को कार्यान्वित करना था। इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति हतु मिशन के दो वाय थे। (i) सवधानिक सभा के निर्माण की प्रक्रिया को निश्चित करना, तथा (ii) भारत के प्रमुख दला के समवन मे अंतरिम वाय कारिणी परिषद की स्थापना करना।

15 माच, 1946 को प्रधानमन्त्री एटली न भारत की स्वतन्त्रता की माग का स्वीकार कर लिया और यह स्पष्ट कर दिया जि क्विन्ट मिशन का उद्देश्य भारत को शीघ्र और पूरा स्वतन्त्रता दिलाने म सहायता करना है। एक प्रश्न के उत्तर म सर स्टाफर्ड क्रिप्स न भी कहा था कि "जितनी जल्दी और जितनी शांति या नम्रता से हम भारत का स्वतन्त्रता दे सकते है उतनी ही जल्दी और शांति मे हम भारत को स्वतन्त्रता देना चाहत हैं। मिशन "विरोधी दावो का निराकरण करन के लिए नहीं अपितु सत्ता हस्तांतरण के लिए आया था।" लारेन्स न भी कहा था कि मिशन 'रुने मस्तिष्क से भारत आया है।' प्रधान मन्त्री एटली न 15 माच, 1946 के अपन वक्तव्य म यह भी कहा था कि "हम अल्पमतो क अधिकारो क प्रति बहुत सचेत ह और अल्पमत वाला का भय स मुक्त रह कर जिदा रहन का अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर, हम किसी अल्पमत का बहुमत के विराम म वीटा का अधिकार भी नहीं दे सकते।"¹ भारतीय दशी रियासता से भी एटली न यह आशा व्यक्त की कि वे भारत की प्रगति म बाधा प्रस्तुत नहीं करेंगी। भारतीय लोग स एटली न यह अपेक्षा की कि वे 'ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल म रहना पसंद करेंगे।" 'अन्तरिम सरकार" की बात भी एटली ने इसी घोषणा म कही।

एटली की उपयुक्त घोषणा का ब्रिटिश ससद के सभी दला ने स्वागत किया। भारत मे भी इसका प्रभाव अच्छा हुआ। इस घोषणा ने अशांत और विपैले बाता वरण को शांत कर दिया। कांग्रेस ने लोग का शांत रहने और धीरज रखने के लिए कहा। मुस्लिम लीग इस घोषणा के सम्बन्ध म कुछ शक्ति थी क्याकि इसम पाकिस्तान की आवश्यकता के बारे म कुछ नहीं कहा गया था। इसमे तो यह कहा गया था कि "किसी अल्पमत को बहुमत के विकास मे वीटा का अधिकार नहीं दिया जायगा।" जिना की यह शिक्षायत थी कि एटली कांग्रेस के प्रचार जाल म फस गया है। उसने कहा कि बहुमत की प्रगति को रोकने का कोई प्रश्न नहीं उठता भारतीय मुसलमान कोई अल्पसरयक नहीं, वे एक राष्ट्र ह और आत्म निराण का अधिकार

उनका ज म सिद्ध अधिकार है हमारी स्थिति निश्चित और स्पष्ट है, हम भारत का विभाजन चाहते हैं और पाकिस्तान की स्थापना चाहत है।

मिशन का सगठन तथा भारत में उसका आगमन—वेकिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत (कराची) पहुँचा और 24 मार्च 1946 को वह दिल्ली पहुँचा। इसके कुल तीन सदस्य थे—भारत मंत्री लाड पथिक लारेस, वोड आफ टूड के अध्यक्ष सर स्टफर्ड रिप्स और नौवाहन विभाग (Admiralty) के प्रथम लाड श्री ए बी एलेक्जेंडर। भारत मंत्री पथिक लारेस इसके अध्यक्ष थे। वायसराय लाड वेवल यद्यपि सिद्धांततः इस मिशन के सदस्य नहीं थे परंतु व्यवहार में, जब तक मिशन भारत में रहा, वे इसके साथ कार्य करते रहे।

भारतीय राजनीतिक दलों तथा नेताओं से वार्तालाप—मिशन ने दिल्ली पहुँचने ही सावजनिक क्षेत्र में सलग्न हो पुग्वा स भेंट करना शुरू कर दिया। अखिल भारतीय तथा प्रांतीय राजनीतिक दलों से, अल्पमत वाला, विशेष हिता और राजाधा से भी बातचीत करना शुरू कर दिया। तीन तप्ताह तक य बातचीत चलती रही और कोई सफल परिणाम न निकला। वार्तालाप इस विदुष पर आधार असफल हा गई कि 'कांग्रेस समुक्त भारत' चाहती थी और मुस्लिम लीग 'भारत का विभाजन' और पाकिस्तान की स्थापना। दोनों अपनी अपनी मांग को त्यागन के लिए तयार नहीं थ। जब कोई समझौता न हो सका तो 17 अप्रैल को वार्तालाप स्थगित कर दी गई। बाद में समझौते का पुन प्रयास किया गया और 5 मई, 1946 से 11 मई, 1946 तक शिमला में निपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के चार चार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परंतु इस सम्मेलन में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मूल सिद्धांत पर कोई समझौता न हो मवा। कांग्रेस समुक्त भारत और लीग 'पाकिस्तान' की मांग पर अड़ी रही। कांग्रेस भारत के लिए एक ही संवधानिक सभा चाहती थी जो भारत के सभी संविधान निर्माण करेगी तथा जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास रहेगी जबकि मुस्लिम लीग दा संवधानिक सभायें चाहती थी, एक भारत के लिए और दूसरी पाकिस्तान के लिए संविधान का निर्माण करेगी। मुस्लिम लीग अधिक सं अधिक दा राज्या के लिए संघ (Confederal union) के लिए सहमत थी और इसमें भी वह राज्य स कायपालिका और व्यवस्थापिका में दो राज्या में बराबरी (Party) के आधार पर ही सम्मिलित होने के लिए तयार थी।¹ जसाकि लुम्बी ने लिखा है कि 'कांग्रेस के लिए प्रथम आवश्यकता केन्द्र को सुदृढ करने और ग्रुप के क्षेत्र का कम करने की थी, लीग के लिए प्रथम उद्देश्य सुदृढ मुस्लिम ग्रुप के निर्माण करने की थी जिसका वास्तविक अर्थ पाकिस्तान की प्राप्ति थी और केन्द्र की शक्तियाँ वास्तविकतः कम करने की

1 See Chatterji, *Amiya Ibid*, p 139 and also Lumby, *Ibid*, p 83

2 'परम सत्ता' की समाप्ति—केबिनेट मिशन याददा भ परम सत्ता (Paramountcy) का भारतीय सरकार का नहीं सौंपा गया था और न ही यह ब्रिटिश हाथों में रखा गया था बल्कि इसकी समाप्ति को वास्तव में कर दिया। मिशन ने यह घोषणा व्यक्त की थी कि दत्ता नियामक संधि में सम्मिलित होने के लिए भारत को संधि के बाद न कोई रास्ता बूँटेंगे।

3 शीघ्रशासीन प्रस्ताव—शीघ्रशासन में सम्बन्धित केबिनेट मिशन प्रस्तावों में निम्न सुझाव प्रस्तुत किये जा भारतीय गणतन्त्र के स्वरूप में सम्बन्धित थे। ये प्रस्ताव 16 मई, 1946 को घोषणा के 15 दिनों परावृत्त में उन्निमित्त थे जो मुख्यतः निम्न प्रकार से थे —

- (1) ब्रिटिश भारत और दक्षिण अफ्रीका के मिलाकर एक संधि की स्थापना की जाय जिसके द्वारा सुरक्षा, विदेशी मामलों और आंतराष्ट्रीय विषय हों। इन विषयों का प्रबंध करने के लिए उसने पास धन एकत्रित करने की भी शक्ति हानी चाहिए।

- (ii) सद्यः शासन की अपनी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका हो जिम्मा गठन ब्रिटिश भारत और दक्षी रियासता के प्रतिनिधियों से किया जाय । व्यवस्थापिका में किसी भी साम्प्रदायिक प्रश्न पर तभी निर्णय लिया जाय जब उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों वा बहुमत उसे स्वीकार कर लें ।
- (iii) अवशिष्ट शक्तियाँ सहित, अथ सभी शक्तियाँ प्रांतों के पास होनी चाहिए ।
- (iv) दक्षी रियासता को भी उपयुक्त चार शक्तियाँ ही केन्द्र को अर्पित करनी थीं, जेप शक्तियाँ उही के पास ही रहनी थीं ।
- (v) प्रांत पृथक् समूह (Group) बना सकत थ और प्रत्येक पृथक् समूह को अपनी पृथक् कार्यपालिका और व्यवस्थापिका रखन का अधिकार होना चाहिए जा उन विषयों का प्रबन्ध कर सकत था, जो उस समूह में आने वाले प्रांत उस समूह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को देने के लिय तयार हा ।
- (vi) सघीय और सामूहिक सविधान में किसी प्रांत को व्यवस्थापिका क बहुमत की भाग पर 10 वर्ष बाद और प्रत्येक 10 वर्ष के मध्यावकाश (interval) में सविधान पर पुनर्विचार की व्यवस्था हानी चाहिये अर्थात् प्रत्येक दस वर्ष बाद सविधान में संशोधन की व्यवस्था हानी चाहिये ।

4 सवधानिक सभा—सवैधानिक सभा के निर्माण के सम्बन्ध में केबिनेट योजना में निम्न प्रस्ताव थे

- (i) सवधानिक सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी । इसमें ब्रिटिश भारत के लिए 296 और दक्षी रियासता के लिए 93 सदस्य निश्चित किये गये थे । ब्रिटिश भारत के सदस्यों में 292 गवर्नर प्रांतों के लिए और एक-एक ब्रिटिश बिनोचिस्तान, पुण, अजमेर मारवाड़ और दिल्ली के मुख्य आहुक्ता (चीफ कमिश्नर) प्रांतों के लिए ।
- (ii) सवैधानिक सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए वयस्क घताधिकार को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि हमने दसों हान की सम्भावना थी । इसके म्यान पर मिशन ने प्रत्येक प्रांत के लिए उसकी जनसंख्या के आधार पर स्थान निर्धारित कर दिये । लगभग दस लाख व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की गई थी ।

- (iii) प्रांता के लिए निर्धारित किये गये स्थानों को प्रांत की मुख्य जातियाँ, उनका जनसंख्या के आधार पर, विभक्त कर दिया गया था। प्रत्येक जाति के लिए निश्चित किये गये सदस्यों को, उस जाति के विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाना था। इस तरह संवैधानिक सभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाना था और प्रांतीय विधान सभाएँ संवैधानिक सभा के लिए निर्वाचक मण्डल थीं। ब्रिटिश बितोचिस्तान और कुंग के सदस्यों का निर्वाचन सम्बंधित स्थानीय विधान परिषदों द्वारा किया जाता था और अजमेर और दिल्ली से एक-एक केन्द्रीय MLA का निर्वाचन किया जाना था।
- (iv) मिशन ने केवल तीन जातियाँ (Communities) का ही मायता दी थी—मुस्लिम, सिक्ख और 'सामान्य'। सामान्य जाति में सभी जातियाँ थीं जो न तो मुस्लिम थीं और न सिक्ख। सिक्ख जाति को केवल पंजाब में ही मायता प्राप्त थी। अल्पसंख्यकों को अब तक दी जाने वाली भारतीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
- (v) दशो राज्यों के प्रतिनिधियों के चयन के तरीके का विचार विमर्श द्वारा निर्धारित किया जाना था। प्रारम्भिक अवस्था में राज्यों का प्रतिनिधित्व 'वार्ता समिति' (Negotiating Committee) द्वारा किया जाना था। परन्तु यहाँ भी यही विचार प्रचलित था कि, ब्रिटिश भारत की तरह, जनसंख्या के अनुपात में ही उन्हें प्रतिनिधित्व मिलाना चाहिये।
- (vi) प्रांता को तीन समूहों में बाँटा गया था। समूह (A) में छह प्रांत थे—मद्रास, बम्बई, यू० पी०, विहार, सी० पी० उड़ीसा, समूह 'ब'

1 See Chatterji, *Amiya* Ibid, p 142

Table of Representation

| Province | Section A | | | Province | Section B | | | |
|----------|-----------|--------|-------|----------|-----------|--------|-------|-------|
| | General | Muslim | Total | | General | Muslim | Sikh | Total |
| Madras | 45 | 4 | 49 | Punjab | 8 | 16 | 4 | 28 |
| Bombay | 19 | 2 | 21 | NWFP | 0 | 3 | 0 | 03 |
| U P | 17 | 8 | 55 | Sind | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Bihar | 31 | 5 | 36 | | — | — | — | — |
| C P | 16 | 1 | 17 | | 9 | 22 | 4 | 35 |
| Orissa | 9 | 0 | 09 | | Section C | | | |
| | — | — | — | Province | General | Muslim | Total | |
| | 167 | 20 | 187 | Bengal | 27 | 33 | 60 | |
| | | | | Assam | 7 | 3 | 10 | |
| | | | | | — | — | — | |
| | | | | | 34 | 36 | 70 | |

(B) में तीन प्रांत थे—पंजाब, एन० डब्ल्यू० एफ० पी० और मि० व, ममूह 'स' (C) में दो प्रांत थे—बंगाल और असम ।

5 सामान्य प्रक्रिया—केबिनेट मिशन योजना में सामान्य प्रक्रिया सत्रों के बीच वाता को पराग्राफ 19 के उप पराग्राफ IV से VIII तक वर्णित किया गया था । प्रक्रिया सम्बन्धी ये बातें मुख्यतया निम्न थी—

- (1) सर्वैधानिक सभा के सदस्यों की बैठक नई दिल्ली में ही जानी थी । प्रारम्भिक बैठक में ही सभा का अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाता था तथा नागरिकों, अल्पमत वाले और क्रायली तथा वरजित (excluded) क्षेत्रों के अधिकारों व सम्बन्ध में परामशदात्री समिति की भी स्थापना की जानी थी । इसके बाद प्रांतीय प्रतिनिधियों को अपने अपने समूहों में विभक्त हो जाना था ।
- (ii) इन समूहों में ही प्रांतीय सविधानों को निश्चित करना था और इस बात का भी विचार लेना था कि समूह में कौन कौन प्रांतीय विधायकों को सम्मूह सविधान (Group Constitution) होगा और यदि समूह सविधान होगा तो इस समूह का कौन कौन में प्रांतीय विधायक दिये जायेंगे । प्रांतीय समूहों में प्रत्येक प्रांत का अधिकार दिया गया था समूह में प्रत्येक प्रांत का विधायक नवीन सविधान के अन्तर्गत प्रथम निर्वाचन के बाद स्थापित की गई सम्मूह प्रांतीय व्यवस्थापिका व बहुमत द्वारा ही लिया जा सकता था । समूह में प्रत्येक प्रांत का प्रांत अपने प्रत्येक सविधान का निर्माण कर सकता था ।
- (iii) प्रांतों और समूहों के सविधानों के निर्माण हेतु व बाद समूहों और भारतीय दली गिनती के प्रतिनिधियों को भारत सभ के सविधान व निर्माण के लिए पुनः इकट्ठे होना था । इस तरह केबिनेट मिशन योजना में पहले प्रांतीय सविधान फिर समूह सविधान और फिर राष्ट्रीय सविधान की व्यवस्था की गई थी ।
- (iv) सभा के अध्यक्ष का ही इस बात का विचार करना था कि बाद में प्रस्ताव साम्प्रदायिक विधायकों का उत्पन्न करत है और यदि प्रमुख जातियाँ व प्रतिनिधियों का बहुमत मांग कर ता अपने विधायकों के इन में पूर्व बह (अध्यक्ष) राष्ट्रीय विधान में परामशदात्री सभा का ।

6 सविधान—केबिनेट मिशन योजना में सर्वैधानिक सभा और छोटें विधान व मध्यमक सविधानों की व्यवस्था की थी । इस सविधान में उन सभी विधायकों का उल्लेख किया जाता था जो सत्ता हस्तान्तरण में उत्पन्न प्रांत थे ।

7 अंतरिम सरकार की स्थापना— 16 मई, 1946 की योजना में अंतरिम सरकार की स्थापना का कल्पना की गई थी और यह कहा गया था कि कुछ

विभाग सहित सभी विभागों को उन भारतीय नयाग्रा के हाथों दिया जायगा जिन्हें प्रमुख राजनीतिक दला और जनता का समर्थन प्राप्त होगा। अंतरिम सरकार के सदस्यों की मर्यादा का भविष्यक विचार-विमर्श पर छोड़ दिया गया था। अंतरिम सरकार उम समय तक चलय करेगी जब तक नया संविधान का निर्माण नहीं कर दिया जाता और नई सरकार की स्थापना नहीं कर दी जाती। ब्रिटिश सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया कि वह अंतरिम सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करेगी और जितनी जल्दी और जितनी शान्ति से वह सत्ता हस्तांतरित कर सकेगी उसे हस्तांतरित कर देगी।

केबिनेट मिशन योजना का मूल्यकन—केबिनेट मिशन योजना में गुणा और दोषों का समावेश था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का मत था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह दस्तावेज उनकी सद्बुद्धि और सत्यनिष्ठा का प्रतीक था। यही कारण है कि भारत के दोनों प्रमुख दला न इस सवधा या पूर्णतया अस्वीकार नहीं किया और न ही इसकी खुलना गुलना भत्मना की। दोनों ने इसे एसी योजना समझा जिस पर गम्भीरता से विचार किया जा सकता था। योजना के प्रति गांधीजी की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहवद्ध थी। उन्होंने कहा था कि 'इसमें वह चीज विद्यमान है जिसमें इस देश के दुःख और सताप को हरन की शक्ति है।' एक अय स्थान पर गांधीजी ने कहा था कि 'अमुक परिस्थितिया में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोत्तम दस्तावेज है।' जिना ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि अल्पमतवालों की समस्या का जो हल योजना में प्रस्तुत किया गया था उस समस्या का उससे और कोई अच्छा हल नहीं हो सकता था। केबिनेट मिशन योजना में गुणा के कारण ही एक स्तर पर लीग और कांग्रेस दोनों ने इस स्वीकार कर लिया था।

परन्तु जस जस समय बीतता गया और योजना के भिन्न भिन्न प्रस्तावों की व्याख्याएँ की गईं वैसे वैसे कांग्रेस और लीग के दृष्टिकोणों में भिन्नताएँ सामन आती गईं। विशेषकर प्रांता के समूहीकरण की अनिवायता और संवैधानिक सभा में योजना के मूल आधारों में परिवर्तन करने की शक्ति पर दोनों में गम्भीर भेद उत्पन्न हो गया। कांग्रेस प्रांता के समूहीकरण का अनिवाय नहीं मानती थी। उमका कहना था कि प्रांत समूह में सम्मिलित होने के लिय स्वतंत्र है। कांग्रेस का यह भी कहना था कि संवैधानिक सभा योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती थी। परन्तु लीग का कहना था कि प्रांता का समूह में (समूह वी० और सी० के प्रांत) सम्मिलित होना अनिवार्य है और संवैधानिक सभा योजना के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अंत में योजना के प्रति अपनी स्वीकृति को 29 जुलाई 1946 के प्रस्ताव द्वारा वापस ले लिया, पाकिस्तान की मांग पर वह नहीं रही और अन्त में विभाजन के द्वारा ही समस्या का हल हुआ।

केबिनेट योजना के गुण

केबिनेट मिशन योजना में अनेक गुण पाये जाते थे जिनमें मुख्य निम्न हैं—

1 सयुक्त भारत की कल्पना—केबिनेट मिशन योजना का सबसे बड़ा गुण यह था कि इसने सयुक्त भारत (United India) पर बल दिया था और पाकिस्तान की मांग को स्पष्टतया अस्वीकार कर दिया था। मिशन का विश्वास था कि अल्पमतों के हितों की सुरक्षा का नहीं बल्कि भारत का विभाजन नहीं। नैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी मिशन ने विभाजन को हानिकारक बताया। मिशन का कहना था कि विभाजन से राष्ट्रीय एकता नष्ट होगी तथा परिवहन, डाक और तार तथा रक्षा सेनाएँ छिन्न भिन्न हो जायेंगी।

2 अल्पमतों के हितों की रक्षा—केबिनेट मिशन ने केवल भारतीय एकता पर ही बल नहीं दिया था बल्कि अल्पमतों के भयों और शकाओं का भी दूर करने का प्रयास किया गया था। सर्वधानिक सभा में योजना न जातियों को जन सभ्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। एंग्लो इण्डियन तथा बवायनी लोगों जैसे बहुत ही छोटे अल्पमत वालों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिये योजना ने सर्वधानिक सभा में परामर्श समिति की व्यवस्था की थी। इस तरह केबिनेट योजना ने बहुत ही उचित ढंग से भारत की एकता को बनाये रखने हुए अल्पमतों के भयों और शकाओं का दूर करने का प्रयास किया।

3 समझौता वृत्ति पर आधारित—केबिनेट योजना में कांग्रेस और लीग दोनों के दृष्टिकोणों को समन्वित करने का प्रयास किया गया था। कांग्रेस सयुक्त भारत, सुदृढ़ केंद्र और प्रांतीय स्वायत्तता चाहती थी और लीग भारत का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना चाहती थी। केबिनेट योजना में कांग्रेस का पक्षन करने के लिये सयुक्त भारत की सिफारिश की थी। यद्यपि केबिनेट योजना में पाकिस्तान की मांग का अस्वीकार कर दिया गया था परन्तु उसने सार को उसने स्वीकार कर लिया था और देश के विभाजन के बिना ही लीग का पाकिस्तान का सार लाभ पहचान की कोशिश की गई थी। केंद्र के सीमित अधिकार अर्थात् निवल केंद्र, प्रांता के समूहीकरण की अनिवार्यता, सर्वधानिक सभा में योजना के मूल आधारों में परिवर्तन की मनाही तथा मामूलाधिकार विषय पर उस जाति के प्रतिनिधियों के प्रभुत्व की स्वीकृति ने जिना परिवर्तन की मनाही कुछ ऐसी सिफारिशें थीं जिनके द्वारा लीग की पाकिस्तान की मांग के सार को स्वीकार किया गया था।

4 सर्वधानिक सभा की साधनमयता—केबिनेट योजना के टाके के अन्तर्गत सर्वधानिक सभा पूर्ण भावभोग्य थी। वह स्वयं के निर्णय द्वारा ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में रहने या उससे प्रत्यक्ष होने का निर्णय ले सकती थी। इस तरह योजना में सर्वधानिक निर्माण का अधिकार तथा उसके स्वरूप को निर्धारित करने का अधिकार स्वयं भारतीयों को दिया गया था।

5 **संवधानिक सभा का प्रजातांत्रिक आधार**—यद्यपि योजना में संवधानिक सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिये वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की गई थी परन्तु फिर भी इस प्रजातांत्रिक सिद्धांत का अपनाया गया था कि संवधानिक सभा का निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा किया जायगा। प्रत्येक जाति के विधान सभा के सदस्यों को उस जाति की जनसंख्या के आधार पर (10 लाख व्यक्तियों पर 1 प्रतिनिधि के आधार पर) प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था। विशेष हितों अथवा जाति के आधार पर अल्पमत वाला के "गुरु भार" (Weightage) की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ऐंग्लो इण्डियन भारतीय ईसाई, ब्रिटिश सरकार या गैर सरकारी यूरोपियन या 1935 के अधिनियम में स्वीकृत अन्य अल्पमतों या विशेष हितों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। संवधानिक सभा के निर्वाचन के लिए भारत की जातियों को केवल तीन जातियों में बाटा गया—माम्नाय, मुस्लिम और सिक्ख (केवल पंजाब के लिये)। इस तरह संवधानिक सभा में केवल भारतीय सदस्यों की कल्पना की गई थी और उन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान निर्मित किया जाना था।

6 **देशी रियासतों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व**—यद्यपि कैबिनेट योजना में यह स्पष्ट रूप में नहीं कहा गया था कि संवधानिक सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां की जनता द्वारा चुना जायगा परन्तु योजना की यह सिफारिश कि रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन के तरीके को 'समझौता समिति' (Negotiating Committee) द्वारा निश्चित किया जायगा इस बात का प्रतीक थी कि रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के राजाओं द्वारा नामांकित नहीं किया जाना था। स्पष्ट है कि कैबिनेट योजना में रियासतों की जनता के हितों की उपेक्षा नहीं की गई थी बल्कि उन्हें यह विश्वास दिया गया था कि ग्राम राजनीतिक भाग्य के निर्माण में उन्हें अधिकार दिया जायगा।

7 **अंतरिम सरकार**—कैबिनेट योजना में अंतरिम सरकार की स्थापना के लिये सिफारिश की गई थी। योजना में यह विश्वास दिलाया गया था कि इसके सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रथम बार युद्ध विभाग सहित सभी विभागों को भारतीयों के अधीन रखने का वचन दिया गया था। यह विश्वास भी दिलाया गया था कि अंतरिम सरकार को दैनिक प्रशासन में पर्याप्त स्वतंत्रता दी जायगी, अंतरिम सरकार कैबिनेट की भांति कार्य करेगी और गवर्नर जनरल केवल संवधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

कैबिनेट योजना के दोष

कैबिनेट योजना में कुछ गुण होते हुए भी कुछ गम्भीर दोष विद्यमान थे। ये दोष मुख्यतः निम्न थे—

1 अस्पष्ट और असंगत—केबिनेट योजना का सबसे गम्भीर दोष यह था कि इसके मुद्दान एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। विशेष कर पराग्राफ 15 और पराग्राफ 19 में गम्भीर असंगति थी। इसी अस्पष्टता और असंगति के कारण कांग्रेस और लीग के दृष्टिकोणों में भिन्नता उत्पन्न हुई और योजना अपने उद्देश्या में असफल रही। लीग का कहना था कि पराग्राफ 19 में प्राप्ता के समूहीकरण की अनिवायता पर बल दिया गया है अर्थात् प्रान्तों के लिये समूह में सम्मिलित होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, लीग इस बात पर भी बल देती थी कि संवधानिय सभा योजना के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। दूसरी ओर कांग्रेस का यह कहना था कि पराग्राफ 15 में प्राप्ता को समूह में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता दी गई है अर्थात् प्रांतों के लिये समूह में सम्मिलित होना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। प्रांत समूह में सम्मिलित भी हो सकते थे और उससे पृथक् भी रह सकते थे। कांग्रेस सर्वधानिय सभा का सम्प्रभु मानती थी और उसका यह विश्वास था कि उसे योजना के मूल ढांचे में भी परिवर्तन करने का अधिकार है। कांग्रेस केबिनेट योजना को सिफारिशों के रूप में देखती थी, बाध्यकारी रूप में नहीं।

2 राष्ट्रीय एकता पर आघात और साम्प्रदायिक तत्वों को बढ़ावा—यह सत्य है कि केबिनेट योजना ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था परन्तु जो अधिकार प्रांतों को दिये गये थे वे विभाजन की आरंभ करते थे और पाकिस्तान तथा द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का स्वीकार करते थे। इतना ही नहीं, उनमें साम्प्रदायिक भावना का स्पष्टतः बढ़ावा भी दिया गया था। सर्वधानिय सभा का निर्वाचन जातीय (साम्प्रदायिक) आधार पर होना था, साम्प्रदायिक प्रश्नों का निपटारा जातीय बहुमत द्वारा होना था और प्रांतों का समूहीकरण साम्प्रदायिक आधार पर किया गया था। यह समझ में नहीं आता कि खण्ड "म" में असम जैसे हिन्दू बहुमत वाले प्रांतों को बंगाल जैसे मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों के साथ क्या मिला दिया गया था। इसी प्रकार यह समझ नहीं आता कि जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे खण्ड "ब" में क्यों मिलाया गया।

3 कमजोर केंद्र—केबिनेट योजना का एक दोष यह था कि इसमें केंद्र अत्यधिक कमजोर बना दिया गया था। केंद्र की शक्तियां केवल तीन विषयों (सुरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार साधन) तक सीमित कर दी गई थी। अन्य विषय—जैसे मुद्रा, विदेशी व्यापार, याजना, आप-नों के माप, अन्तर्प्रान्तीय व्यापार और विवाद, आदि—जिनमें एक-रूपता की आवश्यकता थी उन्हें प्रांतों के हाथ में छाड़ दिया गया था। सम्भवतः ब्रिटिश शासन केन्द्रीय सरकार का कमजोर रख कर अपनी गति को चिरकाल तक बनाय रखना चाहते थे।

4 विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा—केबिनेट योजना में देशी रियासतों के सम्प्रभु में सिफारिशों बहुत ही विघटनकारी थी। योजना में कहा गया था कि

भारत के स्वतंत्र होते ही देशी रियासतों पर ब्रिटिश की परम सत्ता (Paramountcy) भी समाप्त हो जायगी। इसका अर्थ यह था कि देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो जायगी। यह देशी रियासतों के शासकों पर निर्भर करता था कि वे भारत में सम्मिलित हों या नहीं। वे स्वतंत्र राज्य का निर्माण भी कर सकते थे। इस तरह यह योजना भारत के विघटन (Balkanization) की घूट चाल थी और ब्रिटिश शासक भारत को तीन सौ वर्ष पूर्व की स्थिति में ले जाना चाहते थे।

5 अंतरिम सरकार का अनिश्चित कार्यकाल तथा उसके गठन की तर्कहीनता—केबिनेट योजना में अंतरिम सरकार की व्यवस्था का एक दोष यह था कि इसका कार्यकाल अनिश्चित था। क्योंकि इसके लिये कोई समय निश्चित नहीं किया गया था इसलिए ब्रिटिश शासन भारत में अपनी सत्ता को अनिश्चित काल तक बनाये रखना चाहते हैं। अंतरिम सरकार का दूसरा दोष उसके गठन में था। योजना के अनुसार अंतरिम सरकार के सदस्यों की संख्या 14 रखी गई थी—6 कांग्रेस (दलित वर्ग के एक सदस्य सहित), 5 लीग और 3 अन्य अल्पमत। यह विभाजन तकहीन और अव्यावहारिक था। प्रथम संवर्ण हिन्दुओं और मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व देना अनुचित था क्योंकि हिन्दुओं और मुसलमानों की जनसंख्या में 3:1 का अनुपात था। दूसरे, इसमें राष्ट्रीय मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तीसरे, कांग्रेस किम्वं मुसलमानों को नियुक्त नहीं कर सकती थी। यही कारण है कि कांग्रेस ने 26 जून के प्रस्ताव द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने में इन्कार कर दिया। कांग्रेस ने तो अपने राष्ट्रीय स्वरूप का बलिदान दे सकती थी और न ही किसी अयोग्यपूर्ण बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार कर सकती थी।

6 संवैधानिक सभा ने तो पूर्णतया सम्प्रभु थी और न पूर्णतया प्रजातान्त्रिक—संवैधानिक सभा पूर्णतया सम्प्रभु संस्था नहीं थी। उसे केबिनेट योजना के ढाँचे के अनुसार ही कार्य करना था। वह "समूहीकरण" में परिवर्तन नहीं कर सकती थी और योजना के प्रावधानों में परिवर्तन भी आपसी सहमति द्वारा ही कर सकती थी। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि इसके द्वारा निर्मित संविधान केवल सभ पर लागू होना था प्रांतीय या समूहों पर नहीं।

संवैधानिक सभा का गठन भी प्रजातान्त्रिक न होकर साम्प्रदायिक था। इसके सदस्यों का निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों द्वारा जातीय आधार पर किया जाना था। क्योंकि इसके सदस्यों के निर्वाचन के लिये व्यक्त मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी और क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन जातीय आधार पर किया जाना था इसलिए संवैधानिक सभा जातियों या वर्गों की सभा थी यह भारतीय जनता की सभा नहीं थी। इसमें देशी रियासतों की जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी नहीं थी।

7 संविधान निर्माण की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी—केबिनेट योजना में त्रिस्तरीय संविधान की व्यवस्था की गई थी। सबसे ऊपर सभ संविधान, सबसे नीचे प्रांतीय

संविधान और बीच में समूह के संविधान की व्यवस्था थी। प्रथम तो इन त्रि-स्तरीय संविधानों का मुचाह रूप में चयन काठिन था और दूसरे इन संविधानों के निर्माण के लिये जा प्रक्रिया रखी गई थी यह धुटिपूर्ण थी। प्रांता और समूहों के संविधानों के निर्माण के बाद संघीय संविधान का निर्माण करना हास्यप्रद था। यह उरती गगा' वहाँने या "बला के आगे छांडा लगान" के समान था।

8 सिक्को के हितों की उपेक्षा—केबिनेट योजना में मुसलमानों के हितों की रक्षा तो का गई थी और पाकिस्तान के सार को स्वीकार भी कर लिया गया था परंतु सिक्को के हितों की उपेक्षा की गई थी। सिक्को की मातृभूमि पंजाब में उनका हितों को मुसलमानों के बहुमत की दया पर छोड़ दिया गया था। इसी कारण सिक्को असंतुष्ट और उन्नेजित थे। कांग्रेस द्वारा आश्वासन दिये जाने पर ही कि उनके हितों की उपेक्षा नहीं की जायगी उ होने राजधानिक सभा के लिये अपने 4 प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया था।

9 कठोर योजना—केबिनेट मिशन योजना निम्न प्रस्तावों की भांति बठोर थी। इसमें लचीलेपन का अभाव था और इसमें स्वयं विवक्षित होने के नत्व विद्यमान नहीं थे। इस या तो पूर्णतया स्वीकार किया जा सकता था या पूर्णतया अस्वीकार। इस बठोरता के कारण भी यह योजना असफल हुई।

केबिनेट योजना के प्रति राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण

(क) लीग का दृष्टिकोण—यद्यपि जिना इस बात से बहुत दुःखी थे कि योजना में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था फिर भी लीग ने 6 जून, 1946 के प्रस्ताव द्वारा केबिनेट योजना को स्वीकार कर लिया अर्थात् मबैधानिक सभा और अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के लिये लीग ने अपनी स्वीकृति दे दी। लीग ने योजना पर अपनी स्वीकृति इस आशय से दी थी कि खण्ड "बी" और "सी" के 6 प्रांतों के अनिवाय समूहीकरण में उसे पाकिस्तान के आधार की स्वीकृति नजर आती थी। लीग को इस सुझाव से भी सताप था कि प्रांता और समूहों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया गया। परन्तु योजना पर स्वीकृति प्रकट करते हुए भी लीग ने उस पर पुनर्विचार के अपने अधिकार का सुरक्षित रखा तथा पाकिस्तान की प्राप्ति के शपथ दृष्ट निश्चय का दाहराया। लीग ने योजना पर अपनी स्वीकृति को 29 जुलाई का प्रस्ताव द्वारा वापस ले लिया और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिये "नीधी कायवाही" का प्रस्ताव पास किया। पाकिस्तान की अपनी मांग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही लीग के 5 सदस्यों ने 26 अक्टूबर, 1946 को अंतरिम सरकार में अपने पदों की शपथ को ग्रहण किया।

(ख) कांग्रेस का दृष्टिकोण—कांग्रेस ने 25 जून, 1946 के प्रस्ताव द्वारा केबिनेट योजना के दीर्घवालीन सुझावों का स्वीकार करते हुए मबैधानिक सभा में सम्मिलित होने पर अपनी सहमति प्रकट कर दी। यह सहमति इस आशय पर प्रकट

की गई थी कि "स्वतंत्र, सगठित और प्रजातान्त्रिक भारत के संविधान निर्माण में" किसी प्रकार की बाधा प्रस्तुत न हो। कांग्रेस ने योजना के अल्पकालीन सुझावों को अर्थात् अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के वायसराय के 16 जून 1946 के निमन्त्रण को यह कर अस्वीकार कर दिया कि कांग्रेस न ता "अपने राष्ट्रीय स्वरूप से समझौता कर सकती है" और न ही किसी "कृत्रिम अनुचित बराबरी" के सिद्धांत को स्वीकार कर सकती है। कांग्रेस को आपत्ति अंतरिम सरकार की रचना पर थी जिसमें हिन्दू और मुसलमानों को बराबरी के स्थान दिये गये थे। कांग्रेस को सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसमें राष्ट्रीय मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था और कांग्रेस को किसी मुसलमान को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का अधिकार नहीं था। परंतु जब 22 जुलाई 1946 को वायसराय ने एक वक्तव्य द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि अंतरिम सरकार में दलों का अनुपात 6 5 3 रहेगा और किसी दल द्वारा मनोनीत और वायसराय द्वारा स्वीकृत सदस्यों पर दूसरे दल को आपत्ति नहीं होगी तो कांग्रेस ने वायसराय के अंतरिम सरकार के बनाने के निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया।

(ग) सिक्खों और दलित वर्गों का दृष्टिकोण—सिक्खों और दलित वर्गों ने भी कैबिनेट मिशन योजना की भत्सना की। सिक्खों के पंथिक सम्मेलन (The Sikh Panthic Conference) ने प्रांतों के अनिवाय समूहीकरण की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें सिक्खों की मातृभूमि पंजाब को "दिवालिया (Liquidate) प्रान्तों का प्रयास किया गया है सिक्खों जाति का मुस्लिम बहुमत की दया पर छाड़ दिया गया है जिसमें उनके धर्म और संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो गया है। बाद में कांग्रेस द्वारा आश्वासन दिये जाने पर कि उनके हितों की उपेक्षा नहीं की जायेगी सिक्खों ने संवैधानिक सभा में अपने 4 प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया।

दलित वर्गों के सचिव ने कैबिनेट योजना की यह कहकर आलोचना की कि यह आतियों से पूरा है इसने दलित वर्गों के लिये विधान सभाओं में कोई स्थान निर्धारित नहीं किये और अंतरिम सरकार में भी उनके लिये केवल एक ही स्थान निर्धारित किया गया है।

आवेक्षक सरकार (Care-taker Government) तथा संवैधानिक सभा के निर्वाचन—जब लाड ववल ने यह अनुभव किया कि कोई राजनीतिक दल अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के लिये तैयार नहीं तो प्रशासन के कार्य को चलाने के लिये उसने 29 जन, 1946 का अपने वमचारियों की आवेक्षक सरकार का निर्माण किया। आवेक्षक सरकार के निर्मित हान के दूमेरे ही दिन संवैधानिक सभा के सदस्यों के निर्वाचन का घाघणा कर दी गई। जुलाई के अंत तक संवैधानिक सभा के निर्वाचन समाप्त हो गये। केवल 9 स्थानों का छोड़ कर शेष सभी मामूली स्थानों पर कांग्रेस विजयी रही। मुसलमानों के लिये 78 सुरक्षित स्थानों में से 73 स्थान मुस्लिम लीग को प्राप्त हुए। (जसाकि ऊपर कहा गया है कि सिक्खों ने पहले ता

संवैधानिक सभा के चुनाव का बहिष्कार कर दिया परन्तु बाद में उन्होंने 4 स्थानों पर अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया।

नेहरू का दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य—कांग्रेस अध्यक्ष प० जवाहरलाल नेहरू ने संवैधानिक सभा के चुनाव परिणामों से प्रभावित होकर तथा संयुक्त भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से प्रेरित होकर केबिनेट योजना के सम्बन्ध में, एक वक्तव्य में, कुछ ऐसी व्याख्याएँ कर डालीं जो बहुत ही अशुभपूर्ण, अदूरदर्शी और असामाजिक थीं। नेहरू जी ने एक वक्तव्य में कहा था कि "जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यह किसी दीर्घकालीन या अल्पकालीन योजना की स्वीकृति का प्रश्न नहीं है, यह तो संवैधानिक सभा में हमारे जाने की स्वीकृति का प्रश्न है। वम इतना ही, इससे अधिक और कुछ नहीं। उम सभा में हम तब तक रहेंगे जब तक हम समझते हैं कि यह भारत के हित के लिए है और जब हम यह अनुभव करेंगे कि हमारे हितों का ठेस पहुँचती है तो हम उससे बाहर आ जायेंगे। हम किसी चीज में राध्य नहीं हैं सिवाय इसके कि हमने इस समय संवैधानिक सभा में जाना का निश्चय किया है।" इस वक्तव्य की व्याख्या करते हुए नेहरू जी ने 10 जुलाई की प्रेस भेंट में कहा कि हम वहा (संवैधानिक सभा में) गया करते हैं इसका निश्चित करने के लिए हम पूरातया एव निरपेक्षता स्वतंत्र हैं। हमने किसी विषय पर किसी में कोई समझौता नहीं किया है।" इस व्याख्या का अर्थ यह था कि केबिनेट योजना के सम्बन्ध में कांग्रेस ने किसी को कोई पत्र नहीं दिया था और वह 'सभी प्रकार के समझौतों से पूरातया मुक्त थी और विषयों पर परिस्थितियों के अनुकूल नियम लेने के लिए स्वतंत्र थी।" दूसरे शब्दों में, कांग्रेस बहुमत के आधार पर केबिनेट योजना के ढाँचे में परिवर्तन या सुधार कर सकती थी। इतना ही नहीं नेहरू जी ने 10 जुलाई की भेंट में इन बातों पर भी बात दिया था कि संवैधानिक सभा सर्वोच्च है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त और असम जैसे टाटे पाता की आपत्तियों के कारण समूहों के निर्माण की सम्भावना कम है, सुरक्षा तथा संचार साधनों के लिए आवश्यक उद्योगों, मुद्रा, साख, अन्तर्प्रानीय व्यापार और विवादा आदि के विषयों पर केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि की सम्भावना है, तथा ब्रिटिश हस्तक्षेप के बिना अल्पमत वाला की सम्मत्या के समाधान की सम्भावना है।

नेहरू जी का उपयुक्त वक्तव्य और उसकी व्याख्याएँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थीं। नेहरू के इस वक्तव्य के बाद जिना जी यह शिरोधार्य करने का अवसर मिला गया कि कांग्रेस ने केबिनेट योजना का कभी भी पूरातया स्वीकार नहीं किया था और संवैधानिक सभा में बहुमत के आधार पर मनमानी करना चाहती है।

नेहरू जी का उपयुक्त वक्तव्य और उनकी व्याख्याएँ धटनाओं के मही मूल्यांकन में भी परे थीं। य उनकी राजनीतिक अशुभकता और अदूरदर्शिता का परिचायक भी थी। नेहरू जी इस बात को नहीं समझ सकते कि यदि संवैधानिक

चुनावों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था तो मुस्लिम लीग को भी भारतीय मुस्लिम जाति का पूरा समयन प्राप्त हुआ था। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी और मुस्लिम लीग की राजनीतिक शक्ति को कम घाँवना राजनीतिक भूल थी। नेहरू जी यह भी नहीं समझ गये कि राजनीतिक दल में केवल लीग ही ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जो विभाजन की मांग कर रहा था। मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में सिक्क 'गान्धिस्तान' की मांग कर रहे थे, डा० ब्रम्हदेवर के नेतृत्व में दलित वर्ग अपने हितों की रक्षा की मांग कर रहे थे और भारतीय देश देशी गियासतों की बात कर रहे थे। इस तरह विघटनकारी शक्तियाँ थीं जिन्हें न केवल सतुष्ट करने की आवश्यकता थी बल्कि उन्हें अपने साथ संगठित करने की भी आवश्यकता थी।

लीग द्वारा कैबिनेट योजना की अस्वीकृति तथा सीधी कार्यवाही दिवस

ब्रह्म समायुक्त और उत्तेजित वातावरण में लीग की एक बैठक 27 जुलाई, 1946 को सम्बद्ध हुई। 29 जुलाई, 1946 को इस बैठक में जो निर्णय लिए गये वे निम्न थे —

- (i) लीग ने कैबिनेट योजना के प्रति अपनी स्वीकृति को वापस ले लिया।
- (ii) पाकिस्तान के ध्येय का पूरा करने के लिए लीग ने अपने दल निश्चय को दोहराया और उन ध्येयों की प्राप्ति के लिए "सीधी कार्यवाही" पर बल दिया।
- (iii) लीग कार्यकारिणी से सीधी कार्यवाही के कार्यक्रम को तैयार करने के लिये कहा गया और मुसलमानों से अपनी उपाधियों और सम्मानों को त्यागने के लिये कहा गया।

लीग परिषद के प्रस्ताव के अनुसार लीग कार्यकारिणी ने 16 अगस्त, 1946 को सारे भारत में सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निश्चय किया। इस दिवस के महत्त्व की व्याख्या करते हुए जिन्ना ने कहा कि यह "जिसी के विरुद्ध किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं करता। यह केवल उन उपाधों को व्यक्त करता है जिन्हें हम आत्म रक्षा के लिए उठाना चाहते हैं।" ¹ सुहरावदी ने कहा था कि "महान उद्देश्य (ध्येय) की प्राप्ति के लिए रक्तपात (हत्या) और अव्यवस्था का अवलम्बन स्वयं में कोई बुराई नहीं। आज मुसलमानों में पाकिस्तान में बंध कर और कोई प्यारा और महान् ध्येय नहीं।" बड़ों से प्रेरणा पाकर मुस्लिम बच्चे भी गली मुहल्लों में इन वाक्यों को दोहराते थे 'लड़के नये पाकिस्तान, बंध कर रहेगा हिन्दुस्तान।' ये वक्तव्य निश्चित ही साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्थारने वाले थे।

16 अगस्त, 1946 के दिवस को लीग ने सारे भारत में काले भण्डा जलूस, मनाश्रो आदि द्वारा मनाया। बंगाल और सिंध में, जहां मुस्लिम लीग की सरकार थी, उस दिन गावजनिब छुट्टी पर दी गई। उस दिन कलकत्ता को छोड़ कर बाकी सारे देश में गाने लगे। परंतु साम्प्रदायिक दंगा तो जो जोर रलात्ता में शुरू हुआ वह इतिहास में "महान कलकत्ता हत्यास (Great Calcutta Killings) का नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन तक शहर में शराजराता और नादिरशाही फतवा रही परंतु मेना और मुस्लिम निष्प्रियता में नर महार का दण्डनी रही। गांधीजी ने कहा था कि यद्यपि हम गृह युद्ध के मध्य में नहीं परंतु हम उगवे निषट अवश्य हैं। अभी हम उमग निरवाड कर रह हैं।

महान् कलकत्ता हत्यास्रा" के दूरगामी परिणाम हुए। इस हत्यास्रा में न केवल साम्प्रदायिकता का बढावा दिया बल्कि साम्प्रदायिक वैमनस्य और दुष्या का तीव्र कर उसे निरंतर बनाय गया। आजाद न डीक ही 16 अगस्त का भारत का इतिहास में काल दिन¹ की मना दी है। इन हत्यास्रा का भय स 'गनिया सूनी पडी रहती थी और शहर पर मातम छाया रहता था।' अक्टूबर, 1946 में पूर्वी बंगाल के नाआखाली (Noakhali) और तिपराह (Tipperah) जिला में स समाचार आने शुरू हो गये कि वहा मुसलमान सगठिन रूप से हिन्दुस्रा की हत्यास्रा कर रहे थे, हजागे की तादाद में लाग अपन घरा का छोड कर बिहार में शरण लेने के लिये आ गए। शरणार्थिया न हत्यास्रा, लूटमार आग लगाने, जबरदस्ती धम परिजतन और विवाह तथा स्त्रिया के अपहरण की बहानियों का फताना शुरू कर दिया। आतब का सातापरण सबन फल गया।

पूर्वी बंगाल के साम्प्रदायिक दंगा की प्रतिक्रिया बिहार के दक्षिण जिला स शुरू हुई जहा हिन्दुस्रा ने मुसलमानों की हत्यास्रा की। बिहार की स्थिति इतनी गम्भीर हो गई थी कि गांधीजी द्वारा मरण उपवास की धमकी, नेहरू जी द्वारा वम गिराने की धमकी तथा कांग्रेसी मेनास्रा, नायकतास्रा और बिहार सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जान पर बडी कठिनाई ने इन साम्प्रदायिक दंगा पर नियंत्रण किया जा सका। बिहार के अनिश्चित यू० पी० के गढमुक्तेश्वर, दमना और मेरठ बम्बई और अहमदाबाद भी साम्प्रदायिक दंगों के स्थान बन गए।

इन साम्प्रदायिक दंगों का प्रत्यक्ष प्रभाव अंतरिम सरकार पर पडा। इतने न केवल लीग ने बडे रण को अपनाया बल्कि यह सिद्ध करन का प्रयास किया कि हिन्दुस्रा और मुसलमानों में समझौते की बाइ गुजायश नहीं है।

अंतरिम सरकार की स्थापना—कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया था, लीग 29 जुलाई के प्रस्ताव द्वारा केबिनेट योजना के

प्रति अपनी स्वीकृति का वापिस ले चुनी थी, फिर भी लाड बवल न अंतरिम सरकार की स्थापना के लिये अपने प्रयत्न को जारी रखा। तबे पस्तावा में यह कहा गया कि अंतरिम सरकार की रचना में 6 5 3 का अनुपात होगा परंतु किसी दल द्वारा मनोनीत और वायसराय द्वारा स्वीकृत सदस्यों पर दूसरे दल का आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायगा। यह भी विश्वास दिलाया गया कि अंतरिम सरकार औपनिवेशिक सरकार की भांति काम करेगी।

इन नवीन प्रस्तावों के आधार पर लीग ने अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इंकार कर दिया परन्तु कांग्रेस ने इन प्रस्तावों पर सहमति प्रकट कर दी और ए० नेहरू ने वायसराय के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया।

सितम्बर 2, 1946 को जब मुस्लिम लीग के बिना अंतरिम सरकार के 12 सदस्यों को (2 स्थान खाली रहे गए थे) पद की शपथ दिनाई गई तो जिना आप से बाहर हो गये। उन्होंने वायसराय के इस काम को "मूखतापूर्ण", "भयकर परिणामों से युक्त" की सजा दी। उन्होंने यह भी कहा कि वायसराय ने "जलते पर नमक छिड़ना" है। परंतु 13 अक्टूबर, 1946 का लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के लिए सहमत हो गई और त्याग पत्र दे दिया।

मुस्लिम लीग के पांच सदस्यों ने 26 अक्टूबर, 1946 का अपने पद की शपथ ग्रहण की। इन सदस्यों में से एक सदस्य जोगेंद्रनाथ मण्डल दलित वर्ग के थे। इनकी नियुक्ति करके लीग दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के दावे को प्रस्तुत कर रही थी।

अंतरिम सरकार एक विभयन परिवार के रूप में अर्थात् लीग की अडगा नीति—अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के लीग के दो उद्देश्य थे (1) वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर अपने पाकिस्तान के स्वप्न को पूरा करना चाहती थी, (2) वह कांग्रेस की स्थिति को सुदृढ़ होने में रोकना चाहती थी। डा० सुभाष चन्द्रबोस ने ठीक लिखा है कि "लीग अंतरिम सरकार में अपनी पाकिस्तान की लड़ाई को ही आगे उठाने में उद्देश्य में आई थी और मिशन योजना को सफल बनाने में सहयोग देने का उसका कोई इरादा नहीं था। श्री बी० पी० मनन लिखत है कि "मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में केवल इसलिए सम्मिलित हुई थी कि वह अपने विरुद्ध कांग्रेस की स्थिति को सुदृढ़ होने देना नहीं चाहती थी।"¹

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लीग ने अडगा और गतिरोध की नीति का अपनाया और कांग्रेस सदस्यों की नीति, याजनाओं और वायसराय का ठप्प करने की कोशिश की। यदि कांग्रेस अंतरिम सरकार का कबिना और उत्तरदायी सरकार का रूप देना चाहती थी तो लीग उस अंतरिम सरकार ही नहीं समझती थी। इतना ही नहीं, अंतरिम सरकार में वित्त विभाग, जो लीगों सदस्य थी लियाकत

अली गग के अधीन था, वा दृष्टिकोण बहुत ही सन्तुष्टि सनीए और गतिरोध उत्पन्न करने वाला था। अन्तरिम सरकार के हिंदू मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को वित्त विभाग या तो ठुकरा देता था उनमें अनावश्यक देरी करता। लियाकत अली ने जिस बजट को प्रस्तुत किया वह उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए, जो अधिकांशतः हिंदू थे, हानिकारक था। अन्तरिम सरकार में सघन और कलह निरन्तर घटित होने लगे और उमरा सुचारु रूप से चलना असम्भव हो गया। इस सारे व्यवहार से लोग यह सिद्ध करना चाहती थी कि कांग्रेस और लोग में किसी प्रकार के समझौते की सम्भावना नहीं और समस्या का एकमात्र हल विभाजन है। दूसरी ओर कांग्रेस भी यह अनुभव करने लग गई थी कि लोग के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता।

लोग द्वारा सवधानिक सभा का बहिष्कार तथा लन्दन सम्मेलन—20 नवम्बर 1946 का वायमराय न 9 दिसम्बर 1946 का होने वाली सवधानिक सभा की बैठक के लिए मंत्री दत्ता का मार्गदर्शित किया। परन्तु जिना ने सभा में सम्मिलित होने के लिए कांग्रेस का अस्वीकार कर दिया। इस गतिरोध को दूर करने के लिये प्रधान मंत्री एटली ने अन्तरिम सरकार से कांग्रेस और लोग के दोनों प्रतिनिधियों और सिक्खों के एक प्रतिनिधि को सविधान सभा के सम्प्रदाय में वार्तानाप के लिये लन्दन आने के लिये निमंत्रण दिया। लन्दन में यह सम्मेलन 3 दिसम्बर को शुरू हुआ और 6 दिसम्बर, 1946 तक चला, परन्तु कांग्रेस और लोग के प्रतिनिधियों में कोई समझौता न हो सका। कांग्रेस और लोग के विचारों में मुख्य भिन्नता समूहीकरण (Groupism) के प्रश्न पर थी। लोग समूहीकरण को अनिवाद्य मानती थी और प्रान्तों के उभय सम्मिलित होने का भी अनिवाद्य मानती थी जबकि कांग्रेस इस एच्छिक मानती थी। दूसरी भिन्नता सवधानिक सभा की शक्तियों के सम्बन्ध में थी। लोग का कहना था कि सवधानिक सभा के विनेट योजना के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती जबकि कांग्रेस का कहना था कि वह परिवर्तन कर सकती है। दोनों राजनीतिक दलों में इन प्रश्नों पर समझौता न होने के कारण प्रधान मंत्री एटली ने 6 दिसम्बर, 1946 को एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने लोग के दृष्टिकोण का समर्थन किया अर्थात् समूहीकरण को अनिवाद्य बताया।

6 दिसम्बर 1946 का एटली का स्पष्टीकरण—प्रधान मंत्री एटली ने 6 दिसम्बर, 1946 को के विनेट योजना का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि "समूहीकरण अनिवाद्य है" और सविधान अनिच्छुक भाग पर लादा नहीं जा सकता।" एटली ने शब्दों में 'एक ऐसी सवधानिक सभा जिसमें भारतीय जनता के एक बहुत बड़े भाग में प्रतिनिधि सम्मिलित न हुए हों ता यह निश्चित है कि उन्हें द्वारा बनाया गया सविधान किसी ऐसे भाग पर, उनकी इच्छा के विरुद्ध, उन पर लागू नहीं किया जा सकता।'¹

एटली का उपयुक्त स्पष्टीकरण बहुत ही दुभाग्यपूर्ण था। यह वक्तव्य 7 वें एटली के स्वयं के 15 मार्च, 1942 के वक्तव्य के विपरीत था जिसमें उन्होंने कहा था कि "किसी अल्पमत को बहुमत के विकास में वीटो का अधिकार नहीं दिया जा सकता" बल्कि इसने कैबिनेट योजना के पैराग्राफ 15 के उप-पैराग्राफ 5 में दी गई समूह में सम्मिलित होने की प्राप्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया। इस वक्तव्य ने बेबिाट योजना के महत्त्व को नष्ट कर दिया और लीग के दृष्टिकोण का समर्थन करके उसे पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहने के लिए प्रोत्साहन दिया। इस वक्तव्य से यह भी स्पष्ट था कि यदि लीग सर्वधानिक सभा में भाग नहीं लेती तो उसने द्वारा बनाया गया संविधान उस पर लागू नहीं होगा। संक्षेप में, इस वक्तव्य ने लीग के हाथों में वीटो (Veto) की शक्ति प्रदान कर दी।

प्रधान मंत्री एटली की उपयुक्त व्याख्या कांग्रेस के संयुक्त भारत के स्वप्न पर घोर एवं प्रत्यक्ष ठुठाराघात था। फिर भी कांग्रेस ने सर्वधानिक सभा के कार्य का जारी रखने के लिए 6 दिसम्बर, 1946 की व्याख्या को स्वीकार कर लिया। परन्तु इस घोषणा को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि विभाजन अनिवार्य है तो प्राप्ति के भागों को भी "आत्म निरुणय" का अधिकार होना चाहिये।

सर्वधानिक सभा की बैठक—सर्वधानिक सभा की बैठक जब 9 दिसम्बर, 1946 को हुई तो लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया। डा० राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष चुन गये। लीग की अनुपस्थिति में भी जा प्रस्ताव सर्वधानिक सभा ने 22 जनवरी, 1946 का प्रयास किया वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण था और जो उपस्थित सदस्यों की राष्ट्रीय, धर्म निरपेक्ष, समान और स्वतंत्र भावनाओं का व्यक्त करता है। इस प्रस्ताव में, जिस 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objective Resolution) की सभा दी गई, सर्वधानिक सभा ने ब्रिटिश भारत, देशी राज्या और स्वच्छेदा से सम्मिलित होने वाले राज्या के संघ को स्वतंत्र प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य रूप की सत्ता दी जिसमें इकाइया स्वायत्त होगी, गवर्निंग शक्तियाँ एकरा के पास होंगी, सत्ता की शक्ति का स्रोत लोग होंगे, सभी का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा, सभी को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, सभी का अवसर की समानता होगी, सभी को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, व्यक्तित्व, समुदाय, वाय आदि की स्वतंत्रता होगी अल्पमत वाला, पिछड़े हुए वर्गों और वंचनीय क्षेत्रों के लागू के लिए विशेष सरभण होंगे तथा विश्व शांति और भाग्य कल्याण के लिए प्रयास किया जाएगा।

लीग की वायवाग्निगी समिति 31 जनवरी, 1947 के प्रस्ताव द्वारा लीग परिषद का सर्वधानिक सभा के दृष्टिकोण की भांति का न बनने समझा लिया बरिन् सर्वधानिक सभा द्वारा नियम निरुणय का अर्थ भी कहा।

20 फरवरी 1947 की एटली की घोषणा—भारत में विपक्ष स्थिति उत्पन्न हो रही थी, कांग्रेस और लीग में समझौते की आशा समाप्त हो चुकी थी, लीग सर्वधानिक सभा का बहिष्कार किये हुये थी, लीग साम्प्रदायिक भावनाओं का विकास कर रही थी, उसके नेता उत्तेजना पैदा करने वाले भाषण दे रहे थे, लीग की अडगा नीति के कारण अंतरिम सरकार निष्क्रिय सिद्ध हो रही थी, ब्रिटिश कर्मचारी तथा अधिकारी चुपचाप तमाशा देख रहे थे, इन सब परिस्थितियों को देख कर प्रधान मंत्री एटली ने 20 फरवरी, 1947 को एक घोषणा द्वारा जून, 1948 तक भारत को छोड़ने और जिम्मेदार भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंपने की घोषणा कर दी। इस घोषणा में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि यदि उस समय में पूर्व भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में कोई समझौता न हो सका तो ब्रिटिश सरकार इस बात पर विचार करेगी कि सरकार का उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाय—क्या यह उत्तरदायित्व किसी केन्द्रीय सरकार को सौंपा जाय या कि कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सौंपा जाय या कि अथवा किसी ढंग से सौंपा जाय कि जिससे भारतीयों को सबसे अधिक लाभ हो। इसी घोषणा में प्रधान मंत्री एटली ने वायसराय लॉर्ड वेबल कायदम की समाप्ति और लॉर्ड माउण्टबेटन की नियुक्ति की घोषणा की।

प्रधान मंत्री एटली की उपयुक्त घोषणा में दो बातें पूरातया स्पष्ट थी। प्रथम, भारत को जून, 1948 तक सत्ता हस्तांतरित कर दी जायगी और द्वितीय, यदि मुस्लिम लीग सर्वधानिक सभा का बहिष्कार करती रही तो विभाजन पर विचार किया जा सकता है। इस घोषणा का पूरा लाभ उठाते हुए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पर और भी बड़ा रुख अपना लिया।

लॉर्ड माउण्ट बेटन का आगमन तथा लॉर्ड बेटन योजना—लॉर्ड लुई माउण्ट बेटन (Lord Louis Mountbatten) 22 मार्च, 1947 को भारत पहुँचे और 22 मार्च, 1947 को उच्चो गवर्नर जनरल के पद की शपथ ग्रहण की। लॉर्ड माउण्ट बेटन की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य “ब्रिटिश वापसी के कार्य को शीघ्रता से पूरा करना, भारतीयों को शीघ्र से शीघ्र और अधिक में अधिक 30 जून, 1947 तक सत्ता हस्तांतरित करना,” “यदि सम्भव हो तो बिना किसी पक्ष का वाध्य किये वेबिनेट योजना के अंतर्गत समुक्त भारत की सरकार की स्थापना कर उसे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित करने का प्रयास करना,” तथा ‘देशी राज्या की समस्या का निपटारा’ करना था। जसाकि लॉर्ड माउण्ट बेटन ने बाद में स्पष्ट किया कि भारत की समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें शक्तियों¹ (plenipotentiary powers) में विभूषित किया गया था।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, लार्ड माउण्ट बैटन ने भारत पहुँचते ही कांग्रेसी, लीग तथा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत की एकता को बनाये रखने के लिए कैबिनेट योजना का पुनर्जीवित करने का भरसक प्रयास किया परन्तु जिना पाकिस्तान की मांग पर घटे रहे और उससे टम से मस नहीं हुए। जय लीग के साथ समझौते की कोई आशा न रही तो लार्ड माउण्ट बैटन ने भारत के विभाजन पर विचार करना शुरू कर दिया और कांग्रेसी नेताओं को इसके लिए राजी करने की काशिफा करने लगे। जब कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार हो गई तो लार्ड माउण्ट बैटन विभाजन के प्रस्ताव पर विचार करने लगे। अपने प्रस्ताव के साथ लार्ड माउण्ट बैटन 18 मई, 1947 को लंदन गये और ब्रिटिश सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद 30 मई, 1947 को भारत लौटे। 2 जून, 1947 का उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके 3 जून, 1947 को एक योजना की घोषणा की। यही योजना माउण्ट बैटन योजना कहलाती है। इस योजना पर कांग्रेस, लीग और सिक्खों ने अपनी सहमति प्रकट कर दी।

माउण्ट बैटन योजना—माउण्ट बैटन योजना के मुख्य बिंदु निम्न थे—

1. संवैधानिक सभा के कार्य को जारी रखा जाय परन्तु इसके द्वारा बनाया गया संविधान देण के उन भागों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं।

2. देश के जो भाग इस संवैधानिक सभा में भाग नहीं ले रहे वे इस बात का निराश करेंगे कि क्या उन प्रदेशों के लिए संविधान वर्तमान संवैधानिक सभा बनायेगी या कि पृथक संवैधानिक सभा द्वारा उनके लिए संविधान का निर्माण किया जायगा। इसका निर्माण होने पर ही यह निश्चित किया जायगा कि किस सत्ता या सत्ताओं को सत्ता का हस्तांतरण किया जाय।

3. पंजाब और बंगाल की विधान सभाओं के सदस्य पृथक पृथक रूप से मुस्लिम बहुमत वाले जिला के प्रतिनिधियों और हिन्दू बहुमत वाले जिला के प्रतिनिधियों को पृथक पृथक बैठक में साधारण बहुमत से यह निर्णय लेंगे कि क्या प्राप्त वा विभाजन किया जाय या कि नहीं। यदि एक भाग भी इस बात का निर्णय कर कि विभाजन होना चाहिये तो विभाजन किया जायगा। विभाजन के पक्ष में निर्णय होने पर प्रत्येक पक्ष को यह निर्णय भी लेना था कि क्या वह वर्तमान संवैधानिक सभा में ही सम्मिलित होना चाहता है या कि पृथक संवैधानिक सभा द्वारा अपने संविधान का निर्माण करना चाहता है।

4. यूरोपियन सदस्यों के प्रतिरिक्त सिंध की विधान सभा का भी विशेष बैठक में यह निर्णय लेना का अधिकार दिया जायगा कि क्या वह वर्तमान संवैधानिक सभा में सम्मिलित होना चाहती है।

5 उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, इस बात पर निर्णय लेने के लिये कि क्या वह पाकिस्तान या भारत में मिलना चाहता है, जनमत संग्रह कराया जायगा।

6 ब्रिटिश बलूचिस्तान की सभी प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की संयुक्त बैठक में इस बात पर निर्णय लिया जायगा कि क्या वह भारत के साथ सम्मिलित होना चाहता है या कि पाकिस्तान के साथ।

7 बंगाल का विभाजन होने पर असम के सिलहट जिले को वहां मुस्लिम बहुमत होने से जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय लेने का अधिकार दिया जायगा कि क्या वह असम के साथ रहना चाहता है या कि पूर्वी बंगाल के साथ सम्मिलित होना चाहता है।

8 यदि उपयुक्त योजना के अनुसार बंगाल और पंजाब प्रांत विभाजन का समय करते हैं तो संवधानिक सभा के लिये अपने अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे और प्रतिनिधित्व का अनुपात 1 1000000 होगा। सिलहट में भी इसी तरह का चुनाव कराये जायेंगे।

9 माउण्ट बैटन योजना केवल ब्रिटिश भारत से संवधिगत थी और देशी राज्या से संवधिगत नीति वही थी जो कैबिनेट योजना में स्पष्ट की गई थी।

10 वर्तमान संवधानिक सभा और नवीन संवधानिक सभा, यदि कोई बनायी जाती है, तो वह अपने अपने क्षेत्रों के लिये संविधान का निर्माण करेगी।

11 भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करने के लिये एक सीमा आयोग (Boundary Commission) की स्थापना की जायगी।

12 दोनों अधिराज्या की लेनदारियां और देनदारियां (Liabilities and assets) को समभौत द्वारा निश्चित किया जायगा।

जसाकि पहले कहा जा चुका है कि माउण्ट बैटन योजना का स्वागत सभी राजनीतिक दलों ने किया। मुस्लिम लीग ने इसे 9 जून के प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लिया, कांग्रेस ने इस 15 जून के प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लिया, सिपायों तथा दलित वर्गों का साठ ने भी इस योजना को स्वीकार कर लिया।

पंजाब और बंगाल द्वारा प्रांतों के विभाजन पर सहमति सिंध और बलूचिस्तान द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित होने पर सहमति, सिलहट द्वारा पूर्वी बंगाल में सम्मिलित होने पर सहमति, 20 जून, 1947 का पंजाब विधान प्रांत का विभाजन को स्वीकार कर लिया, 23 जून, 1947 का पंजाब विधान सभा ने भी प्रांत का विभाजन को स्वीकार कर लिया, 26 जून, 1947 का सिंध विधान सभा ने पाकिस्तान का नवीन एवं पृथक् संवधानिक सभा में सम्मिलित होना का विश्वास जताया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत ने जनमत संग्रह द्वारा (जिसका कार्यक्रम और मुद्रा निर्दिष्ट करने के लिये) पाकिस्तान में सम्मिलित होना का निश्चय किया, बलूचिस्तान ने भी जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित

होने का निश्चय किया और सिलहट ने भी जनमत संग्रह द्वारा पूर्वी बंगाल में सम्मिलित होने का निश्चय किया।

प्रांतों के विभाजन का निश्चय होने के बाद भारत की स्वतंत्रता, विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण निश्चित तथ्य बन गये। ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक दलों द्वारा माउण्ट बैटन योजना स्वीकृति के बाद उसे तत्काल कार्यान्वित कर देना चाहती थी। इस योजना को वह तत्काल इसलिए कार्यान्वित करना चाहती थी कि देरी होने से वही यह योजना भी कैबिनेट योजना की भांति गटाई में न पड़ जाये और इसके साथ ही वह अपने आर्थिक और व्यापारिक हितों की रक्षा करना चाहती थी। इस उद्देश्य में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जो इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का उल्लेख करने से पूर्व विभाजन परिषद् (Partition Council) के सम्बन्ध में कुछ जान लेना उपयोगी होगा।

विभाजन परिषद्—विभाजन के सम्बन्ध में विषयों का बटवारा करने के लिए, और भारत और पाकिस्तान में लेनदारियों और देनदारियाँ (Liabilities and assets) का बटवारा करने के लिए एक विभाजन समिति (Partition Committee) का गठन 7 जून, 1947 को किया गया। इसमें कुल 5 सदस्य थे—दो कांग्रेसी, दो लीगी और वायसराय इसके अध्यक्ष थे। जब पंजाब और बंगाल में विभाजन के पक्ष में अपनी सहमति प्रकट कर दी तो 27 जून 1947 को इस विभाजन समिति का स्थान विभाजन परिषद् (Partition Council) न ले लिया। इसके भी सदस्य वही थे जो विभाजन समिति के सदस्य थे।

पंजाब और बंगाल की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए एक मीमांसा आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष सर साइरिल रडक्लिफ (Sir Cyril Radcliffe) थे। इस आयोग का वाय मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुमत वाले भागों के आघार पर तथा अन्य तथ्यों के आघार पर सीमाओं का निर्धारण करना था।

नाइ माउण्टबैटन ने अंतरिम सरकार का पुनर्गठन करके वस्तुतः प्रशासन बना दिये ताकि विभाजन का वाय संगठन हो सके। वॉरेन न लाइ माउण्टबैटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और वॉरेन न लाइ माउण्टबैटन को पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
(Indian Independence Act, 1947)

भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई, 1947 में प्रस्तुत किया गया और ठीक 14 दिन बाद 18 जुलाई, 1947 में ब्रिटिश संसद की स्वीकृति मिलने पर यह विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बन गया। मनमथजी मर्ही एवं एम। ए. जे. जे. अधिनियम है जिसे ब्रिटिश संसद ने इन प्रस्तावों में

पास किया। जैसाकि पामर ने लिखा है कि "ब्रिटिश संसद के इतिहास में सभवत ही कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक इतनी शीघ्रता और इतने कम वाद विवाद से पास हुआ हो"¹ जितना कि भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम।

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम बहुत ही सरल और सक्षिप्त है। इस विधेयक में केवल 20 खण्ड (Sections) और 3 अनुसूचियाँ हैं। इस अधिनियम के सरल और सक्षिप्त होने का मूल कारण यह है कि यह भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियाँ या उद्देश्यों की व्याख्या नहीं करता। यह तो कवन "समयकारी नियम" (Enabling Act) था। इसमें प्रासंगिक विषयों को गवर्नर जनरल के हाथों में छोड़ दिया गया था।

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं—

1 स्वतन्त्रता की निश्चित तिथि—अधिनियम ने सत्ता हस्तांतरण और भारत देश की स्वतन्त्रता की तिथि को 15 अगस्त, 1947 निश्चित किया।

2 दो अधिराज्यों की स्थापना—15 अगस्त, 1947 को भारत को, ब्राउन की परतन्त्रता से मुक्त करके, दो स्वतन्त्र अधिराज्यों—भारत और पाकिस्तान—में विभक्त कर दिया जायगा। दोनों अधिराज्य अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतया स्वतन्त्र और समान होंगे। दोनों प्रभुत्व शक्ति सम्पन्न राज्य होंगे और दोनों में से किसी एक का स्तर यूनाइटेड किंगडम या कनाडा के स्तर में कम नहीं होगा।

3 अधिराज्यों की निश्चित सीमाएँ—दोनों अधिराज्यों की सीमाएँ का अधिनियम के खण्ड 2 (Section 2) में वर्णित किया गया था परन्तु यह भी कहा गया था कि सीमा आयोग के पंच नियमों द्वारा उनमें परिवर्तन किये जा सकते हैं। भारत में पृथक हो जाने वाले भाग को पाकिस्तान की सत्ता दी गई। परन्तु पाकिस्तान के भी दो भाग थे—पूर्वी पाकिस्तान (जो अब बंगला देश है) और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में जो भाग सम्मिलित किये गये वे थे पूर्वी बंगाल और असम का मित्राष्ट्र का हिस्सा। पश्चिमी पाकिस्तान में जो भाग सम्मिलित किये गये वे थे ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, पश्चिमी पंजाब। बहावलपुर और मरपुर भी पश्चिमी पाकिस्तान में सम्मिलित हो गए। शेष ब्रिटिश भारत भारतीय अधिराज्य में सम्मिलित किया गया था।

अधिनियम में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जिसे क्षेत्रों को दोनों अधिराज्यों में सम्मिलित नहीं किया गया वे किसी अधिराज्य में सम्मिलित नहीं होंगे। परन्तु यदि कोई क्षेत्र किसी अधिराज्य में था और वह अधिराज्य में सम्मिलित होता चलाता था तो वह उस अधिराज्य की अनुमति के बिना, जिसमें वह था, दूसरे अधिराज्य में सम्मिलित नहीं हो सकता था।

4 सम्प्रभु सर्वधानिक सभा—अधिनियम ने दोनो अधिराज्यो के लिये किमी सविधान का निर्माण नहीं किया था बल्कि उन्हें अपने अपने अधिराज्य के लिये पृथक् पृथक् सविधान बनाने का अधिकार प्रदान किया था तथा बठिन मकाल (difficult period of transition) का सामना करने के लिये व्यवस्था की थी। इस अधिनियम ने दोनो अधिराज्यो की सर्वधानिक सभाओं का सम्प्रभु बना दिया था।

5 गवर्नर जनरल की नियुक्ति—भारत पर ब्रिटिश ससद और ह्वाइट हाल के नियंत्रण को 15 अगस्त 1947 को समाप्त कर दिया जाना था, इसलिये अब क्राउन और अधिराज्यो के बीच गवर्नर जनरल ही एक आवश्यक कड़ी रह गई थी। परन्तु गवर्नर जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा स्वच्छ से नहीं अपितु अथ अधिराज्यो की भांति अधिराज्यो के मंत्रिमण्डल के परामर्श पर की जानी थी। भारतीय नेताओ ने साइ माउण्ट बैटन को भारतीय अधिराज्य का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त करने की सिफारिश की।

6 प्रशासन का आधार 1935 का अधिनियम रखा गया—जब तक सर्वधानिक सभाओं अपने अपने अधिराज्य के लिये सविधान का निर्माण कर उमे लागू नहीं कर देती तब तक दोनो अधिराज्यो में प्रशासन का आधार 1935 का अधिनियम होगा। परन्तु परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल 1935 के अधिनियम में भी परिवर्तन कर दिये गये, भारत मन्त्री के नियंत्रण और मन्त्रालय के विज्ञापन अधिकार को समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल और गवर्नरो का सर्वधानिक अध्यक्ष बना दिया गया, स्वविवेक और व्यक्तिगत नियुक्ति की शक्तियां को समाप्त कर दिया गया। सपरिषद् गवर्नर जनरल के अन्तर्गत विधान (modifications), वजन (omission) तथा परिवर्धन (additions) को जारी कर सकता था। गवर्नर जनरल को अस्थायी सर्वधानिक आदेशों को भी जारी करने का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल को ये शक्तियां केवल इसलिये दी गई थी कि स्वतंत्रता अधिनियम का लागू किया जा सके, विभाजना के बाय को पूरा किया जा सके, अस्थायी सविधान को बनाया जा सके और सुरक्षा, मुद्रा तथा मन्चर आदि आवश्यक सेवाओ को निरंतर बनाया जा सके। परन्तु इन सब शक्तियों का प्रयोग गवर्नर जनरल केवल मार्च, 1948 तक कर सकता था वगैरे कि उन्हें अधिराज्य द्वारा इससे पूर्व समाप्त न कर दिया गया हो।

7 सर्वधानिक सभा अधिराज्य ससद के रूप में—अधिनियम ने प्रत्येक अधिराज्य की सर्वधानिक सभा को सविधान निर्माण करने की शक्तियों और बायों से भी विभूषित कर दिया गया था अर्थात् सर्वधानिक सभा व्यवस्थापिका के रूप में भी काम करेगी। अधिनियम के लच्छ 6 ने परन्तु व्यवस्थापिका पर उगी सभा आदेशों को दूर कर दिया। अधिराज्यो की व्यवस्थापिका अब कोई कानून पाम कर सकती थी, ब्रिटिश ससद द्वारा पास किये गये किसी कानून या नियम या आदेश को समाप्त

कर सकती थी या उसमें सशोधन कर सकती थी। अब गवर्नर जनरल ही किसी कानून का स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था। इस तरह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम न 'सम्प्रभु सत्ता का पूरा एव अप्रतिबंधित हस्तान्तरण कर दिया।' अब ब्रिटिश मसद द्वारा पारित कोई कानून तभी अधिराज्यो में लागू हो सकता था जब तक अधिराज्य की व्यवस्थापिका ही उस स्वीकार न कर ले।

8 भारत सम्राट की उपाधि की समाप्ति—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार का कोई उत्तरदायित्व ही नहीं था तो ब्रिटिश सम्राट के वाजम में लगी भारत के सम्बन्ध में उपाधियों का कोई महत्व नहीं रह गया था। इसलिये अधिनियम न ब्रिटिश सम्राट की उपाधियों से "भारत सम्राट" (Emperor of India) की उपाधि को समाप्त कर दिया।

9 नागरिक सेवाओं के अधिकारों की रक्षा—अधिनियम ने भारतीय नागरिक सेवाओं पर भारत मन्त्री के संरक्षण नियंत्रण और नियुक्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। परन्तु मत्ता हस्तांतरित के बाद नागरिक सेवाओं के जा सदस्य सेवा मुक्त होना चाहते उनके लिये "मुद्राबन्ध" की बात अधिनियम में नहीं गई थी और जो सदस्य किसी अधिराज्य में अपने पत्ने पर बने रहना चाहेंगे उनके लिये अधिनियम न समाप्तों की शर्तों को (उनके विशेषाधिकार पदाधिक, निवृत्ति वेतन, पारिवारिक, पुत्री आदि) ज्यों का त्यों बनाय रखा यद्यपि प्रावण्यता पत्र पर अधिराज्य की मसद उभय परिवर्तन कर सकती थी।

10 भारत मन्त्री के पद की समाप्ति—अधिनियम ने भारत मन्त्री के पद को समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को राष्ट्रमण्डल के सचिव (Secretary of State for Commonwealth Relations) को सौंप दिये गए।

11 परम सत्ता (सार्वभौम सत्ता-Paramountcy) की समाप्ति—ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता के साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई देशी रियासतों के माय संधियों समझौतों आदि को भी समाप्त कर दिया जाता था। 15 अगस्त 1947 का देशी रियासतों पर ब्रिटिश की परम सत्ता (Paramountcy) को समाप्त कर दिया जाता था। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देशी रियासतों भी पूर्णतया स्वतंत्र बना दी जाएंगी। व किसी अधिराज्य के साथ किसी प्रकार की संधि या समझौता करने उसमें सम्मिलित हो सकती थी और उनके माय अपने साथी सम्झौता का विधान कर सकती थी। इस गारी व्यवस्था द्वारा ब्रिटिश शासन सम्भवतः सत्ता हस्तान्तरण के समय भारत का उगी प्रकार दुकान में बाटता चाहते थे जगा कि उन्होंने 300 वर्ष पूर्व उभे पाया था।

12 ब्रिटिश सेवाओं की वापसी—अधिराज्यो की स्थापना के बाद ब्रिटिश उपाधों का हटाए के साथ ही नुसार किया जायगा और नागरिक सेवाओं को दो भागों में बांट दिया जायगा।

13 ससदारमक शासन प्रणाली—केन्द्र की भांति प्रांतीय सरकारों का गठन भी ससदात्मक शासन प्रणाली के आधार पर किया जायगा। प्रांत की कार्यपालिका शक्ति को गवर्नर के हाथों में निहित कर दिया गया जिसका प्रयोग वह मंत्रिमण्डल के परामर्श पर करेगा। दूसरे शब्दों में गवर्नर सर्वैधानिक अध्यक्ष बना दिए गए जिनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जायगी।

कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया ?

कांग्रेस विभाजन के सवथा विरुद्ध थी क्योंकि विभाजन उसके राष्ट्रीय एकता के बिल्कुल विपरीत था। यह गांधीजी के जीवन भर के आदर्शों के विपरीत था। गांधीजी ने तो स्पष्ट कह दिया था कि 'यदि कांग्रेस विभाजन को स्वीकार करना चाहती है तो यह मेरी मृत्यु पर ही होगा।'¹ अथ कांग्रेसी नेता—पटेल, नेहरू, पुण्योत्तमदास टण्डन आजाद आदि—भी विभाजन के विपरीत थे। लखनऊ में एक सावजनिक सभा में बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि 'पृथ्वी फट सकती है परंतु भारत का विभाजन नहीं हो सकता।'²

यद्यपि कांग्रेसी नेता विभाजन के कट्टर विरोधी थे परन्तु परिस्थितियों ने उन्हें बाध्य कर दिया कि वे इसे एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार कर लें। जसाकि नेहरू ने कहा था कि "इन्होंने घटनाप्रा से विवश होकर ही विभाजन को स्वीकार किया था।' एक अन्य स्थान पर नेहरूजी ने कहा था कि "सिरदद से छुटकारा पाने के लिये वे सिर ही कटवा डालने का तैयार हो गये।' पटेल ने भी कहा था कि 'यदि हमने विभाजन स्वीकार न किया तो भारत बहुत से टुकड़ा में बंट जायगा और बिल्कुल नष्ट हो जायेगा एक नहीं अनेक पाकिस्तान बनते।' पटेल ने एक अन्य स्थान पर कहा था कि "मैंने विभाजन मजबूरी की हालत में स्वीकार किया, जब हम ऐसी स्थिति में पहुच गये थे कि हम सब बुद्ध खो बैठते।" पटेल ने यह भी अनुभव किया कि "देश को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने का एक रास्ता यही था कि शेष भारत का एकीकरण किया जाय।"

जिन घटनाप्रा ने अर्थात् परिस्थितियों ने कांग्रेस को विभाजन को स्वीकार करने के लिये बाध्य किया उनमें प्रमुख निम्न थी—

- (1) 1945-46 के निर्वाचनों ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय मुसलमानों पर लीग का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। इन चुनाव परिणामों से नेहरू अधिक प्रभावित हुए थे कि कहा जाता है कि उन्होंने कांग्रेस को विभाजन के लिये तैयार करने की योजना बना ली थी।³
- (2) लीग पाकिस्तान की मांग से एक ढ़च भी विचलित होने के लिये तैयार नहीं थी।

1 Quoted by Azad Ibid p 186

2 Patel Quoted by Gupta, D C Ibid, p 265

3 See Gupta, D C Ibid, p 269

- (iii) साम्प्रदायिक भावनाओं का विकाम तीव्र गति में बढ़ रहा था जिससे बंगाल, बिहार, बम्बई, यू० पी०, पंजाब में गम्भीर दंगा की घटनायें बढ़ रही थीं।
- (iv) प्रशासन बहुत ही डीला और निष्क्रिय हो चुका था। उच्च सेवाओं के यूरोपियन सदस्य भारत के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। राजनीतिक विभाग की माजिश भारतीय हितों पर कुठाराघात कर रही थी।
- (v) अन्तरिम सरकार में लीग की अग्रगण्य नीति ने कांग्रेस और लीग में समझौते का भावनाओं और राष्ट्रीय एकता के तत्वों को नष्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग के साथ सहयोग का समझौता होना असम्भव हो गया था।
- (vi) कुछ आलोचकों का मत है कि क्योंकि कांग्रेसी नेता "सत्ता और शक्ति" के पक्षों का उपभोग कर चुके थे इसलिये वे सत्ता से वंचित होना नहीं चाहते थे। इतने वर्षों तक सघष जारी रखने के कारण अब कांग्रेसी नेताओं में घोर सघष करने की क्षमता नहीं थी।
- (vii) नेहरू और पटेल विभाजन के पक्ष में होने से विभाजन निश्चित हो गया। आजाद निश्चय हैं कि 'साइ माउण्ट बेटन को भारत आये एक महीना ही हुआ था कि जवाहरलाल जो विभाजन के कट्टर विरोधी थे, यदि उनके समर्थक नहीं तो कम से कम उस विचार के प्रति सहमत हो गये थे।'¹ "पंडित जी माउण्टबेटन के मनमोहन के ही शिष्य हो गये। महात्मा गांधी ने भी विभाजन पर अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर दी।

नया विभाजन अनिवार्य था ?

या

पाकिस्तान के निर्माण के कारण

भारत का विभाजन चाहे कितना ही जटिल, कठिन और भयानक क्यों नहीं था उस समय की परिस्थितियों में यह अनिवार्य एक अभासगत प्रतीत होता था। यह किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल की इच्छा या नियम का परिणाम नहीं था। यह पिछले 40 वर्षों की घटनाओं का तार्किक परिणाम था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई "विभाजन करो और शासन करो की नीति (The British Policy of Divide and Rule), मुस्लिम लीग द्वारा अपनाया गया प्रतिप्रियावादी दृष्टिकोण, जातीय चमत्कर्म, जिन्ना की हठधर्मिता कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के प्रति अपनाई

1 See Azad, Ibid, p, 183

गयी तुष्टिकरण की नीति, सन् 1946-47 में घटित गम्भीर साम्प्रदायिक दंग मुस्लिम और हिंदू पुनरुत्थानवादी का दालना में पद, प्रभाव और मत्ता को प्राप्त करने के लिये पारस्परिक संधि, अंतरिम सरकार की असफलता, कांग्रेसी नताशा की सत्ता के फटना को भोगन की दृष्टि और माउण्टबेटन के प्रयत्न तथा उमरी योजना की स्वीकृति आदि सभी एम्ने तत्त्व थे जो विभाजन के नियम उत्तरदायी थे। इस तरह विभाजन निम्नी की दृष्टि पर आधारित नहीं था बल्कि परिस्थितियाँ का परिणाम था जिसे 'गावश्यक दुराई' के रूप में स्वीकार किया गया था।

✓ जिन कारणों ने विभाजन को अनिवार्य बना दिया तथा पाकिस्तान का निर्माण किया उनमें मुख्य कारण निम्न थे —

1 जिना की हठधर्मिता—जिन्ना की हठधर्मिता उसका कट्टर एवं लडाकू स्वभाव भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों में से एक था। जिन्ना ही कांग्रेस उमके साथ समझौते के लिये उत्सुकता का प्रयत्न करती उतना ही वह महत्वाकांक्षी और दुराग्रही (Uncompromising) बनता गया। कांग्रेस के हर समझौते के प्रयास न जिन्ना की मांग के दायरे को बढ़ावा दिया। उदाहरणतया सन् 1928 में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में तीन सलाहों की मांग की थी, सन् 1929 में उमने अपनी 14 शर्तों की घोषणा कर दी और 1910 में पाकिस्तान की मांग को ही उसने प्रस्तुत कर दिया। इस तरह साम्प्रदायिक समस्या के निवारण की प्रत्येक कांग्रेसी उत्सुकता का जिन्ना ने अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया। सन् 1940 में जिन्ना का दृष्टि कोण दिन प्रति दिन उग्र, दृढ़ और अजल होता गया। राजगापानाचाय फामूला, वेवल योजना और क्विनेट योजना की असफलता का मूल कारण जिन्ना द्वारा अपनाया गया बड़ा दृष्टिकोण था।

2 कांग्रेस की मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टिकरण की नीति—भारत के विभाजन के लिये यदि जिन्ना की हठधर्मिता उत्तरदायी थी तो उसे तथा लीग को तुष्टिकरण की कांग्रेस की नीति भी उतनी ही उत्तरदायी थी। कांग्रेस ने अपनी नीतियाँ में अदृष्टदर्शिता का परिचय दिया। प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को तिलाञ्जलि देकर उसने गलत सिद्धांतों की रडकी गोली का निगलन का प्रयास किया परंतु वे राष्ट्रीय एकता के लिये हानिकारक सिद्ध हुए। प्रथम, कांग्रेस ने उन परिस्थितियों का पता होने से नहीं रोका जिन्होंने विभाजन का अनिवार्य बना दिया। दूसरे लीग का मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था समझ कर उससे समझौते की बात करना कांग्रेस की भयंकर भूल थी। इसमें न केवल राष्ट्रवादी मुसलमानों के सगठन को धक्का लगा बल्कि ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में भी लीग के महत्त्व को बढ़ा दिया। ब्रिटिश शासकों ने इस स्थिति का अपने हितों की रक्षा के लिये पूरा लाभ उठाया, तीसरे सन् 1916 में लखनऊ समझौते द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार करना कांग्रेस की भयंकर भूल थी, चौथे राष्ट्रीय का दालना में विशेष कर सन् 1920-22 के अग्रहयाग का दालन के समय, विदेशी तत्वों (गिलाफन के

प्रश्न को भिन्नाना भी भयकर भूल थी। पाचवें कांग्रेस ने मर् 1932 के मेकडोनाल्ड पचाट (साम्प्रदायिक पचाट—Communal Award) को पूरानया अस्वीकार नही किया बल्कि पूना मे उमके साथ समझौता कर लिया छडे, बावस न मुस्लिम बहुमत वाले प्रातो के निर्माण मे जैम पूर्वी उगाव गौर सिध, सहमति प्रकट कर दी, सातवें कांग्रेस स्वयं 'आत्म निर्णय' के सिद्धान्त को बाग बाग दोहरगती जिमसे पाकिस्तान की माग को परोक्ष रूप से बल मिला, आठवें, जय कांग्रेस प्रजाताता सिद्धान्त मे विश्वास करती थी और प्रजाताता प्रक सरदार बहुमत की मन्तव्य होनी है, तो अन्तरिम सरकार मे लीग के प्रवेश के लिये उस रिभान की आवश्यकता नही थी और यदि लीग को शामिल करना ही था तो उमे विल जगा मन्त्रपूण विभाग कभी नही सौपना चाहिये था। इन सब तथ्यो से स्पष्ट है कि कांग्रेस न तिरा अधिक मुस्लिम लीग को रिभाने या तुष्ट करने की राशिश की वह उतना ही ठठधर्मी होता गया। डा० लाल बहादुर ने ठीक तिसा / कि ' कांग्रेस ने लीग के प्रति तुष्टिकरण की नीति का अपनाया और इस प्रकार न चाहत हुए भी उसे निरन्तर बढ़ते हुए दावे (Claims) करने के लिये प्रेरित किया। मुसलमानो को प्रसन्न करने की उत्सुकता मे उसने अपने सिद्धान्तो की बलि दे दी।'¹

3 अन्तरिम सरकार की असफलता—साम्प्रदायिक दगा और विद्रोह ने जिम तनाव और उत्तेजना क वातावरण को उत्प न किया उमने अन्तरिम सरकार के नीगी और बाग सी सदस्या क पारस्परिक सहयोग और व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। नियान्तन अली खा के अधीन विल विभाग की यही विशेषता थी कि वह हिन्दू मन्त्रालय के कार्यों अरवा याजनाया मे हस्ननेप या बाधा प्रस्तुत करना था। इससे मां त्रिया मन्त्रिभगटे बढ़ गये और अन्तरिम सरकार का सुचारु रूप मे चलना बठित हा गया। सबसे दुर्भाग्य की बात यह थी कि अन्तरिम सरकार क मुस्लिम सदस्य अपने विभागा के अगत महत्वपूण पदा पर मुस्लिम लीग के मन्स्यो को नियुक्त कर ग्हे थ। उम स्थिति न कांग्रेस मे बचनी पैदा कर दी क्यकि इमने एक बाग क्रि मे मन्त्र उत्प न होने और साम्प्रदायिक खून बहन की शक्यते उत्प न हा गइ थी।

4 साम्प्रदायिक दगा—16 अगस्त, 1946 क बाद (जव मे लीग न सीधी कायवाही दिवस मनाया) साम्प्रदायिक दगा का जा स्वरूप मामने आया वह अत्यन्त क्रूर, निदयी और भयकर था। नूर बनकना हत्यायें' (Great Calcutta Killings) नाशाली और तिप्पराह मे मुसलमानो द्वारा मगठित रूप मे हिन्दुया पर गत्याचार और प्रतिसार के रूप मे बिहार मे हिन्दुयो द्वारा मुसलमानो पर र

अत्याचार, यू० पी०, बम्बई, पंजाब आदि प्रांतों में बढ़ती हुई साम्प्रदायिक अग्नि ने सारे राष्ट्र में कपकपी पैदा कर दी। हत्याघरों, लूटमार, आग लगने की घटनाओं स्त्रियों के अपहरण, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन आदि की घटनाओं ने वातावरण को दूषित कर दिया था। नेहरूजी लिखते हैं कि “मानव व्यवहार के सम्बन्ध में मैं ऐसी बातें सुनी हूँ जो पशुओं को भी लज्जित (अपमानित) कर देंगी।”

5 विभाजन एक आवश्यक बुराई के रूप में—उक्त परिस्थितियों में विभाजन का कोई विकल्प नजर नहीं आता था। जसाकि गोविंद बल्लभ पंत ने लिखा है कि “पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने या आत्म हत्या करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था।” नेहरूजी ने भी कहा था कि “उन्होंने घटनाओं से विवश होकर ही विभाजन को स्वीकार किया था।” नेहरूजी के ही शब्दों में “सिर दब से लुटकारा पाने के लिये वे सिर ही कटवा डालन को तयार हो गये।” “स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये हमें और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। पटेल ने भी कहा था कि “यदि हमने विभाजन स्वीकार न किया तो भारत बहुत से टुकड़ों में बंट जायगा और विल्कुल नष्ट हो जायगा एक नहीं अनेक पाकिस्तान बनते।” एक अन्य स्थान पर पटेल ने कहा था कि “मैंने विभाजन मजबूरी की हालत में स्वीकार किया”, यदि एक भ्रम में विषय का सचारा हो जाय तो सारे शरीर को असाध्य हानि से बचाने के लिये तुरंत पृथक कर देना चाहिए” “देश को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने का एक मात्र रास्ता यही था कि शेष भारत का एकीकरण किया जाय।”

6 पद प्रभाव और सत्ता प्राप्ति के लिये भारतीय जातियों में सघष—ब्रिटिश शासकों द्वारा सत्ता हस्तांतरण की क्रमिक नीति ने भारत की भिन्न भिन्न जातियों में पद, प्रभाव और सत्ता का प्राप्त करने के लिये सघष के मांग को चौड़ा कर दिया। यह सघष उस समय स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा जब जातियों में इसके अभिनेता (Protagonists) उत्पन्न हो गये। मुस्लिम नेताओं में सर सयद अहमद, सर मुहम्मद इकबाल और जिन्ना प्रमुख अभिनेता थे। हिंदुओं में प० मदन मोहन मालवीय और सावरकर प्रमुख थे। दोनों ने एक दूसरे के सामाजिक बहिष्कार की नीति को अपनाया। मुस्लिम अपने अतीत के गौरव को दोहराते और हिंदू अपनी बहुसरयक जाति का राग अलापते। बाद में जिन्ना ने द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को जन्म दिया और हिंदू महासभा ने “विशुद्ध हिंदू राज्य” को। सावरकर तो “विशुद्ध हिंदू राजनीति” में विश्वास करते थे और जिन्ना पृथक पाकिस्तान की बात करते थे। इन सब तत्त्वों ने हिंदू पुनरुत्थानवाद और मुस्लिम पुनरुत्थानवाद में सघष को जन्म दिया। इस सघष ने दो बातों को स्पष्ट कर दिया। प्रथम तो यह कि भारत की परम्परागत संस्कृति पश्चिमी घुसपैठ के विरुद्ध तीव्र प्रतिश्रिया करने के लिये तयार है और दूसरे यह कि यद्यपि हिंदुओं और मुस्लिम जातियों के उदभव को सामान्य स्रोतों में देखा जा सकता था परन्तु दोनों ने अपने अपने भिन्न भिन्न और पृथक तथा विशिष्ट लक्षणों का विकास कर लिया था।

7 ब्रिटिश नौकरशाही का कठोर एवं विरोधी दृष्टिकोण—द्वितीय महायुद्ध के दौरान और उसके ठीक बाद और स्वतन्त्रता प्राप्ति तक ब्रिटिश नौकरशाही का दृष्टिकोण केवल उदासीनता का ही नहीं था अपितु कठोर, निंदनी और प्रतिकूल भी था। प्रथम तो एटली का यह वक्तव्य निराशापूर्ण था कि साम्प्रदायिक समस्या का समाधान हुए बिना जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जायगी। इस वक्तव्य ने गृह युद्ध की सम्भावना का बड़ा दिया। दूसरे, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही साम्प्रदायिक दगा को दवाने के स्थान पर उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ावा दे रही थी। गृह युद्ध की सम्भावना और साम्प्रदायिक दगा की भीषणता ने विभाजन को निकट ला दिया।

8 लाड माउण्ट बैटन का प्रभाव—भारत के विभाजन में लाड माउण्टबैटन ने प्रभावशाली व्यक्तित्व, मधुर व्यवहार, राजनीतिक चातुर्य और उसके ठोस तर्कों का अत्यधिक प्रभाव था। भारत पहुँचते ही उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि भारत की समस्या इतनी जटिल है कि इसका एक मात्र हल विभाजन है। मह लाड माउण्टबैटन के प्रयासों का ही फल था कि प० जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे विभाजन के कट्टर विरोधी भी उसका पक्ष में हो गये।

9 राष्ट्रवादी मुसलमानों की दुर्बल स्थिति—भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक ऐसे मुस्लिम नेता थे जो राष्ट्रीय विचारों में आत प्रीत थे परन्तु वे तो मुस्लिम लीग की तरह मगठित थे और न ही उनका कोई सामाय मन्च था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग को ही भारतीय मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था मानकर उससे समझौता वार्तायों की, उसे तुष्ट करने के लिये अपने राष्ट्रीय और प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों की बलि भी दी। कांग्रेस के इस व्यवहार ने राष्ट्रवादी मुसलमानों के ढीले सगठन का और भी नगण्य और तुच्छ बना दिया। राष्ट्रवादी मुसलमानों में इतनी शक्ति सगठन या काई प्राग्राम नहीं था कि वे मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की मांग को निष्फल कर सकत।

10 पाकिस्तान एक अस्थायी हल के रूप में—भारतीय नेताओं, विशेषकर कांग्रेसियों का विश्वास था कि लगे, टूट पट और दीमक लगे हुए पाकिस्तान के लिये आत्म सक्षम (Viable) रहना कठिन होगा और वह पुन भारत में प्रवेश ले लेगा। परन्तु ये सब आशाएँ निष्फल सिद्ध हुईं।

11 सत्ता के फलों को भोगने की इच्छा—विभाजन के कुछ क्षणों का मत है कि सत्ता के प्रति आकर्षण भी देश के विभाजन के लिये उत्तरदायी था। कांग्रेसी नेता, जो एक बार सत्ता के फल से स्वाद को भोग चुके थे, वे अब उसमें बचित हाना नहीं चाहते थे। जैसाकि मा.के.ल. अचर ने लिखा है कि "कांग्रेसी नेताओं के लिये सत्ता का पारिनायिक एवं बहुत बड़ा आकर्षण था और एक बार उमक फल को भोगने के बाद वे विजय के क्षण में उन्हें छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे।"

12 वाध्यता स्वाभाविक सहयोग उत्पन्न नहीं कर सकती थी—यदि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के रूप में एक पृथक राज्य की मांग पर दृढ़ मकसद थी इसलिए उह सयुक्त भारत के लिये वाध्य करना "यायमगन नहीं था। विकास और प्रगति के लिये यही सहयोग और मन्भावना वाछित हाती है जो स्वाभाविक हा। वाध्यता से उत्पन्न किया गया सहयोग बमनस्य और प्रतिकार को ही जन्म देता है। श्री नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि "यदि उह (मुस्लिम लीग के सदस्या को) भारत में रहने के नियम वाध्य किया गया तो प्रगति और नियोजन निनात अमम्भव हो जायेगे।"

13 ब्रिटिश धृतता का परिणाम—विभाजन ब्रिटिश धृतता और सक्कारी का परिणाम था। ब्रिटिश शासका ने अपने साम्राज्यीय हितों की रक्षा के लिय ऐसी नीतिया का अनुसरण किया जो भारत के अहित में थी। "फूट डालो और शासन करो की नीति साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, अल्पमतों, रजवाडा और सिविल सेवकों के हितों की आत्म प्रतिनियामात्री अग्रजातात्रिक, अनुदारवादी नत्वा का बढावा तथा ऐसी ही अन्य नीतिया का अनुसरण किया। अंग्रेज शासका या अन्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समर्थका न भारतीय जातिया को, विशेषकर मुसलमाना का जातीय बमनस्य और साम्प्रदायिकता का पाठ पढाया और एक वाग जातीय बमनस्य का पाठ पढा कर वे उनमें सहयोग की आशा नहीं कर सकत थे। पाकिस्तान के निमाता बस्तुन इबबाल या जिना नहीं अपितु लान् मि टो थे जिहाने भारतीय राजनीति में पृथक विवाचन प्रणाली के विषय को धोल दिया। एडवड थामसन ने स्पष्ट लिखा है कि कतिपय सरकारी पदाधिकारी पाकिस्तान के विचार के प्रति बडे उत्साहित थे।" एमरी, जो भारत मन्त्री थे, ने स्वयं कहा था कि "भारतीय स्वतंत्रता के भावी आगार में कई भवना के लिये स्थान है।" विभाजन के समय पर भी ब्रिटिश शासका ने अपनी धृतता और सक्कारी का परिचय दिया। भारत का दा अघिराज्यो में विभक्त करना, भारतीय देगी रिमासतो पर अपनी परम सत्ता को समाप्त कर उह रक्तन कर देना उनकी धृतता का परिचायक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत-पाकिस्तान के सम्बन्ध का इतिहास अन्तता, घुला और बमनस्य का इतिहास है और य दश अब भी तनाव को स्थिति में रह रह हैं।

उपर्युक्त वणन में स्पष्ट है कि विभाजन अन्त घटनाया और नीतिया का एकीभूत परिणाम था।

अंग्रेजों ने भारत को क्यों छोड़ा ?

या

अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता क्यों दी ?

भारतीय स्वतंत्रता एतिहासिक घटनाया का अन्त पर तु स्वाभाविक एव अनिसाम परिणाम थी। यह न तो केवल ब्रिटिश अन्तता और न केवल वांग्रेज म प्रयत्ना का फल थी। जगति २० पट्टाभि गीतारमैथ्या ने लिखा है कि 'भारतीय

स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थितियाँ के दबाव का परिणाम थी।” भारतीय स्वतंत्रता ग्रनेक बाह्य एव आंतरिक परिस्थितियों के एकत्रीभूत दबाव का फल थी। इनमें कुछ तो स्वयं ब्रिटिश शासन की लोकतांत्रिक पद्धति ने उत्पन्न की थी। उदाहरणतया भारतीयों में स्वशासन स्वतंत्रता समानता और प्रजातन्त्र की भावनाएँ इसी पद्धति से उत्पन्न हुईं। इनमें से कुछ स्वयं भारतीयों के त्यागों और बलिदानों का फल थी। उदाहरणतया अहिंसक सत्याग्रह आंदोलनों तथा उग्रवादियों और क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ न भारतीयों में अपार जन जागृति उत्पन्न कर दी थी आई० एन० ए० के निर्माण और सशस्त्र सैनिक विद्रोह भारतीय सैनिकों में जागृति के प्रतीक थे। इनमें से कुछ द्वितीय महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों का फल थे। उदाहरणतया मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय महायुद्ध के दौरान “आत्मनिर्णय तथा अटलांटिक चार्टर व “चार स्वतंत्रताग्रामों” की घोषणाओं ने एशिया में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की माँग को बल दिया। इनमें से कुछ मित्र राष्ट्रों के दबाव का फल थी। उदाहरणतया अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और रूस तथा चीन का प्रभाव ब्रिटेन पर अत्यधिक था। इनमें से कुछ स्वयं ब्रिटिश की सैनिक और आर्थिक दुर्बलता में उत्पन्न हुए थे। उदाहरणतया द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की आर्थिक हानि इतनी अधिक हुई थी कि वह स्वयं अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के निधे अमरीकी सहायता पर निर्भर करता था और वह भारत के बाध का अपने बाधा पर नहीं उठा सकता था। इन सब परिस्थितियों में बाध्य होकर अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता दी।

1 अपार जन जागृति—व्यक्तिगत एव सामूहिक अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन ने भारतीय जनमानस में अपार जन जागृति का संचार कर दिया था। द्वितीय युद्ध के दौरान और उसके ठीक बाद राष्ट्रीय चेतना अपने चरमोत्कर्ष पर थी। सारा राष्ट्र क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिक्ख क्या मराठा—सभी विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे। जो दशमक तथा राष्ट्रवादी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये सबस्वयं-योज्य करने के लिये तैयार थे उनकी माँग का अर्थ ठुकराना खतरे में खाली नहीं था। अथ सरकार के हर प्रस्ताव को शक की दृष्टि से देखा जाता, उसके हर वाक्य की समीक्षा की जाती, जनमानस अपने कष्टों और दुःखा के लिये विदेशी सरकार का उत्तरदायी ठहराता, जातीय वैमनस्य को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों पर थापा जाता, उनकी भारत में उपस्थिति को ही जातीय मामलों और स्वतंत्रता प्राप्ति में बाधा समझा जाता। सभ्य में ब्रिटिश शासकों की निंदा और आलाचना हर व्यक्ति और हर वय करता। भारत छोड़ो आंदोलन, गांधीजी का ‘करा या मरो’ का मिद्धान्त, आजाद हिंद फौज के अफमरा पर चलाये गये अभियोगों के समय प्रदर्शित की गई जन भावना, नौसैनिक विद्रोह आदि भारतीयों की बदलती हुई मनस्थिति के सूचक थे। मौलाना आजाद निम्नलिखित हैं कि “स्वतंत्रता की इच्छा के बारे में अब कोई सन्देह नहीं था।”

2 भारतीय सेनाओं द्वारा सशस्त्र विद्रोह—भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व ब्रिटिश नौकरशाही की कुशलता और उसकी सैनिक अजेयता पर ही निर्भर नहीं करता था, वह भारतीय सेनाओं की भक्ति पर भी निर्भर करता था। ब्रिटिश शासक राष्ट्रीय आन्दोलनों का दमन इ ही भारतीय सेनाओं द्वारा कराते थे। परन्तु 18 फरवरी 1946 के नौसैनिक विद्रोह ने तथा बम्बई, कलकत्ता और कराची के हवाई अड्डों में 'हडताल' के रूप में खुले विद्रोह ने अंग्रेजों की आखें खोल दी और उन्हें यह अनुभव करने में देर नहीं लगी कि वे अब भारतीय सेनाओं की निर्बाध भक्ति पर निर्भर नहीं कर सकते। यह विद्रोह इस बात का प्रतीक था कि भारतीय सेनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास तीव्र गति से हो रहा था। यद्यपि नौसैनिक और वायु सेना के विद्रोहों को कुचल दिया गया परन्तु इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को डगमगा दिया।

3 ब्रिटिश समाज की सहानुभूति—ब्रिटिश समाज के एक बहुत बड़े एवं शक्तिशाली वर्ग की भारतीयों के प्रति सहानुभूति ने ब्रिटिश शासकों के लिये लम्बे समय तक भारत में सत्ता को बनाये रखना कठिन कर दिया। ब्रिटिश समाज का यह वर्ग वस्तुतः भारत को अपने अधीन रखने में मानसिक उलझन (ग्लानि), पाप और नैतिक अपराध का अनुभव कर रहा था। इस वर्ग का कहना था कि प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में जब भारतीयों ने अंग्रेजों की तन, मन, धन से अपार सेवाएँ की हैं, जब उन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत अपनी प्रशासनिक कुशलता और योग्यता को प्रदर्शित कर दिया है तो भारत को अपने अधीन रखने का अर्थ कोई औचित्य नहीं। इस वर्ग ने ब्रिटेन के 1945 के निर्वाचनों में मजदूर दल को विजयी बनाकर भारतीयों के प्रति अपनी हमदर्दी को प्रदर्शित कर दिया।

4 मजदूर दल की विजय तथा एटली का नेतृत्व—सन् 1945 के ब्रिटिश निर्वाचनों में, एटली के नेतृत्व में, मजदूर दल की विजय भारतीयों के लिये एक अच्छा शगुन था। उस समय के ब्रिटिश राजनीतिज्ञों में एटली ही एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने इस बात को अनुभव कर लिया था कि केवल पशु शक्ति के बल पर भारत को ब्रिटेन के अधीन रखना उसके भावी हिता के लिये प्रतिकूल होगा। इसलिये एटली भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान कर उनकी सद्भावना द्वारा भावी ब्रिटिश व्यावसायिक और राजनीतिक हिता की रक्षा करना चाहते थे। एटली "मित्र भारत" के स्थान पर "मित्र भारत" को स्वतंत्रता देना चाहते थे।

अपने चुनाव घोषणा पत्र द्वारा भी एटली भारत की संवैधानिक समस्या के सहानुभूतिपूर्ण समाधान के लिये कटिबद्ध था और चुनाव के बाद वह इस समस्या का समाधान भी करना चाहते थे, यही कारण है कि एटली ने प्रधानमंत्री बनते ही कैबिनेट मिशन को फिर माउण्टबेटन को भारतीय समस्या के समाधान के लिये भारत भेजा। 20 फरवरी, 1947 को एटली की यह घोषणा कि जून 1948 तक भारत

को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जायगी इस बात का प्रतीक थी कि एटली भारत का शीघ्र प्रति शीघ्र स्वतन्त्रता प्रदान करना चाहता था।

5 ब्रिटेन की दुबल आर्थिक और सैनिक स्थिति—द्वितीय महायुद्ध के बाद ब्रिटेन एक महाशक्ति अवश्य था पर तु प्रथम या द्वितीय श्रेणी की महाशक्ति नहीं रहा था। वह अब तृतीय श्रेणी की ही महाशक्ति था। युद्ध ने उसकी अर्थव्यवस्था पर, सैनिक और औद्योगिक क्षमता पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डाला था। अपने साधना और औद्योगिक पुनर्निर्माण के लिये वह स्वयं विदेशी विशेषकर अमरीकी, आर्थिक सहायता पर निर्भर करता था। जब वह अपने ही आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये दूसरे देशों पर निर्भर करता था तो वह भारत के बीचों बीच पर उठाने की क्षमता में नहीं था। आर्थिक औद्योगिक और सैनिक दुबलता ने ही ब्रिटिश शासकों को भारत की स्वतन्त्रता के बारे में विचार करने पर बाध्य किया। जैसाकि माईकेल बेकर ने लिखा है कि "सन् 1945 में यदि अनुदारवादी भी सत्ता में आ जाते तो ब्रिटेन की रुमजोरी भारत के पक्ष में इतना सबल तथ्य था कि सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न को टाला या स्थापित नहीं किया जा सकता था।"

6 साम्प्रदायिक दंगे—16 अगस्त, 1946 के बाद (जब से लीग ने सीधी कायवाही दिवस मनाया) साम्प्रदायिक दंगों का जो स्वरूप सामने आया वह अत्यंत क्रूर, निंद्य और भयंकर था। "क्रूर कलकत्ता हत्याएँ, गोआखाली और तिप्पेराह में मुसलमानों द्वारा संगठित रूप से हिंदुओं पर अत्याचार और प्रतिहार के रूप में बिहार में हिंदुओं द्वारा मुसलमानों पर किये गये अत्याचार, यू० पी० बम्बई, पंजाब, आदि प्रांतों में बढ़ती हुई अग्नि न सारे राष्ट्र में कपकपी पदा कर दी। हत्याएँ, लूटमार, आग लगने की घटनाएँ, स्त्रियों के अपहरण, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन आदि घटनाओं में वातावरण का दूषित कर दिया था। कांग्रेस इन साम्प्रदायिक दंगों के लिए ब्रिटिश शासकों के व्यवहार और उनकी नीतियों को उत्तरदायी मानती थी। उम्मा कहना था कि ब्रिटिश सरकार की "विभाजन करो और शासन करो की नीति ने ही मुसलमानों की साम्प्रदायिकता का पाठ पढ़ाया था और अब उनमें वे इससे अच्छे व्यवहार की आशा नहीं कर सकते थे। इससे पूर्व कि और अधिक जान और माल की हानि होती, एटली इस धब्बे को धो डालना चाहता था।

7 ब्रिटिश नौकरशाही की अरुण्यता और अनिश्चितता—ब्रिटिश नौकरशाही अपने आपको न केवल अनिश्चितता की स्थिति में पा रही थी बल्कि अपने आपको अक्षम भी पा रही थी और यही अनिश्चितता और अक्षमता साहमी, प्रभावपूर्ण और कुशल प्रशासन के लिये हानिकारक होती है। अपने कार्यों के समर्थन के लिये वे कभी ब्रिटिश स्वामियों और कभी भारतीय राजनीतिक दलों की ओर देखते क्योंकि उन्हें सत्ता हस्तांतरण की जानी थी। देश में उच्च सेवाओं की भी यही स्थिति थी। इस सारे अनिश्चितता के वातावरण में प्रशासन को उदासीन अरुण्य और अकुशल बना दिया।

8 अंतर्राष्ट्रीय विरादरी का प्रभाव—द्वितीय महायुद्ध के दौरान और बाद में भारत की सवधानिक समस्या का समाधान करने के लिये ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय विरादरी के अनवरत सदस्यों का दबाव था। अमरीका और रूस का दबाव उस पर विशेषकर था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट और च्यांग काई शेक ने तो युद्ध के दौरान ही भारत की समस्या के समाधान के लिये ब्रिटेन पर दबाव दिया था। रूजवेल्ट तो "ब्रिटिश औपनिवेशिक आकाशाग्रा को शका की दृष्टि में देखता था।" युद्ध के बाद राष्ट्रपति ट्रूमन ने ब्रिटेन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन नेताओं के अतिरिक्त अनेक भारतीय और अमरीकी नेताओं तथा लक्ष्मण न भारतीय स्वतन्त्रता के पक्ष में विदेशों में आवश्यक वतावरण को तयार किया। इनमें मुख्य थे त्रिजय नक्षत्री पण्डित, जी० एल० महता, डा० सयद हुसन, ज० जे० मिह, पन वन, लुई फिशर, लिग युताग, नामन थामस, आदि। जमाकि सर स्टैफड जिम्स ने कहा है कि "प्रतिदिन के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने भारत में ब्रिटिश शासन को अधिक समय तक बनाए रखना असम्भव बना दिया है।"

9 साम्यवाद के विस्तार का भय तथा शीत युद्ध का श्रीगणेश—पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के विस्तार ने तथा युद्धवादी मित्र राष्ट्रों में शीत युद्ध के प्रारम्भ होने में ब्रिटिश शासकों को भारत की समस्या के शीघ्र हल ढूँढने के लिये बाध्य किया। एटनी की यह धारणा थी कि भारत में कांग्रेस के विघटित होते ही साम्यवादी प्रवृत्तियाँ का बढावा मिलेगा। जिस गति से उस उप महाद्वीप में और विशेषकर भारत में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बिगड़ रही थी, अराजकता फैल रही थी, अविश्वाम और अस्थिरता जन्म ले रहे थे इन सबसे साम्यवाद को बढावा मिलने की सम्भावना थी। स्टामिन इस स्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए पूँजीवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का "निवृष्ट लूट" (Worst robbery) कह कर निन्दित कर रहा था और इस उप महाद्वीप में जनता दल लुभावत नारों में प्रभावित हो रही थी उसने साम्यवाद के विस्तार के लिये भूमिका तयार कर दा थी। स्टामिन तो अपने पण्डित स्वतन्त्रता का समर्थक बन गया। इस तत्व ने भी ब्रिटिश शासकों को भारतीय समस्या के शीघ्र समाधान के लिये बाध्य किया क्योंकि ब्रिटेन अपने विरोधी तत्वा (साम्यवाद) का विनाश के अनन्तर प्रत्यान करना नहीं चाहता था।

10 ब्रिटिश शासन तथा कांग्रेस का योगदान—ब्रिटिश शासन पद्धति में ही उसके साम्राज्यवाद के पतन का बीज बिछाया था। अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों का सामान्य भाषा का मूल्यवान उपहार दिया, उसके माध्यम में भारतीय पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति तथा स्वतन्त्र राजनीतिक समस्याओं के मध्य में साथ ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीयता को भारत का प्रशासनिक एकीकरण दिया, मजदूर और छात्रावासों का निर्माण किया, उमन मात्र भारत को न केवल एक दूसरे के साथ में मिला दिया अपितु उन्हें सामान्य कार्य के लिये मजदूर प्रवास के लिये प्रेरित

भी किया। माना व दीरानी और फौजारी तोड़ न, मामा य न्याय व्यवस्था व, मामा य कानून न गार भारत व एक प्रमाणन के अधीन न दिया।

दूसरी घाट, कांग्रेस व गार राष्ट्र व मन व मामा व उद्देश्य मामा व ऋण्डे मामा य पायब्रमा का प्रस्तुत वर गवना राष्ट्रियता और दशभक्ति के प्रेरक तत्वा का उद्घन किया। माईरन ब्रैबर व टीर किया है कि "भारत की स्वतंत्रता दीरानी व त्रिटिण जागत द्वारा अनजान म और कांग्रेस द्वारा जान म (जान पूर्वक) उत्पन्न मानसिक जागरण और गामा य उद्देश्य का स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम था।'

11 ब्रिटिश दूरदर्शिता—राष्ट्रमण्डल की विचारधारा का विकास—ब्रिटिश शासकों न जब यह अनुभव कर लिया कि व अनपन उपनिषणा की बहुत दर तक अनपन अधीन नहीं रन गवने ता उद्घान एक लघु ममय म राष्ट्रमण्डल के विचार का विकास किया ताकि उपनिषणा या स्वतंत्रता देने ममय व अनपन आरिष, व्यावसायिक, राजनीतिक हितों का रक्षा कर गवें। उदाहरणतया, उद्घान पहनता स्वशासित अधिराज्या का, फिर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का और अन स्वतंत्र राज्या के राष्ट्रमण्डल का विकास किया है।

12 माउण्ट बेटन योजना की स्वीकृति—भारत का स्वतंत्रता प्रदान करने म सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस और लीग व विचारों म भिन्नता थी गार इसी भिन्नता के कारण ब्रिटिश शासन अपनी सत्ता भारत म बनाय हुये थ। ववल योजना और कैबिनेट योजना दगीलिये असफल हुई। परन्तु जून जून 1947 म कांग्रेस और लीग न माउण्ट बेटन योजना की स्वीकार कर लिया ता भारत की स्वतंत्रता व माग के सभी बाधाएँ दूर हो गईं। इस योजना के अंतगत कांग्रेस को भारत का "विभाजन" और लीग को "लगडा पाकिस्तान" स्वीकार करना पडा और भारत स्वतंत्र हा गया।

उपयुक्त वरण स स्पष्ट है कि भारत का स्वतंत्रता ब्रिटिश राजनीतिक उदारता का परिणाम नहीं थी और न ही यह केवल कांग्रेस के प्रयत्न का फल थी। यह तो अनपक बाह्य और आतंरिक घटनाओं के एक्कीभूत प्रभाव का परिणाम थी।

समीक्षा प्रश्न

(Review Questions)

- 1 "द्वितीय महायुद्ध न राष्ट्रवाद का तीव्र किया।" इस कथन के सादभ म 1937-1947 की राजनीतिक घटनाओं व वरण बीजिये।
- 2 सन् 1939-46 क बीच राजनीतिक गत्यावरोध को समाप्त करने क लिये क्या प्रयास किये गये? ये प्रयास क्या असफल रहे?
- 3 त्रिंस प्रश्नाओं व समीक्षा बीजिये। कांग्रेस ने उ ह क्या अस्वीकार किया?
- 4 1946 के मंत्रिमण्डल मिशन योजना के प्रश्नाओं की आलाचनात्मक व्याख्या बीजिये।

- 5 माउण्ट बेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की समीक्षा कीजिये ।
- 6 "भारत को छोड़ना का ब्रिटिश निराय ब्रिटिश राजनीतिक उदारता का परिणाम नहीं था । परिस्थितियों की शक्ति ने ही उन्हें भारत छोड़ने के लिये बाध्य किया ।" विवेचना कीजिये ।
- 7 "भारत की स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रवाद की शक्तियों का इतना अधिक परिणाम नहीं थी जितना कि द्वितीय महायुद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के कारण थी ।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं कारण लिखिये ।
- 8 "दूसरे महायुद्ध के बाद स्थिति ऐसी थी कि अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता हस्तांतरण पूर्ण और अत्यंत शीघ्र हो ।" इस कथन के सन्दर्भ में उन घटनाओं की विवेचना कीजिये जो भारत की स्वतंत्रता दिलाने में सहायक हुईं ।
- 9 क्या विभाजन अनिवार्य था ? कारण लिखिये ।



भारत में साम्प्रदायिक समस्या (Communal Problem in India)

साम्प्रदायिकता का अर्थ—साम्प्रदायिकता के शाब्दिक अर्थ दो हैं। इसका एक अर्थ है कम्यूनो (Communes) द्वारा स्वायत्त स्थानीय प्रशासन अर्थात् छोटी छोटी स्वायत्त स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं द्वारा प्रशासन। ये राजनीतिक संस्थायें यद्यपि केन्द्रीय सरकार के अधीन होती हैं परन्तु उनके पास पर्याप्त स्थानीय विधायी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। साम्प्रदायिकता का दूसरा अर्थ है “वर्गीय भावना” जो अपने वर्ग विशेष के अधिकारों और हितों की रक्षा पर आधारित होती है। जसाकि नेहरूजी ने लिखा है कि साम्प्रदायिकता “धार्मिक एकता पर आधारित यह वर्गीय भावना है जिसका वास्तविक उद्देश्य उस वर्ग विशेष के लिये राजनीतिक शक्ति और अधिकारों को प्राप्त करना है।” डा० मुभाय काश्यप और विश्वप्रकाश गुप्त ने भी ठीक लिखा है कि साम्प्रदायिकता उस “गुट मानसिकता” को कहते हैं “जो स्वयं को किसी धार्मिक सम्प्रदाय के ऊपर आधारित करती है लेकिन जिसका वास्तविक उद्देश्य सम्बद्ध गुट के लिये राजनीतिक शक्ति और संरक्षण प्राप्त करना होता है।” प्रथम अर्थ में इस शब्द का प्रयोग यूरोप में किया गया और द्वितीय अर्थ में इसका प्रयोग भारत में किया गया।

साम्प्रदायिक भावनायें प्रजातन्त्र, राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता के विपरीत होती हैं क्योंकि ये भावनायें परस्पर विरोधी धार्मिक, जातीय या वर्गीय भावनाओं पर आधारित होने से जातीय सोहार्द उत्पन्न करने के स्थान पर जातीय वमनस्य और ईर्ष्या को उत्पन्न करती हैं। इनका दृष्टिकोण व्यापक नहीं होता, इनके लक्ष्य सकीर्ण और सीमित होते हैं। यद्यपि ये धर्म और जाति पर आधारित होती हैं परन्तु इनके उद्देश्य राजनीतिक होते हैं। इनका सहारा लेकर कोई वर्ग विशेष या जाति अपने वर्ग या जाति के लिये राजनीतिक अधिकारों की मांग करती है, राजनीतिक सत्ता में अपने हिस्से का राग भलापती है, प्रशासनिक सेवाओं में सुविधाओं और रियायतों की मांग करती है, आदि। यह आवश्यक नहीं कि जातीय मांग “माय और औचित्य पर आधारित हो या उस जाति की जनसंख्या के अनुपात में हो, ये मांगें प्रशासकों के लिये उस जाति के सामरिक महत्त्व और राजभक्ति पर आधारित भी सकती हैं।

भारत में साम्प्रदायिक समस्या का धार्मिक वस्त्र पहनाये गये पर तु इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक सत्ता का या तो स्थायी बनाना या या उसे जाति के लिये प्राप्त करना था। जहाँ अंग्रेजों ने इसका प्रयोग भारत में अपने साम्राज्य की रक्षा के लिये किया वहाँ मुसलमानों ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिये, अर्थात् राजनीतिक सुविधाये और रियायतें प्राप्त करने के लिये किया। भारत में यह समस्या तब उत्पन्न हुई जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अश्वीन राष्ट्रीय शक्तियाँ बलशाली होने लगी और ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न होने लगा।

साम्प्रदायिक समस्या का सम्बन्ध भारत की वास्तविक समस्याओं—निधनता, वराजगारी आदि से नहीं था। इसका सम्बन्ध सब साधारण जनता से भी नहीं था। कृषकों, श्रमिकों, छोटे छोटे व्यापारियों में इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। यह ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा उत्तेजित मुस्लिम जाति के कुछ उच्च वर्गों की समस्या थी जिन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये इसका प्रादुर्भाव किया था, इसका पोषण किया था तथा इसका विस्तार किया था।

साम्प्रदायिक समस्या का उत्तरदायित्व—भारत में साम्प्रदायिकता के भिन्न भिन्न कालों की व्याख्या करने से पूर्व अध्येतन की दृष्टि से इस प्रश्न को समझ लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि इस समस्या का उत्पन्न और विनाश के लिये कौन उत्तरदायी था। क्या ब्रिटिश शासकों ने, साम्राज्यीय हिंसा की रक्षा के लिये, इसे जानबूझ कर भारतीय राजनीति में घुमड़ाया कि भारत की भिन्न भिन्न जातियाँ में यह भावनाएँ पहले से ही विद्यमान थीं और समय पाकर वे पृथक्ता की ओर विकसित होकर लगीं। इस समस्या के लिये मूलतः ब्रिटिश शासन उत्तरदायी था क्योंकि मुस्लिम लोग और उसके नेता जिना की हठमति और कांग्रेस की नीति के प्रति तुष्टिकरण की नीति ने भी इसमें अपनी शक्ति दी।

(घ) अंग्रेजों का उत्तरदायित्व—भारत की साम्प्रदायिक समस्या (मुस्लिम साम्प्रदायिकता) के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी विचार धाराएँ व्यक्त की गयी हैं। एक विचारधारा इस लक्ष्य की है जिसका कर्ता है कि साम्प्रदायिक समस्या स्वयं भारत के जन जीवन तथा उसकी सही धार्मिक और जातीय भावनाओं का स्वाभाविक परिणाम थी। इन लक्ष्यों में मुख्यतः ब्रिटिश राजनीति ब्रिटिश इतिहासकार तथा अन्य एसी ही विचारधारा रखने वाले लोगों को माने हैं। इनका मत है कि साम्प्रदायिक भावनाओं का उत्पन्न और विनाश में ब्रिटिश शासन की न तो कोई गहरी भूमिका थी और न ही इसमें वे अपना स्वार्थों को पूर्ण करना चाहते थे। जसाकि स्पष्ट है कि 'ब्रिटेन ने न तो साम्प्रदायिकता की यह धारा गुलाबी और न ही इस जलाय रण के लिये उद्घाटन यह शक्ति काय किया।' परन्तु ब्रिटिश

भासवा द्वारा घपनायी गई नीतियाँ के मद्देन म यह विचारधारा न तो सरी उतरती है और न ही यह गतिहासिक नथ्या न आधार पर गही मिद्र की जा सकती है । उम तरह यह विचारधारा गत्य न उहुन दूर और मिथ्या है ।

दूमरी विचारधारा एग न ही है जिनका मत है कि ब्रिटिश शासना न ग्रय साम्राज्यवायिया की भाति, अपन साम्राज्यीय, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के निय, "पूट जाओ और गामन ररा की नीति का महारा किया, भारतीय जातिया मे सामाय नक्षणा की उपधा की, उनम जातीय वमनम्य का उभारने के लिय साम्प्रदायिक विष का पृथक विचारन प्रग्याती और गुम्भार की पद्धति के रूप म उगला । जातिया का विभक्त करन म ब्रिटिश शासना न भारतीय जातिया की धार्मिक भिन्नताओं का पूरा लाभ उठाया । यह विचारधारा राष्ट्रवादिया तथा गमी ही विचारधारा का समथन करन वाल नैष्यता की है । जसाकि महता और पटवधन न लिया है कि 'अप्रेज शासना न अपन आपनो हि दुम्रा और मुगनमाना के मध्य गडा करक ऐमे साम्प्रदायिक त्रिभुवन की रचना का निश्चय किया जिसके आधार के स्वय रहे । द्वितीय गालमेज सम्मेलन के समय गाधीजी ने कहा था कि भारत म साम्प्रदायिकता की समस्या "ब्रिटिश शासन का न ही समकालिन है ।"

भारतीय राष्ट्रीयता को गण्डित करन के निय अप्रेजा न त्रमिक परन्तु योजनाबद्ध नीतियों का अनुसरण किया । इन नीतियों का प्रादुर्भाव भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के साथ हुआ । अप्रेज शासना की जा नीतियाँ साम्प्रदायिकता के प्रादुर्भाव को पोग और विराम के निय उत्तरलायी थी उनम प्रमुख निम्न है—

1 वग आधार पर सेनाओं का पुनगठन—सन् 1857 तक भारतीय सेनाओं की पत्रटना (Regiments) म सभी जातियों के लोग का सम्मिलित रूप से रखा जाता था परन्तु 1857 के विद्रोह के बाद उन पत्रटना का जाति और वग के आधार पर पुनगठन किया गया । उदाहरणतया डोगरा, सिक्ख, गारखा, कुमाऊ पलटने गडी की गयी । पत्रटनों के जातीय आधार पर निर्मित होने से सैनिकों म जातीय और वर्गीय भावनाओं का विकास हुआ जिनम सकीण, जातीय, धार्मिक भावनाओं को बल मिला ।

2 जातियों से पक्षपातपूर्ण व्यवहार—सन् 1857 के विद्रोह के लिये अंग्रेज मुसलमानों को उत्तरदायी समझते थे । इसलिये उन्होंने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया जिसमे मुसलमानों का आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पतन हो, मुसलमानों का सैनिक और असैनिक सेवाओं से वञ्चित रखा गया, मुक्त व्यापार की नीति से भारत के कुटीर उद्योगों का नष्ट किया गया । इन उद्योगों म अधिकांशतः मुस्लिम राजगार पा रहे थे । हि दुम्रा के सहयोग और भक्ति का प्राप्त करने के लिये हि दुम्रा को प्राथमिकता दी गयी, हि दू जमींदारों का लाभ पहुँचाया गया । अगल हि दू सहयोग का यह युग 1870 तक रहा । उसके बाद राष्ट्रीय शक्तियाँ बलशाली होने लगी उन्हे अवरोध करने के लिये बहुमत की कीमत पर अल्पमत (मुसलमानों) को -। मि

दी जाने लगी। सन् 1885 में जिस राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश प्राशोर्वादि से स्थापित किया गया था सन् 1887 में उसी कांग्रेस को "नगण्य सरया" (Microscopic Minority) कह कर निर्दिष्ट किया गया। आंग्ल-मुस्लिम सहयोग सन् 1947 तक विद्यमान रहा।

3 कांग्रेसी विरोधी प्रचार—जिस कांग्रेस को "सुरक्षा नली" (Safety Valve) के रूप में स्थापित किया गया था जब वह "चेतावनी" के रूप में उभरने लगी तो अंग्रेजों ने उसके राष्ट्रीय स्वरूप को नष्ट करने की कोशिश की। इसके लिये अनेक भूठे प्रचार किये। कांग्रेस का "हिन्दू सस्था की उपमा"¹ (Dubbed as a Hindu Organization) दी गयी, यह प्रचार किया गया कि कांग्रेस "मुसलमानों के हितों के विरुद्ध है।" सर सयद अहमद खान और मुहम्मद अली जिना जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों का कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया। अंग्रेजों के प्रभाव और प्रोत्साहन में वे मुस्लिम राष्ट्रवादी बन गये। सर सयद अहमदखान पर मुह मदन ऐंग्लो थोरियटल कॉलेज के प्रथम अंग्रेज प्रिंसिपल श्री थियोडोर बेक (Theodore Beck) पर अत्यधिक प्रभाव था। यह श्री बेक का ही प्रभाव था कि जो सर सयद 1884 तक हिन्दुओं और मुसलमानों को "भारत माता की दो छात्रों" समझते थे वे सन् 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर उसके सदस्य नहीं बने। यद्यपि जिन्ना को 'राष्ट्रवादी मुसलमान' से 'मुस्लिम राष्ट्रवादी बनाने में डा० इक्बाल और नवाबजादा लियाकत अली खान का हाथ था पर तु वायसराय लाड विलिंगटन और लिस्लिथगो की नीतियों ने उसे प्रोत्साहन दिया। इस तरह राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस जसी राष्ट्रीय सस्था से विलग करने का श्रेय अंग्रेजों को है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर सयद अंग्रेजों सरकार के "खिलौने" बने रहे और बीसवीं शताब्दी की चतुर्थ और पंचम दशक में जिन्ना साम्राज्यवादियों के खेल को खेलते रहे।

4 साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहन—ब्रिटिश शासकों ने हर सम्भव तरीके से साम्प्रदायिक भावनाओं को उकसाया तथा उनके पोषण और विस्तार में सहायता प्रदान की। मेहता और पटवर्धन लिखते हैं कि "जहाँ भेदभाव थे वहाँ उन्हें तीव्र किया जहाँ भेदभाव नहीं थे वहाँ भेदभाव उत्पन्न किये। एक वग को दूसरे वग के साथ एक विगादरी को दूसरी के साथ और एक जाति को दूसरी के साथ लड़ाया। उन्होंने साम्राज्य विरोधी एक समुक्त मोर्चे के निर्माण को रोकने के लिये ब्राह्मणों, अहमदखानों, मुसलमानों हिन्दुओं तथा स्पृश्यों अस्पृश्यों के बीच भेद की दीवारें खड़ी कर दी।" राष्ट्रीयता और स्वशासन की मांग को अवरुद्ध करने तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिभार के रूप में सन् 1906 में अंग्रेजों ने नॉबिल भारतीय

1 See Tara Chand History of the Freedom Movement in India, Vol IV (Publications Division) p 571

मुस्लिम लीग को खड़ा कराके उसे आशीर्वाद दिया। सन् 1906 का आगा खा के नेतृत्व में मुस्लिम शिष्टमण्डल भी ब्रिटिश नौकरशाही द्वारा "समझाया, बुझाया और गढ़ाया" गया था। इसका आचरण "निर्दिष्ट आचरण" (Command performance) से अधिक नहीं था।

5 जातियों में विभाजन रेखा—ब्रिटिश शासकों ने भारतीय जातियों में विभाजन रेखा खींचने के लिए एक जाति की कीमत पर दूसरी जाति के शौच, सनिक महत्त्व और अन्य गुणों का बखान किया। अंग्रेजों ने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा और मोड़ा, मुस्लिम जातीय ग्रह को उभारा, कट्टर धार्मिक भावनाओं का विकास किया, मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का सहारा लेकर साम्प्रदायिक भावनाओं को उग्र बनाया। किप्लिंग ने तो स्पष्ट संकेत दिया था कि यदि "दो शक्तिशाली आदमी (ब्रिटिश और मुसलमान) मिल जायें तो पूव और पश्चिम टुकटुका" हो सकता है। इस तरह मुसलमानों के गुण गायकर उनमें जातीय ग्रह का विकास किया। यही कारण है कि मुस्लिम लीग हिन्दुओं से बराबरी की मांग करती थी तथा उनके समान राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहती थी। कांग्रेसी नेताओं को कट्टरवादी और धर्मा धवादी बहा गया।

6 अल्पमत को प्रोत्साहन—संवैधानिक सुधारों के विकास में अल्पमतों के संरक्षण की जिस नीति को अंग्रेजों ने अपनाया उसने वस्तुतः साम्प्रदायिक विषय, वैमनस्य और ईर्ष्या का जन्म दिया। ब्रिटिश शासक यह भूल ही गये या यूँ कहा जाये कि उन्होंने इस तथ्य की जानबूझ कर उपेक्षा की कि यदि अल्पमत के कुछ अधिकार होते हैं तो बहुमत के भी कुछ अधिकार होते हैं। उन्होंने बहुमत की कीमत पर अल्पमत वालों की अनुचित एवं भारतीयों के सामान्य हितों के विपरीत भी मांगों को स्वीकार किया।

अल्पमतों को संवैधानिक संरक्षण

संवैधानिक विकास को अवरुद्ध करने के लिए अंग्रेजों ने "फूट डालो और शासन करो" की नीति को संवैधानिक सुधारों का अंग बना दिया। जैसा कि बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर माउण्ट स्टुअर्ट एल्फिनस्टन (Mount Stuart Elphinston) ने कहा था कि "रोम की आदर्श नीति विभाजन करो और शासन करो की थी। हमारी नीति का उद्देश्य भी यही होना चाहिए।"

पृथक् निर्वाचन प्रणाली, गुम्हार पद्धति आदि की संवैधानिक व्यवस्थाएँ स्पष्टतया साम्प्रदायिक भावनाओं के विकास के लिए की गयी थीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ब्रिटिश शासक इन व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय एकाता, प्रजातन्त्र और ससदात्मक प्रणाली के विरुद्ध स्वीकार करने में परतु फिर भी उन्हें संवैधानिक नियमों में उल्लिखित करते थे। सबसे प्रथम 1909 के मॉर्ले मिण्टा सुधारों में इसे लागू किया गया, सन् 1918 की माण्टफोर्ड रिपोर्ट ने इसी भत्सना की परतु सन् 1919 के

माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुघारो मे इनका विस्तार कर इ हें सगटित विया गया, सन् 1930 मे प्रकाशित साइमन रिपोर्ट म इसकी आलोचना की गयी परन्तु इह वतमान परिस्थितियो मे आवश्यक बताया गया, सन् 1930-31 के गोल मज सम्मेलना मे श्री वेजवुड वेन पृथक निर्वाचन वा विरोध कर रहे थे परन्तु अगस्त 1932 के मैकडोनल्ड पचाट ने निर्वाचन को 17 वर्गों मे (दलित वर्गों को भी हिन्दुओं से पृथक करने की कोशिश की) विभक्त कर दिया। जेटलैण्ड, एमरी चर्चिल, लिलियगा जैसे ब्रिटिश राजनीतिज्ञो की नीति ने मुस्लिम लीग को सवधानिक बीटो प्रदान कर दिया। सन् 1942 के त्रिप्स प्रस्तावो मे पाकिस्तान की भाग को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया गया, सन् 1946 के केबिनेट मिशन योजना मे पाकिस्तान की भाग को अस्वीकार तो विया गया परन्तु उसकी नीव अनिवाय "धुप व्यवस्था" म रखी गयी। 20 फरवरी 1947 की प्रधान मंत्री एटली की घोषणा से "मुस्लिम पृथक्तावाद का वढावा मिला।" 3 जून 1947 की लाड माउण्ट बेटन की योजना देश के विभाजन पर ही आधारित थी। इस तरह अंग्रेजा की नीति ने ही विभाजन को प्रोत्साहन दिया।

8 शांतिपूर्ण राष्ट्रीय आन्दोलनों का दमन—कार्योस द्वारा चलाये जाने वाले शांतिपूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलनों को ब्रिटिश शासक ने "विरोध", "राजद्रोह", "उपद्रव और 'पडयान की सजायें देकर उनका दमन किया, स्वेच्छाचारी और क्रूर तरीको वा अपनाया गया। सन् 1909 के बग-भग आन्दोलन, सन् 1920-22 के असहयोग आन्दोलन, सन् 1930 के नमक सत्याग्रह, सन् 1932 और 1940 के व्यक्तिगत आन्दोलन और 1942 के भारत छोडो आन्दोलनों का दमन बड़ी निदयतापूर्वक किया गया। नमक सत्याग्रह के समय ब्रिटिश शासको द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया मानो ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गयी ही। सन् 1919 म जलियावाला बाग मे शांतिपूर्ण भीड पर गोलियो की बौद्धार सवदा ब्रिटिश भारत के शासन को कलकित करती रहेगी।

9 साम्प्रदायिक दगो के प्रति उदासीनता—ब्रिटिश शासक तथा नीकरशाही निहृदये, निर्दोष और शांत लागो की भीड पर गोलियो और बमा की बौद्धार कर सकती थी परन्तु साम्प्रदायिक दगो का दमन या इनसे भयभीत लोगो की रक्षा नहीं कर सकती थी। सन् 1946-47 के साम्प्रदायिक दगा मे तो ऐसा दिखाई देता था कि इनके पीछे ब्रिटिश नीकरशाही का कोई पडयान था ताकि स्वय भारतीय ही अंग्रेजो को भारत मे रहने के लिए प्राथना करें। जसाकि 21 नवम्बर, 1946

को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में श्री नेहरू ने कहा था कि "लीग और उच्च ब्रिटिश अधिकारियों में मानसिक समझौता था।"¹

10 जातियों में समझौते के प्रयासों को अवरुद्ध करना—जब जब भारतीय जातियों ने तथा उनके राजनीतिक दलों ने साम्प्रदायिक समस्या के समाधान का प्रयास किया तब-तब ब्रिटिश शासकों ने उसे अवरुद्ध करने का प्रयास किया। उदाहरणतया जब 1916 में कांग्रेस-लीग योजना द्वारा सुधारों और साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ तो ब्रिटिश शासकों ने इस समझौते के साम्प्रदायिक भाग को तो स्वीकार कर लिया और सुधारों से सम्बन्धित भाग को स्वीकार नहीं किया। याजना को अंशतः स्वीकार करना अनुचित था। ब्रिटिश सरकार की इस नीति ने साम्प्रदायिक और पृथक्तावादी तत्त्वों को बढ़ावा दिया। दूसरे, 3 नवम्बर, 1932 को जब हिन्दुओं, सिक्खों, मुसलमानों, और भारतीय ईसाइयों के प्रतिनिधि इलाहाबाद में साम्प्रदायिक समस्या पर विचार करने के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण में एकत्रित हुए तो अनुदारवादी भारत में सी. सेमुएल होर (Samuel Hoare) ने इस बात की घोषणा करके कि मुसलमानों को केन्द्रीय विधान सभा में 33 $\frac{1}{3}$ % प्रतिनिधित्व दिया जायगा, मुसलमानों को एकता प्रयासों से पृथक् करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय जातियों से समझौता करने के स्थान पर मुसलमान अपने अंग्रेज सरक्षकों से सहयोग करने लगे। तीसरे, जब भारत छोड़ो आन्दोलन के समय जब कांग्रेस परेशानी में थी तो लीग ने प्रांतों के गवर्नरों से प्रोत्साहन पाकर पांच प्रांतों में मुस्लिम लीग सरकारों का निर्माण किया। लीग सरकारों के निर्माण से लीग और जिना का महत्त्व बहुत बढ़ गया।

उपरोक्त बखाने से यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासकों ने ही अपने व्यवहार और नीतियों द्वारा भारतीय साम्प्रदायिक समस्या को उभारा, समय-समय पर उसका पोषण कर उसका विकास किया, जातियों को संयुक्त हानि से रोका, उनमें फूट डाल कर उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया तथा पिछले गुरुओं और अवसरवादियों की कतारों का खड़ा कर विभाजन की रूपरेखा तैयार की। ताराचंद ने ठीक लिखा है कि "पाकिस्तान की मांग के उद्गम में अग्र कारण कुछ भी रहे हों उसे साधक बनाने में मूल कारण ब्रिटिश शासकों की इच्छा थी। उन्होंने मुस्लिम पृथक्करण के बीजों को बोया, उन्होंने ही उस पौधे को सींचा और अंत में उन्होंने ही उसे फलित किया।"²

(ब) मुस्लिम लीग का उत्तरदायित्व—यदि ब्रिटिश शासन साम्राज्यीय हिंसा

1 'There is a mental alliance between the League and the British officials' Nehru Quoted by Tara Chand Ibid. vol. p. 502

2 Tara Chand, Ibid, vol. IV, p. 334

को सुरक्षित रखने के लिये भारतीय साम्प्रदायिक समस्या के प्रादुर्भाव, पोषण, विकास और अन्ततः विभाजन के लिये मूलतः उत्तरदायी थे तो मुस्लिम लीग भी राजनीतिक सत्ता का प्राप्त करने, कांग्रेस और हिंदुओं की बराबरी करने और मुस्लिम जाति के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए साम्प्रदायिकता का सहारा लेती रही।

मुस्लिम लीग प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय सस्था नहीं थी। इसके उद्देश्य और प्रेरणा के स्रोत राष्ट्रीय नहीं थे। वह एक साम्प्रदायिक सस्था थी। उसके प्रेरणा के स्रोत जाति, धर्म और राज (अग्रज) भक्ति थे। वस्तुतः उसका उदभव कांग्रेस के प्रतिभार के रूप में मुस्लिम हितों और अधिकारों की रक्षा और राजभक्ति के रूप में हुआ था।

मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के साथ "मानसिक समझौता" (mental alliance) करके साम्प्रदायिक भावनाओं का विकास किया। मेहदी अली मुस्तफा हुसन इमाद इल मुल्क, सयद हुसन विलग्रामी मुहम्मद शफी, सलीम उल्ला, अमीर अली आदि न जातीय वैमनस्य की भावनाओं का विकास किया। डा० इकबाल की पृथक मुस्लिम राज्य की मांग, चौधरी रहमत अली की पाकिस्तान की योजना, जिना का द्वि राष्ट्र सिद्धांत ने पृथक्तावादी प्रवृत्तियों को बल दिया। सन् 1939 में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के त्यागपत्र देने पर लीग ने 22 दिसम्बर, 1939 को "मुक्ति दिवस" के रूप में मनाया। पाकिस्तान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त, 1946 को "सीधी कार्यवाही दिवस" (Direct Action Day) के रूप में मनाना लीग के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।

मुस्लिम समाज के उच्च एवं शिक्षित वर्ग की महत्वाकांक्षायें भी पृथक्तावादी प्रवृत्तियों के विकास के लिए उत्तरदायी थीं। इन मुस्लिम वर्गों में ये भावनाएँ जागृत हो गयी थीं कि पृथक मुस्लिम राज्य (पाकिस्तान) के निर्माण से उन्हें सत्ता और प्रभाव के अग्रणी अवसर प्राप्त होंगे। वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, सरकारी पदा आदि के क्षेत्र में अनेक अवसरों के खुलने की सम्भावना बढेगी। क्योंकि समुक्त भारत में हिंदुओं के साथ प्रतियोगिता में मुसलमानों को इतने अवसर प्राप्त नहीं हो सकते थे और क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं था इसलिए पृथक मुस्लिम राज्य की मांग जार पकड़ती गयी। इसमें ब्रिटिश शासकों ने उनका साथ दिया।

यहां यह लिये देना भी उचित होगा कि मुस्लिम लीग और कुछ मुस्लिम नेताओं को छोड़ कर अन्य मुस्लिम समूहों की पृथक मुस्लिम राज्य की मांग मलाई रचि नहीं थी। जमीयत उल उन्नेसा, अह्मद मोमिन गुदाई मन्त्रिमण्डल, राष्ट्र-वादी मुसलमानों के समूहों की इमाम कोई महानुभूति नहीं थी। परन्तु ये मुस्लिम समूह और उनके नेता प्रांतीय स्तर के थे और उनमें जिना का मुस्लिम-मुसलमान विरोध करने का साहस भी नहीं था। परन्तु जब लीग ने 'इस्लाम' स्तर में है का नारा लगाया तो अनेक मुस्लिम समूह तथा मुसलमान उनके प्रभाव में आ

गये और पृथक् मुस्लिम राज्य की माग को बल मिला। केवल जमीयत उल उलेमा, सुदाई खिदमतगार और राष्ट्रवादी मुसलमान ही राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाते रहे।

(स) कांग्रेस का उत्तरदायित्व—यदि अंग्रेज भारत की साम्प्रदायिक समस्या के लिए प्रत्यक्षत उत्तरदायी थे और यदि मुस्लिम लीग अपने सकीण स्वार्थों के कारण उसके लिए उत्तरदायी थी तो कांग्रेस भी अद्वैतदर्शिता और तुष्टिकरण की नीति के कारण उसके लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी थी। यद्यपि कांग्रेस एक राष्ट्रीय सस्था थी, उसके उद्देश्य, काम और नीतियां राष्ट्रीय और धर्म निरपेक्ष भावनाओं से प्रेरित होती थी परंतु फिर भी मुस्लिम लीग के प्रति अपनाई गयी तुष्टिकरण की नीति ने पृथक्तावादी तत्वों को बढावा दिया। यद्यपि 1916 का लखनऊ सम्झौता (कांग्रेस लीग योजना) बृहद् राष्ट्रीय एकता के हितों से प्रेरित था परंतु मुसलमानों के लिये पृथक् निर्वाचन प्रणाली और गुरुभार की पद्धति को स्वीकार करना कांग्रेस की भयंकर भूल थी। यह कांग्रेस के प्रजातान्त्रिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के सन्तर्ष विपरीत थी। सन् 1920-22 के राजनीतिक आन्दोलन (असहयोग आन्दोलन) में खिलाफत जैसे धार्मिक और गैर-राष्ट्रीय तत्व को मिलाना अनुचित था। गांधीजी ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जिन्ना के लिए “कायदे आज़म”¹ (Quid-i-Azam या महान् नेता) की उपमा का प्रयोग किया। इससे जिन्ना का राजनीतिक महत्त्व बढने लगा और वह गांधीजी की बराबरी करने लगा। जवाहरलाल नेहरू के 1937 और 1946 के असामाजिक एवं अव्यावहारिक भाषणों ने भी जिन्ना की हठधर्मिता को दृढ़ कर दिया।

(क) हिन्दू महासभा का उत्तरदायित्व—हिन्दू महासभा की नीतियों ने भी कट्टर धार्मिक भावनाओं के विकास में सहयोग दिया। ‘शुद्धि’ और ‘सगठन’ आन्दोलन के प्रत्युत्तर के रूप में मुसलमानों ने “तनजीम” और “तबलीग” आन्दोलनों को शुरू किया। इस प्रकार के सगठनों ने हिन्दुओं और मुसलमानों में छद्म भेद उत्पन्न कर दिये।

मुस्लिम साम्प्रदायिकता के भिन्न भिन्न काल (Different States of Muslim Communalism)

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुस्लिम साम्प्रदायिकता को चार कालों में विभक्त किया जा सकता है। ये काल निम्न प्रकार विभक्त किये जा सकते हैं —

- (i) प्रथम काल 1757 से 1876 तक
- (ii) दूसरा काल 1876 से 1906 तक
- (iii) तीसरा काल 1906 से 1940 तक
- (iv) चौथा काल 1940 से 1947 तक

1 See Azad, Maulana Abul Kalam India Wins Freedom, p 93

प्रथम काल (1757-1876) इस काल में ब्रिटिश शासकों की नीति "आंग्ल हिंदू सहयोग" और आंग्ल मुस्लिम विरोध" की थी। जसाकि लार्ड एलनबर्ग ने कहा था कि "मुसलमान जाति हमारे विरुद्ध है और इसलिये हमारी सच्ची नीति हिंदुओं को प्रसन्न करने की है।" अंग्रेजों ने मुसलमानों को राजनीतिक सत्ता से अपदस्थ किया था इसलिये वे उन्हें शका की दृष्टि से देखते थे। स्वभावतः अंग्रेजों ने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया जिससे मुस्लिम जाति का विनाश हो। शासन, वाणिज्य और उद्योग में उनका बहिष्कार किया गया, उनकी शिक्षा पद्धति (फारसी और अरबी) को नष्ट किया गया उनकी सारी फौजदारी याय व्यवस्था का पतन कर अंग्रेजी न्याय व्यवस्था को अपनाया गया। नामन लिखते हैं कि "1871 में बंगाल में 2141 राजपत्रित पद थे। इनमें से 1338 पर यूरोपीय, 711 हिंदू और 92 पर मुसलमान थे। एच० सी० ब्राउन लिखते हैं कि सन 1857-1868 तक 240 भारतीयों को उच्च न्यायालय में बकायत के लिये अनुमति दी गयी। इनमें मुसलमान केवल एक था।

मझेप में यह काल आंग्ल मुस्लिम द्वेष का काल था। इसमें मुसलमानों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य पतन हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों में असंतोष और उपेक्षित अल्पसंख्यक वर्ग की भावनाएँ जागृत हुईं।

वहाबी आंदोलन इस काल में भारतीय मुसलमानों ने अपनी स्थिति सुधारने के लिये अनेक प्रयास किये। अरब के वहाबी आंदोलन का प्रभाव सयद अहमद ब्रेलवी (Sayyid Ahmed Brelvi) पर अत्यधिक पडा। उन्होंने इस आंदोलन को भारत में सन् 1820 में शुरू किया। यह आंदोलन यद्यपि धार्मिक शुद्धि के लिये था परंतु भारत में यह प्रातिकारी बन गया। इसका सम्बन्ध सबसाधारण से था। वहाबियों ने ब्रिटिश शासकों और हिंदुओं के विरुद्ध 'जहाद (धार्मिक युद्ध) छोड़ दिया। महता और पटवर्धन लिखते हैं कि 'हर जगह उसने और उसके शिष्यों ने मुस्लिम जनता को भ्रम और दिया और सारे दश में जोश की लहर दौड़ पड़ी।' इस आंदोलन की शक्ति इतनी मूल थी कि डा० हण्टर ने इसे 'महान धार्मिक आंदोलन की सना दी है।' ब्रिटिश सरकार ने भी इस आंदोलन का दमन बड़ी निदयता निर्गमता और राजद्रोह के रूप में किया परंतु इससे पूर्व कि यह आंदोलन भारत में समाप्त होता उसने सबसाधारण में विद्रोह की भावनाएँ पैदा कर दी थी। सर जॉन कनो का मत है कि विद्रोह (सन् 1857 के विद्रोह) के प्रमुख चालक मुसलमान थे और एच० सी० ब्राउन का मत है कि 'य मुसलमान निस्संदेह वहाबी थे।'

दर्यावाद् स्कूल दिल्ली के शाहवाली उल्ला (Shah waliullah) ने अंग्रेजों के विरुद्ध 'जहाद आंदोलन' शुरू किया। यह आंदोलन उनकी शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में अत्यधिक सन्धिये रहा। सन् 1857 के विद्रोह में भी इसने अत्यधिक सहयोग दिया। इस आंदोलन में दर्यावाद् (Deoband) में नदवत उल

उलेमा (Nadwat ul ulema) के नाम से एक स्कूल की भी स्थापना की, यह स्कूल ब्रिटिश विरोधी और साम्राज्य विरोधी भावनाओं से प्रेरित था। यह आन्दोलन हिंदू विरोधी नहीं था, ब्रिटिश विरोधी था।

सामाजिक और धार्मिक आन्दोलन—उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक सामाजिक और सुधारवादी आन्दोलन ने जहाँ राष्ट्रीय जागृति को उत्पन्न किया वहाँ धार्मिक और जातीय भावनाओं को भी उत्पन्न किया। आय समाज इस्लाम, ईसाई आदि धर्मों की भत्सना करता था। दूसरी ओर मौलवी और पादरी हिंदू धर्म की निंदा करते थे। इस जाल में जहाँ हिंदुओं में पश्चिमी शिक्षा के विस्तार के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, बम्बई में दयानंद कालिज तथा बनारस में हिंदू कालिज की स्थापना की गयी वहाँ सर सयद अहमद खा ने अलीगढ़ में मेयो कालिज (M A O College) की स्थापना की।

सक्षेप में, इस काल में “आंग्ल मुस्लिम विरोधी भावनाओं” के साथ साम्प्रदायिक भावनाएँ भी क्षितिज पर उभरती हुई नजर आने लगी।

दूसरा काल (1876-1906)—साम्प्रदायिक विचारों के विकास की दृष्टि से इस काल की प्रमुख घटनाएँ निम्न हैं —

- (i) सर सयद अहमद खा के काय
- (ii) ब्रिटिश शासकों की फूट डालो और शासन करो की नीति का श्रीगणेश—बंगाल विभाजन
- (iii) सन् 1906 का मुस्लिम शिष्टमण्डल

(i) सर सयद अहमद खा के कार्य—सर सयद अहमद खा ही एक ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने मुसलमानों में राजनीतिक चेतना के विकास के साथ उनमें जातीय गव की भावनाओं का प्रादुर्भाव किया। उन्होंने ही मुसलमानों में अंग्रेज (राज) भक्ति की भावनाओं का संचार किया तथा अंग्रेजों और मुसलमानों के मध्य की खाई को पटाया। उन्होंने ही सभी जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के स्थान पर केवल मुस्लिम अधिकारों की मांग को प्रस्तुत किया। सक्षेप में सर सयद अहमद ने मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीयता के वेग से पृथक् रखने का प्रयास किया तथा उनमें पृथक्तावादी भावनाओं का संचार किया।

सर सयद अहमद की धारणा थी मुस्लिम जाति अंग्रेजों की कृपा से पनप सकती है। इसलिये उन्होंने मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति भक्ति की भावनाएँ पैदा करने के लिये “भारत के राज भक्त मुसलमान” (Loyal Mohammedans of India) नामक पत्रिका निकालनी शुरू कर दी। इस पत्रिका के माध्यम से सर सयद ने मुसलमानों और ईसाइयों में धार्मिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया। ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य गततफहूमिया को दूर करने के लिये तवीयन उल-कलाम (Tabyin Ul Kalam) के नाम से दार्इबल पर एक

लिखी। सर सयद ने "रिसाला सवाय दगावते हि द" और 'रिसाला सर रहान मुसलमान' लिख कर यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया कि सन् 1857 के विद्रोह में मुसलमानों का कोई दाप नहीं था। हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को एक स्थान पर रखने से ही विद्रोह की भावनाएँ उत्पन्न हुई थी। सन् 1871 में जब सर विलियम हण्टर की पुस्तक "हमारे भारतीय मुसलमान (Our Indian Mussalman)" प्रकाशित हुई तो सर सयद ने प्वाइनियर (Pioneer) में प्रभावपूर्ण ढंग से प्रत्युत्तर (rejoinder) लिखा जिसने, "यायमूर्ति शाहदीन के शब्दों में, "उन सरकारी अधि कारियों में भी विश्वास पैदा कर दिया जो (मुसलमानों पर) अविश्वास करते थे और मुसलमानों की राज भक्ति पर बुद्धि समय से जा वादल मण्डरा रहे थे वे दूर हो गये।" इस तरह सर सयद ने हर सम्भव प्रयास से मुसलमानों पर अभक्ति के घण्टे को मिटाने का प्रयास किया।

सर सयद अपने अनुयायियों में इस भावनाओं का संचार करते थे कि "वे कोई ऐसा कार्य न करें जिससे सरकार को उनकी राज भक्ति में किसी प्रकार का कोई सन्देह हो।" श्री के० के० अजीज लिखते हैं कि ब्रिटिश जाति और ब्रिटिश सत्ताओं के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी अधिक थी कि वह "दासत्व"¹ की स्थिति में पहुँच गई थी। सरकार की नीतियों के प्रति किसी प्रकार के मतभेद का वे प्रबल विरोध करते थे तथा सहधर्मावलम्बियों को राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने से मनाही करते थे। उनके लिये राजनीतिक आलोचना और असहमति का पर्यायवाची थी परन्तु सरकार की भक्ति, उसका समर्थन और सहयोग राजनीति नहीं थी।

मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रति लगाव पैदा करने के लिये सन् 1876 में अलीगढ़ में मुहम्मदन ऐंग्लो ओरियेंटल कॉलेज (Mohammedan Anglo-Oriental College) की स्थापना की।

यही कॉलेज ही, समय पाकर भारत में मुस्लिम राजनीति का केंद्र बन गया।

सर सयद ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक् रखने का प्रयास किया। उन्होंने ही ऐंग्लो मुस्लिम सांस्कृतिकी का वढ़ावा दिया। जो सर सयद सन् 1884 तक हिंदू मुसलमानों को "भारत माता की दो आँखें" समझते थे सन् 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उसके सदस्य नहीं बने। उन्होंने अनेक मुस्लिम नेताओं को भी इसका सदस्य बनने नहीं दिया। इतना ही नहीं सन् 1887 में उन्होंने मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन (Muslim Educational Conference) की स्थापना की जिसका आविर्भाव ठीक उस समय और उस स्थान पर हुआ जहाँ कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे। सन् 1888 में जब ब्रिटिश शासकों की नजर

1 Aziz K K The Making of Pakistan p 20 Quoted by Tara Chand, Ibid, Vol III, p 386

म कांग्रेस घटाने लगी तो सर सैयद ने बनारस के राजा शिवप्रसाद की सहायता से "भक्त एसोसियेशन (Patriotic Association) की स्थापना की। इसका मूल उद्देश्य कांग्रेस का विरोध करना और उसके कार्यों को निष्फल बनाना था। बूचान लिखते हैं कि उन्होंने "मुसलमानों को निस्सहेंह रूप से राजद्रोही दल में भर्ती होने से राक दिया, उपद्रव के बादल मण्डरा रहे थे और उन दिनों इस रोक का असाधारण महत्त्व था।"

सर सयद अहमद खा ने प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली का भी विरोध किया। उनका विश्वास था कि निर्वाचन प्रणाली द्वारा मुसलमान परिपदा में बहुमत को वभी प्राप्त नहीं कर सकेगा क्योंकि वे अल्पमत में हैं। सन 1892 के परिपद अधिनियम के बाद उन्होंने एन स्मृति पत्र तयार किया जिसमें प्रतिनिधि सस्थाओं का विरोध किया गया। सन् 1893 में मुसलमानों के हिता की रक्षा के लिये उन्होंने मुहमडन ऐंग्लो आरियंटल डिफेंस एसोसियेशन (Mohammedan Anglo Oriental Defence Association) की स्थापना की। इसका उद्देश्य भी मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक् करना था।

सक्षेप में, सर सैयद अहमद खा ही प्रथम मुस्लिम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय शक्तिया में सम्मिलित होने से रोका।

(ii) ब्रिटिश शासकों की 'फूट डालो और शासन करो' की नीति का शीर्षक बंगाल विभाजन—कांग्रेस की बढ़ती हुई राजनीतिक गतिविधियाँ और राष्ट्रीय भावनाओं से ब्रिटिश नौकरशाही अत्यंत चिंतित हुई। उसने यह अनुभव करना शुरू कर दिया कि वह समय आ गया है जबकि "विरोधियों" (Irreconcilables) को पृथक् किया जाय और 'समझौते की इच्छा रखने वालों' को मित्र बना कर उन्हें साथ मिला लिया जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अंग्रेज शासकों ने, अथवा साम्राज्यवादी शासकों की भाँति भारतीय जातियों में 'फूट डालने' की नीति को अपनाया हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक् रखने की कोशिश की। कांग्रेस को निबन्ध करने के लिये उसे हिंदू सस्था की सजा दी गयी इस बात का प्रचार किया गया कि कांग्रेस मुस्लिम हिता के विरुद्ध है। सर सयद अहमद जैसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं का मुस्लिम राष्ट्रवादी बना दिया। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में जब कांग्रेस में उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा तो अंग्रेजों ने अपना मेकियाविलियन तरीका के उस्तरे (Machiavellian Razor) को और तेज कर दिया। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीयों के प्रचण्ड विरोध पर भी बंगाल का विभाजन करना ब्रिटिश शासकों की फूट डालो और शासन करो की नीति का द्योतक है। इसके द्वारा जहाँ लॉर्ड कर्जन बंगाली और भारतीय राष्ट्रीयता का खण्डित करना चाहता था वहाँ वह मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत की स्थापना भी करना चाहता था। लॉर्ड कर्जन ने मुसलमानों को स्पष्ट कहा था कि 'मैं तुम्हें एन मुस्लिम प्रांत दे रहा हूँ।' पूर्वी बंगाल और अरम के उप गवर्नर सर बैमफाइड फुलर (Sir Bamfylde Fuller)

के शब्दा में भी ब्रिटिश नीति की दुष्टता स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा था कि "मेरी दो पत्नियाँ हैं, एक हिन्दू और दूसरी मुस्लिम परन्तु मुस्लिम पत्नी मुझे अधिक प्रिय है।" इस तरह धर्म के आधार पर पृथक् मुस्लिम प्रांत (पूर्वी बंगाल और असम) का निर्माण अंग्रेजों की 'फूट डालो और शासन करो' की नीति का प्रथम मूल प्रमाण था। यह "देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों के सम बल के (Counterpoise of natives against natives) के कार्यक्रम में एक प्रमुख कदम था।

मुसलमानों का राष्ट्रीय आंदोलन में पृथक् रखने में मेया कॉलिज के प्रथम अंग्रेज प्रिंसिपल थियोडोर बैक (Theodore Beck) का प्रमुख हाथ था। श्री बैक के प्रभाव के कारण ही सर सयद अहमद खां राष्ट्रवादी मुसलमानों से मुस्लिम राष्ट्रवादी बने थे। श्री बैक ने ही उनके मस्तिष्क में इन विचारों का संचार किया कि "जहाँ एंग्लो मुस्लिम मैत्री से मुस्लिम जाति की दशा सुधरेगी वहाँ राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होने से उन्हें पसीना, श्रम और आस ही प्राप्त होंगे।"

(iii) सन् 1906 का मुस्लिम शिष्टमण्डल-पृथक् निर्वाचन की मांग— भारत में सुधारों की आवश्यकता पर विचार करने के लिये लाड मिटो ने सन् 1906 में एक समिति का गठन किया। इसके माध्यम से लाड मिटो दो उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता था। एक तो वह कांग्रेस के उदारवादी पक्ष को सुधारों का लालच देकर उग्रवादियों से पृथक् करना चाहता था ताकि वे सरकार की ओर आकर्षित हो सकें, दूसरे, वह मुसलमानों को पृथक् मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिये उत्साहित था। इन दोनों उद्देश्यों में उस सफलता मिली।

सुधारों के सम्बन्ध में मुस्लिमों की मांगों को प्रस्तुत करने के लिये माननीय आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमण्डल लाड मिटो का अक्टूबर 1906 का शिमला में मिला। इस मुस्लिम शिष्टमण्डल ने ही मुसलमानों की हिंसा की रक्षा के लिये पृथक् निर्वाचन प्रणाली और साम्राज्यीय विधान परिषद में लेकर जिला बोर्डों तक मुसलमानों के लिये वजन (Weightage) पद्धति की मांग की। इस शिष्टमण्डल द्वारा प्रस्तुत की गई मांगें¹ मुख्यतः निम्न थीं—

(a) सभी सभाओं में—सांख्यिक, सैनिक तथा यायिक—मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तथा बिना प्रतियोगिता परीक्षा के उच्च पदां पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए।

(b) विश्वविद्यालयों की सिण्डिकेट्स और गवर्नमेंट में, नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों की परिषदों में मुसलमानों के लिये स्थानों की सुरक्षा रखा जाना चाहिए।

(c) प्रांतीय परिषदों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिये पृथक् निर्वाचन प्रणाली हानी चाहिए। इस प्रतिनिधियों की संख्या मुसलमानों की जन

सत्या के अनुपात में नहीं बलिय उनकी जाति के राजनीतिक महत्व के आधार पर होनी चाहिये ।

(d) साम्राज्यीय विधान परिषद में मुसलमानों के लिये पृथक निर्वाचन प्रणाली हानी चाहिये । उनकी सत्या पर्याप्त हो ताकि वह प्रभावपूर्ण अल्पमत बना रहे ।

(e) मुसलमानों के धार्मिक और बौद्धिक जीवन के विकास के लिये मुस्लिम विद्यालय की स्थापना के लिये सहायता दी जाय ।

इस शिष्टमण्डल के प्रति लाड मिंटो का दृष्टिकोण पूणतया सहानुभूतिपूर्ण था । शिष्टमण्डल के स्वागत में लाड मिंटो १ जिन भावा और शब्दों का व्यक्त किया उनमें स्पष्ट है कि इसे सरकारी आदेशानुसार ही निर्मित किया गया था तथा इसके माध्यम से सरकारी कामुरी बजाई जा रही थी । लाड मिंटो के शब्द तो इतिहास में "मुस्लिम अधिकारों के चार्टर" (Charter of Islamic Rights) के नाम से प्रसिद्ध है । लाड मिंटो ने कहा था कि—

"तुम्हारी प्रार्थना का सार तब, जनाब मैं समझ पाया हूँ, इस बात की मांग है कि किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रणाली में जिममें निर्वाचन के सिद्धांत को लागू किया जाय, उसमें मुसलमानों को जाति के आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय । तुम्हारी यह मांग उचित ही है कि तुम्हारी जनमर्या के आधार पर नहीं अपितु तुम्हारी जाति के राजनीतिक महत्व और साम्राज्य के प्रति तुम्हारी मवाओ के आधार पर आनी जानी चाहिये । मैं तुमसे पूणतया सहमत हूँ ।"

भारतीय राजनीतिक जीवन की यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी परंतु न तो 1906 की कांग्रेस ने और न ही भारतीय प्रेस ने इस ओर कोई ध्यान दिया । ब्रिटिश नौकरशाही अपनी इस सफलता पर अत्यंत प्रसन्न थी । उसने अपनी चालाकी और मकानों से भारत के 6 करोड़ 20 लाख मुसलमानों को भारतीय जन-जीवन से पृथक कर दिया था । वायसरॉय के एक उच्च अधिकारी ने इस दिन के वार में ठीक लिखा है कि "आज एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गयी है । राजनीतिज्ञता का एक ऐसा वाय हा गया है जो कि भारत और भारतीय इतिहास का कई वर्षों तक प्रभावित करता रहेगा । 6 करोड़ 20 लाख व्यक्तियों को राजद्रोही विरोध में सम्मिलित होने से पीछे खींच लिया गया है ।" रमजे मैकडोवल्ड ने भी लिखा है कि "पूव विचारित घृणा के आधार पर हिंदू और मुस्लिम जातियों में घृणा के बीज बो दिए गये ।"¹

सन् 1906 ने शिष्टमण्डल के जो गम्भीर परिणाम निकले उन्हें निम्न विदुआ में व्यक्त किया जा सकता है—

1 Quoted by Tara Chand, Vol III p 398

(a) इतिहास में पहली बार मुस्लिम जाति न भारत की अन्य जातियों से पृथक एक "विशिष्ट जाति" (Distinct Community) के रूप में काय किया।

(b) शिष्टमण्डल को भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था मान लिया गया जबकि शिष्टमण्डल का कोई भी सदस्य न तो भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था और न ही उनके द्वारा निर्वाचित किया गया था।

(c) मुस्लिम जाति को "राष्ट्र के अंदर राष्ट्र" (A Nation Within a Nation) मान लिया गया।

(d) हिंदू और मुस्लिम जातियों को पृथक मान लिया गया। ताराचंद ने ठीक जितना है कि "शिमला शिष्टमण्डल साम्प्रदायिक मंच पर सबसे बड़ा प्रदर्शन था।"¹

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि पृथक मुस्लिम निवाचन और गुरुभार पद्धति की मांग 1906 के मुस्लिम शिष्टमण्डल न की, वायसराय लाड मिंटो ने इन मांगों को 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में वैधानिक रूप प्रदान कर दिया। इस तरह भारतीय राजनीति में "सापा की उस पिढारी" को खोल दिया गया जिन्होंने भारतीय राष्ट्रियता और अखण्डता को उभर लिया। एक आलोचक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 'पाकिस्तान के वास्तविक पिता जिना या चौधरी रहमत अली नहीं थे बल्कि लाड मिंटो थे।'

तीसरा काल (1906-1940)—साम्प्रदायिक राजनीति के विकास की दृष्टि से यह काल सबसे महत्वपूर्ण है। इस काल में ही उम साम्प्रदायिक शिशु का पोषण किया गया जिसका बीजारोपण सर सयद अहमद खा सिस्त्रिपल बक और आची विल्ड, डनलप स्मिथ और मिंटो ने किया था। इस काल की प्रमुख साम्प्रदायिक घटनाओं को निम्न बिंदुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—

- (i) अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना
- (ii) कांग्रेस लीग प्रमोद काल-लखनऊ सम्मेलन
- (iii) साम्प्रदायिक दंगे-मोपला विद्रोह जिन्ना की चौदह शर्तें
- (iv) पृथक मुस्लिम राज्य के विचारों का प्रादुर्भाव
- (v) जिन्ना का एक मात्र नेतृत्व
- (vi) कांग्रेस विरोधी दृष्टिकोण तथा मुक्ति दिवस
- (vii) "फूट डालो शासन करो" की नीति का विस्तार

(i) अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना—अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (All Indian Muslim League) की स्थापना 30 दिसम्बर, 1906 को की गयी। परंतु लीग का प्रथम अधिवेशन अमृतसर में 1908 में हुआ।

लीग के मुख्य उद्देश्य निम्न थे —

- (a) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावनाओं का विकास करना ।
- (b) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना एवं उनका विकास करना तथा इनकी प्राप्ति के लिये शासन से निष्ठापूर्वक प्रार्थना करना ।
- (c) उपयुक्त सिद्धांतों को ठेस पहुँचाये बिना भारत की भिन्न जातियों में पारस्परिक मैत्री भावनाओं का विकास करना ।

जसा कि आगा ख़ान ने अपने सस्मरणों में लिखा है कि मुस्लिम लीग "राष्ट्र के अंदर एक राष्ट्र के रूप में ब्रिटिश सरकार से एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में मायता प्राप्त करना चाहती थी ।"¹

मुस्लिम लीग के उपयुक्त उद्देश्यों से स्पष्ट है कि यह एक राष्ट्रीय सस्था नहीं थी । इसे राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये स्थापित नहीं किया गया था । यह केवल साम्प्रदायिक, सकीण, और सीमित उद्देश्यों वाला संगठन था । इसे केवल मुस्लिम अधिकारों की रक्षा हेतु स्थापित किया गया था । यह राष्ट्र और देशभक्ति के स्थान पर "राज (ब्रिटिश) भक्ति" पर आधारित थी ।

मुस्लिम लीग की स्थापना से राष्ट्रीय शक्तियों को हानि हुई और साम्राज्यीय, साम्प्रदायिक शक्तियों को बल मिला । हिंदू मुसलमानों के मतभेदों की खाई दिन प्रतिदिन चौड़ी होती गयी । दोनों मगठनों में (कांग्रेस और लीग) शका और ईर्ष्या का विकास हुआ । क्योंकि लीग को ब्रिटिश शासक कांग्रेस का "प्रत्युत्तर" समझते थे इसलिए उसे उनका संरक्षण प्राप्त था । उन्होंने कांग्रेस को हिंदू सस्था कह कर निर्दिष्ट करना शुरू कर दिया ।

(ii) कांग्रेस लीग प्रमोद काल—लखनऊ सम्मेलन—मुस्लिम लीग के प्रारम्भिक काल में उस पर पृथक्तावादी और सम्प्रदायवादी तत्त्वों का प्रभाव अधिक था । ये वे मुसलमान थे जो ब्रिटिश शासकों की कृपा पर जिंदा रहते थे । परंतु 1911 से लीग के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो गया । इस परिवर्तन के मुख्यतया तीन कारण थे—(i) सन् 1911 में बंग भंग समाप्त होने से मुसलमानों को स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मुसलमानों के हितों की उपेक्षा कर सकते थे, (ii) तुर्की के प्रति ब्रिटिश शासकों का शत्रुतापूर्ण व्यवहार देगवर मुसलमानों ने अनुभव किया कि "कांग्रेस के साथ मित्रता करने में ही उनके अधिकार सुरक्षित हैं," (iii) मुस्लिम युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय विचारों का प्रभाव बढ़ रहा था और मौलाना आज़ाद मुहम्मद अली और जफर अली खां लीग पर दबाव डाल रहे थे कि वह अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करें ।

1 The Agha Khan Memoirs Quoted by Tara Chand Vol III, p 404

इस सब का परिणाम यह हुआ कि 22 मार्च, 1913 को लीग ने अपने उद्देश्यों में परिवर्तन कर लिया। अब उसने भारत के लिए स्वशासन के उद्देश्य को अपना उद्देश्य निर्धारित कर लिया। लीग के परिवर्तित उद्देश्यों में कहा गया था कि "ब्रिटिश क्राउन की छत्रछाया में, सर्वैधानिक साधनों द्वारा, भारत के लिये स्वशासन प्राप्त करना है।"

लीग के उपयुक्त उद्देश्यों का कांग्रेस ने स्वागत किया। मुहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और लीग एक दूसरे के निकट आने लगी। लखनऊ में, 1916 में, एक कांग्रेस लीग योजना तैयार की गयी जो लखनऊ समझौते के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अनुसार लीग ने कांग्रेस की स्वशासन की मांग को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिये पृथक् निर्वाचन प्रणाली और गुरुभार पद्धति को स्वीकार कर लिया। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीयता की बहुत बड़ी विजय थी परन्तु इसके लिये कांग्रेस ने जिन सिद्धांतों (प्रजातन्त्र, समुक्त निर्वाचन प्रणाली और धर्म निरपेक्षता) का बलिदान दिया वह बहुत महंगा पड़ा। वस्तुतः पाकिस्तान की नींव के तत्त्वों को इसी समझौते में देखा जा सकता है।

कुछ समय तक (सन् 1916 से 1922 तक) कांग्रेस और लीग एक दूसरे का सहयोग करती रही। परन्तु उनका यह सहयोग सामान्य हितों पर आधारित नहीं था। लीग ने कांग्रेस का साथ केवल इसलिये दिया था कि वह खिलाफत के प्रश्न पर उसका सहयोग चाहती थी और गांधीजी इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता के लिये स्वयं अवसर समझते थे। यही कारण है कि जब चौरी चौरा काण्ड पर गांधीजी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और 3 मार्च, 1924 को तुर्की की राष्ट्रीय सभा (National Assembly) ने खिलाफत को समाप्त कर धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी तो "रेत के ढर" पर उत्पन्न की गयी हिंदू मुस्लिम एकता बरशाही हो गयी और हिंदू मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगों का युग शुरू हो गया।

(iii) साम्प्रदायिक दंगे—मोपला विद्रोह तथा जिन्ना की चौदह शर्तें—अगस्त सितम्बर, 1921 में ही कांग्रेस लीग प्रमोद काल ढीला पड़ता हुआ नजर आने लगा। वस्तुतः 1916-22 के कांग्रेस लीग प्रमोदकाल में भी उनकी एकता बनाबटी थी। लखनऊ समझौते से कांग्रेस और लीग का विलयन (fusion) नहीं हुआ था। दोनों ने अपने अपने पृथक् सगठन को बनाये रखा। असहयोग आंदोलन में भी, जब हिंदू मुस्लिम सहयोग अपनी चरम सीमा पर था, लीग के समक्ष प्रथम उद्देश्य खिलाफत का था, देश के लिए स्वराज्य की मांग उसके लिए द्वितीय स्थान रखती थी। ज्योंही उनके सहयोग का कारण (खिलाफत का प्रश्न) समाप्त हुआ त्योंही लीग ने साम्प्रदायिक विप फैलाना शुरू कर दिया।

भारत में साम्प्रदायिक दंगा का आरम्भ 1921 के मोपला विद्रोह से हो जाता है। खिलाफत के प्रश्न पर मोपला मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं अत्यधिक

उत्तेजित हो गयी थी और उन्होंने छापामार युद्ध शुरू कर दिये थे। जब ब्रिटिश शासकों ने विद्रोह का दमन करने के लिये सेनाया वा प्रयाग विया तो मोपना मुमलमाना ने न केवल प्रशामनिक अधिचारियों की हत्यायें की बल्कि हिंदू पडौंसियों को भी अपने अत्याचारा वा शिकार बनाया। मुहम्मद अली तक ने साम्प्रदायिक भावनाया को उभारने वाले वस्तव्य दिये तथा कुरान मे से मुस्लिम वीरो को गाथाया को दोहराया।

सन् 1923, 1924, 1926 और 1927 के वष साम्प्रदायिक दगो के वष थे। सन् 1922-23 म पजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, हैदराबाद दक्षिण और आंध्र मे अनव स्थानों पर साम्प्रदायिक दगो हुए। सितम्बर 9 और 10, 1924 को कोहाट (उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत म) मे साम्प्रदायिक दगो निकृष्ट (Worst) रूप म प्रकट हुए कि 20 हजार की सारी हिंदू जन सख्या वा नगर से निकलना पडा।¹ सन् 1925 म ये दगो इलाहनाद, दिल्ली और बलकत्ता मे हुए। सन् 1926 म कुल 35² साम्प्रदायिक दगो हुए। सबसे निकृष्ट साम्प्रदायिक दगो बलकत्ता म अप्रैल, मई, और जुलाई 1926 म हुए। दिसम्बर 23, 1926 का एक वट्टर मुसलमान न स्वामी श्रद्धानंद की हत्या, वीमारी की हालत म उनके घर पर, कर दी। इस वष अनेक आय समाजी नेताओ की हत्यायें की गयी। सन् 1927 मे रंगीला रसूल और रिसाला वतमान (Rangila Rasul and Risala Vartaman) के प्रकाशन से हिंदू मुमनमाना मे तनाव की स्थिति बनी रही।

इन साम्प्रदायिक दगो से हिंदू और मुस्लिम दोनों की आत्मायें हिल गयी। हिंदू सभ्यति और सभ्यता वा वचान के लिए स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व मे "शुद्धि" और प० मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व मे "सगठन" (Singathan) आंदोलन को शुरू किया। जहा शुद्धि आंदोलन वा उद्देश्य मुसलमान बने हिंदुओ को पुन हिंदू बनाना था वा "सगठन आंदोलन वा उद्देश्य हिंदुओ को सगठित करना था। इसी प्रकार अनेक हिंदू सगठना की स्थापना की गयी जैसे अरिल भारतीय हिंदू शुद्धि सभा, दयानंद मुक्ति मिशन, दत्त उदार सभा, हिंदू अबला आश्रम, शुद्धि सभा, अरिल भारतीय दायिय सभा। राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ (R S S) की स्थापना भी डा० के० वी० हेडवाड (Dr K B Hedgewar) न सन 1925 मे की। "आडर आफ दी यूथ" (Order of the Youth) की स्थापना भी सन् 1928 मे की गयी।

दूसरी ओर डा० बिषतू ने तबलीग (Tabligh) और "तनजीम" (Tanzim) आंदोलनो को शुरू किया। तबलीग वा उद्देश्य इस्लाम धम वा प्रगतिार करना था

1 See Tara Chand, Ibid, Vol IV p, 19

2 See Tara Chand, Ibid, Vol IV p 105

श्रीर तनजीम का उद्देश्य मुसलमानों को संगठित करना था। पजली हुसैन ने तो हिंदुओं के दलित वर्ग को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उत्तेजित भी किया।

इन साम्प्रदायिक दलों और साम्प्रदायिक भावनाओं के विवाग का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेसी और राष्ट्रवादी मुसलमान भी मुस्लिम लीग के प्रभाव में आने लगे हिंदू मुस्लिम सहयोग कठिन होता गया और साम्प्रदायिक भावनाएँ तीव्र होती गयीं। जिन्ना जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान भी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण अपना लगे।

इस काल में जहाँ साम्प्रदायिक दलों का दौर चम रहा वहाँ 'हिंदू मुस्लिम एकता' उत्पन्न करने के लिये भी अनेक प्रयास किये गये। सन् 1923 के राष्ट्रीय सम्मेलन और बंगाल सम्मेलन इसी दिशा की ओर प्रयास थे। गांधीजी इन साम्प्रदायिक दलों से इतने दुःखी थे कि उन्होंने अपने देशवासियों के पापा को धोने के लिये 16 सितम्बर 1924 को 21 दिन का व्रत रखा। परन्तु इस व्रत का कोई निश्चित फल नहीं हुआ और इसका प्रभाव अल्पकालीन ही रहा। एकता पचायत, नवम्बर 1924 का बम्बई सार्वजनिक सम्मेलन, सितम्बर, 1927 का एकता सम्मेलन, माच और मई 1928 के सार्वजनिक सम्मेलन इसी दिशा की ओर सवेत करते हैं परन्तु किसी एकता प्रयास को सफलता नहीं मिली।

साइमन आयोग के बहिष्कार और सयुक्त निर्वाचन प्रणाली के प्रश्न पर सन् 1927 में लीग दो भागों में विभक्त हो गयी। एक भाग का नेतृत्व मुहम्मद शफी कर रहे थे जो साइमन आयोग का समर्थन करना चाहता था और सयुक्त निर्वाचन प्रणाली का विरोधी था। दूसरे भाग का नेतृत्व मुहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे जो साइमन कमीशन का बहिष्कार करना चाहता था और सयुक्त निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में था। मुहम्मद शफी के नेतृत्व में लीग के एक भाग का अधिवेशन लाहौर में और दूसरे का जिन्ना के नेतृत्व में बलकत्ता में हुआ।

कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए जिन्ना के मुस्लिम लीग के भाग ने निम्न शर्तों प्रस्तुत की —

- (a) सिंधु को एक पृथक प्रांत बना दिया जाय
- (b) उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में सुधारों को लागू कर दिया जाय
- (c) केन्द्र में मुस्लिम सदस्यों की संख्या कम से कम एक तिहाई होनी चाहिये।
- (d) जन संख्या के आधार पर भिन्न भिन्न जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जायें अर्थात् जिन प्रांतों में हिंदू बहुमत है वहां मुसलमानों के लिये और जहां मुस्लिम बहुमत है, जैसे पंजाब और बंगाल में वहां हिंदुओं के लिये, स्थान सुरक्षित हों।

परन्तु जब कांग्रेस ने इन शर्तों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया तो जिना को बड़ी निराशा हुई और उसने हिन्दू-मुस्लिम सहयोग की आशायें त्याग दी।

नेहरू रिपोर्ट को लीग ने इस कारण अस्वीकार कर दिया कि उसमें पृथक् निर्वाचन और गुटभार पद्धति की व्यवस्था नहीं थी। जिना ने लीग के शफी ग्रुप के साथ भिन्नतर नेहरू पस्तावों के स्थान पर चौदह सूत्रों को प्रस्तुत किया जिन्हें जिना की चौदह शर्तें कहते हैं। इस समय मुस्लिम नेता ब्रिटिश नेता नौकरशाही सभी प्रोत्साहन पा रहे थे। जब कांग्रेस 1930-31 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में रत थी तो लीग उसमें पृथक् रही। ब्रिटिश नौकरशाही ने लीग को कांग्रेस से पृथक् करने के लिए अगस्त 1932 के मॅकडोनेल्ड पचाट में जिना की शर्तों को स्वीकार कर लिया। जहाँ कांग्रेस ने साम्प्रदायिक पचाट का विरोध किया वहाँ लीग ने उसे स्वीकार किया।

साम्प्रदायिक दंगों के कारण—पृथक् मुस्लिम राज्य की मांग की व्याख्या करने से पूर्व उन कारणों को जान लेना अध्ययन की दृष्टि से लाभकारी होगा जिनके कारण साम्प्रदायिक दंगे हुए। ये कारण मुख्यतया निम्न थे—

(a) जातियों के धार्मिक दृष्टिकोणों में अंतर—हिन्दू और मुस्लिम जाति के देवी देवता और पूजा के तरीकों में भिन्नता होने से साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ावा मिला। हिन्दुओं में अनेक देवी देवता होने से उनमें पारस्परिक सहिष्णुता की भावनाएँ थीं। हर हिन्दू अपनी इच्छानुसार अपने देवी-देवता की पूजा करता था। दूसरी ओर मुसलमान एक 'अल्लाह' को ही मानते थे और इस्लाम धर्म में विश्वास न करने वाला को वे 'काफिर' कहते थे जिनका धर्म परिवर्तन करना वे अपना धर्म समझते थे।¹ हिन्दू मन्दिरो में आरती के समय घंटियों और ढोलका तथा सुरोद को आवाज को नमाज में हस्तक्षेप समझा जाता था। जना कि नेहरू जी ने लिखा है कि "आरती और नमाज विरोधी विवाद ने महान् रूप धारण कर लिया। चाँदी वमनस्य का एक वाक्य "गाय" भी थी। जहाँ हिन्दू गाय को 'माना मनन्दक' उमरी पूजा करते थे वहाँ मुसलमान गौ-हत्या में विश्वास करते थे। हिन्दुओं के 'शुद्धि' और 'गगटन' आन्दोलन और मुसलमानों के 'तबरी' और 'तनजीम' आन्दोलन न भी साम्प्रदायिक भावनाओं को फँसाने में सहयोग दिया।

(b) ब्रिटिश सरकार की नीति—क्योंकि साम्प्रदायिक दंगों में ब्रिटिश साम्राज्यीय हित साक्षर होने के कारण नौकरशाही इन दंगों के प्रति उदासीन नहीं। इतना ही नहीं साम्प्रदायिक भावनाओं को फँसाने के लिये वह इन दंगों की खबरों का

1. जिस दंग में पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली ने नवम्बर 1974 में सर्वधार्मिक गणेशन द्वारा पाकिस्तान में रहने वाले अहिंसेवादी को और 1975 में धार्मिक विवाद वह उसकी धार्मिक असेम्बली को भी पारदर्शी है।

बढ़ा चढ़ा कर प्रकाशित करती, मुस्लिम पृथक्तावादियों और प्रतित्रियावादियों को प्राप्ताहित करती ।

(c) मुसलमान सुविधाओं से वंचित नहीं होना चाहते थे—मुसलमानों में यह भावना सबदा विद्यमान रही थी कि वे भारत के शासक रहें हैं और हिंदुओं का उन पर शासन करने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए । इसलिये अंग्रेजों से सहयोग करने पर जो सुविधायें उन्हें प्राप्त हुई थी उन्हें वे राष्ट्रीय तत्त्वों के साथ मिलकर खोना नहीं चाहते थे ।

(d) हिंदू मुस्लिम विलयन का अभाव—यह ठीक है कि हिंदू और मुसलमान अनेक वर्षों से भारत में साथ साथ रह रहे थे परंतु दोनों का विलयन (मिश्रण) नहीं हुआ था, एतानो में पारस्परिक विवाह नहीं होता था, दोनों में सामाजिक सम्बंध उत्पन्न नहीं हुए थे दोनों एक दूसरे को बहिष्कृत समझते थे । एफ० के० खा दुर्रती का मत है कि साम्प्रदायिक दंग इसलिये हुए कि हिंदू मुसलमानों का अस्पृश्य (Untouchables) समझते थे । परंतु यह विचार एकपक्षीय है क्योंकि सम्बंध न होते हुए भी सामाजिक न्याय उल्लंघन, सामाजिक भ्रष्टाचार आदि का प्रयोग करते थे । 'अलगावपन' और अस्पृश्यता की भावनायें तब प्रकाश में आईं जब अंग्रेजों ने अपने हितों के लिये जातियों में वमनस्य, घृणा और द्वेष की भावनायें पैदा कीं ।

(e) आर्थिक और राजनीतिक कारण—आर्थिक और राजनीतिक कारण भी साम्प्रदायिक दंगों के लिये उत्तरदायी थे । हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की आर्थिक दशा ब्रिटिश राज्य में शोचनीय थी, उनमें बेरोजगारी अधिक थी, नागरिक सेवाओं में उनकी संख्या कम थी उद्योग और व्यापार में हिंदू अधिक कुशल थे । राजनीतिक दृष्टि से मुसलमान हिंदुओं के प्रतिद्वंद्वी बन गये क्योंकि अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में वे अधिक से अधिक रियायतें प्राप्त करना चाहते थे ।

(iv) पृथक् मुस्लिम राज्य के विचार का प्रादुर्भाव—पृथक् मुस्लिम राज्य के विचार का प्रादुर्भाव इस काल की मजसे महत्त्वपूर्ण घटना थी । मुसलमान अब अपने आपको केवल अल्पमत ही नहीं समझते थे बल्कि एक पृथक् मुस्लिम राष्ट्र भी समझने लग गये थे । सर सयद अहमद खां ने हिंदू और मुस्लिम राजनीतिक हितों में भेद किया था, मई 1905 में राहु कजन ने पूर्वी बंगाल और असम के रूप में मुसलमानों को एक मुस्लिम बहुमत प्रांत दिया था मई 1909 में मार्टिन मिटा सुधारा ने उन्हें पृथक् निर्वाचन प्रणाली और गुरुभार पद्धति दी थी अब इक्वाल ने पृथक् मुस्लिम राज्य के विचार और चौधरी रहमत अली ने उसके लिए पाकिस्तान का नाम को प्रस्तुत किया । दोनों इस बात का प्रचार करने लग गये कि हिंदू और मुस्लिम दो पृथक् राष्ट्र हैं उनमें शांति और मित्रता तभी रह सकती है यदि उन्हें पृथक् राज्यों में विभक्त कर दिया जाय ।

मुहम्मद इक्वाल ने 1930 में लीग के इलाहावाद अधिवेशन में कहा था कि

“मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत के मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य एक पूरा उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का निमाण दियाई देता है।” इकबाल ने ही अपनी कविताओं और लेखों के माध्यम से इस्लाम को केवल धर्म के रूप में ही नहीं अपितु एक “व्यापक राजनीतिक प्रणाली के रूप में आदशमय बनाने का निया मुस्लिम राष्ट्रीयता (Muslim Millat) पर बल दिया और भारत को एक “सामाजिक एकता” मानने से इन्कार कर दिया। उनकी वारणा थी कि “भारत लघु रूप में एशिया है जिसमें भिन्न-भिन्न धर्मों वाली, भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाली भिन्न-भिन्न जातियाँ निवास करती हैं।”

पाकिस्तान शब्द की रचना चौधरी रहमत अली ने की थी। जिन प्रांतों को वह पाकिस्तान की कल्पना में सम्मिलित करना चाहता था उन ही प्रांतों के प्रथम शब्द को लेकर उसने पाकिस्तान शब्द की रचना की थी।¹ पृथक मुस्लिम राष्ट्रीय राज्य को प्राप्त करने के लिए उसने एक आन्दोलन भी शुरू किया। यद्यपि पाकिस्तान के विचार को प्रारम्भ में “बचकाना” (puerile) और “मिथ्या” (chimerical) कह कर तिरस्कृत कर दिया गया पर तु धीरे-धीरे यही विचार जोर पकड़ता गया और सन् 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस पर बल दिया गया। सन 1932-33 में संयुक्त समन्वय समिति ने इस पर विचार किया, सन 1936 में जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक मातृभूमि (homeland) की मांग करना शुरू कर दिया, 17 अक्टूबर, 1937 को लीग ने “स्वतन्त्र लोकतांत्रिक राज्यों के सघ के रूप में भारत के लिए पूरा स्वतंत्रता की मांग की। सन् 1933 में जिस जिन्ना ने पाकिस्तान के शब्द पर हँसी उड़ाई थी 10 अक्टूबर, 1938 को उसी जिन्ना की अध्यक्षता में सिंध की प्रांतीय मुस्लिम लीग ने भारत को विभक्त कर दो पृथक सघों, मुस्लिम राज्यों के सघ और गर मुस्लिम राज्यों के सघ में विभक्त करने की मांग की। मयद अदुल लतीफ और सर मुहम्मद शाहनवाज ने पृथक मुस्लिम राज्य की योजना तैयार की। चौधरी रहमत अली ने तो स्पष्ट शब्दों में इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया कि “हम मुसलमान हैं, हिन्दू नहीं पाकिस्तानी हैं, हिन्दुस्तानी नहीं, एशिया के निवासी हैं भारत के नहीं।”² 24 मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान की मांग की।

(v) जिन्ना का एकमात्र नेतृत्व—इस काल में दबी घटनाओं ने जिन्ना को

1 पंजाब से ‘P’, अफगानिस्तान में ‘A’, कश्मीर में ‘K’, सिंध से ‘S’ और बलूचिस्तान से ‘तान’ शब्दों को लेकर पाकिस्तान शब्द की रचना की गयी थी। क्योंकि “पाक” का अर्थ पवित्र और स्तान का अर्थ स्थान या भूमि में होता है इसलिये पाकिस्तान का अर्थ पवित्र भूमि से भी लिया जा सकता है। See Gupta, D C Ibid, p 156

2 Quoted by Gupta D C, Ibid p 184

राष्ट्रीय स्तर पर एक मात्र मुस्लिम नेता बना दिया। जिन्ना के विरोधिया की मृत्यु हाँ गयी। हकीम अजमल खा, मौलाना मुहम्मद अली, डा० असादी, सर मुहम्मद शफी और फजली हुसैन की मृत्यु हो गयी। पंजाब के सर सिकंदर हयात खा, बंगाल के फजलुल हक और असम के सादुल्ला (Saadulah) आदि नेता प्रांतीय स्तर के मुस्लिम नेता थे। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने और अथ मुस्लिम सगठनों से सहयोग प्राप्त करने के लिये जिन्ना न भूठे ढोंग रचे। डा० इकबाल और नवाबजादा लियाकतअली खा ने जिन्ना को राष्ट्रवादी मुसलमान से मुस्लिम राष्ट्रवादी बना दिया और उनके मस्तिष्क में ये भाव पदा कर दिये कि मुसलमानों की "मुक्ति तभी सम्भव है यदि उन्हें हिन्दू बहुमत से छुटकारा दिला दिया जाय।" जिन्ना के एकमात्र मुस्लिम नेता (या मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि) बनने का परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों के भिन्न भिन्न सगठन होते हुए भी वे जिन्ना के प्रभाव में आने लगे और लीग की पृथक्तावादी नीति का समर्थन करने लगे। यदि कांग्रेस का नेतृत्व गांधीजी के हाथों में था तो भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व जिन्ना के हाथों में था।

(vi) कांग्रेस विरोधी दृष्टिकोण तथा मुक्ति दिवस—सन् 1937 के प्रांतीय निर्वाचनों में मुस्लिम लीग की असफलता (लीग को 485 कुल मुस्लिम स्थानों में केवल 109 स्थान प्राप्त हुए थे), कांग्रेस की आश्चर्यजनक विजय प्रांता से कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों की स्थापना और यू० पी० में कांग्रेस लीग संयुक्त मन्त्रिमण्डलों को निर्मित करने के प्रयासों में असफलता से जिन्ना अपना सन्तुलन खो बैठे और अपनी तथा लीग की अपमानित स्थिति को बदलने के लिये कांग्रेस विरोधी दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया। जिन्ना इस कल्पना से भयभीत हो रहे थे कि "मुस्लिम प्रतिनिधित्व बहुमत की इच्छा पर निर्भर करता है।"

प्रांतों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों को सत्ता प्राप्त किये हुए अभी 8 महीने हुए थे कि जिन्ना ने उम पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि "मुसलमान कांग्रेस सरकार की अधीनता में न तो 'याय की आशा कर सकते हैं और न ही सबके साथ समान व्यवहार की।' कांग्रेस पर यह आरोप लगाय गये कि वह 'सत्ता के नशे में चूर है', वह सत्ता पर "एकाधिकार" चाहती है, उसने कांग्रेसी प्रांतों में 'हिन्दू राज' स्थापित कर दिया है, वह "अल्प सख्यका पर छा जाना" चाहती है, उसने मुसलमानों को सरकार और सेवाओं से वंचित रखा है, हिंदी भाषा को मुसलमानों पर थोपा गया है और उर्दू की उपेक्षा की गयी है। गौ हत्या की मुस्लिम रीति में हस्तक्षेप किया है, बंदे मातरम के गीत और कांग्रेस (हिन्दू) भण्डे के प्रति मुसलमानों को झुंकना पड़ता है। कांग्रेसी प्रांतों में मुसलमानों को अपनी स्वतंत्रता, जान, माल और सम्मान का खतम है। इन प्रांतों में मुसलमानों के वैध अधिकारों को भी पाव तले बुचला जा रहा है।

कांग्रेसी प्रांतों में मुस्लिम कट्टा का डिबोरा पीटन के लिये मीरपूर के राजा मुहम्मद मेहदी (Muhammad Mehdī) की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार की गयी

जिसे दिसम्बर 1938 में प्रकाशित किया गया। बिहार में शरीफ रिपोर्ट (Shareef Report) के नाम से मार्च 1939 में एक अन्य रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। बंगाल के फजलुल हक ने "कांग्रेस शासन में मुस्लिम क्वेटा के शीपक" के अंतर्गत एक पम्फलेट (Pamphlet) निकाला। इन रिपोर्टों और पम्फलेटों का मूल उद्देश्य कांग्रेस को बदनाम करना था, उसके शासन के अंतर्गत मुसलमानों पर डाले गये अत्याचारों का बखाना करना था तथा इस बात का प्रचार करना था कि "बहुमत के अत्याचार से बढ़कर और कोई बड़ा अत्याचार नहीं।"

कांग्रेस को बदनाम करके मुस्लिम लीग अनेक उद्देश्यों का प्राप्त करना चाहती थी। इसके माध्यम से वह साम्प्रदायिक विषयों का संचार करके साम्प्रदायिक दंगों का भड़काना चाहती थी, मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक् करना चाहती थी और मुस्लिम संगठनों को लीग के प्रभाव के अंतर्गत लाना चाहती थी। कांग्रेसी मंत्रिमण्डल पर लीग द्वारा लगाये गये आरोप यद्यपि भूटे, मिथ्या और प्रचार मात्र थे फिर भी लीग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई। सन् 1938 में होली और मुहर्रम के अवसर पर सबड़ा स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए, अनेक मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ दिया और अनेक मुस्लिम संगठन (जमीयत उल उलेमा, अहरार, आदि) लीग के प्रभाव में आ गये। बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी और पंजाब के सरसिक्ंदर हयात खा के लीग में सम्मिलित हो जाने से लीग का सम्मान बढ़ गया। जिन्ना ने सारे भारत का दौरा किया। राजनीतिक सत्ता में हिन्दुओं की बराबरी करने, मुस्लिम राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये उसने मुसलमानों को लीग का साथ देने के लिये कहा। जिन्ना के वक्तव्यों से उसके मस्तिष्क की विचारधारा स्पष्ट हो जाती है। वे कहते थे "राजनीति का अर्थ सत्ता की प्राप्ति होता है। धाय, औचित्य और सद्भावना की पुकारों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।"¹

मुक्ति दिवस—युद्ध के प्रश्न पर जब कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने त्याग पत्र दे दिये तो लीग ने मुसलमानों को 22 दिसम्बर 1939 को "मुक्ति दिवस" मनाने की अपील की। गांधीजी ने जिन्ना से ऐसा न करने की अपील की परन्तु उस पर इसका कोई प्रभाव न हुआ। परिणामस्वरूप मुसलमानों ने सारे देश में मुक्ति दिवस को बड़े धूमधाम और आनंद से मनाया, सभाये की गयीं, प्रस्ताव पास किये गये और कांग्रेस शासन के अत्याचार, उत्पीड़न और अत्याय से छुटकारा पाने पर सुख और चैन की गहरी अनुभूति प्रकट की गयी। इस दिन लीग की शाखाओं ने मुस्लिम सभाओं में जिन प्रस्तावों को पास किया उनमें से एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि लीग कांग्रेस के विरुद्ध किस सीमा तक साम्प्रदायिक विषयों पर चली थी तथा मुसलमानों

1 Politics means power & not relying on cries of justice or fair play or good will Jinnah Quoted by Tara Chand Ibid Vol IV p 266

को किस सीमा तक हिंदुओं के विरुद्ध भड़का रही थी। एक प्रस्ताव में निम्न शब्द अंकित थे—

“वाग्नेसी मरवारो ने छूटे छूटे विषयों में भी जिला अफसरों के वैध और हर रोज के कार्यों में निरंतर हस्तक्षेप किया जिससे मुसलमानों को गम्भीर हानि हुई और इससे एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया जिससे हिंदुओं में यह विश्वास उत्पन्न हो गया कि हिंदू राज की स्थापना हो गयी है। इसलिये यह सभा कई प्रांतों में वाग्नेसी शासन की समाप्ति पर चर्चा की गहरी अनुभूति प्रकट करती है और इस दिन का अत्याचार उत्पीड़न और अत्याय से मुक्ति के दिवस के रूप में मनाने में आनंद अनुभव करती है।”¹

लीग ने ब्रिटिश सरकार का भी यह चेतावनी दी कि यदि वह युद्ध काल में मुस्लिम सहायता प्राप्त करना चाहती है तो उसे मुसलमानों को याद और औचित्य दिलाना चाहिए। लीग ने इस बात का भी अनुरोध किया कि ब्रिटिश सरकार लीग को भारतीय मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि सभा स्वीकार कर ले, सवधानिक विकास के सम्बन्ध में कांग्रेस को कोई आश्वासन न दिया जाय और लीग की अनुमति और समर्थन के बिना किसी प्रकार के सविधान का निर्माण न किया जाय।

(ii) ‘फूट डालो और शासन करो’ की नीति का विस्तार—इस काल में ब्रिटिश गौरवशाही ने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्प्रदायिक भावनाओं का विकास किया तथा साम्प्रदायिक दंगा को बढ़ावा दिया। भारतीय जातियों को विभक्त रखने के लिये 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में मुसलमानों के लिये पृथक निर्वाचन प्रणाली और गुरुभार पद्धति को शुरू किया, 1919 के माण्टफोर्ड सुधारों ने इसका विकास करके इस पृथक्तावादी नीति का सुदृढ़ किया। 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचन पद्धति 17 वर्गों में विभाजित और जातियों में विभक्त थी। भारतीय जातियों में संयुक्त राष्ट्रीय भावों के विकास को अवरुद्ध करने के लिये एकता सम्मेलनों को प्रमत्त करने का प्रयास किया। उदाहरणतया वायसराय ने 1930-31 के गोल मज सम्मेलन में भाग लेने के लिये जिन मुस्लिम प्रतिनिधियों को नियुक्त किया वे अपने आपको मुसलमान समझते थे, भारतीय नहीं। दूसरे 3 नवम्बर, 1932 को इलाहाबाद में हुआ एकता सम्मेलन इसलिये असफल हुआ कि सेमुअल होर ने केन्द्रीय विधान सभा में मुसलमानों का 33 1/3% प्रतिनिधित्व देने की घोषणा कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि वाग्नेसी ने साथ सहयोग करने के स्थान पर मुस्लिम अपने ब्रिटिश सरकार का साथ देने लग। तीसरे, ब्रिटिश गौरवशाही साम्प्रदायिक दंगा को दमन करने में या तो उदासीन रही या उसे बढ़ा चढ़ा कर प्रकाशित किया, चौथे 1932 के मैनडानल्ट पंचाट में हिंदुओं का विभक्त करने के लिये दलित वर्गों के लिये भी पृथक निर्वाचन का

व्यवस्था की। जैसाकि ताराचंद ने लिखा है कि "भारत की स्वतंत्रता की आकांक्षाओं के प्रति मेकडोनल्ड पचाट से अग्रिम और कोई हानिकारक वाय नहीं है।"¹ वायसराय नाड लिंलिथगो और भारत सचिव जेटलैण्ड के तमश 17 अक्टूबर, 1939 और 2 नवम्बर, 1939 के वक्तव्यों ने मुस्लिम लीग को बड़ावा ही उही दिया अपितु उसे भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि सस्था म्बीकार कर लिया, काग्रेस को हिन्दू सस्था बना दिया और दोनों सगठना का बराबरी का दर्जा देकर मुस्लिम लीग के हाथों में सवधानिक घोटो प्रदान कर दिया। अग्रेजा के व्यवहार से मुस्लिम लीग को विश्वास हो गया था कि अग्रेजा शासकों का साथ देकर वे उनसे भाचाही रियायतें प्राप्त कर सकते थे तथा कांग्रेस मांगा को अवरुद्ध करा सकती थी। जिन्ना की वायसराय से नित्य भेंटा न जहा उसके सम्मान को बड़ा दिया वहा अग्रेज मुस्लिम सगठनों को लीग के प्रभाव में भी ला दिया।

चौथा काल (1940-1947)—इस काल की साम्प्रदायिक घटनायें तथा अतत पाकिस्तान का निर्माण प्रथम, द्वितीय एव तृतीय काल की घटनाओं का स्वभाविक एव अनिवाय परिणाम थी। जसाकि मेहता और पटवर्धन ने लिखा है कि "पृथक मत, पृथक निवाचन मण्डल, पृथक प्रात और रक्षा कवच सबकी माग की जा चुकी थी और उ हे पूरा भी किया जा चुका था। अगला तकसगत कदम पृथक राज्य का माग थी।"² इस काल की प्रमुख घटनाओं का निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया जा सता है —

- (i) पृथक राज्य की माग—लाहौर प्रस्ताव
- (ii) द्वि-राष्ट्र सिद्धांत
- (iii) सवधानिक गतिरोध
- (iv) सीधी कायवाही दिवस
- (v) माउण्टबेटन योजना तथा पाकिस्तान की स्वीकृति

(i) लाहौर प्रस्ताव—24 मार्च, 1940 का लाहौर अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पास किया। इसमें कहा गया था कि "अग्विल भारतीय मुस्लिम लीग का यह विचार है कि इस देश के लिये कोई भी सवधानिक योजना तभी व्यवहाय या मुसलमानों को तभी स्वीकृत हो सकती है जब तक उसे निम्न सिद्धांत पर आधारित नहीं किया जाता अर्थात् भौगोलिक दृष्टि से निकटवर्ती इकाइयों को क्षेत्रों में सीमांकित कर दिया जाय। यदि आवश्यकता हो तो क्षेत्रीय व्यवस्थाओं द्वारा इन्हें इस तरह सगठित किया जाय कि जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या अधिक है जसाकि भारत के उत्तर-पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में उह मिलाकर

1 Tara Chand Ibid Vol IV p 182

2 Mehta and Patwardhan The Communal Triangle, p. 119.

एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर दिया जाय। इसके अन्वयव स्वायत्त और सम्प्रभु होंगे।”

लीग के लाहौर प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि अल्पमत वाले के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा के लिये सबिधान में पर्याप्त, पभावयुक्त और अधिदृष्ट (पादेशिक) (adequate, effective and mandatory) संरक्षण होने चाहिये अर्थात् पाकिस्तान में गर मुस्लिम अल्पमत और भारत में मुस्लिम अल्पमत के लिये सवधानिक संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये।

(ii) द्वि-राष्ट्र सिद्धांत—पृथक् मुस्लिम राज्य (पाकिस्तान) की मांग की पूर्ति के लिये जिना ने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस बात का द्विद्वारा पीटना शुरू कर दिया कि विभिन्न राष्ट्रीयताओं को एक स्वतंत्र राज्य के अंतर्गत बलात् रखना अनुचित है। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि भारत के मुसलमान केवल अल्पमत ही नहीं बल्कि पृथक् राष्ट्र भी हैं। उनकी संस्कृति और सभ्यता भिन्न हैं। इनका सामाजिक जीवन, रीतियाँ और प्रथाएँ भिन्न हैं। उनकी भाषणायें भिन्न हैं। उनकी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक, आदि आकांक्षाएँ भिन्न हैं। जिना के शब्दों में “शाब्दिक अर्थों में इस्लाम और हिंदू धर्म धर्म नहीं हैं बल्कि ये दो भिन्न और स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं। हिंदू और मुस्लिम भिन्न धार्मिक सिद्धांतों, सामाजिक रीतियाँ और साहित्य से सम्बंधित हैं। उनमें न तो अतजातीय विवाह होते हैं और न ही वे इकट्ठे भोजन करते हैं। वस्तुतः वे भिन्न और विरोधी विचारों वाली सभ्यताओं से सम्बंध रखते हैं। जीवन के सम्बंध में उनकी भाषणायें भिन्न हैं। इतिहास के भिन्न भिन्न स्रोतों में वे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनके महाकाव्य भिन्न हैं। उनके वीर्य भिन्न हैं। उनकी पुरातन कथाएँ भिन्न हैं, प्रायः एक का वीर्य दूसरे का शत्रु है। इसी तरह एक की विजय और पराजय दूसरे की विजय और पराजय को आच्छादित (Overlap) करती है। दो ऐसे राष्ट्रों को एक राज्य के अंतर्गत संगठित करना जिसमें एक अल्प संख्या में हो और दूसरा बहुमत में, असंतोष को जन्म देगा जो अंततः ऐसे राज्य के लिये निर्मित किये गये किसी भी सरकार के ढाँचे को नष्ट कर देगा। मुसलमान एक अल्पमत नहीं वह एक राष्ट्र है और उन्हें अन्वय ही अपनी मातृभूमि, अपना क्षेत्र और अपना राज्य प्राप्त होना चाहिये।”¹

जिना के उपर्युक्त सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद लीग के कट्टर मुस्लिम सदस्यों ने अपने आपको “स्वतंत्र एक राष्ट्र मान लिया। अजमलखान का मत था कि “भारत एक देश नहीं है बल्कि उसमें अनेक देश हैं। इसलिये उस अनेक राष्ट्रों में विभक्त समझना चाहिये।” सन् 1941 के मद्रास अधिवेशन में जिना ने स्पष्ट शब्दों

1 Quoted by Chatterji, Amiya The Constitutional Development of India 1937-47, p 52

मे कहा था कि "मुस्लिम लीग का उद्देश्य उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी प्रदेशों में स्वतंत्र राज्य की स्थापना है। हम किसी भी दशा में ऐसा संविधान स्वीकार नहीं करेंगे जो समस्त भारत के लिये एक केन्द्रीय सरकार की स्थापना करता हो।"

द्वि राष्ट्र सिद्धांत की आलोचना—द्वि राष्ट्र सिद्धांत, जिस पर पृथक मुस्लिम राज्य (पाकिस्तान) की मांग आधारित थी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। यह तक विहीन, अशुद्ध अनुचित असंगत एवं भ्रमणी विचार था। प्रथम, इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं था। भारत की जातियों में धार्मिक भिन्नता हात हुए भी उनमें अनेक समान तत्त्व विद्यमान थे जन्मे समान भाषा, समान निवास स्थान, सामान्य सरकार आदि। पंजाब में क्या हिन्दू, क्या सिक्ख, क्या मुसलमान सभी प्रादेशिक भाषा पंजाबी बोलते थे। बंगाल के सभी निवासी बंगाली भाषा का प्रयोग करते थे। सन् 1971 में बंगला देश के निर्माण ने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की तर्कहीनता को स्पष्ट कर दिया। दूसरे, इसका कोई धार्मिक आधार भी नहीं था। वर्तमान आधुनिक राज्य धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित हैं धार्मिक कट्टरता पर नहीं। उदाहरणतया कनाडा में ब्रिटिश और फ्रेंच दो राष्ट्रीयतायें निवास करती हैं, चेकोस्लावाकिया में चर्कम और स्लोवाक है। रूस तो बहु राष्ट्रीय राज्य है। यदि राज्यों का जाति या धर्म पर आधारित किया जाय तो इन देशों को अनेक देशों में विभक्त करना होगा जो उनकी सुरक्षा और आर्थिक सम्पन्नता के लिये हानिकारक होगा। तीसरे आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सिद्धांत हानिकारक था। चौथे, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यह विचार दुबल था क्योंकि उत्तर पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के दो भागों के बीच भारत की विस्तृत भूमि पड़ती थी। पाँचवें, यह साम्प्रदायिक समस्या का सही हल नहीं था। जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के अनुयायी इस बात को समझ ही नहीं मके कि पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण के बाद भी दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की समस्या बनी रहेगी। छठे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सिद्धांत गलत था। इसने जातीय सहिष्णुता का जन्म देने के स्थान पर जातीय वमनस्य, घृणा, द्वेष और ईर्ष्या को जन्म दिया। सातवें लोग का छोड़ कर अल्प मुस्लिम संगठन इसके पक्ष में नहीं थे। खान बड़ादुर अल्लावखान का, जिन्होंने 1940 में दिल्ली में स्वतंत्र मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की इसमें विश्वास नहीं था जमीयत-उल उलेमा ए हिंद 'राष्ट्रीय दृष्टि से प्रत्येक मुसलमान का भारतीय मानती थी, अहमद मोमिन और खुदाई खिदमतगार पाकिस्तान का विरोधी थे। सक्षेप में, जसाकि मौलाना आजाद ने लिखा है कि यह सिद्धांत 'जितनी समस्यायें सुलभता है उससे अधिक उत्पन्न करता है।'¹

(iii) **संवैधानिक गतिरोध**—जैसे-जैसे समय गुजरता गया जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रश्न पर कठोर, हठधर्मी और लड़ाका दृष्टिकोण अपनाया शुरू कर दिया। उनमें नियम पाकिस्तान की प्राप्ति "जीवन भर का प्रश्न" बन गया। उसने कठोर शुरुआत पर दिया कि 'हम या तो पाकिस्तान प्राप्त करेंगे या हम नष्ट हो जायेंगे।' कार्यक्रम के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को जिन्ना अश्रेय के विरुद्ध नहीं मानते थे

बलिह मुसलमानों के विरुद्ध मानते थे। जब कांग्रेसी नेता, भारत छोड़ो आंदोलन के सदस्य थे, जेलों में थे तो लीग ने प्रांतीय गवर्नरों के प्रोत्साहन और अन्य मुस्लिम दलों के सहयोग से 5 प्रांतों में (पंजाब, बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध में) लीगी सरकारों का निर्माण किया। पाकिस्तान के दोनों भागों का जोड़ने के लिये जिना भारत से गलियारे (Corridor) की मांग करते लगे। यही कारण है कि जब सबधार्मिक गतिरोध को दूर करने के लिये अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की गईं (1942 के त्रिपक्ष प्रस्ताव, 1944 की राजगोपालाचार्य योजना, 1946 की केबिनेट मिशन योजना आदि) तो लीग और जिना की हठधर्मिता के कारण वे असफल हो गईं। अंतरिम सरकार की असफलता का मूल कारण भी लीग का असहयोगपूर्ण व्यवहार और साम्प्रदायिक हठधर्मिता थी।

(iv) सीधी कार्यवाही दिवस—जब लीग अपने पाकिस्तान के उद्देश्य को सबधार्मिक साधनों द्वारा प्राप्त न कर सकी तो उसे प्राप्त करने के लिये उसने सीधी कार्यवाही (Direct Action) का सहारा लिया और 16 अगस्त, 1946 को सारे भारत में सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इससे जिस साम्प्रदायिक ताण्डव को उत्तेजित किया उससे सारे भारत की आत्मा हिल गई। जब लीग ने सर्वधार्मिक सभा को बठको का बहिष्कार कर दिया तो विभाजन प्रतिपादित होने लगा।

(v) माउंट बेटन योजना तथा पाकिस्तान की स्वोक्ति—3 जून 1947 की माउंट बेटन योजना की व्यवस्था को 4 जुलाई, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने स्वीकार कर लिया और इस तरह “भारत” तथा “पाकिस्तान” के दो पृथक् अधिराज्यों का निर्माण 15 अगस्त, 1947 को हुआ।

विभाजन भारत की साम्प्रदायिक समस्या का पूर्ण समाधान न कर सका। पाकिस्तान में गर मुस्लिम सदस्या के साथ जो अमानुषिक व्यवहार किया गया वह हिटलर के यहूदियों के साथ किये गये व्यवहार से कम नहीं था। पाकिस्तान में निकलने के लिये गर मुस्लिम सदस्यों को धाध्य किया गया, उनकी हत्याएँ की गईं, उनकी स्त्रियों का अपहरण किया गया, बच्चा से अमानुषिक व्यवहार किया गया, उनकी सम्पत्ति का लूटा गया, उनके घरों का जलाया गया आदि। इस सबकी प्रतिश्रियाएँ भारत में भी हुईं।

दुभाग्य की बात यह है कि पाकिस्तान की नीति आज भी भारत विरोधी धारणा और हिंदुओं से घृणा पर आधारित है। पाकिस्तान भारत विरोधी प्रचार उगलता है साम्प्रदायिक दलों का भडवाना है भारत विरोधी देश में आर्थिक और सैनिक महायत्ना प्राप्त कर तनाव और युद्ध की स्थिति बनाये रखता है। साम्प्रदायिक घृणा द्वारा उत्पन्न पाकिस्तान को उन्नी घृणा पर स्थायित्व देने का प्रयत्न किया गया है जो इस उप महाद्वीप में अशांति का कारण है।

उपयुक्त वर्णन में स्पष्ट है कि भारत की साम्प्रदायिक समस्या का प्रादुर्भाव, पापण प्रोग्रामों के अन्तर्गत शान्ति न किया, भारत की भिन्न भिन्न जातियाँ अलग-अलग के दायरे में बाँटने न निकल सकी, लीग की हठधर्मिता और जिना का

लडाका स्वभाव तथा कांग्रेस की लीग के प्रति तुष्टिकरण की नीति और नेताओं के असामयिक और अविवेकपूर्ण बक्तव्य इस समस्या का समाधान न कर सके। अतः म नेताओं की सत्ता से चिपके रहने की अभिलाषा ने भारत के विभाजन को अनिवार्य बना दिया।

समीक्षा-प्रश्न

(Review Questions)

- 1 "देश के प्रति प्रेम के स्थान पर जाति के प्रति प्रेम का प्रभाव सर सय्यद अहमद खा पर अत्यधिक पडा और उसने कांग्रेस के प्रति खुला विरोध का दृष्टिकोण अपना लिया।" इस कथन के सन्दर्भ में सर सय्यद अहमद खा की साम्प्रदायिकता के विकास में भूमिका की समीक्षा कीजिये और इस बात का भी उल्लेख कीजिये कि ऐसा क्यों कर हुआ।
- 2 सन् 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के क्या कारण थे? मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विकास में इसकी क्या भूमिका थी?
- 3 सन् 1906 से 1940 तक के वर्षों में मुस्लिम सम्प्रदायवाद के निम्न निम्न चरणों की विवेचना कीजिये।
- 4 "फूट डालो और शासन करो" इस कथन के सन्दर्भ में भारतीय राजनीति में मुस्लिम साम्प्रदायिकता की भूमिका का विवेचन कीजिये। क्या ब्रिटिश की यही नीति मुस्लिम साम्प्रदायिकता के लिये उत्तरदायी थी?
- 5 "पृथक चुनाव क्षेत्रों और गुरुभार पद्धति ने भारत में सच्चे लोकतन्त्र के विकास में बाधा प्रस्तुत की।" व्याख्या कीजिये।
- 6 भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विकास की परिस्थितियों का वर्णन कीजिये। इसके लिये आप किस सीमा तक ब्रिटिश नीतियों को उत्तरदायी मानते हैं? कारण सहित उल्लेख कीजिये।
- 7 "जिना की हठधर्मिता" और 'कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति' पाकिस्तान के निर्माण के लिये उत्तरदायी थी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण लिखिये।
- 8 "अपने विख्यात चातुय से जिसने हाल तक उनकी कूटनीति को विश्व में मवाजिद शक्तिशाली बना दिया था, ब्रिटिश शासक ने अपने को हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य में रगड़कर एक साम्प्रदायिक विकास की रचना करने का निश्चय किया जिसका वे आधार बने" (महता और पटवर्धन) क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिये जो भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विकास के लिये उत्तरदायी थीं।
- 9 "हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिना मांग पर हम अनुमरण कर रहे हैं, इसके द्वारा गतिराय को हल नहीं किया जा सकता। (नरु) इस कथन को दृष्टि में रखते हुए उन कारणों का उल्लेख कीजिये जिन्होंने पाकिस्तान की स्थापना का अपरिहार्य बना दिया।

कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नेता (Some Main Nationalist Leaders)

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अनेक प्रमुख नेता हुए हैं जैसे गोपले, तिलक, त्रिपिन चन्द्रपाल, लाला लाजपतराय, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, अरविन्द घोष, मदन मोहन मालवीय, दशबन्धु चित्तरंजनदास, महात्मा गांधी मोतीलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल मौलाना आजाद, डा० राजेन्द्र प्रसाद, आदि। मन्मथी तिलक, गोखले और लाला लाजपतराय का उल्लेख अध्याय 2 में कर दिया गया है। यहाँ केवल गांधी, नेहरू और बोस का हान ही उल्लिखित किया जा रहा है।

1 महात्मा गांधी¹ (1869-1948) (Mahatma Gandhi 1869-1948)

महात्मा गांधी वर्तमान भारत के सर्वोत्तम नेता थे। वे राष्ट्र निर्माता, मुक्ति जाना, सत्त, समाज सुधारक, अहिंसा के पुजारी और राजनीतिज्ञ थे। जे० एच० होम्स (J H Holmes) ने उनकी तुलना अल्फ्रेड, बैलिन, वाशिंगटन और लफ्ट जैसे महान राष्ट्र निर्माताओं से की है, उन्होंने बलविमन, विलफ्रेड गार्लिन और लिनन की भाँति दाम्पता से मुक्ति दिवान का महत्त्वपूर्ण वाय किया, वे सत्त प्राप्तिक, धोरो और टालस्टाय की भाँति अहिंसा के उपदेशक थे और बुद्ध, ईसा और प्ररस्तु की भाँति आध्यात्मिक नेता भी थे।

गांधीजी ने अपना राजनीतिक जीवन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया जहाँ वे किसी मुकदम की पररी करने के लिए गये थे। यहाँ पर उन्होंने भारतीयों की दशा को सुधारने के लिए सदाग्रह के अमन का प्रयोग किया जो बाद में भारतीय राजनीतिज्ञ जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। दक्षिण अफ्रीका में उनी अपने बड़ी

1 गांधीजी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे राजकोट के निवासी थे और अमरावती के पुत्र थे। उनका जन्म पाटियाणा के पारबन्तूर नगर में 2 अक्टूबर, 1869 को हुआ था। उनका मृत्यु 30 जनवरी, 1948 को नाथूराम गोन्धे की गोली से हुई।

सफलता एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (Asiatic Registration Act) की वापसी थी। सन् 1915 में भारत लौटकर उन्होंने युद्ध प्रयासों में ब्रिटिश सरकार की तन मन धन से सेवा की। इसी काल में उन्होंने अहमदाबाद के निकट सावरमती आश्रम की स्थापना की, चम्पारन में नील की खेती करने वाले किसानों, अहमदाबाद के मजदूरों और गुजरात के किसानों (खेड़ा सत्याग्रह) की शिकायतों को दूर कराने में सफलता प्राप्त की। सन् 1920 में लोकमान्य बाल गंगाधर की मृत्यु के बाद गांधीजी भारतीय राजनीति के मुख्य कणाधार बन गये और जीवन पथ के कार्यक्रम के "बे ताज वादशाह" बने रहे।

गांधीजी ने भारत में अनेक प्रकार के अहिंसक आन्दोलनों का संचालन किया। वस्तुतः 1920 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास गांधीजी के सत्याग्रह आन्दोलनों का इतिहास रहा है। सर्वप्रथम जलियावाला बाग हत्याकाण्ड, रौलट विधेयक और खिलाफत के प्रश्न को लेकर 1920-22 में असहयोग आन्दोलन का संचालन किया, 1930-34 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का संचालन किया। गांधीजी की "डण्डी यात्रा" की तुलना तो नेपोलियन की "पेरिस यात्रा" मुसोलिनी की "रोम यात्रा" और श्री रामचन्द्र की लका पर चढाई से की गयी है। सन् 1932 में गांधीजी ने मैकडोनाल्ड पचाट (साम्प्रदायिक पचाट) के विरुद्ध आमरण व्रत रखा, 1940 में गांधीजी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया गया, 1942 में उन्होंने "भारत छोड़ो" आन्दोलन का संचालन किया, 1945-46 में हिन्दू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिये गम्भीर प्रयास किया, अतः में उन्हीं के नेतृत्व में भारत को 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। संक्षेप में, 1920 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर गांधीजी का एक मात्र नियंत्रण और निर्देशन रहा। अतः इस काल को ठीक ही 'गांधी काल' की सजा दी जाती है।

राष्ट्रीय आन्दोलन को गांधीजी का योगदान

(Contribution of Gandhi to the National Movement)

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में अनेक 'उदारवादी, उग्रवादी, शक्तिवादी आदि' नेता हुए हैं और प्रत्येक ने इसमें अद्वितीय भूमिकाएँ निभाई हैं परन्तु गांधीजी के योगदान की विशेषता यह थी कि एक बार राजनीति में आने के बाद उस पर उनका प्रभाव बढ़ता ही गया, राष्ट्रीय संग्राम के हर चरण में उन्होंने इसे नई प्रेरणाओं से स्फुरित किया, उसे नई दिशाएँ प्रदान कीं, उसमें नया साहस, भावनाओं और आशाओं का संचार किया। यद्यपि यह कहना बहुत कठिन है कि केवल गांधीजी के प्रयासों से ही भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई परन्तु इस बात में भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि वे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के ऐसे सर्वोत्तम सेनानी थे जिनका प्रभाव कांग्रेस पर, भारतीय जनमानस पर और ब्रिटिश शासन पर अत्यधिक था। जिन महात्मा अहिंसक, सत्याग्रही आन्दोलनों का संचालन उन्होंने

किया उनका विश्व जन आन्दोलनो के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। वे कांग्रेस के "वेताज" बादशाह (Uncrowned King) थे।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति गांधीजी के योगदान को निम्न शीपको के अतगत अभिव्यक्त किया जा सकता है—

1 राष्ट्रीय आन्दोलन को व्यापक रूप प्रदान किया—राष्ट्रीय आन्दोलन को गांधीजी की सर्वोत्तम दम यह है कि उन्होंने इसे व्यापक रूप प्रदान किया। जा आन्दोलन अभी तक बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग तक सीमित था गांधीजी ने उसे जन आन्दोलन का रूप दिया, कांग्रेस अब बुद्धिजीवियों की जमात नहीं रही थी वह सावजनिक सस्था बन गयी थी, कांग्रेस के उद्देश्य केवल गृह शासन तक सीमित नहीं थे, वह अब पूरा स्वतन्त्रता की प्राप्ति चाहती थी। गांधीजी द्वारा संचालित असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो जैसे आन्दोलनों ने प्रत्येक नगर और गांव, प्रत्येक परिवार और व्यक्ति को प्रभावित किया था। इन आन्दोलनों ने ही राष्ट्रीय आन्दोलन को गति और तीव्रता प्रदान की। सवसाधारण नागरिक जो अभी तक दशक, तमाशबीन या स्रोता थे वे अब सत्याग्रहियों की पंक्तियों में शामिल हो गये।

2 राष्ट्रीय आन्दोलन को निश्चित राजनीतिक ध्येय प्रदान किया—गांधी से पूर्व के राष्ट्रीय नेता स्वतन्त्रता के इच्छुक थे परन्तु उनके पास निश्चित कार्यक्रम का अभाव था। उदाहरणतया उदारवादी स्वशासित उपनिवेश राज्य से सन्तुष्ट थे, उग्रवादी स्वराज्य, स्वशासन स्वदेशी, और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करते थे परन्तु उनके पास आतंककारी कार्यक्रम की स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। गांधीजी ही ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए राष्ट्रीय उद्देश्य प्रदान किये और उनकी प्राप्ति के लिये ऐसे माधन प्रस्तुत किये जिसमें उदारवादिया, उग्रवादियों और आतंककारियों के साधनों का मश्लेपण था।

3 सवसाधारण में साहस, निडरता और निभयता का संचार किया—गांधी जी ने सवसाधारण में उस समय साहस निडरता और निभयता का संचार किया जिस समय लोग में गला घुटन वाला भय सवत्र विद्यमान था। गांधीजी ने ही आभाषिक और अत्याचारी नीतियों का विरोध करने के लिये लोग में साहस पदा किया। यह गांधीजी द्वारा स्फुरित प्रेरणा और साहस का ही फल था कि सत्याग्रही नगी सगीना की भूम और प्यासी तापी की प्यास बुझाने के लिय अपनी छातिया मोत देते थे, सत्याग्रहियों के लिय कारागार दुम्पार्ड और अपमानजनक नहीं रह गये थे। कायरता उनमें कोना दूर भाग गयी थी, त्याग, कष्ट, और वलिदान उनके लिय के आहार बन गये थे। जैसाकि वाइकाउण्ट सेम्पुअल न किया है कि गांधीजी न भारतीयों का 'अपनी कमर सीपी करना सिखाया, अपनी छाँयें ऊपर उठाना सिखाया और अविचन दृष्टि से परिस्थितियों का सामना करना सिखाया।' सक्षम में, गांधीजी न भारतीयों में आत्म सम्मान की भावना पदा कर दी।

4 नैतिक साधनों द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति—भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ही नहीं, अपितु राजनीति शास्त्र को गांधीजी की मूल्यवान् देन यह है कि उन्होंने "नैतिक शक्ति को पशु शक्ति के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। अभी तक यही समझा जाता था कि शत्रुता, अत्याचार और दमन से छुटकारा केवल पशु शक्ति द्वारा ही पाया जा सकता है परन्तु गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका और भारत में यह सिद्ध कर दिया कि नैतिक शक्ति द्वारा भी अत्याचार, अत्याचार और दमन से छुटकारा पाया जा सकता है। गांधीजी ने अहिंसा और सत्याग्रह के अस्त्र (हड़ताल, धरना, हिजरत, असहयोग, सविनय अवज्ञा और उपवास) को पार्श्विक अस्त्रों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। उनका यह पूर्ण विश्वास था और उन्होंने चम्पारन और खेडा में यह सिद्ध भी किया कि शासन जनता के सहयोग पर निर्भर करता है और क्रूर से क्रूर शासक भी जनता के सहयोग की उपेक्षा नहीं कर सकता। गांधीजी पशु शक्ति का सामना आत्मा की शक्ति में करते थे। उनका यह अस्त्र विरोधी के घुन या दुःख से नहीं रगा होता था बल्कि स्वयं के खून और दुःख से रगा होता था। गांधीजी के अहिंसक अस्त्र की विशेषता यह थी कि वे इसका प्रयोग करने से पूर्व विरोधी को इसकी सूचना दे देते थे। डा० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि "इतिहास में कम ही ऐसे महारथी मिलते हैं जो गांधी की तरह सधम प्रारम्भ करने से पूर्व ही शत्रु को अपने युद्ध कौशल और युद्ध विधि से परिचित करवाते रहे हैं।"

5 साध्य साधन की पवित्रता—गांधीजी की विशेषता यह है कि उद्देश्य साध्य और साधन में कोई भिन्नता नहीं थी। उनका कहना था कि केवल साध्य ही नैतिक, पवित्र, शुद्ध और उच्च नहीं होने चाहिये बल्कि उनकी प्राप्ति के लिये साधन भी नैतिक, पवित्र, शुद्ध और उच्च होने चाहिये। गांधीजी दोनों को अविभाज्य मानते थे। वे कहते थे कि "साधन एक चीज की तरह है और साध्य एक पेड़ यदि कोई व्यक्ति साधन का ध्यान रखता है तो साध्य स्वयं अपना ध्यान रखेगा।" गांधीजी इस सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे कि "साध्य साधनों का अचिंत्य है।" वे कहते थे कि "यदि पवित्र साध्य के लिये पवित्र साधन उपलब्ध नहीं तो उस साध्य का त्याग देना ठीक है।" वे कहते थे कि "अहिंसा की स्थापना हिंसा में नहीं हो सकती।" यही कारण है कि वे "अहिंसा और सत्य के लिये देश को होमने के लिये तैयार थे, देश के लिये अहिंसा और सत्य को नहीं।" राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीजी ने किसी स्तर पर भी हिंसक साधनों का प्रयोग तो दूर उनकी कल्पना भी नहीं की। यही कारण है कि जब 1922 में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा में था गांधीजी ने चोरी चौरा काण्ड के प्रश्न पर, अपने नेतृत्व का खतरा मान लेकर भी, उसे स्थगित कर दिया।

6 राजनीति का आध्यात्मिककरण—गांधीजी की एक विशेषता यह है कि उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिककरण किया अर्थात् राजनीति को धर्म अर्थात् सत्य और अहिंसा पर आधारित किया। जहा मैक्यावली, हॉब्स और माक्स न धर्म को

राजनीति से पृथक् किया वहा गाधीजी के लिये “धर्म रहित राजनीति एक मौत का फंदा है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है।” परन्तु उनका धर्म किसी कमवाण्ड से सम्बन्धित नहीं था बल्कि “मानव धर्म पर आधारित था। गाधीजी ने इस बात का खण्डन किया कि ‘राजनीति तो राजनीति है’ या ‘व्यापार तो व्यापार है’ और उनमें नीति अर्थात् धर्म की आवश्यकता नहीं। गाधीजी कहते थे कि “यदि किसी की सम्पत्ति को हस्तगत करना अनतिक्रमता है, पाप है, चोरी है तो राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र की भूमि हस्तगत करना भी अनतिक्रमता है, पाप है, चोरी है।”

7 साम्प्रदायिक एकता—गाधीजी हिंदू मुस्लिम एकता के पुजारी थे और अनेक बार तो उन्होंने साम्प्रदायिक एकता उत्पन्न करने के लिये अपने जीवन की बाजी भी लगायी। उन्होंने सन् 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिये 21 दिन का व्रत रखा, 1932 में उन्होंने साम्प्रदायिक पचाट के विरुद्ध आमरण व्रत रखा। 1946 में ‘सिद्धि कायवाही दिवस’ के फलस्वरूप जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, उन्हें शांत करने के लिये उन्होंने नोखली (Noakhali) में अकेले पदल यात्रा की।

8 राष्ट्र निर्माण तथा समाज सुधार का कार्यक्रम—गाधीजी ने राष्ट्र के समक्ष आर्थिक और सामाजिक सुधारों के लिये अनेक रचनात्मक कार्यों को प्रस्तुत किया। स्वदेशी, खादी और चरखा द्वारा वे केवल जन जागृति ही पैदा नहीं करना चाहते थे बल्कि लाखों लोगों के रोजगार की व्यवस्था भी करना चाहते थे। कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योगों द्वारा वे लोगों की आर्थिक दशा सुधारना चाहते थे। उन्होंने छुआछूत, जाति पाति तथा साम्प्रदायिक भावनाओं और नशाखोरी को बंद कराने के प्रयास किये। स्त्रियों के सुधार द्वारा वे समाज सुधार की अपेक्षा करते थे उनकी दुनियादी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित थी।

9 अंतर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक—गाधीजी महान राष्ट्रीय नेता थे परन्तु उनका राष्ट्रवाद उदारवाद, मानवतावाद और विश्व बंधुत्व पर आधारित था। गाधीजी स्वावलम्बन पर बल देते थे परन्तु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पारस्परिक निर्भरता का आवश्यक समझते थे। गाधीजी कहते थे कि ‘एक व्यक्ति का राष्ट्रवादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रीयतावादी होना असम्भव है। राष्ट्रीयतावाद कोई बुराई नहीं है युगई तो मकीलता, स्वाय एव एकाकीत्व की व भावनाएँ हैं जिनसे आज सारे राष्ट्र ग्रस्त हैं। मेरा राष्ट्रीयतावाद के विषय में विचार यह है कि मेरा देश मानव जाति के जीवन के लिये मर सके। अतः गाधीजी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवादी रण भेद और आक्रमक राष्ट्रवाद के विरोधी थे।

उपयुक्त वचन से स्पष्ट है कि गाधीजी की राष्ट्रीय आंदोलन को अनेक मूल्यवान् दान थी। उन्होंने हिंसा के स्थान पर अहिंसा, शत्रुता के स्थान पर मित्रता, घृणा के स्थान पर प्रेम कायलता के स्थान पर सहस और निडरता, जातीय भेदभाव के स्थान पर एकता और निराशा के स्थान पर आशा की भावनाएँ पैदा कीं।

उन्होंने ही साध्य साधन की पवित्रता पर बल दिया और राजनीति वा आध्यात्मिकी
करण किया ।

अहिंसा और सत्याग्रह पर गांधीजी के विचार (Gandhi's views on Non Violence and Satyagrah)

अहिंसा पर विचार—गांधीजी सत्य और अहिंसा को एक ही चीज मानते थे ।
उनके लिये दोनों एक ही धातु के दो पहलू हैं जिसके एक तरफ तो सत्य है और
दूसरी तरफ अहिंसा । दोनों अविभाज्य हैं । गांधीजी के शब्दों में "अहिंसा वह ज्योति
है जिसके द्वारा मुझ सत्य के दर्शन होते हैं ।" अहिंसा ही सत्येश्वर का दर्शन करने
का सीधा और छोटा माग है ।

गांधीजी अहिंसा के नकारात्मक अर्थ के स्थान पर उसके सकारात्मक अर्थ पर
बल देते थे । वे कहते थे मन, वचन और कर्म से किसी को दुःख न पहुँचाना तो
अहिंसा है ही परन्तु मानव का यह भी कर्तव्य है कि वह दूसरों की भलाई करे । प्रेम,
दया, क्षमा, स्व बलिदान गांधीजी की अहिंसा के आवश्यक पहलू हैं ।

गांधीजी की अहिंसा का क्षेत्र व्यक्तिगत होने के स्थान पर सामाजिक था ।
उनकी अहिंसा का क्षेत्र इतना व्यापक था कि उसमें ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह
आदि सब कुछ शामिल है । गांधीजी का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी
अनिवार्य आवश्यकता से अधिक लेता है तो वह हिंसा है, अविनय, तिरस्कार, अहंकार
हिंसा है । झूठ बोलना, ठगना, कम तोलना विवशता का अनुचित लाभ उठाना हिंसा
है । गांधीजी का मत था कि किसी को कभी नहीं मारना यह तो अहिंसा है ही
परन्तु तमाम उराव विचार हिंसा हैं । डोप, बर-डाह हिंसा है । किसी का बुरा चाहना
हिंसा है । जिसकी जगत को जरूरत है उस पर बर्बाद करना हिंसा है । क्रोध हिंसा है
क्योंकि क्रोध में जहर तो है ही । सत्याग्रह मात्र हिंसा है ।

गांधीजी की अहिंसा सर्वोच्च प्रेम, सर्वोच्च दयालुता और सर्वोच्च आत्म-
बलिदान पर आधारित है । यह अनिष्ट हीनता (harmlessness), बर्त्याणमयता
और सर्वोदय है । गांधीजी किसी भी काय को हिंसक या अहिंसक करार देने में पूर्व
उसके आशय और उद्देश्य को समझ लेना आवश्यक समझते थे ।

गांधीजी की अहिंसा की एक विशेषता यह है कि यह सगठित हो सकती है ।
गांधीजी कहते थे कि "यदि अहिंसा सगठित नहीं हो सकती तो वह धम नहीं ।
उसका विश्वास था कि जहाँ अत्याय है, उत्पीड़न है, भय है या मानव परम्परा,
समाज, कानून, दण्ड या अविश्वेक के कारण मुकड़ा हुआ है या दबा हुआ है
अर्थात् जहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिंसा है वहाँ अहिंसा को सगठित कर अत्याचारों
को दूर किया जा सकता है । दक्षिण अफ्रीका, चम्पारन और मेडा में अहिंसक साधनों
द्वारा जनमत को सगठित करने गांधीजी ने सिद्ध कर दिया कि अहिंसा सगठित
सकती है । इस तरह गांधीजी की अहिंसा, एक और सामाजिक एक

अध्यायो से लोहा लेने का माग बताती है तो, दूसरी ओर, युद्ध का एक नैतिक विकल्प भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है।

गांधीजी ने अहिंसा के तीन प्रकार भी बताये हैं (i) महादुःख की अहिंसा, जिसे वे 'अभय की चरमावस्था', 'वीरता की परिसीमा' कहते थे और जो कठिन से कठिन उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है (ii) पिचल की अहिंसा जिसे वह सीमित अहिंसा भी कहते थे, जो शुद्ध होने पर सफलता प्राप्त कर सकती है, (iii) बुजदिल की अहिंसा जिसे गांधीजी अहिंसा की श्रेणी में नहीं लेते थे। उनका विश्वास था कि जिन प्रकार अग्नि और जल एक साथ नहीं रह सकते उसी तरह अहिंसा और कायरता साथ साथ नहीं रह सकते। गांधीजी कायर से हिंसक होना पसंद करते थे।

सत्याग्रह पर विचार—सत्याग्रह 'अहिंसक सीधो कायवाही है।' सत्याग्रही सत्य पर अटल रह कर बुराई का विरोध करता है। हिंसा, भय और मृत्यु उसे इस पथ से विचलित नहीं कर सकते। सत्याग्रह को गांधीजी "सत्य के लिये तपस्या" कहते थे। सत्याग्रही का देव बलराम (God) है, उसका धूल दुःख उठाने में है, दूसरों को दुःख देने में नहीं। म देह, शक्ति और अविश्वास तो उससे कोसों दूर होते हैं। धावनी, अधीरता और वाचालता उसके समीप नहीं पटकते। गांधीजी कहा करते थे कि "स्वपीडन ज्ञान की आखें खोल देता है।"

गांधीजी की धारणा थी कि सत्याग्रह सबव्यापी हो सकता है। यह सबके विरुद्ध हो सकता है यदि वे दूषित हैं। यह सरकार, कौम, जाति व्यक्ति विशेष, समूह आदि के विरुद्ध हो सकता है। गांधीजी युद्ध की स्थिति (सशस्त्र आक्रमण) का सामना भी सत्याग्रह के माध्यमों द्वारा करना चाहते थे।

गांधीजी सत्याग्रही आन्दोलन को धार्मिक आन्दोलन कहते थे उसे वे शुद्धिकरण और तप की क्रिया कहते थे, शिवायते दूर कराने का सबधानिक तरीका कहते थे। गांधीजी ने सत्याग्रह का कई नामों से पुकारा है। वे इसे 'गुरु कुजी', 'असहयोग इत्यादि', "सजीवनी वृत्ति", "आत्म शुद्धि के लिये यज्ञ" की सजा देते थे। वे कहते थे कि यह ऐसी तलवार है जिसे जग नहीं लगता। गांधीजी का पूरा विश्वास था कि सत्याग्रह की दीवार सत्यरूपी प्रेम और अहिंसा रूपी साधन के सामने टिक नहीं सकती।

गांधीजी के सत्याग्रह के अनेक कौशल थे (i) असहयोग, (ii) हड़ताल सामाजिक बहिष्कार, धरना, हिजरत, सविनय अवज्ञा, उपवास आदि। गांधीजी का विश्वास था कि जिसे व्यक्ति असत्य, अवैध, अनैतिक या अहितकर समझता है उसके साथ असहयोग करके वाञ्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। उनका कहना था कि जहाँ दमन है, शोषण है, अत्याचार है वहाँ असहयोग सम्भव है। हड़ताल को गांधीजी स्वेच्छापूर्वक तथा अतः शुद्धि के लिये आत्मोत्सग मानते थे। गांधीजी का कहना था कि हड़ताल सरकार या अन्य किसी विरोधी के काय के प्रति अपनी ओर असहमति प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है। गांधीजी कहते थे कि—हड़ताल अर्थात् अतकरण की

मौन सधुवाणी उस दूरी तक पहुँच सकती है जिस दूरी तक मानव वाणी नहीं पहुँच सकती। मविनय अवज्ञा को गांधीजी ने अहिंसक जाति की सजा दी है जिसका प्रयोग अनतिक्रम अधिनियमों के विरुद्ध किया जा सकता है। वे इसे पूर्ण प्रभावी और सशस्त्र जाति का रक्तहीन स्थानापन कहते थे। उपवास को गांधीजी आध्यात्मिक श्रौचि की सजा देते थे जिसका प्रयोग कुशल वच ही कर सकता है। उपवास के प्रभाव और शक्ति के सम्बन्ध में गांधीजी ने लिखा है कि "तोग कहने से चेतते ही नहीं। उपवास से ही हजारों को सदेश पहुँचाया जा सकता है।"

कुछ आचोलकों ने गांधीजी के सत्याग्रह के अस्त्र को "बल प्रयोग", "मानसिक हिंसा" "श्रास" (Terrorism), 'राजनीतिक दबाव' (Political Blackmail) की सजा दी है। परन्तु गांधीजी इन आलोचनाओं को स्वीकार नहीं करते। वे सत्याग्रह आन्दोलन को शुद्ध सवधानिक मानते थे। वे कहते थे सत्याग्रही स्वयं कष्ट भेनता है, विरोधी को कष्ट नहीं देता, वह हिंसा या जाति को निमंत्रण नहीं देता। सत्याग्रही तो विरोधी का हृदय परिवर्तन कर उसे प्रयाय से दूर करता है। सत्याग्रह असहमति प्रकट करने का तरीका है, जनमत को प्रभावित करने का साधन है जो शुद्ध लोकतांत्रिक साधन है।

गांधी का राम राज्य (पूर्ण सभाज) या आदर्श अहिंसक सामाजिक व्यवस्था
(Gandhi's Ram Rajya or Ideal Non violent Social System)

या

गांधी के राजनीतिक और आर्थिक विचार (Political and Economic Ideas of Gandhi)

A राजनीतिक विचार

गांधीजी ने अपने आदर्श अहिंसक समाज की रूपरेखा स्पष्ट रूप से तैयार नहीं की थी जिसे प्रकार प्लेटो, रूमो तथा काल मार्क्स ने अपने आदर्श समाज की रूप रेखा तैयार की थी। जैसाकि जॉन वी. बटुरा ने लिखा है कि गांधीजी "राजनीतिक कल्पकर्ता और व्यावहारिक दार्शनिक" थे वे सिद्धांत निर्माता नहीं थे।¹ गांधीजी के विचारों में अध्यात्म शास्त्र, नतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, और राजनीति शास्त्र के विचारों का सम्मिश्रण था। उनका निरंतर विकसित होने वाला व्यक्तित्व था और उनका तरीका निगमात्मक, प्रयागात्मक, व्यावहारिक और सवलनवादी था।

गांधीजी के राजनीतिक विचारों को निम्न विदुषों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—

1 Bondurant, Joan V. Conquest of Violence The Gandhian Philosophy of Conflict, p 7

(i) राज्य पर विचार—दाशनिक् अराजकतावादिया की भाति गाधीजी आदश व्यवस्था मे राज्य के किसी भी स्वरूप का स्वीकार नही करते । उनका कहना था कि राज्य "सत्ता का प्रतिनिधित्व" करता है और "सगठित हिंसा" का प्रतीक है । गाधीजी राज्य को अनतिक सस्था भी मानते थे । वे कहते थे कि सत्ता व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये घातक है । उनकी धारणा थी कि राज्य शक्ति मे वाध्यता पाई जाती है और वाध्यता व्यक्ति के काम के नैतिक मूल्या को नष्ट करनी है । उनका कहना था कि काम तभी तक नैतिक है जब तक स्वच्छिद्र है । गाधीजी राज्य शक्ति मे वृद्धि को शका की दृष्टि से देखते थे । उन्होंने स्वयं लिखा है कि "राज्य एव केन्द्रित एव व्यवस्थित रूप मे हिंसा का प्रतिनिधि है, व्यक्ति की आत्मा होती है, राज्य आत्मविहीन यंत्र है जिस चीज को मैं अस्वीकार करता हूँ वह हिंसा पर आधारित सगठन है । सगठन ऐच्छिक होना चाहिये ।"¹

गाधीजी राज्यविहीन लोकतंत्र के इच्छुक थे जहा सामाजिक जीवन इतना स्वच्छ, पूरा और ज्ञानयुक्त होगा कि वह स्वतंत्र नियमित हागा (Self regulated) इसमे "प्रत्येक अपना शासक होगा ।" गाधीजी इसे ज्ञानयुक्त अराजक व्यवस्था (enlightened Anarchic system) कहते थे । जहा अराजकतावादी, विशेषकर वेकुनि और रोपाटकिन, बतमान राज्य को नष्ट करने के लिये प्रातिकारी हिंसा का प्रयोग करते हैं वहा गाधीजी राज्य को नष्ट करने के लिये पूर्ण अहिंसक साधना का प्रयोग करते हैं ।

(ii) पश्चिमी लोकतंत्र पर विचार—गाधीजी ने दलीय व्यवस्था पर आधारित पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना की है । उनकी धारणा थी कि इसके काम अनिश्चित, मिथ्यावादी और स्वार्थी अर्थात् दलीय होते हैं । ब्रिटिश ससद की तुलना तो गाधीजी ने बाभ और वश्या से की है । उनका कहना था कि बाभ स्त्री की भाति इमने बोर्ड अच्छे काम नही किया और वश्या की भाति यह मर्त्या के हाथों की वे कठपुतली बन कर रह जाती है जो आते और चले जाते है ।

(iii) विकेंद्रित राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था—गाधीजी के द्वीकरण के विरोधी थे । उनका विश्वास था कि के द्वीकरण जीवन को जटिल बनाता है व्यक्ति की अभिक्रमशीलता (initiative), साधन सम्पन्नता (resourcefulness) सहस और निर्माण शक्ति को नष्ट करती है, व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खो बैठता है । उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 'के द्वीकरण और अहिंसक समाज परस्पर विरोधी है । लोकतंत्र को सफल बनाने के लिये वे विकेंद्रिकरण को आवश्यक समझते थे । गाधीजी का आदश प्रजातंत्र स्वशासित स्वावलम्बी, सत्याग्रही ग्रामों का सघ है जिसका आधार

1 Gandhi, M K. Quoted by Tendulkar, D G. Mahatma, Life of Mohandas Karamchand Gandhi, Vol IV pp 11-13

अहिंसा है। इसमें सहयोग स्वेच्छित है, व्यक्ति की स्वतन्त्रता सुरक्षित एवं स्वनिर्दिष्ट है और जीवन शान्तिमय है।

गांधीजी के विवेचित अहिंसक आदर्श समाज का स्वरूप पारिवारिक है जिसके सदस्य अयो-याश्रित होते हैं। व न तो व्यक्तिवाद का स्वीकार करने थे जो सामाजिक कृतव्या की उपेक्षा करता है और न ही आदर्शवाद या साम्यवाद को जो व्यक्ति की राज्य रूढ़ी देवी पर उल्टा चढ़ा देता है। गांधीजी सामाजिक प्रतिग्रहों को स्वच्छा पर आधारित करते थे। गांधीजी के अहिंसक आदर्श समाज में छोटे छोटे समूह हैं जिन्हें अपरिग्रह, अस्तेय, 'रोटी के लिये श्रम' के नियम स्वतः लागू होते हैं। इस समाज में कोई शोषक होगा, न कोई शोषित, यत्रो का प्रयोग मानव श्रम को विस्थापित (displace) करने के लिये नहीं बल्कि उसे कुशल बनाने के लिये किया जायगा, 'दाय आपसी मेल-जोल और पंच फमला पर आधारित होगा।

समाज और व्यक्ति के चयन में गांधीजी व्यक्ति को महत्त्व देते थे, यद्यपि वे व्यक्ति के सामाजिक कृतव्यों की उपेक्षा नहीं करते। गांधीजी कहते थे कि "अतः व्यक्ति ही इकाई है।" "राज्य का व्यवस्था का अर्थात् वातन के लिये लोगों के हाथों में एक माध्यम है।" स्पष्ट है कि गांधीजी आदर्शवादियों की भांति राज्य को साध्य नहीं मानते और न ही फासीवादियों की भांति यह मानते थे कि "प्रत्येक चीज राज्य के अन्दर है, कुछ राज्य के बाहर नहीं, कुछ राज्य के विरुद्ध नहीं।" बहुलवादियों की भांति गांधी राज्य को "समुदाय" या ग्रीन जैसे आदर्शवादियों की भांति "समुदाय का समुदाय" भी नहीं मानते थे। गांधीजी राज्य को सम्प्रभुता को भी स्वीकार नहीं करते। वे तो राज्य को "एक माध्यम" (one of the means) मानते हैं और 'लोगों की उस सम्प्रभुता में विश्वास करते हैं जो शुद्ध नैतिक शक्ति पर आधारित है।" गांधीजी "अतः आत्मा" की कर्तव्यपरायणता पर विश्वास करते थे। गांधीजी कहते थे कि "यह हमारे पुरुषत्व के विरुद्ध है कि हम उन नियमों का पालन करें जो हमारी आत्मा के विरुद्ध है। 'मैं राज्य के कानूनों का सम्मान करता हूँ। परन्तु मैं उच्चतम कानून—अतः आत्मा की आज्ञा की पालना करता हूँ।

B आर्थिक विचार—

गांधीजी के आर्थिक विचार भी उनके राजनीतिक और सामाजिक विचारों की भांति आध्यात्म पर आधारित थे। ये परम सत्य से भरपड़े हैं। ये सामाजिक दाय और नैतिक मूल्यों पर आधारित हैं। इनमें अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान और धर्म का सम्मिलन है। ये मानव और उसके कल्याण पर आधारित हैं। गांधीजी के अर्थशास्त्र का मापदण्ड नैतिक मूल्य है। गांधीजी कहते हैं कि "जो अर्थशास्त्र लक्ष्मी पूजा सिखाता है और निबल की कीमत पर शक्तिशाली को धन एकत्रित करने में प्रोत्साहन देता है वह भ्रूषण और उदासीन विचार है।"

हिन्द स्वराज में गांधीजी ने वर्तमान सम्पत्ता की भत्तना की है। गांधीजी धन की तुलना "उस साधन से की है जो मानव या पशुश्रम का पूरक नहीं

उसका ही स्थान प्राप्त करने वाला है।" यत्र श्री नैतिता बुराइयो की ध्यारया करत हुए गाधीजी ने लिखा है कि ये अचछे जीवन म वायक हं, इतसे दास वक्ति का विकास होता है, मानव की सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों का ह्रास होता है, असमानता पैदा होती है। इनकी आर्थिक बुराइया बेरोजगारी, ताभयक्ति, प्रतिद्विद्विता, सट्टावक्ति, अत्युत्पादन, आर्थिक सकट, साम्राज्यवाद, सकुनित नगर आदि को जम देती है। इस तरह गाधीजी यत्र वो "पाप के प्रतिनिधि" मानते थे। पर तु इसका यह अर्थ नहीं कि गाधीजी हर प्रकार के यत्र के विराधी थे। वे तो केवल यत्रा की होड क विरोधी थे और सिंगर सिलाई मशीन जैसे उन यत्रा को स्वीकार करते थे जो मानव श्रम को वचाते और उसके बोझ को हनका करते हैं। वस्तुतः जीवन क अतिम बाल मे वे यत्रो से समझौता करने लग गय थ।

गाधीजी पूजीवाद के भी विराधी थे। उनका तह्या था कि पूजीवाद ही दरिद्रता, बेरोजगारी, शोषण और साम्राज्यवाद को जम देता है। परतु गाधीजी माक्सवादिया की भाति हिंसा द्वारा पूजीवाद को नष्ट करना नहीं चाहते थ वल्कि पूजीपतियों का हृदय परिवर्तन करना चाहते थ और "फालतू धन" अर्थात् उनकी आवश्यकताओं से अधिक कमाय हुए धन पर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू करना चाहते थे। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार 'अमीर व्यक्ति का धन उसके पास ही रख दिया जायगा जिसमे से वह अपनी उचित जरूरतों के लिये खच करेगा और बाकी बचे हुए धन का वह ट्रस्टी हागा जिसका प्रयोग समाज के कल्याण के लिये किया जायगा।' इस तरह गाधीजी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अपेक्षाधिर धन पर लागू होता ह और इसमें दोहर स्वामित्व की बात निहित है। सम्पत्ति पर वैध स्वामित्व तो पूजीपति का होगा परतु उस पर नैतिक स्वामित्व समाज का होगा। वे पूजीपतियों को स्पष्ट कहते थे कि 'आप अपने धन का उपभोग उसे त्याग कर करे।'

गाधीजी बग विभाजन (Class distinction) का समाप्त नहीं करना चाहते थे। व तो बग संघर्ष (class conflict) को समाप्त करना चाहते थ। व पूजीपतियों का सफाया कर समाज का उनकी दाम्यताओं से बलिष्ठ नहीं करना चाहते थे। व न केवल पूजीपति म वल्कि श्रमिक म भी "स्वामित्व की भावना को समाप्त करना चाहते थे। वे आर्थिक समानता के पोषक थे परतु उससे उनका अर्थ सांसारिक वस्तुओं की समानता से नहीं था यद्यपि व हर एन् के लिये उचित धर, पर्याप्त भोजन और पर्याप्त ग्यादी की व्यवस्था करना चाहते थ। वे सभी पर क्या पूजीपति, क्या बुद्धिजीवी, क्या श्रमिक रोटी के लिये श्रम सिद्धांत का लागू करना चाहते थे। व कहते थ 'प्रत्येक का अपना भगी स्वयं बना हागा' "शरीर का आवश्यकताओं शरीर द्वारा ही प्राप्त हाती चाहिये, बुद्धि द्वारा नहीं।' गाधीजी स्वयंशा और ग्यादी क अर्थशास्त्र म भी विश्वास करते थ।

उपयुक्त बहाने से स्पष्ट है कि गाधीजी की आदर्श हिंस्र सामाजिक व्यवस्था धार्मिक दृष्टि से ईश्वरीय व्यवस्था है राजनीतिक दृष्टि से यह स्वशासन, स्वायत्तता

पर आधारित सच्ची तोगतार्त्रक व्यवस्था है, सामाजिक दृष्टि से यह आधुनिक व्यवस्था है और आर्थिक दृष्टि से यह ऐसी विकेन्द्रीकृत व्यवस्था है जिसमें जीवन सरल, सादा, और सयत है, उत्पादन का आधार लाभ के स्थान पर सेवा है।

व्यावहारिक आदर्शवादी

(A Practical Idealist)

गाधीजी के सम्बन्ध में यह कथन कि वे व्यावहारिक आदर्शवादी थे दावाना अभिव्यक्त करता है। प्रथम तो यह कि गाधीजी व्यावहारिक थे अर्थात् वे भक्ति-पानयोगी और कमयोगी थे। गाधीजी की विशेषता यही थी कि जो कुछ उन्होंने किया, उसका दर्शन भी उन्होंने निश्चित किया और प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने उसे अचित भी किया। वस्तुतः गाधीजी जिस विचार का आचार में नहीं ला सकते थे वे गौण समझते थे। दूसरे, गाधीजी के विचार इतने उच्च थे कि वे अव्यावहारिक प्रतीत होते थे। वे ऐसे आदर्श थे जो इस पृथ्वी पर विद्यमान नहीं, स्वर्ग में ही विद्यमान हैं।

गाधीजी की यह मान्यता थी कि आदर्श को यथाथ बनने के लिये व्यावहारिक हाना है। उनका कहना था कि भावात्मक सत्य को यदि व्यक्तियों के जीवन में प्रकट न जाय तो वह व्यर्थ बन जाता है। यही कारण है कि यदि गाधी के सत्त्व ने उन्हें आदर्शवादी बनाया तो उनकी समन्वय क्षमता ने उन्हें यथाथवादी बनाया। उन्होंने स्वयं 20 में एक लेख में लिखा था कि "मैं स्वप्न नहीं देखा करता। मैं एक व्यावहारिक आदर्शवादी हान का दावा करता हूँ। अहिंसा का धर्म केवल ऋषियों और महात्माओं लिये नहीं है। वह जन साधारण के लिये भी है। जिस तरह से हिंसा पशुआ जीवन सिद्धांत है, उसी तरह अहिंसा हम मानवा का।"¹

गाधीजी की व्यावहारिकता का इस बात से ही परिचय मिल जाता है कि हान अपने अहिंसक सिद्धांत का प्रयोग समयानुकूल किया। जिस समय भारत में अहिंसा के विधेयनों, माशाल लों, जलिमावाला वाग हत्याकाण्ड और खिलाफत के प्रश्न पर विप्लव और आति के मोड पर खडा था गाधीजी ने अमहयोग आंदालन को कर एक और अहिंसक शक्तियों को संगठित किया और दूसरी आर नेश को लव से बचा दिया इसी तरह कौमिल प्रवेश के प्रस्ताव को पास करा कर 1923 कांग्रेस को विघटित होने से बचा लिया, जय 1928-29 में दश विप्लववाद पर खड रहा था गाधीजी ने 1930 में मविनय अचना आंदालन को शुरू करने के लिये अहिंसा, तरुणा वृद्धा, वामपथिया, दक्षिण पथियो उदारवादिया

वृपाराम बन्धाल की पुस्तक भारतीय राजनीति और शासन

आदि को एक राष्ट्रीय सघष में संगठित कर लिया। जसकि जे० बी० कृपलानी ने लिखा है कि "इतनी विभिन्न विचारधाराओं और भावनाओं वाली विभिन्न शक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित करना एक कुशल राजनीतिक कलाकार का काय था।" इसी तरह जब सविनय अवज्ञा आन्दोलन में कुछ शिथिलता आने लगी तो 1931 में गांधी जीवित समझौता कर लिया। जब द्वितीय महायुद्ध शुरू होने के बाद 1940 के अगस्त प्रस्ताव और निम्न प्रस्ताव असफल हो गए तो 1942 में "भारत छोड़ो" आन्दोलन का संचालित कर देश को "करो और मरो" का संदेश दिया। स्पष्ट है कि गांधीजी की व्यावहारिकता ने जहाँ देश को क्रांति, विप्लव और गृह युद्ध के दानानल में बचाया वहाँ उहाँने ब्रिटिश शासकों को भी यह स्पष्ट कर दिया कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये सब कुछ बलिदान करने के लिये तैयार है।

गांधीजी के सब आन्दोलनों की यही विशेषता थी कि वे अहिंसा पर आधारित थे, उनमें पशु शक्ति का अभाव था और वे विरोधी की घृणा पर आधारित नहीं थे बल्कि उनका उद्देश्य विरोधी का उसके पाप और अत्याचार में मुट्टारा दिलाने पर आधारित था। गांधीजी की अहिंसा केवल नकारात्मक नहीं, सकारात्मक थी, यह केवल व्यक्तिगत नहीं सामाजिक थी। उनका पूरा विश्वास था कि जहाँ उत्पीड़न है, अत्याचार है, अत्याचार है वहाँ अहिंसा संगठित हो सकती है। गांधीजी ने अपने असहयोग सविनय अवज्ञा आन्दोलन द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसा संगठित हो सकती है।

गांधीजी के स्वदेशी आन्दोलन, खादी प्रोग्राम, राष्ट्रीय शिक्षा (दुनियादी शिक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता, ग्रामोद्धार, नशाबंदी, अप्रसृत्यता निवारण, बाल विवाह का बंद करना, विधवा विवाह आदि का प्रोग्राम सब व्यावहारिक आदेश थे।

व्यावहारिक हान के बाद भी गांधीजी आदेशवाणी थे क्योंकि उनके आदेश इतने उच्च थे कि उन्हें जीवन के सामान्य नियमों में बदलना कठिन है। वे आदेश हो सकते हैं व्यावहारिक नहीं। उनके राम राज्य की कल्पना अर्थात् राज्य विहीन शोषण विहीन समाज की कल्पना जिसमें अहिंसा, प्रेम त्याग, बलिदान सहयोग दया सब कुछ विद्यमान हो, इस पृथ्वी पर विद्यमान नहीं। गांधीजी की आदेशवादिता इस बात से ही स्पष्ट है कि उन्होंने व्यक्ति के स्वभाव को केवल 'अच्छा समझा है। व भूल गये कि यदि व्यक्ति में अच्छाई अर्थात् दया, क्षमा, प्रेम और त्याग है तो उसी व्यक्ति में स्वाध, घृणा और द्वेष भी विद्यमान हैं। व्यक्ति वस्तुतः अच्छाई और बुराई का मिश्रण है, उसमें देवत्व और आसुरी गुणों का समावेश है।

गांधीजी ने राज्य को हिंसा का प्रतीक माना है और उन्होंने अपने आदेश अहिंसक समाज में उस स्थान नहीं दिया। परंतु गांधीजी ने हमें बात का उत्तर नहीं दिया कि अहिंसक साधना में राज्य की बाह्य आक्रमणों में छापाकार युद्धों से और अणु परमाणु युद्धों से कम रक्षा की जा सकती है? वस्तुतः राज्य सुरक्षा और

आंतरिक व्यवस्था के लिये शक्ति की आवश्यकता है। जसाकि हक्सले ने लिखा है कि 'केवल अच्छी भावनायें और निष्ठा ही विश्व को बचाने के लिये पर्याप्त नहीं वज्ञानिक तरीका को अच्छी भावनाओं और निष्ठा से मिलाना होगा।' यदि यह मान भी लिया जाय कि अहिंसक साधनों का राजनीति में प्रयोग किया जा सकता है और उहे अपने उद्देश्यों में सफलता भी मिल सकती है तो यह कहना बड़ा कठिन है कि विरोधी ने सत्याग्रही के सत्याग्रह के कारण अपने मार्ग को बदला। गांधीजी अहिंसा द्वारा जिना के हृदय को कभी परिवर्तित न कर सके। वस्तुतः जिस साम्प्रदायिक एकता के लिये गांधीजी इतने इच्छुक थे उहोने उस साम्प्रदायिकता के गढ़ मुस्लिम लीग और जिना के विरुद्ध कभी उपवास नहीं किया। वस्तुतः अहिंसक साधना का महत्त्व लोकतांत्रिक, उदारवादी समाजों में हो सकता है, धार्मिक कट्टरवादिया, नाजीवादियों और अधिनायकवादी समाजों में इसका कोई महत्त्व नहीं।

सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी गांधीजी के विचार आदर्शवादी हैं। वे स्वामित्व भावना को समाप्त करना चाहते हैं। पर तु व भूल जाते हैं कि स्वामित्व की भावना ही काय और कुशलता का स्रोत है। यदि स्वामित्व के पेरव तत्वों का ही समाप्त कर दिया जाय तो जीवन का स्वाद ही नष्ट हो जाता है। उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को स्वीकार या अस्वीकार करना तो दूर, अभी यह शैक्षणिक रुचि का विषय ही है।

उपयुक्त वरान से स्पष्ट है कि गांधीजी व्यावहारिक आदर्शवादी थे। उनमें दाना का समावेश था।

2 सुभाषचन्द्र बोस¹ 1897-1945

(Subhas Chandra Bose 1897-1945)

सुभाष चन्द्र बोस भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के उन थोड़े से नायकों में से थे जिन्होंने राष्ट्र की स्वतन्त्रता का बीड़ा केवल अपने देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने कंधों पर उठाया। बोस एक महान यथार्थवादी राजनीतिक नेता थे। वे पहले दशभक्त, कुशल प्रशासक, ढढ़ निश्चय लेने वाले एवं प्रभावशाली वक्ता थे। निर्भक्ता उनमें अद्वितीय थी। निराशा और पराजय उन्हें हतोत्साहित नहीं कर सकती थी। जीवन के अघकारमय क्षणों में भी बोस ने उत्साह और धैर्य को नहीं छोड़ा। वे अपने साथियों के साथी थे। वे कहा करते थे कि 'मैं बामा के बा मा (Ba Maw) जसा व्यक्ति नहीं जो अपने आदर्शों को पीछे छोड़ दे और सुरक्षा के लिये भाग जाये।' उनका विश्वास था कि "इंग्लैंड न अभी ऐसे किसी वम का निर्माण नहीं किया जो सुभाष का मार सकता है।'

1 सुभाषचन्द्र बोस श्री जानकीवास के पुत्र थे। उनका जन्म बटव नामक स्थान पर 23 फरवरी, 1897 को हुआ और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 8 अगस्त 1945 का फारमासा में हुआ है।

बोस को "वीरा" (heroes) में दिलचस्पी थी। विस्माक की आत्म कथा, मैटरनिक के लेखों और केबूर के पत्रों का अध्ययन बोस ने केम्ब्रिज में ही कर लिया था। लेनिन, कमालपाशा, डी बलेरा, हिटलर, मुसोलिनी, आदि नेताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव उनके विचारा पर अत्यधिक था। स्वामी विवेकानन्द में उन्हें उन निर्भीक पुष्पत्व नजर आता था, तिलक में उन्हें 'काय और उद्देश्य के प्रति लगन' नजर आती थी। चित्तरंजनदास के वे अनन्य भक्त और सहयोगी थे। दास को बोस अपना गुरु मानते थे। वीर सावरकर, लाला हरदमाल राजा महेन्द्र प्रताप, मौलवी बरकत उल्ला, रास बिहारी बोस जैसे भारतीय क्रांतिकारी उनकी प्रेरणा के स्रोत थे। गांधी को बोस सर्वश्रेष्ठ महापुरुष मानते थे और वे उनके प्रशमका में भी थे। परन्तु न तो वे गांधी के विचारा और न ही उनके साधनों से प्रभावित थे। बोस को गांधी की योजना में "स्पष्टता का अभाव नजर आता था।" दास कहते थे कि गांधीजी के पास सामाजिक पुनर्गठन के लिये न तो कोई दशन था और न ही कोई प्रोग्राम। बोस ने स्वयं लिखा है कि "मैं महात्माजी का भारत का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष मानता हूँ और उनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, परन्तु श्रद्धा का अर्थ उनकी इच्छा और विचारों की अधीनता नहीं है।"

बोस योग्य एवं परिश्रमी व्यक्ति थे। सन् 1920 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (Indian Civil Service) की परीक्षा पास की। परन्तु उनमें देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावनाएँ इतनी उबाल ले रही थी कि उन्होंने सन् 1921 में उससे त्यागपत्र दे दिया। यह पहला उदाहरण है जबकि किसी भारतीय ने सर्वोच्च सेवा की परीक्षा पास करने के बाद देशभक्ति का भावना से उससे त्यागपत्र दे दिया। बोस के इस महत्सपूर्ण कार्य पर उनके साथियों ने उन्हें 'वीर'¹ की उपाधि दी। यह उस समय के भारतीयों के लिए कोई कम प्रेरणापूर्ण उदाहरण नहीं था।

राजनीति में दास ने अपना जीवन एक असहयोगी के रूप में शुरू किया परन्तु वे शीघ्र ही सी० आर० दास के प्रभाव में आ गये और स्वराजिस्ट बन गये। कुछ समय तक बोस नेशनल कालेज के प्रिंसिपल रहे, स्वराज दल के पत्र फारवर्ड का वे सम्पादन करते रहे। बंगाल में उन्होंने सब बंगाल युवक लीग (All Bengal Youth League) की स्थापना की जिम्मेवारी स्वयं ग्रहण की। वे बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रचारक वाड के प्रभारी रहे। वे 'बांगलर कथा' (Banglar Katha) नाम के पत्र के सम्पादक भी रहे। जब सी० आर० दास बलकृष्ण कर्पोरेशन के मेजर निर्वाचित हुए तो बोस का उन्हें 24 अप्रैल, 1923 का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी (Chief Executive Officer) नियुक्त कर दिया। बाद में

1 "To thee, O hero! we bow, Quoted by Jog, N G 'In Freedom's Quest' p 37

(1930 म) बोस स्वयं चतवर्त्ता कांप्रेसन के मेयर निर्वाचित हुए। सन् 1928 म वास स्वतंत्र लीग (Independent League) के सदस्य बन गये। लाहौर कांग्रेस के समय बोस ने श्री निवास आगरा के साथ मिलकर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक दल (Congress Democratic Party) का 2 जनवरी, 1930 को निर्माण किया।

बोस कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए। प्रथम बार 1938 में हरिपुरा म और दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी म। त्रिपुरी में बांस की अध्यक्ष पद पर विजय उनके सिद्धांत की विजय थी और उनकी प्रतिभा, योग्यता, शौचता और व्यक्तित्व का प्रभाव था। उनकी यह विजय महात्मा गांधी के नेतृत्व का चुनौती थी तथा गांधी के सिद्धांत की अस्वीकृति थी।

सन् 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिये विजयी होने के बाद वास "वाम पंथी" नेताओं और दलों को इकट्ठा करना चाहते थे और ब्रिटिश सरकार को अतिम चतवर्त्ता देकर सघर्ष की गति को तीव्र बनाना चाहते थे। परंतु इन दोनों उद्देश्यों में उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि गांधी और दक्षिण पंथी इसका लिये तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप गांधी और दक्षिण पंथी बोस को अध्यक्ष पद से हटाने के लिये योजनार्य बनाने लगे। परंतु बोस न स्वयं ही अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद बोस न 1940 म फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वे सभी वामपंथियों को मिलाकर साम्यवादी सघर्ष की स्थापना करना चाहते थे परंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली।

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च नेताओं में तिलक का छोड़कर बोस ही एक ऐसे उच्च राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिये गम्भीर दुःख, कष्ट और यातनायें सहनी की। उन्हें 11 बार कारागार का दर्श दिया गया, कभी अभियोग लगाकर और कभी बिना अभियोग के उन्हें तजरबंद कर दिया गया और कभी देश निकाला दे दिया गया। जब हालवेल स्टेच्यू (Hallwell Monument) के आंदोलन में उन्हें बंदी बनाया गया (जबकि उनके साथ बनाया गये बंदियों को छोड़ दिया गया) तो 26 नवम्बर, 1940 का उद्घान बंगाल के गवर्नर, मुख्य मंत्री और मंत्रिमण्डल का सम्बोधित करते हुए एक पत्र में लिखा कि "मुझ मुक्त कर दीजिये अथवा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। इस बात का निश्चय करना मेरे वश नहीं है कि मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ। शहीदा का खून धम का बीज होता है मुझ गात्र अस्थि मर जाना चाहिये तबि भारत जीवित रहे और अपनी स्वतंत्रता और प्रताप का प्राप्त करे। अतः दशवागिया में मुझे यह कहना है भूतना नहीं कि दामना मनुष्य के लिये सबसे बड़ा पाप है भूलना नहीं कि सबसे गम्भीर अपराध अत्याय और अमृत्य म समझना करना है। शाश्वत नियम का याद रखिये "यदि आप जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो तुम्हें जीवन देना होगा।"¹ इस पत्र का

1 Bosc, Subhas Chandra Quoted by Jog, N G Ibid, pp 189-190

सरकार पर तत्काल प्रभाव पड़ा और सरकार ने वास को 5 दिसम्बर, 1940 को जेल से मुक्त कर घर पर बन्दी बना लिया।

जनवरी 1941¹ में वास का भारत से साम्राज्यवादी पहरे के बावजूद बच कर निकल जाना स्वयं में एक महान साहस का काय है। भारत से काबुल, काबुल से मास्का, मास्को से बर्लिन, बर्लिन से टोकियो और टोकियो से सिंगापुर की यात्रा स्वयं में एक महाकाव्य है।

बर्लिन में वास 22 महीने तक (मार्च 1941 से जनवरी 1943 तक) रह। वहाँ उन्होंने आजाद हिन्द रेडियो की स्थापना की तथा इण्डियन लिजन (Indian Legion) नाम से एक सैनिक दल की स्थापना की। आजाद हिन्द रेडियो से वास ने देश के नाम 19 फरवरी, 1942 को प्रथम भाषण दिया। वास के लिये 'जय हिन्द' (Victory to India) सब कुछ था। जिस आजाद हिन्द फौज का निर्माण वास ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में किया लिजन उसकी प्रवर्गाणी थी। टोकियो से होते हुए वास जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्वतन्त्र भारत केन्द्र (Free India Centre) की स्थापना की। सिंगापुर पहुँचते ही उन्होंने स्वतन्त्र भारत लीग (Indian Independent League) की कमाण्ड की सम्भाला और जुलाई, 1943 को वास ने 60,000 भारतीयों की आजाद हिन्द फौज (Indian National Army) के निर्माण की घोषणा की। अक्टूबर 21, 1943 को वास ने स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार (Provisional Government) की स्थापना कर दी। मार्च 22, 1944 को आजाद हिन्द फौज ने भारत भूमि पर तिरगा लहरा दिया और अण्डेमान और निकोबार द्वीपों का नाम क्रमशः 'शहीद' और 'स्वराज' रख दिया। लगभग 200 बग मील की भूमि का आजाद करा लिया और 1½ वर्ष तक (फरवरी 1944 से अप्रैल 1945 तक) आजाद हिन्द फौज ने भिन्न राष्ट्रों से लोटा लिया परन्तु इम्फाल पर उसे पराजय का मुह देखना पड़ा और फौजें आगे न बढ़ सकीं। अगस्त 1945 में जापान के आत्म समर्पण के बाद 18 अगस्त 1945 को टोकियो जात हुए तहोकू (Taihoku), फारमासा में, विमान दुर्घटना में उन्हें गम्भीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गयी। इस समय वाम केवल 48 वर्ष के थे।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वास के जीवन का एक उद्देश्य था एक इच्छा थी, एक प्रयत्न था—कि भारत स्वतन्त्र हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये किसी से समझौता करने के लिये तैयार नहीं थे और न ही किसी को रियायत देने के लिये तैयार थे। वास में नरहृ प्रतिवेदन की 'अधिराज्य स्थिति' (Dominion Status) की सिफारिश का कभी स्वीकार नहीं किया। वास पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते थे और इसकी

1 सिंसिरकुमार वाम के अनुसार (जो वास के साथ गये थे) वास 17 जनवरी, 1941 का घर से फरार हो गये परन्तु घर से फरार होने की सबर 26 जनवरी, 1941 को रेडियो पर दी गयी।

प्राप्ति के लिये वे किसी से भी सहायता लेने के लिये तैयार थे। वे गांधी की तरह राजनीति को नीतिशास्त्र या धर्म से मिताने के लिये तैयार नहीं थे। वे "सीजर की चीजें सीजर को देना चाहते थे" और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये नैतिक अनैतिक, उचित अनुचित साधना पर ध्यान नहीं देते थे। वे पवित्र साध्य (भारत की पूर्ण स्वतंत्रता) की प्राप्ति के लिये कोई भी साधन अपनाने के लिये तैयार थे। वे यथाथवादिद्या की तरह कहते थे कि मुझे एक भी उदाहरण याद नहीं जहाँ स्वतंत्रता विदेशी सहायता के बिना प्राप्त की गयी हो। अतः बोस भारत की स्वतंत्रता के लिये फासीवादिद्या, से सहायता लेने से नहीं हिचकते थे।

बोस अहिंसक साधनों में अविश्वास नहीं करते थे परन्तु उन परिस्थितियों में वे उन्हें अपर्याप्त समझते थे। वे विवेकानंद की भांति यह कहते थे कि "अहिंसा की अत्यधिक श्रुतियों का पतन" का कारण है। इसलिये वे अहिंसा के साथ अतिम चेतनावनी (ultimatum), उग्र सघष, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, कूटनीति और शत्रुओं के शत्रुओं में महायत्ना का समर्थन करते थे।

बोस देशभक्त, उग्रवादी और राष्ट्रवादी थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि "मैं पूर्णतया उग्रवादी हूँ या कुछ भी नहीं।" वे कहते थे "सफलता कायरो को नहीं, बीरो को मिलती है।" पट्टाभि सीतारमय्या ने बोस की तुलना अलेक्जेंडर, सीजर, कामबल और हिटलर से की है। आर० सी० मजूमदार का कथन है कि "गांधीजी के बाद भारतीय स्वतंत्रता सघष में सबसे प्रमुख व्यक्ति निःसंदेह सुभाषचंद्र बोस के।" बोस के महान देशभक्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अंग्रेज उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे। वे स्वतंत्रता के "सह निर्माता" (co architect) थे। उनके द्वारा स्थापित आजाद हिन्द फौज ने भारतीयों में जन जागृति, जन साहस, जन उत्तेजना और जन वलिदान की अद्वितीय भावना पैदा कर दी। सन् 1946 के भारतीय नौ सैनिक विद्रोह तथा वायु सेना में हड़तालें आजाद हिन्द फौज के शानदार कार्यों का ही प्रभाव था। आजाद हिन्द फौज के सेनानियों (दिल्ली, सहगल, शाहनवाज) पर लाल किले में चलाये गये अभियोग में भारतीयों में इतनी उत्तेजना पैदा कर दी कि ब्रिगडर-इन-चीफ फील्ड मार्शल अचिनलेक (Field Marshall Auchinlake) को उन्हें रिहा करना पड़ा।

बोस ने ऐसे नारों को जन्म दिया जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रतीक बन गये। "दिल्ली चलो", "दिल्ली की सड़क स्वतंत्रता की सड़क है", "करो सब यौद्धावर बनो सब फकीर", "रक्त-रक्त को पुकार रहा है", "लाल किता हमारा है", "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा", "स्वतंत्रता के भण्डे को ऊँचा उठाये रखो", "आजाद हिन्द जिंदाबाद", "इक्लाब जिंदाबाद", "नेताजी जिंदाबाद" के नारों ने भारतीय फौज और जन मानस में स्वतंत्रता की अद्वितीय लहर पैदा कर दी। देशवासियों के लिये देशभक्ति स्वाभाविक बन गयी। बोस द्वारा दिया गया "जयहिन्द"

का सामान्य अभिवादन आज स्वतन्त्र भारत का राष्ट्रीय अभिवादन है। राष्ट्रीय आन्दोलन में बोम की ये सर्वात्म्य देनो में से हैं।

जिस साम्प्रदायिक एकता को बोस ने उत्पन्न किया उसे गांधीजी सारा जीवन भर त प्राप्त कर सक। बोस की अस्थायी सरकार का स्वरूप सायमौमी (Cosmopolitan) था। उसकी आजाद हिंद फौज के सेनानी तथा जनरल भारत की तीन प्रमुख जातियाँ—हिंदुआ, मुसलमानों और सिक्का का प्रतिनिधित्व करते थे।

बोम ने जो भविष्यवाणियाँ 1938 में हरीपुरा (गुजरात) कांग्रेस में की वे सत्य सिद्ध हुई हैं यद्यपि इनके लिये बोम को धेय नहीं दिया जाता। भारत के विभाजन की भविष्यवाणी उस समय की जब पाकिस्तान की माग तक नहीं की गयी थी। बोस ने कहा था कि "यदि नवीन सविधान (1935 का अधिनियम) अन्ततः अस्वीकार कर दिया गया तो मुझे इस बात में कोई मदेह नहीं कि ब्रिटिश विचक्षणता भारत के विभाजन का काइ अय साधन ढूँढगी और इस तरह भारतीय जनता का सत्ता हस्तांतरण को प्रवितुलित किया जायगा।"¹ ठीक नौ वष बाद (1947 में) भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। बोस ने यह भी कहा था कि सत्याग्रह आन्दोलन को केवल निष्क्रिय प्रतिरोध तक सीमित नहीं रहना होगा बल्कि सक्रिय प्रतिरोध की नीति अपनायी होगी। चार वष बाद ही कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में 1942 में "भारत छोड़ो" आन्दोलन को शुरू किया। बोस ने यह भविष्यवाणी भी की थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक पुनर्निर्माण का काम भी कांग्रेस द्वारा सम्पन्न होगा (यद्यपि गांधीजी स्वतंत्रता प्राप्ति पर कांग्रेस के विघटन की कल्पना करते थे)। स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक केन्द्र में कांग्रेस पार्टी ही सत्ताहद रही है और पुनर्निर्माण के कार्यों में सक्रिय है। बोस ने लोकतान्त्रिक समाजवाद की भी कल्पना की थी जिसकी स्थापना के लिये कांग्रेस तृट सक्त्व है।

यथा बोस फासीवादी थे—आलोचका ने बोस को फासीवादी की सजा दी है। उनका कहना है कि द्वितीय महायुद्ध से पूव बोस की धुरी राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति तथा युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों में उनकी मगति उनके फासीवादी होने की घातक है। आलोचकों का कहना है कि बोस स्वयं हिटलर, मुसोलिनी और कमाल पाशा के प्रशंसकों में से थे तथा अपनी रचना "भारतीय संघर्ष" (The Indian Struggle) में उन्होंने स्वयं मुसोलिनी की प्रशंसा इन शब्दों में की है 'एसा व्यक्ति जिसका आयु निक यूरोप की राजनीति में विशेष महत्त्व है।' नेहरूजी ने भी अपनी रचना द डिस्कवरी आफ इण्डिया (The Discovery of India) में लिखा है कि 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बास उनके लिये भी ऐसे बदम का पसंद नहीं करत थे जो जापान, जर्मनी या इटली विरोधी होता था।' एम० एन० राय भी बास

को फासीवादी की सजा देते हैं और एम० सिवाराम भी उन्हें अधिनायकवादी कहना पसंद करते हैं।

बोस के सम्बन्ध में व्यक्त किये उपयुक्त कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है। बोस फासीवादी नहीं राष्ट्रवादी थे। वे क्विर्मरिंग, नाजी या जापानी प्रतिनिधि नहीं थे। बोस उप्रवादी देशभक्त थे जिन्हें भारतीय राष्ट्रीयता प्रेरित करती थी और स्वतंत्रता निमंत्रण देती थी। बोस गांधी की भाँति आदेशवादी नहीं थे बल्कि यथायथा होने के नाते वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये शत्रु के शत्रुओं से सहायता प्राप्त करने में नेश मात्र दोष नहीं गमभक्त थे। बोस कहा करन थे कि क्या गैरीबाल्डी ने इटली की स्वतंत्रता के लिये आस्ट्रिया के शत्रुओं से सहायता प्राप्त नहीं की, क्या सनयात सैन ने मामाज्तीय चीनी वश को नष्ट करन के लिये जापान से सहायता नहीं ली, क्या वाशिंगटन ने स्वतंत्रता के लिये फ्रांस से सहायता नहीं ली, क्या डी० वलेरा ने भ्रमरीना से सहायता नहीं ली? यदि ये सब नेता उच्च राष्ट्रीय आदर्शों से प्रेरित होकर विदेशी सहायता प्राप्त कर सकते थे तो भारत को भी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को भारत से गदगद के लिये ब्रिटेन के शत्रुओं से सहायता लेनी चाहिये। वे राजनीति में आदेशवादिता या नतिवता को महत्त्व नहीं देते थे, वे तो राजनीतिक मौदेशाजी में विश्वास करते थे। यही कारण है कि 1939 में (जब युद्ध छिड़ने वाला था) वे ब्रिटिश सरकार का "अंतिम चेतावनी" देना चाहते थे। वे कहते थे कि "राजनीतिक मौदेशाजी का रहस्य अपने आपको अधिक शक्तिशाली दिगाने में है।" उनको यह भी धारणा थी यदि 1931 में द्वितीय गोल मेन सम्मेलन के समय गांधीजी अधिनायक स्टालिन या ड्यूस मुसोलिनी या फुह्ररर हिटलर की भाषा और दृढता में बालते तो जॉन बुल (ब्रिटिश राजनीतिज्ञ) उन्हें अच्छी प्रकार समझ सन्ता था और उनके आदर में सिर झुका देता।

यह सत्य है कि बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिये धुरी राष्ट्रों से सहायता प्राप्त की यह भी सत्य है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चार वर्ष अधिनायकवादियों की सगति में बिताये। परन्तु सहायता प्राप्त करने और सगति मात्र से कोई राष्ट्रीय नेता (विशेषकर वास जैसा राष्ट्रीय नेता जो किसी की दासता को स्वीकार नहीं करते थे) फासीवादी नहीं बन जाता। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि बोस ने फासीवादियों से जो सहायता प्राप्त की वह फासीवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नहीं थी बल्कि भारतीय स्वतंत्रता के लिये थी। किसी स्तर पर भी बोस फासीवादियों के नियंत्रण या निर्देशन में नहीं थे। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष ने किया था, उसका ण्टृत्व और उसकी वमाण्ड भारतीयों के हाथ में थी। उसके सेनानी भारतीय थे और उससे उद्देश्य भारतीय थे। बोस ने नाजिया या फासीवादियों से कोई गुप्त समझौता नहीं किया। बोस स्पष्ट कहते थे कि "इस पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे स्वतंत्रता के उद्देश्य की प्राप्ति में दीवार बन कर खड़ी हो सके।"

बोस जैसे राष्ट्रवादी और देशभक्त नेताओं के लिये यह कहना कि वे फासीवादी या अधिनायकवादी महत्वकांक्षाओं से प्रेरित थे उनके व्यक्तित्व और उद्देश्यों से अच्युत करना है। "सवल" साधनों में विश्वास करते हुए भी वे साम्राज्यवादी या राष्ट्रीय सर्वोच्चता और नैतृत्व के सिद्धांतों में आस्था नहीं रखते थे।

वे "नता" अवश्य थे परन्तु उनमें 'नैतृत्व' की बू नहीं थी। व तो जनरल तोजे के इस रथन से ही क्रुद्ध हुए थे कि 'स्वतन्त्रता के बाद बोस भारत में सर्वोच्चता हारेंगे।'¹ वे लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास करते थे, अधिनायकवादी नैतृत्व नहीं। "फारवर्ड ब्लाक" भी नैतृत्व के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। नागपुर अधिवेशन में बोस ने फारवर्ड ब्लाक के लिये एक नारा गढ़ा था जिससे लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया होता है अधिनायकवादन नहीं। यह नारा था "यहाँ और अब भारतीय लोगों के लिये सभी सत्ता।"² फारवर्ड ब्लाक के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए बोस ने कहा था कि "स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इसे स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखना होगा और स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र और समाजवाद के लौकिक सिद्धांतों के आधार पर खुशहाल भारत का निर्माण करना होगा।"³

3 पंडित जवाहरलाल नेहरू⁴ 1889-1964)

(Pandit Jawahar Lal Nehru 1889-1964)

पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति के ऐसे नेता थे जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय संग्राम में भारतीयों का नैतृत्व किया बल्कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी 18 वर्ष तक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यों में अग्रणी बने रहे। उन्हीं के नैतृत्व में भारत अपनी प्रारम्भिक समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना कर सका। उन्होंने राष्ट्र को संगठित कर उसे विकास के पथ पर लाकर खड़ा कर दिया। जहाँ अमीबा और एशिया के अन्य राष्ट्र स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, राजनीतिक अस्थिरता में फँस गये वहाँ भारत नेहरू के नैतृत्व में राजनीतिक परिपक्वता की ओर अग्रसर होने लगा। यदि आज भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएँ कुशलता से कार्य कर रही हैं तो इसका श्रेय नेहरू के नैतृत्व को है। माइकेल ब्रेचर ने नेहरू की तुलना हजवेल्ड, चर्चिल लेनिन तथा माओ जैसे महान व्यक्तियों से की है जो राष्ट्रीय सत्त में अपनी जनता के पथ प्रदर्शक बने रहे।

- 1 See Jog N G Ibid p 259
- 2 All Power to the Indian People here and now " Bose
- 3 See Jog N G Ibid p 287
- 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। इनका जन्म इलाहबाद में 14 नवम्बर 1889 को हुआ और 27 मई, 1964 को इनकी मृत्यु हो गयी।

नेहरूजी ने अपना राजनीतिक जीवन 1916 में शुरू किया जब वे एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होमरूल लीग में शामिल हो गये। उन्होंने असहयोग आन्दोलन में भी भाग लिया। गांधीजी की वृषा से नेहरूजी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये। उन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पास किया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भी भाग लिया। सन् 1936, 1937 और 1946 में नेहरू फिर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। कांग्रेस की नीति निर्धारित करने में उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। सन् 1946 में नेहरूजी ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया। स्वतंत्रता प्राप्ति में अपनी मृत्यु तक वे भारतीय प्रधान मंत्री के पद पर विद्यमान रहे।

नेहरूजी केवल 'विचारवान' व्यक्ति (man of ideas) ही नहीं थे बल्कि महान कर्मवीर (man of action) भी थे। नेहरूजी की विशेषता यह रही है कि अनेक वर्षों तक भारत की सर्वोच्च राजनीतिक स्थिति में होने के कारण उन्हें अपने विचारों तथा सिद्धांतों को कार्यान्वित करने का अवसर प्राप्त हुआ। नेहरूजी के विचारों को उनकी रचनाओं में ढूँढा जा सकता है। उनकी मुख्य रचनाएँ हैं आत्म कथा (An Autobiography) "पुराने पत्रों का गुच्छा" (A bunch of old Letters), द डिस्कवरी ऑफ इण्डिया (The Discovery of India), 'ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्टरी' (Glances of World History), आदि।

नेहरूजी महान राष्ट्रवादी होते हुए भी मानववादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। वे राष्ट्रीय आत्मनिर्णय (Self determination) में विश्वास करते थे परन्तु उनका राष्ट्रवाद मुसोलिनी या हिटलर के राष्ट्रवाद की भाँति राष्ट्रीय या जातीय सर्वोच्चता पर आधारित नहीं था। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नेहरूजी मानवता और विश्व धर्मत्व की भावना में विश्वास करते थे वहाँ वे राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीयताओं के संश्लेषण में विश्वास करने थे। वे 'अनन्यता में एकता' अर्थात् 'अनेकता में एकता' ढूँढते थे। वे इस बात से बेखबर नहीं थे कि राष्ट्रवाद एक "अविश्वसनीय मित्र" और "संदिग्ध इतिहासकार" है जो प्रतिप्रियावादी और सकीण भावनाओं को जन्म दे सकता है। यही कारण है कि नेहरूजी का उपागम (approach) लौकिक अर्थात् धर्म निरपेक्षता का था। अपनी आत्मकथा में तो नेहरूजी ने हिंदू महासभा को "प्रतिप्रियावादी" और उसके नेताओं को "साम्प्रदायिक नेता" की संज्ञा दी है। उनकी यह धारणा थी कि जिस राष्ट्रवाद में धर्म, जाति या अथवा किसी ऐसे तत्त्व को बल दिया जाता है वह उन्नति में बाधक होता है और शासन प्रतिप्रियावादी बनकर रह जाता है।

नेहरूजी के आर्थिक विचार लोभतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित थे। वे साम्यवाद की उपलब्धियों के प्रशंसक थे परन्तु वे उसकी सखसतावादी प्रवृत्तियों को पसंद नहीं करते थे। नेहरूजी के शब्दों में "हमें साम्यवादी राष्ट्रा द्वारा आयोजित पंचवर्षीय योजना शगीकृत है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि में उनमें जो हिंसात्मक प्रवृत्ति मौजूद है उसे हम समझना नहीं कर सकते।"

आर्थिक विकास व लिये नियोजन चाहते थे परन्तु व्यक्ति वा वलिदान देना नहीं चाहते थे। वे उस राज्यवाद के समर्थक थे जो विकेद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित हो। नेहरूजी बड़े और महत्त्वपूर्ण उद्योगों को यथासम्भव सहकारिता के आधार पर और साधारण रूप से राज्य के नियंत्रण में रखने के पक्ष में थे व आर्थिक लोकतंत्र को सर्वैधानिक साधनों द्वारा लाना चाहते थे। वे मार्क्सवाद को पुराना (Out of date) मानते थे और बग सघन के स्थान पर बग सहयोग पर बल देते थे। वे कहते थे कि "साम्यवाद की सबसे बड़ी गूढ़ि यह है कि "यह जीवन के नतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से घृणा करता है। इस तरह यह न केवल जीवन के आधारभूत तत्त्वों की उपेक्षा करता है बल्कि मानव व्यवहार को उसके मापदण्डों और मूल्यों से भी वंचित करता है।" एक अन्य स्थान पर नेहरूजी ने लिखा है कि "यद्यपि कभी साम्यवाद पशु शक्ति का प्रयोग नहीं करता परन्तु यह निश्चित रूप से हिंसा से सम्बद्ध है। इसकी भाषा हिंसा की है। इसके विचार हिंसक हैं। यह अनुनय या शांतिमय प्रजातान्त्रिक प्रभावों से परिवर्तन नहीं लाता बल्कि दमन और विनाश द्वारा परिवर्तन लाता है।" अनेक पश्चिमी लेखकों ने तो नेहरूजीको "साम्यवाद विरोधी" की सजा दी है।

नेहरूजी प्रगतिशील समाजवाद (Progressive Socialism) में विश्वास करते थे। उनकी नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed economy) की थी। वे राज्य द्वारा उद्योगों की सहायता के पक्ष में थे परन्तु साथ में वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को भी स्थान देना चाहते थे। वे समाजवाद को आर्थिक पुनर्निर्माण का एक फामूला ही नहीं मानते थे। वे इसमें जीवन दशन देखते थे। जहाँ आर्थिक विकास के लिये वे समाजवाद का सहारा लेना चाहते थे वहाँ मानवता के विकास के लिये भी वे इसका समर्थन करते थे।

नेहरूजी भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। वे नियन्त्रिता को अभिशाप समझते थे। पञ्चवर्षीय योजनाओं और सामुदायिक विरास योजनाओं द्वारा वे भारतीयों का आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊँचा करता चाहते थे। वे अस्पृश्यता, जमींदारी, नशाखोरी और साम्प्रदायिकता को दूर करना चाहते थे।

नेहरूजी महान अन्तर्राष्ट्रीयतावादी थे। वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मेकिया-नेवीवाद (Machiavellism) और शक्ति नीति (Macht Politik) के विरोधी थे। व प्रवृत्तियों (Polarization) में विश्वास नहीं करते थे। वे किसी भी रूप में साम्राज्यवाद के विरोधी थे और एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन करते थे। भारत की असलगता की विदेश नीति के वे कर्णधार थे। उनका विश्वास था कि 'शक्ति सन्तुलन' और 'गुटीय नीति युद्धों और तनाव को जन्म देती है। अतः उद्धान भारतीय विदेश नीति को शान्तिवाद, पञ्चशील, असलगता, साम्राज्यवाद विरोधी,

उपनिवेशवाद विरोधी और संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन सिद्धांतों पर आधारित किया। परंतु उनकी शांतिवाद और असलमता की नीति कायरता पर आधारित नहीं थी और न ही तटस्थता पर आधारित थी। यह तो सक्रिय नीति थी जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर स्वतंत्रता पूर्वक एवं निष्पक्षता से विचार करती थी। वे राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता पर विश्वास करते थे। वे अफ्रीकी एशियाई एकता (Afro-Asian Unity) के समर्थक थे। उन्होंने तटस्थ राष्ट्रों के वाण्डुंग और वेल्फ्रेड सम्मेलनों में भाग लिया।

नेहरू और गांधी के आर्थिक और सामाजिक विचारों में भिन्नता थी परंतु फिर भी दोनों में पर्याप्त सहमति थी। यदि गांधीजी "जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते थे तो नेहरूजी जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी की भांति नेहरूजी साधना की पवित्रता पर बल देते थे। उनकी धारणा थी कि हिंसा समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं करती। अतः वे अनुनय, मेल मिलाप, सहिष्णुता और वार्ता के तरीकों में विश्वास करते थे।

नेहरूजी की भारतीय राजनीति को देन

भारतीय राजनीति को नेहरूजी की अनेक देन हैं जिन्हें निम्न विदुषा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है —

(i) नेहरू ने आर्थिक न्याय और राजनीतिक स्वतंत्रता का सश्लेषण करने का प्रयास किया। उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1955 में अवाडी में समाजवादी ढांचे के समाजवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया।

(ii) नेहरू ने परम्परा को आधुनिकता के साथ मिलाने का प्रयास किया। वे विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धतियों में विश्वास करते थे।

(iii) मानवता और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के वे देवदूत थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर उन्हें "मानवता के सागर" कहते थे। वे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी थे।

(iv) वे युवक आन्दोलन के प्रमुख नेता थे और उन्होंने युवकों को प्रगतिशील पथ पर लाने के लिये उन्हें सज्जित किया।

यह सत्य है कि नेहरू की भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और स्वतंत्र भारत का महत्त्वपूर्ण देन हैं परंतु उनमें अनेक त्रुटियाँ भी पाई जाती थीं। इन त्रुटियों का मूल कारण यह था कि वे वास्तविकताओं से दूर और आदर्शवादिता के निकट थे, उनमें प्रशासनिक कुशलता, शीघ्र और दृढ़ निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था। भारत की अनेक समस्याओं का हल केवल इस कारण न हो सका कि वे दृढ़ नीति अपनाते थे अतएव रहे, कश्मीर समस्या, भाषा समस्या, आदि उनकी अनिश्चितता व वाग्गंभीरता भी विद्यमान हैं। सन् 1962 में चीन का आक्रमण और भारत के प्रति पाकिस्तान की कटुता की नीति उनकी दुर्बलता और शांतिवाद के परिणाम हैं। वे 'शांतिदूत' अवश्य थे परंतु दम महाद्वीप में तो क्या स्वयं भारत के पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित न कर सके। यह इस व्यावहारिक तथ्य का न समझ सकने का

शांति सुदृढता की माग करती है। 'चीन के आक्रमण के सदमे से तो वे ऊपर न उठ सके।

समीक्षा-प्रश्न (Review Questions)

- 1 भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति महात्मा गांधी के योगदान का मूल्यांकन कीजिये।
- 2 'गांधीजी ने कांग्रेस के स्वरूप को परिवर्तित कर देश के स्वरूप को परिवर्तित किया।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? वाग्य सहित विवेचना कीजिये।
- 3 गांधी के राजनीतिक और आर्थिक विचारों पर एक निबंध लिखिये।
- 4 गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह पर विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।
- 5 'गांधी व्यावहारिक आदर्शवादी थे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास में गांधी के स्थान का मूल्यांकन कीजिये।
- 6 भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति सुभाषचंद्र बोस के योगदान का मूल्यांकन कीजिये।
- 7 क्या सुभाषचंद्र बोस फासीवादी थे?
- 8 श्री जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक और आर्थिक विचारों पर एक निबंध लिखिये।

पुस्तक 2

संविधान सभा-संरचना एवं दृष्टिकोण

1 संविधान सभा-संरचना एवं दृष्टिकोण

सविधान सभा—संरचना एवं दृष्टिकोण

(The Constituent Assembly—Its Structure and Approach)

भूमिका (Introduction)

लोकतान्त्रिक राज्य स्वशासित और स्वतंत्र राज्य होते हैं अर्थात् स्वशासन शासितो की स्वीकृति की मांग करता है और स्वतंत्रता मर्यादित शासन की मांग करती है। अतः जहाँ कहीं लोकतान्त्रिक राज्य विद्यमान हैं वहाँ लोग अपनी इच्छानुकूल शासन को प्राप्त कर सकते हैं और शासन को मर्यादित कर सकते हैं। इन दोनों उद्देश्यों (स्वशासन और स्वतंत्रता) की पूर्ति विधि के शासन (Rule of law) की मांग करती है और विधि का शासन सविधान पर आधारित होता है। यही सविधान शासन व्यवस्था को सगठित करता है, शासन शक्तियों को निर्धारित करता है, व्यक्ति और शासन के सम्बन्धों का उल्लेख करता है तथा व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों को निश्चित करता है।

लोकतंत्र में सविधान निर्माण के लिए किसी प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि समिति या प्रतिनिधि सम्मेलन की आवश्यकता होती है ताकि जन इच्छा पर आधारित न्यायिक शासन को प्राप्त किया जा सके। प्रतिनिधि सभा के रूप में सविधान सभा के विचार का उद्भव 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में (गृह युद्ध काल में) हुआ। न्यायपूर्ण शासन की स्थापना के लिए लेवेलर ने सैनिक परिषद् के समक्ष प्रतिनिधि सभा के निर्माण हेतु सन् 1648 और 1649 में दो समझौते प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। यद्यपि प्रतिनिधि सभा के विचार का उद्भव इंग्लैंड में हुआ परन्तु सविधान निर्माण हेतु किसी प्रतिनिधि सभा को गठित नहीं किया गया। आधुनिक समय में अमरीका ही ऐसा राज्य है जहाँ सविधान निर्माण हेतु प्रतिनिधि सभा के सिद्धांत को 18वीं शताब्दी में पहली बार लागू किया गया जब सन् 1787 में अमरीका के 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने फिलैडेल्फिया में एकत्रित होकर अमरीकी सविधान का निर्माण किया। इसके बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा (1789-1791) ने फ्रांसीसी सविधान का निर्माण किया। इसके बाद विश्व में जितने भी लोकतान्त्रिक सविधानों का निर्माण किया गया उन्हें सविधान सभाओं द्वारा ही निमित्त किया गया।

भारत में सविधान सभा की माग—भारत में सविधान सभा की माग राष्ट्रीय स्वतंत्रता की माग में निहित थी। इसे आत्म निर्णय के सिद्धांत, स्वशासन और स्वराज्य की माग में देना जा सकता है। ऐनी बेमट न तो इस बात का आग्रह किया था कि “भारतीय सविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाना चाहिए।” इसे गांधीजी के 5 जनवरी 1922 के उस वक्तव्य में भी देखा जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि “स्वराज्य ब्रिटिश संसद का उपहार नहीं होगा। वह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगा (भारतीयों की) इच्छा भारतीय जनता के स्वतंत्रता पूर्वक चुन हुए प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त होगी।”¹ सन् 1924 में स्वराज-संघ के राष्ट्रीय विधान सभा में सपरिपद गवर्नर जनरल से यह सन्तुष्टि की कि “सविधान की योजना पर विचार करने हेतु प्रतिनिधि गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया जाय। सन् 1925 में यह माग प्रस्तुत की गयी कि “भावी सविधान स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए।”

इतना ही नहीं, जलते पर नमक छिड़कने के लिए लार्ड वर्किनहेड ने 1927 में श्वेत लोका के एक सविधि आयोग (साइमन आयोग) की घोषणा कर दी। यह भारतीयों की योग्यता बुद्धिमत्ता और प्रतिष्ठा पर सीधा प्रहार था। यह भारतीयों का अपमान था क्योंकि अपने ही देश के सविधान के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपना तो दूर उहे उसमें भागीदार भी नहीं बनाया गया था। अतः साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया और प्रत्युत्तर (जवाब) में सर्वसम्मति से 1928 में नेहरू प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें सम्प्रभुता भारतीय जन में निहित की गयी। यह प्रतिवेदन भारतीयों द्वारा अपने देश के सविधान निर्माण का पहला अवसर और प्रयास था।

सन् 1930-32 में भारतीय सविधान समस्या का हल ढूँढने के लिए इंग्लैंड में तीन गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया परन्तु ये सम्मेलन अपने उद्देश्य में असफल रहे। संयुक्त संसदीय समिति ने भारतीयों द्वारा अपने सविधान निर्माण की माग को यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि “सविधान निर्माण का अधिकार देना इस समय व्यावहारिक नहीं। भारतीय सविधान सभा के विचार को एन० एन० राव ने भी प्रस्तुत किया। सन् 1934 में स्वराज दल ने आत्म निर्णय के सिद्धांत की कार्यावधि के लिए “भारतीय प्रतिनिधियों की एव सविधान सभा की माग की।” काप्रस ने भी 1934 में “व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की सविधान सभा को ही श्वेत पत्र का एकमात्र सत्तोपजनक विकल्प समझा।”

1. देखिए काश्यप, डॉ० सुभाष सवधानिक विनास और स्वाधीनता सघप (रिसच दिल्ली), 1972, पृ० 237

भारतीयों द्वारा सविधान सभा की स्पष्ट मांग सन् 1936 में की गयी जब कांग्रेस ने अपने फौजपुर अधिवेशन में निम्न प्रस्ताव पास किया

“भारतीय केवल ऐसे सवैधानिक ढांचे को मायता दे सकते हैं जिसका निर्माण वे स्वयं करें अथवा जो भारत को राष्ट्र के रूप में मायता देकर देश की स्वतंत्रता पर आधारित हो तथा जिसे उसकी आवश्यकताओं और आशाओं के अनुसार विकास की पूरा गुंजाइश हो सके। कांग्रेस का उद्देश्य भारत में एक ऐसा लोकतंत्र राज्य स्थापित करना है जिसमें राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण जनता को किया जा सके और सरकार उसके प्रभावपूर्ण नियंत्रण में हो। ऐसी राज्य की स्थापना केवल ऐसी सविधान सभा द्वारा हो सकती है जिसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो और जिसे देश का सविधान बनाने का अंतिम अधिकार हो।”

कांग्रेस द्वारा उपयुक्त प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेस ने प्रतिवचन सविधान सभा की मांग की। जसाकि नेहरूजी ने फजपुर अधिवेशन में ही कहा था कि सविधान सभा की मांग ‘आज की कांग्रेस की नीति का आधार स्तम्भ है।’¹ सन् 1937 में प्रांतीय निर्वाचन में सफलता प्राप्त करने के बाद कांग्रेस ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि जनता ने ‘सविधान सभा की मांग की पुष्टि कर दी है। अतः कांग्रेस ने इस मांग को दृढ़तापूर्वक दोहराना शुरू कर लिया। सन् 1938 और 1939 में इस मांग को फिर दोहराया गया। नवम्बर 1939 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव द्वारा यह विचार व्यक्त किया कि ‘किस भी स्वतंत्र देश के सविधान का निर्धारण करना व लिए सविधान सभा ही एक लोकतन्त्रात्मक उपाय है सविधान सभा ही साम्प्रदायिक तथा अल्प वंशजाइयों को मुलभूत का उपयुक्त साधन है।’² गांधीजी ने भी हरिजन (19 नवम्बर 1939) में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये। सन् 1940 में कांग्रेस ने रामगढ़ अधिवेशन में इस बात को दोहराया कि “सविधान सभा के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है।”

सविधान सभा की मांग की स्वीकृति—ब्रिटिश शासन एक न एक बहाने से भारतीयों की सविधान सभा की मांग को टाल रहे थे परन्तु द्वितीय महायुद्ध की आवश्यकताओं ने ब्रिटिश शासकों को भारतीयों की इस मांग को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 8 अगस्त 1940 के प्रस्तावों में यद्यपि भारतीयों को सविधान सभा की मांग को प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं किया गया था परन्तु इस बात को तो स्वीकार कर ही लिया गया था कि “भारतीय सविधान के निर्माण का काम मुख्यतः भारतीयों की ही जिम्मेवारी है।” मार्च 1942 के त्रिपुण प्रस्तावों में भारतीयों की इस मांग

को स्पष्टतः स्वीकार किया गया था यद्यपि इसे भविष्य की अनिश्चितता के वातावरण में रम दिया गया था। त्रिप्स प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया था कि "युद्ध के तत्काल बाद संविधान बनाने के उद्देश्य से एक निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण किया जायगा। क्योंकि त्रिप्स प्रस्ताव अनिश्चित और अस्पष्ट थे अतः कांग्रेस ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। सन् 1942 के 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव में कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि स्वाधीनता के बाद अस्थायी राष्ट्रीय सरकार एक संविधान सभा का आयोजन करेगी जो देश के लिये एक सचवाय संविधान का निर्माण करेगी।' क्योंकि भारत छोड़ो आन्दोलन में सभी कांग्रेसी नेता जेलों में थे अतः संविधान सभा की प्रगति की ओर 1945 तक कोई बंदम नहीं उठाये गये। 19 सितम्बर 1945 को वायसराय लार्ड ववल की घोषणा में यह दोहराया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचन के बाद सरकार यथाशीघ्र संविधान सभा बुलाना चाहती है।

केबिनेट मिशन योजना¹ और संविधान सभा की स्थापना

केबिनेट योजना में भारतीय संविधान सभा के निर्माण के सम्बन्ध में जो बात किये गये थे उन्हें निम्न विदुषा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है —

- (i) संविधान सभा के कुल सदस्य 389 निश्चित किये गये थे ब्रिटिश भारत के लिये 296 (292 ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों के लिये और 4 मुख्य आयुक्तों वाले प्रांतों के लिये) और 93 देशी रियासतों के लिये।
- (ii) संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिये वयस्क मताधिकार की अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि इससे देरी होने की सम्भावना थी अतः प्रांतीय विधान सभाओं को संविधान सभा के लिये निर्वाचन मण्डल बना दिया गया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल सन्नमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाना था अर्थात् प्रांत के लिये निर्धारित किये गये स्थानों का प्रांत की मुख्य जातियाँ में, उनकी जन संख्या के आधार पर विभक्त कर दिया गया था। प्रत्येक जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों के विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अत्यधिक रूप से किया जाना था। इस तरह संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन गयी थी।
- (iii) लगभग दस लाख व्यक्तियों के लिये एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गयी थी।
- (iv) केबिनेट मिशन ने केवल तीन जातियों को मायता दी थी—मुस्लिम सिख और सामान्य। सामान्य जाति में वे सभी जातियाँ थीं जो नती

¹ केबिनेट मिशन योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया गया था।

मुस्लिम थी, न सिक्ख । इस तरह अल्पसंख्यकों को श्रव तक दी जाने वाली भारात्मक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया ।

(v) देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन के तरीके को विचार विमर्श द्वारा निर्धारित किया जाना था । प्रारम्भिक अवस्था में रियासतों का प्रतिनिधित्व वाता समिति (Negotiating Committee) द्वारा किया जाना था परन्तु यहाँ भी यही विचार प्रचलित था कि ब्रिटिश भारत की तरह जनसंख्या के अनुपात में ही उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये ।

(vi) प्रांतों को तीन समूहों में बाँटा गया था । समूह (अ) में छह प्रांत थे—मद्रास (तमिलनाडू), बम्बई, यू० पी०, विहार, सी० पी० और उड़ीसा । समूह (ब) में तीन प्रांत थे—पंजाब, एन० डब्ल्यू० एफ० पी० और सिंध । समूह (स) में दो प्रांत थे—बंगाल और असम ।

केबिनेट मिशन याजना के पैराग्राफ 19 के उप पैराग्राफ (iv) से (viii) तक में सामान्य प्रक्रिया के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था जिसकी मुख्य बातें निम्न थीं—

- (i) सविधान सभा के सदस्यों की बैठक नई दिल्ली में की जायगी । प्रारम्भिक बैठक में ही सभा के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जायगा तथा नागरिक, अल्पमतवालों कायली तथा वर्जित क्षेत्रों के अधिकारों के सम्बन्ध में परामर्शदात्री समितियों की स्थापना की जायगी । इसके बाद प्रतिनिधियों को अपने अपने समूहों में विभक्त होना था ।
- (ii) समूह प्रांतीय सविधानों का निश्चित करेंगे तथा इस बात का भी निर्धारण करेंगे कि क्या अमुक समूह में आने वाले प्रांतों का समूह सविधान (Group Constitution) होगा या नहीं । यदि समूह सविधान होगा तो उस कौन से प्रांतीय विषय दिये जायेंगे । प्रांतों का समूह से पृथक् होने का अधिकार था । समूह से पृथक् रहने वाला प्रान्त अपने पृथक् सविधान का निर्माण कर सकता था ।
- (iii) प्रांतों और समूहों के सविधानों के निर्माण होने के बाद समूहों और भारतीय दशों रियासतों के प्रतिनिधियों का भारत सभ के सविधान के निर्माण के लिये पुनः इकट्ठे होना था । इस तरह केबिनेट मिशन याजना में पहले प्रांतीय, फिर समूहों और फिर भारत के राष्ट्रीय सविधानों के निर्माण की व्यवस्था की गयी थी ।
- (iv) सभा के अध्यक्ष न ही इस बात का निश्चय करना था कि कौन से प्रस्ताव मान्यता प्राप्त विषयों का उत्पन्न करने हैं । यदि प्रमुख जातियाँ

के प्रतिनिधियों का बहुमत माग करे तो अपने निर्णय को देने से पूर्व अध्यक्ष सघीय "यायालय से परामश ल सवता था ।

सविधान सभा की रचना

(Composition of the Constituent Assembly)

केबिनेट मिशन योजना के अनुसार सविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गयी थी , ब्रिटिश गवर्नर प्रा ता के लिये 292, ब्रिटिश चीफ कमिश्नर प्रा ता के लिये 4 और देशी रियासता व लिये 93 संख्या निश्चित की गयी थी ।

सविधान सभा के लिये निर्वाचन जुलाई, 1946 मे हुए । ये चुनाव केवल ब्रिटिश प्रांतो म कराये गय । सविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान सभाया द्वारा किया गया । निर्वाचना मे 212 सामान्य स्थानो म मे कांग्रेस को 203 स्थान प्राप्त हुए । इसक अतिरिक्त कांग्रेस दल को 4 मुस्लिम और 1 सिक्क स्थान भी प्राप्त हुए । सविधान सभा म कांग्रेस को 69 7 प्रतिश और 1 सिक्क स्थान प्राप्त हुए । इस तरह ब्रिटिश प्रांता के कुल 292 स्था बहुमत प्राप्त हुआ था । मुस्लिम लीग को 78 सुरक्षित स्थानो म से 73 स्था प्राप्त हुए । शप 16 स्थान पाच भिन्न भिन्न दलो को प्राप्त हुए । इनम सिक्का को 3, यूनिवर्सिटि दल को 3 साम्यवादिया को 1 डा० ग्रम्वेडकर की अनुसूचित जाति की फेडरेशन को 1 और निदलीय उम्मीदवारो को 8 स्थान प्राप्त हुए ।

सविधान सभा म कांग्रेस के बहुमत को देखकर मुस्लिम लीग बौखला गयी और उसन 29 जुलाई 1946 क प्रस्ताव द्वारा केबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर लिया और पाकिस्तान के लिये पृथक सविधान सभा के निर्माण की माग करने लग गयी ।

सविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली म 9 दिसम्बर 1946 को वर्तमान ससद भवन के केन्द्रीय वक्ष (Central Hall) म हुई । पहले दिन 207 सदस्या न इसकी बैठक म हिम्सा लिया । डा० सच्चिदानन्द सिंहा, जो सविधान सभा के क्यावद्ध सदस्य थे, सविधान सभा के अस्थायी सभापति चुने गय । 11 दिसम्बर 1946 को डा० राजद्रप्रसाद सविधान सभा के स्थायी सभापति निर्वाचित हुए । सविधान सभा की प्रथम बैठक म मुस्लिम लीग क सदस्य शामिल नहीं हुए क्याकि उसन सविधान सभा का वहिष्कार कर दिया था । देशी रियासता के प्रतिनिधि भी इसम शामिल नहीं हो सके क्याकि वाता समिति (Negotiating Committee) द्वारा उनके चयन के सम्बन्ध म कोई निश्चय नहीं हो सका ।

3 जून 1947 को माउण्ट बटन याजना की स्वीकृति और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा पाकिस्तान की स्थापना म सविधान सभा की रचना म उच्च परिवान था गया । प्रथम इनके कुल सदस्या की संख्या 324 निश्चित की गयी ब्रिटिश प्रा ता के लिये 235 और देशी रियासता के लिये 89 स्थान निश्चित किये ।

लीग के उन सदस्यों ने, सविधान सभा में भाग लिया जिन्होंने भारत में रहने का निश्चय किया। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों को छोड़कर अग्र्य सभी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने सविधान सभा की बैठकों में हिस्सा लिया। इस तरह जहाँ ब्रिटिश प्रान्ता के सविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे वहाँ देशी रियासतों के प्रतिनिधि रियासतों के नरेशों द्वारा मनोनीत किये गये थे। इस सविधान सभा में कांग्रेस को 82 प्रतिशत बहुमत प्राप्त था।

सविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए जिनमें 165 दिन लगे। इन 165 दिनों में 114 दिन सविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिये व्यतीत हो गये। कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिनों में सविधान बनकर तैयार हुआ। यद्यपि सविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हो गया था परन्तु इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अंतिम रूप में सविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। इस सविधान निर्माण के कार्य पर 63,96,729 रुपये खर्च हुए।

क्या सविधान सभा सम्प्रभु सस्था थी ?

(Was Constituent Assembly a Sovereign body ?)

सविधान सभा के सम्बन्ध में प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि क्या यह एक सम्प्रभु सस्था थी ? एक विचार यह है कि यह सम्प्रभु सस्था नहीं थी। क्योंकि इसे ब्रिटिश इच्छा द्वारा उत्पन्न किया गया था अतः इसे ब्रिटिश इच्छा द्वारा समाप्त किया जा सकता था। क्योंकि इसे भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया था अतः इसके पास कोई अपनी शक्ति या सत्ता नहीं थी। यह भारतीय जनता के लिये बोल या कार्य नहीं कर सकती थी। यथायत्न यह मत सही था। ब्रिटिश नौकरसाही का ही नहीं बल्कि कुछ भारतीय नेताओं का भी यही मत था। गांधीजी का कहना था कि 'किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न की गयी सस्था का सम्प्रभु सस्था कहना उचित नहीं।' ¹ फिर भी गांधीजी चाहते थे कि इसमें सभी दलों को भाग लेना चाहिये। एम० आर० जयकर ने तो सविधान सभा के प्रारम्भिक अधिवेशन में इसके सम्प्रभु होने के दाव का चुनौती दी थी। उसका कहना था कि बेबिनेट योजना में इसके ऊपर कुछ मर्यादाएँ ² लगायी थी और मुस्लिम लीग की सहमति से ही यह दूर किया जा

1 Gandhi Quoted by Austin The Indian Constitution Corner stone of a Nation p 7

2 बेबिनेट मिशन द्वारा सविधान सभा पर लगायी गयी प्रमुख बाधाएँ ये थी केन्द्रीय मन्त्रालयों के सविधान सभा वृद्धि नहीं कर सकती थी। बेबिनेट मिशन ने सुरक्षा, विदेशी मामलों और संचार विषय ही केन्द्र सरकार का मौखिक, मसूदा में रने गये राज्यों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। लीग सविधान सभा के मांग में सबसे दृढ़ बाधा थी।

सक्ता है। जयवर ने तो उद्देश्य प्रस्ताव को गलत ग्रन्थ समयपूर्व सवनाशी और भयानक 'बहुर सम्बोधित किया था।

परन्तु उपयुक्त विचार सवमाय नहीं था। सवमाय विचार यही था कि सविधान सभा पर मर्यादाएँ होते हुए भी यह सम्प्रभु सस्था थी क्योंकि क्विनेट मिशन योजना थी, जिमने प्रगत सविधान सभा को गठित किया था भारतीय जनता ने स्वीकार कर लिया था। अतः सविधान सभा का भारतीय जनता का यद्यपि इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं हुआ था, समयन प्राप्त था और वह एक सम्प्रभु सस्था थी। यह भारतीय जनता के लिये काय कर सकती थी तथा उसके लिये बाल सक्ती थी।

सविधान सभा के अधिनाश सदस्या बुद्धिजीवियों और विधि विशेषज्ञों का यही मत था कि भारतीय सविधान सभा सम्प्रभु सस्था थी। नेहरू, प्रसाद, आजाद गणाल स्वामी आगरा आदि का भी यही विचार था। नेहरू, प्रसाद, आजाद या कि 'सरकारें राजकीय पत्रा से पदा नहीं होती। वास्तव म व जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम आज यहां इसलिये एकत्रित हो पाय है क्याकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है और जहां तक जनता कोई दल या वग नहीं बल्कि समूची जनता चाहेगी, वहां तक हम जायेग। डा० राजेद्रप्रसाद ने मर्यादाया का स्वीकार करते हुए कहा था कि सविधान सभा 'एक स्वशासी, स्वनिर्णायक, स्वतंत्र सस्था थी।' उनका कहना था कि 'वाहर की किसी शक्ति को यह अधिकार नहीं कि वह उसकी कायवाही म हस्तक्षेप करे या उसके निर्णायो को बदल। सविधान सभा उन मर्यादायो को भी नष्ट कर सकती थी जो उसके ज म के समय उस पर लगायी गयी थी। श्री पुरपात्तमदास टण्डन न तो भारतीय सविधान सभा की तुलना फ्रांस की सविधान सभा से की थी जिसन राजा के आदेशो को मानने से इकार कर दिया था।

सविधान सभा के सम्प्रभु होने का तत्व तो इसी बात से स्पष्ट है कि उसने वायसराय लाड वेबल के इस दावे का मानने से इकार कर दिया कि वह सविधान सभा के अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता था। सविधान सभा न पहले दिन स्वयं डा० सच्चिदानंद सिंहा का अपना अस्थायी सभापति चुना और 11 दिसम्बर 1946 का डा० राजेद्रप्रसाद को अपना अस्थायी सभापति (अध्यक्ष) निर्वाचित किया। सविधान सभा न अपने आपका सम्प्रभु मानकर ही अपनी कायवाही को संपन्न किया और नियमा का निर्माण किया। एक नियम म तो स्पष्ट रूप से कहा गया था कि "सभा का विघटन केवल तभी हो सकता था जबकि उसके पुनः सदस्या के कम से कम दो तिहाई सदस्य इस आशय का प्रस्ताव पास कर दे।" ¹ इस नियम का स्पष्ट अर्थ यह था कि न ता कोई वाह्य सत्ता और न कोई बहुत बडा सा बहुमत सविधान

1 Rule 7 Ch III Constituent Assembly Rules of Procedure
Standing Ord 15 दलिते कायका डा० सुभाष पू० उ०, पृ० 256

सभा तो भग कर सकता था। नेहरू जी ने तो स्पष्ट कहा था कि संविधान सभा भारतीय लोगों की है, ब्रिटिश शासन इसे पशु शक्ति द्वारा ही भग कर सकता है।

3 जन 1947 की माउण्ट बैटन याजना की स्वीकृति और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने संविधान सभा के स्वरूप में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिये (i) 16 मई 1946 की वेस्टमिन्सटमिशन योजना 1 संविधान सभा पर जो मर्यादाएँ लगायी थी वे अब समाप्त हो गयीं, (ii) मुस्लिम लीग के संविधान सभा में उपस्थित होने से जिन वादाग्रहों के उपस्थित होने की सम्भावना थी वे अब समाप्त हो गयीं। देश का विभाजन होने से मुस्लिम लीग के अविभाज्य प्रतिनिधि पाकिस्तान चले गये थे, (iii) संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिये संविधान निर्माण के लिये सम्प्रभु संस्था बन गयी। इसकी भूमिका अब दोहरी थी। इसमें न केवल संविधान सभा के रूप में कार्य किया बल्कि नवीन संविधान के निर्माण होने तथा उसके लागू होने तक इसने भारतीय संसद के रूप में भी कार्य किया।

स्पष्ट है कि संविधान सभा ने अपने जमाने के जिस सम्प्रभु रूप को ग्रहण किया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने उसे बड़े सम्प्रभु रूप वधानिक रूप से प्रदान कर दिया।

क्या संविधान सभा एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था थी ?

(Was Constituent Assembly a Representative Body ?)

भारतीय संविधान सभा के सम्बन्ध में उसके प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप पर भी आपत्ति उठाई जाती है। आलाचका का कथन है कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं किया गया था। इनका कहना था कि जिस संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से उन प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा किया गया जिनका स्वयं का निर्वाचन साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ था उसे प्रतिनिधि संस्था नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों 'हम भारत के लोग' पर ही आपत्ति उठाई थी। उनका कहना था कि जब संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया तो 'हम, भारत के लोग' शब्दों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? श्री दामोदर स्वरूप ने इसी प्रकार की आपत्ति संविधान सभा में उठाई थी।

दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि संविधान सभा में कांग्रेस दल का पूरा बहुमत था अतः यह एक दलीय, एक जातीय संविधान सभा थी। जसाकि आस्टिन ने लिखा है कि 'संविधान सभा एक जातीय देश में एक दलीय संस्था थी।'¹

1 'There was hardly any shade of public opinion, not represented in the Assembly' Santhanam, K. Quoted by Austin, Granville, Ibid, P 13

चर्चित इसे "देश की एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते थे। लाड साईमन ने इसे "एक हिंदू सस्था" की सजा दी थी और यह प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार दिल्ली में संवत्स हिंदुओं की इस बैठक को सविधान सभा कह सकती है?"

भारतीय विधान सभा के प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप के सम्बन्ध में उपयुक्त आपत्तियां सवीरणा की द्योतक हैं और सविधान सभा की संरचना और वायवाही से अनभिज्ञता की द्योतक है।

भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित न होने पर भी सविधान सभा पूरातया प्रतिनिधि सभा थी। यह सत्य है कि प्रतिनिधि सभा के लिये जनमत (Popular Vote) की आवश्यकता होती है परन्तु भारतीय सविधान सभा के सम्य व में इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि इसमें भारत की सभी जातियों, सभी वर्गों, हिता, प्रदेशों आदि का प्रतिनिधित्व था। यह सत्य है कि इसमें कांग्रेस दल का बहुमत था परन्तु यह कहना गलत है कि इसमें अय दला का प्रतिनिधित्व नहीं था या यह केवल हिंदू सस्था थी। सविधान सभा में हिंदू महासभा, अनुसूचित जातियों की फेडरेशन का प्रतिनिधित्व भी था। कांग्रेस नीति के फलस्वरूप सविधान सभा में सभी जातियां, (चाहे वे बहुसंख्यक थीं या अल्पसंख्यक), सभी प्रदेशों, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। जहां केबिनट मिशन योजना में केवल सामान्य, मुस्लिम और सिक्खों का स्वागत था। निर्धारित किया था वहां कांग्रेस दल न सामान्य स्वागत का नियम नहीं जानियां हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों, आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, अनुसूचित जातियों आदि के सदस्यों को अपने प्रत्याशियों के रूप में गणना किया था। उदाहरण तया सविधान सभा में भारतीय ईसाइयों के 7 प्रतिनिधि थे, आंग्ल भारतीयों के 3 प्रतिनिधि थे, पारसियों के 3 प्रतिनिधि थे। विभाजक व आदि प्रांतों में नियमित प्रतिनिधित्व किया गया 235 स्थानों में से 88 स्थानों पर अपसंख्यक व प्रतिनिधि व अल्पसंख्यक सविधान सभा में 37 प्रतिनिधित्व स्थान अपसंख्यक के पास थे। अतः ही यह सच्योक्त न कहा है कि भारतीय जनता का शायद ही कोई भाग था जिसका प्रतिनिधित्व सविधान सभा में नहीं था। सविधान सभा में केवल ईसाइयों और अल्पसंख्यक ही प्रतिनिधित्व नहीं था उचित दृष्टि में पूर्वोक्त जातियों, मध्यम वर्ग और मुस्लिम जातियों का प्रतिनिधित्व था। कांग्रेस का उन जातियों की सहायता नहीं थी जो सामान्य में निर्वासित थीं। उदाहरणतया ए० के० अय्यर, ए० के० ए० सु० अय्यर, ए० के० तया डॉ० अय्यर की सेवाएं दर्शाते आधार पर प्रा० की सहायता थी।

अनुसूचित जातिया के कुल सदस्यो मे से 30, पाचा सिक्ख सदस्य, 7 भारतीय ईसा इयो मे से 6, पिछडी जातिया के पाचा प्रतिनिधि, तीना आगल भारतीय, तीना पागसी और 80 मुसलमान सदस्यो मे से 4 उपस्थित थे ।” यह सत्य है कि मुस्लिम लीग के सदस्य सविधान सभा मे अनुपस्थित थे परंतु यह कहना गलत है कि सविधान सभा मे मुसलमाना का कोई प्रतिनिधित्वनही था । वस्तुतः अनेक मुसलमान तो कांग्रेस टिकट पर ही निर्वाचित हुए थे । इस तरह सविधान सभा को “भारत की केवल एक प्रमुख जाति” “हिंदुआ की सभा” या “सर्वण हिंदुआ की बैठक”, की सत्ता देना तथ्यो के विपरीत है ।

भारतीय विधान सभा एक प्रतिनिधिक सस्था ही नहीं थी बल्कि यह एक महान सस्था थी जिसमे देश के राष्ट्र निर्माताओं स्वतन्त्रता समितियों, बुद्धिजीवियों, कानूनी विशेषज्ञा, (विधिशास्त्रियों), समाज सेवकों, अवकाश प्राप्त व्यायाधीशों और सिविल सेवकों, अध्यापकों आदि ने भाग लिया था । इसमे केवल निर्वाचित सदस्य ही नहीं थे बल्कि उन लोगों को भी इसमे सहयोजित (Co opt) किया गया था जो अपने अपने क्षेत्र में पक्ष थे । सविधान सभा में भाग लेने वाला में रूढ़िवादी, समाजवादी, प्रगतिवादी सभी विचारधारा वाले लोग विद्यमान थे । वस्तुतः सविधान सभा के पास केवल विशेषज्ञों के प्रतिवेदन ही प्रस्तुत नहीं किये गये थे बल्कि लोक सगठनों और सर-सरकारी व्यक्तियों के विचार भी प्रस्तुत किये गये थे । विचार प्रस्तुत करने वाला में चेम्बर्स ऑफ कामस एण्ड इन्डस्ट्रीज तथा निजी कम्पनिया, वार एसोसिएशनो, भापाई परिषदा तथा अल्पसंख्यक वर्गों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । बल्कि भगवान् ”¹ (एस० आर० चारी-ईश्वर का अवतार) के नाम से आठ पत्र सविधान सभा के पास आये आदि ।

सविधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे—जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डा राजेन्द्रप्रसाद, के० एम० मुंशी, प्रे० के० टी० शाह, दामोदर स्वरूप सेठ, अल्लादी कृष्णस्वामी, बकशी टेक्चर, पी० के० सन, मौलाना आजाद, सर ए० गोपालस्वामी आयर, एच० बी० कमथ, डा० सवपल्ली राधाकृष्णन, डा० एच० सी मुन्जर्जी, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डा० बी० आर० अम्बेदार, प० गोविन्द वल्लभ पंत बी० जी० खेर, बाबू पुरपोतम दास टण्डन, जान मथाइ, आचार्य कृपलानी, प० हृदयनाथ कुन्जरू, डा० एम आर जयन्तर श्रीमती सराणी नायडू, श्रीमती हस्ता महता और दुर्गाभार्य दशमुन आदि ।

सविधान सभा केवल अपनी सरचना में ही प्रतिनिधित्व मस्या नहीं थी बल्कि अपना त्रिभार विमश और निगया में भी पूणतया लाभता पत्र और प्रतिनिध्यात्मक थी । द्वायतनी निगय प्राय समन्वित और समन्वय की भावता में निग गय जा

बहुमन पर आधारित नहीं थे बल्कि सामान्य राय पर आधारित थे। मनकयता (सहमति) और समायोजन (Consensus and accommodation) इसके आधार म्त्वम थे। यही कारण है कि जो सविधान निर्मित हुआ उसे जनमत की भारी सहमति और और स्वीकृति प्राप्त थी। सविधान सभा की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुये एम वी पायली ने लिखा है कि "बन्तुत यह एक महात्त्व लोवनात्रिक प्रयोग था जिससे विचार विमश को अत्यधिक सीमा तक प्रोत्साहित किया जाता। आलाचना के प्रति महात्त्व सहिष्णुता का परिचय दिया गया और लम्बे वाद विवाद के प्रति कोई असहिष्णुता नहीं बरती गयी, किसी चीज का जल्दी में पास नहीं किया गया, किसी चीज का थोपन का प्रयास नहीं किया गया। यह पूरा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया थी जिस पर भारतीय गव कर सकते हैं।"¹ क्या ये सब भारतीय सविधान सभा के प्रतिनिधिक मस्या होन वं छातर नहीं? अर्थात् भारतीय सविधान सभा पूणतया प्रतिनिधिक मस्या थी।

उपयुक्त वरण में स्पष्ट है कि भारतीय सविधान सभा परोक्ष रूप में निवाचित हान और भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न हान पर भी यह पूणतया प्रतिनिधि मस्या थी जा भारतीय जन की दृच्छाओ को मन्विक्त करती थी। सविधान सभा के प्रतिनि यात्मक स्वरूप का प्रमाण इस बात से भी मिल जाता है कि जन प्रथम निर्वाचनो में विराजी दत्तो ने सविधान सभा द्वारा बनाये गये सविधान को चुनौती दी और नई सविधान सभा द्वारा नये सविधान का आश्वासन दिया ता इन दलो को निर्वाचन में मुँह की खानी पडी। यह तम्य भी विधान सभा तथा उमव द्वारा निर्मित सविधान के लोकतान्त्रिक होने का प्रमाण है। इसी सविधान को तथा उसके द्वारा स्थापित मन्थाओ के पिन्ने 25 वर्षों में मफलतापूर्वक वायावित किया गया है।

सविधान सभा का कार्य

(Task of the Constituent Assembly)

सविधान सभा का मुख्य काय भारतीय सविधान को तैयार करना था। इसका काय लोकतान्त्रिक सरकार के हाचे और परिवर्तन को स्थिरता तथा गति प्रदान करने वाली मस्यागत मरचनाओ को प्रदान करना था। दूसरा काम उन मस्याओ को प्रदान करना (या उपलब्ध करना) था जा वधित सहभागिता (increased participation) का प्रेरणा दे सके और बढ़ती हुए मागा का समजिन कर सके।

सविधान सभा के उद्देश्य

(Objectives of the Constituent Assembly)

विश्व की सभी सविधान सभाओं न सविधान निर्माण के काय को शुरू करने

से पूव उसके उद्देश्यो (लक्षणा) की घोषणा करना आवश्यक समझा है। अतः भारतीय संविधान ने निर्माताओं ने भी संविधान निर्माण के काय को गुरु करन से पूव उन उद्देश्यो की घोषणा की जिनकी प्राप्ति के लिये उसका निर्माण किया गया था। यद्यपि इस 'उद्देश्य प्रस्ताव' को संविधान सभा म 13 दिसम्बर 1946 को पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था परंतु इस आशा से कि तीसरा संविधान सभा में शामिल हो जायगी इस पर विचार स्थगित कर दिया गया। संविधान सभा के दूसरे अधिवेशन में इसे 22 जनवरी 1947 को संवसम्मति से पास कर दिया गया। इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषतायें निम्न थी—

- (i) [संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य घोषित करेगी और उसके भावी शासन के लिए एक ऐसे संविधान की रचना करेगी,
- (ii) संविधान सभा ब्रिटिश भारत, देशी राज्यों तथा ऐसे राज्य क्षेत्रों को मिला कर जो उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं एक संघ का निर्माण करेगी,
- (iii) संघ के घटक स्वायत्तशासी एकक होंगे, अदृशिक शक्तियां तथा सरकार व प्रशासन की सारी शक्तियां एकक के पास होंगी सिवाय उन शक्तियों के जो संघ को सौंपी जायेंगी।
- (iv) प्रभुत्व सम्पन्न और स्वतंत्र भारत की, उसके अंगभूत भागों और शासन के अंगों की समूची शक्ति और सत्ता का स्रोत जनता होगी अर्थात् सारी शासन शक्ति का स्रोत भारतीय जन में निहित होगा।
- (v) विधि और सार्वजनिक नतिकता के अधीन भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय प्राप्त होगा, सभी को अवसर की समानता होगी, सभी विधि के सम्मुख समान होंगे तथा सभी को विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय और काय की गारंटी होगी,
- (vi) अल्पसंख्यकों को पिछड़े हुए और कर्मायली क्षेत्रों तथा दलित और अन्य पिछड़े हुये वर्गों के लिए उपयुक्त संरक्षणों की व्यवस्था होगी।
- (vii) न्याय तथा सभ्य राष्ट्रों की विधि के अनुकूल गणराज्य के राज्य क्षेत्रों की अखण्डता की और जल, समुद्र तथा आकाश पर उसके प्रभुता अधिकारों की रक्षा की जायगी।
- (viii) यह प्राचीन देश ससार में अपना न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा तथा विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूरा तथा सह्य योग देगा।

'उद्देश्य प्रस्ताव' की उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि इसमें किसी ऐसे

विषय को स्थान नहीं दिया गया था जो विवादास्पद हो। श्री के एम मुशी ने तो उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय "गणराज्य की कुंजी" की सजा दी।

संविधान निर्माण में कठिनाइयाँ

(Difficulties in Constitution Making)

भारतीय संविधान सभा के समक्ष संविधान निर्माण में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थीं जिनका संविधान की सफलता कार्यावधि के लिए समाधान करना अनिवार्य था और यह कहा जा सकता है कि संविधान निर्माताओं ने इन कठिनाइयों का समाधान करने में पर्याप्त योग्यता, अनुभव और कुशलता का परिचय दिया। संविधान सभा के समक्ष जो प्रमुख कठिनाइयाँ थीं वे निम्न थीं—

- (i) संविधान निर्माताओं ने विश्व के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश के लिए संविधान का निर्माण करना था जिसमें अनेक प्रकार की भिन्नताएँ—जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश आदि पायी जाती थीं और आज भी हैं। अनेकता में एकता को ढूँढना कोई आसान काम नहीं था। रतना ही नहीं, उस देश में लोकतंत्र को सफल बनाने का प्रयास करना था जहाँ निधनता, निरक्षरता, रूढ़िवादिता और परम्परा का अत्यधिक प्रभाव था। जैसाकि अम्बेदकर ने कहा था कि "संवैधानिक ऐतिकता स्वाभाविक भाव नहीं है, इसे उत्पन्न करने की आवश्यकता है।"
- (ii) दूसरी प्रमुख समस्या जो भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष थी, वह उन देशों रियासतों को भारतीय संघ में मिलान की थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति पर आजाद हो गयी थीं और किसी भी अधिराज्य में मिल सकती थी या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाये रख सकती थी। यह समस्या उस समय और भी अधिक जटिल हो गयी जब हैदराबाद जैसे राज्यों ने स्वतंत्र रहने की इच्छा को व्यक्त किया। अनेक नरेश तो लोकतान्त्रिक प्रणाली के ही विरोधी थे।
- (iii) भारत में सबसे विकट समस्या साम्प्रदायिकता की थी, विशेष कर उस समय जब पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों का हिन्दुओं के साथ व्यवहार उत्तेजनापूर्ण था। संविधान निर्माताओं का न केवल साम्प्रदायिक सहिष्णुता के वातावरण को उत्पन्न करना था बल्कि ब्रिटिश शासकों द्वारा स्थापित दूषित साम्प्रदायिक विभाजन प्रणाली, गुरुभार पद्धति आदि को भी समाप्त करना था।
- (iv) विभाजन के बाद भी भारत में अल्पसंख्यकों, पिछड़ी हुई जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ की समस्या का समाधान करना था उनके हितों का सुगठित रखते हुए उनका विकास करना था।

- (v) सविधान निर्माताओं के समक्ष सबसे विनष्ट समस्या सुदृढ़, शक्तिशाली और स्थायी सघ के निर्माण की थी। इसमें न केवल राष्ट्रीय हिता की सुरक्षा करनी थी बल्कि प्रांतीय और स्थानीय हितों का भी संतुष्ट करना था।
- (vi) भाषा, क्षेत्रवाद जातिवाद आदि की समस्यायें भी बहुत जटिल थी जिनके स तोपजनक हल की आवश्यकता थी, आदि।

भारतीय सविधान निर्माताओं ने उपयुक्त तथा अथय समस्याओं का बड़ी सजगता, सहनशीलता और लोचतांत्रिक विचार-विमर्श द्वारा समाधान किया जिस पर कोई भी भारतीय गव कर सकता है।

सविधान सभा की समितियाँ

(Committees of the Constituent Assembly)

सविधान सभा ने सविधान निर्माण की समस्या के भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए अनेक समितियों, उपसमितियाँ तथा तदर्थ समितियों का गठन किया। इन समितियों में प्रमुख समितियाँ¹ निम्न थी—

1 विशेषज्ञ समिति (Experts Committee)—इस समिति का गठन तो सविधान सभा की प्रथम बैठक से पूर्व ही जुलाई 1946 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने कर दिया था। इसके अध्यक्ष प० जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष के अतिरिक्त इसके सात अथय सदस्य थे आसफ अली, के० एम० मुशी एन० जी० आयगर, के० टी० शाह, डी० वी० गाडगिल, हुमायूँ कबीर, के० सयानम। समिति ने कृष्ण कृपलानी को समिति का सहयोजित (Co opted) सदस्य बना लिया था। इसका निर्माण इसलिए किया गया था कि कांग्रेस सविधान निर्माण के कार्य में बिल्कुल देरी करना नहीं चाहती थी। इसका उद्देश्य सविधान सभा के लिए सामग्री जुटाना और सविधान के प्रारूप, निममो और उद्देश्य प्रस्तावों को तैयार करना था। अध्यक्ष के अतिरिक्त इस समिति के कुल 7 सदस्य थे। इस समिति के अध्यक्ष प० जवाहरलाल नेहरू थे। अथय सदस्य थे आसफ अली, कहेयालाल माणिकलाल मुशी, हुमायूँ कबीर, के० सयानम, डी० आर० गाडगिल, के० टी० शाह और एन० गोपाल स्वामी आयगर।

2 प्रारूप समिति (Draft Committee)—इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। अध्यक्ष के अतिरिक्त इस समिति के कुल 6 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डा० भीमराव अम्बेदकर थे। इसके अथय सदस्य थे के० एम० मुशी, मोहम्मद सादुल्ला, वी० एल० मिस्तर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन० गोपाल स्वामी आयगर तथा डी० पी० खेतान। बाद में मिस्तर और खेतान के स्थानों पर एन० भाषवराव तथा टी० टी० कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया। इस समिति

1 सविधान समितियाँ की कुल संख्या 15 से अधिक थी।

का मुख्य उद्देश्य सविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किये गये सविधान की परीक्षा करना, फिर सविधान सभा में सविधान के बारे में जो निष्णय हो चुके थे, उन्हें प्रारूप सविधान में समाविष्ट करना तथा पुन विचार के लिये सविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किये गये सविधान पर ही सविधान सभा ने 114 दिन विचार-विमर्श किया।

3 प्रक्रिया नियम समिति (Committee on Rules of Procedure or Rules Committee)—इस समिति का गठन 11 दिसम्बर, 1946 को किया गया था। अध्यक्ष के अतिरिक्त इस समिति के 15 सदस्य थे। सविधान सभा के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके अग्र्य सदस्य थे जगजीवन राम, शरत चन्द्र बोस, एफ० आर० एटनी, अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर, बकशी टेकचन्द, रफी अहमद, किदवाई, जे० ए० डी'सूजा, एन० गोपाल स्वामी अय्यर, पुरषोत्तम दास टण्डन, जी० बारदोलोई, वी० पट्टाभि सीतारमैया, के० एम० मुशी, एस० सी० नन्ना हरनाम सिंह और श्रीमती जी० दुर्गाबाई। इस समिति का उद्देश्य सभी प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों, अध्यक्ष की शक्तियों, सभा के काय के सगठन तथा अधिकारियों की नियुक्ति और सभा में होने वाले रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सिफारिशें करना था। समिति द्वारा जो सिफारिशें की गयीं उन पर सविधान सभा की सम्पूर्ण सदन की समिति ने 21, 22 और 23 दिसम्बर, 1946 पर विचार विमर्श कर स्वीकार कर लिया। परन्तु प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में समय समय पर परिवर्तन करने पड़े। इसका मूल कारण यह था कि देश रियासतों के सवैधानिक तथा प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन हो गया था और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था।

4 सचालन समिति (Steering Committee)—इस समिति का गठन 21 जनवरी, 1947 को किया गया। अध्यक्ष के अतिरिक्त इस समिति के 11 सदस्य थे। डा० राजेन्द्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके अग्र्य सदस्य थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बल्लभभाई पटेल, उज्जल सिंह, श्रीमती जी० दुर्गाबाई, एम० एच० प्रेटर, किरण शंकर राय, सत्यनारायण सिंह, एम० ए० आब्यगर, एस० एन० भने, दीवान चमनलाल, के० एम० मुशी। इस समिति का उद्देश्य काय-सूची का निर्धारण करना तथा सभा, अनुभागों, समितियों और अध्यक्ष के लिये व्यापक सम्पर्क-साधन के रूप में काय करना था।

5 परामर्श विचार (Advisory Committee)—इस समिति का गठन 24 जनवरी 1947 को किया गया। अध्यक्ष के अतिरिक्त इसके 63 सदस्य थे। श्री बल्लभभाई पटेल इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके अग्र्य प्रमुख सदस्य थे¹ सुरेन्द्र

1 समिति के सदस्यों के पूरे विवरण के लिए देखिए Appendix II pp 333-334 of Granville, Austin's Book The Indian Constitution Corner Stone of a Nation

मोहन घोष, वी० आई० मुनीस्वामी, पिल्ले, बलदेवसिंह, मेहरचंद खन्ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जगजीवन राम, वी० आर० अम्बेदकर, 'जोगेंद्र' सिंह, प्रताप सिंह, ज्ञानी करतारसिंह, जे० ए० डि'सूजा, फ्रैंक एटनी, होमी मोदी, अब्दुल समद खान, जयपालसिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राजकुमारी अमृतकौर, गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तमदास टंडन, के० टी० शाह, खान अब्दुल गफ्फार खा, जे० वी० कृपलानी, के० एम० मुशी, सेठ गोविंद दास आदि । इस समिति का मूल उद्देश्य मूल अधिकारों की सूची, अल्पसंख्यकों की रक्षा सम्बन्धी धाराओं और क्वाइली तथा वजित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था ।

परामश समिति के कार्य की सुविधा के लिए दो उप समितियाँ बनाई गयी थी जो निम्न थी—

(a) मूल अधिकारों पर उप समिति (Fundamental Rights Sub Committee)—इस उप-समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त 11 सदस्य थे । जे० वी० कृपलानी इस उप समिति के अध्यक्ष थे । इसके अन्य सदस्य थे एम० आर० मसानी, के० टी० शाह, राजकुमारी अमृत कौर, श्रीमती हसा मेहता, ए० के० अय्यर, के०एम० मुशी, हरनाम सिंह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वी०आर० अम्बेदकर, जयराम दास दौलत राम, के० एम० पत्रिकर । इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था ।

(b) अल्पसंख्यकों पर उप समिति (Minorities Sub Committee)—इस उप समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त 28 सदस्य थे । एच० सी० मुखर्जी इस उप समिति के अध्यक्ष थे । इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे जगजीवन राम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वी० आर० अम्बेदकर, जोगेंद्र सिंह, उज्जल सिंह, होमी मोदी, पी० के० साल्व, एस० एच० प्रेंटर, फ्रैंक एटनी, सी० राजगोपालाचारी, गोविंद बल्लभ पंत आदि । इस उप समिति में कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो सविधान सभा के सदस्य नहीं थे परन्तु जिन्हें समिति में सहयोजित (Co opt) किया गया था ।

6 सघ शक्ति समिति (Union Power Committee)—इस समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त 15 अन्य सदस्य थे । प० जवाहर लाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे इस समिति के अन्य प्रमुख सदस्य थे वी० एल० मिस्त्र, एन० जी० आर्यगर, वी० टी० कृष्णामाचारी विश्वनाथ दास, शरत चंद्र बोस, पट्टाभि सीतारमैया, डी०पी० सेतान, कनल हिम्मत सिंह, बबशी टक्कड़ आदि । इसका उद्देश्य सघ शक्तियों के सम्बन्ध में परामश देना था ।

7 सघ सविधान समिति (Union Constitution Committee)—इस समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त 14 सदस्य थे । प० जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे । इस समिति के अन्य प्रमुख सदस्य थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद,

गोविंद वल्लभ पन्त, जगजीवन राम, वी० आर० अश्वेदर, ए० के० गय्यर, के० एम० मुशी आदि ।

8 सर्वोच्च न्यायालय पर तदथ समिति (Ad Hoc Committee on the Supreme Court)—इस तदर्थ समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य थे । श्री एस० वदाचारियर इसके अध्यक्ष थे । इसके अन्य सदस्य थे ए० क० अय्यर, वी० एल० मिस्तर, ए० एम० मुशी, वी० एन० राव । श्री एस० वदाचारियर को संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे । वी० एन० राव इसके सवधानिय परामर्शदाता (Constitutional Adviser) थे । इस तदर्थ समिति का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी ।

9 प्रांतीय संविधान समिति (Provincial Constitution Committee)—इस समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त 23 सदस्य थे । श्री वल्लभभाई पटेल इसके अध्यक्ष थे । इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे पट्टाभि सीतारमैया, वी० जी० खेर क० एन० वाटजू, उज्जल सिंह, राजकुमारी अमृत कौर, जे० वी० वृपलानी आदि । इसका उद्देश्य प्रांतीय संविधानों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना थी ।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि अथ समितियाँ के अध्यक्ष या तो प० जवाहर लाल नेहरू के या सरदार वल्लभभाई पटेल । वस्तुतः संविधान निर्माण में देश के इन दो महारथियों का ही प्रमुख हाथ था । दोनों ने संविधान के मूल सिद्धांत को निश्चित किया । जसाकि आस्टिन ने लिखा है कि संविधान में आदेशादी और व्यावहारिक, पारामर्शिक प तपनीकी प्रकृति की धाराओं का समावेश इन दोनों व्यक्तियों के मयुक्त प्रभाव का सम्भवतः सम्बन्ध प्रमाण है ।¹ इनके अतिरिक्त प्रसाद और आजाद का प्रभाव भी अत्यधिक था । हाईपेव जूनियर ने 'हर्क, पटेल, प्रसाद और आजाद का संविधान सभा के अंदर आभासी 'अल्पतम' (Virtual Oligarchy)² की सत्ता दी है ।

समितियाँ द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये उन पर संविधान सभा में अतिरिक्त विचार-विमर्श किया गया । प्रारूप समिति के सदस्यों ने ही नहीं अथि संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने भी प्रारूप की अच्छी तरह छानबीन की । इसका परिणाम यह हुआ कि अन्तिम रूप में संविधान बनकर तयार हुआ तो उसने 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं । संविधान के लम्बा और विस्तृत होने का एक कारण यह भी था कि संविधान निर्माता जिमी चीज को कल्पनाओं पर नहीं छोड़ना चाहते थे । यद्यपि संभव संविधान में उन बातों को भी विविध कर दिया गया जो अन्य संविधानों में अभिमतय द्वारा विनियमित हुई है ।

1 Austin, Granville Ibid, p 315

2 See Hardgrave Jr India 'Government & Politics in a developing nation' p 45

सविधान-सहमति और समायोजन की अभिव्यक्ति (Constitution—An Embodiment of Consensus and Accommodation)

सविधान निर्माण के उपागम और उसकी सफल कार्याविति (Approach to Constitution and its Successful Working)—भारतीय सविधान निर्माण के उपागम और उसकी सफल कार्याविति के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। एक विचार यह है, भारतीय सविधान निर्माताओं ने सविधान निर्माण के समय दूसरे देशों के सविधानों से पर्याप्त मात्रा में व्युत्पादित (derive) किया है। दूसरा विचार यह है कि भारतीयों को स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व संसदात्मक प्रणालियों को कार्याविति करने का पर्याप्त अनुभव था। तीसरा विचार यह है कि भारत को सुयोग्य, प्रतिभाशाली, प्रबल नेताओं और एक सुदृढ़ दल का सौभाग्य प्राप्त था। यद्यपि ये सब तत्त्व भारत में विद्यमान थे और इन्होंने सविधान निर्माण के काल में पर्याप्त योगदान दिया परन्तु सबसे प्रमुख बात यह थी कि भारतीय सविधान को भारतीय दृष्टिकोण से, उसकी परिस्थितियों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया गया था। यह भारतीयों की महत्वाकांक्षाओं और अभिलाषाओं को अभिव्यक्त करता है। जैसा कि आस्टिन ने लिखा है कि 'भारत में कभी भी लोकप्रिय विश्वास का संकट उपस्थित नहीं हुआ।'¹ इसके अतिरिक्त भारतीय सविधान निर्माता केवल पश्चिमी या पूर्वी (जैसे स्टालिन सविधान) सविधानों से प्रभावित नहीं थे। वे भारतीय परम्परा में समझौते और समन्वय की प्रवृत्तियों से अत्यधिक प्रभावित थे और सविधान निर्माण के समय सविधान निर्माताओं ने भारतीय परम्परा के इन दोनों उपागमों (approaches) का अनुसरण किया। भारतीय सविधान की सफल कार्याविति के लिए यही दो तत्त्व—समझौता (मतव्ययता) एवं सम्मति (सहमति) और समन्वय (समायोजन) (Consensus and Accommodation) उत्तरदायी हैं। जैसा कि आस्टिन ने लिखा है कि "समायोजन को सविधान में समाहित किये जाने वाले सिद्धांतों के मद्देन में लाया गया, जबकि सहमति निर्णय प्रक्रिया का वह उद्देश्य था जो सविधान सभा की प्रभावशीलता का एक मात्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।"

1 सहमति या सबसम्मति का सिद्धांत (Doctrine of Consensus)— भारतीय सविधान निर्माण की सबसे प्रमुख विशेषता यह रही है कि इनमें प्रमुख राजनीतिक प्रश्नों पर अंतिम निर्णय सहमति (सबसम्मति) से लिए गये अर्थात् जटिल राजनीतिक प्रश्नों पर निर्णयों को बहुमत के आधार पर घोषा नहीं गया

1 "There has never been in India a crisis of popular confidence" Austin, Granville, Ibid p 329

वर्तिक सहमति या "ग्राम राय" से उन्हें तय किया गया। सविधान निर्माताओं की यह मायता इस धारणा पर आधारित थी कि जिन राजनीतिक प्रश्नों के साथ मानवीय भावनायें गहरे रूप से जुड़ी होती हैं उनका निपटारा बहुमत के आधार पर नहीं किया जा सकता। यदि वाचक व्यक्तियों का निरणय अद्वितीय व्यक्तियों पर थोपा जाय तो वह भले ही नतिज दृष्टि से अयायपूर्ण न हो परन्तु राजनीतिक दृष्टि से वह अबुद्धिमतापूर्ण अवश्य होगा। भारतीय सविधान निर्माता इस बात से भी भली-भांति परिचित थे कि जो चीज किसी निरणय को चिरस्थायी शक्ति प्रदान करती है वह जन सहमति है, साधारण बहुमत नहीं। यही कारण है कि जब कभी किसी जटिल विषय पर सविधान सभा में सहमति प्राप्त न होती तो उस विषय पर मतदान कराने के स्थान पर उस पर विचार को ही स्थगित कर दिया जाता और बाद में निजी वार्तालाप या अन्य मायना से सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता। अतः सहमति (सबसम्मति) ऐसा तरीका है जिसमें परस्पर विरोधी भावनाओं, विचारधाराओं और दावा के बीच व्यापक सहमति के सूत्रों को ढूँढा जाता है और अन्तिम निरणय का सहमति या 'ग्राम राय' के आधार पर निश्चित किया जाता है जहाँकि आस्टिन ने लिखा है कि "सहमति वह तरीका है जिसके अंतर्गत सबसम्मति से या उगभग सबसम्मति से निरणय लिये जाते हैं। यह वह तरीका भी है जिसके द्वारा एक निरणय को वह महत्व प्रदान किया जाता है जो स्वयं उस निरणय से कहीं अधिक होता है।"

सहमति (सबसम्मति) का यह अर्थ नहीं कि अन्तिम निरणय के लिये 70, 75, 80, 85, 90 या 100 प्रतिशत तक बहुमत प्राप्त हो। सहमति के सिद्धांत के लिये सभ्यता का निर्धारित करना न तो आवश्यक है, न उपयोगी और न ही वाञ्छनीय क्योंकि सभी समयों और सभी राजनीतिक प्रश्नों के लिये सभ्यता का निर्धारित करना सम्भव नहीं। सहमति में जिन बातों की आवश्यकता है वह यह है कि मूल प्रश्नों पर व्यापक सहमति उपलब्ध हो यद्यपि विवरण की बातों में मतभेद बना रहे। जमाइन् टा० सुभाष कश्यप और विश्वप्रकाश गुप्त ने लिखा है कि "ग्राम राय" (सहमति) सधय का सहकारितापूर्ण समाधान है।"¹

भारत के लिये सहमति का सिद्धांत कोई नवीन सिद्धांत नहीं था। यह उसकी प्राचीन परम्पराओं में निहित है। ग्राम पंचायतें इसी आधार पर निरणय पर पहुँचती थीं। जाति पंचायतों ने तो इसे आज तक प्रभावशाली ढंग से बनाये रखा है। इसी परम्परा की परिपाटी को सविधान निर्माताओं ने सविधान के निर्माण के समय अपनाया और जटिल राजनीतिक प्रश्नों को सहमति के आधार पर हल किया जैसा कि आस्टिन ने लिखा है कि "नवृत्त की दृष्टि में यह स्वायी समझौते के लिये एक नैतिक व प्रभावपूर्ण तरीका था और सामान्यजनों के लिये यह एक एकी मुपरिचित देगी

संस्था थी जो भारतीय सविधान न निर्माणा म सहायन थी ।”¹ इन्होंने न भी सविधान सभा से आग्रह किया था कि “सविधान का निर्माण का उपयुक्त समय में सहमति के प्रति जितनी निष्ठा सम्भव हो कर उसे देने हुए किया जाना चाहिये ।”

सहमति के सिद्धांत का प्रयोग—भारतीय सविधान निर्माताओं ने सविधान के जिन प्रावधानों में सहमति के सिद्धांत पर बल दिया उनमें प्रमुख के प्रावधान थे जो या तो सघीय व्यवस्था में सम्बन्धित थे या भाषा में ।

सघीय व्यवस्था—जिन प्रावधानों पर सहमति के सिद्धांत का प्रयोग किया था (a) शिक्षा के क्षेत्र में एक समान राष्ट्रीय मानक (Uniform National Standards), (b) रेलवे की सुरक्षा (c) सबटवालीन धाराओं आदि । सहमति के बिना इन प्रश्नों का चिरस्थायी मसल हल निकलना कठिन था । यही कारण है कि सहमति प्राप्त करने के लिये प्रायः सभिति, सघीय शक्ति समिति, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों, प्रांतीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों और शिक्षा तथा वित्त मंत्रियों में अनन्त बार विचार विमर्श हुआ । सहमति द्वारा लिये गये निर्णयों पर टिप्पणी करते हुए बी० जी० रोय ने लिखा है कि ‘मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि विवेक की विजय हुई है और हमने ऐसे सिद्धांत विकसित किये हैं जिन्हें केन्द्र व राज्य दोनों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है ।’

भाषा की समस्या—भाषा की समस्या पर जिस सीमा तक सविधान सभा में वाद विवाद हुआ वह बात का प्रतीक था कि सविधान सभा भावनाओं से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर सहमति उत्पन्न करने के लिये कितनी उत्सुक थी और वह उसे प्राप्त करने के लिये किस सीमा तक जा सकती है । भाषा के प्रश्न पर अतिम वृत्त को प्रारम्भ करते हुए डा० प्रसाद ने कहा था कि वे ‘इस प्रश्न पर मतदान की अनुमति नहीं देंगे ।’ उनका कहना था कि यदि कोई समझौता पूरे देश का मान्य नहीं हुआ तो उसका क्रियान्वयन कठिन होगा ।

यह सत्य है कि सविधान सभा में सहमति के सिद्धांत को महत्त्व दिया गया था परन्तु सहमति को प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं था । जसराजि आम्बेडकर ने लिखा है कि ‘सविधान सभा के सामान्य जन यद्यपि असामान्य क्षमता के व्यक्ति थे फिर भी उन्हें नेतृत्व की आवश्यकता थी’ यह नेतृत्व नेहरू, पटेल प्रसाद आज़ाद, गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं ने प्रदान किया जिन्होंने जटिल राजनीतिक प्रश्नों पर सहमति प्राप्त करने के लिये औपचारिक रूप से अपनी राजनीतिक नज़रों और अनौपचारिक रूप से अपनी व्यक्तित्व प्रतिभा और लोकप्रियता का प्रयोग किया । वस्तुतः इन नेताओं का नेतृत्व पितृवत्पीय (paternalistic) था । इसके अतिरिक्त सहमति एका के आदर्शवाद व कुछ निश्चित राष्ट्रीय उद्देश्यों का वातावरण

1 Austin, Granville Ibid, P 311

2 Quoted by Austin Granville Ibid, P 311

का परिणाम थी। जैसाकि नेहरू ने कहा था कि संविधान सभा "एक अ घेरी घाटी से निकलकर स्वतंत्रता की सूय किरणों तक पहुँची थी।" संक्षेप में, राष्ट्रीय भावना ने ही सहमति को उत्पन्न किया था।

क्या सहमति के सिद्धान्त को संविधान का अभिन्न अंग बनाया जा सकता था? प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि जिस सहमति के सिद्धांत को संविधान निर्माण का आधार बनाया गया था उसे संविधान का अभिन्न अंग क्या नहीं बनाया गया। संघान संविधान ने संसद और राज्य विधान सभाओं में लिए गए के लिये सहमति के सिद्धांत की व्यवस्था क्यों नहीं की? सही स्थिति यह है कि जिस सिद्धांत का प्रयोग संविधान निर्माण के लिये किया गया था उसे शासन का आधार नहीं बनाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त सहमति को परिभाषित करना कठिन था। जैसाकि प० बुजर्ग ने कहा था कि "आधुनिक सरकार सहमति में संचालित नहीं हो सकती।" यह कहना कठिन है कि सहमति का अर्थ क्या 70, 75, 80, 85, 90 या 100 प्रतिशत सदस्यों की सहमति है। हमारे सभा सभाओं और सभी विषयों के लिये सहमति का सिद्धांत न तो सम्भव है और न ही आवश्यक है। विधेयकों का वर्गीकरण करना भी कठिन है जिस पर सहमति की आवश्यकता होगी, आदि।

2. समायोजन का सिद्धान्त (The Principle of Accommodation)—

भारतीय संविधान निर्माण की दूसरी प्रमुख विशेषता यह रही है कि इसमें समायोजन के सिद्धांत को लागू किया गया है। समायोजन में दो परस्पर विरोधी मत या कार्य में सामंजस्य की दिशा में मत प्रयास किया जाता है और उन्हें एक साथ वायव्य बनाया जाता है अर्थात् समायोजन में परस्पर विरोधी मत या कार्यों के स्वरूपों में परिवर्तन किये बिना दोनों को वास्तविक किया जाता है? समायोजन में दोनों परस्पर विरोधी मत अखण्डित रहते हैं। जैसाकि आस्टिन ने लिखा है कि "समायोजन परस्पर विरोधी विचारधाराओं का, उनके स्वरूपों में परिवर्तन किये बिना, समाधान करने और उन्हें समझित करने की योग्यता है।" "समायोजन समझौता (Compromise) नहीं। जहाँ समायोजन एक विषय या दृष्टिकोण है वह समझौता एक तकनीक है। समझौता दो पक्षों द्वारा अपनी अपनी ओर से दी गयी रियायतों का परिणाम होता है क्योंकि इनमें प्रत्येक पक्ष अपने वांछनीय लक्ष्य के एक अंश का इसलिये परि त्याग करता है कि वह दूसरे पक्ष के हितों के विरुद्ध होता है। समझौता दोनों पक्षों द्वारा माध्यम एक मध्यम मार्ग (Middle way or Golden mean or Half way-course) है। संविधान के भाषाई की अग्र्याय धारणों एक समझौता है।"

भारतीय संविधान में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ समायोजन के सिद्धांत को लागू किया गया है। प्रमुख उदाहरण निम्न हैं —

(1) अर्द्ध सघातक प्रणाली (Quasi-Federal System)—भारतीय संविधान में एक साथ दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं—सघातक और एकात्मक।

कायशील बनाने का प्रयास किया गया है। यदि शांतिमाल म गविधान सघीय व्यवस्था करना है अर्थात् सविधान द्वारा केन्द्र और राज्यो म किया गया शक्ति विभाजन बना रहता है वहा सबटकाल म यही सविधान, बिना सबधानिक परिवर्तन के, एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। अध्याय 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका स्पष्ट उल्लेख करते हैं। इतना ही नहीं, शांतिमाल मे भी राष्ट्रीय हित म अनुच्छेद 249 ससद को काय करने का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह सघात्मक और एकात्मक सिद्धांता को एक साथ लागू करने की व्यवस्था भारतीय सविधान की अद्वितीय विशेषता है।

(ii) गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक सिद्धांतों का समायोजन—भारतीय सविधान म गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक सिद्धांता का समावाजन किया गया है। यर्थात् सविधान निमानाम्रा ने 1946 मे ही भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया था फिर भी 1949 म उसी सविधान सभा न यह निर्णय किया कि भारत उस सभा का सदस्य रहगा जिसके सर्वोच्च पद पर ब्रिटिश सम्राट है। सविधान लागू होने क याद भी भारत राजतंत्र की प्रतीक सस्था राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना हुआ है। जैसाकि आस्टिन ने लिखा है कि "भारत वह पहला राष्ट्र था जिसन गणतंत्रवाद और राजतंत्र के मध्य मामजस्य स्थापित किया।"

(iii) केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण का समायोजन—भारतीय सविधान म केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों का समायोजन किया गया है। नेहरूजी जहा शक्तिशाली केन्द्र के समथक थे वहा वे, जितना सम्भव हो सके, विकेन्द्रीकरण क पक्ष मे भी थे। अतः सविधान न जहा केन्द्र को शक्तिशाली बनाया वहा राज्यो को यह अधिकार भी प्रदान किया कि पचायता जसो विकेन्द्रीकृत सस्थाया का निर्माण भी करें। अतः जहा पचायती राज विकेन्द्रीकरण का प्रतीक है वहा शक्तिशाली केन्द्र केन्द्रीकरण का प्रतीक है।

भारत का वर्तमान सविधान समायोजन का सम्भवतः सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमे अमरीकी सघीय व्यवस्था और 'यायिक पुनरावलोकन के तत्व विद्यमान हैं, साथ म कनाडियन सघीय व्यवस्था के तत्व भी विद्यमान हैं। ब्रिटेन की ससदात्मक प्रणाली भी यहा अपनाई गयी है और अमरीकी राष्ट्रपति तथा जमन चांसलर की शक्तिया का समावेश भी किया गया है। आयरिश सविधान के नीति निदेशक तत्वा की भूलक भी इसमे मिल जाती है और फेडियन समाजवादी तत्व भी देखने को मिलते हैं। परंतु इस पर भी भारतीय सविधान की अपनी नवीनतायें हैं और इन सब सिद्धांतों को अपनी आवश्यकताया के अनुकूल ढाला गया है।

सविधान के लागू होने के बाद जिस ढंग से उसे लागू किया गया है वह भी सहमति और समायोजन व सिद्धांता का अभिव्यक्त करता है। उदाहरणतया जिस ढंग से ससद के सदन मे भाषा के प्रश्न पर विचार, विमश किया गया तथा त्रि भाषाई फामूले को स्वीकार किया गया, जिस ढंग से भारतीय सघीय व्यवस्था के अंतर्गत

राज्यो का पुनर्गठन किया गया, जिस ढंग से राष्ट्रपति शासनो के बाद राज्या मे पुन सामाय सरकारो की स्थापना की गयी, जिस ढंग से राष्ट्रीय एकता और सामाजिक पुनरुद्धार के कार्यक्रमो को लागू किया गया है, जिस ढंग से मूल अधिकार और 'यायिक पुनरावलोकन, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रीय आयोजन, निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक सबसत्ता के विरुद्ध काय करती है, ये तथा अन्य सब तत्व इस बात के प्रतीक है कि सहमति और समायोजन के सिद्धांत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के आज भी उसी प्रकार जीवित सिद्धांत है जिस प्रकार उहे सविधान निर्माण के समय लागू किया गया था। वस्तुतः, जसा कि आस्टिन ने लिखा है कि "समायोजन की जड़ें भारतीय विचार-भूमि में निहित हैं। इस विचार की विशेषता यह है कि इसमें मताघता (dogmatism) का अभाव है।" स्पीयर ने भी लिखा है कि "हिंदूवाद की आत्मसाती तथा सम-व्यवादी विशेषताये" भारतीय जीवन की दृष्टि बन गयी हैं। राधाकृष्णन का भी यही मत है कि भारत में "धर्म मता ध नहीं।" नहरूजी ने भी कहा था कि "पिछले हजारों वर्षों का भारतीय इतिहास भारत की एकता और उसकी संस्कृति की जीवन शक्ति और अनुकूलनीयता को प्रदर्शित करता है।"

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सविधान निर्माण में भारत की दो मूल देन हैं—सहमति और समायोजन।

सविधान की आलोचना (Criticism of the Constitution)

जिन आधारों पर भारतीय सविधान की आलोचना की गयी है उह मुख्यत निम्न तीन भागों में बाटा जा सकता है —

1 भारतीय सविधान उधार कोष है (Indian Constitution—A Bag of Borrowing)—प्रथम आधार जिस पर आलोचकों ने भारतीय सविधान की आलोचना की है वह यह है कि इसमें नवीनता और मौलिकता का अभाव है। यह मुरत 'व्युत्पादित' (Derivative) सविधान है, यह केवल "अनुकृति" (Imitative) है, यह "उधार काय" (A bag of Borrowing) है यह ऐसा भानुमति का पिटारा है जिसमें भिन्न-भिन्न तत्वों का मिश्रण है जो गडबड (Hotch Potch) की स्थिति में है। आलोचकों का कथन है कि इसमें ब्रिटेन की संसदात्मक प्रणाली, अमरीका के मूल अधिकारों और 'यायिक पुनरावलोकन की पद्धति, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और कनाडा की संघीय पद्धति, थायरलैण्ड के नीति निर्देशक तत्व आदि का प्रद्वितीय मिश्रण है। सविधान सभा के एक सदस्य लाबनाथ मिश्र ने तो इसे पश्चिम के "दामतापूष अनुकरण" और दामतापूष आत्म समर्पण" की सजा दी। जी० वी० मवलकर को तो इस बात में भी संदेह था कि क्या यह सविधान देश की प्रतिभा (Genius) के अनुकूल है। सविधान सभा के एक अन्य सदस्य के० एनुम वैद्या ने सविधान की यह कह कर आलोचना की कि 'हम

वीणा और सितार के संगीत की अपेक्षा वरत थे परन्तु हम ब्रिटिश बण्ड की धुनें प्राप्त हुई हैं।”

कुछ आलोचकों का यह कहना था कि वर्तमान संविधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 की दासतापूर्ण अनुकृति है। मालाचका का कहना था कि 1935 के अधिनियम के उपबंधों को शब्दशः या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वर्तमान संविधान में ज्यों का त्यों रखा गया है। हाडग्रेव जूनियर का मत है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 250 उपबंधों (अनुच्छेदों) को या तो शब्दशः या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ 1935 के अधिनियम से प्राप्त किया है। डॉ० पंजाब राव देशमुख का विश्वास था कि संविधान अनिवाय रूप से भारतीय शासन अधिनियम ही है जिसमें केवल वयस्त्र मताधिकार का ही जोड़ा गया है। श्री निवासन का भी यही मत है कि स्वतंत्र भारत का संविधान 'भावा और सार तत्व दाना में 1935 के अधिनियम की निकट प्रतिलिपि है। पी० एम० पी० शमा का भी मत है कि 'संविधान ने स्पष्टतया या निहितार्थों में दश के वर्तमान ढांचे को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है।' आदि।

यह सत्य है कि भारतीय संविधान निम्नानुसंधान निम्नानुसंधान के काय में विश्व के अन्य देशों के संविधानों और भारतीय शासन अधिनियम 1935 से अत्यधिक प्रभावित थे और उतनी ही दूसरे संविधानों के अनुभवा से लाभ उठाया परन्तु केवल इस आधार पर भारतीय संविधान को पश्चिम के संविधानों की प्रतिलिपि या भारतीय शासन अधिनियम 1935 का दासतापूर्ण अनुकरण कहना गलत है। वस्तुतः स्थिति यह है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने पश्चिम के संविधानों की नुस्खे तो दूर करते हुए उनकी अच्छाईयाँ को अपनाया और अपनाते समय भी उन्हीं उतनी ही अच्छाईयों को अनुकरण नहीं किया बल्कि भारतीय परिस्थितियाँ और आवश्यकतानुसार उन्हें ढाला, अपनी सृजनात्मक शक्तियों द्वारा उन्हें परिवर्तित किया तथा उन्हें समायोजन स्थापित करने का प्रयास किया। जसाकि आस्टिन ने लिखा है कि 'भारतीय संविधान निर्माताओं ने विदेशी धातु को भारतीय सिक्कों में कुशलतापूर्वक ढाला है।'¹ उदाहरण तया भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया परन्तु जहाँ ब्रिटन में यह प्रणाली अभिमत पर आधारित है वहाँ भारतीय संसदात्मक प्रणाली लिखित अभिलेख की उत्पत्ति है। दूसरे भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटन की एकात्मक प्रणाली का स्वीकार करते हुए आस्ट्रेलियन और दक्षिण अफ्रीकी संविधान की मध्यम व्यवस्था को अपनाया परन्तु यहाँ भी सच तो कन्डिशन संविधान के निकट रहा। नवाडा की भाँति भारतीय संघ 'राज्या का संघ (Union of States) कहलाता है और अदृशिक शक्तियाँ केन्द्र के पास हैं। इसी प्रकार अमेरिकी संविधान से मूल अधिकारों और न्यायिक पुरावलाकन की पद्धति को

1 The framers of the Indian Constitution turned "Foreign Metals into Indian Coin Austin Granville Ibid P 321

अपनाया परन्तु यत्र नागरिकों के अधिकारों के साथ अपवाद, (Exceptions) मर्यादाएँ और शर्तें (Proviso) जाड़ी गयी हैं। भारत में यायिक पुनरावलोकन को भी अमरीका की भाँति 'कानून की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) पर आधारित नहीं किया गया बल्कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (Procedure Established by Law) पर आधारित किया गया है। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व गायरलैंड से अवश्य प्राप्त किये गये परन्तु उनमें गांधीवादी तत्त्वों को भी जोड़ दिया गया। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ जर्मनी के वेमर संविधान (Weimer Constitution of Germany) से अवश्य मिलती हैं परन्तु यहाँ भी उनका प्रयोग भारतीय परिस्थितियों में अनुकूल किया गया है। यदि अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्याँ में "राष्ट्रपति शासन" (President's Rule) लागू किया गया तो सामान्य स्थिति में संविधान का पुनः स्थापित कर दिया गया।

उपरोक्त आधार पर भारतीय संविधान की आलोचना करने वाले आलोचक इस तथ्य का भूल जाते हैं कि भारतीय संविधान निमाता किसी मौलिक संविधान को उत्पन्न करना नहीं चाहते थे। वे तो ऐसा संविधान चाहते थे जो भारतीय परिस्थितियों में कार्य योग्य (Workable) हो और फिर किसी शासन पद्धति पर किसी दश की वपौती नहीं होती। हर देश के संविधान निमाताओं ने इतिहास के अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल अपने संविधान का सृजन किया है। भारतीय संविधान निमाताओं ने भी ठीक यही किया। जैसा कि डा. अम्बेदेकर ने संविधान मसौदा में कहा था कि "क्या उस संविधान से नवीनता की आशा की जा सकती थी जिस विश्व के इतिहास में इतनी देरी से बनाया गया हो। भी वर्षों से अधिक समय बीत चुका है जब प्रथम लिखित संविधान का निर्माण किया गया था। उसके बाद अनेक देशों ने लिखित संविधानों का निर्माण किया है। इन तथ्यों का ह्यान पर सभी संविधानों के मुख्य उपबन्ध समान प्रतीत होते हैं। जिस संविधान को इतनी देरी से बनाया गया हो उसमें यही नवीनता ही सकती है कि वह अन्य देशों के संविधानों की नुटियाँ को देर करके उनकी अच्छाईयाँ का अपने देश की आवश्यकताओं के अनुकूल समन्वित करे" ¹ और भारतीय संविधान निमाताओं ने ठीक यही किया।

यह सत्य है कि भारतीय संविधान निमाताओं ने संविधान निर्माण के समय 1935 के अधिनियम का अत्यधिक सहारा लिया और 1935 के अधिनियम के अनेक उपबन्धों का शब्दशः या कुछ परिवर्तन के साथ वर्तमान संविधान में ज्यों का त्यों लिख दिया। उदाहरणतया वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 251 (जो वैद्रीय कानून में भिन्नता हान से सम्बंध रखता है) 1935 के अधिनियम की धारा 107 के अनुकूल है। इसी प्रकार वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 256 (जो राज्य की वायव्यता का

शक्ति की परिभाषित से सम्बन्धित है) 1935 के अधिनियम की धारा 126 के अनुरूप है। भारतीय सविधान के अनुच्छेद 352 और 353 (जो सामान्य मसूदा से सम्बन्धित है) 1935 के अधिनियम की धारा 102 के अनुरूप है, वर्तमान सविधान का अनुच्छेद 356 (जो राज्या में संवैधानिक मसूदा से सम्बन्धित है) 1935 के अधिनियम की धारा 93 के अनुरूप है। वर्तमान सविधान के अन्तर्गत केंद्र और राज्या के विधायी सम्बन्ध 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किये गये विधायी सम्बन्धों के अनुरूप है। वस्तुतः तीन सूचियाँ की व्यवस्था लगभग वही है। 1935 के अधिनियम की भाँति वर्तमान सविधान के अन्तर्गत भी केंद्रीय सरकार को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया है। वस्तुतः केंद्र राज्या की कीमत पर शक्तिशाली है आदि, आदि।

उपरोक्त अनेक समानताओं के बाद भी भारतीय सविधान का 1935 के अधिनियम का 'दासतापूर्ण अनुकरण' या कार्बन कॉपी (Carbon Copy) या चमकीली संस्करण (glorified edition) कहना गलत है। वस्तुतः भारतीय सविधान और 1935 के अधिनियम में कोई समानताएँ नहीं। दोनों के आधारा उद्देश्य, आदर्श और भावनाओं में जमीन आसमान (आकाश पाताल) का अंतर है। दोनों के अंतर को निम्न बिंदुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है —

- (i) वर्तमान सविधान भारतीय जनता की शक्ति पर आधारित है। इसमें शासन की शक्ति का मूल स्रोत जनता है। दूसरी ओर, 1935 के अधिनियम की शक्ति भारतीय जनता नहीं थी। भारतीयों ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया था। इसमें शासन सत्ता का स्रोत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था।
- (ii) वर्तमान सविधान भारतीयों की इच्छाओं, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को व्यक्त करता है। इसका निर्माण भारतीयों द्वारा भारतीयों की जन इच्छा से हुआ है। दूसरी ओर, 1935 का अधिनियम भारतीयों द्वारा निर्मित नहीं था। इसे तो भारतीयों पर थोपा गया था। इसका निर्माण विदेशियों द्वारा किया गया था। इसमें साम्राज्यवाद की बूँदें सबत्र विद्यमान थीं।
- (iii) वर्तमान सविधान नागरिक स्वतंत्रताओं का चाँदर है। इसमें न केवल नागरिकों को मूल अधिकार दिये गये हैं बल्कि शासन की सत्ता को भी मर्यादित किया गया है। दूसरी ओर, 1935 का अधिनियम दासता का चाँदर था। इसमें शासन को निरंकुश सत्ता प्रदान की गयी थी।
- (iv) भारतीय सविधान लोकतंत्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्ष के सिद्धांतों पर आधारित है जबकि 1935 का अधिनियम साम्राज्यीय, प्रतिन्यायवादी तत्त्वों पर आधारित था।
- (v) भारतीय सविधान भारतीय जन को राजनीतिक रूप से संगठित करने का प्रयत्न करता है जबकि 1935 का अधिनियम उसे राजनीतिक

दृष्टि से विघटित करने का प्रयास करता था। वस्तुतः 1935 के अधिनियम में विघटनकारी, प्रतिन्रियावादी, अनुदारवादी तत्वा को साम्राज्यीय हितों की पूर्ति के लिये समाविष्ट किया गया था। उदाहरण-तथा 1935 के अधिनियम में मताधिकार सीमित था, निर्वाचन प्रणाली साम्प्रदायिक थी और गुरुभार की पद्धति विद्यमान थी। ये तत्व भारतीय जन को विघटित करते थे। परन्तु वर्तमान संविधान के अंतगत इन सभी विघटनकारी तत्वों को समाप्त कर दिया गया है। मताधिकार वयस्क है, निर्वाचन प्रणाली समुक्त है। साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और गुरुभार पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़ी हुई जातियों के विकास के लिये कुछ विशेष व्यवस्थाएँ अवश्य हैं।

- (vi) भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। यहाँ किसी धर्म या जाति को विशेष महत्व या रियासत प्राप्त नहीं। राज्य धर्म के मामले में तटस्थ नीति अपनाता है। यद्यपि 1935 के अधिनियम में धर्म निरपेक्षता थी परन्तु गुरुभार पद्धति और निर्वाचन की साम्प्रदायिक वर्गीय पद्धति ने कुछ जातियों और वर्गों को, विशेषकर अल्पसंख्यकों को विशेष रियायतें प्रदान कर रखी थी।
- (vii) वर्तमान संविधान सहकारी संघ की स्थापना करता है। संविधान सभा में यदि राज्यों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित हो कर स्वेच्छा से शक्तिशाली केन्द्र को स्वीकार¹ किया तो संविधान ने राज्यों के हितों की रक्षा हेतु राजस्व प्रावधानों को लचीला बनाया है। संविधान में वित्त आयोग की व्यवस्था इसी उद्देश्य से की गयी थी। संविधान ने ब्रिटिश प्रांता और देशी राज्यों की समानता का दर्जा प्रदान किया। दूसरी ओर, 1935 के अधिनियम के अंतगत सघीय व्यवस्था सहकारिता पर नहीं प्रतिद्वंद्विता पर आधारित थी। यह व्यवस्था इतनी कठोर थी कि इसमें विकास की गुंजाइश नहीं थी।

उपयुक्त कारण से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की यह आलोचना सत्य नहीं कि वह 1935 का "दासतापूर्ण अनुकरण" है। वस्तुतः वर्तमान संविधान में विकास के तत्व विद्यमान हैं जिनका 1935 के अधिनियम में अभाव था।

1 फिनाटेल्फिया में जो राज्यों के प्रतिनिधि अमरीकी संविधान का निर्माण करने के लिये एकत्रित हुए थे वे उतने राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित नहीं थे जितना कि वे राज्यों के हितों की रक्षा करना चाहते थे।

2 विस्तृत, जटिल, एव "वकीलों के लिये स्वर्ग" (De titled, Complex and Lawyers" Paradise)—दूसरा आधार जिम पर आलाचर्चा 7 भारतीय सविधान की आलोचना की है यह यह है कि यह आवश्यकता से अधिक विस्तृत और जटिल है। कुछ का तो यह मत है कि यह इतना विस्तृत है कि यह मुकदमेवाजी के लिये उपायक भूमि तैयार करता है। इसी कारण कुछ न भारतीय सविधान के अत्यधिक विवरण को "वकीलों के षडयंत्र" (Conspiracy of Lawyers) और "वकीलों के लिये स्वर्ग" की सजा दी है। सर आइवर जेनिंग्स जैसे लेखकों का भी मत है कि भारतीय सविधान लम्बा और जटिल है। हिम्मतसिंह के० माहेश्वरी ने सविधान सभा में कहा था कि "प्राप्त लोगों को अधिक मुकदमेवाज (litigious) बनाता है यह यथाथ म वकीलों के लिये स्वर्ग है। यह मुकदमेवाजी के लिये अत्यधिक रास्ते खोल देता है और यह हमारे योग्य और कुशल वकीलों को करने के लिये काफी काय प्रदान करेगा।" पंजाब राव देसमुग्ग न भी कहा था कि "अनुच्छेदों के प्रारूप कानून की पुस्तक की तरह अत्यधिक जटिल है। सविधान से सम्बन्ध रखने वाले दस्तावेज को इतनी जटिलता और इतने शब्द-जाल की आवश्यकता नहीं होती। यह सब शब्द जाल वकीलों के मरिच्छक को अभिव्यक्त करता है, लोगों की भावना को नहीं।"

यह सत्य है कि भारतीय सविधान अत्यधिक विस्तृत है परन्तु इसके विस्तृत होने के अनेक कारण थे। वस्तुतः भारत का विस्तृत क्षेत्र, उसमें निवास कराने वाली भिन्न भिन्न जातियाँ तथा उनके भिन्न भिन्न धर्म, पिछड़ी हुई एव अनुसूचित जातियों के विकास की समस्याएँ, भाषा, प्रशासनिक संस्थाएँ, सड़क कालीन व्यवस्थाएँ, चुनाव, नीति निर्देशक तत्व आदि तत्त्व इसके विस्तृत होने के कारण थे। इसके अतिरिक्त सविधान निर्माता किसी भी चीज को कल्पना, यायिक व्याख्या या अभिसमय पर छोड़ना नहीं चाहते थे। संवैधानिक धाराओं को प्रशासन द्वारा विकृत बनाने से रोकने के लिये वे उन्हें स्पष्ट एव विस्तार से लिपिबद्ध करना चाहते थे। अन्य देशों में जिन चीजों को अभिसमय पर छोड़ दिया गया है भारत में उन्हें भी सविधान में लिपिबद्ध कर दिया गया है। भारत के सविधान के विस्तृत होने का एक कारण यह भी है कि जहाँ अथ सघीय सविधानों में जैसे अमरीकी सविधान केवल सघीय प्रशासन की व्यवस्था करता है वहाँ भारतीय सविधान सघ सविधान के अतिरिक्त सघ के एकरा (राज्यों) के सविधानों की भी उसी में व्यवस्था करता है। वस्तुतः भारतीय सविधान के भाग VI के 86 अनुच्छेद (अनुच्छेद 152 से 237) एकको के प्रस्ताव से ही सम्बंधित है, 24 अनुच्छेद (अनुच्छेद 12 से 35) मूल अधिकारों से, 16 अनुच्छेद (अनुच्छेद 36 से 51) नीति निर्देशक तत्वों से, 9 अनुच्छेद (अनुच्छेद 352 से 360) मकदमालीन स्थितियों से, 16 अनुच्छेद (अनुच्छेद 308 से 323¹ तक) मन्त्रिमंडल से, 13 अनुच्छेद (अनुच्छेद 330 से 342)¹ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियाँ पिछड़ी हुई जातियाँ से, और 9 अनुच्छेद सरकारी भाषा से

सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान मूल सिद्धांतों के अतिरिक्त प्रशासनिक सम्बन्धों का भी वर्णन करता है। जैसा कि श्री निवासन ने लिखा है कि भारतीय संविधान केवल एक संविधान ही नहीं है बल्कि देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं में सम्बन्धित एक विस्तृत वैधानिक संहिता भी है।" भारतीय संविधान ने भारतीय समाज में विद्यमान हर प्रकार की राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक बुराई के लिए इलाज प्रदान करने की कांशिश की है।

परन्तु भारत के विस्तृत स्वरूप के आधार पर इसे "बनीना का पडय न" या "बनीलो के लिए उपजाऊ भूमि" मान लेना गलत है। संविधान का विस्तृत स्वरूप आवश्यक रूप से मुकदमेबाजी का जन्म नहीं देता, संविधान का छोटा रूप भी अत्यधिक मुकदमेबाजी का जन्म दे सकता है यदि उसकी धारों सरल होत हुए भी स्पष्ट ह। उदाहरणार्थ अमरीका का संविधान विश्व में अपनी साधारणतया (Simplicity) और संक्षिप्तता (brevity) के लिए प्रसिद्ध है परन्तु अमरीकी संविधान की "वाणिज्य धारा (Commerce Clause) और "सामाज्य कल्याण धारा" (Welfare Clause) ने जितनी मुकदमेबाजी का जन्म दिया है उतना संभवतः भारतीय संविधान की किसी धारा ने मुकदमेबाजी को जन्म नहीं दिया। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने तो "वाणिज्य धारा" की सी से अधिक "कल्याण धारा" को है। इसी प्रकार आस्ट्रेलियन संविधान की 'अन्तःराज्य व्यापार और वाणिज्य धारा' ने अत्यधिक मुकदमेबाजी को जन्म दिया है।

संघीय संविधान का दूसरा बिन्दु जो मुकदमेबाजी का जन्म देता है वह केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है। अमरीका आस्ट्रेलिया और कनाडा के संघीय संविधानों में इसी 'शक्तियों के विभाजन' ने मुकदमेबाजी को जन्म दिया है। परन्तु भारत में संवैधानिक धाराओं की विस्तृत एवं स्पष्ट व्याख्या होने से इस क्षेत्र में भी अधिक मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन नहीं मिला।

संघीय संविधानों का तीसरा बिन्दु जो मुकदमेबाजी की अच्छी फसल को तैयार करता है वह नागरिकों के मूल अधिकारों से सम्बन्धित अध्याय होता है। इस क्षेत्र में मुकदमेबाजी का होना स्वाभाविक है क्योंकि जब कभी सामाजिक नियंत्रण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दावों में भेद उत्पन्न होगा और जहाँ न्यायालयों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये स्थापित किया जायगा वहाँ मुकदमेबाजी का हाना स्वाभाविक है। क्योंकि भारत के मूल अधिकारों के अध्याय की प्रत्येक धारा के अंतर्गत उसकी मर्यादाओं, शर्तों या अपवादों को भी अभिव्यक्त किया गया है अतः इस क्षेत्र में भी भारत में अमरीका की तुलना में बहुत कम मुकदमेबाजी उत्पन्न हुई है। इतना अवश्य है कि भारतीय संविधान के उपबन्धों में अपवादों, मर्यादाओं और शर्तों की व्यवस्था हान से यह साधारण नागरिकों की समझ से बाहर है। सामाज्य नागरिकों के लिये इसे समझना आसान नहीं।

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सविधान का विस्तृत या लम्बा स्वरूप मुकदमेवाजी को प्रेरित नहीं करता जितनी कि सविधान की और निश्चिन् मुकदमेवाजी को प्रेरित करती हैं। उदाहरणतया भारतीय सविधान की (क्याकि सविधान में उसकी विस्तृत व्याख्या नहीं की गयी थी) ने जितनी मुकदमेवाजी को प्रेरित किया है उतना किसी अन्य धारा ने नहीं दिया। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सम्पत्ति के अधिकार की व्याख्या कानूनी आधार, कायपालिका और व्यवस्थापिका ने यह कह कर कानून को सशोधित कर सविधान में सम्पत्ति के अधिकार को रखने का यह अर्थ नहीं था। स्व भारतीय सविधान पर व्यक्त की गई आलोचकों की शायें सत्य सिद्ध नहीं सविधान के विस्तृत स्वरूप ने अत्यधिक मुकदमेवाजी को चढ़ावा नहीं दिया सविधान को "बकीलो का पड्यत्र" कहना गलत है।

पिछले 25 वर्षों का सर्वैधानिकता का इतिहास आलोचकों की इस शक सत्य सिद्ध नहीं करता कि भारतीय सविधान अत्यधिक जटिल होना से (बठोर) है। वस्तुतः भारतीय सविधान एक नमनीय प्रलेख सिद्ध हुआ है। के सर्वैधानिक विकास में किय गये 38 संशोधन इस बात के प्रमाण हैं कि सविधान जटिल नहीं। आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन की पर्याप्त मुजा:

3 भारतीयेतर एवं अभारतीय सविधान (Non-Indian & Un Indian Institution)—तीसरा आधार जिस पर आलोचकों ने भारतीय सविधान की शक की है वह यह है कि यह भारतीयेतर एवं अभारतीय सविधान है। आलोचक यहन था कि इसमें न तो प्राचीन भारतीय ज्ञान और न प्राचीन भारतीय राज्य (ancient Indian polity) को समाविष्ट किया गया है और न ही वह प्रतिनिधित्व करता है। आलोचकों ने सविधान सभा में डॉ० अम्बेदकर को भी लगाया था क्योंकि वे राष्ट्रीय आन्दोलन में साभेदार नहीं क्योंकि वे गांधीवादी विचारों से सहमत नहीं अतः सविधान में न तो गणसिद्धांता को स्थान दिया गया है और न ही ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों पर सविधान का निर्माण किया गया है। ये आलोचक भारत में केन्द्र राज्य सरकारों के स्थान पर पूरा ग्राम सरकारों का निर्माण करना चाहते आलोचक ने तो यह भविष्यवाणी भी की थी कि क्योंकि "सविधान में वर्णित का भारत की मूल भावना से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं अतः इसके कार्याणि ही यह विषटित हो जायगा।" एक अन्य आलोचक ने सविधान की यह आलोचना की कि "इससे यदि भारत की पहचान नष्ट नहीं हुई (अर्थात् य व्यक्तित्व नष्ट नहीं हुआ) तो कम से कम उसकी विरासत तो लूटी ही है।"

आलोचकों की उपयुक्त भविष्यवाणियां न केवल असत्य सिद्ध हुई हैं जिस आधार को लेकर उन्होंने सविधान की आलोचना की वह आधार ही

सिद्ध हुआ है। डा० अम्बेदकर का यह विश्वास सत्य सिद्ध हुआ है कि भारतीय ग्राम स्थानीयवाद के द्वार हैं, अनभिज्ञता की गुफायें हैं और सम्प्रदायवाद और सकीणता के द्योतक हैं।¹ जिस ढंग से भारत में ग्राम पंचायतों ने काय किया है उससे डा० अम्बेदकर के सन्देह मत्त प्रसिद्ध हुए हैं। अतः भारतीय सविधान को ग्राम पंचायतों पर आधारित न कर सविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है। आज भारत में सबसे सुगठित और सुप्रथित शासन (Well Knit Government) के द्वीय शासन हैं ग्राम पंचायत नहीं।

आलोचकों की यह विचारधारा भी असत्य सिद्ध हुई है कि भारतीय सविधान परम्परा पर आधारित न होने से यह कार्यान्वित हाते ही विघटित हो जायगा। वस्तुतः स्थिति यह है, जसाकि पिछले 25 वर्षों का संवैधानिक इतिहास सिद्ध करता है, कि सविधान ने जहाँ एक ओर परम्परा और आधुनिकता में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है वहाँ व्यक्ति, जातियों, समूहों और वर्गों को इसी क अतगत सगठित किया है, राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता में विकास किया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारतीय समाज का कोई समूह, जाति या वर्ग सविधान की संरचना और उसके द्वारा स्थापित की गयी संस्थाओं—संसद, न्यायालय, वयस्क मताधिकार, निर्वाचन मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, आदि को कोई चुनौती नहीं देता बल्कि उन्हीं को कार्यान्वित कर विकास की गति को बनाये रखना चाहता है, यह उन्हीं में सुधार चाहते हैं उन्हें समाप्त या नष्ट करना नहीं चाहते। यह भारतीय लोकतंत्र की ही विशेषता है कि वह संवैधानिक साधनों के साथ प्रदर्शन, धरना, असहयोग, उपवास, भूदान, आंदोलन तथा सम्पूर्ण कार्य जैसे गर संवैधानिक साधनों को भी स्वीकार करती है। क्या ये सब भारतीय विशेषताओं को अभिव्यक्त नहीं करते। लोगों द्वारा सविधान की स्वीकृति और कार्यान्विति ही उसके भारतीय होने का प्रमाण है। भारत में पाँच सामान्य निर्वाचन हो चुके हैं जिनमें करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपने वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया है। संक्षेप में, सविधान अपार जन जागृति और राष्ट्रीय एकता का साधन रहा है, भारतीय समाज को इसने विघटित नहीं किया।

4 मिश्रित आलोचनाएँ (Mixed Criticism)—अब अनेक आचार्यों पर भी भारतीय सविधान की आलोचना की गयी है जैसे सविधान केन्द्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है, प्रत्येक मूल अधिकार को अपवादों, मर्यादाओं और शर्तों से लाद दिया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व असमर्थ (Unjustifiable) होने से व्यर्थ है। यह भी कहा गया है कि कुछ वर्गों के लिये विशेष व्यवस्थाएँ कर सविधान असमानता तथा जाति भेद को बढ़ावा देता है। इस सब आलोचनाओं की समीक्षा सम्बन्धित अध्यायों के अंतगत सविस्तार की गयी है अतः यहाँ उन्हें दोहराने का कोई लाभ नहीं।

समीक्षा प्रश्न

(Review Questions)

- 1 सविधान सभा के अथ को स्पष्ट करते हुए भारतीय सविधान सभा की मांग पर एक निबंध लिखिये ।
- 2 वेबिनेट मिशन योजना के अंतगत सविधान सभा की क्या व्यवस्था थी ?
- 3 भारतीय सविधान सभा की संरचना और कार्यवाही पर एक निबंध लिखिये । क्या सविधान सभा में एक दल (कांग्रेस) का बहुमत लोकतांत्रिक था ?
- 4 "सविधान सभा अपनी संरचना और कार्यवाही में लोकतांत्रिक संस्था थी" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? संस्करण उत्तर दीजिये ।
- 5 सविधान सभा की संवैधानिक स्थिति, संरचना और कार्य का वर्णन कीजिये ।
- 6 "सहमति और समायोजन" भारतीय सविधान निर्माण की दो मूल विशेषताएँ थीं ।" विवेचना कीजिये ।
- 7 भारतीय सविधान निर्मात्री सभा का दृष्टिकोण तीन सिद्धांतों पर आधारित था, "सहमति, समायोजन और परिवर्तन के साथ चयन" (ऑस्टिन) क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? विवेचना कीजिये ।
- 8 "सन् 1935 के भारतीय शासन अधिनियम ने भारत के नये सविधान को बहुत मात्रा में प्रभावित किया है" इस दृष्टिकोण से आप कहा तक सहमत हैं ? संस्करण स्पष्ट कीजिये ।
- 9 भारतीय सविधान के स्रोतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये ।
- 10 भारतीय सविधान सभा के प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप की विवेचना कीजिये । क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारतीय सविधान का निर्माण कांग्रेस दल द्वारा हुआ था और उसी के द्वारा यह भारतीय जनता का सौंपा गया ।
- 11 "भारतीय सविधान "उधार कोष" है, यह 1935 के अधिनियम का दासता पूर्ण अनुकरण है" क्या आप इन कथनों से सहमत हैं ? संस्करण उत्तर दीजिये ।
- 12 भारतीय सविधान "अधिवक्ताओं (वकीलों) का स्वर्ग" (lawyers paradise) है ।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये ।

पुस्तक 3

भारतीय संविधान की रूपरेखा

- 1 भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषतायें
- 2 धर्म निरपेक्षता और भारतीय संविधान
- 3 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
- 4 भारत में संघवाद
- 5 संघ राज्य सम्बन्ध
- 6 मूल अधिकार
- 7 राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व
- 8 राष्ट्रपति
- 9 मंत्रि परिषद् एवं प्रधानमंत्री
- 10 भारतीय संसद
- 11 सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन
- 12 राज्यपाल

भारतीय सविधान की प्रमुख विशेषताये (Salient Features of the Indian Constitution)

भारतीय सविधान की प्रमुख विशेषताओं का बखान करने से पूर्व उसकी प्रस्तावना (Preamble) पर दृष्टिपात करना उपयोगी होगा। सविधान की प्रस्तावना निम्न प्रकार से है —

“हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोक-तन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों को

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिये,
तथा उन सबसे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने
वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर

अपनी इस सविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई०

(मिति मागशीय शुक्ला सप्तमी सवत दो हजार छ विक्रमी) को

एतद् द्वारा इस सविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

सविधान की उपयुक्त प्रस्तावना सविधान निर्माताओं के उन उच्च आदर्शों और उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते थे। यह प्रस्तावना उनकी आकांक्षाओं, प्रयोजना और मतव्यों को अभिव्यक्त करती है। क्योंकि प्रस्तावना सविधान का अभिन अंग नहीं अतः यह किसी प्रकार के अधिकारों को उत्पन्न नहीं करती और न ही यह मूल शक्तियों की स्रोत है। यह सविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को मर्यादित नहीं करती। यह संवधानिक भवन का निर्माण नहीं करती, यह उस भवन का केवल प्रतिबिम्ब मात्र है। इसके आधार पर किसी कानून

को अबंध घोषित नहीं किया जा सकता। परन्तु फिर भी इसका महत्त्व है और यह सविधान को समझने की कुँजी है। जैसा कि १० ठाकरदास भागव ने कहा था कि यह "सविधान वा सबसे मूल्यवान भाग है। यह सविधान की आत्मा है। यह सविधान की कुँजी है। सविधान की श्रेष्ठता के लिए यह उचित मापदण्ड है यह स्वयं में पूर्णता है।"¹

प्रस्तावना ही सविधान की मार्ग दर्शक है। यद्यपि इसके आधार पर कानूनो को अबंध घोषित नहीं किया जा सकता फिर भी यह उनकी व्याख्याओं में सहायक है। प्रस्तावना में ही भारतीय जनता को सम्प्रभु घोषित किया गया है, भारत में लोकतंत्र और गणराज्य की स्थापना की गयी है। इसी के माध्यम से जनता अपनी शक्ति का प्रयोग करती है और शासन शक्ति को लोकतांत्रिक ढंग से (निवाचनों के माध्यम से) मर्यादित करती है। यह प्रस्तावना ही लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बन्धुता का आश्वासन देती है। यह प्रस्तावना ही भारत में निरपेक्ष राज्य की स्थापना करती है। स्पष्ट है कि सविधान का अभिन्न अंग न होने पर भी प्रस्तावना सविधान की निदेशक भावना को अभिव्यक्त करती है।

भारतीय सविधान की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of the Indian Constitution)

भारतीय सविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं —

1 लिखित, निर्मित एवं विस्तृत संविधान — विश्व में दो प्रकार के संविधान हैं लिखित व अलिखित, निर्मित व विकसित। जहाँ ब्रिटेन का संविधान अलिखित एवं विकसित है वहाँ भारतीय संविधान अमरीका, कनाडा, स्विट्जरलण्ड, रूस आदि संघीय संविधानों की भाँति लिखित एवं निर्मित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिनों के कठिन श्रम के बाद निर्मित किया गया था। जहाँ अमरीका का संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है, वहाँ भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत एवं लम्बा संविधान है। जहाँ अमरीकी संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147, आस्ट्रेलिया के संविधान में 128, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153, स्विट्जरलण्ड के संविधान में 123, रूस के संविधान में 146, जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद हैं वहाँ भारतीय संविधान में 22 अध्याय, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ हैं।

1 See Bannerjee, D N Our Fundamental Rights p 2
Quoted by Johari, C J Indian Government & Politics
p 27

विस्तृत अभिलेख होने पर भी भारतीय संविधान में अनेक बातों को अग्नि समय द्वारा विकसित होने के लिये छोड़ दिया गया। उदाहरणतया भारतीय संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं कि क्या राष्ट्रपति सबदा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के परामर्श का मानन के लिये बाध्य है? क्या राष्ट्रपति राज्या के राज्यपाला का नियुक्त करते समय राज्य सरकारों में परामर्श लेगा? क्या संसद संविधान के हर अध्याय (मूल अधिकारों सहित) का संशोधित कर सकती है? क्या राज्यपाला के पास निरपेक्ष स्वविवेक की शक्तियाँ हैं? आदि। वस्तुतः भारतीय संविधान में ये तथा ऐसी ही अनेक कमियाँ हैं जिन्होंने अनेक विवादों को जन्म दिया है।

2 सहमति और समायोजन का परिणाम—भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि संविधान विवाद, विचार विमर्श, समझौते सहमति और समायोजन का परिणाम है। संविधान निर्माण करते समय किसी विचार का जल्दबाजी में निश्चित नहीं किया गया और न ही किसी विचार को थोपा गया। जो भी अंतिम निष्पत्ति लिये वे सहमति और समायोजन के परिणाम थे। यही कारण है कि भारतीय संविधान में दिग्गड़ देने वाली परस्पर विरोधी विचारधाराओं को समायोजित किया गया है। उदाहरणतया संविधान में सघातमक एकात्मक, संसदात्मक अध्यात्मक, केन्द्रीयकरण विकेन्द्रीयकरण, नमनीयता और अनमनीयता सत्ता और स्वतंत्रता आदि तत्वा का अद्वितीय मेल मिलता है। वस्तुतः संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के संविधानों की त्रुटियाँ (कमियाँ) को दूर करत हुए उनकी अच्छाइयों को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल ढाला है।

3 सावभौम लोकतंत्रिक गणराज्य—भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता यह है कि यह भारत को सावभौम लोकतंत्रिक गणराज्य घोषित करता है। सावभौम का अर्थ यह है कि संविधान भारतीयों की कृति है, विदेशियों की नहीं, यह किसी विदेशी सत्ता का तोफा नहीं बल्कि स्वयं भारतीयों द्वारा निर्मित है। सावभौम का अर्थ यह भी है कि शासन सत्ता का अंतिम स्रोत भारतीय जनता है। संविधान की प्रस्तावना के ये शब्द 'हम भारत के लोग' इसकी सावभौमिकता की अभिव्यक्ति करते हैं। भारत किसी बाह्य सत्ता के आदेशों को स्वीकार नहीं करता, यह अपनी आंतरिक और बाह्य नीति का स्वयं निर्माता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का भारत स्वेच्छा से स्वीकार करता है किसी बाध्यता से नहीं। राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भी स्वेच्छा पर निर्भर करती है। इसकी सदस्यता मित्रता का चिह्न है किसी बचावदत्ता (Commitment) का नहीं।

लोकतंत्र का अर्थ है शासन की अंतिम सत्ता जनता के हाथ में है। परन्तु संविधान भारत में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र अर्थात् परोक्ष लोकतंत्र की स्थापना करता है प्रत्यक्ष की नहीं। संविधान स्विटजरलण्ड की भाँति आरम्भ, जनमत संग्रह और प्रत्याह्वान (Recall) जैसी प्रत्यक्ष प्रजातंत्रिक संस्थाओं की स्थापना नहीं करता। भारतीय जनता प्रत्यक्ष कार्य नहीं कर सकती। यह अपने प्रतिनिधियों द्वारा

ही काय कर सकती है जिह वह निर्वाचनों के माध्यम से चुनती है। लोकतंत्र का अर्थ यह भी है कि सविधान विधि के शासन को स्थापित करता है। कोई व्यक्ति, चाहे उसका पद और स्थिति कुछ भी हो, विधि के अधीन है, ऊपर नहीं।¹ सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं और सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। शासन किसी आधार पर जाति, धर्म, भाषा, लिंग या इनमें से किसी एक आधार पर नागरिका में भिन्नता नहीं कर सकता। लोकतंत्र का यह भी अर्थ है कि सविधान सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आश्वासन देता है, सभी को विचारा को अभिव्यक्त करने, विश्वास और उपासना आदि की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करता है। सावभौम बयस्क मताधिकार, सयुक्त निर्वाचन प्रणाली, नागरिका के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, आदि व्यवस्थायें भारत में लोकतंत्र की द्योतक हैं। भारतीय सविधान केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना ही नहीं करता बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक लोकतंत्र का आश्वासन भी देता है।

सविधान भारत में केवल लोकतंत्र की ही स्थापना नहीं करता बल्कि गणतंत्र की भी स्थापना करता है। गणतंत्र का अर्थ यह है कि राज्याध्यक्ष वशानुगत राजा नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि है। वस्तुतः गणतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञों ने भिन्न भिन्न अर्थों में किया है। लीकॉक के लिये इसका अर्थ "राजतंत्र का विरोध" है, जलनेक का विश्वास है कि गणराज्य वह शासन है जिसमें शासन मत्ता एक हाथ में नहीं अपितु बहु—(कम या अधि) व्यक्तियों के हाथों में होती है, हस्तों के लिये गणराज्य सामाजिक समझौते पर आधारित है चाहे उसके शासन का स्वरूप अल्पतंत्रीय हो, राजतंत्रीय हो या अल्प किसी प्रकार का हो। गणराज्य का अर्थ इस रूप में भी व्यक्त किया जाता है कि यह वह शासन है जिसमें सत्ता प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत जनता में प्राप्त की जाती है। भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वह वशानुगत राजा नहीं, दूसरे सभी सावजनिक पद भारत के सभी नागरिका के लिये, बिना किसी भेद भाव के, खुले हैं। विशेषाधिकार प्राप्त वग नहीं। अतः भारत एक गणराज्य है।

4 धर्म निरपेक्ष राज्य—यद्यपि भारतीय सविधान में "धर्म निरपेक्ष" (Secular) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया फिर भी सविधान भारत में धर्म निरपेक्ष

1 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री राजनारायण की चुनाव याचिका (प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध) स्वीकार करके (जून 1975) यह सिद्ध कर दिया कि भारत में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी हो, वानून की उल्लंघना के लिये उन्हीं प्रकार उत्तरदायी हैं जिस प्रकार कि कोई नागरिक उत्तरदायी है।

राज्य की स्थापना करता है। यह सविधान की प्रस्तावना, निर्वाचन प्रणाली और नागरिकों के मूल अधिकारों के अध्याय से स्पष्ट है। सविधान की प्रस्तावना में वा गयी ये घोषणायें कि सविधान नागरिकों के लिये "विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता" 'प्रतिष्ठा और अवसर की समानता' तथा बहुत्व की भावना को सुरक्षित रखता है, भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य बनाती है। भारत की संयुक्त निर्वाचन प्रणाली भी भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य बनाती है, यहाँ निर्वाचन क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्रों में बाटा गया है, साम्प्रदायिक क्षेत्रों में नहीं, निर्वाचन सूचियाँ सामान्य होती हैं, निर्वाचन चिह्न सामान्य ही हो सकते हैं, आदि। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को 'अतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है। सविधान व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और गणित को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। राज्य द्वारा संचालित या राज्य में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षकों को अनिर्वास नहीं बनाया जा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सविधान किसी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं करता। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भिन्नता नहीं करता, राज्य किसी नागरिक को किसी धर्म के अपनाने या छोड़ने के लिये नहीं कहता, राज्य किसी धर्म के प्रचार के लिये कोई चर्चादा एकाग्र नहीं करता। मक्षेप में, भारतीय राज्य धर्म के मामले में पूर्णतया तटस्थ है इसलिये भारतीय राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य है।

परन्तु धर्म निरपेक्ष होने का यह अर्थ नहीं कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब कभी धर्म सामाजिक उत्पात का जन्म देता है तो राज्य सामाजिक व्यवस्था के लिये धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। भारत में राज्य सांख्यिक व्यवस्था, नतिकता और स्वास्थ्य के नाम पर, सामाजिक कल्याण और सुधार के नाम पर, धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है।

5 नमनीयता और अनाम्यता का मिश्रण—भारतीय सविधान में ता ब्रिटिश सविधान की भाँति नमनीय है और न अमरीकी सविधान की भाँति अनाम्य। भारतीय सविधान इन दोनों में मध्यम मार्ग अपनाता है। भारतीय सविधान में सशोधन की विधि का बखान अनुच्छेद 368 में किया गया है जो तीन प्रकार की व्यवस्थायें करता है। (i) भारतीय सविधान की अधिकांश धारायें ऐसी हैं जिनमें भारत में नया राज्या का प्रवेश, वर्तमान राज्या का पुनर्गठन, राज्या के द्वितीय सदन (राज्य विधान परिषद) की सृष्टि तथा उनकी समाप्ति, आदि जिनमें सशोधन के लिये भारतीय सदन के दोनों सभों का माधारण बहुमत ही पर्याप्त है अर्थात् भारतीय सदन के दोनों सदन में माधारण बहुमत द्वारा सविधान की इन धारामा में परिवर्तन किया जा सकता है। (ii) भारतीय सविधान की कुछ धारायें ऐसी हैं जिन्हें सदन के दोनों सदन अपने पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत में ही प्राप्त

कर सकते हैं। इस प्रकार की धारणों सविधान के अध्याय तीन (मूल अधिकारों से सम्बन्धित अनुच्छेद 12 से 35) और सविधान के अध्याय चार (राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से सम्बन्धित अनुच्छेद 36 से 51) से सम्बन्धित है। (iii) सविधान की कुछ धारणों ऐसी हैं जिनमें सशोधन के लिये न केवल मसद के दोनों सदना के पूरे बहुमत और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है बल्कि आधी राज्य विधान सभा के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता है। विधान सभा के अनुसमर्थन को साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है। इस तरह की धारणों है राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्बन्धित अनुच्छेद 54 और 55, केन्द्र और राज्यों की वायपालिका शक्ति से सम्बन्धित अनुच्छेद 73 और 162, अनुच्छेद 368, आदि। स्पष्ट है कि भारतीय सविधान कुछ अर्थों में नमनीय, कुछ अर्थों में अर्द्ध नमनीय और अर्द्ध अनाम्य और कुछ अर्थों में अनाम्य है।

6 ससदात्मक शासन व्यवस्था—भारतीय सविधान निर्माताओं ने ऐतिहासिक अनुभवा से लाभ उठाते हुए केन्द्र और राज्यों में ससदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। इस प्रणाली की यह विशेषता होती है कि वायपालिका अध्यक्ष राज्य करता है, शासन नहीं। वायपालिका अध्यक्ष तो नाम मात्र का अधिकारी होता है। उसकी सारी शक्तियाँ वास्तविक प्रयोग मंत्रिमण्डल करता है जिसका नेतृत्व प्रधान मंत्री करता है। मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य विधान मण्डल के सदस्य होते हैं और उमके प्रति सयुक्त रूप में उत्तरदायी होते हैं। यह सत्य है कि भारतीय सविधान राष्ट्रपति को ऐसी अनेक शक्तियाँ प्रदान करता है जो ससदात्मक शासन प्रणाली से मेल नहीं खाती परन्तु सविधान इस बात की अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमण्डल के परामर्श पर ही करेगा। पिछले 25 वर्षों का संवैधानिक इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। भारत में मंत्रिमण्डल ससद के प्रति उत्तरदायी है और मसद प्रश्ना पूरक प्रश्नों, कामरोंको प्रस्तावों, निन्दा प्रस्तावों तथा अविश्वास प्रस्तावों द्वारा मंत्रिमण्डल पर नियंत्रण रखता है। इतना अवश्य है कि भारत में उन ससदात्मक अभिसमयों का विकास नहीं हुआ जिनका ब्रिटेन में विकास हुआ है। उदाहरणतया भारत में मंत्रिमण्डल के सयुक्त उत्तरदायित्व अर्थात् मंत्री इकट्ठे ही बैठते हैं और इकट्ठे ही डूबते हैं के अभिसमय का विकास नहीं किया गया और न ही भारत में कोई सुदृढ रचनात्मक विराधी दल है जो सरकार का विकल्प प्रस्तुत कर सके, आदि।

7 सघातक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण—भारतीय सविधान एक ऐसा सविधान है जिसमें सघातक और एकात्मक तत्वों का अद्वितीय मिश्रण है। यदि शांति काल में यह सघातक है तो संकट काल में यह, सविधान में परिवर्तन किये बिना, एकात्मक का रूप ग्रहण कर लेता है। डॉ० हार्बर इसे अर्द्ध सघातक राज्य की संज्ञा देते हैं।

भारतीय संविधान में वे सब तत्त्व पाये जाते हैं जो अन्य संघीय संविधानों में पाये जाते हैं। उदाहरणतया इसका संविधान लिखित, निर्मित और अनाम्य है। इसका संविधान सर्वोच्च है। संविधान में शक्तियाँ का बंटवारा किया गया है। विषयों को तीन सूचियों में विभक्त किया गया है। सूची 'अ' अर्थात् केंद्रीय सूची में 97 विषय हैं, सूची 'ब' अर्थात् राज्य सूची में 66 विषय हैं और सूची 'स' अर्थात् समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों अपनी शासन सत्ता का सीधे संविधान में प्राप्त करता है। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकती। राज्य सरकारें केंद्र के अभिन्नमण (agent) मात्र नहीं। संविधान द्वारा निर्धारित क्षेत्र में उनका अपना एकाधिकार है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो न केवल संविधान की रक्षा करती है बल्कि नागरिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। संघ और राज्यों में अधिकार-शक्ति के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले झगड़ों का निपटारा भी न्यायपालिका करती है। इसके अतिरिक्त संघीय व्यवस्थापिका द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका है। जहाँ लोक सभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है वहाँ राज्य सभा संघ के एक-एक राज्य का प्रतिनिधित्व करती है।

उपयुक्त संघीय तत्वों के होते हुए भी भारतीय संविधान केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। न केवल संकट काल में (जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करता है) बल्कि शांतकाल में भी केंद्र की शक्ति राज्यों पर हावी रहती है। समवर्ती सूची में संसद द्वारा बनाये गये कानूनों की प्राथमिकता दी जाती है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची में दिये गये किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय बताकर लोक सभा (संसद) को उस विषय पर कानून निर्माण का अधिकार दे सकती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग भी इस प्रकार किया जा सकता है कि केंद्र द्वारा पारित कानूनों में बाधा प्रस्तुत न हो। केंद्र आवश्यक समझे तो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। भारत में संघ के एकाका का कोई पृथक संविधान नहीं तो दूर वे संविधान में संशोधन के प्रस्ताव को भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। संशोधन का प्रस्ताव संसद द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अन्य संघीय संविधानों की तुलना में भारतीय संविधान लचीला है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संसद कर सकती है। राज्य सभा में भी एकाका की समानता प्रदान नहीं की गयी। राज्य के कार्यपालिका अध्यक्ष (राज्यपाल) की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अखिल भारतीय सेवाओं केंद्र के अधीन हैं। न्याय व्यवस्था एकीकृत है। निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्यों के निर्वाचनों का संचालन करता है। राज्य अपनी विकास योजनाओं के लिये केंद्र की सहायता पर निर्भर करते हैं आदि। ये सब तत्त्व भारतीय संविधान को एकात्मक रूप प्रदान करते हैं।

8. संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों में मध्यम मार्ग— भारतीय संविधान ने ब्रिटेन की संसदात्मक प्रणाली को अपनाया है परंतु उसके

संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया अर्थात् संसद के कानूनों को यायालय में चुनौती दी जा सकती है और यायालय उसे अवध भी घोषित कर सकती है, यदि वह कानून संवधानिक धाराओं के विपरीत है। भारत में सर्वोच्च यायालय ने अनेक कानूनों को इस कारण अवध घोषित किया कि वे संवधानिक धाराओं के विपरीत थे। सन् 1967 के गोलकनाथ मुकदम में तो यायालय ने संसद में मूल अधिकारों में परिवर्तन करने की सत्ता को भी छीन लिया था। यद्यपि 1973 में केशवानन्द के मुकदम में सर्वोच्च यायालय ने संविधान में संशोधन करने के (मूल अधिकारों सहित) संसद के अधिकार को स्वीकार कर लिया परंतु साथ में यह भी कह दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। परंतु भारतीय संविधान की यह भी विशेषता है कि संसद यायालयों के निर्णयों को प्रभावहीन बनाने के लिये संवधानिक संशोधन भी कर सकती है। अनेक संवधानिक संशोधन इसी आशय से किये गये। उदाहरणतया 24वां संशोधन 1967 में गोलकनाथ मुकदम में छीनी गई संसद की शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिये किया गया। इसी प्रकार 25वां संशोधन 1970 में ब्रज राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रिबी पस का समाप्त करने वाले अध्यादेशों को यायालय द्वारा अवध घोषित होने पर ही पास किया गया। इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि यायावरीशा की नियुक्ति कायपालिका (राष्ट्रपति) द्वारा होता है। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत और अमरीकी यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत में मध्यम मार्ग अपनाता है।

9 मूल अधिकार—अमरीका और आयरलैण्ड के संविधानों की भांति भारतीय संविधान भी अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। भारतीय नागरिकों का 7 मूल अधिकार दिये गये हैं (i) समानता का अधिकार, (ii) स्वतंत्रता का अधिकार, (iii) शासन के विरुद्ध अधिकार, (iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, (v) सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बंधी अधिकार, (vi) सम्पत्ति का अधिकार, और (vii) संवैधानिक उपचारों के अधिकार। इन अधिकारों की विशेषता है कि संविधान इन्हें वाद-योग्य (justiciable) बनाता है। भारतीय नागरिकों के ये अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं के मर्यादापट्ट हैं और भारतीय लोकतंत्र तथा उसकी उदार एवं स्वतंत्र संस्थाओं के अस्तित्व के मूल आधार हैं। यदि इन अधिकारों का संविधान से निकाल दिया जाय तो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक हान पर ही संदेह उत्पन्न हो जायेंगे।

परंतु भारतीय संविधान की यह भी विशेषता है कि इन अनुच्छेदों में वह नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है उही में अपवादों, विशेष व्यवस्थाओं और शर्तों द्वारा उनकी मर्यादाओं का भी निर्धारित करना है। इस तरह भारतीय संविधान केवल नागरिकों के मूल अधिकारों को संवधानिक भावना ही नहीं देता बल्कि मर्यादाओं को भी संवधानिक भावना प्रदान करता है। इस तरह भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार निबाध अनिमित्त और निरपेक्ष नहीं। राष्ट्र की सुरक्षा,

सावजनिक व्यवस्था एव हित, विदेशा से मन्त्रीपूरा सम्बन्ध, सावजनिक नतिकता और स्वास्थ्य, पिछड़ी हुई एव अनुसूचित जातियों के हिता की रक्षा, नीति निदेशक तत्वा, आदि के नाम पर राज्य सबदा नागरिक स्वतंत्रताओं पर मर्यादाएँ लगा सकता है।

10 नीति निदेशक तत्व—भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि जहाँ उसने अध्याय तीन में नागरिकों के वाद-योग्य अधिकारों को उल्लिखित किया है वहाँ अध्याय चार में उसने नागरिकों के वाद हीन (non justiciable) अधिकारों को उल्लिखित किया है जिन्हें राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। ये नीति निदेशक तत्व वाद हीन होने पर भी देश के प्रशासन में मूलभूत हैं। यद्यपि ये राज्य पर कोई दायित्व प्रदान नहीं करते परन्तु लोकतान्त्रिक, लोक कल्याणकारी राज्य में शासन का अस्तित्व इन्हीं की कार्यावधि पर निर्भर करता है। यद्यपि यामान्यता में इनकी मांग नहीं की जा सकती परन्तु प्रत्येक लोकतान्त्रिक शासन को निवाचन मंडल के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ता है अतः इन तत्वों की कार्यावधि के आधार पर शासन की समीक्षा की जा सकती है। नीति निदेशक तत्वों की कार्यावधि लोकतान्त्रिक, लोक कल्याणकारी शासन का औचित्य ही उसकी सफलता और असफलता का मापदण्ड है।

नीति निदेशक तत्व राज्य का पथ प्रदर्शन करते हैं तथा उम दिशा की ओर संकेत करते हैं जिस दिशा में संविधान निर्माता भारत को ले जाना चाहते थे। इन नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से ही संविधान निर्माता नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं, रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं, पूँजी को कुछ हद तक केन्द्रित होने से रोकना चाहते हैं, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं, पिछड़ी हुई जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का विश्वास करना चाहते हैं पंचायती राज का विस्तार करना चाहते हैं, कायपालिका और न्यायपालिका को पृथक् करना चाहते हैं, आदि।

11 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना—संविधान भारत में पुलिस राज्य की स्थापना नहीं करता बल्कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान राज्य के केवल नकारात्मक कार्यों का ही निर्धारण नहीं करता बल्कि राज्य को कुछ सकारात्मक कार्य भी सौंपता है ताकि संविधान की प्रस्तावना में दिये गये आर्थिक, सामाजिक और राजनतिक षासक अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता और स्थिति और श्वसर की समानता के आश्वासनों को पूरा किया जा सके। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में जहाँ राष्ट्रीय एकता का समय मिला है वहाँ लोकतंत्र में लोगों की आस्था भी बढ़ी है। पंचवर्षीय योजनाओं का विकास योजनाओं, राष्ट्रीय नियोजन और समाजवादी ढांचे का समाज की स्थापना का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना है।

12 स्वतंत्र न्यायपालिका—संविधान की सर्वोच्चता, सचीय व्यवस्था और

नागरिका के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु मविधान स्वतंत्र "यायपालिका की व्यवस्था करता है। सर्वोच्च "यायालय रूपी पहरेदार इनकी रक्षा हेतु सवदा तयार रहता है। जब कभी यायपालिका घादेन या व्यवस्थापिका के कानून सवधानिक धाराओं की उल्लंघना करने है या प्रपणे अधिकार क्षेत्र से बाहर हानर काय करते है ता "यायालय उह अवध घापित कर सस्ती है। नागरिका के अधिकारों की रक्षा हेतु "यायालय अनुच्छेद 32 के गुणगार बन्नी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण आदि लेगा वा जारी कर सकती ह। सर्वोच्च "यायालय सविधान के अतगत विवांग वा निपटारा ही नहीं करता बल्कि उसकी धाराओं की व्याख्या कर उसका विवाम भी करता है। पर तु यहा भारतीय सर्वोच्च "यायालय वा क्षेत्र अमरीकी सर्वोच्च "यायालय की भांति व्यापक नहीं क्वाकि जहा अमरीकी सर्वोच्च "यायालय वा कायस्थेय 'वानून की उचित प्रक्रिया (due process of law) द्वारा निघारित होना है वहा भारतीय सर्वोच्च "यायालय 'वानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (procedure established by law) की परिधि म काय कर सकती है।

13 साम्प्रदायिक मताधिकार की समाप्ति और वयस्क मताधिकार की कार्याचिति—भारतीय सविधान की एक विशेषता यह है कि जिस वयस्क मताधिकार को प्राप्त करन के लिए ब्रिटिश नागरिका को लगभग 100 वष तक सधष करना पडा भारतीय नागरिका को वह वयस्क मताधिकार सविधान के लागू होते ही प्राप्त हो गया। क्वाकि साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत के विभाजन और जातिया क विघटन का कारण थी अत सविधान न इमे समाप्त कर दिया और सयुक्त निर्वाचन प्रणाली का अपना क्रिया। इतना ही नहीं गुरुभार पद्धति वा भी समाप्त कर दिया। केवल अनुसूचित जातिया अनुसूचित जन जातियो और पिछडे हुए वर्गों के लिए सविधान विशेष व्यवस्थाए करता है। वयस्क मताधिकार प्रणाली और सयुक्त प्रणाली पर टिप्पणी करत हुए प्रो० श्रीनिवासन ने लिखा है कि यह 'महान आर आतिकारी विशेषता ह।' उम समाज म जहा निधनता, निरक्षरता, मनभिज्ञता, रुढिवादिता, अनुदारवादिता जातिवाद अधिक था वहा वयस्क आर सयुक्त निर्वाचन प्रणाली वस्तुत एक महान कदम था। यह भारतीय सविधान निमाताओं वा भारतीय जनता पर विश्वास का चातक है।

14 इकहरी नागरिकता—यद्यपि सविधान सघात्मक व्यवस्था ना स्थापित करता है परंतु अय सघीय सविधानों की भांति उसन दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं की। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकताओं वा अनुभव करत हुए सविधान निर्माताओं ने इकहरी नागरिकता का अपनाया ह। भारत मे नागरिक किसी क्षेत्र म निवास क्वा न करता हो, उसकी मातृभाषा बुद्ध भी हा उसक रीति रिवाज, परम्पराओं और आदतों म कितना ही अ तर क्वा न हो सभी का एक ही नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्राप्त ह। कानून नागरिकता का बगाली, पजाबी मद्रासी, उडिया, वा मराठी के नाम से नहीं जानता बल्कि भारतीय नागरिक के रूप म पहचानता

है। केन्द्रीय या राज्यो की शासन व्यवस्था नागरिकों में जाति, धर्म, भाषा आदि का आधार पर भिन्नता नहीं कर सकता।

15 सामाजिक समानता—संविधान प्रायः राजनीतिक समानता को ही प्रदान करता है। परन्तु भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि यह राजनीतिक समानता के साथ सामाजिक समानता की भी व्यवस्था करता है और आर्थिक समानता तान का प्रयास करता है। उदाहरणरूप मविधान अस्पृश्यता का अन्त करता है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का फैताना या बढावा देना एक दण्डनीय अपराध है। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम में संविधान आर्थिक समानता लाने का प्रयास करता है।

16 निर्दिष्ट जातियों के लिए विशेष उपबन्ध—भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि वयम्ब मताधिकार को अपनाते हुए, सभी नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से समान मानते हुए भी वह कुछ निर्दिष्ट जातियों के लिए संविधान के अध्याय 16 के 13 अनुच्छेद (अनुच्छेद 330 से 342) में विशेष व्यवस्थाएँ करता है। इन विशेष व्यवस्थाओं का अपनाते हुए संविधान ने इस तथ्य को समायोजित किया है कि जब तक भारतीय समाज के ये दलित, पिछड़े वर्गों की विकास के यूनतम अवसर प्रदान नहीं किये जाते तब तक भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का विकास नहीं हो सकता। इन विशेष व्यवस्थाओं के अतगत संविधान आगल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है यदि उसे लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी स्थान निश्चित है। इतना ही नहीं प्रशासनिक सेवाओं और शिक्षा संस्थाओं में इनके लिए विशेष सुविधाएँ हैं।

17 राजभाषा—संविधान के अध्याय 17 के 9 अनुच्छेद (अनुच्छेद 343 से 351) भाषा में सम्बन्धित अनुच्छेद हैं। संविधान जहाँ क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की पूरी सुविधाएँ प्रदान करता है वहाँ राष्ट्रीय एकता और मम्बक भाषा (link language) के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी को राष्ट्र भाषा भी घोषित करता है। न केवल संविधान सभा में बल्कि उसके बाद भी आज तक भाषा का प्रश्न एक जटिल प्रश्न रहा है। जहाँ उत्तर के हिन्दी भाषाई राज्य के हिन्दी के समर्थक हैं तो वहाँ दक्षिण के अहिन्दी भाषाई राज्य प्र प्रेज. के समर्थक हैं। त्रिभाषाई फामूले का अतगत इन दोनों दावा का समजित करने का प्रयास किया गया है। संविधान अनुच्छेद 351 के अतगत हिन्दी के विकास के लिए विशेष निर्देशन भी ंता है। हिन्दी के विकास के लिए केन्द्र और राज्या में हिन्दी निर्देशालयों की स्थापना भी की गयी है।

18 अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समर्थक—भारतीय संविधान की एक यह विशेषता भी है कि वह अध्याय 4 के 51वें (Art 51) अनुच्छेद में भारत अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों का स्पष्ट करता है अर्थात् भारत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और

अध्याय 2

धर्म निरपेक्षता और भारतीय संविधान (Secularism and Indian Constitution)

धर्म निरपेक्षता का अर्थ (Meaning of Secularism)

धर्म निरपेक्षता का अर्थ है धर्म से विच्छेद। क्योंकि धर्म विश्वास और परलोक की चीज है अतः धर्म निरपेक्षता बुद्धि, तर्क, विवेक और 'सतार' की चीज है। धर्म निरपेक्षतावादी वह व्यक्ति है जो धर्म, धार्मिक प्रणाली और पूजा के स्वरूप की ओर ध्यान न देकर मानव कल्याण को नतिकता पर आधारित करता है। धर्मों के प्रति धर्म निरपेक्षतावादी का दृष्टिकोण सहिष्णुता का होता है, हठ धर्मिता का नहीं। धर्म निरपेक्ष साहित्य का अर्थ है ऐसा साहित्य जिसका न तो धर्म से सम्बन्ध है और जो न धर्म की सेवा करता है। धर्म निरपेक्ष शिक्षा का अर्थ है ऐसा शिक्षा पाठ्यक्रम जिसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। धर्म निरपेक्ष अभिवृत्ति का अर्थ ऐसी वृत्ति में है जो जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से धर्म को अलग करती है। एक विचारधारा के रूप में इसका अर्थ है उस जीवन और व्यवहार का विरोध जो धर्म पर आधारित है। राजनीतिक क्षेत्र में धर्म निरपेक्षता राज्य और धर्म (चर्च) को अलग अलग रखती है। ब्रिटानिका विश्व कोष में धर्म निरपेक्षता को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है 'गैर आध्यात्मिक अर्थात् जा धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों से सम्बन्धित न हो कोई भी चीज जो धर्म तथा धर्म सम्बन्धी चीजों से भिन्न, विरुद्ध या सम्बन्धित न हो, सांसारिक या आध्यात्मिक या धार्मिकता के विपरीत हो।'

स्पष्ट है कि धर्म निरपेक्षता ऐसा सिद्धांत है जो राज्य के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। धर्म को व्यक्तिगत विषय मान कर धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है और धर्म के आधार पर कोई भिन्नता नहीं करता। जैसा कि तयबजी ने लिखा है कि "धर्म निरपेक्षता एक बृहद परगला है जिसके अन्तर्गत अनेक रंग रूप और मुग धर्म के हजारों फूल मिलते हैं।"

धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ—धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ उस राज्य में है जिसका अपना कोई राज धर्म नहीं और धर्म के नाम पर किसी प्रकार की भिन्नता

नहीं करता। इस प्रकार का राज्य किसी धर्म विशेष को कोई सरक्षण प्रदान नहीं करता, उसका प्रचार नहीं करता, धर्म के नाम पर कोई जजिया या कर वसूल नहीं किया जाता। इस प्रकार का राज्य नागरिकों को किसी अमुक धर्म को अपनाने या छोड़ने के लिये नहीं बहता। इस प्रकार के राज्य में नागरिकता धर्म विशेष पर निर्भर नहीं करती बल्कि व्यक्ति के आधार पर निर्भर करती है। राज्य की नीतियाँ धार्मिक भावनाओं में प्रेरित नहीं होती बल्कि सामाजिक कल्याण से प्रेरित होती हैं। इस तरह धर्म निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया जाता है और धर्म को व्यक्ति का निजी क्षेत्र मान कर उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। धर्म निरपेक्ष राज्य के अर्थ को निम्न परिभाषाओं द्वारा और अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है —

1 वेकातारमन के शब्दों में धर्म निरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो धार्मिक नहीं होता और न ही अधार्मिक होता है और न ही धर्म विरोधी होता है परन्तु जो धार्मिक सिद्धांत और धार्मिक क्रिया कलाओं में पूर्णतया अलग है और इस तरह जो धार्मिक विषयों में तटस्थ है।”

2 एच० वी० कमथ के शब्दों में “एक धर्म निरपेक्ष राज्य न ही तो ईश्वर रहित राज्य है, न ही वह अधर्मों का राज्य है और न ही वह धर्म विरोधी राज्य है।”

3 डोनाल्ड ई० स्मिथ के शब्दों में “धर्म निरपेक्ष राज्य निजी और सामूहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। वह व्यक्ति के साथ उसके धर्म का विचार किये बिना, नागरिक के रूप में व्यवहार करता है। सवधानिक तौर पर वह किसी धर्म से सम्बंधित नहीं और न किसी धर्म की वृद्धि का प्रयास करता है और न ही धर्म में हस्तक्षेप करता है।

धर्म निरपेक्षता और भारतीय संविधान—भारत एक बहुजातीय देश है। यहाँ पर हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी, जन, बौद्ध, यहूदी, आंग्ल भारतीय, आदि अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं। इन जातियों के भिन्न भिन्न धर्म हैं, भिन्न भिन्न विश्वास हैं। हिन्दू धर्म के अनुयायियों की यहाँ पर बहुतायत है। आयरलैण्ड के संविधान की भाँति भारत के संविधान निर्माता हिन्दू धर्म को राज्य का सरक्षण प्रदान कर सकते थे परन्तु उन्होंने राष्ट्रीय अखण्डता और एकता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अल्पसंख्यकों में विश्वास को बनाये रखने के लिये तथा महात्मा गांधी के इस स्वप्न को पूरा करने के लिये कि “भारत सबके लिये है” (India for all) भारत के संविधान निर्माताओं ने धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया।

भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि यह धर्म निरपेक्ष विचारों से संचालित है परन्तु फिर भी संविधान अपनी किसी धारा में ‘धर्म निरपेक्ष’ या ‘धर्म निरपेक्षता’ शब्दों का प्रयोग नहीं करता। संविधान की प्रस्तावना (Preamble),

निर्वाचन प्रणाली और सविधान के तीसरे भाग में वरिष्ठ नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय सविधान की धर्म निरपेक्षता को परिलक्षित करते हैं ।

सविधान की प्रस्तावना भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य बनाती है—भारत के सविधान की प्रस्तावना में यह घोषणा कि सविधान भारत के सभी नागरिकों के लिये 'विश्वास धर्म, और उपासना की स्वतन्त्रता', 'प्रतिष्ठा और अवसर की समानता' तथा "बहुत्व की भावना" को सुरक्षित रखता है भारत राज्य को एक धर्म निरपेक्ष राज्य बनाती है । प्रस्तावना में भी "ईश्वर" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया । विश्वास और उपासना को व्यक्तिगत विषय मान कर उसे व्यक्ति पर छोड़ दिया गया है ।

भारतीय गणराज्य का अपना कोई धर्म नहीं । राज्य न तो किसी धर्म में आस्था रखता है और न ही किसी धर्म का प्रचार करता है । राज्य किसी नागरिक को किसी अमुक धर्म का अपना या किसी अमुक धर्म को छोड़ने, उसके लिये चंदा इकट्ठा करन या धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करने के लिये नहीं कहता । संक्षेप में भारतीय राज्य धार्मिक विषयों में तटस्थ है । जसा कि पी० वी० गजेन्द्र गडकर ने लिखा है कि राज्य "सभी पूजा स्थलों के प्रति समान सहिष्णुता से व्यवहार करता है ।" परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य धर्म विरोधी है । जैसा कि सीतलवाड ने लिखा है कि सविधान में धार्मिक विश्वासों को भावना की प्रवृत्ति है यदि वह सामान्य सामाजिक हित के विरुद्ध नहीं है तथा सब धर्मों को समान समझा जाता है ।¹ यदि धर्म सांख्यिक उत्पात पैदा नहीं करता तो यहाँ सब धर्मों को पूर्ण स्वतन्त्रता है ।

सविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को केवल इस बात का ही आश्वासन नहीं देती कि वे अपनी इच्छानुसार विश्वास और उपासनाओं के तरीकों का अपना सकते हैं बल्कि इसके माध्यम से प्रस्तावना राज्य में यह भाग भी करती है कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा, प्रदेश या अन्य किसी आधार पर नागरिकों में कोई भिन्नता न करे । यह बात तथ्यपूर्ण है कि भारत में नागरिकता किसी धर्म विशेष पर निर्भर नहीं करती बल्कि व्यक्ति (Individual) पर करती है । भारत में नागरिकों के पास एक ही नागरिकता है जिसे भारतीय नागरिकता कहते हैं । "हम, भारत के लोग" इस बात का प्रतीक है कि हम भारतीय हैं हिन्दू, मुस्लिम, सिख या इसाई नहीं ।

निर्वाचन प्रणाली भारत को धर्म निरपेक्ष बनाती है—सविधान भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करता है और उसके स्थान पर संयुक्त

1. गजेन्द्र गडकर, पी वी धर्म निरपेक्षता तथा भारतीय सविधान में भारतीय सरकार एवं राजनीति एवं लेख सञ्चलन (वर्ण 1) (राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर), पृ० 154

निर्वाचन प्रणाली को अपनाता है। निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक निर्वाचित क्षेत्रों में बटे हुए हैं साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं। मतदाताओं के लिये सामान्य निर्वाचन सूचीयाँ (general electoral roll) हैं। निर्वाचन चिह्न सामान्य ही हो सकते हैं अर्थात् कोई उम्मीदवार या दल ऐसा निर्वाचन चिह्न नहीं ले सकता जिससे धार्मिक भावनायें उभड़ती हों। निर्वाचनों में साम्प्रदायिकता को भड़काना या धर्म, जाति के आधार पर मतों को प्राप्त करने की कोशिश करना निर्वाचन भ्रष्टाचार में लिया जाता है।

नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान की धर्म निरपेक्षता को परिलक्षित करते हैं—अध्याय तीन में नागरिकों को प्रदत्त किये गये मूल अधिकार भारतीय संविधान के धर्म निरपेक्ष होने के प्रमाण हैं। ये अध्याय भारत की धर्म निरपेक्षता के आदर्श को सुदृढ़ करते हैं। इन मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी को समान रूप से प्राप्त हैं और राज्य, धर्म, जाति, भाषा, लिंग या प्रदेश के आधार पर नागरिकों में कोई भिन्नता नहीं कर सकता। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को “कानून के समक्ष समानता” और “कानूनों के समान संरक्षण” को प्रदान करता है अनुच्छेद 15 (1) राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भिन्नता की मनाही करता है, अनुच्छेद 16 के अनुसार धर्म के आधार पर सरकारी नौकरी या पद ग्रहण करने के लिये कोई नागरिक अयोग्य नहीं होगा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी अयोग्यता मानना इस कानून के अनुसार दण्डनीय है।

अनुच्छेद 25 से 30 भारतीय संविधान की धर्म निरपेक्षता के आधार स्तम्भ हैं।

अनुच्छेद 25 सब व्यक्तियों को धर्म प्रवर्तण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अध्याय रूप से मानन, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है। यह अनुच्छेद केवल नागरिकों को ही नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों को, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है। यह अनुच्छेद सभी धार्मिक संस्कारों (rituals), और रीतियों (observances) की गारण्टी देता है जो उस धर्म के अनुयायियों द्वारा धर्म के अभिन्न अंग माने जाते हैं। कर्पाण किरपान (Kirpan) सिक्ख धर्म का अभिन्न अंग है मत संविधान उन्हें किरपान रखने की आज्ञा देता है।

अनुच्छेद 26 प्रत्येक सम्प्रदाय को धार्मिक और पूत (charitable) प्रयोजना के लिये सस्थाओं की स्थापना और पोषण का अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध करने का तथा चल और अचल सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार देता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय को अपने धर्म से सम्बन्धित “घरेलू कार्यों” (domestic affairs) को करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 27 राज्य को किसी धर्म के पोषण के लिये नागरिका से वर लेने या लगाने की मनाही करता है। परन्तु यह अनुच्छेद धार्मिक सस्थाओं के लौकिक प्रशासन (Secular administration) का नियमित करों के लिये राज्य द्वारा सच किये गये धन को अदा करने के लिये 'शुल्क' (fees) लगान की मनाही नहीं करता।

अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा प्रशासित शिक्षा सस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने से मनाही करता है। जो शिक्षा सथायें राजकाय से अनुदान प्राप्त करती हैं उनमें भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। परन्तु यह अनुच्छेद उन विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोकता जो स्वेच्छा से उसे प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह जहाँ यह अनुच्छेद राज्य शिक्षा वेत्ता के लौकिक स्वरूप को बनाये रखता है वहाँ विद्यार्थियों को स्वेच्छा से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता देता है।

अनुच्छेद 29 और 30 यद्यपि धर्म निरपेक्षता से प्रत्यक्षत सम्बन्धित नहीं परन्तु फिर भी भारत की अल्पसंख्यक जातियों को यह आश्वासन देकर कि वे अपनी इच्छानुसार अपनी लिपि, भाषा, और सभ्यता की सुरक्षा के लिये सस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं ये अनुच्छेद भारतीय राज्य की धर्म निरपेक्षता का पोषण करते हैं। धर्म, जाति भाषा आदि के आधार पर किसी नागरिक को राज्य द्वारा प्रशासित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सस्थाओं में प्रवेश देने से मनाही नहीं की जा सकती।

स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की उपयुक्त व्यवस्थाओं भारत का धर्म निरपेक्ष राज्य बनाती है। जसा कि डी० डी० वसु ने लिखा है कि 'कुल मिला कर उपयुक्त उपबन्ध भारतीय राज्य को संयुक्त राज्य अमरीका में भी अधिक धर्म निरपेक्ष बनाते हैं।'

भारत में धर्म निरपेक्षता निरपेक्ष नहीं या धर्म निरपेक्षता पर सीमाएँ—नि सदेह भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है परन्तु अथ मूल अधिकारों की भाँति धार्मिक स्वतंत्रता भी निरपेक्ष या असीमित नहीं। संविधान उचित सीमा के अंतर्गत ही धार्मिक स्वतंत्रताओं की आज्ञा देता है। जसा कि गजेन्द्र गडनर ने लिखा है कि 'जब तक धर्म अपने वैध व धर्मों में होता है तब तक धर्म निरपेक्षता धार्मिक रूप से इसके प्रति तटस्थ रहती है।' जिन आधारों पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकता है उनमें मुख्य निम्न हैं —

- (i) सांख्यिक, व्यवस्था नतिमता और स्वास्थ्य,
- (ii) संविधान की अन्य धाराओं को लागू करने के लिये,
- (iii) धार्मिक आचरण से सम्बन्धित गर धार्मिक कार्यों को नियमित करने के लिये,
- (iv) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिये,

(v) हिंदू धार्मिक सस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिये खोलने के लिये, आदि ।

उपयुक्त आधारों पर राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप करना अनुचित नहीं बल्कि शांति, व्यवस्था और सावजनिक नतिकता के लिये आवश्यक भी है । किसी धर्म को सावजनिक उत्पात पैदा करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती और जब कभी धर्म सावजनिक उत्पात पैदा करता है तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगाने के लिये अपने आपको स्वतंत्र समझता है । “धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता शांति और व्यवस्था के हितों या नियमों और सामाजिक नतिकता के सिद्धांतों को लाघ या दबा नहीं सकती और यदि धार्मिक स्वतंत्रता ऐसा करती है तो वह उस सीमा तक राज्य के नियमों के अधीन है जिस सीमा तक वह इनको लाघती या दबाती है ।” जब कभी धार्मिक आचरण और समाज सुधार के नियमों में स्पर्धा, विरोध या संघर्ष उत्पन्न होता है तो धर्म को झुकना पड़ता है ।

भारत में जब कभी धर्म या धार्मिक क्रियाकलापों या धार्मिक सस्थाओं से अव्यवस्था फलने की सम्भावना हुई तब ही राज्य ने व्यवस्था स्थापित करने के लिये धार्मिक क्रियाओं और धार्मिक सस्थाओं में हस्तक्षेप ही नहीं किया बल्कि उनके प्रशासन और सम्पत्ति को भी अपने नियमों में लिया है । उदाहरणतया दिल्ली गुरुद्वारा की व्यवस्था सुधारने के लिये केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप किया तथा एक नई समिति की स्थापना की, तामिलनाडू सरकार ने तो धार्मिक सस्थाओं में सुधार हेतु कई कानूनों का निर्माण किया है, नावद्वारा में श्रीनाथजी के मंदिर की व्यवस्था राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है ।

भारत में राज्य ने धार्मिक अंधविश्वासों, असमानताओं, पिछड़ेपन और कृद्धिवादियों तथा बट्टरवादियों को समाप्त करने के लिये भी धर्म में हस्तक्षेप किया है । उदाहरणतया 1955 का असस्पृश्यता (अपराध) कानून असस्पृश्यता के आधार पर किसी भी अयोग्यता को दण्डनीय अपराध मानता है, हिंदू मंदिरों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिये खोल दिया गया है, ‘हिंदू कांड बिल भारतीय धर्म निरपेक्षता की दक्षिण्यमान विजय का उदाहरण है ।’

यह भारतीय धर्म निरपेक्षता की गतिशीलता है कि यह समाज के दलित वर्गों के लिये विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करता है । अल्पसंख्यकों के आश्वासनों को भी बनाये रखा गया है । उदाहरणतया भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन, वर्तमान राष्ट्रपति फगुलुदीन अली अहमद तथा भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एम० हिदायत उल्ला अल्पसंख्यक जाति के थे । यह भारतीय धर्म निरपेक्षता की ही सफलता थी कि राष्ट्र विदेशी आक्रमणों का सफलता पूर्वक सामना कर सका जबकि धर्म सापेक्षता पर आधारित पाकिस्तान 1971 में विघटित हो गया और बंगला देश का निर्माण हुआ ।

भारतीय धर्म निरपेक्षता की यह विशेषता है कि वह इसके नकारात्मक स्वरूप धर्म विरोधी व सशयवादी स्वरूप) को स्वीकार नहीं करता बल्कि उसके

सकारात्मक स्वरूप को ग्रहण करता है। भारतीय धर्म निरपेक्षता धर्म की आवश्यकता और उसके अस्तित्व को मायता देती है जसा कि पी० वी० गजेन्द्र गडकर ने लिखा है कि "भारत में धर्म निरपेक्षता धर्म की समस्या के प्रति नकारात्मक, यहाँ तक कि निष्क्रिय दृष्टि भी नहीं अपनाती। निस्सन्देह यह धर्म को श्रद्धा की दृष्टि में देखती है लेकिन साथ ही यह धर्म को उनकी उचित सीमा में कायशील रखने के लिए भी वृत्त सकारण है।" जब तक धर्म अपने वैध व धर्मों में हाता है तब तक धर्म निरपेक्षता धार्मिक रूप से इसके प्रति तटस्थ रहती है।" यह भारतीय धर्म निरपेक्षता का सकारात्मक पहलू ही है कि केरल राज्य में धार्मिक सस्थाओं और मंदिरों को अनुदान देना की व्यवस्था है। संस्कृत शिक्षा, जिसका सम्बन्ध हिन्दू धर्म से घनिष्ठ है, के प्रसार के लिये प्रत्येक राज्य भारी धन राशि प्रति वर्ष खर्च करता है। धार्मिक सम्मेलनों में भी राज्य ने अनेक प्रकार की वित्तीय एवं प्रशासनिक सहायता दी है। बौद्ध सम्मेलनों, ईसाई सम्मेलनों, रवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्सव और कुम्भ मेलों में राज्य के लागू रुपये खर्च हो जाते हैं, आदि।

भारतीय धर्म निरपेक्षता के मार्ग में आने वाली बाधाएँ

भारतीय धर्म निरपेक्षता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएँ निम्न हैं—

1 **साम्प्रदायिकता**—यद्यपि भारत में राज्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाता है फिर भी जाति और समुदाय (Community) के प्रति निष्ठाएँ इतनी बलशाली हैं कि छोटी सी घटना साम्प्रदायिक दंगा को जन्म दे देती है जो धर्म निरपेक्षता के विकास में बाधा प्रस्तुत करती है। जसा कि डॉनल्ड ई० स्मिथ ने लिखा है कि "साम्प्रदायिक विरोध भारत में स्थायिक है और वह सहजता से हिंसात्मक संघर्ष का रूप ले लेता है। दुभाग्यपूर्ण बात यह है कि आज भी भारत में ऐसे जातीय संघर्ष हैं, पत्र पत्रिकाएँ राजनीतिक दल हैं जो साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं और अनेक बार तो इनकी गतिविधियाँ चरम सीमा पर पहुँच जाती हैं।

2 **जातीय समूहों के आधार पर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सुविधायें प्रदान करना जातीय भावनाओं को बढ़ावा देना**—जाति के आधार पर सुविधायें प्रदान कर सविधान धर्म निरपेक्षता के स्थान पर जातीय भावनाओं को प्रोत्साहन देता है। उदाहरणतया जाति के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियाँ आदि को छात्रवृत्तियाँ, आर्थिक सहायता, सरकार में सुरक्षित स्थान, कॉलेज में सुरक्षित स्थान, आदि तत्त्व जातीय भावना का विकास करते हैं धर्म निरपेक्षता का नहीं और जब इनका प्रयोग निर्वाचन में "वोट बैंक" (Vote Bank) के रूप में किया जाता है तो यह घट्यत गम्भीर स्थिति ग्रहण कर लेता है। सामाजिक अलगवर्गता (Social exclusiveness) का वातावरण आज भी विद्यमान है।

3 **धार्मिक सस्थाओं में राज्य का हस्तक्षेप**—भारत में राज्य न हिन्दू धार्मिक सस्थाओं में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप किया है। राज्य को हिन्दू धर्म सुधार का एक प्रमुख अभिकरण मान लेना धर्म निरपेक्षता पर बुझाराघात करना है। व्यक्तिगत

धार्मिक कानून में हस्तक्षेप पुरावशेष (anachronism) का परिचायक है। जहाँ राज्य ने हिन्दू परम्पराओं, सस्थाओं और व्यक्तिगत कानून में परिवर्तन किये हैं वहाँ मुस्लिम परम्पराओं, सस्थाओं और व्यक्तिगत कानून को अछूता छोड़ा गया है।

4 समान नागरिक नियम संहिता का अभाव—यद्यपि अनुच्छेद 44 भारत में समान नागरिक नियम संहिता की अपेक्षा करता है परन्तु अभी तक ऐसी किसी संहिता का निर्माण नहीं हो सका। हिन्दू कोड को इसकी ओर प्रगति ही माना जा सकता है।

पश्चिमी धर्म निरपेक्षता और भारतीय धर्म निरपेक्षता में अंतर—पश्चिमी धर्म निरपेक्षता और भारतीय धर्म निरपेक्षता में कुछ अंतर पाये जाते हैं। इन भेदों को न समझने के कारण ही डोनाल्ड ई० स्मिथ ने भारतीय धर्म निरपेक्षता को “शर्तों के सहित स्वीकार” किया है। वस्तुतः स्थिति यह है कि भारतीय धर्म निरपेक्षता पर “शर्तों” की आवश्यकता नहीं क्योंकि भारत की धर्म निरपेक्षता स्थिर (static) नहीं गतिशील (dynamic) है। जहाँ पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता भौतिकवादी व तर्कबुद्धि परक (rationalistic) अधिक है वहाँ भारत की धर्म निरपेक्षता भौतिकवादी व तर्क बुद्धिपरक होने के साथ उपयागिता और रूपांतर (adaptation) पर भी आधारित है। पश्चिम की भाँति भारतीय धर्म निरपेक्षता नकारात्मक नहीं सकारात्मक है। यह पश्चिम की भाँति धर्म को मादक औषधि (dope) नहीं मानती। साम्यवादी देशों की भाँति यह धर्म की अवज्ञा या धर्म विरोधी विश्वासों को संरक्षण देना आवश्यक नहीं समझती बल्कि दूसरी ओर भारतीय धर्म निरपेक्षता धर्म को श्रद्धा की दृष्टि से देखती है यद्यपि वह उसकी उचित सीमाओं भी निर्धारित करना चाहती है।

भारतीय धर्म निरपेक्षता की विशेषतायें

भारतीय धर्म निरपेक्षता की प्रमुख विशेषतायें तीन हैं जो निम्न हैं —

1 भारतीय धर्म निरपेक्षता उदारवादी है—इसका अर्थ यह है कि भारत में हिन्दू जाति की बहुतायत होने पर भी अल्पमत्स्यकों का इस बात का आश्वासन दिया गया है कि वे अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसके लिये सम्याग्राहक का निर्माण कर सकते हैं, अपनी तत्पि भाषा व संस्कृति का अपनी इच्छानुसार विकास कर सकते हैं। भारतीय धर्म निरपेक्षता का उदारवाद इस मायता पर आधारित है कि जब तक धर्म धर्म है अर्थात् जब तक धर्म सामाजिक उत्पात पैदा नहीं करता है तब तक धर्म को पूरा स्वतंत्रता है।

2 भारतीय धर्म निरपेक्षता निरपेक्ष या असीमित नहीं—भारत में धार्मिक स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं। राज्य सावजनिक व्यवस्था, नतिकता, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, सुधार आदि के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रताया या प्रतिबंध लगा सकता है। परन्तु राज्य द्वारा लगाई गयी मर्यादायें भी निरपेक्ष नहीं, उन्हें भी “यादालया में बुनौती देकर” प्रबंध घोषित कराया जा सकता है।

3 भारतीय धर्म निरपेक्षता गतिशील है, स्थिर नहीं—भारतीय धर्म निरपेक्षता की विशेषता यह है कि यह धर्म को राजनीति से पृथक् अवश्य करती है परंतु यह धर्म विरोधी या ईश्वर विरोधी नहीं। यह धर्म को श्रद्धा की दृष्टि से देखती है, यह मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता और उसके अभिप्राय को मान्यता देती है। यह व्यक्ति को शुष्क भौतिकवादी नहीं बनाती, उसे मानवतावादी बनाती है।

समीक्षा-प्रश्न

(Review Questions)

- 1 धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं ? क्या भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है?
- 2 भारतीय संविधान की उन व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिये जो उसे धर्म निरपेक्ष बनाती हैं।



संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (Procedure for amendment of the Constitution)

संशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता—कोई भी संविधान अपने निर्माणकाल के वातावरण में ही काम नहीं करता बल्कि उसे अनेक दशाब्दियों और शताब्दियाँ तक काय करना होता है। क्योंकि कोई भी संविधान निर्माता संविधान निर्माण के समय सभी समयों की आवश्यकताओं का पूर्वाभास नहीं कर सकते अतः संविधान को समयानुकूल बनाने और नई परिस्थितियों का सामना करने के लिये उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। यही आवश्यकता संशोधन की प्रक्रिया को जन्म देती है। ऐसे संविधान की कल्पना जिसमें संशोधन की आवश्यकता न हो प्रायः असम्भव है। जैसा कि मुलफोर्ड ने लिखा है कि “असंशोधनीय संविधान समय का सबसे बड़ा अत्याचार है या समय का अत्याचार है।” मुनरो ने भी लिखा है कि ‘असंशोधनीय संविधान की कल्पना असम्भव है। ऐसा संविधान केवल विरोधाभास होता है।’ संवधानिक संशोधन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए हमन फाइनर ने कहा है कि “संशोधन की धारा ही संविधान है।”

नमनीयता और अनमनीयता के आधार पर संविधानों का प्रायः दो श्रेणियों में बाटा जाता है। नमनीय संविधान वह होता है जिसमें साधारण कानून और संवधानिक कानून में कोई भिन्नता नहीं की जाती। संवधानिक कानून भी उसी प्रक्रिया द्वारा पारित हो जाता है जिस प्रकार साधारण कानून। ब्रिटिश का संविधान विश्व का सबसे नमनीय संविधान है। दूसरी ओर, अनमनीय संविधान वह संविधान होता है जिसमें साधारण कानून और संवधानिक कानून में भिन्नता की जाती है। संवधानिक कानून में परिवर्तन की प्रक्रिया साधारण कानून से भिन्न होती है और संविधान द्वारा वर्णित प्रक्रिया के अनुसरण करने पर ही संवधानिक कानून पारित किया जा सकते हैं। अमरीका का संविधान विश्व का सबसे अनमनीय संविधान है।

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का निर्धारित करते समय भारतीय संविधान निर्माता उपयुक्त दोनों विचारधाराओं से परिचित थे परन्तु वे न तो ब्रिटिश संविधान की भाँति भारतीय संविधान का अत्यधिक नमनीय (लचीला) बनाना थे और न ही अमरीकी संविधान की भाँति अनमनीय (कठोर) ही बनाना चा-

वे इसे इतना नमनीय अवश्य बनाना चाहते थे कि वह करने आपका समयानुकूल ढाल सके। परन्तु वह उसे इतना अधिक नमनीय भी नहीं बनाना चाहते थे कि वह सत्तारूढ़ दल के हाथों वा खिलौना बन जाय और अपनी पवित्रता को खो बटे। दूसरी ओर वे इसे इतना अनमनीय नहीं बना देना चाहते थे कि उसमें समयानुकूल परिवर्तन न हो सके। अतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने नमनीयता और अनमनीयता में मध्यम मार्ग को अपनाया। वस्तुतः यहाँ भी संविधान निर्माताओं ने उसी समझौता और समा-योजन (सम-जन) के मार्ग को अपनाया जिसे उन्होंने संविधान की अग्र धाराओं को अपनाते समय अपनाया था। जमा कि आस्टिन ने लिखा है कि "संशोधन के उपबंध स्पष्टतया इस विचार में कि संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिये और संघ की परम्परागत संशोधन की विचारधारा में समझौता है।"¹

भारत में संशोधन की प्रक्रिया—भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अध्याय 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। इसके अनुसार "संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में विधेयक के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है और जब प्रत्येक सदन उस विधेयक को अपने पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत में पारित कर देता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा जो उस पर अपनी अनुमति प्रदान करेगा।" परन्तु यदि संशोधन का प्रस्ताव अनुच्छेद 54-55 (राष्ट्रपति का निर्वाचन), अनुच्छेद 73 (संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार), अनुच्छेद 162 (राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार), अनुच्छेद 241 (संघ प्रशासित क्षेत्रों के लिये उच्च न्यायालय) या भाग 5 के अध्याय 4 (संघ की न्यायपालिका), या भाग 6 के अध्याय 5 (राज्यों के उच्च न्यायालय) भाग 11 के अध्याय 1 (संघ और राज्यों के विधायी सम्बन्ध) सातवीं अनुसूची की कोई सूची (संघ सूची, राज्य सूची समवर्ती सूची), संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व या इस अनुच्छेद (अनुच्छेद 368) के अन्वय में सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए उसके पास प्रस्तुत करने से पूर्व उस पर कम से कम आधी राज्य विधान सभाओं का अनुसमयन प्राप्त करना आवश्यक है।

संशोधन की उपर्युक्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि संविधान संशोधन के लिये तीनों प्रकार की व्यवस्थाएँ करता है जो निम्न हैं—

1. संसद के साधारण बहुमत द्वारा पास होने वाले संशोधन—संविधान की कुछ धाराएँ ऐसी हैं जिन्हें संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। संविधान में वस्तुतः संवैधानिक संशोधन की संज्ञा नहीं देता। इसके उदाहरण हैं अनुच्छेद 2, 3, 4 और चतुर्थ अनुसूची अर्थात् राज्य के नामा, सीमाओं और क्षेत्रों में किये गये परिवर्तन, अनुच्छेद 169 अर्थात् राज्यों में विधान मण्डला के द्वितीय सदन का निर्माण या अतः तथा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन

से सम्बन्धित सशोधन, आदि। सविधान के इस भाग का नमनीय भाग कहा जाता है।

2 ससद के विशेष बहुमत द्वारा पास किये जाने वाले सशोधन—सविधान की पुच्छ धाराएँ ऐसी हैं जिन्हें ससद का विशेष बहुमत ही सशोधित कर सकता है। इस प्रकार के सशोधन तभी पारित किये जा सकते हैं जब सशाधित प्रस्ताव पर ससद के दोना सदन का पृथक् पृथक् रूप से उसे पूरा बहुमत और उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत स्वीकार कर ले। इस प्रकार की श्रेणी में आने वाली धाराएँ अध्याय तीस (मूल अधिकार) और अध्याय 4 (राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व) में उल्लिखित हैं। इस श्रेणी में वे धाराएँ भी ली जा सकती हैं जिन्हें श्रेणी एक और तीन में नहीं लिया गया।

3 आधी राज्य विधान सभाओं के अनुसममथन पर पास होने वाले सशोधन—इस श्रेणी में आने वाले सशोधन वे हैं जिन पर न केवल ससद के दोना सदन के पृथक् पृथक् रूप से पूरा बहुमत और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है बल्कि आधी राज्य विधान सभाओं के प्रस्ताव द्वारा उनके अनुसममथन की भी आवश्यकता होती है। उदाहरणतया राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित सशोधन (अनुच्छेद 54 और 55), सघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 73) राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 162), सघ की कार्यपालिका, आदि से सम्बन्धित सशोधन इसी क्षेत्र में आते हैं।

उपरोक्त तीन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त सविधान कुछ तदर्थ (ad hoc) और सवटकालीन (emergent provisions) उपबन्धों की भी व्यवस्था करता है। उदाहरणतया अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सभा अपने दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पास कर राज्य सूची में वर्णित किसी विषय का राष्ट्रीय महत्त्व का विषय बनाने के लिए लोक सभा को उस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। यद्यपि ऐसा कानून एक समय पर एक वर्ष के लिए लागू रहता है परन्तु राज्य सभा प्रति वर्ष प्रस्ताव द्वारा इसकी अवधि अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 312 द्वारा राज्य सभा अखिल भारतीय सेवाओं का निर्मित करने का अधिकार लोक सभा को सौंप सकती है। अनुच्छेद 352 के कार्यावत होते ही सविधान का सघीय ढांचा एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। यद्यपि ये महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हात हैं जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं परन्तु सविधान इन्हें सवधानिक सशाधना की सत्ता में नहीं देता।

सशोधन की प्रक्रिया में स्पष्टताएँ और अस्पष्टताएँ अर्थात् विशेषताएँ अनुच्छेद 368 में वर्णित सशाधन में अनेक विशेषताएँ पाई जाती हैं जिन्हें निम्न विदुओं द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है—

1 सशोधन प्रस्ताव में राज्य विधान सभाओं की कोई शक्ति नहीं—भारतीय सविधान एक सघीय सविधान है परन्तु फिर भी सघ के एकका (राज्यों) के विधान

लो को सविधान में सशोधन करने के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं। सशोधन प्रस्ताव न केवल केन्द्र द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है बल्कि संसद के किसी सदन में ही उसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ अमरीकी संघ में सभ के एकका (घटको) की प्रायना पर सघीय व्यवस्थापिका (कांग्रेस) का सम्मेलन (Convention) की व्यवस्था है, जहाँ कारिया, सीरिया, लेबनान, आदि में गणराज्य के राष्ट्रपति को सशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार जहाँ वेनीजुएला में सघटन इकाइया (Constituent Units) को यह अधिकार है वहाँ भारत में सभ के एकको का सशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार वस्तुतः सशोधन प्रस्ताव पर केन्द्र का एकाधिकार है। स्पष्ट है कि भारतीय व्यवस्था में एकका की स्थिति अधीनस्थ की है। जसा कि के० सी० मारक्वडन लिखा है कि 'सघीय सविधान की योजना में अधीनस्थ स्थिति हाने के कारण जो भी विधान सभाओं उस विधेयक पर देरी करने का साहस नहीं कर सकती संसद ने पास कर दिया है और उनके अनुसमर्थन के लिये उसे भेजा है।' न एक विषय में भारतीय सभ की इकाइया परिवर्तन के लिए केन्द्र में प्रायना करती है अर्थात् वे राज्य विधान मण्डला के उच्च सदन के निर्माण और अंत की ना कर सकती है।

जिन क्षेत्रों में सविधान सशोधन के लिये आधी राज्य विधान सभाओं का अनुसमर्थन की व्यवस्था करता है उनमें भी सशोधन प्रस्तावों का संसद में प्रस्तुत होने से पूर्व राज्य विधान सभाओं के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती, अनुसमर्थन आवश्यकता तो संसद द्वारा निर्धारित विधि से पास होने के बाद होती है।

3 सवधानिक सशोधन में जनता का कोई हाथ नहीं—जिस भारतीय विधान को भारतीय जनता पर लागू किया जाता है और जिसका निर्माण भारतीयों द्वारा किया गया, उसमें सशोधन की प्रक्रिया के साथ भारतीय जनता को नहीं जोड़ा जाता। दूसरे शब्दों में भारतीय सविधान स्विस उरुगवे और क्यूबा के सविधानों के समान ही भारतीय नागरिकों का सवधानिक सशोधन के लिये आरम्भ (initiative) का अधिकार प्रदान करता है और न ही उस पर जनमत सप्रह (referendum) की व्यवस्था करता है। यह इस बात का प्रतीक है कि सविधान सभा भारतीय जनता की क्षमता और योग्यता पर विश्वास नहीं करती थी। संसद द्वारा विधान मण्डला के अस्थायी बहुमत के हाथों में सशोधन के अधिकार को सभ सविधान अल्पतम (Oligarchy) के शासन की लागू करता है। पिछले कुछ वर्षों में सविधान में न्यायालय के निर्णयों का प्रभावहीन बनाने के लिये जा सशोधन किया गया है (विधेयक 24 वा और 25 वा सशोधन) उनसे दूरगामी परिणाम हैं

परंतु फिर भी उस पर भारतीय जनता की महमति प्राप्त नहीं की गयी जबकि ब्रिटिश जन गविधान में जनमत संप्रह की व्यवस्था न होते हुए भी हाल में "यूरोपीय सामाजिक मंत्रालय के शासित हान के प्रश्न पर जनमत संप्रह कराया गया जबकि भारत में नागरिकों के सम्पत्ति के अधिकार में सम्भीर परिवर्तन कर दिये गए हैं परंतु फिर भी जनता में राय नहीं ली गयी।

4 सविधान की सभे धाराओं में परिवर्तन हो सकता है—अमरीकी गविधान की भांति भारतीय गविधान सिद्धी एक क्षत्र की कल्पना नहीं करता जिसे मर्यादित नहीं किया जा सकता। यद्यपि 1967 के गौतमनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों की सशोधन शक्ति से विमुक्त कर दिया था परंतु 24वें संशोधन संसद का पुनः यह शक्ति प्रदान कर दो। 1973 के के.एस.पुल्लेय के मुकदमे में यह स्वीकार करत हुए भी कि संसद सविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार अभिव्यक्त किया कि संसद मर्यादा द्वारा सविधान की 'आत्मा' उसके 'मूल ढांचे' का नष्ट नहीं कर सकती। एक दृष्टि में देखा जाय तो यह विषय निश्चित होते हुए भी विवादास्पद बना हुआ है।

5 न्यायालय के निर्णयों को प्रभावहीन करने के लिये किये गये संशोधन—भारतीय गविधान में किये गये संशोधनों की एक विशेषता यह रही है कि इसमें महत्वपूर्ण संशोधन तब किये गए जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये निर्णय कायपालिका नीतियां और व्यवस्थापिका के कानून के विरुद्ध गये। उदाहरणतया सम्पत्ति के अधिकार में जितने भी संशोधन किये गए हैं (संशोधन 1, 4, 25 और 29) उन्हें न्यायालय के निर्णयों को प्रभावहीन करने के लिये ही पास किया गया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि यह जनता के मन में न्यायालय की प्रासंगिकता (relevance) को समाप्त करता है।

6 संवधानिक संशोधनों पर दोहरे बहुमत की आवश्यकता है—अनुच्छेद 368 बाहरे बहुमत की बात करता है तथात् सवधानिक संशोधन के लिये संसद के दोनों सदनों के पृथक् पृथक् रूप में 'पूर्ण बहुमत' और उपस्थित सदस्यों के "दो तिहाई" बहुमत की व्यवस्था करता है। पूर्ण बहुमत का अर्थ है कि किसी भी संवधानिक संशोधन के लिये प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत (अर्थात् कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों) और संसद में उपस्थित सदस्यों और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है।

संशोधन प्रक्रिया में अस्पष्टतायें

भारतीय सविधान विस्तृत अर्थ में है परंतु फिर भी इस "पूर्ण संहिता (Complete Code) की सजा नहीं दी जा सकती। वस्तुतः अनुच्छेद 368 में वर्णित संशोधन प्रक्रिया में अनेक अस्पष्टतायें पाई जाती हैं जो विवादा को जन्म दे सकती हैं। इन अस्पष्टताओं का निम्न विद्वानों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता

1 सविधान इस बात की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता कि क्या सशोधन प्रस्ताव को मसद में प्रस्तुत करने के बाद उसे वापस लिया जा सकता है या नहीं।

2 सविधान इस बात में पूर्ण शांत है कि राज्य विधान मण्डली को भेजे गये सशोधन प्रस्तावों पर वे कितने समय में अपना अविमन (verdict) प्रकट करें। यद्यपि पाचवें सशोधन द्वारा राष्ट्रपति राज्य सीमाशांति आदि में सम्बन्धित सशोधनों में समय निर्धारित कर सकता है परन्तु इसे और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

3 सविधान इस बात पर भी शांत है कि क्या कोई राज्य किसी सशोधन प्रस्ताव पर एक बार महमति प्रकट कर उसे वापस ले सकता है या एक बार इकार कर दोबारा उस पर सहमति प्रकट सकता है।

4 सविधान संवैधानिक सशोधनों में समद के दोना सदना की समानता का दर्जा (equality of status) प्रदान करता है परन्तु इस बात की स्पष्ट नहीं करता कि दोना में मतभेद होने की स्थिति में उसे कौन सुलझाया जायगा। सविधान इस बात में शांत है कि क्या संवैधानिक सशोधनों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जायगी यद्यपि सविधान साधारण विधेयकों के लिये यह व्यवस्था करता है।

5 सविधान इस सम्बन्ध में भी शांत है कि क्या संवैधानिक सशोधन पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिये बाध्य है। यद्यपि 24 वें सशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में यह शब्द जोड़ा गया है कि "राष्ट्रपति अनुमति देगा परन्तु फिर भी यह सम्पष्ट है क्योंकि राष्ट्रपति अनुमति देने में दरी कर सकता है और पुनर्विचार का वातावरण बना सकता है। इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि सविधान संवैधानिक सशोधनों पर राष्ट्रपति की अनुमति को आवश्यक प्रतिष्ठा मानता है। यह कोई आपचारिक प्रतिष्ठा नहीं है।

6 सविधान इस सम्बन्ध में भी शांत है कि राज्य विधान सभाओं द्वारा उच्च न्यायालय के निर्माण या अन्त करने की प्रावधानों का क्षेत्र सरकार कितने समय में विचार करेगी।

7 अनेक प्रकार के सशोधनों में स्पष्टताये हैं। उदाहरणतया क्षेत्र सरकार इस बात पर ही स्पष्ट नहीं थी क्या राजाशाह की प्रिवीपस और विशेषाधिकारों को समाप्त करने वाले विधेयकों पर राज्य विधान मण्डली के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी या नहीं। परन्तु फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के भय से राज्य विधान सभाओं का अनुसमर्थन प्राप्त किया गया।

8 "आधे राज्या की अनुमति का पद भी स्पष्ट नहीं। क्या इसका अर्थ राज्या के आकार, उनकी जनसंख्या या विधान मण्डली के गठना की मर्यादा (क्योंकि कुछ राज्य विधान मण्डली में 21 सदस्य हैं और कुछ में 12) या कि केवल मात्र

अध सत्या से है। यद्यपि अभी तक इसका अर्थ केवल मात्र अर्थ सत्या से लिया गया है, फिर भी इसे अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

क्या भारतीय संविधान में वर्णित सशोधन की प्रक्रिया जटिल है ?

सर आइवर जेनिंग्स जिस भारतीय संविधान के आलोचकों ने प्रनिया की जटिलता और संविधान के विस्तृत स्वरूप के आधार पर भारतीय संविधान को अनमनीय संविधान की संज्ञा दी है। पर तु वस्तुतः स्थिति यह है कि भारतीय संविधान न तो इतना नमनीय सिद्ध हुआ है कि वह सत्तालुब दल के हाथों की कठपुतली बन गया हो और न ही इतना कठोर सिद्ध हुआ है कि उसमें आवश्यक मशामन न किया जा सके हो। जिन धाराओं में भी जटिल प्रक्रिया नजर आती है उनमें भी एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था न उसे नमनीय बना दिया है। पिछले 25 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में किये गये 38 संशोधन संविधान की नमनीयता को प्रकट करते हैं अनमनीयता को नहीं। जैसा कि एलेक्जेड्रोविकज ने ठीक कहा है कि भारतीय संविधान पर 'अनमनीयता का आरोप नहीं लगाया जा सकता।'¹ डा० अम्बेदेकर का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि "इससे अधिक लचीले संविधान की कल्पना करना कठिन है।² भारतीय संविधान को नमनीय बनाने वाले तत्व मुख्यतया निम्न हैं —

1 संविधान की अधिनाश धाराओं में संसद द्वारा ही संशोधित की जा सकती है। इतना ही नहीं संसद कुछ भागों को अपने कानून द्वारा अनुपूरक भी कर सकती है। भारतीय नागरिकता, अस्पृश्यता आदि विषयों में संसद ने अपने कानून द्वारा अनेक परिवर्तन किये हैं। जिन धाराओं में मशामन करने के लिये आधी राज्य विधान सभाओं के अनुममयन की आवश्यकता है उनमें भी एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था होने से अनुममयन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

2 संविधान न तो अमरीका की भांति राष्ट्रीय सम्मेलन की व्यवस्था करता है और न ही स्विट्जरलैण्ड की भांति जनमत संग्रह की। वस्तुतः भारतीय संविधान भारतीय जनता को संवैधानिक प्रक्रिया के साथ जोड़ता ही नहीं।

3 संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव का संसद में उसी प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिस प्रकार साधारण विधेयकों को प्रस्तुत किया जाता है। संसद के नियम संवैधानिक संशोधनों के लिए कोई विशेष प्रक्रिया की व्यवस्था नहीं करते।

4 संवैधानिक संशोधन में संसद की शक्तियाँ इतनी अधिक हैं कि "यापिक" विधेयकों के प्रभावहीन हो जाता है। जब कभी न्यायालय के निरणय संसद के

1 Alexandrowics C H Constitutional Development in India p 231

2 CAD Vol VII, p 43

कानूनों के विरुद्ध गये हैं। संसद में संवैधानिक संशोधन का महारा लिया। यह तथ्य 'याचिक' पुनरावलोकन की प्रासंगिकता (relevance) को नष्ट करता है।

5 भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक केन्द्र और अविभाजित राज्यों में एक दल (कांग्रेस) की ही प्राधायता रही है। यह तथ्य संविधान को सबसे अधिक नमनीय बनाता है।

संशोधन प्रक्रिया में सुधार के सुझाव

संघीय ढाँचे को कुशल बनाने, संशोधन प्रक्रिया में अस्पष्टताओं को दूर करने और भारतीय जनता को संशोधन प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिये संशोधन प्रक्रिया में कुछ सुधारों की आवश्यकता प्रतीत होती है। निम्न सुझावों द्वारा संशोधन प्रक्रिया को अधिक कुशल, व्यावहारिक और अधिक लाक्षणिक बनाया जा सकता है—

- (i) जिन संवैधानिक संशोधनों पर राज्य विधान सभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता है उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये तभी प्रस्तुत करना चाहिये जब सभी राज्य विधान सभाओं उस पर विचार विमर्श कर गये अथवा अधिमत (verdict) का प्रकट कर दे, केवल आधी राज्य विधान सभाओं के अधिमत पर, चाहे दूसरे राज्यों ने उस पर विचार विमर्श किया हो या नहीं, उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर, उसकी अनुमति प्राप्त कर लागू कर देना संघीय ढाँचे को कुशल नहीं बनाता।
- (ii) यदि संशोधनों का उद्भव न्यायालय के निर्णय पर आधारित हो (जिसमें न्यायालय ने किसी कानूनी प्रावधान या व्यवस्थापिका के कानून का अर्थ धारित किया हो) तो उसे तभी कार्यान्वित किया जाना चाहिये जब जनमत संग्रह द्वारा उस पर जनता का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाये। यदि जनमत संग्रह में जनता उसे स्वीकार न करे तो उस संशोधन को रद्द समझा जाना चाहिये।
- (iii) राज्य विधान सभाओं का प्रस्तुत किये संवैधानिक संशोधनों पर विचार करने के लिये कुछ समय निर्धारित होना चाहिये ताकि विधान सभाओं उस पर शांत और गम्भीरता पूर्वक विचार कर सकें। टालमटोल की नीति को नहीं अपनाया चाहिये या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये।
- (iv) संवैधानिक संशोधनों पर राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिये विशेष अधिवेशनों को बुलाने की प्रवृत्ति का समाप्त कर देना चाहिये। ऐसा करना अधिकांशतः राजनीति को बढ़ावा देना है संवैधानिकता को नहीं।
- (v) एक संशोधन में एक ही अनुच्छेद में या उससे सम्बंधित अनुच्छेदों में ही परिवर्तन किया जाना चाहिये। एक संशोधन में अनेक असम्बंधित अनुच्छेदों को नहीं मिलाना चाहिये। इससे उस परिस्थिति को टाला

प्रणाली के विकास का परिणाम थे कुछ संवधानिक धाराओं की कार्यावधि में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयाँ को दूरकर उन्हें स्पष्ट करने का परिणाम थे, और कुछ सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों के परिणाम थे जिनमें कानून की व्याख्या तो की गयी थी परन्तु जो सत्तारूढ़ दल की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के पक्ष में थे।

संविधान में किये गये संशोधनों का समूहन (grouping) करना कठिन है क्योंकि संशोधन करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि एक संशोधन में एक ही अनुच्छेद या उससे सम्बंधित अनुच्छेदों में ही संशोधन किया जाय। हुआ यह कि संशोधन करते समय एक ही संशोधन में अनेक असम्बंधित (unrelated) अनुच्छेदों में एक साथ संशोधन किये गये हैं। यद्यपि अभी तक, केन्द्र और अधिकांश राज्यों में एक ही दल का बहुमत होने से कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई परन्तु, भविष्य में यह प्रवृत्ति सघीय ढाँचे में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है क्योंकि हो सकता है कि केन्द्र और राज्यों में विरोधी दल सत्तारूढ़ होने की स्थिति में राज्य संशोधन के एक भाग को तो स्वीकार करना चाहे और दूसरे को अस्वीकार। इसलिये सघीय ढाँचे को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि एक ही संशोधन में एक अनुच्छेद या अधिक से अधिक उससे सम्बंधित अनुच्छेदों में ही संशोधन किया गया। असम्बंधित अनुच्छेदों को एक संशोधन में नहीं रखना चाहिये।

समूहन की कठिनाइयों के बाद भी संविधान में किये गये संशोधनों को निम्न महत्ता में बाँटा जा सकता है —

1 मूल अधिकारों, विशेषकर सम्पत्ति के अधिकार में किये गये संशोधन — इन संशोधनों की आवश्यकता मूलतः सर्वोच्च न्यायालय में उन निर्णयों से उत्पन्न हुई है जो सत्तारूढ़ दल की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के विरुद्ध गये हैं। इस श्रेणी में आने वाले मुख्य संशोधन हैं 1, 4, 16, 17, 24, 25 और 29। सन् 1951 के संशोधन 1 द्वारा भूमि सुधार और जमींदारी उ मूलतः अधिनियमों का माध्यमकरण किया गया और सम्पत्ति के अधिकारों का सम्बंध में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सीमित किया गया। संविधान में अनुसूची 9 और अनुच्छेद 31-A और 31-B को जोड़ा गया। अनुसूची 9 में दिये गये अधिनियमों की विशेषता यह है कि मूल अधिकारों से असंगत होने पर भी उन्हें शून्य नहीं समझा जाता और न्यायालय या न्यायाधिकरण के प्रतिमूल निर्णयों के बावजूद भी वे अधिनियम बच बने रहते हैं। इस संशोधन के अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में भी संशोधन किये। इन संशोधन द्वारा समद को विधि द्वारा "युक्तियुक्त निबंधन" (reasonable restrictions) लगाने का अधिकार दिया गया। सन् 1955 के संशोधन 4 द्वारा सम्पत्ति के अधिकार में 'देय क्षतिपूर्ति' (due compensation) के शब्द में 'दुःख' (due) शब्द को हटा दिया गया। सन् 1963 के

संशोधन 16 द्वारा "राष्ट्र की प्रभुसत्ता और एकता के हित में भाषण, अभिव्यक्ति, सम्मेलन आदि की स्वतन्त्रता के मूल अधिकारों पर विधि द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं। इस संशोधन ने किसी भी राज्य के भारतीय सभ से पृथक् होना तथा सभ को भंग करने के प्रयास को अवैध घोषित कर दिया। सन् 1964 के संशोधन 17 में 'एस्टेट' (Estate) शब्द को पुनर्परिभाषित कर उसे स्पष्ट किया गया इस संशोधन की 9 वीं अनुसूची में अनेक कानूनों को जोड़ दिया। सन 1971 के संशोधन 24 ने ससद की मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान कर दी और संशोधन 25 ने अनुच्छेद 31 में 'मुद्रावर्ज' शब्द को हटाकर उसके स्थान पर 'राशि' शब्द को जोड़ दिया और अनुच्छेद 31-C जोड़कर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मूल अधिकारों से प्राथमिकता (primacy) प्रदान कर दी। सन् 1972 के संशोधन 29 ने केरल भूमि सुधार विधेयकों को 9 वीं अनुसूची में जोड़ दिया।

2 भूमि सुधारों से सम्बंधित संशोधन — भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रखने के लिये अनेक संशोधन लिये गये। उदाहरणतया 1951 के प्रथम संशोधन द्वारा संविधान में अनुसूची 9 को इसीलिये जोड़ा गया, संशोधन 4, 17, 29, 34 प्रायः इसी से सम्बंधित थे। इन्हीं संशोधनों द्वारा राज्यों द्वारा बनाये गये भूमि सुधार अधिनियमों को अनुसूची 9 में लिख दिया गया।

3 राज्यों के पुनर्गठन, नये प्रदेशों के भारतीय सभ में प्रवेश से सम्बंधित संशोधन — इस समूह में आने वाले संशोधनों का मूल उद्देश्य या तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था या कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान की हस्तांतरित करना था, या वर्तमान राज्यों की पुनर्गठित कर क्षेत्रीय भागों को सन्तुष्ट करना था। विशेषी वस्तियों को भारत में समावेश करना था, या संरक्षित राज्यों को भारतीय सभ में समावेश करना था। इस क्षेत्र में आने वाले प्रमुख संशोधन हैं 7, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 22, 27, 35, 36 और 37। सन् 1956 के संशोधन द्वारा राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया 1960 के संशोधन 9 द्वारा कुछ क्षेत्र पाकिस्तान की हस्तांतरित कर दिये गये। 1961 के संशोधन 10 द्वारा दादरा और नगर हवेली नाम की पुतगाली वस्तियों का भारत में समावेश किया गया 1961 के संशोधन 12 द्वारा गोआ, दमन और द्यू को भारत का अंग बनाया गया 1962 के संशोधन 13 द्वारा नागालैण्ड को भारत का एक नया राज्य घोषित किया गया, 1962 के संशोधन 14 द्वारा पांडिचेरी, वारीकल, माहे और यनम की फ्रांसीसी वस्तियों को पांडिचेरी के नाम से भारत का अंग बना लिया गया 1966 के संशोधन 18 द्वारा पंजाब का पुनर्गठन कर पंजाब और हरियाणा नाम से दो राज्यों का निर्माण किया गया, 1969 के 22 वें संशोधन द्वारा मेघालय राज्य का निर्माण किया गया, 1971 के संशोधन 27 द्वारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को पुनर्गठित

कर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा नाम के तीन नये राज्यो और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश नाम के दो केन्द्र प्रशासित प्रदेशो का निर्माण किया गया, 1974 के सशोधन 35 द्वारा सिक्किम को भारत के सह-राज्य (associate state) का दर्जा दिया गया और अप्रैल मई के 36 वें सशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय सघ का अभिन्न अंग बना लिया गया और सिक्किम भारत का 22 वा राज्य बन गया, मई, 1975 के 37 वें सशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लिये विधान मण्डल और मन्त्रि-परिषद का व्यवस्था की गई।

4 दल बदल से सम्बन्धित सशोधन — इस क्षेत्र में आन वाले सशोधना का मूल उद्देश्य राजनीतिक दल बदल के "रोग" को रोकने से है। उदाहरणतया सशोधन 32 और 33 इसी से सम्बन्धित हैं। जहाँ सशोधन 32 अभी ससद द्वारा पास नहीं हुआ अतः वह सविधान का अभिन्न अंग नहीं बना वहाँ सशोधन 33 को ससद ने मई 1974 में शीघ्रता से पास कर दिया। सशोधन 32 का मतलब यह है कि यदि ससद या राज्य विधान सभा के किसी सदन का कोई सदस्य उस दल की सदस्यता त्याग देता है जिसने उसे निर्वाचन में प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया था तो वह सदन की सदस्यता के अयोग्य (disqualify) हो जायगा। सशोधन 33 सघ और राज्य विधान मण्डलो के प्रधान अतिवारी (Presiding officer-अध्यक्ष) को यह अधिकार प्रदान करना है कि यदि वह समझे कि विधान मण्डल के किसी सदस्य ने किसी दमपत्र (duress) के अधीन सदन की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है तो वह सदस्य के त्याग पत्र को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है।

5 यायालयो से सम्बन्धित सशोधन — इस क्षेत्र में आन वाले सशोधन या तो यायाधीशो की सेवा निवृत्ति की आयु से सम्बन्धित हैं या उनके समक्ष आन वाले दीवानी मुकदमों से। इस समूहन में आने वाले सशोधन हैं 15, 20 और 30। सन् 1953 के सशोधन 15 द्वारा उच्च यायालय के यायाधीशा की सेवा निवृत्ति की आयु (retirement age) 60 वर्ष में बढ़ा कर 62 वर्ष कर दी गयी। सन् 1966 के सशोधन 20 द्वारा उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में कुछ जिला न्यायाधीशा की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा निराया का बर्षता प्रदान की गयी, सन् 1972 के सशोधन 30 द्वारा सर्वोच्च यायालय में सिविल मुकदमा के लिये 20,000 रु० की राशि की शान को समाप्त कर दिया गया।

6 अनुसूचित जातिया से सम्बन्धित सशोधन — इस समूहन में आने वाले सशोधनो का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातिया अनुसूचित जन जातिया को सविधान द्वारा प्रदत्त बिय गय सरक्षणो व काल हो बढ़ाना था। उदाहरणतया सशोधन 8 और 23 का इसी से सम्बन्ध था। इन सशोधना के द्वारा यह काल अथ 1980 तक है। सशोधन 23 न राज्यपाला के इस अधिकार में कमी कर दी कि वे राज्य विधान मण्डल में दो अलग भारतीय या मनोनीत कर सकते थे। इस सशोधन के अनुसार राज्यपाल अथ अंगल भारतीय को मनोनीत कर सकता है।

7 भाषा से सम्बन्धित सशोधन—इस समूहन में केवल एक ही सशोधन है जिसकी क्रम संख्या 21 है। इस सशोधन द्वारा मिथी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में जोड़ दिया गया।

8 ससद से सम्बन्धित सशोधन—इस समूहन में आने वाले सशोधन या तो ससद में राज्या के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित हैं या ससद की सदस्य संख्या से या समद की शक्तियों से सम्बन्धित हैं उदाहरणतया सशोधन 2, 3, 6, 24 और 31 इसी से सम्बन्धित हैं। सन् 1952 के सशोधन 2 द्वारा 'प्रत्येक साठे सात लाख जनसंख्या के लिये कम से कम एक प्रतिनिधि' शब्दों को हटा दिया गया। क्योंकि देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी अतः इस सशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि एक प्रतिनिधि साठे सात लाख जनसंख्या से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सन् 1954 के सशोधन 3 द्वारा ससद साक्ष्य पदाय, पशुओं के चारे, कच्ची रूई और कच्चे पटमन के सम्बन्ध में विविध का निर्माण कर सकती है। सन् 1956 के सशोधन 6 द्वारा ससद समाचार पत्रों को छोड़ कर अन्य सभी वस्तुओं के अतः राज्य व्यापार और वाणिज्य की वस्तुओं के क्रय विनय पर कर लगा सकती है। सन् 1971 के सशोधन 24 द्वारा ससद ने नागरिकों के मूल अधिकारों में सशोधन करने की शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 में गोलक नाथ के मुकदमे में ससद को इस अधिकार से वंचित कर दिया था। सन् 1973 के सशोधन 31 द्वारा लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या 545 कर दी गयी जिसमें 525 राज्यों के और 20 केन्द्र प्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं।

9 विशेषाधिकारों की समाप्ति के सम्बन्ध में सशोधन—इस समूहन में आने वाले ये सशोधन हैं जिनका मूल उद्देश्य देशी नरेशों और आई० सी० एस० के अफसरों के विशेषाधिकारों को समाप्त करना था। उदाहरणतया सशोधन 26 और 28 इसी से सम्बन्धित हैं। सशोधन 26 ने जहाँ देशी नरेशों के प्रीवांस (शाही भत्ता) और विशेषाधिकारों को समाप्त किया वहाँ सशोधन 28 ने आई० सी० एस० के अफसरों के विशेषाधिकारों को समाप्त किया।

10 राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति से सम्बन्धित सशोधन—इस समूहन में आने वाले मुख्य सशोधन हैं 5, 11 और 38। सन् 1955 के सशोधन 5 द्वारा राष्ट्रपति राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयकों को राज्य के विधान मण्डल के पास भेजने में मजबूर करने का प्रकट करने का समय निर्दिष्ट कर सकता है। सन् 1961 के सशोधन 11 द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में कुछ परिवर्तन किये गये। इस सशोधन के बाद राष्ट्रपति के चुनाव का इस आचार पर अर्थ धारित नहीं किया जा सकता कि निर्वाचन गण के निर्वाचन पूर्ण नहीं हुआ था। उप राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में भी मजबूत के दाना सन्ना को समुक्त बंधन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।

38 वें सशोधन ने, जिसे 23 जुलाई 1975 को पास किया गया, सविधान के अनुच्छेदों 123, 213, 239 वी, 352, 356, 359 और 360 में सशोधन किया है। इस सशोधन द्वारा आपात स्थिति की घोषणा तथा राष्ट्रपति, राज्यपालों या प्रशासकों द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों को 'यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर' कर दिया गया है। इस सशोधन में यह स्पष्ट कहा गया है कि "इन निष्पत्तियों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की सन्तुष्टि तथा राज्यपालों का निष्पत्ति एक आत्मगत प्रश्न है जिस पर 'यायालय को विचार करने का अधिकार नहीं हो सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति भिन्न भिन्न आधारों पर आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं भले ही पहले से ही ऐसी कोई आपात स्थिति लागू हो। संक्षेप में, अब आपात स्थिति की घोषणा को यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक राजनीतिक प्रश्न है जिसे वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता और राष्ट्रपति एक आपात स्थिति के लागू होने पर अनेक अन्य आधारों पर आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है।

11 निर्वाचन से सम्बन्धित सशोधन— इस समूह में केवल एक सशोधन है जिसकी क्रम संख्या 19 है। सन 1966 के सशोधन 19 द्वारा निर्वाचन यायाधिकरणों (Election Tribunals) को समाप्त कर दिया गया और निर्वाचन सम्बन्धी विवादों को सीधे उच्च 'यायालयों में ले जाने की व्यवस्था की गयी।

समीक्षा प्रश्न (Review Questions)

- 1 भारतीय सविधान में दी गयी सशोधन प्रक्रिया की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।
- 2 "ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि भारत का सविधान इतना अधिक कठोर है कि उसमें आवश्यक परिवर्तन करना कठिन है और न ही इतना अधिक कठोर है कि उसमें अवांछित परिवर्तनों को रोका नहीं जा सकता।" इस कथन की समीक्षा कीजिये।
- 3 "भारतीय सविधान में नमनीयता और अनाम्यता का अद्भुत मिश्रण है।" विवेचन कीजिये।
- 4 जेनिंग्स का यह विचार कि "भारतीय सविधान न केवल अपने सशोधन की प्रक्रिया के कारण बल्कि अपने विस्तार के कारण भी कठोर है और उसका विस्तार अधिकांशतः 1935 के सविधान के प्रभाव के कारण है।" क्या आप इस कथन में सहमत हैं? कारण लिखिये।
- 5 भारतीय सविधान में अब तक हुए महत्वपूर्ण सशोधनों की समझाइयें भारतीय सविधान के स्वरूप को उहाने कहां तक परिवर्तित किया है?

- 6 भारतीय संविधान में किये गये 24 वें, 25 वें और 26 वें संशोधनों का क्या महत्त्व है ? क्या वे मसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अभिव्यक्त करते हैं या कि संविधान में मसद के अनुचित हस्तक्षेप को अभिव्यक्त करते हैं ?
 - 7 क्या संसद का अध्याय तीन में (नागरिकों के मूल अधिकारों में) परिवर्तन करने का अधिकार होना चाहिये ?
 - 8 "सम्पत्ति के मूल अधिकार" के सम्बन्ध में किये गये संवधानिक संशोधनों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये ।
 - 9 भारतीय संविधान में वर्णित संशोधन प्रक्रिया में क्या अस्पष्टताएँ पायी जाती हैं ? इन्हें दूर करने के लिये आप किन प्रघातों के विकास या संवधानिक संशोधनों का सुझाव देने हैं ? क्या भारतीय जनता को संवधानिक संशोधन में साझेदार बनाना चाहिये ?
-

भारत में संघवाद (Federalism in India)

‘संविधान जब तक हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप इसे सघात्मक संविधान कहते हैं या कि एकात्मक संविधान या अथ किसी नाम से पुकारते हैं।’

—डा० राजेन्द्र प्रसाद

सघ (Federation) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ‘फोएडस’ (Foedus) से हुई है जिसका अर्थ है सन्धि या समझौता अर्थात् सघ सावभौम राज्या के पारस्परिक समझौते का परिणाम होता है। दूसरे शब्दों में, कुछ राज्य मिलकर समझौते द्वारा एक नए राज्य को जन्म देते हैं जिसे सघ की सना दी जाती है। जमाकि हेमिल्टन ने लिखा है कि “सघ कुछ राज्यों का मिलाप है जो एक नए राज्य को स्थापित करते हैं। इस तरह सघ एक निर्मित राज्य होता है जिसमें दोहरी राजनीतिक व्यवस्था—एक सघ की और दूसरी उसके एक-एक (राज्या) की—उसका आवश्यक तत्व है।

सघ का निर्माण प्रायः दो प्रकार की शक्तियों की प्रक्रिया द्वारा होता है—प्रभिकेन्द्र शक्तियों द्वारा (Centripetal Forces) या अपकेन्द्र शक्तियों द्वारा (Centrifugal forces)। अभिकेन्द्र शक्तियों द्वारा सघ का निर्माण तब होता है जब सावभौम राज्या यह अनुभव करने लग जाते हैं कि ऐसे कुछ सामान्य सुरक्षात्मक, राजनीतिक या आर्थिक हित या उद्देश्य हैं जिन्हें पारस्परिक सहयोग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह का सघ नीचे से निर्मित हान के कारण वातचीत, सौदेबाजी, समंजन और समझौते का परिणाम होता है। अमरीका और आस्ट्रेलिया के सघ इसी प्रकार निर्मित हुए। परन्तु कई बार सघ का निर्माण अपकेन्द्र शक्तियों (Centrifugal forces) की प्रक्रिया द्वारा होता है अर्थात् जब कोई विशाल आकृति वाला एकात्मक राज्य अपने आपको दो तीन या अनेक राज्या में विभक्त कर लेता है। कनाडा और भारत का सघ इसी प्रकार स्थापित किया गया है। इस प्रकार का सघ समझौते के परिणाम नहीं होते, इन्हें ऊपर से बापा जाता है।

भारत में सघ की स्थापना वस्तुतः उस संविधान सभा (Constituent Assembly) द्वारा की गई जिसकी स्थापना 1946 में क्विनेट मिशन योजना के

अतगत ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। यद्यपि सविधान निर्माताओं ने सघीय राज्य की स्थापना की है परंतु कहीं भी सविधान में 'फेडरेशन' (Federation) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसके स्थान पर "यूनियन ऑफ स्टेट्स" (Union of States) शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि भारतीय सघ अविनाशी सघ है। जसाकि डा० अम्बेदकर ने सविधान सभा में कहा था कि "भारतीय सघ राज्यों के समझौते या परिणाम नहीं और क्योंकि सघ समझौते का परिणाम नहीं, किसी राज्य को सघ से पृथक् होने का अधिकार नहीं। फेडरेशन यूनियन है क्योंकि यह अविनाशी है।"¹

भारतीय सविधान के सघात्मक स्वरूप (Federal Features of Indian Constitution)

भारतीय सविधान में व सब तत्व विद्यमान हैं जो अथ सघीय सविधानों में पाए जाते हैं। ये तत्व मुख्यतः निम्न हैं—

1 शक्तियों का विभाजन (Distribution of Powers)—अथ सघीय सविधानों की भांति भारतीय सविधान भी सघ (केन्द्र) और एकाकी (राज्या) में शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था करता है। यह विभाजन त्रिगुण है। अनुसूची सात (Schedule VII) में तीन सूक्तियाँ निर्मित की गई हैं जिनमें केन्द्र और राज्यों के कार्यक्षेत्र को वर्णित (परिभाषित) किया गया है। सूची 1 अर्थात् सघीय सूची में 97 विषय हैं जिन पर सघीय (केन्द्रीय) सरकार का कानून बनाने का पूरा एवं एकमात्र (Exclusive Power) अधिकार है। प्रमुख सघीय विषय हैं सुरक्षा, विदेशों मामले, युद्ध और शांति, डाक, तार, रेल, मुद्रा, बीमा, बैंक, नागरिकता, देशीकरण, निवारक निरोध (Preventive Detention), अखिल भारतीय सेवाएँ, सर्वोच्च न्यायालय, आयकर, सीमा शुल्क (Custom duty), आदि। सूची दो अर्थात् राज्य सूची में 66 विषय हैं जिन पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का पूरा एवं एकमात्र (Exclusive power) अधिकार है। प्रमुख राज्यीय विषय हैं स्थानीय स्वशासन, पुलिस जेल, न्याय, सांख्यिक स्वास्थ्य शिक्षा, जंगल आदि। सूची तीन अर्थात् समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सघ और राज्य सरकारों दोनों को है। प्रमुख विषय जिन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है वे हैं दीवानी और फौजदारी कानून, दण्ड विधि, दण्ड प्रक्रिया, विवाह नलाक, श्रमिक सघ, औद्योगिक और श्रमिक समस्याएँ, वाष्प पात्र (Boilers), कारखाने, विद्युत्, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, मूल्य नियंत्रण, दवाइयाँ, समाचार पत्र, मुद्रणालय, पुस्तकें, आदि। इस तरह भारतीय सविधान में भी राष्ट्रीय महत्व के विषयों को सघीय (केन्द्रीय) सरकार को सौंपा गया है और स्थानीय महत्व के विषयों का एका

(राज्यों) की सरकारों को सौंपा गया है। समवर्ती सूची में दिये गये विषय भी स्थानीय महत्त्व के विषय हैं परन्तु उन पर केन्द्र और राज्य का नियंत्रण इसलिए है कि वे भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक हैं। जो विषय इन तीन सूचियों में उल्लिखित नहीं किए गए उन पर सघ (केन्द्र) सरकार का अधिकार है अर्थात् अवशिष्ट शक्तियाँ सघ सरकार के पास हैं।¹

2 सविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution) — सघीय सविधान की दूसरी अनिवार्य आवश्यकता सविधान की सर्वोच्चता होती है। सघीय सविधान ही सघ की सर्वोच्च विधि होती है। कोई उसकी अपेक्षा या उल्लंघना नहीं कर सकता। उसके उपबन्धों के विरुद्ध बनाया गया कानून या कायपालिका द्वारा दिया गया आदेश उस सीमा तक अवध (Ultra vires or unconstitutional) होता है जिस सीमा तक वह संवधानिक उपबन्धों की उल्लंघना करता है। सविधान सारे देश की सर्वोच्च विधि है। न तो केंद्रीय और राज्य सरकारें, और न ही नागरिक या अन्य सामाजिक संस्थायें सविधान के उपबन्धों की उल्लंघना कर सकती हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों सीधे सविधान में अपनी अधिकार शक्तियाँ को प्राप्त करते हैं। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकती। दोनों अपने आवश्यक कार्यों (essential functions) को एक दूसरे को प्रदान नहीं कर सकती। सविधान द्वारा लगायी गयी मर्यादाओं का दोनों पालन करती हैं और जब कभी दोनों में से कोई या दोनों ही संवधानिक उपबन्धों का उल्लंघन करके या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कानून बनाती हैं या कायपालिका आदेश देती हैं तो कायपालिका उसे अवध घोषित कर सकती है।

3 स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary)—भारतीय सविधान भी, अन्य सघीय सविधानों की भाँति सर्वोच्च न्यायालय के रूप में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना करता है। यह न केवल नागरिक अधिकारों की कायपालिका या विधायी निरकुशता से रक्षा करती है बल्कि केन्द्र और राज्यों में विवादों का निपटारा करती है, उनमें समतुलन बनाये रखती है और प्रत्येक के क्षेत्र की सुरक्षा करती है। अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय की भाँति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का भी न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का अधिकार है। वह किसी भी व्यवस्थापिका के कानून या कायपालिका के आदेश का अवध घोषित कर सकती है यदि वह संवधानिक उपबन्धों के विपरीत है। इस दृष्टि से तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ सभी सर्वोच्च न्यायालय और स्वयं सघीय न्यायाधिकरण (Federal Tribunal) से अधिक हैं क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं।

4 लिखित एवं कठोर संविधान (Written and Rigid Constitution)—
 अथ सघीय संविधान की भाँति¹ भारतीय संविधान भी लिखित है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और अब तक 38 संशोधन हुए हैं। भारत के संविधान का विस्तृत होने का मूल कारण यह है कि इसमें उन बातों का विस्तृत उल्लेख किया गया है जिन्हें अथ सघीय संविधान में अभिसमयों पर छोड़ दिया गया है। दूसरे, भारत सघ के एकात्मक संविधान न होने से उसे भी संविधान में ही उल्लिखित किया गया है।

भारतीय संविधान यद्यपि अमरीकी संविधान की भाँति कठोर तो नहीं परन्तु फिर भी यहाँ संवैधानिक कानून और साधारण कानून में अंतर किया गया है, संवैधानिक कानून के निर्माण या संशोधन की प्रक्रिया का वरदान है। यह ठीक है कि संविधान का अधिकांश भाग संसद के साधारण बहुमत से पास हो जाता है, कुछ भाग संसद के दोनों सदनों के पृथक्-पृथक् रूप में दो तिहाई बहुमत से पास होता है और अनुच्छेद 54, 55, 73, 162 तथा भाग पाँच का अध्याय चार तथा भाग छ का अध्याय पाँच ऐसे संविधान के उपबन्ध हैं जिन्हें संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत के साथ आधी राज्य विधान सभाओं के अनुसमर्थन पर ही संशोधित किया जा सकता है। इस तरह देश के मूलभूत कानून में परिवर्तन संसद और राज्य विधान सभाओं के सहयोग से ही हो सकता है।

भारतीय संविधान का एकात्मक स्वरूप (Unitary Features of Indian Constitution)

भारतीय संविधान में अनेक ऐसे तत्त्व विद्यमान हैं जो इसे एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। इनमें प्रमुख तत्त्व निम्न हैं —

1 शक्तिशाली केन्द्र—भारत में केन्द्र की प्राप्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। संसद न केवल सघ सूची के 97 राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर ही कानून बना सकती है बल्कि समवर्ती सूची में दिये गये 47 विषयों पर भी कानून बना सकती है। यद्यपि राज्य विधान सभाओं को भी समवर्ती सूची में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है परन्तु यदि समवर्ती सूची में दिये गये किसी विषय पर राज्य विधान सभा के कानून और उन्हीं विषय पर संसद द्वारा बनाये गये कानून में कोई विरोध होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होता है और राज्य विधान सभा द्वारा पास किया गया कानून उस सीमा तक प्रभावशून्य होता है जिस सीमा तक वह संसदीय कानून का विरोध करता है। परन्तु यदि राज्य विधान सभा समवर्ती सूची में दिये गये किसी विषय पर कानून निर्माण करते समय राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर लेता है तो संसद द्वारा पास

1 अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, रूस, स्विट्जरलैण्ड आदि सघीय संविधानों के संविधान भी लिखित हैं।

रिया गया कानून उम राज्य म लागू नहीं होता। इस तरह मसदा का नियंत्रण सघ सूची और समवर्ती सूची अर्थात् 144 विषयों पर पूर्ण रहता है। इस दृष्टि से ता भारतीय सघ का केंद्र कनाडा से भी अधिक शक्तिशाली है क्योंकि जहा कनाडा की समवर्ती सूची म केवल दो विषय हैं वहा भारतीय सविधान की समवर्ती सूची म 47 विषय हैं।

2 ससदीय कानूनों की व्यापकता—मसदा द्वारा पास रिय गये कानून सारे भारत या भारत के किसी एक भाग म लागू रिय जा सक्त है जइकि राज्य विधान सभाया द्वारा पास किये गये कानून केवल राज्य की सीमाया तज ही सीमित रहत है। समवर्ती सूची के विषयों के सम्बन्ध मे भी जब राज्य विधान सभायें कानून बनाती ह तो भी उनका प्रभाव राज्य की सीमाया तक ही होता है। इस तरह जहा ससद द्वारा बनाये गये कानूनों का क्षेत्र व्यापक ह वहा राज्य विधान सभा द्वारा बनाये गये कानूनों का क्षेत्र सीमित है।

3 अविशिष्ट शक्तिया—अविशिष्ट शक्तिया व शक्तिया हैं जिह किमी सूची म उल्लिखित नहीं किया गया। ये वे शक्तिया है जा समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न होती है। जहा अमरीका, स्विट्जरलण्ड आस्ट्रेलिया जसे सघीय सविधानों म अविशिष्ट शक्तियों का सघ के एकका को प्रदान किया गया है वहा भारत म, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के सविधानों की भांति, इ ह सघ (केंद्र) का सौंपा गया है।¹ यह तत्क केंद्र को एकको से अधिक शक्तिशाली बना देता है।

4 सक्कालीन शक्तिया—सक्काल म, भारत म, केंद्र की शक्तिया केवल बढ़ ही नहीं जाती बल्कि सविधान म परिबतन किय बिना ही सविधान सघात्मक से एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर सकता है। इस तरह भारत म “एक बार सघ सबदा सघ” (Once a federation always a federation) के सिद्धांत का नहीं अपनाया गया। समय, परिस्थिति और आवश्यकतानुसार भारतीय सविधान सघात्मक या एकात्मक रूप धारण करता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, उपद्रव या त्रांति की सम्भावना पर जब राष्ट्रपति सामान्य सक्काल की घोषणा कर देता है ता वह उदघोषणा द्वारा राज्य सूची मे दिय गये सभी विषयों पर ससद का नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इस स्थिति म राज्य विधान सभायें ससद के अधीन उसने अभिकरण के रूप म काय करती है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य मे सविधान की असफरता की घोषणा करके अमुक राज्य की विधायी शक्तियों का ससद को सौंप सकता है। इस स्थिति म राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट (Agent) के रूप म काय करता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय सक्काल की घोषणा करके राज्या के वित्तीय क्षेत्र म ससद का नियंत्रण स्थापित कर सकता है सभी पदाधिकारियों के बतना

मे कटौती कर सकता है, आदि। इस तरह सकट काल में भारतीय संविधान एकात्मक बन जाता है, प्रांतीय स्वायत्तता नष्ट हो जाती है और आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति सभ और राज्यों में शक्ति विभाजन का भी परिवर्तित कर सकता है।

5 शान्तिकाल में भी केन्द्र शक्तिशाली है—भारत में केन्द्र न केवल सकट-काल में ही शक्तिशाली है उल्टे शान्तिकाल में भी राज्यों की शक्तियाँ मर्यादित हैं। उदाहरणतया अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर देती है कि राज्य सूची में दिया गया अमुक विषय 'राष्ट्रीय महत्व' का हो गया है तो समस्त उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून निर्माण के लिये किसी "सकट" की आवश्यकता नहीं "राष्ट्रीय हित" ही पर्याप्त है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समझौता, संधियों, करारों या उत्तरदायित्वों को निभाने के लिये राज्य सूची में दिये गये विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। यह सत्य है कि केन्द्र अपनी विधियों को न्यायिक तौर पर लागू करने के लिये राज्यों पर निर्भर करता है परंतु जब कभी केन्द्र राज्यों का अपने उत्तरदायित्वों में उदासीन पाता है या यह अनुभव करता है कि अमुक राज्य केन्द्र के आदेशों की उपेक्षा या निरादर कर रहा है तो केन्द्र वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अनुच्छेद 356 का महारा ले सकता है। अनुच्छेद 256 और 257 इस बात का स्पष्ट संकेत करते हैं कि राज्य की कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगी कि केन्द्र द्वारा पारित कानून में बाधा प्रस्तुत न हो। इस क्षेत्र में केन्द्र राज्य की कार्यपालिका को आवश्यक निर्देशन दे सकता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य अपनी विधान सभाओं के प्रस्ताव द्वारा राज्य सूची में दिये गये किसी विषय पर, जैसे सांख्यिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जंगल आदि, संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकते हैं।

6 एकको (राज्यों) के पृथक् संविधान का अभाव—अमरीकी और स्विस संघीय व्यवस्थाओं के विपरीत भारत की संघीय व्यवस्था राज्यों के लिए पृथक् संविधान की कल्पना नहीं करती।¹ भारत में संघ के एकका का कोई पृथक् संविधान नहीं है। एक ही संविधान भारत के समूचे शासन व्यवस्था का प्रबंध करता है। इसी संविधान में अध्याय 6, अनुच्छेद 152 से 237, राज्यों के प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था की गई है।

7 संशोधन की विधि मूलतः लचीली है—भारतीय संविधान अमरीकी

1 जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति अनुच्छेद 370 (2) के कारण एक अलग है। परंतु इसका संविधान भी भारतीय संविधान के मुख्य ढांचे से विपरीत नहीं है।

सबि 1111 नी तुलना म अत्याधिक लचीला है । भारत म सशोधन की विधि म राज्या की सम्मति (मत या राय) का बहुत कम महत्व है । भारतीय सविधान का अधिकांश भाग ससद के साधारण बहुमत से ही सशोधित किया जा सकता है, कुछ सशोधनों को ससद के दो तिहाई बहुमत से पास किया जा सकता है । कुछ ही सविधान के उपबन्ध ऐसे हैं जैसे अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 242, भाग पाच का अध्याय 6, भाग 6 का अध्याय 5, भाग 11 का अध्याय 1, सातवी अनुसूची, ससद म राज्यों का प्रतिनिधित्व, आदि, जिन्हें तभी सशोधित किया जा सकता है जब ससद के प्रत्येक सदन के दो तिहाई बहुमत से पास होने के बाद आधी (half) राज्य विधान सभायें उन पर अपनी सहमति प्रकट कर देती हैं । भारत के सविधान का लचीलापन तो इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि 25 वर्षों के संवैधानिक इतिहास म 38 सशोधन हो चुके हैं जबकि अमरीका के 190 वर्षों के संवैधानिक विकास में केवल 25 सशोधन ही हुए हैं ।

भारतीय सविधान में सशोधन की एक विशेषता यह है कि भारतीय सभ के एक सविधान में सशोधन का प्रस्ताव भी नहीं रख सकते । ससद ही सविधान में सशोधन का प्रस्ताव रख सकती है । भारत म सविधान के सशोधन में जनमत संग्रह की भी कोई व्यवस्था नहीं । यह दोनों बातें अमरीकी और स्विस सविधानों के विपरीत हैं । अमरीका में सभ के एकका के न केवल पृथक सविधान है बल्कि वहाँ की दो तिहाई व्यवस्थापिकाएँ कांग्रेस से सविधान म सशोधन के प्रस्ताव की मांग कर सकती हैं । स्विट्जरलैण्ड म तो संवैधानिक सशोधन की पहली (आरम्भण पद्धति द्वारा) और अंतिम (जनमत संग्रह पद्धति द्वारा) क्रिया स्विस नागरिकों के हाथों में है । भारतीय नागरिकों का तो संवैधानिक सशोधन म कोई भाग ही नहीं ।

8 एकहरी नागरिकता—भारत म दोहरी शासन व्यवस्था (dual polity) होते हुए भी एकहरी नागरिकता है । सारे देश के लिये एक ही नागरिकता है । इसे भारतीय नागरिकता कहते हैं । यह तब "एक देश एक लोग" (One people one Country) के आदेश की पूर्ति करता है ।" इसमें सभ के एकका (राज्यों) की कोई पृथक नागरिकता नहीं । इस दृष्टि से भी भारतीय सविधान अमरीकी सविधान से भिन्न है । अमरीका म प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता का उपभोग करता है, एक अमरीका की और दूसरी उस राज्य की जिसका वह निवासी है । भारत म एकहरी नागरिकता के अभाव में भी सविधान का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बल देकर प्रांतीय या क्षेत्रीय भावनाओं को निबल बनाना है ।

9 ससद की राज्यों के पुनगठन का अधिकार—जहाँ अमरीका म सभ के एकका की सहमति के बिना कांग्रेस किसी राज्य के क्षेत्र या सीमाओं म कोई परिवर्तन नहीं कर सकती वहाँ भारतीय ससद राष्ट्रपति की सिफारिश पर, अनुच्छेद 3 के अनुसार, राज्यों का पुनगठन कर सकती है, उनके नाम बदल सकती है, उनके क्षेत्र को कम या अधिक कर सकती है, दो राज्यों को मिला सकती है एक राज्य को दो राज्यों

मे परिवर्तित कर सकती है। यह ठीक है कि इस प्रकार का विधेयक तभी प्रस्तुत किया जाता है जब राष्ट्रपति उन पर राज्यों के विधान मण्डला के विचार प्राप्त कर ले लेता है परन्तु यदि किसी राज्य विधान मण्डल के विचार निश्चित समय (Period specified by the President) तक प्राप्त नहीं होते तो राज्यों के पुनगठन का कानून, उनके विचारा की अभिव्यक्ति के बिना भी पारित किया जा सकता है। भारत में संसदीय कानूनों द्वारा अनेक बार राज्यों का पुनगठन किया गया या नये राज्यों का निर्माण किया गया या राज्यों के नामों को बदला गया। उदाहरणतया सन् 1953 में आन्ध्र राज्य अधिनियम (Andhra State Act, 1953) बनाया गया और सन् 1956 में राज्यों का पुनगठन किया गया, सन् 1960 में बम्बई पुनगठन अधिनियम द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात नाम के दो राज्यों का जन्म हुआ, सन् 1962 में नागालैण्ड राज्य अधिनियम द्वारा नागालैण्ड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया सन् 1966 में पंजाब का पुनगठन कर पंजाब और हरियाणा नामक दो राज्यों का निर्माण किया गया और चण्डीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सन् 1971 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का पुनगठन कर असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर के चार राज्यों और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के दो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। जहां अमरीकी राज्यों का आकार बहुत अधिक या बहुत कम होते हुए भी कांग्रेस उनकी सहमति के बिना उन्हें बराबर नहीं कर सकती। वह भारतीय संसद राज्यों की सहमति के बिना भी राज्यों का पुनगठन कर सकती है। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान भारत के संघीय एकाकी की प्रादेशिक अखण्डता की गारंटी नहीं देता। उदाहरणतया तमिलनाडु राज्य के विराध करने पर भी कच्छ टापू भारत सरकार ने संसद के कानूनों द्वारा श्री लंका को सौंप दिया।

10 एकको में समानता का अभाव—यह सत्य है कि संघीय संसद का उच्च सदन (राज्य सभा) संघ के एकका (राज्यों) का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य विधान सभाओं द्वारा ही उसके सदस्यों का निर्वाचन होता है परन्तु अमरीका की सीनेट या स्विट्स राष्ट्रीय परिषद की भांति भारतीय राज्य सभा में संघ के एकका को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जहां अमरीकी सीनेट में अमरीकी संघ का छोटा या बड़ा राज्य 2 प्रतिनिधि भेजता है और जहां स्विटजरलैण्ड की राष्ट्रीय परिषद में प्रत्येक पूर्ण कैंटन दो और अर्द्ध कैंटन 1 प्रतिनिधि भेजता है वहां भारतीय राज्य सभा में एकको का प्रतिनिधित्व नाग प्रकार का है। भारत का प्रत्येक राज्य जन संख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधि भेजता है जिनकी संख्या 1 और 34 के होती है अर्थात् जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है उसके प्रतिनिधियों की संख्या उस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक होगी जिसकी जन संख्या कम है। उदाहरणतया उत्तर प्रदेश की जन संख्या अधिक होने से उसके राज्य सभा में प्रतिनिधियों की संख्या 34 है और नागालैण्ड की जन संख्या कम होने से उसके प्रतिनिधियों की संख्या एक ही है।

11 अखिल भारतीय सेवायें—अखिल भारतीय सेवायें केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं और सघीय लोक सेवा आयाग की सिफारिशों पर ही राष्ट्रपति इन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। ये उच्च सेवायें आई० ए०, एस० आई० पी० एस०, आदि के नामों से जानी जाती हैं। राज्य की सेवाओं के शीप पर, जैसे जिला के जिलाधीश, जिलों के पुलिस अधीक्षकों (Superintendent of Police) और राज्य सचिवालयों में सचिव पदा पर, इन्हीं अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य नियुक्त किये जाते हैं। यद्यपि ये उच्च पदाधिकारी राज्य सेवाओं के शीप पर विद्यमान होते हैं और राज्य के राजस्व से ही वे अपने वेतनों, भत्तों आदि का प्राप्त करते हैं परन्तु उनके ऊपर नियंत्रण केन्द्रीय सरकार का ही होता है। जब कभी कोई राज्य सरकार इन सेवाओं के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करना चाहती है तो न केवल केन्द्रीय सरकार बल्कि सघीय लोक सेवा आयोग की अनुमति की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य चाहे तो राज्य सरकारों का हैं, परन्तु गुण गाते हैं किसी और का (केन्द्र का)। इन उच्च पदाधिकारियों के माध्यम से वे केन्द्र राज्यों पर परोक्ष रूप से नियंत्रण रखती हैं।

12 एकीकृत याय व्यवस्था—अमरीकी और आस्ट्रेलियाई सघीय सचिवालयों के विपरीत भारतीय सचिवालय में याय की व्यवस्था भी एकीकृत है। जहाँ अमरीका में सघीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन निम्न सघीय न्यायालय हैं और राज्यों की पृथक पृथक सर्वोच्च न्यायालयें हैं वहाँ भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है और राज्यों के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में ही कार्य करती हैं। भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय सभी निम्न न्यायालयों को मान्य होते हैं।

13 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति—जहाँ अमरीका सघ की शक्ति के कार्यपालिका अध्यक्ष अर्थात् गवर्नर राज्य की वयस्क जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं वहाँ भारतीय सघ में एकको के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है यह राज्य के राज्यपालों का निर्वाचन राज्य की जनता द्वारा नहीं होता यह तथ्य इस बात का प्रतीक है कि भारत के सघीय एका में गणतन्त्रात्मक प्रणाली का नहीं अपनाया गया। राज्यपाल राष्ट्रपति की कृपा (pleasure) पर ही अपने पद पर विद्यमान रहता है और उसी के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति के समय सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों में परामर्श ले।

राज्य के प्रशासन में गवर्नर की स्थिति सवधानिक अध्यक्ष की है परन्तु सचिवालय उसे अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उत्तरदायी भी बनाता है। स्पष्ट है कि राज्यों के गवर्नर केन्द्र के अभिकर्ता के रूप में राज्य में विद्यमान रहते हैं और जब कभी भी कोई राज्य केन्द्र के आदेशों की उपस्था करता है या केन्द्र के कानूनों को लागू करने की उदासीनता दिखाता है तो केन्द्र गवर्नर के माध्यम से राज्य प्रशासन

में पर्याप्त एकात्मता बना सकता है। संसद का न म राष्ट्रपति सामान्यतः गवर्नर के माध्यम से काम करता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में हमारा पद प्राचीन स्वायत्तता पर मजबूत है।

14 प्राथमिक सहायता के लिये राज्यों को क्षेत्र पर निर्भरता—यह सत्य है कि सहायता राज्यों के वित्तीय गतिशीलता का मुख्य रूप में निर्धारित करता है परन्तु यह वित्तीय गतिशीलता राज्यों की तब तक स्वायत्तता की गमावों और विकास के लिये इनका अपाय है कि राज्यों का प्राथमिक सहायता के लिए राष्ट्र की ओर ताकत बढ़ता है। क्षेत्र राज्यों को प्राप्त प्रदान की वधानित और पर कानूनी अनुदान (Statutory and non Statutory grants) का है। महायुक्त अनुदान (Grants in aid) भी राज्यों का समान-समय पर (उदाहरणार्थ वायु या प्रवाह के समय या महामारी के समय) प्राप्त प्राप्त करते हैं। प्राथमिक अनुदान क्षेत्र के हानि में एकात्मक है जिसके प्रयोग द्वारा क्षेत्र निर्देशी भी अनुदानों या हटवर्गी (recalcitrant) राज्य का राष्ट्र की नीतियों के अनुसंधान के लिये पर्याप्त है। राज्यों की साक्षर दुबलता और राष्ट्र पर उन ही निर्भरता राज्यों की स्वायत्तता का गारहान बना देती है।

15 वित्तिय विधायकों पर राष्ट्रपति की पूरा अनुमति—बुद्ध विधेयक जैसे हैं कि राष्ट्र राज्य विधान का म प्रस्तुत कर म पूरा राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ यह अनुच्छेद 31 (3) के अंतर्गत राज्य विधान सभा का नूतन द्वारा निर्देशी सम्पत्ति का सावजनिक हित में प्रतिबंध रूप से अधिग्रहीत करना चाहती है या अनुच्छेद 304 (b) के अंतर्गत राज्यों के मध्य व्यापार पर सावजनिक हित में प्रतिबंध लगाया चाहती है ता म विधेयक को राज्य विधान सभा में प्रस्तुत कर म पूरा राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। और जब तक राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक राज्य विधान सभा में एम विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

16 मूल बातों में एकरूपता—राज्य प्रशासन और साक्षर सुरक्षा की धरोहर एकीयता है जिनमें अधिधान एकरूपता की बात करता है विभिन्नता की नहीं ये मूल बातें मुख्यतः निम्न हैं

(a) भारत में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का काम निर्वाचन आयोग (Election Commission) को सौंपा गया है। यह आयोग ही समस्त विधान सभाओं आदि के चुनावों को सम्पन्न करता है। निर्वाचन आयोग का प्रधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

(b) सारे देश की वित्तीय स्थिति की दृष्टिकोण से एम महायुक्त परीक्षण (Comptroller and Auditor General) के अधीन होती है। एम महायुक्त परीक्षण ही म राष्ट्र राज्यों के लेखाओं का लेखा परीक्षा उनके लिये लेखे तैयार करता है तथा उन्हें अपने प्रतिवेदन महित करता है।

पति या राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

(c) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अनुसूचित जातियों और क्षेत्रों का आयुक्त (The Commissioners for the Scheduled Castes & Areas) इन जातियाँ और क्षेत्रों के अधिकारों की रक्षा करता है।

(d) यद्यपि संविधान क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकार को स्वीकार करता है परंतु साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र भाषा भी घोषित करता है।

(e) सारे देश में एक प्रकार की दीवानी और फौजदारी कानूनों (Civil & Criminal Procedure Code) की व्यवस्था है। यदि राज्य चाहें भी तो वे अपनी पृथक दीवानी और फौजदारी महिता का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि यह विषय समवर्ती सूची में है और इस पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है।

(f) समन्वित न्यायपालिका (Integrated Judiciary)—की व्यवस्था है।

(g) सामान्य अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित की गयी हैं।

17 केन्द्र शासित प्रदेश—केन्द्र शासित प्रदेशों (Union territories) का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के अधीन है जो प्रशासक (Administrator) के माध्यम से इन प्रदेशों का प्रशासन करता है। डा० एम० पी० शर्मा ने ठीक कहा कि "वस्तुतः इन प्रदेशों का केन्द्र के साथ वही सम्बन्ध है जो कि किसी एकात्मक राज्य के उपखण्डों का उसकी केन्द्रीय सरकार के साथ होता है।"¹ इस समय भारत में 9 केन्द्र शासित प्रदेश हैं।² संसद ही इन प्रदेशों के सम्बन्ध में कानूनों का निर्माण करती है।

18 अन्तर्राज्य परिषद तथा क्षेत्रीय परिषदें—प्रांतों के विवादों को निपटारने के लिए, तथा की जानकारी करने के लिये तथा प्रांतों में सामान्य नीति को निर्धारित करने के लिए, यदि राष्ट्रपति लोकहित में आवश्यक समझे तो अन्तर्राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 307 के अनुसार अन्तर्राज्य व्यापार, वाणिज्य और समागम के लिए प्राधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 280-281 के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना की जा सकती है।

10 राजनीतिक केन्द्रीकरण—राजनीतिक केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति ने भी केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बना दिया है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से अब तक केन्द्र में एक ही दल (कांग्रेस दल) का शासन रहा है और अधिकांश राज्यों में भी यही दल सत्ताशुद्ध रहा यद्यपि 1967 के निर्वाचनों में राज्या में राजनीतिक विवेकी

1 Sharma, Dr M P The Government of the Indian Republic p 91

2 केन्द्र शासित प्रदेश हैं अण्डमान निकोबार, चण्डीगढ़, दादर-नागर हवेली, दिल्ली।

करण की प्रवृत्ति नजर आयी (मिली जुली सरकारों के रूप में) परन्तु 1971 के संसदीय चुनावों और 1972 के विधान सभाओं के निर्वाचन में फिर राजनीतिक केन्द्रीयकरण को बल मिला। वस्तुतः राजनीतिक शक्ति पर एक दल का (कांग्रेस का) एकाधिकार ही सघीय प्रवृत्तियों के विपरीत है। जिस ढंग से केन्द्रीय सरकार ने राज्य के मुख्य मंत्रियों के निर्वाचन में हस्तक्षेप या निर्देशन दिये हैं वह शुद्ध सघवाद की प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं। पाचवें सामान्य निर्वाचनों के पूर्व जिस ढंग से राजस्थान, आंध्र, मध्य प्रदेश और असम में नेतृत्व में परिवर्तन किये गये तथा निर्वाचनों के बाद जिस ढंग से मसूर और गुजरात राज्यों में परिवर्तन किये गये तथा जिस आधार पर बिहार में गफूर मंत्रिमण्डल को स्थिर रखने का प्रयत्न किया गया वह इस बात का प्रतीक है कि केन्द्रीय सरकार राज्यों के मंत्रिमण्डलों पर अपना अधिकार समझती है।

20 स्वाभाविक सघ का अभाव—भारत में सघीय व्यवस्था एकको की स्वाभाविक इच्छा का फल नहीं बल्कि एकात्मक राज्य को विघटित करके इसकी स्थापना की गयी है। इस दृष्टि में भी भारतीय सघ व्यवस्था अमरीकी सघीय व्यवस्था के विपरीत है क्योंकि अमरीकी में सघीय व्यवस्था राज्यों के स्वाभाविक समझौते का परिणाम है। रूसी सघ की भाँति भारतीय सघ के एकको का सघ से पृथक् होने का अधिकार नहीं। डा० अम्बेदेकर ने संवैधानिक सभा में स्पष्ट कहा था कि “सघ और राज्यों के संविधान का एक ही ढाँचा है जिसमें से कोई भी नहीं निकल सकता और उह उसी के अंतर्गत कार्य करना है।”¹

क्या भारत एकात्मक या अर्द्ध सघात्मक राज्य है ?

(Is India a Unitary or Quasi federal State ?)

भारत एक सघात्मक राज्य है या नहीं इस बारे में अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। कुछ के लिए भारत एकात्मक राज्य है कुछ के लिए सघात्मक और कुछ के लिए यह अर्द्ध सघात्मक राज्य है। सर आइवर जेनिंग्स एलन ग्लडहिल, के० एम० मुशी जैसे ऐसे लेखक भी हैं जिनका कहना है कि भारत के एकात्मक स्वरूप को ढकने के लिए उसे सघात्मक का ‘नकाब’ पहनाया गया है। एलेक्जेंड्रो-विच, पाल० एच० एपलबी जैसे लेखक इसे “निःसंदेह सघात्मक राज्य” मानते हैं। के० पी० मुकर्जी इसे निश्चित रूप से “असघीय या एकात्मक” संविधान मानते हैं। अशोक चंदा का कहना है कि “भारत एक सघ राज्य नहीं, यह विचार और कार्य-प्रणाली (प्रवृत्तन) में एकात्मक राज्य है।” के० सी० ह्वीमर इसे अर्द्ध सघात्मक कहना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि भारत “एक ऐसा सघ होने की बजाय

गोवा दमन दीव, लकादिव मिनिक्वोय व अमीनदीवी पाण्डिचेरी, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ।

जिसमे एकात्मक तत्व गौण रूप से पाये जाते है एक ऐसा एकात्मक राज्य है जिसमे सघात्मक तत्व गौण रूप से पाये जाते है। के० एम० मुशी ने भी भारत को एक 'अर्द्ध सघीय सगठन कहा है जिसे एकात्मक सरकार की अनेक महत्त्वपूर्ण विशेषताओं से सुसज्जित किया गया है।' सी० पी० भाम्बरी का विश्वास है कि भारत में 'ऊर्ध्वाधर सघ' (Vertical federation) का विकास हो रहा है। इनका कहना है कि योजना आयोग और केन्द्रीय मन्त्रालय राज्यों के तत्स्थानी मन्त्रालयों (corresponding ministries) को आदेश और निर्देश देने की स्थिति में हैं। क्योंकि केन्द्र की स्थिति अत्यन्त शक्तिशाली है इसलिए जे० सी० जोहरी भारत को "समतल सघ" (horizontal federation) कहना अधिक पसन्द करते हैं। क्योंकि भारत में केन्द्र और राज्यों के सघीय सम्बन्ध प्रयोग सहयोग, अनुनय और मेल जोल पर आधारित हैं इसलिये एम० एफ० फ्राडा इसे सौदेबाजी का सघ (bargaining federalism) की सजा देना पसन्द करते हैं, डब्लू एच० मारिस जोस इसे "सहकारी सौदेबाजी" की सजा देते हैं। ए० एच विच जैसे लेखका ने इसे 'सहकारी सघ' की सजा दी है। कुछ अन्य लेखक इसे वैधानिक विकेन्द्रीकरण" (statutory decentralization) की सजा देते हैं। डी० डी० वसु के लिए "भारतीय सविधान न तो नितात सघात्मक है और न ही एकात्मक बल्कि यह दोनों कथनों का मिश्रण है।" स्वयं डा० अम्बेदकर ने सविधान सभा में कहा था कि "भारतीय सविधान को सघवाद के कठोर शब्दों में नहीं ढाला गया है यह समय और परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार एकात्मक और सघात्मक दोनों ही है।" जी० एन० जोशी के शब्दों में, "यूनियन यथाथ मे सघीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि अर्द्ध सघात्मक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एनात्मक राजनीतिक व्यवस्था की कुछ प्रमुख और महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। इसे इस तरह रचा गया है कि यह सामान्य काल में सघीय सरकार की भांति कार्य करे और सकट काल में एकात्मक सरकार की भांति।" सर्वोच्च न्यायालय ने भी पश्चिमी बंगाल बनाम भारतीय सघ के मुकदमे में यह अवलोकित किया था कि भारतीय सविधान की प्रवृत्ति 'परम्परागत ढंग के सघवाद से मेल नहीं खाती।" कुछ लेखकों का मत है कि 'भारतीय सविधान में सरकार का ढांचा सघात्मक तो है परन्तु यह ढांचा इतना सुदृढ है कि वह लगभग एनात्मक है।" भारत का एकात्मक या अर्द्ध सघात्मक राज्य कहने वाले लेखकों का मत है कि भारत में केन्द्र को राज्यों की कीमत पर शक्तिशाली बनाया गया है। इनका कहना है कि न केवल सकट काल में बल्कि शांति काल में भी केन्द्र राज्यों से अत्यधिक शक्तिशाली है और राज्यों की स्वायत्तता केन्द्र द्वारा मर्यादित है। धन धन के समर्थन में ये लेखक अनुच्छेद 3 246 (4) 248, 249, 256, 352 के 360 और 371 का सहारा लेते हैं। अनुच्छेद 3 की तो ये लेखक सघीय व्यवस्था विस्तृत विपरीत मानते हैं। इनका कहना है कि जब राज्यों का जीवन मरण

अर्थात् अस्तित्व केन्द्र की इच्छा (संसद के कानून) पर निर्भर करता है तो सघात्मक व्यवस्था का शेष रह ही क्या जाता है। जैसाकि के० पी० मुक्जी ने लिखा है कि "यदि यह एकात्मक सरकार की परिभाषा नहीं, तो मैं नहीं जानता कि यह क्या है?"¹ ये लेखक इस बात की ओर भी सकेत करते हैं कि सविधान 'फेडरेशन' (federation) शब्द का प्रयोग ही नहीं करता। इसके स्थान पर सविधान "राज्यों के सघ" (Union of States) शब्द का प्रयोग करता है।

आलोचकों का यह भी कथन है कि व्यवहार में भारतीय सविधान की प्रवृत्ति केन्द्रीकरण की है। क्योंकि राज्यों के आर्थिक स्रोत सीमित हैं और क्योंकि लोक कल्याणकारी कार्यों और विकासवादी योजनाओं के लिए वे केन्द्र की आर्थिक सहायता पर निर्भर करते हैं इसलिए आर्थिक नियोजन, विकास, समाज सुधार, वित्तीय प्रशासन आदि क्षेत्रों में न केवल आरम्भ की शक्ति बल्कि उन पर नियंत्रण की शक्ति भी केन्द्र के पास है। राष्ट्रीय नियोजन तो इतना केन्द्रीकृत है कि गोविंद वल्लभ पंत को एक बार राज्य सभा में ये विचार व्यक्त करने पड़े कि "हम एक यूनियन में रह रहे हैं एक फेडरेशन में नहीं।" सी० अन्नदोराई ने भारतीय सघ पर व्यंग्य करते हुए कहा था कि राज्यों की स्थिति "खराब पाने वाले निगमों" के समान है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में कहा था कि भारत "एक ऐसा सघ है जिसमें परम्परागत मधीय तत्वा के सार का अधिकांश अभाव है।"

आलोचकों का यह भी कथन है कि केन्द्र और अधिकांश राज्यों में एक दल के (कांग्रेस के) निरंतर सत्कारुढ रहने से राजनीतिक केन्द्रीकरण की शक्तियों को बल मिला है। जिस ढंग से राज्यों के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार के इशारों पर परिवर्तन किए जाते हैं, राज्यों के मन्त्रिमण्डलों को निर्मित, पदच्युत या उनमें हेर-फेर किया जाता है, स्थानीय चुनावों में (राज्य विधान सभा के चुनावों या अथवा निम्न सस्थाओं के चुनावों में) उम्मादवारों को टिकटें दी जाती हैं या राज्यपालों को नियुक्त या वापस बुलाया जाता है ये सब प्रवृत्तियाँ मधीय प्रणाली के अनुकूल नहीं।

उपरोक्त आलोचनाओं के बाद भी भारत को एकात्मक या अर्द्ध सघात्मक राज्य कहना भ्रामक है। वस्तुतः भारत अपने ही ढंग का एक विचित्र सघ है। यह शास्त्रीय या परम्परागत सघ (classical or traditional federation) से मेल नहीं खाता, इसमें सत्ता ऊपर से नीचे की ओर बहती है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं। भारतीय सघ सावभौम राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं। इसमें शक्ति संतुलन केन्द्र की ओर झुका हुआ है। निम्न तथ्य स्पष्ट करते हैं कि भारत एकात्मक या अर्द्ध सघात्मक राज्य नहीं बल्कि अपने ही ढंग का एक विचित्र सघ है जिसमें शास्त्रीय या परम्परागत सघ के पूरा गुण न होते हुए भी उसके आवश्यक गुण पाये जाते हैं—

1 यह सत्य है कि भारत में शक्ति सन्तुलन केन्द्र की ओर भुका हुआ है परन्तु इस आधार पर भारत की राजनीतिक व्यवस्था (प्रणाली) का एकात्मक या अर्द्ध सघात्मक कहना मिथ्या है। केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति आज विश्व में व्यापक रूप से विद्यमान है और शास्त्रीय या परम्परागत सघीय प्रणालियों में भी केन्द्रीकरण के तत्व विद्यमान हैं। अमरीकी राजनीति प्रणाली में भी, जिसे शास्त्रीय सघीय प्रणाली कहा जाता है, केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है। अतः केवल इतना है कि जहाँ अमरीका में केन्द्र की शक्तियाँ अधिक निरन्तर विस्तार यापिक निरूपण और अतिनिहित शक्तियों के सिद्धांत के विकास द्वारा हुआ है वहाँ भारतीय संविधान संवैधानिक उपबंधों द्वारा केन्द्र को शक्तिशाली बनाता है।

केन्द्र को शक्तिशाली बनाने में भारत के संविधान निर्माता भारत के ऐतिहासिक अनुभवों और विशेष परिस्थितियों से प्रभावित हुए थे। जो आलोचक केन्द्र के शक्तिशाली होने से उसकी राजनीतिक प्रणाली को एकात्मक या अर्द्ध सघात्मक कहना पसंद करते हैं वे इन ऐतिहासिक अनुभवों और विशेष परिस्थितियों की उपेक्षा करते हैं। वे भूल जाते हैं कि ये शक्तियाँ विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध सुरक्षा हैं, संवैधानिक कुशलता और राजनीतिक स्थिरता की गारण्टी हैं। डी० एन० बनर्जी ने ठीक लिखा है कि यदि भारत में केन्द्र शक्तिशाली नहीं हो तो "1960-61 के वागो गणराज्य की भाँति ही भारत की दशा हो सकती है।"¹ अणु युग आर्थिक नियोजन, सामाजिक और आर्थिक विकास और सुधार की आवश्यकताएँ भी शक्तिशाली केन्द्र की मांग करती हैं। केन्द्र का शक्तिशाली बनाने में भारत के संविधान निर्माता जहाँ अर्द्ध सघीय प्रणालियों के अनुभवों से प्रभावित हुए वहाँ वे भारत के इस ऐतिहासिक अनुभव को न भुला सके कि जब जब भारत में केन्द्रीय सरकार निर्बल बनी तब तब ही विदेशियों ने इस पर आक्रमण किया और इसका विनाश हुआ।

भारत की राजनीतिक अखण्डता की स्थिरता को बनाये रखने के लिए ही संविधान निर्माताओं ने 'फेडरेशन' (Federation) शब्द के स्थान पर 'राज्यों के संघ' (Union of States) शब्द का प्रयोग किया। इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता कि केन्द्र ने व्यवहार में अपनी शक्तियों का प्रयोग सघात्मक व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नहीं किया बल्कि राज्यों में राजनीतिक स्थिरता बनाये रखने के लिए तथा विघटनकारी शक्तियों को नष्ट करने के लिए किया है। अमरीका जैसे शास्त्रीय संघ में भी केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की अधिकार शक्ति का अतिक्रमण किया है। उदाहरणतया राष्ट्रपति लिंकन ने संघ को बचाने के लिए राज्यों की अधिकार शक्ति का अतिक्रमण किया, राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने आर्थिक मंदी के काल में ऐसी नीतियों का अनुसरण किया जो स्पष्टतः अमरीकी राज्यों की अधिकार शक्ति में हस्तक्षेप था।

2 यह सत्य है कि अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संसद कानून द्वारा राज्यों की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नामों को बदल

सकती है, उनके क्षेत्र को कम या अधिक कर सकती है। संक्षेप में, संसद काून द्वारा भारत के राजनीतिक नक्शे को पुनः खींच सकती है। इन सब परिवर्तनों में तो सर्वैधानिक संशोधन की आवश्यकता है और न ही सम्बंधित राज्यों की सहमति की। क्योंकि संविधान किसी राज्य के अविच्छिन्न अस्तित्व की गारण्टी नहीं देता इसलिए राज्यों का अस्तित्व संसद की दया पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति द्वारा सम्बंधित राज्य या राज्यों से परामर्श की व्यवस्था केवल औपचारिक है क्योंकि राज्यों के सकारात्मक परामर्श के बिना भी ऐसे विधेयकों को संसद में प्रस्तुत एवं पास किया जा सकता है और परामर्श लेने पर भी उसे स्वीकार या अस्वीकार करना केन्द्र पर निर्भर करता है। परन्तु इन सब तथ्यों के सत्य होते हुए भी भारतीय राजनीतिक प्रणाली को एकात्मक या अर्द्ध सघात्मक नहीं कहा जा सकता। प्रथम, राज्यों की सीमाओं में, संसद द्वारा परिवर्तन की मांग, स्वयं राज्यों ने की थी। संसद ने इस शक्ति को राज्यों से छीना नहीं। दूसरे, अनुच्छेद 3 संसद को भारत के समूचे राजनीतिक ढांचे को नष्ट करने का अधिकार नहीं देता। अनुच्छेद 3 केवल एक या कुछ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन तक सीमित है और केन्द्र की एक या कुछ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति को समूची सघीय शासन प्रणाली को नष्ट करने की शक्ति नहीं कहा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने भी "मूल अधिकारों" के मुकदमे में (1973) ठीक ही अग्रलान्कित किया है कि "संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती और संघवाद इसकी आवश्यक विशेषता है।" संविधान सभा के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भारतीय संघ को अविलेय (स्थिर—Indissoluble) संघ की सजा दी और डा० अम्बेदकर ने इसे अविनाशी (अमर—indestructible) संघ की मजा दी। तीसरे, संविधान भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था (dual polity) की स्थापना करता है। जसाकि डा० अम्बेदकर ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि "संविधान दोहरी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है, एक केन्द्र में और दूसरी राज्यों में और प्रत्येक को संविधान सभा ने अपने अपने क्षेत्र में सम्पूर्ण शक्तियाँ दी हैं।"¹ इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता कि राज्य सरकारें केन्द्र के प्रशासनिक अभिकरण नहीं। राज्य विधान सभाओं लघु (minor) विधान सभाय आवश्यक है परन्तु वे संसद के अधीन निकाय नहीं। राज्य विधान सभाओं की स्थिति नगरपालिकाओं जसी नहीं और उनके द्वारा पास किये गये कानूनों पर संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी राज्यों के अपने विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र है जिन्हें वे सीधे संविधान से प्राप्त करते हैं केन्द्र से नहीं।² केन्द्र तो स्वयं अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त करता है। संविधान की

1 See C A D Vol, VII p 31

2 C A D Vol VIII p 33

सर्वोच्चता, दोहरी राजनीतिक व्यवस्था और सघ तथा एका का प्रपन प्रपने क्षेत्र में सम्प्रभु होने कादि तत्वों को भारतीय राजनीति प्रणाली, अथ सघीय सविधानों की भांति, स्थायी बनाये रगतो है ।

3 अनुच्छेद 249 या अनुच्छेद 352 म 360 तक का महारा लेखर जो घानोकर भारत को एकात्मक या अद्वय सघात्मक राज्य को सजा दते हैं ये भूल जात हैं कि इन अनुच्छेदों की प्रिया अल्पकालीन रहती है स्थायी नहीं । भारतीय सविधान जहां "राष्ट्रीय हित" 1 म या "सकट की स्थिति" 2 म विशेष प्रावधान करता है वहा वही सविधान "दोहरी परिवर्तनीयता (two-way convertibility)" 3 का प्राश्वासन भी देता है । यदि राज्य सभा अनुच्छेद 249 के अतगत दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव द्वारा ससद को राज्य सूची म दिये गये किसी विषय पर कानून बनान के लिय अधिवृत्त कर सगती है तो सविधान यह भी कहता है कि ऐसा कानून एक वष तक ही लागू किया जायगा । इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सगती कि जब राज्य सभा जो राज्या का प्रतिनिधित्व करती है, दो तिहाई बहुमत से किसी प्रस्ताव को पास करती है तो इसका अर्थ है कि वह प्रस्ताव दो तिहाई राज्य विधान सभाओं द्वारा अनुमोदित किया गया है । इस तरह राज्य सभा के प्रस्ताव पर जब ससद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून का निर्माण करती है तो इसे राज्य के अधिवार क्षेत्र म केंद्र या ससद का अनुचित हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता ।

सकटकालीन शक्तिया का प्रयोग अर्थात् अनुच्छेद 352 से 360 तक का प्रयोग केवल सकटकाल म ही हो सकता है और उनका प्रभाव सकटकाल तक ही रहता है जो स्थायी नहीं होता अल्पकालीन रहता है । उदाहरणतया अनुच्छेद 352 का प्रयोग सामान्य सकट उत्पन्न होने पर किया गया, सघ या सघीय सम्प्रदा को नष्ट करने के लिए नहीं । यह ठीक है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अर्थात् राज्यों में राष्ट्रपति शासन (President rule) की स्थापना कई बार राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर की गयी परंतु यहा भी राष्ट्रपति शासन को स्थायी नहीं बनाया गया बल्कि उत्तरदायी सरकार को पुन स्थापित कर दिया गया । एम० वी० पायली ने ठीक लिखा है कि सकटकालीन शक्तियों का प्रयोग 'उत्तरदायी शासन की पुनस्थापना की दृष्टि से किया गया है ।' 4 इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सगती कि सकट की घोषणा को ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और ससद की अनुमति

1 Art 249

2 Art 250 and Art 352 to 360

3 See Alexandrowicz C H Constitutional Developments in India (Oxford University Press, p 1957) 159

4 Pylee M V Constitutional Government in India (Asia Publishing House, 1960) p 585

मिलने पर ही उसे जारी रखा जा सकता है। संसद में राज्यों की जनता का प्रतिनिधित्व होता है, राज्य सभा तो राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है।

अवशिष्ट शक्तियों अर्थात् अनुच्छेद 248 के आधार भी भारत की राजनीतिक प्रणाली को एकात्मक या अर्द्ध सघात्मक कहना भ्रामक है। प्रथम, कनाडा जैसे सघ में अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को सौंपी गयी हैं। दूसरे, भारतीय संविधान को अनुसूची सात में केन्द्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा इतना विशुद्ध और व्यापक है कि अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग की आवश्यकता आज तक अनुभव नहीं की गयी।

4 अंग्रेज भारतीय संघों, एकीकृत या व्यवस्था, एकहरी नागरिकता, सामान्य दीवानी और फौजदारी कानून, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति आदि तत्त्व राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने में सहायक हैं। परन्तु ये या अन्य ऐसे ही तत्त्व भारत की सघीय व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। ये सब तत्त्व इन मौलिक तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं करते कि केन्द्र और राज्यों में समदात्मक प्रणाली विद्यमान रहेगी। राज्य की वायपालिका का राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होना प्रांतीय स्वायत्तता का प्रतीक है, प्रांतों की अधीनता का नहीं इससे प्रांतों में पर्याप्त स्वतंत्रता विद्यमान रहती है। प्रो० एलेक्जेंड्रोविच ने ठीक लिखा है कि "स्थानीय विधान मण्डल के प्रति पूरा उत्तरदायी स्थानीय वायपालिका पर्याप्त सीमा तक स्थानीय आंतरिक प्रभुता का सुनिश्चित कर देती है।"¹

5 एकहरी नागरिकता का तत्त्व भी भारत के सघीय ढांचे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। वस्तुतः भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वह कहीं भी निवास करता हो अन्य सघीय देशों के नागरिकों की भांति दो प्रकार के (केन्द्र और राज्यों के) कानूनों का पालन करता है, दो प्रकार के कराओं का भुगतान करता है और दो प्रकार के पदाधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करता है। एकहरी नागरिकता का तत्त्व राज्य विधान मन्त्रालय के कानूनों के प्रति अभिन्न पदा नहीं करता। यह तत्त्व तो केवल राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को पुष्ट करता है।

6 यह सत्य है कि अब तक केन्द्र और अधिकांश राज्यों में राजनीतिक सत्ता एक दल (कांग्रेस) के हाथों में केन्द्रित होने से केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को अत्यधिक बढ़ावा मिला है। क्योंकि कांग्रेस दल का संगठन एकात्मक है और दलीय अनुशासन इसकी मांग करता है, केन्द्र और राज्यों के सघीय सम्बन्धों पर इसका प्रभाव होना स्वाभाविक है। यह भी सत्य है कि कांग्रेस हार्ड कमाण्ड के आदेश, निर्देशन और नियंत्रण पर केन्द्र और राज्यों के सघीय विवादों को निपटाया गया है, राज्यों की राजनीति में हेर फेर किये गये हैं, मुख्य मंत्रियों का चयन किया गया है, राज्य मंत्रिमण्डल को बनाया या मिटाया गया है, राज्यपालों का नियुक्त या वापस बुलाया गया है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। परन्तु ये सब उस

समय तब सम्भव है जब तक कांग्रेस का केन्द्र और राज्यों पर बहुत नियंत्रण है। ज्योंही यह बहुत नियंत्रण विच्छिन्न होता है या 1967 के चुनाव परिणामों की पुनरावृत्ति होती है (जसा कि जून 1975 के गुजरात चुनावों के बाद जनता मोर्चे की सरकार का निर्माण हुआ है) या 1969 की भाति कांग्रेस का विभाजन होता है या डी० एम० के० जैसी क्षेत्रीय भावनाओं पर आधारित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास होता है या पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु जैसे प्रादेशिक कांग्रेस दलों की भाति अपनी ससजकता (Cohesiveness) और सार्वजनिक गतिशीलता (Public mobility) के कारण, केन्द्र के नियंत्रण से पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं।¹ तो भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की शक्तियों को बल मिलना स्वभाविक है। इन स्थितियों में केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध सघीय प्रणाली पर ही आधारित रह सकते हैं। इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि भारत के विशाल क्षेत्र का, जिसमें भिन्न भिन्न धर्मों वाली भिन्न भिन्न भाषाओं वाली जातियाँ निवास करती हैं सघात्मक आधार पर ही संगठित रखा जा सकता है और इनमें क्षेत्रीय नेतृत्व का विकास, जिसके बिना अनेक राज्यों में आज भी विद्यमान है, स्वभाविक है। पंचायती राज भी क्षेत्रीय नेतृत्व के विकास में सहयोग ही प्रदान करेगा। रामट एल हाडग्रेव जूनियर ने ठीक लिखा है कि "राज्य ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ राजनीति में भाग लेने की प्रवृत्ति में नाटकीय विस्तार हो सकता है, यही एम केन्द्र स्थान है जहाँ उभरती हुई भागें पेश की जा सकती हैं ये ही भारत के राजनीतिक विकास के परीक्षा स्थल हैं।"²

उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि भारत अपने ही ढंग का एक विशिष्ट सघ है। सविधान केन्द्र को शक्तिशाली बनाते हुए भी सघीय सिद्धांत को मान्यता देता है। यद्यपि यह शास्त्रीय परम्परागत ढंग के सघ से मेल नहीं खाता परन्तु फिर भी इसमें आवश्यक सघीय विशेषतायें विद्यमान हैं। यह भिन्न भिन्न राज्यों से मिल कर बना है इसमें दोहरी राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें विषयों का विशुद्ध एवं व्यापक विभाजन है, राज्यों के मंत्रिमण्डल राज्य विधान सभाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। जसाकि अलेक्जेंडर डोबिचन लिखा है कि "भारत निःसंदेह एक सघ है जिसमें सम्पन्नता केन्द्र और राज्यों में विभाजित है।"³ आइवर जेनिंग्स ने भी लिखा है कि भारत "सुदृढ़ के साथ एक सघ है।"

1 See Franda, Marcus F Ibid, pp 179, 190, 201-204

2 Hardgrave Jr Robert L India Government and Politics in a Developing Nation (Harcourt Brace & World Inc New York 1970) p 83

3 See Alexandrowicz, Ibid C H Ibid p 169

भारतीय सघवाद का सहकारी स्वरूप

(Co operative Aspect of Indian Federalism)

पिछले पन्ना में जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि सघवाद कोई निश्चित या स्थायी विचारधारा नहीं। समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं ने शास्त्रीय या परम्परागत सघवाद की विचारधारा में परिवर्तन ला दिए हैं। आधुनिक सघीय राज्यों की प्रकृति शास्त्रीय या परम्परागत सघीय राज्यों से मेल नहीं खाती। इनकी प्रकृति मध्यम मार्गी है। इनकी प्रकृति, जसाकि रानाल्ड ज० मे० निया है "एकात्मक सरकार और सम्प्रभु राज्यों के ढीले सघ के बीच की है।" आधुनिक सघीय राज्यों में केन्द्रीय और एकका की सरकार समक्ष और स्वायत्त हाते हुए भी "एक ही प्रणाली के अभिन्न अंग समझी जाती है जिसमें अनेक अति-व्यापी उप प्रणालियाँ विद्यमान होती हैं।" केन्द्र और एकका की सरकारें अपने सामान्य उद्देश्या (लाभ कल्याणकारी राज्य के उद्देश्या) को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर होती हैं।

भारतीय राजनीतिक प्रणाली सहकारी सघवाद का प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। इस सहकारी सघ में केन्द्रीय और राज्य सरकारों में सहयोग की भावना व्याप्त है। इसमें प्रतिद्वन्द्विता, सघप और दमन के स्थान पर प्रयोग, सहयोग, समन्वय और अनुनय पर बल दिया जाता है। इसमें प्रांतीय या क्षेत्रीय स्वायत्तता के नाम पर न तो प्रादेशिक अखण्डता की मांग की जाती है और न ही पारस्परिक सहयोग की बलि दी जाती है। इसमें राष्ट्र की समस्याओं का निराकरण करने के लिए राष्ट्र के समूचे स्रोतों को जुटाया गया है। इसकी मायता है कि निधनता और बेरोजगारी की समस्याएँ, बीमारी, दुर्भिक्ष और बाढ़ जसी प्राकृतिक विपदाएँ, सामाजिक और जातीय भेदभाव की सामाजिक समस्याएँ तथा आर्थिक शोषण आदि की समस्याएँ किसी प्रदेश या क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं। इसका विश्वास है कि इन तथा अन्य ऐसी ही समस्याओं का निराकरण सामाजिक और आर्थिक नियोजन तथा परम्पर सहयोग द्वारा ही हो सकता है।

भारतीय संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण पारिवारिक था। वे समूचे राष्ट्र के हितों में प्रभावित थे, प्रांतीय हितों से नहीं। उन्होंने अखण्ड, सहकारी भारत की कल्पना की जिसमें सभी सदस्य पारिवारिक सुरक्षा का आनन्द प्राप्त करें और उसकी सामाजिक और आर्थिक सम्पन्नता के लिए परस्पर सहयोग करें। जैसाकि आस्टिन ने लिखा है कि "वे एक परिवार के सदस्य थे, उन्हें पहली बार अपने घर की मिलकियत प्राप्त हुई थी। उसमें उन्हें इकट्ठे रहने का रास्ता ढूँढना था। यदि उनका जीवन का ठप्प नहीं होना था तो उन्हें पारस्परिक सहायकता के समझौते का आधार पर सदस्यों के सम्बन्धों का निर्धारित करना था। यह महत्वागी सघ के आधार पर हो सकता था।"¹

इससे पूर्व कि उन संवैधानिक और गैर संवैधानिक (extra constitutional) संस्थाओं का उल्लेख किया जाय जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली को सहकारी सघ का स्वरूप देने में सहयोग देती हैं, सहकारी सघ के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ लेना अध्ययन की दृष्टि से लाभकारी होगा।

सहकारी सघ का अर्थ (Meaning of Copperative Federalism)— सहकारी सघ एक ऐसा सघ होता है जिसमें “सघीय और क्षेत्रीय सरकारें एक दूसरे पर बद्ध मान रूप से निर्भर करती हैं।”¹ अर्थात् दोनों सरकारें सामान्य राष्ट्रीय एवं लोक कल्याणकारी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर करती हैं। जितनी मात्रा में यह “पारस्परिक सहयोग” और ‘पारस्परिक समझ’ (mutual understanding) उपलब्ध होती है उतनी मात्रा में सघीय और क्षेत्रीय सरकारें अपने सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती हैं। इस दृष्टि से दोनों सरकारें “एक ही शासन व्यवस्था के परस्पर परिपूरक अंग” समझी जाती हैं।

सहकारी सघ के विचार का विकास यद्यपि बीसवीं शताब्दी की तीसरी और चौथी दशाब्दी में हो चुका था पर तु इसका अत्यधिक प्रयोग द्वितीय महायुद्ध के बाद हुआ है। सहकारी सघ के विकास ने सघ की परम्परागत विचारधारा का नष्ट नहीं किया बल्कि उसका विस्तार कर उसे एक नई दिशा पदान की है।

सहकारी सघ की विशेषताये (Main Features of Cooperative Federalism)— सहकारी सघ की मुख्य विशेषताये निम्न ह —

1 जहां सघ के परम्परागत सिद्धांत में सघ और एकता की सरकारें अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में एक दूसरे से स्वतंत्र समझी जाती हैं अर्थात् अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में सम्प्रभु समझी जाती हैं वहां सहकारी सघ में व समकक्ष और स्वायत्त होते हुए भी उनमें पारस्परिक सहयोग और पारस्परिक समझ पर बल दिया जाता है। सहकारी सघ में सघ और एकता में प्रतिद्वन्द्विता, सघ पर दमन के स्थान पर प्रयोग, सहयोग समन्वय और अनुमय पर बल दिया जाता है।

2 सहकारी सघ में सघीय सरकार एकको की सरकारों की तुलना में, संवैधानिक तौर पर, अधिक सुदृढ, शक्तिशाली और महत्त्वपूर्ण होती है। विशेष परिस्थितियों में तो सघीय सरकार की स्थिति प्रधान और निर्यातात्मक होती है।

3 सहकारी सघ में एकको की सघीय स्रोतों में अनुदान देने की व्यवस्था होती है। यद्यपि सघ और एकता के विच्छिन्न स्रोत पृथक् पृथक् होते हैं पर तु एकक सामान्यतः अपनी विकासवादी याजनाओं की कार्याविति के लिये सघीय अनुदानों पर निर्भर करने हैं।

4 सहकारी सघ में राष्ट्र के समूचे धन का प्रयोग सभी क्षेत्रों के समुचित विकास के लिये किया जाता है। यही कारण है कि सहकारी सघ में सामाजिक और आर्थिक नियोजन पर सघीय सरकार का नियंत्रण होता है।

5 सहकारी सघ और एकको या परस्पर एकको के विवादो का निपटारा करने के लिये मुकदमेवाजी का सहारा नहीं लिया जाता बल्कि गोष्ठियो, सम्मेलना और क्षेत्रीय परिषदो का सहारा लिया जाता है। कुछ परिस्थितियो म विवादा को निपटाने की शक्ति सघीय सरकार को ही सौंप दी जाती है ताकि मुकदमेवाजी को बढावा न मिले। उदाहरणतया, भारत मे नदिया के जल से उत्पन होने वाले विवादो का निपटारा ससद कानून द्वारा कर सकती है¹ राष्ट्रपति चाहे तो ऐसे विवादो पर भी सर्वोच्च न्यायालय से परामश ले सकता है।

सहकारी सघ की सस्थायें

(Institutions of Co operative Federalism)

जिन सर्वैधानिक और गैर सर्वैधानिक सस्थाओ ने भारत की राजनीतिक प्रणाली को सहकारी सघ का स्वरूप देने म सहयोग दिया है उनम मुख्य निम्न है —

1 योजना आयोग (Planning Commission)—योजना आयोग एक ऐसी गैर सर्वैधानिक (extra-constitutional) सस्था है जिसने सहकारी सघ के विकास मे अत्यधिक योगदान दिया है। इसे ठीक ही "सहकारी सघ (Co operative Federalism) और "सयुक्त प्रशासन" (Coalition Administration) की सजा दी गयी है। परन्तु कुछ लेखक ऐसे भी है जो योजना आयोग को राज्या के क्षेत्राधिकार मे हस्तक्षेप का "नवाब" मानते हैं। इनका कहना है कि जब योजना आयोग ही योजनाओ को निर्मित करता है, उन पर नियंत्रण लेता है, निर्देशन देता है तथा उनकी पूर्ति के लिये अधिकांश धन-राशि देता है ता राज्या के पास शेष करन को रह ही क्या जाता है।² के० सन्धानम का विश्वास है कि योजना आयोग ने सघीय ढांचे का ही विस्थित (supersede) कर दिया है। यह सत्य है कि प्रावधिग और आर्थिक सहायता प्रदान करने के कारण योजना आयोग राज्या को निर्देशन देने की स्थिति म हे पर तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उसने सघीय ढांचे का विस्थित कर दिया है। योजना आयोग द्वारा आयोजित गोष्ठियो और सम्मेलना तथा उसके द्वारा जारी किये गये निर्देशनों का उद्देश्य योजनाओ के कार्यक्रम का पूरा करना तथा लाभ कल्याणकारी और विकासवादी कार्यों को सफल बनाना होता है। इस तरह योजना आयोग 'सहयोग' और 'साभेदारी' का अद्वितीय उदाहरण है। आयाग मामाजिक और आर्थिक योजनाओ को निर्धारित करत समय राज्या के विचारो की उपशा नहीं करता बल्कि उनका आदर करता है। आयोग इस बात को गही भूतता कि जहा योजनाओ का निर्मित करने मे उसकी स्थिति निष्णात्मक है वहा उसकी कायाचिति राज्या के आर्थिक स्रोता और इच्छा पर निर्भर करती है। राज्या म योजनाओ की

1 Sec Art 262

2 See Rao K V Planning and the Problem of Administration in Indian Journal of Pol Sc Vol XIV, No 4 p 367 Quoted by Johari J C Ibid, p 174 Rao says The Centre plans the Centre decides, the Centre directs and the States are unable to do anything positive except waiting at the door of the Planning Commission for doles

कार्यावधि के लिये राज्य विधान सभाओं की अनुमति की आवश्यकता भी होती है जहाँ उन्हें चेतावनी भी दी जा सकती है।

भारत के सामाजिक और आर्थिक नियोजन में सहकारिता का प्रत्यक्ष उदाहरण राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) की स्थापना है। इस परिषद् में केवल योजना आयोग के सदस्य ही नहीं होते बल्कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्य और राज्यों के मुख्य मंत्री भी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में योजना आयोग के निष्णयो का र्थोपा नहीं जाता बल्कि इसमें प्रजातांत्रिक ढंग से विचार विमर्श के बाद निष्णय लिय जाते हैं। परिषद में लिये गये निष्णय का आदर केन्द्र और राज्य सामान्यतः करते हैं। इस दृष्टि में परिषद् 'सर्वोपरि मंत्रिमण्डल' (Super Cabinet) है अर्थात् यह ऐसा मंत्रिमण्डल है जो सभ और राज्य सरकारों के लिये कार्य करता है।

2 क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Council)—य वधानिक सस्थायें हैं। इनकी स्थापना सन् 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद की गयी थी। इनकी स्थापना पड़ोसी राज्या में पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिये की गयी थी। क्योंकि ये परिषदें क्षेत्र में सम्मिलित राज्या में सामूहिक चिन्तन की आदत पैदा करती हैं इसलिये ये राज्यों में भावात्मक एकता उत्पन्न करने में सहायक हो सकती हैं। इन परिषदों के माध्यम से राज्यों में अनावश्यक प्रतिद्वन्द्विता को समाप्त किया जा सकता है, सीमा विवादों, भावात्मक अल्पमत वाली (Linguistic minorities) की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है तथा अंतरराज्यीय परिवहन (Inter State Transport) क्षेत्र में सम्मिलित राज्या की विधायी और कार्यपालिका शक्तियाँ पर किसी प्रकार की आघात वित्त बिना क्षेत्र के मानवीय और भौतिक साधनों का क्षेत्र के सामूहिक विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

क्षेत्रीय परिषदें ऐसी अंतरराज्यीय मंच (Inter State forum) हैं जहाँ सामान्य हित के विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है, भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों एवं विचारों का अभिव्यक्त किया जाता है, उनमें समन्वय किया जाता है तथा राष्ट्रीय हित में समझौते किये जाते हैं। परिषदें क्षेत्र में सम्मिलित राज्या के लिये सामान्य मिलन स्थल (A common meeting ground) हैं जहाँ सहकारी प्रयासों में राज्या या सम्मिलित किया जाता है ताकि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास योजनाओं में एक दूसरे का सहयोग प्राप्त किया जा सके। राष्ट्रीय एकता एवं सुदृढ़ता का उत्पन्न करना तथा विघटनकारी शक्तियों का दमन करने में परिषदें 'रामबाण' सिद्ध हो सकती हैं। यह बात ध्यान देने की है।

परिषद एक विचार विमर्शमय और परामर्शदात्री निकाय है। इनमें निष्णय बाध्य नहीं होने मद्यपि सामान्यतः उनका आदर किया जाता है। इनमें निष्णय सामान्य महत्त्व में लिये जाते हैं। सामान्य हित के विषयों पर विचार विमर्श करने के लिये ही क्षेत्रीय परिषदों की सामान्य उद्देश्यता का भी प्रायः अनुमान किया जा सकता है।

परिपदों के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं

- (1) देश में भावात्मक एकता के उद्देश्य को प्राप्त करना ।
- (ii) प्रातवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना ।
- (iii) सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में राज्या और केन्द्र में सहयोग की भावना उत्पन्न करना तथा विचार विमर्श द्वारा ऐसी सामान्य नीतियों का अनुसरण करना जो सामान्य हित में सहायक हैं और सामाजवादी समाज (Socialist society) के उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सहायता देती है ।
- (iv) मुख्य विकासवादी योजनाओं में एक दूसरे का सहयोग करना ।
- (v) देश के भिन्न क्षेत्रों में किसी प्रकार के राजनीतिक सन्तुलन (Political equilibrium) को प्राप्त करना ।

प्रत्येक क्षेत्रीय परिपद में एक केन्द्रीय मंत्री (जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जो परिपद का चेरमन (अध्यक्ष) होता है क्षेत्र में आने वाले राज्यों के मुख्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य में अथवा दो दो मंत्री (जिनकी नियुक्ति सम्बन्धित राज्यपाल करता है) सदस्य होते हैं। परिपद का एक सचिवालय भी होता है जिसमें एक सचिव, सह सचिव और अथवा पदाधिकारी भी होते हैं। क्षेत्र में आने वाले राज्यों के मुख्य सचिव बारी बारी से सचिवालय का प्रधान होता है। परिपद की बैठकों में, इन सदस्यों के अतिरिक्त, क्षेत्र में आने वाले सभी राज्यों के विकास आयुक्त (Development Commissioner) और योजना आयोग का एक सदस्य परामर्शदाता के रूप में भाग लेते हैं।

क्षेत्रीय परिपदों क्षेत्रीय सहयोग के अद्वितीय उदाहरण हैं। ये इस बात की प्रतीक हैं कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का विभाजन होने पर भी एक क्षेत्र के लोग सामान्य समस्याओं का सामान्य हल ढूँढ सकते हैं और सामान्य विकास योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं—विद्युत् शक्ति का समन्वित विकास इसका मूल उदाहरण है। एम० वी० पायली ने ठीक लिखा है कि “क्षेत्रीय परिपदों ने पड़ोसी राज्यों में सामान्य समस्याओं पर सहयोग की भावना की प्रवृत्ति में वृद्धि की है।”¹

3 सकटकालीन व्यवस्थाएँ—यें सर्वघानिक व्यवस्थाएँ हैं। यह ठीक है कि सघीय सरकार इन शक्तियों का (अनुच्छेद 352 से 360 तक का) प्रयोग करके, बिना संवधानिक संशोधन के, भारत के संघात्मक स्वरूप को एवात्मक स्वरूप में बदल सकती है परन्तु संकट तो ऐसी गम्भीर स्थिति होती है जिसका सामान्य गम्भीर उपायों से ही हो सकता है और जब कभी सगठित सरकारों के अस्तित्व को गतरा उत्पन्न हुआ है तभी उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिये ऐसे कदम उठाये हैं। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि वह इन गम्भीर स्थितियों का सामना

करण के लिये तथा देश की अखण्डता को बचाने के लिये सर्वैधानिक व्यवस्था करता है। पिछले 25 वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि सकटकालीन शक्तियों का प्रयोग भारत की सघीय व्यवस्था को नष्ट करने के लिये नहीं बल्कि उसे "सहारा" देने एवं उसे "सुदृढ़" करने के लिए किया गया है। जैसाकि श्रीराम शर्मा ने कहा कि "सघ द्वारा असाधारण शक्तियों के ग्रहण करने से सघ और राज्यों के सम्बन्ध पर कोई आधारभूत प्रभाव नहीं पड़ा।"¹ यह सत्य है कि कभी कभी अनुच्छेद 356 का प्रयोग, अर्थात् राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करने की व्यवस्था का प्रयोग, दलीय भावनाओं से प्रभावित होकर किया गया परन्तु सामान्यतया इसका प्रयोग उस समय किया गया जब राज्य मंत्रिमण्डल ने इसकी स्वयं मांग की या राज्य की राजनीति अस्थिर और अस्पष्ट होने से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना कठिन था। कई बार तो केन्द्र ने प्रांतों में स्वतंत्र निर्वाचन कराने के उद्देश्य से इनका प्रयोग किया। इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता कि सकट के समाप्त होते ही प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना पुनः कर दी गयी।

4 वित्त आयोग (Finance Commission)—वित्त आयोग भी एक सर्वैधानिक संस्था है जिसने सहकारी सघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है परन्तु इसने अपने प्रतिवेदनो में स्वतंत्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया है। यह राजनीतिक दबाव से असूता रहा है। इसने अपने प्रतिवेदनो में ऐसे सुझाव दिये हैं जो सघ की वित्त व्यवस्था को स्थिर बनाते हैं। जैसाकि एक लेखक ने लिखा है कि "वास्तव में आयोग सघ और राज्यों के बीच एक ऐसे प्रत्यावरोध का कार्य करता है जो एक ओर तो निरंतर अधिक वित्त की मांग करने वाले राज्यों में राजनीतिक दबाव से सघ की रक्षा करता है और दूसरी ओर आवश्यकता ग्रस्त राज्यों को यथासम्भव सहायता प्राप्त कराने के लिये सघ को विवश करता है।"² सघ के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा करना कठिन है।

आज तक कुल 6 वित्तीय आयोगों को नियुक्त किया गया है। केन्द्र ने इनकी सिफारिशों को यथासम्भव स्वीकार किया है। वित्तीय आयोग की सिफारिशों में राज्यों को लाभ ही हुमा है। राज्यों को अनुदान में दी जाने वाली राशि वित्तीय आयोग की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती है, केन्द्र के स्वनिर्णय (discretion) पर नहीं। एक दृष्टि में तो केन्द्र के वित्तीय स्रोतों से राज्यों को अनुदान की व्यवस्था राज्यों द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तक्षेप कहा जा सकता है। परन्तु यह व्यवस्था भारत के सभी क्षेत्रों के समुचित विकास के लिये की गयी है।

1 Sharma, Sri Ram, Ibid, p 47

2 एम० पा० राम की पुस्तक "भारतीय राजनीति एवं शासन (College Book Depot, Jaipur 2) से उद्धृत, पृ० 251

5 ग्रय सस्यायें-भारतीय सविधान ग्रय अनेक सस्यायो वा निर्माण करता है जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को "सहकारी" स्वरूप देने म सहायक है। य सस्यायें मुख्यत निम्न हैं—

(a) यह सत्य है कि राज्या के उच्च यायालयो के यायाधीशो, नियत्रक एव महालेखा परीक्षक एव मुख्य निर्वाचक आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है परन्तु ये सभी पदाधिकारी ऐसे पदो पर विद्यमान हैं जो स्वतत्र निकाय के रूप म काय करते हैं। सविधान भी इन पदाधिकारियो की सेवाम्रा की सुरक्षा करता है। उनके वेतन भारत की सचित निधि पर प्रभार होते हैं और उह विशेष प्रक्रिया द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। नियत्रक एव महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचक आयुक्त की स्वतंत्रता इतनी अधिक रखी गयी है कि पद निवृत्त होने पर वे किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किये जा सकते।

(b) अखिल भारतीय सेवायें यद्यपि केन्द्र के अधीन हैं परन्तु इन पर केन्द्रीय लोक सेवा आयोग (UPSC) का नियंत्रण है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय के रूप म काय करती है। इन सेवाम्रो के सदस्य न तो केन्द्र के कटुयुक्ती मात्र होते हैं और न ही राज्यों के (जहा वे अपनी सेवाम्रो का अधिष्ठा सन्य व्यतीत करते हैं)। वस्तुत इन् सेवाम्रो का प्रभार पृथक्, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिष्ठा सन्य व्यतीत करते हैं। भारतीय प्रशासन की "रीड की हडडी है।" य दनदन्त के उन्मार्गो मे प्रभावित ये भारतीय प्रशासन की "रीड की हडडी है।" य दनदन्त के उन्मार्गो मे प्रभावित नहीं होते बल्कि राष्ट्रीय हित से प्रभावित हात है। इन् उन्मार्गो मे प्रभावित होता है, एक तरफ राज्या को योग्य सेवाम्रो को उन्मार्गो मे प्रभावित तरफ सारे दश का प्रशासन एक कडी मे मुदा टूटा है। इन्हें ठीक ही भाग्य व समीकरण और एकता प्राप्ति के उपकरण गृहा का है।

(c) एकल यायिक व्यवस्था न उन्मार्गो सन्य मे मर्यादा दित है। भारत की निम्न से निम्न यायालय भी (भारत मे कर्नाटका की भांति निम्न मरीच यायालय नहीं है) सधीय कानूनो की अवहलना के मुकामो को सुनवाई कर मानी है। एह दृष्टि मे तो यह एकको का सधीय क्षेत्र मे हस्तगत है।

(d) सघ के अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वो न नी महत्वागी मघ व विह्वल सहयोग दिया है। इन उत्तरदायित्वो न राज्यों का ही नाम टूटा है। उन्मार्गो शिक्षा स्वास्थ्य काय की शक्तो सामाजिक सुख्य जन अन्मार्गो या समवर्ती सूची म। यदि इन उत्तरदायित्वो क निम्नान म उन्मार्गो मे हस्तक्षेप सयभा जाता है तो सन्य अन्मार्गो उत्तरदायित्वो केन्द्र की प्रभुता म हस्तगत है।

उपयुक्त वल्लन स स्पष्ट है कि नागरीय मविधान का ता उन्मार्गो है।

समीक्षा प्रश्न

(Review Questions)

- 1 "भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में "संघ" के स्थान पर "राज्यों के संघ" की स्थापना की है।"
- 2 "भारतीय संविधान अ संघात्मक अर्थात् एकात्मक संविधान है।" (डा० के० पी० मुखर्जी) क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? कारण लिखिये।
- 3 "भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का ढांचा संघात्मक है परंतु यह ढांचा इतना कठोर है कि वह एकात्मक है।" विवेचना कीजिये।
- 4 "सामान्यतया भारत का संविधान संघात्मक है परंतु सकट काल में यह एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है" व्याख्या कीजिये।
- 5 "भारतीय संविधान एक साथ संघात्मक और एकात्मक है।" इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
- 6 "भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण विश्व में विचित्र है।" विवेचना कीजिए।
- 7 "भारतीय संविधान एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें संघीय तत्व गौण हैं न कि एक ऐसे संघात्मक राज्य की जिसमें गौण रूप से एकात्मक तत्व हों।" (हॉयस) इस कथन की समीक्षा कीजिए।
- 8 भारतीय संविधान "अर्द्ध संघात्मक" (quasi federal) है। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं ? कारण सहित उत्तर लिखिये।
- 9 "संघीय राज्य का स्वरूप अंतिम रूप में दलीय व्यवस्था और आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? भारतीय अनुभव के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिये।
- 10 "भारतीय संघवाद का स्वरूप सहकारी है" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? उन संस्थाओं का वर्णन कीजिये जो इस सहकारी संघ के त्रिआशील होने में सहायक हैं।

संघ-राज्य सम्बन्ध (Union-State Relations)

संविधान के भाग XI के 19 अनुच्छेदों में (अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक) संघ राज्य सम्बन्धों का वर्णन सविस्तार किया गया है। संविधान का यह भाग 2 अध्यायों में विभक्त है। अध्याय एक में ग्यारह अनुच्छेद हैं (अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक) जो संघ राज्य के विधायी सम्बन्धों का उल्लेख करते हैं, अध्याय दो में आठ अनुच्छेद हैं (अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक) जो संघ-राज्य में प्रशासनिक सम्बन्धों का उल्लेख करते हैं। भाग XI का अध्याय एक सूची प्रणाली (List System) को अभिव्यक्त करता है। अनुसूची 7 (Schedule VII) में विषयों की तीन सूचियाँ का उल्लेख है जिन्हें क्रमशः संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहा गया है। भाग XI और अनुसूची VII के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में अनेक अनुच्छेदों द्वारा संघ राज्य सम्बन्धों को गम्भीरतापूर्वक प्रभावित करते हैं।

संघ-राज्य सम्बन्धों का अध्ययन निम्न तीन शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है —

- A संघ और राज्य में विधायी सम्बन्ध।
- B संघ और राज्य में प्रशासनिक सम्बन्ध।
- C संघ और राज्य में वित्तीय सम्बन्ध।

A संघ और राज्य में विधायी सम्बन्ध (Legislative Relations between the Union & the State)

संघात्मक शासन की एक अनिवार्य आवश्यकता संघ और उसके एकात्मक विधायी शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का यह विभाजन सामान्यतः दो आधारों पर किया जाता है। एक आधार तो वह है जिसमें संघ की शक्तियों को परिणित एवं निर्दिष्ट (enumerated & specified) किया जाता है और अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) संघ के एकको को सौंप दी जाती हैं। अमेरिका और आस्ट्रेलिया में शक्तियों के विभाजन के इसी आधार को स्वीकार किया गया है। इस में भी अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के एकको के पास हैं। दूसरा आधार यह है

जिसमें सघ के एकको की शक्तियों को परिगणित एव निर्दिष्ट किया जाता है और अवशिष्ट शक्तिया सघ या केन्द्र (Union or Centre) को सौंप दी जाती है। कनाडा में शक्तियों के विभाजन के इस आधार को स्वीकार किया गया है। शक्तियों के विभाजन में, न्यूनाधिक मात्रा में, भारतीय संविधान कनाडा संविधान का अनुसरण करता है परन्तु फिर भी शक्तियों के विभाजन में भारतीय संविधान की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ हैं।

कायपालिका शक्ति विधायी शक्ति की सहविस्तारी¹ होती है। इसलिये भारत के संविधान निर्माताओं ने विधायी शक्तियों का विभाजन सूक्ष्म, विस्तृत एव स्पष्ट किया है। यह विभाजन इतना विस्तृत एव स्पष्ट है कि सघ और राज्य के विधायी क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में विवाद या मुकदमेबाजी की गुञ्जाइश ही नहीं रहती।

संसद और राज्य विधान सभा की विधायी शक्तिया—संविधान के भाग XI के प्रथम एक के ग्यारह अनुच्छेदों में (अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक) सघ और राज्य के विधायी सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 31(3), 200, 288(2), 304(b), 356, 537 जैसे अनेक अनुच्छेद संविधान के अग्र भागों में बिखरे पड़े हैं जो सघ-राज्य के विधायी सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं।

अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद सारे भारत या उसके किसी भाग के लिये कानून का निर्माण कर सकती है जबकि राज्य विधान सभा राज्य या उसके किसी भाग के लिये ही कानून का निर्माण कर सकती है। दूसरे शब्दों में, जहाँ राज्य विधान सभा की विधायी शक्तियों में क्षेत्रीय सीमाएँ हैं वहाँ संसद की विधायी शक्तियों में कोई क्षेत्रीय सीमाएँ नहीं हैं। संविधान तो संसद के क्षेत्रातीत अधिकारों (extra territorial powers) की बात भी करता है परन्तु संसद के क्षेत्रातीत अधिकारों की बात अनावश्यक है क्योंकि भारतीय संसद द्वारा बनाये गये कानून दूसरे देशों में लागू नहीं होते। विदेशों में गये भारतीय नागरिकों पर ये कानून अवश्य लागू होते हैं परन्तु इन कानूनों के अंतर्गत तभी कायवाही की जा सकती है यदि वे भारतीय नागरिक भारत लौट आये।

दूसरे, संविधान इस बात की स्पष्ट व्याख्या करता है कि यदि कोई प्रांतीय (राज्य) कानून सघीय कानून के विपरीत है तो प्रांतीय (राज्य) कानून उस मात्रा तक अवैध (void) होगा जिस मात्रा तक वह सघीय कानून के विपरीत है। दूसरे शब्दों में सघीय सूची का राज्य सूची और समवर्ती सूची से प्राथमिकता दी जाती है और समवर्ती सूची को राज्य सूची से प्राथमिकता दी जाती है।

अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद को सघीय सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। राज्य विधान सभाओं को राज्य सूची

1 See Gupta, D C Indian National Movement and Constitutional Development p 534 -

मे दिये गये विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार है। ससद और राज्य विधान सभाओं द्वारा ही समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। परन्तु यदि समवर्ती सूची में दिये गये किसी विषय पर राज्य विधान सभा के कानून और उसी विषय पर ससद द्वारा बनाये गये कानून में कोई विरोध होता है तो ससद द्वारा बनाया गया कानून ही लागू (माय) होता है और राज्य विधान सभा द्वारा पास किया गया कानून उस मात्रा तक अभाव शून्य होता है जिस मात्रा तक वह ससदीय कानून के विपरीत होता है। परन्तु यदि राज्य विधान सभा समवर्ती सूची में दिये गये किसी विषय पर कानून निर्माण करते समय राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर लेता है तो ससद द्वारा पास किया गया कानून उस राज्य में लागू नहीं होता।

सघीय सूची सघीय सूची में 97 विषय हैं। इस सूची में उल्लिखित विषय मात्रा और गुणों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। सख्पाओं में इस सूची में सबसे अधिक विषय लिखे गये हैं और गुणों की दृष्टि से राष्ट्रीय महत्त्व के सारे विषय इस सूची में लिखे गये हैं। सघीय सूची में दिये गये विषयों का महत्त्व इस कारण भी बढ़ जाता है कि ससद सावजनिक हित में कानून द्वारा उद्योग धन्यों पर सघ का नियंत्रण स्थापित कर सकती है। सन् 1971 में नोयल्ले की खाना पर केन्द्र का नियंत्रण सावजनिक हित में ससद के कानून द्वारा किया गया था। इसी प्रकार जामिया मिलिया, इण्डियन स्कूल ऑफ इण्टरनेशनल स्टडीज तथा गुम्कुल विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्त्व की सख्पाओं समझ कर केन्द्र के नियंत्रण में रखा गया है। मुख्य सघीय विषय हैं—सुरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, डाक, तार, रेल, मुद्रा धीमा, बैंक, परमाणु शक्ति, शेरर बाजार, विदेश व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य नियमन तथा विनियमन, जनगणना, लोक ऋण, विदेशी ऋण, आय कर, सीमा शुल्क आदि।

राज्य सूची राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। स्थानीय महत्त्व के सभी विषयों का राज्य सूची में उल्लिखित किया गया है। राज्य सूची में रखे गये मुख्य विषय हैं—स्थानीय स्वशासन, पुलिस, जेल, माय, सावजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, जंगल, सुधारालय, मत्स्य (मछली) व्यवसाय, पशुपालन, सिंचाई, अस्पताल, औषधालय, मण्डिया राज्य के अंदर व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि आयकर, भूमि कर, मनोरजन कर आदि। इन विषयों का मुख्य सम्बन्ध समाज कल्याण से है।

समवर्ती सूची—समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं। इस सूची में उल्लिखित विषय इस बात के प्रतीक हैं कि इन विषयों पर सारे देश में सामान्य कानून का होना वांछनीय है यद्यपि अनिवार्य नहीं। समवर्ती सूची में उल्लिखित विषय स्थानीय महत्त्व के विषय होते हैं परन्तु क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उनमें सामान्य कानूनों का

होना वाछनीय समझा जाता है इसलिए इन विषयों पर ससद और राज्य विधान सभा दोनों को कानून निर्माण की शक्ति है। जसा कि ऊपर कहा गया है कि ससद और विधान सभा द्वारा पास किये किसी कानून में विरोध होने पर ससद के कानून को प्राथमिकता दी जाती है और राज्य विधान सभा का कानून उस मात्रा तक अर्बन्ध होता है जिस मात्रा तक वह ससद के कानून का विरोध करता है। समवर्ती सूची में उल्लिखित मुख्य विषय हैं—दण्ड विधि, दण्ड प्रक्रिया, विवाह, तलाक, श्रमिक सघ, औद्योगिक और श्रमिक समस्याएँ, वाष्प पात्र (Boilers), कारखाने, विद्युत, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, मूल्य नियंत्रण, समाचार पत्र, मुद्रणालय, पुस्तकें, दिवालियापन, पागलपन, ठेके और साभेदारी, शरणार्थियों की सहायता।

समवर्ती सूची के सम्बन्ध में सघ और राज्यों में एक अच्छे अभिसमय का विकास हुआ है। वह अभिसमय यह है कि जब कभी सघीय या राज्य सरकार समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय पर कानून बनाना चाहती है तो वह इस आशय की सूचना एक दूसरे को दे देती है और सामान्यतः एक दूसरे की सहमति या इच्छा प्रकट होने पर ही समवर्ती सूची में उल्लिखित अमुक विषय पर कानून का निर्माण किया जाता है। इस अभिसमय के विकसित होने से अनेक लाभ हुए हैं। एक तो सघ और राज्य एक दूसरे के दृष्टिकोण या प्रतिप्रिया से अवगत हो जाते हैं जिससे उनमें पारस्परिक विवादों और मुकदमेवाजी की गुञ्जाइश नगण्य हो जाती है। दूसरे स्थानीय विषयों को भी राष्ट्रीय सदन में सोचा जाता है जिससे राष्ट्रीय एकता को बढावा मिलता है। तीसरे सघ और राज्यों में पारस्परिक सहयोग और समन्वय की भावना उत्पन्न होती है जिससे लोक हित में श्रेष्ठतर नीतियों के निर्धारण में सहायता मिलती है। अभी तक इस अभिसमय से लाभ इसलिये भी प्राप्त हुए हैं कि सघ और अधिकांश राज्यों में (कुछ राज्यों को छोड़कर) एक ही राजनीतिक दल मत्तारूढ रहा है और उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में कोई भिन्नता नहीं रही। इस अभिसमय की व्यावहारिक उपयोगिता उस समय स्पष्ट हो जायगी जब सघ और राज्यों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों वाले भिन्न भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों को अपनाने वाले भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें स्थापित होती हैं और वे परस्पर सहयोग और समन्वय के आधार पर कार्य करती हैं।

अवशिष्ट शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जिन्हें किसी सूची में उल्लिखित नहीं किया गया। ये वे शक्तियाँ हैं जो समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न होती रहती हैं। जहाँ अमरीका, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलण्ड आदि सघीय सविधानों में अवशिष्ट शक्तियाँ सघ के एक्को को प्रदान की गयी हैं वहाँ भारत में ये शक्तियाँ कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के सघीय सविधानों की भाँति, सघ को सौंपी गयी हैं।

राज्य विधान सभाओं की विधायी शक्तियों पर सीमाएँ (Limitations on the Legislative Competence of State Legislatures)

या

विधायी शक्तियों में ससद की प्रधानता (Predominance of Parliament in Legislative Powers)

समद और राज्य विधान सभाओं की विधायी शक्तियाँ सविधान द्वारा पृथक् पृथक् निर्धारित की गयी हैं परन्तु शक्तियाँ का यह विभाजन कठोर नहीं है। शक्तियों का विभाजन में उचीतापन लाने और समय की आवश्यकताओं और प्रभावों (Pressures) का सफनता पूर्वक सामना करने के लिए सविधान एसी विशेष परिस्थितियों की कल्पना करता है जिनमें समद राज्य सूची में दिये गये विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। दूसरे शब्दों में, जहाँ अमरीकी कांग्रेस किसी स्थिति में राज्यों के अधिकांश क्षेत्र का अतिश्रमण नहीं कर सकती, जहाँ कनाडा की ससद 'पार्लियामेंट' द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर ही प्रांतीय विषयों के क्षेत्र का अतिश्रमण कर सकती है वहाँ भारतीय सविधान विशेष अवस्थाओं या परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर ससद का राज्य सूची का अतिश्रमण करने का अधिकार सौंपता है। यह बात ध्यान देने की है कि सविधान राज्य विधान सभाओं को संघीय सूची का अतिश्रमण करने का अधिकार नहीं देता। जिन विशेष अवस्थाओं या परिस्थितियों में ससद राज्य सूची का अतिश्रमण कर सकती है उन्हीं मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है। (1) शांतिकालीन विशेष परिस्थितियों, (2) सशस्त्रकालीन विशेष परिस्थितियों।

1 शांतिकालीन विशेष परिस्थितियाँ—शांतिकाल में ससद राज्य सूची में दिये गये विषयों पर निम्न अवस्थाओं में कानून का निर्माण कर सकती है—

(1) राज्य सभा के प्रस्ताव पर—अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा¹ उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची में दिया गया अमुक विषय "राष्ट्रीय महत्त्व" का हो गया है तो ससद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ससद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून निर्माण के लिये किसी "संकट" की आवश्यकता नहीं 'राष्ट्रीय हित में राज्य सभा का प्रस्ताव' ही पर्याप्त है। ससद द्वारा पास किया गया कानून एक वर्ष तक लागू रहता है यद्यपि राज्य सभा पुनः प्रस्ताव पास करके उसकी अवधि को एक वर्ष और बढ़ाकर अनिश्चित समय तक बढ़ा सकती है। प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने के दो महीने बाद यह कानून अन्त में हो जाता है।

1 राज्य सभा को यह शक्ति इसलिए दी गयी है कि वर राज्य का प्रतिनिधि बन सकती है।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या करारों को लागू करने के लिये— अनुच्छेद 253 के अनुसार ससद अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधियों, करारों, उत्तरदायित्वों आदि को निभाने के लिये या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनो, सस्थाओं या अन्य निकायों द्वारा लिए गये विनिश्चयों को लागू करने के लिए ससद भारत या उसके किसी भाग के लिये कानून का निर्माण कर सकती है क्योंकि सघीय सरकार ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य कर सकती है और राज्य सरकारों को इसमें कोई शक्ति प्राप्त नहीं इसलिये ससद राज्य के अधिकार क्षेत्र का शक्तिप्रमण कर सकती है और राज्य सूची में दिये गये विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है।

(iii) दो या दो से अधिक राज्य विधान सभाओं की प्राथना पर—अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों की विधान सभाओं प्रस्ताव द्वारा यह प्राथना कर सकती है कि राज्य सूची में दिये गये किसी विषय पर ससद कानून का निर्माण करे। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ससद की विधायी शक्ति स्वीकृति सूचक (permissive or enabling) है और तभी उत्पन्न होती है जब कम से कम दो राज्यों की विधान सभाओं इसका लिये प्राथना करे। उदाहरणतया दामोदर घाटी निगम (Damodar Valley Corporation) की स्थापना पश्चिमी बंगाल और विहार राज्य विधान सभाओं की प्राथना पर ससद ने कानून द्वारा की थी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ससद द्वारा बनाया गया कानून केवल उस ही राज्य में लागू होता है जिनकी विधान सभाओं ने प्रस्ताव द्वारा इसकी प्राथना की होती है। अन्य राज्यों की विधान सभाओं भी प्रस्ताव द्वारा ससद के बनाये गये कानून को स्वीकार कर सकती हैं। ससद द्वारा बनाये गये कानून का ससद ही संशोधित या निरस्त (amend or rescind) कर सकती है।

इस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून निर्माण की शक्ति का दिनेश चंद्र चतुर्वेदी ने "स्थायी नियंत्रण" ¹ की संज्ञा दी है। परंतु यह उपमा केवल उस स्थिति में सही उत्तर सकती है जब सघ और राज्यों में एक ही राजनीतिक दल सत्तासूद्ध हो। परंतु यदि सघ राज्यों में भिन्न भिन्न राजनीतिक दल सत्तासूद्ध हैं तो "स्थायी नियंत्रण" की संज्ञा देना भ्रमात्मक होगा। यह सघ और राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों और आवश्यकताओं पर अधिक निर्भर करता है। सघीय और प्रांतीय नवृत्त का व्यक्तित्व भी इसमें प्रभावी और बलशाली हो सकता है।

(iv) कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूव स्वीकृति की आवश्यकता— अनुच्छेद 304 (b) कुछ ऐसे विधेयकों की बात करता है जिन्हें राज्य विधान सभाओं में प्रस्तुत करने से पूव राष्ट्रपति की पूव अनुमति की आवश्यकता होती है। उदाहरण

1 द्रविड़ चतुर्वेदी, दिनशचंद्र, भारतीय शासन और राजनीति (मीनाक्षा प्रकाशन, मेरठ), पृ० 270

तथा यदि राज्य सरकार सावजनिक हित में राज्य के बाहर व्यापार, वाणिज्य या मेलजोल पर कोई प्रतिबंध लगाना चाहती है तो इससे पूर्व कि ऐसे विधेयक को राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया जाय उन पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

(v) कुछ विधेयकों को लागू करने के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता—कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन्हें राज्य विधान सभा पास तो कर सकती है परन्तु उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है जब उन्हें राष्ट्रपति के विचाराय सुरक्षित रखा गया हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो। उदाहरणतया अनुच्छेद 31 (3) के अनुसार यदि राज्य विधान सभा कानून द्वारा किसी चल या अचल सम्पत्ति को अनिवाय रूप से अभिग्रहण (compulsory acquisition) करना चाहती है तो ऐसा कानून तभी लागू हो सकता है जब उसे राष्ट्रपति के विचाराय सुरक्षित रखा गया हो और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गयी हो। इसी प्रकार अनुच्छेद 288 (2) के अंतर्गत ससद के कानून द्वारा स्थापित किसी अधिकांश शक्ति द्वारा संचित, उत्पादित या उपयुक्त (Stored, generated or consumed) किये जाने वाले पानी या विद्युत् पर राज्य विधान सभा कानून द्वारा तभी कर लगा सकती है जब ऐसे कानून को राष्ट्रपति के विचाराय सुरक्षित रखा जाय और उस पर उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल भी विधान सभा के किसी कानून को राष्ट्रपति के विचाराय सुरक्षित रख सकता है यदि उसे आभास हो कि विधान सभा द्वारा पास किये गये किसी कानून से उच्च न्यायालय (High Court) के क्षेत्राधिकार या अधिकार शक्ति को खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना है।

यह बात ध्यान देने की है कि राष्ट्रपति के विचाराय सुरक्षित रखे गये विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, उन्हें पुनर्विचार के लिये वापस लौटा सकता है, किसी विधेयक पर प्रयोग किये गये राष्ट्रपति के निषेधाधिकार (veto) को राज्य विधान सभा रद्द (over rule) नहीं कर सकती। संविधान इस बात की भी व्यवस्था नहीं करता कि राष्ट्रपति के विचाराय सुरक्षित रखे गये विधेयक पर राष्ट्रपति कितने समय में अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति बिना स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट किये किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक स्थगित कर उसे अथहीन बना सकता है।

(vi) राज्य नीतियां को प्रभावित करने की शक्ति—सब राज्य नीतियां का अर्थ प्रकार से प्रभावित कर सकता है। संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि यदि कोई विषय सघ-सूची और राज्य सूची दोनों में लिखा हुआ है और उनमें कोई विरोध है तो सघ सूची को प्राथमिकता दी जायगी। इसी प्रकार समवर्ती सूची से सघीय सूची को और राज्य सूची से समवर्ती सूची का प्राथमिकता

(ii) अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या करारों को लागू करने के लिये— अनुच्छेद 253 के अनुसार ससद अंतर्राष्ट्रीय समझौता, संधि, करार, उत्तरदायित्वों आदि को निभाने के लिये या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सस्थापना या अन्य निकायों द्वारा लिए गये विनिश्चयों को लागू करने के लिए ससद भारत या उसके किसी भाग के लिये कानून का निर्माण कर सकती है यद्यपि सघीय सरकार ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य कर सकती है और राज्य सरकारों को इसमें कोई शक्ति प्राप्त नहीं इसलिये ससद राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकती है और राज्य सूची में दिय गये विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है।

(iii) दो या दो से अधिक राज्य विधान सभाओं की प्राथना पर—अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों की विधान सभाओं प्रस्ताव द्वारा यह प्राथना कर सकती है कि राज्य सूची में दिय गये किसी विषय पर ससद कानून का निर्माण करे। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ससद की विधायी शक्ति स्वीकृति सूचक (permissive or enabling) है और तभी उत्पन्न होती है जब कम से कम दो राज्यों की विधान सभाओं इसके लिये प्राथना करें। उदाहरणतया दामोदर घाटी निगम (Damodar Valley Corporation) की स्थापना पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य विधान सभाओं की प्राथना पर ससद ने कानून द्वारा की थी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ससद द्वारा बनाया गया कानून केवल उस ही राज्य में लागू होता है जिनकी विधान सभाओं ने प्रस्ताव द्वारा इसकी प्राथना की होती है। अन्य राज्यों की विधान सभाओं भी प्रस्ताव द्वारा ससद के बनाये गये कानून को स्वीकार कर सकती हैं। ससद द्वारा बनाया गया कानून को ससद ही संशोधित या निरस्त (amend or rescind) कर सकती है।

इस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून निर्माण की शक्ति का दिनेश चंद्र चतुर्वेदी ने "स्थायी नियंत्रण"² की सजा दी है। परन्तु यह उपमा केवल उस स्थिति में सही उतर सकती है जब सघ और राज्यों में एक ही राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हो। परन्तु यदि सघ राज्यों में भिन्न भिन्न राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हैं तो "स्थायी नियंत्रण" की सजा देना अस्वाभाविक होगा। यह सघ और राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों और आवश्यकताओं पर अधिक निर्भर करता है। सघीय और प्रांतीय नेतृत्व का व्यक्तित्व भी इसमें प्रभावी और बलशाली हो सकता है।

(iv) कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता— अनुच्छेद 304 (b) कुछ ऐसे विधेयकों की बात करता है जिन्हें राज्य विधान सभाओं में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। उदाहरण

1 दिनेश चतुर्वेदी, दिनेशचंद्र भारतीय शासन और राजनीति (मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ), पृ० 270

तथा यदि राज्य सरकार सावजनिक हित मे राज्य के बाहर व्यापार, वाणिज्य या मेलजोल पर कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहती है तो इससे पूर्व कि ऐसे विधेयक को राज्य विधान सभा मे प्रस्तुत किया जाय उस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है ।

(v) कुछ विधेयको को लागू करने के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता—कुछ विधेयक ऐसे हैं जिहे राज्य विधान सभा पास तो कर सकती है परन्तु उहे लागू तभी किया जा सकता है जब उहे राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रखा गया हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो । उदाहरणतया अनुच्छेद 31 (3) के अनुसार यदि राज्य विधान सभा कानून द्वारा किसी चल या अचल सम्पत्ति को अनिवाय रूप से अभिग्रहण (compulsory acquisition) करना चाहती है तो ऐसा कानून तभी लागू हो सकता है जब उसे राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रखा गया हो और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गयी हो । इसी प्रकार अनुच्छेद 288 (2) के अंतगत समद के कानून द्वारा स्थापित किसी अधिकार शक्ति द्वारा संचित, उत्पादित या उपयुक्त (Stored, generated or consumed) किये जाने वाले पानी या विद्युत पर राज्य विधान सभा कानून द्वारा तभी कर लगा सकती है जब ऐसे कानून को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाय और उस पर उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो । अनुच्छेद 200 के अंतगत राज्यपान भी विधान सभा के किसी कानून को राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रख सकता [है यदि उसे आभास हा कि विधान सभा द्वारा पास किये गये किसी कानून से उच्च न्यायालय (High Court) के क्षेत्राधिकार या अधिकार शक्ति को खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना है ।

यह बात ध्यान देनी है कि राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रखे गये विधेयक का राष्ट्रपति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, उन्हें पुनर्विचार के लिये वापस लौटा सकता है, किसी विधेयक पर प्रयोग किये गये राष्ट्रपति के निषेधाधिकार (veto) का राज्य विधान सभा रद्द (over rule) नहीं कर सकती । सविधान इस बात की भी व्यवस्था नहीं करता कि राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रखे गये विधेयक पर राष्ट्रपति कितन समय में अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट कर सकता है । इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति बिना स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट किये किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक स्थगित कर उसे अर्थहीन बना सकता है ।

(vi) राज्य नीतियों को प्रभावित करने की शक्ति—सद्य राज्य नीतियां का अनेक प्रकार से प्रभावित कर सकता है । सविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि यदि कोई विषय सघ-सूची और राज्य सूची दोनों में लिखा हुआ है और उनमें कोई विरोध है तो सघ सूची को प्राथमिकता दी जायगी । इसी प्रकार समवर्ती सूची से सघीय सूची को और राज्य सूची से समवर्ती सूची का प्राथमिकता

दी जाती है। उदाहरणतया उच्च शिक्षा न केवल सघीय सूची में उल्लिखित है बल्कि राज्य सूची में भी उल्लिखित है। ससद ने कानून द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U G C) की स्थापना की है। इस आयोग से राज्य सरकारें प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त करती हैं और इस कारण उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण करना पड़ता है। इसी प्रकार राज्य की औद्योगिक और व्यापारिक नीतियों को सघ सरकार योजना आयोग, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि द्वारा प्रभावित करती है।

2 सकटकालीन विशेष परिस्थितियाँ—सकटकाल में ससद की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि ही नहीं होती बल्कि संविधान में परिवर्तन किये बिना ही सघीय शासन एकात्मक शासन का रूप ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 250 ससद को, सकटकाल में, राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। सकट काल की स्थिति में बनाया गया कानून सकटकाल के विद्यमान रहने तक ही लागू होता है और सकट के समाप्त होने के छ मास बाद वह अक्षम हो जाता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, उपद्रव या नाति की सम्भावना होने पर जब राष्ट्रपति सामान्य सकट की घोषणा कर देता है तो उदघोषणा द्वारा वह राज्य सूची में दिये गये विषयों पर ससद का नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य में संविधान की असफलता की घोषणा करके अमुक राज्य की विधायी शक्तियाँ को ससद का सौंप सकता है। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य सघ के निर्देशना की उपेक्षा करता है या कार्यान्वित नहीं करता तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जहाँ राज्य सरकार संवैधानिक उपबन्धा के अनुसृत कार्य नहीं कर रही और संविधान असफल हो गया है। इस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का सहारा ले सकता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय सकट की घोषणा करके सघ और राज्या के वित्तीय विभाजन में परिवर्तन कर सकता है, राज्या की वित्तीय नियमा (Canons of Financial Propriety) के पालन के लिये वह सकता है, राज्या के वित्तीय विवेकता को अपने विचारात्थ में रखा सकता है तथा सभी पदाधिकारियों के वतना में कटौती कर सकता है।

विधायी सम्बन्धों का भूत्प्राक्न—उपयुक्त वरुण से स्पष्ट है कि ससद और राज्य विधान सभाओं के विधायी क्षेत्र पृथक्-पृथक् हात हुए भी ससद की स्थिति प्रधानता की है और राज्य विधान सभाओं की विधायी शक्तियाँ मर्यादित हैं। ससद चाहता अपनी इच्छा राज्या पर थाम सकती है, राज्य सभा के प्रस्ताव द्वारा राज्य सूची में दिये गये किसी विषय पर, राष्ट्रीय हित की आड़ में कानून बना सकता है और चाहे तो संवैधानिक सलाहण द्वारा राज्य सूची में दिये गये किसी विषय का सम्बन्धी सूची में रम्य करती है (जमावि 1954 में नृतीय सलाहण द्वारा किया गया)

इन सब व्यावहारिक तथ्यों को देखते हुए ही के० वी० रॉव ने ये विचार व्यक्त किये हैं कि "राज्य सूची में दिये गये विषय कितने महत्त्वहीन, कितने सदिग्ध और अस्पष्ट हैं।" एस० एन० जन और एलिस जैकब ने तो स्पष्ट लिखा है कि यद्यपि बहुत कम स्थितियों में केन्द्र ने राज्या द्वारा उसकी अनुमति के लिये विधेयका को अस्वीकार किया है परन्तु केन्द्र की नीतिया राज्यों को आदेश देने की रही है।" जैमाकि अमर नदी ने लिखा है कि "विशाल मूर्ति की भाँति केन्द्र ही सार रगमच पर धाया रहता है"। एम०पी० शर्मा ने भी लिखा है कि "जब राज्यों के सिर पर सघ का भय सवदा विद्यमान रहता है तो उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे पूरा विश्वास के साथ अपने अधिकारों की माग दृढतापूर्वक करेंगे।" इस दृष्टि में राज्य विधान सभाओं को वचस्वी एव विशाल नगरपालिकाया (Glorified and magnified municipalities) की सजा दी जा सकती है।

B सघ और राज्यों में प्रशासनिक सम्बन्ध

(Administrative Relations between the Centre & the States)

सघीय सविधाना में सघ का स्थायी बनाना, सुशासन की व्यवस्था करना, सघ और एक्का तथा एक्का में पारस्परिक सहयोग और समन्वय की भावना उत्पन्न करना, सघीय बानूनों की समुचित बाधाविवि की व्यवस्था करना, अतिव्याप्त (Overlapping) का समाधान करना, विवादा और सघष का मर्यादित करना, आदि के लिये सघीय सरकार को निर्देशन और नियंत्रण की सत्ता सौंपना अनिवार्य होता है। सघीय सरकार के हाथों में इस निर्देशन और नियंत्रण की सत्ता के अभाव में पृथक्तावादी और विघटकारी तत्वा को बढ़ावा मिलता है जिनसे सब के नष्ट होने का भय रहता है। यही कारण है कि सभी सविधानों में सघ को स्थायी बनाय रखने के लिये सघीय सरकार को 'यूनटाधिक' भाषा में निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियाँ स विभूषित किया जाता है।

भारतीय सविधान के भाग XI के अध्याय दो व 8 अनुच्छेदों में (अनुच्छेद 256 से 236 तक) सघ और राज्या के प्रशासनिक सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है। इस भाग के अतिरिक्त सविधान के अन्य भागों में भी अनुच्छेद 275, 339 (2), 350 A, 356, 360, 365 जहाँ अनेक अनुच्छेदों द्वारा विचार पड़े हैं जो सघ और राज्या के प्रशासनिक सम्बन्धों का निर्धारण करते हैं।

भारतीय सविधान के अंतर्गत सघीय कायपालिका की शक्ति सामान्यतया

1 "Centre dominates the scene like a colossus. Nandi Amar Constitution of India, p 197

2 See Haqqi S A H Union State Relations in India (Meena kshi Prakashan) 1967, p 61

उन सभी विषयों पर लागू होती है जिन्हें मधीय सूची में लिखा गया है और राज्यपालिका की शक्ति उन सभी विषयों पर लागू होती है जिन्हें राज्य सूची में लिखा गया है। परन्तु फिर भी सघ और राज्यों में तथा राज्यों में पारस्परिक सहयोग, समन्वय और श्रेष्ठतर समायोजन (better co-ordination) के लिये सविधान निम्न व्यवस्थाएँ करता है—

1 निर्देशन देने की शक्ति— सन् 1935 के अधिनियम की भांति भारत का वर्तमान सविधान भी मधीय कायपालिका को निम्न स्थितियों में राज्य की कायपालिका का निर्देशन देने की शक्ति प्रदान करता है—

- (i) राज्य की कायपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार हो कि ससत्रीय कानूनना की पालना सुनिश्चित रूप से बनी रहे।
- (ii) केन्द्र की कायपालिका शक्ति न तो सुकुचित हो और न ही अवृद्ध।
- (iii) राष्ट्रीय या सैनिक महत्त्व के संचार साधना व निमाण और पोषण के लिये, राज्यों की सीमाओं में रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिये, राजपथों, जल मार्गों और नौकागम्य नदियों के राष्ट्रीय महत्त्व के लिये, मधीय अभिकरणों को सुचारु रूप से कार्य कराने के लिये।
- (iv) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये।
- (v) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिये।
- (vi) सामान्य सवट, संवैधानिक सवट और वित्तीय सवट में।

2 राज्यों के कार्यों को ग्रहण करने की शक्ति—निम्न स्थितियों में सघ राज्यों के कार्यों को ग्रहण कर सकता है—

- (i) विदेशी सरकारों के साथ किये गये समझौतों को कार्यान्वित करने के लिये सघ राज्य के किसी विधायी, कायपालिका और कायपालिका के काय को ग्रहण कर सकता है।
- (ii) अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि सघीय सरकार को विश्वास हो जाय कि राज्य सरकार सघीय निर्देशनों के अनुकूल काय नहीं कर रही तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गयी हैं जहाँ राज्य सरकार सघीय विधायी व अनुसार काय नहीं कर रही। इस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अनुसार कायवाही कर सकता है।
- (iii) राज्यों में सविधान के असफल होने पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य प्रशासन को अपने अधीन कर सकता है और समझौते को राज्य सूची में दिये गये विषयों पर कानून बनाने के लिये कह सकता है।

3 सघीय कार्यों को राज्यों को सौंपने की शक्ति—अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यों की सहमति से शर्तों या बिना शर्तों के सघीय क्षेत्र में आने वाले कायपालिका कार्यों को राज्यों को या उनके पदाधिकारियों को सौंप सकता है। ससद भी कानून द्वारा राज्य या उसके अधिकारियों को कोई शक्ति या उत्तरदायित्व उह सौंप सकती है। इस तरह सघ राज्यों की कायपालिका और उसके पदाधिकारियों का प्रयोग सघीय कार्यों के लिये कर सकती है। परन्तु सघ द्वारा राज्य को सौंपे गये कार्यों का अतिरिक्त व्यय सघ ही भेनता है। यदि इस व्यय के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ही उसका निणय करता है।

4 राज्य कार्यों को सघ को सौंपने की शक्ति—यदि अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति या ससद राज्य कायपालिका या उनके पदाधिकारियों को सघीय कार्यों को सौंप सकती है तो अनुच्छेद 258A¹ के अनुसार गवर्नर भी सघ की सहमति से, शर्तों या बिना शर्तों के सघ या उसके पदाधिकारियों को राज्य के कार्यों को सौंप सकता है।

5 सावजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कायवाहो (Public Acts, Records and Judicial Proceedings)—अनुच्छेद 261 सघ और प्रत्येक राज्य के सावजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यों का सार देश में विश्वास और मान्यता (Futh and Credit) प्रदान करता है। परन्तु इन सावजनिक कार्यों, अभिलेखा और न्यायिक कायवाहियों की प्रामाणिकता सिद्ध करने की रीतियां, शर्तों और प्रभावा को ससद कानून द्वारा निर्धारित करती है। दीवानी न्यायालया द्वारा दिये गये अंतिम निणय या आदेश (Judgment or Orders) भी सारे देश में कानूनन द्वारा लागू किये जाते हैं।

6 अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवामें (All India Administrative Services)—भारतीय मन्विधान सघ और राज्य की प्रशासनिक सेवामें की पृथक् पृथक् व्यवस्था करता है परन्तु फिर भी अनुच्छेद 312 इस बात की व्यवस्था करता है कि यदि राज्य सभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर देता है कि राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवामें के निर्माण की आवश्यकता या उपयोगिता हेतु ससद कानून द्वारा एक या अनेक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवामें की रचना कर सकती है। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवामें (I A S) अखिल भारतीय आरक्षी सेवामें (I P S), आदि सेवामें का अखिल भारतीय सेवामें घोषित किया गया है। इन अखिल भारतीय सेवामें क सदस्य ही सघ और राज्यों के उच्च प्रशासनिक पदा पर नियुक्त किये जाते हैं। राज्यों में मन्चिवालय के सचिव, जिला के जिलाधीश तथा आरक्षी मन्चिवागी (S P) आदि इन्हीं अखिल भारतीय सेवामें क सदस्य में से ही नियुक्त किये जाते हैं।

1 इस अनुच्छेद का सातवें संशोधन द्वारा 1956 में संविधान में जोड़ा गया

अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की पद्धति भारतीय संविधान की नूतन विशेषता है। इससे जहाँ राष्ट्रीय दृष्टिकोण को राज्य प्रशासन में बल मिलता है वहाँ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है।

7 अंतरराज्य परिषदें (Inter State Councils)— अनुच्छेद 263 के अनुसार सावजनिक हित में, संघ और राज्यों में विवादों की जांच के लिये, राज्यों में विवादों पर परमश प्राप्त करने के लिये कृषि, सावजनिक स्वास्थ्य आदि सामान्य हिता के विषयों पर अवेपण के लिये तथा नीतियों में श्रेष्ठ समायोजन (better coordination) प्राप्त करने के लिये राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषदों की स्थापना कर सकता है। राष्ट्रपति ही इन परिषदों के गठन, कार्यों और स्वरूप को परिभाषित करता है। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की भांति अंतरराज्य परिषदें भी राष्ट्रीय एकता में अत्यधिक सहायक हुई हैं। इनके माध्यम से पृथक्तावादी एवं विघटनकारी भावनाओं के प्रसार को रोका जा सकता है, अंतरराज्य विवादों को सुविधा और सम्मान के साथ निपटाया जा सकता है राज्यों में पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है।

8 नदियों के पानी के विवादों का निपटारा (Adjudication of Water disputes)— अनुच्छेद 262 के अनुसार राज्यों में नदियों के पानी से उत्पन्न होने वाले विवादों या शिफायता का निपटारा संसद कानून द्वारा कर सकती है। विकासवादी योजनाओं का धो आदि के निमाण के कारण नदियों के पानी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, इसलिये संघ द्वारा इन विवादों का निपटारा अत्यधिक महत्व ग्रहण कर चुका है। यह शक्ति जहाँ सब को अर्द्ध या अधिक शक्ति प्रदान करती है वहाँ सम्बंधित राज्यों में (जिनमें एक नदी बहती है तथा उस पर बांध, विद्युत और जल के प्रयोग के प्रश्न या विवाद उठ खड़े होते हैं) सम वय उत्पन्न करने की क्षमता भी पदा करता है। वस्तुतः उस स्थिति में तो वे द्र निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति अधिक प्रभावी होती है जहाँ इन विकास योजनाओं के लिये सम्बंधित राज्य संघ से आर्थिक अनुदान प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, यदि आवश्यक हो, तो संसद कानून द्वारा इन विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निषेध कर सकती है।

9 आर्थिक सहायता (Economic Aid)— राज्य सरकारें अपनी लोक कल्याणकारी और विकासवादी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये आर्थिक दृष्टि से संघ पर निर्भर होती हैं। और संघ सरकार अनुदान के माध्यम से राज्य सरकारों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है।

10 संघीय सरकार अंतरराज्य व्यापार और विप्रेषण का नियामित करता है।

11 राज्यों के राज्यपालिका अध्यक्षता अर्थात् राज्यपालों की नियुक्ति और विमुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है। राज्यपालों के माध्यम से राष्ट्रपति राज्य प्रशासन की देखभाल कर सकता है।

12 राज्यों में राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन की देखभाल निर्वाचन आयोग करता है। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है।

प्रशासनिक सम्बन्धों का मूल्यांकन (Evaluation of Administrative Relations)

उपयुक्त बयान से स्पष्ट है कि विधायी सम्बन्धों की भांति प्रशासनिक सम्बन्धों में भी सविधान सघीय कायपालिका को प्राथमिकता प्रदान करता है। सघीय कायपालिका की प्रधानता इस तथ्य से स्पष्ट है कि सघ ही इस बात का नियम करता है कि राज्यों का प्रशासन कुशलतापूर्वक, सघानिक उपबन्धों के अनुकूल और जनहित में काय कर रहा है या नहीं। सघीय कायपालिका की प्रधानता न केवल सकट काल में बल्कि शांति काल में भी स्पष्ट और निश्चित है। राज्य की कायपालिका में सघीय हस्तक्षेप के लिये यह पर्याप्त कारण है कि वह सघीय निर्देशनों की उपेक्षा कर रही है या उनके अनुकूल काय नहीं कर रही है, राज्यपालों और अनुदानों के माध्यम से, सघीय कायपालिका राज्य के प्रशासन में खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेप कर सकती है। कुछ आलोचकों का यह भी मत है कि राज्य कायपालिकायें सघीय कायपालिका के निर्देशकों को कार्यान्वित करने वाली निकाय या अभिकरण मात्र रह गयी हैं।

यह सत्य है कि राज्यों की कायपालिका शक्ति में सघीय कायपालिका को हस्तक्षेप करने के पर्याप्त अवसर या साधन उपलब्ध हैं परन्तु अभी तक का सर्व-धानिक अनुभव इस बात को सिद्ध करता है कि सघीय हस्तक्षेप राज्यों की स्वतन्त्रता और स्वायत्तता के लिये घातक सिद्ध नहीं हुआ। सघीय कायपालिका ने राज्यपालिका को अपना अभिकरण मात्र नहीं समझा, जब कभी सघीय कायपालिका ने राज्य की कायपालिका शक्ति में हस्तक्षेप किया तो उसका मूल उद्देश्य शांति, व्यवस्था और सुशासन की स्थापना करना था या या राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय नीतियों की रक्षा करना था। केरल में मितम्बर 1968 में और माच-अप्रैल 1969 में दुर्गापुर और कोसीपुर की तोप और गोले फ़ैक्टरी (Gun & Shelling Factories), के द्रीय रिजर्व पुलिस (Central Reserve Police) के प्रयोग ने यद्यपि सघ और सम्बन्धित राज्यों में तनाव की स्थिति पैदा कर दी और गर वाप्रेसी मंत्रिमण्डल ने इसे केन्द्र का दृढ़ (domineering) हस्तक्षेप कहा परन्तु यह सब हठधर्मी राज्यों को चेतावनी थी कि वे "सघानिक भावना और राष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध नहीं जा सकते।"¹

यह ठीक है कि अपनी विकासवादी और लोक-कल्याणकारी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये या उनका निर्धारण करने के लिये राज्यों को सघीय अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है और इसलिये उन्हें सघीय नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ता है परन्तु यहाँ भी सघीय हस्तक्षेप या नेतृत्व का उद्देश्य समूचे राष्ट्र का समुचित विकास और राज्यों में पारस्परिक सहयोग और समन्वय की भावना ही प्रभावित रहो है। वस्तुतः सघीय शासन की सफलता ही सरकारों के पारस्परिक सहयोग और

1, See Ray Amal Inter Governmental Relations in India, p 50

समन्वय पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान भी इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये, सघ को स्थायी बनाये रखने के लिये, विवादों और सघपों को मर्यादित करने के लिये तथा सघीय वायपालिका शक्ति को सुनिश्चित बनाये रखने के लिये सघीय निर्देशन और नियंत्रण की व्यवस्था करता है। यदि इसकी व्यवस्था न हो तो अनेक ज्ञात और अज्ञात दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ सघ की सुदृढता और सुरक्षा को सतारा उत्पन्न कर सकती हैं। अतः सघीय वायपालिका के हाथों में निर्देशन और नियंत्रण शक्ति की आवश्यकता एवं उपयोगिता है।

C सघ और राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध (Financial Relations between the Centre and the States)

विश्वी सरकार के लिये वित्त सबसे महत्त्वपूर्ण विषय होता है। वित्त के अभाव में सरकार काय नहीं कर सकती। सरकार यद्यपि अनक स्रोतों से वित्त को एकत्रित करती है परन्तु लोगों और वस्तुओं पर लगाये जाने वाले कर (Taxes) और शुल्क (Fees Duties or Levies) ही उसके वित्त के मुख्य स्रोत होते हैं। क्योंकि सघ में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था अर्थात् दोहरी सरकारों के सह-अस्तित्व की व्यवस्था होती है इसलिये विधायी और प्रशासनिक विषयों के विभाजन के साथ ही उनमें वित्तीय स्रोतों का विभाजन भी कर दिया जाता है। यस्तुतः सघ के एकका की स्वायत्तता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके पास स्वतंत्र और पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हैं या नहीं। यदि उनके पास पर्याप्त एवं स्वतंत्र वित्तीय साधनों का अभाव है तो उनकी स्वायत्तता नाम मान की बन कर रह जायगी।

अथ सघीय संविधानों की भाँति भारतीय संविधान भी सघ और राज्यों के वित्तीय स्रोतों को स्पष्टतया निर्धारित करता है। सघ और राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले करों और शुल्कों को निम्न शीपों के अन्तर्गत व्यक्त किया जा सकता है—

A सघ द्वारा लगाये जाने वाले कर तथा शुल्क—सघीय सरकार को उन विषयों पर कर या शुल्क लगाने का एकमात्र अधिकार है जिन्हें सघीय सूची में उल्लिखित किया गया है जिन्हें राज्य या ममवर्ती सूची में नहीं लिखा गया अर्थात् जिन्हें अवशिष्ट करों (Residuary taxes) की संज्ञा दी जाती है। सघ सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर और शुल्क मुख्यतः निम्न हैं—

1. वृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर।
2. मीमा शुल्क। इसमें निर्यात शुल्क भी सम्मिलित है।
3. तम्बाकू तथा भारत में निर्मित एवं उत्पादित वस्तुओं पर कर। परन्तु इसमें भादक द्रव्यों जैसे शराब अफीम भाग (गाजा) नशीली दवाइयाँ या अन्य नशीली वस्तुओं का उत्पादन शामिल नहीं है। यद्यपि अलकोहल से उत्पादित दवाइयाँ और प्रभावन (toilets) इसमें शामिल हैं।

- 4 निगम कर ।
- 5 Taxes on Capital value of assets
- 6 कृषि योग्य भूमि का छोड़ कर अथ सम्पत्ति पर सम्पत्ति शुल्क (Estate Duty)
- 7 कृषि योग्य भूमि को छोड़ कर अथ सम्पत्ति के उत्तराधिकार (Succession) पर शुल्क ।
- 8 रेल, समुद्र या वायु द्वारा जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा (terminal) शुल्क ।
- 9 रेल किराये और सामान (freights) पर कर ।
- 10 मुद्रा, मुद्रा टक्का (Coinage), वैध प्रस्तुत (Legal Tender) और विदेशी विनिमय (Foreign Exchange)
- 11 मुद्राक शुल्क (Stamp Duty) को छोड़ कर शेयर तथा सट्टा बाजार के सौदों पर कर ।
- 12 हड्डियों चँकों, प्रोमिजरी नोटों (Promissory notes), नौभार पत्रों (Bill of lading), प्रत्यय पत्रों (Letters of Credit) ब्रीमा पत्रों, हिस्सों के परिवर्तन ऋण पत्रों (debentures) प्रॉक्सी (Proxies) और रसीदों (Receipts) पर मुद्राक शुल्क ।
- 13 समाचार पत्रों के क्रय या विक्रय तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर ।
- 14 सघ सरकार की सम्पत्ति ।
- 15 विदेशी ऋण ।
- 16 लाटरिया (चाहे वे सघ सरकार द्वारा संगठित की गयी हों या राज्य सरकारों द्वारा) ।
- 17 डाकखाना बचत बैंक ।
- 18 रिजर्व बैंक ।
- 19 डाक एंव तार, टेलीफोन, वायरलेस प्रसारण तथा अथ इसी प्रकार के संचार साधनों पर कर ।
- 20 सघ का सावजनिक ऋण ।
- 21 सघीय सूची में दिये गये किसी विषय पर शुल्क । इसमें न्यायालयों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क (fees) सम्मिलित नहीं हैं ।

B राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले कर तथा शुल्क—भारतीय संविधान केवल सघीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले करों और शुल्कों की व्यवस्था ही नहीं करता बल्कि कुछ ऐसे क्षेत्रों की भी व्यवस्था करता है जहाँ कर या शुल्क लगाने का एक मात्र अधिकार राज्य सरकारों को ही है । यह इस बात का प्रतीक है कि संविधान

राज्या की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की व्यवस्था भी करता है। राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाले कर और शुल्क मुख्यतः निम्न हैं —

- 1 भूमि कर।
- 2 कृषि आय पर कर।
- 3 कृषि योग्य भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क।
- 4 कृषि योग्य भूमि पर सम्पत्ति शुल्क (Stamp Duty)।
- 5 भूमि और भवनों पर कर।
- 6 खनिज अधिकार पर कर (taxes on mineral rights)।
- 7 शराब, अफीम तथा अन्य मादक द्रव्यों के उत्पादन पर कर।
- 8 स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, इस्तेमाल या विक्रय के लिये लाई गयी वस्तुओं के प्रवेश पर कर।
- 9 विद्युत् के उपभोग या विन्याय पर कर।
- 10 समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली विज्ञापितियों (advertisements) के अतिरिक्त अन्य विज्ञापितियों पर कर।
- 11 सड़कों तथा अतर्देशीय जलमार्गों द्वारा जाने वाले माल तथा यात्रियों पर कर।
- 12 वाहनो पर कर।
- 13 पशुओं और नौकाओं पर कर।
- 14 चुगी कर।
- 15 पथ कर।
- 16 प्रति व्यक्ति कर (Capitation taxes)।
- 17 व्यवसायो, आजीविकाओं, नौकरियों और वस्तियों पर कर।
- 18 विलास वस्तुओं (Luxuries) पर कर। इसमें मनोरंजन, शर्तों, जूआ आदि पर कर भी सम्मिलित हैं।
- 19 सघीय सूची के उपबन्धों में उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों (documents) पर कर, आदि।

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान सभ और राज्यों के राजस्व के स्रोतों को स्पष्टतः पृथक् पृथक् वर्णित करता है। परन्तु संविधान निर्माता इस बात से अनभिन्न नहीं थे कि देश के समुचित विकास के लिये, उद्योग और कृषि की प्रगति के लिये तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये राज्यों को सघीय आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये संविधान निर्माताओं ने राज्यों के पृथक् राजस्व के स्रोतों के अतिरिक्त इस बात की व्यवस्था भी की कि जहाँ राज्य सरकारों द्वारा लगाय जाने वाले करों व शुल्कों से प्राप्त होने वाली समूची आय को राज्य अपने पास रख सकते हैं वहाँ सघीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कुछ करा

और शुल्को से प्राप्त होने वाली आय को या तो पूरातया या अंशतः राज्यों को दे दी जाय। इसके लिये सविधान निम्न व्यवस्थायें करता है —

1 सघ सरकार द्वारा लगाये जाने वाले शुल्क जिन्हें राज्य ही एकत्रित करते हैं तथा राज्य ही उन्हें विनियोजित (appropriate) करते हैं इसका उदाहरण निम्न है —

(a) सघीय सूची में वर्णित मुद्राक शुल्क और औपधियो तथा प्रसाधन (toilets) वस्तुओं पर शुल्क। केन्द्र प्रशासित प्रदेश (centrally administered areas) में इन शुल्कों को भारत सरकार ही एकत्रित करती है।

2 सघ सरकार द्वारा लगाये जाने वाले तथा एकत्रित किये जाने वाले कर/शुल्क जिन्हें राज्यों को दे दिया जाता है इसके मुख्य उदाहरण निम्न हैं —

(a) कृषि योग्य भूमि को छोड़ कर अय सम्पत्ति पर सम्पत्ति शुल्क।

(b) कृषि योग्य भूमि को छोड़ कर अय सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर।

(c) रेल, समुद्र या वायु द्वारा जाने वाली वस्तुओं या यात्रिया पर सीमा शुल्क।

(d) रेल किराये और सामान पर कर।

(e) मुद्राक शुल्क (Stamp Duty) को छोड़ कर शेयर तथा सट्टा बाजार के सौदों पर कर।

(f) समाचार पत्रों के अय या विक्रय तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापन पर कर आदि।

उपयुक्त करों और शुल्कों से प्राप्त होने वाले धन (proceeds) को, ससद द्वारा पास किये गये कानून के अनुसार राज्यों को दिया जाता है।

3 सघ द्वारा लगाये जाने वाले तथा एकत्रित किये जाने वाले कर/शुल्क जिनका विभाजन सघ और राज्यों में होता है इसका उदाहरण निम्न है —

(a) कृषि आय को छोड़ कर अय आय पर परंतु इसमें निगम कर सम्मिलित नहीं है। सामान्यतः इसका विभाजन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

4 उत्पादन शुल्क से राज्यों को कुछ भाग देने की व्यवस्था अनुच्छेद 272 इस बात की व्यवस्था करता है कि उत्पादन शुल्क (औपधिय और प्रसाधन सामग्री पर उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त) से भी सघीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ भाग दे सकती है। यह अनुच्छेद सघीय सरकार को राज्य सरकारों के उत्पादन शुल्क में से भाग देने के लिये बाध्य नहीं करता। यह अनुच्छेद तो केवल स्वीकृति सूचन (अनुज्ञापक permissive) है जिसका प्रयोग सघीय सरकार अपनी सुविधानुसार कर सकती है।

5 अनुदान (Grants in aid) अनुच्छेद 275 सघ की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से राज्यों को अनुदान की व्यवस्था करता है।

यह अनुदान उन राज्यों को प्राप्त होता है जो अपनी विकास योजनाओं को सप के अनुमोदन पर आरम्भ करते हैं। इस अनुदान की राशि समद द्वारा निर्धारित की जाती है और जो भिन्न भिन्न राज्यों को दी जा सकती है।

अनुसूचित जन जातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सप से अनुदान प्राप्त किये जा सकते हैं। अमम के कवायम क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष अनुदान प्राप्त होते हैं।

पटसन (Jute) उत्पादन करने वाले चार राज्यों—असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को पटसन तथा उससे बनी वस्तुओं के निर्यात पर निर्यात कर क बदल सघीय सचिव निधि में निर्धारित ढग से अनुदान प्राप्त होता है।

6 अधिभार (Surcharge) अनुच्छेद 271 के अनुसार ससद सघीय उद्देश्यों के लिये अधिभार (surcharge) लगा सकती है। इस अधिभार से उत्पन्न होने वाली राशि आय भारत की सचिव निधि (Consolidated Fund of India) में एकजित हो जाती है।

7 अनुच्छेद 276 के अनुसार राज्य विधान सभायें नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों तथा अय स्थावीय प्राधिकारियों (authorities) क लाभ के लिये वृत्तिया, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर लगा सकती है। परंतु राज्य विधान सभाओं की यह शक्ति आय पर कर लगाने की सघीय शक्ति को मर्यादित नहीं करती। राज्य विधान सभाओं द्वारा लगाय गये ऐसे करों की राशि 250 ह० वार्षिक से अधिक नहीं हो सकती।

8 सावजनिक ऋण अनुच्छेद 292 के अनुसार सघीय सरकार सघीय सचिव निधि (Consolidated Fund of India) की सुरक्षा (Security) क आधार पर विदेशों में तथा दश म ऋण ले सकती है अर्थात् भारत सरकार की ऋण लेन की शक्ति पर कोई सीमायें नहीं। परंतु ऋणों की राशि का ससद समय-समय पर निर्धारित करती ह।

अनुच्छेद 293 क अनुसार राज्य सरकारें राज्य की सचिव निधि की सुरक्षा के आधार पर दश की सीमाओं के अदर ही ऋण ले सकती हैं अर्थात् राज्य सरकारों की ऋण लेन की सीमा मर्यादित है। राज्य सरकारें विदेशों से ऋण नहीं ले सकती और देश के अदर ही ऋण लेने की सीमा अमर्यादित नहीं। यदि राज्य द्वारा लिये गये पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी नहीं हुई हो तो राज्य सरकारें सघीय सरकार की अनुमति के बिना दूसरा ऋण नहीं ले सकती।

9 करों से छूट (Exemption from Taxation) अनुच्छेद 285 क अनुसार राज्य सरकारें सघीय सम्पत्ति पर या भारत सरकार द्वारा उपयोग की जान वाली विद्युत पर कर नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 289 के अनुसार भारत सरकार राज्य सम्पत्ति और राज्य की आय पर कर नहीं लगा सकती। परंतु यदि

राज्य कोई व्यापार या कारोबार करता है तो भारत सरकार उस पर कर लगा सकती है।

10 वित्त आयोग (Finance Commission) सभ और राज्या के मध्य करो के विभाजन, भारत की सञ्चित निधि मे राज्यों को अनुदान की राशि, वित्त के स्वायत्तत्व और दृढिकरण तथा अर्थ वित्तीय विषया पर परामश लेने के लिए सविधान के अनुच्छेद 280 मे वित्तीय आयोग की व्यवस्था की गयी है। इस वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा पति पाच वर्ष वाद या उससे पूर्व भी वित्तीय आयोग की स्थापना की जा सकती है। अब तक भारत मे छ वित्तीय आयोगों की स्थापना हो चुकी है। इन आयोगों की नियुक्ति 1951, 1956, 1960, 1964, 1968 और 1972 में की गयी है।

वित्तीय आयोग की व्यवस्था भारतीय सविधान की अदभुत विशेषता है। जहा अर्थ सघीय सविधानों मे मध्य और एक्को मे अनेक वित्तीय भ्रगडे उत्पन्न होने से मुकदमेबाजी को बढावा मिला है वहा, भारत मे इन आयोगों के माध्यम से जटिल वित्तीय समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने मे मदद मिली है। इतना ही नहीं सघीय सरकार ने इन आयोगों की सिफारिशों को लगभग स्वीकार किया है और राज्यों की दुर्बल आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है।

11 वित्तीय सङ्कट अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय सङ्कट की घोषणा करके राज्यों की वित्तीय स्वतन्त्रता को मर्यादित कर सकता है। विधान मण्डल द्वारा पास किये गये वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति अपने विचाराथ मगवा सकता है, सघीय अनुदानों और करो के विभाजन मे परिवर्तन कर सकता है या उन्हें स्थगित कर सकता है और राज्य कमचारियों (पदाधिकारियों) के वेतना मे कटौती कर सकता है।

12 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक¹ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यही सारे देश की वित्तीय स्थिति की देखभाल के लिये उत्तरदायी होता है। यद्यपि राज्यों के अपने लेखा परीक्षक (Accountant General) होते हैं परन्तु वे इसी पदाधिकारी के नियंत्रण और निर्देशन पर ही कार्य करते हैं। यही पदाधिकारी इस बात का निवारण करता है कि मध्य और राज्यों के अर्थ व्यय के लेखे किस प्रकार रखे जायेंगे, यही उन लेखों की लेखा परीक्षा कराता है तथा वर्ष के अंत मे अपने प्रतिवेदना सहित यथा स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष लेखों को प्रस्तुत करता है।

वित्तीय सम्बन्धों का मूल्यांकन (Evaluation of Financial Relations)

उपयुक्त बरान मे स्पष्ट है कि भारतीय सविधान "सघीय शासन की वित्तीय सबलता पर जितना ध्यान देता है उतना प्रांतीय स्वायत्तता पर नहीं देता।"²

1 See Shrinivasan, N N Democratic Government in India, pp 348-49

विधायी और प्रशासनिक सम्बन्धों की भाँति वित्तीय क्षेत्र में भी सघ सरकार राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली है। राज्यों के आर्थिक प्रसाधन अपर्याप्त होने से उन्हें अपनी विकासवादी योजनाओं (उदाहरणतया औद्योगिक और कृषि, आदि विकास योजनाओं) और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिये सघ की आर्थिक सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। परंतु इकाइयों की सघीय सरकार पर निर्भरता केवल भारतीय संविधान की ही विशेषता नहीं, यह तत्त्व तो अल्प सघीय संविधानों में भी पाया जाता है। उदाहरणतया कनाडा और आस्ट्रेलिया में इकाइया सघीय सहायता पर निर्भर करती हैं। अमरीका जैसे सघीय राज्य में भी, जहाँ एकको की पर्याप्त आर्थिक स्वतंत्रता है राज्य के स्वीकारात्मक रूप को ग्रहण करने से एकक सघ की आर्थिक सहायता पर निर्भर करते हैं।

राज्यों की आर्थिक दुबलता और सघ पर उनकी निर्भरता का एक गम्भीर परिणाम यह निकलता है कि राज्यों की स्वायत्तता मर्यादित हो जाती है। भारत में सघीय सरकार अनेक तरीकों से राज्य सरकारों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है। उदाहरणतया राज्यों को अनुदान (grants in aid) देते समय, राज्यों को सघीय संचित निधि से ऋण देते समय सघ राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U G C), केन्द्रीय लोक कल्याणकारी बोर्ड (Central Welfare Board) और योजना आयोग (Planning Commission) जसी ऐसी केन्द्रीय संस्थाएँ हैं जो राज्यों को अनुदान देते समय उनके साथ 'शर्तों' लगा सकती हैं। योजना आयोग को तो जे० सी० जोहरी ने ठीक ही 'नवीन महान दैत्य' (A new Leviathan)¹ की संज्ञा दी है। राज्यों के पास अपनी विकासवादी योजनाओं और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए पर्याप्त आर्थिक साधनों का अभाव है इसलिये उनकी स्थिति "दान प्राप्त करने वाली निगम"² या 'उप्राप्त करने वाले बालक'³ से बँधकर नहीं। अपने वित्तीय स्रोतों पर भी भारत के सघीय एकको को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं क्योंकि सामाजिक और आर्थिक नियोजन पर केन्द्र का निर्देशन और नियंत्रण है इसलिए एकको के पहुँचे से सीमित आर्थिक क्षेत्र और भी मर्यादित हो जाते हैं।

भारतीय सघ के एकक विदेशी राज्यों या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर सकते और न ही उनसे कोई आर्थिक समझौता कर सकते हैं क्योंकि 'विदेशी सम्बन्ध' केन्द्रीय विषय है। जो कुछ अनुदान भारतीय सघ

1 See Johari J C Indian Govt and Politics, (Vishal Publications 1974) p 195

2 Ibid p 194

3 C A D, Vol IX, Part 6, p 210

के एक्को को प्राप्त हो सकता है व केन्द्र से या उसके माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि अनुदान की राशि के सम्बन्ध में केन्द्र का नियंत्रण अन्तिम है इसलिए केन्द्र चाहे तो कुछ राज्यों का पक्ष और कुछ राज्यों की उपेक्षा कर सकती है और कुछ गर काप्रेसी राज्यों ने केन्द्र पर यह आरोप भी लगाया है कि केन्द्र के नियंत्रण दनीय भावनाओं से प्रेरित रहे है। जसा कि के० बी० राव ने लिखा है कि सामान्यतया केन्द्र कुल मिलाकर अपनी नीति से किसी राज्य का पोषण कर सकता है और किसी का भूखा मार सकता है।¹ तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजामन्नार समिति (Rajamannar Committee) ने अपन प्रतिवेदन में (जो 1971 में प्रकाशित की गयी) वित्तीय अन्तरण (यागमन—financial devolution) का सुझाव दिया।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है राज्यों का निर्देशन दे सकता है कि वे अपने आय व्यय के लेखे किस प्रकार रखेंगे। इन लेखा का परीक्षण भी यही पदाधिकारी कराता है।

अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आर्थिक सक्कट की घोषणा के गम्भीर परिणाम निकल सकते है। राष्ट्रपति सघ और राज्यों के वित्तीय विभाजन में परिवर्तन कर सकता है, अनुदानों की राशि को (canons of financial propriety) स्थगित कर सकता है, राज्यों को वित्तीय औचित्य के नियमों की पालना के लिये निर्देशन दे सकता है, राज्यों के वित्तीय विधेयों पर अपनी स्वीकृति की मांग कर सकता है, मार्बेजनिक् पदाधिकारियों के वेतनों और भत्तों में कटौती कर सकता है आदि। स्पष्ट है कि भारत की वित्तीय प्रणाली पर केंद्र की निरकुशता है और यह प्रणाली 'सघीय' (federal) हान के स्थान पर अधिक सक्कलित (integrated) है।

विकासवादी योजनाओं और लोक कल्याणकारी कार्यों में अनुदान देने समय तो वह अपना नेतृत्व भी स्थापित कर सकती है। सक्कटकाल की स्थिति में ता राष्ट्रपति वित्तीय विभाजन, अनुदानों की राशि आदि को परिवर्तित या स्थगित कर सकता है।

एक दृष्टि में राज्यों का सघीय सहायता पर निर्भर हाना बरदान है। इसने माध्यम से सघ सरकार राज्य सरकारों की सक्कचित, सक्कीण और प्रादेशिक अग्रान विघटनकारी भावनाओं का मर्यादित कर सकती है और मरुच देण के लिय समुचित विकास योजनाओं का निर्माण कर सकती है। यद्यपि भारत में सघ और राज्यों में वित्तीय विभाजन जटिल है परंतु अनुदान के प्रावधान स्तन सक्कीण और हैं कि वे उनमें गतिरोध उत्पन्न करने के स्थान पर सामञ्जस्य ही स्थापित करती हैं यही कारण है कि जहाँ सघ सघीय सविधानों में वित्तीय विभाजन राज्यों में मुक्कमेवाजी को जन्म दिया है वहां भारत में सघ और

1 Rao K V Parliament Democracy of India
by John J C Ibid p 196

विभाजन ने मुकदमेवाजी को ज म नहीं दिया। यह "सघ और राज्यो मे वरारोपण के पूरा पृथक्करण और सघीय आय से राज्या को भारी मात्रा मे हस्तांतरण" का फल है। वित्त आयोग की व्यवस्था भी इस बात का प्रतीक है कि सघ और राज्या मे वित्तीय विभाजन अन्तिम और अपरिवर्तनीय नहीं। फिर, वित्तीय आयोगो की सिफारिशों इस बात की साक्षी ह कि राज्या को दिये जाने वाले अनुदान की राशि म उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जिस अनुदान की राशि 1952 मे 60 65 करोड थी वह अब 550 करोड से भी अधिक है।

समीक्षा प्रश्न

(Review Questions)

- 1 भारत मे केन्द्र राज्य सम्बन्धो पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिये।
- 2 भारतीय सघ और राज्यो के बीच विधायी और प्रशासनिक तथा वित्तीय सम्बन्धो का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। इन सम्बन्धो को किस सीमा तक सघीय सविधाना के अन्तर्कन कहा जा सकता है ?

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

मूल अधिकारों का अर्थ और इतिहास

राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जो वह अपने नागरिकों को प्रदत्त करता है। सामान्यतया अधिकार व्यक्ति के दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मायता प्रदान करता है। मूल अधिकारों के नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएँ हैं जिन्हें राज्य अपनी मूल विधि (संविधान) में उल्लिखित करता है। इनकी विशेषता ही यह होती है कि ये राज्य की मूल विधि के अन्तर्गत आते हैं। इन्हें उसकी पवित्रता प्राप्त होती है और य उससे द्वारा सुरक्षित होते हैं। ये ऐसी नियोजनाएँ हैं जो राज्य की पुलितिक शक्ति को मर्यादित करती हैं। कोई इनकी उल्लंघना नहीं कर सकता। यदि कोई कायपालिका आदेश या काय अथवा व्यवस्थापिका का कोई कानून इनकी उल्लंघना करता है या अपनी अधिकार शक्ति का अति-भ्रमण करता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। ये व्यक्ति के विकास के लिये आवश्यक समझे जाते हैं अतः कोई वादी (Complainant) इन्हें काय्या वत करन के लिये न्यायालय की शरण ले सकता है। इसकी एक विशेषता यह होती है कि इन्हें माधारेण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इनमें परिवर्तन के लिये विशेष प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। परंतु मूल अधिकार निरपक्ष नहीं होते, इन्हें सामाजिक हित में मर्यादित किया जा सकता है। परंतु इनकी विशेषता यह भी है कि इन पर लगाई गयी मर्यादाओं के औचित्य अनौचित्य का निर्धारण कायपालिका या व्यवस्थापिका नहीं करती बल्कि न्यायापालिका करती है। संक्षेप में, मूल अधिकार लोकतंत्र के 'आधार' और संविधान की 'आत्मा' समझे जाते हैं। ये व्यक्ति के विकास की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं जिनकी साधारण परिस्थितियाँ में उपक्षा नहीं की जा सकती।

भारत में मूल अधिकारों की विशेषताएँ या स्वरूप (Nature or Features of Fundamental Rights in India)

भारतीय संविधान के अंतर्गत दिये गये मूल अधिकारों का वर्णन करने में पहले उनकी विशेषताओं पर दृष्टिपात कर लेना अध्ययन की दृष्टि से अधिक उपयोगी होगा। ये विशेषताएँ ही भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के स्वरूप को स्पष्ट

विभाजन न मुकदमेवाजी को जम नहीं दिया। यह "सघ और राज्यों में वरारोपण के पूरे पृथक्करण और सघीय आय से राज्या को भारी मात्रा में हस्तांतरण"¹ का फल है। वित्त आयोग की व्यवस्था भी इस बात का प्रतीक है कि सघ और राज्या में वित्तीय विभाजन अन्तिम और अपरिवर्तनीय नहीं। फिर, वित्तीय आयोग की सिफारिशों इस बात की साक्षी है कि राज्या को दिये जाने वाले अनुदान की राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जिस अनुदान की राशि 1952 में 60 65 करोड़ थी वह अब 550 करोड़ से भी अधिक है।

समीक्षा प्रश्न

(Review Questions)

1. भारत में केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिये।
2. भारतीय सघ और राज्या के बीच विधायी और प्रशासनिक तथा वित्तीय सम्बन्धों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। इन सम्बन्धों को किस सीमा तक सघीय सविधानों के अन्तर्गत कहा जा सकता है ?

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

मूल अधिकारों का अर्थ और इतिहास

राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जो वह अपने नागरिकों को प्रदत्त करता है। सामान्यतया अधिकार व्यक्ति के वे दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान करता है। मूल अधिकार वे नागरिक और राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ हैं जिन्हें राज्य अपनी मूल निधि (संविधान) में उल्लिखित करता है। इनकी विशेषता ही यह होती है कि ये राज्य की मूल विधि के अभिन्न अंग होते हैं। इनके उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ हल नहीं की जा सकती हैं। ये ऐसी निषेधाज्ञाय हैं जो राज्य की पुलिस शक्ति को मर्यादित करती हैं। कोई इनकी उल्लंघना नहीं कर सकता। यदि कोई कानून इनकी उल्लंघना करता है या अपनी अधिकार शक्ति का अति-प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। ये व्यक्ति के विकास के लिये आवश्यक समझे जाते हैं अतः कोई वादी (Complainant) इनका उल्लंघन करने के लिये न्यायालय की शरण ले सकता है। इनकी एक विशेषता यह होती है कि इनके साधारण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इनमें परिवर्तन के लिये विशेष प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। परन्तु मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं होते, इनके सामाजिक हित में मर्यादित किया जा सकता है। परन्तु इनकी विशेषता यह भी है कि इन पर लगाई गयी मर्यादाओं के औचित्य अनौचित्य का निर्धारण कानून या व्यवस्थापिका नहीं करती बल्कि न्यायापालिका करती है। संक्षेप में, मूल अधिकार लोकतंत्र के 'आधार' और संविधान की 'आत्मा' समझे जाते हैं। ये व्यक्ति के विकास की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं जिनकी साधारण परिस्थितियों में उपेक्षा नहीं की जा सकती।

भारत में मूल अधिकारों की विशेषताएँ या स्वरूप (Nature or Features of Fundamental Rights in India)

भारतीय संविधान के अंतर्गत दिये गये मूल अधिकारों का वर्णन करने से पूर्व उनकी विशेषताओं पर दृष्टिपात कर लेना अध्ययन की दृष्टि से अधिक उपयोगी होगा। ये विशेषताएँ ही भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के स्वरूप को स्पष्ट

विभाजन ने मुकदमेवाजी को जन्म नहीं दिया। यह "सघ और राज्यों में वरारारण के पूरा पृथक्करण और सघीय आय से राज्यों को भारी मात्रा में हस्तांतरण"¹ का फल है। वित्त आयोग की व्यवस्था भी इस बात का प्रतीक है कि सघ और राज्यों में वित्तीय विभाजन अन्तिम और अपरिवर्तनीय नहीं। फिर, वित्तीय आयोगों की सिफारिशों इस बात की साक्ष्य हैं कि राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान की राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जिस अनुदान की राशि 1952 में 60 65 करोड़ थी वह अब 550 करोड़ से भी अधिक है।

समीक्षा प्रश्न

(Review Questions)

- 1 भारत में केन्द्र राज्य सम्बन्धा पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिये।
- 2 भारतीय सघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक तथा वित्तीय सम्बन्धों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। इन सम्बन्धों को किस सीमा तक सघीय सविधाना के अन्तर्गत रखा जा सकता है ?

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

मूल अधिकारों का अर्थ और इतिहास

राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जो वह अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सामान्यतया अधिकार व्यक्ति के दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान करता है। मूल अधिकार वे नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएँ हैं जिन्हें राज्य अपनी मूल विधि (संविधान) में उल्लिखित करता है। इनकी विशेषता ही यह होती है कि ये राज्य की मूल विधि के अभिन्न अंग होते हैं। इन्हें उसकी परिवर्तना प्राप्त होती है और ये उसके द्वारा सुरक्षित होते हैं। ये ऐसी निवेधानाएँ हैं जो राज्य की पुलिस शक्ति को मर्यादित करती हैं। कोई इनकी उल्लंघना नहीं कर सकता। यदि कोई कार्यपालिका आदेश या कार्य अथवा व्यवस्थापिका का कोई कानून इनकी उल्लंघना करता है या अपनी अधिकार शक्ति का अतिक्रमण करता है तो न्यायानुय उसे अवैध घोषित कर सकती है। ये व्यक्ति के विकास के लिये आवश्यक समझे जाते हैं अतः कोई वादी (Complainant) इन्हें कार्यान्वित करने के लिये न्यायालय की शरण ले सकता है। इनकी एक विशेषता यह होती है कि इन्हें साधारण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इनमें परिवर्तन के लिये विशेष प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। परन्तु मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं होते, इन्हें सामाजिक हित में मर्यादित किया जा सकता है। परन्तु इनकी विशेषता यह भी है कि इन पर लगाई गयी मर्यादाओं का औचित्य अनौचित्य का निर्धारण कार्यपालिका या व्यवस्थापिका नहीं करती बल्कि न्यायपालिका करती है। संक्षेप में, मूल अधिकार लोकतंत्र के 'आधार' और संविधान की 'आत्मा' समझे जाते हैं। ये व्यक्ति के विकास की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं जिनकी साधारण प्रक्रिया में उपेक्षा नहीं की जा सकती।

भारत में मूल अधिकारों की विशेषताएँ या स्वरूप

(Nature or Features of Fundamental Rights in India)

भारतीय संविधान के अंतर्गत दिये गये मूल अधिकारों का वर्णन करने से पूर्व उनकी विशेषताओं पर दृष्टिपात कर लेना अध्ययन की दृष्टि से अधिक उपयोगी होगा। ये विशेषताएँ ही भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के स्वरूप को स्पष्ट

करती है। भारतीय सविधान मे दिये गये नागरिको के मूल अधिकारो की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं —

1 सभी मूल अधिकार सभी को उपलब्ध नहीं—मूल अधिकारो की प्रमुख विशेषता यह है कि जहा कुछ अधिकार सभी व्यक्तियो को अर्थात् नागरिको और विदेशियो दोनो को उपलब्ध हैं वहा कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिको का उपलब्ध है। उदाहरणतया अनुच्छेद 14 मे उल्लिखित 'कानून के समक्ष समानता और कानून का समान सरक्षण', अनुच्छेद 20 मे उल्लिखित कार्योंतर विधि की मनाही, अपने विरुद्ध गवाही देने से सुरक्षा, अनुच्छेद 22 मे उल्लिखित जीवन और निजी स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23-24 मे उल्लिखित शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 मे उल्लिखित धार्मिक स्वतंत्रता, आदि न केवल भारतीय नागरिको का उपलब्ध है बल्कि विदेशियो को भी उपलब्ध हैं। दूसरी ओर अनुच्छेद 16 मे वर्णित सावजनिक सेवाओ मे नागरिको की समानता, बिना किसी भेद भाव के अक्सर की समानता, अनुच्छेद 19 मे उल्लिखित नागरिक स्वतंत्रतायें आदि केवल भारतीय नागरिको का ही उपलब्ध है विदेशियो का नहीं।

2 मूल अधिकार नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रतायें प्रदान करते हैं अधिक नहीं—मूल अधिकारो की दूसरी विशेषता यह है कि ये भारत मे राजनीतिक लोकतंत्र की गारण्टी है, अधिक लोकतंत्र की नहीं। ये नागरिको को भाषण अभिव्यक्ति, सभ, सगठन, भ्रमण आदि की स्वतंत्रताये तो प्रदान करते हैं परंतु इस के सविधान की भांति, काय, विश्राम, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा आदि को प्रदान नहीं करते। ये इस मायना पर भी आधारित नहीं कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव मे राजनीतिक स्वतंत्रता मिथ या निरर्थक है। भारत मे आर्थिक स्वतंत्रता का वाद हीन (unjusticiable) क्षेत्र मे, अर्थात् नीति निर्देशक तत्वा से सम्बंधित अध्याय चार मे रखा गया है। क्याकि भारतीय सविधान के अध्याय 3 मे, जो वाद-योग्य है नागरिको को भूख, बेरोजगारी, बीमारी, दरिद्रता, अनभिज्ञता, आदि विपदाओ से छुटकारा नहीं दिनाता अतः इस मुक्त मानवता के अधिकारो का यथाथ चाट्टर नहीं कहा जा सकता।

3 मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं—मूल अधिकारो की तीसरी विशेषता यह है कि ये निरपेक्ष, अनुल्लघनीय, या अहंरणीय नहीं। राज्य राष्ट्रीय हित, सुरक्षा, शान्ति, व्यवस्था, स्वास्थ्य, नतिवता आदि के नाम पर इन्हें मर्यादित, प्रतिबंधित या स्थगित कर सकती है। जहा अमरीकी सविधान नागरिको के मूल अधिकारो का प्रतिबंधन करने की व्यवस्था ही नहीं करता वहा भारतीय सविधान उही उपबंधो मे अंप्रधान, शर्तों, विशेष व्यवस्थाओ आदि द्वारा मूल अधिकारो पर मर्यादाओ को व्यवस्था करता है जिम उह नागरिको का प्रदत्त किया है। दूसरे शब्दो मे, भारतीय सविधान न केवल मूल अधिकारो का नवधानिक मायना प्रदान करता है बल्कि मर्यादाओ का भी सवधानिक मायना प्रदान करता है। 'मूल अधिकार' और 'मर्यादायें दाना वा'

योग्य है। सर्वकार में तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा नागरिकों को न्यायालय के सरक्षण से भी वंचित कर सकता है।

4 मूल अधिकार परिवर्तनीय है—मूल अधिकारों की चौथी विशेषता यह है कि ये स्थायी नहीं। इन्हें परिवर्तित या समाप्त किया जा सकता है। ये वाद योग्य हैं परन्तु स्थायी नहीं और जब भी 'यायालय के निरणय कायपालिका की सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ के विरुद्ध गये हैं तब ही उसमें सवधानिक संशोधनों का सहारा लेकर न्यायालय के निरणयों को प्रभावहीन बना दिया। दूसरे शब्दों में सविधान में परिवर्तन या संशोधन करने की शक्ति असंमित है। यदि गोलकनाथ के निरणय में 'यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में परिवर्तन करने की मनाही की तो संसद ने 24 वें संशोधन द्वारा इस शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। स्पष्ट है भारत में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धान्त को अपनाया गया है अमरीका की भाँति 'आर्थिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त को नहीं।

5 मूल अधिकारों का दोहरा स्वरूप—मूल अधिकारों की पाँचवीं विशेषता यह है कि जहाँ कुछ मूल अधिकार निषेधाज्ञायें (negative injunctions) जो राज्य का कुछ कार्य करने से मनाही करती हैं वहाँ कुछ मूल अधिकार सकारात्मक आदेश (positive commands) हैं जो राज्य को कुछ कार्य करने के लिये कहते हैं। उदाहरणतया जहाँ राज्य का कोई कार्य नागरिकों के कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सरक्षण से वंचित नहीं कर सकता वहाँ वह कानून द्वारा पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष व्यवस्थाएँ कर सकता है।

6 मूल अधिकार वाद योग्य है परन्तु 'यायालय लोगों से ऊपर नहीं—मूल अधिकारों की छठी विशेषता यह है कि राज्य यदि किसी व्यक्ति को इनमें वंचित करता है तो 'यायालयों का संरक्षण प्राप्त कर सकता है तथा 'यायालय द्वारा इन्हें प्रवर्तन (enforce) करा सकता है। 'यायालय ही इस बात का निर्धारण करता है कि मूल अधिकारों पर लगायी गयी मर्यादाएँ उचित हैं या नहीं। यदि मर्यादाएँ उचित नहीं या वे सवधानिक धाराओं की उल्लंघना करती हैं या वे अधिकार शक्ति का अतिक्रमण हैं तो 'यायालय मर्यादाओं को अवैध घोषित कर सकती है। परन्तु न्यायालय की यह शक्ति विकास के क्रम में बाधा प्रस्तुत नहीं कर सकती। संशोधन 24 और 25 से यह पूर्णतया स्पष्ट है। कोई भी 'यायालय नागरिकों की सर्वोच्च इच्छा को मर्यादित नहीं कर सकती, वह श्रुतियाँ बना सकती है उन स्पष्ट नहीं कर सकती। कोई न्यायालय लोगों से ऊपर नहीं।

7 मूल अधिकारों में अस्पष्टता और अतिव्यापना—मूल अधिकारों की सातवीं विशेषता यह है कि ये विस्तृत शान शून्य और अस्पष्ट हैं और इनमें (Overlapping) पाई जाती है जो अस्पष्टता (confusion) (contradictions) और अस्पष्टता (confusion) हैं। उदाहरणतया सावजनिक 1951, 1952 और 1953 के संशोधन

व्यवसाय, अल्पसंख्यक राशि, शब्दा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। इतना ही नहीं मूल अधिकारों में कुछ को वारम्बार लिखा गया है और कुछ को मूल अधिकारों से भिन्न अध्यायों में भी लिखा गया है। ये दोनों तत्व व्याघाता और अतिथियों को उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतया 19 (1) (f) और अनुच्छेद 31 दोनों सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित हैं परन्तु एक सम्पत्ति के अजन व्ययन आदि का अधिकार देता है तो दूसरा उसकी मर्यादाओं का उल्लिखित करता है। यह समझ में नहीं आता कि अनुच्छेद 19 (1) (g) में व्यवसाय की स्वतन्त्रता का अध्याय चार में वर्णित नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध सबसे समझित किया जा सकता है। इसी तरह से व्यापार की स्वतन्त्रता पूजा के केंद्रीकरण को रोकने की व्यवस्था से मेल नहीं खाती। ये तत्व ही अधिक मुकदमेवाजी और ससद तथा न्यायालय में सघष को जन्म देते हैं।

8 मूल अधिकारों में सिद्धान्त और व्यवहार में भिन्नता—सिद्धान्त रूप में नागरिकों के मूल अधिकार अत्यधिक प्रभावपूर्ण प्रतीत होते हैं परन्तु व्यवहार में उन पर लगाई गयी मर्यादाओं ने उन्हें अवास्तविक बना दिया है। वस्तुतः मर्यादाओं का क्षेत्र इतना व्यापक है कि यह जानना बड़ा कठिन है कि नागरिकों का कान कौन से मूल अधिकार दिये गए हैं। समानता के अधिकार में सरक्षित भेदभाव (protective discrimination) की व्यवस्था है, स्वतन्त्रता के अधिकार में पी० उ० ए०, भीसा और भारत सुरक्षा अधिनियम विद्यमान हैं निघनता शिक्षा के अधिकार को अवास्तविक बनाती है सम्पत्ति के अधिकार में न्यायालय सावजनिक हित में अधिग्रहीत की गयी निजी सम्पत्ति के लिये दी जाने वाली 'राशि' के औचित्य की समीक्षा नहीं कर सकती। सबसे भयानक बात यह है कि राष्ट्रपति सकट काल में नहीं अपितु शांति काल में सवधानिक उपचारों के अधिकार को म्थगित कर सकता है अर्थात् नागरिकों को न्यायालय के संरक्षण से वंचित कर सकता है।

भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किये गये मूल अधिकार

(Fundamental Rights granted to the Indian Citizens)

संविधान के भाग 3 के चौबीस अनुच्छेद (अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक) भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख करते हैं। परन्तु संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गये ये अधिकार न तो निरपक्ष हैं और न ही अनिश्चित। वस्तुतः संविधान के उही अनुच्छेदों में सीमाओं प्रतिस्था और निलम्बन की व्यवस्था की गयी है जिनमें इन्हें प्रदान किया गया है।

संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गये अधिकार निम्न हैं —

- 1 समानता का अधिकार।
- 2 स्वतन्त्रता का अधिकार।
- 3 शापण व विरुद्ध अधिकार।
- 4 धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार।

5 सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ।

6 सम्पत्ति का अधिकार ।

7 सर्वैधानिक उपचारों का अधिकार ।

1 समानता का अधिकार—समानता प्रजातन्त्र की आधारशिला है । समानता के अभाव में प्रजातन्त्रिक सरकार या सभ्य समाज की कल्पना करना कठिन है । भारतीय संविधान के पाँच अनुच्छेद (अनुच्छेद 14 से 18 तक) नागरिकों के समानता के अधिकार का उल्लेख करते हैं ।

अनुच्छेद 14 भारत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों का कानून के समक्ष समानता (equality before law) और कानून के समान संरक्षण (equal protection of the law) का अधिकार प्रदान करता है । इस तरह यह अधिकार न केवल भारतीय नागरिकों का बल्कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों (विदेशिया सहित) को भी उपलब्ध है और राज्य उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता । परन्तु 'कानून के समक्ष समानता' या 'कानून के समान संरक्षण' का यह अर्थ नहीं कि राज्य का 'प्रत्येक कानून मावलीकिक होगा चाहिये' या राज्य 'उचित वर्गीकरण (reasonable classification) नहीं कर सकता । राज्य विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विशेष कानून का निर्माण कर सकता है और परिस्थिति की भाग के अनुसार, क्रमिक सुधार के नियम, कुछ संसद्द्वारा या विशिष्ट क्षेत्रों में उन्हें लागू भी कर सकता है । इस तरह राज्य उचित वर्गीकरण तो कर सकता है परन्तु वर्गीय विधान (class legislation) या साम्प्रदायिक कानून का निर्माण नहीं कर सकता ।

'कानून के समक्ष समानता' और 'कानून के समान संरक्षण' का अर्थ केवल इतना है कि राज्य कानून द्वारा व्यक्तियों में या तो समान स्वभाव, उपलब्धियों या परिस्थितियों वाले व्यक्तियों में भिन्नता नहीं कर सकता । यदि राज्य ऐसा करता है तो उस कानून का न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है । इस तरह यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कसी ही क्यों न हो समानता का आश्वासन नहीं देता अर्थात् सभी स्तरों पर समान आचरण या समरूप व्यवहार (identical treatment) का आश्वासन नहीं देता । यह केवल एक ही (समान) स्थिति में रहने वाले एक से व्यक्तियों में समानता का आश्वासन देता है । जमाकि सर्वोच्च न्यायालय ने चिरजीलाल बनाम भारत मध क मुकदमे में अवलाकिन किया था कि 'समान संरक्षण का अर्थ समान परिस्थितियों में समान संरक्षण है ।' उदाहरणतया विधायक के विशेषाधिकार यायावीशा के विशेषाधिकार के समान नहीं बनाया जा सकता या एक साधारण नागरिक समान संरक्षण के आधार पर उन सुविधाओं की भाग नहीं कर सकता जो एक उच्च सावजनिक पदाधिकारी को उपलब्ध है । परन्तु एक विधायक के विशेषाधिकार दूसरे विधायक के विशेषाधिकारों से, जो एक ही (समान) स्थिति में हैं, भिन्न नहीं हो सकते ।

यह बात ध्यान में योग्य है कि अनुच्छेद 14 केवल राज्य का नागरिकों में भिन्नता करने से मनाही करता है परन्तु यह अनुच्छेद नागरिकों के परस्पर व्यवहार

में भिन्नता करने से मनाही नहीं करता। उदाहरणतया यदि कोई उद्योगपति अपने उद्योग में अपने वचनकारियों के वेतना या अन्य व्यवहारों में अनुचित भिन्नता करना है तो उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अनुच्छेद 15 ऊँच नीच के भेद-भाव को समाप्त करना है तथा राज्य को धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर नागरिकों में भिन्नता करने से मनाही करता है। इतना ही नहीं, मघिधान का यह अनुच्छेद राज्य पर यह सकारात्मक उत्तरदायित्व भी डालता है कि वह ए-भी व्यवस्थाएँ उत्पन्न करेगा जिससे सभी दुकानें, सावजनिक भोजनालय, हाटल तथा सावजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश तथा कुर्मा, तालावा, स्नान घाटो, सडकों, मार्गों तथा इसी प्रकार के सभी सावजनिक स्थानों तथा जिह सावजनिक प्रयाग के लिये समर्पित कर दिया गया हो तथा जिह अशत या पूणतया राज्य द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, वे सभी नागरिकों के प्रयोग के लिये खुले रहें। इस तरह यह अनुच्छेद, जसाकि एम० वी० पायली ने लिखा है कि इसका महत्त्व इन वाता में है कि यह "प्रातीयता की जडो पर प्रहार करता है एकहरी नागरिकता को प्रोत्साहन देता है तथा सामाजिक समानता को सबल बनाता है।"¹

अनुच्छेद 15 महिलाओं, बच्चा, सामाजिक तथा शक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये विशेष व्यवस्थाएँ बनाने से राज्य को मनाही नहीं करता। परन्तु ये व्यवस्थाएँ चिरकाल तक बनी नहीं रह सकती बल्कि उस समय तक ही विद्यमान रहेंगी जब तक इन वर्गों की स्थिति अन्य नागरिकों के समान नहीं हो जाती।

अनुच्छेद 16 सावजनिक सेवाओं में नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है अर्थात् सावजनिक नौकरियों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, ब्रह्म, जन्म स्थान या निवास के आधार पर नागरिकों में कोई भेद भेद नहीं किया जा सकता परन्तु संसद कानून द्वारा राज्य की सेवाओं या स्थानीय सेवाओं के लिये निवास स्थान (residence) की शत लगा सकती है परन्तु यह कानून केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाली सावजनिक सेवाओं पर लागू नहीं होता। संसद कानून द्वारा पिछड़ी हुई जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रख सकती है यदि संसद की दृष्टि में इन जातियों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व समुचित न हो और संसद चाहे तो कानून द्वारा धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों की नियुक्ति उस धर्म के अनुयायियों तक सीमित रख सकती है। परन्तु राज्य इन विशेष व्यवस्थाओं के नाम पर 'साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली' या 'प्रातीयता' का प्रसार नहीं कर सकती यद्यपि 'निवास स्थान' के नाम पर कुछ सुविधाएँ प्रदान कर सकती है। उदाहरणतया राज्य यह निर्धारित कर सकता है कि राज्य के चिकित्सा विद्यालयों

(medical colleges) में राज्य के निवासियों को शुल्क में रियायतें दी जायेंगी या काम करने वाली महिलाओं का मातृत्व सुविधाये (maternity relief) या बच्चा को निःशुल्क शिक्षा या महिलाओं व बच्चा के लिये पृथक् पाकों या सावजनिक स्थानों में प्रवेश और निकाम द्वार के लिये विशेष व्यवस्थाओं या सावजनिक शिक्षा केन्द्रों में पिछड़ी हुई जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन जातियाँ के लिये स्थानों को सुरक्षित रख सकनी हैं।

व्यवहार में निवास स्थान (residence) के अन्तर्गत का चरम सीमा तक प्रयोग होने लगा है जिससे नागरिकों के समानता के अधिकार को न बेवत खतरा उत्पन्न हो गया है बल्कि उसके अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हुआ है। इसमें राष्ट्रीय एकता की भावना पर भी कुठाराघात किया है। जिस ढंग से प्रांतीय (राज्य) सरकारों ने 'धरती के लाल (Sons of the Soil) के सिद्धांत और 'प्रांतीय भाषाओं' का प्रांतीय सेवाओं में स्थान दिया जाता है वह राष्ट्रीय एकता और समानता के लिये अच्छा शकून नहीं क्योंकि ये तत्व प्रांतीयता, क्षेत्रीयता और संकीर्ण भावनाओं का जन्म देते हैं 'यापक' राष्ट्रीय भावनाओं का नहीं। इतना ही नहीं, पिछड़ी हुई जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन जातियाँ के लिये 'संरक्षणात्मक भेद' (protective discrimination) का प्रयोग राजनीतिक हिता की पूर्ति के लिये किया जा सकता है। चिरकाल तक सावजनिक सेवाओं में "संरक्षणात्मक भेद" की व्यवस्था को बनाये रखना अनवरत सिद्ध हो सकता है। प्रथम 'पूज्यता के पाप' के लिये वर्तमान सन्तानों में इस भेद को बनाये रखना प्राकृतिक 'याय' और 'याय' की भावना के विरुद्ध है यद्यपि तथाकथित सामाजिक याय, जिस कभी परिभाषित नहीं किया जा सकता और जो सदा सापेक्ष है निरपेक्ष नहीं, की भावना के आधार पर इसका वितरण ही समर्थन क्यों न किया जाये। दूसरे, इस बात की क्या गारण्टी है कि इन व्यवस्थाओं का जिन्हें मविधान लागू होने के बरत 10 वर्ष तक (i.e. 1960 तक) रखा गया था उन्हें राजनीतिक हिता की रक्षा हेतु स्थायी तत्त्व नहीं बनाया जायगा। यदि इनका प्रयोग "वोट बैंक" (Vote Bank) के रूप में किया जाने लगा तो उससे अत्यधिक हानि हो सकती है। तीसरे, इस बात की भी गारण्टी नहीं कि इन सुविधाओं का एक द्वार प्राप्त कर दे जातियाँ इसे आमानी से समाप्त हो न देंगी। इन व्यवस्थाओं का 'जाति' के आधार बनाये रखना "व्यक्तिगत" और 'जाति' भावना को बनाये रखने में मदद करती है जाति भावना को समाप्त करने में नहीं। समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान का अर्थ 'पूर्वाग्रह' (prejudice) नहीं होता। एम० सी० सीतलवाड ने ठीक लिखा है कि "जिम अक्षय समानता की बात मानव जाति युग में करती रही है वह (भारत में) अभी स्वप्न ही है। स्थिति और अवसर की समानता के उद्देश्य को भी, जिसका अर्थ हमारा अर्थपूर्ण अर्थ है, समर्थित नहीं करनी चाहिए।" (The Indian National Congress, 1950, p. 10)

तब हमने प्राप्त किया है वह केवल प्रतिकूल भिन्नता का निवारण है—अर्थात् बुरी नजर से व्यक्तियों के चयन को दूर किया है।”²

अनुच्छेद 17 एक ऐसी सामाजिक अयोग्यता का दूर करता है जो भारतीय समाज में युगा से चन्ती या रही थी अर्थात् अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता जैसी अत्यन्त निकृष्ट सामाजिक रीति का दूर करता है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में प्रचार अब दण्डनीय अपराध है। इसके अंतर्गत दिये जाने वाले दण्ड का उल्लेख 1955 के अस्पृश्यता (अपराध) कानून XXII में किया गया है।

अनुच्छेद 18 सबसाधारण में कृत्रिम भेदभाव को समाप्त करता है अर्थात् भारतीय संविधान सेना और शिक्षा सम्बन्धी उपाधियाँ को छाड़ कर, अन्य उपाधियों के वितरण पर रोक लगाता है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि (खिताब या पदवी) प्राप्त नहीं कर सकता और कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं परन्तु भारत में किसी लाभ के पद पर है ता वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि या सहायता प्राप्त नहीं कर सकता।

व्यवहार में अनुच्छेद 18 की उपेक्षा की गयी है क्योंकि भारत सरकार ने नागरिकों के श्रेष्ठ कार्यों या सेवाओं के लिये राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया है और भारत के रत्न पद्म भूषण और पद्मश्री जैसी उपाधियाँ को वितरित करने की प्रथा को शुरू किया है। इन उपाधियों के वितरित करने का उद्देश्य कुछ भी हो इस बात में इन्कार नहीं किया जा सकता कि कोई भी सत्तारूढ दल अपने समर्थकों की सत्ता बढाने के लिये इनका प्रयोग अपने हितों में कर सकती है और अग्रजी शासकों की भाँति समाज में भिन्नताएँ उत्पन्न कर सकती है। इस तरह इन उपाधियों को वितरित करने की प्रथा भविष्य के लिये अच्छा शकुन नहीं कहा जा सकता।

समानता के अधिकार में एक टुटि भी है। वह यह कि यह नागरिकों का नाय, व्यवसाय, आर्थिक सुरक्षा और विश्राम की समानता के अधिकारों का उल्लेख नहीं करता। दूसरे शब्दों में, संविधान नागरिकों को केवल राजनीतिक समानता का आश्वासन देता है आर्थिक समानता का नहीं।

उपरोक्त वर्णन में स्पष्ट है कि भारत के नागरिकों को उन अर्थों में समानता का अधिकार प्राप्त नहीं जिन अर्थों में इसे पश्चिम के देशों में समझा जाता है और न ही इसका स्वरूप वैसे साम्यवादी देशों की भाँति आर्थिक समानता पर आधारित है।

2 स्वतंत्रता का अधिकार—स्वतंत्रता मानव विकास की प्रथम शक्ति है और उदार लोकतंत्र की मुख्य आधार शिला है। इसके अभाव में लोकतंत्र की कल्पना

करना कठिन है क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है, समाज की प्रगति कुंठित हो जाती है और सत्य का गला घुट जाता है।

भारतीय संविधान अथ लोकात्मिक संविधानों की भांति अपने चार अनुच्छेदों में (अनुच्छेद 19 से 22 तक) नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है जिसे "मूलतः आवश्यक अधिकारों" की संज्ञा दी गयी है। एम० वी० पागली इन चार अनुच्छेदों को "मौलिक अधिकारों के अध्याय के मौलिक आधार परता है।" इनमें उल्लिखित स्वतंत्रतायें नागरिक स्वतंत्रतायें (civil liberties) हैं, राजनीतिक स्वतंत्रतायें (political liberties) नहीं क्योंकि ये नागरिकों के मताधिकार या नावर्जना पद आदि को प्राप्त करने के राजनीतिक अधिकारों से सम्बंधित नहीं। ये 'निजी स्वतंत्रतायें' हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से सम्बंधित हैं। ये वे प्राकृतिक स्वतंत्रतायें हैं जिन्हें सभ्य स्वतंत्र देश में नागरिकों में अतिरिक्त समझी जाती हैं। ये वे मुख्य, महान, एवं मूल स्वतंत्रतायें हैं जिन पर भारत का लोकतांत्रिक भविष्य निर्भर करता है। समानता के मूल अधिकार और स्वतंत्रता के मूल अधिकार में प्रमुख भेद यह है कि जहाँ समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है वहाँ स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है।

अनुच्छेद 19 (1) में संविधान जिन नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है वे निम्न हैं —

- (a) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- (b) शांतिपूर्ण एवं विना हथियारों को इकट्ठा होने की स्वतंत्रता।
- (c) समुदाय एवं सघ बनाने की स्वतंत्रता।
- (d) समस्त भारत में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण (आने जाने) की स्वतंत्रता।
- (e) भारत के किसी भाग में निवास या वन जान की स्वतंत्रता।
- (f) सम्पत्ति अर्जन, धारण और व्ययन करने की स्वतंत्रता।
- (g) निजी व्यवसाय, कारागार या व्यापार की स्वतंत्रता।

उपरोक्त नागरिक स्वतंत्रताओं में प्रेम या टापाखाने की स्वतंत्रता स्पष्टता या उल्लिखित नहीं किया गया परन्तु इनमें सम्मिलित स्वतंत्रता "विचारों की अभिव्यक्ति" की स्वतंत्रता में निहित है। जहाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश चंद्र वनाम मद्रास राज्य के मुखदम में अत्राक्षित किया था कि विचारों की प्रचार, प्रकाशन और परिचालन (circulation) की स्वतंत्रता क्योंकि समाचार पत्र, पुस्तकें, चित्रपट, आकाशवाणी इत्यादि विचार अभिव्यक्ति के मुख्य माध्यम हैं इसलिए ये स्वतंत्रतायें भी स्वतंत्रता में गिनी हैं। इस प्रकार प्राग 19 (1) (b) सभाओं, जलूतों, प्रदर्शनों आदि की स्वतंत्रता का स्पष्टता

फिर भी ये सब स्वतन्त्रतायें 'शांतिपूर्ण एव दिना अस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतन्त्रता में निहित हैं।

यह सत्य है कि उपयुक्त नागरिक स्वतन्त्रतायें व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिये अनिवार्य हैं परन्तु फिर भी किसी सम्य सम्राज में इन्हें निर्बाध या निरपेक्ष रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि वास्तविक स्वतन्त्रता उचित बाधाओं के वातावरण में ही जीवित रह सकती है। जसाकि एक लिखा है कि "स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये उसका सीमित होना अनिवार्य है।" अधिकार, चाहे साधारण हो या मूल, सीमाओं में ही साकार हो सकते हैं। निरपेक्ष, असीमित, निर्बाध और अनियंत्रित स्वतन्त्रताओं की कल्पना मिथ्या है। अनियंत्रित स्वतन्त्रतायें समाज के लिये घातक सिद्ध हो सकती हैं। गणराज्य की स्वतन्त्रता को नष्ट कर सकती हैं, विध्वंसकारी तत्वों को बढ़ावा दे सकती हैं तथा समाज में अव्यवस्था और अराजकता को जन्म दे सकती हैं। उदाहरणतया किसी व्यक्ति को ऐसे सघ या समुदाय निर्माण की आज्ञा नहीं दी जा सकती जो पड़ोस पर उदार है या शांति और व्यवस्था भंग करते हैं। इसी प्रकार सभ्यता रोग से पीड़ित व्यक्ति को सचरण की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती। मरकार की कर्मचारी जा सेवा के नियमों से बाध्य होते हैं, ऐसे सघों का निर्माण नहीं कर सकते जिनका निर्माण साधारण नागरिक करते हैं।¹

स्पष्ट है कि प्रत्येक सम्य सम्राज में नागरिक स्वतन्त्रताओं और सामाजिक आवश्यकताओं में संतुलन उत्पन्न करने के लिये सामाजिक नियंत्रण अर्थात् मर्यादाओं या प्रतिबंधों की व्यवस्था की जाती है। उदाहरणतया अमरीका में जहाँ सविधान राज्य की पुलिस शक्तियों का बल नहीं करता, सर्वोच्च न्यायालय को पुलिस शक्तियों के सिद्धांत का विकास करना पड़ा।

भारतीय सविधान स्वयं उन परिस्थितियों का उल्लेख करता है जिनमें नागरिक स्वतन्त्रतायें मर्यादित की जा सकती हैं। उदाहरणतया राज्य की सुरक्षा, दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बंध, सावजनिक व्यवस्था, शिष्टता (decency), नतिकता, न्यायालय का अपमान, बदनाम अर्थात् अपमान लेख, अपमान वाचन तथा मानहानि या अपराध के लिये उत्साने आदि की स्थिति में राज्य नागरिक स्वतन्त्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। यदि कोई व्यक्ति या सघ भारत के किसी भाग के सघ से पृथक् होने का प्रचार करता है तो भी राज्य नागरिक स्वतन्त्रताओं को मर्यादित कर सकता है। सावजनिक हित या अनुसूचित जन जातियों के हितों की रक्षा हेतु भी नागरिक स्वतन्त्रतायें मर्यादित की जा सकती हैं। राज्य कुछ व्यवसायों पर जैसे वेश्या वृत्ति या शरीर व्यापार (immoral traffic in human beings) पर प्रतिबंध लगा

1 Quoted by Sharma, B M The Republic of India (Asia Publishing House) 1966, p 184

सबता है, कुछ व्यवसाया के लिये जैसे डाक्टरों, वकीलों, अध्यापकों आदि के लिये शैक्षणिक योग्यतायें निर्धारित कर सबता है, कुछ व्यवसाया या उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है या उन पर अपना एकाधिकार स्थापित कर सबता है या उन्हें राज्य द्वारा संचालित या नियंत्रित निगमों को सौंप सकता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक और आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से अर्थात् भाग चार में वर्णित नीति निर्देशक तत्वाओं को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भी नागरिक स्वतंत्रताओं को मर्यादित किया जा सकता है। सशोधन 25 तो इसका स्पष्ट उल्लेख करता है।

मयादाओं के उपयुक्त क्षेत्रों से स्पष्ट है कि भारत में राज्य के पास नागरिक स्वतंत्रताओं पर मर्यादायें लगाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि संविधान नागरिकों की प्रशासन से रक्षा नहीं करता या शासन पर मर्यादायें नहीं लगाता। संविधान यदि नागरिक स्वतंत्रताओं पर मयादाओं की व्यवस्था करता है तो वही संविधान कायपालिका निरकुशता या मनमानी शासन से भी उनकी रक्षा करता है। मर्यादायें निरकुश, मनमानी या अत्यधिक (excessive) नहीं हो सकती। संविधान इस बात की स्पष्ट व्याख्या करता है कि मर्यादायें कानून की प्रक्रिया द्वारा ही लगायी जा सकती हैं अर्थात् वे ही मर्यादायें लगायी जा सकती हैं जिनकी कानून आना देता है। मर्यादायें प्रयोजन से सम्बंधित होनी चाहिये अर्थात् मयादायें उस सीमा तक लगायी जा सकती हैं जिस सीमा तक सावजनिक हित इसकी मांग करता हो। मर्यादायें बदनियती (mala fide intention) से नहीं लगायी जा सकती। इसके अतिरिक्त मर्यादायें युक्तियुक्त (reasonable) ही हो सकती हैं। 'यायालय ही इस बात का निर्धारण करता है कि मर्यादायें "युक्तियुक्त" हैं या नहीं। चिन्तामणि राय बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मुकदम में सर्वोच्च 'यायालय ने अवलोकित किया था कि "व्यवस्थापिका द्वारा युक्तियुक्त मर्यादाओं का निर्धारण अंतिम या निर्णायक नहीं। यह इस 'यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन है व्यवस्थापिका का कोई कानून यदि संवैधानिक स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण करता है तो 'यायालय को उसे रद्द करने का अधिकार है।'

अनुच्छेद 20 व्यक्ति को निजी स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा राज्य को कार्योत्तर (बीती हुई घटनाओं के लिये—ex post facto law) विधि निर्माण से मनाही करता है। यह अनुच्छेद इस बात की भी गारण्टी देता है कि व्यक्ति को तभी दण्डित किया जा सकता है यदि वह अपराध करते समय किसी विद्यमान कानून का उल्लंघन करता है। यदि व्यक्ति के किसी कार्य से किसी विद्यमान कानून की उल्लंघना नहीं होती तो उसे दण्डित नहीं किया जा सकता। दूसरे, दण्ड की मात्रा कानून में वर्णित दण्ड में अधिक नहीं हो सकती। तीसरे, एक अपराध के लिये अभियुक्त को एक बार ही दण्ड दिया जा सकता है। चौथे, किसी अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता अर्थात् कथित अभियुक्त से

यह नहीं कहा जा सकता कि वह सिद्ध करे कि वह अपराधी नहीं है। यह तो अभियोक्ता (accuser) का दायित्व है कि वह सिद्ध करे कि व्यक्ति अभियुक्त ने क्या अपराध किया है।

अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में सबसे संक्षिप्त अनुच्छेद है परंतु यह नागरिकों को सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता प्रदान करता है। परंतु संविधान ने इसे भी निरपेक्ष रूप में स्वीकार नहीं किया। इसे भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law) से मर्यादित किया है अर्थात् कायपालिका स्वेच्छा से या मनमाने ढंग में किसी व्यक्ति को उसके जीवन और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकती यद्यपि कानून द्वारा वह नागरिकों को उनके जीवन और निजी स्वतंत्रताओं से वंचित रख सकती है। इस तरह कानून द्वारा कायपालिका नागरिकों को उनके जीवन और निजी स्वतंत्रताओं से वंचित कर अथवा नागरिक स्वतंत्रताओं से भी वंचित कर सकती है क्योंकि जीवन और निजी स्वतंत्रता के अभाव में अथवा स्वतंत्रताएँ निरर्थक हो जाती हैं। सबसे भयानक स्थिति यह है कि भारतीय न्यायालय ऐसे कानून के अधीन (घरघरई या बुराई) को निर्धारित नहीं कर सकती अर्थात् न्यायालय कानून को इस आधार पर रद्द नहीं कर सकती कि वह बुरा है, अन्यायिक है, दुराचारी है या निन्दनीय है। कानून चाहे कितना ही दुराचारी क्यों न हो यदि उसे संवैधानिक धाराओं के अनुकूल बनाया गया है और कानून निर्मात्री सभा ने अपनी अधिकार शक्ति का अतिक्रमण नहीं किया तो न्यायालय उस कानून को अथवा या असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कानिया ने अवलोकित किया था कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्वीकार करने से संविधान ने कानून को निश्चित करने का पूरा अधिकार व्यवस्थापिका को दिया है। गिरफ्तारी, दण्ड या नजरबंदी आदि के सम्बन्ध में कोई कानून कितना ही कठोर क्यों न हो, भारतीय न्यायालय जनता के लिये कुछ नहीं कर सकती।" इस तरह भारतीय संविधान इस क्षेत्र में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार करता है, न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं।

अनुच्छेद 22 नागरिकों को मनमानी (निरंकुश) गिरफ्तारी और हत्यालात से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद इस बात की व्यवस्था करता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाय तो उसे—

- (a) गिरफ्तारी के कारणों से यथा शीघ्र सूचित किया जाय। सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकित किया है कि गिरफ्तारी के 5 दिनों के अन्दर अन्दर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करा देना चाहिये। गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट एवं गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की समझ में आने वाली भाषा में होने चाहिये। बंदी बनाये जान के कारण उद्देश्य की पूर्ति के अनुकूल हो।
- (b) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार अधिवक्ता (Advo-

cate) में परामर्श लेने का अधिकार है। उसे यथाशीघ्र सफाई या याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

- (c) गिरफ्तार करने के 24 घण्टे के भीतर (इसमें जेल से न्यायालय तक पहुँचने का समय सम्मिलित नहीं है) उसे दण्डाधिकारी (Magistrate) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये और दण्डाधिकारी के आदेश पर ही उसे हिरासत में रखा जा सकता है।

उपयुक्त सुविधायें उन बाँदीयों को प्राप्त नहीं होती जो या तो विदेशी शत्रु-देश से सम्बन्ध रखते हों या जिन्हें निवारक निरोध अधिनियम (Preventive Detention Act) के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो।

निवारक निरोध (Preventive Detention)

संविधान अनुच्छेद 22 (4) में निवारक निरोध की व्यवस्था करता है परंतु उस परिभाषित नहीं करता। निवारक निरोध को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है कि जब अधिकार शक्ति (authority) के पास किसी अमुक व्यक्ति का हिरासत में रखने के लिये कोई गवाही (evidence) न हो और न ही उस पर कोई कानूनी आरोप लगाने के लिये कोई कानूनी प्रमाण हो परंतु फिर भी उसके पास उसे हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण हो तो उसे निवारक निरोध कहते हैं। दूसरे शब्दा में, (बिना अपराध सिद्ध किये, बिना कोई आरोप लगाये, जब किसी व्यक्ति को "शका" या "सम्भावना" या "भूत के कार्यों" के आधार पर हिरासत में रखा जाता है तो उसे निवारक निरोध कहते हैं। स्पष्ट है कि निवारक निरोध का उद्देश्य दण्डात्मक निरोध (Punitive detention) की भाँति किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिये दण्डित करना नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। किसी अमुक व्यक्ति को करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने से रोकना है।

संविधान सभा ने निवारक निरोध अधिनियम के बनाने का अधिकार प्रदान करता है और सभा ने 1950 में निवारक निरोध कानून का निर्माण तीन वर्ष के लिये किया था परंतु जिसकी अवधि निरंतर बढ़ाई गयी है और अब ऐसा प्रतीत होता है कि जिसकी व्यवस्था अस्थायी रूप में की गई थी वह स्थायी रूप स्थापित किये जा रहा है। इतना ही नहीं सन् 1971 में सभा ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) का भी निर्माण किया है और इसे और अधिक बड़ा बनाने के उद्देश्य से सरकार ने मिसा (MISA) में संशोधन का प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया परंतु विरोधी दला की उग्र आलोचना के कारण उसे किन्हीं कारणों से वापस ले लिया गया।

1. वर्तमान संवैधानिक स्थिति में 30 जून, 1975 के अध्यादेश द्वारा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) में संशोधन किया गया है।

निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को निम्न सुविधायें उपलब्ध हैं —

- (i) अमुक व्यक्ति का, बिना अभियोग लगाए, अधिक से अधिक तीन महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है ।
- (ii) परामशदात्री मण्डल के परामश पर ही निवारक निरोध की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । दूसरे शब्दों में, परामश दात्री मण्डल के इस परामश पर ही कि अमुक व्यक्ति का हिरासत में रखने के पयाप्त कारण हैं तो ही उसे हिरासत में रखा जा सकता है ।
- (iii) उही व्यक्तियों को परामशदात्री मण्डल के सदस्य बनाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के 'यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की अर्हतायें (योग्यतायें) रखते हैं । ससद कानून द्वारा परामशदात्री मण्डल के गठन और क्षेत्र सम्बन्धी प्रक्रिया को निर्धारित कर सकती है ।
- (iv) निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के हिरासत की अवधि निवारक निरोध कानून में वर्णित अवधि से अधिक नहीं हो सकती ।
- (v) हिरासत में लिये गये व्यक्ति को यथाशीघ्र उन कारणों से अवगत कराया जायेगा जिनके अंतर्गत उसे हिरासत में ले लिया गया है । परन्तु यदि अधिकार शक्ति यह अनुभव करे कि ऐसे कारणों को बताना या सूचित करना सावजनिक हित में नहीं तो कारणों को बताने से इन्कार भी किया जा सकता है ।
- (vi) हिरासत में रखे गये व्यक्ति को निवारक निरोध आदेश के विरुद्ध अभिवेदन (representation) प्रस्तुत करने का अधिकार है ।
- (vii) हिरासत की तीन महीने की अवधि को ससद कानून द्वारा, बिना परामशदात्री मण्डल के परामश के, बढ़ा सकती है ।

1 निवारक निरोध की आलोचना—निवारक निरोध धाराओं की कड़ी आलोचना की गयी है । इन्हे अत्याधिक, अलोकतन्त्रीय, प्रतिश्रियावादी एवं खतरनाक की सजा दी गयी है । ये जहाँ विधि के शासन को अवरोध करती है वहाँ स्वस्थ, शुद्ध एवं निष्पक्ष न्याय की भावना के भी विरुद्ध है । ये नागरिक स्वतन्त्रताओं के रक्षक और कायपालिका की निरकुशता के परिचायक हैं । इन्हे ठीक ही "निरकुशता के प्रपत्र" और सविधान सभा की एक महान असफलता कहा गया है । (डा० वक्शी टेक्चर ने इन्हे "दमन के चाटर और स्वतन्त्रता के वचन (Charter of oppression and denial of liberty) की सजा दी है । 'यायाधीशों ने भी इन धाराओं को लोकतन्त्र और नागरिकों के मूल अधिकारों के विरुद्ध कहा है ।) 'यायाधीश महाजन ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मुकदमों में अवलोकित किया था कि "निवारक निरोध कानून लोकतान्त्रिक सविधानों के विरुद्ध है और उन्हे विश्व के किसी भी

लोकतांत्रिक देश में नहीं देखा जा सकता। आशय की बात तो यह है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अध्याय में इसे स्थान दिया है।¹⁾ 'यायाधीश मुकर्जी के शब्दों में "निवारक निरोध निःसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे नागरिक स्वतन्त्रता पर आक्रमण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता।"

निवारक निरोध पर तीन प्रकार से प्रहार किये गये हैं जो निम्न हैं

1 यह एक 'संकट धारा' (crisis provision) है परंतु इसका प्रयोग संकट तक सीमित नहीं। इसे संकट और शांति दोनों कालों में प्रयुक्त किया जाता है। उस स्थिति में तो यह धारा और भी अधिक खतरनाक हो जाती है जब सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करती है। यह न केवल स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करती है बल्कि संविधान में व्यक्त आदर्शों को भी घुमिल कर देती है। पिछले कुछ वर्षों से इस धारा का जिस ढंग से प्रयोग किया गया है वह लोकतंत्र के लिए अच्छा शकून नहीं। इसका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के दमन के लिए किया गया है। इतना ही नहीं विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, पत्रकारों, लेखकों, व्यापारियों आदि को भी बंदी बनाया गया है। सरकार ने वस्तुतः जिसे "अवांछनीय" (undesirable) समझा उसके विरुद्ध इसका प्रयोग किया। दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि केवल केन्द्र सरकार ने ही नहीं अपितु राज्य सरकारों ने इसके अंतर्गत नागरिकों को उनकी स्वतन्त्रताओं से वंचित किया। बिहार सरकार ने तो विद्यार्थी नेताओं को प्रदेश से बाहर रखने के लिये इसका प्रयोग किया। शांति काल में, साधारण नागरिकों के विरुद्ध इसका प्रयोग इस व्यवस्था का क्रूरता, निंद्यता और अत्याचार को अभिव्यक्त करता है।

2 निवारक निरोध गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 'याय' की सामान्य सुविधाओं से भी वंचित रखता है। सांजनिह हित का वहाना लेकर कायपालिका उन कारणों को बताने से इंकार कर सकती है जिनके कारण किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। इतना ही नहीं कायपालिका परामशदात्री मण्डल में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जो सरकार के राजनीतिक दशन से प्रभावित हों। कानून द्वारा अनिश्चित काल तक व्यक्ति का निवारक निरोध के अंतर्गत हिरासत में रखने की व्यवस्था असदीय निरकुशता व अत्याचार को जन्म देती है। वस्तुतः संविधान में अनुच्छेद 22 (1) में नागरिकों को जो भी सुरक्षा प्रदान की गयी है उस वाद वाली धाराओं में (निवारक निरोध का अर्थ जिनमें किया गया है) वापस ले ली है। यह स्थिति उस समय अत्यधिक खतरनाक हो जाती है जब संसद में एक ही दल का पूर्ण प्रभुत्व हो, विरोधी दल विघटित और दुबल तथा प्रभावहीन हो और कायपालिका अपने आपको लोगों के प्रति अनुक्रियाशील (respc समझती हो। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि 11 सांजनिह हित की दुहाइ देकर निरकुशता से व्यवहार कर सकती है।

3 (विश्व के किसी अन्य लाकतात्रिक देश म इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती, विशेषकर शांतिकाल म ता इनका प्रयाग नहीं किया जाता । परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत म इनका प्रयाग शांतिकाल म भी किया जा सकता है और किया जा रहा है)। अमरीका और ब्रिटेन जैसे देशा म जहा इस प्रकार की व्यवस्था है वहा उनका प्रयाग केवल युद्धकाल म किया जाता है शांतिकाल म नहीं । सम्भावना, शका और भूत के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति का हिरासत म रखना और उसे न्यायालय मे याचिका प्रस्तुत करन स वचित रखना सरासर, अत्याय, अत्याचार और निरपुशता है । निवारक निराध केवल हिरासत मे लिय गए व्यक्ति को ही दण्डित नहीं करता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसके परिवार के सदस्या को भी दण्डित करता है जिह उसका सरक्षण प्राप्त होता है । निवारक निराध इतना अमानुषिक और जगल का नियम है कि वह हिरासत म नियमन व्यक्त के भरण-पोषण की व्यवस्था न कर उह भी तडपता छाड देता है । इस कानून के अतगत हिरासत म लिये गये व्यक्ति को यातनायें देन की भी व्यवस्था है । क्या ये सब तत्त्व लाकतात्रिक देश के लिये गये की चीज हैं ?

2 निवारक निरोध का मूल्यांकन—यह सत्य है कि निवारक निराध भयानक, स्वतन्त्रताका मक्षक लाकतन्त्र के लिये खतरा और विध्वंसकारी है परन्तु फिर भी इसे राष्ट्र की स्वतन्त्रता और अखण्डता के लिये आवश्यक समझा जाता है । यह मनहूस अधिनियम है जिस आवश्यक बुराई के रूप म स्वीकार किया गया । इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिये और वह भी राष्ट्रीय हित मे जब उसकी अखण्डता और स्वतन्त्रता पर आच आये । इसका प्रयोग दलीय हित और विराधिया का दमन करन के लिये नहीं करना चाहिये अथवा यह लाकतन्त्र को नष्ट कर देगा और सवसत्तावाद को जन्म दे देगा ।)

3 शोषण के विरुद्ध अधिकार—सविधान के दो अनुच्छेद (अनुच्छेद 23 और 24) भारत मे लोक कल्याणकारी राज्य और लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करते है । वस्तुतः ये अनुच्छेद कोई अधिकार प्रदान नहीं करते बल्कि एक साम्य और शापण विहीन सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने म सहायता प्रदान करते हैं । सविधान मे वर्णित स्वतन्त्रताओं का महत्व तभी है जब व्यक्ति को दूसरे को दासता से टुटकारा मिल जाय, उमकी निधनता का शोषण न किया जाय अर्थात् व्यक्ति को पण्य (Commodity) न समझा जाय, स्त्रिया का अनतिकार्यों के लिये व्यापार न हो और बच्चो की दुबल व्यवस्था का दुरुपयोग न किया जाय ।

भारतीय सविधान का अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार और बेगार को मनाही करता है । किसी रूप म इनका प्रचलन दण्डनीय अपराध है । देत्रदासिया, हरिजना, खेतिहर श्रमिक और बच्चा के शापण की प्रथाका को समाप्त कर दिया गया है । कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अनच्छेद कार्यों का करने के लिये

बाध्य नहीं कर सकता। पर तु यह अनुच्छेद राज्य का यह अधिकार देता है कि वह सावजनिक उद्देश्य के लिये अनिवाय सेवा का लागू कर सके क्योंकि राज्य की सुरक्षा से बढ कर और कोई सावजनिक उद्देश्य हो नहीं सकता। इस तरह राज्य अनिवाय सैनिक प्रशिक्षण, अनिवाय सैनिक भरती का आदेश दे सकता है यद्यपि यहा भी वह जाति, धर्म, प्रजाति या वग आदि के आधार पर भिन्नता नहीं कर सकता। क्योंकि इस अनुच्छेद में 'लिंग' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया अतः 'स्त्रियो' को अनिवाय भरती से छूट दी जा सकती है।

बच्चो को रोजगार पर लगाना या उह रोजगार के लिए बाध्य करना एक असम्य एव अमानवीय प्रथा है क्योंकि इससे उनका विकास अवरोध हो जाता है, उनकी नतिकता भ्रष्ट हो जाती है और वे अपचार (Delinquency) की ओर बढ़ते हैं। इसीलिये अनुच्छेद 24 में भारतीय सविधान बच्चा की रक्षा करता है और 14 वष से कम आयु वाले बच्चो को कारखाना, खानो और अन्य सकटमय रोजगारो में काम करने की मनाही करता है।

4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार—भारतीय सविधान के चार अनुच्छेदो में (अनुच्छेद 25 से 28) नागरिको की धार्मिक स्वतंत्रताओ का उल्लेख किया गया है। ये स्वतंत्रतायें ही भारत के धर्म निरपेक्ष होने के आधार हैं और इनके द्वारा ही भारत के सविधान निर्माता भारत में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहते थे।

अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों का "अतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप में मानने आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अधिकार केवल नागरिको को ही नहीं अपितु विदेशियों का भी उपलब्ध है। व्यक्ति इसका प्रयोग निजी या सामूहिक या सस्याओ के माध्यम से कर सकता है। इस स्वतंत्रता में वे सब स्वतंत्राये निहित हैं जो धर्म के संस्कारो (rituals) और रीतिया (observances) से सम्बन्धित हैं। जसाकि सर्वोच्च न्यायालय ने कमिश्नर एच० आर० ई० बनाम लक्षमिन्द्र के मुकदम में अवलोकित किया था कि "अपन अनुयायियों द्वारा ग्रहण करने के लिए धर्म केवल नतिक नियमों की सहिता को ही निर्धारित नहीं कर सकता बल्कि वह उन सब संस्कारो, व्यवहारो समारोहो और पूजा के तरीको को भी निर्धारित कर सकता है जो धर्म के अभिन्न अंग मान जाते हैं और ये स्वरूप रीतिया, भोजन और पहरावे तन् को भी निर्धारित कर सकते ह।" इस अनुच्छेद के अंतर्गत जहा सिक्का का 'किरण' रखने का अधिकार है वहा ईसाइया को स्वेच्छा से 'धर्म परिवर्तन' करने का भी अधिकार है क्योंकि ये रीतिया इन दोनों धर्मों द्वारा धर्म के अंग मानी जाती हैं।

अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विशेष धार्मिक और धर्माथ (Charitable) प्रयोजन के लिये सस्याओ की

पोपण का, अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषया के प्रवृत्त करने का तथा चल और अचल सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार देता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय को अपने धर्म से सम्बन्धित 'घरू कार्यों (Domestic affairs) को करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की बढ़ोतरी या पोषण के लिये कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। परन्तु धार्मिक संस्थाओं के लौकिक अर्थात् भौतिक (Secular Administration) प्रशासन को नियमित करने के लिए राज्य द्वारा खर्च किये जाने वाले धन को अदा करने के लिये शुल्क (Fees) लगा सकता है।

अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा प्रशासित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की मनाही करता है। परन्तु यह अनुच्छेद उन शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं होता जिन्हें प्रशासित तो राज्य करता है परन्तु जिनकी स्थापना किसी धर्माध्यक्ष या 'यास के अधीन हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। जिन शिक्षा संस्थाओं को राज कोष से आर्थिक (वित्तीय) सहायता प्राप्त होती है उनमें भी धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती परन्तु जो विद्यार्थी स्वेच्छा से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ऐसी शिक्षा प्राप्त करने से यह अनुच्छेद मना भी नहीं करता। इस तरह यह अनुच्छेद जहाँ राज्य द्वारा प्रशासित शिक्षा संस्थाओं की लौकिक (गर मजहबी) विशेषता को बनाये रखता है वहाँ धार्मिक शिक्षा संस्थाओं की धार्मिक विशेषता को बनाये रखता है। इस तरह संविधान भारत में धर्म का राजनीति में पृथक् रखने का प्रयास करता है।

नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रताओं अथवा मूल अधिकारों की भाँति निरपेक्ष, निर्बाध या असंश्लेषित नहीं। भारतीय संविधान के जिन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है उन्हीं में उन पर सीमाओं (मर्यादाओं) का उल्लेख भी किया गया है। राज्य निम्न आधारों पर नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रताओं को मर्यादित कर सकता है —

- (i) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य,
- (ii) संविधान की अन्य धाराओं का लागू करने के लिये,
- (iii) धार्मिक आचरण से सम्बन्धित गर धार्मिक कार्यों (आर्थिक, वित्तीय राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार के लौकिक कार्यों) का नियमित करना,
- (iv) सामाजिक कल्याण और सुधार,
- (v) हिन्दू धार्मिक संस्थाओं का हिन्दुओं के सभी वर्गों के लिये ग्राह्य बनाने के लिये। यहाँ 'हिन्दू शब्द की व्यापक व्याख्या है। इसमें सिक्ख बौद्ध, जैन आदि संस्थाओं सम्मिलित हैं।

उपयुक्त वरान से स्पष्ट है कि भारतीय सविधान जहा भारत के प्रत्येक वग के (चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक) धार्मिक हितों की रक्षा करता है वहा वह राज्य को सावजनिक सुरक्षा, नतिकता, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार आदि के नाम पर धार्मिक त्रियाग्रा को नियमित करने का अधिकार भी देता है। धर्म सावजनिक उत्पात पदा नहीं कर सकता परन्तु राज्य भी धार्मिक विषयों को नियमित करने के नाम पर 'स्वविवेक की शक्ति' ग्रहण नहीं कर सकता।

इन अनुच्छेदों में 'सामाजिक सुधार' की व्यवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि राज्य धर्म के मूल सिद्धांतों और विश्वासों पर आक्रमण किये बिना ही धार्मिक अंध-विश्वासों, असमानताओं, पिछड़ेपन, रूढ़िवादियों और कट्टरवादियों को, जो देश के विकास में बाधक हैं दूर करने के लिये धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरणतया हिंदू मंदिरों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिये खोलने के लिये ऐसा किया गया। परन्तु मंदिरों को सभी वर्गों के लिये खुला रखने का यह अर्थ नहीं कि कोई अशुभ व्यक्ति मंदिर में दर्शन के लिये उसे दिन रात खुला रखने की मांग कर सकता है या भगवान की सेवा स्वयं करने की मांग कर सकता है। इसी प्रकार राज्य चाह तो द्विपत्नीय (Bigamy) प्रथा को भी समाज सुधार के लिये समाप्त कर सकता है परन्तु राज्य, समाज सुधार के नाम पर किसी धर्म के अस्तित्व और अनयता को समाप्त नहीं कर सकता।

5 सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार— भारतीय सविधान के दो अनुच्छेदों में (अनुच्छेद 29 और 30) नागरिकों के सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 में भारत के प्रत्येक वग का, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और सभ्यता को बनाये रखने अर्थात् सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 (2) इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्य द्वारा संचालित या राजकीय सहायता द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में नागरिकों को धर्म, जाति, मूलवश, भाषा इनमें से किसी एक आधार पर, प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों, चाहे उनकी रचना, भाषा, या धर्म के आधार पर हुई हो, अपनी दृष्टानुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित एवं प्रशासित करने का अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 30 (2) राज्य पर यह प्रतिबंध लगाता है कि शिक्षा संस्थाओं का आर्थिक सहायता देते समय राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव की नीति नहीं अपना सकता।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी उपयुक्त स्वतन्त्रताओं अनन्त हैं। अद्वितीय हैं। प्रथम, विश्व के दूसरे सविधानों में इन प्रकार का उल्लेख उस प्रकार सविस्तार रूप से नहीं किया गया जिस प्रकार नागरिक इनका उल्लेख करता है। उदाहरणतया अनन्तरी अधिकार पत्र (B)

तो इन स्वतन्त्रताओं का उल्लेख तक नहीं करता। वर्मा सविधान के अनुच्छेद 22, आयरलैण्ड सविधान के अनुच्छेद 42 और पश्चिमी जर्मनी सविधान के अनुच्छेद 113 में इस प्रकार की स्वतन्त्रताओं का उल्लेख अवश्य है परंतु उनका स्वरूप वह नहीं जो भारतीय सविधान में इन स्वतन्त्रताओं का है। दूसरे, ये स्वतन्त्रताएँ बहुसंख्यक वर्ग के साथ प्रत्येक अल्प वर्ग को इस बात का आश्वासन दिलाती हैं कि उनकी संस्कृति, लिपि और भाषा सविधान द्वारा सुरक्षित है और राज्य-कानून द्वारा किसी अल्प संख्यक वर्ग पर कोई अग्र्य संस्कृति, चाहे वह स्थानीय हो या अग्र्य कोई, थोप नहीं सकती। सविधान सभा के एक सदस्य जयपाल ने इस अल्पसंख्यक के लिये "नया युग के आरम्भ" की सज्ञा दी। तीसरे, नागरिक किसी शिक्षा संस्था में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। राज्य किसी नागरिक को किसी अग्र्य शिक्षा संस्था में शिक्षा ग्रहण करने के लिये नहीं कह सकता और न ही सम्प्रदाय के आधार पर स्थानों का विभाजन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास राज्य के उस साम्प्रदायिक आदेश का रद्द कर दिया जिसके अनुसार मद्रास राज्य द्वारा संचालित मेडिकल और इंजिनियरिंग कालिजा में उम्मीदवारा का चयन गर ब्राह्मण ही दुआ, पिछड़ी जाति के हिंदुआ, ब्राह्मणों, हरिजना, अंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाईयों और मुस्लिम सम्प्रदाय के आधार पर होता था। चौथे, नागरिकों की ये स्वतन्त्रताएँ निरपक्ष हैं और राज्य नागरिकों के अग्र्य अधिकारों की भांति इन पर उचित प्रबंध नहीं लगा सकता। परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं कि शिक्षा संस्थाओं के कुशल प्रबंध के लिये राज्य उन्हें नियमित (regulate) नहीं कर सकता। राज्य इनका नियमन कर सकता है। जसाकि सर्वोच्च न्यायालय ने बम्बई राज्य बनाम बम्बई शिक्षा समाज के मुकदमे में अवलोकित किया था कि "मभी स्कुलो के लिये उचित 'नियमन' या नियम संस्थाओं का राज्य भरण पोषण करता है उनके लिये पाठ्यक्रम का निर्धारित करने की राज्य की शक्ति पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। शिक्षा संस्थाओं को स्थापित एवं प्रशासित करने की अल्पसंख्यक की स्वतन्त्रता मुक्त (unfettered) नहीं है और राज्य उचित नियमन कर सकता है। पाचवें, ये स्वतन्त्रताएँ धार्मिक स्वतन्त्रताओं की पूरक हैं। छठे, इन स्वतन्त्रताओं द्वारा भारतीय सविधान भिन्नताओं में एकरा उत्पन्न करने की कोशिश करता है। इन स्वतन्त्रताओं के अभाव में अल्पसंख्यक वर्ग अग्र्य आपका अमुरक्षित समभक्त जिससे भारत का लोकतांत्रिक ढांचे में हिल जान की सम्भावना उत्पन्न हो सकती थी।

उपयुक्त बहानों में स्पष्ट है कि सामूहिक और शिक्षा सम्बंधी स्वतन्त्रताओं का पूरा उल्लेख भारतीय सविधान की उदारता और अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति रियायत का प्रतीक है। यह भी कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक वर्गों का, जो

समाज में अपने पथक टापू बना कर रहते हैं, विश्वास दिलाते एक सतुष्ट वरज के लिये इन स्वतन्त्रताओं को सविधान में उल्लिखित किया गया। परन्तु एक दृष्टि में ये स्वतन्त्रतायें 'धम निरपेक्षता', 'राष्ट्रीय एकता' और जातियाँ के आत्मीकरण' (assimilation) के लिये चुनौती भी सिद्ध हो सकती है। जैसाकि सविधान सभा में दामोदर स्वरूप सेठ ने यह शका व्यक्त की थी कि "धम या समुदाय पर आधारित शिक्षा सस्थायें राष्ट्रीय एकता और धम निरपेक्षता में बाधा प्रस्तुत करेगी और साम्प्रदायिक और सकीण राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण का विकास करेगी जिसके भयकर परिणाम निकल सकते हैं।"¹ दूसरे शब्दा में, ये स्वतन्त्रतायें विघटनकारी तत्वा के प्रति रियायत है। आलोचना का बतन है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि धम पर आधारित शिक्षा सस्थायें, जातीय एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देती हैं जो धार्मिक सहिष्णुता और जातियों के आत्मीकरण की विराधी होती है। दूसरे अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 15 के विपरीत है क्योंकि जहाँ अनुच्छेद 15 किसी आधार पर नागरिकों में भिन्नता की मनाही करता है वहाँ अनुच्छेद 29 'जन्म स्थान' के आधार पर नागरिकों में भिन्नता की आज्ञा देता है। यह भिन्नता उस परिस्थिति में विशेष कर प्रभावी सिद्ध हो सकती है जब किसी उम्मीदवार के माता पिता जन्म स्थान को छोड़ कर अन्य किसी राज्य में आकर बस गये हों। मेडिकल और इंजिनियरिंग शिक्षा सस्थायों में यह भिन्नता विशेषकर देखी जा सकती है। तीसरे, अनुच्छेद 29 में संस्कृति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया और यदि संस्कृति शब्द का अर्थ सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित हृदय में लिया गया तो ये स्वतन्त्रतायें प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी भी सिद्ध हो सकती हैं।

6 सम्पत्ति का अधिकार— सम्पत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। यदि उसके व्यक्तित्व को अवरुद्ध नहीं करना तो उसे सम्पत्ति का अधिकार अन्वय होना चाहिये परन्तु सम्पत्ति के सम्बन्ध में दार्शनिकों की विचारधारा में मतभेद का अभाव है। कुछ के लिये यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक और उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति का आधार हान स यह निजी विषय है और राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। कुछ के लिये यह सामाजिक वस्तु है जिसका उपभोग सामाजिक हित में होना चाहिये। लाक जस लेपन राज्य के प्रभुताधिकार (Right of Eminent Domain) को स्वीकार नहीं करत। अमीनि संप्रभुता के समर्थक बोदा भी निजी सम्पत्ति में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के उच्छुन नहीं थे। व्यक्ति और नागरिक अधिकारों की फ्रेंच धारणा में भी सम्पत्ति का पवित्र और अहरणीय स्वीकार किया गया है यद्यपि इसमें क्षतिपूर्ति का आधार पर याचित आवश्यकता के लिये व्यक्ति का उसकी सम्पत्ति से वंचित करने की भी व्यवस्था है। हमारी कानून में भी 'कानून की उचित प्रक्रिया' (Due process of law)

के आधार पर सम्पत्ति को नियमित करने का अधिकार राज्य को है। इंग्लैंड में भी राज्य को 'प्रभुताधिकार' प्राप्त है परन्तु 'मुद्रावर्ज' की व्यवस्था बड़ा विद्यमान है। रूस जैसे साम्यवादी राज्यों में सम्पत्ति की कल्पना सामूहिक है व्यक्तिगत नहीं।

सम्पत्ति की निजी कल्पना पर प्रहार वस्तुतः उन्नीसवीं शताब्दी में हीना शुरू हो गया था। उन्नीसवीं शताब्दी में इंग्लैंड में अपनाई गयी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतियाँ, अमरीका में दास प्रथा का उन्मूलन तथा यूरोपीय देशों को पत्रक नीतियाँ (paternalistic policies) में निजी सम्पत्ति पर किये गये प्रहारों को देखा जा सकता है। टी० एच० ग्रीन जैसे आदशवादी लेखक भी, जो निजी सम्पत्ति को पवित्र मानते थे, इस बात का समर्थन करने लग गये कि सम्पत्ति का प्रयोग सामाजिक हित के अनुरूप में होना चाहिये। यद्यपि ग्रीन सम्पत्ति की असमानताओं को स्वीकार करता है परन्तु उसकी धारणा है कि यदि सम्पत्ति दूसरों की कीमत पर प्राप्त की जाती है या दूसरों की इच्छा सिद्धि में बाधा प्रस्तुत करती है तो वह 'चोरी' है। यही कारण है कि ग्रीन भूस्वामित्व पर (landed property), जो उसकी दृष्टि में अर्थात् और अनतिक्रम है, प्रतिबन्ध चाहता है।

बीसवीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी और सर्विस राज्य (Service State) की विचारधारा के विकास के साथ 'सम्पत्ति की विचारधारा में भी परिवर्तन आया। जहाँ उदारवाद अर्थात् पूँजीवाद अबाध आर्थिक स्वतन्त्रता की माँग करता है और जहाँ साम्यवाद सम्पत्ति पर पूर्ण सामाजिक नियन्त्रण की माँग करता है बड़ा लोक कल्याणकारी व सर्विस राज्य बीच का रास्ता अपनाता है। यह सम्पत्ति के निजी अधिकार का उन्मूलन नहीं चाहता परन्तु साथ में उसके दुरुपयोग की आज्ञा भी नहीं देता, यह निजी पूँजी का अस्त नहीं चाहता, उसका नियमन चाहता है। सम्पत्ति के सम्बन्ध में भारतीय संविधान निर्माता इन्हीं लोक कल्याणकारी एवं सर्विस राज्य की विचारधारा से प्रभावित हुए थे। यही कारण है कि उन्होंने संविधान में जहाँ नागरिकों के सम्पत्ति के अधिकार की गारण्टी दी (अनुच्छेद 19 (1) (f)) वहाँ सामाजिक हित में उसके नियमन और नियन्त्रण की व्यवस्था भी की (अनुच्छेद 31, 31A, 31B, 31C)

भारतीय संविधान के दो अनुच्छेदों में (अनुच्छेद 19 (1) (f) और अनुच्छेद 31A, 31B, 31C) नागरिकों के सम्पत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 (1) (f) नागरिकों का सम्पत्ति के अधिकार की गारण्टी देता है। इसके अन्तर्गत नागरिकों को सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्यय का अधिकार दिया गया है अर्थात् इस अनुच्छेद के अन्तर्गत नागरिकों को सम्पत्ति के स्वामित्व और उससे उत्पन्न हानि वाले लाभों को प्राप्त करने का अधिकार है, नागरिक सम्पत्ति की अवस्थाओं का निर्धारण कर सकते हैं उसे रख सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, उस गिरवी रख सकते हैं उस पेट्टे पर दमकते हैं, उसका आदान प्रदान कर सकते हैं,

उसे उपहार में दे सकते हैं, उसके सम्बन्ध में इच्छा पत्र (will) लिख सकते हैं, उसका हस्तांतरण कर सकते हैं तथा उसके उत्तराधिकार को निश्चित कर सकते हैं, आदि।

परन्तु नागरिक के ये अधिकार अन्य मूल अधिकारों की भाँति निर्वाध या निरपेक्ष नहीं। राज्य इन्हें अपनी करारोपण शक्ति (taxation power) पुलिस शक्ति (police power) और प्रभुताधिकार शक्तियाँ (Right of Eminent Domain) द्वारा नियंत्रित, नियमित, नष्ट एवं हड़प कर सकता है। दूसरे शब्दों में भारतीय नागरिकों की निजी सम्पत्ति सामाजिक नियंत्रण (Social Control) के अधीन है। सावजनिक उद्देश्यों की प्राप्ति और अनुभूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु राज्य अनुच्छेद 19 (5) के अंतर्गत उस पर नियंत्रण लगा सकता है।

अनुच्छेद 31, 31A, 31B, और 31C उस प्रक्रिया का वर्णन करते हैं जिसके द्वारा नागरिक को उसकी सम्पत्ति से वंचित (deprive) किया जा सकता है। नागरिक को उसकी निजी सम्पत्ति से वंचित करने की राज्य की शक्ति "पुलिस शक्ति" है। "वंचित" शब्द इतना विस्तृत है कि राज्य इसके अंतर्गत किसी नागरिक की सम्पत्ति को जब्त (अधिगृहीत confiscate) कर सकता है, उसके स्वामित्व के अधिकार को रद्द कर सकता है, उसकी चल और अचल सम्पत्ति का अपने अधिकार में ले सकता है तथा उसके व्यवसाय पर नियंत्रण लगा सकता है। पाँच सशोधनों (प्रथम, चतुर्थ, सत्रहवें, पच्चीसवें और उनतीसवें सशोधनों) के बाद भारतीय नागरिक के सम्पत्ति के अधिकार की जो स्थिति है अर्थात् जिस ढंग या प्रक्रिया से राज्य नागरिक की सम्पत्ति 'हड़प' कर सकता है उसे निम्न विदुषों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है —

- (i) सावजनिक हित में राज्य कानून की सत्ता द्वारा नागरिकों की निजी सम्पत्ति को अधिगृहीत कर सकता है।
- (ii) अधिगृहीत की गयी सम्पत्ति के लिये धन राशि (amount) की मात्रा कानून द्वारा निश्चित की जायगी।
- (iii) धन राशि की पर्याप्तता (adequacy of the amount) के आधार पर नागरिक न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते अर्थात् नागरिक इस आधार पर अधिगृहीत करने वाले कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते कि उसके लिये दी जाने वाली धन राशि 'पर्याप्त' नहीं।
- (iv) यदि किसी सम्पत्ति को राज्य विधान सभा के कानून द्वारा अधिगृहीत करने की व्यवस्था की गयी है तो उस कानून को राष्ट्रपति के विचाराय सुरक्षित रखा जायगा और उसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उसे लागू किया जायगा।

(v) जहाँ कानून सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण की बात नहीं करता या राज्य द्वारा संचालित या नियंत्रित निगम को उमका स्वामित्व नहीं सौंपता तो यह अनिवाय अधिग्रहण नहीं माना जायेगा चाहे उसका द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित ही क्या न किया गया हो।

उपयुक्त वचन से स्पष्ट है कि भारतीय नागरिकों को उनकी सम्पत्ति से वंचित किया जा सकता है वशत कि उसे कानून की सत्ता द्वारा वंचित किया गया हो। इस तरह संविधान कायपालिका निरकुशता से तो नागरिक की सम्पत्ति की रक्षा करता है पर तु व्यवस्थापिका के अत्याचार से उसकी रक्षा नहीं करता। अधिग्रहीत की गयी सम्पत्ति के लिये धन राशि की मात्रा संसद की भावनाओं (mood) पर निर्भर करती है। संसद चाहे तो उसके लिये 'यून' या 'कुछ भी नहीं' धन राशि की मात्रा निर्धारित करे। अब 'यायालय इस बात का निर्धारण नहीं कर सकती कि धन राशि उचित या पर्याप्त (just or reasonable) है या नहीं। अधिग्रहीत करने वाले कानून को 'यायालय अब केवल एक आधार पर ही अवैध घोषित कर सकती है यदि वह सचिवान से "धोखा" (fraud) हो या उसने "मूल ढांचे" (basic structure) पर ही प्रहार करता हो।

सम्पत्ति का अधिकार जसाकि न्यायाधीश हिदायत उल्ला ने कहा है, "मूल अधिकारों में सबसे निबल" अधिकार है। डी० एन० बनर्जी इसे अब केवल कल्पना (myth) कहते हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर है। जब संसद किसी भी सम्पत्ति को कुछ भी धन राशि देकर उसे हड़प कर सकती है और 'यायालय उसकी पर्याप्तता की जांच नहीं कर सकती तो सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह जाता। जब सम्पत्ति का अधिकार वाद योग्य (justiciable) ही नहीं रहा तो उसे 'मूल अधिकार' कहना मिथ, आडम्बर और धोखा है। मूल अधिकार की मूल विशेषता यह है कि उसकी गारण्टी न केवल कायपालिका निरकुशता बल्कि संसदात्मक अत्याचार के विरुद्ध भी दी जाय भारत में नागरिकों के सम्पत्ति के अधिकार में अब यह गुण और विशेषता नहीं रही। जहाँ तक इस अधिकार का सम्प्रदाय है संसदीय सर्वोच्चता निर्विवाद है। संसदात्मक या मंत्रिमण्डलात्मक सरकार में इसका वास्तविक अर्थ है कायपालिका की सर्वोच्चता। इस तरह नागरिकों का सम्पत्ति का अधिकार कायपालिका 'दया' (mercy), भावना (mood), और उसकी 'नीतियाँ' की दिशा (direction of policies) पर निर्भर करता है 'याय', 'अौचित्य', या प्रावृत्ति न्याय पर नहीं। सशोधन 1, 4, 17 25 और 29 की आवश्यकताओं चाहे कुछ भी रही हो इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने सम्पत्ति के अधिकार की मौलिकता और पवित्रता पर गम्भीर प्रहार किया है। मूल अधिकारों और नीति निर्देश तत्वा में सन्तुलन स्थापित करने के स्थान पर ये नीति निर्देश तत्वा का

मूल अधिकारों से महत्त्व प्रदान करते हैं यह संविधान में वर्णित आदर्शों की उपेक्षा है। 25 वें संशोधन की आलोचना करते हुए एम० सी० सीतलवाड ने लिखा है कि यह "अविवेकपूर्ण कदम एवं विधि के शासन की पूर्ण अवहेलना है।" जयप्रकाश नारायण ने इसकी "प्रतिक्रियावादी एवं एकत्ववादी कदम" बत कर निंदा की। एक अन्य आलोचक ने कहा है कि "सम्पत्ति की पवित्रता नष्ट हो गयी है, अनुचित मुआवजे को बंध बना दिया है और ससदात्मक सर्वोच्चता के सिद्धांत की आड़ में समग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे दिया गया है।

यह सत्य है कि सम्पत्ति का अधिकार वाद योग्य नहीं रहा, यह भी सत्य है कि "यायालय 'अपर्याप्तता' के आधार पर अधिगृहीत करने वाले कानून को अवध घोषित नहीं कर सकती, यह भी सत्य है कि "यायालय 'धन राशि के औचित्य-अनौचित्य की समीक्षा नहीं कर सकती अर्थात् सम्पत्ति के सम्बन्ध में सबवानित उपचारों के क्षेत्र को खूब बना दिया गया है परन्तु फिर भी सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकार ही है, क्योंकि इस मूल अधिकारों के अध्याय से हटाया नहीं गया और "यायालय आज भी सम्पत्ति की रक्षा कर सकती है यदि अधिगृहीत करने वाला कानून 'संविधान से धोखा' है या उसके "मूल ढांचे" के विपरीत है। सन् 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में "यायालय ने धारा 31C को (जिसे 25 वें संशोधन द्वारा निर्रिक्त किया गया था) इस आधार पर अवध घोषित कर दिया कि वह व्यवस्थापिका शक्तियाँ प्रदत्त करता है। इस निष्पत्ति की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसके द्वारा "यायालय ने यह उद्घोषणा की कि संविधान के 'मूलभूत ढांचे (Basic structure of the Constitution) में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

कायपालिका, संसद के कानून के माध्यम से, सम्पत्ति के अधिकार पर तीन प्रकार से प्रहार कर सकती है

- (i) सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के अध्याय में निर्रक्त होना लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं में विरथाग करने वाली गंदा सम्भवतया नहीं करेगी,
- (ii) निजी सम्पत्ति को हड़पने वाले कानूनों की अनुगृहीतियों के मुख्य क्षेत्र में रखकर उसे "यायालय के क्षेत्र में बाहर कर दे। यह कानून प्राप्त और बहुमत के नशे में रहने वाला कायपालिका के संरक्षतापूर्वक कर सकता है,
- (iii) कायपालिका ऐसे "यायाधीशों का मार्गदर्शन "यायालय में जो उससे सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक रूप से तथा उच्च गमयन हैं। दरमिंदगी प्रदान 1973 में

रे को मुख्य यायाधीश के पद पर नियुक्त करके की गयी परन्तु इस प्रथा को निरन्तर बनाये रखने में नागरिका की पूर्ण स्वतन्त्रताओं को खतरा उत्पन्न हो सकता है। वचनबद्ध (committed) न्यायपालिका लोकतान्त्रिक ढाँचे को सकट उत्पन्न कर सकती है। यद्यपि कोई भी सत्तारूढ़ बहुमत दल के नशे में ऐसा कदम उठा सकती है परन्तु वह ऐसा लोकतान्त्रिक संस्थाओं की कीमत पर ही कर सकती है, जिसकी आज्ञा सम्भवतः जागरूक जनमत नहीं देगा। यह भी आशा की जा सकती है कि न्यायपालिका अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा उसी प्रकार करती रहेगी जैसा कि वह अब तक करती रही है।

सम्पत्ति के सम्बन्ध में ससद और न्यायालय का दृष्टिकोण

या

सम्पत्ति के अधिकार में किये गये सशोधन

सम्पत्ति का अधिकार पिछले 25 वर्षों के सर्वप्रधानिक इतिहास में बड़े विवाद का विषय रहा है विशेषकर 'प्रतिकर' (compensation— मुआवजे) का प्रश्न व्यवस्थापिका (ससद) और न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय) के मध्य संघर्ष का मूल कारण रहा है। 'प्रतिकर' (मुआवजे) के सम्बन्ध में जहाँ न्यायालय का दृष्टिकोण "हानि के बराबर" (a just equivalent) का रहा है, वहाँ व्यवस्थापिका के लिये हानि के बराबर क्षतिपूर्ति का विचार ही दुराग्रह (repugnant) या विद्रोह है। जैसाकि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के इन शब्दों से स्पष्ट है कि "सामान्य आदमी की कीमत पर, बाजार भाव के मूल्य पर मुआवजा देने का विचार ही उसके लिये, उसके दल के लिये तथा राष्ट्र के लिये दुराग्रह है।"¹ प्रधान मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि सविधान निर्माता नागरिकों को यदि सम्पत्ति के अधिकार की गारण्टी देना चाहते थे तो वे ही इसे अनियमित छोड़ना नहीं चाहते थे और न ही इसे सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बाधा प्रस्तुत करने का अधिकार ही देना चाहते थे। जहाँ निजी सम्पत्ति का अधिकार सावजनिक उद्देश्य में बाधा प्रस्तुत करता है वहाँ सावजनिक उद्देश्य का अवश्य प्राथमिकता मिलनी चाहिये। सिद्धांत शर्कर ने 25 वें सशोधन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह "मर्यादात्मक दृष्टि से सही है, आर्थिक दृष्टि से आवश्यक है, राजनीतिक दृष्टि से उचित है और, जो सबसे महत्त्वपूर्ण बात है, नैतिक दृष्टि से उचित है।"

जब जब न्यायालय के निर्णयों द्वारा न्यायपालिका की सामाजिक और आर्थिक विकास की लोक-व्यत्यासकारी नीतियों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है तब ही न्यायपालिका ने न्यायालय के निर्णयों को प्रभावहीन बनाने के लिये संवैधानिक सहायकों

1 Quoted by Gupta, D C in his National & Constitutional Development p 578

का महाराज किया। यह यदि कटा जाय, कि जैसाकि कुछ आचारको ने कहा है,)
 'यायालय का अनुदाररारी इण्टिरोण सम्पत्ति व गविजार म किय गय मवैधानिक
 साधाध्या के निय उत्तरदायी ता इम बात स ट कार करना बटा कठिन है कि
 (विधायपालिका न समद म अपन बहुमत का दुम्पयाग करते हुए, सविधान म ऐसे
 मशासन किये जिानी करना लाकतात्रिक सविधाना म नही की जा सकती) निजी
 सम्पत्ति का समद की इच्छा पर छापा (मसदात्मक प्रणाली मे, जिसे भारत मे
 अपनाया गया है, इमका वास्नविक अर्थ है वायपालिका की इच्छा) ससदीय निरकुशता
 का सवधानिक मायता देता ह जा मम्भजन गविधान निमाताओं की इच्छा नही
 थी। यदि सविधान निमाता, जैसाकि सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा कहा जाता है,
 सावजनिक हित म निजी सम्पत्ति को गावर्जनिक नियन्त्रण मे रखना चाहते थे तो वे
 सविधान निर्माता भी उम समद व अस्थायी बहुमत की निरकुशता से सुरक्षित भी
 रहना चाहते थ। यदि गमा नही हाता ता गविधान निमाता अनुच्छेद 19 (1) (f)
 और अनुच्छेद 31 की पृथक पृथक व्यवस्था व करत। इतना ही नही सम्पत्ति की
 रक्षा हेतु हो सविधान निर्माताया व सम्पत्ति व अधिकार को ही नही बरिज समूचे
 अध्याय तीन का (जिगम मून अरिसारा का वरण किया गया है) वाट वाग्य
 (justiciable) बनाया। तथापि सावजनिक हित म, सशाया द्वारा सम्पत्ति व
 अरिसार की वाट योग्यता वा नाट करना सविधान निर्माताओं की इच्छाओं का
 विरता करता है, सविधान मशा म और प्रस्तावना म व्यक्त की गयी भावनाओं और
 आदर्शों की उोशा ह और तागरिक स्वत बनाया के साथ त्रिविध है। यह मत्र ह
 नि यायालय वा समद व तृतीय सदन के रूप म नाय नरी कान्य चाण्डि और उम
 समद द्वारा सावजनिक हित म उनाये गये कानूना का प्राण्य रान्य चाण्डि परन्तु
 समद वा भी मषा नि शक्तिया का प्रयोग वरी गावर्जनी के कान्य चाण्डि। मशाधा
 कर म गय यह मटगूम नही हाना चाहिय कि म्भट्ट इन्द्र, म्बेन्वना वा प्रदान
 कर रही है प्रथम उस निरकुशता और म्बेन्वना के प्रवक्ता नही करना
 चाहिय।

सम्पत्ति के अधिकार म त्रिवेद त्रिवेद सम्पत्ति इति मत्र हैं उनमे किमी
 अर्थ अधिकार म नही मिय गय। (1951), मशाधन 4 (1951),
 सशाधन 17 (1964), मशाधन 25 (1971) और मशाधन 29 (1971) वस्तु
 सम्पत्ति के अधिकार मे मिय गय है। इम मशाधन की म्बेन्वना
 तत्र अनुभव की गयी जत्र कान्य चाण्डि म्बेन्वना म्बेन्वना गज्य (1950) के
 मर्वाच्च 'यायालय ने भूमि म्बेन्वना म्बेन्वना (मम उमीदा
 सम्प्रियत कानून) का प्राण्य रान्य चाण्डि। प्रथम मशाधन 4
 सहा अनुच्छेद 31 म्बेन्वना 31A और 31B के रूप म के
 नवी अनुसूची व म्बेन्वना म्बेन्वना, वा त्रिवेद म्बेन्वना
 अुमार 'यायालय किने म्बेन्वना वा, त्रिवेद म्बेन्वना

(Estate) को प्राप्त या समाप्त किया गया हो या उसमें निहित किसी अधिभार को सशोधित या उनका प्रबंध राज्य के हाथों में लिया गया हो यह कह कर रद्द नहीं कर सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 की उल्लंघना करता है। दूसरे शब्दों में, इस अनुच्छेद में 'बिना मुआवजे' के सम्पत्ति को हड़पने की व्यवस्था कर दी गयी। अनुच्छेद 31 B ने सरक्षित क्षेत्र (protected area) के रूप में नवा अनुसूची का जोड़ दिया और भूमि सुधार से सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्मित कानूनों का न्यायालय के क्षेत्र से बाहर कर दिया। तब इन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सरक्षित क्षेत्र की व्यवस्था इतनी भयंकर है कि सम्पत्ति को अधिगृहीत करने वाले किसी समझौते कानून या नवी अनुसूची में सम्मिलित उसे न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है।

चौथे मशौदन की आवश्यकता तब अनुभव की गयी जब सर्वोच्च न्यायालय ने वेना वनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1954) के मुकदमे में यह अवलोकित किया कि "मुआवजा उस सम्पत्ति के "लगभग बराबर" (a just equivalent) हाना चाहिए जिससे उसका स्वामी को वंचित किया जा रहा है।" इस मुकदमे में यह विचार भी व्यक्त किया गया था कि मुआवजे के अभाव को निवारित करना न्यायालय का अधिकार है।

सम्पत्ति के कुछ हाथों में केंद्रीयकरण को रोकने, लाभ कल्याणकारी नीतियों को कार्यान्वित करने, समाजवादी ढंग से समाज को स्थापित करने वाली और ससदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को निर्विवाद रूप से स्थापित करने की इच्छुक सरकार के लिये न्यायालय का उक्त निर्णय एक बहुत बड़ी चेतनायी थी। अतः वेना वनर्जी के निर्णय का उलट्टा (over rule) के लिये चौथा संशोधन किया गया।

संशोधन चार वे अनुच्छेद 31 और 31A में परिवर्तन कर समझौते सम्पत्तियों के सिद्धांत को निश्चित कर दिया गया और "मुआवजे की पर्याप्तता (adequacy of compensation) के प्रश्न का न्यायालय के क्षेत्र से बाहर कर दिया। दूसरे शब्दों में, सावजनिक हित में निजी सम्पत्ति को अनिर्वाह रूप में अधिगृहीत करने वाले कानून को न्यायालय इस आधार पर अवध घोषित नहीं कर सकती कि मुआवजा 'उचित' या मुक्तियुक्त (due fair or reasonable) नहीं। इस संशोधन ने राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किये गये 7 कानूनों को नवी अनुसूची के सरक्षित क्षेत्र में रखा दिया। अनुच्छेद 31 (2A) को जोड़ कर यह व्यवस्था भी कर दी गयी कि यदि कोई कानून अधिगृहीत की गयी सम्पत्ति के स्वामित्व या अधिकार को राज्य या उगम द्वारा अधिगृहीत या नियंत्रित (owned or controlled) निगम या हस्तांतरित नहीं करता तो उगम कानून को सम्पत्ति अधिवाय अधिग्रहण करने वाला कानून स्वीकार नहीं किया जाएगा यद्यपि यह कानून किसी व्यक्ति या उसकी सम्पत्ति से वंचित करता है। इस व्यवस्था से तो राज्य को अधिगृहीत की गयी सम्पत्ति के लिये मुआवजा तौर पर मुआवजा देना भी आवश्यक नहीं रहा।

सत्तरहवें सशोधन की आवश्यकता तब अनुभव की गयी जब सर्वोच्च न्यायालय ने करीम जिले की माला नाम के तले राज्य के मुकदम म (1962 म) और ए० पी० वृंगा स्वामी नाम के मद्रास राज्य के मुकदम म (1964) केरल भूमि सुधार कानून और मद्रास भूमि सुधार कानून का यह कह कर रद्द कर दिया कि "जागीर" (Estate) शब्द म सभी प्रकार की सम्पत्ति नहीं और खतवारी भूमि पर यह लागू नहीं होती। सत्तरहवें सशोधन ने अनुच्छेद 31 (2) (a) म एक नयी उप धारा जोड़ कर 'जागीर (Estate) शब्द का और अधिक व्यापक बना दिया। इसम "जागीर", "उगम", "मुफती", 'खतवारी व दाबस्त' (Ryotwari) आदि शब्दों का भी जोड़ दिया गया तथा राज्य सरकार के 44 कानूनों का नवी अनुसूची के मरिगत क्षेत्र में रखकर उन्हें न्यायालय के क्षेत्र से बाहर कर दिया।

चौतीसवें सशोधन की आवश्यकता तब अनुभव की गयी जब न्यायालय ने गोलापाथ नाम के राज्य (1967) के मुकदम में सत्तरहवें सशोधन को यह कह कर अवध घापित कर दिया कि मूल अधिकारों को कम करने या उनका हरण करने की दृष्टि म ससद को भाग तीन में सशोधन करने का अधिकार नहीं। यह निणय सर्वोच्च न्यायालय के स्वयं के पूर्व के निर्णयों के विरुद्ध था जिनमें न्यायालय ने तीसर भाग सहित सविधान के किसी भाग म सशोधन करने की ससद की शक्ति का स्वीकार किया था। इस निणय में न्यायालय ने उन सशोधनों को भी अवध घापित कर दिया जो अभी तक नियमों के परतु ब्यापक नियमों-निराए को बदला नहीं जा सकता इसलिए उन्हें बन रहने की आज्ञा दे दी गयी।

गानवनाथ के मुकदम म दिया गया निणय बहुत ही अन्व्यवहारिक था। उसके द्वारा न्यायालय ने उम अधिकार शक्ति का प्राप्त करने का प्रयास किया (विधान मभा के तृतीय सदन का रूप) जो अधिकार शक्ति मविधान निर्माता न्यायालय को सौपना नहीं चाहते थे। गत दम निणय की ससद के अन्दर व बाहर तीव्र आलाचना की गयी। यह निणय वस्तुतः अनुदारवादी प्रगति म बाधा तथा सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के विपरीत था। परिणामस्वरूप 1971 म चौवीसवें सशोधन द्वारा ससद ने पुनः मूल अधिकारों सहित सविधान में सशोधन करने की शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया।

पच्चीसवें सशोधन की आवश्यकता उस समय अनुभव की गयी जब न्यायालय ने बैंक राष्ट्रीयकरण के मुकदम म बैंक राष्ट्रीयकरण का इस आधार पर अवध घापित कर दिया कि यह धारा 19(1) (f) की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता और भुगतानों की राशि बाजार दर पर निर्धारित नहीं की गयी। प्रिवी पंस के मुकदम (1970) म भी मुख्य न्यायाधीश हिलियन उरला ने यह मन्तव्य व्यक्त किया कि राष्ट्रपति कादेश द्वारा परशत्व की ससद का सामूहिक रूप से ममाप्त नहीं कर सकता। प्रिवी पंस राजाओं की 'सम्पत्ति' है और अनुच्छेद 19 और 31 द्वारा प्रदत्त संवैधानिक संरक्षणों का संरक्षण उन्हें प्राप्त है।

पच्चीसवें संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिभार में एक परिवर्तन किए गए जिन्हें सम्पत्ति के अधिकार के मूल अस्तित्व का समाप्त कर दिया। इसका द्वारा अनुच्छेद 31 (2) में 'मुद्रावज' शब्द का स्थान पर 'राशि' (amount) शब्द को निकल दिया गया। इसमें यह व्यवस्था की गयी कि सावजनिक उद्देश्य के लिये अधिभारों की गयी सम्पत्ति पर धारा 19(1) (f) लागू नहीं होगी। इस संशोधन में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उम्मा अनुच्छेद 31 c का जोड़ कर नीति निर्देशक तत्वा को मूल अधिनियम में प्राथमिकता प्रदान कर दी। उपधारा 31c में वह व्यवस्था की गयी थी कि "यदि अनुच्छेद 39 (b) और 39 (c) में वर्णित नीति निर्देशक तत्वा को कार्यान्वित करने के उद्देश्य में कोई कानून पास किया जाता है और उसमें ऐसी उद्घाटना कर दी जाती है तो उस कानून का इस अधिनियम पर अर्थ धारित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14, 19, या 31 द्वारा प्रदत्त किये गए अधिकारों के विरुद्ध है या उन्हें कम या समाप्त करता है।"

उत्तरीसवें संशोधन द्वारा भूमि सुधार सम्प्रदायी कुछ कानूनों को अनुसूची 9 के संरक्षित क्षेत्र में रखकर उन्हें न्यायालय के क्षेत्र से बाहर कर दिया। परन्तु केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य¹ (1973) के मुकदमे में, जिसे मूल अधिकारों का मुकदमा भी कहा जाता है, न्यायालय ने चौत्तीसवें और पच्चीसवें संशोधनों को रद्द कर दिया। न्यायालय का मत था कि यह उपधारा सविधान के संशोधन का सम्बन्ध में व्यवस्थापिका शक्तियाँ प्रदत्त करता है इसलिए अवैध है। न्यायालय ने यह उद्घाटना भी की कि न्यायालय इस बात का निर्धारण करेगा कि उत्तरीसवें संशोधन द्वारा अनुसूची नवों के संरक्षित क्षेत्र में रखे गए कानून क्या मूल अधिकारों को कम या समाप्त तो नहीं करते और सावजनिक हित में लगाय गए प्रतिबंध क्या उचित हैं? इस निष्कर्ष की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने यह उद्घाटना भी की कि संसद सविधान के "आधारभूत ढांचे में" (basic framework of the Constitution) परिवर्तन नहीं कर सकती।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि चौथे, सत्रहवें, पच्चीसवें और उत्तरीसवें संशोधनों के बाद भी न्यायालय की यह मान्यता है कि मुद्रावज की राशि हानि के लगभग बराबर होनी चाहिए। चौथे संशोधन के बाद न्यायालय की यह धारणा थी कि संशोधन में मुद्रावज शब्द को अनुच्छेद 31(2) से जानबूझ कर नहीं हटाया था इसलिए संसद का अधिभारों की गयी सम्पत्ति के लिए 'मुद्रावज' अवश्य देना चाहिये। बजावेतु बनाम विशेष उप जिलाधीश के मुकदमे में (1965) न्यायालय ने स्पष्ट अवलोकित किया कि 'यदि मुद्रावज भ्रामक है या उसका निर्धारित करने

1 इस मुकदमे में चौत्तीसवें, पच्चीसवें और उत्तरीसवें संशोधनों को चुनौती दी गयी थी।

वाले सिद्धांत अधिगृहीत की गयी सम्पत्ति के मूल्य से अमम्बद्ध है तो 'यायालय उसे व्यवस्थापिका की शक्तियां मे धाखा (fraud) समझ कर उसे अवध घोषित कर सकती है परन्तु यदि मुआवजा अधिगृहीत की गयी सम्पत्ति के 'लगभग बराबर' (a just equivalent) है और उम निर्धारित करने वाले नियम सम्बद्ध (relevant) हूँ तो यायालय अपर्याप्तता (inadequacy) के आधार पर उस कानून को अवैध घोषित नहीं करेगी। भारत सघ बनाम मेटल निगम (1967) के मुकदम में यायालय न यह अवलाकित किया था कि अनुच्छेद 31 (2) के अंतर्गत जिस अधिकार की गारण्टी दी गयी है वह 'हानि के बराबर प्रतिबन्ध या कम से कम उचित प्रतिबन्ध (a just indemnification for loss or at least for a reasonable award of compensation) की मांग करती है। क्योंकि प्रतिबन्ध की उचित राशि को निर्धारित करने वाले नियम असम्बद्ध है इसलिए कानून अवैध है। गुजरात बनाम शांतिलाल के मुकदम (1968) में यायालय ने उचित मुआवजे' के सिद्धांत को रद्द कर दिया परन्तु वह राष्ट्रीयकरण के मुकदमे में यायालय ने यह विचार अभिव्यक्त किया कि अधिगृहीत की जाने वाली सम्पत्ति के लिए मुआवजे को निर्धारित करने वाले ससद नियमों को मान लेना ससद की निष्कुशता का स्वीकार करना होगा क्योंकि सत्ता के दुरुपयोग द्वारा मुआवजे की सार्वभौमिक गारण्टी का गम्भीर रूप में क्षीण किया जा सकता है। इसलिए अधिगृहीत की जाने वाली सम्पत्ति के लिए मुआवजे को निर्धारित करने वाला सिद्धांत सम्बद्ध होना चाहिए। मूल अधिकारों के मुकदम में (1973) यायालय ने उपबारा 31c का अवध घोषित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि ससद सविधान के 'मूल ढांचे' में परिवर्तन नहीं कर सकती।

उपयुक्त वरुण से स्पष्ट है कि जहाँ मशोरना के माध्यम में ससद ने सम्पत्ति के अधिकार की वाद योग्यता (justiciability) को निरन्तर सीमित किया है वहाँ यायालय "उचित मुआवजे" के सम्बन्ध में ससद के विचारों से 'मन' नहीं कर सकती और यही व्यवस्थापिका और यायालय के मध्य बीच-ननाव का कारण है।

7 सवधानिक उपचारों का अधिकार—सविधान में नागरिक अधिकारों का उल्लेख अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। जब तक उन्हें लागू करने के लिये कोई प्रभावपूर्ण व्यवस्था नहीं होती तब तक वे अथहीन और शक्तिहीन होते हैं। इसलिये उन्हें वास्तविक बनाने के लिये सवधानिक उपचारों की व्यवस्था की जाती है। भारतीय सविधान भी नागरिकों के मूल अधिकारों को वास्तविक बनाने के लिये अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 में सवधानिक उपचारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 32 सविधान का हृदय है। जब कभी वायपानिका आदेश या वाय या व्यवस्थापिका के कानून नागरिक अधिकारों पर अतिभ्रमण करने हैं या उनकी उल्लंघना करने हैं तो ससदतुष्ट पक्ष यायालय की शरण ले सकता है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 32

(2) सर्वोच्च न्यायालय पर यह उत्तरदायित्व भी सौंपना है कि वह नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू करने के लिये उनके सार्वजनिक और गारण्टीकृतता के रूप में कार्य करे तथा आवश्यकता पड़ने पर बन्नी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition) अधिनियम पृच्छा (Quo Warranto), उत्प्रेषण (Certiorari) आदि लेखा का जारी करे। इन लेखा (Writs) का एक मात्र उद्देश्य नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू करना, असंतुष्ट पक्ष को शीघ्र राहत दिलाना और उस अंतरिम सहायता (interim relief) प्रदान करना है। इस तरह भारतीय संविधान नागरिक अधिकारों को 'पवित्र इच्छाओं' मान नहीं बनाता बल्कि उनके कार्यान्वयन करने की ठोस व्यवस्था भी करता है।

व्यक्ति के बचाव और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसके अभाव में संविधान "शून्य" हो जायगा और अधिकार निरर्थक बन जायेंगे। डॉ० अम्बेडकर ने इस अधिकार को ठीक ही "संविधान की आत्मा और हृदय" कहा है। यह अधिकारों के "शीर्ष" पर है। यह उस परकोटे के समान है जो नागरिकों के मूल अधिकारों की कार्यपालिका त्रिकुशला और व्यवस्थापिका के अत्याचार से रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश पी० वी० गजेन्द्र गडकर ने इसे 'संविधान की विशिष्ट विशेषता' कहा है जो "संविधान द्वारा निर्मित भवन का मुख्य पत्थर है।"

सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार भी नागरिकों के अन्य मूल अधिकारों का भाति असीमित नहीं बल्कि उस पर भी विशेष परिस्थितियों में सीमाएँ लगायी जा सकती हैं अर्थात् राष्ट्रपति सचिवालय में उच्च स्थिति पर सरनाएँ तथा घायलों द्वारा नागरिकों को न्यायिक मयाचिका प्रस्तुत करने से मनाही कर सकता है। परंतु इस प्रकार का आदेश संसद में प्रस्तुत किया जाता है और उसकी अनुमति पर ही सत्र के अंत में ही गवधि तक इस स्थिति में रखा जा सकता है। सत्र के समाप्त होते ही उसे पुनः लागू कर दिया जाता है। क्योंकि भारत में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का स्वीकार कर लिया गया है इसलिए सगरे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का भी संशयित, परिवर्तित या समाप्त कर सकती है।

लेख (Writs)

भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का पांच प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार सौंपता है। ये लेख निम्न हैं—

1. बन्नी प्रत्यक्षीकरण लेख (Writ of Habeas Corpus)— न्यायालय बॉरपस एक लेख जारी करता है जिसका अर्थ है "आप सशरीर न मानते हैं।" अर्थात् यह एक लेख है जिसके द्वारा न्यायालय बन्नी बनाए गए अधिनियमों का यह आदेश देती है कि वह बन्नी बनाए गये व्यक्ति का न्यायालय में समान प्रस्तुत कर और उसे

हिरासत में रखने की वैधानिक सिद्ध करे। न्यायालय की जाच द्वारा यदि सिद्ध हो जाय कि बन्दी बनाये गये व्यक्ति को हिरासत में रखने का कोई वध आधार नहीं तो न्यायालय बन्दी बनाये गये व्यक्ति का रिहा करने के आदेश जारी कर सकती है। संक्षेप में, बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख का मूल उद्देश्य अवध तरीके से बन्दी बनाये गये व्यक्ति को रिहा करना है। इस तरह यह लेख नागरिका की स्वतन्त्रता का की रक्षा के लिए सर्वोत्तम संरक्षण है। न्यायालय इस प्रकार का लेख राज्य के अधिकारियों के विरुद्ध ही नहीं अपितु व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी कर सकती है। परन्तु न्यायालय इस प्रकार का लेख तभी जारी करेगी जब बन्दी बनाया गया व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति या अधिवक्ता (advocate) न्यायालय में इस प्रकार की याचिका प्रस्तुत करे।

2 परमादेश लेख (Writ of Mandamus)—ये डेमस एक् लेटिन शब्द है जिसका अर्थ है "हमें आदेश" दत्ते हैं अर्थात् यह लेख है जिसके द्वारा न्यायालय किसी पदाधिकारी या निम्न (संस्था) को यह आदेश दे सकती है कि वह अपने उक्त कार्य को करे जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई अधिकारी या संस्था अपनी अधिकार शक्ति का प्रयोग नहीं करता तो न्यायालय परमादेश लेख द्वारा उसे कार्य करने के लिए आदेश दे सकती है। उदाहरणतया लाइसेंस जारी करने की शक्ति को पूरा करने पर यदि कोई लाइसेंस प्राधिकारी किसी व्यक्ति का लाइसेंस जारी नहीं करता तो वादी न्यायालय का परमादेश जारी करने की प्रार्थना कर सकता है। इसी प्रकार यदि नियुक्ति अर्थात् चयन (Selection) की शक्ति पूर्ण करने पर भी यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी किसी उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी नहीं करता तो वादी न्यायालय से परमादेश लेख जारी करने की प्रार्थना कर सकता है। संक्षेप में प्राकृतिक न्याय के नियमों की उल्लंघना होने पर भी वादी न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर सकता है।

3 प्रतिषेध लेख (Writ of Prohibition)—प्रतिषेध लेख वह वेग है जहाँ उच्च न्यायालय किसी निम्न न्यायालय को यह आदेश देती है कि वह उक्त कार्य को न करे जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता अर्थात् यदि कोई निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है तो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय का उक्त कार्यवाही का रूढ़ित करने के लिए वह कर सकता है। उक्त स्थिति में भी उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय का कार्य करने में मनाही कर सकती है जहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की उल्लंघना होती है। उदाहरणतया यदि कोई न्यायाधीश किसी विवाद में निजी रूप में दिलचस्पी रखता है तो उच्च न्यायालय उक्त विवाद की सुनवाई करने से मनाही कर सकती है। स्पष्ट है कि प्रतिषेध लेख परमादेश लेख का विरोध है।

4 अधिकार पृच्छा लेख (Writ of Quo Warranto)—'क्वा वारण्टो' एक लेटिन शब्द है जिसका अर्थ है "जिस अधिकार से" अर्थात् यह वह लेख है जिसके द्वारा न्यायालय यह आदेश दे सकती है कि कोई अमुक व्यक्ति उम सावजनिक पद पर काय न करे जिसने लिये वह हकदार नहीं। दूसरे शब्दात् म, यदि कोई व्यक्ति उस सावजनिक पद पर काय करता है जिस पर काय करने का उस वधानिक अधिकार नहीं तो न्यायालय उसे उस पद पर काय करने से मनाही कर सकती है। इस लेख के अंतर्गत अमुक व्यक्ति को वनपूर्वक भी पद से हटाया जा सकता है। उदाहरणतया यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित न होने पर भी व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेता है तो न्यायालय "अधिकार पृच्छा लेख" द्वारा उसे ऐसा करने से मना कर सकती है।

5 उत्प्रेषण लेख (Writ of Certiorari)—'सरसियोररी' एक लेटिन शब्द है जिसका अर्थ है आदेश पत्र अर्थात् यह वह लेख है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय किसी विवाद की उचित सुनवाई के लिये किसी निम्न न्यायालय से हटा कर दूसरे न्यायालय का सार देता है। यह लेख तब जारी किया जाता है जब वाद (Complainant) अपनी इस आपत्ति का सिद्ध करता है कि उसे निम्न न्यायालय से न्याय मिलने की सम्भावना नहीं। दूसरे शब्दों में, यह लेख निम्न न्यायालय के निष्पक्ष जिसने विवाद की सुनवाई कर उस पर निर्णय दिया जाता है, रद्द (quash) करने के लिये जारी किया जाता है। जहाँ प्रतिपक्ष लेख निम्न न्यायालय के श्रेणाधिकार के आवार पर जारी किया जाता है वहाँ उत्प्रेषण लेख उचित न्याय या विवाद पर उचित विचार के लिये जारी किया जाता है।

मूल अधिकारों की आलोचना

या

मूल अधिकार एक हाथ से दिये गये हैं और दूसरे हाथ से छीन लिये गये हैं

या

मूल अधिकारों के सम्बन्ध में सिद्धांत और व्यवहार में अन्तर

यद्यपि इन प्रश्नों का उत्तर मूल अधिकारों की व्याख्या करते समय यथास्थान लिख दिया गया है परंतु फिर भी विद्यार्थियों की सुविधा के लिये यहाँ उस क्रम में लिख देना उपयोगी होगा।

(सविधान के अध्याय तीन में लिये गये 24 अनुच्छेद (अनुच्छेद 12 से 35 तक) नागरिक स्वतन्त्रताओं के भेगा चार्टर है। ये भारतीय लोकतंत्र और उसकी उत्तम एवं स्वतंत्र संस्थाओं के अस्तित्व के आधार हैं। यदि यह सविधान में निराल किया जाय या अमर्यादित ढंग में इन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाय तो भारतीय सविधान के लोकतांत्रिक होने में ही सन्देह उत्पन्न हो जायेगा।)

भारतीय सविधान की विशेषता यह है कि जिन धाराओं में यह नागरिकों के

मूल अधिकारों का उल्लेख करता है उन्हीं में अपवादों, विशेष व्यवस्थाओं और शर्तों की व्यवस्था भी की गयी है। इस तरह संविधान न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों को गवर्नरान्वय मान्यता देता है बल्कि प्रतिबंधों (limitations) का भी संवैधानिक मान्यता देता है। यही कारण है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार निर्वाह, असीमित और निरपेक्ष नहीं। राज्य राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं हित, विदेशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सार्वजनिक नतिक्रमों का स्वास्थ्य, पिछड़ी हुई एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा, नीति निर्देशक तत्वों की कार्यविधि यादालय के अमान, आदि के नाम पर कभी भी और किसी भी सीमा तक प्रतिबंध लगा सकती है। इतना ही नहीं राज्य नागरिकों को यायानय के संरक्षण से भी वंचित कर सकता है।

भारत में प्रतिबंधों का क्षेत्र इतना विस्तृत एवं व्यापक है कि नागरिकों के मूल अधिकारों के व्यावहारिक हान के स्थान पर सद्भावित अधिक रहे। जमाकि नामन टी० पामर ने लिखा है कि "संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों और उन्हीं सीमित वास्तविकता में आज महान अंतर है।" 1 एम० सी छागला ने भी लिखा है कि "यह कहा जाता है कि हमारा संविधान एक हाथ में मूल अधिकार प्रदान करता है और अगणित अपवादों और उपबंधों द्वारा परिमित करके उन्हें दूसरे हाथ से वापस ले लेता है। मेरे विचार में यह बहुत उदात्त आलोचना है।" 2 संविधान सभा के संसदों ने इन प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा था कि अध्याय तीन का शीर्षक "मूल अधिकार हानों के स्थान पर 'मूल अधिकारों पर मर्यादों' या 'मूल अधिकारों एवं उन पर मर्यादाएँ' होना चाहिये।

प्रतिबंधों की व्यवस्था न मूल अधिकारों के महत्त्व को कम कर दिया है, उनकी वास्तविक उपयोगिता को नष्ट किया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राज्य इन्हें शांतिमान में भी स्थगित कर सकती है। राष्ट्रपति अध्यादेश (Ordinance) द्वारा उन्हें स्थगित कर सकता है और उन्धोपगमा द्वारा नागरिकों को यायानय के संरक्षण से भी वंचित रख सकता है। जहां अथवा जहां जमे रिन्तु और असरीना नागरिकों के मूल अधिकारों पर संकटमान में ही प्रतिबंधों का प्रयोग हुआ है वह भारत में इन्हें शांति काल में भी वायपालिका और व्यवस्थापिका की द्वारा पर निर्भर कर दिया गया है। जहां असरीना में संकटमान में भी यादालयों के संरक्षण में नागरिकों को वंचित नहीं किया जाता वहां भारत में शांतिमान में भी नागरिकों को यादालयों के संरक्षण से वंचित किया जा सकता है। इस तरह भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता का क्षेत्र वायपालिका और व्यवस्थापिका के भावा (Mood) पर निर्भर करता है।

1 Palmer Norman D Indian Government of Politics

2 Chagla, M C

मूल अधिकारों का सही अर्थ यह होता है कि वे न केवल कायपालिका निरकुशता वृत्ति व्यवस्थापिका के अत्याचार में भी सुरक्षा प्रदान करें। परन्तु भारतीय संविधान कायपालिका निरकुशता से तो सुरक्षा प्रदान करता है परन्तु ससदात्मक अत्याचार से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता। भारत में न्यायपालिका की शक्ति "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" से निर्धारित होती है अमरीका की भाँति कानून की उचित प्रक्रिया में नहीं। इसका अर्थ यह है कि ससदा या राज्य विधान सभा की अधिकार शक्ति के अन्तर्गत बनाया गया कानून बंध है चाहे वह कितना ही अत्याधिक, अनिष्ठा, कठोर, दुर्गन्धी एवं अत्याचारी क्यों न हो। न्यायालय किसी कानून को तभी अव्यय घोषित कर सकती है यदि वह संविधान की किसी धारा की उल्लंघना करता हो या व्यवस्थापिका की अधिकार शक्ति में बाधा डाले।

भारतीय संविधान ससदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार करता है यावत् सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं। ससदात्मक प्रणाली में इसका वास्तविक अर्थ है कायपालिका की सर्वोच्चता। जसा कि सरदार हुक्मसिंह ने कहा था कि "यदि हम इन स्वतन्त्रताओं को व्यवस्थापिका की इच्छा पर छोड़ देते हैं जो कि एक राजनीतिक दल के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं तो इन स्वतन्त्रताओं का अस्तित्व नहीं रहता है।"

संविधान में विस्तृत एवं व्यापक प्रतिबंधों की व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित भारतीय नागरिकों पर विश्वास नहीं करता है। उन्हें उन पर अविश्वास था। इससे यह संविधान सभा में नागरिकों की स्वतन्त्रता के स्थान पर राज्य शक्ति में अधिक सम्पन्न थे। जसाकि सामनाथ लेहड़ी ने कहा था कि 'मूल अधिकारों का निर्माण पुलिस व मिसाइलों की दृष्टि से किया गया है, स्वतन्त्रता के नियम बनाने वाले राष्ट्र के दृष्टिकोण से नहीं।' अनुच्छेद 22 में निम्नलिखित विधायक व्यवस्था काटने के बाद शांतिमान में मूल अधिकारों की स्थापना की व्यवस्था तब ही प्राधान्य से सम्भलाने के बजाय राज्य की व्यवस्था विधि ही अधिकारों की योजना है। ये व्यवस्थाएँ निरकुशता के प्रपन्न हैं, नागरिक स्वतन्त्रताओं के प्राण नहीं। जसाकि एच बी खन्ना ने कहा था कि जिन शांति की परिस्थितियों में व्यवस्थापिका के बल और शक्ति के अभाव में शांति की योजनाएँ ही स्वतन्त्रता के स्थापित शांति की नहीं। ये तानाशाही और पुलिस राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण हैं, तीसरे अंग राज्य की स्थापना में नहीं। इन्हें ही तानाशाही विरोधी, उदारवाद विरोधी, विधि व शांति के विरोधी प्राकृतिक विधि विरोधी, न्याय की भावना के विरोधी तथा अविद्य विरोधी कहा गया है। विधि प्रणाली के अर्थ में विधि विरोधी तानाशाही प्रणाली, जहाँ जहाँ शांति सम्भावना के अभाव में व्यक्ति का अधिकारों की इच्छा कल्याण का प्राप्त बना देना सम्भव नमाने का विचार है। अतः तानाशाही की पुनरावृत्ति में 'राज्य शांति' और 'शांति' का अर्थ ही नहीं है। एम. पी. पाण्डे ने 'तानाशाही' का अर्थ बताया है। तानाशाही प्रणाली में व्यक्ति की व्यवस्था राष्ट्रीय प्राधान्य का

सेनानिया को चुनने के लिये की थी भारतीय मजिस्ट्रान निर्माताओं ने इनकी व्यवस्था नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचलने के लिये की।

व्यवहार में भी मजिस्ट्रान प्रतिवन्धना का प्रयोग जिम डग से किया गया है वह मूल अधिकारों के सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को भी स्पष्ट करता है। भारतीय सुरक्षा अधिनियम (DIR) आतंरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) नागरिक विरोध अधिनियम (PDA), की व्यवस्था देशद्रोहियों और समाज विरोधी तत्त्वों के लिये की थी राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिये नहीं। विहार में जिस डग से जन आंदोलन का फामीवादी कहकर कुचला गया है, जिस डग से मत्याग्रहियों और विरोधी दलों के प्रदर्शनों, जनसम्मेलनों, सभाओं, आदि के साथ पक्षपात किया गया तथा साम्यवादी और कांग्रेस रेलियों में सरकारी यंत्रणा का प्रयोग किया गया वह लोकतंत्र के लिये अच्छा शकुन नहीं। डी० आर्० आर०, मीसा और पी० डी० ए० का प्रयोग सरकारी कर्मचारियों की हड़ताओं, श्रमिकों के विचारों और व्यापारियों के विरुद्ध किया गया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सरकार मामूली विधियों के अनुसार पशासन का संचालन नहीं कर सकती और मजिस्ट्रान व्यवस्था का आधार पर ही शांतकाल में शासन का संचालन कर सकती है।

भारतीय मजिस्ट्रान में 'भेद मूलक सरक्षण' (Protected Discrimination) की व्यवस्था भी समानता की परिचायक नहीं। सामाजिक समानता के नाम पर जाति के आधार पर विशेष व्यवस्थाएँ कराई जाती हैं जो विशेषकर उच्च परिस्थिति में जहाँ इनका प्रयोग वोट बैंक के रूप में किया जाने लगे। चिरन्तन रूप में इन व्यवस्थाओं का प्रयोग करता है जहाँ नागरिक अंग तोंप को जम दे सकता है वहाँ राष्ट्रीय हित के लिये भी हानिकारक हो सकता है। 'निवास स्थान' की व्यवस्थाओं ने 'धरती के लाल' (Sons of the Soil) के सिद्धांत को जन्म दिया है और जिम डग में प्रांतीय भाषाओं की गतिवायता का प्रांतीय प्रशासनिक क्षेत्रों में रखा जाता है वह राष्ट्रीय एकरता का बड़ा गड़बड़ देता वहिक प्रांतीयता को बढ़ावा देता है। एम. सी. सीतलवाड ने ठीक किया है कि 'समानता की बात मानव जाति युग में उरती आयी है भारत में वह अभी स्वप्न ही है।

न केवल स्वतंत्रता और समानता के मूल अधिकारों पर ही मजिस्ट्रान अधिनियम, विशेषकर सम्पत्ति के मूल अधिकारों का भी नष्ट करने का प्रयास किया गया है। पच्चीसवें संसदीय सत्र के मूल अधिकारों के मूल अधिकारों के क्षेत्र में लेना ही आपत्तिजनक प्रतीत होता है। यह अधिकार वस्तुतः वाद योग्य नहीं रहा, न्यायालय अधिनियम की गरीब सम्पत्ति के लिये दी जान वाली राशि के अधिचय अनिचित्य का निर्धारण नहीं कर सकती। संसद वानून द्वारा पक्षपात कर सकती है, जो राशि देना संसद कर सकती है आदि।

सबसे दूरिद्रता, भीषण विषमताओं और वराजगारी के वातावरण में शासन के विरुद्ध अधिकारों की बात करना कोरा मजाक है। बालक श्रम, महिला श्रम सबसे

विद्यमान है। निधनो, असहाय व्यक्तियों और अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण विद्यमान है। इसी प्रकार अनिवाय और निशुल्क शिक्षा के अधिकार की बात करना कोरा आदेश है। 25 वर्षों की स्वतन्त्रता के बाद भी शिक्षा विद्यार्थी के माता पिता की "जेब" पर निर्भर करती है मानवीय या नागरिक आवश्यकता पर नहीं। दुष्प्रसूत का अंत सविधान की महान एव अद्वितीय विशेषता है परंतु यह बीमारी आज भी विद्यमान है। वस्तुतः इस कानून का दृढता से पालन ही नहीं किया गया।

मूल अग्रिमार्ग के अध्याय में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया है जिनकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गयी। उदाहरणतया 'सावजनिक उद्देश्य', 'राशि', 'कठोर काय' मानव का व्यापार' आदि शब्दों की स्पष्ट व्याख्या न होने से अनेक अर्थों में इनका प्रयोग किया गया है जिनसे अनिश्चितताये और अस्पष्टतायें पैदा होती हैं।

एक दृष्टि में तो मूल अधिकार केवल मिथ (Myth) मात्र है। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता केवल वाया है अवास्तविकता एव नाम मात्र है। सविधान नागरिकों को काय विनाम, सामाजिक सुरक्षा तथा असहाय व्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन नहीं देता। इनके अभाव में जन साधारण ही राजनीतिक स्वतन्त्रतायें सम्पन्न वर्गों के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह जाती हैं।

उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि अध्याय तीन में अज्ञानता, विशेष व्यवस्थाओं प्रतिव्यक्ति या शर्तों आदि की व्यवस्था भारत सुरक्षा अधिनियम निवारक निर्गम अधिनियम, आतंक सुरक्षा अधिनियम की व्यवस्था, कानून द्वारा स्थापित प्रतिया, तथा आर्थिक स्वतन्त्रताओं के अभाव में नागरिकों के मूल अधिकारों के सार तत्त्व को नुस्त कर दिया है और जिस हाथ से मूल अग्रिमार्ग दिए गये हैं उसी हाथ से वापस ले लिए गये हैं या यों कहना अग्रिम उचित होगा कि मूल अधिकारों के सम्पन्न वर्ग में भारतीय सविधान में सिद्धांत और व्यवहार में महान अंतर पाया जाता है।

उपर्युक्त आलाचनाओं के बाद भी मूल अग्रिमार्गों को व्यवस्था, अवास्तविक कहना गत है क्योंकि सम्पत्ति के अधिकार का छाँवर, सभी अग्रिमार्गों के मायालय में बाद योग्य है। मायालय मत्क पहरेदार की भाँति उनकी रक्षा करती है और यदि कोई कानून सविधान पर 'धोखा' (fraud) है या सविधान के मूल तत्त्वों पर प्रहार करता है तो मायालय उस अवधि घोषित कर सकती है। आज भी मायालय कानून के अचिन्त्य और अनौचित्य का निवारण करती है। भारतीय न्यायालय की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता अद्वितीय है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के विरुद्ध राजनारायण की चुनाव घोषणा का स्वीकार करत हुए प्रधान मंत्री का लोक सभा की मण्डपना में बहिष्कार कर लिया।¹ परंतु विभी जन

1. सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को शर्तों सहित स्थगित किया है। अनी अंतिम निर्णय नहीं हुआ।

समूह की स्वतंत्रता यायालय की सतकता पर ही निभर नहीं करती वलिकु नागरिका की सतत जागरूकता पर निभर करती है जिसकी सम्भवत भारत म अभी कुछ कमी है । यदि कोई जनता अपने नेताओ का अध्रा त मानकर उनम अ भविश्यास करती है तो कोई भी सविज्ञान चाहे वह कितना ही उदार क्या न हो, नागरिक अधिनारा की रक्षा नहीं कर सकता । लावतात्रक समाज म डी० आर्क० आर०, मीमा और पी० डी० ए० जस दूर एव निष्ठुर अधिनियमो के स्थान पर नागरिको की सतत जागरूकता की आवश्यकता है जो अपने प्रतिनिधिया की निरकुशता और निष्ठुरता पर नियंत्रण रख सके ।

समीक्षा प्रश्न (Review Questions)

- 1 भारत के सविज्ञान के अतगन नागरिका को दिये गये मूल अधिकारो का आलोचनात्मक मूल्याकन कीजिय ।
- 2 भारतीय सविधान के अ तगत नागरिका का कौन-कौन मी नागरिक स्वतंत्रताये (Civil Liberties) प्रदान की गयी है । भारत सुरक्षा अधिनियम, (DIR) तिवारक निराध अधिनियम (PDA) और आ तरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) के सद्भ म इनकी व्याख्या कीजिय ।
- 3 "सवैधानिक उपचारा का अधिकार मारे सविधान की आत्मा और दिल है ।" व्याख्या कीजिय ।
- 4 क्या सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारो के अध्याय से निकाल देना चाहिये ? कारण सहित उत्तर दीजिय ।
- 5 "भारत म मूल अधिकार निर्बाध या निरपक्ष नहीं, व सीमित हैं ।" उदाहरण सहित व्याख्या कीजिय ।
- 6 'मूल अधिकार एव हाथ से दिय गये है और दूसरे हाथ स ले लिय गये ह ।' आलोचनात्मक व्याख्या कीजिय ।
- 7 'मूल अधिकारो की व्यप्रस्था एक पुलिस का मटेबल के दृष्टिकोण स की गयी है, एक स्वतंत्र देश के दृष्टिकोण से नहीं ।' विवेचना कीजिये ।

राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (The Directive Principles of State Policy)

'सविधान स्वतंत्रता का शाश्वतता द सारे थे और यह शाश्वतता दिया भी परन्तु व रोटी और आर्थिक सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त आश्वासना गी द सवा थे जिन की छोटे व्यक्ति का आश्चर्यता हाती है।'

—लोअनस्टीन (Lowenstein)

राज्य के नीति निदेशक तत्त्व भारतीय सविधान की अद्भुत विशेषता (novel feature) है। परन्तु भारतीय सविधान की एकमात्र ऐसा सविधान गही जिमम शाका समावेश किया गया हो। आयरिश स्वतंत्र राज्य, आस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली प्राचीन नेपाल बार्डनष्ट वर्मा फ्रांस, १० जर्मनी युगास्लाविया, चकोस्लाविया, चीन प्रादि सविधाना म भी २००० प्रायः व उपय वा की बान्त्ता गी गद है। भारत । इह आयरिश स्वतंत्र राज्य ने सविधान स अणायया ह आर आयर-लण्ड न इ ह स्पेन गणराज्य ने सविधान से प्राप्त किया म। वस्तुतः २०० गणराज्य ता सविधान ही एसा सविधान था जिसने पहली बार ऐसे तत्त्वा ता सविधान म सम्मिलित किया।

भारतीय सविधान मे उल्लिखित नीति निदेशन तत्त्वा का क्षेत्र आयरिश और १००० सविधाना म उल्लिखित तत्त्वा म कही अधिा व्यापक है। य केवल सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की ही बात नहीं करत अपितु उन उद्देश्या को भी व्यक्त करते ह जिन पर भारत के त्र तान्द्रीय सम्ब धा ने निर्धारित किया जायगा। ये उस सामाजिक दशा (व्यवस्था) की आर सन्त करत है जिसकी स्थापना सविधान निर्माता करना चाहते थे अर्थात् भारतीय सविधान की प्रस्तावना म व्यक्त किये गये भावा को—मभी नागरिका को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो—कार्यान्वित करत व निय ही इन नीति निदेशक तत्त्वा का अयाय चार म उल्लिखित किया गया है। सविधान निर्माता राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना चाहत न, राज्य का केवल पुलिस राज्य ही नहीं अपितु लोक कल्याण गरी और समाज सेवी (Social Service) राज्य भी बनाना चाहते थे।

आर्थिक और सामाजिक नीतियों के सम्बन्ध म नीति निदेशक तत्त्व किसी

ठीक योजना या कार्यक्रम (cut and dried plan or blue print) को प्रस्तुत नहीं करते बल्कि वे केवल "सामाज्य कल्याण" की भावना का व्यक्त करते हैं। सविधान निर्माताओं की धारणा थी कि सरकार चाहे अनुदारवादी हो या उदारवादी, सुधारवादी (radical) हा या प्रगतिवादी (progressive) सभी को अधिक और सामाजिक प्रजातन्त्र की स्थापना के लिय प्रयत्न करना चाहिये। किसी लेखक ने ठीक लिखा है कि नीति निदेशक तत्त्व 'एक ही दृष्टि के समान है जिनमें हम भविष्य के समाज और सरकार के स्वरूप को देख सकते हैं।

नीति निदेशक तत्त्वों के उदाहरण — भारतीय सविधान के अध्याय चार के 16 अनुच्छेदों में (अनुच्छेद 36 से 51 तक) राज्य की नीति निदेशक तत्त्वों का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय के अतिरिक्त 350 A और 351 में भी नीति निदेशक तत्त्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 350 A प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की व्यवस्था करता है और अनुच्छेद 351 हिन्दी भाषा के विकास की बात करता है।

जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि ये तत्त्व "सामाज्य कल्याण" की भावना पर आधारित हैं, ये सभी को सामाजिक अधिक, सांस्कृतिक प्रशासनिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के इच्छुक हैं, ये राजनीतिक लोकतन्त्र के साथ अधिक लोकतन्त्र की स्थापना चाहते हैं, ये राज्य को केवल पुनिम राज्य ही नहीं अपितु लोक कल्याणकारी और 'समाज सेवा' राज्य भी बनाना चाहते हैं। ये बंधनों के इस कथन का समर्थन करते हैं कि राज्य की नीति का उद्देश्य 'अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख' (greatest happiness of the greatest number) को प्राप्त करना होना चाहिये अर्थात् उसकी नीतियों से कम लोगों को हानि नहीं चाहिये।

सविधान में नीति निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। यही कारण है कि यह आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, कानूनी, गांधीवादी, अंतर्राष्ट्रीय और विविध क्षेत्रों में वाटन का प्रयास किया गया है। इन्हें मुख्यतः चार भागों में बांटा जा सकता है जो निम्न प्रकार से हैं —

- (क) लोक-कल्याणकारी राज्य से सम्बंधित तत्त्व
- (ख) गांधीवादी विचारधारा से सम्बंधित तत्त्व
- (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा से सम्बंधित तत्त्व
- (घ) ऐतिहासिक इमारतों में सम्बंधित तत्त्व

(क) लोक-कल्याणकारी राज्य से सम्बंधित तत्त्व — ये तत्त्व हैं जो भारत में आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना चाहते हैं। ये इस भावना पर आधारित हैं कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता मिथ्या है। इन्हें समाजवादी तत्त्वों की गणना भी दी जा सकती है। उनके मुख्य उदाहरण निम्न हैं —

- (i) जन समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो कि सामाजिक कल्याण में सहायता हो ।
 - (ii) आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार संचालन हो कि सामाजिक अधिकार में धन और उत्पादन के साधनों का संचयन युद्ध हाथा में न हो सक ।
 - (iii) सभी नागरिकों को जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो ।
 - (iv) श्रमजीवियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों की व्यवस्था हो ।
 - (v) पुरुषों और स्त्रियों का समान काम के लिये समान वेतन की व्यवस्था हो ।
 - (vi) सभी नागरिकों के स्वास्थ्य और शक्ति के पोषण और सुरक्षा की व्यवस्था हो ।
 - (vii) बच्चा, किशोरावस्था और रिजिया के नैतिक और भौतिक शोषण से सुरक्षा की व्यवस्था हो ।
 - (viii) सविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो ।
 - (ix) बरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी अक्षमता या अन्य इसी प्रकार की अव्यवस्थित अवस्था में, जहाँ तक हो सके, राज्य द्वारा शिक्षा, काम और सांख्यिक सहायता की व्यवस्था हो ।
 - (x) काम के लिए पर्याप्त एवं मानवीय परिस्थितियों की व्यवस्था हो ।
 - (xi) मातृत्व काल में प्रसूति सुविधाओं की व्यवस्था हो ।
 - (xii) सामाजिक और सांस्कृतिक श्रमण से लाभ उठाने के साधन सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हो ।
 - (xiii) मनोरंजन और विश्राम के उपभागों की तथा चिकित्सा आदि की व्यवस्था हो ।
 - (xiv) सामाजिक जीवन स्तर और आहार पोषण के स्तर को ऊँचा उठाने की व्यवस्था हो ।
 - (xv) सभी के लिये समरूप आचार संहिता (Uniform Civil Code) की व्यवस्था हो ।
- (ख) गांधीवादी विचारधारा से सम्बंधित तत्त्व—ये तत्त्व हैं जिनकी प्राप्ति के लिये गांधीजी जीवन भर प्रयत्नशील रहें । इनके मुख्य उदाहरण निम्न हैं —
- (i) जन समुदाय (Community) के पिछड़े हुए तथा निचले वर्गों के शोषण और आर्थिक उत्थान की व्यवस्था हो ।
 - (ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो ।
 - (iii) आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग पर कृषि की व्यवस्था हो ।

- (iv) पशुओं की नस्ल को सुधारने की व्यवस्था हो तथा दुधारी पशुओं, विशेष कर गाय की हत्या से सुरक्षा की व्यवस्था हो ।
- (v) ग्रामीण क्षेत्रों में, निजी या सहकारी आधार पर, कुटीर उद्योगों के विकास की व्यवस्था हो ।
- (vi) ग्राम सुधार, सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्वायत्त शासन की इकाइयों के विकास के लिये ग्राम पंचायतों के निर्माण की व्यवस्था हो ।
- (vii) कायपालिका और 'यायपालिका' को एक दूसरे से पृथक रखने की व्यवस्था हो ।

(viii) मद्य और अन्य नशीली वस्तुओं के निषेध की व्यवस्था हो ।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा से सम्बंधित तत्त्व—य वे तत्त्व हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के उद्देश्यों को व्यक्त करते हैं । ये मुख्यतः विश्व शांति, राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग, विश्व वधुत्व और जीमो और जीन दो की भावनाओं से प्रेरित हैं । इनके मुख्य उदाहरण निम्न हैं—

- (i) राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध का परित्याग ।
- (ii) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि ।
- (iii) राष्ट्रों में 'यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण सम्बंधों का विकास ।
- (iv) अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों और कानून के प्रति सम्मान ।
- (v) पंच नियमों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को बढ़ाना ।

(घ) ऐतिहासिक इमारतों से सम्बंधित तत्त्व—इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, इमारतों, और कला स्थानों के बिगाड़, विरूपण, नाश, हटाव, बिक्री और निकासी से रक्षा करना है (Art 49)

नीति निदेशक तत्वों की आलोचना—भारतीय संविधान के किसी अध्याय के सम्बंध में इतनी अधिक गलत धारणाएँ व्यक्त नहीं की गयीं जितनी कि नीति निदेशक तत्वों के अध्याय के सम्बंध में व्यक्त की गयी हैं । संवधानिक सभा में ही इन पर शक्यता व्यक्त की गयी । संवधानिक सभा के एक सदस्य के अनुसार "ये निदेशक सिद्धांत भावनाओं के कूड़ेदान हैं—इन सिद्धांतों में इतना लचीलापन है कि इस मदन का कोई भी सदस्य इनमें अपनी मनचाही चीज पा सकता है ।" प्रो० के० टी० शाह ने संविधान सभा में कहा था कि 'ये बैंक के ऐसे चक के समान हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है । नसिस्ट्रीन न इनकी तुलना "नव वष के उन शुभकामना प्रस्तावों में की है जिन्हें 2 जनवरी को तोड़ दिया जाता है ।"

जिन आधारों पर नीति निदेशक सिद्धांतों की आलोचना की गयी है उनमें प्रमुख निम्न हैं —

1 वादयोग्य नहीं (Non justiciable)— नीति निदेशक तत्त्वा की स वडी आलाचना यह कहकर की जाती है कि ये वाद योग्य नहीं अर्थात् यह 'यायाद द्वारा लागू नहीं किया जा सकता ।¹ उदाहरणतया यदि पिछड़ी हुई जाति क सव को स्कूल शुल्क म किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती तो वह इस आधार 'यायालय या सरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता । इस तरह नीति निदेशक तत्त्व न मौलिक कानून है और न ही गौण कानून (neither fundamental nor secondary laws) है । जसाकि जी० एन० जोशी ने लिखा है कि नीति निदेशक तत्त्व "निदेश है, प्रादेशिक नहीं । वे न तो बंध अधिकारों को उत्पन्न करते हैं और न ही उपचारा तो ।"² सर्वैधानिक टीकाकार के लिये इनका कोई महत्त्व नहीं । य उस तो प्रेरित करते है और न ही अपीत । वी० एन० शुक्ल का मत है कि य सर्वाधिक दस्तावेज के भाग बनने योग्य नहीं ।

2 घोषणाये मात्र—नीति निदेशक तत्त्वा की यह कहकर आलाचना गयी है कि क्याकि ये राज्य पर बंध कतव्यों का आरापित नहीं करते इसलिये केवल दिग्वावा मान है । इह 'पवित्र आशय' और "शोधे वचन" कह कर निरिदत किया गया है । ये ऐसी उच्च भावनाये है जिह श्रेष्ठ शब्दावली म तो क किया गया है परन्तु प्रभावहीन (platitudes) होने से इनकी व्यावहारिक उपयोगि कुठ भी नहीं । डा० ह्वियर के लिये ये "उद्देश्य और आकाक्षाओं के घोषणा पत्रे अधिक कुछ नहीं ।"³ माशल स्टालिन से भी लिखा है कि "बुनियादी उद्देश्यो और सकेत करना या इ ह भविष्य की उपलब्धियों की घोषणाओं द्वारा पूरा कर सविधान के मौलिक आधार को अवरुद्ध करन के समान ह ।' आलाचका का मत सविधान ऐसा स्थान नहीं जहा नतिक उपदेशा का उल्लेख किया जाना चाहिये अ यदि ऐसा है तो वाईबिल की दस पवित्र आज्ञाओं (Ten Commandments) को सविधान मे लिखा जाना चाहिये था ।

3 असगत, निरथक और अथहीन है— नीति निदेशक तत्त्वों की यह कह आलोचना की गई है कि ये असगत, अस्पष्ट, व्यथ, निरथक और अथहीन होने महत्त्वहीन है । जसाकि सर आइवर जॉन्स न कहा है कि ' राज्य के नीति निदेश तत्त्वों का कोई महत्त्व नहीं और भारतीय सविधान मे वे असगत है । यह सम नहीं आता कि रोजगार, समान वेतन जीविका योग्य मजदूरी, घन और उत्पादन साधना का विकेद्रीकरण, पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान आदि महत्त्वपूर्ण आर्थिक अ सामाजिक प्रश्नों को स्मारका की सुरक्षा जसे महत्त्वहीन प्रश्ना के साथ कैसे जो दिया । यह भी समझ नहीं आता कि कतमान म दिये गये निदेश भविष्य क

1 See Art 37 of the Indian Constitution

2 Joshi, G N The Constitution of India p 105

3 Wheare, K C India's New Constitution, p 54

आवश्यकताओं की वैसे पूर्ति कर सकेंगे। प्रो० श्रीनिवासन ने ठीक लिखा है कि नीति निदेशक तत्त्वा में "वर्तमान को प्राचीन से, तब तथा विज्ञान पर आधारित उपबन्धों की भावनाओं और पक्षपात पर आधारित उपबन्धों को बड़ असंगत रूप से मिलाने का प्रयास किया गया है।"

4 महत्त्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को टालने का प्रयत्न करते हैं—कुछ आलोचकों का यह मत है कि नीति निदेशक तत्त्वा के अध्याय में उल्लिखित तत्त्वों का मूल अधिकारों के अध्याय में न लिया कर संविधान निर्माताओं ने महत्त्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को टालने का प्रयत्न किया है। नीति निदेशक तत्त्व न तो श्रमिकों और मालिकों के सम्बन्धों को निर्धारित करते हैं और न ही सम्पत्ति की जटिल समस्याओं का कोई समाधान ही प्रस्तुत करते हैं। ये निजी पूँजी और समाजीकरण तथा यथेच्छाकारिता और याजनावद्ध नीतियों में भी कोई स्पष्ट सामञ्जस्य स्थापित नहीं करते। ये इस बात की कोई गारण्टी नहीं देते कि परिवर्तित परिस्थितियों में इनकी पालना की ही जायगी। इस बारे में भी ये शांत हैं कि वरतक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जायगी और वरतक आर्थिक लोकतन्त्र स्थापित किया जा सकेगा। ये जनताजनों (demagogues) और राजनीतिक नेताओं के स्वार्थों से भी भोली भाती और अनभिज्ञ जनता की रक्षा नहीं करते। उन्हें गुमराह करने के लिये इन तत्त्वों का महारा लिया जा सकता है और निवाचन में मता का प्राप्ति किया जा सकता है। यही कारण है कि आलोचकों ने इन्हें दिखावा मात्र (mere window dressing) और पवित्र निरर्थकतायें (pious superfluities) कहा है।

5 तत्संगतता का अभाव—कुछ आलोचकों ने नीति निदेशक तत्त्वों की तत्संगतता और व्यावहारिक उपयोगिता पर भी शक्यें व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि मद्य निषेध जैसे निदेशकों का अनुमरण करने से दोहरी हानि होती है। प्रथम इससे राज्य को करोड़ों रुपये के राजस्व से हाथ धोना पड़ता है दूसरे, इससे अवैध मद्य संघान (distillation) और वितरण का बढ़ावा मिलता है। इतना ही नहीं अधिकारियों में भ्रष्टाचार का विकास भी होता है।

6 सवधानिक गतिरोध की सम्भावना—आलोचकों का कथन है कि नीति निदेशक तत्त्व इस अस्पष्टता का मही उत्तर नहीं देते कि यदि कोई मन्त्रिमण्डल इनकी जानबूझ कर उपेक्षा करता है तो क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें हटाया जा सकता है कि नहीं। और यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं तो क्या उन्हें मन्त्रिमण्डल को हटाने की भावनाओं की उल्लेखना नहीं होगी कि राज्यपालों को हटाने के परामर्श पर ही कार्य कर सकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में स्पष्ट उत्तर नहीं देते जिसमें सवधानिक गतिरोध का समाधान प्रदान कर सकती है। यह भी हो सकता है कि जनता द्वारा निर्वाचित

के सदस्य जन हित को अभिव्यक्त न कर दलीय, वर्गीय या सकीण हिता का अभिव्यक्त करे। उस समय स्थिति निश्चित ही गम्भीर हो सकती है।

नीति निदेशक तत्त्वों का महत्व

उपयुक्त आलोचनाओं के बाद भी यह कहना भ्रमपूर्ण है कि 'नीति निदेशक तत्त्व सारहीन और महत्त्वहीन है। वस्तुतः जहाँ ये तत्त्व कायपालिका के लिये सामान्य हित की नीतियों को कार्यान्वित करने में प्रेरक रहें हैं, जहाँ विधान मण्डल के लिये ये आदर्श रहे हैं वहाँ न्यायपालिकाओं के लिये भी ये प्रकाश स्तम्भ (beacon light) रहे हैं। इन्हीं तत्त्वों की कार्यान्विति से भारत में लोक-कल्याणकारी राज्य और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना सम्भव है। नीति निदेशक तत्त्वों के महत्त्व को निम्न बिन्दुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—

1 देश के प्रशासन में मूलभूत—यह सत्य है कि नीति निदेशक तत्त्व वाद योग्य नहीं परन्तु वे संविधान की "अंतरात्मा"² है। संविधान में इनका उल्लेख ही इन्हें पवित्र अनुशास्ति (Solemn sanction) और गौरव (status) प्रदान करता है। और फिर संविधान इन्हें देश के प्रशासन में मूलभूत (fundamentals) बनाता है।³ वे केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों पर यह उत्तरदायित्व डालते हैं कि कानून निर्माण करते समय वे इन तत्त्वों का कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगी। इस दृष्टि से व राज्य का पथ-प्रदर्शन भी करते हैं और उस सामाजिक और आर्थिक दिशा की ओर संकेत भी करते हैं जिसकी स्थापना संविधान निर्माता करना चाहते थे। नीति निदेशक तत्त्व वैधानिक दृष्टि से बाध्य न होते हुए भी नैतिक दृष्टि से बाध्य हैं। इस तरह नीति निदेशक तत्त्व उस स्थायी अनुस्मरण पत्र (standing reminder) की भाँति हैं जो सरकार को इस बात की याद दिलाता रहता है कि सामान्य हित के लिये उसे क्या करना चाहिये। इन्हें वास्तव में योग्य केवल इसलिये नहीं बनाया गया कि यदि राज्य अपने सीमित आर्थिक साधनों के कारण इन्हें कार्यान्वित न कर सके तो उसे न्यायालय में चैतावनी न दी जा सके।

2 सरकारों के औचित्य की कसौटी—यह सत्य है कि नीति निदेशक तत्त्व राज्य पर कोई बंधन कर्तव्य नहीं लाते और यदि राज्य उन्हें कार्यान्वित नहीं करता तो उसे न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। परन्तु इस आधार पर नीति निदेशक तत्त्वों को अर्थहीन और महत्त्वहीन मान लेना भ्रमपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महान् और शक्तिशाली न्यायालय निर्वाचन मण्डल और जनमत होता है और कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इनकी उपेक्षा करने बहुत देर तक सत्ता खूब नहीं रह सकती।

नीति निदेशक तत्त्व किसी प्रकार की सरकार की सफलता और असफलता

1 उद्धृत हेगडे के० सदानन्द, पृ० 30

2 See Art 37 of Indian Constitution

के मापदण्ड (yardstick) हैं। जसाकि बी० एम० शर्मा ने लिखा है कि ये तत्त्व "सामान्य निर्वाचन में मतदाता के पास ऐसा हथियार है जिसके प्रयोग द्वारा वह किसी विधायक (legislator) को विधान मण्डल से बाहर निकाल सकता है यदि वह विधायक के रूप में अपने कतव्या को निभाने में इन तत्त्वों की भावना के प्रति अडिग नहीं रहा या उस दल के उम्मीदवार का अपना मूल्यवान मत देन से मना कर सकता है जिसने अपने निर्वाचन घोषणा पत्र में इन तत्त्वों को उचित महत्त्व नहीं दिया। विधान मण्डल में विरोधी दल के हाथ में ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग करके वह सरकार को यह आलोचना कर सकता है कि इन तत्त्वों को लागू करने के लिये आवश्यक विधेयक प्रस्तुत नहीं किये गये।"¹ इस तरह विधानमण्डल के बाहर मतदाता और विधान मण्डल के अंदर विरोधी दल के हाथों में नीति निदेशक तत्त्व ऐसी तलवार है जिसका प्रयोग सामान्य हित में मजबूत किया जा सकता है और लाभ हित के प्रति उदासीन सरकार को लाभ हित के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है।

नीति निदेशक तत्त्वों की कार्यावधि मूलतः इस बात पर निर्भर करती है कि जनमत कितना सबल, सुदृढ़ ठोस एवं जागरूक है तो कोई भी सत्तारूढ़ दल अपने लिये राजनीतिक अस्तित्व का खतरा मोल लेकर ही नीति निदेशक तत्त्वों की उपस्था कर सकता है क्योंकि जिस जनमत ने उस सत्तारूढ़ किया था उसी जनमत का एक भौका उस अपदस्थ कर सकता है इसलिये कोई दल इनकी उपस्था नहीं कर सकता।

3 'यायालयों के लिये प्रकाश स्तम्भ' यह सत्य है कि संविधान ने नीति निदेशक तत्त्वों का वाद योग्य नहीं बनाया परंतु फिर भी 'यायालयों के लिये प्रकाश स्तम्भ' रहे हैं। सामाजिक कानून के औचित्य को सिद्ध करने के लिये 'यायालयों ने नीति निदेशक तत्त्वों से माग दर्शन प्राप्त किया है। उदाहरणतया बम्बई राज्य बनाम एफ० एन० बलसराय के मुकदमे में 'बाधाओं के औचित्य' को निश्चित करने में अनुच्छेद 47 का महारा लिया। सन् 1948 के 'यूनितेड मजदूरी अधिनियम' को उचित ठहरान के लिये 'यायालय न विजय काटन मिल बनाम अजमेर राज्य के मुकदमे में अनुच्छेद 43 में वर्णित तत्त्वों का ध्यान रखा। सार्वजनिक हित (public purpose) के मापदण्ड के रूप में भी नीति निदेशक तत्त्वों का प्रयोग 'यायालय ने' किया है।

4 अतिवादिता से सुरक्षा—नीति निदेशक तत्त्व दक्षिण पक्षी और वाम पक्षी विचारों की अतिवादिता के विरुद्ध बीमा सुरक्षा (insurance) है। क्योंकि इन्हें किसी समय में विधानमण्डल की अस्थाई बहुमत की इच्छा पर आधारित नहीं किया गया बल्कि इन्हें राष्ट्र की युद्ध और धीरता पर आधारित किया है इसलिये कोई भी दल (अनुदारवादी, उदारवादी, सुधारवादी या प्रातिवारी) अतिवादी नीतियां

को नहीं अपना सताता। सत्तारूढ दल की प्रवृत्ति और स्वरूप क्या भी हो उस सविधान में परिवर्तन करने या उसका अन्त करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि नीति निर्देशक तत्त्व किसी ठोस अथ व्यवस्था की स्थापना नहीं करते बल्कि केवल आर्थिक और सामाजिक लोकतन्त्र और न्याय की बात करते हैं, इसलिए हर प्रकार का सत्तारूढ दल अपने अपने कार्यक्रम और नीतियाँ के अनुसार यथाशक्ति आर्थिक और सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना कर सकता है। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश केनिया ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मुकदमे में कहा था कि "नीति निर्देशक तत्त्व विधान मण्डल के बहुमत की अल्पकालीन इच्छा को अभिव्यक्त नहीं करने वरिन् दशक सर्वाच्च तथा स्थायी कानून का निश्चिन करते समय अत्यन्त सावधानी से निश्चित की गयी राष्ट्र की धीरता का अभिव्यक्त करत ह। क्योंकि नीति निर्देशक तत्त्व मानवतावादी सहनशीलता और एकता की भावना से भरपूर हैं क्योंकि वे उस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की ओर सक्न करते हैं जिगम सभी को न्याय प्राप्त हा, और क्योंकि वे विधान मण्डल के अल्पकालीन बहुमत को भविष्य का ताना शाना चुनने के लिये पूरातया स्वतन्त्र नहीं छाडते इसलिये वे दक्षिण पथी और वाम पथी दोनों की अतिवादी नीतियों से नागरिकों की रक्षा करते हैं। एम० बी० पापती न ठीक लिखा है कि 'राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों द्वारा भारतीय सविधान ब्यक्ति स्वातन्त्र्य की घातक महहारा वग की तानाशाही और जन साधारण की आर्थिक सुरक्षा में बाधक पूजीवादो अल्पतः न दोनों की अतिवादिताओं में (चरम सीमाओं में) सन्तुलन स्थापित करता है।'¹ गुप्ता और माथुर लिखत हैं कि "नीति निर्देशक तत्त्व राष्ट्रीय नीतियाँ में निरंतरता का आश्वासन देते हैं और समय समय पर सत्तारूढ होने वाले राजनीतिक दलों की परिवर्तनशीलता से सुरक्षा प्रदान करत हैं।"²

5 नैतिक आदर्श प्रेरणा के स्रोत होते हैं—यह सत्य है कि नीति निर्देशक तत्त्व नैतिक आदर्श उपदेश मान पवित्र इच्छाएँ एक घोषणाएँ और आकांक्षाएँ मान हैं। पर तु इस आधार पर इहे महत्त्वहीन कहना गलत है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि नैतिक आदर्शों और उपदेशों ने महापुरुषों और राष्ट्रों के जीवन में प्रेरणाओं का संचार किया है। उदाहरणतया ब्रिटेन में मैगना कार्टा (Magna Carta), फ्रान्स में मानवीय और नागरिक अधिकारों की घोषणा और अमरीकी सविधान की भूमिका का कोई बधानिक महत्त्व नहीं परंतु फिर भी करोडों व्यक्तियों का जीवन इन्हीं से प्रभावित हुआ है।

6 नीति निर्देशक तत्त्व भारतीय परिस्थितियों से भी प्रेरित हैं—आलोचना का यह मत भी भ्रामक प्रतीत होता है कि अध्याय 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्त्व के 'उधार' मान है। वस्तुतः स्थिति यह है कि यदि सविधान निम्नानुसार

1 Pyle M V Constitutional Government in India (Asia Publishing House New Delhi) 1960 p 320

2 Gupta R N and Mathur R N Development & Working of the Indian Constitution (Kitab Mahal, Allahabad) 1958 p 303

देशों के संविधानों से प्रभावित हुए थे ता भारतीय परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं थे। अनेक नीति निर्देशक तत्वों को राष्ट्रीय आन्दोलन की जड़ और गांधीजी के जीवन आदर्शों में देखा जा सकता है। उदाहरणतया मद्य निषेध, ग्राम पंचायतों की स्थापना, कुटीर उद्योगों का विकास, दुधारी पशुओं की रक्षा, पिछड़े हुए वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारतीय परिस्थितियों की उपज हैं और जिनकी मिद्धि के लिये गांधीजी जीवन भर प्रयत्नशील रहे।

7 नीति निर्देशक तत्वों को समयानुकूल बनाया जा सकता है—सर आइवर जॉन्स का यह मत भी भ्रामक प्रतीत होता है कि 21 वीं शताब्दी में इन नीति निर्देशक तत्वों का कोई महत्त्व नहीं रहेगा। भविष्य की अनिश्चितता और कल्पना के आधार पर इनकी आलाचना करना गलत है। वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों का अहित में बहुत लाभकारी सिद्ध हुए हैं और सभी सरकारों ने (संघीय तथा प्रांतीय) इन्हें यथासम्भव कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। सम्पत्ति के कुछ हाथों में संचयन को रोकने के लिये सम्पत्ति के मूल अधिकार में अनेक बार परिवर्तन (संशोधन 1, 4, 25, और 29) किया गया है। मुख्य मुख्य उत्पादन के साधनों का सामाजिक नियंत्रण में लिया गया है तथा पिछड़े हुए वर्गों के लिये अनेक शैक्षणिक और आर्थिक सुविधाएँ जुटाई गयी हैं। दूसरे, क्योंकि भारत के प्रत्येक राजनीतिक दल ने 'समाजवादी ढंग के समाज' (Socialist Pattern of Society) के स्वरूप का स्वीकार कर लिया है इसलिए इस बात की सम्भावना अधिक है कि जिस साम्य समाज और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक धारा की ओर नीति निर्देशक तत्वों से चले करते हैं उन्हें भविष्य में सावक बनाने का प्रयत्न किया जायगा। तीसरे यदि ये तत्व 21 वीं शताब्दी में अत्यावहारिक प्रतीत होते भी हैं तो इन्हें आवश्यकतानुसार सशोधित किया जा सकता है। चौथे, यह ही भूलना चाहिये कि दाकी साधकता में ही लोक न्यायकारों राज्य की साधकता निभर करती है।

8 नीति निर्देशक तत्वों को कोई सवधानिक गतिरोध उत्पन्न नहीं करते—आलाचका का यह विचार भी मिथ्या है कि यदि कोई सत्तारूढ दल इन नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित नहीं करे या उन्हें कार्यान्वित करने के लिये संसद या प्रांतीय विधान मण्डल में आवश्यक विधायक प्रस्तुत नहीं करे तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इन्हें कार्यान्वित करने के लिये अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। आलोचक भूल जाते हैं कि भारत एक लोकतान्त्रिक देश है जिसमें कोई सत्तारूढ दल निर्वाचन मण्डल की सत्ताओं की उपस्था नहीं कर सकता। दूसरे भारत में (केंद्र व प्रांतीय) संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है और कार्यपालिका अध्यक्ष में यह आशा नहीं की जाती कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छा से करेगा। आलाचका की गतिरोध की धारणा काल्पनिक और मिथ्या है और फिर अभी तक किसी

नीति निदेशक तत्त्वों और मूल अधिकारों में अन्तर

(Difference between Directive Principles & Fundamental Rights)

मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्त्वों में अनेक अन्तर पाये जाते हैं। ये अन्तर निम्न प्रकार से हैं —

1 मूल अधिकार निषेधाज्ञायें हैं अर्थात् वे राज्य की सत्ता को मर्यादित करते हैं तथा उसे कुछ कार्य न करने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर नीति निदेशक तत्त्व विध्यात्माज्ञायें (सकारात्मक आज्ञायें या प्रादेश positive instructions or mandate) हैं अर्थात् वे राज्य को, सामान्य हित में समाज की प्रगति के लिए कुछ कार्य करने के निदेश देते हैं।

2 मूल अधिकार वाद योग्य हैं (Justiciable) अर्थात् जब कभी कायपालिका आदेश या व्यवस्थापिका के कानून नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो वह न्यायालयों से संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर नीति निदेशक तत्त्व वाद योग्य नहीं (non justiciable) अर्थात् यदि राज्य इन नीति निदेशक तत्त्वों की उल्लंघना करता है या इन्हें कार्यान्वित नहीं करता या इनमें वर्णित उल्लंघना का अतिक्रमण करता है तो नागरिक न्यायालयों से संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते। यदि राज्य नागरिकों के लिये रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकता तो नागरिक न्यायालय रोजगार की मांग नहीं कर सकते।

3 यदि मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्त्वों में विरोध (conflict) उत्पन्न हो जाय तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। नीति निदेशक तत्त्व मूल अधिकारों का अनुरूप हो सकते हैं, वे उनका अतिक्रमण नहीं कर सकते। इस दृष्टि से मूल अधिकारों नीति निदेशक तत्त्वों की तुलना में अधिक पवित्र (Sacrosanct) हैं।

4 मूल अधिकारों राज्य पर कानूनी बंधन उत्पन्न करते हैं और यदि कायपालिका आदेश या व्यवस्थापिका के कानून नागरिक अधिकारों पर अतिक्रमण करते हैं तो न्यायालय उस मात्रा तक उन्हें अर्बन्ध घोषित कर सकती है जिस मात्रा तक वे अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। दूसरी ओर नीति निदेशक तत्त्वों राज्य पर नैतिक बंधन उत्पन्न करते हैं। न्यायालय किसी कायपालिका आदेश या व्यवस्थापिका के कानून को इस आधार पर अर्बन्ध घोषित नहीं कर सकती कि वे नीति निदेशक तत्त्वों के प्रतिकूल हैं।

5 नीति निदेशक तत्त्व स्वयं में, विधान मण्डलों को किसी प्रकार की विधायी शक्तियाँ प्रदान नहीं करते। विधान निर्माण की शक्ति के लिये विधान मण्डलों को संविधान की सातवीं अनुसूची का सहारा लेना पड़ेगा।

6 मूल अधिकारों को लागू करने के लिये न्यायालय कायपालिका या व्यवस्थापिका का बाध्य कर सकती है परन्तु नीति निदेशक तत्त्वों का लागू करने के लिये न्यायालय उन्हें बाध्य नहीं कर सकती। उदाहरणतया अनुच्छेद 45 में

वर्णित निश्चुक्र और अनिवाय शिक्षा को 10 वर्ष के आदर लागू करने के लिये यायातयें नहीं कह सकती।

7 मूल अधिकार व्यक्ति/नागरिक के निजी अधिकारों की रक्षा करते हैं परंतु नीति निर्देशक तत्व का सम्बन्ध निजी अधिकारों से नहीं। इन्हें सामाजिक हित में सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कानून द्वारा बाधित किया जा सकता है।

मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में क्या कोई द्वन्द्व या विरोध है ?

(Is there any Conflict between Fundamental Rights and Directive Principles)

सर आदर जजिंस का यह मत ठीक प्रतीत नहीं होता कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में कोई विचित्र द्वन्द्व या विरोध है। वस्तुतः स्पष्टि यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं विरोधी नहीं। यदि संविधान का तीसरा भाग भारतीय संविधान के दशन का अभिव्यक्त करता है तो चौथा भाग उसके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले आदर्शों और उन आदर्शों का फलित करने वाली रीतियों को अभिव्यक्त करता है। उदाहरणतया यदि अध्याय तीन के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक नागरिकों को कानून के समक्ष समता और 'विधिया के अधीन समान संरक्षण' का अधिकार प्रदान करते हैं तो अध्याय चार के अनुच्छेद 38 और 39 उन समान परिस्थितियों का सृजन करने की बात करते हैं जिनके विद्यमान होने पर ही वास्तविक या लगभग वास्तविक समानता विद्यमान हो सकती है। जसाकि 'यायाधीश हैगटे ने लिखा है कि "संविधान के चौथे भाग में दिये गये उपबन्धों तीसरे भाग में दिये गये उपबन्धों का प्रतिपूरण करते हैं और यह दोनों भाग मिलकर कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण के लिये एक योजना प्रस्तुत करता है।"¹

नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक आवश्यकताओं में सन्तुलन बनाये रखने का काय भी करते हैं। उदाहरणतया यदि व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिये मूल अधिकारों की आवश्यकता है तो सामाजिक हित और जन साधारण की आर्थिक सुरक्षा के लिये नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता है। क्याकि व्यक्ति के हित सामाजिक हितों से सर्वोच्च या पर उही हा करने इसलिये मूल अधिकारों में नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप रहकर ही विद्यमान रह सकते हैं। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने सामाजिक हित में मूल अधिकारों पर तबसगत निबंधनों (reasonable restrictions) की व्यवस्था की। सर्वोच्च यायालय ने निबंधनों तबसगतता को सुनिश्चित करने के लिये नीति निर्देशक तत्वों का आश्रय लिया है।²

1 'यायाधीश हैगटे ने लिखा है कि "संविधान के चौथे भाग में दिये गये उपबन्धों तीसरे भाग में दिये गये उपबन्धों का प्रतिपूरण करते हैं और यह दोनों भाग मिलकर कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण के लिये एक योजना प्रस्तुत करता है।"¹

2 दलिय चन्द्र भवन प्राइमरी स्कूल प्राइमरी जगन्नीर बनाम मन्त्रालय

मविधान के पीछे केवल बंध या पानूनी शक्ति ही नहीं हाती अपितु जनमत की अनुशापित (Public sanction or mandate) भी हाती है। यद्यपि यह न्यायिक सत्य है कि मूल अधिकार वाद योग्य है और यदि 'यायालय' म मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्त्वा में विरोध उत्पन्न हो जाये तो 'यायालय' मून अधिकारों को पवित्र मान कर उह नीति निर्देशक तत्त्वा से प्राथमिकता देगी। परन्तु जहा 'यायालय' नहीं पहुच सकती वहा समद अवश्य पहुच सकती है और यदि नीति निर्देशक तत्त्वों को कार्यावित करन म मूल अधिकार विरोध या बाधाये उत्पन्न करते हैं ता ससद सावजनिक हित म मूल अधिकारों म परिवर्तन कर सकती ह। पिछले 25 वर्षों का सवधानिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि मविधान म अनन्य सशोधन नीति निर्देशक तत्त्वा को कार्यावित करन क लिए ही नियम गये। उदाहरणतया सम्पत्ति क मूल अधिकार म लिए गए तीन सशोधन (मशाधन 1, 4 और 25) इसी भावना से प्रेरित थे। चौथे मशाधन पर विवाद करत समय प० नहरू न कहा था कि 'मूल अधिकारों की नीति निर्देशक तत्त्वा के अधीन होना चाहिये।' सन् 1971 म पञ्चोसम सशोधन के समय भी श्रीमती इन्दिरा गांधी न कहा था कि "नीति निर्देशक तत्त्वा को कार्यावित करने के लिए हम कृत-मन्त्र्य है और इस हतु यदि मूल अधिकारों म सशोधन की आवश्यकता अनुभव की जाती है ता उनमें सशोधन किया जाएगा।"

उपयुक्त वणन से स्पष्ट है कि यद्यपि यह 'न्यायिक सत्य नहीं कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्त्वा क अनुकूल और अधीन है परन्तु यह राजनीतिक सत्य अवश्य है कि मून अधिकार नीति निर्देशक तत्त्वा के अनुकूल और अधीन है। क्यकि भारत के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल न 'समाजवादी ढग के समाज' (Socialist Pattern of Society) के सिद्धांत का स्वीकार कर लिया है इसलिए उपयुक्त कथन की सत्यता और भी स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है। सामाजिक नागरिक का अर्द्धा बनने के लिए अवसर की स्वतंत्रता प्रदान करना तथा सविधान की प्रस्तावना में निर्धारित आदर्शों को प्राप्त करना ही नीति निर्देशक तत्त्वा का उद्देश्य है। जसाकि 'न्यायाधीश हेगडे न लिखा है कि 'एक काय पद्धति का निर्धारण करता ह तो दूसरा उज्ज्वल भविष्य का व भारत के भविष्य, वर्तमान और भून को एक दूसरे से सम्बन्धित करत ह और हमारे महान् प्राचीन देश म सामाजिक क्रांति की अलख जगात ह।' इस दृष्टि से तो नीति निर्देशक तत्त्व, भारत देश की नीतियां म निरंतरता प्रनाय रखन का प्रयाम करते ह।

सक्षेप में, जिन आलोचकों को मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्त्वा में विरोधाभास नजर आता है वह वास्तविक नहीं अपितु आभासी है। ~

1 'न्यायाधीश के० सदान द हेगडे पू० उ० प० 7

2 वही, पृ० 24

नीति निदेशक तत्त्वों की कार्यान्विति

(Implementation of Directive Principles)

यह सत्य है कि अध्याय चार द्वारा राज्य पर आरापित किए गए कार्यों को पिछले पच्चीस वर्षों में सही, गम्भीर और पूरी तरह लागू न करने से देश में पूरा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं हो सकी। उदाहरणतया आज भी जनता का एक बहुत बड़ा भाग पर्याप्त जीविकोपार्जन के साधनों से वंचित है, निवाह योग्य मजदूरी आज भी केवल चर्चा का विषय है, अथ व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हुआ है कि उससे अधिकांश लाभ कुछ पूँजीपतियों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों को ही जाता है भौतिक साधनों पर अभी भी कुछ धनाढय लोग का अधिभार है, चिकित्सा सुविधायें अभी भी अल्पाप्त हैं, जीवन की शिष्ट परिस्थितियों का अभाव है भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात, मजदूरी प्रांतीयता और जातीयता आज भी सर्वत्र विद्यमान हैं, वक्का को ऐसे धंधों में फँसना पड़ता है जो उनकी आयु और शक्ति के बिल्कुल उपयुक्त नहीं शशक और किशोर अवस्था को शापण, नतिक और आर्थिक परित्याग में नहीं बचाया जा सता। बीमारी बुढ़ापा, बकारी अ गहीनता तथा त्रय अभाव की दशा में सावजनिक सहायता का कोई सनाभजन कायक्रम नहीं। हम औद्योगिक शक्ति के मध्य में हैं परन्तु फिर भी बराजगारी (शिक्षित और अशिक्षित दाना वर्गों में) मुँह फाड़े पड़ी है समाज में गम्भीर आर्थिक विपमतायें (अमीर और गरीब में अंतर) विद्यमान हैं, और आज भी अवसर की स्वतंत्रता व्यक्ति के माता पिता की सम्पत्ति पर निर्भर करती है हरित शक्ति के मध्य में हात हुए भी अपनी जनसंख्या का पर्याप्त साधान देन की क्षमता राज्य में नहीं, अवसाय के उपभोग के लिए सुनिश्चित प्रयास नहीं किए गए अनुसूचित जातियों त्रार अनुसूचित जन जातियाँ अभी भी सामाजिक अन्याय की शिकार हैं। आज भी भारत के विभिन्न समुदायों के लिए विभिन्न व्यक्तिगत नियम हैं और राष्ट्रीय एवन्ता का गुच्छ और सखन बनाने के लिए सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार सहिता का अधिनियमन नहीं किया जा सता हिंदू अधिकांशतः अपनी ही उत्तराधिकार, विवाह, संरक्षण और विवाह विच्छेद सम्प्रदायी विधियाँ मुसलमान मुस्लिम कानून और ईसाई व्यक्तिगत कानूना द्वारा शासित हात हैं। चौदह वर्ष तक अनिवाय और निगुन शिक्षा पञ्चम वर्ष के बाद भी एक स्वप्न बनी हुई है मद्य निषेध का पूरी तरह लागू नहीं किया जिम आयपानिकता का कायपानिकता से पृथक करने के उद्देश्य का अधिधान गता में तीन वर्ष में कायपानिकता करने का आश्वामन दिया गया था उम आज तब भी पूर्णतया लागू नहीं किया गया। कहने का ग्राम पचापता की स्थापना की गया है परन्तु ब सावनाधिक सत्तायें नहीं बही जा सक्ती भारत में सावनाधिक गता तौर में उभर गयी शक्ति ऊपर में नीचे की धार बह रही है ग्राम परायण गता पूर्णतया +

निर्माण तो किया गया परंतु उहे जानबूझ कर पूर्णतया लागू नहीं किया गया। उदाहरणतया सरकार ने दहज प्रथा, बाल विवाह और अस्पृश्यता सम्बन्धी कानूनों का निर्माण किया परंतु उन्हें सही हृदय से लागू नहीं किया।

भारत में पूरा लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसलिए नहीं हो सकी कि जिस कार्यक्रम को नीति निर्देशक तत्त्व राज्य के समक्ष प्रस्तुत करते हैं वह इतना महाद, बृहत और भारी है कि उसे तत्काल आख की भपक में पूरा नहीं किया जा सकता। उसकी पूर्ति के लिए दीर्घकाल तक निरंतर कठोर श्रम, अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक धन, क्रांतिकारी आर्थिक नीतियाँ और अधिनियमित विधानों की सही रूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। फिर भी यह तो स्वीकार करना होगा कि राज्य की नीतियाँ उन आदर्शों से प्रेरित रही जिनकी आकांक्षा नीति निर्देशक तत्त्वों में व्यक्त की गई है। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा, उद्योग और कृषि के विकास द्वारा सामान्य जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और जीविकाप्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। (धन में अधिक समानता लाने और सम्पत्ति के वितरण को रोकने के लिए अनेक सामाजिक नीतियों का अनुसरण किया गया है, राष्ट्रीयकरण और सामाजिकीकरण की नीति अपनाई गई है। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण, बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवी पर्सों की समाप्ति इसी उद्देश्य से की गई थी। व्यापार और उद्योग में एकाधिकारपूर्ण प्रथाओं को तोड़ने के उत्पादन और वितरण के मुख्य साधनों पर सावजनिक स्वामित्व स्थापित किया गया है। भाखड़ा नागल, दामोदर, हीराकुंड आदि जैसी बहुमुष्ठी नदी योजनाएँ, रूरकेला, दुर्गापुर भिलाई जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, विशाखापट्टनम का नौवहन केन्द्र, सिंदरी खाद कारखाना, एच० एम० टी०, चित्तूरजन लोकोमोटिव हिंदुस्तान ऐंग्रर क्राफ्ट, आदि बड़े उद्योगों पर सावजनिक स्वामित्व है। भूमिहीन लोगों का भूमि देने के लिए जमींदारी उन्मूलन और भूमिमुधारों का आरम्भ किया गया है, श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए श्रम कानूनों का निर्माण किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है। सामुदायिक विकास योजनाओं (Community Development Programmes) का उद्देश्य दहात की अथव्यवस्था को सुधराना है। कृषि विकास के लिए अनेक साधन जुटाये गये हैं, पशुओं की नस्ल को भी सुधारने का प्रयास किया गया है।) सन् 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम और सन् 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का उद्देश्य भारत में समान व्यवहार संहिता के विकास की ओर प्रयास है। प्रति वर्ष के बजट में करोड़ों रुपये सावजनिक कल्याण के लिए सुरक्षित रने जाते हैं। पिछली हुई, अनुमोचित एवं अनुमोचित जन जातियों के शक्षण, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उन्हें अनेक प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। अस्पृश्यता अब एक दण्डनीय अपराध है। उपग्रह मन्त्री बी० एन० दातार ने टी०। दा कि योजना आयोग का प्रत्येक निश्चय निर्देशक तत्त्वों से निर्दिष्ट एवं

निर्धारित हुआ है।' नीति निदेशक तत्त्वों की कार्यप्रणालि के लिए क्या यह कम महत्त्व की बात है ?

समीक्षा प्रश्न

(Review Questions)

- 1 भारतीय संविधान में निहित नीति निदेशक तत्त्वों का उल्लेख कीजिये।
 - 2 राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
 - 3 राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों की प्रकृति क्या है ? क्या ये तत्त्व वाद योग्य हैं ? यदि नहीं तो इनका संवैधानिक महत्त्व क्या है ?
 - 4 राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों और मूल अधिकारों में क्या अंतर है ? क्या नीति निदेशक तत्त्व मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर सकते हैं ?
-

राष्ट्रपति (The President)

“राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र पर शासन नहीं करना। प्रशासन में उसकी स्थिति औपचारिक उपकरण की है। उसकी स्थिति उम मोहर की भाँति है जिसके द्वारा राष्ट्र के नियम जाने जाते हैं।”¹

डा० बी० आर० अम्बेदकर

भारतीय राष्ट्रपति के सम्बन्ध में उपयुक्त कथन इस बात का प्रतीक है कि भारत के संविधान निर्माता भारत में ऐसे राष्ट्रपति का निर्माण करना चाहते थे जो ससदात्मक प्रणाली की प्रथाओं के अनुसार एक मर्यादित अध्यक्ष के रूप में कार्य करें। दूसरे शब्दों में, भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन के संविधान की भाँति संविधान के ‘प्रतिष्ठित’ (dignified) और ‘कुशल’ (efficient) भागों में भिन्नता की है। जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति को संविधान के प्रतिष्ठित भाग के रूप में अंकित किया वहाँ मंत्रिमण्डल की प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, उसका ‘कुशल’ भाग अंकित किया।

राष्ट्रपति का निर्वाचन—भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में की गयी है। इन अनुच्छेदों के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एका प्रणाली के आधार पर एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मण्डल में ससद के दोनों सदनों और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं।

राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में अनुच्छेद 55 निम्न दो व्यवस्थाएँ करता है

(i) विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता (uniformity among the States)

(ii) सभ्य और राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच समता (parity between the States as a whole and the Union)

उपयुक्त दो व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मतों की साधारण गणना में नहीं होता बल्कि मतों का मान निकाला जाता है और जिस प्रत्याशी को कुल वच मतों के मान का बहुमत प्राप्त होता है अर्थात् जिस प्रत्याशी का वच मता के आधे से अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

अनुच्छेद 55 (2) में उस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा प्रत्येक विधान सभा के सदस्य के मत का मान और प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मान निकाला जाता है। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से है —

(a) राज्य विधान सभा के सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए निम्न फार्मूला है —

$$= \frac{\text{राज्य की जन संख्या}}{\text{विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}} - 1000$$

(b) संसद के सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए निम्न फार्मूला है —

$$= \frac{\text{राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के मतों का कुल योग}}{\text{संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}}$$

उपयुक्त व्यवस्थाओं (फार्मूला) से स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों में एकरूपता और सघ तथा राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच समता तो रखी गयी है परन्तु निर्वाचक मण्डल के प्रत्येक सदस्य के मत का मान (मूल्य) समान नहीं होता क्योंकि प्रत्येक सदस्य के मतों का मान उस अनुपात से निश्चित होता है जितनी जन संख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है।

क्याकि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल प्रणाली की व्यवस्था है अतः निर्वाचित होने के लिए निम्न व्यवस्थाएँ भी की जाती हैं —

(i) जीतने के लिए वोट निर्धारित किया जाता है जो वच मतों के आधे से एक अधिक होता है।

(ii) निर्वाचन मण्डल के सदस्यों को अपनी वरीयता (preference) व्यक्त करने का अधिकार है अर्थात् निर्वाचन मण्डल के सदस्य 1, 2, 3 या इनमें अधिक वरीयताएँ व्यक्त कर सकते हैं।

(iii) जब तक वोटों में निर्धारित मत किसी प्रत्याशी को प्राप्त नहीं होते तब तक वह निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी प्रत्याशी को प्रथम वरीयता में वोट में निर्धारित मत प्राप्त नहीं होते तो विलीन (elimination) की प्रक्रिया अपनाते हुए मतों की दूसरी या तीसरी या चौथी वरीयता को तब तक हस्तांतरित किया जाता है जब तक कि वोटों में निर्धारित मत किसी प्रत्याशी को प्राप्त न हो जायें। उदाहरणतया 1969 के पाँचवें राष्ट्रपति के

मे श्री वी० वी० गिरि को द्वितीय वरीयता में निर्धारित कोटे से अधिक मत प्राप्त होने पर ही निर्वाचित घोषित किया गया था ।

निर्वाचन प्रणाली का मूल्यांकन—भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं । एक विचार इसके समर्थकों का है जिनका कहना है कि उक्त निर्वाचन प्रणाली भारतीय संविधान की मौखिकता है । यह न केवल कम खर्चीली है बल्कि इसके द्वारा राष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा और सम्मान को भी बनाये रखा गया है । राष्ट्रपति के निर्वाचन को संसद या राजनीतिक दलों का कठपुतली मात्र नहीं बनाया गया । इतना ही नहीं, यदि निर्वाचक मण्डल में किसी एक दल का बहुमत नहीं तो सभी दलों के सहयोग को बल मिलता और दल बादी के स्थान पर योग्य व्यक्ति, जो अनेक दलों को स्वीकृत होगा, ही राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होगा । इस प्रणाली के समर्थकों का यह भी मत है कि इसमें राज्यों को भी भाग लेने का अधिकार है । अतः यह प्रमाणित होता है कि भारतीय संघ "राज्यों का संघ" (Union of States) है । समर्थकों का यह भी मत है कि इसमें केवल वह व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होगा जिसे कुल वध मतों का पूरा बहुमत प्राप्त होगा । साधारण बहुमत से कोई प्रत्याशी राष्ट्रपति पद प्राप्त नहीं कर सकता ।

दूसरी विचारधारा इसके आलोचकों की है जिनका कहना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' और 'एकल मन्त्रमण्य प्रणाली' का उल्लेख ही गलत है । आलोचकों का कथन है कि इस प्रकार की प्रणाली में कम से कम दो प्रतिनिधियों का चुना जाना अनिवार्य होता है परन्तु राष्ट्रपति तो एक ही चुना जाता है । दूसरे, आलोचक इस प्रणाली को आनुपातिक कहने के स्थान पर 'विकल्पनात्मक मत प्रणाली' (Alternate vote System) या 'वरीयतात्मक मत प्रणाली' (Preferential vote System) कहना पसन्द करते हैं । इनका कहना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मूल उद्देश्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना नहीं बल्कि राष्ट्रपति के लिए वोटों में निर्धारित बहुमत प्राप्त करना है । तीसरे, इस निर्वाचन प्रणाली में कुछ अस्पष्टतायें पाई जाती हैं । आलोचकों का कथन है कि यदि निर्वाचन मण्डल के सदस्य अपनी दूसरी या अथ वरीयताओं को अभिव्यक्त न करें तो यह प्रणाली साधारण बहुमत प्रणाली मात्र बनकर रह जायेगी । इस प्रणाली में उस समय अधिक कठिनाई हो सकती है जब राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी तो दो से अधिक हैं परन्तु निर्वाचन मण्डल में सदस्य केवल एक ही वरीयता अभिव्यक्त करते हैं और किसी प्रत्याशी को निर्धारित कोट के मत प्राप्त नहीं होते । चौथे, जिस राष्ट्रपति पद को संविधान निर्माता दलगत राजनीति में बचाना चाहते थे वही पद दलीय राजनीति में खम गया है । उमका निर्वाचन उम दल की इच्छा पर निर्भर करता है जिनका बल और राज्यों में बहुमत है । वस्तुतः यह समझ नहीं आता कि दलीय समयन के बिना राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे सम्भव होगा । पाचवें, राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध

मे किसी अन्धे अभिसमय का विकास भी नहीं किया गया। यद्यपि इस प्रथा का आरम्भ किया गया था कि उप राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर सम्मानित किया जाय परन्तु इस प्रथा को कहा तक स्थायी बनाया जाता है यह भविष्य ही निर्धारित करेगा। छूटे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सविधान अनेक पहलुओं पर या तो शांत है या अस्पष्ट है। उदाहरणतया सविधान इस सम्बन्ध में शांत था कि निर्वाचन मण्डल की दिवालखोर (lame duck) की स्थिति में क्या निर्वाचन सम्भव है? यद्यपि इस कठिनाई को ग्यारहवें संशोधन द्वारा दूर कर दिया गया परन्तु इसमें भी गम्भीर स्थिति छूटे राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय उत्पन्न हुई जब 1974 में गुजरात विधान सभा भंग थी। यद्यपि इस विषय पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर इस बात को प्रायः निश्चित कर दिया कि एक विधान सभा के भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कराये जा सकते हैं परन्तु उस स्थिति में क्या होगा जब एक से अधिक राज्य विधान मण्डल भंग होंगे या केन्द्र अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए अनेक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर राज्य विधान सभाओं को स्थगित रखे। इस स्थिति को सविधान में पूर्ण स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सातवें, सविधान इस बात पर भी शांत है कि राष्ट्रपति पद के लिए कितने प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं। सन् 1967 और 1969 के निर्वाचन में तो प्रत्याशियों की संख्या 12 से भी अधिक थी। सन् 1974 के राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम द्वारा थोड़ा सुधार हुआ है (यह अधिनियम प्रत्याशियों के लिए 2,500 रु० की प्रतिभूति (Security deposit) और निर्वाचन मण्डल के 20 सदस्यों के अनुसमर्थन की मांग करता है) परन्तु इसे और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आठवें, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष है अतः यह अलोकतांत्रिक है।

राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ

कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए तभी प्रत्याशी बन सकता है यदि उसके पास निम्न योग्यताएँ हो —

- (1) वह भारत का नागरिक हो।
 - (II) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
 - (III) वह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
 - (IV) वह केन्द्र, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सत्ता के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नियुक्त न हो।
 - (V) वह ससद या राज्य विधान सभा के किसी सदन का सदस्य न हो।
- यदि कोई ससद सदस्य या राज्य विधान सभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हा जाता है तो उसकी सदस्यता उस समय से समाप्त समझी जायगी जिस समय से वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा।

राष्ट्रपति पद की सेवा की शर्तें

- (a) कार्यकाल राष्ट्रपति का निर्वाचन पांच वर्ष के लिए किया जाता है।

भारतीय संविधान इस बात पर शांत है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए सिन्धी बार चुनाव लड़ सकता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति जितनी बार चाहें निर्वाचन लड़ सकता है।

राष्ट्रपति समय में पूर्व अपने पत्र से त्याग पत्र दे सकता है। उमका त्याग पत्र उस राष्ट्रपति को सम्बोधित किया जाय है जो उसे तत्काल लोक सभा के स्पीकर के पास भेज देना है। राष्ट्रपति स्वेच्छा से, बीमारी की दशा में, राष्ट्रपति और मंत्रिमण्डल के मध्य गम्भीर मतभेद उत्पन्न होने पर या महाभियोग की कार्यवाही में बचने के लिए या अन्य किसी कारण से समय से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।

राष्ट्रपति का समय से पूर्व महाभियोग द्वारा पदच्युत भी किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन में से किसी सदन द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि राज्य सभा राष्ट्रपति या महाभियोग के आरोप लगाती है तो लोक सभा उसकी जांच करती है और यदि लोक सभा आरोप लगाती है तो राज्य सभा उन आरोपों की जांच करती है परंतु महाभियोग की कार्यवाही को शुरू करने से पूर्व राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। प्रत्येक सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पास होने के लिए सदन के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। अपनी सुरक्षा में राष्ट्रपति स्वयं या अपने नुमायंदों द्वारा सदन में प्रस्तुत हो सकता है। यदि दोनों सदनों में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव निर्धारित बहुमत में पास हो जाय तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जायगा। महाभियोग केवल संविधान की उल्लंघना के आधार पर लगाया जा सकता है।

महाभियोग की प्रणाली में अनेक अस्पष्टताएँ हैं जिन्हें निम्न विद्वानों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है —

(i) 'संविधान की उल्लंघना' का सूत्र दूरतया अस्पष्ट है। इसका अर्थ कुछ भी और सब कुछ हो सकता है। जहाँ कुछ का मत है कि संसद के अधिवेशन को बुलाने से इन्कार करना संविधान की उल्लंघना है वहाँ दूसरों के लिए मंत्रिमण्डल के परामर्श को स्वीकार न करना संविधान की उल्लंघना है।

(ii) दूसरे संविधान राज्य विधान सभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार तो प्रदान करता है परंतु उस पर लगाये गये महाभियोग में राज्य विधान सभाओं का कोई भाग नहीं।

(iii) राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनित सदस्य भाग नहीं लेते परंतु उनकी पदच्युति में उन्हें भाग लेने का अधिकार है क्योंकि संविधान महाभियोग प्रस्ताव के लिये संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक प्रत्येक बैठक में केन्द्रीय सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की मांग करता है। यह बात लोकतंत्र के विरुद्ध है कि जो सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो हिस्सा नहीं लेते परंतु उनकी पदच्युति में हिस्सा लेते हैं।

(iv) सविधान इस बात के लिये समय निर्धारित नहीं करता कि महाभियोग प्रस्ताव कितने समय में पास हो जायगा। समय की अनिश्चितता का लाभ राष्ट्रपति उठा सकता है और राजनीति को मोड़ दे सकता है—अर्थात् ससद सदस्यों को प्रभावित कर सकता है और यदि कोई राष्ट्रपति महत्वाकांक्षी (ambitious) है तो वह ससद और मंत्रिमण्डल को भंग कर सत्ता को अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो नव निर्वाचन भी करवा सकता है।

(v) महाभियोग के काल में सविधान राष्ट्रपति को निलम्बित (suspend) करने की व्यवस्था नहीं करता।

(vi) सविधान उन अयोग्यताओं का उल्लेख नहीं करता जो राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा पदच्युत करने से उत्पन्न होगी।

(vii) ससद के दोनों सदन में पृथक् पृथक् रूप से दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता महाभियोग प्रणाली को जटिल बना देती है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि किसी राष्ट्रपति की महाभियोग द्वारा पदच्युति लगभग असम्भव है। अमरीका का सविधान इस बात का साक्ष्य है कि आज तक किसी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया।

(b) उत्तराधिकार—जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग पत्र द्वारा या महाभियोग द्वारा या अथवा किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो उप राष्ट्रपति वह पद तत्काल सम्भाल लेता है और यदि उप राष्ट्रपति का पद भी रिक्त होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद को ग्रहण करता है जसाकि 1969 में एम० हिदायत उल्ला ने किया था। परन्तु सविधान इस बात की भी व्यवस्था करता है कि नये राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त हान के छ महीने के अन्दर अवश्य हो जाना चाहिये। नव निर्वाचित राष्ट्रपति पांच वर्ष तक ही अपने पद पर बना रहता है।

(c) पद की शपथ—निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। इस शपथ में राष्ट्रपति अपने कार्यों को निष्ठा से करने, सविधान की सुरक्षा करने, भारतीय जनता की सेवा करने, आदि की शपथ लेता है।

(d) वेतन एवं भत्ते—राष्ट्रपति को 10,000 रु० प्रतिमाह वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। देश में राष्ट्रपति से अधिक वेतन किसी को प्राप्त नहीं होता। वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रपति को अनेक प्रवार के भत्ते भी प्राप्त होते हैं। उसे रहने के लिये निःशुल्क भवन दिया जाता है जिसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। राष्ट्रपति चाहें तो वह स्वेच्छा से अपने वेतन को कटौती कर सकता है। ससद कानून द्वारा राष्ट्रपति के वेतन को कटौती कर सकती है परन्तु किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में ऐसा नहीं किया जा सकता। सेवा निवृत्त होने के बाद राष्ट्रपति का 15000 रु० वार्षिक पेंशन और

अपने सचिवालय को चलाने के लिये 12000 ₹० प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उसे शारीरिक चिकित्सा के लिये भी सहायता दी जाती है।

(e) उन्मुक्तियाँ (Immunities)—संविधान राष्ट्रपति को अनक प्रकार की उन्मुक्तिया प्रदान करता है। जैसे राष्ट्रपति को अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कोई न्यायालय राष्ट्रपति से उसके कार्यों के सम्बन्ध में पूछताछ नहीं कर सकती अर्थात् न्यायालय में राष्ट्रपति को अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह उन्मुक्ति राष्ट्रपति की व्यक्तिगत है अतः भारतीय नागरिक केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध न्यायालय में विवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात् जहाँ भारत में राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट की भाँति कोई गलती नहीं करता वहाँ भारतीय मंत्रिमण्डल के सदस्य उसके (अपने) कार्यों के लिये उत्तरदायी हैं।

राष्ट्रपति के कार्यकाल में उस पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं लगाया जा सकता और न ही उसे बन्दी बनाया जा सकता है। दीवानी मामला में भी कोई व्यक्ति तभी विवाद खड़ा कर सकता है जब वह राष्ट्रपति को इसकी दो महीने पूर्व सूचना देता है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ (Powers of the President)

राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है। (A) सामान्य या शांतिकालीन शक्तियाँ (B) असाधारण या संकटकालीन शक्तियाँ।

A सामान्य या शांतिकालीन शक्तियाँ

राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है (i) कार्यपालिका शक्तियाँ, (ii) विधायी शक्तियाँ, (iii) वित्तीय शक्तियाँ (iv) न्यायिक शक्तियाँ और (v) मिश्रित शक्तियाँ।

1 कार्यपालिका शक्तियाँ—संविधान की धारा 53 के अनुसार सभ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है जिसका प्रयोग वह प्रत्यक्षतया तो स्वयं करता है या अप्रत्यक्षतया अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से करता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति मधीय शासन का जेनरलिसिमो (Generalissimo)¹ है। सभ की सारी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग उसी के नाम से हाता है। सभ के सभी महत्त्वपूर्ण नियम राष्ट्रपति के नियम हैं।

राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को निम्न विदुषों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है।

(1) सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। प्रधान मंत्री तथा

1 This terminology has been used by Johari, J.C. Indian Government & Politics, p 219

उसके परामर्श पर सभी के द्वीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों के द्वीय तथा सयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों, महा न्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राजदूता आदि की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति ही महत्वपूर्ण आयोगों तथा बानूनी निकायों (Statutory Bodies) के सभापतियों तथा अन्य सदस्यों का नियुक्त करता है। उदाहरणतया राष्ट्रपति चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राज भाषा आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़ी हुई जातियों से सम्बन्धित आयोग, अतः राज्य परिषदा, आदि को नियुक्त करता है।

राष्ट्रपति उपयुक्त महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का नियुक्त ही नहीं करता बल्कि उन्हें, कुछ परिस्थितियों का छाड़ कर पदच्युत भी कर सकता है। उदाहरणतया राष्ट्रपति न्यायाधीशों का तभी पदच्युत कर सकता है जब इसके सम्बन्ध में संसद राष्ट्रपति का विशेष सम्बोधन (special address) प्रस्तुत करती है। इसी तरह राष्ट्रपति के द्वीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों का तभी पदच्युत कर सकता है जब जांच आयोग का प्रतिबन्धन प्रस्तुत हो जाता है। राजदूता और राज्यपालों को वापस बुला सकता है। यदि राष्ट्रपति सन्तुष्ट (pleasure) हो जाता है या मंत्रिमण्डल लोक सभा का विश्वास खो बैठता है तो राष्ट्रपति प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों को पदच्युत कर सकता है।

(ii) मंत्रियों में विभागों का वितरण राष्ट्रपति करता है। प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल के सभी निरणयों से अवगत कराये और राष्ट्रपति द्वारा मागी सूचनाओं उसे प्रदान करे। राष्ट्रपति प्रधान मंत्री से यह माग भी कर सकता है कि वह एक मंत्री के निरणय को समूचे मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करे।

(iii) केन्द्र प्रशासित प्रदेश और क्वायली क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों में होता है। वह इन प्रदेशों के लिये प्रशासक (administrator) नियुक्त कर सकता है या पड़ोसी राज्य के राज्यपाल का उसका प्रबन्ध सौंप देता है जो उसके आदेशों के अनुसार कार्य करता है।

(iv) राष्ट्रपति नियमों और विनियमों का निर्माण कर सकता है अर्थात् संसद के दोनों सदन की सयुक्त बैठकों के लिये, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये, सधीय एवं सयुक्त लोक सेवा आयोग की सभा के सम्बन्ध में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रशासनिक कार्यों और निरणयों के लिये, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिये, केन्द्र प्रशासित प्रदेशों क्वायली क्षेत्रों की शांति, विकास और अच्छे प्रशासन के लिये तथा के द्वीय विश्व विद्यालयों के लिये नियम और विनियमों का निर्माण कर सकता है।

(v) राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सनापति होता है। इसका है कि सविरान निराम सेनाओं को नागरिक सत्ता के अन्तर्गत रखना चाहते

क्षेत्र में राष्ट्रपति जल, थल और वायु सेनाध्यक्षों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (National Defence Committee) का अध्यक्ष होता है और इसके नियुक्तों के फलस्वरूप ही वह युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता है।

(vi) राष्ट्रपति दूसरे देशों से सम्बन्ध बनाये रखता है। इसके लिये राष्ट्रपति भारत के दूसरे देशों में राजदूतों को नियुक्त करता है तथा दूसरे देशों के राजदूतों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। दूसरे देशों से सभी संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं परन्तु उन्हें संसद के अनुसमयन (ratification) पर ही लागू किया जाता है।

(vii) राष्ट्रपति राज्य प्रशासन के अधीक्षक, नियंत्रक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। राज्य प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति राज्य सरकारों को निर्देशन दे सकता है तथा उन्हें राष्ट्रीय और सैनिक दृष्टिकोण से संचार साधना को बनाए रखने के लिये निर्देशन दे सकता है। राज्य सरकारों की सहमति से राष्ट्रपति केंद्रीय वार्यों को सम्पन्न करने के लिये राज्य के अधिकारियों को कार्य सौंप सकता है। राज्यों के परस्पर विवादा का निपटारा करने के लिये अतः राज्य परिषदा का निर्माण कर सकता है। यदि कोई राज्य राष्ट्रपति के आदेशों की उल्लंघना करता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले सकता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है।

2 विधायी शक्तियाँ—नायपालिका शक्तियों की भाँति राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण और व्यापक हैं। जैसा कि प्रो० ए० बी० लाल ने लिखा है कि किसी अन्य देश में जहाँ सचिवान लिखित हैं और संसत्सभक सरकार अपनाई गयी है वहाँ राज्याध्यक्ष के पास इतनी अधिक विधायी शक्तियाँ नहीं पायी जाती।¹ वस्तुतः भारतीय संसद राष्ट्रपति सहित दो सदनों को मिलाकर वा अभिन्न अंग बनाता है। भारतीय संसद राष्ट्रपति सहित दो सदनों को मिलाकर बनती है। इस तरह राष्ट्रपति, जैसा कि कौल और शनघर न लिखा है कि "राष्ट्रपति एक और कार्यपालिका का अध्यक्ष है और दूसरी ओर वह संसद का संवधानिक अध्यक्ष है।"² जे० सी० जोहरी भारतीय संवधानिक ढाँचे को 'संसद में राष्ट्रपति'³ (President in Parliament) के तुल्य मानता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को निम्न बिंदुओं द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है —

- 1 Lall A B The Indian Parliament p 223
- 2 Kaul and Shakhder Practice and Procedure of Parliament p 20
- 3 Johari J C Indian Government & Politics p 224

(i) राष्ट्रपति ससद के अधिवेशन को बुलाता है, उसका सत्रावसान करता है तथा उसे भंग कर सकता है।

(ii) ससद द्वारा पास किये गये विधेयक को स्वीकार कर उ ह अधिप्रमाणित (authenticate) करता है।

(iii) दोनो सदनो मे मतभेद होने पर राष्ट्रपति दोना सदनो की सयुक्त बैठक बुना सकता है तथा सयुक्त बैठक मे होन वाले क़ार्यो के लिये नियमो का निर्माण कर सकता है।

(iv) राज्य सभा मे राष्ट्रपति 12 सदस्यो का ऐमे क्षेत्रो से मनानीत करता है जि ह साहित्य, विनाय, कला या सामाजिक सेवाओ म पर्याप्त अनुभव होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय (Anglo Indian Community) मे से भी 2 सदस्या को लोक सभा म मनानीत कर सकता है यदि उसे विश्वास हो जाय कि इस समुदाय को लोक सभा म पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नही।

(v) राष्ट्रपति ससद के दोनो सदनो का सयुक्त रूप म या पृथक् पृथक् रूप म सम्बोधित कर सकता है। राष्ट्रपति सदस्यो की उपस्थिति की माग भी कर सकता है।

(vi) निर्वाचन के बाद ससद का प्रथम अधिवेशन और वष का प्रथम अधिवेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण (inaugural address) से शुरू होता है। यह अभिभाषण मंत्रपरिषद् द्वारा तयार किया जाता है। इस अभिभाषण मे मंत्रिमण्डल की नीतिया और गतिविधिया पर प्रकाश डाला जाता ह।

(vii) राष्ट्रपति किसी विषय पर ससद को स दश भेज सकता ह।

(viii) साधारण विधायको पर राष्ट्रपति को निषेधाधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति का यह निषेधाधिकार निरपेक्ष (absolute) और निलम्बित (suspensive) है। भारतीय राष्ट्रपति के पास अमरीकी राष्ट्रपति की भांति पॉकेट (जेजी) निषेधाधिकार नही। राष्ट्रपति चाहे तो ससद द्वारा पास किये गये विधेयक को स्वीकार कर उ ह अधिप्रमाणित कर दे चाहे तो उ ह अस्वीकार कर दे और चाह तो उनका पुनर्विचार के लिये वापस लौटा दे। यदि अस्वीकृत किये गये विधेयक को ससद साधारण बहुमत से दोबारा पास कर देती है ता राष्ट्रपति दोबारा उम पर निषेधाधिकार का प्रयाग नही कर सकता। दोबारा उसे उस पर अनुमति देनी पडती है। मवधानिक सशोधना पर राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग नही कर सकता।¹

(ix) कुछ विधेयक एम हैं जि ह ससद म प्रस्तुत करन से पूव राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती ह। इमक उदाहरण ह (a) वित्तीय विधेयक (b) के विधेयक जो राज्या की सीमाओ म परिवर्तन से सम्बन्धित ह। (c) भाषा म सम्बन्धित विधेयक (d) सचिव निधि से खर्च का अधिकृत करन बाल विधेयक आदि।

(x) ससद के विराम काल में राष्ट्रपति अध्यादेश (Ordinances) जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों की शक्ति ससद द्वारा पास किये गये कानूनों की भाँति होती है। राष्ट्रपति इन अध्यादेशों को कभी भी वापस ले सकता है। संविधान इस सम्बन्ध में शा त है कि राष्ट्रपति एक समय कितने अध्यादेश जारी कर सकता है। ससद के अधिवेशन में आने के छ सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकते हैं। इस दौरान में ससद या तो अध्यादेशों को स्वीकार कर उन्हें कानून का रूप दे देती है या उन्हें अस्वीकार कर देती है।

(xi) कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति का नियेधाधिकार निरपेक्ष है। इस क्षेत्र में वे विधेयक आते हैं जिन्हें राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रखता है। राष्ट्रपति बिना कारण दिये उन्हें रद्द कर सकता है या पुनर्विचार के लिये वापस भेज सकता है। उदाहरणतया राष्ट्रपति ने केरल के राज्यपाल के विचारार्थ सुरक्षित रखे गये विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिये वापस लौटा दिया था। राष्ट्रपति के क्षेत्र में आने वाले मुख्य विधेयक हैं (a) सम्पत्ति को अधिगृहीत करने वाले राज्य विधान सभाओं के अधिनियम (b) उच्च न्यायालय की शक्तियाँ का निरादर करने वाले अधिनियम, आदि।

(xii) ससद के समक्ष राष्ट्रपति उन प्रतिवेदनाओं को प्रस्तुत करता है जो केन्द्रीय लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, कम्प्यूटर एण्ड ऑडिटर जनरल और अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़ी जातियों के आयोग द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं।

(xiii) जब कभी राज्य सभा के सभापति का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति कायदाहक सभापति को नियुक्त कर सकता है। इसी तरह लोक सभा के स्पीकर का पद रिक्त होने पर वह अस्थायी व्यवस्था कर सकता है।

(xiv) राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि केन्द्रीय या राज्य का कानून किसी मुख्य बन्दरगाह या हवाई अड्डे पर लागू होगा या नहीं होगा।

3 वित्तीय शक्तियाँ—वित्तीय क्षेत्र में भी राष्ट्रपति के पास महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं जैसे—

(i) उसकी अनुमति के बिना कोई वित्त विधेयक ससद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

(ii) यह राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह सभ सरकार या वार्षिक बजट तथा पूरक बजट ससद के समक्ष प्रस्तुत करवाय। इस वार्षिक तथा पूरक बजट में आम व्यय का पूरा विवरण दिया जाता है।

(iii) प्राकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India) पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण रहता है। मस की अनुमति प्राप्त होने में पूर्व राष्ट्रपति प्राकस्मिक

निधि से अग्रिम राशि प्रदान कर सकता है परन्तु इस प्रकार रा दी गयी अग्रिम राशि पर याद में ससद की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। सचित निधि (Consolidated Fund of India) में से खच किये गये धन को ससद की अनुमति से आपूर्ति (recoup) कर ली जाती है।

(iv) राष्ट्रपति इस बात का निर्धारण करता है कि आयकर की राशि को केन्द्र और राज्या में किस प्रकार वितरित किया जाय। पटसन से होन वाली आय के बदले पूर्वी राज्या (वगाल, बिहार, उड़ीसा) का आर्थिक सहायता देने का काय भी राष्ट्रपति ही करता है।

(v) सघ और राज्या के मध्य करो की आय के वितरण और राज्या की आर्थिक सहायता के प्रश्न पर राष्ट्रपति समय समय पर वित्त आयाग की स्थापना कर सकता है। मुट्ट वित्त के हित में राष्ट्रपति आयोग को किसी विषय पर विचार करने के लिय वह सकता है। वित्त आयोग के प्रतिवेदों पर राष्ट्रपति आवश्यक ऋयवाही कर सकता है।

4 यायिक शक्ति—राष्ट्रपति के पास अनेक यायिक शक्तिया भी हैं जैसे—

(i) वह सर्वोच्च यायालय तथा उच्च न्यायालया के मुख्य यायाधीशों और अन्य यायाधीशों को नियुक्त करता है।

(ii) अन्य राज्याध्यक्षा की भांति राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करन, प्रविलम्बन (reprieve), प्रास्थगन (respite), परिहरण (remit) तथा दण्ड को कम करने का अधिकार है परन्तु राष्ट्रपति उही व्यक्तियों को क्षमादान कर सकता है या उनके दण्ड को कम कर सकता है जिह या तो सैनिक यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो या जिह सधीय कानूनो की उल्लघना करने पर दण्डित किया गया हो या जिह मृत्यु दण्ड दिया गया हो। भारत का राष्ट्रपति दोष सिद्ध होने के बाद ही क्षमादान कर सकता है परन्तु भारत का राष्ट्रपति ससद की अनुमति से ही सबक्षमा (amnesty) प्रदान कर सकता है।

5 मिथित शक्तिया—राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तिया हैं जिह मिथित शक्तिया के अवीन अभिव्यक्त किया जा सकता है जैसे—

(i) राष्ट्रपति किसी सावजनिक महत्त्व के विषय पर अनुच्छेद 143 के अंतगत सर्वोच्च न्यायालय से परामश ले सकता है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय न समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित किय गये प्रश्ना पर अपना परामश दिया है परन्तु न तो सर्वोच्च न्यायालय परामश देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति उस परामश को मानन के लिये बाध्य है।

(ii) राष्ट्रपति विशिष्ट नागरिका का उनकी सवाग्रा के लिय मम्मनित कर सकता है। भारत रत्न, पद्मभूषण, पद्मविभूषण तथा पद्मश्री की उपाधिया राष्ट्रपति द्वारा वितरित की जाती हैं।

(iii) राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्राथमिकता देकर सकता है।

(iv) जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं।

B सकटकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers)

प्रायः सभी संविधानों में ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिये विशेष व्यवस्था होती है जो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती है या उसका राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होती हैं। कुछ संविधानों में, जैसे भारत और स्विट्जरलैंड में, यह व्यवस्था स्पष्टतया की गयी है, कुछ संविधानों में जैसे आस्ट्रेलिया और अमेरिका में, इसकी व्यवस्था संघ के एक-दो की प्राप्ति पर आधारित है और कुछ संविधानों में, जैसे कनाडा में, इनकी विशेष व्यवस्था ही नहीं। परंतु प्रत्येक राज्य की सरकार में, चाहे उसके संविधान में इसके लिये विशेष व्यवस्था की हो या न की हो, सकट उत्पन्न होने पर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग किया है। उदाहरणतया कनाडा की राष्ट्रीय सरकार ने इन शक्तियों का प्रयोग अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत किया है और अमेरिका में राष्ट्रपति क्लेवेलैंड ने 1894 की हड़ताल में, इलिनियोज (Illinois) राज्य सरकार के विरोध पर भी, सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग किया।

भारत में सकटकालीन शक्तियों की विशेष व्यवस्था करने का मूल कारण उसका ऐतिहासिक अनुभव और उस समय की परिस्थितियाँ थीं जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था। भारत का ऐतिहासिक अनुभव इस बात का साक्ष्य था कि जब जय केन्द्रीय सरकार दुबल हुई तब तब ही विदेशी सत्ताओं ने भारत पर आक्रमण किये। कश्मीर युद्ध, देशी रियासतों के हठधर्मी दृष्टिकोण, हैदराबाद के तलगाना क्षेत्र में सैनिक विद्रोह, हैदराबाद में पुलिस बायवाही की आवश्यकता, राजनीतिक उथल-पुथल, गुटबंदी, भाषावाद, प्रांतीयता और सम्प्रदायवाद जैसे ऐसे विघटनकारी तत्त्व विद्यमान थे जो राष्ट्र की नवजात स्वतंत्रता, एकता और अखण्डता को खतरा उत्पन्न कर सकते थे। अतः संविधान निर्माताओं ने "आवश्यक सुरक्षा" और 'सुरक्षा नली' (Safety valve) के रूप में सकटकालीन उपबंधों की व्यवस्था की। जैसा कि टी. टी. कृष्णामाचारी ने संविधान सभा में कहा था कि "इस सकटकालीन उपबंधों का आवश्यक सुरक्षा के रूप में स्वीकार करना होगा। इन उपबंधों का अभाव में सम्भव है कि संविधान निर्माण के हमारे सभी प्रयत्न व्यर्थ में पड़ जायें।"

तत्पश्चात् संविधान के अध्याय XVIII की अनुच्छेद (अनुच्छेद 352 नं. 360 तक) सकटकालीन परिस्थितियों से सम्बन्धित हैं। इन अनुच्छेदों में तीन प्रकार की सकटकालीन परिस्थितियों की परिभाषा की गई है जो निम्न प्रकार हैं —

(i) राष्ट्रीय या सामान्य सकट—अर्थात् युद्ध बाह्य आक्रमण या आतंरिक उपद्रव से उत्पन्न होने वाला सकट ।

(ii) सवधानिक सकट—अर्थात् किसी राज्य में सवधानिक यंत्र के असफल होने से होने वाला सकट ।

(iii) वित्तीय सकट—अर्थात् भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता और साथ पर खतरा होने में उत्पन्न होने वाला सकट ।

(i) राष्ट्रीय या सामान्य सकट (National or General Emergency)—जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाय कि युद्ध बाह्य आक्रमण या आतंरिक उपद्रव से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह राष्ट्रीय या सामान्य सकट की घोषणा कर सकता है । मंत्रिमण्डल के परामर्श पर सकट की स्थिति को निर्धारित करने का एक मात्र अधिकार राष्ट्रपति को है अर्थात् राष्ट्रपति इस बात को निर्धारित करने के लिये पूर्ण स्वतंत्र है कि सकट उत्पन्न हुआ है या नहीं और उसके इस निर्णय को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वास्तविक सकट है या नहीं । वास्तविक सकट के उत्पन्न होने से पूर्व भी राष्ट्रपति सकट की घोषणा कर सकता है । इस तरह सकट की घोषणा करने की राष्ट्रपति की शक्ति पर न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं । उसकी इस शक्ति पर यदि किसी का नियंत्रण है तो वह संसद है । लार्ड डूनडन ने भगतसिंह बनाम साम्राज्य के मुकदमे में अवलोकित किया था कि 'सकट काल की स्थिति ऐसा स्थिति है जिसकी निश्चित (यथाथ) परिभाषा देना कठिन है । यह तो केवल उन परिस्थितियों का लक्षित (अभिव्यक्त) करती है जिनका सामना करने के लिये उग्र कदम (तीक्ष्ण कायबाही) उठाने की आवश्यकता होती है और इन परिस्थितियों का किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है ।' भारतीय संविधान इन परिस्थितियों को निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है ।

राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित की गयी सकट की घोषणा का संसद के प्रत्येक सदन के सभ्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है । संसद की अनुमति (स्वीकृति) के बिना सकट की घोषणा दो महीना तक लागू रह सकती है । इस दो महीना के काल में संसद के दोनों सदन की स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य है अन्यथा दो महीना की अवधि के समाप्त होते ही सकट की घोषणा स्वयं समाप्त हो जायगी । यदि संसद की घोषणा होने से पूर्व लोक सभा भंग हो जाय या घोषणा के जारी होना के दो महीने के काल में स्वयं ही समाप्त हो जाय तो सकट की घोषणा राज्य सभा की स्वीकृति पर दो महीने से अधिक जारी रह सकता है । नए लोक सभा का अधिवेशन बुलाया जायगा और उसका बैठक के 30 दिन के अंदर उस सकट की घोषणा पर उसकी स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य है और यदि पुनर्गठित लोक सभा 30 दिनों के अंदर उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देती तो घोषणा 30 दिन के बाद समाप्त हो गयी

है। यदि ससद के दोनो सदनों की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो सकट को घापणा 6 महीने तक जारी रहती है।

भारतीय संविधान राष्ट्रीय या सामान्य सकट की समय के कोई सीमा निर्धारित नहीं करता। ससद के अनुसमथन पर यह छ छ महीनों के काल के लिये बढाई जा सकती है और यह तब तक जारी रहती है जब तक ससद का अनुसमथन प्राप्त होता रहता है या राष्ट्रपति स्वयं इसे दूसरी उदघोपणा द्वारा वापस नहीं ले लेता या रद्द नहीं कर देता। संक्षेप में, राष्ट्रीय या सामान्य सकट की स्थिति, ससद के अनुसमथन पर, अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है।

संवधानिक इतिहास के पिछले 25-26 वर्षों में राष्ट्रीय या सामान्य सकट की घोपणा दो तीन बार की गयी है। पहली बार राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन ने 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय इसकी घोपणा की थी। इस घोपणा को 6 जनवरी 1968 को एक उदघोपणा द्वारा वापस ले लिया गया था। भारत सुरक्षा नियम, नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, भारत सुरक्षा (सम्पत्ति अजन एवं अधिकरण) नियम आदि को इसी सकटकालीन घोपणा के दौरान लागू किया गया था। दूसरी बार राष्ट्रपति वी० वी० गिरि ने 3 दिसम्बर 1971 का पाकिस्तानी आक्रमण के समय इसकी घोपणा की जो अभी तक जारी है। तीसरी आपत्कालीन उदघोपणा 26 जून 1975 को राष्ट्रपति फक्रुद्दीन अली अहमद ने उस समय की जब दूसरी आपत्कालीन उदघोपणा अभी जारी थी। परंतु तीसरी आपत्कालीन घोपणा अपन प्रकार की पहली उदघोपणा है। जहां पहली दो उदघोपणायें बाह्य आक्रमण से उत्पन्न हुई थी वहां तीसरी आपत्कालीन उदघोपणा आन्व्यतरिक अशांति (internal disorder) से उत्पन्न हुई है। इस उदघोपणा पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि 'विरोधी दल का व्यापक षडयंत्र ने देश में अस्तव्यस्तता और विभ्रान्ति (chaos & confusion) का वातावरण पैदा कर दिया है 'प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र को ही नकारने की काशिश की जा रही है "हिंसा का वातावरण फैल रहा है", "आंदोलन से वातावरण भर गया है जिनसे हिंसात्मक वारदातें हुई हैं", 'विघटन तत्त्व पूरा रूप से सक्रिय हैं और साम्प्रदायिक भावना उभारी जा रही है जिससे हमारी एकता को खतरा है' 'कुछ के कार्यों से अधिकांश लोग के अधिकार खतरों में पड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी स्थिति जिनमें देश के भीतर निर्णायक रूप से कार्य करने की राष्ट्रीय मन्थार की क्षमता कम हो रही है वह बाहरी खतरों का निश्चय ही प्राप्ताहन दगी।' 'प्रधानमंत्री का पद महत्त्वपूर्ण है और इसे जान बूझ कर बदनाम करने का राजनीति प्रयास न ता प्रजातंत्र के हित में है राष्ट्र के' आदि।

राष्ट्रीय या सामाय्य सभके के प्रभाव राष्ट्रीय या सामाय्य सभके के व्यापक एव गम्भीर परिणाम निकलत हैं जिनमें प्रमुख निम्न हैं—

(a) कायपालिका सम्बन्धी प्रभाव—सारे देश की प्रशासन शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में केन्द्रित हो जाती है। केन्द्रीय कायपालिका राज्यों की कायपालिका को इस बात के लिए निर्देशन दे सकती है कि राज्या की कायपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करे। यद्यपि राज्य सरकार को स्थगित नहीं किया जाता परन्तु राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के पूर्ण नियन्त्रण में होती है और देश का सारा प्रशासन एकात्मक सरकार के रूप में कार्य करता है। सभके काल में राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के स्थानीय अभिकरण मात्र बन कर रह जाते हैं।

राज्यों के अतगत आने वाले विषयों का प्रवर्ध करने के लिये भी सभके सघीय अधिकारियों का सत्ता सौंप सकती है।

(b) विधायी प्रभाव—सभके सारे देश या उसके किसी भाग के लिये कानून का निर्माण कर सकती है। सभके सूची II (राज्य सूची) में दिये गये विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। सभके की घोषणा यद्यपि राज्य विधान मण्डल को स्थगित नहीं करती परन्तु सभके और राज्यों में शक्तियों के विधायी विभाजन में अवश्य परिवर्तन कर देती है। यदि राज्य विधान सभा द्वारा पास किया गया कोई कानून सभके द्वारा पास किये गये किसी कानून के विपरीत होता है तो वह जिस सीमा तक केन्द्र के कानून के विपरीत है वह उस सीमा तक अमल होगा। परन्तु सभकेकाल में बनाया गया कानून सभके के समाप्त होने के 6 महीने बाद तक ही लागू रहता है, उसके बाद वह सभकेकालीन कानून समाप्त हो जाता है।

सभकेकाल में राष्ट्रपति सभके के कार्यकाल को बढ़ा सकता है। परन्तु एक समय पर सभके के कार्यकाल को केवल एक वर्ष के लिये ही बढ़ाया जा सकता है और सभके के समाप्त होने के 6 महीने बाद बढ़ाया हुआ काल समाप्त हो जाता है।

(c) वित्तीय प्रभाव—राष्ट्रपति सभके और राज्यों के राजस्व विभाजन में परिवर्तन कर सकता है। परन्तु इस प्रकार के सभी परिवर्तन सभके के अनुसमयान्त के अधीन हैं।

(d) मूल अधिकारों पर प्रभाव—सभकेकालीन घोषणा के काल में अनुच्छेद 19 के अतगत दिये गये नागरिकों के अधिकार स्थगित रहेंगे। राष्ट्रपति चाह तो उद्घोषणा द्वारा अन्य मूल अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अतगत दिये गये संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है अथवा उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति नागरिकों का यात्राओं के संरक्षण से भी वंचित कर सकता है।

संक्षेप में राष्ट्रीय या सामाय्य सभके में संविधान में परिवर्तन किये बिना संविधान का सघातमक स्वरूप एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, राज्या की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है, राज्य सरकारें केन्द्र के अभिकरण मात्र बन कर

रह जाती हैं और आगरिक स्वतन्त्रताये केन्द्र की दया पर निर्भर बन कर रह जाती है।

(e) तीसरी आपत्कालीन उदघोषणा में अखबारों पर भी सेंसरशिप लाद दी गयी है अर्थात् अखबार बिना सरकार की पूव स्वीकृति के आपत्काल में सम्बन्धित किसी खबर को नहीं छाप सकते। आर आर एस, जमायत ए इस्लामी, आनन्द मार्ग, आदि 26 मगठनों पर प्रतिबन्ध भी लगाये गये हैं।

(ii) सबैधानिक सफ्ट—जब राष्ट्रपति को, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य तरीकों से विश्वास हां जाय कि किसी राज्य का प्रशासन सबैधानिक अनुबन्धों के अनुसार चलाना कठिन है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अनुसार उम राज्य में सबैधानिक सफ्ट की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन में दिये गये निष्कर्षों का मानने के लिये बाध्य नहीं। राष्ट्रपति अपना स्वयं का स्वतन्त्र निष्कर्ष भी दे सकता है। राष्ट्रपति के इस निष्कर्ष की तर्कसंगतता, वैधता या औचित्य के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

राष्ट्रपति द्वारा की गयी सबैधानिक सफ्ट की घोषणा को उसी प्रकार से संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति की आवश्यकता है जिस प्रकार से राष्ट्रीय या सामान्य सफ्ट की घोषणा की है। अन्तर केवल इतना है कि जहाँ राष्ट्रीय या सामान्य सफ्ट के समय की कोई सीमा संविधान निर्धारित नहीं करता अर्थात् सामान्य सफ्ट अनिश्चितकाल तक संसद की अनुमति से जारी रखा जा सकता है वहाँ सबैधानिक सफ्ट के समय की सीमा संविधान में अधिक से अधिक 3 वर्ष की निर्धारित कर सकता है अर्थात् संसद की छ छ महीने की स्वीकृति से अधिक से अधिक 3 वर्ष तक जारी रह सकती है।

सबैधानिक इतिहास के पिछले 25-26 वर्षों में सबैधानिक सफ्ट की घोषणा अनेक बार की गई है। सचप्रथम इसकी घोषणा 1951 में पूर्वी पंजाब में की गयी थी। उसके बाद 1953 में पंजाब में 1954 में आंध्र में, 1956 में द्राक्कन में, 1959 में केरल में, 1961 में उड़ीसा में, 1964 में कर्नाट में, 1965 में केरल में, 1966 में पंजाब में, 1967 में राजस्थान और हरियाणा में, 1968 में पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश बिहार और पंजाब में, 1969 में बिहार में, 1970 में केरल, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात में, 1971 में असम, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और बिहार में, 1973 में आंध्र प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, 1974 में गुजरात और 22 मार्च 1975 में नागालण्ड में अर्थात् सबैधानिक सफ्ट की घोषणा की गयी। 20 मई 1975 को नागालण्ड विधानसभा का भंग कर दिया गया। सफ्ट की घोषणा कर दी गयी।

सबैधानिक सफ्ट के अन्तर्गत वे सुरक्षितता निम्न हैं—

वेधो

भाव निवृत्ति

(a) राष्ट्रपति राज्य के सभी या किसी काय को स्वयं ग्रहण कर सकता है परन्तु राज्य विद्यालय मण्डल की शक्तियां को अपने हाथ में नहीं ले सकता। संवधानिक सभ्यता में राज्यपाल राष्ट्रपति के अधिकारी (agent) के रूप में कई काय करता है।

(b) संसद को राज्य विधान मण्डल की शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

(c) उच्च न्यायालय की शक्तियों के अतिरिक्त, राष्ट्रपति राज्य की किसी सत्ता की शक्तियां को स्थगित या सीमित कर सकता है।

(d) राज्य में किसी व्यक्ति के लिये संवधानिक उपबन्धा को स्थगित किया जा सकता है।

(e) संसद राष्ट्रपति को अमुक राज्य के लिये कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है।

(f) संसद द्वारा कायवाही हाने से पूर्व प्रथावि लोकसभा के विराम काल में राज्य की सचिव निधि में किसी व्यय को अधिकृत कर सकता है।

(g) राष्ट्रपति नागरिकों के मूल अधिकारों, संवधानिक उपबन्धा के अतिरिक्त, संहिता, को स्थगित, प्रतिबंधित या नियमित कर सकता है। संसद में संवधानिक सभ्यता की घोषणा होने पर राज्य की स्वायत्तता नष्ट हो जाती है और राज्य का प्रशासन सीधे केंद्र के अधीन आ जाता है।

(iii) वित्तीय सभ्यता—जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाय कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता और सत्ता को खतरा उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति वित्तीय सभ्यता की घोषणा कर सकता है। सामान्य और संवधानिक सभ्यता की घोषणा की भांति वित्तीय सभ्यता की घोषणा भी संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति पर ही होनी चाहिए। संवधानिक इतिहास के पिछले 25-26 वर्षों में वित्तीय सभ्यता की घोषणा एक बार भी नहीं की गयी।

वित्तीय सभ्यता के प्रभाव—वित्तीय सभ्यता के जो प्रभाव निकलते हैं वे मुख्यतः निम्न हैं—

(1) केंद्र की कायपालिका राज्य को वित्त में विषय पर आचरण के लिये निर्देशन दे सकती है। इन निर्देशनों में केंद्रीय कायपालिका सांख्यिक सेवकों के वेतनों, भत्तों आदि में कटौती के लिये कह सकती है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों, भत्तों आदि में भी कटौती की जा सकती है।

(2) राज्य विधानसभा द्वारा पास किये गये सभी वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति स्वीकृति के लिये भगवा सकता है।

सकटकालीन शक्तियों या व्यवस्थाओं का मूल्यांकन भारतीय संविधान का कोई अध्याय आलोचकों की

अधिक पात्र नहीं रहा जितना कि सकटवालीन शक्तियों से सम्बन्धित अध्याय 18 रहा है। इसे प्रजातन्त्र विरोधी, सध विरोधी, 'याय विरोधी, विवेक विरोधी एवं शरारतपूर्ण की सजा दी गयी है। आलोचकों ने इसे अति कठोर, अति व्यापक एवं अति स्वेच्छान्नायी, प्रतिक्रियावादी, पश्चादगमन वह कर निन्दित किया है। इनका कहना है कि अध्याय 18 की व्यवस्थाएँ सन् 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 93 का दासाचित पुनर्जनन (Slavish reproduction) है। इन व्यवस्थाओं पर संविधान सभा में जब वाद विवाद हो रहा था तो एच० वी० कामय ने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि "यह शम और दुःख का दिन है। ईश्वर भारतीय जन मानस की रक्षा करें।" उन्होंने यह भी कहा था कि 'इस एक अध्याय द्वारा हम ऐसे सवाधिनारवादी पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं जो हमारे सिद्धांतों और आदर्शों के ठीक विपरीत है। हम ऐसे राज्य की स्थापना कर रहे हैं जिसमें लाखों निर्दोष लोगों के अधिवार और स्वतन्त्रताएँ निरन्तर सतरे में रहेंगी। यहाँ की शांति शमशान घाट की शांति हागी जिसमें रगिस्तान जसी शून्यता विद्यमान रहेगी।" वी० दास का मत था कि अध्याय 18 की व्यवस्थाएँ राष्ट्रपति को "एक नया फ्लैक-स्टोन बना देगी जो दक्षिण अमरीकी राष्ट्रपतिया की भाँति सारी शक्तियों को, तृतीय शक्तियाँ महित, हटप कर लेगा और प्रांतों को भूखा मार देगा।' एच० वी० कामय का कहना था कि "प्रजातान्त्रिक रूपी भवन का यह स्वेच्छान्तरितापूर्ण प्रतिक्रियावादी महाराज आच्छादित करता है।" आलोचकों का यह भी कथन है कि जमनी के वीमा संविधान की धारा 48 के अनुसार जमन चालकर हिटलर को इसी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गयी थी जिनका दुरुपयोग करके हिटलर तानाशाह बन गया। रे० टी० शाह का कथन था कि ये उपबंध "प्रतिक्रियावादी एवं पश्चादगामी अध्याय का शानदार उपसंहार एवं गौरव हैं।"

आलोचना द्वारा सकटवालीन शक्तियाँ पर की गयी आपत्तियों को मुफ्तपया निम्न विदुषा द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है —

1 सघीय ढाँचे को सतरा—मोटवालीन शक्तियों के प्रयोग का मध्य प्रतिकूल प्रभाव भारतीय सघीय व्यवस्था पर पड़ता है। सामान्य सफट की घोषणा होने ही संविधान में परिवर्तन किया बिना ही राज्य एकात्मक सरकार का रूप धरणा कर लेता है राज्य सरकारों की स्वायत्तता नष्ट हो जाती है और वे केन्द्र की नीरप्या का कार्यान्वित करने वाले अधिनियम मात्र बन कर रह जाते हैं। केन्द्र की शक्तियाँ अद्वितीय ढंग में बढ़ जाती हैं। जगा कि वे० वी० राव ने किया है कि संविधान हमारे संविधान में सघीय (unfederal) विशेषताएँ हैं परन्तु अनुच्छेद 356 मर्यादित सघीय तत्व है।¹

1 See Rao, K. V. Parliamentary Democracy of India, II Edn P 251

2 राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग—अनुच्छेद 356 आलोचकों की उग्र आलोचना का पात्र रहा है क्योंकि केन्द्र इसका प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कर सकता है। विशेषकर उस परिस्थिति में जब केन्द्र और राज्य या राज्यों में परस्पर विरोधी राजनीतिक दलों की सरकारें सत्ताह्वित हों। पिछले कुछ वर्षों का सवधानिक इतिहास सविधान निर्माताओं के इस भय को सत्य सिद्ध करता है कि केन्द्र अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इसका प्रयोग कर सकता है। वस्तुतः केन्द्र ने स्वच्छ, निमल और कुशल राजनीतिक परम्पराओं, प्रजातांत्रिक और सघीय नियमों का विकास करने के स्थान पर इष्ट सिद्धि (काय सिद्धि—expediency) का परिचय दिया है।

अनुच्छेद 356 अर्थात् सवधानिक यंत्र की असफलता का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। कभी इसका प्रयोग राज्य के प्रशासन को विघटन से बचाने के लिये किया गया है, कभी विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा सरकार निर्माण के प्रयासों में बाधा प्रस्तुत करने के लिये, कभी केन्द्र में महत्त्वपूर्ण सुरक्षित शक्ति (important reserve power) को सगठित करने के लिए अर्थात् राज्य की दलीय "गुट राजनीति" (factional politics) पर केन्द्र का नियंत्रण स्थापित करने के लिये, या राजनीतिक गतिरोध (political deadlock) को समाप्त करने के लिये या राजनीतिक अस्थिरता (political instability) को दूर करने के लिये किया गया है। केन्द्र का एकपक्षीय दलीय व्यवहार इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सन् 1959 में केरल के साम्यवादी दल को अपदस्थ करने के लिये, जब उसका बहुमत केरल विधानमण्डल में था, जन विद्रोह (mass upsurge) का ढाग रच कर (जिसे कांग्रेस ने स्वयं गढ़ा था) अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता था परन्तु सन् 1973 में उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सशस्त्र निपाहिया (Provincial Armed Constabulary) द्वारा विद्रोह के समय अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि वहाँ बहुगुणा के कांग्रेसी मंत्रिमण्डल का शासन था जिसे केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का विश्वास प्राप्त था। सविधान निर्माताओं की यह शक सत्य प्रतीत होती है कि 'सविधान के उल्लंघना की सम्भावना केरल आन्दोलनकारियों, विद्रोहिया एवं क्रांतिकारियों के द्वारा ही नहीं अपितु उन लोगों द्वारा भी हो सकती है जो सत्ताह्वित हैं।'¹ पंजाब राव देशमुख ने भी इसी प्रकार की शक सविधान सभा में व्यक्त की थी।²

राज्य विधानमण्डल को भंग किये बिना अवाञ्छित प्रांतीय मंत्रिमण्डल से छुटकारा पाने के लिये सन् 1966 में "अध सवट" (half emergency) की अद्वितीय परम्परा का शुरु किया गया जिसकी व्यवस्था सविधान में नहीं की गयी। "अध सवट" की स्थिति में प्रांतीय मंत्रिमण्डल को तो नष्ट कर लिया जाता है परन्तु

1 C A D Vol IX, p 106

2- C A D Ibid, p' 114

विधान मण्डल को "निलम्बित सजीवन" (suspended animation) में रख दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, अर्द्ध सकट में विधान मण्डल को भंग किये बिना मंत्रिमण्डल को भंग कर दिया जाता है। इस अर्द्ध सकट की विशेषता यह है कि इसे बाद में, जैसी आवश्यकता हो, या तो "पूर्ण सकट" में (full emergency) में परिवर्तित कर दिया जाता है या उसे "अ-सकट" (non emergency) में बदल दिया जाता है। उदाहरणतया 1966 में पंजाब, 1967 में राजस्थान, 1969 में बिहार में, 1970 में उत्तर प्रदेश में, 1971 में उड़ीसा में, 1973 में आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उद्धोषित अर्द्ध सकटों को अ-सकट में बदल दिया गया अर्थात् उन्हें वापस ले लिया गया परन्तु 1968 में उत्तर प्रदेश 1970 में पश्चिमी बंगाल, 1974 में गुजरात में उद्धोषित अर्द्ध सकटों को पूर्ण सकट में बदल दिया गया।¹

राज्यों की राजनीति की एक विशेषता यह रही है कि राज्यों के राजनीतिक आपसी "मुक्ति" के लिये राज्य की जनता या राज्य विधान पर निर्भर नहीं करते बल्कि केन्द्र के "निर्देशन" पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतया जब कभी किसी राज्य में "दन बदल" या "गुट राजनीति" के कारण राज्य की राजनीति में गतिरोध या अस्थिरता उत्पन्न हुई तब ही राज्य के राजनीतिको ने राज्य विधानमण्डल में बहुमत परीक्षण करने या नव निर्वाचन द्वारा राज्य की जनता से समर्थन प्राप्त करने के स्थान पर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से परामर्श लिया है, विशेषकर राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों का यही दृष्टिकोण रहा है। यह स्थिति न तो प्रांतीय स्वायत्तता के लिये और न ही सघीय व्यवस्था के लिये शुभ है। जसाकि बाम्बाल ने लिखा है कि राष्ट्रपति शासन "सत्ता के केन्द्र को नई दिल्ली में स्थापित कर देता है। राज्य की जनता के लिये यह प्रतिफल (compensation) पर्याप्त नहीं थी उमके प्रतिनिधि संसद में विद्यमान होते हैं बधाकि इस बात का कोई आश्वासना नहीं कि केन्द्र द्वारा उस राज्य से सम्बन्धित नीतियों का निर्धारण करने में उनकी वितनी प्रभावपूर्ण भावाज है।²

अनुच्छेद 365 इस बात की भी व्यवस्था करता है कि जब कभी कोई राज्य केन्द्र द्वारा जारी किये गये निर्देशना का पालन नहीं करता तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उस राज्य में संवैधानिक षेत्र की अक्षमता की घोषणा कर सकता है। स्पष्ट है कि केन्द्र द्वारा दिये गये निर्देशन का पालना न करने से अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है।

3 सकटकालीन शक्तियों का शांतिपालन में प्रयोग—सकटकालीन शक्तियों की एक उत्तरनाम बात यह है कि वायपानिका सकट का बहाना लेकर सामान्य

1 See Johari J C. Indian Government and Politics (Vishal Publications 1974) 1974 p 235

2 Bombal, Quoted by Johari J C Ibid p 239

प्रजातांत्रिक गतिविधियों को कुठित कर सकती है, नागरिक स्वतन्त्रताओं के साथ खिलवाड़ कर सकती है तथा राजनीतिक विरोधियों का सफाया कर सकती है। कायपालिका की एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि जिन असाधारण शक्तियों का प्रयोग वह संकटकाल में करती है उनका प्रयोग वह शांतकाल में भी करने की इच्छुक रहती है। इस तरह साधारण कानूनों और साधारण वाय व्यवस्था की उपेक्षा करना कायपालिका का स्वभाव बन जाता है। आपातकालीन विधान सविधि पुस्तक में स्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरणतया जिन भारत सुरक्षा नियमों, निवारक निरोध नियमों और आंतरिक सुरक्षा नियमों (The Defence of India Rules, Preventive Detention Act and Maintenance of Internal Security Act) का निर्माण विशेष परिस्थितियों के लिये किया गया था उनका प्रयोग रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, सत्याग्रही शांद्दोलनों और आर्थिक अपराधों के लिये करना अनुचित ही नहीं बल्कि वाय की भावना के भी विपरीत है। इससे यह भी स्पष्ट है कि देश का सामान्य कानून निराधार है और देश असाधारण नियमों द्वारा ही शासित हो सकता है। मीसा (MISA) के अंतर्गत जितने विद्यार्थियों को बंदी बनाया गया है उतने तस्करो (Smugglers) को बंदी नहीं बनाया गया।¹

4 उद्घोषणाओं की मात्राओं की मीसा का अभाव—भारतीय सविधान इस विषय पर पूरा रूप से शांत है कि राष्ट्रपति कितने संकटकालीन अध्यादेशों का जारी कर सकता है और क्या कि संसद की अनुमति के बिना एक अध्यादेश दो महीनों तक जारी रह सकता है अतः कोई भी महत्वाकांक्षी कायपालिका दो महीने की अवधि के समाप्त होने से कुछ दिन या घण्टे पूर्व ही पहले अध्यादेश को वापस लेकर एक नये अध्यादेश को जारी कर सकता है और इस तरह राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेशों द्वारा शासन कर सकता है।

5 नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रभाव—संकटकालीन शक्तियों का सबसे अधिक प्रभाव नागरिकों के मूल अधिकारों पर पड़ता है। संकटकालीन घोषणा होते ही नागरिकों के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। इससे भी दुःखद बात यह है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हुए नागरिकों का आयालय के संरक्षण से भी वंचित कर सकता है। यह अत्यंत गम्भीर स्थिति है जो प्रजातंत्र विरोधी, उदारवाद विरोधी और प्रतिक्रियावादी है। यह न केवल सविधान के नकारात्मक पहलू को अभिव्यक्त करता है बल्कि उस पर 'कलक' भी है। जहाँ ब्रिटेन में युद्ध के ठीक बाद निर्वाचन कराये जाते हैं और जहाँ अमरीका में युद्ध काल में नागरिकों की मौलिक स्वतन्त्रताओं का हनन नहीं किया जा सकता वहाँ भारत में शांतकाल में भी संकट का वहाना लेकर नागरिक स्वतन्त्रताओं का

गला घोटा जा सकता है। इस तरह सक्ककालीन व्यवस्थाओं नागरिक अधिकारों के संरक्षक देवदूत (guardian angle) होने के स्थान पर उसके भक्षक हैं।

6 अधिनायकवादी प्रवृत्ति—एक महत्त्वाकांक्षी एवं सत्ता लोभी राष्ट्रपति सक्ककालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। वह मन्त्रिमण्डल एवं लोक सभा का भंग कर अध्यादेशों द्वारा शासन कर सकता है और क्योंकि अध्यादेशों की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है और क्योंकि एक अध्यादेश, संसद की अनुमति के बिना दो महीने तक जारी रह सकता है अतः वह अपनी इस सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है (जमनी के बीमार सविधान के अंतर्गत हिटलर अपनी इसी शक्तियों का प्रयोग कर स्वयं अधिनायक बन बैठा। इसी प्रकार इटली में मुसोलिनी ने प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया।

सक्ककालीन व्यवस्थाओं के पक्ष में तर्क—सक्ककालीन व्यवस्थाओं की उपयुक्त आलोचना एकपक्षीय, अतिशयोक्तिपूर्ण एवं संसदात्मक प्रणाली में अधिस्वातंत्र्य की द्योतक है। इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता कि इन्हें “भावश्यक सुरक्षा” के रूप में स्वीकार किया गया है। ये व्यवस्थाएँ “प्रेहतिवादी” (precautionary) व्यवस्थाएँ हैं जिनका प्रयोग सामान्य परिस्थितियों के लिये नहीं अपितु विशेष परिस्थितियों के लिये ही किया जा सकता है जगन्नि डा० अम्बेडकर ने कहा था कि “ये धारणें प्रेहतिवादी हैं और इनका प्रयोग प्रायः नहीं किया जायगा और ये प्रायः ‘मृत पत्र’ (dead letter) ही रहेंगी। इनका प्रयोग केवल उम समय किया जायगा जब राष्ट्रपति गम्भीर आपत्ति का सामना कर रहा हो या विपदाकारी तत्व बलगानी हो रहे हों।”

यह मान्य है कि संसदों में राज्या की स्वायत्तता गूट हो जाती है और नागरिकों के अधिकारों में हानि हो जाती है परन्तु इसका मतलब तभी है जब राष्ट्रपति सुरक्षित है। जब राष्ट्रपति ही आपत्ति है और उसकी स्वीकृति और प्रणाली पर ही शक्ति का गठन है तो प्रायः (राज्या) या नागरिकों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का भी महत्त्व ही नहीं रह जाता, क्योंकि राष्ट्र के जातिगत हानि से राष्ट्र और नागरिक जीति रहते हैं। नागरिक अभिव्यक्ति, मध, मनुष्यत्व आदि स्वायत्तता का महत्त्व आन्तरिक में है, सक्ककालीन में तो ये घातक गिने हो सकते हैं। ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर ही कर्तीय सरकार का प्रतिबन्ध बनाया गया है क्योंकि जब तक भारत में कर्तीय सरकार बिना हुई है तब-तब ही विपदाकारी तत्वों का जन्म होता है तथा विपत्तियों का प्रमाणित विपदा है। इसी उद्देश्य में संसदों को एक सुरक्षा वाल्व (safety valve) और संसदों को एक ‘संविधान की जीविका’ (a very life of the Constitution) की संज्ञा दी है।

यह सत्य है कि अनेक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिये किया गया है परन्तु इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता कि जिन राज्यों में इसका प्रयोग किया गया उनमें पुन उत्तरदायी सरकारों की स्थापना कर दी गयी। अनेक बार तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग प्रजातन्त्र की रक्षा हेतु एक राज्य की राजनीतिक स्थिरता के लिये भी किया गया है।

यह कहना कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर उच्च प्यूरर सीजर, जार या अधिनायक बन सकता है ससदात्मक प्रणाली में अविश्वास को प्रकट करता है व्यावहारिक तान को नहीं। भारतीय संविधान अर्धशासक प्रणाली की स्थापना नहीं करता ससदात्मक प्रणाली की स्थापना करता है। अतः राष्ट्रपति को लिये मंत्रिमण्डल का परामर्श पर काय करना अपेक्षित है। संवैधानिक शक्तियाँ राष्ट्रपति की व्यक्तिगत शक्तियाँ नहीं। इनका प्रयोग वह मंत्रिमण्डल और संसद का अनुमति के बिना किसी व्यय की अनुमति दे सकता है। इस तरह वदम वदम पर इन शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रपति पर बाधाएँ हैं जैसा कि टी० टी० वृष्णामाचारी ने कहा कि 'संसद चाह तो कार्यपालिका को सबक सिखा सकती है। और यदि यह कहा जाय कि राष्ट्रपति, मंत्रिमण्डल और संसद मिलकर सारी शक्तियों को अपने अधिकार में लेकर उनका अनुचित प्रयोग कर सकते हैं तो इस स्थिति में कोई भी संवैधानिक व्यवस्था बचा नहीं सकती।

पक्ष और विपक्ष में दिये गये उपयुक्त तर्कों के बाद भी संवैधानिक व्यवस्थाओं का प्रयोग में कुछ सावधानियाँ की आवश्यकता है जिनके अभाव में इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। जैसा कि अमर ने दी न लिखा है कि ये शक्तियाँ उस भरी हुई बूढ़ के समान हैं जिसका प्रयोग नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिये या उसे नष्ट करने के लिये भी किया जा सकता है। इसलिये बूढ़ का प्रयोग बड़ी सावधानी से होना चाहिए।¹ दूसरे, किसी भी संविधान को सुचारु रूप से चलाने के लिये नागरिकों की सतत जागरूकता की आवश्यकता होती है। यदि नागरिक उदासीन हैं तो कोई भी संवैधानिक व्यवस्था उनका अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती। इसलिये जिस चीज की आवश्यकता है वह है नागरिकों की जागरूकता। तीसरे, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है परन्तु साथ ही भी आवश्यकता है जैसा कि एम० वा० पायली ने कहा है कि सुरक्षा पर अत्यधिक बल नहीं निरबुधता का जन्म न दे दे और स्वतंत्रता की अत्यधिक मांग नहीं उच्छ्वसना को जन्म न दे।² चौथे,

1 Nandi Amar The Constitution of India, p 140

2 Excessive emphasis on Security may result in autocracy where as too great a claim for liberty might result in licence
M V Constitutional Government in India p 593 Pyle

अनुच्छेद 356 को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि केन्द्र का कोई भी मन्त्रालय सरकार इसका प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिये न कर सके। पाचवे, नागरिका को संवैधानिक उपचारों से वंचित करना निश्चित ही अनुचित एवं अत्याधिक है और कार्यपालिका गिरकुशता की दायक है। अतः इसे भी स्पष्ट परिभाषित करने की आवश्यकता है या कम से कम इसका प्रयोग अत्यंत सीमित होना चाहिये और आर्थिक या सामाजिक अपराधों के लिये इसका प्रयोग नहीं होना चाहिये।

राष्ट्रपति की स्थिति या क्या राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष हैं या कि वास्तविक ? या क्या राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है

(Position of the President) or Is President a Constitutional head or a real executive ? or Can President become a Dictator ?

राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक व्याख्याताओं की चर्चा का विषय रही है। वस्तुतः इस सम्बन्ध में दो प्रकार की विचारधाराएँ पायी जाती हैं। एक विचारधारा माइकेल ब्रैकर सी० एच० एलेक्जेंड्रोविच, एम० सी० सीतलवाड मोहन कुमार मंगलम् जैसे लेखकों और ए० नेहरू, डा० बी० आर० अम्बेदेकर सर अलादी कृष्णा स्वामी आच्यर, जिनके सविधान निर्माताओं की हैं जिनका कहना है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष है और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं के विवेक के आधार पर नहीं कर सकता। दूसरी विचारधारा एलन म्लडहिल, डी० एन० वनर्जी, के० एम० मुंशी जैसे लेखकों की हैं जिनका कहना है कि सविधान की कोई धारा राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल का परामर्श मानने के लिये बाध्य नहीं करती और राष्ट्रपति सविधान की उल्लंघना किये बिना सत्तावादी सरकार की स्थापना कर सकती है।

जो लेखक राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष मानते हैं उनका कहना है कि सविधान भारत में ब्रिटेन की भाँति संसदात्मक प्रणाली की स्थापना करता है, अमरीका की भाँति अध्यक्षीय प्रणाली की नहीं। जहाँकि डा० अम्बेदेकर ने सविधान सभा में कहा था कि "अमरीका की तरह भारत में राष्ट्रपति है परन्तु दोनों में केवल नाम की समानता है अथवा स्थिति से दोनों भिन्न हैं।" 'राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन में सत्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र पर शासन नहीं करता। प्रशासन में उसकी स्थिति औपचारिक उपकरण की है। उसकी स्थिति उम माहूर की भाँति है जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्णय जान जाते हैं।' टी० टी० कृष्णामाचारी ने भी कहा था कि जहाँ तक राष्ट्रपति और मंत्रिमण्डल के पारस्परिक सम्बन्धों का सम्बन्ध है हमने पूरातया ब्रिटिश उत्तरदायी शासन प्रणाली का अपनाया है।" सर अलादी कृष्णास्वामी आच्यर ने भी कहा था कि "भारतीय सविधान न संसदात्मक कार्यपालिका की संस्था का अपनाया है। स्वयं के० एम० मुंशी ने, जिनका अब विश्वास

है कि राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियाँ का उपभोग कर सकता है, सविधान सभा में यह स्वीकार किया था कि "भारम्भ से ही अधिकांश सदस्य संधि के लिये मंत्रिमण्डलात्मक प्रणाली की सरकार का समर्थन कर रहे थे।" प० नेहरू न भी सविधान सभा में कहा था कि "राष्ट्रपति की स्थिति महान सत्ता और प्रतिष्ठा की है परन्तु साथ में वह पूरातया सवधानिक अध्यक्ष की है। जब 1959 में डा० राजेन्द्र प्रसाद के इण्डियन लॉ इंस्टीट्यूट (Indian Law Institute) के समक्ष दिये गये भाषण से (जिसमें उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि सविधान की कोई धारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् के परामर्श का मानने के लिये बाध्य नहीं करती) और भारत के विद्वान राष्ट्रपति की शक्तियाँ का विश्लेषण करें) विवाद उत्पन्न हुआ तो प्रधान मंत्री नेहरू ने स्पष्ट करते हुए कहा कि "हम स्वयं उसके पास (राष्ट्रपति के पास) परामर्श के लिये जाते हैं परन्तु निरापेक्ष लेने का काम मंत्रिमण्डल का है।" "राष्ट्रपति सवधानिक अध्यक्ष है और इसी हैसियत से उसने हमेशा काम किया है।"¹

राष्ट्रपति को सवधानिक अध्यक्ष मानने वाला का कहना है कि मसदात्मक प्रणाली में दोहरी कायपालिका होती है—नाम मात्र की और वास्तविक। जहाँ सविधान राष्ट्रपति को कायपालिका शक्तियाँ प्रदान करता है वहाँ मसदात्मक प्रणाली, जिसकी स्थापना सविधान भारत में करता है, इस बात की माँग करती है कि कायपालिका अध्यक्ष अपनी शक्तियाँ का प्रयोग स्वयं न करे बल्कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल के व सदस्य करें जिन्हें वास्तविक कायपालिका कहा जाता है और जो संयुक्त रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। इन लेखकों का यह भी कहना है कि सविधान राष्ट्रपति के लिए कोई सुरक्षित क्षेत्र (reserve field) निर्धारित नहीं करता जिस प्रकार कि सविधान का अनुच्छेद 163 (1) राज्य में राज्यपाल के लिए ऐसा सुरक्षित क्षेत्र निर्धारित करता है जिसमें राज्यपाल विवेकाधिकार के अंतर्गत कार्य कर सकता है। इन लेखकों का यह कहना भी सत्य है कि सविधान अपनी किसी धारा में राष्ट्रपति का मंत्रिमण्डल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं करता परन्तु सबसे सविधान में यह विचारधारा अंतर्निहित (implicit) है कि राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल के परामर्श और सहयोग से ही कार्य कर सकता है। डा० अम्बेदकर ने तो सविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि राष्ट्रपति "अपने मंत्रियों के परामर्श के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता और न ही वह उनके परामर्श के बिना कुछ कर सकता है।" के० सदानम का मत था कि 'अपने मंत्रियों के सहयोग से देश पर शासन करना प्रधान मंत्री का कार्य है और राष्ट्रपति को कभी कभी सहायता और परामर्श देने की आज्ञा दी जा

अनुच्छेद 356 को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना की आवश्यकता है ताकि कानून की कानूनी भी सत्ता के सरकार इसका प्रयोग अपना राजनीतिक उद्देश्य के लिये कर सके। पाचव, नागरिकों को सवधानिक उपकारों के अधिकार करना निश्चित ही अनुचित एवं अकार्यकारी है और वायपालिका विरुद्धा की शक्ति है। अतः इसे भी स्पष्ट परिभाषित करना की आवश्यकता है या कम से कम इसका प्रयोग अत्यंत सीमित होना चाहिये और आर्थिक या सामाजिक क्षेत्रों के लिये इसका प्रयोग नहीं होना चाहिये।

राष्ट्रपति की स्थिति या क्या राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष हैं या कि वास्तविक ? या क्या राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है

(Position of the President) or Is President a Constitutional head or a real executive ? or Can President become a Dictator ?

राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक व्याख्याताओं को कभी का विषय रही है। वस्तुतः इस सम्बन्ध में दो प्रकार की विचारधाराएँ पायी जाती हैं। एक विचारधारा माइकेल बेकर सी० एच० एलेक्जेंड्राविक, एम० सी० सीतनवाड मोहन कुमार मंगलम् जैसे लेखकों और ए० नेहरू, डॉ० बी० आर० अम्बेदकर, सर अलादी कृष्णा स्वामी आयर, जम संविधान निर्माताओं की है जिनका कहना है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष है और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं के विवेक के आधार पर नहीं कर सकता। दूसरी विचारधारा एसन ग्लडहिल, डी० एन० वनर्जी, के० एम० मुंशी जैसे लेखकों की है जिनका कहना है कि संविधान की कोई धारा राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करती है जिससे वह अपने शक्तियों के लिये बाध्य नहीं करती और राष्ट्रपति संविधान की उल्लंघना किये बिना सत्तावादी सरकार की स्थापना कर सकती है।

जो लेखक राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष मानते हैं उनका कहना है कि संविधान भारत में ब्रिटेन की भाँति संसदात्मक प्रणाली की स्थापना करता है, अमरीका की भाँति अध्यक्षीय प्रणाली की नहीं। जैसा कि डॉ० अम्बेदकर ने संविधान सभा में कहा था कि "अमरीका की तरह भारत में राष्ट्रपति है परन्तु दोनों में केवल नाम की समानता है अथवा स्थिति से दोनों भिन्न हैं।" "राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र पर शासन नहीं करता। प्रशासन में उसका स्थिति औपचारिक उपकरण की है। उसकी स्थिति उस माहुर की भाँति है जिसका द्वारा राष्ट्र के नियम जाने जाते हैं।" टी० टी० कृष्णामाचारी ने भी कहा था कि जहाँ तक राष्ट्रपति और अधिकार के पारस्परिक सम्बन्धों का सम्बन्ध है हमने पूर्णतया ब्रिटिश उत्तरदायी शासन प्रणाली का अपनाया है।" सर अलादी कृष्णास्वामी आयर ने भी कहा था कि 'भारतीय संविधान ने संसदात्मक कार्यपालिका की संस्था का अपनाया है।' स्वयं के० एम० मुंशी ने, जिनका अब विश्वास

है कि राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का उपभोग कर सकता है, मन्त्रिमण्डल सभा में यह स्वीकार किया था कि "आरम्भ से ही अन्वेषण सदस्य सभ के लिये मन्त्रिमण्डलात्मक प्रणाली की सरकार का समर्थन कर रहे थे।" प० नेहरू ने भी संविधान सभा में कहा था कि "राष्ट्रपति की स्थिति महान सत्ता और प्रतिष्ठा की है परन्तु साथ में वह पूणनया सर्वानिक अध्यक्ष की है। जब 1959 में डा० राजेंद्र प्रसाद के इन्स्टीट्यूट ला इन्स्टीट्यूट (Indian Law Institute) में समक्ष दिये गये भाषण में (जिसमें उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि संविधान की कोई धारा राष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल के परामर्श का मानन के लिये बाध्य नहीं करती" और भारत के विद्वान राष्ट्रपति की शक्तियों का विश्लेषण करें) विवाद उत्पन्न हुआ तो प्रधान मन्त्री नेहरू ने स्पष्ट करत हुए कहा कि "हम स्वयं उसके पास (राष्ट्रपति के पास) परामर्श के लिये जाते हैं परन्तु निश्चय लेने का काम मन्त्रिमण्डल का है।" "राष्ट्रपति सर्वधानिक अध्यक्ष है और इसी हिसाब से उसने हमेशा काम किया है।"¹

राष्ट्रपति का सर्वधानिक अध्यक्ष मानन वाला का कहना है कि समदात्मक प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होगी है—नाम मात्र की और वास्तविक। जहाँ संविधान राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति का प्रदान करता है वहाँ समदात्मक प्रणाली, जिसकी स्थापना संविधान भारत में करता है, इस बात की मांग करती है कि कार्यपालिका अध्यक्ष अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करे बल्कि प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल के वे सदस्य करें जिन्हें वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है और जो संयुक्त रूप में लोक सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इन लेखकों का यह भी कहना है कि संविधान राष्ट्रपति के लिए कोई सुरक्षित क्षेत्र (reserve field) निर्धारित नहीं करता जिस प्रकार कि संविधान का अनुच्छेद 163 (1) राज्य में राज्यपाल के लिए ऐसा सुरक्षित क्षेत्र निर्धारित करता है जिसमें राज्यपाल विवेकाधिकार के अंतर्गत कार्य कर सकता है। इन लेखकों का यह कहना भी सत्य है कि संविधान अपनी किमी धारा में राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल के परामर्श का मानने के लिए बाध्य नहीं करता परन्तु सर्वत्र संविधान में यह विचारधारा अंतर्निहित (implicit) है कि राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल के परामर्श और सहयोग में ही कार्य कर सकता है। डा० अग्र्यदत्त ने तो संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि राष्ट्रपति "अपने मन्त्रियों के परामर्श के बिना कुछ नहीं कर सकता और न ही वह उनके परामर्श के बिना कुछ कर सकता है।" वे संविधान का मत था कि "अपने मन्त्रियों के सहयोग से देश पर शासन करना प्रधान मन्त्री का वाद्य है और राष्ट्रपति को कभी-कभी सहायता और परामर्श देने की आज्ञा दी जा

1 Munshi K. M. The President Under the Indian Constitution, p 2

सकती है।¹ इनका कहना है कि साधारण शक्तियों का प्रयोग तो दूर राष्ट्रपति असाधारण (सकटकालीन) शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रिमण्डल के परामश पर ही कर सकता है। जैसाकि नेहरू जी ने कहा था कि "हमन उसे कोई वास्तविक शक्तिया प्रदान नहीं की यद्यपि उसकी स्थिति को मत्तावान और प्रतिष्ठित बनाया गया है।" इन लेखका का यह भी कहना है कि कोई भी राष्ट्रपति अपने अस्तित्व का खतरा मोल लेकर ही मंत्रिमण्डल से सघप मोल ले सकता है क्योंकि किसी भी महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति को सवधानिक बनाये रखने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया विद्यमान है और महाभियोग की प्रक्रिया सवधानिक होत हुए भी यह राजनीति प्रक्रिया है जिसका प्रयोग राजनीतिक वातावरण में किया जायेगा वैधानिक वातावरण में नहीं। "यायालय इस बात का निर्धारण नहीं करती कि महाभियाग के अस्तन का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। इन लेखका का तो यह भी मत है कि राष्ट्रपति के लिए सत्तावादी सरकार की स्थापना करना तो दूर वह मंत्रिमण्डलात्मक जैसे अधिनायकत्व को भी स्थापित नहीं कर सकता क्योंकि ससद का नियंत्रण उस पर सदा बना रहता है। राष्ट्रपति कभी ससद की अनुमति के बिना काय नहीं कर सकता क्योंकि प्रत्येक काय में होने वाले धन के खर्चों के लिए ससद की अनुमति की आवश्यकता है। इनका यह भी कहना है कि सनामा के प्रयोग की बात अधिनायका के भाग्य से अनभिज्ञता का परिचायक है वास्तविकताका नहीं। भारत देश के सर्वोच्च यायालय न भी राम साहव राम जवाया कपूर बनाम पजाव राज्य (1955) के मुकदम में राष्ट्रपति की सवधानिक स्थिति का ही स्वीकार किया था।

दूसरी विचारधारा उन लेखका की है जो राष्ट्रपति को सवधानिक अघ्यक्ष मानने के लिए तयार नहीं। ये लेखक कहते हैं कि संविधान की धारा 53 (1) सघ की सारी कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करती है जिसका प्रयोग वह प्रत्यक्षत या तो स्वयं और अप्रत्यक्षत और कमचारिया के माध्यम से कर सकता है। ये लेखक मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमण्डल की व्यवस्था, क सहायक और परामश देता है परन्तु इस उपा को मानने के लिए एलन ग्रांडहिट प्रयाग धरन विन की बुद्ध शक्तिया ।

1 K "

2 Munshi,

है। इन लेखकों का यह कहना है कि राष्ट्रपति जब अपने पद की शपथ ग्रहण करता है तो वह सविधान की रक्षा करने, और जनता के हितों की रक्षा करने के लिए शपथ लेता है न कि मंत्रिमण्डल के परामर्श को मानने की शपथ लेता है। इन लेखकों का कहना है कि भारत एक सघीय राज्य है और जब कभी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल अपने दलीय हितों के कारण राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श देता है जा कि सघीय ढाँचे के विरुद्ध है तो राष्ट्रपति ऐसे परामर्श को मानने से इंकार कर सकता है। जसाकि एम० वी० पायली ने कहा है कि "यदि राज्य मंत्रिमण्डल को पदच्युत करने का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का परामर्श सकीण राजनीतिक और दलीय भावनाओं से प्रेरित है तो क्या राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है।" ये लेखक यह भी कहते हैं कि सविधान नागरिकों को मूल अधिकार भी प्रदान करता है और जब मंत्रिमण्डल लाकतांत्रिक ढाँचे को नष्ट करने के लिए राष्ट्रपति की सकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करे तो क्या राष्ट्रपति एक निर्जीव दशक की तरह मंत्रिमण्डल का निरकुश बनने की आज्ञा दे सकता है? इन लेखकों का कहना है कि सविधान निर्माता जब राष्ट्रपति से राष्ट्र के हितों की रक्षा करने की अपेक्षा करते हैं तो उससे दलीय हितों की रक्षा करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः जब कभी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ऐसा परामर्श देता है जा सबधानिक भावनाओं, सघीय ढाँचे और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में केवल 'शांत, निष्क्रिय दशन' या खबर की माहिर बन कर नहीं रह सकता। ये लेखक यह भी कहते हैं कि सविधान राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री से सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 78 के अनुसार वह इस बात की मांग कर सकता है कि किसी एक मंत्री के नियुक्त का समूचे मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जाये।

उपरोक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि दोनों विचारधाराओं में भिन्नता होने का मूल कारण अनुच्छेद 53 (1), 74 (1), 75 (2) और 76 (3) की भाषा है। जहाँ अनुच्छेद 53 (1) सभ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को सौंपता है और जहाँ अनुच्छेद 74 (1) में 'सहायता और परामर्श' (aid and advice) के सूत्र अतिम नियुक्तियों को राष्ट्रपति के हाथों में छोड़ता है और जहाँ अनुच्छेद 75 (2) मंत्रियों को राष्ट्रपति के प्रसाद (pleasure) पर निर्भर बनाता है वहाँ अनुच्छेद 75 (3) मंत्रिमण्डल को संयुक्त रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है। वस्तुतः अनुच्छेद 75 (3) राष्ट्रपति की सबधानिक स्थिति में सन्देश की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता क्योंकि उत्तरदायित्व वास्तविक सत्ता की मांग करता है और सत्ता के बिना कोई उत्तरदायित्व हो नहीं सकता। दूसरे, सविधान राष्ट्रपति को अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता। तीसरे, मंत्रिमण्डल एक साथ राष्ट्रपति और लोक सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता। वस्तुतः स्थिति यह है कि मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर होते हुए भी लोक सभा के बहुमत के विश्वास पर निर्भर करता है और जब तक किसी मंत्रिमण्डल को लोक सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है तब

सक्ती है।" ¹ इनका कहना है कि साधारण शक्तियों का प्रयोग तो दूर राष्ट्रपति असाधारण (सकटकालीन) शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रिमण्डल के परामर्श पर ही कर सकता है। जैसाकि नहरू जी ने कहा था कि "हमने उसे कोई वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं कीं यद्यपि उसकी स्थिति को सत्तावान और प्रतिष्ठित बनाया गया है।" इन लेखकों का यह भी कहना है कि कोई भी राष्ट्रपति अपने अस्तित्व का खतरा मोल लेकर ही मंत्रिमण्डल से सघप मोल ले सकता है क्योंकि किसी भी महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति को सवधानिक बनाये रखने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया विद्यमान है और महाभियोग की प्रक्रिया सवधानिक होत हुए भी यह राजनीति प्रक्रिया है जिसका प्रयोग राजनीतिक वातावरण में किया जायेगा कथानिक वातावरण में नहीं। यथापलय इस बात का निधारण नहीं करती कि महाभियोग के अस्त्र का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। इन लेखकों का तो यह भी मत है कि राष्ट्रपति के लिए सत्तावादी सरकार की स्थापना करना तो दूर वह मंत्रिमण्डलात्मक जैसे अविनायकत्व का भी स्थापित नहीं कर सकता क्योंकि ससद का नियंत्रण उस पर सदा बना रहना है। राष्ट्रपति कभी ससद की अनुमति के बिना कार्य नहीं कर सकता क्योंकि प्रत्येक कार्य में होने वाले धन के खर्चों के लिए समद की अनुमति की आवश्यकता है। इनका यह भी कहना है कि सेनाओं के प्रयोग की बात अधिनायक के भाग्य से अनभिज्ञता का परिचायक है वास्तविकताओं का नहीं। भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी राष्ट्रपति राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) के मुकदमे में राष्ट्रपति की सवधानिक स्थिति का ही स्वीकार किया था।

दूसरी विचारधारा उन लेखकों की है जो राष्ट्रपति को सवधानिक अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं। ये लेखक कहते हैं कि संविधान की धारा 53 (1) सघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करती है जिसका प्रयोग वह प्रत्यक्षत या तो स्वयं और अप्रत्यक्षत अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कमचारियों के माध्यम से कर सकता है। ये लेखक कहते हैं कि धारा 74 (1) प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमण्डल की व्यवस्था करता है जो राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग और परामर्श देता है परंतु इस धारा में या अन्य किसी धारा में राष्ट्रपति को उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया। जैसाकि डॉ० डी० एन० बनर्जी ने कहा है कि वैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं। एलन मैडहिल का मत है कि राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियाँ हैं और वह उनका प्रयोग अपने विवेक के आधार पर कर सकता है। वे०एम० मुंशी का मत है कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो मंत्रिमण्डल के नियंत्रण में परे हैं (Supra ministerial)²

1 K. Santhanam, C A D VII, p 1153

2 Munshi, K M Ibid p-p 45 46

है। इन लेखकों का यह कहना है कि राष्ट्रपति जय अपना पद की शपथ ग्रहण करता है तो यह सविधान की रक्षा करन, और जनता के हिता की रक्षा करने के लिए शपथ लेता है न कि मंत्रिमण्डल के परामश को मानने की शपथ लेता है। इन लेखकों का कहना है कि भारत एक सघीय राज्य है और जब कभी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल अपने दलीय हिता के कारण राष्ट्रपति को ऐसा परामश देता है जो कि सघीय ढांचे के विरुद्ध है तो राष्ट्रपति ऐसे परामश को मानने में इत्तार कर सकता है। जसाकि एम० बी० पायली ने कहा है कि "यदि राज्य मंत्रिमण्डल को पदच्युत करन का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का परामश सकीण राजनीतिक और दलीय भावनाओं से प्रेरित है तो क्या राष्ट्रपति उम परामश को मानन के लिए बाध्य है।" ये लेखक यह भी कहते हैं कि सविधान नामरिक्तो को मूल अधिकार भी प्रदान करता है और जब मंत्रिमण्डल लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करन के लिए राष्ट्रपति की मकटवालीन शक्तियों का दुरूपयोग करे तो क्या राष्ट्रपति एक निर्जीव दणन की तरह मंत्रिमण्डल का निरकुश बनने की आज्ञा दे सकता है? इन लेखकों का कहना है कि सविधान निमाता जब राष्ट्रपति से राष्ट्र के हिता की रक्षा करने की अपक्षा करत है तो उसने दलीय हिता की रक्षा करन की अपक्षा नहीं की जा सकती। अतः जब कभी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ऐसा परामश देता है जो सवधानिक भावनाओं, सघीय ढांचे और राष्ट्रीय हिता के विरुद्ध है तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में केवल शांत, निष्क्रिय दणन या खबर की माहर बन कर नहीं रह सकता। ये लेखक यह भी कहते हैं कि सविधान राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री से सूचनायें प्राप्त करन का अधिकार देता है और अनुच्छेद 78 के अनुसार वह इस बात की माग कर सकता है कि किसी एक मंत्री के निणय का समूचे मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जाय।

उपयुक्त बरण से स्पष्ट है कि दोगा विचारधाराओं में भिन्नता होन का मूल कारण अनुच्छेद 53 (1), 74 (1), 75 (2) और 76 (3) की भाषा है। जहा अनुच्छेद 53 (1) सघ की कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति को सौंपता है और जहा अनुच्छेद 74 (1) में "सहायता और परामश" (aid and advice) के मून अतिम निणय को राष्ट्रपति के हाथों में छोडता है और जहा अनुच्छेद 75 (2) मंत्रियों को राष्ट्रपति के प्रसाद (pleasure) पर निर्भर बनाता है वहा अनुच्छेद 75 (3) मंत्रिमण्डल को सयुक्त रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है। वस्तुतः अनुच्छेद 75 (3) राष्ट्रपति की सवधानिक स्थिति में सदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोडता क्याकि उत्तरदायित्व वास्तविक सत्ता की माग करता है और सत्ता के विना कोई उत्तरदायित्व हो नहीं सकता। दूसरे, सविधान राष्ट्रपति को अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं करता। तीसरे, मंत्रिमण्डल एक साथ राष्ट्रपति और लोक सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता। वस्तुतः स्थिति यह है कि मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर हात हुए भी लोक सभा के बहुमत के विश्वास पर निर्भर करता है और जब तक किसी मंत्रिमण्डल को लोक सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है

तक कोई राष्ट्रपति उसे पदच्युत नहीं कर सकता और यदि कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति ऐसा करता है तो वह सवधानिक सभट और महाभियोग का खतरा मोल लेकर ही ऐसा कर सकता है।

यह सत्य है कि संविधान की कोई धारा राष्ट्रपति का मंत्रिमण्डल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं करती परन्तु 'ससदात्मक प्रणाली' का सारा ढांचा ही, और यही प्रणाली भारत में भी अपनाई गयी है, अभिसमयों पर आधारित है। यदि संविधान निर्माता चाहते तो वे इन प्रयासों को भी उपबोधित कर सकते थे परन्तु वे संविधान को इतना लचीला बनाये रखना चाहते थे कि वह समयानुकूल अपने आप को ढाल ले अतः सारे संविधान में अतर्निहित होते हुए भी संविधान निर्माताओं ने इन्हें उपबोधित नहीं किया।

एक परिस्थिति में राष्ट्रपति की स्थिति अत्यंत महत्त्वपूर्ण और कुछ हद तक निर्णायक भी सिद्ध हो सकती है। यह स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब किसी दल को सदन में ठोस बहुमत प्राप्त न हो और यह स्थिति भारत जैसे बहुदलीय देश में सम्भव भी है।¹ लोक सभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में या जब कोई बहुमत दल दलीय फूट या अनुशासनहीनता के कारण किसी नेता को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में सतुलन को अपने पक्ष में कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है जो उसकी इच्छाओं का पालन करे। परन्तु अभी तक ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि केन्द्र में कांग्रेस दल का पूर्ण बहुमत रहा है। बहुत कुछ राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के ऊपर भी निर्भर करता है और उन व्यक्तिगत सम्बन्धों पर भी जो किसी प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के साथ हैं।

पिछले पच्चीस वर्षों का सवधानिक इतिहास राष्ट्रपति के सवधानिक अध्यक्ष होने का प्रमाण है। डा० राजेन्द्र प्रसाद, डा० एस० राधाकृष्णन, डा० जाकिर हुसैन तथा श्री वी० वी० गिरि सभी न सवधानिक अध्यक्ष के रूप में ही कार्य किया। श्री फजरुद्दीन अली अहमद स भी यही आशा की जाती है कि वे सवधानिक अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करेंगे।

उपयुक्त घणन स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति एक सवधानिक अध्यक्ष है। वह सम्मानित और प्रतिष्ठित पद है। वह वास्तविक शक्तियाँ का उपभाग नहीं करता वह अधिनायक नहीं बन सकता।

क्या भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटिश संसद की भाँति गौरवपूर्ण शूय है ?

यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त घणन में स्पष्ट है फिर भी विचारधियाँ

1 यद्यपि केन्द्र में ऐसी कोई स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई परन्तु राज्या में 1967 के चुनावों के बाद ऐसी स्थिति अनेक बार उत्पन्न हुई जिससे राज्यपाल की भूमिका उभर कर सामने आयी।

की सुविधा के लिये उसे यहाँ क्रम से लिख देना उपयोगी होगा। वस्तुतः दोना ससदात्मक प्रणाली के सवधानिक अध्यक्ष होते हुए भी भारतीय राष्ट्रपति को ब्रिटिश सम्राट की भाँति गौरवपूर्ण श्रृंखला, नाममात्र का अधिकारी या मिट्टी के महादेव “शक्तिहीन अधिकारी” “सवधानिक पहचान” आदि की सजा नहीं दी जा सकती। भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भाँति सूचना प्राप्त करने, परामर्श देने, प्रास्तावक देने तथा चेतावनी देने की शक्तियाँ का प्रयोग करने के साथ कुछ ऐसी शक्तियाँ का उपभोग करता है जिसकी ब्रिटिश सम्राट कल्पना नहीं कर सकता। दोना में भिन्नताओं का और भारतीय राष्ट्रपति की विशिष्ट शक्तियों का निम्न रिदुओं द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है—

(i) भारतीय राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश सम्राट की भाँति अभिसमयों द्वारा संचालित नहीं होता। भारतीय संविधान राष्ट्रपति के पद की उत्पत्ति करता है। यह ब्रिटिश की भाँति पट्टक पद नहीं, निर्वाचित पद है। स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होने से उसे अपने निवाचन मण्डल के सदस्यों से भी सम्पर्क बनाये रखने की आवश्यकता होती है। ब्रिटिश सम्राट को किसी निवाचन मण्डल को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं।

(ii) भारतीय संविधान लिखित है और संविधान राष्ट्रपति को केन्द्रीय सरकार की सारी कार्यपालिका शक्तियाँ प्रदान करता है जिनका प्रयोग राष्ट्रपति प्रत्यक्षत स्वयं या अप्रत्यक्षत अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से कर सकता है। दूसरी ओर ब्रिटिश संविधान अलिखित है और ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों का कोई सवधानिक आधार नहीं। यही कारण है कि ब्रिटिश सम्राट भारतीय राष्ट्रपति की तुलना में कम शक्तिशाली है।

(iii) भारतीय राष्ट्रपति एक सघीय राज्य का राज्याध्यक्ष है ब्रिटिश सम्राट की भाँति एकात्मक राज्य का राज्याध्यक्ष नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब कभी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति को कोई ऐसा परामर्श देता है जो सघीय ढाँचे का दुर्बल करता है या संविधान द्वारा प्रदत्त राज्याँ की शक्तियों का समाप्त करता है तो राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल के ऐसे परामर्श को मानने से इन्कार कर सकता है। दूसरी ओर ब्रिटिश सम्राट के पास ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं।

(iv) भारतीय राष्ट्रपति अपने पद की शपथ संविधान की रक्षा और भारतीय जनता की सेवा करने के लिये करता है। इसका अर्थ यह है कि जब कभी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल संविधान की उल्लंघना करता है या नागरिकों के अधिकारों को नष्ट करने और निरकुशता स्थापित करने के लिये परामर्श देता है तो राष्ट्रपति ऐसे परामर्श का मानने में इन्कार कर सकता है। इतना ही नहीं भारतीय राष्ट्रपति विधेयकों का स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है या पुनर्निर्धार के लिये समझौते को वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री से यह मागकर सकता है कि वह एक मंत्री के निर्णय का समूचे मंत्रिमण्डल के समक्ष

करे। दूसरी ओर ब्रिटिश सम्राट ऐसा नहीं कर सकता। उसके सम्बन्ध में तो यह कहावत है कि यदि ससद के माध्यम से मंत्रिमण्डल उसके समक्ष उसी की मृत्यु के आदेश प्रस्तुत करता है तो सम्राट को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं।

(v) भारत में सबकालीन परिस्थितियाँ का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वह अपनी इच्छा से कार्य कर सकता है और मंत्रिमण्डल के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है। दूसरी ओर ब्रिटिश सम्राट के पास ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं।

उपरोक्त बरतन से स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति को ब्रिटिश सम्राट की भाँति गौरवपूर्ण शून्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि संविधान उसे ऐसा क्षेत्र प्रदान करता है जहाँ वह स्वयं कार्य कर सकता है।

उप राष्ट्रपति

(The Vice President)

भारतीय संविधान अनुच्छेद 63 में उप राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था करता है परन्तु भारतीय प्रशासन में उसकी भूमिका तुलनात्मक दृष्टि से प्रायः नगण्य है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उप राष्ट्रपति का पद व्यर्थ है या अनावश्यक है। उसका पद भी, जैसा कि पायली ने लिखा है, 'सम्मान और प्रतिष्ठा का पद है।

उप राष्ट्रपति का निर्वाचन—उप राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 68 (1) में की गयी है। इस अनुच्छेद के अनुसार उप राष्ट्रपति का निर्वाचन अत्यन्त रूप से, गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल प्रणाली के आधार पर एक निर्वाचन मण्डल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन मण्डल में ससद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं।

संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होना निश्चित हुआ था परन्तु सन् 1961 के ग्यारहवें संशोधन द्वारा 'संयुक्त बैठक' की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

उप राष्ट्रपति के निर्वाचन की दो विशेषताएँ हैं जो उसके निर्वाचन को राष्ट्रपति के निर्वाचन से भिन्न करती हैं। प्रथम उप राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभ के एक-दो अर्थात् राज्य विधान सभाओं का कोई हाथ नहीं और दूसरे उप राष्ट्रपति के निर्वाचन में ससद के दोनों सदनों के सभी सदस्य अर्थात् निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं।

उप राष्ट्रपति पद के लिये योग्यताएँ—वाँई भी व्यक्ति उप राष्ट्रपति पद के लिये तभी प्रत्याशी बन सकता है जब उसके पास निम्न योग्यताएँ हों—

- (i) वह भारत का नागरिक हो
- (ii) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
- (iii) वह राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होना की योग्यता रखता हो,

(iv) वह सघ सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर विद्यमान न हो,

(v) वह ससद या किसी राज्य विधान सभा के किसी सदन का सदस्य न हो। यदि कोई ससद सदस्य या राज्य विधान सभा का कोई सदस्य उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उसकी सदस्यता उस समय से समाप्त समझी जाती है जिस समय से वह उप राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। उप-राष्ट्रपति दोनों पदों को (सदन की सदस्यता और उपराष्ट्रपति के पद को) एक साथ नहीं रख सकता। उप राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित होने के लिये भ्रष्ट आरोपों की जांच, जिसे पराजित प्रत्याशी या निर्वाचक मण्डल के कोई 10 सदस्य सयुक्त याचिका में प्रस्तुत कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है।

कायकाल—उप राष्ट्रपति के पद का कायकाल 5 वर्ष है। संविधान इस बात पर शांत है कि क्या राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिये प्रत्याशी बन सकता है या नहीं। परंतु डा० एस० राधाकृष्णन दोबारा उप राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित हुए थे। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रथा का अनुसरण किया जा सकता है।

उप राष्ट्रपति समय में पूर्व अपनी स्वेच्छा से अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। उसे समय से पूर्व राज्य सभा के प्रस्ताव द्वारा जिसे राज्य सभा के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित किया गया हो और जिसे लोक सभा ने स्वीकार कर लिया हो, पदच्युत किया जा सकता है। परंतु इस प्रकार का प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस पर ही पारित किया जा सकता है।

संविधान इस बात के लिये कोई समय निर्धारित नहीं करता कि यदि उप-राष्ट्रपति के पद त्याग से या पदच्युति से पद रिक्त हो जाय तो उसकी पूर्ति के लिये कब निर्वाचन कराया जायें। संविधान केवल इस बात की व्यवस्था करता है कि पद रिक्त होने की दशा में 'जितना शीघ्र हो' (as soon as possible) निर्वाचन कराया जायें।

वेतन—उप राष्ट्रपति का उप राष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता। उसे राज्य सभा के पदेन (Ex-officio) अध्यक्ष होने के नाते 2,500 रु० प्रति माह वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं।

उप राष्ट्रपति की शक्तियां व काय—यद्यपि पूर्वता क्रम (Order of Precedence) में उप-राष्ट्रपति का स्थान दूसरे नम्बर पर है, अर्थात् राष्ट्रपति के बाद उसका स्थान है, परंतु फिर भी संविधान उसे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपता। उप-राष्ट्रपति के कार्यों का निम्न दो भागों में बाटा जा सकता है—

(i) प्रथम प्रकार के उसके कार्य तब उत्पन्न होते हैं जब राष्ट्रपति पद मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति या बीमारी, विदेश यात्रा या अन्य किसी कारण से लम्बी अनुपस्थिति के कारण रिक्त होता है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर अधिवक्ता से अधिवक्ता 6 महीने तक स्थानापन्न के रूप में काय (officiate) कर सकता है। भारतीय

संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर छ महीने के अंदर नव राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि इस स्थिति में भारतीय उपराष्ट्रपति की स्थिति अमरीकी उपराष्ट्रपति से दुबल एवं महत्वहीन है क्योंकि जहाँ अमरीकी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर शेष अवधि के लिये राष्ट्रपति के पद का भार सम्भालता है वहाँ भारतीय उपराष्ट्रपति को अधिक से अधिक 6 महीने तक सम्भाल सकता है। स्पष्ट है कि जहाँ अमरीकी उप राष्ट्रपति का पद कुछ समर्थता (potentiality) रखता है वहाँ भारतीय उप राष्ट्रपति का पद कम समर्थता का है। भारतीय उप राष्ट्रपति अंतरिम काल के लिये अंतरिम व्यवस्था है। (interim arrangement for interim period)।

भारत में इस प्रकार के अनक उदाहरण हैं जब उप-राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद पर स्थानापन्न के रूप में कार्य (officiate) किया। उदाहरणतया जून 1960 में डा० राजेन्द्र प्रसाद की अनुपस्थिति में डा० एस राधाकृष्णन ने कार्य किया, फिर जुलाई 1961 में उन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। इसी प्रकार बी० वी० गिरि ने डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु पर राष्ट्रपति पद के लिये कार्य किया। जब उप राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह उप-राष्ट्रपति के कार्यों को सम्पन्न नहीं करता और उसे राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते तथा उमुक्तिया प्राप्त होती हैं जो निर्वाचित राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं।

(ii) दूसरी प्रकार के उसके कार्य पदेन (ex officio) उत्पन्न होते हैं अर्थात् उप राष्ट्रपति होने के नाते वह राज्य सभा का प्रधान अधिकारी अर्थात् सभापति (Presiding officer or Chairman) होता है और इस रूप में वह सारे कार्य करता है जो सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। उप राष्ट्रपति को राज्य सभा का सभापति होने के रूप में ही 2,500 रु० मासिक वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं।

उपरोक्त दोनों कार्यों के अतिरिक्त उप राष्ट्रपति से यह आशा की जाती है कि वह राष्ट्रपति के उन कार्यों में सहयोग देगा जिन पर राष्ट्रपति उसमें सहयोग की अपेक्षा करता है।

उप राष्ट्रपति के निर्वाचन और कार्यों में अस्पष्टताएँ एवं श्रुटियाँ—उप राष्ट्रपति के निर्वाचन और कार्यों में कुछ अस्पष्टताएँ और श्रुटियाँ पायी जाती हैं जिन्हें निम्न विदुषा द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है—

(i) उप राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभ के एक-दो या कोई भाग नहीं यह स्थिति उस समय अधिक अंगरूठी है जब उप राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर स्थानापन्न के रूप में कार्य (officiate) करता है।

(ii) यह सत्य है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सदन के दोना सदन भाग लेते हैं परंतु यहाँ भी लोच सभा की इच्छा अधिक प्रभावपूर्ण और निर्णायक होती है क्योंकि लाक्षणिक सदन की सख्या राज्य सभा के सदस्यों की सख्या से दुगुनी

से भी अधिक है। दूसरे शब्दों में राज्य सभा को अपना अध्यक्ष चुनने का भी पूरा अधिकार नहीं। यह राज्य सभा की निम्न स्थिति को अभिव्यक्त करता है।

(iii) उप-राष्ट्रपति को पदच्युत करने की विधि प्रायः सरल है। उसकी पदच्युति के लिए राज्य सभा के कुल सदस्यों के पूरा बहुमत से पारित प्रस्ताव, जिस पर लोक सभा सहमत हो, और 14 दिन के नोटिस की आवश्यकता है।

(iv) राज्य सभा को अपने सभापति चुनने के लोकतांत्रिक अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है क्योंकि उप राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन (ex officio) सभापति होता है।

(v) उप राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रायः नगण्य हैं। उसे "फालतू महाराज" (His Superfluous Highness) की संज्ञा दी जाती है।

क्या भारतीय उपराष्ट्रपति का पद फालतू है ?

क्योंकि भारतीय उप-राष्ट्रपति की शक्तियाँ और काय प्रायः नगण्य हैं अतः कुछ आलोचकों का कहना है कि उप राष्ट्रपति का पद फालतू है। उनका कहना है कि इसमें या तो सुधार होना चाहिए या इस समाप्त कर देना चाहिए। हरिमोहन जन का मत है कि उप राष्ट्रपति के पद की शक्तियों और कार्यों को संविधान के पत्रों में ढूँढना व्यर्थ है क्योंकि उसकी कोई शक्ति नहीं है। वह पूरातया सत्ताविहीन (non entity) है। उसके कोई अपने काय नहीं। वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष है। संविधान के प्रतिष्ठित भाग के रूप में वह राष्ट्रपति द्वारा आच्छादित (over shadowed) है। इसलिए वह नागरिकों की दिलचस्पी और आकर्षण का केन्द्र नहीं।¹

यद्यपि आलोचकों के उपर्युक्त कथन में कुछ सत्य की माना हो सकती है परन्तु यह कहना गलत होगा कि उपराष्ट्रपति का पद पूरातया व्यर्थ (superfluous) है और उसे या तो अधिक शक्तियों से विभूषित करना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए। वस्तुतः उप राष्ट्रपति का पद भी प्रतिष्ठा और सम्मान का पद है और उसके द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण एवं लाभकारी कार्य सम्पन्न किये जाते हैं जिन्हें निम्न विद्वानों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। उप राष्ट्रपति के ये कार्य ही उसकी उपयोगिता और प्रतिष्ठा को स्पष्ट करते हैं—

(i) उप राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति उत्तराधिकार (Presidential succession) की समस्या का समाधान करता है अर्थात् किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो वह उसकी तत्काल पूर्ति करता है।

(ii) उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों में एक सहायक के रूप में कार्य करता है। इससे जहाँ उप-राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के कार्यों की कुछ भूलक प्राप्त होती है जा भविष्य में उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है वहाँ वह राष्ट्रपति के कार्यों

में सहायता कर उसकी काय कुशलता में वृद्धि करता है। वस्तुतः उप-राष्ट्रपति का पद भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए एक प्रशिक्षण पद के रूप में लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

(iii) उप-राष्ट्रपति का पद क्षेत्रीय सन्तुलन को बनाये रखने में सहायक है। अर्थात् यदि राष्ट्रपति उत्तर भारत से है तो उपराष्ट्रपति को दक्षिणी भाग से लेकर क्षेत्रीय सन्तुलन को बनाय रखा जा सकता है।

स्वतन्त्र राष्ट्रपति का सिद्धांत

(The Doctrine of Independent President)

संसदारी शासन प्रणाली के अंतर्गत स्वतंत्र कायपालिका अध्यक्ष की कल्पना करना सर्वप्रधानिक संकटा को निमंत्रण देना है परन्तु फिर भी भारत में पिछले कुछ वर्षों से स्वतंत्र राष्ट्रपति (कायपालिका अध्यक्ष) का प्रश्न अत्यधिक चर्चा का विषय रहा है। स्वतंत्र राष्ट्रपति का सिद्धांत तीन मायताओं पर आधारित है जो निम्न हैं—

(i) मविधान निर्माता राष्ट्रपति को ब्रिटिश सम्राट की भांति "शक्तिहीन पदाधिकारी" या "नाम मात्र" का पदाधिकारी, या "स्वर्णिम शूय" या "मिट्टी का महादेव" नहीं बनाना चाहते थे।

(ii) संविधान की कोई भी धारा राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं करती।

(iii) यद्यपि मविधान इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं करता फिर भी राष्ट्रपति के पास बायों का ऐसा बोर्ड क्षेत्र है जैसे दल के नेतृत्व से च्युत प्रधान मन्त्री को पदच्युत करना मसद के बहुमत के विश्वास से गिरे हुए मन्त्रिपरिषद् को पदच्युत करना आदि, जहाँ वह अपने विवक्षाधिकार का प्रयोग कर सकता है।

भारत में स्वतंत्र राष्ट्रपति के सिद्धांत को बल देने वाले अनेक तत्त्व भी विद्यमान रह हैं जिन्हें निम्न शीषका के अंतर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है—

(i) संविधान सभा में अभिव्यक्त की गई शर्तों—जो लेखक स्वतंत्र राष्ट्रपति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं उनका कहना है कि, संविधान सभा में ही ये विचार व्यक्त किये गये थे कि मविधान की कोई धारा राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं करती अतः यह स्वतंत्र रूप में काय कर सकता है। एक सदस्य ने तो मन्त्रिपरिषद्, शक्तियों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि वे "उम भरी हुई यन्त्रों के समान हैं जिन्का प्रयोग किसी समय किया जा सकता है।" अर्थात् इन शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है।

(ii) डा० राजेन्द्रप्रसाद का ध्यतथ्य—स्वतंत्र राष्ट्रपति के सिद्धांत में वस्तुतः प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के 'उत्त यत्थ्य म जम लिया जा उहेनि

28 नवम्बर, 1959 को भारतीय कानून सस्था (Indian Law Institute) की आचारशिक्षा रखते समय दिया था जिममें उन्होंने कहा था कि संविधान की कोई धारा राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद् के परामर्श को मानने के लिये बाध्य नहीं करती। इतना ही नहीं, उन्होंने विधि वताओं का सम्बोधित करते हुए यह भी कहा था कि वे 'इस बात का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करें कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यों का क्या क्षेत्र है?' परन्तु प्रधान मंत्री नेहरू ने राष्ट्रपति के इस वक्तव्य का 'अर्चि'त' (Casual) कह कर टाल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष है।

(iii) मुशी सिद्धांत—के० एम० मुशी की रचना "भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति (The President under the Indian Constitution, 1963) न भी स्वतंत्र राष्ट्रपति के विचार को अत्यधिक बल दिया। इस रचना में मुशी ने जिन तर्कों का आचार पर स्वतंत्र राष्ट्रपति के सिद्धांत का समर्थन किया उनमें प्रमुख निम्न हैं —

(a) राष्ट्रपति की शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् के नियंत्रण से परे हैं (Supra ministerial) तथा उनके निष्पादन के लिये वह उसके परामर्श का मानने के लिये बाध्य नहीं।

(b) संविधान राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वह मंत्रिपरिषद् से स्वतंत्र हाकर कार्य कर जैसे अनुच्छेद 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधान मंत्री से सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है, किसी मंत्री के नियुक्ति का समूचे मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, आदि।

(c) राष्ट्रपति अपने पद की शपथ ग्रहण करते समय संविधान की रक्षा और जनता के हितों की संरक्षण की शपथ लेता है।

(d) कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(e) राष्ट्रपति के अपने उत्तरदायित्व हैं जिनके लिये उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, आदि।

उक्त रचना में मुशीजी ने इन विचारों को भी व्यक्त किया कि "संविधान निमाताओं ने राष्ट्रपति को 'फ्रे च राष्ट्रपति की भाँति केवल नाम मात्र का अधिकारी नहीं बताया।"

(iv) 'राष्ट्रीय मतव्यता (National Consensus)—राष्ट्रपति पद के लिये राष्ट्रीय मतव्यता के विचार ने भी स्वतंत्र राष्ट्रपति के सिद्धांत का बल दिया। राष्ट्रीय मतव्यता का सिद्धांत 1967 में उत्पन्न हुआ जब चौथे चुनाव में अनेक राज्यों में कांग्रेस का सत्ता पर एकाधिकार समाप्त हो गया और केन्द्र में भी उसे बहुत अल्प बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि कांग्रेस ने डा० जाकिर हुसैन के लिये राष्ट्रीय मतव्यता प्राप्त करने की कोशिश की परन्तु प्रतिपक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को अपन प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। प्रतिपक्ष का मत

था कि परिवर्तित राजनीतिक स्थिति में राष्ट्रपति पद के लिये स्वतन्त्र रूप में कार्य करना आवश्यक है। प्रतिपक्ष का मत था कि स्वतन्त्र राष्ट्रपति ही दल से ऊपर उठ कर कार्य कर सकता है और सचिवान तथा सचीय राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा कर सकता है। परन्तु राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी डा० जाकिर हुसैन का विजय हुई और स्वतन्त्र राष्ट्रपति का विचार विच्छेद गया।

(१) अन्त आत्मा का सिद्धांत—डा० जाकिर हुसैन की 3 मई, 1969 में मृत्यु हो जाने से स्वतन्त्र राष्ट्रपति का प्रश्न फिर मशिय हो गया। इस समय कांग्रेस स्वयं बुरी तरह विभक्त थी। कांग्रेस ने प्रत्याशी नीलम सजीवा रेड्डी थे। इसके प्रतिद्वंदी मुख्यतया श्री वी० वी० गिरि थे जो निदलीय प्रत्याशी थे। इनके अतिरिक्त 13 प्रत्याशी आर थे। इस निर्वाचन की विशेषता यह थी कि प्रत्येक प्रत्याशी ने राष्ट्रपति की शक्तियाँ और स्थिति के सम्बन्ध में 'निजी घोषणा पत्र' (personal manifesto) निकाला। सजीवा रेड्डी 'संवधानिक अध्यक्ष' के पक्ष में थे वी० वी० गिरि 'निदलीय' रहने के पक्ष में थे आदि। कांग्रेस में उग्र भेद होने के कारण और कांग्रेसी उम्मीदवार से तनाव की सम्भावना को अनुभव करते हुए इंदिरा गांधी तथा उसके साथियों ने अन्त आत्मा के सिद्धांत के आधार पर वी० वी० गिरि का समर्थन किया। अन्त संवधानिक इतिहास में पहली बार एक निदलीय राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित हुआ। यद्यपि श्री वी० वी० गिरि निदलीय रहने के पक्ष में थे परन्तु उनका व्यवहार पूरातया संवधानिक रहा।

उपरोक्त बरण से स्पष्ट है कि स्वतन्त्र राष्ट्रपति का सिद्धांत आज भी बौद्धिक विचारणा का प्रश्न बना हुआ है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी० वी० मुकर्जी का ता यह मत है कि भारतीय राष्ट्रपति का पद एक स्वतन्त्र सत्ता है जिसकी स्वतन्त्र सत्ता है और स्वतन्त्र कार्य हैं।¹

स्वतन्त्र राष्ट्रपति के विचार के विद्यमान होने के बाद भी इसकी कल्पना भयानक है, यह संवधानिक मकदो को जन्म देने जाता है इसकी कल्पना ससदात्मक प्रणाली और समुक्त उत्तरदायित्व की कल्पना पर ही की जा सकती है। जैसा कि पी० हृदय नाथ मुजुमदार ने कहा था कि इस सिद्धांत की स्वीकृति का अर्थ है 'उत्तरदायी सरकार की समाप्ति'।² वस्तुतः कोई भी मंत्रिपरिषद दो स्वामिया (राष्ट्रपति और ससद) की सेवा नहीं कर सकती।

स्वतन्त्र राष्ट्रपति का सिद्धांत संवधानिक मकदो को जन्म दे सकता है

- 1 The Indian President is an independent institution with independent authority and independent functions Mukerji P B The Critical problems of the Indian Constitution p p 45-46
- 2 The Statesman (New Delhi) May 2 1967 Quoted by Johari J C Ibid, p 246

राष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा और गौरव को क्षति पहुँचा सकता है तथा महाभियोग को निमंत्रण दे सकता है तथा सैमांगिक सशोधन को निमंत्रण देकर राष्ट्रपति को वाञ्छित स्थान प्रदाता कर सकता है। कोई भी राष्ट्रपति स्वतंत्र राष्ट्रपति की कल्पना अपने लिये राजनीतिक खतरा को निमंत्रण देकर ही कर सकता है।

परन्तु उपयुक्त कारण से यह अर्थ भी नहीं लिया जाना चाहिये कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के हाथों में एक "यंत्र" (tool) है जिसकी कोई सक्रिय या रचनात्मक भूमिका नहीं। कोई भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मंत्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है। वह परामर्श दे सकता है, चेतावनी दे सकता है परन्तु मंत्रिपरिषद के निर्णयों में बाधा प्रस्तुत नहीं कर सकता। उसकी भूमिका न तो "निष्क्रिय अनुमति की देन आनामक चेष्टा की। उसकी भूमिका तो सामाज्य और कुशाग्र सहयोग की होनी चाहिये।"¹

समीक्षा प्रश्न

(Review Questions)

- 1 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या पद्धति है ? इसे समय से पूर्व अपने पद से कैसे पदच्युत किया जा सकता है ?
- 2 राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यों और स्थिति का वर्णन कीजिये।
- 3 राष्ट्रपति की साधारण और असाधारण शक्तियों में क्या अंतर है ? क्या राष्ट्रपति असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर अविनायक बन सकता है ?
- 4 भारत के राष्ट्रपति का सङ्घीय शक्तियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।
- 5 'राष्ट्रपति का प्रभाव का है, शक्ति का नहीं।' इस कथन के सन्दर्भ में राष्ट्रपति की स्थिति का वर्णन कीजिये।
- 6 राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है उस पर शासन नहीं।' (डा० अम्बेदकर) समीक्षा कीजिये।
- 7 भारत के उच्च राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है ? उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या हैं ?
- 8 'उच्च राष्ट्रपति का पद निरर्थक है' क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? यदि नहीं तो उपराष्ट्रपति के पद की उपयोगिता का वर्णन कीजिये।

मन्त्रि-परिषद् एव प्रधान मन्त्री

(The Council of Ministers and the Prime Minister)

परिचय (Introduction)

संसदात्मक शासन प्रणाली में मन्त्रि परिषद् की भूमिका और महत्व स्वतः सिद्ध है। जो शक्तिय सचिवान राष्ट्रपति को सौंपता है उनका वास्तविक प्रयोग प्रधानमन्त्री के नतृत्व में मन्त्रि परिषद् ही करती है। इस तरह मन्त्रि परिषद् का प्रशासन में प्रमुख स्थान है। जो उपमायें ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के लिये प्रयोग में लायी जाती हैं उनका प्रयोग भारतीय मन्त्रिमण्डल के लिये भी किया जा सकता है। वाकर ने मन्त्रिमण्डल को "नीति का चुम्बक" कहा है वेजहाट के लिए मन्त्रिमण्डल "एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बक्सुआ है जो कायपालिका तथा व्यवस्थापिका को जकड़ देता है। इसे ठीक ही "शासन व्यवस्था का केन्द्रीय तथ्य तथा सचिवान की आभा" कहा गया है। लावेल इंग राजनीतिक वक्तव्य के मेहराब के बीच का पत्थर' कहता है, मरियट इसे ऐसी बुरी मानता है जिसपर प्रशासन चक्र घूमता है, मुनरो के लिए यह राज्य का जहाज का परिचालक चक्र है, एमरी के लिये यह 'सरकार का केन्द्रीय निर्देशक यंत्र' है। मन्त्रिमण्डल ही सारी शासन प्रणाली को एकता पदान करता है तथा आवश्यक निर्देशन और मागदशन भी करता है।

मन्त्रि परिषद् एव मन्त्रिमण्डल

(The Council of Ministers and the Cabinet)

मन्त्रिपरिषद् और मन्त्रिमण्डल शब्दों को यद्यपि अतदलीय शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है परन्तु वस्तुतः इन दोनों में अन्तर्गत अन्तर पाये जाते हैं। ये अन्तर मुख्यतया निम्न हैं —

1 भारतीय सचिवान अनुच्छेद 74 (1) में मन्त्रिपरिषद् शब्द का प्रयोग करता है मन्त्रिमण्डल का नहीं। इसका अर्थ यह है कि भारत में जहाँ मन्त्रिपरिषद् एक संवधानिक संस्था है वहाँ मन्त्रिमण्डल अभिसमय की उत्पत्ति है। इसका कोई संवधानिक आधार नहीं।

2 मन्त्रि परिषद् एक बहत (विशाल) संस्था है। इसके सदस्यों की संख्या 50 60 के लगभग है। इसमें सभी प्रकार के छोटे बड़े मन्त्री सम्मिलित हैं जस

मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इसमें सम्मिलित हैं। इन तीन श्रेणियों के अतिरिक्त मंत्र परिषद में एक ससदीय सचिवा की जमात है। इनका कार्य मंत्रियों की अनुपस्थिति में सदना में मंत्रियों का प्रतिनिधित्व करना है। ये मंत्रियों की अनुपस्थिति में प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। दूसरी ओर मंत्रिमण्डल एक छोटी संस्था है जिसमें प्रायः 20-22 सदस्य होते हैं। इसमें केवल मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री होते हैं। दूसरे शब्दों में जहाँ मंत्र परिषद में मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री सम्मिलित होते हैं वहाँ मंत्रिमण्डल में राज्य मंत्री और उप मंत्री सम्मिलित नहीं होते।

3 मंत्र परिषद और मंत्रिमण्डल की स्थिति और महत्त्व में भी अंतर है। जहाँ मंत्रिमण्डल प्रशासन का केन्द्र है वहाँ मंत्र परिषद उसकी सहायक है। मंत्रिमण्डल ही राष्ट्रीय नीतियाँ को निर्धारित करता है, उच्च पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ करता है, विभागीय विवादों को निपटाने का प्रयत्न करता है तथा विभागों में सहयोग और समन्वय स्थापित करता है। मंत्रिमण्डल में ही ज्येष्ठ और प्रमुख मंत्री होते हैं जिन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक योग्यता तथा सावजनिक प्रतिष्ठा का आधार पर मंत्रिमण्डल में नियुक्त किया जाता है।

मंत्रिमण्डल के मंत्री विभागाध्यक्ष होते हैं। मंत्रियों के अधीन आने वाले प्रमुख विभाग हैं, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सुरक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय आदि। मंत्रिमण्डल का अपना एक मंत्रिमण्डलीय सचिवालय (Cabinet Secretariat) है जिसके सचिव को मंत्रिमण्डलीय सचिव कहा जाता है।

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संयुक्त बैठकें होती हैं उसके सदस्य सामूहिक रूप से विचार-विमर्श करते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर, मंत्र परिषद के सदस्यों की संयुक्त बैठकें नहीं होती, वे सामूहिक विचार-विमर्श नहीं करते। वे अपने विभागों से सम्बन्ध रखते हैं और उन्हीं के पार में साक्षर और निर्णय लेते हैं। मंत्रिमण्डल की बैठक में वे मंत्री अवश्य हिस्सा लेते हैं जिन्हें विभागरहित मंत्री (Minister without portfolio) कहा जाता है। राज्य मंत्री भी मंत्रिमण्डल की बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं परंतु यह तभी होता है जब उन्हें इसके लिये विशेष नियुक्ति दी जाती है। राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र विभागों का कार्यभार हो सकता है परंतु उपमंत्रियों को पास कोई स्वतंत्र विभाग नहीं होता। वे तब मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं।

मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतनों में भी भिन्नता है। प्रत्येक मंत्री का 2,250 रु० मासिक वेतन तथा 500 रु० भत्ता मिलता है प्रत्येक राज्य मंत्री को 2,250 रु० मासिक वेतन ही प्राप्त होता है। यह भत्ता प्राप्त नहीं होता। उप मंत्रियों को 1,750 रु० मासिक वेतन ही मिलता है।

भारतीय मन्त्र परिषद् की विशेषतायें

भारतीय मन्त्र परिषद् की कुछ अपनी विशेषतायें हैं जिन्हें निम्न विदुषा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है —

1 **संवैधानिक अध्यक्ष (Constitutional head)** मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली की सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसका वायपानिका अध्यक्ष केवल संवैधानिक (नाम मान का) अध्यक्ष होता है। यद्यपि संविधान सभ की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में निहित करती हैं परन्तु उनका वास्तविक प्रयोग मन्त्र परिषद् ही करती है। भारतीय मन्त्र-परिषद् की एक विशेषता यह है कि जहाँ ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल अभिसमय की उत्पत्ति है वहाँ भारत में मन्त्र परिषद् संविधान द्वारा स्थापित संस्था है जिसका वाय राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सहयोग करना है। वस्तुतः मन्त्रिमण्डल नियुक्त होता है और राष्ट्रपति सहायता और सहयोग करता है।

2 **राजनीतिक सहजातीयता (Political homogeneity)**—मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली की सरकार की दूसरी विशेषता यह है कि इसके सभी सदस्य एक ही दल से सम्बन्ध रखते हैं उनके समान राजनीतिक विचार होते हैं और वे सावजनिक नीतियाँ पर मुरयतया सहमत होते हैं। मन्त्रिमण्डल की बैठक में मन्त्री अपने विचारों को स्वतन्त्र रूप में प्रकट कर सकते हैं परन्तु एक बार नियुक्त होने के बाद वे सावजनिक मंच पर एक ही विचार प्रकट करते हैं। भारत में प्रारम्भ में यद्यपि नेहरूजी ने अपने मन्त्रिमण्डल में भिन्न भिन्न दलों के सदस्यों को लिया था परन्तु यह व्यवस्था बहुत देर तक नहीं चली और एक एक करके दूसरे दलों के सदस्यों ने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। इस तरह भारत में भी अब देश की मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली की भाँति अब राजनीतिक सहजातीयता पर बल दिया जाता है और मन्त्रिमण्डल में एक ही दल के सदस्यों को लिया जाता है।

3 **सामूहिक उत्तरदायित्व**—मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली की तीसरी विशेषता यह होती है कि मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य एक साथ डूबते और एक साथ उठते हैं। एक सबके लिए होता है और सब एक के लिये होते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान मन्त्रिमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 75 (3) में करता है परन्तु इस परम्परा का विकास भारत में नहीं किया गया। उदाहरणतया 1962 में चीनी आक्रमण के समय जब संसद में रक्षा विभाग की अत्यन्त निंदा की गयी तो केवल कृष्णा मेनन ने (जो उस समय रक्षा मंत्री थे) त्यागपत्र दे दिया और

1 नेहरूजी ने जिन प्रमुख गैर कांग्रेसी सदस्यों का अपने मन्त्रिमण्डल में शामिल किया उनमें प्रमुख थे समुरय चेट्टी डा० बी गार अम्बेदकर, डा० एस पी मुखर्जी, सी डी देशमुख, एम सी छागना, जॉन मेथार्ट आदि।

सारे मंत्रिमण्डल ने अपने सामूहिक उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं किया। भारतीय ससद मंत्रियों में प्रश्न अवश्य पूछती है, पूरक प्रश्न भी किये जाते हैं और निम्न प्रस्ताव, काम रोकने प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव और अधिवेशन के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये जाते हैं परन्तु एक दल के पूर्ण प्रभुत्व के कारण मंत्रिमण्डल का लोक सभा के प्रति उत्तरदायित्व नगण्य है। इतना ही नहीं भारत में तो मंत्रिमण्डल ने अनेक बार जन इच्छा की उपेक्षा भी की है समद की उपेक्षा की है। उदाहरणतया ससद के अधिवेशन के दौरान या ससद के अधिवेशन शुरू होने के एक दो दिन पूर्व ही अध्यादेश को जारी किया गया है।

4 कायपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ सम्बन्ध—मंत्रिमण्डलीय प्रणाली की सरकार की एक विशेषता यह होती है कि कायपालिका व्यवस्थापिका से ली जाती है अर्थात् कायपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका से किया जाता है और कार्यपालिका के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। इस कारण ही कायपालिका और व्यवस्थापिका में मतभेद या गतिरोध की सम्भावना नहीं होती जिस प्रकार की अध्यात्मिक सरकार में होने की सम्भावना होती है। मंत्रिमण्डल के सदस्य ही व्यवस्थापिका में विधेयकों को प्रस्तुत करते हैं तथा बहुमत के आधार पर उन्हें पास कराते हैं। इस तरह ससदीय सरकार में कानून निर्माण करने वाली और कानून लागू करने वाली संस्थाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहता है। भारत में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य यद्यपि ससद के सदस्य होते हैं परन्तु भारतीय संविधान अनुच्छेद 75 (5) में इस बात की भी व्यवस्था करता है कि छ महीने तक कोई व्यक्ति ससद का सदस्य बने बिना भी मंत्रिमण्डल का सदस्य रह सकता है अर्थात् निर्वाचित हुए बिना भी कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। दूसरे भारतीय संविधान इस बात की व्यवस्था नहीं करता कि प्रधान मंत्री अवश्य ही लोक सभा का सदस्य हो, वह राज्य सभा का भी सदस्य हो सकता है। वस्तुतः वर्तमान प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) को जून 1966 में पहली बार प्रधान मंत्री बनाया गया था तो वे राज्य सभा की सदस्य थीं।

5 प्रधान मंत्री का नेतृत्व—मंत्रिमण्डलीय प्रणाली की सरकार की एक विशेषता यह है कि यह प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है और राज्याध्यक्ष केवल नाम मात्र का अधिकारी होता है। मंत्रियों की नियुक्ति, विमुक्ति परिवर्तन या अदला बदली का कार्य प्रधान मंत्री ही करता है। प्रधान मंत्री ही मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसके कार्यक्रम को निर्धारित करता है, मंत्रियों में विभागों को वितरित करता है तथा विभागों में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निपटारा करता है। भारत में भी प्रधान मंत्री ये सब कार्य करता है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से भारतीय प्रधान मंत्री की शक्तियाँ मन्त्रिमण्डल के विस्तार हुआ है कि प्रधान मंत्री के पद का राष्ट्रपतिकरण हो गया है। मंत्रिमण्डल के सदस्य ~

अभिकर्ता मात्र बन कर रह गये है और उसकी इच्छा मंत्रिमण्डल और दल की इच्छा है। आदि।

6 गोपनीयता—मंत्रिमण्डलाय प्रणाली की सरकार की एक विशेषता यह है कि इसकी कायदाहियों को गोपनीय रखा जाता है। जहाँ इसमें, एक ओर, मंत्रियों में एकता के भावों को उत्पन्न किया जाता है वहाँ दूसरी ओर मंत्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावों को उत्पन्न किया जाता है। भारतीय मंत्रिमण्डल अनुच्छेद 75 (4) में मंत्रिमण्डल के कार्यों की गोपनीयता की व्यवस्था करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को पद की शपथ दिलाते समय उसे पद की गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कोई मंत्री अपने त्यागपत्र के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। मंत्री यद्यपि गोपनीयता का बनाये रखने के लिये कटिबद्ध हैं परन्तु वे अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण कर सकते हैं अर्थात् मंत्रिमण्डल या प्रधान मंत्री से अपने भेदों का उल्लेख कर सकते हैं। वस्तुतः सी० डी० देशमुख, के० डी० मालवीय, टी० टी० कृष्णामाचारी ने त्यागपत्र के समय अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। हाल ही में मोहन धारिया ने मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र देते समय अपनी स्थिति का स्पष्ट किया।

मंत्र परिषद की रचना

भारतीय संविधान अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्र परिषद की रचना का व्यवस्था करता है। जहाँ अनुच्छेद 74 इस बात की व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति के कार्य में सहायता और सहयोग के लिये प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी वहाँ अनुच्छेद 75 इस बात की व्यवस्था करता है कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जायगी। यद्यपि औपचारिक रूप में प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है परन्तु यहाँ राष्ट्रपति अपनी मनमानी नहीं कर सकता। वह उस व्यक्ति को प्रधान मंत्री पद पर नियुक्त करने के लिये वांच्य है जिसके दल का बहुमत लोक सभा में है। केवल एक स्थिति में राष्ट्रपति अपनी इच्छा या विचार से कार्य कर सकता है जब लोक सभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत न हो या बहुमत दल इतना विघटित हो कि वह किसी नेता का प्रस्तुत करने में असमर्थ हो। परन्तु इस स्थिति में भी राष्ट्रपति केवल उस व्यक्ति का प्रधान मंत्री पद पर नियुक्त करवा जा लोक सभा में बहुमत का अपने साथ ले जान में सफल हो सकता है क्योंकि प्रधान मंत्री राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर निर्भर करते हुए भी लोक सभा के बहुमत पर निर्भर करता है और उसके बहुमत पर ही वह अपने पद पर बना रह सकता है।

अनुच्छेद 75 (1) में अनुसार राष्ट्रपति प्रधान मंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है परन्तु यहाँ भी प्रधान मंत्री पूर्ण स्वतंत्र नहीं। उस अपने दल के प्रमुख सदस्यों का मंत्रिमण्डल में लाना पड़ता है। ये मंत्री प्रधानमंत्री की

इच्छा पर निर्भर नहीं करते बल्कि अपनी योग्यता, प्रशामनिक कुशलता और सावजनिक रयाति के कारण वे मन्त्री पद पर विद्यमान होते हैं। दूसरे प्रधान मन्त्री को मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करते समय अनक वर्गा, हितो, भौगोलिक क्षेत्रा आदि के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान देना पडता है। यह सत्य है कि प्रवान मन्त्री किसी व्यक्ति को मन्त्रिमण्डल में बाहर निकाल सकता है और किसी को मन्त्रपद से लाभान्वित कर सकता है और राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करता परन्तु यदि कोई प्रवान मन्त्री उपयुक्त तरका की उपेक्षा करता है तो उसका मन्त्रिमण्डल टिकाऊ नहीं हो सकता।

मंत्रियों की नियुक्तियों के सम्प्रध में भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि भारत में कोई व्यक्ति ससद या सदस्य हुए बिना 6 महीने तक मन्त्रपद पर ही रह सकता है (अनुच्छेद 75 (5))

औपचारिक रूप से मंत्रियों में विभागा का वितरण राष्ट्रपति करता है परन्तु व्यवहार में यह बाय प्रधान मन्त्री का है। राष्ट्रपति न तो मन्त्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता करता है, न उसके वायक्रम को निर्धारित करता है। प्रधान मन्त्री ही मन्त्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा मंत्रियों में विभागों को वितरित करता है तथा उनमें समन्वय बनाये रगता है।

अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को एक अधिकार अवश्य सौपता है। वह यह कि वह प्रवान मन्त्री से सूचनायें प्राप्त कर सकता है। प्रवान मन्त्री का यह सन्धानिक कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल के निराया से अवगत कराये। राष्ट्रपति चाहता प्रधान मन्त्री से यह कह सकता है कि किसी अनुक मन्त्री के निराय को समूचे मन्त्रिमण्डल के समक्ष विचार के लिय प्रस्तुत कर।

मन्त्रिमण्डल के कार्य

मन्त्रिमण्डल के कार्यों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है जो निम्न प्रकार से हैं —

1 राष्ट्रीय नीतियों का निर्माता—मन्त्रिमण्डल का सत्र प्रमुख बाय यह है कि वह राष्ट्र कि गृह और विदेश नीतिया का निमाण करता है। अपने आर्थिक और सामाजिक वायक्रमा को कार्यान्वित करने के लिय सामाजिक और आर्थिक नाति को निर्धारित करता है। इन सब उद्देश्या की पूर्ति के लिय वह त्रिधि निमाण के क्षेत्र में ससद का नतृत्व करता है, विधेयका को प्रस्तुत करता है और उह पारित करवाता है। मन्त्रिमण्डल ही इस बात का निवारण करता है कि किन विषया पर मतदान लिया जायगा कौन से कानून पास किये जायेंगे कौन-कौन से कर लगाय जायेंगे और कौन कौन सी मंत्रियों की जायेंगी। मन्त्रिमण्डल ही इस बात का निर्धारण करता है कि किन गैर सरकारी विधेयका का समर्थन किया जायेगा और किन का विराध किया जायगा। इतना ही नहीं नगद व अधिवेशनता को बुनाना, उनका मयावमान करना तथा उस समय में पूव भग कराना मन्त्रिमण्डल का ही बाय है। समस्त मन्त्रिय

जाने वाले राष्ट्रपतीय भाषण को मन्त्रिमण्डल द्वारा ही तैयार किया जाता है। इस तरह मन्त्रिमण्डल 'छोटी व्यवस्थापिका' (Little Legislature) है। लॉवेल इसे "चक्र के अन्दर चक्र" की संज्ञा देता है।

2 राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा विभागों में समन्वय—भारतीय संविधान मन्त्रिमण्डल की मांगी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित करता है परन्तु वस्तुतः उसकी सारी कार्यपालिका शक्तियाँ का प्रयोग मन्त्रिमण्डल ही करता है। मन्त्रिमण्डल ही समझ द्वारा पाम किये गये कानूनों को लागू करता है। मन्त्री विभागों के अध्यक्ष होते हैं अतः सारी प्रशासनिक शक्तियाँ हाथों में ही प्रयोग करत हैं। प्रदत्त विधान के कारण मन्त्रिमण्डल की शक्तियाँ में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

मन्त्रिमण्डल ही विभागों में समन्वय उत्पन्न करता है तथा उनमें उत्पन्न होने वाले भेदों का निपटारा करता है।

राष्ट्रपति के आपात्कालीन शक्तियों का प्रयोग भी मन्त्रिमण्डल करता है। संकटकालीन की घोषणा अध्यादेशों को जारी करना आदि सब मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर ही किये जाते हैं। युद्ध और शांति के प्रश्नों का निराकरण भी मन्त्रिमण्डल ही करता है।

मन्त्रिमण्डल के उक्त सभी कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय (Cabinet) होता है जिसके सचिव को मन्त्रिमण्डलीय सचिव कहा जाता है।

मन्त्रिमण्डल की बैठकें समय-समय पर नियमित रूप से होती रहती हैं। इसकी आपात्कालीन बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। इसकी बैठकों की वायव्यता को निश्चित किया जाता है। इसमें निराकरण प्रायः सर्वसम्मति से लिये जाते हैं।

3 नियुक्तियाँ—मन्त्रिमण्डल के हाथों में सरक्षण की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। जितनी भी नियुक्तियाँ—यायाधीशों, राजदूतों, आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों, राज्यपालों आदि—राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं वे वस्तुतः मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर ही की जाती हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो भारत रत्न, पद्मभूषण पद्म विभूषण तथा पद्मश्री की उपाधियाँ तथा महासम्राट्पति (Field Marshall सम्मूनि) की उपाधियाँ वितरित की जाती हैं वे मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर ही वितरित की जाती हैं।

4 वित्तीय षय—मन्त्रिमण्डल का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह षय का बजट तयार करती है और उमें पारित कराने के लिये मन्त्रिमण्डल का समर्थन प्रस्तुत करना है। बजट वित्त मन्त्रालय द्वारा तयार किया जाता है तथा उमें वित्तमन्त्री मन्त्रिमण्डल में प्रस्तुत करता है। वित्त विषय का मन्त्रिमण्डल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति का अनुमति ले ली गयी है जो एक औपचारिकता है। मन्त्रिमण्डल द्वारा भा बजट का ज्ञान

वा ल्यो पास करवा लिया जाता है क्योंकि बजट की किसी मद की कटौती या मंत्रियों के वेतना में कटौती मंत्रिमण्डल पर अविश्वास माना जाता है। इस तरह मंत्रिमण्डल का राष्ट्रीय पक्ष पर पूरा नियंत्रण होता है।

मंत्रिमण्डल और लोकसभा में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक सम्बन्ध (Relation between the Cabinet and the Lok Sabha in theory and practice)

जहां कहीं संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है वहां मंत्रिमण्डल और लोकसभा के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक सम्बन्धों में अंतर पाया जाता है। उदाहरणतया मंत्रिमण्डल मसद की उत्पत्ति होती है और उसके अधीन होती है परंतु व्यवहार में मंत्रिमण्डल अपने उत्पादकों को नष्ट करने की सत्ता रखता है। जसाकि वेजहॉट ने ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के सम्बन्ध में कहा है कि 'मंत्रिमण्डल एक उत्पत्ति है परंतु उसे अपने उत्पादकों को नष्ट करने की शक्ति है इस बनाया गया था परंतु यह नष्ट कर सकती है, यह अपने उदभव में व्युत्पादित है परंतु अपने कार्य में यह विध्वंसक।' इतना ही नहीं, मसद के सभी कार्यों को वस्तुतः मंत्रिमण्डल ही ग्रहण कर लिये हैं। उदाहरणतया कानून के निर्माण करने उसमें परिवर्तन और मशोधन करने का अधिकार मसद का है परंतु मसद उन्हीं कानूनों का निर्माण करती है या उन्हीं में मशोधन करती है जिन्हें मंत्रिमण्डल निर्मित करना चाहता है या जिनमें वह मशोधन करना चाहता है। इसी प्रकार सिद्धांततः मसद का वित्त पर नियंत्रण होता है और मसद की अनुमति के बिना कोई पैसा खर्च नहीं की जा सकती और कोई पैसा राजस्व के रूप में एवजित नहीं की जा सकती। परंतु व्यवहार में बजट वसा ही पारित हो जाता है जसाकि वित्तमन्त्री उसे प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार सिद्धांत में मंत्रिमण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है परंतु व्यवहार में उसका उत्तरदायित्व औपचारिक है क्योंकि मसद में बहुमत दल का समर्थन रहते कोई भी मंत्रिमण्डल मनमानी कर सकता है। जसाकि जॉन्सन ने कहा है कि 'विद्यमान की पीठ पर बहुमत का हाथ है वह अल्पमत के लिए अधिवाचनवाद स्थापित कर सकता है। रेम्जे म्योर और लाड हवट ने मंत्रिमण्डल की इस घटती हुई शक्ति का नवीन अधिवाचनवाद की सलाह दी है।

मंत्रिमण्डल और मसद के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक सम्बन्धों का निम्न विद्वानों द्वारा और अधिक अच्छी तरह में समझा जा सकता है —

1. कानून निर्माण के सम्बन्ध में—सिद्धांत में कानून निर्माण का शक्ति मसद के पास है। संघीय क्षेत्र में अनेकानेक मंत्री विधायक पर यह मंत्रिमण्डल और साधारण कानूनों का निर्माण कर सकती है उद्योग परिवर्तन कर सकती है तथा उद्योगों को मजबूत कर सकती है। परंतु व्यवहार में मंत्रिमण्डल ही विधायक निर्माण कर मंत्रिमण्डल मसद का नियंत्रण करता है और व प्रस्ताव ही कानून का रूप धारण कर

सकते हैं जिन्हें या तो मंत्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या जिन्हें मंत्रिमण्डल का समर्थन प्राप्त होता है। गर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों का पास होना कठिन है। इसका कारण यह है कि जिस दल का मंत्रिमण्डल होता है उसी दल का बहुमत लोकसभा में होता है। दल के सदस्य दलीय नीतियों का समर्थन करते हैं। वर्तमान समय में दलीय अनुशासन, नियंत्रण और निर्देशन इतना कठोर है कि दलीय निर्देशना की अपेक्षा करने वाले सदस्य सदस्यों का सवदा दलीय अनुशासनात्मक वायवाही का भय रहता है जिससे उनकी राजनीतिक मृत्यु होने का खतरा होता है। स्पष्ट है कि मंत्रिमण्डल की इच्छा समझ में बहुमत दल की इच्छा है और समझ में बहुमत दल की इच्छा समझ की इच्छा है। यही कारण है कि मंत्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत एक समर्थित विधेयक ही कानून का रूप धारण कर सकते हैं। इतना ही नहीं जिद्दी सदस्य को ठिकाने पर लाने के लिये मंत्रिमण्डल लोक सभा को भंग कराने का भय दिखा सकता है जो न केवल बहुमत दल के सदस्यों का नियंत्रित करता है बल्कि विरोधी दल के सदस्यों का भी मुख बंद कर देता है क्योंकि कोई भी सदस्य सदस्य नव निर्वाचन के सचें और अनिश्चितता के खतरे को मोल लेना नहीं चाहता। स्पष्ट है कि समझ में ठोस बहुमत रहते, मंत्रिमण्डल समझ पर आश्रित नहीं रहता बल्कि समझ मंत्रिमण्डल पर आश्रित रहती है।

2 वित्त के सम्बन्ध में—सिद्धांत में वित्त पर पूरा नियंत्रण समझ का रहता है और समझ की अनुमति के बिना काइ कर नहीं लगाया जा सकता और न ही कोई पाई टैक्स की जा सकती है परन्तु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। वजट मंत्रिमण्डल द्वारा तैयार किया जाता है। वह ही उम लोक सभा में प्रस्तुत करता है। वह ही मदा पर खर्च की जान वाली राशि को निश्चित करता है। वह ही आय के साधनों की व्यवस्था करता है। लोक सभा वजट पर बहुमत करती है विचार करती है आलोचना करती है परन्तु जिस कार्य को वह परिस्थितिवश नहीं करती और मंत्रिमण्डल के दल के बहुमत रहते नहीं कर सकती वह यह है कि उसे रद्द नहीं कर सकती किसी मद के सचें को बताना नहीं सकती, कोई नया कर नहीं लगा सकती, वह प्रस्तावित करों को कम अवश्य कर सकती है परन्तु मंत्रिमण्डल का बहुमत होने में वह ऐसा करने में असमर्थ है।

3 प्रदत्त शक्तियों के सम्बन्ध में—वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप लोक बल्याणकारी हान में राज्य के कार्यों का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है। प्रति वर्ष हजारों प्रकार के कानूनों का निमाण किया जाता है जिसके लिये समझ के पास न तो समय है न तकनीकी ज्ञान। अतः वह कानूनों के प्राप्ति ही तयार कर पाती है और विवरण के लिये कार्यपालिका का सत्ता प्रदान कर देती है। कार्यपालिका द्वारा बनाया गया नियम और विनियम ही प्रदत्त विधान कहलाते हैं। इन्होंने कार्यपालिका की शक्ति में अत्यधिक विस्तार किया है। आज कार्यपालिका के तहत कानूनों का

कायाचित ही नहीं करती बल्कि उ हे निमित्त भी करती है । अतः व्यवस्थापन का काय प्रायः मंत्रिमण्डल का काय बन गया है ।

4 उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में सिद्धांत में मंत्रिमण्डल लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है । वह उसी समय तक अपने पद पर विद्यमान रहता है जब तक उसे समद का विश्वास प्राप्त रहता है । ज्योंही यह विश्वास समाप्त हो जाता है मंत्रिमण्डल का त्याग बन देना पड़ता है । समद प्रश्ना द्वारा, पूरक प्रश्ना द्वारा, स्पष्ट व नि दा व प्रस्तावा द्वारा या प्रत्यक्ष अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमण्डल पर नियंत्रण रखती है । समद चाहे तो बजट म कटौती कर या मंत्रियों के वेतना म कटौती कर या मंत्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत अथ महत्वपूर्ण विधेयको को अस्वीकार कर मंत्रिमण्डल का पदच्युत कर सकती है । वस्तुतः स्थिति यह है कि समद मंत्रिमण्डल को पदच्युत करने में असमर्थ है क्योंकि लोक सभा में मंत्रिमण्डल का बहुमत होता है । और यदि मान भी लिया जाय कि समद मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकती है तो इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि मंत्रिमण्डल भी राष्ट्रपति को परामर्श देकर समद को समय से पूर्व भंग करा सकती है जसाकि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने दिसम्बर 1970 में किया था । वस्तुतः स्थिति यह है कि मंत्रिमण्डल के अविश्वास कार्यों का समद को ज्ञान तक नहीं होता । मंत्रिमण्डल चाहे तो समद में किये गये वाद विवाद की उपेक्षा कर सकता है प्रश्ना का उत्तर देना से मनाही कर सकता है या टानम टाल कर सकता है या अनिश्चित उत्तर दे सकता है ।

मक्षेप में हमने फाइनर में मंत्रिमण्डल और समद के सम्बन्धों का इस प्रकार व्यक्त किया है "मंत्रिमण्डल पर नियंत्रण रहता है परंतु उसको कुद नहीं किया जाता, इस पर धमकिया पड़ती है परंतु इसे दण्ड नहीं मिलता, इससे प्रश्न किये जाते हैं परंतु अविश्वास नहीं किया जाता, यह राजनीतिक दृष्टिकोण से पक्षपाती है परंतु इसमें व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता ।

मंत्रिमण्डल की व्यापक शक्तियाँ का यह अर्थ नहीं कि वह निरकुश या अधिनायक बन सकता है । कोई भी मंत्रिमण्डल, चाहे समद में उनका बहुमत कितना ही ठोस क्या न हो इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकता कि उसे पाच वष के बाद निवाचन मण्डल के समक्ष अपने कार्यों का हिसाब देना है । इसलिये यदि किसी मंत्रिमण्डल की निरकुशता है तो वह "सहमति की निरकुशता" (dictatorship by consent) है जसाकि लावेल ने लिखा है कि मंत्रिमण्डल की निरकुशता वह निरकुशता है जिसे अधिबतम प्रचार के साथ प्रयाग में लाया जाता है या सदा आलोचना की बसोटी पर कसी रहती है और जनमत के अनुसार ढलती रहती है और जिसे अविश्वास का प्रस्ताव और अगले चुनाव का भय बना रहता है ।"

प्रधान मंत्री (The Prime Minister)

“प्रधान मंत्री शासन में धुरी की कील है।”

—जवाहरलाल नेहरू

परिचय (Introduction)

संसदीय लोकतान्त्रिक देशों में दो प्रकार की कार्यपालिका पायी जाती हैं जिसे सामान्यतया सर्वसाधारण और वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। येजटाट इहें ‘प्रतिष्ठित’ (dignified) और कुशल (efficient) कार्यपालिका कहता है। भारत में यदि राज्याध्यक्ष (राष्ट्रपति) सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो शामनाध्यक्ष (प्रधान मंत्री) कुशल और वास्तविक अध्यक्ष है। मसदात्मक लोकतंत्र में वस्तुतः प्रधानमंत्री की स्थिति सर्वोच्च अधिकारी की होती है क्योंकि वह सावधानी से बहुमत दल का नेता होता है और जब तक उसकी पीठ पर पूर्ण बहुमत का हाथ रहता है वह बड़े मरता है कि कौन कौन सी संधियाँ की जायेंगी, कौन-कौन से कानून बनाये जायेंगे और कौन-कौन से कर लगाये जायेंगे। संक्षेप में, वह राष्ट्र का ऐसा राजनीतिक गताहाता है जो बहुमत का रहन राष्ट्र का भाग्य निर्माता बन सकता है।

प्रधान मंत्री के दृढ़ गिद साग शासन चक्र घूमता है। वह ही मंत्रिमण्डल का निर्माता, संचालनकर्ता और सहायक होता है। उसके जीवित रहने से मंत्रिमण्डल जीवित रहता है, उसके पद त्यागने से यह उसकी मृत्यु होने से मंत्रिमण्डल की मृत्यु हो जाती है। वह देश की गृह और विदेश नीति का निर्माता, सदन का नेता, राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल और समद के मध्य कड़ी, बहुमत दल का नेता, आदि सब कुछ हाता है।

प्रधानमंत्री के पद का उच्च रिटन महुषा जहा से भारतीय संविधान न उधार लिया है। रिटन में प्रधानमंत्री की भूमिका शक्तियों और कार्यों के सम्बन्ध में अन्वय प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे लार्ड माले ने उसे “मंत्रिमण्डल रूपी मेहराब की आधारशिला कहा है।” वह उसे ‘समान व्यक्तियों में प्रथम (primus inter pares) का सना भी देता है। जबकि पीटर० जी० रिचर्ड प्रधानमंत्री के सम्बन्ध में इस विशेषण को सही मूल्यावन नहीं मानता एमरी प्रधानमंत्री को प्रशासन का ‘कप्तान और पतवार’ दोनों ही मानता है। रेम्जे म्थोर का कथन है कि यदि “मंत्रिमण्डल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है तो प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। हेरल्ड जे० लास्की प्रधान मंत्री को ‘सारे प्रशासन की धुरी’ मानते हैं। आइवर जेनिंग्स के लिये प्रधान मंत्री वह मूल है जिसके चारों ओर सार यंत्र घूमते हैं। बैलाफ के लिए वह ‘अधिकांश’ हण्टन उसे ‘निर्वाचित सम्राट कहता है और सर विलियम वुड Vernd ‘सितारों में चंद्रमा’ है।

मेन्टिस्ट क विरुद्ध स्पष्ट रूप से "राष्ट्रपति" नामक है। मुख्य धारा सेना एके है
स प्रशासन की है। मंत्रिमण्डल द्वारा 'संस्था' है।

का 25 की है मंत्रिमण्डल की संख्या में। मंत्रिमण्डल का प्रशासनिक वि-
द्वितीय प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में। उपर्युक्त विवरण व्यक्त किए गए हैं भारतीय
प्रधान मंत्री पर भी लागू होते हैं। मंत्रिमण्डल का प्रशासनिक प्रशासन की है।
है कि प्रधान मंत्री मंत्रिमण्डल का प्रथम है। प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री श्रीमती
(ए. इ. ए. गांधी) के सम्बन्ध में। मंत्रिमण्डल का प्रशासनिक प्रशासन है।
है कि राष्ट्रीय व्यक्ति की धर्मनिरपेक्षता का है। उसकी संस्था में भी का। धर्म निरपेक्षता है, का
एक का है कि संस्था का है कि लिए राज्य में ही व्यक्ति मुख्य मंत्री
का का धर्म निरपेक्षता का है। मंत्रिमण्डल का प्रशासनिक प्रशासन है।
का प्रशासनिक प्रशासन का प्रशासनिक प्रशासन का प्रशासनिक प्रशासन है।
का प्रशासनिक प्रशासन का प्रशासनिक प्रशासन का प्रशासनिक प्रशासन है।
का प्रशासनिक प्रशासन का प्रशासनिक प्रशासन का प्रशासनिक प्रशासन है।
का प्रशासनिक प्रशासन का प्रशासनिक प्रशासन का प्रशासनिक प्रशासन है।

भारतीय प्रधान मंत्री की नियुक्ति—भारतीय प्रधान मंत्री का पद ब्रिटिश
प्रधान मंत्री के पद की संघीय प्रशासनिक की उत्पत्ति रही। इस मंत्रिमण्डल द्वारा उत्पन्न
किया गया है। मंत्रिमण्डल का अनुच्छेद 74 का वाक्य की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि
राष्ट्रपति के कार्यों में मंत्रिमण्डल और परामर्श का है। मंत्रिमण्डल मंत्री के मंत्रत्व में
एक मंत्रिमण्डल का है। धर्म अनुच्छेद 75 इस वाक्य की व्यवस्था करता है कि प्रधान
मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और प्रथम मंत्री प्रधान मंत्री के परामर्श
पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 75 (2) के अनुसार मंत्री राष्ट्र-
पति के प्रसाद (pleasure) पर काम करता है पर विद्यमान रहा है और अनुच्छेद 75
(3) मंत्रिमण्डल का सामूहिक रूप में लोक सभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

प्रधान मंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में उपर्युक्त धाराओं केवल इस मात्रा में
स्पष्ट है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी चाहिए। प्रधान मंत्री की नियुक्ति
के सम्बन्ध में धर्म अनुच्छेद 74 का वाक्य प्रश्न पर संविधान प्रमाण का शाब्दिक है।
उदाहरणतया उपर्युक्त धाराओं में यह स्पष्ट नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधान मंत्री
कोण गभा का सम्बन्ध होगा चाहिए। इसमें यह भी स्पष्ट नहीं कि प्रधान मंत्री के
लिए नियुक्ति के समय मंत्रिमण्डल का सदस्य होगा चाहिए। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति
किसी व्यक्ति को मंत्री तौर पर, किसी ऐसे व्यक्ति का प्रधान मंत्री नियुक्त कर सकता
है जो मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य का सम्बन्ध ही नहीं है।

उपयुक्त अप्रगणताओं के बाद भी भारत में प्रधान मंत्री की नियुक्ति के सम्प्रदाय में दो प्रथाओं का विकास हुआ है। प्रथम तो यह है कि राष्ट्रपति उनी व्यक्ति का प्रधान मंत्री नियुक्त करता है जिस लोक सभा में बहुमत दल प्रधान मंत्री चुना है अर्थात् लोक सभा में बहुमत दल पहले प्रधान मंत्री का चयन करता है और बाद में राष्ट्रपति उसे प्रधान मंत्री नियुक्त करता है। सन् 1965 में प० नेहरू की मृत्यु के बाद जलन्हादुर शास्त्री ने तभी प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया जब कांग्रेस समन्वय दल ने उनका प्रधान मंत्री पद के लिये चयन कर लिया। इसी तरह 1966 में जलन्हादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति ने तभी प्रधान मंत्री नियुक्त किया जब कांग्रेस समन्वय दल ने उन्हें प्रधान मंत्री पद के लिये चुन लिया। दूसरी प्रथा जिसका विनाश किया गया है वह यह है कि किसी प्रधान मंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने पर मंत्रिमण्डल के ज्येष्ठ मंत्री को स्थानापन्न प्रधान मंत्री या अन्तरिम प्रधान मंत्री (officialising Prime Minister or interim Prime Minister) नियुक्त कर दिया जाता है और वह उस समय तक कार्य करता है जब तक लोक सभा में बहुमत दल प्रधान मंत्री का चयन नहीं कर लेता। उदाहरणतया नेहरू की मृत्यु के बाद और दोबारा फिर शास्त्री की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति ने गुजरागीलाल नन्दा को स्थानापन्न प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया।

प्रधान मंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में उपयुक्त दोनों प्रथाओं स्वस्थ सतदात्मक चोखत-तन्त्र के लिये शुभ हैं और यदि इन प्रथाओं को भविष्य में भी जारी रखा जाता है तो राष्ट्रपति के हाथों में प्रधान मंत्री की नियुक्ति प्रायः औपचारिक मात्र बन कर रह जायगी। परन्तु यह सत्य तभी सम्भव है जब लोक सभा में एक दल का पूर्ण बहुमत हो। यदि लोक सभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो भी इन प्रथाओं का जारी रखा जा सकता है यदि कुछ दल मिल कर, जो शासन सत्ता सम्भालने में इच्छुक हैं, ऐसे नेता को प्रधान मंत्री पद के लिये चुनें जिसे सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। परन्तु इस राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका का महत्त्व बड़ा बनता है और वह प्रधान मंत्री की नियुक्ति में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राजनीतिक सन्तुलन को अक्षय्य अपने पक्ष में कर सकता है परन्तु वह इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकता कि अतन्त्र वही व्यक्ति प्रधान मंत्री पद पर बना रह सकता है जिसे लोक सभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त है अर्थात् राष्ट्रपति एक व्यक्ति को ही प्रधान मंत्री नियुक्त करेगा जो लोक सभा में बहुमत का अपने माथ ले जाने की क्षमता रखता है। जैसा कि डा० जनिम्म ने कहा है कि राज्याध्यक्ष का प्रधान मंत्री की नियुक्ति में मूल उद्देश्य "शासन का प्राप्ति (Securing a Government) करना है।

उपयुक्त वरान ने स्पष्ट है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधान मंत्री नियुक्त करता है जिसके दल का बहुमत लोक सभा में होता है और जो उसका नेता होता है। यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधान मंत्री नियुक्त करता है जिसे बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं तो सम्भवतः इस नियंत्रण को या तो अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि स्वीकार कर भी लिया जाता है तो वह टिकाऊ नहीं हो सकता क्योंकि लोक सभा की बैठक होते ही उसका मंत्रिमण्डल, बहुमत के अभाव में, गिर जायेगा।

प्रधान मंत्री की शक्तियाँ— भारतीय प्रधान मंत्री की शक्तियाँ, ब्रिटिश प्रधान मंत्री की शक्तियों की भाँति अत्यधिक व्यापक हैं। दोनों की शक्तियों में केवल एक ही अंतर है वह यह है कि जहाँ ब्रिटिश प्रधान मंत्री का पद और शक्तियाँ दोनों ही अभिसमय की उत्पत्ति हैं वहाँ भारतीय प्रधान मंत्री का पद तथा सर्वधानिक है। (Art 74) परन्तु उसकी शक्तियाँ ससदात्मक प्रणाली के अभिसमयों पर ही आधारित हैं। अर्थात् ब्रिटिश प्रधान मंत्री की भाँति भारतीय प्रधान मंत्री का कार्य भी राज्याध्यक्ष (राष्ट्रपति) के कार्यालय सहयोग और परामर्श देना है परन्तु वास्तविकता यह है कि प्रधान मंत्री तो नियुक्त होता है और राष्ट्रपति सहयोग और परामर्श देता है। भारतीय प्रधान मंत्री की शक्तियों को निम्न विद्वानों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—

(1) **मंत्रिमण्डल का निर्माता, संचालन कर्ता एवं सहार कर्ता—** प्रधान मंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमण्डल का निर्माण करना है। यद्यपि भारतीय मंत्रिमण्डल अनुच्छेद 75 (1) में मंत्रियों की नियुक्तियों का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है परन्तु यह केवल औपचारिकता है। मंत्रियों का चयन प्रधान मंत्री करता है, राष्ट्रपति प्रधान मंत्री से यह नहीं कह सकता कि वह अन्यायपूर्ण व्यक्ति को अपनी मंत्रिपरिषद् में ले या न ले, यद्यपि प्रधान मंत्री स्वेच्छा से राष्ट्रपति के परामर्श का स्वीकार भी कर सकता है जमा कि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति राजाकृष्णन् के कहने पर गुलजारीलाल नन्दा का अपनी मंत्रिपरिषद् से विमुक्त नहीं किया और न ही उनमें गृह विभाग को छोड़ा।

यह सत्य है कि प्रधान मंत्री अपने मंत्रियों का चयन स्वयं करता है परन्तु इसमें वह उस रूप में स्वतंत्र नहीं जसा कि प्रथम दृष्टि में वह नजर आता है। वस्तुतः उसके हाथ अनेक विचारों से प्रभावित होते हैं। प्रथम, मंत्रियों का चयन करने समय प्रधान मंत्री को अपने दल के प्रमुख और प्रभुत्वपूर्ण नेताओं के दावा को स्वीकार करना पड़ता है जमा कि प० नेहरू को सरदार पटेल का यह दावा स्वीकार करना पड़ा कि वह उप प्रधान मंत्री रहेंगे और गृह विभाग प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार 1967 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को मारारजी देसाई का यह दावा करना पड़ा कि वह उप प्रधान मंत्री पद पर रहेंगे और वित्त मंत्रालय प्राप्त करेंगे। अपने मंत्रियों को नियुक्त करते समय प्रधान मंत्री का जहाँ तक सम्भव

वर्गों, हितों, धर्मों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखना पड़ता है और वस्तुतः यह तत्त्व प्रधान मंत्री की शक्ति पर पर्याप्त रूप से प्रभावी होता है।

यह सत्य है कि उपयुक्त सभी तत्त्व प्रधान मंत्री पर प्रभावी होते हैं परंतु मंत्रियों के चयन में अंतिम निर्णय प्रधान मंत्री का ही होता है और वह किसी मंत्री को, चाहे उसका महत्त्व कितना ही क्यों न हो, पदच्युत कर सकता है (जैसा कि इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को 1969 में पदच्युत किया) और किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपद से विभूषित कर सकता है जो दल में त्रिकुल महत्त्वहीन हो जैसा कि शास्त्रीजी ने टी० एन सिंह और सचिन चौधरी को और इंदिरा गांधी ने मोहन कुमारामगलम, डा० वरूणासिंह, दुर्गा प्रसाद धर, आदि को अपनी मंत्रिपरिषद में लिया।

प्रधान मंत्री मंत्रिया का चयन ही नहीं करता बल्कि अपनी इच्छानुसार उन्हें पदच्युत भी कर सकता या उनसे त्याग पत्र की मांग भी कर सकता है। भारत में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां मंत्रियों ने प्रधान मंत्री से मतभेद होने पर या अथवा कारणों से अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उदाहरणतया सी०डी० देशमुख, एम० सी० छागला, महावीर त्यागी अशोक मेहता जैसे मंत्रियों ने प्रधान मंत्री से मतभेद होने पर त्याग पत्र दे दिया। हाल ही में मोहन धारिया ने प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी से मतभेद होने पर त्याग पत्र दे दिया। कुछ मंत्रियों के ऐसे उदाहरण हैं जिन से मतभेद होने पर त्याग पत्र दे दिया। इनमें वार कुछ मंत्रियों ने छुटकारा पाने के लिये 'वामराज योजना' का सहारा लिया गया। इनके वार मंत्रिया ने प्रधान मंत्री की शक्ति और सम्मान को बचाने के लिये त्याग पत्र दे दिया। यह भी ने 1962 में चीनी आक्रमण के बाद रक्षा विभाग से त्याग पत्र दे दिया। यह भी हो सकता है कि प्रधान मंत्री राज्यों की नीति पर अपना पूरा नियंत्रण रखने के लिये या वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिये कुछ विश्वनाथराय मंत्रिया को राज्यों के मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त करने के लिये कुछ विशेष मंत्रिमण्डल में त्याग पत्र देने के लिये कहें। श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रित्व काल में इनके अनेक उदाहरण हैं जैसे एच० एन० बहुगुणा को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया गया, बंगाल में एल० एम० दे और उड़ीसा में नन्दनी सतपथी को केन्द्र में राज्या में भेजा गया।

प्रधानमंत्री मंत्रिया का चयन या उन्हें पदच्युत ही नहीं करता बल्कि उनमें विभागों का वितरण करता है और आवश्यकता होने पर विभागों के पारस्परिक भेदों को दूर करने का प्रयास करता है। प्रधान मंत्री ही उन्हें समय-समय पर प्रोत्साहन देता है तथा आवश्यकता होने पर चेतावनी भी देता है। प्रधान मंत्री ही मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है तथा मंत्रिमण्डल की बैठकों में विचार करने वाले विषयों का कार्यक्रम (Agenda) को तयार करता है। यद्यपि मंत्रिमण्डल में निर्णय प्रायः बहुमत

से लिये जाते हैं, परन्तु महा प्रधान की स्थिति प्रभावपूर्ण और निर्णायक की हो सकती है।

2 नीतियों का निर्माता—प्रधान मंत्री ही शासन का वास्तविक प्रधान होता है अतः वह सभी नीतियों का निर्माता होता है। यह आवश्यक नहीं कि विदेश, गृह या वित्त मंत्रालय प्रधान मंत्री के पास हो परन्तु सभी महत्वपूर्ण निणायकों से प्रधान मंत्री अवगत रहता है और ये मंत्री प्रधान मंत्री के परामर्श पर ही कार्य करते हैं। इसी कारण यह कहा जाता है कि प्रधान मंत्री समय से पूर्व यह घोषणा कर सकता है कि अमुक कानून का निर्माण किया जायेगा या अमुक सविषय की जायेंगी या अमुक कर लगाये जायेंगे। प्रधान मंत्री ही विदेशों में भारतीय हितों का प्रमुख प्रेरक है वह ही प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलनों आदि में भाग लेता है। वह विश्व शांति और सुरक्षा के सम्बन्ध में दूसरे देशों के शासनाध्यक्षों से पत्र व्यवहार करता है। वह ही विदेशों में मदभावना यात्राओं पर जाता है। वह ही भारतीय विदेश नीति के सम्यक् प्रमुख वक्तव्य देता है।

3 मंत्र परिषद् और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी—प्रधान मंत्री ही मंत्रिपरिषद् और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य करता है। संविधान का अनुच्छेद 78 प्रधान मंत्री पर यह उत्तरदायित्व डालता है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल के सभी निणायकों से अवगत कराये। राष्ट्रपति प्रधान मंत्री से प्रशासन के सम्बन्ध में या प्रस्तावित विधियों के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधान मंत्री से यह कह सकता है कि किसी मंत्री द्वारा लिये गए निणायक का मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करे।

यह सत्य है कि कोई भी मंत्री प्रधान मंत्री की पूर्ण स्वीकृति से राष्ट्रपति से मिल सकता है परन्तु प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सूचनाएँ देने का कार्य प्रधान मंत्री का ही है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति के पास प्रधान मंत्री के अतिरिक्त प्रशासन के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त करने और मंत्रिपरिषद् से निणायकों को जानने के लिए कोई अन्य साधन नहीं। यह सब इंग्लैंड पर आधारित है कि राज्याध्यक्ष (राष्ट्रपति) मंत्रियों से व्यक्तिगत परामर्श नहीं लेता क्योंकि यदि राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से परामर्श लेना शुरू कर दे तो इससे दो खतरों उत्पन्न हो सकते हैं। प्रथम तो मंत्रिपरिषद् की एकता और सुदृढता का खतरा उत्पन्न हो सकता है जिससे प्रधान मंत्री की स्थिति और नेतृत्व कमजोर हो सकता है। दूसरे राष्ट्रपति का दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ जाने से उसके शक्तिशाली होना का भय बना रहता है। परन्तु यह सब राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत और पारस्परिक सम्बन्धों पर निर्भर करता है। यद्यपि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद और प्रथम प्रधान मंत्री प० नरू के पारस्परिक सम्बन्ध मधुर थे परन्तु फिर भी 1960 में इण्डियन नाटमटीग्रूट में राष्ट्रपति द्वारा दिए गये भाषण से सघटत ध्वस्त उत्पन्न

हुआ, हिंदू कोड बिल, योजना, निजी सम्पत्ति की सीमा, सहकारी खेती और हिंदी के प्रयोग के सम्बन्ध में दोनों के विचारों में पर्याप्त भिन्नता थी।

सन् 1967 के गणतंत्र दिवस पर जब डा० एम० राधाकृष्णन ने "व्यापक होन से सदन का नेता अनुशुलता और खाना के पार कुप्रबंध" की निन्दा की तो प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के सम्बन्ध में तत्काल उत्पन्न हुआ और यह कहा जाता है कि प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने उसी समय निश्चय कर लिया कि वे राष्ट्रपति का दोबारा उस पद के लिये समर्थन नहीं करंगी। यही कारण है कि जब समय आया तो प्रधान मंत्री ने डा० जाकिर हुसैन का समर्थन किया क्योंकि वह राष्ट्रपति पद पर ऐसा व्यक्ति चाहती थी जो उनके कार्यों में बाधा प्रस्तुत न करे या कम से कम सावजनिक रूप से सरकार की निन्दा न करे। सन् 1969 में भी जब प्रधान मंत्री इन्दिरा ने स्वतंत्र उम्मीदवार बी० बी० गिरि का समर्थन किया और कांग्रेस दल के प्रत्याशी सजीवा रेड्डी का विरोध किया तो उसमें भी भाव यही था कि वे एम्मे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चाहती थी जो सवधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करे।

4 लोक सभा के नेता—लोक सभा में प्रधान मंत्री बहुमत दल का नेता भी होता है। इस सम्बन्ध में इस प्रथा का विकास हुआ है कि यदि प्रधान मंत्री लोक सभा का सदस्य न हो (जसाकि इन्दिरा गांधी जनवरी 1966 में प्रधान मंत्री नियुक्त की गयी तो वे राज्य सभा की सदस्य थीं) तो एक मंत्री का सदन का नेता बना दिया जाता है।

लोक सभा के नेता के रूप में प्रधान मंत्रियों के तीन प्रकार के कार्य हैं—पहले कार्य सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध रखते हैं जिसके लिये वह स्पीकर से सम्पर्क बनाये रखता है, अर्थात् वह लोक सभा के अधिवेशन का बुलाने और उसके सत्रावसान की तिथियां प्रस्तावित करता है, सदन में किये जाने वाले कार्य के प्राग्राम को तयार करता है। क्योंकि वह सदन की कार्यवाही परामर्श समिति (Business Advisory Committee) का सदस्य होता है अतः वह सरकारी विधेयकों के लिये समय भी निश्चित करता है। वह ही इस बात का निधारण करता है कि किन किन सशोधनों का स्वीकार किया जायेगा, सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये किन विधेयकों का समर्थन किया जायगा और क्या किसी प्रश्न पर स्वतंत्र मत प्राप्त किया जाये या कि सचेतक (whip) जारी किया जाय। सत्र के समय में वह सदन को प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों पर भी परामर्श देता है। सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाये रखने में वह स्पीकर की सहायता भी करता है।

सदन के नेता के रूप में प्रधान मंत्री के दूसरे कार्य सरकार से सम्बन्धित होते हैं अर्थात् सदन में वह सरकार का मुख्य प्रवक्ता (chief spokesman) होता है। इस सम्बन्ध में वह सदन में सरकारी नीति को स्पष्ट करता है तथा प्रश्नों का उत्तर देता है और आवश्यकता हो तो किसी मंत्री द्वारा दिये गए उत्तर का स्पष्टीकरण करता

है। वह ही सभी महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में सदन को सूचित करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि सरकारी विवेक जो सदन में प्रस्तुत किया गए हैं वे पास हो जायें।

सदन के नेता के रूप में प्रधान मंत्री के तीव्र वाय विरोधी दल से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध में वह न केवल विरोधी दल से सम्पर्क बनाये रखता है बल्कि उन विषयों पर जिनका सम्बन्ध राष्ट्रीय एकाता और अखण्डता से है या अथवा विषय जो सांख्यिक महत्व के हैं वह विरोधी दल का समर्थन भी प्राप्त करने की काशिश करता है। इसके लिए वह विरोधी दल के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श भी करता है। इतना ही नहीं वह विरोधी दल के सदन में हिता की रक्षा करने का प्रयास भी करता है।

सक्षेप में, सदन के नेता के रूप में प्रधान मंत्री सदन की वागवाही पर नियंत्रण रखता है, सरकारी नीतियों का स्पष्टीकरण करता है तथा विरोधी दल वालों से सम्पर्क बनाये रखता है।

5 लोक सभा को भंग करने की शक्ति—यह सत्य है कि सदन के अविधानों को बुलाना, उसका सन्नाहसान करना तथा उसे भंग करना राष्ट्रपति का भवधानिक अधिकार है परंतु यह एक औपचारिकता है। व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग प्रधान मंत्री करता है और राष्ट्रपति प्रधान मंत्री के परामर्श पर ही सदन के अविधानों को बुलाता है, उसे सन्नाहसान करता है तथा उसे भंग करता है। भारत में पहली बार लोक सभा को प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के परामर्श पर राष्ट्रपति श्री ० श्री ० गिरि ने समय में पूर्व 27 दिसम्बर 1970 को भंग किया और लोक सभा के लिये नव निर्वाचन कराये। सदन का समय से पूर्व भंग करने की शक्ति प्रधान मंत्री के हाथों में ऐसा अस्त्र है जिससे माध्यम में वह न केवल अपने दल के सदस्यों को नियंत्रण में रख सकता है यदि कुछ माना तब विरोधी दलों की गिनती में भी कर सकता है। जैसाकि हमने फाइनर में लिखा है कि लोक सभा का कुछ रचनात्मक उत्साह मंत्रिमण्डल द्वारा भंग करने की धमकी में नष्ट हो जाता है। यह एसी शक्ति है जिसके द्वारा प्रधान मंत्री जिद्दी लोक सभा को सदन के समर्थन पर ला सकता है। सदन का कोई भी सदस्य, चाहे वह बहुमत दल का हो या विरोधी दल का, समय से पूर्व अपनी सदस्यता को छोड़ना नहीं चाहता। अनिर्वाचन की अनिश्चितता और चर्चों से हर सदस्य घबराता है। इस तरह यह शक्ति सदन के सदस्यों के ऊपर शमशीर की भाँति टपकी रहती है। यही शक्ति प्रधान मंत्री को 'सदन का स्वामी' (Master of Parliament) बनाती है। यह सत्य है कि प्रधान मंत्री इस शक्ति का राजनीतिक हिता के लिए दुरुपयोग कर सकता है परंतु सदात्मक प्रणाली में इसका कोई विकल्प नहीं सिवाय इसके कि राष्ट्रपति सततता से काम ले और इसका दुरुपयोग न होने में विशेषकर उन परिस्थितियों में जब प्रधान मंत्री लोक सभा में बहुमत का समर्थन खो बैठे और वह अल्पमत में हो।

6 दल का नेता—यद्यपि दल के नेता के पद और प्रधान मंत्री के पद एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं परन्तु भारत में ये दोनों पद एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहते हैं। घातक प्रधान मंत्री का नतृत्व ही निर्णायक सिद्ध हुआ है। प्रारम्भ से ही दल के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री में शक्ति के विषय सघर्ष रहा। उदाहरणतया 1947 में पं० नेहरू और कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य टपनानी में इस बात पर भेद उत्पन्न हुए कि प्रधान मंत्री को मंत्रिमण्डल का निर्माण और नीतियाँ का निर्धारण कांग्रेस अध्यक्ष के परामर्श पर करना चाहिये। यह भेद इतने उग्र हो गये कि आचार्य टपनानी को त्याग पत्र देना पड़ा। इसी प्रकार 1950 में मरदार पटन की मृत्यु के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पी० डी० टण्डन को त्याग पत्र देना पड़ा। बाद में तो पं० नेहरू ने दोनों पदा को कांग्रेस सचिवालय के विरुद्ध अपने पाग रखा और जब इन्हें पृथक् भी किया गया तो उन्हीं व्यक्तियों को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया जो नेहरू की हाँ में हाँ (yes men) मिनाने वाले थे। यद्यपि 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद केवल कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ही नहीं बल्कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी 'सम्राट निर्माता' (King maker) की भूमिका को निभाया परन्तु 1969 में प्रधान मंत्री का नतृत्व फिर उभर कर सामने आया जब राष्ट्रपति पद के लिये कांग्रेस का उम्मीदवार पराजित हुआ और निदलीय उम्मीदवार श्री वी० वी० गिरि राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सन् 1969 में कांग्रेस का विघटन हुआ। सन् 1971 के चुनाव के बाद तो प्रधान मंत्री दल का सर्वोच्च बन गया। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रधान मंत्री केवल मंत्रियों की निर्माता ही नहीं है बल्कि दलीय संगठन पर उसका पूरा नियंत्रण है। यदि प्रधान मंत्री न अपने मित्रों का जैसे दिनेश सिंह और फकरुद्दीन अली अहमद को मंत्री बना से विभूषित किया (सन् 1974 में श्री फकरुद्दीन अली अहमद के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन मिनता की भेट कहा जा सकती है) तो मोरारजी जैसे राजनीतिज्ञ शत्रुओं को दण्डित भी किया और साथ में श्री सुभाषचन्द्रबोरसे का दल का आंतरिक अध्यक्ष नियुक्त किया और बाद में श्री जगजीवनराम ने दल और मंत्रिमण्डल को एक साथ सम्भाला। जिस ढंग में दल ने जून 1975 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का सम्बन्ध इनाहावाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद (जिसमें प्रधान मंत्री को चुनाव में भ्रष्टाचार के लिये दोषी पाया गया और उन्हें 6 वर्ष के लिये चुनाव लड़ने से निलम्बित कर दिया) किया वह प्रधान मंत्री के दल पर अधिकार, और नियंत्रण का अभिव्यक्त करता है। यह इस बात को भी व्यक्त करता है कि सत्ता शासन के हाथ में है और दल अधिक से अधिक प्रभाव डाल सकता है। कोचनक ने ठीक कहा था कि औपचारिक शक्तियों के अतिरिक्त प्रधान मंत्री दल और शासन का यथावत नेता है।¹

1 Kochanek Congress Party of India p 431 Quoted by Johari, J C Indian Government and Politics p 284

7 सरक्षण की व्यापक शक्तियाँ—प्रधान मंत्री के पास सरक्षण की व्यापक शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति द्वारा जितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की जाती हैं वस्तुतः उनकी नियुक्ति प्रधान मंत्री के परामर्श पर ही की जाती है। वस्तुतः संविधान द्वारा जितनी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गयी हैं, चाहे वे सामान्य शक्तियाँ हों, या असामान्य, उनका वास्तविक प्रयोग प्रधान मंत्री ही करता है। प्रधान मंत्री की विस्तृत शक्तियाँ और व्यापक प्रभाव का गाडगिल ने इन शब्दों में व्यक्त किया है “प्रधान मंत्री का इतनी अधिक शक्तियाँ और प्रभाव से विभूषित किया गया है कि यदि वह स्वभाव से सच्चा लाजवर्ती नही है तो वह अधिनायक बन सकता है।”

प्रधान मंत्री की स्थिति का मूल्यांकन—उपयुक्त बरण से स्पष्ट है कि भारतीय प्रधान मंत्री के पास शक्तियाँ और प्रभाव का भण्डार है। वह देश का वास्तविक शासक है और सदन में पूरा बहुमत रहते वह मनमानी कर सकता है। इस पर भी मंत्री मीजर, जार, हिटलर या मुसालिनी नही बन सकता। वह अधिनायक नही बन सकता क्योंकि अधिनायकता की सबदा अग्नि परीक्षा होती रहती है। उसका स्वयं का दल, विरोधी दल, ममद, जनमत, छापाखाना आदि सब उसके कार्यों, चरित्र और विचारों की निरंतर समीक्षा करते रहते हैं। उसके अपने दल के इस तुष्ट सदस्य उसे परेशान ही नहीं करते बल्कि उसके लिये अनेक गम्भीर समस्याएँ भी पैदा करते हैं। उसके स्वयं के साथी (मित्र परिपद के सदस्य) उसकी निरंतर समीक्षा करते रहते हैं और स्वयं सत्ता हथियान के लिये उसके प्रतिद्वन्दी बन जाते हैं। विरोधी दल उसे केवल तग ही नहीं करता बल्कि प्रत्येक अवसर पर उस अकमण्य, अकुशल और भ्रष्ट मित्र बनने की काशिश करता है। जनमत और छापाखाना उस पर निरंतर प्रभाव डालता रहता है। ये सब तत्त्व प्रधान मंत्री के मस्तिष्क पर प्रभाव डालते रहते हैं तथा उसकी नीतियाँ कार्यों और विचारों को प्रभावित करते रहते हैं। जगत्कि हमने फाइनेर ने लिखा है कि ‘प्रधान मंत्री वाई सीजर नही और उसकी स्थिति ऐसी है जिसे चुनौती दी जा सके। उसके विचार भी अनुलघनीय नही हैं। उसकी सत्ता का एक मान आधार यह है कि वह राष्ट्र की कितनी सेवा कर सकता है। किसी भी समय उसका प्रतिद्वन्दी उसका स्थान ग्रहण कर सकता है।’

उपयुक्त बरण से स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री अधिनायक नही बन सकता। अधिक से अधिक वह सबधानिक अधिनायक बन सकता है। परन्तु उसकी यह सबधानिक अधिनायकता भी निम्न दो शर्तों पर निर्भर करती है—

(1) प्रधान मंत्री का व्यक्तित्व कसा है? यदि प्रधान मंत्री उच्च कोटि का बुद्धिमान व्यक्ति है, यदि उसके पास अनुभव है, यदि उसकी प्रवृत्ति स्वाधिनार मुक्त है, यदि वह दृढ़ संकल्प वाला है, यदि उसका व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण है और यदि उसकी पीठ पर ठोस एवं सुदृढ़ बहुमत का हाथ है तो वह राष्ट्र का भाग्य निमाता बन सकता है। भारत के तीनो प्रधान मंत्रियों (नेहरू, शम्शरी और इंदिरा) के बीच में यह बात खरी उतरती है। यदि नेहरू का व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण था तो पटल

प्रतिष्ठापित उद्योग विरोध कर। का निर्णय का मामला ही था। पार्लो जी का मैं
 एंग्लो धोर स्थापन म सम्म भ पर जु 1965 क भारत पार्लिमेन्ट मुद्र त उन्नी
 हकता कामगुनता धोर तिलय मुद्रि क। स्पष्ट कर दिया था। श्रीमती शिखाजी
 त मरुति कमत्रा मिति म प्रधात म नी एन का प्राप्न किया था परन्तु उन्नी
 हकता धात धयता। पर परन्तो मनी धोर धात स्थिति मर है कि उन्नी मुनता
 जोत धात धात राशि तानी धोर धात दुता म नी तानी है।

(ii) प्रधात मनी त। कति धोर प्रधात का मूल धायार त्रकता है। जो
 प्रधात मनी जामत का धया माय न जा तरता है यह कुप्र भी कर मरता है।
 यह तत्त्व भी जरा के नीता प्रधात मरिधा पर मागू हाता है। श्रीमती शिखा
 मानी क मरुभ म मरु स-र हता मरु-रूण रहा है कि तय तय उमे चुनोती मे
 मनी तय-मय उता धयिताय तिमर धोर जामत त उ-र पूण ममथा दिया। मर
 प्रथम उ तान धयती हता का प्रमाण 1969 म दिया नर धातमा की धावात्र का
 नाग तगा पर राष्ट्रपति एन क तिम पांसम क उन्नी-धार का परात्रिा कर एन
 तिन्नीय उन्नी-धार त। मरुद्रपति एन पर त्रिधाया। 1969 क धास्रेम स्पष्टा न
 उन्नी स्थिति का तमत्रार धयशय दिया धोर 1970 म धावात्रय द्वारा तिम मर
 मीका के मरुद्रपतरण धार राजासा के त्रिासम त मुद्रणम क तिमया त (धातमय
 त इन दोता की धयध पापित कर दिया था) उन्नी मितिधा पर प्रहार किया परन्तु
 1971 के मरुद्रपति तुताय म जता। उता पूण ममथा दिया धोर 1971 म
 24 वें 25 वें व 26 वें मशाधता द्वारा मरुद्रपति मरु-रूण के तिमता त। त्रिात
 दिया। 1975 क हताहावात्र हार्दिरात्र क तिमया त उ-र धास्य भवभारिा
 है। इस चुनोती का मामला ध यने करती है यह मरुद्रपति निशिता करेगा।
 यतमान म यही कहा जा मरता है कि उ-र धरा दत ता पूण ममथा प्राप्न है।
 प्रधात मन्त्री पद का मरुद्रपतरण धा प्रधात मन्त्रीय प्रणाली की सरकार

(Presidentialisation of Prime Minister's Office or Prime Ministerial Government)

पिछले कुछ वर्षों म भारतीय पधात म नी के हाथा म इतनी अधिक धयिताय
 का केन्द्रीयकरण हो गया है कि मरुद्रपतरणीय प्रणाली की सरकार का धय्यध
 बहने के स्थान पर उम प्रधानमन्त्रीय प्रणाली की सरकार का धय्यध कहा जाता
 है। अनव लेखको ने तो प्रधात मन्त्री एन को मरुद्रपतीय पद की सता भी दी है।¹
 इसका कारण यह है कि मरुद्रपतरिण के मरुद्रपत प्रधात मन्त्री के समवध नही रह
 के उसके अधिवर्ता या सहायक (agents or assistants) मात्र वा कर रह मय है
 दल पर उमता पूरा नियन्त्रण है धोर ताव सता म पूण बहुमत होने से अधिवर्ता
 के प्रस्ताव के पास होत की कल्पना भी कठिन है उता त्रिा परामशरता है जो

प्रधान मंत्री की निजी कूटनीति के सद्गण वाहक हैं उसका प्रधानमन्त्रीय सचिवालय है जा अद्य म नालयो से सम्पक ही स्थापित नही करता बल्कि उह निर्देशन भी दता है और आवश्यकता हो तो उनकी उपेक्षा भी करता हे और उह फटकार भी देता है, निर्वाचन दनीय होने के स्थान पर प्रधानमन्त्रीय निर्वाचन' बन कर रह गये हैं। इस सभी तत्त्वो न मिल कर भारतीय प्रधानमन्त्री के पद का राष्ट्रपतियकरण (Presidentialisation) किया हे। ससदीय शासन का अध्यक्ष होते हुए भी प्रधान मन्त्री मे अमेरिकी राष्ट्रपति के गुण पाये जाते है। इन्ही गुणो के कारण प्रधान मन्त्री के पद का राष्ट्रपतियकरण हुआ है। जो गुण उसका राष्ट्रपतियकरण करते हैं उनमे प्रमुख निम्न हैं—

1 निर्वाचन प्रधानमन्त्रीय निर्वाचन ह— जिस तरह मे अमरीका म निर्वाचन "नेता" के नाम से लडे जाते है और जनता नेता का ही चुनाव करती है उसी प्रकार भारतीय समदात्मक प्रणाली के निर्वाचन मे भी यही तत्व पाया जाता है। मन् 1971 के लोक सभा का म यात्रवि चुनाव वस्तुत 'प्रधान मन्त्री' का निर्वाचन था। इस चुनाव की सबसे बडी विशेषता यह थी कि प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्रगतिशील, आशावादी, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी और धर्म निरपेक्ष-तावादी स्वरूप का प्रस्तुत किया और गरीबी हटाओ का नारा देकर सारे राष्ट्र की मनोदशा को अपने पक्ष मे कर लिया। दूसरी ओर, विरोधी दला का दृष्टिकोण प्रतिन्यावावादी निराशावादी, लोकतन्त्र विरोधी, समाजवाद विरोधी होने म व साधारण भारतीय जन मानम को अपील न कर सके। यही कारण था कि इंदिरा हवा' (Indira Wave) ने सारे राष्ट्र को प्रभावित किया और उमे लोकमभा म पूरा बहुमत प्राप्त हुआ। भारतीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी का भारतीय जनता के साथ यह सीधा सम्पर्क था जिसन प्रधान मन्त्री का पूरा साथ दिया। इस निर्वाचन मे "इंदिरा बचाओ" और 'इंदिरा हटाओ' के नारे ठीक उस प्रकार लगाये गये जिस प्रकार अमरीका मे राष्ट्रपति निर्वाचन म बनडी बनाम निकसन या निकसन बनाम मेकगर्थन के नारे लगाये जाते रहे है। मन् 1972 के राज्य विधान सभाका निर्वाचन मे भी इंदिरा हवा का प्रभाव अत्यधिक था। जून 1975 व गुजरात निर्वाचन मे यद्यपि इस "हवा" का व्यापक प्रभाव नही रहा परंतु 26 जून 1975 की आपात स्थिति की घोषणा ने जिस आशावाद, स्थिरता और राष्ट्रीय अनुशासन को जन्म दिया हे उससे स्पष्ट है कि प्रधान मन्त्री के नेतृत्व और उनके 21 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का जनता का पूरा समर्थन है। यह प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी के विकासशील व्यक्तित्व का अद्वितीय उदाहरण है। किसी एक नता के व्यक्तित्व का अपनी जनता पर इतना व्यापक और जादुई प्रभाव प्रजातान्त्रिक शासन के इतिहास म एक मात्र है। यह उनके व्यक्तित्व और व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का चमत्कार (Charisma) है। गुजरात म वावूभाई पटेल के नेतृत्व म जनता मार्च की सरकार का निर्माण किया गया है।

2 मन्त्री प्रधान मन्त्री के समकक्ष नहीं, अभिचरता और सहायक हैं— श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान मंत्रित्व काल की एक विशेषता यह है कि मंत्रिमण्डल मंत्रिमण्डलीय प्रणाली की सरकार के रूप में कार्य नहीं कर रहा बल्कि प्रधान मन्त्रीय प्रणाली की सरकार के रूप में कार्य कर रहा है। अमरीकी प्रणाली भाति भारतीय मंत्रिमण्डल सहयोगिया (Colleagues) की जमात नहीं जो एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर रह कर कार्य करते हैं बल्कि यह एसी प्रणाली है जिसमें मंत्रियों की स्थिति अग्रोन्स्थ की है। जिस तरह से अमरीकी मंत्रिमण्डल की बठका में राष्ट्रपति की इच्छा मंत्रियों (सचिवों) की इच्छा होती है उसी प्रकार भारतीय मंत्रिमण्डल की बठका में प्रधान मन्त्री की इच्छा मंत्रिमण्डल की ही नहीं दल की भी इच्छा हाती है। यहां भी प्रधान मन्त्रीय नियंत्रण का मूल उद्देश्य, अमरीकी अध्यक्षतात्मक प्रणाली की भाति, राष्ट्रीय नीतियां में एकता मंत्रिमण्डलीय सुटढता और दलीय अनुशासन को बनाये रखना है। दूसरे शब्दों में, भारतीय मंत्रिमण्डलीय प्रणाली में राष्ट्रपतीय प्रणाली की विशेषताओं का समावेश अत्यधिक होना लगा है।

अमरीका की भाति भारत में मंत्रियों का प्रधान मन्त्री की उत्पत्ति समाना जाता है जो उन्हें इच्छा से पदच्युत कर सकता है, गर्वान् प्रधान मन्त्री इच्छा से मंत्रियों को लाभ या पुरस्कार दे सकता है और विरोधियों को दण्डित कर सकता है। भारत में किसी भी मन्त्री को मंत्रिमण्डल से निकाला जा सकता है और किसी को भी प्रधानमन्त्री की इच्छा से मंत्रिमण्डल पद से विभूषित किया जा सकता है। किसी का भी एक मन्त्रालय से दूसरे मन्त्रालय में बदला जा सकता है। शासन मंत्रिमण्डल का नहीं, प्रधानमन्त्री का है मन्त्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं प्रधान मन्त्री के प्रति उत्तरदायी है, मन्त्री 'प्रासाद रक्षक (palace guards) है प्रासाद के सहवासी (inmates of the palace) नहीं। ये सब तत्त्व अध्यक्षतात्मक या राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार के तत्त्व हैं मंत्रिमण्डलीय प्रणाली की सरकार के नहीं।

भारत में, अमरीका की भाति सधात्मक नामन व्यवस्था है परंतु जहां अमरीका में सब के एक अधिक स्वायत्तता का उपयोग करते हैं तथा राज्या के गवर्नरों का राज्य की जनता द्वारा चुना जाता है वहां भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हाती है जिसका वास्तविक अर्थ है कि उनकी नियुक्ति केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा होती है। इसमें प्रधानमन्त्री की इच्छा ही अधिक बलशाली होती है। इतना ही नहीं, एक दल की प्रधानता हान के कारण राज्या के मुख्यमंत्रियों पर भी केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण रहता है। क्योंकि प्रधान मन्त्री का दल और शासन पर नियंत्रण है अतः अनेक परिस्थितियों में राज्या के मुख्य मंत्रियों का चयन भी प्रधान मन्त्री के हाथों में रहता है। उदाहरणतया मध्य प्रदेश में श्यामाचरण गुप्त के स्थान पर प्रकाश चन्द्र सेठी न असम में एम० एम० चौधरी के स्थान पर शरद चन्द्र सिंहा ने, उत्तर प्रदेश में बटुगुप्ता न, उड़ीसा में श्रीमती नरिंदनी सतपति न और

बिहार में जगन्नाथ मिश्र ने प्रधान मंत्री के परामर्श पर ही मुख्य मंत्री के पद को पदस्थ किया। दूसरे शब्दों में, अमरीकी राष्ट्रपति की भाँति भारतीय प्रधान मंत्री का नियंत्रण समूचे राष्ट्र पर रहता था।

3 निजी कूटनीति—राष्ट्रपतीय (अध्यक्षात्मक) प्रणाली की सरकार की एक विशेषता यह होती है कि राष्ट्रपति नीतिगतों का निमाण, विशेष कर विदेश नीति का निमाण स्वयं निधारित करता है और इसमें वह 'निजी कूटनीति' का प्रयोग करता है। इस मन्व्य में वह ऐसे विश्वासपात्र मंत्रियों या परामर्शदाताओं का सहारा लेता है जिनका महत्त्व मंत्रियों से भी अधिक समझा जाता है। उदाहरणतया अमरीका में राष्ट्रपति रजवल्ड गेन मंत्रियों के स्थान पर अपने मित्र हेरी हॉपकिंस पर अधिक निर्भर करते थे, राष्ट्रपति ट्रूमैन गाज एलन पर निर्भर करते थे और राष्ट्रपति निकसन सिंसिंगर पर अत्यधिक निर्भर करते थे। इतना ही नहीं, इन तथा अन्य राष्ट्रपतियों ने अपने इन देश बाह्यका को अपने मंत्रियों से भी उच्च स्थान प्रदान किया और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मंत्रियों के परामर्श की उपस्था की या उन्हें पदच्युत किया।

अमरीकी राष्ट्रपति की भाँति भारतीय प्रधान मंत्री ने भी अपनी निजी कूटनीति का सहारा लिया है। उदाहरणतया सर्वश्री डी० पी० घर, पी० एन० हकसर और जी० पाथशास्त्री प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विश्वासपात्र परामर्शदाता रहें हैं। कुछ परिस्थितियों में इन विश्वासपात्र परामर्शदाताओं का महत्त्व मंत्रियों से भी अधिक रहा है। उदाहरणतया सन् 1972 में भारतीय प्रधान मंत्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति के शिखर सम्मेलन में पूर्व श्रीमती गांधी ने विदेश मंत्री के स्थान पर श्री डी० पी० घर को इस्लामावाद से प्रारम्भिक बातचीतों के लिये भेजा। जून जुलाई 1972 में शिमला सम्झौते के समय श्री घर की भूमिका अति विदेश मंत्री (Super-Foreign Minister) जैसी थी। इसी तरह पी० एन० हकसर ने बंगला देश की सरकार से और जी० पाथशास्त्री ने जम्मू कश्मीर के प्लेबिसाइट फ्रंट (Plebiscite Front) के साथ प्रारम्भिक बातचीतों की। मंत्रिमण्डलात्मक प्रणाली में इन स दश बाह्यका का प्रयोग राष्ट्रपतीय प्रणाली का प्रतीक है।

4 प्रधानमंत्रिय सचिवालय—भारतीय प्रधानमंत्रियों के राष्ट्रपतीयकरण में प्रधानमंत्रियों के सचिवालय का अत्यधिक हाथ है। इस सचिवालय में सभी मंत्रालयों से सम्बन्धित खण्ड (sections) हैं जो मंत्रालयों से सम्पर्क ही स्थापित नहीं करते या उनसे सूचनाएँ ही प्राप्त नहीं करते बल्कि उन्हें सूचनाएँ देते हैं, निर्देश देते हैं, उनके परामर्शों को उपस्था करते हैं तथा आवश्यकता है तो उन्हें चेतावनी भी देते हैं। इस सचिवालय की सहायता से प्रधानमंत्री किसी मंत्रालय से सूचनाएँ प्राप्त किये बिना ही स्वतन्त्र निर्णय ले सकता है। विदेश नीति विषयक नियोजन समिति के सम्बन्ध में तो यह कहा जाता है कि वह विदेश मंत्रालय के समानांतर कार्य करती है।

उपयुक्त वणन से स्पष्ट है कि भारत में प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपतीय स्वरूप ग्रहण करता चला जा रहा है जिसके अनन्त दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। एम चेलापथी राव ने ठीक लिखा है कि ससदात्मक प्रणाली में प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति की भांति नहीं होता क्योंकि वह निम्न (निम्न) प्रचार के अधीन होता है और उसकी विस्तृत कायपालिका शक्ति का प्रत्येक दिशा में चुनौती दी जाती है परंतु सुरक्षित सत्ता के कारण जिसे आज का प्रधानमंत्री अपने पास रखता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपतीय स्वरूप को ग्रहण कर रहा है और शासन चलाने के उसने अपने ढंग है, यद्यपि कि वह अल्पकालिक न हो।¹

तीन प्रधान मंत्रियों (नेहरू-शास्त्री इन्दिरा) की राजनीतिक व्यूह रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन (A Comparative Study of Political Strategy of Three Prime Ministers—Nehru Shastri Indira)

तीन प्रधान मंत्रियों की राजनीतिक व्यूह रचनाओं में एक तथ्य से स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री नेहरू मंत्रिमण्डलात्मक प्रथाओं के पहले समय में और भारत में उनकी स्थापना के लिये उत्तरदायी थे शास्त्रीजी ने उन प्रथाओं का दृढ़तापूर्वक अनुसरण किया और इंदिराजी ने प्रधान मंत्री शासन प्रणाली का स्थापित करने का प्रयास किया है। इस काल में शासन मंत्रिमण्डलात्मक होने के स्थान पर प्रधान मंत्री या अध्यक्षतात्मक अधिक है।

नेहरूजी का व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली था। वे राष्ट्र के असहिष्णु नेता थे और सन् 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद वे दल और शासन के भी असहिष्णु नेता बन गये। वे मंत्रिमण्डल के सदस्यों को अपनी इच्छा से नियुक्त करते थे, अपनी इच्छा से उन्हें पदच्युत भी करते थे तथा उनके विभागों में हेर-फेर भी करते थे। परंतु फिर भी वे मंत्रिमण्डल के सदस्यों को अपना साथी और सहयोगी मानते थे। वे उनके परामर्श की अपेक्षा नहीं करते थे और न ही उनके साथी उनका समर्थन, या मंत्रिमण्डल की बैठकों, समझौतों में अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में घबराते थे। नेहरूजी मूलतः लोकतांत्रिक (Democratic) थे और अपने साथियों और कुछ मात्रा में प्रतिपक्ष के परामर्श को महत्त्व देते थे। उदाहरण तया राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद के परामर्श पर उद्धान जगजीवन राम का मंत्रिमण्डल में शामिल किया, मौलाना आजाद के परामर्श पर ही उद्धान राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद का दोबारा राष्ट्रपति पद के लिये चुना और 1962 में नेफा पराभव (debacle) के बाद इच्छा न होत हुए भी कृष्णा मेनन को मंत्रिमण्डल में नियुक्त किया। इतना ही नहीं, एक लोकतांत्रिक की भांति नेहरूजी न एस० के० पाटिल, मारारजी

1 Rau M Chalapathi: 'Jawahar and Indira in Blitz (Bombay) Nov 17, 1973 p 14 Quoted by Johari, J C Ibid p 293

दमाई जैसे बण्टवारी माधिया ने छुटवारा पाने के लिये 1963 मे "कामराज कुलहाडी" (Kamaraj axe) का प्रयाग किया। इसी प्रकार प्रधान मंत्री नेहरू ने राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के परामश पर ही 1950 मे हिंदू कोड बिल पर विचार स्थगित किया और 1958-59 मे सहकारी कृषि भूमि की उच्चतम सीमा अनाज का राष्ट्रीयकरण आदि पर निएया को स्थगित कर दिया। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि नेहरू ने साधिया के हर परामश को स्वीकार किया। उदाहरणतया 1960 प्रशासन मे भ्रष्टाचार के अपराधो की जाच के लिये एक स्वतंत्र टिबूनन के सी डी देशमुख, जो नेहरू मंत्रिमण्डल मे पहले जित्त मंत्री थे, के सुभाव को स्वीकार नहीं किया।

प्रधान मंत्री नेहरू ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल मे जिन स्वस्थ मंत्रिमण्डल आत्मन परम्पराओ को स्थापित किया उनमे प्रमुख निम्न हैं—

(i) मंत्रिमण्डल पर प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता— प्रधान मंत्री नेहरू ने अपने शासन काल मे इस प्रथा को दृढतापूर्वक स्थापित कर दिया कि मंत्रियों के चयन, उनकी पदच्युति और स्थापना तरण मे विभागा की गतिविधियो के निर्देशन और पारस्परिक सहयोग मे प्रधानमंत्री की इच्छा निएयाय है। जब पटेल ने प्रधानमंत्री द्वारा दूसरे मंत्रियों के मन्त्रालया मे हस्तक्षेप पर आपत्ति की और नेहरू को एक पत्र मे यह विचार व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री का पद श्रेष्ठता का है। वह समकक्षो मे प्रथम है। परन्तु उसे अपने साधिया की शक्ति को अधिभारित (over riding) करने का अधिकार नहीं। यदि ऐसा है तो मंत्रिमण्डल और मंत्रिमण्डलात्मक उत्तरदायित्व यथ है। तो प्रधानमंत्री नेहरू ने इसका स्पष्ट और दृढ उत्तर देते हुए कहा कि 'यदि प्रधान मंत्री का स्वतंत्र निएया लेने का अधिकार नहीं तो वह अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर सकता।' यदि मुझे प्रधान मंत्री रचना है तो मैं अपनी स्वतंत्रताओ पर मर्यादाओ को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रारम्भिक अनुभवा के बाद नेहरूजी ने पटेल की मृत्यु के बाद उप प्रधानमंत्री पद को ही समाप्त कर दिया।

(ii) मंत्रिमण्डल की राजनीतिक मतव्यता—दूसरी मंत्रिमण्डलात्मक प्रथा जिसकी प्रधान मंत्री ने स्थापना की वह मंत्रिमण्डल के राजनीतिक मतव्यता से सम्बंधित थी। यद्यपि नेहरू ने प्रारम्भ मे 5 गैर कांग्रेसी सदस्यों को (सवथी सी० एच० भाभा, एम० पी मुयर्जी समुक्लम चेट्टी, जॉन मेया, और डा० वी० आर० अम्बेदकर को अपने मंत्रिमण्डल मे लिया था परन्तु भेद उत्पन्न होने पर उन्हें त्याग पत्र देना पडा। उसके बाद नेहरू ने अपने मंत्रिमण्डल मे केवल कांग्रेस दल के सदस्यों को ही लिया। इतना ही नहीं, प्रधान मंत्री नेहरू ने अपने मंत्रिमण्डल मे से अपने ही दल के उन सदस्यों को निकाल दिया जो उनके विचारो से भल नहीं पाते थे अर्थात् नेहरू ने पटेल की मृत्यु के बाद पटेल के अनुयायियों का जस के० एम० आर० आर० दिवाकर, एन० वी० गडगिल का निकाल दिया। इन प्रथा का

सरण उनके उत्तराधिकारिया न भी दिया। इस तरह भारत में मंत्रिमण्डल लिये राजनीतिगत मतैक्यता के सिद्धांत का बत मिला।

(iii) शासन की सर्वोच्चता—नीमरी मंत्रिमण्डलगत प्रथा जिनकी स्थापना 1947 में की गयी वह शासन की सर्वोच्चता का सिद्धांत है अर्थात् शासन से निर्देशन प्राप्त नहीं करता बल्कि इन शासन से निर्देशन प्राप्त करता है। नवा कथन था कि शासन शासन के प्रति उत्तरदायी है, दल के प्रति नहीं। अतः दल संगठन प्रधानमंत्री की शक्ति पर मर्यादा नहीं लगा सकता। 1947 की शक्ति प्रथम मंत्री तथा मंत्रिमण्डल के स्थायी गुणधर्म तथा उसकी नीतियों को जो सतक पहुँचाना है। जिस दल से 1947 में आचार्य राजगोपालाचारी 1951 पुरुषोत्तम दास टण्डन (दास का प्रथम ने अध्यक्ष पद पर थे) से दुर्गेश्वर पाकर प्रथम मंत्री की सर्वोच्चता के सिद्धांत को लागू किया उसे उनके उत्तराधिकारिया अर्पणाया है। इंदिरा गांधी के शासन काल में (प्रारम्भिक काल का छोड़ कर) प्रथम मंत्री का पद पर जो नियम है वह पद्धितीय और आश्चर्यजनक है।

शास्त्रीजी के प्रधानमंत्रित्व का शासनकाल अत्यधिक छोटा है पर फिर भी इस छोट से काल में उन्होंने साहस से उच्च निश्चय, निष्ठापूर्वक बुद्धि और नेतृत्व का परिचय दिया। यद्यपि उनके कथन के समय मिण्डोक्रेट के सामूहिक नेतृत्व (Collective leadership) के सिद्धांत की कल्पना की थी परन्तु शास्त्रीजी ने मंत्रिमण्डल के प्रथम हेरफेर में ही स्पष्ट कर दिया कि वे मंत्रिमण्डल की नियुक्ति, उन पदच्युति, उनके विभागा में हेरफेर में अपनी सत्ता का स्वतंत्र और निःबाध रूप चाहते हैं। जसाकि उन्होंने कहा था कि 'जहाँ तक मरे मंत्रिमण्डल की रचना सम्प्रदाय है मैं किसी व्यक्ति से परामर्श नहीं किया उनमें नियुक्ति और परिवर्तन के लिये है मैं भविष्य में भी इस शक्ति को अपने पास रचना चाहता हूँ।' 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनके निष्ठापूर्ण राष्ट्रपति डॉ॰ राजगोपालाचारी लिये आश्चर्यजनक थे। लाहौर क्षेत्र में सेनाओं में भोजन का निष्ठा उनका स्वयं का था जनवरी 1966 में ताश्कन्द में जिन तूफानों में गांधी और आत्मनिश्चय का उच्च परिचय दिया वह उनके व्यक्तित्व को अभिप्रेत करना है।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने प्रधान मंत्रित्व पद को एक नियम प्रथम मंत्री के रूप में शुरू किया। इतना ही नहीं, 1967 के चौथे चुनाव में काग्रम परा- (debacle) के बाद उप-प्रधानमंत्री पद (Post of Deputy Prime Minister) का जिसे नेहरू ने 1950 में मरदारपटन की मृत्यु के बाद समाप्त कर दिया पुनः स्थापित किया गया। इस पद पर मोरारजी देसाई का नियुक्त किया गया

1 See Mankekar D R Lal Bahadur A Biography Quoted by Gupta D C National Movement and Constitution Development p 456

Flaming Soul of Nation's Personality), आदि। ये सत्रार्ये ॡ० जवाहरलाल नेहरू को 17 वष के प्रवानमंत्रित्व काल के बाद म भी नही दी गयी थी।

समीक्षा प्रश्न

(Review Questions)

- 1 भारतीय मंत्र परिषद की प्रमुख विशेषताओ की व्याख्या कीजिये।
- 2 मंत्र परिषद और मंत्रिमण्डल मे क्या अंतर है ? मंत्र परिषद की रचना, काय और स्थिति का वरण कीजिये।
- 3 "समक्षो मे प्रथम" क्या यह कथन भारतीय प्रवान मंत्री की शक्ति और स्थिति का सही मूल्याकन ह ? व्याख्या कीजिये।
- 4 "श्रीमती इंदिरा गाधी की नई राजनीतिक व्यूह रचनाओ के कारण ससदात्मक शासन ने प्रवान मंत्रीय शासन का रूप ग्रहण कर लिया है।' क्या आप इस कथन से सहमत हे ? कारण सहित उत्तर लिखिये।
- 5 भारत के प्रवान मंत्री के रूप मे जवाहरलाल नेहरू, लान बहादुर शान्नी और इंदिरा गाधी की राजनीतिक काय-शली की तुलना कीजिये।
- 6 "भारत म प्रधान मंत्री के पद का राष्ट्रपतियकरण हो गया है।' याह्या कीजिये।
- 7 "प्रधान मंत्री मंत्रिमण्डल रूपी मेहराव की आधार शिना है।" याह्या कीजिये।

भारतीय संसद

(The Indian Parliament)

परिचय (Introduction)

संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। अथ संघीय व्यवस्थापिकाओं की भांति भारतीय संसद भी द्वि सदनात्मक व्यवस्थापिका है। उच्च सदन को राज्य सभा और निम्न सदन को लोक सभा कहा जाता है। जमा कि नामा से ही स्पष्ट है, राज्य सभा भारतीय संघ के एका (राज्या) का प्रतिनिधित्व करती है और लोक सभा भारतीय लोगों का। जहां उच्च सदन का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधान सभाओं द्वारा होता है वहां लोक सभा का निर्वाचन वरन् नगरपालिका के स्तर पर प्रत्यक्षत लोगों द्वारा होता है।

इंग्लैण्ड में गवर्नर काउंसिल नाम का अभिन्न अंग है। उनी प्रका भारतीय संविधान अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाता है। इन अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संसद दो सदना और राष्ट्रपति से मिल कर बनती है। द्वि-सदना की भांति, भारत में भी राज्याध्यक्ष (राष्ट्रपति) संसद के अंगों में से एक है, उसका सहायक बनता है तथा उसे समय से पूर्व ही हटाया जा सकता है। संसद द्वारा पास किय गये कानूनों पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर उन्हें अधिप्रमाणित करता है। संक्षेप में, भारतीय संसद ब्रिटेन की संसद प्रणाली की भांति वायपालिका का व्यवस्थापक (संसद) का अभिन्न अंग है। उनमें सामंजस्य बनाये रखता है। इन अंगों में भारतीय संसद अंगों को संसद में शामिल है क्योंकि अंगों का भी शक्ति पृथक्-पृथक् अलग-अलग माना होने से संसद का प्रभाव अधिक अभिन्न अंग नहीं। राष्ट्रपति को संसद एक अंग के रूप में माना जाता है परंतु भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को संसद का अंग माना नहीं गया है। जिस तरह अंगों को संसद के अंग माना जाता है, संसद के अंगों को पुनरावलोकन तथा मूल अधिकारों का अंग माना जाता है। संसद के अंगों को शक्तियां भी संविधान के अंगों के अंग माना जाता है। भारतीय संसद के अंगों को अधिकारों द्वारा मनाया है। भारतीय संसद के अंगों को

भाति यहा भी समायोजन की प्रवृत्ति पायी जाती है। यहा ब्रिटिश के ससदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत और अमरीकी 'यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत में समायोजन किया गया है। यदि सर्वोच्च 'यायालय ससद द्वारा पास किये गये कानूनो की बधता और अवधता की जाच कर सकती है तथा कानूनो के सविधान के विपरीत होने पर उन्हें अवध घोषित कर सकती है तो ससद भी 'यायालय के निणय को प्रभावहीन बनान के लिए सविधान में सशोधन कर सकती है।

क्या भारतीय ससद सम्प्रभु है ?

(Is Indian Parliament Sovereign ?)

भारतीय ससद के सम्बन्ध में प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि क्या वह एक सम्प्रभु ससद है ? यद्यपि भारतीय सविधान ब्रिटेन की भांति भारत में ससदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है परंतु यह ब्रिटिश ससद की भांति सर्वोच्च या सम्प्रभु नहीं। इसका कारण यह है कि जहा ब्रिटेन में सविधान अलिखित है, वहा की शासन व्यवस्था एकात्मक है वहा की 'यायालयों ससदीय कानूनो की बधता और अवधता की जाच नहीं करती वहा भारतीय सविधान लिखित, यहा की शासन व्यवस्था सघात्मक है और सर्वोच्च 'यायालय ससद द्वारा पारित किये गये कानूनो की बधता और अवधता की समीक्षा करती है। ये सब तत्त्व भारतीय ससद की सम्प्रभुता पर मर्यादायें हैं।

ब्रिटेन में ससद सब कुछ कर सकती है। जसाकि डी० लोमे ने कहा है कि 'ससद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, और सब कुछ कर सकती है।' वह सब प्रकार के साधारण और असाधारण तथा सवधानिक कानूनो का निर्माण कर सकती है। वह धार्मिक, नागरिक और सनिक कानूनो का निर्माण कर सकती है। वह कानूनो को प्रमाणित करती है, उनकी व्याख्या करती है, उन्हें पुनर्जीवित कर सकती है तथा रद्द कर सकती है। वह राजतन्त्र को समाप्त कर गणतन्त्र स्थापित कर सकती है, आदि। जसाकि डायसी ने लिखा है कि ससद "एक बालक को बालिका घोषित कर सकती है, वह मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है। वह अवध सत्तान को बध सत्तान बना सकती है और, यदि वह उचित समझे, तो किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है।" दूसरे शब्दों में, ब्रिटेन में 'ससद की सम्प्रभुता असंदिग्ध कानूनो तथ्य है।' और उस पर कोई कानूनो या सवधानिक बाधायें नहीं। जसाकि ब्लैकस्टोन ने लिखा है कि 'ससद की शक्ति एक अधिचार क्षेत्र इतना महान् स्पेक्ट एव अनियंत्रित है कि उस पर न किसी व्यक्ति का, न किसी कारण का, और न किसी मर्यादा का कोई बन्धन है।' -

भारतीय ससद ब्रिटिश ससद की भांति सर्वोच्च नहीं और न ही वर्तमान परिस्थितियों में उगने सम्प्रभु हान के कोई सयोग (Chances) है। राजनीतिक मर्यादायें के प्रतिरिक्त भारतीय ससद पर निम्न सवधानिक मर्यादायें हैं -

(i) लिखित एव कठोर सविधान — भारतीय सविधान लिखित सविधान है अतः ससद संवधानिक उपबन्धों की सीमाओं में ही कार्य कर सकती है। जब कभी ससद द्वारा पास किया गया कोई कानून संवधानिक उपबन्धों की उल्लंघना करता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। दूसरे, भारतीय सविधान कठोर है। ससद इसमें स्वयं संशोधन नहीं कर सकती है। यह सत्य है कि सविधान के विकास के भाग को ससद अपने साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है परन्तु महत्वपूर्ण संशोधनों जैसे अनुच्छेद 54, 55 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बंधित हैं या भाग 5 का अध्याय 4 जो सर्वोच्च न्यायालय से सम्बंधित है, आदि को ससद आधी राज्य विधान सभाओं के अनुसमर्थन के बिना संशोधित नहीं कर सकती।

(ii) सविधान का सघात्मक स्वरूप — भारतीय सविधान का स्वरूप सघीय है और सघीय सविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें शक्तियों का विभाजन सघ और उसके एकको में किया जाता है। जहाँ एक सघ बनाने की इच्छा रखते हैं वहाँ वे अपनी स्वायत्तता भी बनाये रखना चाहते हैं। अतः राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों को सघीय शासन को और स्थानीय महत्त्व के विषयों को स्थानीय शासन को सौंप दिये जाते हैं। भारत में भी सघीय ससद को सघ सूची में दिये गये 97 विषयों और समवर्ती सूची के 47 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जबकि राज्य विधान सभाओं को राज्य सूची के 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। भारत सघ की इकाईया सघ के अभिकरण मान नहीं। जिस प्रकार सघीय सरकार अपनी शक्तियों को सविधान से प्राप्त करती है उसी प्रकार राज्य विधान सभाएँ सविधान से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। कोई एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। यह सत्य है कि ससद असाधारण या विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची में दिये गये विषयों पर कानून बना सकती है। परन्तु ये व्यवस्थाएँ अल्पकालीन हैं स्थायी नहीं।

(iii) यायिक, पुनरावलोकन — भारत में सविधान सर्वोच्च है, ससद नहीं। सविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए न्यायालय सतक पहरेदार की तरह विद्यमान है। जिस सविधान ने ससद का उत्पन्न किया है तथा उसे कानून बनाने की शक्तियाँ दी हैं उसी सविधान ने न्यायालय को उत्पन्न किया है। भारतीय सविधान यद्यपि अमरीकी सविधान की तरह न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित नहीं परन्तु भारतीय न्यायालय ससद द्वारा पास किये गये कानून की वैधता और अवधता की जांच करती है और यदि कोई कानून संवधानिक धाराओं के विपरीत है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसे न्यायिक निषेधाधिकार कहते हैं।

(iv) मूल अधिकार — अध्याय तीन में उल्लिखित मूल अधिकार भी ससद की कानून निर्माण की शक्ति पर मर्यादाएँ लगाते हैं। अनुच्छेद 13 (2) के अनुसार यदि ससद या कोई कानून नागरिकों के मूल अधिकारों की उल्लंघना करता है तो वह उस सीमा तक अवैध है जिस सीमा तक वह उनकी उल्लंघना करता है। यद्यपि ससद

अतः संवैधानिक संशोधना द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है परन्तु यह तरीका कठोर है सरल नहीं। विशेष कर उस परिस्थिति में जब संसद में किसी दल का पूर्ण बहुमत न हो तो संशोधन के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत को प्राप्त करना कठिन हो जायेगा।

(v) राष्ट्रपतीय निषेधाधिकार —संसद द्वारा पास किये गये कानून तभी लागू होते हैं जब राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर कर देता है। राष्ट्रपति चाहे तो कानून को अस्वीकार कर सकता है और चाहे तो उस पर पुनर्विचार के लिए वापस लौट सकता है। यद्यपि भारतीय राष्ट्रपति के पास अमरीकी राष्ट्रपति की भांति जेबी निषेधाधिकार (pocket vote) नहीं परन्तु भारतीय संविधान इस विषय पर शांत है कि राष्ट्रपति कितने समय तक किसी विधेयक को अपने पास रख सकता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक पर अनावश्यक देरी कर सकता है। यह सत्य है कि राष्ट्र द्वारा अस्वीकृत या पुनर्विचार के लिए भेजे गये विधायकों पर, यदि उन्हें संसद दोबारा साधारण बहुमत से पाम कर देती है, दोबारा निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता परन्तु यह तथ्य ही संसदात्मक शक्ति पर मर्यादा है कि राष्ट्रपति के पास निषेधाधिकार है।

(vi) संसद की शक्तियों में ह्रास (पतन) —यदि यह मान भी लिया जाय कि भारतीय संसद अतः राष्ट्रपतीय निषेधाधिकार, यात्रिक निषेधाधिकार और संवैधानिक मर्यादाओं को संवैधानिक संशोधनों द्वारा प्रभावहीन बना सकती है परन्तु इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि दिखाई देने वाला संवैधानिक तथ्य राजनीतिक और व्यावहारिक तथ्य नहीं। वस्तुतः आज भारतीय संसद तो दूर ब्रिटिश संसद भी सर्वोच्च नहीं क्योंकि संसद आज मंत्रिमण्डल के हाथों की कठपुतली है। यह मंत्रिमण्डल की इच्छा पर कार्य करती है। यह सत्य है कि मंत्रिमण्डल संसद की उत्पत्ति (creature) है परन्तु इस उत्पत्ति का अपनी जननी को नष्ट या भंग कराने का अधिकार है। संसद में बहुमत रहते मंत्रिमण्डल मनमायी कर सकता है और यह बतपना है कि संसद आज मंत्रिमण्डल को अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा पदच्युत कर सकती है। आज दलीय अनुशासन और नियंत्रण इतना अधिक है कि कोई सदस्य अपने राजनीतिक जीवन के लिए स्वतंत्रा मोल लेकर ही दलीय आदेशों और निर्देशों की उल्लंघना कर सकता है। इतना ही नहीं, मंत्रिमण्डल ही देश की गृह और विदेश नीति, सामाजिक और आर्थिक नीति का निर्धारण करता है। मंत्रिमण्डल ही संसद में कानूनों के प्रस्तावों का प्रस्तुत करता है और उसकी इच्छा से ही कानून निर्मित या संशोधित होते हैं। गर सत्कारी कानूनों का पास होना सम्भव है। संसद या बजट पर नियंत्रण नाम मात्र का मंसद में या बहुमत रहते बजट का क्या पाम हो जाता है मंत्रिमण्डल की आलोचना कर उसे परमान कर पदच्युत नहीं कर सकती। आज

न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मर्यादाओं की। सक्षेप में, जो शक्तियाँ सर्वैधानिक तौर पर संसद के पास समझी जाती हैं उनका वास्तविक प्रयोग मंत्रिमण्डल करता है संसद नहीं।

क्या संसद के मूल अधिकारों के अध्याय में संशोधन का अधिकार होना चाहिये ?

पिछले 25 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामने उभर कर आया है वह यह है कि क्या भारतीय संसद को नागरिकों के मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार होना चाहिये ? यह प्रश्न वस्तुतः 1967 में गोलकनाथ के मुकदमे में दिये गये निर्णय से उत्पन्न हुआ है। इस निर्णय से पूर्व भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह के मुकदमों में इस बात का स्वीकार कर लिया था कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में परिवर्तन कर सकती है। परन्तु गोलकनाथ के मुकदमे में न्यायालय का दृष्टिकोण यह था कि संसद की संशोधन की शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 245, 246 और 248 से व्युत्पन्न होती हैं अनुच्छेद 368 से नहीं जा केवल "प्रक्रिया" (procedure) से सम्बंधित है। संशोधन एक विधायी प्रक्रिया है। संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत "कानून" है। अतः यदि कोई कानून अध्याय तीन (मूल अधिकारों से सम्बंधित अध्याय) में वर्णित अधिकारों को कम करता है या उनका हर्षण करता है तो वह कानून अवैध है। न्यायालय ने यह भी उदघोषणा की कि संशोधन 1, 4 और 17 मूल अधिकारों को कम करते हैं अतः वे अवैध हैं। परन्तु भावीकालापेक्षी अधिप्रभावी (prospective over ruling) सिद्धांत के अनुसार यह निर्णय भावीकालापेक्षी ही हो सकता है अतः संशोधन 1, 4, और 17 वैध रहेंगे। न्यायालय ने यह उदघोषणा भी की कि इस तिथि के बाद (27 फरवरी, 1967) संसद संविधान के अध्याय तीन में वर्णित मूल अधिकारों को कम या हर्षण करने की दृष्टि से संशोधन नहीं कर सकती।

न्यायालय के उक्त निर्णय ने सारे देश में व्यापक आलोचना का जन्म दिया। संसद के अंदर व बाहर जा विचार व्यक्त किये गये वे दो प्रकार के थे। एक विचार तो यह था कि उक्त निर्णय संसद की शक्ति पर प्रहार है और संसद का अपनी सम्प्रभुता अभिव्यक्त करने के लिए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रभावहीन बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिये। प्रतीपा के नेता श्री नाथ पांडे ने तो संसद की शक्ति का पुनः स्थापित करने के लिए संसद में 7 अप्रैल, 1967 का लोकसभा में एक संवैधानिक संशोधन भी प्रस्तुत किया। इस संशोधन पर अनेक बार विचार भी हुआ परन्तु पास न हो सका। इस प्रकार की विचारधारा रखने वालों की मान्यता है कि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की भाँति सर्वोच्च है और उस संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है।

दूसरी विचारधारा ऐसे लेखकों और समदलों की है जिनका विश्वास है कि

स्पष्ट है कि जब वभी 'यायपालिका के निम्न कयपालिका की सामाजिक और आर्थिक नीतियों में बाधक सिद्ध होते हैं तो उसका सही माग जनमत संग्रह द्वारा लोगों के अधिदेश (mandate) के आधार पर सविधान में गम्भीर सशोधन करने चाहिये जैसा कि 1971 के निर्वाचन के बाद 24 वें, 25 वें और 26 वें सशोधन के लिए किया गया। यह सत्य है कि 24 वें सशोधन द्वारा ससद ने मूल अधिकारों में भी सशोधन करने की शक्ति को पुन प्राप्त कर लिया है परन्तु सविधान की मूल धाराओं (मूल अधिकारों सहित) में सशोधन के साथ भारतीय जनता को अवश्य मिलाना चाहिये अर्थात् जनमत संग्रह द्वारा या नव निर्वाचन द्वारा, जो इस उद्देश्य से ही कराया जाय, भारतीय जनता का अनुसमर्थन प्राप्त करना चाहिये। किसी अस्थायी ससदीय बहुमत को बहुमत के नशे में सविधान की आत्मा को नष्ट करने का अधिकार नहीं होना चाहिये वरना बहुमत के सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा मिलेगा जो लोकतन्त्र को ही सत्ता में डाल सकता है।

राज्य सभा

(The Council of States)

रचना—राज्य सभा भारतीय ससद का उच्च सदन है। इसे 'बयोवृद्ध सदन' (House of Elders) भी कहा जाता है। इसके कुल सदस्यों की संख्या 250 है जो लोक सभा के सदस्यों की आधी संख्या से भी कम है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 243 है। इनमें से 231 सदस्यों को राज्य विधान सभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल सन्नमण प्रणाली द्वारा अपत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। जहाँ राज्य विधान सभाएँ नहीं हैं वहाँ प्रतिनिधियों का निर्वाचन इस उद्देश्य से स्थापित निर्वाचन मण्डल द्वारा होता है। अर्थात् 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों से नामांकित करता है। इस तरह राज्यों की राज्य विधान सभाओं द्वारा इसका निर्वाचन करा कर जहाँ संघीय सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया गया है वहाँ नामांकित प्रणाली द्वारा उन व्यक्तियों की सेवाओं का उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योग्यताएँ और अनुभव रखते हैं और जो या तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते या चुनाव में पराजित हो जाते हैं।

राज्य सभा भारतीय संघ के एकको के प्रतिनिधित्व करता है परन्तु इसमें अमरीकी और स्विस संघीय सविधानों में संघ के उच्च सदन की भांति एकको के समान प्रतिनिधित्व की प्रणाली को नहीं अपनाया गया। जहाँ अमरीकी सीनेट में प्रत्येक बड़े छोटे राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है वहाँ भारतीय राज्य सभा में संघ के एकको को जन संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। यही कारण है कि राज्य सभा में जहाँ नागालण्ड का एक प्रतिनिधि है वहाँ उत्तर प्रदेश के 34 प्रतिनिधि हैं।

योग्यताये —कोई भी व्यक्ति राज्य सभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए निर्वाचन लड़ सकता है यदि उसके पास निम्न योग्यतायें हैं —

(i) वह भारत का नागरिक हो ।

(ii) वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।

(iii) उसके पास वे सब योग्यतायें हों जो संसद के कानून द्वारा निर्धारित की गयीं हों । सन् 1951 के लोक प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्य सभा के सदस्य के लिए उस राज्य में संसद का निर्वाचक (elector—मतदाता) होना चाहिये जहाँ से वह चुनाव लड़ना चाहता है ।

अयोग्यतायें —निम्न व्यक्ति राज्य सभा की सदस्यता के लिए अयोग्य माने गये हैं —

(i) जिन्हें न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया हो, या जो निवासिय हों या जो विदेशी हों ।

(ii) जिन्हें संसद के कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो ।

(iii) जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद प्राप्त हो । मंत्रियों या संसद के कानून द्वारा छोड़े गये व्यक्तियों पर यह अयोग्यता लागू नहीं होती ।

कायकाल—लोक सभा के विपरीत राज्य सभा एक स्थायी सदन है । यह पूरात कभी भंग नहीं होती । इसके सदस्यों को 6 वर्षों के लिये निर्वाचित किया जाता है । इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में सेवा निवृत्त (retire) हो जाते हैं । कोई सदस्य समय से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है । यदि कोई व्यक्ति सदस्यता के दौरान कोई अयोग्यता ग्रहण कर लेता है तो वह अपनी सदस्यता खो बैठता है । राज्य सभा का कोई सदस्य यदि लोक सभा या राज्य विधान सभा के लिये निर्वाचित हो जाता है या बिना आगे के 60 दिन तक राज्य सभा की कायवाही में हिस्सा नहीं लेता तो अयोग्यता ग्रहण करने से उसका पद रिक्त समझा जाता है ।

गणपूर्ति—राज्य सभा की बैठका के लिये गणपूर्ति तभी पूरी समझी जाती है जब सदन के कुल सदस्यों का दसवा भाग (1/10 भाग) उपस्थित हो । इसके बिना सदन की बैठकें नहीं हो सकती ।

पदाधिकारी—राज्य सभा के अपने पदाधिकारी हात हैं । उप राष्ट्रपति पद (ex-officio) राज्य सभा का महापति होता है । सदन स्वयं अपने सदस्यों में से एक को उप-महापति निर्वाचित करती है । महापति की अनुपस्थिति में उप महापति निर्वाचित करती है । महापति की अनुपस्थिति में सदन की बैठका का अध्यक्षता करता है । उप राष्ट्रपति का राज्य सभा का महापति होना के नाते में ही 2,250 रु० मासिक वेतन मिलता है और उप महापति का 2,000 रु० मासिक वेतन मिलता है ।

राज्य सभा की शक्तियाँ

राज्य सभा की शक्तियाँ न तो अमरीकी सीनेट की भाँति सर्वोच्च और प्रतिभाशाली हैं और न ही ब्रिटिश लाउ सभा की भाँति दुबल हैं। जहाँ कुछ क्षेत्रों में लाउ सभा अधिक शक्तिशाली है, वहाँ अन्य कुछ क्षेत्रों में राज्य सभा और लोक सभा की शक्तियाँ समान हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो केवल राज्य सभा के ही विशेषाधिकार हैं इन विशेष क्षेत्रों में प्रारम्भिक वायदाही राज्य सभा के हाथों में हैं लोक सभा के हाथों में नहीं। राज्य सभा की शक्तियाँ का निम्न विदुआ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

A वह क्षेत्र जिसमें लोक सभा राज्य सभा से सर्वोच्च है

इस क्षेत्र के अंतर्गत निम्न शक्तियों को व्यक्त किया जा सकता है —

1 विधायी शक्तियाँ—जहाँ तक विधायी शक्तियाँ का सम्बन्ध है राज्य सभा लोक सभा की शक्तियों के समान शक्तियाँ का उपयोग करती है। साधारण और संवैधानिक विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के लिये भेजा जाता है। इसका अर्थ यह है कि साधारण विधेयकों को राज्य सभा अस्वीकार कर सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है। स्पष्ट है कि भारतीय राज्य सभा ब्रिटिश लाउ सभा से अधिक शक्तियों का उपयोग करती है क्योंकि लाउ सभा किसी साधारण विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, वह केवल उसे एक वर्ष के लिये विलम्ब कर सकती है। भारत में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त बैठक की व्यवस्था की जा सकती है। इस संयुक्त बैठक में लोक सभा की जीत निश्चित होती है क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या राज्य सभा के सदस्यों की संख्या से दुगुनी से भी अधिक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का स्पीकर करता है। इस दृष्टि से भारतीय राज्य सभा अमरीकी सीनेट से कम शक्तिशाली है क्योंकि, अमरीका में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में समाधान समिति (Conciliation Committee) की व्यवस्था है जिसमें सीनेटरों की योग्यता और अनुभव के कारण जीत सीनेट की होती है।

2 वायपालिका शक्तियाँ—राज्य सभा के पास वायपालिका शक्तियाँ प्रायः नगण्य हैं क्योंकि मंत्र परिषद लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है राज्य सभा के प्रति नहीं। राज्य सभा मंत्र परिषद से प्रश्न पूछ सकती है, स्थगन प्रस्ताव तथा काम राकों प्रस्ताव रख सकती है तथा प्रशासन से सम्बंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकती है। राज्य सभा मंत्र परिषद की आलोचना कर सकती है परंतु लोक सभा की भाँति राज्य सभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उसे समय से पूर्व पदच्युत नहीं कर सकती। इस क्षेत्र में भारतीय राज्य ब्रिटिश लाउ सभा के समान है परंतु अमरीकी सीनेट कम शक्तिशाली है। अमरीकी सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गयी उच्च पदा की नियुक्तियों और राष्ट्रपति द्वारा दूसरे देशों से की गयी संधियों का

अनुसमयन कर कायपालिका शक्तियों के उपभोग में साभेदार है। इतना ही नहीं सीनेट की शोध (जाच) समितियों से सारा अमरीकी प्रशासन कापता है।

3 वित्तीय शक्तियाँ—वित्तीय शक्तियाँ भी राज्य सभा के पास प्रायः नगण्य हैं। वित्तीय विधेयक केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उच्च सदन में नहीं। लोक सभा द्वारा पास किये गये वित्त विधेयक को राज्य सभा को 14 दिन के अंदर-अंदर अवश्य पारित करना होता है। वित्त विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये सशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करना लोक सभा के ऊपर निर्भर करता है। वित्त विधेयक को बंधारा राज्य सभा के पास भेजने की आवश्यकता नहीं। इस क्षेत्र में भारतीय राज्य सभा की शक्ति ब्रिटिश लाड सभा की भाँति ही है यद्यपि वह वित्त विधेयक को एक महीने तक विलम्ब कर सकता है। अमरीकी सीनेट की शक्ति तो वित्त विधेयक में अत्यधिक है क्योंकि वह इसमें शीपक को छोड़ कर समूचे वित्त विधेयक में परिवर्तन कर सकता है।

B वह क्षेत्र जिसमें राज्य सभा और लोक सभा की शक्तियाँ समान हैं

बुद्ध क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ राज्य सभा की शक्तियाँ लोक सभा के समान हैं। इन शक्तियों को निम्न विदुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है —

(i) साधारण और सर्वैधानिक विधेयकों में राज्य सभा और लोक सभा की शक्तियाँ समान हैं। राज्य सभा और लोकसभा की सहमति से ही एम कानून बन सकते हैं। जसा कि ऊपर कहा गया है इसमें अतः लोक सभा की विजय होती है क्योंकि लोक सभा के सदस्यों का संख्या राज्य सभा के सदस्यों की संख्या से दुगुनी है और समुक्त बटन लोक सभा के दृष्टिकोण की विजय अवश्यम्भावी है।

(ii) राष्ट्रपति के निर्वाचन और पदच्युति में राज्य सभा की शक्तियाँ लोक सभा के समान हैं। अथ उच्च पदाधिकारियों की पदच्युति में भी राज्य सभा की शक्तियाँ लोक सभा के समान हैं क्योंकि पदच्युति का कोई भी प्रस्ताव तब तक राष्ट्रपति को संबोधित नहीं किया जा सकता जब तक उसे दोनों सदनों द्वारा पास न किया जाय।

(iii) राष्ट्रपति द्वारा सक्टावलीन की घोषणा का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा होना अनिवार्य है। मूल अधिवारों का स्थगित करने वाली उद्घोषणा का अनुसमयन भी दोनों सदनों द्वारा होना अनिवार्य है।

(iv) प्रस्ताव विधान के अंतर्गत कायपालिका द्वारा बनाय गये नियमों और विनियमों का अनुसमयन दोनों सदनों द्वारा होना अनिवार्य है।

(v) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं मूलेमा परीक्षण, वित्त आयोग तथा अन्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पर दोनों सदनों विचार विमर्श करते हैं आदि।

C यह क्षेत्र जिसमें राज्य सभा को ही विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं

संविधान राज्य सभा को बुद्ध ऐंग में भी प्रदान करता है जिसमें प्रारम्भ

त्रिया राज्य सभा द्वारा ही की जा सकती है। इस क्षेत्र के अतगत आने वाले प्रमुख विषय निम्न हैं—

(i) अनुच्छेद 249 के अतगत राज्य सभा अपने प्रस्ताव द्वारा, जिसे दो-तिहाई सन्धियों द्वारा पास किया गया हो, राज्य सूची में दिये गये किसी विषय का राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित कर, लोक सभा को उस पर कानून बनाने के लिये अधिवृत्त कर सकती है। यद्यपि यह कानून 1 वर्ष तक लागू रहता है परन्तु राज्य सभा पुनः प्रस्ताव पास कर सकती है और अगणित बार इस तरह कर सकती है।

(ii) अनुच्छेद 312 के अतगत राज्य सभा राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवा की रचना कर सकती है।

(iii) लोक सभा के भंग या सत्र में न होने की स्थिति में राज्य सभा राष्ट्रपति की सङ्कटकालीन घोषणाओं पर प्रतिबन्ध लगा सकती है।

(iv) उप राष्ट्रपति को पदच्युत करने के प्रस्ताव को राज्य सभा द्वारा ही प्रारम्भ किया जा सकता है।

राज्य सभा का मूल्यांकन या राज्य सभा की त्रुटियाँ एवं उपयोगितायें

राज्य सभा की शक्तियों के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारत में राजनीतिक गुस्साकरण का केन्द्र लोक सभा है राज्य सभा नहीं। राज्य सभा तो केवल विलम्बकारी और पुनर्विचार करने वाला सदन है। जसा कि गोपाल स्वामी आयर ने कहा था कि राज्य सभा को निर्मित करने में सविधान निर्माताओं का उद्देश्य यह था कि वह सदन "महत्वपूर्ण विषयों पर शानदार वाद विवाद कर और उन विधेयकों को पारित करने में विलम्ब कर जिन्हें लोक सभा में शीघ्रता में जोश से पारित कर दिया है।" अनेक आलोचकों को तो इसके विलम्बकारी और पुनर्विचार करने वाला सदन होने में भी सन्देह है। डा० अम्बेदकर के लिये तो यह "अशांति में ही अच्छा" है। जे० पी० सूद तो इसे विश्व के निबल सदन में भी मानता है। उनकी धारणा है कि राज्य सभा लोक सभा से भी निबल है।² एम० पी० शर्मा का विश्वास है कि यह केवल "प्रचलित द्विसदनात्मक फ़शन"³ को अभिव्यक्त करता है। मारिन जोस का मत है कि राज्य सभा, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, अपनी विशिष्ट भूमिका का विकास करने में असफल रही है।⁴

आलोचना न जिन आधारों पर राज्य सभा की आलोचना की है और जा त्रुटियाँ प्रदर्शित की हैं उनमें प्रमुख निम्न हैं —

- 1 To me it is like the curate's egg—good only in parts
Dr Ambedkar Quoted by Palmer Norman D Ibid, p 128
- 2 Sarda J P Indian Constitutional Development and National Movement
- 3 Sharma M P The Govt of the Indian Republic, p 147
- 4 Morris Jones, W H Parliament in India p 257

(i) राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर दलीय हितों का प्रतिनिधित्व करता है—आलोचका का कथन है कि जिन सिद्धांतों के आधार पर राज्य सभा की रचना की गयी है वे सघीय सिद्धांतों के अनुकूल नहीं। इनका कहना है कि राज्य सभा का राज्य विधान सभा द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन दलीय भावनाओं को जन्म देता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रतिनिधियां क दृष्टिकोण को दलीय बनाती है, राज्तीय नहीं। राज्यों के हितों का समर्थन करने के स्थान पर प्रतिनिधि राज्य सभा में दलीय हितों का समर्थन करते हैं। दूसरे, राज्य सभा की रचना में भारत सभ के एकको का समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह है कि घनी आवादी वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व अत्यधिक है और वे सदन की कायवाही पर छाये रहते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दलीय भावनाओं को प्रोत्साहन देता है। के० वी० राव तो राज्य सभा के नाम को ही असंगत मानते हैं। उनका कहना है कि यदि राज्य सभा राज्यों के हितों की रक्षा नहीं करती तो उसे राज्य सभा कहना असंगत है।¹

(ii) नामांकित प्रणाली का दुरुपयोग—आलोचका का कथन है कि संविधान निर्माताओं ने 12 सदस्यों को नामांकित करने की व्यवस्था इसलिए रखी थी कि विज्ञान, कला, क्षेत्र और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान और योग्यता रखने वालों को नामांकित किया गया है। इस प्रणाली का दुरुपयोग किया गया है और ऐसे व्यक्तियों को नामांकित किया गया है जिन्हें जनता ने निर्वाचन में पराजित किया है। अतः इस प्रणाली का प्रयोग दलीय हित में किया गया है।

(iii) निष्पक्ष एवं स्वतंत्र आचरण का अभाव—द्वितीय सदन की रचना करने का उद्देश्य यह था कि इसके सदस्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और अनुभव के आधार पर विधेयको, प्रस्तावों आदि पर विचार करेंगे। परंतु यहाँ भी सदस्यों का आचरण दलीय भावनाओं से प्रभावित रहा है। सदस्यों ने अपने अनुभव और बौद्धिक परिपक्वता से काम नहीं लिया।

(iv) परम्परागत प्रतिद्वन्द्विता—आलोचका का यह भी कथन है कि राज्य सभा अपनी स्थिति का प्रति सचेत (status conscious) है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिये 'परम्परागत प्रतिद्वन्द्विता' को जन्म दिया है। अनेक अवसरों पर राज्य सभा ने अपने विरोध का प्रकट किया है। 1970 में राजाजी के प्रिवीपंस का समाप्त करने वाला अध्यादेश संसद में राज्य सभा में विरोध के कारण असफल हुआ।

उपरोक्त त्रुटियाँ और आलोचनाओं के बाद भी राज्य सभा का अध्ययन या फालतू करना गलत है। दूसरी अपनी अपनी उपयोगिताएँ हैं जिन्हें निम्न सिद्धांतों द्वारा अभियन्त किया जा सकता है—

(i) राज्य सभा के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किये जाते हैं जिनकी व्यावहारिक उपयोगिता है। उदाहरणतया उच्च पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, यायाधीश, लोकसेवा आयोग के सदस्य, आदि) की पदच्युति में यह लोक सभा के समान शक्तियों का उपभोग करता है अतः लोक सभा ऐसे कार्यों को रोप या जल्दबाजी में नहीं कर सकती। सफट बाल की स्थिति के अनुसमथन में भी राज्य सभा लोक सभा के समान शक्तिया का प्रयोग करती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यह राज्य सूची के किसी विषय का समवर्ती सूची में रख सकती है और अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवा की रचना कर सकती है। इन विशिष्ट कार्यों को देखकर ही एम० बी० पायली ने कहा कि "राज्य सभा सरकारी मशीनरी का महत्वपूर्ण भाग है। यह दिखावा पात्र या अनावश्यक विशेषण नहीं।"¹

(ii) इस सदन में उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जो वयवद्ध, परिपक्व और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। यद्यपि इस व्यवस्था का दलीय हितों के लिये दुष्प्रयोग किया गया है परंतु इससे इस व्यवस्था का महत्व कम नहीं होता।

(iii) यह सत्य है कि राज्य सभा की रचना में सभ की इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का नहीं अपनाया गया, फिर भी इसके सदस्यों का निर्वाचन एका की विधान सभाओं द्वारा होता है। अतः यह एका का प्रतिनिधित्व करती है।

(iv) अनेक विधेयों पर विचार विमर्श करके इसने लोक सभा के मूल्यवान समय की बचत की है। अनेक सरकारी और गैर सरकारी प्रस्ताव राज्य सभा में ही प्रस्तुत किये गये। इसके द्वारा अनेक ऐसे विधेयों पर विचार किया गया जिनका सम्बन्ध हिन्दुओं के सामाजिक सुधार से था जैसे हिन्दू विवाह कानून हिन्दू अल्प वयस्क एवं अभिभावक कानून, हिन्दू उत्तराधिकारी कानून तथा हिन्दू गोद तथा पोषण कानून, आदि। राज्य सभा के इस कार्य के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए पी० विजय राघवन ने लिखा है कि "राज्य सभा का ऐसे कानूनों को निमित्त बनने का श्रेय जाता है जिनके बारे में यह दावा उचित है कि उनके द्वारा भारत के बहुसंख्यक लोगों को प्रभावित करने वाले सामाजिक सुधारों का समारम्भ हुआ है।"²

(v) यह सत्य है कि राज्य सभा अपने प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमण्डल को समय में पूर्व पदच्युत नहीं कर सकती। परंतु इतना अवश्य है कि राज्य सभा शाखा से प्रश्न पूछकर, निर्दा व स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सरकार को "परेशान" तो कर सकती है और अपने भाषणों द्वारा उसे प्रभावित कर सकती है। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं

1 Pylee, M V Ibid p 380

2 Vijayaraghavan P Second Chamber of the Indian Legislature p 187 Quoted by Palmer, Norman D Ibid, p 129

की जा सकती कि राज्य सभा में ऐसे राजनीतिज्ञ होते हैं जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान और योग्यता एवं अनुभव प्राप्त होता है।

लोक सभा

(The House of People)

रचना—लोक सभा भारतीय सदन का निम्न सदन है। यह भारतीय लोगों का सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन मार्बलौविक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से भारतीय लोगों द्वारा होता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक, जो अथ किसी प्रकार से अयोग्य न हो, जो 21 वर्ष की आयु ग्रहण कर चुका हो और जो निर्वाचन क्षेत्र में 180 दिन तक रह चुका हो, उसे लोक सभा के निर्वाचन में मत देने का अधिकार है। यद्यपि भारतीय संविधान ने साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया है परंतु फिर भी अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन जातियों के लिए स्थान सुरक्षित है। राष्ट्रपति एंग्लो इण्डियन समुदाय में लोक सभा में दो प्रतिनिधियों का नामांकित कर सकता है यदि उसे विश्वास हाँ जाय कि इस समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ।

प्रारम्भ में लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या 525 निश्चित की गयी थी, 500 प्रतिनिधि राज्यों के लिए और 25 प्रतिनिधि केन्द्र प्रशासित प्रदेशों के लिए निश्चित किये गये थे। परंतु सन् 1973 के 31वें संशोधन द्वारा इसके कुल सदस्यों की संख्या 545 निश्चित कर दी गयी है, 525 प्रतिनिधि राज्यों के लिए और 20 प्रतिनिधि केन्द्र प्रशासित प्रदेशों के लिए निश्चित किये गये हैं।

लोक सभा का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर होता है। निर्वाचन आयोग जन गणना के आधार पर प्रत्येक राज्य और केन्द्र प्रशासित प्रदेश को लोक सभा के लिये स्थानों को आवंटित (allot) करता है। राज्य को आवंटित किये गये स्थानों को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है। प्रतिनिधि और जन संख्या का अनुपात प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगभग बराबर होता है पहले चुनाव क्षेत्र इस तरह बनाये जाते थे कि प्रत्येक सदस्य कम से कम 5,00,000 और अधिक से अधिक 7,50,000 जन संख्या का प्रतिनिधित्व करे। परंतु जन संख्या के बढ़ जाने के कारण यह आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

योग्यताएँ—कोई भी व्यक्ति लोक सभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए निर्वाचन में सक्षमता है यदि उसके पास निम्न योग्यताएँ हों—

(i) वह भारत का नागरिक हो।

(ii) वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(iii) उसके पास वह सब योग्यताएँ हों जिन्हें समद ने कानून द्वारा निर्धारित किया हो।

अयोग्यताएँ—(i) कोई नागरिक एक समय पर राज्य सभा और लोक सभा अथवा लोक सभा और राज्य विधान सभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि

कोई व्यक्ति दो सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक की सदस्यता छोड़नी पड़ती है।

(ii) वह भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी निगम में जिसमें सरकार के वित्तीय हित हैं, किसी लाभ के पद पर विद्यमान नहीं होना चाहिए। यह अयोग्यता मंत्रियों तथा सदन के किसी कानून द्वारा मुक्त पदों पर लागू नहीं होती।

(iii) वह किसी भी अधिकारपूरण न्यायालय द्वारा पागल घोषित न किया गया हो।

(iv) वह दिवालिया न हो।

(v) वह विदेशी न हो।

(vi) उसने कोई ऐसा अपराध न किया हो (जैसे चुनाव भ्रष्टाचार का दोषी अभक्ति, चुनाव खर्च का व्यौरा न देना, सरकार के साथ किसी प्रकार के समझौते से बंधा होना, आदि) जिससे उसने अयोग्यता ग्रहण करली हो।

कायकाल—लोक सभा का सामान्य कायकाल 5 वर्ष है। समय से पूर्व राष्ट्रपति लोक सभा को भंग कर सकता है जसाकि राष्ट्रपति बी. वी. गिरि ने प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के परामर्श पर दिसम्बर 1970 को लोक सभा को भंग कर 1971 में मध्यावधि निर्वाचन कराये। राष्ट्रपति के इस कार्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संकट काल में लोक सभा अपने कानून द्वारा अपने कायकाल का एक समय पर एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। मसद इस प्रकार के कानून द्वारा कितने वर्ष तक अपना कायकाल बढ़ा सकती है इस पर संविधान शांत है। संविधान केवल इस बात की व्यवस्था करता है कि संकट के समाप्त होने के बाद 6 महीने के अंदर लोक सभा के निर्वाचन सम्पन्न होने चाहिए।

गणपूर्ति—लोक सभा की बैठकों की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों के दसवें भाग का उपस्थित होना अनिवार्य है। संविधान इस बात की भी व्यवस्था करता है कि लोक सभा के अधिवेशन के बीच 6 महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होना चाहिए।

पदाधिकारी—स्पीकर और उप स्पीकर लोक सभा के प्रमुख पदाधिकारी हैं। इन दोनों का निर्वाचन लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में उप स्पीकर सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दोनों की अनुपस्थिति में संविधान 6 सभापतियों की नाभिका (Panel of Chairmen) की व्यवस्था करता है जिसमें से कोई एक सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। स्पीकर ही लोक सभा में अनुशासन बनाये रखता है, उसकी मर्यादा की रक्षा करता है तथा व्यवस्था के प्रश्नों पर अपने विनिर्णय देता है जो अंतिम होते हैं।¹

1 स्पीकर की शक्तियाँ और महत्त्व को बलान विस्तार पूर्वक इस अध्याय में पृथक् रूप से दिया गया है।

लोक सभा (संसद) की शक्तियाँ

लोक सभा की शक्तियाँ को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है—

1 **विधायी शक्तियाँ**—लोक सभा का प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना है। यह संघीय सूची और संघवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। विशेष परिस्थितियों में यह राज्य सभा के प्रस्ताव पर अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची में दिये गये किसी विषय पर, जिसे राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर दिया गया हो, कानून का निर्माण कर सकती है। असाधारण (संवत्कालीन) परिस्थितियों में यह राज्य सूची में दिये गये किसी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है।

लोक सभा की विधायी शक्तियों में राज्य सभा उसकी साझेदार है। कोई विधेयक दोनों सदन की सहमति के बिना पारित नहीं हो सकता। साधारण विधेयकों में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संविधान दोना सदन की संयुक्त बैठक की व्यवस्था करता है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा की स्पीकर करता है। संयुक्त बैठक में लोक सभा के दृष्टिकोण की विजय अवश्यम्भावी है क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या राज्य सभा से दुगुनी है।

2 **वित्तीय शक्तियाँ**—लोक सभा का राष्ट्रीय वित्त पर पूरा नियंत्रण है। इसकी अनुमति के बिना न तो एक पाई कर के रूप में वसूल की जा सकती है और न एक पाई किसी मद पर खर्च की जा सकती है। वित्त के क्षेत्र में लोक सभा की शक्ति निर्णायक है। प्रथम तो वित्त विधेयक केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरे, लोक सभा द्वारा पास किये गये वित्त विधेयक को राज्य सभा अधिक से अधिक 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। राज्य सभा द्वारा दिये सुझाव या किये गये संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करना लोक सभा पर निर्भर करता है। दुबारा वित्त विधेयक का राज्य सभा के पास भेजने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरे लोक सभा का स्पीकर ही इस बात को निर्धारित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं।

3 **कार्यपालिका पर नियंत्रण**—लोक सभा का कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण होता है। इस क्षेत्र में भी लोक सभा की शक्ति राज्य सभा से अधिक है क्योंकि मंत्रिमण्डल लोक सभा के प्रति ही संयुक्त रूप से उत्तरदायी है और लोक सभा के विश्वास पर ही वह अपने पद पर बना रह सकता है। लोक सभा मंत्रिमण्डल में प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव पास कर सकती है और यदि आवश्यकता हो तो अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिमण्डल को पदच्युत कर सकती है। मंत्रिमण्डल के विरुद्ध लोक सभा अनेक पहलुओं से अविश्वास को प्रकट कर सकती है जैसे बजट में किसी मद की

कटौती कर, मन्त्रियों के वेतनो में कटौती है, सरकारी विधेयको को अस्वीकार कर तथा गर सरकारी विधेयको को स्वीकार कर सकती है, आदि ।

4 मिश्रित शक्तिया—इस शीपक के अतगत लोक सभा अनेक शक्तिया का उपभोग राज्य सभा के साथे में करती है । इनमें प्रमुख शक्तिया निम्न है—

(i) सविधान म सशोधन करना । भारतीय सविधान एक सघीय सविधान है परन्तु फिर भी सशोधन का प्रस्ताव केवल ससद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है । 24वें सशोधन के अनुसार ससद मूल अधिकारा में भी सशोधन कर सकती है ।

(ii) राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है ।

(iii) राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, यायाधीशो तथा अय उच्च पदाधिकारिण की पदच्युति के प्रस्ताव में हिस्सा लेती है ।

(iv) राष्ट्रपति द्वारा की गई सकटकालीन घोषणाओ का अनुमोदन करती है । इसकी स्वीकृति के बिना सकटकालीन घोषणा दो महीने से अधिक जारी नहीं रह सकती ।

(v) लोक सभा अपने पदाधिकारियों (स्पीकर, उप स्पीकर) का निर्वाचन स्वयं करती है ।

(vi) इसके विशेषाधिकारो की उल्लघना करने वालो को दण्डित कर सकती है ।

(vii) स्वतंत्र सरकारी अभिकरणो द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदना अर्थात् केन्द्रीय लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग, अनुसूचित जातिया और अनुसूचित जन जातियों के आयाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनो पर विचार करती है ।

(viii) भारतीय सघ में नये राज्य के प्रवेश (जसाकि सिक्किम को भारत सघ का 22वा राज्य बनाया गया है), वतमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में कानून बना सकती है ।

(ix) भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने तथा उसे समाप्त करने के सम्बन्ध में कानून बना सकती है ।

(x) लोक सभा अपने कानून द्वारा अपने कायकाल को बढ़ा सकती है ।

(xi) सदन के वाय सचालन के सम्बन्ध में कानूना का निर्माण कर सकती है ।

(xii) राज्यों की प्राथना पर राज्य विधान परिषद (उच्च सदन) का निर्मित या समाप्त कर सकती है ।

(xiii) ससद के सदस्यों के विशेषाधिकारो को निर्मित कर सकती है ।

(xiv) किसी राज्य के लिए उच्च यायालय का निर्माण कर सकती है ।

(xv) प्रदत्त शक्तियों के अतगत कायपालिका द्वारा बनाय गये नियमों और विनियमों पर नियंत्रण, आदि आदि ।

लोक सभा के पदाधिकारी (Officers of Lok Sabha)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोक सभा के पदाधिकारियों की व्यवस्था की गयी है । इस अनुच्छेद के अनुसार लोक सभा का एक अध्यक्ष (स्पीकर) और एक उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) होता है जिनका निर्वाचन लोक सभा अपने सदस्यों में से करती है । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या अध्यक्ष का पद रिक्त होने के स्थान पर उपाध्यक्ष लोक सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है । इन दो पदाधिकारियों के अतिरिक्त सभापतियों की नामिका' (Panel of Chairmen) का भी व्यवस्था है । इस नामिका में 6 सदस्य होते हैं जिन्हें समय-समय पर अध्यक्ष नामांकित करता है । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभापतियों की इस नामिका से कोई सभापति लोक सभा की बैठक का सभापतित्व करता है । जब सभापति अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो वह उही अधिकारों, शक्तियों, आदि का प्रयोग करता है जो अध्यक्ष के पास होती है ।

भारतीय संविधान लोक सभा के सचिवालय की व्यवस्था अनुच्छेद 98 में करता है । सचिवालय के अध्यक्ष को सचिव कहते हैं जो सदन से सम्बंधित कार्य के लिये प्रशासनिक और कायपालिका सम्बंधी कार्य करता है । एक प्रकार से वह सदन और उसकी समितियों तथा सदस्यों के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है । उसकी भूमिका एक स्थायी सिविल सेवक की भांति होती है । दलीप नीतिया या सदन की राजनीतिक प्रतिकूल प्रवृत्तियाँ (Political cross-currents) से उसका कोई सम्बंध नहीं होता ।

स्पीकर (The Speaker)

स्पीकर का पद अत्यंत गौरव, प्रतिष्ठा, सम्मान और शक्ति का है । वह सदन का प्रवक्ता, उसकी शक्तियाँ, विशेषाधिकारों और मर्यादाओं का अभिरक्षक (custodian) होता है । पूर्वताक्रम में (order of precedence) में उसका स्थान सदन का है और उसे सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के समान समझा जाता है । यह पद गौरवपूर्ण होत हुए भी उसकी प्रतिष्ठा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी निष्ठा और निष्पक्षता के ऊपर निर्भर करती है जो इस पद पर बैठा है । जर्मनी की संसद और संसद ने लिखा है कि 'स्पीकर लोक सभा का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति (पार्लियामेंट) और औपचारिक अध्यक्ष है । सदन की चार-दीवारी के अंदर उसका सत्ता सर्वोच्च है । यह सत्ता स्पीकर की निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय निष्पक्षता के ऊपर

निभर करती है उसके पद की मुख्य विशेषता और उसके जीवन का कानून यही है।'¹

नियुक्ति, कायकाल और पदच्युति—स्पीकर का निर्वाचन लोक सभा अपने सदस्यों में से करती है। प्रत्येक पुनर्गठित लोक सभा का प्रथम काय यही है कि वह अपने स्पीकर का निर्वाचन करे। जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त हाने हैं उसे स्पीकर घोषित कर दिया जाता है। भारत के लोक सभा के स्पीकर के निर्वाचन के सम्बन्ध में उन प्रथाओं का विकास नहीं हुआ जिनका विकास ब्रिटेन की कॉमन सभा के स्पीकर के लिये किया गया है। अर्थात् भारत में स्पीकर ब्रिटेन की भाँति न तो निर्वाचन मण्डल में निर्वाचन चुना जाता है और न ही लोकसभा में उसका निर्वाचन औपचारिक मात्र है। अर्थात् भारतीय स्पीकर का विरोध निर्वाचन मण्डल में भी किया जाता है और लोकसभा में भी इस पद के लिये सघष होता है। अतः भारतीय स्पीकर के पद के लिये इस क्वावत का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिसका प्रयोग ब्रिटिश स्पीकर के लिये किया जाता है, कि 'एक बार स्पीकर बन जाने के बाद वह सबदा स्पीकर' रह सकता है।

स्पीकर का निर्वाचन पाच वर्ष के लिये होता है। परन्तु यदि इस समय से पूर्व लोक सभा भंग हो जाती है तो उसका कायकाल भी समाप्त हो जाता है परन्तु वह उस समय तक काय करता है जब तक पुनर्गठित लोकसभा नये स्पीकर का निर्वाचन नहीं कर लेती। स्पीकर चाहे तो वह समय से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है जिसे प्रचार कि स्पीकर नीलम साजीरा रेडडी ने 1969 में राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव लड़ने के लिये समय से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। लोकसभा की सदस्यता खो बठन पर भी स्पीकर अपने पद से वचित हो जाता है। अनुच्छेद 94 (c) के अनुसार लोक सभा अपने सदस्यों के पूरा बहुमत के प्रस्ताव द्वारा स्पीकर को समय से पूर्व अपने पद से पदच्युत कर सकती है। इस प्रस्ताव के पास करने से पूर्व स्पीकर को 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है।

वेतन व भत्ते—स्पीकर के वेतन और भत्ते लोकसभा के कानून द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। इस समय स्पीकर को 2,250 रु० मासिक वेतन और 500 रु० भत्ते के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त स्पीकर को रहने के लिये निःशुल्क सरकारी भवन और मेडिकल सुविधाएँ प्राप्त हैं। वह अपने तथा अपने परिवार के लिये यात्रा भत्ते भी ले सकता है। स्पीकर की निष्पक्षता को बनाये रखने के लिये सविधान उसके वेतन और पद के अथ खर्चों को भारत की सचिव निधि पर भारित करता है।

1 Kaul and Shakhder Practice and Procedure of Parliament
Ed 1 p 85 Quoted by Johari, J C Indian Govt and Politics
p 325

शक्तियाँ और काय—लोकसभा के स्पीकर की कुछ शक्तियाँ सविधान में उल्लिखित हैं पर तु अधिकांश शक्तियाँ अभिसयो पर ही आधारित हैं। ससदीय काय बाही तथा सचालन नियम, 1950 (Rules of Procedure and Conduct of Business in Parliament, 1950) में स्पीकर की जिन शक्तियाँ का वर्णन किया गया है उन्हें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से चार भागों में बाटा जा सकता है। (1) नियामक (Regulatory) (2) पयवेक्षकीय (Supervisory) (3) प्रशासनिक (Administrative) और (4) विशिष्ट (Special)।

1 नियामक शक्तियाँ—स्पीकर की नियामक सम्बन्धी शक्तियाँ वे हैं जिनका सम्बन्ध सदन में व्यवस्था से है। इसके मुख्य उदाहरण निम्न हैं—

(i) सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाये रखना।

(ii) भिन्न भिन्न विषयों पर विचार-विमर्श के लिये समय निर्धारित करना तथा सदस्या को मायता देकर बोलने की आज्ञा देना।

(iii) स्पीकर की अनुमति के बिना कोई प्रस्ताव (जैसे स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव) प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

(iv) व्यवस्था प्रश्नों (points of order) को स्पीकर स्वीकार करता है।

(v) सविधान तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों की व्याख्या स्पीकर करता है तथा उन्हें लागू भी स्पीकर करता है।

(vi) मतदान के लिये विषयों को सदन में प्रस्तुत करता है तथा परिणामों को घोषणा करता है।

(vii) सविधान स्पीकर को सदन में मतदान का अधिकार नहीं देता परन्तु जब गतिरोध उत्पन्न हो जाता है अर्थात् जब किसी विषय पर बराबर मत आ जाते हैं तो विषय के निपटारे के लिये अपन निर्णायक मत (casting vote) का प्रयोग कर सकता है।

(viii) जब कोई मंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है तो सदन में स्पष्टीकरण की आज्ञा देता है।

(ix) विषयों के निपटारे के लिये वह विनियम (Rulings) देता है। उसके विनियम अन्तिम होते हैं।

(x) यदि किसी समय सदन की बैठक के लिये गणपूर्ति न हो तो स्पीकर सदन को स्थगित कर सकता है।

(xi) सदन के विचाराधीन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्पीकर सदस्या के प्रबोध (enlightenment) के निम्न सदन को सम्बोधित कर सकता है।

(xii) सदन के नेता अर्थात् प्रधानमंत्री की प्राप्ति पर स्पीकर सदन की गुप्त बैठक की आज्ञा दे सकता है।

(xiii) सदन की कार्यवाही अंग्रेजी और हिन्दी में होती है परन्तु यदि कोई सदस्य अपनी भावनाओं में बोलना चाहता है तो स्पीकर उसकी आज्ञा दे सकता है।

परंतु स्पीकर उस सदस्य के भाषण के अग्रणी और हिंदी में अनुवाद की शीघ्र व्यवस्था करता है।

2 पर्यवेक्षणीय शक्तियाँ—स्पीकर की पर्यवेक्षणीय शक्तियाँ वे हैं जिनके अंतर्गत वह सदन की कायवाही का पर्यवेक्षण करता है। इसके मुख्य उदाहरण निम्न हैं—

(i) सदन की बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है।

(ii) स्पीकर ससदात्मक समितियों के प्रधान के रूप में कार्य करता है। नियम और काय संचालन जसी समितियाँ या तो अध्यक्ष ही सभापतित्व करता है।

(iii) स्पीकर भिन्न भिन्न समितियों के सभापतियों को नियुक्त करता है।

(iv) स्पीकर ससदात्मक समितियों की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देशन दे सकता है।

(v) सदन या उसकी समितियों के लिये स्पीकर सरकार को सूचनाएँ प्रदान करने के लिये कह सकता है।

(vi) सदन में असम्बद्ध और अससदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है और यदि कोई सदस्य अभद्र और दोषारोपण शब्दों को वापस नहीं लेता तो स्पीकर उन्हें सदन की कायवाही से निकाल सकता है।

(vii) स्पीकर सदस्या को सदन में मायता प्रदान करवाने के लिये आज्ञा देता है।

(viii) अनियमित (गडबडी पैदा करने वाले) आचरण के कारण स्पीकर किसी सदस्य का नामोच्चारण (naming) करके उसे सदन को छोड़ने के नियम कह सकता है और यदि कोई सदस्य उसके आदेशों की अवहेलना करता है तो स्पीकर "मार्शल और वाच एंड वाड स्टाफ" (Marshall and Watch & ward staff) की सेवाएँ प्राप्त कर सकता है तथा अनियमित सदस्य को सदन से उठाकर बाहर भिजवा सकता है।

(ix) गम्भीर अव्यवस्था के कारण स्पीकर सदन की कायवाही को स्वगित कर सकता है।

(x) स्पीकर की आज्ञा के बिना लोक सभा की सीमा के अंतर्गत कोई कानूनी कायवाही नहीं की जा सकती।

(xi) स्पीकर विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार करता है तथा अपराधी को हिरासत में लेने के लिये आदेश देता है।

(xii) सदन जिन व्यक्तियों को विशेषाधिकारों की उल्लंघना करने पर दण्डित करता है स्पीकर उस दण्ड को लागू करवाता है।

3 प्रशासनिक शक्तियाँ—स्पीकर की प्रशासनिक शक्तियाँ वे हैं जो सदन के प्रशासन से सम्बन्धित हैं। इसके मुख्य उदाहरण निम्न हैं—

(i) स्पीकर मसदीय सचिवालय पर नियंत्रण रखता है।

(ii) प्रेस और जनता के लिये लॉबी और गेलरी को नियमित करता है।

(iii) स्पीकर सदन के सदस्यों के लिये निवास और अन्य सुविधाओं का व्यवस्था करता है।

(iv) स्पीकर सदन तथा उसकी समितियों की बैठकों के लिये व्यवस्था करता है।

(v) स्पीकर सदन की कायवाही और अभिलेखा के अनुरक्षण (Maintenance) की व्यवस्था करता है।

(vi) स्पीकर सदन के सदस्यों और स्टाफ के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिये पर्याप्त प्रबंध करता है।

(vii) स्पीकर सदस्यों के त्यागपत्र का स्वीकार या अस्वीकार करता है। सचिवान के 33 वें संशोधन के अनुसार स्पीकर इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं किसी सदस्य न दवाब में आकर तो अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया यदि उस विश्वास हो जाय कि त्याग पत्र दवाब के कारण दिया गया है तो वह उसे स्वीकार करने से इंकार कर सकता है।

4 विशिष्ट शक्तियाँ—स्पीकर की विशिष्ट शक्तियों के मुख्य उदाहरण निम्न हैं—

(i) स्पीकर इस बात का निर्धारण करता है कि अनुक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं।

(ii) सदन द्वारा पास किये गये विधेयकों को स्पीकर प्रमाणित करता है।

(iii) विधेयक के पार होने के बाद जो त्रुटियाँ उसमें रह जाती हैं उन्हें दूर करने का स्पीकर को विशेषाधिकार है।

(iv) जब कभी लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक हाता है तो स्पीकर उन (संयुक्त) बैठकों की अध्यक्षता करता है।

(v) संसदीय शिष्टमण्डल के सदस्यों को नामांकित करता है।

(vi) राष्ट्रपति और सदन के मध्य पत्र व्यवहार की मुख्य कड़ी स्पीकर है।

(vii) सदन का कायकाल समाप्त होने पर स्पीकर अंतिम समारोह का सम्बोधित करता है।

स्पीकर की स्थिति या भारतीय और ब्रिटिश तथा अमरीकी स्पीकरों की तुलना

भारतीय स्पीकर की स्थिति ब्रिटिश और अमरीकी स्पीकरों के मध्य की है। ब्रिटिश स्पीकर पूर्णतया निष्पक्ष ही नहीं होता बल्कि निदर्शी भी होता है। ब्रिटिश स्पीकर केवल सदन में ही नहीं बल्कि अपने सामाजिक जीवन में अपने तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार का बनाय रखता है। वह तो भोजन की मेज पर भी सावजनिक नीतियाँ के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त नहीं करता। स्पीकर पद पर नियुक्त होने

ही ब्रिटिश स्पीकर अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। वह न तो दल की बैठका में हिस्सा लेता है, न दलगत प्रश्नों पर विवाद करता है, न दलीय समाचार पत्रों या वक्तव्यों से कोई सम्बन्ध रखता है, न दलीय मंच पर कोई भाषण देता है। सन् 1945 में कामन सभा के स्पीकर क्लिफ्टन ब्राऊन ने अपने सम्बन्ध में कहा था कि 'अध्यक्ष के रूप में, मैं न तो सरकार का आदमी हूँ और न विरोधी दल का। मैं तो रामायण सभा का आदमी हूँ और सबसे बड़ा ऊँट मैं पीछे बैठने वालों का आदमी हूँ। सक्षेप में ब्रिटिश स्पीकर ऐसा निर्दोशी (referee) हाता है जो यह देवता है कि राजनीति के खेल को खेल के नियमों के अनुसार खेला जा रहा है या नहीं।

दूसरी ओर, अमरीकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर पूरातया दलीय हाता है। सदन में उसका निर्वाचन दलीय आधार पर होता है अर्थात् वह सदन में बहुमत दल का नेता होता है और विधि निर्माण में उसका प्रमुख हाथ होता है। सदन में वह दल की नीतियाँ का समर्थन करता है। वह वाद विवाद में हिस्सा लेता है, प्रेस को वक्तव्य देता है। दलीय पत्र पत्रिकाओं से, दलीय बैठका से, दलीय नीतियों से उसका गहरा सम्बन्ध होता है। सक्षेप में अमरीकी स्पीकर अपने कार्यों, विचारों और दृष्टिकोण में दलीय हाता है। दलीय होने के कारण अमरीकी स्पीकर की प्रतिष्ठा ब्रिटिश स्पीकर से बहुत कम है। अमरीकी स्पीकर के दलीय होने का मुख्य कारण यह है कि अमरीका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है और सदन में नेतृत्व करने के लिये कार्यपालिका अनुपस्थित हाती है।

भारत में ब्रिटिश नमूने की सदस्यीय प्रणाली का अपनाया गया है और लोक सभा के स्पीकर के पद को भी ब्रिटिश नमूने का बनाया गया है परन्तु फिर भी भारतीय स्पीकर को वह गौरव, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त नहीं जो ब्रिटिश स्पीकर को प्राप्त है। इसका मूल कारण यह है कि भारत के स्पीकरो ने उस निष्पक्षता और निदलीयता का परिचय नहीं दिया जिसका ब्रिटिश स्पीकर भूतिमान है।

भारत के सविधान निर्माता लोक सभा के स्पीकर का निदलीय और निष्पक्ष बनाना चाहते थे और इसी उद्देश्य से उ होंने सविधान में निम्न व्यवस्थाओं की —

(i) स्पीकर के वेतन और भत्तों को सदन की वोट में परे रखा अर्थात् स्पीकर के वेतन, भत्तों तथा उसके पद के अन्य खर्चों भारत की सचिन निधि (consolidated fund of India) पर भारित होते हैं।

(ii) सविधान स्पीकर को कोई मतधिकार प्रदान नहीं करता। उसके पास केवल निर्णायक मतधिकार (Casting vote) है जिसका प्रयोग वह केवल गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में करता है।

स्पीकर की निष्पक्षता की आवश्यकता पर बल देते हुए प० जवाहरलाल नेहरू ने 18 मार्च 1948 को विठ्ठलभाई जे० पटेल (Vithalbhaj J Patel) की

सूक्ति का अनावरण करते हुए कहा था कि 'स्पीकर सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन की प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता का प्रतिनिधित्व करता है और क्योकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है अतः स्पीकर राष्ट्र की स्वतन्त्रता का बिह है। अतः यह ठीक है कि उसकी स्थिति सम्मान और स्वतन्त्रता की होनी चाहिये और इस पर' पर ऐसे व्यक्ति हाने चाहिये जिनकी अपनी योग्यता और निष्पक्षता उत्कृष्ट है।'

भारतीय संविधान निर्माताओं की इच्छाओं के बावजूद भारतीय स्पीकर प्रतिष्ठा और गौरव का पद होते हुए भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सका इसके मुख्य कारण निम्न है —

(i) भारतीय स्पीकर का निर्वाचन निर्विरोध नहीं होता। स्पीकर नियुक्त होने के बाद वह अपने दल की सदस्यता से त्याग पत्र नहीं देता अर्थात् वह अपने दल से सम्बन्ध बनाये रखता है और दलीय दृष्टिकोण से प्रभावित रहता है। श्री नीलम संजीवा रेड्डी को छोड़ कर भारत के किसी स्पीकर ने स्पीकर नियुक्त हान के बाद अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया।

(ii) सदन के कार्य संचालन में भी भारतीय स्पीकर का आचरण पूरणा निरदलीय और निष्पक्ष नहीं रहा। अनेक ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जहाँ स्पीकर के विनियम (rulings) दलीय दृष्टिकोण से प्रभावित थे। उदाहरणतया जब 30 नवम्बर, 1959 को सरकार आठवें संवधानिक संशोधन पर बहुमत प्राप्त न कर सकी तो स्पीकर ने असाधारण परिस्थितियों का सहारा लेकर 'मतदान' को स्वंगित कर दिया। इस उदाहरण का दायकर ही प्रो० के० वी० राँव ने यह विचार व्यक्त किया है कि 'स्पीकर के पद का प्रयोग सत्तारूढ दल के हितों का रक्षा हेतु किया जा रहा है।'¹

(iii) पूरणा निष्पक्षता का अभाव में भारतीय स्पीकर प्रतिपक्ष के विश्वास का पात्र नहीं बन सका। संवधानिक इतिहास के पिछले 25 वर्षों में स्पीकरों के विरुद्ध इस आधार पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये कि प्रतिपक्ष को उनकी निष्पक्षता पर विश्वास नहीं रहा। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव 18 दिसम्बर, 1954 को प्रथम स्पीकर जी० वी० भावलकर के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया परन्तु वह पास न हो सका। दूसरे अविश्वास प्रस्ताव की सूचना (notice) समाजवादी नेता मधु लिमाय ने पाचवें स्पीकर गुन्दयान सिंह दिल्ली के विरुद्ध 3 मार्च 1975 को दी जिसे बाद में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सूचना प्रस्ताव में दिल्ली पर 18 आरोप लगाय गये थे। इस सूचना में कहा गया था कि स्पीकर ने अपनी प्रतिष्ठा का हान किया है। य प्रस्ताव भारतीय स्पीकरों के संसदीय आचरण का अभिव्यक्त करत है। वस्तुतः भागनाय

1 Rao K. V. Parliamentary Democracy of India p 110 Quoted by Johari J C Ibid p 331

2 See Indian Express dt 14-3-1975 p 1

स्पीकर अपनी निष्पक्षता के कारण प्रतिपक्ष और जनता के आग्रह का पात्र नहीं। भारतीय संसद में जो समय समय पर व्यवस्था की गड़बड़ियाँ जरूरी आती हैं उनमें, अग्र्य कारणों सहित, एक कारण यह भी है कि प्रतिपक्ष का स्पीकर के पूर्ण निष्पक्ष आचरण पर विश्वास नहीं।

(iv) भारत में ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जहाँ पद निवृत्त होने के बाद स्पीकरों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया उदाहरणतया अनन्तास्वामी आगरा को बिहार का और सरदार हुकमसिंह को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इन लाभकारी पदों पर लोकसभा के स्पीकरों की नियुक्ति निश्चित ही उनके निष्पक्ष आचरण में बाधा है।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि भारत में उन प्रथाओं का विकास नहीं किया गया जो स्पीकर पद का निष्पक्ष आचरण के लिये प्रास्ताविक करें। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सेवा निवृत्त होने के बाद स्पीकर को किसी लाभकारी पद पर नियुक्त न किया जाय। यह प्रथा उसे कायपालिका नियंत्रण से मुक्त रखेगी। दूसरे स्पीकर के लिये एक राजनीतिक सहिता का विकास किया जाय ताकि उसका निर्वाचन निर्विरोध किया जा सके। तीसरे ऐसे व्यक्ति का स्पीकर पद के लिये प्रत्याशी बनाया जाय जो प्रतिपक्ष को भी स्वीकार हो। चौथे स्पीकर को अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहिये और उसे सदन के विचार विमर्श में भी हिस्सा नहीं लेना चाहिये अर्थात् उसे अपनी तटस्थता और निष्पक्षता की स्वयं रक्षा करनी चाहिये। इन्हीं प्रथाओं के विकसित होना पर ही भारतीय स्पीकर का पद ब्रिटिश स्पीकर के पद की प्रतिष्ठा गौरव और सम्मान को प्राप्त कर सकेगा।

संसदीय विशेषाधिकार

(The Parliamentary Privileges)

संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों को स्वतंत्रता प्रदान एवं निर्भीकतापूर्वक कार्य करने के लिये सविधान उनके कुछ विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। सविधान का अनुच्छेद 105 इन्हीं विशेषाधिकारों से सम्बंधित है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत संसद सदस्यों का संसद में अपने विचारों को प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और सदन में व्यक्त किये गये विचारों और प्रकट किये गये मतों का लेकर या संसद की सत्ता के अधीन प्रकाशित प्रतिवेदन का गमना, मतदान या कार्यवाही को लेकर किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था भी की गयी है कि जब तक संसद कानून द्वारा मन्त्र उभय संसदों और उनकी समितियों के लिये विशेषाधिकारों का परिभाषित एवं उनका सहिताकरण (codification) नहीं करती तब तक संसद, उसके सम्मुख एवं उनकी समितियाँ उन सब विशेषाधिकारों का उपयोग करेंगी जो ब्रिटिश कानून तथा के सदन उसके सदस्यों और उनकी समितियों को प्राप्त है। न्यायिक मंत्रिम

यही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ब्रिटिश कॉमन सभा का स्पष्ट उल्लेख एवं अनुकरण किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों ने, विशेष कर एच० बी० बम्प और के० टी० शाह ने, इस व्यवस्था पर आपत्ति उठाई थी क्योंकि उनका विश्वास था कि कोई भी सावभौम व्यवस्थापिका अपने विशेषाधिकारों की स्वयं निष्ठापूर्वक होनी चाहिये।¹ परंतु संविधान निर्माताओं ने सम्भवतः इस व्यवस्था को इस कारण अपनाया कि ब्रिटिश कामन सभा का विधान के क्षेत्र में अत्यधिक अनुभव प्राप्त था और उस समय सभी विशेषाधिकारों को सहिताबद्ध करना कठिन था। सम्भवतः समय के अनुकूल विशेषाधिकारों को बनाये रखने के लिये भी ऐसा किया गया था।

भारतीय संसद ने कानून द्वारा अपने विशेषाधिकारों को न तो परिभाषित किया है और न ही उनका सहिताकरण (Codification) किया गया है। अतः ये अभी ब्रिटिश कॉमन सभा के अभिसमया और प्रथाओं पर ही आधारित हैं। प्रश्नों के नियमों (Rules of Procedure) में जिन विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है उनमें प्रमुख निम्न हैं —

(i) यदि किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्न को सदन में उठाया जाता है और यदि वह स्वीकार्यता (admissibility) की शर्तों को पूरा करता है तो उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है। सदन समिति के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करती है और यदि सदन उस स्वीकार कर लेता है तो सदन द्वारा निर्धारित कार्यवाही (action) की जाती है। अर्थात् सदन, उसके सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकारों की उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित कर सकती है।

(ii) सदन की सीमाओं के अंतर्गत स्पीकर की अनुमति के बिना किसी सदन सदस्य को हिरासत में नहीं लिया जा सकता और यदि सदन के बाहर किसी सदन सदस्य को हिरासत में लिया गया है या उसके विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही की गयी है या उस रोगा गया है तो इसकी सूचना लोक सभा के स्पीकर को देनी आवश्यक है।

पिछले वर्षों के संवधानिक इतिहास के विकास में सदन और विधान सभाओं के विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में दो प्रकार के प्रश्न सामने उभर कर आये हैं। प्रथम यह कि क्या संसद या राज्य विधान सभा के विशेषाधिकार नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रतिरक्षण कर सकते हैं। सन् 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल केसों के माध्यम से सम्पादन ऑफ़ द हॉन्स ऑफ़ द प्रिन्सिपल (Habeas Corpus) की याचिका में यह उपायों की कि विशेषाधिकार नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रतिरक्षण नहीं कर सकते। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल केसों के माध्यम से सम्पादन

जी० के० एडो को जिसे सू० पी० विधान सभा के स्पीकर के कार्यालय के कार्यालय में निवास था उसे रिहा करने के आदेश दे दिये। परन्तु न० 10-0 के इन्वेंटरी (Search light)¹ के मुद्दे में मुख्य न्यायाधीश एन एम राय ने बटुन के निरापेक्षित रूप से कहा कि बसोई विशेषाधिकार 'विशेष (special) है' अतः उन्हें मूल अधिकारों से जो सामान्य (General) है वह अलग ही जाननी चाहिये। परन्तु न्यायाधीश सुब्बा राव (Justice Subba Rao) ने अल्प विमन्यन राय (dissenting opinion) में यह विचार व्यक्त किया कि जहाँ 'विशेषाधिकार और मूल अधिकारों में संघर्ष (conflict) उत्पन्न होता है वहाँ विशेषाधिकारों को मूल अधिकारों के अधीन होना चाहिये।

सन् 1964 में राज्य विधान सभा और उच्च न्यायालय के विशेषाधिकारों का प्रश्न उभर कर सामने आया। विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब गोरखपुर के बेशरसिंह नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सू० पी० विधान सभा के स्पीकर श्री एन एम राय के सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिश्ल भाषा का प्रयोग किया। सदन ने उसकी मन्थना की और बेशरसिंह को सात दिन का साधारण कारावास या दण्ड दिया। बेशरसिंह द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) की याचिका प्रस्तुत होने पर उच्च न्यायालय ने 19 मार्च 1964 को बेशरसिंह को जमानत (bail) पर रिहा के आदेश दे दिये। बेशरसिंह अब तक 6 दिन के कारावास का दण्ड भुगत चुका था। 21 मार्च, 1964 को विधान सभा ने बेशरसिंह को पुनः हिरासत में लेने और शेष दण्ड को भुगतने (एक दिन के दण्ड को भुगतने) के आदेश जारी कर दिये और बेशरसिंह के काउन्सेल (counsel) और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सदन के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये आदेश दिये। दोनों न्यायाधीशों ने अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर दी जिससे विधान सभा के आदेश की पालना को स्थगित कर दिया। इसी बीच राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से इस विषय पर परामर्श माँगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर जो परामर्श दिया उसने मुख्य बिंदु निम्न हैं —

(i) इलाहाबाद हाईकोर्ट को बेशरसिंह की याचिका स्थगित करने का अधिकार था वह उस अतिरिक्त श्रेणी के सम्मिलित भी। ऐसा करते हुए न्यायाधीशों ने विधान सभा का कोई अपमान नहीं किया।

(ii) न्यायाधीशों के लिये विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत होने की कोई प्रायश्चित्तता नहीं थी और न ही उन्हें किसी स्पष्टीकरण के देने की आवश्यकता थी।

1 सचलाइट ने अपने पत्र में पटना विधान के स्पीकर द्वारा सदन की कार्यवाही से निष्कासित (expunged) किये गये प्रतिवेदन को प्रकाशित किया अतः इस विरुद्ध विशेषाधिकार की कार्यवाही शुरू की गयी थी।

(iii) उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ (Full Bench) को स्पीकर के वारण्ट को स्थगित करने का अधिकार था ।

(iv) यायाधीशों और काउन्सेल (counsel) को हिरासत में लेने के आदेश देने या स्पष्टीकरण मांगने का उत्तर प्रदेश की विधान सभा को अधिकार नहीं था ।

उपयुक्त परामर्श के अतिरिक्त न्यायालय ने यह विचार भी व्यक्त किया कि "इस तथ्य की कमी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि अपमान के लिये दण्ड देने का शक्ति का प्रयोग बड़ी सावधानी, बुद्धिमत्ता और दक्षता से किया जाना चाहिए । इसका नित्य और अविशेषपूर्ण प्रयोग न्यायालयों और विधान सभाओं के स्तर और प्रतिष्ठा के पोषण में सहायक नहीं होगा ।"

उपयुक्त विवाद निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से स्पष्ट है कि 'विशेषाधिकार' लाइसेंस (Licence) का रूप धारण नहीं कर सकता । अतः ससद व विधान सभाओं के विशेषाधिकारों के सहितारण का आवश्यकता और भी बढ़ जाती है ताकि अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हो ।

संसदीय समितियाँ

(Parliamentary Committees)

वर्तमान समय में कोई भी ऐसी व्यवस्थापिका नहीं जा समितियों का प्रयोग न करती हो । वस्तुतः समितियाँ व्यवस्थापिका के कार्य संचालन में आवश्यक विशेषक हैं । समितियाँ ही व्यवस्थापिका के कार्य को सरल, दक्ष और फुर्तीला बनाती हैं, वे ही व्यवस्थापिका के मूल्यवान समय की बचत करती हैं, उसे आवश्यक विशेषक तबनीकी ज्ञान प्रदान करती हैं तथा सरकारी विधेयकों पर प्रतिपक्ष के रचनात्मक सहयोग को प्राप्त करने में सहायक होती हैं ।

व्यस्क मताधिकार के विस्तार के साथ जहाँ व्यवस्थापिका के आकार में वृद्धि हुई है वहाँ लोक-व्यवस्थापिका राज्य के विकास से राज्यों के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है । आज का राज्य सामाजिक सेवा राज्य (Social Service State) है । अतः अपन विविध एवं विशिष्ट कार्यों का सम्पन्न करने के लिये प्रत्येक राज्य की व्यवस्थापिका को अनर प्रकार के नानून का निर्माण करना हाता है और इनके लिए समय और तबनीकी ज्ञान की आवश्यकता हाती है । इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति समितियाँ करती हैं । समय की बचत के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए हर्मान फाइनर लिखता है कि "समितियाँ ससद के समय की इतनी अधिक बचत करती हैं कि उनसे बिना समय के लिए प्रायुक्तिक समय की विधायी आवश्यकताओं की पूर्ति करना बठिन है ।" लाक सभा व भूतपूर्व सचिव एम० एन० कॉन न समितियों के महत्त्व का इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है "ससद नीति की विवचना करने में प्रत्येक जस तक एगी समितियाँ न हा जा उनकी वारीतियाँ का विवचन कर गये और तब व माग जो प्रतामन बनाने में आरर घरी गवाही न द सरे,

जहाँ मामलो की अच्छी तरह जाच न हो सके वहाँ ससदीय नियंत्रण दुबल रहेगा।"¹

ससदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली की समितियों की भूमिका और महत्त्व में अत्यधिक अंतर होता है। ससदात्मक शासन प्रणाली में, जैसा कि भारत और ब्रिटेन में, समितियाँ ससद की अधीनस्थ निकायें होती हैं जिन्हें परामर्श और सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ससद द्वारा इनके पास विचार विमर्श के लिये भेजे गये विधेयको पर ये बारीकी से विचार करती हैं तथा अपने प्रतिवेदन सहित उन्हें ससद में वापस भेजती हैं। ये विधेयको की मृत्यु नहीं कर सकती। दूसरी ओर, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, जैसा कि अमरीका में समितियाँ कांग्रेस के अधीन अवश्य होती हैं परन्तु उन्हें विधेयको की मृत्यु करने का अधिकार होता है। अर्थात् यह आवश्यक नहीं कि समितियाँ को भेजे गये विधेयको पर समिति विचार करे या उन्हें अपने प्रतिवेदनो सहित कांग्रेस को वापस भेजे। इसी कारण अमरीका में समितियों को "सच्चे व्यवस्थापिकायें" (Legislatures in miniature) कहा जाता है। ससदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली की समितियाँ में इस भेद का मूल कारण यह है कि ससदात्मक प्रणाली में मन्त्रिमण्डल ससद का नेतृत्व करती है जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका कांग्रेस में अनुपस्थित होती है। अतः विधि निर्माण के क्षेत्र में, ये समितियाँ ही कांग्रेस का नेतृत्व करती हैं।

भारतीय ससद में समितियाँ—भारत में समितियों का इतिहास 1922 से शुरू होता है जब ब्रिटिश शासनाधीन भारत की केन्द्रीय विधान सभा में समितियों की स्थापना की गयी। इन समितियों को स्थायी समितियाँ (Standing Committees) कहा जाता था परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन्हें 1952 में समाप्त कर दिया गया। इन समितियों को समाप्त करते समय श्री नेहरू ने कहा था कि "इन समितियों का निर्माण भिन्न परिस्थितियों में किया गया था और वे अब अर्थहीन थीं। क्योंकि वे भिन्न सस्याओ और भिन्न प्रणालियों के नियंत्रण बनाई गयी थी अतः वर्तमान आवश्यकताओं के लिये वे लाभकारी नहीं थीं।"² परन्तु लोक सभा ने शीघ्र ही अनुभव किया कि वह समितियों के सहायक के बिना अपने कार्य को सुचारु रूप में सम्पन्न नहीं कर सकती। अतः ससद ने अनेक प्रकार की समितियों की स्थापना की।

समितियों की रचना—भारत में समितियाँ या तो मसद द्वारा निर्वाचित की जाती हैं या उन्हें स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है। ससद के किसी सदस्य का समिति का सदस्य निर्वाचित या नियुक्त करने से पूर्व उसकी सहमति प्राप्त करनी

1 See Morris Jones W H Parliament in India, p 278

2 See Morris Jones, Ibid, p 310 Also See Palmer, Norman D The Indian Political System, p 130

जाती है। समिति के सदस्यों में से स्पीकर किसी सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। यदि उप स्पीकर किसी समिति का सदस्य होता है तो स्पीकर उसे ही उस समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

समिति की बैठकें प्रायः ससद भवन की सीमा के अंतर्गत ही होती हैं। ये बैठकें गुप्त होती हैं। इन समितियों में सदस्यों को अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती अतः इनमें सदन की अपेक्षा अधिक ठोस काम होता है। समिति की बैठकों की गणपूर्ति के लिये समिति के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। बराबर मत आने पर समिति के अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होता है। समिति में विषय पर निर्णय बहुमत से लिये जाते हैं परन्तु अल्प मत को अपनी विसम्मत राय (Dissenting Opinion) देने का अधिकार होता है।

समितियों की प्रक्रिया और काय संचालन के सम्बन्ध में स्पीकर समिति का निर्देशन दे सकता है। अपने कार्यों को सम्पन्न करने के लिये समितियाँ "व्यक्तियों, वागजा और अभिलेखों (persons, papers and records) का तलब करा सकती हैं। इन्हें गवाहा से गवाही लेने की भी शक्ति है। समितियाँ चाहे तो अपनी उप समितियों को नियुक्त कर सकती हैं। विधेयको पर विचार विमर्श के बाद समितियाँ अपने पतिवेदनो सहित उन्हें सम्बन्धित सदन में वापस भेज देती हैं।

भारतीय समिति प्रणाली की तीन प्रमुख विशेषतायें हैं। एक विशेषता यह है कि यहाँ ब्रिटन और अमरीका की भाँति कोई स्थायी समितियाँ नहीं हैं। जब कभी किसी विधेयक को समिति को भेजने की आवश्यकता होती है तो विधेयक को प्रस्तुत वर्तमान समय अस्थायी प्रवर समिति (Select Committee) का सुझाव भी देता है जिसे नियुक्त कर लिया जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि कुछ समितियों के, जैसे याचिका समिति और अधीनस्थ कानून निर्माण समिति मंत्री सदस्य नहीं हो सकते। तीसरी सरकारी आश्वासनों से सम्बन्धित समिति का भारत में ऐसा उदाहरण है जो अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता। जमाकि मॉरिस जोस ने लिखा है कि यह "पूण्यत भारत का अपना आविष्कार है।"¹

समितियों का वर्गीकरण

श्री० बी० जेना ने लोकसभा की समितियों को छ भागों में बाँटा है जिनमें निम्न हैं²—

(i) जाच समितियाँ (Committees to Inquire)—इसके मूल उदाहरण हैं याचिका समिति (Committee on Petitions) और विशेषाधिकार समिति (Committee on Privileges)

1 See Morris Jones, W H Ibid, p 314

2 See Jena, B B Parliamentary Committees in India, pp 11 12

(ii) शोध समितिया (Committees to Scrutinize)—इसके मूल उदाहरण है सरकारी आश्वासना से सम्बन्धित समिति (Committee on Government Assurances)

(iii) नियन्त्रण समितियाँ (Committees to Control)—इसके मूल उदाहरण हैं अधीनस्थ कानून निर्माण समिति, (Committee on Subordinate Legislation) अनुमान समिति, (Estimates Committee) लोक लेखा समिति, (Public Accounts Committee) आदि ।

(iv) परामश समितियाँ (Committees to Advise)—इसके मूल उदाहरण है काय सचालन परामशदात्री समिति (Business Advisory Committee), व्यक्तिगत सदस्या द्वारा प्रस्तुत विधेयको एव प्रस्तावा की समिति (Committee on Private Member's Bills and Resolutions) नियम समिति (Rules Committee) सदन की बैठका में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से सम्बन्धित समिति (Committee on Absence of Members from the Sitzings of the House)

(v) घरेलू कार्यों से सम्बन्धित समितियाँ (House Keeping Committees)

(vi) तदर्थ समितिया (Ad hoc Committees)—ये दो प्रकार की हैं (i) नियमित समितिया (Regular Committees) जैसे प्रवर समितिया (Select Committees) और संयुक्त समितिया (Joint Committees) (ii) प्रासंगिक समितिया (Incidental Committees)

लोक सभा की प्रमुख समितिया को निम्न शीपको के अतगत अभिव्यक्त किया जा सकता है—

1 नियम समिति (Rules Committee)—इसके 15 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर नियुक्त करता है । इसका अध्यक्ष स्पीकर होता है । इसका काय सदन के काय सचालन की प्रक्रिया पर विचार करना तथा उसको निष्पादित करना है । समिति प्रक्रिया को सुधारने के लिये उपाया की सिफारिश कर सकती है ।

2 काय सचालन परामशदात्री समिति (Business Advisory Committee)—इसके 15 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर नियुक्त करता है । इसका अध्यक्ष स्पीकर होता है । लोक सभा के सत्र के आरम्भ में ही इस समिति का निर्माण कर दिया जाता है । यह समिति सदन की कायवाही की योजना बनाती है तथा भिन्न भिन्न विषया पर विचार के लिये समय निर्धारित करती है । सदन की कायवाही का निवाह रूप से संचालित करने के लिये सदन के नेता (यह प्राय बहुमत दल का नेता होता है) और भिन्न भिन्न विरोधी दलों के नेताओं का इस समिति के माथ सम्बद्ध कर दिया जाता है । सामान्यत एक सत्र में यह समिति तीन-चार बार मिलती है और काय सचालन सम्बन्धित सिफारिशें करती है । इसकी सिफारिश को सदन प्राय स्वीकार किया है ।

3 **सामान्य उद्देश्य समिति (General Objectives Committee)**—इसके 20 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष स्पीकर होता है। इसमें अध्यक्ष मण्डल (Panel of Chairmen) के सदस्य, विभिन्न दला के नेता तथा कुछ अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं। यह समिति स्पीकर को सदन के गठन और उसकी कार्यप्रणाली में सुधार के सम्बन्ध में परामर्श देती है। इस समिति की सिफारिशों पर ही स्वचालित मत गणना प्रणाली को शुरू किया गया, ससद सदस्यों के लिये क्लब की स्थापना की गयी और ससदीय प्रतिवेदन की शीघ्र छापने की व्यवस्था की गयी।

4 **घरेलू विषयों से सम्बन्धित समिति (House keeping Committee)**—इसके 12 सदस्य होते हैं। इसका कार्य ससद सदस्यों के लिये आवास की व्यवस्था करना है।

5 **याचिका समिति (Committee on Petitions)**—इसके 15 सदस्य होते हैं। इसका निर्माण सत्र के प्रारम्भ में कर दिया जाता है। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। यह समिति उन याचिकाओं (Petitions) पर विचार करती है जो उसे भेजी जाती हैं। याचिकाओं में निहित शिकायतों के निराकरण के लिये समिति अपने सुझाव देती है।

6 **विशेषाधिकार समिति (Committee on Privileges)**—इसके 15 सदस्य होते हैं। स्पीकर इसके सदस्यों को नियुक्त करता है। उप स्पीकर इस समिति का अध्यक्ष होता है। सविधान ससद सदस्यों को सदन में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है और ससद में अभिव्यक्त किये गये विचारों को लेकर ससद सदस्यों के विरुद्ध न्यायालय में कोई कायवाही नहीं की जा सकती। कोई समाचार पत्र किसी पत्र में ससद की कायवाही के सम्बन्ध में या किसी ससद सदस्य में अभिव्यक्त किये गये विचारों के सम्बन्ध में आपत्तिजनक या अपमानजनक लेख प्रकाशित नहीं कर सकता। कोई ससद सदस्य भी सदन में किसी दूसरे ससद सदस्य के बारे में अपमानजनक भाषण नहीं दे सकता। यदि कभी ऐसे प्रश्न उठ खड़े हो जाते हैं तो उन्हें जांच के लिये विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाता है जो उस पर विचार विमर्श कर अपने सुझावों सहित ससद को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

7 **प्रवर समितियाँ (Select Committees)**—इन समितियों के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। वस्तुतः समिति का सदस्यों की संख्या समिति पर निर्भर करती है। ये समितियाँ अनन्त हैं। इनके गठन का चयन सदन स्वयं करता है। वस्तुतः विधेयक प्रस्तुत कर्ता स्वयं समिति का सदस्यों को नामांकित कर देता है जिन्हें सदन स्वीकार कर लेता है। समिति के सदस्यों में से स्पीकर किसी सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर देता है जो सामान्यतया शांति दल में से होता है। यह समिति विधेयक के सम्बन्ध में जो उसे भेजा जाता है, सुझावों एवं प्रतिकार करती है तथा अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख करने में प्रसन्न करती है। कभी कभी दोनो सदन की मयुक्त प्रवर

समितियों का निर्माण किया जाता है जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों का अनुपात क्रमशः 2:1 होना है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद ये समितियाँ समाप्त कर दी जाती हैं।

8 **व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयको एवं प्रस्तावों की समिति (Committee on Private Member's Bills and Resolutions)**—इसके 15 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर एवं वप के लिये नामांकित करता है। इसका अध्यक्ष उप स्पीकर होता है। यह समिति उन विधेयकों पर विचार विमर्श करती है जो सदन के गर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। महत्त्व और आवश्यकता के आधार पर समिति इन विधेयकों को दो भागों में बाँटती है। समिति इस बात का भी सुझाव देती है कि इन विधेयकों पर कितना समय तक विचार किया जाय।

9 **अधीनस्थ कानून निर्माण समिति (Committee on Subordinate Legislation)**—इसके 15 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर द्वारा नामांकित किया जाता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते। इस समिति का महत्त्व इस कारण से अधिक है कि यह प्रदत्त व्यवस्थापन (Delegated Legislation) पर सदन का नियंत्रण बनाये रखती है और नागरिक अधिकारों को कायपालिका अतिक्रमण से सुरक्षित रखती है। मन् 1955 में जी० वी० मावलकर ने ठीक कहा था कि समिति के सदस्य "नवीन अधिनायक तंत्र के आक्रामक बनने के विरुद्ध वे जनता के रक्षक हैं।"¹ यह समिति ही इस बात की जाँच करती है कि कायपालिका द्वारा सदन के कानूनों के अंतर्गत बनाये गये नियम व विनियम वही उन कानूनों की मर्यादाओं की उल्लंघना तो नहीं करते, क्या वे करो का तो आरोपित नहीं करते क्या वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से "यायालयों के अधिकार क्षेत्र का मर्यादित तो नहीं करते, आदि।

10 **सरकारी उद्योग धंधों से सम्बंधित समिति (Committee on Public Undertakings)**—इसके 15 सदस्य होते हैं जिनमें 10 लोक सभा और 5 राज्य सभा में से निर्वाचित किये जाते हैं। यह समिति सरकारी उद्योगों (उपक्रमों) के कार्यों उनके लेखा और वित्तीय मामलों की जाँच करती है। इसके 1/5 सदस्य प्रति वषण निवृत्त हो जाते हैं।

11 **सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से सम्बंधित समिति**—इसके 15 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर द्वारा एक वषण के लिये नामांकित किया जाता है। सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की प्राथनाओं पर यह समिति विचार करती है तथा जो सदस्य सदन की बैठकों में 60 दिन तक बिना आज्ञा के अनुपस्थित रहते हैं उनके सम्बन्ध में यह समिति सिफारिश करती है कि क्या उनकी अनुपस्थिति को माफ कर दिया जाय या कि उनके स्थान को रिक्त समझा जाय।

1 डा० दिनेश चन्द्र चतुर्वेदी की पुस्तक "भारतीय शासन और राजनीति" से उद्धृत, पृ० 215

12 सरकारी आश्वासनों से सम्बन्धित समिति (Committee on Government Assurances)—इसके 15 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर द्वारा एक वर्ष के लिए नामांकित किया जाता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते। इस समिति का प्रमुख कार्य यह है कि यह मंत्रियों द्वारा सदन में समय-समय पर दिये गये आश्वासनों, वायदा और वचनों की जांच करती है और सदन में इस बात पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है कि उन आश्वासनों, वायदों और वचनों का क्या तर्क कार्यान्वित किया गया है और क्या उनके कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी तो नहीं हुई।

सरकारी आश्वासनों से सम्बन्धित समिति, जैसा कि मारिम जासन ने कहा है, पूरणतः भारत का अपना आविष्कार (a wholly Indian invention) है। इस समिति के तर्काधार (rationale) को अभिव्यक्त करते हुए प्रो० श्री निवासन ने लिखा है यह सामान्य अनुभव है कि सदन में जिन त्रुटियों या हासियों या शिकायतों का बर्तावा जाता है सरकार उन्हें न दोहराने या उन्हें दूर करने या उनकी क्षतिपूर्ति, व आश्वासन सरकार द्वारा दिये जाते हैं परन्तु कहीं भी इन आश्वासनों का कार्यान्वित करने के लिये किसी यन्त्र (machinery) को स्थापित नहीं किया गया सरकारी आश्वासनों से सम्बन्धित समिति इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है।¹

13 अनुमान समिति (The Estimates Committee)—इसके 30 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन एक वर्ष के लिये लोक सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल सत्रमण्णीय पद्धति द्वारा होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते। यह समिति अपनी उप-समितियों का निर्माण कर सकती है। यह एक महत्त्वपूर्ण समिति है जिसका उद्देश्य बजट के अनुमानों की जांच करना है। यह प्रशासन में मितव्ययता लाने में काफी सहायक हुई है। इसने केवल आर्थिक क्षेत्र में ही सरकार को प्रभावित नहीं किया बल्कि धर्म क्षेत्र में भी इसका पर्याप्त प्रभाव रहा है। यह समिति आज फिजूल खर्ची के विरुद्ध चौकसी ही नहीं करती बल्कि वह सदन के तृतीय सदन के रूप में भी कार्य करने लगी है। इस समिति के मुख्य कार्य चार हैं जो निम्न प्रकार हैं—

(i) बजट अनुमानों में सन्निहित नीति के अतगत संगठन में वित्त प्रकार वचन की जा सकती है और प्रशासन में कुशलता लायी जा सकती है।

(ii) बचत और 'कुशलता' के लिये किन वैकल्पिक नीतियों के अनुसरण करने की आवश्यकता है ?

1 See Srinivasan, N Democratic Government in India pp 260-61 See also Jena, B B Ibid Ch V Also quoted by Norman D Palmer in his 'The Indian Political system' p 131

(iii) अनुमानों में निहित नीतियों की मर्यादाओं के अतगत धन का विनियोजन सही है या नहीं।

(iv) अनुमानों को सदन के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत किया जाय।

14 लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)—इसके 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा से दोनों सदनों द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किये जाते हैं। सदस्या का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर होता है। इसमें मंत्री निर्वाचित नहीं हो सकते। यह दोनों सदनों की संयुक्त समिति नहीं। यह लोक सभा की समिति है जिसके साथ राज्य सभा के सदस्यों को सम्मिलित किया गया है।²

इस समिति की प्रमुख विशेषता यह है कि सदन में एक दल का ठोस बहुमत हाते हुए भी यह समिति दलीय भावनाओं से ऊपर उठ कर कार्य करती है। इस समिति के प्रमुख कार्य निम्न हैं—

(i) यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की जांच करती है।

(ii) राष्ट्रीय वित्तीय मामलों में फजूल खर्ची, भ्रष्टाचार अकुशलता एवं सक्रियात्मक चूटिया (Operational deficiencies) कहा तक पायी जाती है ?

(iii) यह इस बात की जांच करती है कि जो धन खर्च किया गया है कहीं वह उस मात्रा से अधिक तो नहीं जिसे समद ने स्वीकार किया है।

(iv) यह इस बात की भी जांच करती है कि स्वीकृत धन उही विषयों पर खर्च किया गया है जिनके लिये उसे स्वीकृत किया गया था।

(v) यह इस बात की भी जांच करती है कि अधिकृत सत्ता ने ही स्वीकृत धन का खर्च किया है या नहीं।

(vi) यह इस बात की भी जांच करती है कि पुनर्विनियोजन अधिकृत सत्ता द्वारा नियमा के अतगत किया गया है या नहीं।

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि लोक लेखा समिति जसाकि मारिस जोस ने लिखा है, "सरकारी गफलत और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सदन की पहरेदार और लोगों की संरक्षक है।"³

1 देखिये डा० दिनेशचन्द्र चतुर्वेदी की पुस्तक पु० उ० पृ० 216

2 See Jena B B Ibid, p 178

3 It is 'Parliament's watch dog and guardian of the people against official negligence or corruption' Morris Jones Ibid, p 286

विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

परिचय (Introduction)

समद का प्रमुख काय ही विधि निर्माण है। सरकार के पृथक अंग के रूप में समद (व्यवस्थापिका) का उद्गम ही विधि निर्माण के लिये हुआ था। जितन भी काय ससद के द्वारा आज किय जात है उन सबम महत्त्वपूर्ण काय यही है। इस काय के अभाव में ससद का महत्त्व ही समाप्त हो जायेगा।

विधि निर्माण की कायवाही तभी आरम्भ की जा सकती है जब सदन में कुल सदस्य सरया का त्सवा भाग उपस्थित हा। यदि यह गणपूति उपलब्ध नहीं हाता ता विधि निर्माण का काय शुरू नहीं किया जा सकता।

विधि अनेक प्रकार की हो सकती है। मुख्यतः इसे तीन भागों में बाटा जा सकता है—साधारण सर्वधानिक और वित्तीय विधेयक। साधारण विधेयक के विषय कहलाते हैं जिनका सम्बन्ध साधारण व्यवस्था से होता है सर्वधानिक विधि वह हाती है जिनका सम्बन्ध सर्वधानिक धाराओं से होता है, वित्तीय विधेयक व हाने हैं जिनका सम्बन्ध राजस्व और प्रशासन के खर्चों से होता है। व विधेयक ही वित्तीय विधेयक कहलाता है जिन्हें लोक सभा का स्पीकर वित्तीय विधेयक प्रमाणित कर देता है। जहा साधारण विधेयक ससद के किसी सदन में प्रस्तुत किये जा सकते हैं वहा वित्तीय विधेयक केवल लोक सभा में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। साधारण विधेयकों को पुन दो भागों में बाटा जा सकता है—सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक के विधेयक हैं जिन्हें मंत्रियों द्वारा अर्थात् कायपालिका द्वारा प्रस्तुत किया जाता है गैर सरकारी विधेयक के विधेयक हैं जिन्हें ससद के साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ससद का अधिकांश समय सरकारी विधेयकों पर विचार काल में ही समाप्त हो जाता है। यद्यपि गैर सरकारी विधेयकों पर विचार के लिये दिन और समय निश्चित किया जाता है परंतु उनके पास हान की सम्भावना नहीं हाता क्योंकि उनके पास होने का अर्थ मंत्रिमण्डल पर अविश्वास माना जाता है। सरकारी विधेयकों का सम्बन्ध प्रायः सामाजिक विषयों से होता है जबकि गैर सरकारी विधेयकों का सम्बन्ध व्यक्ति स्थान या पद पर विषय से होता है।

A साधारण विधेयकों के पारण की विधि (Procedure for the passage of Ordinary Bills)

साधारण विधेयक, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, उसके पारण की विधि एक जसी है। प्रत्येक साधारण विधेयक को पारित होन के लिये निम्न चरणों (Stages) में से गुजरना पडता है—

1 प्रस्तावना एवं प्रथम वाचन (Introduction and First Reading)—
प्रस्तावक द्वारा विधेयक का सदन में प्रस्तुतीकरण ही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। प्रस्तावना में प्रस्तावित कानून के उपबन्धों का उल्लेख किया जाता है।

और उसके "उद्देश्य और कारणों का विवरण" (statement of objects and reasons) उसके साथ सलग्न होता है। यदि यह सरकारी विधेयक है तो स्पीकर की अनुमति में इसे प्रस्तावना से पूर्व ही सरकारी गजट में छपने का आज्ञा दी जा सकती है। यदि यह गैर सरकारी विधेयक है तो प्रस्तावक को इसका सूचना स्पीकर का एक महीने पूर्व देनी होती है जो इसके लिये दिन और समय निश्चित करता है। निश्चित दिन और समय पर प्रस्तावक सदन की अनुमति से विधेयक का प्रस्तुत करता है और विधेयक के सम्बन्ध में छोटा सा वक्तव्य देता है। यदि प्रथम वाचन में ही विधेयक का विरोध किया जाता है तो स्पीकर विरोधी को अपने कारणों का उल्लेख करने के लिये कहता है और फिर मतदान लिया जाता है। प्रथम वाचन में पास होने के बाद विधेयक दूसरे वाचन की स्थिति में चला जाता है।

2 दूसरा वाचन (Second Reading)—दूसरा वाचन विधेयक के जीवन-मरण का चरण है। इसी चरण में विधेयक पर पूर्ण विचार विमर्श, विवाद खडश (Clause by clause) और शब्दश (Word by word) किया जाता है। इस चरण में निम्न विकल्पों (alternatives) में से किसी एक विकल्प को अपनाया जा सकता है —

(a) विधेयक पर सीधे सदन ही विचार विमर्श आरम्भ कर दे। भारत में प्रायः इसी विकल्प का अपनाया जाता है। भारतीय सदन की वाय प्रणाली की विशेषता यह है कि सदन के सत्रावसान होने की स्थिति में सदन के विचाराधीन विधेयक व्ययगत (lapse) नहीं होते। वे तभी व्ययगत होते हैं जब लोक सभा को भंग कर दिया जाता है।

(b) विधेयक को प्रवर समिति (Select Committee) को सौंप दिया जाय। इसका अर्थ यह है कि भारत विधेयक को प्रवर समिति को सौंपना अनिवार्य नहीं है। सदन चाह तो समिति के पास विचार विमर्श के लिये भेज सकती है।

(c) विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाय।

(d) विधेयक पर जनता की राय लेने के लिये उसे प्रकाशित कर दिया जाय। यह विकल्प तभी अपनाया जाता है जब किसी विधेयक पर सावजनिक आन्दोलन या विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना होती है। दूसरे शब्दों में, जो विधेयक लोग की भावनाओं, प्रथाओं और आदतों से सम्बंधित होते हैं या जो उनमें परिवर्तन लाना चाहते हैं ता उन पर सावजनिक राय प्राप्त कर ली जाती है अर्थात् व्यक्तियों, सभा, समूहों, संस्थाओं आदि से सम्मति ली जाती है।

समिति अवस्था—यदि विधेयक का प्रवर समिति का सौंपना का निश्चय किया जाता है तो भारत में प्रायः यह प्रथा बन गयी है कि प्रस्तावक ही प्रवर समिति के सदस्यों का नामांकित करता है और सदन उन्हें स्वीकार कर लेता है। समिति में विरोधी दल का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। स्पीकर समिति के सदस्यों में से किसी का समिति का सभापति नियुक्त कर देता है। समिति में

प्रायः उन्हीं व्यक्तियों (सदस्यों) को निया जाता है जो उस विषय में विशेष ज्ञान और निपुणता रखते हैं।

यदि सदन किसी विधेयक को दोना सदन की संयुक्त समिति को सौंपन का निश्चय करता है तो लोक सभा से $\frac{2}{3}$ सदस्य और राज्य सभा से $\frac{2}{3}$ सदस्य लिए जाते हैं। संयुक्त समिति के गठन के लिए राज्य सभा की अनुमति की आवश्यकता होती है।

समिति विधेयक पर पूर्ण विचार करती है तथा उसकी वारीकिया का भी विश्लेषण करती है। विचार विमर्श के बाद समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है।

प्रतिवेदन अवस्था—यह वह अवस्था है जब समिति का सभापति प्रतिवेदन को (समिति का कोई सदस्य भी प्रतिवेदन को) सदन में प्रस्तुत करता है। समिति का प्रतिवेदन सवसम्मतिपूर्ण भी हो सकता है और बहुमत पर आधारित भी हो सकता है। अल्पमत को अपनी विसम्मति राय (dissenting opinion) को प्रकट करने का अधिकार है।

प्रतिवेदन अवस्था के बाद सदन निम्न में से किसी विकल्प को अपना सकता है—

- (a) समिति के प्रतिवेदन के साथ विधेयक पर विचार किया जाय।
- (b) विधेयक को पुनः प्रवर समिति के विचार के लिए भेजा जाय।
- (c) विधेयक को संयुक्त समिति के विचाराथ भेजा जाय।

समिति के प्रतिवेदन के बाद विधेयक पर पूरा वाद विवाद होता है। विधेयक के प्रत्येक खण्ड (clause by clause) और शब्द वार शब्द (word by word) मतदान होता है। द्वितीय चरण में पास होने के बाद विधेयक तृतीय वाचन की स्थिति में चला जाता है।

3 तृतीय वाचन (Third Reading)—विधेयक पर तृतीय वाचन प्रायः औपचारिकता है क्योंकि इस चरण में विधेयक पर संशोधन सम्भव नहीं होते हैं। यह वाचन द्वितीय वाचन के ठीक बाद भी हो सकता है या उसके लिए कोई और दिन भी निश्चित किया जा सकता है। तृतीय वाचन के समय प्रस्तावक विधेयक के पास (the Bill be passed) करने का प्रस्ताव करता है। इस चरण में विधेयक के पक्ष और विपक्ष में तक प्रस्तुत किया जा सकते हैं और अंततः विधेयक का स्वीकार या अस्वीकार कर लिया जाता है।

4 द्वितीय सदन—एक सदन में विधेयक के पास होने के बाद उसे द्वितीय सदन के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस सदन में भी विधेयक का उती चरण में होकर गुजरना पड़ता है जिनमें वह पहले सदन में हाकर गुजरा था। यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा पास कर दिया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। परंतु यदि दूसरा सदन विधेयक

को अस्वीकार करता है या उसमें संशोधन करता है तो उसे पहले सदन के पास भेज दिया जाता है। और यदि दूसरा सदन विधेयक को छ महीने तक वापस नहीं भेजता तो वह उसकी अस्वीकृति ही माना जाता है। दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में विवाद को या भेदों को समुक्त बठार में दूर करने का प्रयास किया जाता है।

5 राष्ट्रपति की अनुमति—दोनों सदनों द्वारा पास होने के बाद विधेयक का राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है और उनकी स्वीकृति मिलने पर ही विधेयक कानून (विधि) का रूप धारण कर सकता है और उसे सविधि पुस्तक (Statute Book) में उल्लिखित कर दिया जाता है। विधेयक पर राष्ट्रपति को तीन विकल्प उपलब्ध हैं।

(a) राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे स्वीकार कर सकता है।

(b) राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर सकता है।

(c) उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।

यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है या उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देता है तो विधेयक को पुनः दोनों सदनों में उही चरणों में से होकर गुजरना पड़ता है जिनमें उसे पहले पारित किया गया था। और यदि दोनों सदनों में उस विधेयक को पुनः पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति दोबारा उसे अस्वीकार नहीं कर सकता या पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अर्थात् दोबारा राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है और वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। परन्तु सविधान इस सम्बन्ध में पूरा शांत है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कितने समय में स्वीकृति प्रदान कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को कानून का रूप धारण करने में देरी कर सकता है यद्यपि संसदात्मक शासन प्रणाली का अध्यक्ष होने के नाते उसमें यह आशा नहीं की जा सकती क्योंकि संसद द्वारा वही विधेयक पास होता है जिसको मंत्रिमण्डल का समर्थन प्राप्त होता है।

B वित्त विधेयक या बजट के पारण की विधि

(Procedure for the passage of Money Bill or Budget)

साधारण एवं सवधानिक विधेयक और वित्तीय विधेयक या बजट में सबसे महान अंतर यह है कि वित्त पर अर्थात् राष्ट्रीय पत्र पर लोक सभा का नियंत्रण पूरा रहता है। लोक सभा की अनुमति के बिना कार्यपालिका एक पाई के रूप में न तो कोई कर लगा सकती है और न एक पाई खर्च कर सकती है। परन्तु यहाँ यह भी सत्य है कि लोक सभा वित्तीय क्षेत्र में कोई पहलकदमी नहीं कर सकती, किसी नयन का प्रस्तावित नहीं कर सकती और किसी खर्च की राशि का बढा नहीं कर सकती। यद्यपि लोक सभा किसी खर्च की राशि को कम कर सकती है और किसी प्रस्तावित कर को अस्वीकार कर सकती है परन्तु यह सब सिद्धांत में है, व्यवहार

में नहीं क्योंकि जब तक किसी मंत्रिमण्डल का लोक सभा में बहुमत है लोक सभा मंत्रिमण्डल के इशारे पर कार्य करती है।

वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोक सभा में पेश किये जा सकते हैं और लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा स्वीकृत होने के बाद उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। परन्तु दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति की स्वीकृति औपचारिक है।

वित्तीय क्षेत्र में राज्य सभा की शक्तियाँ प्रायः नगण्य हैं। प्रथम, वित्त विधेयक केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। दूसरे, लोक सभा का स्वीकार हा इस बात को प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। तीसरे, लोक सभा द्वारा पास किये गये वित्त विधेयक को राज्य सभा अधिक से अधिक 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। वह वित्त विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। अधिक से अधिक वह संशोधन कर लोक सभा को लौटा सकती है परन्तु इन संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करना लोक सभा के ऊपर निर्भर करता है। वित्त विधेयक को दोबारा राज्य सभा के पास भेजने की आवश्यकता नहीं होती। उस राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

वित्त विधेयक के सम्बन्ध में कुछ अन्य विशेषताएँ भी उल्लेखनीय हैं जो निम्न हैं—

(i) वित्त विधेयक को दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है—रेल बजट और सामान्य बजट। रेल बजट को सामान्य बजट से पूर्व लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसे रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसका सम्बन्ध केवल रेलों के आगामी वर्ष की अनुमानित आय और व्यय से होता है। सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसका सम्बन्ध सघीय सरकार के अन्य मंत्रालयों से होता है और उनके आगामी वर्ष के अनुमानित आय और व्यय से सम्बन्धित होता है।

(ii) सामान्य बजट के दो भाग होते हैं—भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और अभारित व्यय अर्थात् सरकार के सामान्य व्यय खर्चों। भारित व्यय पर संसद वाद विवाद कर सकती है परन्तु उस पर मतदान नहीं होता। अभारित व्यय अर्थात् सरकार के सामान्य व्यय खर्चों पर संसद वाद विवाद भी करती है और मतदान भी। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय मुख्यतया यह है—(a) राष्ट्रपति के वेतन भत्ते तथा उसके पद में सम्बन्ध रखने वाले व्यय, (b) राज्य सभा के सभापति तथा उप सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतनों और भत्तों से सम्बन्ध रखने वाले व्यय, (c) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों से सम्बन्ध रखने वाले व्यय, (d) न्याय चुनान के सम्बन्ध में व्यवस्था, (e) कोई भी ऐसा व्यय जिसे संसद द्वारा कानून द्वारा ऐसा धारित कर दे। विभागों के व्यय खर्चें सब अभारित व्यय में गिन जाते हैं।

(iii) भारत म सदन की कोई समिति जैसाकि ब्रिटेन म 'समूच सदन की समिति' बजट पर विचार नहीं करती बल्कि स्पीकर की अध्यक्षता मे लोक सभा स्वयं उस पर विचार करती है। दूसरे शब्दो मे बजट पर वाद विवाद के दौरान सदन की साधारण प्रक्रिया के नियम ही लागू होते है।

निम्न विधेयक की प्रक्रिया के सम्बन्ध म सविधान न अनुच्छेद 112 स 117 तक व्यवस्था की है। अनुच्छेद 112 इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता हे कि "प्रत्येक वित्तीय बप म राष्ट्रपति ससद के दाना सदन म उस बप के भारत सरकार की अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण रखवायगा। इसका अर्थ यह है कि वित्तीय बप के शुरू होने से पहले अर्थात् 1 अप्रैल से पूर्व बजट को ससद द्वारा पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए। पर तु क्याकि सरकार के लक्ष्यो के लिए नाक सभा एक बड़ी घनराशि पशगी अनुदान क रूप म स्वीकार कर दी जाती है अत बजट वा 1 अप्रैल के पूर्व पास होना आवश्यक नहीं रहा।

बजट के पारण मे चार चरण—बजट को सामान्यतया लोक सभा और राज्य सभा म एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने क बाद बजट को निम्न चार चरणो म से होकर गुजरना पडता है—

(i) सामान्य वाद विवाद (general discussion)

(ii) अनुदानो की मागा पर मतदान (voting of demands)

(iii) विचार विमश (consideration), और

(iv) विनियोजन विधेयक का पारित होना (Passing of Appropriation Bill)।

(i) सामान्य वाद विवाद—यह वह चरण है जब बजट के प्रस्तुत होने के एक दो दिन बाद बजट पर दाना सदनो मे आय व्यय सम्बन्धी प्रस्तावो मे निहित मूल सिद्धांतो या नीतियो पर विवाद होता है। इस चरण म वारीकियो की बातो पर विचार नहीं होता है और न ही कटौती प्रस्ताव रखे जाते है। यह वह अवसर है जब प्रतिपक्ष प्रथामन (सत्तारूढ दल) की नीतियो की समीक्षा कर सकता है और अपनी शिवायता को अभिव्यक्त कर सकता है। जसाकि मॉरिस जो स ने लिखा है कि "यह ऐसा अवसर होता है जब सदन अपने मन की बात खुलकर कह सकता है और इस अवसर पर सरकार को भी यह मालूम हो जाता है कि वित्तीय सुभावो क विभिन्न स्तरा पर सरकारी मागो का किस प्रकार स्वागत किया जायगा।" यह चरण प्राय दो तीन दिन म समाप्त हो जाता है।

(ii) & (iii) अनुदानो की मागो पर मतदान और विचार विमश—यह वह चरण है जब अनुदानो की मागो पर मतदान होता है अर्थात् प्रत्येक विभाग के व्यय की मागो पर मतदान होता है और उह स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है।

सामान्यतया ये मागे स्वीकृत ही होती हैं जब तक कि वित्त मंत्री स्वयं उनमें बदौती करने को तैयार न हो। सदन के नियंत्रण की शक्ति प्रायः सद्भावितक होती है व्यावहारिक नहीं। इस चरण की एक विशेषता यह है कि प्रत्येक विभाग की मागों की स्वीकृति के लिए निश्चित किये गये समय के समाप्त होने पर शेष सभी मतों पर मतदान करा लिया जाता है चाहे उन पर विवाद हुआ हो या नहीं। इसका अर्थ यह है कि करोड़ों रुपयों की अनुदान की मागों बिना वाद विवाद के पास हो जाती है। ससद सदस्य शिकायतें प्रस्तुत करते हैं और मंत्री भविष्य में पूरा करने के आश्वासनों को दोहरा कर विवाद समाप्त होने पर बंद कर दिया जाता है।

(iv) विनियोजन विधेयक—जब सभी अनुदान की मागों पर मतदान समाप्त हो जाता है तो बजट के दूसरे भाग अर्थात् आय एवं कर सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। कुछ कर ऐसे होते हैं जो प्रायः स्थायी होते हैं और उन पर प्रतिव्यय विचार की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु आय कर, आयत और निर्यात कर, उत्पादन शुल्क आदि ऐसे कर हैं जिन्हें प्रतिव्यय विवाद घटाया और बढ़ाया जाता है अतः उन पर ससद प्रतिव्यय विवाद करती है और स्वीकृति प्रदान करती है। इन सभी कर सम्बन्धी प्रस्तावों को एक विधेयक के रूप में ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिस आय विधेयक कहते हैं।

इस तरह दोना भाग (अनुदानों की मागों और आय एवं कर प्रस्तावों) के पास हान के बाद बजट को राज्य सभा के पास भेज दिया जाता है जो न तो उसे अस्वीकार कर सकती है और न लोक सभा की महमति के बिना उमम सशोधन कर सकती है। 14 दिन के बाद विधेयक राज्य सभा की महमति सहित या बिना सहमति के राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और स्वीकृति मिलते ही वह कानून का रूप धारण कर लेता है।

पूरक बजट (Supplementary Budget)—व्यय के दौरान अनेक बार, एमी माग पर अनुदान की आवश्यकता पड़ सकती है जिसका अनुमान वार्षिक बजट में न किया हो अतः अनेक ऐसे अतिरिक्त खर्चों की आवश्यकता पड़ सकती है जिसकी कल्पना वार्षिक बजट में न की गई हो। अतः उन मदों पर अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति पूरक मागों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करा कर उन्हें पारित करवा सकता है।

समीक्षा-प्रश्न

(Review Questions)

- 1 भारतीय ससद की रचना, शक्ति का और कार्य का उत्तरण कीजिये। क्या भारतीय ससद सम्प्रभु मन्स्था है ?
- 2 लोक सभा के गणदल, शक्तियाँ और कार्य का वर्णन कीजिये।

- 3 राज्य सभा के सगठन, शक्तियाँ और कार्यों का वरण कीजिये । इस सदन की क्या उपयोगिता है ?
- 4 लोक सभा और राज्य सभा के पारस्परिक सम्बन्ध का वरण कीजिये । दोनों सदनों में अधिक शक्तिशाली सदन कौन सा है और क्या ?
- 5 भारतीय लोक सभा के स्पीकर के निर्वाचन, शक्तियाँ और कार्यों का आला-चनात्मक अध्ययन कीजिये ।
- 6 "राज्य सभा के सदस्यों का दृष्टिकोण दलीय है, सघीय राज्या का नहीं" कारण सहित व्याख्या कीजिये । क्या इससे राज्य सभा की उपयोगिता पर आच आती है ?
- 7 "भारतीय ससद सम्प्रभुता सम्पन्न विधि निर्मात्री सस्था है ।" इस कथन के सन्दर्भ में पिछले 25 वर्षों के संवैधानिक अनुभव के आधार पर समीक्षा कीजिये ।
- 8 भारतीय ससद में विधि निर्माण की प्रक्रिया का संक्षेप में वरण कीजिये ।
- 9 ससद में धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया का वरण कीजिये । क्या राज्य सभा को धन विधेयक पर निषेधाधिकार प्राप्त है ?
- 10 समिति प्रथा की उपयोगिता का वरण करते हुए भारतीय ससद में प्रमुख समितियों के उद्देश्य का संक्षिप्त विवरण दीजिये ।

सर्वोच्च न्यायालय और
न्यायिक पुनरावलोकन
(The Supreme Court and Judicial Review)

परिचय (Introduction)

संघीय राज्य में ही नहीं अपितु प्रत्येक संघीय राज्य में भी स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता निर्विवाद है। जसा कि लाड ब्राइस ने लिखा है कि "यदि कानून का वर्द्धमानों से लागू किया जाय तो समझना चाहिये कि नमक न अपना स्वाद खा दिया है यदि इसे दुबलतापूर्वक और अनियमित रूप से लागू किया जाय तो व्यवस्था की आशाओं तुल में मिल जायेंगी क्योंकि दण्ड की कठोरता की तुलना में दण्ड की निश्चितता से अपराधियों का दमन अधिक होता है।" संघीय राज्य में तो स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि इसमें मधीय सरकार और उसके एकाकी सरकारों में शक्तियाँ का विभाजन किया जाता है। सविधान तथा नागरिकों के मूल अधिकारों को सविधान में उल्लिखित किया जाता है। सविधान की सर्वोच्चता का बनाय रखने के लिये उसकी अस्पष्ट धाराओं के निर्वाचन (interpretation) के लिये सच और एकको में अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्पन्न हानि वाला विवादों का निराकरण करने के लिये तथा नागरिकों के मूल अधिकारों की वायपालिका निरकुशता और निष्ठर न्यायालय की आवश्यकता अनिवार्य है। क्योंकि एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्ठर न्यायालय की आवश्यकता अनिवार्य है। क्योंकि भारत एक मधीय राज्य है इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा सविधान नागरिकों के मूल अधिकारों का उत्तम करता है, अतः सविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है।

भारतीय सविधान की विशेषता यह है कि इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था (dual polity) होत हुए भी अमरीका की भाँति राष्ट्रीय न्यायिक व्यवस्था नहीं। सविधान भारत में "एकीकृत न्याय व्यवस्था (Unified Judiciary) की स्थापना करता है जिसमें एक ही मूल कानून (Fundamental Law) की प्रधानता है। न्यायपालिका या समारलि न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है और निम्न

से निम्न 'यायालय (राज्यो के उच्च 'यायालय, जिला 'यायालय आदि) एक ही पद्धति में संगठित है। सर्वोच्च 'यायालय के लेख (Writs) सारे देश (सब राज्य और स्थानीय क्षेत्रों) में ही लागू नहीं होते बल्कि कानून के सभी क्षेत्रों (संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी क्षेत्रों) में भी लागू होते हैं।¹

सर्वोच्च न्यायालय (The Supreme Court)

संगठन, नियुक्ति एवं योग्यताएँ—संविधान के अनुसार सर्वोच्च 'यायालय के 'यायाधीशों की संख्या मुख्य 'यायाधीश सहित आठ निश्चित की गयी थी।² परंतु संविधान सभा को कानून द्वारा 'यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार देता है। आज सर्वोच्च 'यायालय के सदस्यों की कुल संख्या मुख्य 'यायाधीश सहित चौदह है।

सर्वोच्च 'यायालय के 'यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। संविधान इस बात की भी व्यवस्था करता है कि 'यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च 'यायालय और उच्च 'यायालयों के ऐसे 'यायाधीशों से परामर्श ले जिनसे परामर्श लेना वह उचित या आवश्यक समझता है। 'यायाधीशों की नियुक्ति के समय सर्वोच्च 'यायालय के मुख्य 'यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य है।³ क्योंकि 'यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने 'स्वविवेक (discretion) से करता है अतः इस संवैधानिक उपबंध की प्रकृति सिफारिश (recommendatory) है बाध्यकारी नहीं। फिर भी इस परामर्श लेने की व्यवस्था का लाभ यह है, जसा कि दुर्गादास बसु ने लिखा है कि "राष्ट्रपति को उन लोगों के विचारों में अवगत होने का अवसर मिलता है जो इस विषय पर बोलने में समर्थ हैं।"⁴

'यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दो परम्पराओं का विकास भी किया गया है। एक परम्परा भारत के घम निरपेक्ष स्वरूप को निम्नारती है तथा दूसरी वरिष्ठता के नियम (Rule of Seniority) को स्थापित करती है। पहली परम्परा के अनुसार सर्वोच्च 'यायालय के 'यायाधीशों में एक 'यायाधीश मुस्लिम जाति से नियुक्त किया जाता है तथा दूसरी परम्परा के अनुसार सर्वोच्च 'यायालय के उम्मीद 'यायाधीशों को मुख्य 'यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च 'यायालय के 'यायाधीशों में वरिष्ठ होता है। पहली परम्परा का पालन अभी तक

1 Pylee, M V Constitutional Government in India (Asia Publishing House, 1960) pp 421-422

2 See Art 124 (1)

3 Proviso to Art 124 (2)

4 Cited by Johari J C. Indian Government & Politics Publications Delhi 1974) p 344

सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन

(The Supreme Court and Judicial Review)

परिचय (Introduction)

सघीय राज्य में ही नहीं अपितु प्रत्येक सम्य राज्य में भी स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता निर्विवाद है। जमा कि लाड ब्राडस ने लिखा है कि "यदि कानून का वेईमानी में लागू किया जाय तो समझना चाहिये कि नमक ने अपना स्वाद खो दिया है यदि इसे दुबलतापूर्वक और अनियमित रूप से लागू किया जाय तो व्यवस्था की आशयें धूल में मिल जायेंगी क्योंकि दण्ड की कठोरता की तुलना में दण्ड की निश्चितता से अपराधियों का दमन अधिक होता है। सघीय राज्य में तो स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि इसमें सघीय सरकार और उसके एकाकी सरकारों में शक्तियाँ का विभाजन किया जाता है तथा नागरिकों के मूल अधिकारों को संविधान में उल्लिखित किया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता का बनाय रखने के लिये, उसकी अस्पष्ट धाराओं का निवाचन (interpretation) के लिये सघ और एकाकी में अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले विवादों का निराकरण करने के लिये तथा नागरिकों के मूल अधिकारों की न्यायपालिका निरक्षुण्णता और व्यवस्थापिका के अत्याचार में रक्षा करने के लिये एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष न्यायालय की आवश्यकता अनिवार्य है। क्योंकि भारत एक सघीय राज्य है, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख करता है, अतः संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है।

भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि इसमें द्वायी राजनीति व्यवस्था (dual polity) होने के भी अनन्तर की भाँति द्वायी न्यायिक व्यवस्था नहीं। संविधान भाग में 'एकीकृत न्याय व्यवस्था' (Unified Judiciary) की स्थापना करना है इसमें एक ही "मूल कानून" (Fundamental Law) की प्रधानता है। एकीकृत या मनाकृत न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है और निम्न

से निम्न न्यायालय (राज्यो के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय आदि) एक ही पद्धति में संगठित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लेख (Writs) सारे देश (सघ, राज्य और स्थानीय क्षेत्रों) में ही लागू नहीं होते बल्कि कानून के सभी क्षेत्रों (सबधानिक, दीवानी और फौजदारी क्षेत्रों) में भी लागू होते हैं।¹

सर्वोच्च न्यायालय (The Supreme Court)

संगठन, नियुक्ति एवं योग्यताएँ—संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित आठ निश्चित की गयी थी।² परन्तु संविधान सभा के कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार देता है। आज सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित चौदह है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। संविधान इस बात की भी व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श ले जिनसे परामर्श लेना वह उचित या आवश्यक समझता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य है।³ क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने 'स्वविवेक' (discretion) से करता है अतः इस संवैधानिक उपबंध की प्रकृति सिफारिश (recommendatory) है बाध्यकारी नहीं। फिर भी इस परामर्श लेने की व्यवस्था का लाभ यह है, जसा कि दुर्गादास बसु ने लिखा है कि 'राष्ट्रपति को उन लोगों के विचारों से अवगत होने का अवसर मिलता है जो इस विषय पर बोलने में समर्थ हैं।'⁴

न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दो परम्पराओं का विकास भी किया गया है। एक परम्परा भारत के घम-निरपेक्ष स्वरूप को निवारती है तथा दूसरी वरिष्ठता के नियम (Rule of Seniority) को स्थापित करती है। पहली परम्परा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में एक न्यायाधीश मुस्लिम जाति से नियुक्त किया जाता है तथा दूसरी परम्परा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के उम्मीदवार न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वरिष्ठ होता है। पहली परम्परा का पालन अभी तक

-
- 1 Pylee M V Constitutional Government in India (Asia Publishing House 1960) pp 421-422
 - 2 See Art 124 (1)
 - 3 Proviso to Art 124 (2)
 - 4 Cited by Johari J C. Indian Government & Politics (Vishal Publications Delhi 1974) p 344

किया गया है परन्तु दूसरी परम्परा की उल्लंघना अप्रैल 1973 में की गई जब तीन वरिष्ठ 'यायाधीशों' को विस्थित (supersede)¹ कर 'यायाधीश' अजीतनाथ रे को मुख्य 'यायाधीश' के पद पर नियुक्त किया गया।

अनुच्छेद 127 के अनुसार सविधान तदर्थ 'यायाधीशों' (ad hoc judges) को नियुक्त करने की भी व्यवस्था करता है। इन तदर्थ 'यायाधीशों' को नियुक्त, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश करता है। सर्वोच्च 'यायालय' के सेवा निवृत्त (retired) या उच्च 'यायालय' में 'यायाधीश' पद पर कार्य कर रहे 'यायाधीश' को ही (उच्च 'यायालय' के मुख्य 'यायाधीश' के परामर्श पर) तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तदर्थ 'यायाधीशों' की सन्ध्या और कार्यकाल सर्वोच्च 'यायालय' में गणपूर्ति और कायभार पर निर्भर करता है।

राष्ट्रपति भारत में उसी नागरिक का सर्वोच्च 'यायालय' के 'यायाधीश' पद पर नियुक्त कर सन्तता है जिसमें निम्न में से कोई एक योग्यता हो —

(i) वह कम से कम पांच वर्ष तक किसी उच्च 'यायालय' में 'यायाधीश' पद पर रह चुका हो या

(ii) वह कम से कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो या

(iii) राष्ट्रपति की दृष्टि में वह विख्यात विधि वेत्ता (a distinguished jurist) हो।

दूसरे और तीसरे विवल्प के आधार पर अर्थात् किसी अधिवक्ता (Advocate) या विख्यात विधिवेत्ता को अभी तक 'यायाधीश' पद पर नियुक्त नहीं किया गया। केवल प्रथम विवल्प में आधार पर ही अर्थात् उच्चतम 'यायालय' के न्यायाधीशों को ही सर्वोच्च 'यायालय' के 'यायाधीश' पद पर नियुक्त किया जाता है।

सविधान निर्माता सर्वोच्च 'यायालय' के 'यायाधीशों' की नियुक्ति को राजनीतिक प्रभावों से मुक्त रखना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 'यायाधीशों' की नियुक्ति के समय "परामर्श" और 'योग्यता' की व्यवस्था की थी परन्तु हाल ही में 'यायाधीशों' की नियुक्ति में राजनीतिक दबाव का प्रमुख कारण लगा है। अप्रैल, 1973 में 'यायाधीश' अजीतनाथ रे को 'यायाधीश' पद पर नियुक्ति दी गई थी और ही सक्त करती है। मुख्य न्यायाधीशों को 'यायाधीश' या 'यायाधीशों' के परामर्श के 'यायाधीशों' के 'स्वविवेक' के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। तोसरे, राष्ट्रपति 'यायाधीशों' के प्रयोग वास्तविक

यायाधीशों की नियुक्ति में अंतिम परामर्श प्रधानमंत्री का होता है जो निर्णायक होता है। दूसरे शब्दों में, मंत्रिमण्डल यायाधीशा की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लेता है और राष्ट्रपति केवल उसकी घोषणा करता है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 1974 में उदघोषित निर्णय में 1971 में सरदारी लाल बनाम भारत सभ में स्थापित इस व्यवस्था को कि "सत्तुष्टि राष्ट्रपति या राज्यपाल की निजी सत्तुष्टि है" रद्द कर दिया और इस व्यवस्था को स्थापित कर दिया कि राष्ट्रपति और कुछ स्थितियों को छोड़ कर राज्यपाल की कोई स्वविवेक की शक्तियां नहीं और वे सवधानिक अध्यक्ष हैं। स्पष्ट है कि सविधान यद्यपि राष्ट्रपति को यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार देता है परंतु इसका वास्तविक प्रयोग मंत्रिमण्डल ही करता है।

गणपूर्ति (Quorum) —सर्वोच्च न्यायालय की कायवाही खुले न्यायालय में की जाती है और उसके निर्णय बहुमत के आधार पर सबके सामने उदघोषित किये जाते हैं। जो यायाधीश बहुमत के निर्णय से सहमत नहीं होते उन्हें अपने अल्पमत निर्णय की उदघोषणा करने का अधिकार होता है। जिन विवादों में 'कानून का कोई सारवान प्रश्न या सविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न सनिहित होता है या अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति न न्यायालय के परामर्श के लिए किसी विषय को प्रेषित किया जाता है तो कम से कम 5 यायाधीशों की पीठ ही ऐसे विवादों या विषयों की सुनवाई करती है।

सेवा की शर्तें—कार्यकाल वेतन भत्ते तथा पद से हटाया जाना

भारत में सर्वोच्च न्यायालय के यायाधीशों को, अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के यायाधीशों की भांति, जीवन पय तक के लिए नियुक्त नहीं किया जाता। भारतीय यायाधीश केवल 65 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। ससद का यायाधीशों की सेवा निवृत्ति के काल को बढ़ाने का अधिकार है। कार्यकाल पूरा होने से पूर्व यायाधीश अपने पद से स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें प्रमाणित कदाचार (proved misbehaviour) और अयोग्यता (incapability) के आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति द्वारा समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ससद महाभियोग की जांच के लिए प्रक्रिया निश्चित कर सकती है। परंतु व्यवस्थापिका के बहुमत में अप्रियता किसी यायाधीश या यायाधीशा के लिए प्रमाणित कदाचार या अयोग्यता का कारण नहीं।¹ इससे पूर्व कि महाभियोग का प्रस्ताव राष्ट्रपति को सम्बाधित किया जाय उसे ससद के प्रत्येक सदन के उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत तथा प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना चाहिये। अभी तक किसी यायाधीश को प्रमाणित कदाचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया नहीं गया।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 5000 रु० प्रति माह और अन्य 12 न्यायाधीशों को 3000 रु० प्रति माह वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अनिश्चित 12 न्यायाधीशों को रहने के लिए मुफ्त मकान तथा कुछ भ्रमण भत्ते और सुविधाएँ भी प्रदाय की जाती हैं।

न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए मन्विषान अनेक तरा की व्यवस्थाएँ करता है जिनमें मुख्य निम्न हैं —

(i) न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों तथा न्यायालय के भ्रमण खर्चों को व्यवस्थापिका के निम्नतरण से मुक्त रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय व सभी न्यायों भारत की सवित निधि पर भारित होते हैं।

(ii) वित्तीय मन्त्र की घोषणा के बाल को छोड़कर न्यायाधीशों के वेतन, भत्ता, भ्रमण के नियमों तथा भ्रमण सुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिसमें उन्हें हानि होती हो।

(iii) न्यायाधीशों द्वारा दिये गये निष्णया या न्यायिक उद्घोषणों की बद नीयती से आलोचना नहीं की जा सकती यद्यपि शैक्षणिक विश्लेषण के लिए उचित एवं युक्तियुक्त (fair and reasonable) आलोचना की जा सकती है। न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों के आचरण पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती।

(iv) राष्ट्रपति अपनी इच्छा से न्यायाधीशों को पदच्युत नहीं कर सकता। वह उह समय से पूर्व तभी हटा सकता है जब ससद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव उसे सम्बाधित किया जाय और ससद महाभियोग का प्रस्ताव प्रमाणित वदाचार" और 'भ्रमण्यता के आधार पर ही, उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत और कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास होने पर ही सम्बाधित कर सकती है।

(v) सेवा निवृत्त होने के बाद न्यायाधीशों भारत की किसी न्यायालय में बरालत नहीं कर सकते।¹

(vi) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अधिकार है। इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश या उसके आदेश पर अन्य कोई न्यायाधीश करता है।² राष्ट्रपति नियम द्वारा, इन अधिकारियों और कर्मचारियों को केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के परामर्श पर नियुक्त करने के लिए कह सकता है।

1 इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक परम्परा को जन्म दिया अर्थात् सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को आयोगों के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। कुछ आलोचकों का यह मत है कि यह परम्परा भी न्यायाधीशों की स्वतंत्रता में कमी लाती है।

2 See Art 146 (1)

ी सेवा की शर्तों को मुख्य 'यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से निर्धारित करता इन शर्तों को निर्धारित करते समय मुख्य यायाधीश को इनके वेतन, भत्ता, पग और पेशन के ससद द्वारा बनाये गये नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेशन आदि भारत की सचिवालय पर भारत होते हैं।¹

काय स्थान (Seat of the Court) — यायालय का काय स्थान नई दिल्ली में मुख्य यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से यायालय की बठक वही भी लगा जा है।

सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

सर्वोच्च यायालय के अधिकार क्षेत्र को निम्न शीपको के अंतगत अभिव्यक्त किया जा सकता है —

1 **मौलिक अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction)** — सर्वोच्च यायालय मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतगत आने वाले विवाद वे हैं जिनकी कोई अन्य यायालय साईं नहीं कर सकता और जिहे किसी अन्य यायालय में प्रस्तुत किये बिना सीधे सर्वोच्च यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

अमरीकी सर्वोच्च यायालय की तुलना में भारतीय सर्वोच्च यायालय का एक क्षेत्राधिकार² निम्न प्रकार के विवादों तक सीमित है —

(i) भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद।

(ii) वे विवाद जिनमें भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य एक हो और एक या एक से अधिक राज्य दूसरी ओर हो।

(iii) दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद।

(iv) अनुच्छेद 71 (1) के अनुसार राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित उत्पन्न होने वाले विवादों या शराओं पर भी सर्वोच्च यायालय का एक क्षेत्राधिकार है और उसके निराण अंतिम होते हैं। 1969 में जब राष्ट्रपति श्री 0 गिरी और उप राष्ट्रपति गोपालस्वरूप पाठक के निर्वाचन को यायालय में ली दी गयी तो यायालय ने काफी लम्बी सुनवाई के बाद दोनों के निर्वाचन को उद्घापित किया। इन विवादों में सर्वोच्च यायालय का मौलिक अधिकार क्षेत्र उत्पन्न होता है जब इनमें कानून या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित होता है और पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व और विस्तार निर्भर करता है।

निम्न विवाद सर्वोच्च यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार से परे हैं —

(i) नागरिकों के बीच पाये जाने वाले विवाद। इसमें एक अपवाद यह है कि अधिकारों की उल्लंघना होने पर नागरिक अनुच्छेद 32 के अंतगत सर्वोच्च यायालय (और अनुच्छेद 226 के अंतगत उच्च यायालय) में सीधे अपनी याचिका

See Art 146 (1)

Art 131



के साथ जा सनते हैं अर्थात् मूल अधिकार के क्षेत्र में, राज्यों की उच्च याया के साथ, सर्वोच्च यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

(ii) उन सचिवों, समझौता सविदाभा, वचन बंधना, सनदा आदि स उक्त होने वाले विवाद जिन्हें सविधान से पूर्व लिखा या कार्यान्वित किया गया था और जो सविधान के लागू होने के बाद भी लागू हैं।

(iii) अंतरराज्यीय पानी सम्बन्धी विवाद।

(iv) वित्तीय आयोग को सापे गये विषय।

(v) सघ और राज्या म कुछ खर्चा के समजन सम्बन्धी विषय।

2 अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction) — भारतीय सर्वो

यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार विश्व के किसी भी सर्वोच्च यायालय से अपि व्यापक है। भारत म ममाकलित याय व्यवस्था (integrated judiciary) होने से राज्या की उच्च यायालय सर्वोच्च यायालय के अधीन हैं और उसे उच्च यायालय के अधीक्षण और नियंत्रण का अधिकार है। अमरीका म राज्या की उच्च यायालयें अमरीकी सर्वोच्च यायालय के अधीन नहीं हैं। दूसरे भारत म सर्वोच्च यायालय द्वारा दिय गये निर्णयों को अधीनस्थ यायालयों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है।

अपील की सर्वोच्च यायालय के अग्रिम होते हैं। इसका निर्णय ब विरुद्ध निर्णय दिय गये निर्णयों को अधीनस्थ यायालयों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है।

अपील की सर्वोच्च यायालय के अग्रिम होते हैं। इसका निर्णय ब विरुद्ध निर्णय दिय गये निर्णयों को अधीनस्थ यायालयों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है।

अपील की सर्वोच्च यायालय के अग्रिम होते हैं। इसका निर्णय ब विरुद्ध निर्णय दिय गये निर्णयों को अधीनस्थ यायालयों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है।

अपील की सर्वोच्च यायालय के अग्रिम होते हैं। इसका निर्णय ब विरुद्ध निर्णय दिय गये निर्णयों को अधीनस्थ यायालयों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है।

(i) सवधानिक क्षेत्राधिकार — सवधानिक विवादा म उच्च यायालय ब निर्णय ब विरुद्ध सर्वोच्च यायालय म तभी अपील की जा सनती है जब उच्च यायालय यह प्रमाणित करे कि विवाद म सविधा की व्याख्या से सम्बन्धित कानून का कोई सारणा प्रर गतिष्ठित है। यदि उच्च यायालय ऐसा प्रमाण न दे सें तो सवार करे ता सर्वोच्च यायालय अनुच्छेद 136 ब प्रतया स्वयं प्रधान की विधा प्ररणी है यदि उग निर्णय है। जाय कि उगम कानून का सार सारणा प्ररन गतिष्ठित है।

(ii) सवधानिक क्षेत्राधिकार — सीवानी विधा म उच्च यायालय ब निर्णय ब विरुद्ध सर्वोच्च यायालय म तभी अपील की जा सनती है यदि उच्च यायालय यह प्रमाणित करे कि विवाद म कानून का सार सारणा प्ररन गतिष्ठित है। यदि उच्च यायालय म अधीनस्थ के लिए उक्त है।

सविधान मे तीसवें सशोधन से पूव अर्थात् 1972 से पूव दीवानी विवादा म सर्वोच्च 'यायालय मे अपील तभी हो सकती थी जब विवादग्रस्त विषय की धन राशि 20,000 रु० से अधिक होती थी। अब दीवानी विवादा मे "कानून के सारवान प्रश्न का सन्निहित होना" या 'अपील के लिए उपयुक्त होना' ही पर्याप्त है।

(iii) फौजदारी क्षेत्राधिकार (Criminal Jurisdiction)—फौजदारी मुकदमो मे सर्वोच्च 'यायालय मे निम्न स्थितियो मे अपील की जा सकती है —

(a) जब उच्च 'यायालय न निम्न यायालय द्वारा मुक्त किये गये अभियुक्त को मृत्यु दण्ड दिया हो,

(b) जब उच्च 'यायालय ने अपने अधीनस्थ किसी 'यायालय से मुकदमे को मगवा कर उसकी सुनवाई की हो तथा अभियुक्त को मृत्यु दण्ड दिया हो,

(c) जब उच्च 'यायालय प्रमाणित कर दे कि विवाद पुनर्विचार के लिए उपयुक्त है।

स्पष्ट है कि सर्वोच्च 'यायालय का फौजदारी क्षेत्राधिकार "मृत्यु दण्ड" तक सीमित है। ससद चाहे तो सर्वोच्च 'यायालय के फौजदारी क्षेत्राधिकार को बढा सकती है।

(iv) अपील की विशेष आज्ञा (Special leave to Appeal)—जहा अनुच्छेद 132 से 134 उन परिस्थितिया की व्यवस्था करते हैं जिनमे उच्च 'यायालय के प्रमाण पत्र पर उसके निणय के विरुद्ध सर्वोच्च 'यायालय मे अपील की जा सकती है वहा अनुच्छेद 136 सर्वोच्च 'यायालय को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वह 'स्वविवेक' (in its discretion) से अपील का अधिकार प्रदान करे अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय भारत क्षेत्र म किसी भी उच्च 'यायालय या 'यायाधिकरण के निणय (चाहे वह सब धानिक, दीवानी या फौजदारी विवादा से सम्बन्धित हो), आज्ञाप्ति, निर्धारण, दण्ड या आदेश के विरुद्ध अपील की विशेष आज्ञा प्रदान कर सकती है चाहे उच्च 'यायालय न अपील की आज्ञा देने से इकार ही क्यों न कर दिया हो। अपील की विशेष आज्ञा का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि सर्वोच्च 'यायालय पाठित पक्ष का अपील की विशेष आज्ञा उस स्थिति म भी दे सकती है जब उसे अपील का अधिकार नहीं। जैसाकि दुर्गादास बसु ने लिगा है कि 'मोटे तौर पर, जहा प्राकृतिक 'याय के सिद्धांतो का अतिरमण किया गया है वहाँ पीठित पक्ष को राहत (अनुताप-relief) देने के लिए 'यायालय इस शक्ति का प्रयोग करेगी।' सर्वोच्च 'यायालय ने औद्योगिक 'यायाधिकरण, निर्वाचन 'यायाधिकरण आयकर के अपीलीय 'यायाधिकरण और निष्क्रान्त सम्पत्ति परिरक्षण (Custodian of Evicuee Property) तथा रेल रेट ट्रिब्यूनल (Railway Rate Tribunal) जमी अद्ध-यायिक निकाया के निणया के विरुद्ध भी अपील की विशेष आज्ञा प्रदान की है।

3 परामश दात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)—भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा क्षेत्राधिकार है जिमना प्रयाग न तो अमरीकी सर्वोच्च 'यायालय

तीसरी बार सन् 1959 में देहवाडी के प्रश्न पर, चौथी बार 1962 में समुद्र तट पर अधिनियम के प्रश्न पर, पाचवीं बार सन् 1964 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के विशेषाधिकारों के प्रश्न पर और छठी बार 1974 में राष्ट्रपति मतदाता सूची व अन्य विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों पर अपनी राय व्यक्त की। केरल शिक्षा विधेयक, उत्तर प्रदेश विधान सभा के विशेषाधिकारों और राष्ट्रपति मतदाता सूची व अन्य विषयों में सम्बन्धित प्रश्नों पर व्यक्त किये गये अभिमत भारतीय सविधान के विकास में महत्त्वपूर्ण योग माने जा सकते हैं। सन् 1958 में केरल शिक्षा विधेयक पर अपनी राय व्यक्त करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा और संहिता सम्बन्धी अधिकारों के आश्वासनों की व्याख्या की। सन् 1964 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के विशेषाधिकारों के प्रश्न पर अभिमत प्रकट करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने विधान सभाओं के विशेषाधिकारों का विश्लेषण किया था और यह मत प्रकट किया था कि विधान सभा द्वारा 'सभा के अपमान' के लिए दण्डित किये गये व्यक्ति (जो विधान सभा का सदस्य नहीं है) की याचिका का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुन सकते हैं और ऐसी याचिका की सुनवाई करने में न्यायाधीश विधान सभा का 'अपमान' (contempt) नहीं करते। सन् 1974 में राष्ट्रपति मतदाता सूची व अन्य विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय प्रकट की कि "राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उनके उत्तराधिकारी का निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिये" तथा 'राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल वे ही व्यक्ति मत देने के अधिकारी होंगे, जो कि समद के दाना सदान तथा राज्य विधान सभाओं के, उस तिथि को निर्वाचित सदस्य हों, जिस दिन निर्वाचन हो रहा हो।'¹

"राष्ट्रपति मतदाता सूची व अन्य विषयों पर अपनी राय व्यक्त करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण भी अपनाया कि तथ्या के बारे में न्यायालय राष्ट्रपति के प्रेषित पत्र (reference paper) से जाहूर राय व्यक्त नहीं कर सकती। अतः न्यायालय ने उन प्रश्नों पर अपनी राय व्यक्त करने से इंकार कर दिया जिन पर विचार व्यक्त करने की मांग विरोधी दलों ने की थी। अतः न्यायालय ने इन विषयों पर अपनी राय व्यक्त करने से इंकार कर दिया कि (1) उस समय क्या स्थिति होगी जबकि एक या अनेक राज्य विधान सभाओं को बदनियती (male fide intention) से भंग किया जाय या (ii) राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व समुचित समय में अदर भंग या विधान सभा या सभाओं के निर्वाचन बदनियती से न कराये जायें या (iii) राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व अनेक विधान सभाएँ भंग हों।

अमरीकी और आस्ट्रेलियाई न्यायालयों ने यद्यपि न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के प्रति तिरस्कार (घृणा) का दृष्टिकोण अपनाया है परन्तु आधुनिक युग में मुकदमवाजी को रोकने तथा कम करने में या गम्भीर तथा उग्र विवादों का ठण्डा

1 विस्तृत वर्णन के लिए देखिये 'दिनमान', दि० 16 जून, 1974, पृ० 9-11

करने के लिए (जसाकि भारत मे 1957 मे केरल शिक्षा विधेयक पर तथा 1974 मे राष्ट्रपति मताधिकार सूची पर उत्पन्न हो गया था) "यायालय के परामशदात्री क्षेत्राधिकार का अपना महत्त्व है। जैसाकि एम० जी० पायली ने लिखा है कि "एक फिजीशियन की भांति जो न केवल रोगहर चिकित्सा से सम्बन्धित है वल्कि निवारक चिकित्सा से भी सम्बन्धित है उसी प्रकार आधुनिक युग मे एक यायाधीश को केवल विवादा के निपटारे मे ही नहीं वल्कि उह घटित होने से रोकने मे भी रुचि लेना चाहिये।"¹

4 अभिलेख यायालय (Court of Records)— अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च यायालय एक अभिलेख यायालय भी है अर्थात् देश का सर्वोच्च न्यायालय होने से इसके निर्णयो और अदालती कायवाही को, शाश्वत स्मृति (याद) के लिए, अभिलेख (Record) किया जाता है। इन अभिलेखो का साक्षिक महत्त्व (evidentiary value) भी है। जब इन्हे यायालय मे प्रमाण के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है तो उन पर सदेह या प्रश्न नहीं किये जा सकते।

सविधान यायाधीशा को उनके कार्या और निष्पत्तियों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान करता है। यायाधीशा पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उनके निष्पत्तिय विशेष प्रेरणा या हित मे प्रभावित थे। यदि कोई यायालय का तिरस्कार करता है या अपमान करता है या उसकी आज्ञाशा की उपक्षा या अवज्ञा करता है तो यायालय को उमे दण्डित करने का अधिकार है। सर्वोच्च यायालय अपन गौरव और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सतक सतक रही है। उदाहरणतया सन् 1953 मे 'टाइम्स आफ इण्डिया द्वारा की गयी टिप्पणी पर उस समाचार पत्र के सम्पादक, मुद्रक एवं प्रकाशक के विरुद्ध यायालय ने "अपमान" (Contempt of Court) की कायवाही की। सन् 1970 मे आर० के० खादलकर, जो उस समय सचीव वित्त मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री थे, के विरुद्ध यायालय के अपमान के लिए सुनवाई की। इसी प्रकार, केरल के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री इ० एम० एस० नम्बुदरीपाद को यायालय के अपमान के लिए दण्डित किया। यहा यह बात ध्यान देने की है कि सावजनिक बल्याण या शक्तिशाली दृष्टि से किय गये उचित एवं युक्तियुक्त (fair and reasonable) आलोचनात्मक विवचन को यायालय का अपमान नहीं माना जा सकता पर तु यायाधीशों की निष्पक्ष निष्पत्तियों की शक्ति को प्रभावित करना या यायालय की कायवाही मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधा प्रस्तुत करना या यायाधीशो या यायालया के प्रति घृणा फैलाना, या उन पर अनुचित प्रयाजन लादना (to attribute improper motives) या बदनियती मे उन पर आक्षेप करना अवश्य ही यायालय का अपमान है।

5 सविधान का अभिरक्षक एव मूल अधिकारी का प्रहरी (सतरी)—भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सविधान के अभिरक्षक और निवाचन तथा मूल अधिकारी के संरक्षक और गारण्टीकर्ता के रूप में कार्य करता है। सविधान के निवचन (interpretation) में इसकी शक्ति अंतिम है। इसे संसद और विधान सभाओं द्वारा बनाये गये कानूनों के पुनरावलोकन का अधिकार है। जब कभी संसद या विधान सभाओं द्वारा बनाये गये कानून सविधान की उल्लंघना करते हैं या सविधान द्वारा लगायी गयी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं तो न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर प्रभावहीन बना सकती है। अनुच्छेद 32 ता न्यायालय का नागरिका के मूल अधिकारों की रक्षा का विशेष उत्तरदायित्व सापता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु सविधान न्यायालय को नौ प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) परमादेश (mandamus), प्रतिषेध (prohibition), अधिकार पृच्छा (quo warranto) और उत्प्रेषण (certiorari) लेखा (writs) को जारी करने का अधिकार देता है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय सविधान के अभिरक्षक और मूल अधिकारी के सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त वचन से स्पष्ट है कि मौलिक क्षेत्राधिकार का छाड़ कर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ "विश्व की किसी भी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक हैं।" अपील की क्षेत्राधिकार में तो इसकी शक्तियाँ अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय से भी अधिक हैं। भारत की सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के सवधानिक, दीवानी और फौजदारी निणयों के विरुद्ध अपील ही नहीं सुन सकती बल्कि देश की निम्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निणयों के विरुद्ध अपील की विशेष शक्ति भी दे सकती है। परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तिशाली है। वस्तुतः भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (procedure established by law) द्वारा मर्यादित हैं जबकि अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ "कानून की उचित प्रक्रिया" (due process of Law) द्वारा मर्यादित हैं। यही कारण है कि जहाँ अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने "परम विधान सभा" (Super Legislature) का रूप ग्रहण कर लिया है वहाँ भारत की सर्वोच्च न्यायालय यह रूप ग्रहण नहीं कर सकती और न ही भारत के सविधान निमाता सर्वोच्च न्यायालय को यह रूप प्रदान करना चाहते थे।

संक्षेप में, भारत की सर्वोच्च न्यायालय सविधान की अंतिम निवचक (ultimate interpreter) है मूल अधिकारों की सजग प्रहरी है और इनकी रक्षा हेतु लेखा (writs) जारी कर सकती है। संघ और राज्यों में क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाले विवादों की निर्णायक हैं, इसके अपील की क्षेत्राधिकारों का विस्तार सवैधानिक दीवानी और फौजदारी मामला तक है, यह भारत के सभी न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के निणयों के विरुद्ध अपील की विशेष शक्ति दे सकती है।

राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित किये गए सावजनिक महत्त्व के विषया पर इस परामश देने का अधिकार है। इसके निराणय सभी निम्न 'यायालय पर बाध्यकारी हैं यद्यपि यह स्वयं अपने पूर्व के निराणय (stare decisions) से बाध्य नहीं इम उच्च 'यायालयों के अधीक्षण और नियंत्रण का अधिकार है। इसके निराणय भारत के सारे क्षेत्र में लागू होते हैं। यह किसी व्यक्ति या दस्तावेज को 'यायालय में प्रस्तुत करने की भाष्य कर सकती है। इसके निराणय वानूना या अध्यादेशों को असवधानिक घोषित कर प्रभावहीन बना सकते हैं। इस तरह सर्वोच्च 'यायालय सविधान की अभिरक्षण और मूल अधिकारों की गारण्टीकर्ता ही नहीं बल्कि यह 'यायिक क्षेत्र में देश की सर्वोच्च सत्ता भी है।

न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)

'वानूना के सही अर्थ और कायक्षेत्र को स्पष्ट और परिभाषित करने वाली 'यायालया के बिना वानून निर्गत पत्र के समान है।'

—एलेक्जेंडर हेमिल्टन

'यायिक पुनरावलोकन का अर्थ और परिभाषा—यायालय की प्रकृति और स्वभाव ही वानूनों (विधान) के अर्थों को स्पष्ट करना तथा उनका निवचन करना है। सधोय व्यवस्था में जहाँ सविधान सर्वोच्च विधि होती है, वहाँ 'यायालय वानूनों की वधता और अवधता को भी निर्धारित करती है। इस तरह जब 'यायालय विधान मण्डल द्वारा पास किये गये वानूना की या उनके अंतर्गत कायपालिका द्वारा बनाये गये नियमों या विनियमों की या कायपालिका द्वारा दिये गये आदेश या जारी किये गये अध्यादेशों की समीक्षा कर उनकी वधता और अवधता को निर्धारित करती है तो 'यायालय की इस शक्ति का 'यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। जसा कि एम० वी० पायली ने लिखा है कि 'विधायी नियमों के अवधानिक या असवधानिक घोषित करने की 'यायालय की क्षमता ही यायिक पुनरावलोकन का सारतत्व है।' फरगुसन और मक हेनरी ने शब्दा में यायिक पुनरावलोकन 'यायालय की ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह किसी वानून का या किसी सरकारी काय को, जिसे वह मूल वानून या सविधान के विरुद्ध समझती है, अवध घोषित कर सकती है।' किसी 'यायालय की शक्ति और महत्त्व इसी बात पर निर्भर करता है कि उसे 'यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है या नहीं और यदि है तो उसकी मात्रा क्या है क्योंकि 'यायालय की यही एक शक्ति है जिसके माध्यम से वह सविधान की सर्वोच्चता की रक्षा कर सकती है, व्यवस्थापिका और कायपालिका को नियंत्रित कर सकती है उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को निश्चित कर सकती है तथा कायपालिका निरक्षुशता और विधान मण्डल के अत्याचार से नागरिकों के अपिनारा की रक्षा कर सकती है। संक्षेप में, यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से ही 'यायालय

सविधान के संरक्षक, अभिभावक और नागरिकों के अधिकारों के सजग प्रहरी (सतरी) और गारण्टीकर्ता के रूप में कार्य कर सकती है।

“यायिक पुनरावलोकन की शर्तें—यायिक पुनरावलोकन के लिये निम्न शर्तों का होना अनिवार्य है —

- (i) लिखित एवं बठोर सविधान।
- (ii) राज्य की सघीय व्यवस्था अर्थात् विषयों का सघ सरकार और राज्य सरकारों में विभाजन।
- (iii) सविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की व्याख्या।

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review in India)

भारत का सविधान लिखित एवं सघीय है इसमें सघ और एकता (राज्या) में शक्तियों का विभाजन भी किया गया है तथा सविधान नागरिकों के मूल अधिकारों की भी व्यवस्था करता है परन्तु इस पर भी सविधान स्पष्टतया या प्रत्यक्ष रूप में सर्वोच्च न्यायालय को “यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान नहीं करता। इस बात को लेकर कुछ सवधानिक आलोचका ने यह विचार व्यक्त किया है कि भारत के सविधान निर्माता सर्वोच्च न्यायालय को इस असाधारण शक्ति (यायिक पुनरावलोकन की शक्ति) में विभूषित करना नहीं चाहते थे। परन्तु आलोचकों का यह विचार न केवल भ्रामक है बल्कि मिथ्या भी है क्योंकि भारतीय सविधान द्वारा विधान मण्डल (संसद और विधान सभाओं) पर अनुच्छेद 246 द्वारा लगायी गयी सीमाओं में, अनुच्छेद 32 और 226 में सवधानिक उपचारों में की गई व्यवस्था में अनुच्छेद 13 में न्यायालय को सौंपे गये उत्तरदायित्वों में न्यायालय की सविधान के निवचन की शक्ति में तथा वानूनो की वधता की जांच करने की शक्ति में न्यायालय की “यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अन्तर्निहित है। जसा कि जी० एन० जाशी ने लिखा है कि “न्यायालय का यह सकारात्मक कर्तव्य है कि वे देखें कि क्या सघ और राज्य अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं मूल अधिकारों के सम्बन्ध में राज्य पर लगायी गयी सीमाओं का पालन हो रहा है कि नहीं। न्यायालयें अधिनियमों और सरकारी कार्यों की सवधानिकता पर निराय द सकती हैं। “यायिक पुनरावलोकन जो सघीय राजनीतिक व्यवस्था में सन्निहित है, भारतीय सविधान उसका स्पष्ट उल्लेख करता है। विधि की सर्वोच्चता और विधि के शासन को बनाये रखना न्यायालयों की शक्ति और कर्तव्य है।”¹ “यायात्रीश एच० एल० वानिया ने दिल्ली वानून अधिनियम के मुकदमे में अवलोकित किया था कि ‘ममद सविधान की मृष्टि (उत्पत्ति) है और इसी शक्तिया, अधिकार, विशेषाधिकार और दायित्वों को

1 Joshi G N Aspects of Indian Constitutional Law p 200
Cited by Johari Ibid p p 149-150

सम्बद्ध अनुच्छेदों में ही हूँडा जा सकता है। यह सावभौम निकाय नहीं है जिसकी शक्तियाँ अनिर्दिष्ट या असीमित हों। भारतीय संविधान उन विषयों पर मसदा का बानून बनाने का अधिकार देता है जिन्हें समुचित स्थान और अनुसूचियाँ में देना जा सकता है। और कुछ अथवा दूसरे अनुच्छेदों में इसके अधिकारों और शक्तियों को कम किया गया है विशेषकर मूल अधिकारों के अध्याय तीन के अनुच्छेदों द्वारा।¹ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सम्बंधित अनुच्छेद (131 से 136) भी उन्हें सभ और राज्या के विधायी अविनियमों पर 'याचिका पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 13 (1) स्पष्ट रूप में उल्लिखित करता है कि 'जिस सीमा तक कोई कानून मूल अधिकारों से असंगत है या उन्हें 'यून (कम) करता है उस सीमा तक वह कानून अर्थव्यवस्था है। अनुच्छेद 13 (2) तो राज्य का ऐसे कानूनों के निष्काशन से मनाही करता है जो मूल अधिकारों को 'खतम या 'यून' करते हैं। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की गयी है। इस तरह संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पर यह अनुरणयित्व सौंपता है कि नागरिकों की प्रायता करने पर वे उनके अधिकारों की रक्षा करें। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये 'याचिका वाली प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा तथा उत्प्रेषण के लेख (Writs) भी जारी कर सकती है। यह सत्य है कि संविधान कानून द्वारा नागरिकों के अधिकारों को प्रतिबंधित करने की भी व्यवस्था करता है परंतु इस बात का निर्धारण करना न्यायालय का दायित्व है कि प्रतिबंध उचित और 'याचकपूर्ण है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश का मत है कि "यदि अनुच्छेद 13 (1) और (2) में संविधान इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं करता तो भी 'याचिका पुनरावलोकन का अधिकार न्यायालय को प्राप्त है क्योंकि जिस सीमा तक कोई कानून उस पर लगाई गई सीमाओं में अतिक्रमण करता है न्यायालय को उसे अर्थव्यवस्था धारित करने का अधिकार संवदा प्राप्त है।"² इस तरह भारत की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस बात का निर्धारण करती हैं कि कोई कानून, नियम या विनियम, प्रायपालिका आदेश या अध्यादेश संवैधानिक है या नहीं, वही वह अपनी सीमाओं का अतिक्रमण तो नहीं करता या मूल अधिकारों की उल्लंघना तो नहीं करता, आदि।

उपरोक्त वचन में स्पष्ट है कि भारत में न्यायालय की याचिका पुनरावलोकन की शक्ति संविधान में सन्निहित है और संविधान के लागू होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग करके अनेक महत्वपूर्ण कानूनों या अध्यादेशों, नियमों या विनियमों को पूर्णतया या अंशतः असंवैधानिक घोषित किया है। मई 1950 में

1 Chief Justice H L Kania in Delhi Laws Act (1951)

2 C J Kania in A K Gopalan Vs The State of Madras 1950, SCJ, 179

निवारक निरोध अधिनियम (Preventive Detention Act) के एक खण्ड को अवध घोषित करके सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम याचिका पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया। गोलकनाथ (1967), एक राष्ट्रीयकरण (1970) और राजागो के-प्रिवीपर्सों (1970) आदि मुकदमों में न्यायालय द्वारा दिये गये निरणय ऐतिहासिक महत्व के हैं। गोतकनाथ के मुकदमे में न्यायालय ने यह उदघोषणा की कि "संसद को संविधान में निहित मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं" परन्तु बेशवानन्द बनाम केरल राज्य (1973) के मुकदमे में न्यायालय ने संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में संशोधन करने के संसद के अधिकार को स्वीकार किया परन्तु साथ में यह भी अवलोकित कर दिया कि संसद संविधान के 'मूल ढांचे' या संविधान की "आत्मा" में परिवर्तन नहीं कर सकती। सन् 1973 में न्यायालय ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (Maintenance of Internal Security Act MISA) के खण्ड 17 (A) को अवध घोषित किया जिसमें सबूत काल में किसी व्यक्ति को "परामर्श बोर्ड" के परामर्श बिना 21 महीने तक बन्दी बनाये रखने की व्यवस्था थी। 4 अक्टूबर, 1974 का सर्वोच्च न्यायालय ने अमरनाथ चावला बनाम कवरलाल गुप्त के मुकदमे में चुनाव गृह से सम्बन्धित दूरगामी प्रभाव डालने वाला निरणय दिया। इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने अमरनाथ चावला का निर्वाचन इसलिये रद्द कर दिया कि उसके चुनाव पर उसके दल, मित्रों और समर्थकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक धन खर्च किया था।¹

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति

या

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएँ

(Nature of Judicial Review in India)

Or

(Features of Judicial Review in India)

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति या उसकी विशेषताओं को निम्न बिन्दुओं द्वारा व्यक्त किया जाता है —

(1) विधायी क्षमता का सिद्धांत (Doctrine of Legislative Competence)—इसे "सार तत्त्व" (Pith and substance) का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार न्यायालय का समीक्षा कर यह निर्धारित करने का अधिकार है कि जिस कानून का विरोध किया गया है क्या व्यवस्थापिका को उसका निर्माण करने का अधिकार है या नहीं। दूसरे शब्दों में, इस सिद्धांत के अनुसार न्यायालय इस बात का निर्धारण करती है कि कानून बनाते समय विधान मण्डल ने अपनी शक्ति का अतिक्रमण या संविधान द्वारा लगायी गयी सीमाओं का अतिक्रमण तो नहीं किया

और यदि अतिलघन या अतित्रमण किया है तो 'यायालय उसे असवधानिक घोषित कर प्रभावहीन बना सकती है। यद्यपि भारत की 'यायालय अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की भांति "निहित शक्तियाँ के सिद्धांत" (Doctrine of Implied Powers) का विस्तार या अत्यधिक विकास नहीं कर सकती फिर भी सर्वोच्च 'यायालय ने उन गौण विषया (ancillary subjects) को व्यवस्थापिका की विधाधी क्षमता में स्वीकार किया है जिन्हें युक्तियुक्त ढंग से उसके अंतर्गत लिया जा सकता है।¹

2 पथ्यकरणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability)—इस सिद्धांत के अनुसार 'यायालय का कानून के बंध और अवयव भाग को पृथक् करने का अधिकार है।² अर्थात् यदि किसी कानून का कोई भाग, खण्ड या अथ सविधान का उत्तलघन करता है और उसका शेष भाग सवधानिक है तो 'यायालय पूरे कानून को अवयव घोषित करने के स्थान पर केवल उस भाग, खण्ड या अथ को ही अवयव घोषित करेगी जो असवधानिक है और शेष सवधानिक भाग को क्रियाशील (प्रभाव युक्त) बना देगी।³

3 उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत (Doctrine of Progressive Interpretation)—भारत में 'यायिक पुनरावलोकन की एक प्रमुख प्रवृत्ति या विवपता यह रही है कि यह औपचारिक या व्यव की विधिपरायणता के सिद्धांत में विषका नहीं रहा इसने सवधानिक व्याख्या (निवचन) में सविधान सभा में दिये गये भाषणा को उपचार या साधनों के रूप में स्वीकार भी नहीं किया और न ही यह ससद के अंदर या बाहर की गई आलोचनाया में प्रभावित हुआ है। भारत में इसकी प्रकृति समय की गति नवीन तथ्या और परिस्थितियाँ तथा स्वतंत्रता और निडरता के आकार पर विवमित हुई है। दूसरे शब्दों में, भारत में सर्वोच्च 'यायालय ने 'उत्तरोत्तर व्याख्या के सिद्धांत को स्वीकार किया है।' सामान्यतः 'यायालय अपने पूर्व के निणया के सिद्धांत को स्वीकार किया है।' उदाहरणतया 1952 में अपने पूर्व के निणया का रद्द (over rule) नहीं करती परंतु नवीन तथ्या के प्रस्तुत होने पर अपने अपने पूर्व के निणया को रद्द किया है। उदाहरणतया 1952 में शकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य क मुन्दम में न्यायालय ने अनुच्छेद 13 को

1 Chaturbhui M Patel Vs The Union of India (1960) Cited by Johari J C Ibid p 147

2 The doctrine of Severability has its origin in the words occurring in Art 13 (1) and 13 (2) viz To the extent of inconsistency or contravention

3 Habeeb Vs State of Hyderabad Also see Basu D D Shorter Constitution of India Ibid p 19

अनुच्छेद 368 के अधीन स्वीकार करते हुए मसद के मूल अधिकारों में सशोधन करने के अधिकार को स्वीकार किया। सन् 1965 में सज्जन सिंह के मुकदमे में इसी दृष्टिकोण की पुष्टि की गयी। परंतु सन् 1967 में गोलकनाथ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 का अनुच्छेद 13 के अधीन स्वीकार करते हुए मसद के मूल अधिकारों में सशोधन करने के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। सन् 1973 में केशवानंद बनाम केरल राज्य के मुकदमे में अनुच्छेद 13 को अनुच्छेद 368 के अधीन स्वीकार करते हुए मूल अधिकारों में ही नहीं बल्कि सविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में सशोधन करने के मसद के अधिकार को स्वीकार कर लिया परंतु साथ में यह अवलोकित भी कर दिया कि सशोधन सविधान की 'आत्मा' को नष्ट नहीं कर सकता।

4 **सवधानिक भावना का सिद्धांत (Doctrine of the Spirit of the Constitution)**—इस सिद्धांत के अनुसार न्यायालय 'प्रतिबंधों के औचित्य' (reasonableness of restrictions) का निर्धारण करती है अर्थात् जब व्यवस्थापिका या कार्यपालिका सांख्यिक सुरक्षा, व्यवस्था या राष्ट्रीय अखण्डता और सांख्यिक नतिकता या स्वास्थ्य आदि के नाम पर नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है तो न्यायालय इस बात का निर्धारण करती है कि लगाए गये प्रतिबंध उचित है या नहीं। जैसा कि न्यायाधीश वी० के० मुखर्जी ने अवलोकित किया था कि "अधिनियम विधि सवधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप होने पर ही बंध समझी जा सकती है।"

5 **सवधानिक परिकल्पना का सिद्धांत (Doctrine of presumption in favour of the Constitutionality)**—इस सिद्धांत के अनुसार न्यायालय सामान्यतः यह मान कर चलती है कि व्यवस्थापिका अपनी शक्तियां वा अतिक्रमण नहीं करती और वह किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करती जो सवधानिक भावना के विपरीत हो। इस तरह जब किसी कानून की सवधानिकता का चुनौती दी जाती है तो न्यायालय तब तक उसे अमान्य या असवधानिक तथा इसलिए प्रभावहीन नहीं बनाती जब तक उसकी सवधानिकता निश्चित और निर्विवाद ही न हो।

संक्षेप में, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि जिस कानून को न्यायालय सवधानिक भावना या सवधानिक उपबंधों के विरुद्ध समझती है उसे वह असवधानिक और इसलिए प्रभावहीन बना सकती है।

**भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र या
अमरीकी और भारतीय न्यायिक पुनरावलोकन की तुलना
(Scope of Judicial Review in India) or**

(A Comparison between American and Indian Judicial Review)

'भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र अमरीका की भांति निरपेक्ष या असीमित नहीं बल्कि सविधान द्वारा उसी प्रकार मर्यादित है जिस प्रकार सविधान

सरकार के अथ अगो (व्यवस्थापिका, वायपालिका, आदि) की शक्तियाँ को मर्यादित करना है। जहाँ पर अमरीकी मविधान के सक्षिप्त स्वरूप और मविधान का स्पष्ट धाराओं और 'याय की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) के सिद्धान्त न न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र को व्यापक एवं विस्तृत बना दिया है वहाँ भारत न सविधान का स्पष्ट एवं विस्तृत स्वरूप, विधान मण्डल के क्षेत्राधिकार का स्पष्ट बरण (अनुच्छेद 246 और अनुसूची सात), नागरिका के मूल अधिकार पर सरकार की प्रतिबंध लगान की शक्ति, सशोधन की प्रक्रिया, सखटवालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति पर अवुश का अभाव तथा 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) ने 'न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र को मर्यादित या सीमित न कर दिया है। इन मर्यादाओं के कारण ही भारत की सर्वोच्च न्यायालय अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की भाँति 'परम विधान मण्डल' (Super Legislature) या विधान मण्डल के तृतीय सदन (Third Chamber of the Legislature) का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकती। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की भाँति भारत की सर्वोच्च न्यायालय 'निहित शक्तियों के सिद्धान्त' (Doctrine of Implied Powers) का विकास नहीं कर सकती। भारत न न्यायाधीश अमरीकी न्यायाधीशों की भाँति यह दावा नहीं कर सकते कि सविधान वही है जो न्यायाधीश बताते हैं कि वह क्या है। यह सत्य है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय विधानमण्डल की इच्छा पर निर्णय दे सकती है पर तु लागा की सर्वोच्च इच्छा पर (Sovereignty of the People) उसे निर्णय देने का अधिकार नहीं। यदि 'विधान मण्डल की इच्छा' 'लागा की सर्वोच्च इच्छा' के अनुरूप नहीं, जैसाकि लागा ने उस सविधान में अभिव्यक्त या उल्लिखित किया है, तो ही सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संक्षेप में भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता और अमरीका की न्यायिक सर्वोच्चता की प्रणाली के मध्य की है।

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र के व्यापक न हान के मुख्य कारण निम्न हैं—

1 भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया—जहाँ अमरीका में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार 'कानून की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) है वहाँ भारत में इसका आधार 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) है और इन दोनों में अत्यधिक अंतर है। 'कानून की उचित प्रक्रिया' ने आधार पर अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के कानूनों का केवल इस कारण असंवैधानिक घोषित नहीं किया कि वे सविधान की उल्लंघना या उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करते थे बल्कि उनमें कानूनों की इस कारण भी असंवैधानिक घोषित किया कि वे 'बुरे कानून' (bad laws) थे। दूसरे शब्दों में, अमरीकी सर्वोच्च

‘यायालय ने कानूनो की सवधानिकता निश्चित करते समय उनमें सन्निहित नीति, भावो और उद्देश्या पर भी विचार किया है और यदि वे सामाजिक या साधजनिक् नतिक्ता, प्राकृतिक ‘याय, ‘याय की भावना और सम व्यवहार (Equity) के विरुद्ध प्रतीत हुए हैं तो उह भी असवंधानिक घोषित किया गया है। सक्षेप में, अमरीका में ‘यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। दूसरी ओर, भारतीय सविधान न तो ‘यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार करता है और न ही ‘यायाधीशा की सरकार’ की स्थापना की आना देता है। भारतीय सविधान कानून द्वारा स्थापित प्रतिया’ की व्यवस्था करता है जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल उन कानूना को असवधानिक घोषित कर उह प्रभावहीन बना सकती है जो निश्चित रूप से सवधानिक धाराआ का उल्लंघन करते ह। दूसरे शब्दा में भारतीय सर्वोच्च यायालय लिखित कानून की, जसाकि वह लिखा हुआ है, व्याख्या या निवचन करती है उसके भावो प्रेरणाआ या उद्देश्या का निश्चन नहीं करती। जसाकि ‘यायाधीश एस० आर० दाम ने अवलोकित किया था कि “‘यायालय सविधान का अर्थ और निवचन कर सकती है और इसके सही अर्थों को निश्चित कर सकती है परंतु एक बार यह वाय करने के बाद वह उसके विवेक (अवलम दी) और नीति पर प्रश्न नहीं कर सकती।” सामाजिक नैतिकता प्राकृतिक याय या सम व्यवहार (fair play or equity) के आधार पर भारतीय सर्वोच्च यायालय किसी कानून को अवध घोषित नहीं कर सकती। कानून चाहे कितना ही अनतिर, बठोर या अत्याचारी क्या न हो, यदि व्यवस्थापिना ने उसे अपने सवधानिक क्षेत्राधिकार के अंतगत प्रनाया है ता भारतीय सर्वोच्च यायालय उसे असवधानिक घोषित नहीं कर सकती। मुख्य ‘यायाधीश कागिया न ठीक अवलोकित किया था कि ‘कानून द्वारा स्थापित प्रतिया को स्वीकार करने से सविधान ने कानून का निश्चित करने का पूरा अधिकार व्यवस्थापिना को दिया है। गिरफ्तारी, दण्ड या नजरब दी आदि के सम्बन्ध में कोई कानून कितना ही कठार क्या न हो भारतीय यायालय जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती।”

सक्षेप में, ‘कानून द्वारा स्थापित प्रतिया हान से भारतीय सर्वोच्च यायालय कानून के निवचन में अपनी आत्म निष्ठा (प्राकृतिक याय या सम व्यवहार या याय की भावना) का प्रयोग नहीं करती।

2 सवधानिक सशोधन और ससदीय सर्वोच्चता—ससदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत ने और सशोधन की सरल प्रतिया न भी ‘यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र को मर्यादित किया है। कायपालिका के सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्या में जब जब यायिक निणय बाधक सिद्ध हुए है तब तब उसने सवधानिक सशोधन का सहारा लेकर ‘यायालय की ‘यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मर्यादित किया है। उदाहरणतया सविधान की ‘सम सरक्षण की धारा’ (equal protection clause)

आधार पर जब सर्वोच्च न्यायालय ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम (Zamindar Abolition Act) को अग्रिम घोषित किया तो कायपालिका ने प्रथम सशोधन द्वारा (1951 में) न्यायालय की न्यायिक पुरारावत्रोकन की शक्ति को मर्यादित किया अथवा कानून द्वारा अभिग्रहित की गयी सम्पत्ति को न्यायालय अब इस आधार पर अवध घोषित नहीं कर सकती कि वह नागरिकों के मूल अधिकारों को 'भ्रूत' (कम) करता है। इसी प्रकार भूमि सुधार अधिनियमों (Land Reform Legislations) को न्यायालय के क्षेत्र से स्वतंत्र रखने के लिये चौदहवाँ और सत्रहवाँ सशोधन पास किया गया। ससद को भूत अधिकारों में सशोधन करने की शक्ति को पुनः प्रदान करने के लिये चौतीसवाँ सशोधन पास किया गया।¹ सावजनिक उद्देश्यों के लिये अभिग्रहित की गयी सम्पत्ति का अनुच्छेद 19 (1) (f) की सीमाओं में स्वतंत्र रखने के लिये पच्चीसवाँ सशोधन पास किया गया।² दूसरे शब्दों में, सावजनिक उद्देश्यों के लिये अभिग्रहित की गई सम्पत्ति के कानून को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह 'उचित मुद्रावज्र' की व्यवस्था नहीं करता। राजाशा के विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्सों को समाप्त करने के लिये छठ्तीसवाँ सशोधन इसलिये पास किया गया कि न्यायालय ने राजाशा के विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्सों को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति के अन्याय का अवध घोषित किया था। अमरनाथ चावला बनाम कवरलाल गुप्त व मुकदमा (1974) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावहीन बनाने के लिये ससद ने चुनाव कानून की धारा 77 (1) में सशोधन का राजनीतिक दला, मित्रा समर्थका या सगठना द्वारा किसी प्रत्याशी के निर्वाचन पर रच किया गया धन का प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय की भीमा से बाहर कर दिया। स्पष्ट है कि भारत में ससदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का नहीं।

3 न्यायाधीशों की नियुक्ति—अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के अनुसमयन पर होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राष्ट्रपति के लिये अप्रिय होते हैं या उन्हें सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के विरुद्ध होते हैं या उसका योजनाया में बाधक हत हैं तो भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को आसानी से सबै प्ति (pack) नहीं कर सकता। उदाहरणतया जब अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने

1 भारतनाथ व मुकदमा (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह उन्घोषणा की थी कि ससद का सशोधन द्वारा मूल अधिकारों का भ्रूत या रतम करने का अधिकार नहीं।

2 देश राष्ट्रियकरण के अधिनियम को (जिमें 14 प्रमुत बना का राष्ट्रीय करण गया था) सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर अवध घोषित किया कि धारा 19 (1) (f) के अनुरूप नहीं।

राष्ट्रपति रूजवैल्ट के 'यूडील विधायनो को अवैध घोषित किया तो राष्ट्रपति ने सर्वोच्च 'यायालय का सवेष्टित (pack) करने की कोशिश की परन्तु सीनेट ने उसकी इस महत्वाकांक्षा को पूरा होने नहीं दिया। दूसरी ओर, भारत में सर्वोच्च 'यायालय के 'यायाधीशा की नियुक्ति राष्ट्रपति के स्वविवेक (discretion) द्वारा होती है जिसका वास्तविक अर्थ है कि 'यायाधीशा की नियुक्ति प्रधान मंत्री के परामश पर होती है और उसका परामश ही निर्णायक होता है। 'यायाधीशा या मुख्य 'यायाधीश द्वारा दिया गया परामश राष्ट्रपति के लिये स्वीकार करना अनिवार्य नहीं। दूसरे शब्दों में, भारत में 'यायाधीशा की नियुक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित हो सकती है। जब 'यायिक निर्णयों के कारण कायपालिका और 'यायपालिका में समझौता (confrontation) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या 'यायिक निर्णय सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक सामाजिक या आर्थिक उद्देश्यों के विरुद्ध जाते हैं या महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के विरुद्ध हैं तो वह सर्वोच्च 'यायालय को सवेष्टित (pack) करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों को 'यायाधीश पद पर नियुक्त करने का परामश दे सकता है जो उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशन के समर्थक हों। अप्रैल 1973 में 'यायाधीश अजितनाथ रे की मुख्य 'यायाधीश के पद पर नियुक्ति इसी दिशा की ओर संकेत करती है।

4 भारतीय संविधान का विस्तृत स्वरूप—भारतीय संविधान के विस्तृत एवं स्पष्ट स्वरूप ने भी 'यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र को मर्यादित किया है। सभ और राज्यों में विधायी शक्तियों के स्पष्ट एवं विस्तृत उल्लेख ने तथा समवर्ती विषयों की लम्बी सूची और उस पर संघीय सरकार की सर्वोच्च सत्ता ने उनमें पारस्परिक मुद्दमबाजी को प्रोत्साहन नहीं दिया। परिणामस्वरूप भारतीय सर्वोच्च 'यायालय संविधान के विकास में यद्यपि कुछ मात्रा तक सहायक हो सकती है परन्तु वह अमरीकी सर्वोच्च 'यायालय की भांति व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में विधान की निर्माता नहीं बन सकती और न ही निहित शक्तियाँ (Implied Powers) जसे सिद्धांत का विकास कर सकती है।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारत में 'यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र अमरीका की भांति अत्यन्त व्यापक या विस्तृत नहीं फिर भी कानूना की बहुत बड़ी संख्या 'यायपालिका को कायपालिका के कार्यों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करती है।

‘यायिक पुनरावलोकन का मूल्यांकन या न्यायिक पुनरावलोकन के पक्ष और विपक्ष में तर्क

(Evaluation of Judicial Review or Arguments for and against Judicial Review)

'यायिक पुनरावलोकन के सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। एक विचार इसके प्रालोचकों का है जिनका कहना है कि इससे "यायिक निरकुण्ठा

आधार पर जब सर्वोच्च न्यायालय ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम (Zamindari Abolition Act) को अवैध घोषित किया तो कायपालिका न प्रथम सशोधन द्वारा (1951 में) न्यायालय की 'यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मर्यादित किया अथवा कानून द्वारा अभिग्रहित की गयी सम्पत्ति को न्यायालय अब इस आधार पर अवैध घोषित नहीं कर सकती कि वह नागरिका के मूल अधिकारों को न्यून (कम) करता है। इसी प्रकार भूमि सुधार अधिनियमों (Land Reform Legislations) को न्यायालय के क्षेत्र से स्वतंत्र रखने के लिये चौदहवाँ और सत्रहवाँ सशोधन पास किया गया। ससद को मूल अधिकारों में सशोधन करने की शक्ति को पुनः प्रदान करने के लिये चौबीसवाँ सशोधन पास किया गया,¹ सावजनिक उद्देश्यों के लिये अभिग्रहित की गयी सम्पत्ति का अनुच्छेद 19 (1) (f) की सीमाओं से स्वतंत्र रखने के लिये पच्चीसवाँ सशोधन पास किया गया।² दूसरे शब्दों में, सावजनिक उद्देश्यों के लिये अभिग्रहित की गई सम्पत्ति के कानून का इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह "उचित भुआवज" की व्यवस्था नहीं करता। राजाओं के विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्सों का समाप्त करने के लिये छब्बीसवाँ सशोधन इसलिये पास किया गया कि न्यायालय न राजाओं के विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्सों को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति के अध्यादेश को अवैध घोषित किया था। अमरनाथ चावला बनाम कवरनाल गुप्त के मुकदमे (1974) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावहीन बनाने के लिये मगद न चुनाव कानून की धारा 77 (1) में सशोधन का राजनीतिक दला, मित्रा समर्थता या सगठना द्वारा किसी प्रत्याशी के निर्वाचन पर रोक किया गया धन का प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय की सीमा से बाहर कर दिया। स्पष्ट है कि भारत में ससदीय सर्वोच्चता के सिद्धान्त का स्वीकार किया गया है यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं।

3 'यायाधीशों की नियुक्ति—अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय के यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के अनुसमर्थन पर होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राष्ट्रपति के लिये अप्रिय होते हैं या उसके सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के विरुद्ध होते हैं या उसकी योजनाओं में बाधक होते हैं तो भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को आसानी से सर्वेपिट (pack) नहीं कर सकता। उदाहरणतया जब अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने

1 गोतवनाथ के मुकदमे (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह उदघाटन की थी कि ससद का सशोधन द्वारा मूल अधिकारों को न्यून या खतम करने का अधिकार नहीं।

2 बैंक राष्ट्रीयकरण के अधिनियम को (जिसमें 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था) सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर अवैध घोषित किया था कि यह अनुच्छेद 19 (1) (f) के अनुरूप नहीं।

राष्ट्रपति रूजवैल्ट के 'यूडील विधायनो को अवध घोषित किया तो राष्ट्रपति ने सर्वोच्च 'यायालय का सवेष्टित (pack) करने की कोशिश की परन्तु सीनेट ने उसकी इस महत्वाकांक्षा को पूरा होने नहीं दिया। दूसरी ओर, भारत में सर्वोच्च 'यायालय के यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के स्वविवेक (discretion) द्वारा होती है जिसका वास्तविक अर्थ है कि 'यायाधीशों की नियुक्ति प्रधान मंत्री के परामर्श पर होती है और उसका परामर्श ही निर्णायक होता है। 'यायाधीशों या मुख्य 'यायाधीश द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिये स्वीकार करना अनिवार्य नहीं। दूसरे शब्दों में, भारत में 'यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित हो सकती है। जब न्यायिक निर्णयों के कारण कायपालिका और 'यायपालिका में समझौता (confrontation) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या 'यायिक निर्णय सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक सामाजिक या आर्थिक उद्देश्यों के विरुद्ध जाते हैं या महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के विरुद्ध हैं तो वह सर्वोच्च 'यायालय को सवेष्टित (pack) करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों का 'यायाधीश पद पर नियुक्त करने का परामर्श दे सकता है जो उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशन के समर्थक हों। अप्रैल 1973 में 'यायाधीश अजितनाथ रे की मुख्य 'यायाधीश के पद पर नियुक्ति इसी दिशा की ओर संकेत करती है।

4 भारतीय संविधान का विस्तृत स्वरूप—भारतीय संविधान के विस्तृत एवं स्पष्ट स्वरूप ने भी 'यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र को मर्यादित किया है। सघ और राज्यों में विधायी शक्तियों के स्पष्ट एवं विस्तृत उल्लेख ने तथा समवर्ती विषयों की लम्बी सूची और उस पर संघीय सरकार की सर्वोच्च सत्ता ने उनमें पारस्परिक मुकदमबाजों को प्रोत्साहन नहीं दिया। परिणामस्वरूप भारतीय सर्वोच्च 'यायालय संविधान के विकास में यद्यपि युद्ध माना तब सहायक हो सकती है परन्तु वह अमरीका की भाँति व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में विधान की निर्माता नहीं बन सकती और न ही निहित शक्तियों (Implied Powers) जसे सिद्धांत का विकास कर सकती है।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारत में 'यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र अमरीका की भाँति अत्यन्त व्यापक या विस्तृत नहीं फिर भी कानूनों की बहुत बड़ी संख्या 'यायपालिका को कायपालिका के कार्यों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करती है।

न्यायिक पुनरावलोकन का मूल्यांकन या न्यायिक पुनरावलोकन के पक्ष और विपक्ष में तर्क

(Evaluation of Judicial Review or Arguments for and against Judicial Review)

'यायिक पुनरावलोकन के सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। एक विचार इससे प्रालोचकों का है जिनका कहना है कि इससे "'यायिक निरकुलता

एव "यायिक अत्याचार" का जन्म होता है, "प्रगतिशील एव लोक-व्यापारकार नीतियाँ" को आघात पहुंचता है, 'प्रतिप्रियावादी तत्त्वों' को बढ़ावा मिलता है, व्यवस्थापिका और "यायपालिका में अनावश्यक विरोधी समक्षता (hostile confrontation) का प्रश्न उठ खड़ा होता है तथा न्यायपालिका को विधान मण्डल की सर्वोच्च स्वामिनी या विधान मण्डल का परम सदन (Super House) बनने का अवसर मिलता है। संक्षेप में, न्यायिक पुनरावलोकन से सरकार के उस अंग को (यायपालिका को) लोग की इच्छा पर निर्णय देने का अवसर मिलता है जो उसकी अभिव्यक्ति नहीं करता। दूसरा विचार इसके समयका का है जिनका कहना है कि स्वतंत्र एव प्रजातान्त्रिक राजनीतिक सस्याओं के संरक्षण के लिये नागरिकों के मूल अधिकारों की कायपालिका निम्नशता और व्यवस्थापिका के अत्याचार से रक्षा के लिये तथा सविधान को अस्थायी सत्तारूढ़ दल के हाथों की कठपुतली बनने से बचाने के लिये "यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता है।"

"यायिक पुनरावलोकन के विपक्ष में तक—जिन आधारों पर "यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की गयी है उनमें प्रमुख निम्न हैं —

1 यायालय की जन इच्छा को अभिव्यक्त नहीं करती—प्रजातंत्र में जन इच्छा को अभिव्यक्त करने वाली सत्ता संसद या व्यवस्थापिका होती है "यायपालिका नहीं। इसलिये कानून निर्माण के क्षेत्र में अंतिम निर्णय व्यवस्थापिका का हाना चाहिये। न्यायपालिका जन इच्छा की रक्षा कर सकती है उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकती। इसलिये न्यायपालिका का अधिकार कानून की वैधानिक समीक्षा तक सीमित होना चाहिये उन्हें उनके औचित्य और अनौचित्य को निर्धारित करने की क्षमता नहीं होनी चाहिये। "यायिक पुनरावलोकन की असीमित शक्ति द्वारा जब "यायालय की प्रवृत्ति विधान के कार्यों को अपनाए की बन जाती है तो वहां उसका हस्तक्षेप अनुचित होता है। आलोचना का कहना है कि जहां "यायिक पुनरावलोकन का दण्डा सवदा विद्यमान रहता है वहां न तो राजनीति अपने मुधार या विकासवादी योग नाभा को कार्यान्वित करने में स्वतंत्र समझते हैं और न ही जनता अपने आपको उनका (विधान सभाओं और राजनीतिज्ञों) स्वामिनी समझती है। इस तरह लोक-व्यापारकारी नीतियाँ का कार्यान्वित करना कठिन हो जाता है।"

2 प्रगतिशील एव लोकतान्त्रिक नीतियों के विरुद्ध—आलोचकों का कथन है कि समाज में मूलभूत परिवर्तन करने के लिये उग्र मुधारों की आवश्यकता होता है जिसे रूढ़िवादी कुलीन या उच्च वर्ग के लोग स्वीकार नहीं करते। इतना ही नहीं वे इन नीतियों की कार्यान्विति में बाधा प्रस्तुत करते हैं। क्या कि "यायाधीश प्रायः उच्च एव कुलीन वर्ग से सम्बन्धित होते हैं इसलिये उनका दृष्टिकोण प्रायः उन्नीत वर्ग के हितों की रक्षा करना होता है। डॉ० टॉकविल ने एक बार कहा था कि "यदि अमरीका में कहीं कुलीनतंत्र निवास करता है तो वह "यायालयों में है।" बंब राष्ट्रीय दल और प्रियो पनों के मुखदमा में भारतीय सर्वोच्च "यायालय ने जो निर्णय दिये वे आलोचना के दृग् कथन के भाव को व्यक्त करते हैं।

3 'यायालय के निणयो मे एकरूपता का अभाव—'यायिक पुनरावलोकन पर सबसे तीव्र आलोचना इस आधार पर की गयी है कि 'यायालय के निणयो मे स्थिरता एव एकरूपता नही रहती । इसके निणय कभी उदार तो कभी अनुदार भावनाया से प्रेरित होते है, कभी इसका दृष्टिकोण सघ और कभी एक्को के पक्ष मे होता है, कभी यह सामूहिक और कभी निजी हितो का समथन करती है । आलोचका का यह भी कथन है कि 'यायाधीशो का निजी राजनीतिक दशन भी कभी कभी निणयो पर प्रभावित होता है । निणयो की इस परिवतनशीलता के कारण ही आलोचक कानून और 'याय की अनिश्चितता की बात करते है । जसाकि वी० गेल्स ने लिखा है कि "यायिक विचार परिवतनशील सिल्क की भाति है जो राजनीतिक धूप के अनुरूप रंग बदलते हैं ।" उदाहरणतया जहा गोलकाथ (1967) के मुकदम म सर्वोच्च 'यायालय ने ससद को मूल अधिकारो मे सशोधन करने की शक्ति से वचित किया बहा उसी 'यायालय ने केशवानन्द (1973) के मुकदमे मे मूल अधिकारो मे ही नही बल्कि सविधान की किसी भी धारा का सशोधित करने की ससद की शक्ति को स्वीकार किया ।

पक्ष मे तर्क—उपयुक्त आलोचनायो के बाद भी 'यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता और महत्त्व को कम नही आका जा सकता । वस्तुतः प्रजातायिक, सघीय एव सम्य समाजा मे इसकी आवश्यकता निविवाद है । सघीय राज्यों मे, सघीय और एक्को की सरकारो मे क्षत्राधिकार के सम्बन्ध मे उत्पन्न होने वाले विवादो का निपटारा करने के लिये एक स्वतन्त्र एव निष्पक्ष मध्यस्थ की आवश्यकता होती है और 'यायपालिका से बढ कर और अधिक अच्छा, निष्पक्ष और स्वतन्त्र स्थान कोई नही हो सकता । दूसरे, सविधान के अभिरक्षक और निवचन के रूप मे 'यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता होती है । यदि 'यायालय के पास 'यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न हो तो कायपालिका या व्यवस्थापिका पर लगायी गयी सबधानिक सीमायें और प्रतिबन्ध "रद्दी के कागज के टुकडे" (scraps of paper) के समान निरथक बन कर रह जायगी । तीसरे, कायपालिका स्वच्छदता और व्यवस्थापिका निरकुशता से नागरिक अधिकारो की सुरक्षा के लिये 'यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता होती है । 'यायिक पुनरावलोकन के अभाव मे नागरिक स्वतन्त्रतायें शासका की 'दासी मान' बनकर रह जायेगी और सविधान सत्ताम्ब दल के हाथो की कठपुतली मात्र बन जायगा ।

स्पष्ट है कि न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है और प्रत्येक सम्य समाज मे यह 'यूनायिक माना मे विद्यमान है । यह सत्य है कि भारत के सविधान निर्माता सर्वोच्च 'यायालय को ससद का तृतीय सदन बनाने के इच्छुक नही थे परन्तु वे सविधान की पवित्रता (sanctity) की रक्षा अवश्य करना चाहते थे वे मूल अधिकारो को कायपालिका और व्यवस्थापिका की निरकुशता से अवश्य सुरक्षित करना चाहते थे । यही कारण है कि भारत के सविधान निर्मातायो ने अनुच्छेद 13,

13 (2), 32, 226 तथा अन्य अनुच्छेदों में 'यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का। जसाकि आस्टिन ने लिखा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने "यायपालिकाओं को अधिकारों के विस्तार के रूप में देना क्याकि 'यायालयों ही अधिकारों को शक्ति प्रदान कर सकती थी। 'यायपालिका को सामाजिक न्याय की एक भुजा के रूप में देना गया था जिसे उस समानता की रक्षा करनी थी जिसकी कामना भारतीयों ने औपनिवेशिक दिनों में की थी परन्तु जिसे वे प्राप्त न कर सके।"¹

समीक्षा प्रश्न

(Review Questions)

- 1 यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं ? भारतीय संविधान सर्वोच्च यायालय के 'यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाये रखने के क्या व्यवस्था की है ? तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व कर 'यायाधीश ए० एन० राय की मुख्य 'यायाधीश के पद पर नियुक्ति सर्वोच्च 'यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कहा तक उचित है ?
- 2 सर्वोच्च 'यायालय के सगठन, क्षेत्राधिकार और स्थिति का वर्णन कीजिये।
- 3 संविधान के अभिभावक और नागरिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में भारतीय सर्वोच्च 'यायालय की क्या भूमिका है ?
- 4, भारत में 'यायिक पुनरावलोकन की प्रवृत्ति और वास्तविकता की विवेचना कीजिये।
- 5 'यायिक पुनरावलोकन ने मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में तनाव को स्थिति को कहाँ तक उत्पन्न किया है ?

¹ Austin, Granville Ibid, p 164

राज्यपाल (The Governor)

परिचय (Introduction)

केन्द्र में वायपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है और राज्य में वायपालिका शक्ति राज्यपाल के पास है। परन्तु भारतीय संविधान केन्द्र और राज्य दोनों में ससदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है जिसका अर्थ यह है कि औपचारिक वायपालिका अध्यक्ष राज्य तो करता है परन्तु शासन नहीं करता। शासन तो वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष (केन्द्र में प्रधान मंत्री और राज्य में मुख्य मंत्री) करता है। वास्तविक वायपालिका अध्यक्ष ही औपचारिक वायपालिका अध्यक्ष की शक्तियों का उपभोग करता है। भारतीय संविधान इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यों के निष्पादन में "सहायता और परामर्श" देना (aid and advise) के लिए एक मंत्रिमण्डल होगा।¹ परन्तु भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि जहाँ संविधान राष्ट्रपति को विवेकाधिकारों का कोई क्षेत्र प्रदान नहीं करता वहाँ अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल को स्पष्टतया विवेकाधिकारों का क्षेत्र प्रदान किया गया है। यद्यपि संविधान राज्यपाल के विवेकाधिकार के क्षेत्र का विस्तार नहीं करता परन्तु फिर भी राज्यपाल का यह क्षेत्र उतना ही सर्वांग और व्यापक है जितना कि राज्य की परिस्थितियाँ इसकी मांग करती हैं या केन्द्र उसे जितना सर्वांग या व्यापक बनाना चाहता है।

राज्यपाल की नियुक्ति एवं विमुक्ति—राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पांच वर्ष के लिए की जाती है। राष्ट्रपति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए तथा दो या दो से अधिक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश या प्रदेशों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर ही अपने पद पर बना रह सकता है। इसका अर्थ यह है कि

1 देखिए अनुच्छेद 74(1) और 163(1)

राष्ट्रपति राज्यपाल का पद विमुक्त कर सकता है, उसे समय से पूर्व वापस बुना सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है। पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी राज्यपाल उस समय तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति न हो जाये। भारतीय संविधान में राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाने की कोई व्यवस्था नहीं। राज्यपाल चाहे तो समय से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।

राज्यपाल की नियुक्ति का उपयुक्त तरीका प्रांतीय स्वायत्तता और सघीय सिद्धान्त के विपरीत है यद्यपि यह राष्ट्रीय एकता और सुहृदता की दृष्टि में ठीक हो सकता है। जहाँ अमरीका जैसे मघीय राज्य की इकाइयों के राज्यपालों का इकाइया की जनता निर्वाचित करती है और उन्हें महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है वहाँ भारतीय सघीय इकाइयों की जनता न तो राज्यपालों का नियुक्त करती है और न ही उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। आस्ट्रिया में राज्यों के राज्यपालों को फ्राउन द्वारा अवश्य नियुक्त किया जाता है जिसका वास्तविक अर्थ है कि राज्यों के राज्यपालों को मंत्रिमण्डल के परामर्श पर नियुक्त किया जाता है परन्तु राज्यपाल किसी भी दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं। स्पष्ट है कि जहाँ अमरीका में राज्य की जनता राज्य के कार्यपालिका अध्यक्ष का निर्वाचित करती है, जहाँ आस्ट्रेलिया में राज्य की जनता पराक्षर रूप में निर्वाचित मंत्रिमण्डल के माध्यम से, उसकी नियुक्ति में भाग लेती है वहाँ भारत के राज्यों की जनता राज्य के कार्यपालिका अध्यक्ष की नियुक्ति में न तो प्रत्यक्ष और न अप्रत्यक्षन कोई भाग लेती है। राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में अमुक राज्य के मुख्य मंत्री से 'परामर्श' की परम्परा का विकास अवश्य हुआ है परन्तु उसका सचला पालन नहीं किया गया। यदि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री डा० बी० सी० राय के परामर्श पर श्रीमती पद्माजी नायडू को (पश्चिमी बंगाल) राज्यपाल नियुक्त किया गया तो श्रीप्रकाश को मद्रास का और कुमार स्वामी राजा का उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त करते समय वहाँ के मुख्य मंत्री से परामर्श नहीं लिया गया और मार्च 1969 में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री अजय मुखर्जी के विरोध पर भी धमकी के वहाँ का राज्यपाल बनाया गया। नेहरू काल में (1950-1964) जब कभी राज्यपाल की नियुक्ति के समय सर्वोच्च मुख्य मंत्री से परामर्श नहीं किया गया तो इसका विरोध नहीं किया गया, प्रथम तो सभी राज्यों में सत्ता पर कांग्रेस का एकाधिकार था और दूसरे नेहरू का दिग्गज परने में किसी मुख्य मंत्री का साहस नहीं था। परन्तु जब 1967 के निर्वाचन के बाद राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का निर्माण हुआ तो राज्यपालों का नियुक्ति में जब कभी मुख्य मंत्री ने परामर्श नहीं किया गया तो इसका विरोध किया गया।

भारत में राज्यपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दो अभिसमयों (परम्पराओं) का विकास किया गया है। प्रथम परम्परा के अनुसार राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिये जिस राज्य का उसे राज्यपाल नियुक्त किया जाय। अर्थात् एक पंजाबी पंजाब का या महाराष्ट्रियों को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।¹ इस परम्परा के विकास ने जहाँ राष्ट्रीय एकता को बल दिया है वहाँ राज्यपाल को राज्य की दलबन्दी से दूर रखने में भी सहायता की है। दूसरी परम्परा के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नामांकित करने से पूर्व अमुक राज्य के मुख्य मंत्री से परामर्श (consult) कर लिया जाय। परन्तु यह परम्परा राज्य के मुख्य मंत्री या मंत्रिमण्डल के पास कोई निषेधाधिकार (Veto) प्रदान नहीं करती जिसका प्रयोग वह उस समय कर सकता हो जब के द्र राज्यपाल की नियुक्ति करते समय अमुक राज्य के मुख्य मंत्री या मंत्रिमण्डल से परामर्श न करे या उसके परामर्श को स्वीकार न करे। जसाकि ऊपर कहा गया है कि इस परम्परा का पालन मजबूत नहीं किया गया। इतना ही नहीं केन्द्रीय गृह मंत्री ने 17 नवम्बर, 1967 को लोक सभा में स्पष्ट कहा था कि 'राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्य मंत्री को कोई निषेधाधिकार नहीं।'

दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति में के द्र ने किसी स्पष्ट या निष्पक्ष नीति का अनुसरण नहीं किया। कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों का राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया जिन्हें प्रशासनिक अनुभव भी था और राजनीतिक समस्याओं का गहन अध्ययन भी जैसे सी० राजगोपालाचारी, डा० के० एन० वाटजू, एन० वी० गाडगिल, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, के० एम० मुशी आदि। कभी कभी ऐसे नौकरशाहों को नियुक्त किया गया जिन्हें प्रशासनिक अनुभव तो था परन्तु जिनमें लोकतंत्रिक आकांक्षाओं और प्रणालियों को अपनाने की क्षमता और राजनीतिक घटनाओं और प्रवृत्तियों को पहचानने और उनका सही विवेचन करने की क्षमता या इच्छा का अभाव था जैसे पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल धमवीर। कभी कभी 'याय, शिक्षा और सेना के क्षेत्र में निपुण और तजस्वी व्यक्तियों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया जैसे फजल अली, डा० ए० एन० खोसला, डा० डी० सा० पावत जी० एस पाठक आदि। कभी-कभी तो ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया गया जो निर्वाचन में पराजित हो गये थे अर्थात् जिन्हें जनता ने अस्वीकार कर दिया था परन्तु जिन्हें सत्ताह्वित दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या अवांछित राजनीतिज्ञ अर्थात् 'ल के

1 इस परम्परा में केवल दो ही अपवाद हुए हैं एक श्री एच० सी० का और दूसरा श्रीमती पदमाजी नायडू का जिन्हें पश्चिमी राज्यपाल नियुक्त किया गया।

सदस्य का क्षेत्र या राज्य की राजनीति से दूर करन के साथ मनुष्य भी करना चाहती थी। जैसे हफ्सीस मुहम्मद इब्राहिम, डा० सम्पूर्णानन्द, भीमसेन सच्चर आदि। कभी कभी तो दशरी रियामता के राजाओं को भी नियुक्त किया गया जैसे मैसूर के महाराजा, सरदार हुकम सिंह, अकबर अली या आदि।

उपयुक्त कारण से स्पष्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में बन्द ने न तो सर्वत्रानिक भावनाओं का आदर किया है और न ही निष्पक्ष और स्वच्छ परम्परा का विकास किया है। निर्वाचना में पराजित राजनीतिक नेताओं के लिए राज्यपाल के पद की विथाम गृह बनाना न केवल राजनीतिक अनैतिकता है बल्कि राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ है और स्वस्थ प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के साथ मजाक है। इसे बुझते हुए राजनीतिक नेताओं और मध्यम श्रेणी (mediocrities) के व्यक्तियों के लिये लाभ का पद नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हीं व्यक्तियों का इस पद नियुक्त करना चाहिए जिनमें प्रशासनिक योग्यताएँ हों, जिनका नैतिक स्तर उच्च काटि का हो या सावजनिक भावना से ओत प्रोत हो, जिनकी दामनदारी और चरित्र पर कोई आक्षेप न किया जा सके और जो एक सावजनिक लोग हों जिनमें प्रजातान्त्रिक ससदात्मक ढंग से कार्य करने की इच्छा हो और जो राजनीति के सूक्ष्म प्रश्नों का निष्पक्षता से जांचन और आँकने की योग्यता रखते हों।

योग्यताएँ— राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर सकता है जिसने पास निम्न योग्यताएँ¹ हों—

- (i) वह भारत का नागरिक हो।
- (ii) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- (iii) वह किसी लाभ के पद पर नियुक्त हो।
- (iv) वह संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य न हो।

यदि संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी सदस्य को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसका पद उस समय से रिक्त माना जाता है जिस समय वह राज्यपाल का पद सम्भालता है अर्थात् उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ता है।

पद की शपथ (Oath of office)— राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। इस शपथ में राज्यपाल सविधान की रक्षा करने और राज्य की जनता के कल्याण और सेवा करने की शपथ लेता है। इस तरह सविधान राज्यपाल ने निष्पक्षता, न्यायप्रियता, व्यापक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय एकाता की माँग करता है।

¹ Arts 157 and 158(1) and 158(2)

वेतन और भत्ते (Salary & Allowances)—राज्यपाल को 5,500 रु० मासिक वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उसे रहने के लिए मुफ्त (बिना किराये के) भवन मिलता है। इसे अनेक प्रकार के अग्र भत्ते और सुविधायें भी प्राप्त हैं¹ जिन्हें ससद के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यपाल के कायकाल में उसके वेतन, भत्ते तथा अग्र सुविधाओं का घटाया नहीं जा सकता।

उन्मुक्तिया (Immunities)—सविधान राज्यपाल को कुछ उन्मुक्तिया² भी प्रदान करता है जैसे अपने कार्यों को करने और शक्तियों के प्रयोग के लिये वह 'याया लयो के प्रति उत्तरदायी नहीं। उसके कायकाल में उसके विरुद्ध किसी प्रकार की फौजदारी कायवाही नहीं की जा सकती और न ही उसे हिरासत में लेने के लिये वारण्ट (warrant) जारी किये जा सकते हैं।³

राज्यपाल के काय एव शक्तिया—सवधानिक अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की शक्तिया राष्ट्रपति के समान ही हैं। अंतर केवल इतना है कि जहाँ राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक, सैनिक व सक्कटकालीन शक्तिया भी हैं वहाँ राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्तिया नहीं। इतना ही नहीं सकककान में तो राज्यपाल कूट के अभिकता के रूप में कार्य करता है। दूसरे जहाँ अनुच्छेद 163 (1) राज्यपाल को विवकाधिकार प्रदान करता है वहाँ अनुच्छेद 74 (1) राष्ट्रपति को कोई विवकाधिकार (discretionary powers) प्रदान नहीं करता। अनुच्छेद 163 (1) इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना है कि 'राज्यपाल विवेक की शक्तियों को छोड़कर अग्र सभी क्षेत्रों में मंत्रिपरिषद् के परामर्श पर ही कार्य करेगा।'

राज्यपाल के कार्यों और शक्तियों का अध्ययन निम्न शीपका क अतगत किया जा सकता है —

1 कायपालिका की शक्तिया⁴—राज्यपाल की कायपालिका शक्तिया निम्न हैं —

(a) राज्य की कायपालिका शक्तिया राज्यपाल में निहित हैं। वहाँ कार्यपालिका प्रधान है और उमका कायक्षेत्र राज्य सूची में दिये गये विषयों तक सीमित है। समवर्ती सूची में दिये गये विषयों पर उसकी शक्ति राष्ट्रपति की कायपालिका शक्ति के अधीन है। राज्य का सारा काय राज्य के राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है।

(b) राज्यपाल अपनी कायपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकता है।

1 Art 159

2 देखिये अनुच्छेद 158 (3) और अनुसूची 2

3 Art 361

4 See Art 164

(c) राज्यपाल अनक प्रकार की नियुक्तिया करता है। वह राज्य के मुख्य मन्त्री को नियुक्त करता है और उसके परामश पर मन्त्रपरिषद् के अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है। राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General), लाक सेवा आया के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्तिया राज्यपाल करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामश करता है।

(d) राज्यपाल मन्त्रिमण्डल के कार्य संचालन के नियमों का निमाण करता है। मुख्य मन्त्री के परामश पर मन्त्रियों में विभागों का वितरण करता है।

(e) राज्यपाल मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों को अपने पद और उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाना है, उनके त्याग-पत्र स्वीकार करता है तथा उन्हें, मुख्य मन्त्री सहित पदच्युत करता है। आवश्यकतानुसार वह मन्त्रियों का चेतावनी, सत्रण और प्राग्गाहन दे सकता है।

(f) प्रशासन के सम्बन्ध में राज्यपाल मुख्य मन्त्री से सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है तथा अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है। मुख्य मन्त्री का भी यह दायित्व है कि वह मन्त्रिपरिषद् के सभी नियमों और नीतियों से राज्यपाल को अवगत कराये। राज्यपाल किसी मन्त्री द्वारा लिय गये व्यक्तिगत नियम का समूच मन्त्रिपरिषद् के विचाराय रखन की माग कर सकता है।

(g) राज्यपाल राज्य में सर्वैधानिकता की असफलता की सूचना राष्ट्रपति को दे सकता है और स्थितिनुसार पूरा या अर्द्ध सक्क की मिकारिश कर सकता है। यदि सर्वैधानिक या अथ किसी प्रकार के सक्क की घोषणा राष्ट्रपति करता है तो राज्यपाल केन्द्र के अभिकता के रूप में कार्य करता है।

(h) राज्यपाल राज्य के विश्व विद्यालयों के कुलपति के रूप में भी कार्य करता है।

(i) कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेषाधिकारों से भी विभूषित किया गया है। जैसे आन्ध्र और पंजाब के राज्यपाल प्रादेशिक समितियों के सुभावा पर विचार होने की स्थिति में नियम दते हैं, असम के राज्यपाल को प्रजातीय क्षेत्रों के प्रबंध के लिये विशेष अधिकार हैं। इसी प्रकार सिक्किम के राज्यपाल को शांति स्थिति बनने के लिये तथा अथ प्रसार की स्थितियों का सामना करने के लिये विशेषाधिकार दिये गये हैं।

2 विधायी शक्तियाँ—राज्यपाल राज्य विधान मण्डल का सम्म नहीं होता परन्तु फिर भी यह उसका अभिन्न अंग है। उसकी विधायी शक्तियाँ निम्न हैं —

(1) वह राज्य विधान मण्डल के अधिवेशन बुला सकता है, उसके किसी सदस्य का सम्प्रावसान कर सकता है तथा राज्य विधान सभा को किसी भी समय भंग कर सकता है ।

(b) वह राज्य विधान मण्डल के दोनो सदस्यों (जहाँ राज्य विधान मण्डल के दो सदस्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मसूर, तमिलनाडु आदि में) को इवट्टा या पृथक् पृथक् रूप से सम्बोधित कर सकता है । साधारण निर्वाचन के पश्चात् उद्घाटन भाषण तथा प्रति बष पहले सत्र में राज्यपाल सदन को सम्बोधित करता है ।

(c) राज्यपाल विधान मण्डल के विचाराथ कोई सन्देश भेज सकता है ।

(d) विधान मण्डल द्वारा पास किये गये विधेयक उसकी अनुमति के बिना लागू नहीं किये जा सकते अर्थात् विधेयक तभी कानून का रूप धारण कर सकता है जब राज्यपाल उसकी अनुमति दे देता है । विधेयक को छोड़कर राज्यपाल चाहे तो विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति देने से इन्कार कर सकता है या उद्घाटन विचार के लिये विधान सभा को लौटा सकता है । राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक को यदि राज्य विधान सभा पुनः पास कर देती है तो राज्यपाल उस पर दोबारा अनुमति देने से इन्कार नहीं कर सकता । कुछ विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रख सकता है । उदाहरणतया सांख्यिक उद्देश्यों के लिए अभिग्रहीत की जाने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में बनाये गये विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराथ सुरक्षित रख सकता है । संक्षेप में, राज्यपाल को विधेयक पर निषेधाधिकार (Veto) प्राप्त है ।

(e) यदि राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (Speaker & Dy Speaker) का पद रिक्त होता है तो राज्यपाल किसी विधान सभा के किसी सदस्य को उसकी बठकों की अध्यक्षता करने के लिये नियुक्त कर सकता है । ऐसा व्यक्ति उसी समय तक कार्य करता है जब तक विधान सभा द्वारा अध्यक्ष को निर्वाचित नहीं कर लिया जाता । इस प्रकार राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति (Chairman & Vice Chairman) का पद रिक्त हो जाता है तो राज्यपाल राज्य विधान परिषद के किसी सदस्य को संक्रमण काल के लिये सभापति नियुक्त कर सकता है ।

(f) विधान मण्डल के अवकाश काल में स्थिति की माग के अनुसार राज्यपाल अथवा सदन जारी कर सकता है । इनकी शक्ति राज्य विधान मण्डल द्वारा पास किये गए कानूनों के समान होती है । यह अध्यादेश विधान मण्डल के सत्र में आन के छ सप्ताह बाद तक जारी रहते हैं । यदि इन छ सप्ताहों के अन्दर विधान मण्डल स्वीकृत नहीं करती तो इस काल के बाद वह अध्यादेश स्वयं समाप्त हो जाता है । यदि राज्यपाल चाहे तो उसे पहले भी वापस ले सकता है । राज्यपाल उन

सम्बन्ध में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का आवश्यकता है या जिन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रचना है।

(g) लोक सेवा आयोग और लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों को राज्यपाल विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करता है।

(h) निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्यपाल किसी सदस्य की योग्यता न रहने पर निराय दता है।

(i) राज्यपाल आग्ल भारतीयों में से एक व्यक्ति को राज्य विधान मण्डल में नामांकित कर सकता है यदि उसका यथोचित प्रतिनिधित्व विधान मण्डल में न हो।² जिन प्रान्तों में विधान मण्डल के उच्च सदन (राज्य विधान परिषद्) विद्यमान हैं उनमें राज्यपाल कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत कर सकता है। मनोनीत किये गये सदस्यों का सम्बन्ध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आन्दोलन आदि क्षेत्रों से होता है।

3 वित्तीय शक्तियाँ—राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ निम्न हैं —

(a) वित्तीय विधेयकों का राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है।

(b) वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने में पूर्व राज्यपाल वार्षिक वित्त विवरण (Annual financial statement) का विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना है जिसमें आगामी वर्ष के खर्चों और आय का विवरण होता है।

(c) राज्य विधान मण्डल वार्षिक वित्तीय विवरण में कटौती कर सकती है।

(d) राज्यपाल पूर्णक अतिरिक्त या अति व्यय के बजटों को विधान मण्डल में प्रस्तुत कर सकता है।

(e) राज्य विधान मण्डल से स्वीकृत होने से पूर्व राज्यपाल राज्य की प्रावृत्तिका निधि (Contingency Fund of the State) से अदृष्ट व्यय (Unforeseen expenditures) की पूर्ति की आना द सकता है।

4 वार्षिक शक्तियाँ—राज्यपाल की वार्षिक शक्तियाँ निम्न हैं —

(a) जिन्हा वार्याधीना और अन्य वार्षिक अधिकारियों की नियुक्ति त्तानी (Posting) और प्नेन्नति के सम्बन्धित विषयों का निरण कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के वार्याधीना की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है।

(b) राज्य की वार्याधीना शक्ति अर्थात् राज्य सूची में दिय गये विषयों के सम्बन्ध में, वार्याधीना द्वारा दण्डित निरण गये व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है या उनके दण्ड को निलम्बित या रद्दित कर सकता है।

(c) उसके कायकाल में अर्थात् जब तक राज्यपाल अपने पद पर आरूढ़ है तब तक उस पर कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ।

5 विवेकाधिकार शक्तियाँ—अनुच्छेद 163 (1) के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ विवेकाधिकार शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं ।¹ यद्यपि सविधान राज्यपाल के इन विवेकाधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता परंतु सविधान अनुच्छेद 163 (2) में इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि इस बात का निर्धारण करना स्वयं राज्यपाल का क्षेत्राधिकार है कि कौनसा काय उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है । राज्यपाल के इस नियम को 'यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि अमुक विषय उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत है या नहीं । इन विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तिगत नियम से करता है, इस सम्बन्ध में उम मन्त्रिपरिषद् से परामश लेने की आवश्यकता नहीं ।

वस्तुतः राज्यपाल के विवेकाधिकार राज्य की राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करते हैं । यदि राज्य में स्थिति सामान्य है और विधान मण्डल में मन्त्रिपरिषद् का स्पष्ट बहुमत है तो राज्यपाल के विवेकाधिकार प्रायः नगण्य हैं । राज्यपाल मन्त्रात्मक प्रणाली का संवैधानिक अध्यक्ष है अतः इस स्थिति में राज्य की मन्त्राधिकार शक्ति मुख्य मंत्री और उसकी मन्त्रिपरिषद् के पास होती है और राज्यपाल मुख्य मंत्री के परामश को मानने के लिये बाध्य होता है परंतु यदि विधि असाधारण है या विधान मण्डल में मन्त्रिपरिषद् की स्थिति अस्थिर है, या उमका अस्तित्व अस्थिर है या वह वेमेल राजनीतिक दलों का समूह है तो राज्य के मन्त्राधिकार के क्षेत्र का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि कोई पदाधिकारी उम मन्त्रिपरिषद् के द्वारा उसको आज्ञा, निर्देशन या परामश देता है ।

राज्यपाल के विवेकाधिकारों का प्रयोग विद्यमान कानून के अंतर्गत में पिछले 25 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में, विशेषकर 1957 के वर्ष में प्रमुख रूप से के बाद, राज्य की राजनीतिक अस्थिरता और विधान मण्डल के अस्तित्व का अभाव राज्यपाल ने विवेकाधिकारों का प्रयोग किया है ।

A राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में मन्त्रिपरिषद् के अस्तित्व का अभाव,

(1) मुख्य मंत्री का चयन, मन्त्रिपरिषद् की संरचना और विधान मण्डल को समय से पूर्व भंग करना ।

(iii) विधेयों को स्वीकार या अस्वीकार करना, उन्हें पुनर्विचार के लिए लौटाना या राष्ट्रपति के विचाराय सुरक्षित रखना।¹

(iv) अध्यादेशों को जारी करना। परन्तु महत्वपूर्ण विषयों पर अध्यादेशों को जारी करने से पूर्व वह राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त करता है।

(v) राष्ट्रपति को राज्य में सवधानिक तंत्र की असफलता की सूचना देना और मंत्रिपरिषद् के परामर्श के विरुद्ध भी, पूरा या अर्ध सवट की सिफारिश करना। सवट की घोषणा होने पर राज्यपाल केन्द्र के अभिवर्तों के रूप में कार्य करता है।

(vi) जब कभी राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को निवृत्तवर्ती केन्द्र प्रशासित क्षेत्र का प्रशासक (Administrator) नियुक्त करता है तो वह अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करता है।

(vii) जब कभी केन्द्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई संघर्ष (झड़) उत्पन्न हो जाता है तो उस समय भी राज्यपाल अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

(viii) कुछ राज्यों के राज्यपालों को कुछ विषयों के प्रबंध के लिए विवेकाधिकार प्रदान किये गए हैं जैसे असम के राज्यपाल को कवायली और सीमांत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विवेकाधिकार प्राप्त हैं नागालैण्ड का राज्यपाल विरोधी नागाओं की हिंसक गतिविधियों का सामना करने के लिए विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है। सिक्किम के राज्यपाल को सिक्किम की जनता के विभिन्न वर्गों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समान प्रबंध करने के लिए, राष्ट्रपति के आदेशानुसार, राज्यपाल अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

B राजनीतिक स्थिरता की स्थिति में राज्यपाल के विवेकाधिकार

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि राज्य की राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में अर्थात् संयुक्त सरकारों के युग में राज्यपाल के विवेकाधिकारों का क्षेत्र व्यापक बन जाता है परन्तु राजनीतिक स्थिरता की स्थिति में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ राज्यपाल के विवेकाधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। इस क्षेत्र में आने वाले विषय मूलतः वे हैं जो राज्य क्षेत्र में नहीं आते और जिनका उल्लेख सविधान के अध्याय XI के अनुच्छेद 256 257 (1) और 258 (1) में किया गया है। इन अनुच्छेदों के अनुसार केन्द्र राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्देश दे सकता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार ही किया जाये कि वह संसद द्वारा निर्मित कानून के अनुपालन को आश्वस्त (ensure) करे, 'केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा प्रस्तुत न करे या उस पर प्रतिबन्ध प्रभाव न डाले', आदि। इसका अर्थ यह है कि जब कभी कोई राज्य कार्यपालिका केन्द्र के निर्देशों की अपेक्षा करती

है या ऐसे कार्यों को करती है जो केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा डालते हैं तो राज्यपाल केन्द्र के निर्देशानुसार अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 258 (1) के अनुसार राष्ट्रपति, राज्य सरकार की सहमति से, शर्तों या बिना शर्तों के केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत आने वाले विषयों का प्रवर्धन करने के लिए, राज्य सरकार या उसके पदाधिकारियों का कार्य सौंप सकता है।

राज्यपाल की भूमिका और स्थिति या क्या राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष है या कि वास्तविक अध्यक्ष है? या क्या राज्यपाल केन्द्र का अभिकर्ता है?

(Role and position of the Governor) Or Is Governor a Constitutional or real executive? Or Is Governor an agent of the Centre?)

राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका और स्थिति के सम्बन्ध में जो भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये गये हैं उन्हें निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है —

1 संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में—कुछ संवैधानिक पण्डितों, विधि वेत्ताओं, राजनीतिज्ञों और लेखकों का यह विचार है कि राज्यपाल की राज्य प्रशासन में भूमिका और स्थिति संवैधानिक अध्यक्ष से बढ़ कर नहीं। यह विचारधारा इस भावना पर आधारित है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने केन्द्र और राज्यों में ससदात्मक प्रणाली को स्थापित किया है। क्योंकि ससदात्मक प्रणाली के अन्तर्गत औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष नाम मान का अधिकारी होता है और क्योंकि उसका अपना कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं होता अतः राज्यपाल, केन्द्र में राष्ट्रपति की भाँति, एक संवैधानिक अध्यक्ष है। ससदात्मक प्रणाली की दूसरी विशेषता यह होती है कि कार्यपालिका अध्यक्ष की वास्तविक शक्तियों का उपभोग मंत्रिमण्डल करता है जो व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।

राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को संविधान सभा में भी व्यक्त किया गया था। संविधान सभा में बोलते हुए डा० अम्बेदकर ने कहा था कि "शक्तियों की बात तो दूर, राज्यपाल के तो कोई कार्य ही नहीं, उसके तो केवल कर्तव्य है।" 1 के० एम० मुशी ने भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहा था कि "राज्यपाल को मंत्रिमण्डल की इच्छा के विरुद्ध काम करने का कोई अधिकार नहीं। उसकी स्थिति तो ब्रिटेन में राजा या रानी जैसी है।" टी० टी० कृष्णामाचारी ने भी कहा था कि राज्यपाल एक 'संवैधानिक अध्यक्ष है जिसके पास वास्तविक प्रशासन में हस्तक्षेप

1 CAD Vol VIII 546-47 डा० अम्बेदकर ने राज्यपाल के केवल दो कर्तव्य ही गिनाये थे (i) मंत्रिमण्डल को बनाये रखना और (ii) उसे परामर्श, प्रोत्साहन और चेतावनी देना। उसकी यह भी धारणा थी कि राज्यपाल मंत्रिमण्डल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है।

करने की कोई शक्ति नहीं।" एच० वी० कमय ने तो राज्यपाल की तुलना उस कठपुतली से की है जिसे एक तरफ मुख्यमंत्री नियंत्रित करता है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति, जिसका वास्तविक ग्रथ है प्रधान मंत्री।" वर्तमान लेखका मस भी अनेक वी० यही विचारधारा है जि राज्यपाल एक सर्वधानिक अध्यक्ष है। जसाकि एम० पी० शर्मा ने लिखा है कि "राज्यपाल अपने राज्य का उसी प्रकार सर्वधानिक अध्यक्ष है जिस प्रकार राष्ट्रपति केन्द्र म सर्वधानिक अध्यक्ष है। वह (राज्यपाल) ऐसा राष्ट्रपति है जिसके पास सवटकालीन और सत्रमणकालीन शक्तिया का अभाव है।" यायालया ने भी राज्यपाल की सर्वधानिक स्थिति को अवलोकित किया है। जसाकि सन् 1951 म कलकत्ता उच्च यायालय ने सुनील कुमार घोस बनाम मुख्य सचिव बंगाल सरकार के मुकदम म प्रेक्षण (observed) किया था कि "वर्तमान सविधान के अतगत राज्य पाल अपन मंत्रिया के परामश क बिना काय नहीं करवा सक्ता विवेकाधिकार या व्यक्तिगत निणय के अतगत काय करने की शक्ति को उससे छीन लिया गया है।" हाल ही म पंजाब यायिक सेवा क दा प्रशिक्षार्थी अधिवारिया का एक अपील के निणय म सर्वोच्च यायालय की सर्वधानिक पीठ ने इस प्रश्न पर कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल क वास्तविक अधिकार हैं? यह विचार अवलोकित किया कि 'सविधान की अनक धाराअा म राष्ट्रपति और राज्यपालो को जो अधिकार दिय गय हैं और जो सरकार क दिन प्रतिदिन के काय के लिए असाधारण महत्व के हैं, उनको यदि वास्तविक अधिकार मान लिय जायें तो ससदीय लोकतन् धोखा बन जायगा तथा मतदान भारी खर्च स हान वाली निरथक प्रनिया मात्र रह जायेगी, एसी स्थिति म हम यह मानने के लिए बाध्य हाना पडेगा कि सत्ता के दो केन्द्र है परन्तु इस भान्ति को अस्वीकृत ही करना पडेगा।' ¹ स्पष्ट है कि सर्वोच्च यायालय की दृष्टि म भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के कोई वास्तविक अधिकार नहीं, वे तो केवल सर्वधानिक अध्यक्ष ही है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से सन् 1967 के काल तक राज्या के राज्यपालो ने भी अपनी सर्वधानिक स्थिति को पूरणतया स्वीकार कर लिया था। डा० पट्टाभि सीता रमया जसे भूतपूर्व राज्यपालो का मत है कि राज्यपाल का पद "अतिथि सकार और "राष्ट्रपति को एक पखवारे म प्रतिवेदन' देने के लिए है", भूतपूर्व राज्यपाल श्री प्रकाश का मत है कि राज्यपाल का पद "चिह्नित पकितयो पर हस्ताक्षर करन से बढ कर नहीं। एच० पी० मोदी की धारणा है कि 'सर्वधानिक अध्यक्ष होने स राज्यपाल के कोई विशेष काय नहीं।' उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल सरोजनी नायडू का मत है जि राज्यपाल उस पक्षी की भांति है जो सोने के पिंजरे म बंद है। ² जब राज्यपाला ने नेहरू जी स अपनी स्थिति के सम्बन्ध म शिकायत की तो

1 दलिये दिनमान 89 1974 पृ० 39
 2 Quoted by Rao Or K V in his Article 'The Governor at work Journal of Society for the Study of State Governments Vol I, p 93

नेहरू जी ने उत्तर दते हुए कहा कि "उ ह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं" (no business to complain) स्वयं नेहरू जी ने राज्यपाल की स्थिति को अभिव्यक्त करते हुए कहा था कि उनका वाक्य "लोगों का मनोरंजन कर उह प्रसन्न रखना है।"¹ सन् 1967 तक राज्यपालों की इस स्थिति का मूल कारण यह था कि केन्द्र और राज्यों में सत्ता पर एक ही दल (कांग्रेस) का एकाधिकार था। अतः राज्यपाल की शक्तियाँ को उभरने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि राज्यों में न तो राजनीतिक अस्थिरता थी और न केन्द्र और राज्यों में गम्भीर संघर्ष उत्पन्न हुए थे। अतः सभी क्षेत्रों में राज्यपाल को संवैधानिक अध्यक्ष ही समझा जाता था।

2 विवेकाधिकार शक्तियों के उपभोक्ता के रूप में—विवेकाधिकार शक्तियों के उपभोक्ता के रूप में राज्यपाल की भूमिका तब उभर कर सामने आयी जब सन् 1967 के चतुर्थ निर्वाचनों में राज्यों की राजनीति में मौलिक परिवर्तन हुआ, सत्ता पर कांग्रेस का एकाधिकार खण्डित हुआ, अनेक राज्यों में गर कांग्रेसी सरकारों का निर्माण हुआ और कांग्रेस को विरोध पक्ष में बठाना पड़ा। राज्यों की राजनीतिक अस्थिरता ने, विधान सभा में किसी दल के स्पष्ट बहुमत के अभाव में, दल बदलुओं की राजनीति में, सत्तारूढ़ दल या दलों में फूट ने और प्रचलित सिद्धांतहीन राजनीति ने राज्यों के राज्यपालों का अनेक अवसर प्रदान किये जिनमें वे अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते थे। अतः राज्यपाल के जिस पद को विनयी, निष्पक्ष, संवैधानिक, 'अतिथियों का सत्कार करने वाला', "चिह्नित शक्तियों पर हस्ताक्षर करने वाला" समझा जाता था वही राज्यपाल का पद यथायक उभर कर सामने आया और उसकी वास्तविकता, सक्रियता और महत्त्व को प्रतिबोधित करना शुरू कर दिया। यह स्पष्ट होना लगा कि राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष होते हुए भी केवल नाम मात्र का अधिकारी नहीं, वह खड्ग की मोहर नहीं या ब्रिटेन के राजा या रानी की भाँति "स्वर्णिम शून्य" नहीं बल्कि वह ऐसा पदाधिकारी है जो राज्य के प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जहाँकि अलादी शृण्ण स्वामी ने संविधान सभा में कहा था कि हो सकता है राज्यपाल का "यदावदा अपनी अगाधारण शक्तियों का प्रयोग करना पड़े।" ठाकुर दास भागवत ने भी कहा था कि यह गलत है कि राज्यपाल केवल "डमी या स्वचालित यंत्र" (Dummy or automation) है।¹ पञ्जाब न्यायिक सेवा के दो प्रशिक्षार्थी अधिकारियों की एक अपील के निष्पत्ति के दोगान सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के दो न्यायाधीशों ने यह विचार व्यक्त किया कि "केवल अगाधारण और विन्यात परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए अपने संवैधानिक और औपचारिक अधिकारों के उपनाम में अपने मंत्रियों की सलाह पर काम करना अनिवार्य है।" दूसरे शब्दों में न्यायालय के विचार में, अगाधारण परिस्थितियों में मंत्रियों की सलाह राष्ट्रपति या राज्यपाल की सलाह है।

“याचिन मत्ता के अनुसार “भारत म म्ति प्रमण्डनीय लोचन” है, इनके बावजूद राष्ट्रपति (या राज्यपाल) एक सम्पूर्ण पूण नहीं है, वह राज्य व गौरव का प्रतिनिधि है तथा दलगत राजनीति म ऊपर हीन व कारण वह जनता तथा राजनैतिक पार्टिया के बीच समन्वय का माध्यम है, यदि वह सलाह देन के अपन अधिकार का प्रोत्साहन और चेतावनी दन म उपयोग करतो उसकी मतातापूर्ण उपस्थिति म अछा सरकार सम्भव है।¹

सन् 1967 के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राज्य म राजनीतिक स्थिरता की स्थिति म राज्यपाल अपन विवकाधिकार के अतगत मुख्य मन्त्री का नियुक्त और विमुक्त कर सकता है, राज्य विधान सभा के अधिवेशन का बुला सकता है, उनका सनावसान कर सकता है या उसे भंग कर सकता है। राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे म राष्ट्रपति का सूचना भेज सकता है और अछा या पूण सन्त की निष्कारण कर सकता है। विवकाधिकार के अतगत अपनी शक्तिया का प्रयोग करते हुए राज्यपाल को मुख्य मन्त्री से परामश करन या उसके परामश का मानन की आवश्यकता नहीं। इस स्थिति म राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण और निष्पक्ष सिद्ध हो सकती है।

राज्यपाला के विवकाधिकारो के महत्त्व के बदन का एक कारण यह भी था कि राज्या मे जिन् सयुक्त मोर्चों की सरकारा का निर्माण किया गया उनमे “बचारित्र साम्य” का अभाव था, उनमे मिट्टा का और आदर्शों की एकता नहीं थी, व तो कांग्रेस विरोधवाद अथवा कांग्रेसी कायेम हटाओ की नारागतम विचारधारा पर सयुक्त हुए ये और जैसे ही पद और लाभ के अवसर समाप्त हुए सयुक्त सरकारा के सामे दारो न अपन समथन का वापस ले लिया और सयुक्त सरकारा का पतन हुआ। मार्च, 1967 से लेकर मार्च 1972 तक दश न विभिन्न राज्या म 24 बार सरकारा का पतन हुआ तथा 15 बार राज्या म राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।² इन अवसरों पर राज्यपाला को विवकाधिकार के अतगत कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। राज्यपालो को ऐसे निष्पक्ष लेने पडे जो कभी कभी तो “जायानित (Justified)” प्रतीत होते थे, कभी कभी राजनीतिक विचारों से प्रभावित प्रतीत हाते थे और कभी कभी केन्द्र द्वारा समन्वय युक्त हुए गान निश्चित प्रतीत हाते थे। राज्यपाला के इ ही निष्पक्षा ने उग्र सवधानिक विवाद को जन्म दिया और राज्यपालो के आचरण के सम्बन्ध म दिशायतो (guidelines) और आचार संहिता (Code of conduct) की माग की जाने लगी। इनके क्षेत्र म तो राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध मे भी परिवर्तन की माग का गयी।

1 देखिये दिनमान दि० 8 9 1974, पृ० 39,

2 डा० दिनशुमार चतुर्वेदी की पुस्तक भारतीय शासन और राजनीति स उद्धृत, पृ० 243

राज्य के मुखिया होने के नाते राज्यपाल मुख्य मंत्री में सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है, प्रशासन के सम्प्रदाय में जानकारी ले सकता है। मुख्यमंत्री का भी वक्तव्य होता है कि वह राज्यपाल का मंत्रिमण्डल के नियुक्तियों से उस अवगत कराये। राज्यपाल राज्य प्रशासन का केवल मित्र, दाशनिक् या मागदशक ही नहीं, वह उससे परामर्श कर सकता है, प्रोत्साहन दे सकता है, चेतावनी दे सकता है। राज्यपाल किसी मंत्री के व्यक्तिगत नियुक्तियों को समूचे मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

३ केन्द्र के अभिकर्ता के रूप में—मुख्य संबधानिक् पण्डिता और लिखको का यह विचार है कि राज्यपाल राज्य में केन्द्र का अभिकर्ता (Agent) है और वह साधारण और असाधारण परिस्थितियों में केन्द्र के अभिकर्ता के रूप में ही कार्य करता है। इन विचारको का कहना है कि राज्यपाल की नियुक्ति और विमुक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है जिसका वास्तविक अर्थ है कि राज्यपाल की नियुक्ति और विमुक्ति प्रधान मंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री मिलकर करते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो समय से पूर्व भी किसी राज्यपाल को पद विमुक्त कर सकता है, वापस बुला सकता है, उसका एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण कर सकता है, उसे उसी पद या अन्य किसी राज्य में पुनः नियुक्त कर सकता है। स्पष्ट है कि राज्यपाल का जीवन-मरण राष्ट्रपति के हाथों में है। न तो राज्य की जनता का राज्यपाल के चयन में कोई हाथ है और न ही राज्य विधानसभा का। यद्यपि राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्य के मुख्य मंत्री से परामर्श करने का प्रथा का विनाम किया गया है परन्तु इसका पालन तभी किया गया जब राज्या में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल के गैर कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के मुख्य मंत्रियों ने प्रथम तो परामर्श किया नहीं गया और यदि किया भी गया तो उसके परामर्श की उपक्षा का गयी। परिणामी वगान की स्थिति में तो मुख्य मंत्री अजय मुखर्जी के विरोध पर भी राज्यपाल धमवीर रावनाये रखा गया (यद्यपि बाद में धमवीर के स्थान पर एस० एस० धवन को राज्यपाल नियुक्त किया गया।

स्पष्ट है कि राज्यपाल अपनी नियुक्ति और विमुक्ति के लिए पूर्णतया केन्द्र पर निर्भर है। अतः यह स्वाभाविक है कि राष्ट्रपतियों की भांति वह अपने केन्द्रीय स्वामित्व के निर्देशन का पालन करे। एक विचार तो यह भी व्यक्त किया गया है कि चतुर्थ चुनाव के बाद केन्द्रीय सरकार ने राज्या की गैर कांग्रेसी सरकारों को अपदस्थ करने के अर्थ के रूप में प्रयोग किया।¹ जिस ढंग में सन् 1967 में राजस्थान के राज्यपाल डा० मन्मोहनदास ने सयुक्त दल द्वारा बहुमत² प्रदान करने

1 Narain Iqbal Twilight or Dawn The political change in India (Shiv Lal Agarwal & Co Agra-3) 1972 p 94

2 सयुक्त मार्क्स (दल) के नेता डूगरपुर ने महाराष्ट्र के मन्मोहनदास को नरुव मन्मोहनदास के पुत्र 183 सदस्यों में से 93 सदस्यों ने महाराष्ट्र के समय में राज्यपाल के समक्ष प्रदान किया।

के बाद भी कांग्रेस दल के नेता मोहनलाल सुभाषिया के अल्प दल को (यद्यपि अनेके उसके दल के सबसे अधिक सदस्य थे) सरकार निर्माण के लिये आमंत्रित किया वह इस तथ्य का प्रतीक है कि उस समय राज्यपाल केन्द्र के निर्देशन पर कार्य कर रहे थे। के० बी० राव ने ठीक लिखा है कि "राज्यपाल वही है जो केन्द्र उभरे बनाना चाहता है व्यावहारिक रूप में राज्यपाल कुछ भी नहीं कर सकता और यदि राज्यपाल धर्मवीर या राज्यपाल चन्द्रवर्मा सत्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में है तो इसका कारण यह है कि उसमें केन्द्र की मौन सम्मति है या केन्द्र का निर्देशन है।"¹

अथ साधारण परिस्थितियाँ में भी राज्यपाल केन्द्र के अभिवर्तता के रूप में कार्य कर सकता है। उदाहरणतया जब कभी केन्द्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति में संघर्ष उत्पन्न होने की सम्भावना होती है तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत किसी विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिये विधान सभा को लौटा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों का राष्ट्रपति के विचाराय सुरक्षित रख सकता है जैसे अनिवाय रूप से अघिकृत की जाने वाली सम्पत्ति के विधेयक या राज्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रति निरादर व्यक्त करने वाले विधेयकों का राष्ट्रपति के विचाराय सुरक्षित रख सकता है।

राज्यपाल ही राज्य में सवधानिक तंत्र की असफलता की सूचना राष्ट्रपति को देता है और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत पूर्ण या अर्द्ध सकेट की सिफारिश करता है और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्यपाल केन्द्र के अभिवर्तता के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त वरान से स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यतः सवैधानिक अध्यक्ष है। उसके पास वास्तविक शक्तियाँ का अभाव है। उसकी शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायी मंत्री करते हैं। कुछ परिस्थितियों में वह विवेकाधिकारों का प्रयोग अवश्य कर सकता है परन्तु यहाँ भी उसकी शक्ति राज्य में राजनीतिक स्थिति की स्थिरता और अस्थिरता पर निर्भर करती है। यदि राज्य में राजनीतिक स्थिरता है और मंत्रिमण्डल को विधान सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो वह विवेकाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता परन्तु यदि राज्य में राजनीतिक स्थिति अस्थिर और अस्पष्ट है दल बदलुओं और गुटवादियों का बोलबाला है तो उसके विवेकाधिकारों का क्षेत्र व्यापक बन जाता है परन्तु यहाँ भी वह प्रभावी शक्ति हो सकता है, अधिनायक या निरंकुश नहीं। सविधान राज्यपाल को सविधान के संरक्षण और राज्य की जनता

1 Rao K. V. Quoted by Johari, J C Indian Government & Politics, p 363

के कल्याण और सेवा के लिये विवेकाधिकार प्रदान करता है निरकुश या निरपेक्ष (arbitrary or absolute) बनने के लिये नहीं। सफ्टबाल में या राज्य में राष्ट्रपति शासनकाल में राज्यपाल केन्द्र के अधीन होता है।

सक्षेप में, साधारण स्थिति में राज्यपाल मुख्य मंत्री के परामर्श पर कार्य करता है और असाधारण परिस्थितियों में केन्द्र के निर्देशन पर कार्य करता है। इन परिस्थितियों में राज्यपाल न तो अधिनायक बन सकता है और न ही सविधान निर्माता उसे अधिनायक बनाने के इच्छुक थे। सविधान यद्यपि राज्यपाल को निष्क्रिय नहीं बनाता और उसे इंग्लैंड के राजा या रानी की भाँति 'स्वर्णिम शूय' 'मिट्टी का महादेव' या 'खड्ग की मोहर' नहीं बनाता परन्तु सविधान उसे निरकुश भी नहीं बनाता। वह मन्त्रिय हो सकता है, वास्तविक अध्यक्ष नहीं हो सकता। अतः भारतीय राज्य के राज्यपाल को संवैधानिक एव सन्निध (Constitutional Cum Active) कार्यपालिका अध्यक्ष कहना अधिक उचित है।

✓ राज्यपाल के मुख्य मंत्री और विधान सभा के साथ सम्बन्ध

(Relations between the Governor, Chief Minister and the Legislative Assembly)

राज्यपाल की वास्तविक स्थिति को निम्न शीपको के अंतर्गत भी अध्ययन किया जा सकता है —

राज्यपाल और मुख्य मंत्री अर्थात् मुख्य मंत्री की नियुक्ति व विमुक्ति (पदच्युति)—अनुच्छेद 163 (1) राज्यपाल को मुख्य मंत्री की नियुक्ति और विमुक्ति का विवेकाधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद (Pleasure) पर तब अपने पद पर बने रह सकते हैं। अनुच्छेद 164 (2) के अनुसार मन्त्रिपरिषद् राज्य विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद को ग्रहण करते समय सविधान की सुरक्षा, राज्य की जनता के कल्याण और सेवा की शपथ लेता है।

उपरोक्त सभी अनुच्छेदों का मतलब यह है कि (i) राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त करने के लिये बाध्य है जिसका बहुमत विधान सभा में है, (ii) मुख्य मंत्री उसी समय तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसे विधान मण्डल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और (iii) वह संवैधानिक धाराओं की उल्लंघना नहीं करता तथा संवैधानिक भावनाओं की उपेक्षा नहीं करता। दूसरे शब्दों में, यदि विधान सभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो राज्यपाल उस दल के नेता का मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त करने के लिये बाध्य है अर्थात् इस स्थिति में मुख्य मंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल का विवेकाधिकार सीमित है। इतना ही नहीं, राज्यपाल मुख्य मंत्री के परामर्श पर ही अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा और विधान सभा के अधिवेशन को उलायना, उसका सत्रावसान करेगा तथा

उसी के परामर्श पर विधान सभा को भंग करेगा। परन्तु यदि विधान सभा में किसी राजनीतिज्ञ को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं, राजनीतिज्ञ स्थिति स्थिर और अस्पष्ट है अधिक सदस्यों वाले दल में गुटबन्दी के कारण फट है, दल वस्तुशास्त्र का वाज्यात्मक है तो मुख्य मंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल का विवेकाधिकार उतना ही व्यापक बन जाता है जितना कि कोई राज्यपाल उस बनाना चाहता है या जितना परिस्थिति की आवश्यकता मांग करती है या जितना के उसकी आशा या निर्देशन देता है एसी स्थिति में राज्यपाल चाहता ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है जो विधान मण्डल का सदस्य नहीं जमा कि मन्त्रालय के राज्यपाल ने सन् 1952 में चन्नेरती राजगोपालाचारी को मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त किया था। इतना ही नहीं राज्यपाल ने चन्नेरती राजगोपालाचारी का विधान परिषद (राज्य विधान मण्डल का उच्च सदन) में नामांकित कर उन्हें निर्वाचन की आवश्यकता और अनिश्चितता में भी मुक्त कर दिया।

राज्यपाल चाहता मुख्यमंत्री को अपना विवेकाधिकार के अंतर्गत पदच्युत कर सकता है उस परिस्थिति में भी जब उसे विधान सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जैसा कि सन् 1959 में केरल के राज्यपाल रामकृष्ण राव ने मुख्यमंत्री ई० एम० एम० नम्बूदरीपाद को पदच्युत करने के लिए अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक अग्रकृतता की सूचना देकर भारत की घोषणा करवा दी और श्री नम्बूदरीपाद से छुटकारा पा लिया।

सामान्यतया हम बात का निर्धारण विधान सभा में ही होता है कि समुक्त मुख्यमंत्री को बहुमत का विश्वास प्राप्त है या नहीं परन्तु यदि मुख्यमंत्री दीर्घकाल तक बहुमत का पराधन करने के लिए तयार नहीं होता या टाटमटोल करता है या असंवैधानिक या भ्रष्ट सत्त्व से बहुमत का बनाये रखने का प्रयास करता है तो राज्यपाल उस मुख्यमंत्री को जो उसकी दृष्टिकोण में विधानसभा के बहुमत का विश्वास को खोटा है, पदच्युत कर सकता है जैसा कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल धर्मवीर ने 22 नवम्बर, 1967 को अजय मुखर्जी को पदच्युत किया था। अनेक परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा का सत्त्वगान कर इष्ट (favoured) मुख्यमंत्री या दल की सहायता भी कर सकता है जैसा कि मार्च, 1967 में राज्यपाल के राज्यपाल डा० सम्पूर्णानन्द ने कांग्रेसी नेता मोहनलाल मुन्शाडिया की सहायता अर्द्ध सत्त्व (half emergency) की स्थापना की सिफारिश करके की।

यह सत्य है कि यदि सम्पूर्ण राज्यपाल के कार्यों के निष्पादन में उसके सहायक और परामर्शदाता हैं यह भी सत्य है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद (Pleasure) पर अनेक पद पर अनेक रह सकते हैं परन्तु इस सत्य को भी भुलाया नहीं जा सकता कि यदि सम्पूर्ण विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी है। इस तरह यदि सम्पूर्ण सत्त्व वास्तविक जीवन में विधान सभा के हाथ में है, राज्यपाल के हाथ

में नहीं। विधान सभा का ही नियंत्रण मंत्रिमण्डल पर रहता है, विधान सभा ही प्रश्नों पूरक प्रश्नों नि दा प्रस्तावों, काम रोकने प्रस्तावों और अविश्वास के प्रस्तावों द्वारा मंत्रिमण्डल पर नियंत्रण रखती है और यदि राज्यपाल हठधर्मिता के कारण अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग करते हुए उस मुख्यमंत्री को पदच्युत करता है जिसे विधान सभा में बहुमत प्राप्त है तो संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना बढ़ सकती है क्योंकि उस मुख्यमंत्री के विधानसभा में बहुमत होत वकल्पिक सरकार (Alternate Govt) का निर्माण होना कठिन है। स्पष्ट है कि राजनीतिक स्थिरता और बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री का राज्यपाल विवेकाधिकारों के अंतर्गत पदच्युत नहीं कर सकता। राज्यपाल केवल उस स्थिति में मुख्यमंत्री को पदच्युत कर सकता है जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता हो और मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त न हो।

राज्यपाल और विधान सभा—राज्यपाल और विधान सभा के सम्बन्धों के बारे में पिछले कुछ वर्षों, में विशेषकर चतुर्थ चुनाव के बाद (1967-1971 काल में), जो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उभर कर सामने आए हैं उनमें प्रमुख निम्न हैं —

(a) क्या राज्यपाल को विधान सभा के अविवेशना को बुलाने, उसका समाप्त कराने या समय से पूर्व भंग करने का विवेकाधिकार है ?

(b) क्या राज्यपाल विधान सभा का बहुमत का निर्धारण करने का अवसर प्रदान किये बिना मुख्यमंत्री को पदच्युत कर सकता है ?

(c) क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है ?

(d) क्या राज्यपाल को उद्घाटन भाषण के समय मदन में अनुशासन बनाये रखने और उसकी मर्यादा को बनाये रखने का अधिकार है और क्या वह ऐसा करते हुए राज्यपाल सदस्यों को निलम्बित कर सकता है ?

(e) क्या राज्यपाल को मंत्रिमण्डल द्वारा तयार किये गये उद्घाटन भाषण के आपत्तिजनक अंशों को छाड़ने का अधिकार है।

उपरोक्त प्रश्नों के सम्बन्ध में जहाँ तक संवैधानिक स्थिति का सम्बन्ध है राज्यपाल को इस बात का निर्धारण करने का अधिकार है कि वह विधान सभा के अधिवेशन को बंद और बहाल बुलाये, उसका समाप्त कराने या उसे पूर्व भंग करे। संवैधानिक दृष्टिकोण से राज्यपाल मंत्रिमण्डल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं और वह इस बात का भी निर्धारण कर सकता है कि अमुक दल या मुख्यमंत्री का विधान सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है या नहीं। क्योंकि राज्यपाल विधान सभा को सुरक्षित रखने और राज्य के लोगों के कल्याण और सेवा की शपथ लेता है अतः राज्यपाल उद्घाटन भाषण के उन आपत्तिजनक अंशों का छाड़ सकता है जो राज्य और केंद्र में सम्बन्धों में कटुता या सघर्ष उत्पन्न करते हैं या संवैधानिक भावनाओं की उल्लंघना करते हैं, या उद्घाटन भाषण में राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा सादर

(deliberately) वेदर या राज्यपाल के किसी विशिष्ट काय की निंदा के लिए खे गये हो ।

क्या राज्यपाल मंत्रियों के परामश को मानने के लिए बाध्य है ? या क्या राज्यपाल विधान सभा में बहुमत का निर्णय किये बिना उसे भंग कर सकता है ?—बंगाल का व्यक्तिगत अध्ययन (A Case Study of Bengal)—संसदात्मक प्रणाली में औपचारिक कायपानिना अध्यक्ष (राष्ट्रपति या राज्यपाल) नाम मात्र का अधिकारी होता है । वह अपनी शक्तिया का प्रयोग स्वयं नहीं करता बल्कि उसके कार्यों का निष्पादन करने में सहायता और परामश देने वाले मंत्री करते हैं जो विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं । भारत में राज्यपाल राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया पदाधिकारी होता है । अतः नियुक्त किये गये राज्यपाल के पास निर्वाचित मंत्रियों से अधिक सत्ता नहीं हो सकती अर्थात् सवधानिक रूप में मन्त्रिमण्डल के परामश का मानने के लिए बाध्य न होत हुए भी राज्यपाल उस परामश की उपेक्षा नहीं कर सकता । यह सत्य है कि भारतीय संविधान इस सम्बन्ध में पूरुणतया शांत है और बाध्यता और अबाध्यता की बात नहीं करता परन्तु संसदात्मक परम्परायें सवधानिक अध्यक्ष में इस बात की मांग करती हैं कि वह उत्तरदायी मंत्रियों के परामश पर ही काय करे । यही कारण है कि जब 1967 में पश्चिमा बंगाल के राज्यपाल धमवीर ने राज्य विधान सभा में बहुमत का निर्धारण किये बिना मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी को पदच्युत कर लिया तो राज्यपाल के इस काय की सव आलोचना की गयी । राज्यपाल के इस काय को असवधानिक और संसदीय परम्पराओं और प्रतिमानों के विरुद्ध बताया गया । यद्यपि कुछ विधिवेत्ताओं और सवधानिक टीकाकारों का यह मत है कि अनुच्छेद 163 (1) के अनुसार राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करन हुए मुख्यमंत्री के परामश को मानने का बाध्य नहीं और राज्यपाल मुख्यमंत्री को पदच्युत कर सकता है¹ परन्तु अधिकांश सवधानिक टीकाकार लेखकों और गालोचकों का मत है कि राज्यपाल को संसदात्मक प्रतिमान और परम्पराओं के विरुद्ध आचरण करन का अधिकार नहीं । कनकता उच्च न्यायालय ने भी सुनील कुमार बोस बनाम मुख्य सचिव बंगाल सरकार के मुकदम में प्रक्षेप किया था कि 'वर्तमान संविधान के अंतर्गत राज्यपाल अपने मंत्रियों के परामश के बिना काय नहीं कर सकता विवेकाधिकार या व्यक्तिगत निर्णय के अंतर्गत काय करन की शक्ति को उससे छीन लिया गया है ।' प्रो० डी० एन० वनर्जी का भी यही

1 कनकता उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के इन अधिकारों की पुष्टि भी की है । See Narain Iqbal *Twilight of Dawn*, p 96

मत है कि सविधान राज्यपाल को "स्वेच्छाचारी या मनमाना मुखिया बनाने की इच्छा नहीं करता।" सर्वश्री पी० एन० स्पर्क, एम० सी० छागला, अनन्थास्थानम आयगर, एन० सी० चटर्जी जैसे सवधानिक पण्डितों का भी यही मत है कि विधान सभा में बहुमत के निरणय बिना किसी राज्यपाल को मुख्यमंत्री को पदच्युत करने का अधिकार नहीं। इन सवैधानिक पण्डिता का यह भी मत है कि क्याकि सविधान मुख्यमंत्री को छ महीने के अदर अदर विधान सभा के अधिवेशन को बुलाने का अधिकार प्रदान करता है अतः राज्यपाल मुख्यमंत्री से यह आग्रह नहीं कर सकता कि विधान सभा का अधिवेशन शीघ्र बुलाया जाय या अमुक तिथि से पूर्व बुलाया जाय। यदि अधिवेशन बुलाने की तिथि छ महीने की सवधानिक सीमाओं के अतःगत है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के इस सवैधानिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्योंकि बंगाल में विधान सभा के अधिवेशन को बुलाने के लिए मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी द्वारा सुभाई गयी तिथि (18 दिसम्बर, 1967) और राज्यपाल द्वारा सुभाई गयी तिथि (23 नवम्बर, 1967) में कोई महान् अंतर नहीं था और न ही सविधान द्वारा लगाई गई छ महीना की सीमाओं का उल्लंघन हो रहा था और न ही इस भिन्नता से कोई ससदात्मक प्रणाली को खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना थी अतः राज्यपाल धमवीर द्वारा विधान सभा में बहुमत का परीक्षण किये बिना मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी को 22 नवम्बर, 1967 को पदच्युत करना गर सवधानिक न होत हुए भी सवैधानिक औचित्य (Constitutional propriety) के विरुद्ध था। राज्यपाल धमवीर का यह विचार भी सवधानिक औचित्य के विरुद्ध था कि यदि विधान सभा के अधिवेशन को बुलाने में अनावश्यक देरी की गयी तो यह दल बदलू, आया राम और गया राम, विधायकों की परीदने और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को जम दगा क्याकि इन्हीं परिस्थितियों में अथवा राज्यपाल ने अथवा राज्या में मुख्यमंत्री को पदच्युत नहीं किया था। उदाहरणतया सन् 1964 में कांग्रेस दल के असहमतों (dissidents) द्वारा मंत्रिमण्डल के समर्थन को वापस लेने पर केरल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री शंकर का पदच्युत नहीं किया था। सन् 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो बेद्रम स इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत सरकार बन गयी थी परन्तु फिर भी राष्ट्रपति वी० वी० गिरि ने प्रधान मंत्री को पदच्युत नहीं किया या उसे लोकसभा में अपने बहुमत के परीक्षण के लिए आग्रह नहीं किया। ऐसे अथवा अनेक उदाहरण हैं जब दलीय फूट या दल बदलुओं के कारण मुख्यमंत्री ने अपना बहुमत खो दिया और उन्हीं राज्यपालों ने पदच्युत नहीं किया। कोई भी नियुक्त राज्यपाल निवाचित मंत्रियों की शक्ति से मिलवाड नहीं कर सकता। अतः अजय मुखर्जी का पदच्युत कर राज्यपाल धमवीर ने सवधानिक औचित्य के विरुद्ध काय किया।

वस्तुतः इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या राज्यपाल मंत्रियों का परामर्श का मानन के लिए बाध्य है और क्या विधान सभा में बहुमत का परीक्षण किये बिना किसी मुख्यमंत्री का पदच्युत कर सकता है, भिन्न भिन्न राज्यपालों ने भिन्न भिन्न

स्थितियों में भिन्न-भिन्न मार्गों को अपनाया है और यही कारण है कि राज्यपालों की भूमिका में दृढ़ प्रतीति होने लगी और उसके कार्यों की आलोचना होने लगी। उदाहरणतया जब फरवरी, 1970 में दल बदल के कारण वसीलाल मन्त्रिमण्डल को विधान सभा में बहुमत प्राप्त नहीं था तो हरियाणा के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से विधान सभा का अधिवेशन शीघ्र बुला कर शक्ति परीक्षण का आग्रह नहीं किया जबकि दिसम्बर, 1970 में जब हरे कृष्ण मेहता के गुट ने मुख्यमंत्री आर० एन० सिंह देव का समर्थन करना छोड़ दिया तो उड़ीसा के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को शक्ति परीक्षण के लिए विधान सभा के अधिवेशन को बुलाने का आग्रह किया। दूसरी ओर, सन् 1970 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणसिंह विधान सभा में अपना शक्ति परीक्षण करने के लिए विधान सभा के अधिवेशन को शीघ्र बुलाने के लिए तैयार थे तो भी विधान सभा में बहुमत का परीक्षण किये बिना राज्यपाल वी० गोपाल रेडडी ने मुख्यमंत्री को पदच्युत कर दिया। इतना ही नहीं कुछ राज्यपालों ने इष्ट (favoured) मन्त्रिमण्डल को विधान सभा का सन्तुष्टान कर पराजित होने से बचा लिया और कुछ ने मुख्यमंत्रियों का विधान सभा में बहुमत होने हुए भी उन्हें पदच्युत कर दिया। उदाहरणतया जब जी० ए० सिंह के नेतृत्व में 40 कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमंत्री टी० पी० मिश्र का समर्थन करना छोड़ दिया तो राज्यपाल वी० सी० रेडडी ने टी० पी० मिश्र के मन्त्रिमण्डल को विधान सभा में पराजित होने से बचाने के लिए विधान सभा का सन्तुष्टान कर दिया जबकि, दूसरी ओर, हरियाणा के राज्यपाल न राय चीरेन्द्र सिंह का विधान सभा में बहुमत होते हुए भी (यद्यपि यह बहुमत केवल एक भ्रष्ट का था) उसे पदच्युत कर दिया। इन प्रदत्तों के कारण जब गुरनाम सिंह का मन्त्रिमण्डल टूट गया तो पंजाब के राज्यपाल पावत ने पराजित 'निर्वाचन व्यय' (Election Costs) के आधार पर मुख्यमंत्री व इम सुभाव का मानने में संतुष्ट कर दिया कि विधान सभा को भंग कर दिया जाय। इतना ही नहीं, राज्यपाल न दत्त ने 1971 में लक्ष्मणासिंह गिण व नेतृत्व में, जिसे कांग्रेसी दल का समर्थन प्राप्त था, 10 मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया यद्यपि वह टिकाऊ नहीं रहा। जहाँ कुछ राज्यपालों ने मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही विधान सभा का भंग किया वहाँ कुछ ने विरोधियों का मन्त्रिमण्डल के निर्माण का अवसर प्रदान किये बिना ही विधान सभा को भंग कर दिया। उदाहरणतया जहाँ तमिलनाडु के राज्यपाल न माच, 1971 में टी० एम० व० मुख्यमंत्री वरुणासिंह के परामर्श पर और पंजाब के राज्यपाल ने 1971 में ही अगली दल के मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादन के परामर्श पर ही विधान सभा का भंग किया वहाँ उड़ीसा के राज्यपाल वी० डी० जत्ती (B D Jatti) ने मात्र 1973 में निर्वाधिया का मन्त्रिमण्डल का निर्माण का अवसर दिया बिना ही श्रीमती नन्दी गतपती के परामर्श पर विधान सभा का भंग कर दिया राज्यपाल के स्वयंसेवक (hosty action) पर न्यायालय ने अवरोध (Statutes) भी दिए। इन प्रदत्तों के कारण चुना चुना कर मात्र 1967 में जब कांग्रेस

के मोहनलाल मुन्वाडिया ने गवर्नर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया तो राज्यपाल डा० सम्पूर्णानन्द ने सयुक्त मोर्चे के नेता डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मणसिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपालों के भिन्न-भिन्न आचरण ने ही उनकी भूमिका को सदिग्ध बनाया, उग्र सवधानिक विवाद को जन्म दिया, आदि।

क्या राज्यपाल उद्घाटन भाषण के समय बुद्धिम्य सदस्यों को निलम्बित कर सकता है? पिछले वर्षों में एक अथ मूह्स्वपूर्ण प्रश्न जा उभर कर सामन आया है वह यह है कि क्या राज्यपाल विधान सभा के सदस्यों को नियंत्रित, मर्यादित या निलम्बित कर सकता है? यह सत्य है कि सामान्यतया विधान सभा में अनुशासन बनाये रखने का काय और मदन की मयादा का सुरक्षित रखन का काय विधान सभा के अध्यक्ष (Speaker) का है। परन्तु यदि विधान सभा के सदस्य अममदीय ढंग में व्यवहार करते हैं और अनुशासनहीनता और हठधर्मिता का परिचय देते हैं तो राज्यपाल उद्घाटन भाषण के समय ऐसे सदस्यों को अनुशासन में रखन के लिए माशल को अपने काय करने के लिए कह सकता है तथा आवश्यकता है तो बुद्धिम्य (recalcitrant) सदस्यों को सदन से निलम्बित कर सकता है। जसाकि राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने विधान सभा के सदस्यों को निलम्बित किया था और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विधान सभा के सदस्य धोटे (Dhote) को बलपूर्वक बाहर निकालने के लिए माशल को अपने काय करने के लिए निर्देश दिया था। राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय ने यह विचार भी व्यक्त किया था कि सदन में अध्यक्ष की सत्ता राज्यपाल के उद्घाटन भाषण के बाद शुरू होती है और उद्घाटन भाषण के समय सदस्यों द्वारा अपनाया गद अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने का अधिकार राज्यपाल का है।

क्या राज्यपाल उद्घाटन भाषण के कुछ आपत्तिजनक अंशों को हटा (delete) सकता है? एक अथ प्रश्न जिसमें अत्यधिक गवधानिक विवाद को जन्म दिया है वह यह है कि क्या राज्यपाल उद्घाटन भाषण के कुछ अंशों को हटा सकता है? यह प्रश्न तत्र उत्पन्न हुआ जब पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल अमवीर न अजय मुन्गर्जी के मंत्रिमण्डल द्वारा तैयार किये उद्घाटन भाषण के कुछ अंशों को विधान सभा में नहीं पढा। यह एक गम्भीर सवधानिक प्रश्न है क्योंकि उद्घाटन भाषण राज्यपाल द्वारा तयार नहीं किया जाता और न ही उसमें राज्यपाल के व्यक्तिगत राजनीतिक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया जाता है। समदात्मक प्रणाली में उद्घाटन भाषण मंत्रिमण्डल द्वारा ही तयार करता है और उसमें उसी की वार्षिक नीति उद्देश्यों और राजनीतिक वायप्रमा को अभिव्यक्त किया जाता है।

अजय मुन्गर्जी के मंत्रिमण्डल द्वारा तयार किये उद्घाटन भाषण में दा

पैराग्राफ ऐसे थे जिनमें राज्यपाल और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके समय की आलोचना की गयी थी। राज्यपाल घमवीर के लिये इन दो पैराग्राफों को पढ़ना आपत्तिजनक¹ प्रतीत हुआ और उसने मुख्य मंत्री से इन्हें मिटाने के लिये सुझाव भी दिया परन्तु जब मुख्य मंत्री अपनी बात पर अड़े रहे तो राज्यपाल ने इन दो पैराग्राफों को विधान सभा में अपने उद्घाटन भाषण में नहीं पढ़ा।

राज्यपाल के इस कृत्य ने एक महान् सविधान प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या नियुक्त किया गया और अनुत्तरदायी राज्यपाल निवाचित और उत्तरदायी मंत्रिमण्डल द्वारा तैयार किये गये उद्घाटन भाषण के कुछ अंश को छोड़ सकता है। पी० एन० स्पेन्स, एन० सी० चटर्जी, नम्बूदरीपाद, आदि विचारकों का मत है कि राज्यपाल मंत्रिमण्डल द्वारा तैयार किये गये उद्घाटन भाषण के किसी अंश का नहीं छोड़ सकता। इसलिये राज्यपाल घमवीर का यह कृत्य अमैधानिक है क्योंकि जिन उद्घाटन भाषण को उसने तैयार नहीं किया था और जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी नहीं था तो उसमें से कुछ अंश को न पढ़ना अमैधानिक है, दूसरी ओर श्रीप्रकाश, गाविन्द मेनन, वाई० वी० चव्हाण जैसे विचारकों का मत है कि राज्यपाल के उद्घाटन भाषण का दलीय राजनीति में कोई सम्बन्ध नहीं। उसका सम्बन्ध तो केवल नीति विषय में होता है जो वस्तुतः मंत्रिमण्डल की नीतियाँ होती हैं। दूसरे उद्घाटन भाषण का सम्बन्ध मंत्रिमण्डल की उपलब्धियाँ, भावी प्रोग्रामा और नीतियाँ में होता है। उसका सखीय राजनीति में दृष्टिकोण में सम्बन्ध नहीं होता। अतः राज्यपाल उद्घाटन भाषण के किसी आपत्तिजनक अंश को छोड़ सकता है यदि वह सवैधानिक भावनाओं की उत्पत्ति करता है या अनाशयक निंदा करता है। केन्द्रीय कानून में तो तो भी यही विचार है कि "राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की मुग्धता (mouthpiece) नहीं उम गवियान का मुग्धित रचना है।

सविधान में राज्यपाल का प्रश्न के राजा या राणी की भाँति बनना मात्र का अधिकारी नहीं बनाया। प्रथम, अनुच्छेद 163 (1) उसे विपक्षधरार के क्षेत्र प्रदान करता है जिनमें राज्य करते हुए राज्यपाल मुख्य मंत्री के परामर्श का मानने के लिये बाध्य नहीं। दूसरे, दण्डदान का भी भुजाया नहीं जा सकता कि भारतीय सवियान विभागात्मा न ब्रिटिश की समान्यमत प्रणाली का ता अपनाया परन्तु उमने साथ सम्बन्धित सभी प्रतिमानों और परम्पराओं को स्वीकार नहीं किया यही कारण है कि सविधान राज्यपाल का मंत्रिमण्डल के परामर्श का मानन क लिये

1. इन दो पैराग्राफों में राज्यपाल घमवीर के उक्त कृत्य की आलोचना की गयी थी जब उमने 1967 में अखिल भारतीय मुगर्जी का मन्त्रिमण्डल में मुख्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था।

वाध्य नहीं करता। सविधान सभा में जहाँ इन प्रस्तावों पर विवाद हो रहा था ता सविधान निर्माताओं ने इन विचारों को अखीरतार कर दिया कि मंत्रिमण्डल के परामर्श को बाध्य बनाया जाय। तीसरे, सविधान राज्य के मंत्रिमण्डल से अपेक्षा करता है कि वह सर्वधानिक सीमाओं की उल्लंघना न करे और एसी परिस्थितियाँ पदा न करे जिनमें केंद्र और राज्यों के सम्बन्धों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। जहाँ कभी राज्यपाल अनुचित करता है कि राज्य के मंत्रिमण्डल के किसी कानून में केंद्र और राज्य में किसी संपर्क के उत्पन्न होने की सम्भावना है ता वह अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इतना अवश्य है कि योजनाओं या प्राग्रामों के लिये आर्थिक गहायता दत्ते समय यदि केंद्र राज्यों में अनुचित भिन्नताय करता है तो मंत्रिमण्डल इन तथ्यों का उल्लेख उद्घाटन भाषण में अवश्य कर सकता है परन्तु किसी मंत्रिमण्डल का उद्घाटन भाषण में राज्यपाल या केंद्र के किसी कानून की निंदा का अधिकार इगनिये नहीं दिया जा सकता कि राज्यपाल न या केंद्रीय सरकार न किसी ऐसे कानून को किया है जो राज्य मंत्रिमण्डल की इच्छाओं के अनुकूल नहीं। राज्य का मंत्रिमण्डल तो क्या न्यायालय में भी राज्यपाल के किसी कानून का चुनौती नहीं दी जा सकती कि अमुक विषय राज्यपाल के विवेकाधिकारों के अंतर्गत आता है या नहीं। इस बात का निगम करना राज्यपाल का विवेकाधिकार है कि कौनसा कानून उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है और कौनसा नहीं। स्पष्ट है कि राज्य का मंत्रिमण्डल कुछ सर्वधानिक सीमाओं के अंतर्गत ही कानून कर सकता है और जब कभी वह अपनी उल्लंघना करता है तो राज्यपाल विवेकाधिकार के अंतर्गत कानून कर सकता है। चौथे, राज्यपाल सविधान के संरक्षण और राज्य की जनता के कल्याण और सेवा की शपथ लेता है अतः मंत्रिमण्डल की इच्छाओं की पूर्ति की शपथ नहीं लेता।

उपर्युक्त वगुण से स्पष्ट है कि उद्घाटन भाषण के कुछ अंशों का छोड़ देना राज्यपाल का कोई सर्वधानिक कानून नहीं। जहाँ सविधान उससे सर्वधानिक बने रहने की अपेक्षा करता है वहाँ वही सविधान, विशेष परिस्थितियों में उससे सत्रिय भूमिका की आशा भी करता है ताकि सर्वधानिक भावनाओं का आदर किया जा सके और केंद्र और राज्यों के सम्बन्धों को सुचारु बनाये रखा जा सके। यह सत्य है कि यदि राज्यपाल धमकी चाहते ता संपर्क की स्थिति को टाल सकते थे और केवल एक आध पराग्रामों को पढ़कर बाकी सारे भाषण को छोड़ सकते थे जैसा कि राज्यपाल डा० सम्पूर्णानंद ने सदन में अनुशासनहीनता के कारण एक बार उद्घाटन भाषण का केवल अंतिम पराग्राम ही पढ़ा था और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल श्रीमती पद्माजी नायडु ने तो बीमारी के कारण केवल "लेडीज एण्ड जे टलमैन" (Ladies & gentlemen) ही कहा था कि सारे उद्घाटन भाषण को पढ़ा हुआ समझ लिया

गया। परन्तु बंगाल के सन्दर्भ में स्थिति सर्वैधानिक भावना की थी अतः घमबीर द्वारा उदघाटन भाषण के कुछ पैराग्राफ को छोड़ना कोई असर्वैधानिक वाय नहीं था।

सन् 1967 के चतुर्थ चुनाव के बाद राज्यपाल की भूमिका, उनकी सर्वैधानिक स्थिति और विवेकाधिकार के सम्बन्ध में जिनने भी प्रश्न उठे हैं या सर्वैधानिक विवादा को जन्म मिला है उन सब के पीछे केवल एक ही त्रिद्यमान तत्व काय कर रहा था। वह यह कि राज्या की राजनीतिक स्थिति अस्थिर एवं अस्पष्ट थी, विधान सभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था, सत्तारूढ दल में गुटीय फूट थी, दल बन्धुता का बोलचाला ग¹ विभायकी का सावजनिक आचरण सदिग्ध और अससरीय (Unparliamentary) था और कोई भी मुख्य मंत्री अपने आपने पद पर बनाये रखने के नियम किन्ही भी अष्ट अनतिक साधना का प्रयोग करने के लिये तयार था, मंत्रिमण्डल का अनुचित ढंग से विस्तार किया गया, विधायका का शरीदा और वचा गया। जहा कही भी संयुक्त सरकार का निर्माण किया गया उनमें वैचारिक साम्यता का अभाव था, उनके मिद्धता और आदर्शों में एकरता का अभाव था। अनि वाम पथियो और अति दक्षिण पथिया के वेमें जोड़ थे, वे सुविधा विवाह² (a marriage of convenience) थे जा सत्ता और पदा का प्राप्त करने के लिए किय गये थे। उनके पास जन कल्याण की कोई रचनात्मक योजना या प्रोग्राम नहीं था। व तो केवल 'काग्रेस विरोधवाद' के नकारात्मक तत्त्व के आधार पर एकत्रित हुए थे। उनका कार्यक्रम काग्रेस हटाना था जन कल्याण योजनाओं को कायाचित करना नहीं। अतः वे बहुत देर तक टिकाऊ न रह सरी। पाचों निर्वाचन के समय मा राज्या में राष्ट्रपति शासन था।² राज्यपान की विवसाधिरार शक्तियो के प्रयोग का एह ही विकल्प हे राज्य में राजनीति स्थिरता, विधान सभा में स्पष्ट बहुमत और दल में सर्वैधानिक भावना। यदि राज्या की राजनीतिक स्थिति में अस्थिरता, अनिश्चिता और अस्पष्टता का भाव न होता तो सम्भवन राज्यपानों के विवेकाधिकारों के प्रयोग के प्रश्न न उभरते और राज्यपान सर्वैधानिक अध्येक्ष के रूप में ही काय करते। जसा कि 1972 के पाचवें चुनाव के बाद राज्या में राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न हान से य प्रश्न शिथिल (ठण्डे) पड गय हैं और राज्यपाल सर्वैधानिक अध्येक्ष के रूप में ही काय कर रहे हैं। फिर भी इतना अवश्य है कि सविधान ने राज्यपाल का इ मण्ड के राजा या रानी की भांति पूणगतया सर्वैधानिक अध्येक्ष नहीं बनाया जो "कभी गलती नहीं करता। कुछ परिस्थितिया में सविधान राज्यपाल से विवेकाधिकारों के अन्तान

1 विधायक इस प्रकार अपने पद त्यागते थे जने व्यक्ति गरमिया में अपने दमन त्यागता है।

2 य राज्य थे बिहार, गुजरात, पञ्जाब मसूर, मनिपुर त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल।

मरिय भूमिवा सी अफगा भी करता है । के० आर० वाम्बाल ने ठीक निम्ना है कि
 “वास्तविकता यह है कि भारत की वर्तमान राजनीति की बेचनी, हमारी दलीय
 प्रणाली की अमफलता और प्रचलित मिद्वान्तहीन राजनीति ही इन समस्याओं के
 लिये उत्तरदायी है । मानव द्वेषी अलग-अलग की वर्तमान स्थिति में प्रत्येक राजनीतिक
 समूह सेन के नियमों को तोड़ने व त्रिप तथा है और अपन हितों की रक्षा हेतु राज्य
 पाल की शक्तिया का प्रयोग करने का उन्मुख है ।” कोई निर्देशन रेखायें या आचार
 महिना सिद्धांतहीन राजनीतियों को शाखाधारा को मीमित नहीं कर सकती ।¹

राज्यपाल के लिये निर्देशक रेखायें या हिदायतें

(Guidelines or Instrument of Instructions for Governor)

विवसाधारा क क्षेत्र में राज्यपाल का आचरण असंशुद्ध, निष्पक्ष और
 उचित हा, इन उद्देश्यों को लेकर कुछ क्षेत्रों में यह मांग की गयी है कि राज्यपाला
 को कुछ निर्देशन रेखायें या शिपयते (अनुदेश प्रपत्र) प्राप्त होनी चाहिये ताकि राज्य
 पाल समान परिस्थितियों में एक सा आचरण कर सके । क्योंकि 1967 के निवाचन
 के बाद भिन्न भिन्न राज्यों के राज्यपालों ने समान परिस्थितियों के होने पर भी भिन्न-
 भिन्न ढंग से व्यवहार किया अतः इस विचारधारा का वन मिला । मुख्य मंत्री की
 नियुक्ति व विमुक्ति राज्य विधान सभा ने अधिवेशन का बुताने, उसका सत्रायसान
 करने आदि उस अंग करने तथा राज्य में सर्वैधानिक तंत्र की अमफलता की सूचना
 देने आदि के प्रश्नों पर विचार विमर्श करने व लिए राष्ट्रपति वी० वी० गिरि ने
 नवम्बर 1970 में जम्मू कश्मीर राज्य व राज्यपाल श्री भगवान महाय के नेतृत्व में
 पात्र व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया । इस समिति ने अक्टूबर 1971 में
 अपन प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जिममें सिफारिशों का राष्ट्रपति वी० वी० गिरि ने
 “समुचित प्रज्ञान” (Pooled wisdom) की सलाह दी । राज्यपाला के सम्मेलन ने दिस-
 म्बर, 1971 का इन प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया । समिति द्वारा सुझाये गये
 मुख्य सुझाव निम्न थे —

(i) समिति राज्यपालों के लिये निर्देशक रेखायें (guide lines) अंकित करने
 का पक्ष में नहीं थी । समिति का विश्वास था कि संविधान किसी ऐसी सत्ता की
 स्थापना नहीं करता जो राज्यपाल को हिदायतें दे सके । राज्यपाला के लिये निर्देशक
 रेखाओं को अंकित कर प्रजातंत्र को विनाश से नहीं बचाया जा सकता । यह भी
 ही सलाह है कि किन्हीं परिस्थितियों में निर्देशक रेखायें सर्वैधानिक भावनाओं व ठोस

1 Bomball, K R The Constitutional System of the Indian Republic, p 264

2 समिति का अर्थ चार सदस्य थे उत्तर प्रदेश व राज्यपाल डा० वी० गोपाल
 रेड्डी, केरल के राज्यपाल एम० वी० विश्वनाथन, महाराष्ट्र के
 अत्री भावर जग, बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल एम० ए० घबन ।

विपरीत हो। सभी परिस्थितियों को पूरा करना करना भी पठित है। अतः प्रजातन्त्र को विनाश से बचाने के लिए विधानसभा और राजनीतिक दलों में अनुशासन की आवश्यकता है, राज्यपालों की निर्णय देना भी नहीं।

(ii) जब मुख्य मंत्री कम से कम समय में विधान सभा में अपना शक्ति परीक्षण करने के लिए तैयार न हों और वह उसका सामना करने में मुँह चुराये तो राज्यपाल मुख्य मंत्री का पदच्युत कर सकता है।

(iii) किसी मुख्य मंत्री या मंत्रिमण्डल को विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं इसका निर्धारण विधान सभा में ही हो सकता है परन्तु यदि कोई मुख्य मंत्री विधान सभा में शक्ति परीक्षण के प्रश्न का टालता है तो प्रथम दृष्टि में (prima facie) यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मुख्य मंत्री का विधान सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं।

(iv) जब बर्लिन सरकार के निर्माण की सम्भावना न हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति का सत्रट की घोषणा करने और विधान सभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है।

(v) सामान्यतया विधान मण्डल के असदस्य और नामांकित सदस्य का मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिये अर्थात् निर्वाचित सदस्यों को ही मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिये। यदि किसी असदस्य को नियुक्त किया भी जाय तो यथाशीघ्र उनके निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिये और यदि वह छ महीने के अंदर निर्वाचित न हों सके तो उसे अपना पद त्याग देना चाहिये।

(vi) मुख्य मंत्री के पद ग्रहण करने के बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिये।

(vii) संयुक्त सरकारों साभेदारों के सहयोग और समर्थन पर निर्भर करती हैं। परन्तु यदि कोई साभेदार या सत्ताहृद दल का कोई गुट सरकार से समर्थन वापस ले जाता है तो मुख्य मंत्री को पद त्यागने की आवश्यकता नहीं। परन्तु यदि साभेदारों या गुट के अलग हान से मुख्य मंत्री के बहुमत पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है अर्थात् वह अल्पमत में ही जाता है तो विधान मण्डल में उन अपनी शक्ति परीक्षण करना चाहिये।

(viii) संयुक्त दलों की सरकारों के नेता (अर्थात् मुख्य मंत्री) को संयुक्त दलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाना चाहिये।

(ix) राज्यपाल मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होना चाहिये यद्यपि परामर्श के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियों को प्रकट करने का अधिकार होना चाहिये।

(x) दल बदल प्रथा पर रोक लगाना वाञ्छित नहीं क्योंकि ऐसा करना कुछ संवैधानिक धाराओं की उल्लंघना करना होगा। सत्ताहृद दल से असहमत होने वाले विधायकों का संसदीय अधिकार ही नहीं बल्कि प्रजातन्त्र का प्राण भी है।

(xi) राष्ट्रपति सचिवालय म एक कक्ष (Cell) की म्याना की जय जो राज्यपाला को समय समय पर राजनीतिक और सवैधानिक विकास के सम्बन्ध म सूचनायें प्रदान करता रहे और उह इस बात का ज्ञान हो जय कि अमुक राज्यपाल ने अमुक परिस्थिति मे क्या आचरण किया और उससे कमे आचरण की अपेक्षा की जाती ह ।

(xii) राज्यपाल राज्य का अध्यक्ष है । वह राष्ट्रपति का अभिक्ता नही । उनके काय का क्षेत्र मविधान द्वारा निर्धारित है ।

राज्यपाल को निदलीय और निष्पक्ष बनाने की आवश्यकता—सन् 1967-71 के काल म राज्यपाला द्वारा अपनाये गय आचरण न गर-कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो के भविष्य को अधकार म डाल दिया था । अतः राज्यपाल का पद गर कांग्रेसी दलो की बटु आलोचना का पात्र बन गया । अन्तः क्षेत्रो मे राज्यपाल की नियुक्ति और स्थिति के सम्बन्ध म मूल परिवर्तनो की मांग की जाने लगी । उदाहरणतया, 17 नवम्बर, 1967 को लिखे पत्र म पश्चिमी बंगाल के मुख्यमन्त्री अजय मुखर्जी ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि कुछ सवधानिक प्रश्ना पर सर्वोच्च न्यायालय से परामश लिया जाय, माक्सवादी नेता एम० बास्वपुन्निया (M Basavapunniah) और पी० एस० पी० के नेता एस० एन० द्विवेदी ने यह सुभाव रखा कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकारो के परामश पर की जाय जिसका अनुसमथन ससद द्वारा किया जाय । प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अपने 17 जून, 1969 के प्रतिवेदन मे मुख्यमन्त्री से परामश की प्रथा को स्वस्थ परम्परा की सजा दी । लोकसभा मे विरोधी दल के नेता राम सुभगसिंह ने यह सुभाव दिया कि राज्यपाला की नियुक्ति निष्पक्ष परामशदाताओं की परिपद की सहायता से राष्ट्रपति द्वारा होनी चाहिये । सवधानिक और ससदीय अध्ययन की सस्था के कायकारी सभापति डा० एल० एम० सिधवी ने भी सुभाव दिया कि राज्यपालो की नियुक्ति के त्रिए एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिये जिसम विरोधी दल का प्रतिनिधित्व होना चाहिये । नम्बूदरीपाद ने तो राज्यपाल को "पाचवे पहिये" (a fifth wheel) की सजा देवर इस पद को ही समाप्त करने का सुभाव दिया ।

राज्यपाल रूपी सभ्या पर विरोधी दला (सयुक्त सरकारो) के प्रहार का मूल कारण यह था कि, उनका विश्वास था राज्यपाल ने अपनी सवधानिक शक्तियो का प्रयोग न तो अपने "विवेकाधिकारो" के अतगत किया है और न ही व्यक्तिगत निश्चय' के अतगत किया गया है बल्कि केन्द्र के निर्देशन पर कांग्रेसी दल के राजनीतिक दला की पूर्ति के लिए किया है और केन्द्र ने राज्यपाल की सवधानिक शक्तियो का दुरुपयोग किया है । विशेषकर नवम्बर, 1967 मे पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल का काय जब उसने अजय मुखर्जी को पदच्युत किया, फरवरी, 1970 मे बिहार के राज्यपाल का काय जब उसने सयुक्त विधायक दल को सरकार बनाने के लिए निमन्त्रण नही दिया माच 1973 म उड़ीसा के राज्यपाल वी० डी० जत्ती का काय

जब उसने प्रगति दल के नेता धीजू पटनायक को नदनी सतपती के अल्पमत में होने पर, सरकार बनाने के लिए निर्मात्रत नहीं किया था। विरोधी दल न राज्यपाल के माध्यम से ब्रह्म द्वारा अपनाये गये इन दावपत्रों को "संविधान के विनाश" (Subversion of the Constitution) और "संवैधानिक प्रक्रिया के दुरुपयोग" (Prostitution of the Constitutional processes) की सजा दी।

यह सत्य है कि जब तक विधान सभा के सदस्यों में सावजनिक नैतिकता का विकास नहीं होता जब तक राजनीतिक दलों में दल-बदलू विधायकों के सम्बन्ध में किसी आचार संहिता का विकास नहीं होता और राजनीतिक दलों में सिद्धांतों के प्रति आस्था उत्पन्न नहीं होती तब तक राज्यपालों के लिए निदलीयता और निष्पक्षता से कार्य करना कठिन है क्योंकि सिद्धांतहीन दल और राजनीतिज्ञ अपने हितों की रक्षा हेतु राज्यपाल की शक्तियाँ का प्रयोग करने के लिए रूचुक रहेंगे फिर भी यथा सम्भव राज्यपाल का निष्पक्ष, संवैधानिक और निदलीय बनाने के लिए निम्न सुझावों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है —

(i) राजनीति में सक्रिय या निवाचनों में पराजित व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि राजनीति के किसी भी तिलाठी से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह वियुक्त (detached), निष्पक्ष या निदलीय भाव से राज्यपाल के उत्तरदायित्वों को निभाने में सफल होगा।

(ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय न केवल मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाय बल्कि समूचे मंत्रिमण्डल और विरोधी दल के नेताओं से भी परामर्श लिया जाय। ऐसा होने पर राज्यपाल सभी दलों में विश्वास पैदा करने में सफल हो सकता है। राज्य की अस्थिर राजनीतिक स्थिति की अवस्था में यह विश्वास अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

(iii) राज्यपाल के पद का केवल 'लान' का पद नहीं समझा जाना चाहिए। इस पद पर केवल उही व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जिन्हें प्रशासन का पर्याप्त अनुभव हो जिनमें लोक कल्याण गौर सेवा की भावना कूट-कूट कर भरी हो जिनकी इमानदारी पर शक न किया जा सके और जिनका सावजनिक चरित्र और व्यवहार असाक्ष्य है।

(iv) राज्यपाल के विवेकाधिकारों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उसका मूल कर्तव्य संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा जनता का कल्याण और सवा भाव होना चाहिए। उस को वियुक्त, (detached) निष्पक्ष और निदलीय पयवक्षक की भाँति राज्य की राजनीतिक घटनाओं को आकलना चाहिए न कि किसी दलीय भावनाओं से।

(v) राज्यपाल की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाय रखने के लिए यह आवश्यक है कि उस पांच वर्ष के बाद पुनः नियुक्त न किया जाये निवृत्त होने के बाद राजनीति से सत्यास दलना चाहिए अर्थात् उसे किसी अन्य लाभ के पद पर नियुक्त

नहीं करना चाहिये अथवा वह अपन केन्द्रीय स्वामियों की इच्छाग्रा की पूर्ति करने में ही सलग्न रहगा। मदा निवृत्त होने पर उसके लिए पशन की व्यवस्था की जा सकती है।

(vi) राज्यपाल को केवल बे-द्व का "नीकरशाह" या अभिकर्ता मान नहीं होना चाहिये। जहा उसे राष्ट्रिय एकता के हितो की रक्षा करनी है वहा उसे राज्य की स्वायत्तता और प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए प्रहरी भी हाना चाहिये।

समीक्षा-प्रश्न (Review Questions)

- 1 राज्यपाल की शक्तिया और स्थिति का वर्णन कीजिये। क्या राज्यपाल निरपक्ष या निरवृश बन सकता है ?
- 2 क्या राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार है ? तिन परिस्थितियों में राज्यपाल अपन विवेकाधिकारो का प्रयोग कर सकता है ?
- 3 'राज्यपाल एक ही समय पर सवधानिक अध्यक्ष है, वास्तविक अध्यक्ष है और केन्द्र का अभिकर्ता है' आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।
- 4 राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल और विधान सभा के सम्बन्धो का उल्लेख कीजिये।
- 5 मंत्रियों को (मुख्यमन्त्री सहित) नियुक्ति और विधान सभा का भंग करने में राज्यपाल की क्या भूमिका है ? 1967-71 काल में राज्या में संयुक्त सरकारो के अनुभव के सन्दर्भ में इसका उल्लेख कीजिये।
- 6 'राज्यपाला की अभिकल्पना यद्यपि सवैधानिक अध्यक्ष के रूप में की गयी थी, परन्तु हाल ही में उहोने इतनी शक्तिया हस्तगत कर ली है जितनी कि हमारे लोकतन्त्र में किसी भी पदाधिकारी को प्राप्त नहीं है।' इस कथन को समझाइय।
- 7 "मुझे पूरा विश्वास है कि सवधानिक राज्यपाल होगे के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं करना होगा।" श्री प्रकाश, मद्रास राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल के इस कथन की समीक्षा कीजिये।

जब उसने प्रगति दल के नेता वीजू पटनायक को नदनी सतपती के अल्पमत में होने पर, सरकार बनाने के लिए निर्मात्रत नहीं किया आदि । विरोधी दल न राज्यपाल के माध्यम से केंद्र द्वारा अपनाये गये इन दावों को वा "सविधान के विनाश" (Subversion of the Constitution) और "संवधानिक प्रक्रिया के दुरुपयोग" (Prostitution of the Constitutional processes) की सजा दी ।

यह सत्य है कि जब तक विधान सभा के मंदस्य में सावजनिक नतिकता का विकास नहीं होता, जब तक राजनीतिक दलों में दल-बदलू विधायकों के सम्बन्ध में किसी आचार संहिता का विकास नहीं होता और राजनीतिक दलों में सिद्धांतों के प्रति आस्था उत्पन्न नहीं होती तब तक राज्यपालों के लिए निदलीयता और निष्पक्षता से कार्य करना कठिन है क्योंकि सिद्धांतहीन दल और राजनीति अपने हितों की रक्षा हेतु राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इच्छुक रहेंगे फिर भी यथा सम्भव राज्यपाल का निष्पक्ष, संवधानिक और निदलीय बनाने के लिए निम्न सुझावों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है —

(i) राजनीति में सक्रिय या निर्वाचनों में पराजित व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए । क्योंकि राजनीति के किसी भी तिलाठी से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह वियुक्त (detached), निष्पक्ष या निदलीय भाव से राज्यपाल के उत्तरदायित्व को निभाने में सफल होगा ।

(ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय न केवल मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाय बल्कि समूचे मन्त्रिमण्डल और विरोधी दल के नेताओं से भी परामर्श लिया जाय । ऐसा होने पर राज्यपाल सभी दलों में विश्वास पैदा करने में सफल हो सकता है । राज्य की अस्थिर राजनीतिक स्थिति की अवस्था में यह विश्वास अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है ।

(iii) राज्यपाल के पद का केवल 'दान' का पद नहीं समझा जाना चाहिए । इस पद पर केवल उन्हीं व्यक्तियों का नियुक्त करना चाहिए जिन्हें प्रशासन का पर्याप्त अनुभव हो जिनमें लोक कल्याण और सेवा की भावना कूट-कूट कर भरी हो जिनकी इमानदारी पर शक न किया जा सके और जिनका सावजनिक चरित्र और व्यवहार असादिग्ध हो ।

(iv) राज्यपाल के विवेकाधिकारों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । उसका मूल कर्तव्य सविधान और प्रजातन्त्र की रक्षा, जनता का कल्याण और सेवा भाव होना चाहिए । उस तो वियुक्त (detached) निष्पक्ष और निदलीय पर्यवेक्षक की भाँति राज्य की राजनीतिक घटनाओं का आकलन चाहिये न कि किसी दलीय भावनावादी का ।

(v) राज्यपाल की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसे पाँच वर्ष के बाद पुनः नियुक्त न किया जाय निवृत्त होने के बाद राजनीति से सत्यासत्ता लेना चाहिये अर्थात् उस किसी अर्थ लाभ के पद पर नियुक्त

नहीं करना चाहिये अथवा वह अपने केन्द्रीय स्वामियों की इच्छाओं की पूर्ति करने में ही सलग्न रहेगा। सेवा निवृत्त होने पर उसके लिए पेंशन की व्यवस्था की जा सकती है।

(vi) राज्यपाल को केवल केन्द्र का "नीकरशाह" या अभिकता मान नहीं जाना चाहिये। जहाँ उसे राष्ट्रीय एकता के हितों की रक्षा करनी है वहाँ उसे राज्य की स्वायत्तता और प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए प्रहरी भी जाना चाहिये।

समीक्षा-प्रश्न

(Review Questions)

- 1 राज्यपाल की शक्तियों और स्थिति का वर्णन कीजिये। क्या राज्यपाल निरपेक्ष या निरक्रुश बन सकता है ?
- 2 क्या राज्यपाल के पास कोई विवकाधिकार है ? किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है ?
- 3 "राज्यपाल एक ही समय पर संवैधानिक अध्यक्ष हैं वास्तविक अध्यक्ष हैं और केन्द्र का अभिकता हैं" आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।
- 4 राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल और विधान सभा के सम्बन्धों का उल्लेख कीजिये।
- 5 मंत्रियों की (मुख्यमंत्री सहित) नियुक्ति और विधान सभा का भंग करने में राज्यपाल की क्या भूमिका है ? 1967-71 काल में राज्यात्मक सरकारों के अनुभव के सन्दर्भ में इसका उल्लेख कीजिये।
- 6 'राज्यपालों की अभिवृत्तना यद्यपि संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में की गयी थी, परन्तु हाल ही में उ होन इतनी शक्तियाँ हस्तगत कर ली है जितनी कि हमारे लोकतन्त्र में किसी भी पदाधिकारी को प्राप्त नहीं है।' इस कथन को समझाइये।
- 7 'मुझे पूरा विश्वास है कि संवैधानिक राज्यपाल होने के गतिरिक्त मुझे कुछ नहीं करना होगा।' श्री प्रकाश, मद्रास राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल के इस कथन की समीक्षा कीजिये।

पुस्तक 4

भारतीय राजनीति का स्वरूप
और
उसके निर्धारक तत्व

(The Nature and Determinants of Indian Politics)

भारतीय राजनीति का स्वरूप और उसके निर्धारक तत्व

(The Nature and Determinants
of Indian Politics)

भारतीय राजनीति का स्वरूप विचित्र, अद्वितीय और बहुरूपी है। यह निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। जमाकि नामन डी पामर ने लिखा है कि "समवातान भारत राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन की मनोरञ्जक प्रयोगशाला है।" यदि यहाँ पारम्परिक तत्वों का प्रभाव है तो आधुनिक तत्व भी यहाँ बचसानी हैं, यदि धार्मिक मूल्य राजनीति में मूल्यों को निर्धारित करने में सहायक हैं तो धर्म निरपेक्षता की भावनाएँ भी उस पर प्रतिबिम्बित होती हैं, यदि भारतीय समाज जातीय भावनाओं से भ्रान्त हो चुका है तो जातीय संवेगशीलता भी यहाँ विद्यमान है, यदि प्राकृत भाषा और स्थान की भिन्नताएँ यहाँ विद्यमान हैं तो सामाज्य और एकता का भावनाएँ भी विद्यमान हैं अर्थात् यहाँ भिन्नताओं में एकता और राष्ट्रीयताओं में राष्ट्र की भावनाएँ छुपी हुई हैं। नामन डी पामर ने भी लिखा है कि "एकता और भिन्नता, परम्परा और आधुनिकता निरन्तरता और परिवर्तन मनस्क्यता और मध्य केन्द्रियकरण और विकेंद्रिकरण, पृथक्करण और अभिज्ञान, धर्म निरपेक्षता और धार्मिक मूल्य राजनीतिक साभदारी और राजनीतिक विन्दे (मयात धरवि), राजनीतिक सामाजिकरण और सामाजिक विनष्टन पश्चिमीकरण और भारतवापरण, व्यवहारवाद और गणतन्त्रिक व्यवस्था उद्देश्य और उपलब्धि सिद्धांत और व्यवहार धर्म और वास्तविकताओं में धर्मनिरपेक्षता और त्रिरोधाभास है।"

भिन्नताओं और विरोधाभासों का वास्तव में भारतीय राजनीतिक प्रणाली की गहरी नींवें हैं। इसमें मनस्क्यता संवेगशीलता समीकरण और समिधण का प्रभाव पड़ता है और यह धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष प्रणाली (सांस्कृतिक और वास्तव) सहन करके भी निरन्तर बनी रह सकेगी है। इसका मूल कारण यह है कि भारत में 'पारम्परिक

1. Palmer Norman D. The Indian Political System Second Edition (Houghton Mifflin Co Boston) (1971) p. 1

परिशामटिक (Charismatic) और लौकिक शक्तियाँ संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। परम्परा वादायें डालते हुए भी वे एकता और सुदृढ़ता की और अग्रसर हो सकती हैं। टायनबी न ठीक लिखा है कि भारत स्वयं में पूरा विश्व है।

भारतीय राजनीति प्रणाली में प्रचलित सस्याओं को अपनाने के वाद भी उह प्रचलित अर्थों में स्वीकार नहीं किया गया। उदाहरणतया यह मसदात्मक प्रजातांत्रिक है परन्तु त तो यहाँ ब्रिटेन की भाँति द्वि-दलीय प्रणाली का विकास किया गया है और न ही मंत्रिमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व की परम्परा का विकास किया गया है। इसी प्रकार यह सदात्मक होने हुए भी एकात्मक है। यदि केन्द्र के द्रीयकरण की शक्तियों को अभि यन्त करता है तो स्थानीय स्वशासन और पंचायत राज बिके की परण को अभि यन्त करता है। यहाँ अराजनीतिक तत्वा में राजनीतिक तत्वा का भी समावेश है।

भारतीय राजनीति में तादात्म्य और नमनशीलता (accommodation and flexibility) की अपार क्षमता है। यह परम्परागत होत हुए भी आधुनिक सस्याओं (मंत्रिधान कानून का शासन ससद, आदि) को अपना सकता है और आधुनिक होने हुए भी परम्परा (जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति) और सामाजिक रूढ़ियों का बनाय रख सकती है। कुछ क्षेत्रों में मानवीय और भौतिक माधना का अभाव होते हुए भी यह कुछ अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरण, आर्थिक और तकनीकी विकास और मानवीय सजीवता को उच्च स्तर पर बनाये रख सकती है। यदि यह 'सक' और 'अभाव' की राजनीति है तो यह 'सद्भावना' 'सहयोग' 'आत्म निभरता' और 'राष्ट्रीयकरण' की भी राजनीति है।

भारतीय राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप (Nature of Indian Political System)

प्रो० मोरिस जोस ने भारतीय राजनीतिक प्रणाली के स्वरूप की तीन विशेषताओं (शैलियों) (idioms or languages)¹ का उल्लेख किया है। ये विशेषताएँ हैं (i) आधुनिकता (ii) परम्परा (iii) ऋषितुल्यता

(i) आधुनिकता (Modernity) प्रो० मोरिस जोस के अनुसार भारतीय राजनीतिक प्रणाली की आधुनिकता को राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है। सर्वज्ञान-यायालय मसदा, उच्च प्रशासन, मुख्य राजनीतिक दल समाचार पत्र योजनाएँ नीतिदा और प्रोग्राम दबाव समूह विशेष हित, तर्क विवाद, विचार विमर्श सम्मेलन, शक्तिवेदा प्रदान निराश आदि में भारतीय राजनीतिक प्रणाली की आधुनिकता को देखा जा सकता है।

(ii) परम्परागत (Traditional)—भारतीय राजनीतिक प्रणाली की परम्परागत विशेषताओं को राज्य जिला और स्थानीय स्तरों पर देखा जा सकता है। परम्परागत तत्व आदर्शक रूप से प्राचीन चार वर्णों पर आधारित हैं।

जाति, अग्रणीत उप जातियो, छोटे छोटे राजनीतिक समूहा, स्थानीय नेताओं आदि में देखी जा सकती है। ये समूह अपने आप में ऐसे छोटे छोटे विस्त्र हैं जो भारतीय राजनीति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव यूनाधिक मात्रा में डालते रहते हैं।

(111) साधुता (Saintliness)—भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक विशेषता यह है कि इसमें 'साधुता' तत्वों का समावेश है। महात्म बुद्ध और महावीर—इसके प्रारम्भिक प्रतिपादक थे, राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक काल में गोकुले ने इसे 'अनुनय' और 'सुधार' का रूप दिया और गांधी ने इसे अहिंसक सत्याग्रह आन्दोलन का रूप दिया। बनमान में विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने इसे सर्वोदय या दोलन का रूप दिया। भूदान, सम्पत्तिदान, श्रमदान और जीवनदान इस आन्दोलन के पहलू हैं। इस तरह साधुता तत्व भारतीय राजनीति के किनारे पर सबूत विद्यमान रहे हैं और आज भी हैं। जयप्रकाश नारायण द्वारा गुरू किये गये 'सम्पूर्ण प्राप्ति' के आन्दोलन ने भारतीय जनमत को अपने राजनीतिक अधिकारों को एह सास कराने में अद्वितीय भूमिका निभाई है।

भारतीय राजनीति में 'साधुता' तत्व का प्रभाव यद्यपि अत्यधिक नहीं रहा और इसकी भूमिका गौण ही रही है फिर भी भारतीय राजनीति की शब्दावली में यह व्यापक रूप से विद्यमान रही है। यदा-कदा राजनीतिज्ञ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इसका प्रयोग करते हैं। सन् 1974 में मोरारजी देसाई ने गुजरात विधान सभा को भंग करने के लिये और 1975 में मोरारजी देसाई ने ही गुजरात विधान सभा के लिये निर्वाचन कराने के लिये 'साधुता' तत्व अर्थात् आमरण उपवास का प्रयोग किया। यह तथ्य इस बात का प्रतीक है कि भारतीय नेताओं ने विदेशी शासकों से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये ही नहीं बल्कि अपने शासकों के कलुषित इरादों को समाप्त करने और जनतांत्रिक संस्थाओं द्वारा शासन पद्धति को लागू करने के लिये भी किया है। यह स्वतंत्र दश के नागरिकों के अधिकारों की हठोक्ति (assertion) है कि जब कभी जन प्रतिनिधि (शासक) अपने स्वार्थ, सत्ता, शक्ति और दलीय भावनाओं से प्रेरित हो जायें कि वे जन सेवक के स्थान पर जनता के स्वामी बन जाय और वे अथ व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था का कु प्रबंध करने लगे तो जनता आत्मिक बल में अपने जन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अहिंसक अस्त्र के रूप में यह भारतीय राजनीति की, राजनीति शास्त्र का मूल्यवान् देन है।

भारतीय राजनीतिक प्रणाली की उपयुक्त तीनों विशेषताएँ एक दूसरे से भिन्न हैं परन्तु फिर भी उन्हें अलग-अलग स्तरों में, समूहों में, नेताओं में, संस्थाओं में यूनाधिक मात्रा में देखा जा सकता है। सभी में एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप भी प्रयुक्त है। जसजिम मोरिस जोस ने लिखा है कि 'इन्हीं विशेषताओं का सम्मिश्रण ही भारतीय राजनीति का विनिष्ट स्वरूप प्रदान करता है।' समुक्त रूप में वे भारत का विनिष्ट राजनीति शैली का निर्माण करने हैं तथा उसने लिय उत्तरदायी हैं।

भारतीय राजनीतिक प्रणाली की विशेषतायें

(Features of Indian Political System)

भारतीय राजनीतिक प्रणाली की अनेक विशेषतायें हैं जिन्हें निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है

(1) मतव्ययता, सहिष्णुता, समीकरण और सम्मिश्रण (Consensus, tolerance, assimilation and synthesis)—भारतीय राजनीतिक प्रणाली को सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मतव्ययता सहिष्णुता, समीकरण, और सम्मिश्रण की अद्वितीय विशेषता पाई जाती है। यद्यपि मोरिस जोस जैसे लेखक भारतीय राजनीति में मतव्ययता के अभाव को व्यक्त करते हैं वस्तुतः यह मतव्ययता भारतीय इतिहास, इसके सामाजिक और धार्मिक जीवन में सर्वत्र विद्यमान है। मविधान सभा की कार्यवाही और वर्तमान संविधान द्वारा स्थापित की गयी प्राधुनिक राजनीतिक संस्थाओं में भी इस मन्व्ययता को देखा जा सकता है। भारतीय राज्य का प्रजातान्त्रिक, लोक कल्याणकारी धर्म निरपेक्ष स्वरूप ही मतव्ययता का परिणाम है। विभिन्नता में एकता, समाजवादी समाज का संकल्प मायाय अनुभवा और वास्तविकता के विद्यमान होने पर राष्ट्रीय एकता को बनाय रखने के तत्त्व उम्मीद मतव्ययता के द्योतक हैं।

प्राचीन एवं वर्तमान इतिहास में खण्डित समाज को एकीकृत करने के लिये राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व संवदा विद्यमान रहा है। हिंदू धर्म तो सहिष्णुता, समीकरण और सम्मिश्रण की मूर्ति है। इसने शताब्दियां तक अनेक जातियों, धर्मों और संस्कृतियों को अपने में सम्मिलित किया। प्रो० के० एम० पाणिकर ने ठीक निम्न है कि "भारत की परम्परा संवदा सम्मिश्रण की रही है। अपनी पहचान को खोये बिना दूसरों की संस्कृति को अपने में समा (मिल) लेना इसकी अद्वितीय योग्यता रही है। हिन्दू संभ्यता में आर्य और द्राविडियन का मिश्रण रहा है। इस्लाम के साथ लम्बे काल तक सम्पर्क होने से भारतीय जीवन पर उसका प्रभाव पड़ा है। ब्रिटिश काल में तो भारत पूर्व और पश्चिम का मिलन स्थल था।

(ii) निरंतरता और परिवर्तन अर्थात् परम्परा और आधुनिकता (Continuity and Change or Tradition and Modernity)—यद्यपि परम्परा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी हैं फिर भी भारतीय राजनीति में ये एक साथ विद्यमान हैं। वस्तुतः इन दोनों का संघर्ष और समन्वय ही भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषता है। भारत में वस्तुतः समाजीकरण की प्रक्रिया का आरम्भ हो गया है जो परम्परा और आधुनिकता के भेद को कम कर रही है। यद्यपि राजनीति प्रणाली में अनेक विभिन्न भागों में परिवर्तन की माया असमान होने से इसका नवीन रूप (विभिन्नताओं) को भी जन्म दिया है। परम्परा आधुनिक प्रवृत्तियों से प्रभावित है और आधुनिकता में परम्परा के तत्त्व विद्यमान हैं। दोनों एक दूसरे पर क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ करते हैं।

भारतीय सविधान, ससदात्मक (मंत्रिमण्डलात्मक) प्रणाली, कानून का शासन, निर्वाचन पद्धति, दलीय व्यवस्था आदि भारत में आधुनिकता के चेतक हैं। परन्तु जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकता आदि परम्परा के चेतक हैं। जातीय, भाषाई, वर्गीय गुटबिन्द्या, क्षेत्रीय वकायाग्न्या, स्थानीय नेताओं का राजनीति पर प्रभाव सामाजिक और पारिवारिक जीवन का ढांचा भी परम्परा के चेतक हैं। सन् 1968 में इंदिरा गांधी ने कहा था कि “भारत अनेक स्तरों में निवास करता है। अनेक गताब्दियाँ एक साथ हमारी भूमि में निवास करती हैं। भारत के कुछ भाग उतने ही विकसित हैं जितने कि विश्व के अन्य स्थान और शेष परम्परा में रहे हुए हैं।”¹

(iii) मित्र मित्र विचार धाराओं का संश्लेषण (Synthesis of different ideologies)—भारतीय राजनीति प्रणाली की तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अनेक और विभिन्न विचारधाराओं का संश्लेषण किया गया है। उदाहरणतया यदि इसमें ससदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है तो यह पश्चिमी, विशेषकर ब्रिटिश नमूने की नहीं। ढांचे और संस्थाओं में तो यह ससदात्मक है परन्तु व्यवहार में यहाँ ससदात्मक परम्पराओं का विकास नहीं किया गया। यहाँ दलीय व्यवस्था अवश्य है परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ‘एक दल’ (कांग्रेस) का ही प्रभुत्व रहा है, विरोध पक्ष विघटित और निवृत्त है, मंत्रिमण्डल के सामूहिक उत्तराधिकार का अभाव है, संसद के सत्रकाल में भी उसकी उपेक्षा की जाती है और अध्यादेशों द्वारा शासन करने की प्रवृत्ति विद्यमान है स्पीकर की निष्पक्षता और निदलीयता अमंदिग्ध नहीं। दूसरे, सविधान उदार भावनाओं से प्रेरित है परन्तु सवसत्तावादी प्रवृत्तियाँ भी विद्यमान हैं। उदाहरणतया यदि सविधान नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था करता है तो निवारक निरोध, भारत सुरक्षा अधिनियम और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के रूप में सवसत्तावादी प्रवृत्तियों को दृढ़ भी करता है। तीसरे भारत में विकेंद्रीकरण के साथ-साथ केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। उदाहरणतया पंचायत राज की संस्थाओं के रूप में और स्थानीय स्वशासन की अन्य संस्थाओं के रूप में यदि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है तो केन्द्र की शक्तिशाली बना कर केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को भी उत्पन्न किया गया है। चौथे, भारतीय राजनीतिक प्रणाली में सदात्मक तत्व विद्यमान हैं ता मकटवालीन स्थितियों अखिल भारतीय सेवामा, एकीकृत यायिक व्यवस्था, एकदली नागरिकता, निर्वाचन आयोग आदि के रूप में एकात्मक तत्व भी विद्यमान हैं। पाँचवें भारत गणराज्य होते हुए भी राष्ट्रमण्डल जनी राजतांत्रिक संस्था का सदस्य है। अनेकविले प्रास्टिन ने ठीक त्रिसा है कि “भारत पहला राष्ट्र है जिमने गणतांत्रिक और राजनांत्रिक

1 Mrs Gandhi Indira Quoted by Palmer, Norman D Ibid
p 8

अनगति का समायोजन किया है।¹ यह भारतीय राजनीतिक प्रणाली की ही विशेषता है जिसमें परस्पर विरोधी विचारधाराओं का एक साथ संश्लेषण किया गया है। इसमें आज गणतंत्र, प्रजातंत्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, अमलगनता आदि विचारधाराओं का समिश्रण है। गांधीवादी, हिन्दूवादी आदि देगी तत्वा का समावेश भी इसमें है।

(iv) असाधारण राष्ट्रीय नेतृत्व (Extraordinary national leadership)

— भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक अर्थ विशेषता यह रही है कि इन्हीं अर्थ तक राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह नेतृत्व केवल राजनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज, धर्म, दशन आदि क्षेत्र में भी विद्यमान रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में तिलक, गोराळे महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू सुभाष चन्द्र बोस, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, इंदिरा गांधी आदि की लम्बी कतार है। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानन्द सरस्वती स्वामी विवेकानन्द, रामाकृष्ण परमहंस ऐनी बेसेन्ट, आदि प्रमुख नेता हुए हैं। टगोर जैसे साहित्यिक व्यक्ति भी इसी धरती पर पैदा हुए हैं। डॉ० पॉल एपलबी ने ठीक लिखा है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण सम्पदा 'असाधारण राष्ट्रीय नेतृत्व' की रही है। इन नेताओं के व्यक्तित्व में एक करिष्मा (charisma) था, एकीकरण की एक शक्ति थी।

भारतीय राजनीतिक नेतृत्व में दो नमूने एक साथ विद्यमान रहे हैं। एक नमूना राजनीतिक दलों के रूप में प्रजातान्त्रिक ढाँचे पर आधारित रहा है। इससे भारत का प्रयुक्त एवं शिक्षित वर्ग सम्बन्धित है। दूसरा नमूना, जो प्रजातान्त्रिक नमूने पर क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ करता है अर्थ धार्मिक नेतृत्व पर आधारित है जिससे समाजधारण नागरिक सम्बन्धित रहा है और जिसमें समाजवादी प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। इस समाजवादी प्रवृत्ति को भारत के महान् काव्यो कठोर जाति प्रणाली, विशेषियों के शासन, दहाती जीवन में, धार्मिक पारिवारिक और अर्थ समूहों तथा परम्पराओं में भी देखा जा सकता है।

नेतृत्व के उपयुक्त आधारों अतिरिक्त भारत में नेतृत्व की कसौटी 'उपलब्धि' (achievement criteria) भी रही है। निर्वाचन की पद्धति और प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ने सत्ता के स्तर को ही बदल दिया है। आज नेतृत्व केवल केन्द्रीय नहीं बल्कि स्थानीय और राष्ट्रीय भी है। रजनी कोठारी ने ठीक लिखा है कि "निर्वाचन और प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ने सत्ता के स्तरों को पहली पीढ़ी के नेतृत्व से हटाकर उन लोगों के हाथों में दे दिया जो राज्य और जिला स्तर पर संगठित हैं।" यह नेतृत्व जाति सभा, ग्राम पंचायतों और सहकारिता के हाथ में है। इस नवीन नेतृत्व को छोटे छोटे नगरों, जिला कार्यालयों में देखा जा सकता है।

1 Austin Granville, The Indian Constitution Corner stone of a Nation, p 319

स्थानीय स्तर पर सत्ता के स्तर निर्धारित होने से केन्द्रीय नेतृत्व में ढिलाई उत्पन्न हुई है और ज्यों ज्यों भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के नेता राष्ट्रीय स्तर से ओझल हो रहे हैं त्यों त्यों राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व का अभाव सामने आने लगा है। श्री नेहरू के निधन के बाद राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की कमी ने ही दलीय फूट और गुटबन्दी को जन्म दिया दलीय अनुशासन और नियंत्रण में कमी आयी है। सन् 1967 के निर्वाचन में कांग्रेस की पराजय और 1969 में कांग्रेस का विभाजन नेतृत्व की दृढ़ता की कमी का परिणाम था। यद्यपि 1971 और 1972 में कांग्रेस के निर्वाचन में इंदिरा गांधी के रूप में राष्ट्रीय नेतृत्व निखरा परन्तु अन्त में फिर वह दुर्बल होता नजर आता है। राष्ट्रीय नेतृत्व की दुर्बलता भारतीय राजनीति में अस्थिरता को जन्म दे सकती है।

(1) गुटबन्दी (Factionalism)—गुटबन्दी शब्द का प्रयोग राजनीतिक पक्ष धरा के लिये किया जाता है। यह राज्य प्रशासन दल या संगठन में उन छोटे छोटे गुटों समूहों अथवा सभोगों की अभिव्यक्ति करती है जो सामान्य हितों का उपेक्षा कर सकीए स्वार्थी हितों की पूर्ति करते हैं। क्योंकि गुटबन्दी के मद्दय प्रायः दूसरे गुट से झगड़ते रहते हैं और सदा उसे (विरोधी गुट को) अपदस्थ करने का अवसर ढूँढते रहते हैं अतः इस पद्धति राजनीति की सत्ता दौ जा सकती है।

गुटबन्दीयाँ सत्ता की एसी लम्बरूप संरचनायें हैं जो जाति और वर्ग विभाजन की रेषाओं को स्वीकार नहीं करती। ये जाति अथवा वर्ग से अधिक अस्थिर और कम समोच्च (less Cohesive) होती हैं परन्तु कभी कभी ये जाति और वर्ग से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं।

गुटबन्दी भारतीय राजनीति की एक अत्यंत प्रमुख विशेषता रही है। यह गुटबन्दी राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक विद्यमान रही है। सन् 1967 के निर्वाचन में कांग्रेस की राज्यों में पराजय और सन् 1969 में कांग्रेस विभाजन का मूल कारण कांग्रेस दल में गुटबन्दी का अस्तित्व था। अनेक राज्यों में मंत्रिमंडलों का बनना और बिगड़ना गुटबन्दी की चिक्ती मंत्रियाँ (shifting alliances) नहीं है।

गुटबन्दी के मोह में राज्य का सत्ताह्व दल दो परस्पर विरोधी गुटों में विभक्त हो जाता है जो मंत्रिमण्डलीय गुट (ministerial group) और विरोधी गुट (dissent group) कहलाते हैं। पहले गुट का नेता सामान्यतया मुख्य मंत्री होता है और दूसरे का कोई अल्प मंत्री या विधान सभा सत्ताह्व दल का कोई सचिव। इन गुटबन्दी ने जहाँ तक राजनीतिक अस्थिरता और अस्पष्टता को जन्म दिया है वहाँ पद्धति राजनीति भी इसमें पनप रही है।

राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू राज में, ये गुटबन्दी नहीं पनप सकी क्योंकि नेहरू का नेतृत्व बहुत प्रभावशाली था परन्तु इंदिरा गांधी के काल में इनका विकास हुआ और असाध्य रूप से विभाजन हुआ है कि 1969 का कांग्रेस विभाजन गुटबन्दी का

परिणाम था। यद्यपि इंदिरा गांधी का सुदृढ़ और राष्ट्रीय नेतृत्व 1971 और 1972 के निर्वाचनों में सामने आया था परंतु 1974-75 के जयप्रकाश नारायण के "सम्पूर्ण जाति" के आन्दोलन और उसके द्वारा उभारी गयी समस्याओं ने गुटवदी को जन्म दिया है। मोहन धारिया, चन्द्रशेखर आदि यंग तुग गुटवदी की भाषा का प्रयोग करते हैं जब वे जयप्रकाश से विचार विमर्श (dialogue) की बात करते हैं। इन गुटबंदियों के कारण इंदिरा नेतृत्व का दल और शासन पर पूर्ण एवं निरपेक्ष नियंत्रण नहीं।

राज्यों की राजनीति में ये गुटबंदियाँ अधिक उग्र नहीं हैं। बिहार, उत्तर-प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा और पंजाब आदि राज्य तो इस रोग से अत्यधिक पीड़ित रहे हैं। इन राज्यों में तो मंत्रिमंडलों का निर्माण ही इस बात पर निर्भर रहा है कि किस समय कौन सा गुट अधिक प्रभावशाली रहा है।

(vi) प्रभाव समूह (Pressure groups)—अपने देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ की भाँति भारतीय राजनीतिक प्रणाली भी प्रभाव समूहों से प्रभावित रही है। ये प्रभाव समूह अनेक एवं विभिन्न प्रकार के रहे हैं। वस्तुतः भारतीय जनता में अनेक प्रकार के जन (publics) हैं—एक तरफ तो शिक्षित जन हैं और दूसरी तरफ अशिक्षित अशिक्षित लोगों का जन है। पहले की ही भूमिका सत्य और रचनात्मक है, दूसरे की गौण और नकारात्मक है। सत्ता का वास्तविक प्रयोग शिक्षित जन ही करता है। इन जनो के अंतर्गत अनेक क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय, साम्प्रदायिक उपजन हैं। ग्रामवासियों और नगरवासियों को अपने पथक पथक जन हैं। ये समूह मिल कर भारतीय राजनीतिक जीवन और व्यवहार पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। सत्ता का प्राप्त करने के इच्छुक प्रभाव समूहों का अनेक बार राज्यों के मंत्रिमंडलों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि मंत्रिमंडल का निर्माण और पतन उनकी विवर्ती मैत्रियाँ पर निर्भर रहा। जातियों के विधायक अपनी पृथक-पृथक वोटों करते हैं और मंत्रिमण्डल पर उचित अनुचित प्रभाव डालते हैं।

भारतीय राजनीति में तीन प्रकार के प्रभाव समूहों को विशेष प्रकार से देखा जा सकता है—

(a) विशेष हितों वाले संगठन (Special interest organization)—इनका उदय हाल ही में हुआ है। इनका सामाजिक और आर्थिक आधार रहा है। इनके प्रमुख उदाहरण हैं—श्रमिक संघ, व्यापार समूह, छात्र संगठन, समाज कल्याण अभिकरण एवं युवा और महिला संगठन। कुछ श्रमिक संघ तो राजनीतिक दलों के सहायक अंग बनकर रह गए हैं, जैसे—अंग्रेज भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) साम्यवादी दल का सहायक अंग है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) कांग्रेस दल का सहायक अंग है, आदि।

(b) साम्प्रदायिक समूह एवं धार्मिक संगठन—ये समूह जाति धर्म और भाषा पर आधारित हैं जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा प्रभाव समूह है जो जन संघ के मान्यम से कार्य करता है।

(c) विचारधाराओं को अभिव्यक्त करने वाले समूह—इनमें प्रमुख गांधीवादी विचारधारा का अभिव्यक्त करने वाले सगठन हैं। सर्वोदय समाज, सब सवा मध, हिन्दुस्तानी प्रचार मभा, तालीमी मध आदि गांधीवादी सगठन हैं।

यद्यपि इन प्रभाव समूहों के प्रभाव को ठीक प्रकार से आबना कठिन है, परन्तु विशिष्ट विषयों पर इन समूहों का प्रभाव पड़ता है।

(vii) अनौपचारिक संचारण के साधनों का प्रभाव—भारतीय राजनीति की एक विशेषता यह है कि यहाँ अधिकांश जनसंख्या निर्धर होने से उस पर सामाजिक संचारण का उन साधनों का प्रभाव कम है जिनका सामान्यतया प्रयोग पश्चिम प्रजातान्त्रिक प्रणालियों में किया जाता है। यही कारण है कि भारत में जनता पर संचारण के औपचारिक साधनों (रेडियो प्रेस आदि) का प्रभाव इतना नहीं जितना कि नेतृत्व और 'व्यक्तित्व' का है। उदाहरणतया नेहरू काल में नेहरू के नेतृत्व और व्यक्तित्व का प्रभाव भारतीय राजनीति पर अत्यधिक था और 1971-72 में तो इंदिरा हवा (Indira wave) ने ही भारत की राजनीति को आच्छादित कर दिया था।

(viii) आंदोलन राजनीति—भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक विशेषता यह है कि यह जन हिंसा और आंदोलन की राजनीति नहीं है। हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, बंद धेराव उपवास, दंगे इस राजनीति की विशेषताएँ हैं। भारत में 'सन्ता का विरोध' इसी प्रकार के साधनों द्वारा किया गया है। वर्तमान में जयप्रकाश नारायण की 'सम्पूर्ण प्राप्ति' इसी साधनों द्वारा संचालित है। यद्यपि ये साधन कभी कभी सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त करने हैं, सामाजिक सम्पत्ति की हानि पहुँचाने हैं तथा सामान्य जीवन का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है जिससे सामाजिक ढाँचा और राजनीतिक प्रणाली हिल जाती है फिर भी भारतीय राजनीतिक प्रणाली इन साधनों को स्वीकार करती है और ये साधन उनके अभिन्न अंग हैं। इन घटनाओं के आधार पर विनाग के मसीहा (prop-hets of dooms) ने यद्यपि भारतीय राजनीतिक प्रणाली की क्षमपतता की घोषणा की परन्तु जसा कि रजनी काठारी ने लिखा है 'धेराव, बंद धरना भारत में विरोधी राजनीति के दास्रागार में महत्वपूर्ण अस्त रहते हैं और अंत ही ढङ्ग से राजनीतिक प्रणाली का खुला करने में योग्य दंगे हैं'।¹

(ix) समाज का राजनीतिकरण (Politicization of society)—जसा कि प्रो० मोरिस जोसेफ ने चिगा है कि नयीन राज्या में राजनीति और समाज इतने घुटे मिले हैं कि सामाजिक गतिपय का अध्ययन में विना राजनीतिक दक्षिण का अध्ययन अधूरा है। भारत में राजनीतिक विचारा का हिन्दू धर्म के मुख्य गान अध्याय और धार्मिक गिणतधाम जिनका प्रभाव सबव्यापी रहा है, पृथक गरी विना जा सकता। भारत के सम्य इतिहास में राजनीति का गवय में बन

शिष्ट जन या विदेशी शासको से रहा है, साधारण जन तो राजनीतिक प्रक्रिया में सम्भेदार नहीं था, वह तो उसका शिकार था। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से, जब से वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचित राजनीतिक मस्थानों की रचना की गई है, स्थिति में परिवर्तन हुआ है और राजनीतिक संगठन और सामाजिक ढांचे के भेद कम हो रहे हैं, सत्ता नीचे की ओर बढ़ रही है। जैसाकि पामर ने लिखा है कि 'समाज राजनीतिक बनता चला जा रहा है और राजनीतिक व्यवस्था का सामाजिक आधार चौड़ा होता चला जा रहा है।' यही कारण है कि राजनीतिक प्रक्रिया में जो वर्ग (जन, समूह, समुदाय) अभी तक अछूते थे अर्थात् जिन्हें अभी तक सत्ता से वंचित रखा गया था, वे अब राजनीति में अधिक सक्रिय होने लगे हैं। आज स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्यीय या राष्ट्रीय दलों की शक्ति का आधार भारतीय समाज का कोई खण्ड ही है और दल "सामाजिक संस्थाओं और रीतियों की राजनीतिक अभिव्यक्ति है।'

(२) गैर धर्म निरपेक्ष तत्वों का प्रभाव (Influence of non secular factor) — भारतीय राजनीति पर गैर धर्म निरपेक्ष तत्वों का प्रभाव अत्यधिक रहा है। मुख्य रूप से ये तत्व हैं—जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र और भाषा। यद्यपि भारतीय संविधान जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि किसी भी आधार पर नागरिकों में भिन्नता नहीं करता परन्तु फिर भी इनका प्रभाव भारतीय राजनीति पर अत्यधिक है और निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक व्यवहार और प्रशासन में इसे स्पष्ट देखा जा सकता है। भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव का उल्लेख करते हुए प्रो० एम० के० श्रीनिवास लिखते हैं कि, "जाति को गौण रूप में और पूण रूप में इस तरह स्वीकार किया जाता है कि यह सब से सामाजिक काय की इकाई है।" धर्म के प्रभाव को कुछ राजनीतिक दलों की बनावट में देखा जा सकता है। अकाली दल और मुस्लिम लीग धर्म पर आधारित हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो जन संघ का अभिन्न अङ्ग है, हिन्दू राष्ट्रवाद पर आधारित है। साम्प्रदायिक दलों का मूल कारण यही धर्मांधता है। "इस्लाम व भारतीयकरण" के नारे धार्मिक भावना के द्योतक हैं। क्षेत्रवाद और भाषावाद के रोग से तो भारतीय राजनीति अत्यधिक पीड़ित है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और छोटे छोटे राज्यों के निर्माण की मांग, राज्यों के सीमावर्ती झगड़े भाषावाद और क्षेत्रवाद के द्योतक हैं। भाषा की समस्या ने हिंदी भाषाई और अहिंदी भाषाई राज्यों में पर्याप्त वृद्धता पैदा की है जिसने हिंसक आन्दोलनों को भी जन्म दिया है। यद्यपि भारतीय राजनीति के ये तत्व राष्ट्रीय एकीकरण के माग में बाधा पहुँचाते हैं परन्तु इन्होंने राष्ट्रीय सक्क के समय राष्ट्रीयता के आधार को चौड़ा किया है, उसे सकीण नहीं बनाया।

(३) विश्व का विशाल प्रजातंत्र (Largest Democracy in the World)— भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक विशेषता यह है कि यह प्रजातंत्रिक

(c) विचारधाराओं को अभिव्यक्त करने वाले समूह—इनमें प्रमुख गांधीवादी विचारधारा का अभिव्यक्त करने वाले साठन ह। सर्वोदय समाज, सब सेवा सघ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, तालीमी मध आदि गांधीवादी सगठन हैं।

यद्यपि इन प्रभाव समूहों के प्रभाव को ठीक प्रकार से आकना कठिन है, परन्तु विशिष्ट विषया पर इन समूहों का प्रभाव पडता है।

(vii) अनौपचारिक संचारण के साधनों का प्रभाव—भारतीय राजनीति का एक विशेषता यह है कि यहां अधिकांश जनसंख्या निरक्षर होने से उस पर सामाजिक संचारण के उन साधनों का प्रभाव कम है जिनका सामान्यतया प्रयोग पश्चिम प्रजातान्त्रिक प्रणालियां में किया जाता है। यही कारण है कि भारत में जनता पर संचारण के औपचारिक साधनों (रडियो प्रेस आदि) का प्रभाव इतना नहीं जितना कि 'नेतृत्व' और 'व्यक्तित्व' का है। उदाहरणतया नेहरू काल में नेहरू के नेतृत्व और व्यक्तित्व का प्रभाव भारतीय राजनीति पर अत्यधिक था और 1971-72 में तो इंदिरा हवा (Indira wave) ने ही भारत की राजनीति को आच्छादित कर दिया था।

(viii) आंदोलन राजनीति—भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक विशेषता यह है कि यह जन हिंसा और आंदोलन की राजनीति नहीं है। हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, बन्द, धेराव, उपवास, दंगे इस राजनीति की विशेषताएँ हैं। भारत में सत्ता का विरोध' इसी प्रकार के साधनों द्वारा किया गया है। वर्तमान में जयप्रकाश नारायण की 'सम्पूर्ण ताति' इन्हीं साधनों द्वारा संचालित है। यद्यपि ये साधन कभी कभी सावजनिक जीवन को अस्त व्यस्त करने हैं, सावजनिक सम्पत्ति को हानि पहुँचाते हैं तथा सामान्य जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है जिससे सामाजिक ढांचा और राजनीतिक प्रणाली हिल जाती है फिर भी भारतीय राजनीतिक प्रणाली इन साधनों को स्वीकार करती है और ये साधन उनके अभिन्न अङ्ग हैं। इन घटनाओं के आधार पर विनाग के मसीहा (prop-hets of dooms) ने यद्यपि भारतीय राजनीतिक प्रणाली की अमरत्व का घोषणा की परन्तु जसा कि राजनीति कोठारी न लिखा है धेराव, बन्द, धरना भारत में विरोधी राजनीति के गस्त्रागार में महत्वपूर्ण अस्त्र रहते हैं और अपने ही ढङ्ग से राजनीतिक प्रणाली का खुला करने में योग्य दंगे।¹

(ix) समाज का राजनीतिकरण (Politicization of society)—इसा कि प्रो० भास्ति जो स न विषया है कि नवीन राज्या में राजनीति और समाज इतने घुंटे मिले हैं कि सामाजिक शक्तियों के अध्ययन के बिना राजनीतिक शक्तियों का अध्ययन अपूरण है। भारत में राजनीतिक विचारों को हिंदू धर्म के मुख्य दंगन अत्यास और धार्मिक गिनायास जिनका प्रभाव सर्व-यापी रहा है, पृथक नहीं किया जा सकता। भारत में सम्य इतिहास में राजनीति का मध्यम धवन

निष्ठ जन या विदेशी ताकतों से रहा है। सामान्य जन तो राजनीतिक दक्षिण में सामान्य नहीं था वरन् उसका निकार था। परन्तु निम्नो कुछ वर्षों से, जब से बन्दूक नडाधिकार पर आधारित निर्वाचित राजनीतिक मन्थानों की रचना की गई है, स्थिति में परिवर्तन हुआ है और राजनीतिक स्थान और सामाजिक दक्षिण के नेत्र बन हो रहे हैं। समाज के भीतर बह रही है। यैनाकि पारलर ने विधा है कि 'समाज राजनीतिक दन्ता चला जा रहा है और राजनीतिक व्यवस्था का सामाजिक आधार चौड़ा होता चला जा रहा है।' यही कारण है कि राष्ट्रीय प्रक्रिया में जो वा (जन समूह समुदाय) अभी तक रहने से अर्थात् निररे अभी तक सत्ता से वंचित रखा गया था वे अब राजनीति में अर्थिक सक्रिय हो गये हैं। अब म्दानान, क्षेत्रीय राज्यीय या राष्ट्रीय दलों की शक्ति का आधार भारतीय समाज का कोई खांड ही है और दल 'सामाजिक मन्थानों और रीतियों की राजनीतिक अभिव्यक्ति हैं।

(२) गैर धर्म निरपेक्ष तत्वों का प्रभाव (Influence of non secular factors)

—भारतीय राजनीति पर गैर धर्म निरपेक्ष तत्वों का प्रभाव अत्यधिक रहा है। मुख्य रूप से ये तत्व हैं—जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र और भाषा। यद्यपि भारतीय परिभाषा जाति, धर्म, लिंग भाषा, क्षेत्र आदि किसी भी आधार पर नागरिकों में भिन्नता नहीं करता परन्तु फिर भी इनका प्रभाव भारतीय राजनीति पर अत्यधिक है और निर्वाचन प्रणाली सामाजिक व्यवहार और प्रशासन में इसे स्पष्ट देता जा सकता है। भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव का उल्लेख करते हुए प्रो. एम. के. श्रीनिवास लिखते हैं कि 'जाति को गौण रूप में और पूण रूप में इस तरह स्वीकार किया जाता है कि यह सवन् सामाजिक कार्य की इकाई है।' धर्म के प्रभाव का कुछ राजनीतिक दलों की बनावट में देखा जा सकता है। अनादी दल और मुस्लिम लीग धर्म पर आधारित हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो जन सभ का अभिन्न अङ्ग है हिन्दू राष्ट्रवाद पर आधारित है। साम्प्रदायिक दलों का मूल कारण यही धर्माधता है। "इस्लाम के भारतीयकरण" के तारे धार्मिक भावना के द्योतक हैं। क्षेत्रवाद और भाषावाद के रोग से तो भारतीय राजनीति अत्यधिक पीडित है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और छोटे छोटे राज्यों के निर्माण की मांग, राज्यों के सीमावर्ती भूगण्डे भाषावाद और क्षेत्रवाद के द्योतक हैं। भाषा की समस्या ने हिंदी भाषाई और अहिंदी भाषाई राज्यों में पर्याप्त बटुता पैदा की है जिसने हिसार आ दोलनो को भी जन्म दिया है। यद्यपि भारतीय राजनीति के ये तत्व राष्ट्रीय एकीकरण का माग में बाधा पहुँचाते हैं परन्तु इन्होंने राष्ट्रीय सभ्यता के समय राष्ट्रीयता के आधार को चौड़ा किया है उस सकीर्ण नहीं बनाया।

(३) विश्व का विशाल प्रजातंत्र (Largest Democracy in the World)

भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक विशेषता यह है कि यह प्रजातंत्रिक

हे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अपने नागरिका का वयम्ब मताधिकार प्रदान कर यह विश्व का विशाल प्रजातांत्रिक देश बन गया है। यद्यपि इसकी प्रजातांत्रिक प्रणाली अभी अपनी शिशु अवस्था में है फिर भी इसकी जड़े इतनी गहरी पठ गई हैं कि वह उन सबटो का क्षामा करने में सक्षम है जो समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं। जहाँ एशिया और अफ्रीका के अथ दशों की राज्य प्रातियों ने भूँतिक, सत्तावादी या अथ किसी प्रकार के अप्रजातांत्रिक शासनो को जन्म दिया है वहा भारत में जातिवाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायवाद, भाषावाद, राजनीतिक अस्थिरता, भीषण धरोजगागी, निबनता, निरक्षरता, आर्थिक विपमताओं, हिंसक घटनाओं और बाह्य तत्वों के प्रतिकूल होने पर भी यहा का प्रजातांत्रिक ढांचा जीवित है और न्यूनाधिक मात्रा में सफलता की ओर द्रमग अपसर हा रहा है। प्रजातांत्रिक मस्याओं में भारतीय जन की निष्ठा और आस्था तथा विश्वास ने ही "विनाश के मसीहा" (prophets of doom) की भारतीय प्रजातांत्रिक ढांचे की अमफलता की भविष्यवाणियों को गलत सिद्ध किया है। भारतीय जन सामाजिक और अर्थिक परिवर्तन का इच्छुक है परन्तु वह प्राति या हिंसक साधनों द्वारा छलाप नहीं लगाना चाहता वतिक वह सवधानिक साधना द्वारा परिवर्तन चाहता है। वह विवेक, विचार विमग और जनमत के प्रजातांत्रिक साधनों का ही प्रयोग करना चाहता है।

✓ भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्व (Determinants of Indian Politics)

भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वा को निम्न शीपका के अन्तगत अभिव्यक्त किया जा सकता है—

A जाति और राजनीति (Caste and Politics)

जाति का अर्थ—"गान्दिक रूप में जाति लटिन भाषा के शब्द 'कास्टस' (Custus) पुनगामी भाषा के शब्द 'कांस्टा (Casta) और संस्कृत भाषा के 'वर्ण' या 'जात' के अनुरूप ही है। परन्तु कांस्टा जातीय विगुद्धता और धातु वगितता को अभिव्यक्त करता है कांस्टा अभिजन को धोर वर्ण या जाति सामाजिक विभाजन को। इस तरह जाति एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें जाति गुद्धता पर धल किया जाता है और जावन यावन के नियमों को निर्धारित किया जाता है। जाति ही व्यक्ति के सामाजिक स्तर पर धोर काय को उमर खान पान, विवाह धामिक धनुधानों प्राति का निश्चय करती है। जाति परावन जातीय नियमों की उन्नयन को दण्डित करती है। जाति को उम उच्च (high and low) स्थान धामिक नियमों का प्रदान करता है। यद्यपि सामाजिक स्तर प्रभाव व्यक्ति निर्धारित

सामाज्यतया किसी जाति मे जन्म लेने के बाद व्यक्ति की स्थिति मे परिवर्तन सम्भव नहीं ।

जाति की परिभाषा भिन्न भिन्न लेखकों ने भिन्न भिन्न रूप से दी है । मजूमदार और मदन के लिये "जाति एक बन्द बग है", चातम, कूले के लिये "जाति पूणतया वशानुक्रम पर आधारित है", हावेल के लिये 'अ तर्बिवाह और आनुवशिक पद ही जाति है', माइवेल "धार्मिक विश्वासा, आनुवशिक सस्तरण, अ तर्बिवाह, व्यवसाय, कमकाण्ड, सस्वार, पूव निर्धारित स्थिति और नियन्त्रण पर आधारित सगठन को ही जाति मानता है ।" प्रो० फयरचाइल्ड के शब्दो मे 'जाति समरूप, सजातीय सामाजिक नियन्त्रण का सगठन है जिसके, विशेषकर धार्मिक शुद्धता के सम्बन्ध मे, अपने विशिष्ट कमकाण्ड होते हैं । प्रत्येक जाति या उप जाति को सरकार द्वारा उच्च या निम्न स्तर प्रदान किया जाता है जो उसकी उत्पत्ति, उसके तयारहित व्यवसाय और उसके नतिक नियमो की कठोरता और धार्मिक संहिता पर निर्भर करता है ।' संक्षेप मे, जाति ऐसा सजातीय समूह का योग है जिसका अपना नामकरण है, जिसकी सदस्यता वशानुगत है जिसके सामाजिक लेन देन के अपने नियम हैं, आदि ।

भारतीय राजनीति मे जाति (Caste in Indian Politics)—इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत मे जाति प्रणाली ने राष्ट्रीय प्रवृत्तियो को सबदा दुबल किया है और विघटनकारी तत्वो को बढावा दिया है । अत ऐतिहासिक अनुभव से लाभ उठाते हुए भारतीय सविधान निर्माताओ ने जाति प्रणाली के कलुपित प्रभावो को दूर करणे का प्रयास किया, सविधान को सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और भ्रानुत्व के सिद्धांता पर आधारित किया, पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर सयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया, वयस्क मताधिकार को कार्यान्वित किया, अस्पृश्यता को दण्डनीय अपराध बना दिया और किसी जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर नागरिको मे भिन्नताओ को गर कानूनी बना दिया, सावजनिक हिन्दू सस्थाओ के द्वार सभी जातियो के लिय खोल दिये आदि । भारत के सविधान की मरचना (Structure) और उसके द्वारा स्थापित की गयी सस्थाओ धर्म निरपक्षता पर आधारित हैं ।

उपर्युक्त तथ्या के बाद भी भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसे जातिवाद ने आच्छादित न किया हो, जैसाकि प्रो० एम० एन० श्री निवाम ने लिखा है कि, "गिक्षित भारतीयो मे यह सुविस्मृत धारणा है कि जाति अपनी क्षतिम सास ले रही है और नगरा मे रहने वाले पदिवमी गिक्षा प्राप्त उच्च वर्गों के सदस्य इससे बचन से मुक्त हैं । परन्तु ये दोनो धारणाएँ गलत हैं । य लोग भोजन सम्बन्धी प्रतिबन्धना का चाहे अनुसरण न करने हो, जाति और धर्म के बाहर विवाह करते हा, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि व जाति के बचन स पूणतया मुक्त हैं । आश्वयजनक सन्दर्भो मे वे अपने जातीय व्यवहार का प्रदर्शित

बरते हैं। भारत में जातीय व्यवहारों को राजनीति, सामाजिक लेन-देन और प्रशासन में देखा जा सकता है।

भारतीय संविधान जाति को महत्व नहीं देता और जाति के आधार पर भिन्नताओं को मनाही करता है परन्तु फिर भी भारतीय राजनीति जाति प्रस्त है। उदाहरणतया निर्वाचन प्रणाली मयुक्त है परन्तु फिर भी निर्वाचन में प्रत्यागियों का चयन, आर्थिक सामर्थ्य और राजनीतिक प्रभाव के अतिरिक्त जातीय भावनाओं से प्रेरित होता है। निर्वाचन में जातीय भावनाओं को उभारना गैर कानूनी है परन्तु फिर भी मता को प्राप्त करने के लिये सभी राजनीतिक दल जातीयता से अपील करते हैं और जातीय आधार पर मता को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। मतदाताओं को जाति की राय दिलाई जाती है। हरियाणा जैसे राज्यों में, निर्वाचनों के काल में इस प्रकार के नारे अक्सर सुनने को मिलते हैं 'जाट की बेटी जाट को, जाट का बेटा जाट को।'¹ मंत्रिमण्डलों का निर्माण भी, विशेषकर राज्यों स्तर पर, जातीय भावनाओं से प्रभावित रहा है। जब कभी किसी जाति को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ या उसकी जाति की जनसंख्या के अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व न मिला तो उस जाति के विधायकों ने पृथक बैठकें द्वारा गुटबंदी को जन्म दिया और मंत्रिमण्डल के अस्तित्व को अस्थिर बना दिया। अनेक बार तो उच्च से उच्च पद के लिए भी जातीय भावनाओं का आदर किया गया है विशेषकर अल्पसंख्यक जाति (मुस्लिम जाति) को प्रतिनिधित्व देने के लिये। इस तथ्य को धर्मनिरपेक्षता के रूप में भी देखा जा सकता है और जातीय सन्तुष्टिकरण के रूप में भी। राष्ट्रपति पद के लिये प्रत्यागियों के चयन में यह तत्व विद्यमान रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में तो इस परम्परा का विकास किया गया है कि एक न्यायाधीश मुस्लिम जाति का हो।² एक अन्य मामले में तो संविधान जातीय भावनाओं को बनाये रखने में सहायक है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कुछ सुविधाओं और संरक्षणों की व्यवस्था करता है। यद्यपि संविधान ने इसकी व्यवस्था 10 वर्षों तक के लिये की थी परन्तु इन जातियों के विकास और सामाजिक न्याय के नाम पर हमें इनके लिये बनाये रखना जातीय भावनाओं का दमन करना नहीं बल्कि उनको प्रोत्साहन और बढ़ावा देना है। "मत बैंक" (Vote Bank) के रूप में इसका प्रयोग तो अत्यधिक खतरनाक है। उड़ीसा और मध्यप्रदेश राज्यों में, जहाँ इन जातियों की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या के एक तिहाई भाग से अधिक है इन जातियों के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीति में जाति के प्रभाव का बढ़ने का मूल कारण यही

1 दक्खिने, वर्यप मुभाय दल बदल और राज्यों की राजनीति, पृ० 112

2 ऐसी परम्परायें जो बस जाति पर आधारित होती हैं वे सामाजिक या राजनीतिक दलों को मुहठ नहीं करती बल्कि वे अतन्त जातीय अनुगत का माग बढ़ावा देना हैं।

है। एम० ए० श्रीनिवास ने ठीक निर्यात है कि "जाति को गण रूप में और पूरा रूप में इस तरह स्वीकार किया जाता है, उनके द्वारा भी जो इसकी निंदा करने में अत्यधिक सन्निह हैं कि यह सवत्र सामाजिक काय की इकाई है।"

हिंदू समाज, हिंदू जीवन और व्यवहार में जाति का प्रभाव व्यापक रहा है। परन्तु आज यह कवल परम्परागत वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र) तक ही सीमित नहीं बल्कि उन अग्रगण्य जातीय, उप जातीय, समूह, समुदायों और सघों में व्याप्त है जो भारतीय समाज के अन्तर्गत हैं। जातियाँ और उप जातियों के ये भिन्न-भिन्न समूह समुदाय और सघ ही भारतीय राजनीति के भिन्न-भिन्न स्तरों और चरणों को प्रभावित करते हैं। वयस्क मताधिकार और निर्वाचन प्रणाली ने इन जातियाँ और उप जातियाँ को उस महान शक्ति का आभास करा दिया है जिसका वे उपभोग करते हैं। आज ये जातियाँ उस महान शक्ति के प्रति जागरूक हैं, वे राजनीति में इसका प्रयोग करती हैं और मंत्रिमण्डल में अपने प्रतिनिधित्व की माँग करती हैं। सत्ता और पदों को प्राप्त करने के लिये वे सौदवात्री भी करती हैं। इतना ही नहीं, राजनीति में वे जातियाँ अपने पृथक अस्तित्व और पहचान को बनाये रखने की इच्छुक हैं। विधायक (प्रतिनिधि) जाति के सदस्यों की, पृथक बैठक का आयोजन करते हैं और फिर 'गुट' के रूप में मंत्रिमण्डल, प्रशासन और राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। स्पष्ट है कि जो असंग्य जातियाँ अभी तक गौण थीं और जो राजनीति से वंचित थीं वे आज उभर रही हैं और राजनीति में अपने स्थान की माँग करती हैं। इन जाति समूहों, समुदायों और सघों ने उच्च जाति के रिवाजों, रीतियों, विश्वासों, विचारों और जीवन के ढंग का भी अपना शुरुआत किया है। इस तरह राजनीति पर जो गपीती अभी तक शिक्षित, प्रबुद्ध वर्गों और उच्च स्तर के लोगों की थी उस पर निम्न स्तर की जातियाँ भी अपना दावा प्रस्तुत कर रही हैं। प्रो० श्रीनिवास ने ठीक लिखा है कि "जाति की शक्ति और क्रिया उस अनुपात में बढ़ी जिस अनुपात में शासकों के हाथों से राजनीतिक सत्ता लोगों के हाथों में हस्तांतरित होने लगी।"

जाति और राजनीति एक दूसरे पर क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ कर रही हैं। न केवल जाति ने राजनीति को प्रभावित किया है बल्कि राजनीति भी जाति को परिवर्तित कर रही है और उसकी दृढ़ता और सत्तरण (solidarity and hierarchy) पर प्रभाव डाल रही है। जो जाति अपने सामाजिक स्तरीकरण के प्रति जागरूक है और अपने सदस्यों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये दृढ़ सकल्प है और सामाजिक आन्दोलन को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं, वह राजनीति में अधिक क्रियाशील सिद्ध हो रही है। ऐसी जानियाँ ही राजनीतिक सत्ता में साझेदार बनना चाहती हैं और अपने हिस्सों की (मंत्रिमण्डल, सदन प्रशासन आदि में) माँग करती हैं। दूसरी ओर धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और ससदात्मक विचार-विकास ने जाति के प्रभाव का नम किया है।

जयप्रकाश नारायण के इस कथन में अतिशयोक्ति ही सकती है कि "भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है।" ¹ परन्तु इसके सत्यापन पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। आज प्रत्येक राजनीतिक दल का साम्यवादी दल सहित, सत्ता को प्राप्त करने के लिये एक या अनेक जातियों से समझौता करना पड़ता है। जैसाकि प्रो० हरिसन ने लिखा है कि केरल में, सत्ता का प्राप्त कराने में साम्यवादी दल की सफलता के पीछे 'भाषाई सीमाओं के अतगत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जाति लाबिया को जोड़ तोड़ करने की उसकी योग्यता थी।

राजनीति के राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जाति का प्रभाव भिन्न भिन्न रहा है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव गौण रहा है तो राज्यीय और स्थानीय स्तरों पर इसका प्रभाव अत्यधिक रहा है। जैसाकि ब्रेकर ने लिखा है कि 'अखिल भारतीय स्तर पर जाति के प्रभाव को विनाश पर देखा जा सकता है।' परन्तु भारत का कोई भी राज्य इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और मध्यप्रदेश तो इस रोग से पीड़ित हैं। जातियों ने ही राज्या में 'गुट' राजनीति और "दलदल" राजनीति को जन्म देकर मंत्रिमण्डलों और नवतृत्व की स्थिरता को अस्थिर बनाया है। इन स्तरों (राज्य, जिला, पंचायत) पर ही जातियों का राजनीतिकरण हुआ है। जैसाकि रजनी कोठारी ने लिखा है कि "यह राजनीति नहीं जो जाति प्रस्त है, बल्कि यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हुआ है।"

जातीय ढांचे में राज्यों की राजनीति में द्वि-पक्षीय ढांचे को जन्म दिया है। उत्तराखण्ड तथा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ब्राह्मण वनाम गुरु बाह्य गुट, राजस्थान में राजपूत वनाम जाट गुट, गुजरात में बनिया-ब्राह्मण वनाम पतिदार गुट, बिहार में कायस्थ वनाम राजपूत गुट आंध्र प्रदेश में कामा वनाम रेड्डी गुट, केरल में नाय्यर वनाम एजहावा (Ezhava) गुट स्पष्टतया विद्यमान हैं। ये जातीय गुट राज्यों की राजनीति को प्रभावित ही नहीं करते बल्कि उसे निर्धारित भी करते हैं।

अनेक जातियों ने अपने हितों की रक्षा हेतु या तो पृथक राजनीतिक दलों का निर्माण किया है या किसी दल के सदस्य रह कर ही उसमें जातीय-गुट का निर्माण किया है। उत्तराखण्ड तथा डा० बी० आर० अम्बेदकर ने अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु रिपब्लिकन दल का निर्माण किया, पंजाब का अक्वाली दल सिक्ख धर्म और जाति पर आधारित है। बिहार में भरकन्द दल, असम में अॉन हिल पार्टी लीडर काफे'म महाराष्ट्र में महार गुट राज्यों की राजनीति पर

1 'Caste is the most important political party in India Narayan Jay Prakash Quoted by Palmer, Norman D Ibid p 13

2 Kothari, Rajni Ibid p 243

अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। इतना ही नहीं जातीय शिक्षा के द्रा, जातीय छात्रावासों जातीय कौशो आदि द्वारा भी जातीय भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। वनमान समय में तो धार्मिक स्थानों, धार्मिक गुरुओं का प्रयोग भी जातीय हिता की रक्षा हेतु किया गया है। जहाँ मस्जिदों, मठों, मस्जिदों, गुरुद्वारों आदि धार्मिक संस्थाओं का प्रयोग राजनीति के लिये किया गया है, वहाँ इन संस्थाओं का प्रयोग जातीय भावनाओं को स्थायी बनाय रखने के लिए भी किया गया है।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में जाति की अत्यधिक भूमिका है। जसाकि मोरिस जोस ने लिखा है कि "राजनीति के लिये जाति अत्यधिक महत्वपूर्ण है और जाति के लिये राजनीति पहले से अधिक महत्वपूर्ण है।" एक अन्य स्थान पर मोरिस जोस ने लिखा है कि "उच्च नेतृत्व चाहे जाति मिहीन समाज की घोषणा करे परन्तु ग्राम के लोग, जिन्हें नवीन मताधिकार प्राप्त हुआ है, केवल परम्परा की राजनीति की भाषा जानते हैं जो जाति के इतिहास की धूमती है।

यह सत्य है कि जाति ने प्रजातंत्रिक, धर्म निरपेक्ष मूल्यों को शिथिल किया है, विघटनकारी तत्वा को बढ़ावा दिया है, गुटबन्दी और दल बदल राजनीति को जन्म दिया है। राष्ट्रीय एकता की भावनाओं में बाधा डाली है, योग्यता और कुशलता के स्थान पर सामूहिक बकाशारियों को बढ़ावा दिया है, सावजनिक सेवा के स्थान पर सकीण स्वाश्रय भावनाओं को जन्म दिया है। जातीय भावनाओं द्वारा उत्पन्न की गयी ये बातें भ्रष्टता करने योग्य हैं और इनकी भ्रष्टता की गयी है परन्तु फिर भी एक दृष्टि में वनमान परिस्थितियों में जाति ने ससजन (cohesion) को जन्म दिया है। जब राष्ट्र परिवर्तन की स्थिति में है, नेतृत्व की कमी और करनी में अन्तर है, तनाव उग्र रूप धारण कर लेते हैं, समझौता का सही समाधान नहीं हो पाता तथा उपलब्धियों और आशाओं में गम्भीर अन्तर विद्यमान रहता है तो सामाजिक संरचना को किसी ऐसे तत्व की आवश्यकता होती है जो तनाव अवशोषण (tension absorber) के रूप में कार्य कर सके। उस समय भारत में जाति ठीक यही कार्य कर रही है। जसाकि प्रो० एडोल्फ ने लिखा है कि "राजनीति में जाति को गम्भीर रूप से गलत समझा गया है और इसकी सकारात्मक भूमिका की उपेक्षा की गयी है।"

B धर्म और राजनीति या साम्प्रदायिकता (Religion and Politics or Communalism)

भारत बहुजातियों, बहुधर्म के पालन करने वाला ही भूमि है। इसमें हिन्दू, मुस्लिम सिक्ख ईसाई पारसी, आर्य भारतीय, आदि अनेक जातियाँ निवास करती हैं। महा हिन्दुओं की बहुतायत है और अन्य जातियाँ अल्प संख्या में हैं। इस परिस्थिति में यह स्वाभाविक है कि जो जाति भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन से प्रभावित है वह राजनीतिक जीवन में भी प्रभावित हो। परन्तु फिर भी

भारत के संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय एकता की अनुरक्ति के रूप में देखा और अनेकता में ही एकता की उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, भारत के संविधान निर्माता भिन्न धर्मों का पालन करने वाला म धार्मिक सहिष्णुता की भावना पैदा करना चाहते थे। अतः उन्होंने धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की, सभी को कानून का समान मर्यादा प्रदान किया, सभी को कानून के समक्ष समान समझा, जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया गया साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और गुम्हार पद्धति के स्थान पर समुक्त निर्वाचन प्रणाली और वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया।

परन्तु धर्म निरपेक्षता के बाद भी भारतीय राजनीति धर्म और साम्प्रदायिकता से प्रभावित है, राष्ट्रीय नेता धार्मिक सहिष्णुता की बात तो करते हैं परन्तु साम्प्रदायिकता के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं। साम्प्रदायिक भावना को अनक दला की रचना और स्वरूप में देखा जा सकता है। अकाली दल सिन्धु धर्म और पंजाबी भाषा के मूल्यों पर आधारित है मुस्लिम लीग मुस्लिम सम्प्रदाय के हितों की रक्षा करने की इच्छुक है, हिन्दू महासभा हिन्दूवाद के मूल्यों को पुनर्जीवित करना चाहती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंच हिन्दू राष्ट्रवाद पर आधारित हिन्दू राज की स्थापना के लिये दृढ़ संकल्प है। अनेक कारणों से राष्ट्रीय दलों की नीतियाँ भी साम्प्रदायिकता से प्रभावित होती हैं।

साम्प्रदायिक दंगे (Communal riots)—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ वर्षों तक भारत की जातियों में सहिष्णुता का वातावरण बना रहा, परन्तु 1961 से साम्प्रदायिकता की भावनाएँ फिर प्रबल होनी लगीं जिन्होंने साम्प्रदायिक दंगों का रूप ग्रहण कर लिया। कभी तो ये दंगे गाय की हत्या को लेकर किये गये, कभी पगम्बर मुहम्मद के पवित्र बाल को लेकर किये गये कभी हिन्दू लड़की के धर्म परिवर्तन और मुस्लिम युवा से शादी को ले कर किये गये, कभी हिन्दू प्रदर्शनों पर मुसलमानों द्वारा पत्थर फेंकने को लेकर किये गये और कभी कभी तो हिन्दू मुस्लिम विद्यार्थियों के पारस्परिक झगड़ों को लेकर दंगे किये गये।

सन् 1961 से आज तक लगभग प्रतिवर्ष अनेक साम्प्रदायिक दंगे होते रहे हैं। सबसे प्रथम यह दंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिन्दू मुस्लिम विद्यार्थियों के झगड़ों को लेकर साम्प्रदायिक दंगे हुए जिनका प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों पर भी पड़ा। सन् 1963 में श्रीनगर में हजरत बाल मस्जिद में पगम्बर मुहम्मद के पवित्र बाल के काण्ड पर साम्प्रदायिक दंगे हुए। यद्यपि पवित्र बाल वाद में मिल गया परन्तु जातियों में तनाव की स्थिति लंबे समय तक बनी रही। अक्टूबर 1966 में महाराष्ट्र में वशीम नामक स्थान पर एक ब्राह्मण लड़की के धर्म परिवर्तन के बाद एक मुसलमान से विवाह करने पर साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ आयी। सन् 1969 में साम्प्रदायिक दंगा की बुल सत्ता

519¹ थी। सन् 1969 के इलाहाबाद दंगों में मरने वालों की संख्या 600 से 1200 तक थी। सन् 1970 में बम्बई के निकट भिवण्डी में साम्प्रदायिक दंगे हुए। सन् 1973 में दिल्ली में सदर बाजार के वारा हिन्दू राव क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगे हुए। इस तरह प्रतिवर्ष साम्प्रदायिक दंगों का ताता लगा रहा है।

साम्प्रदायिकता के कारण—भारत में साम्प्रदायिकता विद्यमान होने के अनेक कारण हैं जिन्हें निम्न बिंदुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—

(i) मुसलमानों की धर्मांधता—स्वतंत्र भारत में साम्प्रदायिकता विद्यमान होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि जहां भारत की अल्प अल्प संख्यक जातियों ने अपने आपको राष्ट्रीयता की लहर के साथ समन्वित कर लिया है वहां भारतीय मुसलमानों ने अभी तक अपने आपको इस लहर में समन्वित नहीं किया। मुसलमानों की धर्मांधता तो इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि संवैधानिक अधिकारों का उपभोग करते हुए भी उन्होंने दिसम्बर 1970 के दिल्ली मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन में अल्प संख्यक जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा उद्घोष की रक्षा सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिये सुरक्षित स्थानों, आदि की मांग की। इसमें इस बात पर भी बल दिया गया कि मुस्लिम कानून में कोई परिवर्तन न किया जाय अलीगढ़ विश्व विद्यालय की वर्तमान स्थिति को बनाये रखा जाय। और तो और, इस सम्मेलन के निर्वाचन कानून में परिवर्तन कर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की स्थापना की मांग की। इस सम्मेलन में मुसलमानों के भिन्न भिन्न संगठनों में ताल मेल बैठाने के लिये एक अखिल भारतीय मुस्लिम राजनीतिक परामर्श समिति की स्थापना की तथा मुसलमानों को सकट ग्रस्त जातियाँ (प्रनुसूचित एवं पिछड़ी हुई जातियाँ) से सहयोग की अपील की। मुसलमानों के हितों की रक्षा हेतु "मुस्लिम सेना" का संगठन भी किया गया। भारतीय मुसलमानों द्वारा इस प्रकार की मांगों को प्रस्तुत करना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है।

(ii) हिंदू कट्टरता—यदि मुस्लिम धर्मांधता भारत में साम्प्रदायिकता के लिये उत्तरदायी है तो हिंदुओं के कुछ संगठन भी इसके लिये कम उत्तरदायी नहीं। हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और शिव सेना जैसे संगठन हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। यदि बलराज मधोक इस्लाम के भारतीयकरण का नारा बुलंद करते हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिंदी भाषा, हिंदू संस्कृति और अखण्ड भारत की बात करता है तो शिव सेना के बाल ठाकरे कट्टर हिंदू होने में ही अपनी शान और भारत की आन समझते हैं।

(iii) सरकार की उदासीनता—भारत में साम्प्रदायिकता के लिये सरकार की उदासीन नीति भी उत्तरदायी रही है। उदाहरणतया साम्प्रदायिक दंगों का निष्पक्ष और तार्किक विश्लेषण करने के स्थान पर कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने सबदा विरोधिया

विशेष कर जनसाध और राष्ट्रीय स्वयं सेवक साध को ही इसके लिये उत्तरदायी ठहराया। दूसरे सरकार ने साम्प्रदायिकता के गढ़ अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय को अभी तक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान नहीं किया। तीसरे हिंदू कानून में परिवर्तन करने का वाद भी मुस्लिम कानून में अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया। चौथे, शकट या युद्ध काल में यद्यपि भारतीय मुसलमानों ने अपनी राष्ट्रीयता का परिचय दिया फिर भी 'नागरिक सुरक्षा' की कानूनी बाहिया में उन पर विश्वास नहीं किया गया। पाँचवें सरकार ने आज तक साम्प्रदायिक सगठनों समूहों और दलों को गैर कानूनी घोषित नहीं किया। छठे, सत्ता में बने रहने के लिये या उन प्राप्त करने के लिये साम्प्रदायिक भावनाओं के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाना खतरे से खाली नहीं और यदि शक्ति सन्तुलन के रूप में इसका प्रयोग किया गया तो प्रजातन्त्र और धर्मानिरपेक्षता दोनों पर आघात करेगा।

(iv) आर्थिक कारण—भारतीय मुसलमानों में असंतोष का एक कारण यह भी है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दुबल है। वस्तुतः मुसलमानों की धर्मावना उनकी आर्थिक दुदशा के लिये उत्तरदायी है परम्परा से विपन्न रहने के कारण उन्होंने आधुनिकता को नहीं अपनाया। परिणामस्वरूप वे न तो शिक्षा और न तकनीक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में विकास कर सके हैं। यहाँ कारण है कि प्रशासन, व्यापार और उद्योग में उन्हें पर्याप्त स्थान प्राप्त नहीं हुए। उनका आर्थिक विद्रोह उन साम्प्रदायिक विस्फोट में फूट पड़ता है।

(v) पाकिस्तान का दूषित प्रचार—पाकिस्तान का दूषित प्रचार भी भारत में साम्प्रदायिकता के लिये उत्तरदायी है। रेडियो प्रसारण, भाषणों और पत्रिकाओं द्वारा भी पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों को भड़काता रहता है। उदाहरण तया पगम्बर मुहम्मद के पवित्र बाल काण्ड के समय पाकिस्तान ने कश्मीर के मुसलमानों को हड़ताल, उपद्रवों आदि के लिये भड़काया। साम्प्रदायिक नीति और हिंदुओं के प्रति वैमनस्य का प्रचार पाकिस्तान की विदेश नीति के प्रमुख तत्व रहें हैं।

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या अत्यंत गम्भीर है और उसका सही समाधान होना राष्ट्रीय स्वतंत्रता, एकता और अखण्डता के लिये अनिवार्य है। परन्तु साम्प्रदायिकता का आधार पर यह कहना कि भारतीय धर्म निरपेक्षता में उसका सामना करने की क्षमता नहीं, वास्तविकता से अर्धे मूढ़ना है। डॉनोल्ड ई० स्मिथ के इस विचार से सहमत होना कठिन है कि 'धर्म से व्याप्त समाज में धर्म निरपेक्षता का विकास अमम्भव या आशाजनक नहीं।' वस्तुतः भारतीय धर्म निरपेक्षता में साम्प्रदायिक विपत्तियों का अपने में समा जाने की शक्ति है। बाह्य शक्तों और आक्रमणों के समय भारतीय नागरिकों ने जो राष्ट्रीय एकता और मुहूर्त का परिचय दिया है वह अद्वितीय है। धर्म निरपेक्षता ने धार्मिक सहिष्णुता के साथ राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न किया है।

C क्षेत्रवाद (प्रादेशिकता) और राजनीति (Regionalism and Politics)

अर्थ और स्वरूप—क्षेत्रवाद एक राजनीतिक शब्द है। साधारण भाषा में क्षेत्र का अर्थ किसी देश के प्रादेशिक भाग से लिया जाता है जिसको स्थानीय प्रशासनिक एकाइयों (पंचायत, नगरपालिका, निगमा, आदि) से अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है। वस्तुतः क्षेत्र का अर्थ और स्वरूप बहुत कुछ देशकाल पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय मद्दे में इससे अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे पृथक स्वतंत्र सावभौम राज्य की मांग। कुछ समय पूर्व तक डी० एम० के० का उद्देश्य पृथक द्राविड नाद के रूप में स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना था। पंजाब का अकाली दल भी पृथक खानिस्तान (a homeland for Sikhs) की कल्पना करता था। मिजोस और नागाओं ने भी पृथक स्वतंत्र राज्यों की मांग की थी। क्षेत्रवाद का अर्थ “पूर्ण स्वायत्तता से भी हो सकता है अर्थात् केन्द्रीयकरण की प्रवृत्तियों को कम कर विनेन्द्रोद्भूत प्रवृत्तियों का विस्तार किया जाय। तमिल नाडु और उसके मुगल मंत्री कल्याणनिधि आत्र भी राज्यों के लिये पूर्ण स्वायत्तता की मांग को दोहराने हैं। क्षेत्रवाद का अर्थ “पृथक पहचान (a separate identity) को बनाय रखने से भी हो सकता है जहाँ क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक जातीय, धार्मिक भाषाई नस्ल परम्परा आदि को बनाये रखने की इच्छा। उदाहरणतया भारतीय नागरिकता का उपभोग करते हुए भी भारतीय नागरिक पंजाबी, राजस्थानी, विहारी, बंगाली, मद्रासी, गुजराती, मराठी, आदि कहलाना अधिक प्रसन्न करता है। क्षेत्रवाद लोग के किसी क्षेत्र विशेष से प्रेम को भी अभिव्यक्त करता है। यह क्षेत्र अनेक भावनाओं में उत्पन्न होता है जैसे (i) क्षेत्र विशेष के लोग को वर्तमान शासकों से न्याय की प्राप्ति की आशा न हो (ii) वर्तमान शासकों द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की निरन्तर उपेक्षा जो अतः वर्तमान शासकों के प्रति घृणा उत्पन्न कर पृथकता की भावना को जन्म देती है (iii) क्षेत्र विशेष के लोग की बढ़ती हुई राजनीतिक आकांक्षाएँ, (iv) क्षेत्रीय नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षायें और क्षेत्र विशेष पर नियंत्रण को सुदृढ़ करने की उनकी इच्छा, आदि।

क्षेत्र में जहाँ क्षेत्रीय भावनाएँ बलवती होती हैं वहाँ राष्ट्रीय भावनाएँ सुदृढ़ नहीं हो सकती राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध मधुर नहीं हो सकते, भाषा, संस्कृति और सीमा के प्रश्न अनावश्यक महत्त्व ग्रहण कर लेते हैं और राज्यों में विभाजन स्वार्थों चौड़ी हो जाती हैं।

भारत में क्षेत्रवाद और राजनीति—जातिवाद की भाँति क्षेत्रवाद भी भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषता है। वस्तुतः भारत एक बहु भाषाई, बहु संस्कृतिया और बहु राष्ट्रीयतावाला राष्ट्र रहा है। इसमें अनेक उप राष्ट्र भी निवास करते हैं। प्रत्येक का अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और नेता रहे हैं। प्रत्येक अपनी संस्कृति को उच्च समझता है और दूसरे की संस्कृति

आधिपत्य को न तो स्वीकार करने के लिये तैयार है और न ही अपना न के लिये तैयार है । प्रत्येक अपनी राष्ट्रीयता में गौरव का अनुभव करता है उसके पृथक् अस्तित्व (पृथक् राजनीतिक पहचान) को बनाय रखना चाहता है ।

क्षेत्रवाद द्वारा उत्पन्न समस्याएँ—क्षेत्रवाद न भारत में अनेक समस्याओं को उत्पन्न किया है जिनमें प्रमुख हैं—

- (i) सघ से पृथक् स्वतंत्र राज्या की माग
- (ii) सघ के भीतर पूरा राज्यता (statehood) की माग
- (iii) अतः राज्याय विवाद
- (iv) क्षेत्रीय संगठन

(i) सघ से पृथक् स्वतंत्र राज्या की माग—सघ से पृथक् होने की जिन मागों को क्षेत्रवाद ने उत्पन्न किया है उनमें मुख्य निम्न हैं —

A. खालिस्तान की मांग (Demand for a homeland for Sikhs)— देश के विभाजन से पूर्व भी मास्टर तारा सिंह ने सिक्खों के लिये पृथक् राज्य की माग को प्रस्तुत किया था परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे प्रथम सिक्ख प्रांत की माग नवम्बर 1949 में प्रस्तुत की गयी । यह माग इस मायना पर आधारित थी कि पूर्वी पंजाब के हिन्दू अत्यन्त सम्प्रदायवादी हो गये हैं और सिक्खों को उनसे शान्ति प्राप्त की आशा नहीं । सन् 1956 में राज्या के पुनर्गठन में समस्या को जटिल बना दिया क्योंकि पंजाब को द्विभाषी (Bilingual) राज्य घोषित कर दिया था । परिणामस्वरूप पंजाबी भाषा दोनो शुरू किया गया । जिसका विरोध ग्राम समाज और जनसघ ने 'हिन्दी आन्दोलन' को शुरू करके किया । पंजाबी भाषा की आड़ में प्रकाली दल धार्मिक दृष्टिकोण से ठोस सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता था । यह माग निश्चित ही भारत के धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों के विपरीत थी । पंजाबी सूबे की माग ने महापंजाब (हिमाचल और पच्छिम सहित) की माग को जन्म दिया । दोनो पक्षों ने अपनी मागों के समर्थन में हड़ताल, प्रदर्शन, उपवास आदि का आयोजन किया । जब सत पतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्वीकृति के लिये 25 सितम्बर, 1966 की तिथि निश्चित कर दी अथवा वह अग्निदाह द्वारा अपने शरीर का अंत करेगा तो स्थिति ने गम्भीर रूप धारण कर लिया । परिणामस्वरूप 1966 में पंजाब का विभाजन कर दो राज्या पंजाब और हरियाणा का निर्माण किया गया । जिन मागों को नेहरू ने अपने लम्बे प्रधान मंत्री काल में स्वीकार नहीं किया इंदिरा गांधी ने प्रधान मंत्री बनने के दो महीने के अन्दर ही स्वीकार कर लिया । पंजाब के विभाजन के बाद भी समस्या का पूरा हल न हो सका और चण्डीगढ़ दोनों राज्यों के बीच गम्भीर विवाद का विषय बन गया । यद्यपि दान सिंह फरीमान को चण्डीगढ़ प्राप्त करने के लिये अपना बलिदान देना पड़ा (इंदिरा गांधी के पक्ष निर्णय ने चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया और फाजिल्का हरियाणा को) परन्तु न तो चण्डीगढ़ अभी पंजाब की पूणतया मिला है (हरियाणा की

राजधानी अभी चण्डीगढ़ ही है) और न फाजिलका ही हरियाणा को प्राप्त हुआ है।

पाकिस्तान से प्रोत्साहन पाकर डा० जगजीतसिंह जैसे कुटुंबसिख भारत स पृथक 'समाजवादी प्रजातांत्रिक सिक्ख राज्य' (Socialist democratic state) की स्थापना करने के इच्छुक थे। इस उद्देश्य से डा० जगजीत सिंह ने विदेशों में दारा भी किया। ननकाना साहिब (गुठनानक का ज म स्थान जो अब पाकिस्तान में है) में 'विद्रोही सिक्ख सरकार' (Rebel sikh government) की स्थापना करने की योजना भी बनाई गयी। पाकिस्तान ने ननकाना साहिब को इटली में वेटिकन नगर की भांति स्तर देने का आश्वासन भी दिया। परंतु डा० जगजीत सिंह को न तो विदेशों से और न ही सत फनेह सिंह के अकाली दल से समयन प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं डा० जगजीत सिंह को अकाली दल से बाहर निकाल दिया गया। अतः पृथक समाजवादी प्रजातांत्रिक सिक्ख राज्य की कल्पना अपने आप समाप्त हो गयी।

B स्वतंत्र द्राविडनाद की मांग—क्षेत्रवाद द्वारा उत्पन्न की गयी एक अथ समरथा स्वतंत्र द्राविडनाद की मांग थी। सन 1960 में डी० एम० के० ने भारत में पृथक तमिलनाडु नाम से पृथक राज्य की मांग की। कुछ समय बाद डी० एम० के० ने दक्षिण के चार राज्यों (मद्रास तमिलनाडु), आंध्र केरल और मैसूर (करनाटक) को भारत सघ में पृथक कर एक स्वतंत्र द्राविडनाद गणराज्य की स्थापना की मांग की। नेहरू ने इस मांग का कड़ा विरोध किया और विघटनकारी तत्वा को गैर कानूनी ठहराने के लिये अक्टूबर 1963 में संविधान में छठा संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद डी० एम० के० ने अपने दल के संविधान में परिवर्तन कर लिया और भारत सघ से पृथक द्राविड नाद राज्य की स्थापना की मांग पर भारत राज्य के अंदर द्राविड गूनियन की मांग करना शुरू कर दिया। आज तमिलनाडु राज्य के मुख्य मंत्री श्री वरुणानिधि और डी एम० के० राज्या के लिये स्वायत्तता, अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और पृथक ध्वज की मांग करते हैं।

C मिजो राज्य की मांग—असम की मिजो पहाड़ियों के लोगों ने मिजो राष्ट्रीय मोर्चे (Mizo national front) के तत्वाधान में स्वतंत्र मिजो राज्य की स्थापना के लिये एक प्रादोलन शुरू किया। इतना ही नहीं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मिजो लोगों ने छापामार लड़ाई का भी सहारा लिया। क्योंकि मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के सदस्य चीन और नागा के साथ लीग में थे अतः उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। परिणामस्वरूप मिजोस ने असम की कचार (Cachar hills) पहाड़ियों और केन्द्र प्रशासित प्रयोग त्रिपुरा में अपनी गतिविधियों को शुरू कर दिया। सरकार को भी उनकी गतिविधियों का दमन करने के लिये बठोर बन्म उठाने पड़े। अतः मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के नेताओं ने प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी को एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने मिजो राज्य के निर्माण की सहायता पर बल दिया। मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के तीन सदस्यों का एक विधिमण्डल उसने नेता चुना था

मे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जनवरी 1971 को मिला। अंत मिजो लोग की आकांक्षाओं का आदर करते हुए 21 जनवरी, 1972 को मिजोरम नाम से क्षेत्र प्रशासित प्रदेश का निर्माण कर दिया गया।

D नागा राज्य की मांग—असम की नागा पहाड़ियों ने नागाओं के नागा राष्ट्रीय परिषद् (Naga national council) के तत्वाधान में स्वतंत्र नागा राज्य के निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया। इस आंदोलन का प्रमुख नेता जापो फिजो (Zapo Phizo) था। अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नागा राष्ट्रीय परिषद् ने सन् 1950 में स्वतंत्र नागा राज्य के निर्माण के लिये जनमत संग्रह (plebiscite) का आयोजन किया और 99 प्रतिशत नागाओं ने स्वतंत्र नागा राज्य की मांग का समर्थन किया। नागा राष्ट्रीय परिषद् ने 1952 के निर्वाचनों का बहिष्कार कर नागा स्वतंत्र राज्य की मांग को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की धमकी भी दी। परन्तु सेना की सहायता से विद्रोहिया का दमन कर दिया गया।

दूसरी ओर देश भक्त नागाओं ने, जो फिजो की विद्रोहात्मक कायदाहिया में विश्वास नहीं करते थे, अगस्त 1957 में कोहिमा में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें यह प्रस्ताव पास किया गया कि नागा क्षेत्रों को मिलाकर, असम राज्यपाल के अधीन, एक पृथक प्रशासनिक इकाई का निर्माण कर दिया जाय। नागाओं के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने जुलाई 1960 में नागा लोक सम्मेलन (Naga peoples convention) से एक समझौता किया और 1962 में नागालैण्ड व पृथक राज्य की घोषणा कर दी गयी। 1 दिसम्बर, 1963 को नागालैण्ड के नये राज्य का उद्घाटन कर उसे देश का सोलहवाँ राज्य बना दिया गया। फिजो इंग्लैंड भाग गया। यद्यपि फिजो ने विदेशी राज्यों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की परन्तु उसे इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। नागालैण्ड के राज्य निर्माण के बाद स्वतंत्र नागालैण्ड राज्य की मांग प्रायः शिथिल होती गयी और आज यह मृत सी हो गयी है।

E मेघालय का निर्माण—मिजो और नागा पहाड़ियों के लोग की भाँति असम की गारो, खासी, जैन्तिया और उत्तर कंचार के नेताओं ने पृथक राज्य के निर्माण के लिये अपने आपकी ऑल पार्टी हिल लीडर्स सम्मेलन (All party hill leaders conference) में गठित किया। अंततः जनवरी 1972 में उनकी मांग का स्वीकार कर लिया गया।

F अन्य समस्याएँ—क्षेत्रवाद ने केवल उपयुक्त समस्याओं को ही उत्पन्न नहीं किया बल्कि अन्य घनत्व एभी समस्याओं को भी उत्पन्न किया है जो न तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता और अखण्डता के लिये शुभ हैं, न ही भारतीय राष्ट्रियता के लिये न ही राज्यों में पारस्परिक सौहार्द की भावनाओं के विकास के लिये और न ही आंतरिक एकता, और व्यवस्था के लिये और न आर्थिक विकास के लिये ही शुभ बनी जा सकती है। इनमें से प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं —

(i) पूरा राज्यता की मांग या छोटे छोटे राज्यों के निर्माण की मांग—क्षेत्रवाद ने छोटे छोटे राज्यों के निर्माण की मांग को बढ़ावा दिया है जो न तो आर्थिक और न ही राजनीतिक और सामाजिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से सभ्य कहे जा सकते हैं। पृथक् राज्यों की मांग का कहीं अन्त भी नहीं दिखाई देता। जब किसी क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो उस या अन्य क्षेत्रों में पूरा राज्यता की मांग बलवती हो जाती है जिस असम में क्वारथी पहाड़िया में रहने वाले बगाली, आंध्रप्रदेश में तेलगाना क्षेत्र में रहने वाले लोग, गुजरात की डांग और उबला जातियाँ में पृथक् राज्यता की मांग आज भी विद्यमान है। इसी प्रकार आंध्रप्रदेश, पश्चिम की तराई वाले क्षेत्र में छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश में बुंदेलखण्ड की मांगें भी विद्यमान हैं। जब 1970 में हिमाचल प्रदेश और 1972 में त्रिपुरा और मणिपुर क्षेत्र प्रशासित प्रदेशों के लिये पूरा राज्यता की मांग को स्वीकार कर लिया गया तो यह मांग दिल्ली में भी प्रस्तुत की गयी। परंतु दिल्ली की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया।

(ii) अन्त राज्यों विवाद—क्षेत्रवाद ने अन्त राज्यों विवादों को जन्म दिया है। जिसने न केवल सम्बन्धित राज्य में कटुता के बीज बोये हैं बल्कि सम्बन्धित राज्यों की शान्ति को भी भंग किया है। मैसूर (करनाटक) और महाराष्ट्र के सीमा विवाद और चण्डीगढ़ के प्रश्न का अभी तक कोई सन्तोषजनक हल नहीं निकल पाया।

(iii) क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण—क्षेत्रवाद ने ऐसे क्षेत्रीय संगठनों को जन्म दिया है जो किसी दृष्टिकोण से राष्ट्रवादी के लिये शुभ नहीं कहे जा सकते। उदाहरणतया महाराष्ट्र में 'शिव सेना' और असम में "ललित सेना" ऐसे ही संगठन हैं जो कट्टर क्षेत्रीयता (प्रादेशिकता) में विश्वास करते हैं। इतना ही नहीं, असम में ललित सेना ने तो दूसरे राज्यों के निवासियों को बाहर निकालने की मांग प्रस्तुत की, उनकी दुकानों और व्यावसायिक स्थानों को लूटा तथा आग लगाई। इसी प्रकार की घटनाएँ शिव सेना ने महाराष्ट्र में की। तमिलनाडु में भी एक ऐसे आन्दोलन को संगठित किया गया जिसने गरन्तमिलियों को तमिलनाडु छोड़ने के लिये कहा। ये सब घटनाएँ राष्ट्रवाद के लिये दुर्भाग्यपूर्ण ही कही जा सकती हैं।

क्षेत्रवाद ने "संस आफ दि सॉइल" (sons of the soil) नाम के सिद्धांत को जन्म दिया है जिसका उद्देश्य यह है कि निवास स्थान के लोग ही व्यवसायों में भर्ती किया जाय। इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा अन्य तकनीकी शिक्षा के द्वा. में तो निवास स्थान की शर्त को जोड़ दिया है।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्षेत्रवाद ने स्वच्छा ग्रहण किया है वह भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के लिये शुभ नहीं।

D भाषा और राजनीति (Language and Politics)

भारत एक बहुभाषी देश है। इसे प्रायः "बोलिया की अटलांटिका" कहा जाता है। सन् 1927 में प्रकाशित भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण (The linguistic survey of India) ने 179 भाषाओं और 544 उपभाषाओं (बोलिया) सहित 1,652 मातृभाषाओं (mother tongues) का उल्लेख किया। सन् 1961 की जनगणना ने 1 018 भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वालों को प्रलिखित किया। भारत की जनसंख्या का 73.3 प्रतिशत भाग इण्डो एशिया भाषाओं और 24.5 प्रतिशत भाग द्राविडियन भाषाओं, (तमिल, तेलगु, कनाडा, मलयालम) का प्रयोग करती है। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार 30.4 प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और यदि उर्दू, पंजाबी, बिहारी तथा राजनीतिक भाषाओं को हिंदी में शामिल किया जाय तो हिंदी के बोलने वालों की संख्या 54.4 प्रतिशत है।¹ इसके अतिरिक्त वे लाला लोग भी हिंदी भाषा को समझ सकते हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त भाषा की कोई भी अन्य भाषा 8 या 9 प्रतिशत से अधिक लोगों द्वारा बोली, समझी या लिखी नहीं जाती। अतः हिंदी को ही भारत की राजभाषा बनाने का श्रेय प्राप्त हो सकता है।

भाषा के सम्बन्ध में संवैधानिक व्यवस्था—भारतीय संविधान के अध्याय 17 के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। यद्यपि संविधान इस बात की भी व्यवस्था करता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में कार्य कर सकती है। इतना ही नहीं, संविधान संसद को इस बात का अधिकार भी प्रदान करता है कि वह कानून द्वारा इस काल को बढ़ा सकती है।

भारतीय संविधान हिंदी के नैतिक विकास की भी व्यवस्था करता है। हिंदी के उत्तरोत्तर विकास के लिए, उससे सम्बंधित समस्याओं पर सुझाव देने के लिए हिंदी को केन्द्र और राज्यों तथा राज्यों के बीच की पत्र व्यवहार की भाषा बनाने के लिए तथा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 (1) में भाषा आयोग की व्यवस्था करता है। संविधान के लागू होने के 5 वर्ष और प्रत्येक 10 वर्ष बाद भाषा आयोग की स्थापना की जा सकती है। भाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार सन 1955 में राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की स्थापना की जिसने दो वर्ष बाद 1957 में अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया।

भारतीय संविधान 15 भाषाओं को संघीय भाषाओं (Languages of India) की संख्या देता है। पाठ्य पुस्तकों में हिंदी का उल्लेख

1 All figures quoted here

है। ये भाषाएँ हैं—आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कनाडा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलगू उर्दू और सिंधी। सिंधी भाषा को 1966 में इक्कीसवें संशोधन द्वारा आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था।

भाषावाद द्वारा उत्पन्न समस्याएँ—भाषावाद ने भारतीय राजनीति में अनेक समस्याएँ उत्पन्न की हैं जिनमें प्रमुख निम्न हैं—

(1) **भाषावार प्रांतों की रचना—**भाषावार प्रांतों की चर्चा स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के सरकारी और गैर सरकारी प्रतिवेदनो में देखने को मिलती है। वंग भंग, माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन, भारतीय संवैधानिक आयोग, 1928 के संवैधानिक सम्मेलन आदि में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्निर्माण की चर्चा समय-समय पर होती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संविधान सभा ने भाषा के समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में भाषावार प्रांतों की रचना को राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता और अखण्डता के लिये हानिकारक बताया। आयोग का विश्वास था कि भाषा के आधार पर निर्मित की गयी इकाइयाँ राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधा प्रस्तुत करेगी। आयोग ने इन बातों को भी उल्लिखित किया कि भाषावार प्रांतों का विचार यद्यपि बहुत लोकप्रिय है परंतु यह राष्ट्रीय हित के अनुकूल नहीं है।

परंतु भाषा को लेकर अनेक प्रदेशों में आंदोलन किये गये इन आंदोलनों में प्रदर्शन दंगे, आमरण अनशन, अग्निदाह द्वारा शरीरगत आदि साधनों का प्रयोग भी किया गया। उदाहरणतया 1952 में तेलगू भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना हेतु श्री पोट्टू श्रीराम मूलू (Pottu Sriramula) ने आमरण उपवास रखा। 56 दिन के उपवास के बाद 15 दिसम्बर, 1952 को श्रीराम मूलू की मृत्यु हो गयी। इस घटना ने जिन अव्यवस्थाओं को जन्म दिया उसके फलस्वरूप 1953 में "आंध्र प्रदेश" की स्थापना की गयी। भाषा के आधार पर राज्य निर्माण का यह पहला उदाहरण था। इसने भाषावार प्रांतों के विचार को बढ़ावा दिया।

राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजलअली थे, अपने प्रतिवेदन में भाषावार प्रांतों के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये। आयोग का विश्वास था कि भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में राज्यों का कारोबार प्रादेशिक भाषाओं में होना चाहिये। आयोग की यह नीति धारणा थी कि शासकों और शसितों के मध्य एकता उत्पन्न करने में भाषा का अत्यधिक योगदान है। इतना ही नहीं, आयोग ने प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये भी सुझाव दिये। भाषावार प्रांतों के बन जाने से प्रादेशिक भाषाओं का विकास

1 धर आयोग ने अपना प्रतिवेदन 10 दिसम्बर 1948 को प्रस्तुत किया।

हो सकेगा और विविध भाषाभाषी लोगों के साथ सामाजिक और आर्थिक 'याव हो सकेगा। आयोग ने भाषावार प्रान्ता के दोषों को भी उल्लिखित किया था जो मुख्यतया निम्न थे —

(i) इससे पृथकतावादी प्रवृत्तियों को बल मिलेगा।

(ii) इसमें अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होता।

(iii) इससे जनता की शक्तियों का अनुत्पादक घाराओं में बहने का खतरा है।

आयोग ने भाषावार प्रान्तों के विचार का समर्थन करते हुए भी इसे राज्यों के पुनर्गठन का एक मात्र आधार स्वीकार नहीं किया था।

सन् 1956 में भाषावार प्रान्तों की रचना के बाद भी अनेक भाषाभाषी क्षेत्र असंतुष्ट रहे और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रदर्शन, आन्दोलन और दंगा का सहारा लेने लगे। परिणामस्वरूप सन् 1960 में भाषा के आधार पर बम्बई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में पुनर्गठित किया गया, सन् 1966 में पंजाब राज्य को भाषा के प्रश्न पर पंजाब और हरियाणा में पुनर्गठित किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समस्या आज भी विद्यमान है। पक्ष तरफ भाषावार प्रान्तों के विचार ने पृथकतावादी प्रवृत्तियों को बल दिया है, छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया है राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और आर्थिक विकास में बाधा प्रस्तुत की है। यही कारण है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को आज मदेह की दृष्टि से देखा जाता है।

(ii) हिन्दी भाषाई और अहिन्दी भाषाई राज्यों में विवाद—भाषा के प्रश्न को लेकर अहिन्दी राज्यों में पर्याप्त रोष और तनाव रहा है। अहिन्दी राज्यों में हिन्दी को लागू करने के प्रयासों को हिन्दी साम्राज्यवाद (Hindi imperialism) की मना दी गयी है। हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भाषा को लेकर इतने उग्र आन्दोलन हुए कि अनेक स्थानों पर गोलियाँ चलाई गयीं, सावजनिक सम्पत्ति को नष्ट किया गया और अनेक व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोने पड़े। भावनायें इतनी उग्र थीं कि तमिलनाडु में सविधान की प्रतिमा जलाई गयी और विरोध के लिए हिन्दी विरोधी आन्दोलन परिषद् (Anti Hindi agitation council) का निर्माण किया। बंगाल में तो सिनेमा घरों में हिन्दी फिल्मों का प्रदर्शन होना बन्द हो गया। तमिलनाडु विधान सभा ने मांग की कि सभी भाषाओं को राजभाषा घोषित कर दिया जाय और अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखा जाय। इतना ही नहीं तमिलनाडु सरकार ने अपने क्षेत्र में हिन्दी की शिक्षा को स्थगित कर दिया। दूसरी ओर, हिन्दी भाषी राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेजी विरोधी आन्दोलन हुए। हिन्दी लेखकों ने अपनी पद्य भूपण, पद्यश्री आदि की उपाधियाँ को त्याग दिया।

भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किये गये प्रस्ताव—अहिन्दी भाषी राज्यों की शकाओं का दूर करने के लिये समय समय पर अनेक प्रकार के आन्दोलनों

दिये गये। उदाहरणतया प० जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधान मन्त्रित्व काल में उह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनके दृष्टि के विरुद्ध हिंदी को लागू नहीं किया जायगा। यहाँ में प्रधान मंत्री शास्त्री ने भी नेहरू जी के इस आश्वासन को दोहराया कि अंग्रेजी का प्रयोग उस समय तक जारी रहगा जिस समय तक लोग इसका प्रयोग करना चाहते हैं। इस बात का निणय स्वयं अहिंदी भाषी राज्य करेंगे।

भाषा की समस्या का समाधान करने के लिये समय समय पर जो प्रयास किये गये उनमें प्रमुख निम्न हैं —

(i) राज भाषा आयोग 1955 (Official language commission 1955)—सन् 1955 में, अनुच्छेद 344 (1) के अंतर्गत भारत सरकार ने वी० जी खेर की अध्यक्षता में 21 सदस्यों के एक राज भाषा आयोग की स्थापना की। इस आयोग का प्रतिवेदन 12 अगस्त, 1957 को प्रकाशित किया गया। इस प्रतिवेदन में की गयी प्रमुख सिफारिशें निम्न थीं —

- (a) क्याकि हिंदी अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है अतः प्रारम्भिक शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन और दैनिक कार्यालय में इसे लोक माध्यम (mass media) के रूप में काय करना चाहिये।
- (b) सरकारी कार्यों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग अधिक किया जाय।
- (c) अखिल भारतीय परीक्षाओं, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के लिये, अंग्रेजी के विकल्प छूट देते हुए, राज्या के उच्च न्यायालय और प्रशासन में प्रादेशिक भाषा की छूट दे दी जाय।
- (d) केन्द्रीय सरकार और अथ राज्या के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी का प्रयोग किया जाय।
- (e) चौदह भाषाओं के विकास के लिये राष्ट्रीय अकादमी (National academy) की स्थापना की जाय।

(ii) राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन और तृ भाषाई फासू ला (1961)—भाषा के प्रश्न को लेकर 1956-60 में अनेक आंदोलन हुए। अतः सन् 1961 में राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन ने एक बार फिर भाषा की समस्या की जांच की। इसकी मुख्य सिफारिशें थीं—

- (a) उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर तीन भाषाओं—हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य हो।
- (b) विश्व विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर क्षेत्रीय भाषा हो।
- (c) विश्व विद्यालयों में सम्पर्क भाषा (link language) के रूप में हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले ल।

(iii) सन् 1963 का भाषा अधिनियम—सन् 1963 में भारत सरकार ने एक भाषा अधिनियम पास किया जिसकी मुख्य विशेषतायें निम्न थी —

- अंग्रेजी को 1975 तक प्रतिरिक्त भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाय।
- हिन्दी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाय।
- अहिन्दी राज्यों के साथ यदि पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाय तो उसकी अंग्रेजी प्रतिलिपि उसके साथ सलग्न हो।
- राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूव स्वीकृति के आधार पर, उच्च न्यायालय के निएया को प्रादेशिक भाषा में घोषित करने एवं लिपिबद्ध करने के लिये अधिभूत कर सकता है।

(iv) कोठारी आयोग—त-भाषाई फामूले के लागू करने में राज्यों ने अपनी उदासीनता प्रकट की थी। अतः राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के नमूने पर सुझाव देने के लिये वन्द्रीय शिक्षा मंत्री एम० बी० छागला ने विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (U G C) के अध्यक्ष डॉ० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने जून 1966 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। भाषा के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में निम्न सुझाव दिये गये थे —

- तृ भाषाई फामूले में सुधार के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। इनमें कहा गया कि प्रादेशिक भाषा के प्रतिरिक्त हिन्दी या अंग्रेजी या अथवा भारतीय या यूरोपीय भाषा का अध्ययन कराया जाय।
- 10 वर्ष के भीतर प्रादेशिक भाषा को विश्व विद्यालय की भाषा बना दिया जाय।
- अखिल भारतीय संस्थाओं में अंग्रेजी को फिलहाल जारी रखा जा सकता था यद्यपि, समय पा कर, इन संस्थाओं में भी हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिये।

(v) राजभाषा (सशोधन) कानून अर्थात् त भाषाई फामूले में सशोधन—कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजभाषा (सशोधन) कानून पास किया गया। इसके अनुसार राज्यों में हिन्दी के साथ अंग्रेजी को जारी रखा गया। सचीय लोक सेवा आयोग की परीक्षायें अंग्रेजी के प्रतिरिक्त सविधान द्वारा स्वीकृत किसी भी भाषा में ली जा सकती हैं। विश्व विद्यालय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर किसी भी क्षेत्रीय भाषा को बनाया जा सकता है। इजीनियरिंग कृषि, चिकित्सा, आदि की शिक्षा भी क्षेत्रीय भाषाओं में दी जा सकती है।

यद्यपि भारत सरकार की शिक्षा नीति के विरुद्ध अनेक प्रकार के उग्र आंदोलन किये गये पर तु भारत सरकार अपनी नीति पर दृढ़ रही है।

उपयुक्त वरुण से स्पष्ट है कि भाषा की समस्या ने निरंतर सघन और मतभेदों को उत्पन्न किया है। जहाँ प्रांतीय (प्रादेशिक) भाषाओं के विकास में भाषाई पृथक्तावाद (linguistic isolationism) को ज म दिया है वहाँ हिन्दी और

अग्रजी के विकाम ने भापाई कट्टरता और स्वायत्तता की माग को शिथिल भी किया है। फिर भी भापा के सम्बन्ध में, दृढ़ और निश्चित नीति अपनाने की आवश्यकता है ताकि राष्ट्रीय एकता और सुदृढता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

E दल-बदल राजनीति (Politics of Defection)

अर्थ एवं स्वरूप (Meaning and nature)—राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिये दल बदल राजनीति कोई नवीन शब्दावली नहीं है जहाँ कहीं प्रजातांत्रिक प्रणालियाँ और सस्थाएँ विद्यमान रही हैं वहाँ दल बदल अस्वाभाविक घटना नहीं। ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूजीलण्ड आदि देशों में भी इस प्रकार की घटनाएँ घटित हुई हैं ब्रिटेन में इसे पक्ष परित्याग (Floor crossing) के नाम से जाना जाता है। जब कभी कोई विधायक पक्ष परित्याग करता है तो वह सरकारी पक्ष से उठकर विरोधी पक्ष में या विरोधी पक्ष से उठ कर सरकारी पक्ष में बँठ जाता है। ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल जैसे प्रख्यात नेताओं ने भी दल बदले।

डिफेक्शन शब्द का प्रयोग वस्तुतः अनेक अर्थों में किया जाता है जैसे पलायन (भाग जाना), देश त्याग, परित्याग, दल-बदल आदि। अपने मौलिक रूप में डिफेक्शन शब्द को सैनिक शब्दावली से लिया गया है। जब कोई सैनिक अपने नित्य के कर्तव्यपालन से भाग जाता है तो उसे पलायन या विद्रोह (defection) कहते हैं। दूसरे जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह सरकार के साथ भीषण राजनीतिक मतभेद होने से, दण्ड के भय से, देश त्याग देता है तो उसे डिफेक्शन कहते हैं। तीसरे, जब कोई व्यक्ति अपने नेता, पक्ष या लक्ष्य का परित्याग करता है या किसी दल व्यक्ति या समूह से सम्बन्ध विच्छेद करता है तो उसे भी डिफेक्शन कहते हैं। चौथे, राजनीतिक लेबल (नामकरण) में परिवर्तन को भी डिफेक्शन कहा जाता है।

भारतीय (राज्यों की) राजनीति के सन्दर्भ में डॉ० सुभाष कश्यप¹ ने दल बदल राजनीति के अनेक स्वरूपों को व्यक्त किया है जैसे (i) व्यक्ति ने जिस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा हो यदि वह उसे त्याग दे या अन्य दल में प्रवेश ले ले, (ii) दल से त्याग पत्र देने के बाद वह निदलीय सदस्य के रूप में बना रहे, (iii) निदलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद वह किसी विशेष दल में शामिल हो जाय। डॉ० सुभाष कश्यप का यह भी मत है कि दल की सदस्यता से त्याग पत्र दिये बिना जो विधायक विधान मण्डल में मूल प्रश्नों पर दल के विरुद्ध मतदान करता है उसे भी डिफेक्शन समझना चाहिये।

राष्ट्रीय गृह मंत्री वाई० वी० चाह्लान की अध्यक्षता में सन 1967 में गठित समिति ने अपने प्रतिवेदन में डिफेक्शन को इस प्रकार प्रभावित किया है। 'किसी राजनीतिक दल के सुरक्षित चिह्न पर निर्वाचित व्यक्तीयों के किसी सदस्य का

1 See Kashyap S C Politics of defection, pp 11-12

तभी दल बदलू कहा जा सकता है जब वह सदन के किसी सदस्य या किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की विधान परिषद या विधान सभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद स्वच्छा से उस दल के प्रति भक्ति का परित्याग कर दे या उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर ले शत यह है कि उसका यह काय दल विशेष के दल बदल का परिणाम नहीं होना चाहिये।

उपयुक्त वरुण से स्पष्ट है कि दल बदल में वे सब स्थितियाँ सम्मिलित हैं जिसमें विधायक विधान मण्डल में अपने दल के प्रति अभक्ति व्यक्त करता है अपने दल के विरुद्ध मतदान करता है अपने दल से स्वतन्त्र रहता है, किसी अन्य दल के साथ मतदान करता है या अन्य दल में शामिल हो जाता है या नवीन राजनीतिक ऋत को व्यवहृत करता है, सरकारी पक्ष के सदस्य का विरोधी पक्ष में मिलना या विरोधी पक्ष के सदस्यो या स्वतन्त्र सदस्यो का सरकारी पक्ष में मिलना डिफेंशन ही है। मिली जुली सरकार के घटक भी जब दलीय निष्ठा को त्याग कर किसी अन्य दल में निष्ठा व्यवहृत करते हैं तो उस भी डिफेंशन कहा जाता है।

सन् 1967 के निर्वाचन के बाद भारत में दल बदल राजनीति का जो स्वरूप रहा है उसने अवसर वादिता, अस्थिरता पद लोलुपता धन प्रलोभन आदि भावनाओं को जन्म दिया है। इसी कारण दल बदल राजनीति को अनेक नामों से पुकारा जाता है जैसे अवसरवादी राजनीति (Politics of opportunism), अस्थिर राजनीति (Politics of instability), सम्भाति राजनीति (Politics of confusion) (Politics of deviation) सन्नमण राजनीति (Politics of transition), विवर्ती मनियो की राजनीति (Politics of shifting alliances), 'प्राया राम, गया राम' राजनीति आदि।

भारत में दल बदल राजनीति का विकास—भारत में दल बदल की राजनीति चौथे चुनाव (1967 के चुनाव) से पूर्व भी विद्यमान थी परन्तु इसका रूप गम्भीर अर्थवात् खतरनाक नहीं था। इसका कारण यह था कि 1967 के निर्वाचन से पूर्व केन्द्र और राज्यों पर कांग्रेस का एकाधिकार था और यदि कोई कांग्रेसी दल बन्ना भी था तो वह सैद्धांतिक भेदों के आधार पर ऐसा करता था परन्तु जब 1967 के निर्वाचन में राज्यों में कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा और उसके विरोध पक्ष में बँटन की नीजत आई तो केन्द्र व राज्य के कांग्रेसी नेतृत्व के यह स्थिति गये न उतर सकी। अतः कांग्रेसी नेतृत्व ने दल बदल राजनीति का सहारा लिया। दल बन्ना की राजनीति में कांग्रेस के बाद समान विचार वाले दलों के साथ मिल कर मिले उसने 1967 के चुनावों के बाद समान विचार वाले दलों के साथ मिल कर मिले जूल मंत्रि मण्डल का गठन करने का इन्कार किया परन्तु कांग्रेसी गम्भीर योई न 27 फरवरी, 1967 को निर्णय द्वारा निदलीय विधायकों को कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया। यह दल-बदल का मुला निमन्त्रण था, जिसमें निर्णय सत्ता का निर्वीयता का त्याग कर कांग्रेस में शामिल होने का प्रलोभन दिया गया

था। दूसरी ओर, यह विरोध (जो अभी तक सत्ता में नहीं आये थे) के लिये भी सुप्रवसर था कि वे अपनी वकादरिया का त्याग कर 'यूनितम कार्यक्रम के आधार पर सत्ता के सम्भार धर सकते थे। अतः वे भी दल बदल का सहारा लेने लगे। परिणाम स्वरूप विधायकों को अपने पक्ष में करने के लिये उनका मूल्य आका जाने लगा। एवं अनुमान के अनुसार 'आया राम' विधायक का मूल्य 20,000 रु० और 'गया राम' का मूल्य 40,000 रु० था। इस तरह सत्ता को प्राप्त करने के लिये विधायकों को खरीदा और बेचा जाना लगा। राज्यों की राजनीति अस्थिर, अस्पष्ट और गडबड हानं लगी, मंत्रिमण्डलों का गठन और पता गीघ्रता से होने लगा। दल बदल के रोग से कुल विधान सभाया के लगभग 3500 सदस्यों में से कम से कम 550 सदस्यों ने अपने दल बदले, अनेक विधायकों ने तो अनेक बार अपने राजनीतिक चोले बदले। इस दल-बदल की विशेषता यह थी कि व्यक्तिगत स्वार्थों और लाभों पर आधारित होते हुए भी इसे अनैतिक या जनता से विश्वासघात नहीं माना गया और दल बदलुओं को केवल मंत्री पद से सम्मानित ही नहीं किया गया बल्कि उनको विधान मण्डलीय शक्ति के अनुपात से अत्रिब प्रतिनिधित्व भी दिया गया। केवल 1967 के वर्ष में 115 दल बदलुओं को विभिन्न राज्यों में मंत्रीपद प्रदान किये गये। अक्टूबर नवम्बर 1970 में अकेले उत्तर प्रदेश में 42 विधायकों ने दल-बदल किया। सन 1967 से 1970 तक चार साल की अवधि में दल बदल करने वालों की संख्या बढ़कर 1400 तक पहुँच गयी। यद्यपि 1971 के निर्वाचनों और 1972 के निर्वाचनों में कांग्रेस को वेद और राज्या में बहुमत प्राप्त होने में राज्या में राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न हुई परंतु दल-बदल की राजनीति समाप्त नहीं हुई और आज भी यह रोग भारतीय राजनीति में विद्यमान है।

दल बदल क्यों ? या दल बदल को प्रोत्साहन देने वाले तत्व (Why defection or factors that encourage defections)—भारत में दल-बदल को प्रोत्साहन देने वाले अनेक और विभिन्न कारण हैं जिनमें प्रमुख निम्न हैं —

(i) शक्तिशाली एवं प्रभावशाली दलीय नतु-व की कमी जो दलीय अनुशासन और नियंत्रण को दृढ़ता पूर्वक लागू करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है।

(ii) दल के असंतुष्ट एवं उपेक्षित सदस्यों की अतृप्त आशाएँ जो विधायकों में व्यक्तिगत स्वार्थों को जन्म देती हैं।

(iii) पद और स्थिति के साथ उत्पन्न होने वाले लाभों और धन को प्राप्त करने की तालुपता।

(iv) मंत्रिपद और विधायकपद की प्राप्ति में गम्भीर अंतर

(v) दला में राजनीतिक आचार संहिता का अभाव।

(vi) विधायकों में सावजनिक नतिकता का अभाव।

(vii) दलों में सद्भाव तक आधार का अभाव।

(viii) दल वदलू विधायको के प्रति मतदाताग्रा की उदासीनता और सावजनिक निन्दा की अनुपस्थिति (absence of public censure)

(ix) दलीय नेता और विधायक के मध्य उत्पन्न होने वाले गम्भीर मतभेद।

(x) दलीय फूट और गुटबन्धिया, जो समय और परिस्थिति के अनुसार दल बदल का रूप ग्रहण कर लेती हैं।

(xi) शक्तिशाली लाजीस (lobbies) और दबाव समूहों का अस्तित्व।

(xii) राज्य विधान सभाग्रा में ठोस बहुमत का अभाव।

(xiii) विधान मण्डलीय शक्ति के अनुपात में दल वदलू विधायका का मजि मण्डला में अधिक प्रतिनिधित्व।

(xiv) कांग्रेस द्वारा समान विचारों वाले दल के साथ मिलकर मिली जुली सरकारों को गठित करने से इंकार करना तथा खुल रूप में स्वतंत्र सदस्यों को दल बदल करने के लिये प्रलोभन देना।

दल बदल के प्रभाव तथा समस्या के समाधान के प्रयास (Effects of defections and efforts to solve the problem)—दल-बदल के अन्व गम्भीर परिणाम निकले हैं जो अशुभ होने के साथ भयानक भी हैं। दल बदल के जो परिणाम निकलें हैं उनमें प्रमुख निम्न हैं —

(i) अवसरवादी राजनीति—दल बदल ने अवसरवादी राजनीति को बढावा दिया है। इससे दलीय फूट और गुटबन्धियों को प्रोत्साहन मिला है रवायपरता और सोवधानी ने विधायका का नैतिक पतन किया है। उनमें सावजनिक उत्तरदायित्व की कमी आयी है।

(ii) मन्त्रिमण्डलों की अस्थिरता—विधायका के बार-बार दल बदलने से मन्त्रिमण्डलों की अस्थिरता में कमी आयी है। मन्त्रिमण्डल के टूटने के भय न पडपत्र राजनीति को जम दिया है। ऐसी स्थिति में किसी भी मन्त्रिमण्डल के लिये ठोस नीतियों को अपनाना कठिन है।

(iii) मिली जुली सरकारों का निर्माण—दल बदल ने मिली जुली सरकारों को जम दिया है जो स्वभाव से ही अस्थिर और टोली हाती हैं। क्योंकि उसके पश्कारों (सदस्यों) में कोई संवैधानिक मतव्यता नहीं पायी जाती अतः कोई भी तुच्छ घटना या मतभेद उसके पतन का कारण बन सकती है। सन् 1967 के निर्वाचन में वाजपेयी भी मिली जुली सरकार का निर्माण हुआ, उनका जीवन अल्प ही रहा है। फ्रांस का संवैधानिक अनुभव भी इसी तथ्य को सिद्ध करता है।

(iv) मन्त्रिमण्डलों का विस्तार—सत्ता के बने रहने के लिये दल ने मजि मण्डला का अत्यधिक विस्तार किया है जो सार्वजनिक राजकोष (public exchequer) पर अनावश्यक आर्थिक बाध (प्रभाव) डालता है।

(v) लोकतांत्रिक सत्याग्रहों में अविश्राम—दल-बदल ने सवसाधारण में आया राजनीतिक नेताग्रा, सामाजिक सत्याग्रहों के प्रति अविश्राम को जम दिया

है। यदि नेतृत्व ही अपने सावजनिक कतव्य के प्रति उपेक्षित है तो सबसाधारण में अपने कतव्य के प्रति अपेक्षित होना कठिन है। दल गलत की राजनीति ने कुसासन के सभी परिणामों को प्रकट किया है।

दल बदल समस्या के समाधान के प्रयास एवं सुझाव—दल बदल समस्या ने 1967-1969 में इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया था कि अनेक क्षेत्रों में इसके सम्बन्ध में गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी और समस्या के समाधान के लिये अनेक सुझाव दिये गये। इस सम्बन्ध में जो प्रमुख प्रयास एवं सुझाव दिये गये वे निम्न थे —

1 अखिल भारतीय व्हिप (सचेतक) सम्मेलन (All India whips conference)—सन् 1967 में शिमला में अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन हुआ जिसमें प्रस्ताव द्वारा बार-बार पक्ष-परित्याग की राजनीति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। सम्मेलन ने पक्ष त्याग को गलत (अनुचित) स्वीकार किया और दला से अनुरोध किया कि वे इसके भयानक परिणामों को समझने हुए राजनीतिक आचार संहिता की रचना करें जिसे वे स्वयं स्वीकार करें तथा जानातिरूप से बाध्यकारी हो।

2 वाई० बी० चह्वाण समिति—दिसम्बर 1967 में लोकसभा में, कांग्रेसी सदस्य बैकटसुर्वैया के प्रस्ताव पर गृह मंत्री वाई० बी० चह्वाण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसमें भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रख्यात अधिवक्ताओं, त्रिधिवेत्ताओं तथा अन्य सावजनिक व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया। इन समिति को विधायकों द्वारा बार-बार दला की निष्ठा बदलने पक्ष परित्याग करने आदि से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा गया। समिति ने जनवरी 1969 में अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में समस्या का समाधान करने के लिये जो सुझाव दिये गये थे उनमें मुख्य निम्न हैं —

(i) दल बदलू विधायक को किसी दल में शामिल करने में सम्बन्ध में दल स्वयं एक आचार संहिता पर सहमत हो।

(ii) स्वतन्त्र उम्मीदवारों को मतदाता निर्वाचन में निर्वाचित न करें इसके लिये जनमत प्रशिक्षित किया जाय।

(iii) किसी दल की टिकट पर निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि के लिये उसका सदस्य बना रहना आवश्यक हो।

(iv) प्रधान मंत्री व मुख्य मंत्री उसी व्यक्ति को बनाया जाय जो भूत निम्न सदन का सदस्य हो। लोकसभा या राज्य विधान सभा जैसी भी स्थिति हो।

(v) प्रत्येक दल-बदलू विधायक को कुछ समय तक (कम से कम एक साल तक) या कम से कम उस समय तक जब तक वह अपने आपको पुनर्निर्वाचित न करा ले तब तक उसे मंत्री पद प्रदान न किया जाय।

(vi) मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सदस्यता विधान मण्डल के सभ्यता में अनुगत (दमर्बा हिस्सा) में हो।

3 गृह मंत्रालय के सुझाव—दल बदल समस्या के समाधान में गृह मंत्रालय के सुझाव निम्न थे—

- (i) दल बदल की घटनाओं के बार बार होने पर प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री, को लोकसभा या विधान सभा को जसी भी स्थिति हो भंग कराने का अधिकार होना चाहिये।
- (ii) मंत्रिमण्डल का आकार छोटा होना चाहिये।
- (iii) दल बदलुओं को उच्च पदों से बचित रखना चाहिये।

4 बत्तीसवाँ सशोधन—दल बदल पर बत्तीसवें सशोधन द्वारा प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास किया गया है परन्तु कानून मंडलियाँ होने के कारण उसका प्रभाव नगण्य है और दल बदल का रोग विद्यमान है। प्रथम, कानून मंडल बदल की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, दूसरे दल बदल के विरुद्ध बाधवाही, दल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसी भी स्थिति हो, करता है तीसरे, दल बदल के सम्बन्ध में राष्ट्रपति या राज्यपाल का निष्णय अंतिम है। स्पष्ट है कि दल बदल के रोग को समाप्त करने में यह कानून असमय है। सशोधन तो केवल दिखावा है।

5 एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि लगभग समान विचार वाले दलों को समुक्त मोर्चा बना लेना चाहिये ताकि निवचन में वे सगठित रूप से काम सकें।

दल बदल—एक अस्थायी तत्व (Defector)—a temporary phenomenon—कुछ राजनीतिक पयबधका का विश्वास है कि दल-बदल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अपरिपक्वता का द्योतक है। उनकी धारणा है कि जब भारत में राजनीतिक परिपक्वता का विकास हो जायगा और दलों का ध्रुवीकरण होगा तो दल बदल स्वमेव अतीत की घटना बन जायगी। जैसाकि के० सुब्बराव ने लिखा है कि 'दल-बदल सगठित दल व्यवस्था के अभाव का आवश्यक परिणाम है। यह कोई नयी घटना नहीं है। चू कि अब यह रोग सभी दलों में व्याप्त हो गया है इसलिये लोगों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो गया है। यह दलों की रण्य अवस्था का लक्षण है और दलों के स्वास्थ्य में सुधार होते ही इसका लोप हो जायगा।'¹ डा० सुभाष कश्यप ने भी लिखा है कि 'परिवर्तन विकास और सामंजस्य की प्रक्रिया कष्टपूर्ण होती है और दल बदल की राजनीति इस कष्टपूर्ण प्रक्रिया का एक अंग मात्र है। इसके विषय में घबराने की कोई बात नहीं। यह घटना भी भूकम्प का भाँति है जिसमें मतुलन में स्थायी विभेय उत्पन्न किया है। कुछ समय बाद फिर सन्तुलन स्थापित हो जायगा, चाहे वह एक नया सन्तुलन ही क्या न हो।'² स्पष्ट है कि दल

1 Rao, K Subba Arc Coalitions Feasible ? Quoted by चतुर्वेदी,
पृ० ३० पृ० ३४१

2 कश्यप, डा० सुभाष, पृ० ३०

घदल प्रसूतिवाल की पीडायें हैं, जो अस्थायी हैं। यद्यपि दल बदल की घटनायें आज भी विद्यमान हैं परन्तु रोक अब युवा अवस्था में नहीं। ज्याहि 1971-72 के बाद राजनीति में स्थिरता आदि दल बदल की घटनायें कम हो गयी।

क्या दल बदल संवैधानिक या प्रजातांत्रिक है ? (Is defection constitutional or democratic)—यह प्रश्न इतना जटिल है कि इसका सरलता में उत्तर नहीं दिया जा सकता। मानव और उसका चिंतन इतना अपूर्ण, लचीला और परिवर्तनशील है कि उसके विचार उसकी मायतायें, उसके अनुभव, विश्वास और आस्थायें समय और परिस्थिति आवश्यकतानुसार बदलती रहती हैं। अनेक ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जब व्यक्ति (विधायक या दल का सदस्य) यह अनुभव करे कि उसके दल की नीतियाँ राष्ट्र, समाज या मानव के लिये हितकर नहीं हैं या किमी दल की सदस्यता उसकी त्रियाशील भूमिका में बाधा है तो उस समय दल-बदल करना न तो असंवैधानिक है और न अप्रजातांत्रिक। परन्तु जब यह स्वाय, मद लोभ, या सकीण विचारधाराओं का परिणाम होता है तो यह निश्चित ही अनैतिक, अनुचित, असंवैधानिक और अप्रजातांत्रिक है। अनेक परिस्थितियों में अपने राजनीतिक भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिये भी किया गया दल बदल अमरवाणिक या अप्रजातांत्रिक नहीं कहलाता। ऐसी परिस्थिति में यदि दल बदल की स्वतंत्रता न हो तो सवमत्तावादी, अधिनायकवादी और साम्यवादी प्रणालियों तथा प्रजातांत्रिक प्रणालियों में भिन्नता करना कठिन हो जायगा। परन्तु प्रतिनिध या प्रतिमाह या प्रति वष दल बदल करना प्रजातंत्र और निर्वाचन मण्डल दोनों को मजक है। भारत में दल बदल अधिकांशतः सत्ता के लोभ में किया गया है अतः अनैतिक है।

F राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या

(The Problem of National Integration)

एकीकरण का अर्थ—एकीकरण वह स्थिति है जिसमें किसी समाज के सदस्यों में वग, जाति भाषा, धर्म सस्कृति शिक्षा, आर्थिक आदि भिन्नताओं के होना हुए भी, जीवन के सामान्य मूल्य और प्रतिमान विद्यमान हैं, उनकी आवश्यकताओं और हितों में अधिकतम समन्वय की प्रवृत्ति हो और जो सामान्य उद्देश्य में प्रेरित होते हों। भारतीय सन्दर्भ में राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है "भिन्नताओं में एकता" अर्थात् भाषाई क्षेत्रीय साम्प्रदायिक, वर्गीय, जातीय आदि सकीण स्वार्थों में ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तरों पर सोचने और कार्य करने की क्षमता और इच्छा।

राष्ट्रीय एकीकरण में बाधाएँ—जिन देशों में बहु जातियाँ बहु-राष्ट्रीयतायें बहु मस्कृतियाँ और बहु धर्म पाये जाते हैं उनमें राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या सबसे अधिक विद्यमान रही है। रूस, स्विटजरलण्ड, बेल्जियम जैसे देशों में राष्ट्रीय एकता की समस्याओं का समाधान करने में सफल भी हुये हैं। रूस ने राष्ट्रीय एकता को सांस्कृतिक सघवाद और राजनीतिक तथा आर्थिक केन्द्रवाद द्वारा प्राप्त करने का

कोसित की है जिसमें सबसतवाणी प्रवृत्तियाँ (विशेषकर साम्यवाणी दल) का प्रभाव प्रत्यक्ष रहा है पर तु स्वित्जरलैंड न राष्ट्रीय एकता को पूरा प्रजातान्त्रिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त किया है। स्वतंत्र भारत के मस्थापका और वर्तमान नतुल्व ने भी प्रजातान्त्रिक साधनों और संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने का प्रयास किया है और ये प्रयास आज भी जारी हैं। फिर भी भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में अनेक बाधाएँ विद्यमान हैं जिन्हें निम्न शीपका के अतगत अभिव्यक्त किया जा सकता है। यद्यपि इन बाधाओं का उद्देश्य विस्तृत रूप में पिछले पृष्ठा में कर दिया गया है फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उन्हें संक्षेप में यहाँ लिख देना विद्यार्थियों के लिये लाभकारी होगा —

(i) जातिवाद—यद्यपि भारतीय संविधान जाति, भाषा, धर्म, लिंग आदि किसी भी आधार पर भारतीय नागरिकों में कोई भिन्नता नहीं करता फिर भी सामाजिक राजनीतिक और प्रशासनिक ढाँच का कोई ऐसा क्षेत्र या स्तर नहीं जिसे जातिवाद न आच्छादित (permeate) न किया हो। सामाजिक आर्थिक और परम्पराएँ जाति पर आधारित हैं। राजनीति में जातिवाद की अपीन प्रत्यक्ष है, निर्वाचन में प्रयासियों का चयन जाति को ध्यान में रखकर किया जाता है, सरकारी नौकरों में भी जाति के आधार पर मतदानों से अपील की जा सकती है। अनेक राजनीतिक दलों का आधार जाति है। प्रशासन में जातीय आक्षेपण, भाई-भोजवादी प्रत्याधिक है। एम० के० श्रीनिवास ने ठीक लिखा है कि "जाति को गौण रूप में और पूरा रूप में इस तरह स्वीकार किया जाता है कि यह सबका सामाजिक कार्य की इकाई है।"

(ii) भाषावाद—भाषा यद्यपि विचार अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है फिर भी भारत में यह विवाद का विषय रही है। वस्तुतः भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपनी मस्कृति, लिपि और भाषा को किसी दूसरे क्षेत्र की मस्कृति, लिपि और भाषा से अछूट समझता है और किसी दूसरे की मस्कृति को जबरदस्ती लागू करने को मदेह की दृष्टि से देखा जाता है। हिन्दी भाषाई और अहिन्दी भाषाई क्षेत्रों में भाषा पर जो विवाद हैं, वह इस बात के द्योतक हैं। इस भाषा के प्रश्न ने उत्तर और दक्षिण के राज्यों में केवल कटुता को ही जन्म नहीं दिया बल्कि अहिन्दू आन्दोलनों को भी जन्म दिया है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिये हानिकारक है। शिक्षा के क्षेत्र, प्रशासनिक सेवाओं में क्षेत्रीय भाषाओं की अनिवायता भारतीय राष्ट्रीयता में बाधा है क्योंकि इसमें देश योग्यतम नागरिकों को सेवाओं से वंचित रह जाता है और नागरिकों के एक दूसरे राज्य में आदान प्रदान में रुकावट पैदा होती है।

(iii) क्षेत्रवाद—भारत में इकट्ठी नागरिकता देने के बावजूद भी क्षेत्रवाद भारतीय नागरिकता के तत्त्व का सुदृढ़ नहीं होने देता। आज भी लोग भारतीय कहलान के स्थान पर बंगाली, मद्रासी, पंजाबी, बिहारी, आदि कहलान अधिक पसन्द

करता है, मेघन साम्राज्य। तब म ही राजनीतिर तब म भी 'क्षत्रवाद' को
 पायाये विद्यमान है। क्षत्रीय हिता म निय राष्ट्रीय हिता का बलिदान क रिया
 जाता है। मौर म, राष्ट्र विद्या घोर पण्डीगढ़ के प्रस्न पर पजाव हरियाणा म
 विवाद को हमी म न म दगा जा गवता है। क्षत्रवाद त ही छाटे राज्या के निर्माण
 को मोग का प्रस्तुत रिया है तथा 'मस ऑफ दी सॉयल' जस गिद्धा ता घार वि ब
 तना जत गगठना का जम रिया है।

(iv) साम्प्रदायिकता—धम विरपण राज्य होने हुए भी भारत म धार्मिक
 बटुगता घोर धर्म घना विद्यमान है जो घतत साम्प्रदायिक दगा का रूप घार क
 गती है। मुस्लिम साम्प्रदायिकता न मुस्लिम लीग, जमायत इस्लामी घोर मुस्लिम
 मजलिस जम साम्प्रदायिक गगठना को जम दिया है घोर राष्ट्रीय म्प्रेन्डिस म्प
 (R S S) क म्प म हिन्दू राष्ट्यादी गगठन भी विद्यमान है जो घने विरपे घे
 नावा मस एका पर घार प्रतिद्वल प्रभाव डालते हैं।

(v) राजनीतिक अवसरवादिता—राजनीतिर अवसरवादिता न राजनीतिर
 बरगण क माग म सतत अधिक बाधा डाली है। राजनीतिक दलों के घमनीक म्प
 प्राप्त करन क लिए जाति धम, क्षत्र भाषा घादि की समझाओं क घने म्पे क
 निय उभाग है। इस राजनीतिर अवसरवादिता न दम-बदल रगठित रिया
 मरिया (shifting alliances) को जम दिया है जिनके म्पे म्पे घे
 घोर उसके आधार का घस्विर बना दिया है। इसने एम म्पे क म्पे रिया
 जो घमोभनीय घोर अधिविर है। उदाहरणतया कान म्पे के म्पे म्पे
 मुस्लिम लीग घार राष्ट्रीय कां प्र स (इदिरा माघी के क्पे क म्पे क
 विरुष्ट अवसरवादिता की सना ही दी जा सवती है।

(vi) आर्थिक विषमतायें—बेरोजगारी, विरपण घर म्पे
 क गम्भीर भेदा ने भी राष्ट्रीय एकता के तन्वों क म्पे क है। एम म्पे के
 जनोत्तेजक नताघा न भूल, गये, निरक्षर ली क्पे के म्पे क म्पे क
 क निय गोपण रिया है।

विनाल और व्यापक हृदय, व्यापक दृष्टिकोण, बुद्धि की सहिष्णुता, उच्च नैतिक चरित्र, मानव मात्र में विश्वास आदि तत्व इसमें सहायक हो सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण में जो तत्व सहायक हो सकते हैं उनमें मुख्य निम्न हैं —

(i) उच्च नैतिक चरित्र—उच्च नैतिक चरित्र राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम को प्रशास्त कर सकता है, विदेशीय सामाजिक और राजनीतिक नृत्य का नैतिक चरित्र तो सहज रहित होना चाहिये।

(ii) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली—राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षा प्रणाली का महत्व अत्यधिक है। शिक्षा के माध्यम से ही घम निरपेक्षता जातीय सहिष्णुता आदि की भावनाओं का संचार विद्याभ्यास में किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के आधार और उद्देश्य राष्ट्रीय होने चाहिये क्षेत्रीय नहीं, ताकि संस्कृतियों का आदान प्रदान हो सके। जब पाठ्यक्रम का आधार प्रादेशिक या जातीय उच्चता होती है तो राष्ट्रीय भावनाओं का विकास नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक मूल्यों पर भी बल दिया जाना चाहिये। आत्मावास सामूहिक होने चाहिये जातीय नहीं।

(iii) राजनीतिक आचार संहिता—राजनीतिक दलों के आचार और व्यवहार की एक आचार संहिता होनी चाहिये और यदि कोई दल उसकी उल्लंघना करे तो उस पर प्रतिबंध होना चाहिये। साम्प्रदायिकता पर आधारित या साम्प्रदायिकता को उभारने वाले दल समूहों सगठनों, पत्रों, पत्रिकाओं आदि पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिये। निर्वाचन में किसी भी रूप में जातीय प्रचार दण्डनीय अपराध होना चाहिये। अल्पसंख्यकों के प्रति तुष्टिकरण की नीति का परित्याग करना चाहिये।

(iv) भाषा की समस्या का समाधान—भाषा की समस्या का समाधान शीघ्र एक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों से प्रभावित होना चाहिये। राष्ट्रीय भाषा की नींव पर क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

(v) साम्प्रदायिक सगठनों पर पाबंदी—क्षेत्रीय और साम्प्रदायिक सगठनों जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुस्लिम लीग, आदि सगठनों की उपस्थिति में राष्ट्रीय एकीकरण की कल्पना कठिन है। ऐसे सगठनों पर प्रतिबंध होना चाहिये।

(vi) आर्थिक विकास—दुस्तर निघनता और अपार बेरोजगारी निराशा और असहायता को जन्म देती है जो अतंत हिंसक आन्दोलनों को जन्म देती है। आर्थिक विकास किया जाय, आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाय और शोषण की प्रणालियों का अंत किया जाय।

(vii) प्रशासनिक कुशलता—प्रशासनिक कुशलता राष्ट्रीय एकीकरण में पर्याप्त रूप से सहायक हो सकती है। प्रशासन को समाज सेवा और उच्च नैतिक चरित्र की भावनाओं से प्रेरित होना चाहिये।

राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये उठाये गये कदम (Steps taken to promote national integration)—राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये घनक प्रचार की मगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया गया है तथा समितियों और आयोगों का गठन भी किया गया है। राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयासों में दो प्रकार के प्रयास प्रमुख रहे हैं जो निम्न हैं—

(A) सरकारी प्रयास

(B) गैर सरकारी प्रयास

(A) सरकारी प्रयास—राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये समय समय पर जा सरकारी प्रयास किये गये हैं उनमें प्रमुख निम्न हैं :—

1 विश्व विद्यालय अनुदान आयोग सगोष्ठी (1958)—16-17 अगस्त, 1958 को विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में एक सगोष्ठी का आयोजन किया। इस सगोष्ठी में प्रख्यात विद्वानों और शिक्षा शास्त्रियों ने भाग लिया। इस सगोष्ठी द्वारा जनसाधारण में राष्ट्रीय और भावात्मक एकता उत्पन्न करने के लिये जिन तत्वों पर बल दिया गया उनमें प्रमुख थे—(i) शिक्षा समस्याओं का योगदान, (ii) आर्थिक एवं सामाजिक उत्पादन, तथा (iii) साहित्यिक एवं अन्य सांस्कृतिक साधनों का उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में जिन तत्वों पर बल दिया गया उनमें प्रमुख थे—(a) सभी राष्ट्रीय भाषाओं की उन्नति, (b) व्याख्यानो द्वारा विश्व विद्यालय का जन सम्पर्क, (c) शिक्षा समस्याओं में सम्प्रदाय जाति आदि के भेद का उन्मूलन, (d) मिले जुले छात्रावासों की स्थापना, (e) अध्यापकों और छात्रों में ब्रतृत्व तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण का विकास, तथा (f) राष्ट्रीय एकता के पक्ष में जनमत का निर्माण। आर्थिक क्षेत्र में सिद्धे हुए वर्गों के विकास पर विशेष बल दिया गया आदि।

2 मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन (1961)—जून और अगस्त 1961 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलनों में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। इन सम्मेलनों में विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अकुल लगाने और अल्पसंख्यक वर्गों को विकास के समान अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया। इन सम्मेलनों में श्री सपूर्णानन्द की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण उत्पन्न करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये कहा गया। इन सम्मेलनों में यह भी निश्चय किया गया कि कोई भी प्रांत पूर्णतया एक भाषा भाषी न हो, अल्पसंख्यक वर्गों को समुचित संरक्षण प्रदान किया जाय तथा देवनगरी को सामान्य लिपि का रूप प्रदान करने पर बल दिया जाय आदि।

3 विधेयकों का निर्माण (1961)—राष्ट्रीय एकता के माग में जाति, भेष आदि की बाधाओं को दूर करने के लिये केन्द्रिय सरकार ने लोकसभा

विधेयक प्रस्तुत किये। प्रथम विधेयक (जिसे लोक सभा नवम्बर 1961 में पास किया) द्वारा ऐसे किसी भी प्रकार को कानून द्वारा दण्डनीय अपराध बना दिया गया जिसने भिन्न भिन्न धर्मों, जातियों या भाषाई समूहों या निरादरियों में शत्रुता या घृणा फैलाती हो। इस कानून के अंतर्गत तीन वर्ष कारावास का दण्ड दिया जा सकता है। दूसरे विधेयक द्वारा (जिसे लोक सभा नवम्बर 1961 में पास किया) निर्वाचन में धर्म, मूलवर्ग, सम्प्रदाय, जाति या भाषाई भावनाओं को उभारना दण्डनीय अपराध बना दिया। इस विधेयक में यह व्यवस्था भी की गयी कि जिन व्यक्तियों को इस कानून के अंतर्गत दण्डित किया जाता है उन्हें न तो निर्वाचन में मतदान की आजादी होगी और न ही वे मसद या राज्य विधान सभाओं के सदस्य बन सकेंगे।

4 प्रथम राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन (1961)—राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही 28 सितम्बर से 1 अक्टूबर 1961 तक नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन उप राष्ट्रपति डॉ० सचचिदी राधाकृष्णन (जो बाद में राष्ट्रपति बने) ने किया। कुल मिलाकर 150 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधियों में थे प्रधानमंत्री केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्य, राज्यों के मुख्य मंत्री, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नेता, प्रख्यात शिक्षाशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक।

इस सम्मेलन में जो प्रमुख विषय लिये गये उन्हें निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है—

(a) राजनीतिक आचार संहिता—इस बात को अनुभव करने हुए कि राजनीतिक दल भाषावृद्ध क्षेत्रवाद सम्प्रदायवाद आदि भावनाओं को उत्तेजित करते हैं अतः सम्मेलन ने राजनीतिक दलों के लिये एक आचार संहिता (a code of conduct) को प्रस्तुत किया जिसके महत्वपूर्ण विधान निम्न थे—

(i) कोई भी राजनीतिक दल ऐसे किसी कार्य को न करे जो जातियों धर्मों निरादरियों और भाषाई समूहों के वर्तमान वेदों को बढ़ावा दे या उनमें शत्रुता या तनाव उत्पन्न करे।

(ii) कोई भी राजनीतिक दल किसी वर्ग को साम्प्रदायिक भाषाई या क्षेत्रीय गिरावट को दूर करने के लिये आन्दोलनों का सहारा न ले।

(iii) कोई भी राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित बैठकों सम्मेलनों और प्रयोगों में न तो जाया डाले और न उन्हें भंग करने का प्रयास करे।

(iv) जाति और व्यवस्था के नाम पर सरकार नागरिक स्वतंत्रताओं पर अनुचित प्रतिबंध न लगाये और न ही राजनीतिक दलों को सामान्य गतिविधियों में बाधाएँ प्रस्तुत करें।

(v) राजनीतिक सत्ता का प्रयोग नैतिक हितों की पूर्ति के लिये न किया जाय।

(b) समरूप शिक्षा प्रणाली—राष्ट्रीय एकता में शिक्षा के महत्व को अनुभव करते हुए सम्मेलन ने समरूप एवं ससजक (uniform and cohesive) शिक्षा नीति का समर्थन किया और शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाने की सिफारिश की।

(c) राष्ट्रीय एकीकरण परिषद (National integration council)—सामान्य जनता प्रगण्ड छात्रों के लिये आचार महिता को तयार करने के लिये सम्मेलन ने एक राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की रचना की। प्रधान मन्त्री, सभ्य गृह मन्त्री राज्या के मुख्य मन्त्रिया राजनीति दत्ता के सात नताम्ना विद्वद्विद्यालय अनुष्ठान आयोग व अध्याप, दो प्रधान शिक्षा शास्त्रिया, अनुसूचित जातिया और जनजातियो के आयुक्त तथा प्रधान मन्त्री द्वारा मनोनीत सात सदस्यो को इस परिषद का सदस्य बनाया गया। अल्प सङ्घको की शिकायता की जांच करन और उ हें दूर करने का अधिकार भी इस परिषद को सौंपा गया।

5 द्वितीय राष्ट्रीय एकीकरण परिषद (1968)—प्रथम राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन द्वारा राजनीतिक दलों के लिये तयार की गयी आचार महिता का पालन न तो राजनीतिक दलों ने और न ही सरकार न किया। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद भी अपना प्रतिबन्धन लेकर लुप्त हो गयी और सभी सिफारिशो कागज के टुकडे मात्र बने रह गये। परिणामस्वरूप 1961-68 के काल में अनेक साम्प्रदायिक दंगे और क्षेत्र तथा भाषा को लेकर अनेक आंदोलनो ने जन्म लिया जिन्होने विघटनकारी तत्वा का बढावा दिया और राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की चुनौती दी। परिणामस्वरूप सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा रचित राष्ट्रीय एकीकरण परिषद को पुन जीवित किया परन्तु उसके आचार को विस्तृत कर दिया। अथ सदस्यो के अतिरिक्त इस परिषद में उद्योग व्यापार और श्रमिक सभा के प्रतिनिधियो को भी शामिल किया गया। जहा प्रथम राष्ट्रीय एकीकरण परिषद के सदस्यो की संख्या 39 की बहा दूसरी परिषद के 15 सदस्य थे।

द्वितीय राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का एक सम्मेलन श्रीनगर में 20 व 28 जून 1968 तक आयोजित किया गया। सम्मेलन ने 'राष्ट्रीय एकता की रक्षा पर प्रहार करने वाली सभी प्रवृत्तियो' की भत्सना की और सभी राजनीतिक दत्ता मण्डला एवं छापाखाने को साम्प्रदायिक दुर्भावना (ill will) और क्षेत्रीय एकता को निरस्तहित करन की अपील की। इसने राष्ट्रीय एकता और गृहयुद्ध का बनावट के लिये सवारात्मक गतिवयो को सगठित करने का भी आधीन की। सम्मेलन ने अन्तर्वाद सम्प्रदायवाद और भाषावाद पर प्रतिबन्ध प्रस्तुत करने का निश्चय किया। इस सम्मेलन का प्रतिवेदन मन्त्री द्वारा सदन में पेश किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य निम्न थी—

(1) भिन्न भिन्न वर्गों में युवा संवाद, समूहों का सहकारिता

निगरानी रखने के लिये विस्तृत गुप्तचर मनीषण की योजना का

(ii) भिन्न जातियाँ, समुदायों और धर्मों में शत्रुता फैलाने वाले तत्वों को दण्डित करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता (Indian penal code) में यथा स्थान संशोधन किये जायें।

(iii) जो पत्र पत्रिकाएँ फूट और मतभेदों को फैलाती हैं उन्हें दण्डित किया जाये।

(iv) सीमा और भाषा विवादों का यथा शीघ्र निदान किया जाय।

(v) विश्वविद्यालय क्षेत्र का प्रयोग साम्प्रदायिक उद्देश्यों के लिए वर्जित हो।

(vi) धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया जाय।

(vii) धर्म और जाति पर आधारित राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाय जायें।

राष्ट्रीय एकीकरण परिपद ने अनेक समितियों का भी गठन किया। परन्तु फिर भी भारत में साम्प्रदायिक दंगों का क्रम जारी होना गया सन् 1969 के अहमदाबाद के साम्प्रदायिक दंगा और 1970 के भिवण्डी के साम्प्रदायिक दंगा ने राष्ट्र की आत्मा को ही झकझोर दिया।

(B) गर सरकारी प्रयास—राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये केवल सरकार ने ही सम्मेलनों का आयोजन नहीं किया बल्कि गर सरकारी प्रयासों ने भी साम्प्रदायिक क्षेत्रवाद और भाषावाद की समस्याओं का समाधान करने के लिये प्रयास किया है। गर सरकारी प्रयासों में मुख्य प्रयास निम्न थे—

1 सम्प्रदायवाद पर राष्ट्रीय सम्मेलन—साम्प्रदायिकता की स्थिति पर विचार करने के लिये जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) जन अर्द्ध सैनिक (para military) संगठनों की भूमना की और कहा कि ऐम संगठन प्रजातान्त्रिक समय में अनगत हैं।

2 अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का प्रस्ताव (1970)—अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने जून 1970 में एक प्रस्ताव द्वारा यह विचार व्यक्त किया कि "राष्ट्रीय स्वयं सेवक" और 'जमायते इस्लामी' जैसे अर्ध सैनिक साम्प्रदायिक संगठनों का धर्म निरपेक्ष समाज में कोई स्थान नहीं। सरकार को इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि क्या एस संगठनों को साम्प्रदायिक हिंसा और घृणा के विषय का फैलाने का अधिकार होना चाहिये।

3 इंसानी विरादरी (1970)—अगस्त 1970 में सान अन्दुल गफार का भारत आगमन पर भिन्न भिन्न वर्गों में सम्भावना पैदा करने और विघटनकारी गतिविधियों का सामना करने के लिये इंसानी विरादरी के नाम से एक गर सरकारी संगठन का निर्माण किया गया। श्री जयप्रकाश नारायण इसमें अध्यक्ष और श्री शैल अन्दुल्ला इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किये गये। प्रारम्भ से ही इंसानी

विरादरी म मतभेद थे क्योंकि प्रतिनिधि इस बात का ही निश्चय नहीं कर पाये कि किन राजनीतिक दला को साम्प्रदायिक राजनीतिक दल घोषित किया जाय है और इस आधार पर कि हैं इ सानी विरादरी की सदस्यता से वचित रखा जाय । प्रतिनिधियों का मत था कि यदि इन राजनीतिक दला को साम्प्रदायिक राजनीतिक दल घोषित नहीं किया गया तो इ सानी विरादरी की छाड मे वे साम्प्रदायिकता का प्रसार करते रहेंगे । परंतु जब प्रतिनिधिया के इस तर्क को स्वीकार न किया गया तो 37 प्रति निधि विरादरी से अलग हो गये ।

4 साम्प्रदायिकता विरोधी समिति (1973)—कांग्रेस की प्रमुख कार्यकर्ता श्रीमति सुभद्रा जोशी ने 1973 मे एक गर सरकारी समिति का गठन किया जिसे साम्प्रदायिकता विरोधी समिति की सजा दी गयी । समिति का एक सम्मेलन 11-13 दिसम्बर 1973 को किया गया जिसमे राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ जैसे सगठनों को साम्प्रदायिकता का चिह्न कहा गया । एक प्रस्ताव द्वारा यह भी कहा गया है कि अध सैनिक सगठनों पर प्रतिबंध लगाय जाये और जन सघ के प्रतिनिधिया को राष्ट्रीय एकीकरण परिषद से बाहर निकाल दिया जाय ।

उपयुक्त वरण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय एकीकरण को बढावा देने के लिये अनेक सरकारी और गर सरकारी प्रयास किय गये हैं और ये प्रयास आज भी जारी है । परंतु भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक विशेषता यह भी रही है कि साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद भाषावाद और जातिवाद के वावजूद भी राष्ट्रीय सक्ठो के समय सम्पूर्ण राष्ट्र ने सभी भेदों को भुलाकर विदेशी आक्रमणों का सामना किया है । यह तथ्य इस बात का प्रतीक है कि मिश्रताप्रेमी और साम्प्रदायिक दलों के वाद भी राष्ट्रीय जन राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक हैं और उनके प्रति निष्ठा रखते हैं । फिर भी, राष्ट्रीय एकता के प्रयासों मे भी ढील देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सतक और चौकता रहन की आवश्यकता है । यद्यपि भारत जैसे विदाल बहु-जातीय, बहु-राष्ट्रीय, बहु-पसृतियों और बहु धर्मों वाले देश मे छोटी छोटी घटनाओं का होना अस्वाभाविक नहीं परंतु फिर भी उह नियंत्रित रखने की आवश्यकता अवश्य है ।

G भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के दुर्बल एवं सबल तत्व
या भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली मे बाधाएँ एवं
सुगमताएँ या प्रजातंत्र मे एक महान प्रयोग

(Weak and strong points of Indian Democratic systems
or Hindrances and supporting points of
Indian Democratic system or
A great experiment of Democracy)

भारत एशिया का ही नहीं विश्व का सबसे बडा प्रजातांत्रिक देश है । यद्यपि इसकी प्रजातांत्रिक प्रणाली अभी अपनी शिशु अवस्था मे है फिर भी इसकी जडे इतनी गहरी पठ गयी हैं कि वह उन सक्ठों का सामना करने मे सक्षम हो जा समय समय पर उत्पन्न होने रहन हैं । यह इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि उहाँ एशिया और

(ii) भिन्न जातियाँ, समुदाय और धर्मों में शत्रुता फैलाने वाले तत्वों को दण्डित करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता (Indian penal code) में यथा स्थान संशोधन किये जायें।

(iii) जो पत्र पत्रिकाएँ फूट और मतभेदों को फैलाती हैं उन्हें दण्डित किया जाये।

(iv) सीमा और भाषा विवादों का यथा शीघ्र निदान किया जाय।

(v) विश्वविद्यालय क्षेत्र का प्रयोग साम्प्रदायिक उद्देश्यों के लिए वर्जित हो।

(vi) धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया जाय।

(vii) धर्म और जाति पर आधारित राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाय जायें।

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद ने अनेक समितियों का भी गठन किया। परन्तु फिर भी भारत में साम्प्रदायिक दलों का विस्तार होता गया सन् 1969 में अहमदाबाद के साम्प्रदायिक दल और 1970 में भिवण्डी के साम्प्रदायिक दल ने राष्ट्र की आत्मा को ही भकभोर दिया।

(B) गर सरकारी प्रयास—राष्ट्रीय एकता को बढावा देने के लिये केवल सरकार ने ही सम्मेलनों का आयोजन नहीं किया बल्कि गैर सरकारी प्रयासों ने भी साम्प्रदायिक क्षेत्रवाद और भाषावाद की समस्याओं का समाधान करने के लिये प्रयास किया है। गर सरकारी प्रयासों में मुख्य प्रयास निम्न हैं—

1 साम्प्रदायवाद पर राष्ट्रीय सम्मेलन—साम्प्रदायिकता की स्थिति पर विचार करने के लिये जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) जय अर्द्ध-मनिक (para military) संगठनों की भूमना की और कहा कि ऐसे संगठन प्रजातान्त्रिक समय में असंगत हैं।

2 अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का प्रस्ताव (1970)—अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने जून 1970 में एक प्रस्ताव द्वारा ये विचार व्यक्त किये कि "राष्ट्रीय स्वयंसेवक" और 'जमायते इस्लामी' जैसे अर्द्ध-मनिक साम्प्रदायिक संगठनों का धर्म निरपेक्ष समाज में कोई स्थान नहीं। सरकार को इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि क्या ऐसे संगठनों को साम्प्रदायिक हिंसा और घृणा के विषयों में फैलाने का अधिकार होना चाहिये।

3 इंसानी विरादरी (1970)—अगस्त 1970 में खान अब्दुल गफ्फार खाँ के भारत आगमन पर भिन्न-भिन्न वर्गों में सम्भावना पैदा करने और विघटनकारी शक्तियों का सामना करने के लिये इंसानी विरादरी के नाम से एक गर सरकारी संगठन का निमाण किया गया। श्री जयप्रकाश नारायण इसके अध्यक्ष और श्री बी. वेंकटरमण्डल इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किये गये। प्रारम्भ से ही इंसानी

विरादरी में मतभेद थे क्योंकि प्रतिनिधि इस बात का ही निश्चय नहीं कर पाये कि किन राजनीतिक दलों को साम्प्रदायिक राजनीतिक दल घोषित किया जाय है और इस आधार पर कि वह इंसानी विरादरी की सशयता से बचित रखा जाय। प्रतिनिधियों का मत था कि यदि इन राजनीतिक दलों को साम्प्रदायिक राजनीतिक दल घोषित नहीं किया गया तो इंसानी विरादरी की आड में वे साम्प्रदायिकता का प्रसार करते रहेंगे। परन्तु जत्र प्रतिनिधियों के इस तक को स्वीकार न किया गया तो 37 प्रतिनिधि विरादरी से अलग हो गये।

4 साम्प्रदायिकता विरोधी समिति (1973)—कांग्रेस की प्रमुख कार्यकर्ता श्रीमति सुभद्रा जोशी ने 1973 में एक गैर सरकारी समिति का गठन किया जिसे साम्प्रदायिकता विरोधी समिति की संज्ञा दी गयी। समिति का एक सम्मेलन 11-13 दिसम्बर 1973 को किया गया जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे संगठनों को साम्प्रदायिकता का चिह्न कहा गया। एक प्रस्ताव द्वारा यह भी कहा गया है कि अधुनिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाय जायें और जन मध्य के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् से बाहर निकाल दिया जाय।

उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये अनेक सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किये गये हैं और ये प्रयास आज भी जारी हैं। परन्तु भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक विशेषता यह भी रही है कि साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद भाषावाद और जातिवाद के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता के समय सम्पूर्ण राष्ट्र ने सभी भेदों को भुनाकर विदेशी आक्रमणों का सामना किया है। यह तथ्य इस बात का प्रतीक है कि भिन्नताप्रा और साम्प्रदायिक दलों के बाद भी राष्ट्रीय जन राष्ट्रियता के प्रति जागरूक हैं और उनके प्रति निष्ठा रखते हैं। फिर भी, राष्ट्रीय एकता के प्रयासों में भी ढील देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सतक और चौकता रहने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत जैसे विशाल बहु-जातीय, बहु-राष्ट्रीय, बहु-पन्थतियों और बहु-धर्मों वाले देश में छोटी छोटी घटनाओं का होना अस्वाभाविक नहीं परन्तु फिर भी उन्हें नियंत्रित रखने की आवश्यकता अवश्य है।

G भारतीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली के दुबल एवं सबल तत्व
या भारतीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली में बाधाएँ एवं
सुगमताएँ या प्रजातंत्र में एक महान प्रयोग
(Weak and strong points of Indian Democratic systems
or Hindrances and supporting points of
Indian Democratic system or
A great experiment of Democracy)

भारत एशिया का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश है। यद्यपि इसकी प्रजातान्त्रिक प्रणाली अभी अपनी शिशु अवस्था में है फिर भी इसकी जड़े इतनी गहरी पठ गयी हैं कि वह उन मकड़ों का सामना करने में सक्षम है जो समय समय पर उत्पन्न होने रहते हैं। यह इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि जहाँ एशिया और

अफीवा के अर्थ दे। की राज्य क्रान्तियाँ सैनिक, मतावादी या अर्थ किसी प्रकार के अप्रजातांत्रिक शासनो को जन्म दिया है वहाँ भारत में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद भाषावाद, राजनीतिक अस्थिरता, भीषण बेरोजगारी दुस्तर निधनता, दूर दूर तक फनी हुई निरक्षरता, आर्थिक विषमताएँ हिंसक घटनायाँ और बाह्य प्रतिकूल तत्वा के बाद भी प्रजातांत्रिक ढाँचा अिप्रमाण ही नहीं बल्कि यूनाधिक मात्रा में सफलता की भजिल की ओर अग्रगण्य अग्रगण्य हो रहा है। भारत के जन का सामान्यतया सविधान, कानून का शासन और उसके द्वारा स्थापित की गयी प्रजातांत्रिक सम्पादा में निष्ठा और विश्वास है। वह रा भाजिफ और आर्थिक परिवर्तन का इच्छुक है परन्तु वह प्राणि या हिंसक सामनो द्वारा छानाग नहीं लगाना चाहता बल्कि मवधानिक साधना द्वारा परिवर्तन चाहता है। वह विवेक द्वारा, विचार विमन द्वारा तथा जनमत के आधार पर परिवर्तन चाहता है। सन् 1971 के निर्वाचन में भारतीय जन द्वारा इरिरा गावी के समर्थन इस बात का प्रतीक है कि निस्वाय दृष्ट और लोक-सेवाई नतृव होने पर भारतीय जन जाति, धर्म क्षेत्र, या भाषा की भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर सोच सकता है तथा कार्य कर सकता है।

भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के दुबल तत्व या बाधाएँ—भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली पर जो तत्व प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं या उसकी सफल कार्याचिनि में बाधा प्रस्तुत करते हैं उह निम्न दो भागों में बाटा जा सकता है—

(A) आंतरिक तत्व (Internal factors)

(B) बाह्य तत्व (External factors)

(A) आंतरिक तत्व—आंतरिक तत्व जो भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली में बाधा प्रस्तुत करते हैं उह निम्न शीपका के अतगत व्यक्त किया जा सकता है—

(1) सकीण क्षेत्रीय भावनाएँ—भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली को सबसे बड़ा खतरा जातिवाद भाषावाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायवाद, धर्माधता और गुट विदयो जैसी सकीण भावनाओं से है। ये सकीण भावनाएँ ही राष्ट्रीय और भावात्मक एकता में बाधा प्रस्तुत करती हैं। जसाकि नामन डी० पामर ने लिखा है कि “भारत की राजनीतिक परम्पराएँ इसकी अधिकाँग सामाजिक प्रणालियाँ और रूढियाँ प्रजातांत्रिक होने के स्थान पर अधिक सत्तावादी हैं। भारत आज भी स्थानीय और क्षेत्रीय अफादारियों से नूत प्रस्त है।” इन सकीण भावनाओं में ही पृथक्तावादी तथा केन्द्रविमुसी (centrifugal) प्रवृत्तियाँ को जन्म दिया है क्षेत्र या भाषा के आधार पर छोटे छोटे राज्यों के निर्माण की माग को बल दिया है। तमिलनाडु में द्रविडस्तान की माग और पंजाब में खानिस्तान की माग इसी मकीणता के अंतर्गत हैं। भाषा के प्रश्न में हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी राज्यों में अटुता को जन्म दिया है। सकीण क्षेत्रीय भावनाओं ने ही सीमावर्ती अगडा को उत्पन्न किया है, जस अण्डीग के प्रश्न पर पंजाब हरियाणा या अगडा तथा मैसूर

और महाराष्ट्र में मोमार्ती भगडे। इस क्षेत्रवाद ने ही महाराष्ट्र में शिव सेना जैसे संगठनों को और "संस आँफ़ दी मायन" (sons of the soil) के सिद्धांत को जन्म दिया है। ये सब तब भारतीय प्रजातांत्रिक जड़ों पर ही प्रहार करते हैं।

(ii) भीषण आर्थिक त्रिभुजाएँ—भारत का जन मानस अभी उचित जीवन स्तर के लिये संघर्ष कर रहा है। लाखों की संख्या में लोग अभी 'यूननम' जीवन स्तर प्राप्त करने में असमर्थ हैं। भीषण निधनता, वृहद वरोजगारी और अपार निरक्षरता उनके जीवन को नीरस और असह्य बनाये जा रही हैं। आर्थिक विषमताएँ, अमीर गरीब के र्वेद, उचित और रचनात्मक कार्यों के अभाव ने श्रमिकों में अशांति, शिक्षिता में निराशा और असंतोष को जन्म दिया है। इन सब तबकों ने मिलकर अराजकता जन्म अवाञ्छित वातावरण और अवाञ्छित राजनीतिक शक्तियाँ (जैसे साम्यवादी साम्प्रदायिक हिंसक एवं जनोत्तेजक शक्तियों) को बढ़ावा दिया है। ये अवाञ्छित राजनीतिक शक्तियाँ ही इन भ्रूमे, नगों और अभावग्रस्त लोगों को बहका कर अराजकता के वातावरण को पैदा करती हैं तथा प्रजातंत्र की जड़ों पर भी प्रहार करती हैं।

(iii) हिंसक एवं साम्प्रदायिक घटनाएँ—हिंसा एवं हिंसक घटनाएँ प्रजातंत्र की घोर शत्रु हैं। ये घटनाएँ न केवल प्रजातांत्रिक संस्थाओं में अविश्वास को जन्म देती हैं बल्कि सत्ताहृदय दल में शक्ति को केन्द्रित करती हैं। सत्ताहृदय दल सबदा अराजकता का बहाना लेकर संकट की स्थिति बनाये रख सकता है और नागरिक स्वतंत्रताओं तथा सर्वैधानिक प्रणालियों से खिलवाड़ कर सकता है। भाषा और क्षेत्र को लेकर अनेक बार हिंसक आंदोलनों एवं प्रदर्शनों को संगठित किया गया है। दक्षिण में द्राविडस्तान के तमिल और पंजाब में पंजाबी मूवमेंट के लिये हिंसक आंदोलन हुए, बंगाल में नक्सलवादियों का गढ़ है जो हिंसा और राजनीतिक हत्याओं में विश्वास करता है। राजनीतिक हत्याएँ तो प्रजातंत्र के लिये निम्नी रूप में भी शुभ नहीं हैं।

साम्प्रदायिक दंगे प्रजातांत्रिक वातावरण को दूषित करते हैं। ये नागरिकों में सहिष्णुता की भावना के विकास के स्थान पर घमावना और वैमनस्य को जन्म देते हैं। ये दंगे भारतीय धर्म निरपेक्षता को भी एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। यद्यपि साम्प्रदायिक दंगे बुद्ध मुस्लिम धर्मांधरों और हिन्दू कट्टर पंथियों की मनीषिता के परिणाम हैं परन्तु मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय मुस्लिम राजनीतिक परामर्श समिति जैसे साम्प्रदायिक संगठनों का पुनर्गठन और विशेष हिंसा (मुस्लिम हिंसा) तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग निश्चित ही भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिये घातक सिद्ध हो सकती है।

(iv) सबसत्तावादी केन्द्र—भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली को बचकेंद्र विमुखी (centrifugal) प्रवृत्तियाँ ने ही खतरा नहीं बल्कि केन्द्रमुखी (centripetal) प्रवृत्तियाँ भी उसके लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। भारतीय संविधान केन्द्र को आवश्यकता से अति शक्तिशाली बनाना है। पान्थि कान में सबकेंद्री

शक्तियाँ या प्रयोग निश्चित ही प्रजातन्त्र के लिये शुभ नहीं है। उदाहरणतया ससद सत्र में अध्यादेशों द्वारा शासन करना ससद की अपेक्षा ही नहीं बल्कि प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत भी है। शांतिकाल में निवारक विरोध अधिनियम (PDA) भारत सुरक्षा अधिनियम (DIR) आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) का प्रयोग कर नागरिक स्वतंत्रताओं या दमन करना या विरोधियों की राजनीतिक गतिविधियों में बाधा प्रस्तुत करना अप्रजातांत्रिक है। उदाहरणतया विरोधी राजनीतिक नेताओं को किसी राज्य में प्रवेश करने से रोकना, जनता को सम्बोधित करने के लिये सावर्जनिक सभाओं को घाता न देना, आदि सामान्य गतिविधियों में प्रजातांत्रिक बाधा है। दलीय दृष्टिकोण से अनुच्छेद 356 का प्रयोग अर्थात् राज्यों में संवैधानिक संकट की स्थिति को बनाये रखना तथा राष्ट्रपति शासन को लागू रखना राज्यों की स्वायत्तता और जन इच्छा की अपेक्षितता करना है।

(v) साम्यवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव—साम्यवाद संवसत्तावादी, एकत्ववादी और अधिनायकवादी विचारधारा है। इस प्रजातांत्रिक प्रणालियों और संस्थाओं में विश्वास नहीं। उसके लिये संविधान, ससद, कानून का शासन, नागरिक स्वतंत्रताएँ केवल ढोंग हैं। साम्यवादी संवसाधारण जनता की असहाय स्थिति, निरक्षरता और निधनता का लाभ उठाकर उनमें इन प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं। साम्यवादी हिंसा और क्रांति की वाणी बोलते हैं सत् प्रस्तित्व, समझौते और संवैधानिक वाणी का प्रयोग नहीं करते। जिन्हें संवैधानिक साधनों में विश्वास नहीं, उनका (साम्यवादियों का) संसद काग्रेस के साथ गठबंधन जो संवैधानिक साधनों में विश्वास करती है, प्रजातंत्र के लिये शुभ नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के साम्यवादियों की बफादारी भारत राष्ट्र के प्रति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रति है। कुछ तो इसी साम्यवाद की बोली बोलते हैं (CPI) और कुछ चीनी साम्यवाद की (CPI(MJ))

(vi) मुहड़ विरोधी दल का अभाव—सुमगठित एव मुहड़ विरोधी दल प्रजातंत्र का प्राण है और जारवाद सीजरवाद और अधिनायकवाद के विरुद्ध सर्वोत्तम गारण्टी है। जसाकि जेनिंग्स ने लिखा है कि 'जब तक विपक्ष विद्यमान है अधिनायक तन्त्र ही नहीं सकता' परन्तु दुर्भाग्य से स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत में मुहड़ दल का अभाव रहा है। जब तक भारत में मुहड़ विरोधी दल का उदय नहीं होता जो कांग्रेस के विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, तब तक भारतीय प्रजातंत्र पर संदेह व्यक्त किये जायेंगे। एक दलीय प्रभुता (only party dominance) अर्थात् कांग्रेस का सत्ता में लम्बे समय तक बस रहना प्रजातंत्र के लिये शुभ नहीं। यह विश्वास ही कि कांग्रेस का कोई मुहड़ विकल्प नहीं, निरकुशता, प्रशासनिक अक्षमता उदासीनता और अकुशलता को जन्म देता है।

(vii) द्विदलीय पद्धति का अभाव—भारतीय प्रजातंत्र में केवल मुहड़ विरोधी दल का ही अभाव नहीं बल्कि द्विदलीय पद्धति का भी अभाव है जबकि प्रजातंत्र

की सफलता के लिये द्वि दलीय पद्धति का होना आवश्यक है। इतना ही नहीं कुछ राजनीतिक दलों को छोड़कर (जैसे कांग्रेस, साम्यवादी आदि) अनेक राजनीतिक दलों का आधार क्षेत्र, भाषा या जाति है। उदाहरणतया पंजाब का अकाली दल धर्म और भाषा पर आधारित है और केवल पंजाब तक ही सीमित है, डी० एम० के० द्राविडवाद पर आधारित है और केवल तमिलनाडु तक सीमित है। मुस्लिम लीग तो केवल मुस्लिम सम्प्रदाय पर आधारित है। यद्यपि जनसंघ एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है परंतु उसका दृष्टिकोण 'हिंदू भारत', 'हिंदू राज' है। आर० एस० एस० (RSS) जो जनसंघ की सहायक निकाय है, हिंदूवाद में विश्वास करती है, बलराज मधोक इस्लाम का भारतीयकरण चाहते हैं, हिंदू महासभा अखण्ड भारत चाहती है और शिव सेना के बाल ठाकर 'कट्टर हिंदू' होने में ही शानत समझते हैं। जब तक भारत में दलों का आधार आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक नहीं होता और जब तक द्वि दलीय पद्धति का विकास नहीं होता तब तक भारतीय प्रजातंत्र पर सदेह व्यक्त किये जायेंगे।

(viii) राजनीतिक अस्थिरता—राजनीतिक अस्थिरता भी भारतीय प्रजातंत्र के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती है। नेहरूजी के निधन के बाद यह अस्थिरता जोर पकड़ती जा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व में दृढ़ता की कमी और गुटवाजी ने 1969 में कांग्रेस विभाजन को जन्म दिया। यद्यपि 1971 के सप्तदश निर्वाचन और 1972 के राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन के बाद ऐसा प्रतीत होता था कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व प्रशासन में दृढ़ता और स्थिरता लाने में सक्षम है, परंतु 1974-1975 की घटनाओं [विशेषकर 1974 में गुजरात विधान सभा का भंग होना, जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाये गये आंदोलन में सम्पूर्ण जाति की मांग, मोहन धारिया तथा उस जैसे कांग्रेसी सदस्यों द्वारा जयप्रकाश नारायण के वार्तालाप (dialogue) की मांग, गुजरात में निर्वाचन के लिये मोरारजी द्वारा किया गया उपवास, उसकी स्वीकृति तथा कुछ कांग्रेसी राज्यों में गुटबंदियों के कारण नेतृत्व में परिवर्तन की मांग (बिहार में अब्दुल गफूर को त्याग पत्र देना पडा) आदि] ने सिद्ध कर दिया कि भारत में अभी राजनीतिक स्थिरता की कमी है। सन् 1967 के निर्वाचन के बाद जिन राज्यों में संयुक्त मोर्चे की सरकारों का निर्माण किया गया वे बुरी तरह असफल हुईं। सरकारों के घटने व बिगड़ने से उन्होंने न केवल राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया बल्कि दल बदली (defection) और विचलित मंत्रिया (shifting alliances) को जन्म दिया है। अयोग्य नेतृत्व, अपर्याप्त निष्पादन (inadequate performance) अंतरिक विभाजन, हिंसक एवं साम्प्रदायिक घटनाओं को दृढ़ता पूर्वक दवाने में प्रशासन की दुबलता ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है। रजनी कोठारी ने ठीक लिखा है कि 'आवश्यक ऐतिहासिक घटतदृष्टि का अभाव लम्बे समय तक अस्थिरता और गतिहीनता को या संघर्षात्मक ध्रुवोत्तरण को जन्म दे सकता है जो दुर्व्यवस्था उत्पन्न कर सकती है।'¹

(B) बाह्य तत्व (External factors)—भारतीय प्रजातन्त्र में केवल आत

मिक तत्व ही बाधा प्रस्तुत नहीं करने वरिक्त बाह्य तत्व भी उत्तरे प्रजातन्त्र के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं। प्रथम, आज के विश्व की आवश्यकतायें सत्ता के केन्द्रीयकरण की मांग करती हैं। तनाव बेमनस्य शका और अविश्वास का वातावरण शस्त्रों की होड़ और युद्ध को जन्म देने हैं और ये दोनों तत्व प्रजातन्त्र के शत्रु हैं। दूसरे, एशिया में प्रवृत्ति स्वसत्तावादी शासनो का है। एशिया के जिन देशों ने प्रजातान्त्रिक प्रणालियों को अपनाया था वहाँ किसी न किसी रूप में स्वसत्तावादी शासन स्थापित किये गये हैं। बंगला देश के संविधान में हाल ही में किये गये परिवर्तन प्रजातन्त्र के लिये शुभ नहीं कह जा सकते। इनकी भारत में भी पुनरावृत्ति हो सकती है। तीसरे, विरोधी (शत्रु) पाकिस्तान (hostile Pakistan) और साम्यवादी चीन भारतीय प्रजातन्त्र के लिये शुभ नहीं। चौथे चीन पाकिस्तान की साठ गाँठ भारतीय प्रजातन्त्र के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती है। उदाहरणतया वे अपने देश में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सके हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़े और यहाँ के जनसाधारण का प्रजातान्त्रिक प्रणालियों में विश्वास खत्म हो जाय। सन् 1970-71 में पाकिस्तान ने अपने पूर्वी भाग में (अब बंगला देश) अपने ही नागरिकों पर ऐसे अत्याचार किये कि उन्हें शरणार्थी बन कर लाखों की तादाद में भारत में शरण लेनी पड़ी। उन घटनाओं का प्रभाव आज तक भी भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं वे विरोधियों को ननिक प्रशिक्षण देकर भारत में आतंरिक उद्वेगों को जन्म दे सकते हैं, जसाकि चीन और पाकिस्तान में नक्सलवादियों को अब तक प्रशिक्षण दिया गया है। पाकिस्तान ने तो भारत में साम्प्रदायिक विष फैलाने में कोई बसर ही नहीं छोड़ी है। यदा कदा वह रेडियो प्रसारण द्वारा साम्प्रदायिक भावनायें फैलाता रहता है। अमरीका जैसे प्रजातान्त्रिक देश भी पाकिस्तान को सैनिक पात्रों सामान से सहायता देकर इस उप महाद्वीप में युद्ध वातावरण को बनाये रखना चाहते हैं और भारत को बाध्य होकर सैनिक तयारी में रहना पड़ता है। ये सब तत्व भारतीय प्रजातन्त्र के लिये शुभ नहीं कह जा सकते।

उपयुक्त आतंरिक और बाह्य तत्वों के कारण ही अनेक भारतीय और विदेशी लेखकों ने भारतीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली की असफलता की भविष्यवाणी भी की थी। उदाहरणतया 1969 में निराद सी० चौधरी ने स्पष्ट ण० में कहा था कि "संसदात्मक प्रजातन्त्र सहित भारत की दलीय व्यवस्था असफल हो गयी है" ¹ और 'देश के प्रशासन को चलाने के लिये हमें किसी अन्य विधान के बारे में विचार करना चाहिये।' ² नैबिली मैक्स वेल ने तो उससे विख्यात की भविष्यवाणी भी की। उसका विश्वास था कि नागरिक सत्ता के असफल हान पर भारत में 'मुगल शासन काल' का धाद की स्थिति पैदा हो जायगी' या 'टूटी हुई कमर वाला राज्य बन जायगा जिसमें

साम्यवादी सत्ता छीन लेंगे या गांधीवादी कल्पना की अत्यधिक राजनीतिक विक द्रो वृत्त व्यवस्था स्थापित की जायगी जिसमें सत्ता का केन्द्र ग्राम होगा अर्थात् इसका स्वरूप दलविहीन प्रजातंत्र (partyless democracy) का हो सकता है। उसने तो भारत के राजनीतिक विघटन और हिन्दू राज्य की स्थापना की कल्पना भी की थी।¹

भारतीय प्रजातंत्र के समयन में तत्त्व—यह मत्व है कि विघटनकारी तत्त्वों का रूप में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और साम्प्रदायवाद की भावनाएँ, बेरोजगारी और निचलता के रूप में आर्थिक विषमताएँ, निरक्षरता के रूप में सामाजिक बुराई, हड़ताल, हिंसक घटनाएँ और राजनीतिक हत्याओं के रूप में अव्यवस्था, मुद्दह विरोधी दल के अभाव में दल बदल और विवर्ती मत्रियो (shifting alliances) की राजनीति के रूप में राजनीतिक अस्थिरता और पडोसी राज्या (विशेषकर विरोधी पाकिस्तान और साम्यवादी चीन) की शत्रुता के रूप में दूषित वाह्य वातावरण आदि तत्त्व भारतीय प्रजातंत्र में भीषण वाधाओं के रूप में विद्यमान हैं परन्तु फिर भी भारतीय प्रजातंत्र स्थायी रहा है, आज भी विद्यमान है और भविष्य में भी इसके बने रहने की आशा है। इसका संविधान काय कर रहा है। उसका द्वारा स्थापित की गयी प्रजातांत्रिक संस्थाओं में भारतीय जनता का पूरा विश्वास है। लोग का राज्य के कार्यों में योगदान प्रत्यक्ष और प्रभावशाली है। एक दलीय प्रभुता ने निरकुशता को जन्म नहीं दिया। केन्द्र के अधिक शक्तिशाली होने पर भी राज्यों की स्वायत्तता को नष्ट नहीं किया गया। जहाँ कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, वहाँ सामाजिक स्थिति स्थापित होने पर पुनः उत्तरदायी शासन को स्थापित किया गया। विरोधी दल दुबल होते हुए भी सत्रिय हैं और जनमत को प्रभावित करने में सक्षम हैं। सभी राजनीतिक दल (केवल साम्यवादी मार्क्सवादी नक्सलवादी दल को छोड़कर) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिये सर्वधानिक साधना में विश्वास करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। सामुदायिक विकास योजनाओं (community development projects), राष्ट्रीय विकास सेवाओं और पंचायती राज ने अपार राजनीतिक जागृति को जन्म दिया है। ये योजनाएँ और सेवाएँ लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इन सब तत्वों के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो भारतीय प्रजातंत्र को मुद्दह बनाता है वह भारतीय जन की प्रजातांत्रिक संस्थाओं का कार्यान्वित करन की इच्छा है।

भारतीय प्रजातंत्र को सफर और मुद्दह बनाने वाले तत्वों को मुन्यत निम्न नीचका के अलगत ध्यक्त किया जा सकता है—

(1) संविधान—राष्ट्रीय एकता का प्रतीक—भारतीय जनता ने सन् 1950 के संविधान का राष्ट्रीय एकता के चाटर का रूप में स्वीकार किया है। इसकी

1 Quoted by Palmer Norman D Ibid pp 22-23

सीमाओं के अतहत ही सभ्य प्रजाती को कार्यान्वित किया गया है तथा उसकी कार्यान्विति के सम्बन्ध में बातों की जाती है। भारतीय राष्ट्रीयता के अतहत ही राज्यों की सीमाओं को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। भाषा के प्रश्न को ससद स्थल पर निपटाया गया है और भारतीय राष्ट्रीयता के अन्तर्गत ही उसका हल ढूँढा गया है। इस तरह भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय व्यवहार के मापदण्डों को निर्धारित किया है।

भारतीय संविधान ने ही सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे को तथा राजनीतिक व्यवहार के ताकिक और सस्थागत आधारों को सहयोग प्रदान किया है। संविधान ने ही राष्ट्रीय आदर्शों (national ideals) को स्थापित किया है तथा उन ताकिक और सस्थागत तरीकों को निश्चित किया है जिनके माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा शासन पर प्रभाव डाला जा सकता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ने तो सर्वसाधारण में यह जागृति पैदा कर दी है कि प्रजातांत्रिक व्यवहार और प्रजातांत्रिक संस्थाओं द्वारा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। मक्षप में, भारतीय संविधान ने परम्परागत दृष्टिवादी, सौपानिक समाज को नवीन, आधुनिक और प्रजातांत्रिक भावनाओं से प्रेरित किया है। ग्रैनविले आस्टिन ने ठीक लिखा है कि संविधान को भारत में प्रजातन्त्र के आधार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार कोई परिवार घर की बुनियाद की दृष्टान्तता की परि कल्पना करता है जिसमें वह निवास करता है।

(ii) मतक्यता और समायोजन (Consensus and accommodation) —

मतक्यता और समायोजन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं। इन्होंने भारतीय प्रजातांत्रिक ढाँचे को सुरक्षित रखने और सुदृढ बनाने में बहुत सहयोग दिया है। जसाकि नामन डी० पामर ने लिखा है कि “भारत के वर्तमान सौदाकारी सघ में समझौता, परिवर्तन, समायोजन, साझादारी और सामञ्जस्य के लिये पर्याप्त स्थान है।” जहाँ मतक्यता द्वारा निर्णयों को सर्वसम्मति या निकट सर्वसम्मति (unanimity or near unanimity) से लिया जाता है वहाँ समायोजन में अलग-अलग दृष्टिकोणों को सिद्धांतों या विचारों को समन्वित कर कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाता है। मतक्यता का सिद्धांत इस भावना पर आधारित है कि राजनीतिक झगड़ा को साधारण बहुमत (49 की तुलना में 51 द्वारा लिये गये निर्णय) द्वारा निश्चित करने के न्याय पर यदि उन्हें सर्वसम्मति या निकट सर्वसम्मति द्वारा निश्चित किया जाय तो उन्हें विरह्यायी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार समायोजन में परस्पर विरोधी सिद्धान्तों या विचारों को मिलाने के स्थान पर उन्हें बनाये रख कर एक साथ कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाता है। भारत में प्राचीन समय से ही ग्राम पंचायतों के निर्णय मतक्यता के आधार पर लिये जाते थे। संविधान सभा में, संविधान निर्माण के कार्य में, मतक्यता और समायोजन

के नियमों को अपनाया गया। भारतीय संस्कृति, धर्म और विचारों में समायोजन की प्रवृत्ति है। हिंदू धर्म में मताघता (dogmatism) का नाम नहीं है, इसमें तो समाजोपयोग की प्रवृत्ति है। स्पेयर इसे हिंदू धर्म की "समायिता और महति" की संज्ञा देता है। डॉ. राधा कृष्णन ने भी लिखा है कि "भारत में धर्म, मताघता पर आधारित नहीं। यह तार्किक सम्बन्ध है जो दान के विकास के माध्यम से नवीन विचारों को अपने में खड़ा कर लेता है।"

भारतीय समाधानिक ढाँचे में अनेक विरोधी तत्वों को समायोजित किया गया है। उदाहरणतया भारतीय समाधान समय की आवश्यकतानुसार समात्मक और एकात्मक है। यदि गाँविकाल में यह समात्मक है तो सङ्घकाल में एकात्मक है। इसी प्रकार भारत गणराज्य होते हुए भी राष्ट्रमण्डल जैसी राजतान्त्रिक संस्था का सदस्य है। ग्रैन्विले आस्टिन ने लिखा है कि "भारत पहला राष्ट्र है जिसे गणतन्त्रवाद और राजतन्त्र के मध्य समायोजन स्थापित किया है।" इसी प्रकार केन्द्रीकरण की आवश्यकताओं को अनुभव करते हुए यदि केन्द्र को शक्तिशाली बनाया गया तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था भी की गयी। इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू भी किया गया है। स्पष्ट है, जैसा कि माइकेल वेबर ने लिखा है "भारतीय राजनीतिक प्रणाली का अखिल भारतीय वृत्त स्थायी, परिपक्व, व्यवहारकुशल और लचीला है। विशाल बाह्य आक्रमणों और सतत आर्थिक संकटों की अनुपस्थिति में इसके जीवित रहने की अधिक सम्भावनाएँ हैं।"

(iii) तंग और खुला समाज (Closed cum open society)—भारतीय प्रजातन्त्र में परम्परा और आधुनिकता तथा तंग और खुले समाज का अद्वितीय मिश्रण है। परम्परागत सामाजिक रूढ़ियों के साथ-साथ कानून का शासन विद्यमान है। क्षत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद और साम्प्रदायवाद के साथ धर्म निरपेक्षता विद्यमान है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार स्तम्भ है। यही कारण है कि क्षत्रवाद भाषावाद और जातिवाद के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ है और संकट के समय सभी ने मिलकर कार्य किया है। यह तथ्य भारतीय प्रजातन्त्र की सुदृढता का द्योतक है कि जहाँ रूस और चीन में राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने के लिये निरंकुश साधनों (सर्वसत्तावादी शासन) का सहारा लिया और जहाँ छोटे-छोटे राष्ट्रों में राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने के लिये नियंत्रित प्रजातन्त्र (guided democracy) को जन्म दिया वहाँ भारत ने भिन्नताओं में एकता (unity in diversity) को उत्पन्न किया। भिन्नताओं का यह तत्व ही भारतीय प्रजातन्त्र को ठोस आधार प्रदान करता है। भारत एक बहुजातीय, बहुभाषी और बहुसंस्कृतिया वाला देश है। इसमें छोटे-मोटे उपद्रवों या यदा-कदा उत्पन्न होने वाली हिंसक घटनाओं के आधार पर प्रजातान्त्रिक ढाँचे की असफलता की कल्पना करना अनुभवहीनता का द्योतक है, परिपक्वता का नहीं। ये तत्व भारतीय

तो खोखला नहीं बनाने बल्कि सचेत करने है। क्षेत्रवाद तो निपेधात्मक होते हुए भी सकारात्मक है। यह भारत में अधिनायकवाद के विरुद्ध गारण्टी है।

(iv) नागरिक स्वतंत्रताएँ—भारतीय प्रजातंत्र के मुख्य तीन आधार हैं—मूल अधिकार, धर्म निरपेक्षता और नीति निर्देशक तत्व। धर्म निरपेक्षता के कारण भारत में सभी जातियों का स्वीकार किया जाता है। जाति धर्म, लिंग सम्पत्ति आदि के आधार पर नागरिकों में कोई भिन्नता नहीं की जाती। सभी को अपनी इच्छानुसार ईश्वर उपासना की स्वतंत्रता है। यद्यपि नागरिकों के मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं और निरारक निरोध अधिनियम भारत सुरक्षा अधिनियम और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) जैसे अपजातीयक तत्व विद्यमान हैं परन्तु नागरिक स्वतंत्रताओं की गारण्टी के रूप में स्वतंत्र न्यायालय विद्यमान हैं। नीति निर्देशक तत्वों की कार्यविधि द्वारा जहाँ एक ओर पिछड़ी हुई जातियों (अनुसूचित जातियों) का उन्नयन किया जा रहा है वहाँ पूँजी के केन्द्रीयकरण को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

(v) आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति—यह सत्य है कि बेरोजगारी, विधरता और गम्भीर आर्थिक विपन्नताएँ भारतीय प्रजातंत्र के लिये खतरा है परन्तु भारत की अर्थ व्यवस्था इतनी निबल नहीं कि वह मकड़ों का सामना नहीं कर सके। वस्तुतः भारत की अर्थ व्यवस्था ने चार युद्धों के गम्भीर सफ़ाई और 1970-71 के लाखों गारण्ठाधिकारियों के बर्तन को सहन किया है। यह अर्थ व्यवस्था की सुदृढता का द्योतक है निबलता का नहीं। नियोजन द्वारा विकास की गति को निश्चित किया गया है। स्वायत्तता में भी अब भारत आत्म निर्भरता के निकट है और नैतिक शक्ति में भी लगभग आत्म निर्भर है। 18 मई 1974 को पोकरण में अणु परीक्षण और 19 अप्रैल 1975 में पृथ्वी की परिक्रमा के लिये छोड़ा गया आद्यभट्ट नाम का उपग्रह भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी कुशलता का प्रतीक है। आर्थिक, नैतिक और वैज्ञानिक कुशलता भारतीय प्रजातंत्र को सुरक्षित बनाती है। स्पष्ट है कि भारतीय अर्थी समस्याओं का गतिमय साधना में समाधान करने के लिये हठ मकल्प है।

(vi) शांतिवादी विदेश नीति—भारत की विदेश नीति गतिमय पर आगारित है जो उसके प्रजातंत्रिक ढाँचे की सुदृढ करती है। भारत कभी साम्राज्यवादी देश नहीं रहा और न वह साम्राज्यवादी बनने की इच्छा रखता है परन्तु यदि भारत विस्तारवादी नहीं तो वह अपनी सीमाओं का रक्षा करना भी जानता है। इस तरह उसकी सैनिक सुदृढता विश्व शांति के लिये खतरा नहीं बल्कि उसके स्वायत्तत्व की द्योतक है।

(vii) स्वतंत्र निर्वाचन—स्वतंत्र निर्वाचन भारतीय प्रजातंत्र की आधार शिला है। राज्य के कर्म में नागरिकों का योगदान प्रगति और प्रभावशाली है। यद्यपि निर्वाचनों में जातिवाद और भाषावाद नजर आता है परन्तु 1971 के निर्वाचन में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनशक्ति जाति धर्म निरादरी, क्षेत्र और

गुटबन्धी म ऊपर उठ कर राष्ट्रीय स्तर पर सोच सकता है तथा वाय कर सकता है ।
 भारतीय जन प्राज हतना जागम्ब है कि यह अपनी रथा स्वय कर सकता है, श्राव
 दयता केवल मुहृद तिस्याय लोन मेवाई नेवृत्र की है ।

(viii) सधधानिक साधनों मे विश्वास—यह सत्य है कि भारत म मुहृद
 विरोधी दल और धार्मिक रणा सामाजिक सिद्धांता पर आधारित दना जो कमी है
 परन्तु एक दनीय प्रगुता न तिरगुशता को जम नहीं दिया और न ही मुहृद विरोधी
 रण म अभाव उ उमे घत्याचारी बनाया है । यह सत्य है कि राज्या म कभी कभी
 रण म त्रु और त्रिवर्ती मैद्रिया क नारणु राजनीतिक अस्थिरता को उत्प न रिया है
 परन्तु उगन अघ्यवस्था को जम नहीं दिया । भारत के सभी राजनीतिक दल (नाम्न
 चान्धिया, मागवादियो और नवसलवादिया को छोड कर) सामाजिक और धार्मिक
 परिवहन को सर्वधानिक साधना द्वारा लाना चाहन हैं त्रिति या हिंसा द्वारा नी ।
 जयप्रकाश नारायण की सम्पूणु त्रिति का उद्देश्य नी त्रगिरिका को अपने प्रजा
 त्रितिक अधिकारा क प्रति जागम्ब बनाना है और जन प्रतिनिधियो क उत्तरदायित्व
 को चाम्बविक बनाना है । यह भारतीय प्रजातत्र का मू रवान मेरा है ।

उपमु त्त वणुत त स्पष्ट है कि भारतीय प्रजातत्र के माम म अनेक बाधायें
 है, उसम अनक चुनीतिया हैं । यद्यपि उसमें इन चुनातिया का सामना करन की क्षमता
 है परन्तु फिर भी सतयता की प्रावश्यकता है और राजनीतिक प्रजातत्र के साथ साथ
 धार्मिक प्रजातत्र के लान की प्रावश्यकता है । जिसनी शीघ्रता म धार्मिक प्रजातत्र को
 नान का प्रयास किया जायगा उतनी ही मात्रा म प्रजातानिक ढाचा दृढ एव शक्ति
 गानी हागा ।

II भारत मे ससदात्मक प्रणाली

(Parliamentary System in India)

ससदात्मक प्रणाली का अर्थ—कायपालिका और व्यवस्थापिका के सम्म धा
 क आधार पर प्रजातत्रिक शासन प्रणालियों को दो भागा मे विभक्त किया जाता
 है—ससदात्मक और अध्यक्षात्मक । जहा कायपालिका और व्यवस्थापिका मे
 घनिष्ट सम्म ध वन रहते हैं, जहा कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सन्स्य
 होने हैं जहा कायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके
 विश्वास पर सत्तारुढ रहती है, वहा ससदात्मक प्रणाली विद्यमान होती है । इस
 प्रकार की शासन व्यवस्था को मनिमण्डतात्मक और उत्तरदायी शासन की सजा
 दी जाती है । इंग्लंड और भारत मे इसी प्रकार की शासन व्यवस्था विद्यमान है ।
 दूसरी और जहा कायपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतत्र होती है
 जहा कायपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं हों और उसके प्रति
 उत्तरदायी नहीं होत तथा उसके विश्वास पर सत्तारुढ नहीं रहत वहा अध्यक्षात्मक
 प्रणाली विद्यमान होती है । इस प्रकार की शासन व्यवस्था अमेरिका मे
 विद्यमान है ।

ससदात्मक या मंत्रिमण्डलात्मक शासन की एक अत्य प्रमुख विशेषता यह है कि इनम नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में भेद किया जाता है। कार्यपालिका अध्यक्ष, चाहे वह ब्रिटिश सम्राट की भांति पैतृक हो या भारत की भांति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो नाम मात्र का अधिकारी होता है। वह 'स्वर्णिम गूय' 'मिट्टी का महादेव', 'मुकुटधारी शासक' एवं 'रबड़ की मोहर' होता है। वह राज्य करता है, शासन नहीं। यद्यपि सर्वधानिक तौर पर शासन की सारी शक्ति उसके हाथ में होती है और उसके नाम पर ही शासन-शक्ति का प्रयोग किया जाता है परन्तु वास्तविक रूप में उसकी शक्तियाँ का प्रयोग मंत्रिमण्डल करता है जिसका नेतृत्व प्रधान मंत्री करता है। ससदात्मक प्रणाली में मंत्रिमण्डल "शासन व्यवस्था का हृदय", 'नीति का चुम्बक', "राजनीतिक वृत्त खण्ड के मेट्राब का मुख्य पत्थर", 'केन्द्रीय निर्देशक मण्डल' है। प्रधान मंत्री ही मंत्रिमण्डल का निर्माता, पोषण करता और सहार करता है। उसके जीवित रहने में मंत्रिमण्डल जीवित रहता है और उसके मरने से या त्याग पत्र देने से सारा मंत्रिमण्डल समाप्त हो जाता है।

भारत में ससदात्मक प्रणाली का विकास—भारत में समजात्मक प्रणाली के इतिहास को सन् 1919 के भारत सरकार अधिनियम में देखा जा सकता है। जब ब्रिटिश प्रांतीय द्वैध प्रणाली के अंतर्गत हुस्ता तर्जित विषयो के सम्बन्ध में आधिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गयी थी। सन् 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भी प्रांतीय ससदात्मक प्रणाली को लागू किया गया था यद्यपि गवर्नरो की स्थिति सवधानिक अध्यक्ष की नहीं थी। भारत के सविधान निर्माताओं ने ऐतिहासिक अनुभव से लाभ उठाते हुए भारत में (केन्द्र व राज्यों में) ससदात्मक प्रणाली को स्थापित किया। यद्यपि सविधान राष्ट्रपति को अनेक ऐसी शक्तियाँ प्रदान करता है जो ससदात्मक प्रणाली से मेल नहीं खाती परन्तु सविधान इस बात की उपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमण्डल के परामर्श पर ही करेगा। डा० अम्बेदकर ने भी राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए सविधान सभा में कहा था कि 'राष्ट्रपति' 'राज्याध्यक्ष है, शासनाध्यक्ष नहीं। यह राष्ट्र का प्रतिनिधि है, शासक नहीं। वह केवल राष्ट्र का प्रतीक है। शासन में उसका स्थान एक आनुष्ठानिक गुण का है जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्णय प्रस्ताव किये जाते हैं।'

ससदात्मक प्रणाली पर अनिश्चित की गयी शक्तियाँ—सविधान निर्माताओं ने जब भारत में ससदात्मक प्रणाली को स्थापित किया तो उस समय और उसका बाद भी अनेक भारतीय तथा पश्चिमी देशों का नई नई सफल कार्यावृत्ति पर सन्देश व्यक्त किये। अनेक विनाग के पगम्बरो (prophets of doom) ने भारतीय ससदात्मक प्रणाली की असफलता की भविष्यवाणी भी की। इनका विश्वास था कि विनाग लोगो को बयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है उनमें अधिनाग निरक्षर

हैं, भारत जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और साम्प्रदायवाद का घर है, यहाँ स्थानीय गुटबंदियाँ और कठोर सामूहिक वफादारियाँ राष्ट्रीयता और राजनीतिक स्थिरता पर प्रहार करती हैं। आर्थिक विषमतायें दुस्तर निधनता और वरोजगारी, नागरिकों के स्वतंत्र आचरण में बाधक हैं, शासक और नासितों में नियमित सम्पर्क का अभाव है, सुदृढ़ विरोधी दल और परिपक्व राजनीतिक दलों (एक—दो राजनीतिक दलों का छोड़कर) का अभाव है, आदि।

यद्यपि भारत में समसदात्मक प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है?— मसदात्मक प्रणाली की सफलता के लिये अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है जैसे ठोस राजनीतिक दलों का अस्तित्व सुदृढ़ विरोधी दल जो सत्ताहट दल का विकल्प प्रस्तुत कर सके, राजनीतिक दलों का सवधानिक साधनों में अदृष्ट विश्वास, राजनीतिक दलों में सञ्चिन्ता और परिमितता, समसदात्मक सर्वोच्चता मजबूत मण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व सहनशीलता, स्वतंत्र सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियाँ स्वतंत्र छात्रागाना, स्वतंत्र पाठ्यपालिका, शिक्षित जागरूक एवं सक्रिय मतदाता, राष्ट्रीयता की भावनायें, सविधान में मौलिक परिवर्तनों के लिये सार्वजनिक आशा (public mandate) की आवश्यकता, आदि।

भारत में समसदात्मक प्रणाली की सफलता और असफलता को निम्न नीयकों के अन्तर्गत व्यक्त किया जा सकता है—

(1) सहिष्णुता और परिमितता के रूप में—समसदात्मक प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों में यह गौण समझौता होता है कि वे सत्ता को प्राप्त करने के लिये केवल सवधानिक साधनों का प्रयोग करेंगे। राजनीतिक दलों का विश्वास 'मतपत्र की शक्ति' (power of the ballot) में होना चाहिये 'गानों की शक्ति' में नहीं। वे तब, अनुभव और निर्वाचनों के माध्यम से जनमत को अपने पक्ष में करने समर्थ होंगे, अनुभव और निर्वाचनों के माध्यम से जनमत को अपने पक्ष में करने समर्थ होंगे और पराजय को 'खेल के नियमों' की भाँति स्वीकार किया जाता है। यदि बहुमत सत्ताहट हो कर शासन को चलाता है तो अल्पमत विरोधी दल के रूप में उसकी नीतियों की आलोचना करता है। इस तरह शासन की नीतियों की आलोचना समसदात्मक प्रजातंत्र का आवश्यक गुण है। यदि सत्ताहट दल बहुमत के नये में विरोध की उपेक्षा करें या उसका दमन करें या उसकी प्रतिष्ठा के साधनों में बाधा प्रस्तुत करें या विरोधी दल की आलोचना विपला रूप धारण करें तो समसदात्मक प्रजातंत्र काय नहीं कर सकता। एक की अधिकता यदि निरवृत्तता को जन्म देती है तो दूसरे की अधिकता अराजकता को। इन्हें राजनीतिक दलों में ये जितनी अधिक मात्रा में प्रजातंत्र के आवश्यक गुण हैं। राजनीतिक दलों में ये जितनी अधिक मात्रा में विद्यमान होंगे उतनी अधिक मात्रा में समसदात्मक प्रजातंत्र सफल होगा।

भारत में समसदात्मक प्रणाली की सफलता और असफलता को निम्न नीयकों के अन्तर्गत व्यक्त किया जा सकता है—

परते हैं। यद्यपि मुस्लिम लीग, रिपब्लिकन दल, हिन्दू महासभा और प्रजाप में प्रचाली दल जैसा राजनीतिक दल भी है जो केवल साम्प्रदायिक भावनाओं पर ही चलता है, सी एम के (DMK) जैसा दल भी है जो क्षेत्रवाद की भावनाओं को फलता है। फिर भी भारत के राजनीतिक दल सामान्य मध्यमार्थिक भावनों में ही विश्वास करते हैं और उन्हीं के माध्यम से सत्ता को प्राप्त करने के इच्छु हैं।

(ii) गुरुद्वय राजनीतिक दलों के रूप में—समदायिक प्रजाप की सफलता के लिये आवश्यक है कि देश में गुरुद्वय राजनीतिक दल विश्वास हो उनका आधार आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक सिद्धान्त हो। यद्यपि समाजवादी भावनाओं का प्रसारण होता है इन्हीं मध्यमार्थिक के स्थायित्व के लिये समाजवादी दल का समर्थन स्पष्ट बहुमत होना अनिवार्य है। द्वि-दलीय प्रणाली समाजवादी प्रणाली की सफलता के लिये सर्वोत्तम प्रणाली है।

भारत की दलीय प्रणाली अद्वितीय है। यद्यपि द्वि-दलीय पद्धति के स्थान पर बहु-दलीय पद्धति है। और बहु-दलीय पद्धति होने पर भी सिद्धे 25 वर्षों में (स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही) एक दल की (कांग्रेस) प्रभुता रही है। विरोधी दल मुक्त विपक्ष होने के स्थान पर बहुरंगीय समूह (press etc group) के रूप में ही रहता है। यदि 1967 के निर्वाचन के बाद कुछ राज्यों में 'संयुक्त मोर्चा' (मिली गयी सरकार) की सरकार का निर्माण भी किया गया तो वह सामान्य कारणों के अभाव में असफल रही। 1971 के मसदीय निर्वाचनों में और 1972 के राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन में स्थिति "एक दल की प्रभुता" की सी हो गयी। केवल तमिलनाडु में सी एम के ही प्रभुता है।

भारतीय राजनीतिक दलों का आधार (कुछ राजनीतिक दलों को छोड़कर जोस कांग्रेस, साम्यवादी दल, जनता आदि) ठोस राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक सिद्धान्त नहीं है जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि मुस्लिम लीग, रिपब्लिकन पार्टी, प्रचाली दल तथा हिन्दू महासभा का आधार साम्प्रदायिकता (धर्म या भाषा) है और सी एम के का आधार क्षेत्रवाद (regionalism) है।

(iii) सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के रूप में—समाजवादी प्रजाप की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की मांग करती है जोस शिक्षित मताधार, उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालियाँ आर्थिक आरक्षण आदि आर्थिक और सामाजिक समानता राष्ट्रीयता, आदि।

यह सत्य है कि भारत में अपार निरक्षरता है, भीषण विधनता है गुरुद्वय बेरोजगारी है, अमीर गरीब के भेद गम्भीर हैं यह भी सत्य है कि भारतीय मताधार परम्परा और राष्ट्रियता में मध्यम कर रहा है। उसमें क्षेत्रवाद भाषावाद, जातिवाद और साम्प्रदायवाद की भावनाएँ हैं यह भी सत्य है कि वह स्थानीय और क्षेत्रीय विकासियों से प्रेरित प्रेरित है यह भी सत्य है कि मुल्क के नियमों उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संसद सिपाहियों के विद्रोहों, नक्सलवाहियों की हिंसक घटनाओं, तलंगाना (P A C

revolt) पजावी सूबा आदि जैसे आंदोलनों ने व्यवस्था को जम दिया परंतु तब तत्त्व भारतीय संसदात्मक प्रजातंत्र को चुनौतियां देते हुए भी उसे खोलना या जरूर नहीं करते बल्कि उसके आधार को और अधिक चौड़ा करते हैं।

इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता कि जहां इस और चीन ने राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने के लिये संसदात्मक शासनात्मक प्रजातंत्र को जन्म दिया, कुछ छोटे राष्ट्रों ने नियंत्रित प्रजातंत्र (guided democracy) को जन्म दिया वहां भारत की संसदात्मक प्रजातांत्रिक प्रणाली विभिन्नता में एकता ढूँढती है। यही तत्त्व उसकी सफलता का प्रतीक है। क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, और साम्प्रदायवाद राष्ट्रीयता में बाधा होते हुए भी संकट में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखता है। क्षेत्रवाद एक दृष्टि में तो अधिनायकवाद के विरुद्ध गारंटी है। बाह्य आक्रमण और आंतरिक उपद्रवों के बाद भी कानून और व्यवस्था बनी रही है। निरक्षरता के बाद भी भारतीय मतदाता ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है। सन् 1971 के निर्वाचनों ने सिद्ध कर दिया है कि भारतीय मतदाता जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और साम्प्रदायवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा सज्जा है तथा कार्य कर सकता है। यद्यपि निवारक निरोध भारत सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जैसे अप्रजातांत्रिक तत्त्व विद्यमान हैं परन्तु फिर भी सामान्य नागरिक नागरिक स्वतंत्रताओं (भाषण अभिव्यक्ति, मध, समुदाय, भ्रमण आदि) का उपभोग करता है, अपनी इच्छानुसार अपने धर्म की उपासना करता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अभिरक्षक और नागरिकों के मूल अधिकारों के सतत प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ये सभी तत्त्व भारतीय संसदात्मक प्रजातंत्र को सुदृढ़ और सुरंगत बनाते हैं खोलना या जरूर नहीं करते।

(iv) स्पीकर की निष्पक्षता और निदलीयता के रूप में—स्पीकर की निष्पक्षता और निदलीयता संसदात्मक प्रजातंत्र का सफल चालन में काफी सहायक होती है। कम से कम यह उस भ्रष्ट होने से तो बचा सकती है। भारतीय संविधान निर्माता भी लोकसभा के स्पीकर को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के इच्छुक थे। उसकी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु उन्होंने अनुच्छेद 112 (3) (b) में उसने धनदा और भत्ता आदि का भारत की सचिव निधि पर भारत किया। संविधान स्पीकर को सदन में मताधिकार (vote) का अधिकार प्रदान नहीं करता। अनुच्छेद 100 के अनुसार वह सदन में गतिरोध को दूर करने के लिये वैकल्पिक मत (casting vote) का प्रयोग कर सकता है। सदन की कुल सभ्यता के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव ही स्पीकर को समय में पूर्व अपने पद में पदच्युत कर सकता है। (अनुच्छेद 94 (b))।

दुर्भाग्य से भारत के लोकसभा के स्पीकर के सम्बन्ध में उन महत्वपूर्ण अभिमतों का विकास नहीं हो पाया जो इंग्लैंड में विद्यमान हैं। ब्रिटिश स्पीकर की भांति भारतीय स्पीकर राजनीति में मध्यम प्रहण नहीं करना। एन० संजीविका

रेड्डी को छोड़ कर लोक सभा ने किसी स्पीकर ने दलीय सदस्यता से त्याग-पत्र नही दिया। यद्यपि भारतीय स्पीकर के सामान्य नियम और निदग निदलीय भावना से प्रेरित रहे हैं और उससे इसकी आशा भी की जाती है परन्तु उसकी पूरा निष्पक्षता और निदलीयता का जवाब नही दिया जा सकता। भारत में स्पीकर, विरोधी पक्ष के पूरा विश्वास का पात्र नही रहा।

(v) स्वतंत्र यायपालिका के रूप में—स्वतंत्र यायपालिका प्रजातान्त्रिक ससदात्मक प्रणालिया का प्राण है। भारतीय संविधान सर्वोच्च यायालय को कार्यपालिका और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त ही नही रखता बल्कि उनसे उसकी स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है।

भारत की सर्वोच्च यायालय, संविधान के अभिरक्षक और निवचन तथा नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षक और गारण्टीवर्टर के रूप में कार्य करता है। संविधान के निवचन में इसकी शक्ति अंतिम है। इसे संसद और विधानसभाओं द्वारा बनाये गये कानूनों के पुनरावलोकन का अधिकार है। यदि कोई कानून संविधान की उल्लंघना करता है तो यायालय उसे अवध घोषित कर सकता है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु यायालय अनेक प्रकार के अभिलेख (writs) जारी कर सकता है जस वदी प्रत्यक्षाकरण, परमादश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण अभिलेख आदि।

पिछले 25 वर्षों का संवधानिक इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि यायालय स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अटलिका रही है। संविधान के अभिरक्षण और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु इसने सराहनीय कार्य किया है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से कार्यपालिका ने यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। उदाहरणतया जब कभी यायालय द्वारा दिये गये नियम कार्यपालिका को पसंद नही आयें तो उसने सावजनिक आदेश (peoples mandate) के बिना मौधानिक संशोधनों का सहारा लिया। दूसरे अनेक बार यायालय में नियमों की आलोचना संसद सदस्यों द्वारा संसद स्थल और अप्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक नेताओं ने सावजनिक भाषणों में की है। इस प्रकार का अनियंत्रित आलोचना यायालय की स्वतंत्रता पर घातक प्रभाव डालता है। तीसरे, सन 1973 में कार्यपालिका ने एक गलत उदाहरण प्रस्तुत किया जस उसने तीन बरिष्ठ यायाधीशों का विस्थापन कर यायाधीश अजीत नायक को मुख्य यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। कार्यपालिका द्वारा यायपालिका को पैक (Pack) करने की वृत्ति निश्चित ही स्वस्थ प्रजातान्त्रिक ससदात्मक प्रणाली के लिये घातक है। मोहन कुमारमंगलम के ये शब्द दुर्भाग्यपूर्ण ही कह जा सकते हैं कि उह एक एक मुख्य यायाधीश की आवश्यकता है जो यायपालिका और संसद के मध्य मुकाबल (समक्षता) (Confrontation) को समान्त करने में मन्द करे, जो देश में परिवर्तन

हवा के महत्त्व का समर्थ और व्यापक म हमारी सहायता करे।¹ कायपालिका की यह प्रवृत्ति स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और मसदात्मक व्यवस्था को रक्षक नहीं, भक्षक है। यह वृत्ति केवल सत्तावादी अधिनायकवादी और साम्यवादी देशों में पायी जाती है, प्रजातान्त्रिक मसदात्मक प्रणाली वाले देशों में नहीं।

(vi) मंत्रिमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में—संसद के प्रति मंत्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व मसदात्मक प्रजातंत्र का हृदय है। इंग्लैंड जैसे मसदात्मक प्रजातंत्र में तो यह कहावत चरिताम है कि 'मन्त्री इकट्ठे ही तैरते हैं और इकट्ठे ही डूबते हैं', 'एक सबके लिये और सब एक के लिये है।' परन्तु भारत में मसदात्मक प्रजातंत्र का इस आवश्यक पहलू का विकास तक नहीं हुआ। जब कभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर सरकार असफल भी हुई तब भी मंत्रिमण्डल ने अपने सामूहिक उत्तरदायित्व का स्वीकार नहीं किया। उदाहरणतया सन् 1962 में चीनी आक्रमण के समय जब भारत को भीषण प्रतिवातियों (reverses) का सामना करना पड़ा तो मंत्रिमण्डल ने सामूहिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के स्थान पर उस समय के सुरक्षा मन्त्री वी० के० वृष्णा मेनन पर सारा उत्तरदायित्व ढाल दिया और उ होने त्याग पत्र दिया। इसी प्रकार जीवन बीमा पक्ष में मंत्रिमण्डल ने सामूहिक उत्तरदायित्व स्वीकार करने के स्थान पर उस समय के वित्तमन्त्री टी० टी० वृष्णामचारी को उत्तरदायी ठहरा दिया। एक मन्त्री को हटा कर या उसमें त्यागपत्र दिना कर शेष मंत्रिमण्डल को बनाये रखना स्वयं मसदात्मक प्रजातंत्रिक परम्पराओं के लिये शुभ नहीं।

(vii) संसद में आस्था के रूप में—मसदात्मक प्रजातंत्र में संसद में विश्वास पर आधारित हाता है। मंत्रिमण्डल न तो संसद की उम्मा करता है और न ही तिरस्कार। परन्तु भारतीय संसदात्मक प्रजातंत्र में अनेक ऐसे अवसर आये हैं जब मंत्रिमण्डल ने बहुमत के नशे में न केवल संसद में व्यक्त की गयी भावनाओं का निरादार किया है बल्कि विरोधियों द्वारा की गयी आलोचनाओं का तिरस्कार किया है और स्पीकर द्वारा दिये गये निर्देशनों की अवहेलना भी की है। और तो और, मंत्रिमण्डल ने संसद के सत्र काल में अध्यादेश (ordinances) द्वारा कायपालिका उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास किया है। उदाहरणतया नवम्बर 1974 में, जब लोकसभा का सत्र चला रहा था, कायपालिका ने अध्यादेश द्वारा मीसा (MISA) के अंतर्गत हिरासत में लिये गये व्यक्तियों को यायालयों के सरक्षण से वंचित कर दिया। अध्यादेशों द्वारा शासन करने की यह प्रवृत्ति कायपालिका की निरकुशता की घोनक है प्रजातंत्र की नहीं।

(viii) महत्वपूर्ण विषयों या सशोधनों पर मावजनिक आज्ञा (popular mandate) के रूप में—इंग्लैंड जैसे पश्चिमी संसदात्मक प्रजातान्त्रिक प्रणालियाँ

1 See Gupta, D C National movement and Constitutional Development second edn (1973), p 528

की एक विशेषता यह है कि सावजनिक आजायें प्राप्त कर ही मंत्रिमण्डल महत्वपूर्ण सभोधनों को कार्याचिन करने का प्रयास करना है। परन्तु भारत में बिना सावजनिक आजा के महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं उदाहरणतया भारतीय सविधान के अध्याय तीन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं परन्तु सावजनिक आजा प्राप्त नहीं की गयी। वस्तुतः भारत में इस परम्परा का विकास ही नहीं किया गया।

(ix) व्यक्ति पूजा—भारत के ससदात्मक प्रजातंत्र में व्यक्ति पूजा के नाम से एक ऐसे तत्व ने जन्म लिया है जो सबसत्तावादी, साम्यवादी शासना का द्योतक है, प्रजातांत्रिक शासन का नहीं। नेहरू जी की तुलना तो एक बड़ के बक्ष से की जाती थी जिसके अधीन कुछ पैदा नहीं होता। अच्छे से अच्छे गबन में उनके शासन काल को भारतीय सवैधानिक इतिहास में हितकारी निरकुशता (benevolent despotism) की सन्ना दी जा सकती है। इंदिरा गांधी के वारे में तो स्पष्ट कहा गया है कि वह निरकुश तरीके से व्यवहार करती है। उन्होंने न केवल राज्या में नेतृत्व धो, दल सगठन को अपनी इच्छा से परिवर्तित किया है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को विस्थित कर न्यायाधीश अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया) को भी अपनी इच्छा पर परिवर्तित किया। भारत की परम्परा और सामंतवादी व्यवस्था न व्यक्ति पूजा के इस सिद्धांत को जन्म दिया है जो निश्चित ही अप्रजातांत्रिक है। यह सत्य है कि प्रधान मंत्री किसी व्यक्ति को अपने मंत्रिमण्डल में ले सकते हैं और किसी भी मंत्री को मंत्रिमण्डल से निकाल सकते हैं परन्तु हाल ही में जिस ढंग से और जिस आधार पर मोहन धारिया को मंत्रिमण्डल से निकाला गया, क्योंकि व जयप्रकाश नारायण के साथ प्रशासन में भ्रष्टाचार, निर्वाचन प्रणाली में सुधार आदि विषयों पर वार्तालाप (dialogue) चाहते थे वह ससदात्मक प्रजातंत्र का द्योतक नहीं नेतृत्व की निरकुशता का द्योतक है।

उपयुक्त कारण से स्पष्ट है कि भारत में ससदात्मक प्रजातंत्र में वे सब विशेषतायें नहीं पायी जाती जो पश्चिमी देश, विशेषकर ब्रिटिश ससदात्मक प्रजातंत्र में पायी जाती हैं, फिर भी भारतीय जनमत ने अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया है और अनेक वार तो उस प्रभावशाली ढंग से लागू भी किया है। जनमत का प्रभाव, शिक्षा के विस्तार के साथ, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जन आंदोलन ने ही गुजरात में 1974 में विधान सभा को भंग कराया और बिहार में अनेक विधान सभा के सदस्या को त्यागपत्र देने के लिये बाधा किया। यद्यपि भारत में विषय दुःख है फिर भी वह त्रियाशील है और शासन तथा विरोध में समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप होता रहता है। निर्वाचन भारतीय ससदात्मक प्रजातंत्र का न्यायी आधार है और परिवर्तन का साधन है। राजनीति दल गोनी के स्थान पर मतपत्र द्वारा सत्ता प्राप्त करने का इच्छा है। य मा तंत्र भारत में

ससदात्मक प्रजातन्त्र व भविष्य के लिय शुभ है। इसकी जड़ दिन प्रति दिन गहरा पठती चली जा रही है। आर्थिक प्रजातन्त्र के स्थापित होने ही राजनीतिक प्रजातन्त्र और सुदृढ़ व सुरक्षित हो जायगा।

आन्दोलन की राजनीति (Politics of agitation)—भारतीय राजनीति की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि इसमें सत्ता का विरोध केवल मायता प्राप्त सबधानिक साधनों द्वारा ही नहीं किया गया बल्कि आन्दोलन की राजनीति द्वारा किया गया है जो भारतीय राजनीति को राष्ट्रीय आन्दोलन से बराबर में प्राप्त हुई है। आन्दोलन की राजनीति में सत्ता का विरोध सत्यागत साधनों द्वारा नहीं किया जाता बल्कि ऐसे साधनों द्वारा किया जाता है जिन्हें प्रायः अतिरिक्त सत्यागत (extra institutional) या अतिरिक्त बधानिक (extra constitutional) साधन कहा जाता है। आन्दोलन की राजनीति में जिन साधनों का प्रयोग किया गया है उनमें प्रमुख है विरोध प्रदर्शन (protest demonstration) आमरण व्रत या उपवास (fast unto death), अग्निदाह द्वारा शरीरगत (self immolation) हड़ताल, धरना घेराव व द आदि।

आन्दोलन की राजनीति का प्रयोग अननक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिय किया गया है। लोगों के असतोष को अभिव्यक्त करने के लिय, लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिय, भ्रष्ट मन्त्रियों को अपदस्थ करने के लिय, प्रशासन में भ्रष्टाचार और अकुशलता को समाप्त करने के लिय, सरकारी नीतियों में असहमति प्रकट करने के लिय, बढ़ती हुई कीमती रोकने के लिये पूण रोजगार की व्यवस्था करने के लिय राजनीतिक जीवन में विशेषकर निर्वाचना में काले धन के प्रयोग का विरोध करने, जमाखोरी, आदि के विरुद्ध भी किया गया है। इनका प्रयोग केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और विभिन्न अधिष्ठानों (specific establishments) और कार्यालयों के विरुद्ध भी किया गया है।

विरोध प्रदर्शनों की एक विशेषता यह होती है कि वे स्वतः स्फूर्त होने से संचालित होते हैं। लोगो के असतोष के समूह और संगठन (जैसे श्रमिक संघ, विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दल आदि) शामिल हो जाते हैं। परन्तु भारत में विरोध प्रदर्शनों की यह विशेषता रही है कि इन्हें स्थानीय और राज्य सरकारों द्वारा भी संचालित किया गया है। विरोधी दलों द्वारा भी संचालित किया गया है और जनप्रकाश नाराएँ प्रसारित की गई हैं।

भारत में विरोध प्रदर्शनों का मूल उद्देश्य जनसामान्य का राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में उनमें अधिकारों के प्रति सचेत बनाने और सरकार को गलत नीतियों का विरोध करने के लिय किया गया है। इतना ही नहीं इन्हें लातन्त्र के अर्थ में 'सन्त' के रूप में भी प्रयोग किया गया है। सी० सुभाषचन्द्र बोस ने कहा था कि 'सन्त शांत प्रदर्शन' (silent demonstration) का अर्थ है 'सन्त' के रूप में प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं इन्हें लातन्त्र के अर्थ में 'सन्त' के रूप में भी प्रयोग किया गया है। सी० सुभाषचन्द्र बोस ने कहा था कि 'सन्त शांत प्रदर्शन' (silent demonstration) का अर्थ है 'सन्त' के रूप में प्रयोग किया गया है।

की एक विशेषता यह है कि सावजनिक प्राज्ञाओं प्रा न कर ही मंत्रिमण्डल महत्वपूर्ण सशोधनों को वागीवित करन का प्रयास करना है। परतु भारत मे विना सावजनिक प्राज्ञा के महत्वपूर्ण परिवतन किय गये हैं उदाहरणतया भारतीय सविधान के अध्याय तीन मे अनक महत्वपूर्ण परिवतन किय गये हैं परतु सावजनिक प्राज्ञा प्राप्त नही की गयी। वस्तुतः भारत मे इन परम्परा का विकास ही नही किया गया।

(ix) व्यक्ति पूजा—भारत के ससदात्मक प्रजातंत्र मे व्यक्ति पूजा के नाम से एक ऐसे तत्व ने जन्म लिया है जो सबसत्तावादी, माभ्यवादी शासना का द्योतक है, प्रजातांत्रिक शासन का नही। नेहरू जी की तुलना तो एक वक् के वृक्ष स की जाती थी जिसके अधीन कुछ पदा नही होता। अच्छे से अच्छे अध्याय उनके शासन काल को भारतीय सबैधानिक इतिहास मे हितकारी निरकुशाता (benevolent despotism) की सत्ता दी जा सकती है। इंदिरा गांधी के वारे मे तो स्पष्ट कहा गया है कि वह निरकुश तरीके स व्यवहार करती है। उन्होंने न केवल राज्यों मे नेतृत्व को, दल सगठन को अपनी इच्छा से परिवर्तित किया है वल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को विस्थित कर न्यायाधीश अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया) को भी अपनी इच्छा पर परिवर्तित किया। भारत की परम्परा और सामंतवादी व्यवस्था न व्यक्ति पूजा के इस सिद्धांत को जन्म दिया है जो निश्चित ही अप्रजातांत्रिक है। यह सत्य है कि प्रधान मंत्री किसी व्यक्ति को अपने मंत्रिमण्डल मे ले सकती हैं और किसी भी मंत्री को मंत्रिमण्डल से निवाल सकती हैं परतु हाल ही मे जिस ढंग से और जिस आधार पर मोहन धारिया को मंत्रिमण्डल से निकाला गया क्योंकि व जयप्रकाश नारायण के साथ प्रशासन मे भ्रष्टाचार, निवाचन प्रणाली मे सुधार आदि विषय पर वातालाप (dialogue) चाहते थे वह ससदात्मक प्रजातंत्र का द्योतक नही नेतृत्व की निरकुशाता का द्योतक है।

उपर्युक्त वचन से स्पष्ट है कि भारत के ससदात्मक प्रजातंत्र मे वे सब विशेषतायें नही पायी जाती जो पश्चिमी देशों, विशेषकर ब्रिटिश ससदात्मक प्रजातंत्र मे पायी जाती हैं फिर भी भारतीय जनमत ने अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया है और अनक वार तो उस प्रभावशाली ढंग स लागू भी किया है। जनमत का प्रभाव, सिद्धांत विस्तार के साथ, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जन आंदोलन न ही गुजरात मे 1974 मे विधान सभा को नग कराया और बिहार मे अनक विधान सभा के सदस्या का त्यागपत्र देन के लिय बाध किया। यद्यपि भारत मे विपक्ष दुबल है फिर भी वह क्रियाशील है और गामन तथा विरोध मे समय समय पर महत्वपूर्ण विषय पर वातालाप हाता रहता है। निर्वाचन भारतीय ससदात्मक प्रजातंत्र का स्थायी आधार है और परिवर्तन का साधन है। राजनीतिन दल लोनी के स्थान पर मन पत्रा द्वारा सत्ता प्राप्ति करन के इच्छु हैं। य मा तंत्र भारतनाय

मसदात्मक प्रजातन्त्र व भविष्य के नियम है। इसकी जड़ अदन प्रति दिन गहरी पठनी चली जा रही है। धार्मिक प्रजातन्त्र व स्थापित होने ही राजनीतिक प्रजातन्त्र धार सुदृढ व सुरक्षित ही आयगा।

आन्दोलन की राजनीति (Politics of agitation)—भारतीय राजनीति की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि इसमें मता का विरोध केवल भाषणात्मक या तत्कालिक मांगों द्वारा ही नहीं किया गया बल्कि आन्दोलन की राजनीति द्वारा किया गया है जो भारतीय राजनीति की राष्ट्रीय आन्दोलन में बराबर में प्रान्त हुई है। आन्दोलन की राजनीति में सत्ता का विरोध मर्यादित साधनों द्वारा नहीं किया जाता बल्कि एक साधन द्वारा किया जाता है जिसे प्रायः अनिश्चित संस्थागत (extra-institutional) या अनिश्चित बंधनित (extra-constitutional) साधन कहा जाता है। आन्दोलन का राजनीति में तीन साधनों का प्रयोग किया गया है उनमें प्रमुख हैं विरोध प्रदर्शन (protest demonstration), आमरण व्रत या उपवास (fast unto death), अग्निदाह द्वारा गरीरात (self-immolation) हड़ताल, धरना धेराव, धरना आदि।

आन्दोलन की राजनीति का प्रयोग अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया गया है। लोगों का धर्मताप को अभिव्यक्त करने के लिये, लोगों की शिक्षा का दूर करने के लिये, भ्रष्ट मंत्रियों को अक्षय्य करने के लिये, प्रशासन में भ्रष्टाचार और अक्षय्यता को समाप्त करने के लिये, सरकारी नीतियों से असहमति प्रकट करने के लिये, बढ़ती हुई कीमती का रोकने के लिये, पूरे रोजगार की व्यवस्था करने के लिये राजनीतिक जीवन में, विशेषकर निष्ठा का मका धन के प्रयोग का विरोध करने, जमाखोरी, आदि का विरुद्ध भी किया गया है। इनका प्रयोग केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और विभिन्न अस्थायी (specific establishments) और बाजारों के विरुद्ध भी किया गया है।

विरोध प्रदर्शनों की एक विशेषता यह होती है कि वे स्वतः स्फूर्त होते हैं यद्यपि बाद में उनमें अनेक प्रकार के समूह और संगठन (जैसे श्रमिक मध्य विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दल आदि) शामिल हो जाते हैं। परन्तु भारत में विरोध प्रदर्शनों की यह विशेषता रही है कि इन्हें स्थानीय और राज्य सरकारों द्वारा भी संचालित किया गया है, विरोधी दलों द्वारा भी संचालित किया गया है और जयप्रकाश नारायण जैसे निदलीय प्रमुख एवं महान नेताओं द्वारा भी इन्हें संचालित किया गया है।

भारत में विरोध प्रदर्शनों का मूल उद्देश्य जनसाधारण को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने उमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने और सरकार को मूलतः नीतियों का विरोध करने के लिये किया गया है। इतना ही नहीं, इन्हें 'राजतन्त्र के वरदान' के रूप में भी प्रयोग किया गया है। सी० मुन्नाहाय्यम ने द्रमुक सरकार के विरुद्ध 'शांत प्रदर्शन' (silent demonstration) का समयन करने हुए कहा था कि इसका उद्देश्य 'निर्वाचक समूह को शिक्षित कर शिक्षा का दूर करने के लिये,

आन्दोलन करने के लिये प्रोत्साहित करना है। कमरोका जैसे विकासशील देशों में प्रचार के साधन रेडियो और टेलीविजन हैं परन्तु भारत की वर्तमान परिस्थितियों में निर्वाचक समूह को प्रशिक्षित करने के लिये जुलूस, और प्रदर्शन व अथरूपा की आवश्यकता है।¹

विरोध प्रदर्शनों के इतिहास में 6 मार्च, 1975 का नया दिल्ली में किया गया विराट प्रदर्शन अपने आप में एक इतिहास था। यह एक व्यक्ति के नरत्व में संचालित किया गया था (जयप्रकाश नारायण) जो "सत्ता के विरुद्ध विभिन्न तरह के लोगों को एक ही खेमे में खड़ा करने की क्षमता रखता था।" दिनमान ने प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि 'यह हाल के वर्षों में सत्ता के विरुद्ध आम जनता के असंतोष की सशक्त अभिव्यक्ति थी।' इस प्रदर्शन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि "सत्तारूढ़ शासकों की जनता की आकांक्षाओं और इच्छा पर ध्यान देने के लिये सामान्य साधनों से मजदूर नहीं किया जा सकता।' यह एसा प्रदर्शन था "जिस पर किसी राजनीतिक दल की मुहर नहीं दिखती थी।" यह गुद्ध 'जनता मोर्चा' थी जिसके सेनानी लोकतंत्र के सेनानी थे। प्रदर्शन में अभिव्यक्त किये गये विचार स्वयं स्पष्ट करते हैं कि सत्ता के विरोध के ये साधन वर्धमान हैं। प्रदर्शन में जिन संकेतों का प्रयोग किया गया था उनमें प्रमुख थे 'सिंहानन वाली करो कि जनता आती है, 'महगाई का घाव दिखाने हम संसद में आये है,' 'जनता का आदेश बताने हम संसद में आये हैं,' "जिन्दा कीमे पांच साल तक इंतजार नहीं करती।"² प्रदर्शन के इन संकेतों से स्पष्ट है कि प्रदर्शनकारी आन्दोलन की राजनीति द्वारा सरकार पर जनहित में दबाव डालना चाहते थे। श्री जयप्रकाश नारायण के नरत्व में जिस प्रतिनिधि मण्डल ने संसद अध्यक्ष और राज्य सभा के उप अध्यक्ष का जो भाग-पत्र प्रस्तुत किया, (charter of demands) उसमें देश के आर्थिक, सामाजिक पुनर्स्थापन, (भूमि सुधार, पूर्ण रोजगार आदि की व्यवस्था) प्रजातांत्रिक अधिकारों के संरक्षण (विशेषकर मौसा, भारत रक्षा कानून, संकटकालीन व्यवस्था की वापसी) शिक्षा और चुनाव प्रणालियों में सुधार (संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को लागू करना चुनाव आयोग, बहुसदस्यीय आयोग हो, उम्मीदवारों के चुनाव सम्बन्धी खर्चों में उम्मीदवार पर किये गये दल के खर्चों को भी शामिल किया जाय, आदि) और राजनैतिक विक्रेतरीकरण तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन की मांगें शामिल की गयी थीं।

आन्दोलन की राजनीति पर सरकार और संसदाधारण जनता का दृष्टिकोण प्रायः सहनशीलता का रहा है यद्यपि जब कभी प्रदर्शन आन्दोलनों ने हिंसक रूप

1 राजनीति कोठारी पुस्तक Politics in India से उद्धृत पृ० 220 अनुवाद लेखक द्वारा किया गया है।

2 यहाँ उद्धृत किये गये सभी संकेत दिनमान से लिये गये हैं। दलिये दिनांक 16 मार्च, 1975, पृ० 24-27

धारण किया है तो सरकार उसका दमन करने में नहीं हिचकिचाई। परन्तु यहाँ सरकार का दृष्टिकोण निष्पक्ष रहने के स्थान पर दलीय हितों से प्रभावित रहा है। उदाहरणतया जयप्रकाश के सम्पूर्ण क्रांति के आन्दोलन द्वारा जब विचार में भ्रष्टाचार, कुशासन आदि के विरुद्ध अहिंसक प्रदर्शन किये गये तो सत्पात्रहियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया परन्तु जब कांग्रेस सी० पी० आई० ने मिलकर लाठियों मशालों और अस्त्रों में प्रदर्शन किया तो उसे प्रशासन ने सुविधायें प्रदान की। इसी प्रकार 6 मार्च, 1975 को नई दिल्ली “जनता” मार्च में हरियाणा सरकार ने पर्याप्त बाधाएँ उत्पन्न की।

आन्दोलन की राजनीति पर सीमाएँ—आन्दोलन की राजनीति पर अनेक सीमाएँ हैं जिन्हें निम्न विद्वानों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है—

(i) देश का आकार बहुत बड़ा है और कुशल संचार साधनों की कमी है।
 (ii) शासन ने अपनी शक्ति का प्रयोग दमनकारी और पक्षापातपूर्ण दृष्टि से किया है। अनेक बार तो सामान्य राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाये गये हैं और भीसा भारत रत्ना कानून, निवारक निरोध कानूनों का प्रयोग विरोधी नेताओं के विरुद्ध भी किया गया है।

(iii) रोप और विरोध की सावजनिक अभिव्यक्ति के लिये समाधारण नीति उग्र नीतियों के प्रति सामान्य घृण व्यक्त है।

(iv) राजनीतिक दलों के नेतृत्व में यह भावना व्याप्त है कि आन्दोलन की राजनीति सबदा लाभकारी नहीं होती।

उपरोक्त सीमाओं के बावजूद भी आन्दोलन की राजनीति भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गयी है और इसे कुछ वैधानिक मायता भी प्राप्त है। जसाकि राजनी कोठारी ने लिखा है कि “धैराज, बल, धरना आदि भारत में विरोधी राजनीति के गस्त्रागार में महत्वपूर्ण अस्त्र रहते हैं और अपने ही ढंग से राजनीति प्रणाली को खुला करने में योगदान देंगे।”¹

भारतीय राजनीति और प्रतिपक्ष (Indian politics and opposition)

लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का महत्व—प्रतिपक्ष ससदीय लोकतंत्र का प्राण है। प्रतिपक्ष के अभाव में कार्यपालिका का उत्तरदायित्व नाम मात्र का बनकर रह जाता है। अधिनायकवादी (नाजीवादी फासीवादी) और लोकतांत्रिक राज्यों में यही अंतर है कि जहाँ अधिनायकवाद में प्रतिपक्ष मृतक होता है या जेल में होता है वहाँ लोकतंत्र में वह ससद में विद्यमान होता है तथा उसे क्रियाशील बनाता है।

प्रतिपक्ष का मुख्य कर्तव्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना है। जिसस सरकार सावधान बनी रहे तथा मनमानी न कर सके। अतः प्रतिपक्ष सीजर-

यही कारण है कि राज्य स्तर पर तो विरोधी दलों (प्रतिपक्ष) का विकास हुआ है परन्तु केन्द्रीय स्तर पर प्रतिपक्ष अनुपस्थित है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय, दलों का विकास राष्ट्रीय दलों की कीमत पर हुआ है। दलीय राजनीति के क्षेत्रीकरण ने कांग्रेस के प्रभुत्व को सुदृढ़ किया है और प्रतिपक्ष को, कम से कम केन्द्र में निबल किया है। (v) यद्यपि राज्यों में 1967 के चुनावों में प्रतिपक्ष को सत्ता के नाभों को भोगने का अवसर मिला परन्तु केन्द्र में यह सबदा सत्ता से वंचित रहा है। राज्यों में सत्ताहृद रहने पर भी प्रतिपक्ष अपनी चुनाव अनुगामिता (election following) का विकास करने में असफल रहा है। चुनावों में उसने अपने मतों को काटा है। मन् 1971 के लोक सभा और 1972 के राज्य विधान सभाओं में निर्वाचन परिणामों ने प्रतिपक्ष को इतना हतोत्साहित किया कि वह लोप (extinction) की स्थिति में पहुँच गया।

भारत में प्रतिपक्ष की भूमिका—यह सत्य है कि भारत में प्रतिपक्ष घुरी तरह विभक्त है, यह भी सत्य है कि वह निबल है परन्तु फिर भी वह निर्जीव या निष्क्रिय नहीं रहा और उसके विरोध की रीतियाँ "अडगा" की न होकर राष्ट्रीय उद्देश्यों से प्रेरित रही हैं। यद्यपि अनेक बार प्रतिपक्ष का व्यवहार अससदीय रहा है (सत्ताहृद दल के व्यवहार को भी शुद्ध ससदीय व्यवहार नहीं कहा जा सकता) और मगठन में 'शोर मचाने', अध्यक्ष के आदेशों की उल्लंघना करने, आदि की घटनाएँ हुई हैं फिर भी विवादों का स्तर निम्न नहीं रहा।

प्रतिपक्ष ने सरकार की नीतियों को अनेक माध्यमों से प्रभावित करने का प्रयास किया है। उदाहरणतया उग्र प्रस्तावों और विदेशी नीति पर वाद विवाद के समय प्रतिपक्ष की भूमिका पर्याप्त रही है। लोक सभा में प्रश्न पूरक प्रश्न वाद विवादों, स्थगन प्रस्तावों, निदा प्रस्तावों तथा अविश्वस के प्रस्तावों द्वारा सरकार की कड़ी आलोचना की है उसकी त्रुटियों का प्रचार किया है, उसकी उपलब्धियाँ पर आक्षेप किये हैं, आदि। परामशदानी समितियों में भी प्रतिपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सरकार ने भी प्रतिपक्ष की सवदा उपेक्षा नहीं की (यद्यपि नेहरू के शासन काल की तुलना में इंदिरा गांधी के शासन काल में प्रतिपक्ष की अधिक उपेक्षा की गयी है) और भारत रक्षा अधिनियम, विचारक निरोध अधिनियम हिंदू कोड बिल और आतंरिक सुरक्षा अधिनियमों के निर्माण के समय प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों का आदर किया गया है। हाल ही में प्रतिपक्ष ने जिस हृदता से 'मीसा में संशोधन' के विधयक का सदन में विरोध किया उससे मंत्रिमण्डल का विधयक बापम लेना पडा। यह प्रतिपक्ष की हृदता और साहस का द्योतक है।

भारत में प्रतिपक्ष की एक विशेषता यह रही है कि उसने सरकार पर बाहर से इतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डाला जितना कि उसने कांग्रेस के आदर विद्यमान गुटों को प्रभावित कर कांग्रेस के आदर से उसकी नीतियों और उद्देश्यों को प्रभावित

करन की कोशिश की है। अनन्त व्यस्योग्रा म ती काग्रेस के आतुरिक गुटा न विरोधी दल के रूप मे काय किया है। क्याकि भारत मे प्रतिपक्ष के दलो का विकास काग्रेस से पृथक होने पर हुमा है अत काग्रेस के अदर उनके कुछ प्रतिबिम्ब विद्य मान रहते हैं जिह विरोधी दल प्रभाप्रित करन-की कोशिश करते हैं।

चौथे चुनाव (1967) के बाद जब राज्या मे मिली-जुली सरकारो का निर्माण किया गया तो केन्द्र ने काग्रेसी मन्त्रिम डल न राज्या के समुक्त मन्त्रिमण्डल व विचारो को सन्तुलित और समायोजित करने का प्रयास किया। वस्तुत केन्द्र की काग्रेसी और राज्या की गर काग्रेसी सरकारा मे 'काय के सम्बन्ध (working relationships) उपन्न हो गय जिसस प्रशासन मे विरोधी दलो के दृष्टिकोणों का अधिक महत्व दिया गया। इतना ही नहीं, केन्द्र के मन्त्री राज्या के गर काग्रेसी मन्त्रिमण्डल के नेताग्रा, जस उत्तरप्रदेश के चौधरी चरण सिंह उडीसा के आर० एन० सिंह देव और द्रमुक के अना का विश्वास प्राप्त कर सकने मे सफल हुए हैं। राज्या के गैर-काग्रेसी मुख्य मन्त्रिया न भी केन्द्र से अपनी आतुरिक समस्याग्रा की परिचचा की।

समुक्त (मिली-जुली) सरकारें (Coalition governments)

अर्थ (Meaning)—जब राजनीतिक दल, समुदाय या शक्तिया विविष्ट प्रयोजना के लिये पारस्परिक मयोग करती हैं, तो उन्हें समुक्त क्रिया कहते हैं और जब यह समुक्त क्रिया शासन सत्ता को प्राप्त कर सरकार का निर्माण करती है तो उस समुक्त या मिली जुली सरकार कहते हैं। दूसर शब्दो मे, मसदीय या निर्वाचकीय प्रयोजनो के लिये जब कोई बडा दल छोटे दला स मिलकर या छोटे दल आपस मे मिलकर शासन सत्ता को सम्भालते है तो उस समुक्त या मिली-जुली सरकारें कहते हैं। समुक्त राजनीतिक क्रिया का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना ही नहीं होता इसका उद्देश्य समुक्त होकर किसी मत्तारूढ दल को सत्ता से अपदस्थ या पदच्युत करना भी हा सकता है।

भारत मे समुक्त या मिली जुली सरकारें—भारत मे मिली-जुली सरकारा का इतिहास सन् 1967 के चौथे चुनाव से ही शुरु होता है। पर तु इसका यह तात्पय नहीं कि चौथे चुनाव स पूव भारत मे मिली जुली सरकारो की स्थापना नहीं की गयी थी। वस्तुत भारत व सभ राज्या मे केरल राज्य ऐसा राज्य रहा है, जहा के निर्वाचका 7 उवकी स्थापना के समय से केवर अब तक कभी किसी एक राजनीतिक दल को राज्य विधान सभा मे पूण बहुमत प्रदान नहीं किया। फिर भी भारतीय राजनीति के इतिहास मे सन 1967 मे 1971 का काल ही समुक्त सरकारो का काल जाना जाता है। क्योंकि इस काल मे ही चौथे चुनाव परिणामो के फलस्वरूप एक दलीय प्रमुता भवभोर दी गयी और अनेक राज्या में मिनी गुनी सरकारा का निर्माण किया गया। मिली जुली सरकारो का निर्माण केवन प्रतिपक्ष के दला न

मिल कर ही नहीं उल्लिखित कांग्रेस ने निदलीय सदस्या और साम्यवादियो और मुस्लिम लीग के साथ मिल कर भी मिली जुली सरकारा का निर्माण किया ।

भारत मे मिली जुली सरकारो का अनुभव अर्च्छा नहीं रहा ।¹ इसके अनेक कारण थे । प्रथम त्रिन राजनीतिकदला या समूहो ने मयुक्त सरकारो का निर्माण किया उनमे कोई मंडातिव या रचनात्मक वापश्रम म मनक्यता नहीं थी । उनका गठनधन तो इस नकारात्मक तथ्य पर आधारित था कि 'कांग्रेस को पदच्युत किया जाय' जसावि ई० एम० एस० नम्बूदरी पाद ने (जो 1966 मे केरल सयुक्त फ्रंट के मुख्य निर्माता थे) ने कहा था कि 'आगामी सामान्य चुनाव मे कांग्रेस को पदच्युत करना ही सारी राजनीतिक बुराइयो और पार्थिव सकटा का इलाज है ।' यही कारण है कि जब कभी मयुक्त सरकारो के पक्षकारा मे छोरी सी बात पर भी मतभेद हुए तो "कागज पर बना" और "रेत के ढर पर खडा" ढाचा नष्ट भ्रष्ट हो गया । दूसरे शब्दो म मयुक्त सरकारों सिद्धान्तहीन होने से अस्थिर और अल्पकाल तक ही जीवित रही । दूसर, मयुक्त सरकारो ने दल बदल (defection) और पक्ष परित्याग (floor crossing) की दूषित राजनीति को जन्म दिया जो अवसरवादिता, पन् लोलुपता धन प्रलोभन पर आधारित थी । इही मयुक्त सरकारा ने अनुत्तरदायी नेतृत्व, अवसरवादी राजनीति, अस्थिर राजनीति, सम्भ्रगति राजनीति (politics of confusion) पन् भ्रष्ट राजनीति, सन्नमण राजनीति (politics of transition), विवर्ती मत्रियो की राजनीति, आयासम गयारासम की राजनीति आदि को जन्म दिया । तीसरे मिली-जुली सरकारा की राजनीतिक अस्थिरता ने प्रशामनिक अकमण्यता और अट्टा पार को जन्म दिया जिसने आर्थिक प्रगति को अरुद्ध किया । दूसरे शब्दो मे मिली-जुली सरकारा के काल म सावजनिक हित की यात्रायें टप हो गयी और कुर्सी वचाने मे ही तथा मत्रिया क पारस्परिक सवध म ही प्रशासन का सारा समय और शक्ति व्यतीत हो गयी । स्वायपरता राजनीतिक सौदेबाजी विधायका का नतिक पतन मत्रिमण्डलो का अनुचित विस्तार इन मिली जुली सरकारा की मुख्य विशेषतायें थी ।

सयुक्त मिली जुली सरकारो के उदाहरण—भारत मे राजनीतिक दलान निर्वाचनो से पूव और निर्वाचना के बाद अनेक प्रकार के सगठन किये जि हे मयुक्त मोर्वो, मयुक्त फ्रंट महान गठन धनो, जनता मोर्वो आदि की सजा दी जाती है । इनके उदाहरण मुरधतया निम्न हैं—

1. तामिचनाद—चौथे चुनाव के समय डी० एम० के० ने 9 राजनीतिक दला के एक मयुक्त मोर्वे (united front) का निर्माण किया । इस मोर्वे मे शामिल होने वाले पक्षकार थे डी एम के स्वतन्त्र दल, माकमवादी, मुस्लिम लीग, मसापा

1. विम्बुत वरुण के लिए 'भारतीय राजनीति का स्वप्न और उसके निधारक तत्वो' के अयाय का अध्ययन कीजिय ।

प्रशोपा, "हम तामिल", तामिल भरारा धजगम, फारवड द्वाक। चौथे चुनाव म रस समुक्त मोर्चे ने कांग्रेस को जो बड़ा मुकाबला दिया वह स्वयं म एक ऐतिहासिक घटना बन कर रह गयी है। इस चुनाव मे तामिलनाडु कांग्रेस की पराजय और डी एम के की विजय अद्वितीय, नाटकीय और सनसनी थी। राज्य विधान सभा म कांग्रेस को केवल 49 स्थान प्राप्त हुए जबकि डी० एम० के० को अकेले 138 स्थान प्राप्त हुए। इतना ही नहीं डी० एम० के० ने लोक सभा के लिये जिन 25 स्थानों के लिये प्रयाशी खड़े किए थे उन सब पर उसने विजय प्राप्त की। भारत के निर्वाचन मे यही एक मात्र उदाहरण है जब किसी दल ने जितने उम्मीदवार खड़े किए उतना पर ही उसे विजय प्राप्त हुई हो। सन् 1967 से डी० एम० के० तामिलनाडु मे सत्ता मे है।

2 केरल—भारत के राज्यों मे केरल राज्य ही एक ऐसा राज्य है जिसके निर्वाचकों ने, जरा त केरल राज्य की स्थापना हुई है किसी एक दल को विधान सभा मे बहुमत प्रदान नहीं किया। यही कारण है कि केरल मे जितनी बार भवैधानिक मकड़ उत्पन्न हुए हैं उतने किसी अन्य राज्य म नहीं हुए। यहाँ पर ही 'राष्ट्रपति शासन' (president rule) का बोलबाला रहा है। अप्रैल 1957 मे ई० एम० एस० नम्बूदरी पाद के नेतृत्व मे साम्यवादियों ने सरकार का निर्माण किया परन्तु यह शासन 31 जुलाई, 1959 तक रहा। राष्ट्रपति शासन के कुछ काल बाद 1966 म फिर चुनाव हुए। अब कांग्रेस ने प्रसोना (P S P) और 'मुस्लिम लीग के साथ मिलकर त्रुष्ट (triple alliance) का निर्माण किया जिसे चुनाव मे 127 स्थानों म 94 स्थान मिले। ए थानू पिल्ले की सरकार 1964 तक काम करती रही। परन्तु मितम्बर 1964 म कुछ घस-तुष्ट कांग्रेसी सदस्यों द्वारा पक्ष-पक्ष से जब विधान सभा मे सरकार पराजित हो गयी तो उस त्याग पत्र दत्ता पडा। राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। सन 1965 के निर्वाचन मे किसी दल को बहुमत नहीं मिला अतः राष्ट्रपति शासन जारी रखा गया। जो चौथे चुनाव तक रहा। सितम्बर 1966 मे केरल मे 7 गैर कांग्रेसी दलों के सामा य नीति क आधार पर समुक्त मोर्चे को जन्म दिया जिसे 1967 के चुनाव म अश्वयजनक सफलता मिली। इन चुनाव मे कांग्रेस केरल मे पूर्णतया अग भग हो गयी। विधान सभा मे इसे केवल 9 स्थान प्राप्त हुए जबकि फ्रंट को 113 स्थान प्राप्त हुए। लोक सभा के 19 स्थानों मे से कांग्रेस को 1 और फ्रंट को 18 स्थान प्राप्त हुए। परन्तु यह फ्रंट भी बहुत देर तक जीवित न रह सका और अक्टूबर 1969 म मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के प्रश्न पर नम्बूदरी पाद ने त्याग पत्र दे दिया। नवम्बर 1969 मे अच्युत मेनन की सरकार का निर्माण हुआ परन्तु माक्सवादीयों की अडगान नीति के फलस्वरूप यह मन्त्रिमंडल जन 1970 तक ही काम कर सका है। स्पष्ट है कि केरल राज्य मे जितने भी समुक्त मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया गया व सब नान सती के पिगारे थे अतः व अस्थिर रहे।

सरकार ने त्याग पत्र दे दिया और राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। सन् 1972 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आ गयी जो अब तक शासन कर रही है।

4 पंजाब—पंजाब भी चौथे चुनाव के बाद संयुक्त सरकार के अधीन आ गया। यद्यपि इस चुनाव में भी कांग्रेस को घकेले सबसे अधिक स्थान मिले थे परन्तु प्रतिपक्ष के दल उसके साथ मिलना नहीं चाहते थे। परिणामस्वरूप गुरुनामसिंह के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे की सरकार का निर्माण हुआ। इस संयुक्त मोर्चे में शामिल होने वाले थे अकाली दल (सत फतेहसिंह ग्रुप और मास्टर तारासिंह ग्रुप), दोना साम्यवादी दल, जनमध, रिपब्लिकन पार्टी, ससोपा और 6 निदलीय। परन्तु शीघ्र ही कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव के पास होने से (फ्रंट में दल बदल होने के कारण) संयुक्त मोर्चे की सरकार गिर गयी। 1967 में ही नमणसिंह गिल ने कांग्रेस सहयोग से सरकार का निर्माण किया परन्तु यह सरकार भी टिकाऊ सिद्ध नहीं हुई। अतः राष्ट्रपति शासन के कुछ काल बाद 1969 में मध्यावधि चुनाव हुए। चुनाव के बाद फिर गुरुनामसिंह के मंत्रिमण्डल का निर्माण हुआ, परन्तु क्योंकि उन्हें अकाली दल ने नेतृत्व से हटा लिया था अतः प्रकाशसिंह बादल की सरकार बनी परन्तु वह भी टिकाऊ न हो सकी। अतः जून 1971 में प्रकाशसिंह बादल ने त्याग पत्र दे दिया और राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 1972 के चुनावों में कांग्रेस विजयी हुई अतः ग्यानी जेलसिंह के नेतृत्व में उसी की सरकार आज वहाँ विद्यमान है।

समीक्षा प्रश्न (Review Questions)

- 1 'भारतीय राजनीति में पूव और पश्चिम की राजनीतिक समस्याओं का मिश्रण है' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण लिखिये।
- 2 'भारतीय राजनीति की तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं आधुनिकता, परम्परा और साधुता' (मोरिस जोन) इस कथन के सन्दर्भ में भारतीय राजनीति की विशेषताओं का वर्णन कीजिये।
- 3 'प्रजातान्त्रिक राजनीति के मूल्या और मापना की अपेक्षाएँ हुए भी भारतीय समाज में जाति के द्वायीय स्थान ग्रहण किये हुए हैं' (प्रो० एडोल्फ) व्याख्या कीजिये।
- 4 'भारतीय राजनीति में जाति और राजनीति एक दूसरे पर नियंत्रण और प्रतिनिधायक करती रहती हैं।' व्याख्या कीजिये।
- 5 'भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वहाँ तक उचित है' इस गन्धक में क्या नीति रखी है?
- 6 'आधुनिक भारत में गन्धक निराग करन यानी समस्या भाषा की समस्या है आनाचनामक व्याख्या कीजिये।

- 7 "अनेक विघटनकारी नत्वा के बाद भी भारतीय प्रजातन्त्र सबल है।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? व्याख्या कीजिये ।
- 8 भारत में मसदात्मक प्रजातन्त्र कहां तक सफल है ?
- 9 "दल-बदल भ्रवसरधादी राजनीति है । इस कथन के सदभ में दल बदल राजनीति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए राजनीति पर उमके प्रभावा का उल्लेख कीजिये ।
- 10 आन्दोलन की राजनीति (politics of agitation) में आप क्या समझते हैं ? क्या विरोध का यह सर्वधानिक तरीका है ?
- 11 "प्रतिपक्ष निबल होते हुए भी निर्जीव नहीं । इस कथन के सदभ में भारतीय राजनीति में प्रतिपक्ष (opposition) की भूमिका का उल्लेख कीजिये ।
- 12 "मिली जुली सरकारें समदीय प्रणाली की विचारधारा के विपरीत हैं ।" मन 1967-71 के अनुभवा, विशेषकर बिहार, उत्तरप्रदेश, केरल, पश्चिमी बंगाल के अनुभवा का उदाहरण देते हुए उक्त कथन की व्याख्या कीजिये ।

पुस्तक 5

राजनीतिक दल प्रणाली और दबाव समूह

(The Party System and Pressure Groups)

- 1 राजनीतिक दल प्रणाली
2. दबाव समूह

राजनीतिक दल प्रणाली (The Party System)

“राजनीतिक दल लोकतंत्र के साधन और सन्देश वाहिका हैं”

दलों का अर्थ और लोकतंत्र में महत्व—राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का संगठित समूह है जो सावजनिक समस्याओं पर समान विचार रखते हैं, जो मूल भूत सिद्धांतों पर सहमत हैं, जिनके राष्ट्रीय उद्देश्य हैं और जो सामूहिक प्रयास द्वारा शासन सत्ता को संवैधानिक साधनों द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तथा घोषित नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में, दल, जोसाकि लीकॉक ने कहा है, “एसी संयुक्त पूँजी-कम्पनी है जिसमें प्रत्येक सदस्य अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रश प्रदान करता है।” बक के अनुसार “राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी विशेष सिद्धांत के अनुसार अपने संयुक्त श्रम से राष्ट्रीय हितों की उत्थिति करना चाहते हैं।” स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों के निर्माण के लिये व्यक्तियों के समूह और संगठन, उनमें सँझातक मतभेदता राष्ट्रीय हित और संवैधानिक साधन आवश्यक तत्व हैं। क्योंकि समाज में सावजनिक समस्याओं के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण, उनके उपागम (approaches) भिन्न भिन्न होते हैं अतः भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों का विद्यमान होना स्वाभाविक है।

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अस्तित्व अपरिहार्य है। वस्तुतः नोकरता त्रिक सरकारों की कल्पना राजनीतिक दलों के बिना की ही नहीं जा सकती। किन्तु न भी यह बताने का प्रयास नहीं किया कि प्रतिनिध्यात्मक सरकार राजनीतिक दलों के बिना किस प्रकार वायव्य कर सकती है। लोवेल (Lowell) ने ठीक लिखा है कि “किसी महान् राष्ट्र में सम्पूर्ण जनता द्वारा सरकार की धारणा जिससे एक मन गढ़ त कल्पना है। क्योंकि जहाँ कहीं मताधिकार विस्तृत है वहाँ दलों का अस्तित्व निश्चित है और नियंत्रण वास्तविक रूप में उस दल के हाथों में ही होगा जिसका वरुमत होगा अर्थात् जिसने पक्ष में मवधारण का वरुमत होगा।”

दल सावतंत्र के साधन और आधारभूत हैं। दल उनके प्राण, हृदय और धामा हैं। य सोवनात्रिक यंत्र में उपमनेहन तेल गुन्य (lubricating oil)

हैं। व शासन के चतुर्थ अंग हैं। लोकतांत्रिक राज्यों में निर्वाचन, दलीय निर्वाचन होता है, नीतियाँ दलीय होती हैं, सरकार का निर्माण दलीय आधार पर होता है। निर्वाचन के लिये प्रयासी दल के आधार पर खड़े किये जाते हैं, उनके लिए प्रचार दल करता है, चुनाव खच दल करता है, उनके लिये निर्वाचन घोषणा पत्र (election manifesto) दल ही निकालते हैं, जिसके आधार पर मतदाता प्रत्यासियाँ को मत दते हैं, इन्हीं दलीय घोषणा पत्रों के आधार पर प्रत्यागी निर्वाचन जीतते हैं तथा सदन में दलीय नीतियों का समर्थन करते हैं। स्पष्ट है कि आरम्भ से अन्त तक लोकतांत्रिक सरकार दलीय सरकार है। मेकाइवर ने ठीक लिखा है कि राजनीतिक दलों के बिना "सिद्धांत का एक सा विवरण, नीति का व्यवस्थित विवास, ससदीय चुनावों की अधीनस्थ विधि को नियमित रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता और न ही किसी प्रकार की स्वीकृत सन्ध्याये हो सकती है जिनके द्वारा कोई दल शक्ति प्राप्त करना चाहता है या उसे स्थिर रखना चाहता है।"¹

दल ही पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। बहुमत प्राप्त दल सरकार का निर्माण करता है और अल्पमत प्राप्त दल जन हित के आधार पर उसकी नीतियों की आलोचना करता है। अतः दल शासन का रक्षक, आलोचक और सुधारक है। दल जहाँ सत्ताछूट दल को निरकुश होने से बचाते हैं वहाँ नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा भी करते हैं, इस दृष्टि से दल स्वतन्त्रता के प्रदरि हैं। दल ही नागरिकों की शिकायतें सदन में प्रस्तुत करते हैं और उन्हें दूर कराने का प्रयास करते हैं। इस तरह दल सीज़रता (caesarism—निरकुशता) से नागरिकों की रक्षा करते हैं। जैसाकि जॉर्ज्स ने लिखा है "जब तक विपक्ष विद्यमान है अधिनायक तब ही नहीं सकता"।

दल विचारों और सिद्धांतों में मतभेद उत्पन्न करते हैं विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं और उदासीन एवं अनभिज्ञ मतदाताओं को शिक्षित, जागरूक एवं त्रियाशील बनाते हैं। दल ही जटिल राजनीतिक समस्याओं को सरल रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रीय विषयों पर जनमत का निर्माण करने हैं। दल ही अमूल्य मतदाताओं को मूल बनाते हैं जैसाकि ब्राइस ने लिखा है कि "दल मतदाताओं के समूह की अराजकता में से व्यवस्था पैदा करते हैं।" इस तरह दलों के अभाव में मतदाता या तो निष्क्रिय हो जायेंगे या विनाशकारी। दल ही सम्कार, सदन और जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक सरकार के लिये अपरिहार्य हैं, लोकतांत्रिक सरकार दलीय सरकार होती है और समुद्र में ज्वार आटे की तरह लोकतांत्रिक शासन में उठका स्थान निश्चित है।

भारतीय राजनीतिक दलों की प्रकृति (The nature of Indian Political Parties)

भूमिका या विकास (Introduction or development)—विश्व के प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में दलीय प्रणाली की प्रकृति (स्वरूप) देश की राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। भारतीय दलीय प्रणाली इसका अपवाद नहीं है।

भारत में राजनीतिक दलों के विकास की प्रक्रिया पश्चिमी देशों में दलों के विकास की प्रक्रिया से भिन्न रही है। उदाहरणतया जहाँ यूरोप में वाइसिंग ने सत्तारूढ़ कुलीनतांत्रिक वर्ग को अपदस्त करने के लिये दलों का निर्माण किया वहाँ भारत में राष्ट्र के सभी वर्गों ने (पूँजीपति, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग), जो कांग्रेस के अंतर्गत संगठित थे, विदेशी शासन का मिल कर विरोध किया क्योंकि सभी इस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित थे कि देश स्वतंत्र हो। दूसरे, जहाँ यूरोप में दलों का निर्माण विचारधारा और ताकिय मोमासा का परिणाम था वहाँ भारत में दलों का निर्माण विदेशी शासन का अंत करने और सामाजिक पुनरुत्थान के लिये हुआ था। सभी दल देश की परिस्थितियों को सुधारना चाहते थे।¹ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब कांग्रेस ने, जो स्वतंत्रता आंदोलन के काल में राष्ट्रीय संगठन था, अपने आपको राजनीतिक दल में संगठित कर लिया तो कांग्रेस के अंदर विद्यमान विरोधी समूह उससे पृथक हो गये और उसका विरोध करने लगे। इस तरह भारत में दलों का विकास पृथक विचारधारा के आधार पर कांग्रेस से बाहर नहीं हुआ बल्कि कांग्रेस से ही हुआ है। उदाहरणतया भारतीय समाजवादी (प्रयोग, संघोषा, समाजवादी दल), साम्यवादी आदि कांग्रेस के अंदर विद्यमान कांग्रेस समाजवादी दल (CSP) के ही वंशज (descendant) हैं। जन संघ के संस्थापक डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमण्डल (कांग्रेस मंत्रिमण्डल) के सदस्य थे। स्वतंत्र दल के संस्थापक राजाजी, मिर्जा मंसानी आदि किसी समय कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं में थे। वर्तमान में अनेक दलों का निर्माण —जैसे केरल कांग्रेस, भारतीय श्रान्ति दल (BKD), वंगला कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस (बीजू पटनायक का प्रगति दल), हरियाणा कांग्रेस आदि असंख्य एवं असंख्य कांग्रेसियों द्वारा ही किया गया है। इस तरह भारत में दलों का विकास पृथक या स्वतंत्र विचारधारा के आधार पर नहीं हुआ बल्कि कांग्रेस से ही हुआ है। तीसरे यूरोप में नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संघर्ष करना पड़ा। परन्तु भारतीय नागरिकों को वयस्क मताधिकार के लिये कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो गया। अतः वे इसका प्रयोग उस सावधानी से नहीं करते जिस सावधानी और विवेक से यूरोपीय मतदानों में इसका प्रयोग निर्वाचन के समय करते हैं। भारतीय मतदानों में निधन, अनिश्चित और पिछड़ा हुआ है। उस पर परम्परा जाति, धर्म आदि का अत्यधिक प्रभाव है। वह आज भी

शासको को 'देवता' के रूप में देखता है और उसके 'दशनों' का अभिलाषा रहता है। भारत में व्यक्ति पूजा अत्यधिक है। शासको का विरोध 'पाप' और 'अधर्म' समझा जाता है। यह सत्य है कि पिछले वर्षों में हुए निर्वाचनों में भारतीय मतदाता को जागरूक किया है और वह इस अधिकार के प्रति सचेत भी प्रतीत होता है परंतु आज भी उसमें वंचारिक परिपक्वता का अभाव है, उसमें अनिश्चितता और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण, निराशा और हताशा (frustration) है।

भारतीय राजनीतिक दलों की विशेषताएँ (लक्षण) (Features or attributes of Indian political parties)

भारतीय राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं —

1 बहुदलीय प्रणाली (Multi party system)—भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका संविधान साम्यवादी देशों के संविधानों की भाँति किसी एक दल को भाष्यता प्रदान नहीं करता और पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की भाँति विशेष कर ब्रिटेन की भाँति, यहाँ द्विदलीय प्रणाली का विकास नहीं हुआ। भारतीय संविधान सभी को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सध, संगठन और समूह की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत एक बहुसंस्कृतियों, बहुजातियों, बहुधर्मों, बहुभाषाओं वाला देश भी है। ये संस्कृतियाँ और जातियाँ अपनी पृथक पहचान (separate identity) को बनाये रखना चाहती हैं। अतः भारत में बहु राजनीतिक दलों का होना स्वाभाविक है। यहाँ अनेक अखिल भारतीय, क्षेत्रीय तटस्थ और अलग राजनीतिक दल विद्यमान हैं। कुल मिलाकर भारत में 50 से भी अधिक राजनीतिक दल हैं। प्रमुख दल हैं—अखिल भारतीय कांग्रेस (अब इसके दो संगठन हैं सत्तापुत्र कांग्रेस और संगठन कांग्रेस), प्रसोपा (PSP), समोपा (SSP), समाजवादी दल, (SP) साम्यवादी दल (CPI, CPI (M), CPI (M L), जनमध, स्वतंत्र दल भारतीय लोक दल (BLD), द्रमुक (DMK), अगुली दल मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा राम राज्य परिषद, बंगला कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस (बीजू पटनायक की प्रगति पार्टी) केरल कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस भारखण्ड (हृच) दल रिपब्लिकन दल आल पार्टी हिल लीडर्स काफ़ेस (APHLC), किसान मजदूर लोब फ़र, अदि। अनेक दल निर्वाचन के समय स्थानीय नेतृत्व के इद गिद उत्पन्न होते हैं और निर्वाचन के बाद राजनीतिक रगमच में अफ़कन हो जाते हैं। दलों का उदगम और पतन कांग्रेस के आशीर्वाद और अभिगाप पर भी निर्भर रहा है।

2 एक दल प्राधाय प्रणाली (One party dominant system)—भारत में बहुदलीय प्रणाली होते हुए भी भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में एक दल का प्राधाय रहा है। जहाँ फ़ासजस देगो में बहुदलीय प्रणाली होने से एक दल का सरकार का गठन होना बठिन रहा है वहाँ भारत में दलों की बहुतायत के बावजूद कांग्रेस का, शासन सत्ता पर प्राधाय रहा है। इस विशेषता को 'एक प्रमुख'...

नीय प्रणाली' (one dominant party system) और "एक दल प्राधायणशी" (one party dominant system) की मज़ा दी गयी है। बर्न्यु 10 मेरिस जोस, रजनी कोठारी और गोपाल कृष्ण ने अपनी रचनाओं में इसी इपॉलोजी (Typology प्रकार विज्ञान) का प्रयोग किया है। इस टाइपॉलोजी प्रयोग का कारण यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से, कम से कम दल में, शासन सत्ता पर एक दल (कांग्रेस) का प्राधायण रहा है। यद्यपि केन्द्र में, 1969 के कांग्रेस विघटन के समय, इसकी प्राधायणता को चुनौती दी गयी थी तु सत्ताह्व कांग्रेस साम्यवादी, द्रमुक और अक्वली दल के समयन से इस चुनौती सफलतापूर्वक सामना कर सकी। सन् 1971 के ससदीय चुनावों में सत्ताह्व र्सेस फिर पूण बहुमत से निर्वाचनों में विजयी हुई और उसकी प्राधान्यता बनी रही।

परंतु राज्य स्तर पर इस टाइपॉलोजी (एक दल प्राधायण प्रणाली) का ण अद्भ सत्य ही रहा है। राज्य स्तर पर न केवल 1967 के निर्वाचन में बल्कि के प्राधायण काल में भी कांग्रेस को बाह्य और आंतरिक चुनौतियों का सामना णा पडा। केरल में 1957 में ही साम्यवादिया की सरकार बनी थी और 1967 चुनावों में तो राज्य स्तर पर कांग्रेस के प्राधायण को झकझोर लिया था। उसे ण राज्यों में विपक्ष में बैठना पडा। यद्यपि मिली जुली सरकारों का जीवन अल्प णिन ही रहा परंतु इसके निर्माण ने यह सिद्ध कर दिया कि राज्यों की शासन ण पर उसका एकाधिकार नहीं। 1972 के निर्वाचनों में यद्यपि कांग्रेस अधिकां णों में पुन सत्ता में आ गयी परन्तु 'प्रतिद्विदि प्राधायणता' (competitive ninance) की प्रवृत्ति विद्यमान है। सन् 1967 से तामिलनाडु में द्रमुक की णर है। जून 1975 के गुजरात चुनावों के बाद वहा जनता मोर्चे की सरकार निर्माण हुआ है। रजनी कोठारी ने ठीक लिखा है कि "भारतीय प्रणाली एक प्राधायण प्रणाली की थी। यह प्रतिद्विदि दर्लिय प्रणाली थी जिसमें प्रतिद्विदि इयां असमान भूमिका निभा रही थी।"¹

कांग्रेस को केवल बाहर में ही चुनौतियां नहीं दी गयी थी बल्कि उसकी णयता को स्वयं कांग्रेस के अंदर से अनेक चुनौतियां दी गयी थी। दल की णरिक् गुटबाजियों, दल के अंदर सत्ता के स्वाना, सगठन और शासन के सम्बन्धा, णरिक् दलीय ढांचे और स्थानीय नृत्न ने दल के प्राधायण का अनेक चुनौतियां दी।² इस तरह कांग्रेस के भीतर पाय जाने वाले गुटा ने ही विरोधी दल की णा का अंदा किया। जिस ढंग में उत्तरप्रदेश में चंद्रमामु गुप्त ने (UPPCC

Kothari Rajni "The Congress 'System' in India Asian Survey vol IV (Dec 1969) Also see Kothari Rajni Politics in India ch V

See Kochanek, Stanley A The Congress Party of India The Dynamics of One-Party Democracy

अध्यक्ष) मुख्य मन्त्री सम्पूर्णान्द्र को और उड़ीसा में पटनायक ने मेहताव को पद त्यागने के लिए बाध्य किया।¹ वह दल प्राधान्य को अभिव्यक्त नहीं करता बल्कि भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में असंतुलन (imbalance) को अभिव्यक्त करता है। आज कर्नाटक में मुख्य मन्त्री देवराज अम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच० के० पाटिल में गम्भीर मतभेद हैं। पाटिल ने अम पर अनेक आरोप भी लगाये हैं।

विचारधारा के दृष्टिकोण से तो 'एक दल प्राधान्यता' को प्राधान्यता की मना देना भी उचित नहीं क्योंकि कांग्रेस ने कभी अपने आपको एक विचारधारा से नहीं बांधा। इसकी मुख्य प्रवृत्ति मध्यम मार्गी रही है, यद्यपि इसमें दक्षिण पंथी, वाम पंथी तत्त्व सबदा विद्यमान रहे हैं। इसे ठीक ही खुली दलीय प्रणाली (open party system) की मना दी गयी है। जैसाकि मोरिस जो स ने लिखा है कि कांग्रेस खुली दलीय प्रणाली है क्योंकि इसमें दूसरे दलों को संगठन बनाने और कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। आंतरिक रूप में भी कांग्रेस अनेक विचारों को स्थान देती रही है जैसे दक्षिण पंथी, वाम पंथी मध्यम मार्गीय विचारों का।²

3 सुदृढ़ विरोधी दलों का अभाव—ससदात्मक लोकतंत्र की सफलता के लिये सुदृढ़ राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है परन्तु भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में इसका अभाव रहा है। विरोधी दल ही सरकार की नीतियों की आलोचना कर सरकार के विकल्प को प्रस्तुत करते हैं। परन्तु भारत में विपक्ष इतना बुरी तरह से विभक्त रहा है कि न तो कोई विरोधी दल अकेले और न संयुक्त रूप से कांग्रेस का विकल्प प्रस्तुत कराने में सफल हुआ है। 27 वर्षों के कटु अनुभवों के बाद भी विपक्ष विभक्त है। सन् 1967 में जब राज्यों में संयुक्त सरकारों का निर्माण हुआ तो यह आशा की जाती थी कि संगठित विरोधी दलों का विकास होगा परन्तु ये आशाएँ पूर्ण नहीं हुईं। सन् 1974 में सात दलों के विलय से भारतीय लोक दल (B L D) का उदय अवश्य हुआ है परन्तु वह कांग्रेस को चुनौती देने में असमर्थ है। उनकी चुनाव अनुगामिता ही नगण्य है।³ यद्यपि 1975 में गुजरात चुनावों से पूर्व फेडरल पार्टी के विचारों को जन्म दिया गया परन्तु अभी वह गभस्थ अवस्था में ही है। जब तक विरोधी दल अपनी पृथक पहचान को बनाये रखना चाहेंगे तब तक

- 1 See Morris Jones, W H : The Government and Politics of India, p 206
- 2 See Morris Jones W H 'Parliament and Dominant Party Indian Experience Parliamentary Affairs, Dec 1964 pp 296 307
- 3 जून 1975 के गुजरात राज्य विधान सभा के निर्वाचनों में पहल बार, भिन्न भिन्न रंगों के अन्तर्गत गैर साम्यवादी पार्टियाँ (मगठन कांग्रेस, जनमघ भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय श्रमिक पार्टी आदि) ने पहली बार सामान्य प्रोग्राम और सामान्य नेतृत्व के अन्तर्गत चुनाव लड़ा है।

दल ध्रुवीकरण की ओर बढ़ने हैं और चुनाव गुजर जाने पर विघटित हो जाते हैं । पामर न ठीक सिखा है कि "भारतीय राजनीति, प्रायः स्थाना की भाँति विचित्र विस्तर मैदियों को जन्म देती है ।"¹

6 दलिय प्रणाली से प्रसृतोप—भारतीय राजनीतिक दला ने भारतीय राजनीति को मगठित किया है, उसका प्राधुनिकीकरण किया है, मामाजीकरण किया है लोगों की सामेशरी को बढ़ावा दिया है । इतना ही नहीं, दला ने ही राजनीतिज जगृति उत्पन्न की है और सामाजिक तथा प्राविक परिवर्तन के लिए मस्वागत ढाके का प्रस्तुत किया है परन्तु फिर भी दला में प्रसृतोप व्याप्त हैं और उह दूषित मस्थाय समभा जाता है । भारत म प्रनक एम प्रबुद्ध, नेता समूह और प्रादोलन विद्यमान हैं, जो दन विहीन राजनीति (partyless politics) की कल्पना ही नहीं करते बल्कि भारतीय लोकान के लिए प्राधिा भी समभ्त हैं । महात्मा गाधी के सर्वोदय अनुयायी निगेयकर विनोदा भाव और जयप्रकाश नारायण दल विहीन राजनीति की स्थापना चाहते हैं । परन्तु प्रादवय यह है कि इस त्रिधारधारा के विद्यमान होने पर भी भारत में दला का विकास प्राकस्मिक हुआ है और आज इनकी मरया 50 से भी प्राधिक है ।

7 विचारधारा की अस्पष्टता व अनिश्चितता—भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली की एक विगपता यह है कि यहाँ के दला म विचारधारा की अस्पष्टता और अनिश्चितता पाई जाती है अर्थात् दला का मद्धातित प्राधार बहुत पतला है । काँग्रेस जैसे प्रमिल भारतीय राजनीतिक दल के भी कोई ठोस, निश्चित और स्पष्ट सिद्धान्त नहीं । इसमें दक्षिण पथी, वाम पथी, मध्यममार्गीय सभी विचारधाराओं के समथक पाय जाते ह । इसकी नीतियाँ निर्वाचना में जीतने और सत्ता में बने रहने से प्रभावित रही है । उदाहरणतया 1971 के मसदीय चुनावों में "गरीबी हटाओ" का नारा किमी गुनिश्चित रचनात्मक प्रायक्रम पर प्राधारित नहीं था बल्कि "इंदिरा हवा" का मता का प्राप्त करने के लिये चुनाव करिदमा (charisma चमत्कार) या इतना ही नहीं काँग्रेस ने भिन्न भिन्न परिस्थितिया म भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया है । उदाहरणतया 1971 के ससदीय निर्वाचना में काँग्रेस ने साम्यवादियों के साथ समभौता किया, तामिलनाद में द्रमुक (DMK) से समभौता किया, 1972 के राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन में एक राज्य में साम्यवादियों के साथ समभौता किया और दूसरे राज्य म उसका विरोध किया है । इतना ही नहीं काँग्रेस की राष्ट्रीय धम निरपेक्ष नीतियों के होने पर भी केरल म साम्प्रदायिक, सकीण वक्ति वाली मुस्लिम लीग के साथ सरकार म साम्भेदार है । और तो और जातिवाद की खुल्म-खुल्ला भत्सना करत हुए भी काँग्रेस ने, कम से कम राज्य स्तर पर प्रत्याशियों के

1 'In India as elsewhere politics makes strange bed fellows
Palmer Norman D Ibid, p 208

भारत में दो-तीन दलों का विकास नहीं हो सक्ता और विपक्ष मुट्ठ नहीं हो सक्ता और विपक्ष के विभक्त होने का लाभ कांग्रेस प्राप्त करती रहेगी। यह सच है कि निर्वाचन से पूर्व या बाद में समुक्त मोर्चा, फ्रंट और महासंघना का निर्माण किया गया है परंतु उह याद्विग्न मफलता मिलना तो दूर यथा स्थिति को भी बनाय नहीं रख पाये। चुनाव में मोर्चा, फ्रंट और महासंघना के पराजित होने का मूल कारण यह था कि व प्रस्थापी मंत्रियाँ (shifting alliances) थी, उनके पास रचनात्मक कार्यक्रम का प्रभाव था और वे "कांग्रेस हटाओ" के नकारात्मक पहलू पर आधारित थे। यस्तुत जिस बात की आवश्यकता है वह मोर्चा, फ्रंट और महासंघना को नहीं बल्कि मुट्ठ और मगठित विरोधी दल की है जिनकी कोई स्पष्ट विचारधारा हो और जो जन साधारण के समक्ष रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की क्षमता रखे।

4 विपक्ष की प्रवृत्ति दबाय समूहों जसी है—भारत में विरोधी दलों की प्रवृत्ति विरोधी दलों के स्थान पर दबाव समूहों की अधिक रही है। इसका कारण यह है कि उह सत्ता के लाभ (कुछ समय को छोड़कर) प्राप्त नहीं हुए और न ही व सरकार का विकल्प प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं। अतः उन्होंने कांग्रेस दल के अंदर विद्यमान गुटा के माध्यम से उसकी नीतियों और उद्देश्यों का प्रभावित करने का प्रयास किया है। अनेक बार तो वे सीमान्त में रहकर ही उसकी नीतियों का प्रभावित करते हैं।

5 खण्डीकरण और ध्रुवीकरण और खण्डीकरण (Fragmentation Polarization and fragmentation)—भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली की एक विशेषता यह रही है कि इसमें विघटन ध्रुवीकरण और विघटन की प्रक्रिया निरंतर चली रही है। इस रोग से केवल विरोधी दल ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी पीड़ित रही है। इस रोग ने ही दल-बन्धन, पक्ष परिवर्तन (floor crossing), अस्थिर राजनीति, विपत्तियों मंत्रियों आदि को जन्म दिया है। इस वृत्ति ने ही कांग्रेस में मोर्चा, फ्रंट और महासंघना को बल दिया है। खण्डीकरण ध्रुवीकरण और खण्डीकरण की यह गली केवल 1967 के चुनाव से ही उत्पन्न नहीं हुई बल्कि कुछ मात्रा में यह विशेषता, भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली को राष्ट्रीय आंदोलन से बराबर ही प्राप्त हुई है। उदाहरणतया 1948 में कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस से पृथक हुआ, आचार्य जे. बी. कृपलानी ने प्रथम चुनाव से पूर्व कांग्रेस से पृथक होकर असहमतता (Dissident) से किसान मजदूर प्रजा पार्टी (K.M.P.P.) का निर्माण किया कांग्रेस के अंतर्गत एक असहमत सदस्यों ने ही 1959 में राजाजी के नेतृत्व में स्वतंत्र दल की रचना की बंगला काँग्रेस, केरल काँग्रेस आदि भी ऐसे दल हैं जो कांग्रेस से अलग होकर बनाये गये हैं। समाजवादियों का इतिहास ही खण्डीकरण ध्रुवीकरण और खण्डीकरण का रहा है—कभी प्रगतिवादी कभी मसौदा और कभी समाजवादी दल का निर्माण किया गया। भारतीय साम्यवादी भी तीन दलों में CPI, CPI (M), CPI (M-L) में विभक्त हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि कांग्रेस के विरोध में विरोधी

दल ध्रुवीकरण की ओर बढ़ने हैं और चुनाव गुजर जाने पर विघटित हो जाते हैं । पामर ने ठीक लिखा है कि "भारतीय राजनीति, अथ स्यानों की भांति विचित्र विस्तर मैत्रियों को जन्म देती है ।"¹

6 दलीय प्रणाली से असंतोष—भारतीय राजनीतिक दलों ने भारतीय राजनीति को मगठिन किया है, उसका आधुनिकीकरण किया है, सामाजीकरण किया है लोगों की साभेदारी को बढावा दिया है । इतना ही नहीं दलों ने ही राजनीतिक जागृति उत्पन्न की है और सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन के लिए सस्यागत टाचे को प्रस्तुत किया है परन्तु फिर भी दलों में असंतोष व्याप्त हैं और उन्हें दूषित सस्याय समझा जाता है । भारत में अनेक ऐसे प्रबुद्ध, नेता समूह और आंदोलन विद्यमान हैं, जो दल विहीन राजनीति (partyless politics) की कल्पना ही नहीं करते बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिये बाधित भी समझते हैं । महात्मा गांधी के सर्वोदय अनुयायी निशेपकर विनोबा भाव और जयप्रकाश नारायण दल विहीन राजनीति की स्थापना चाहते हैं । परन्तु आश्चर्य यह है कि इस विचारधारा के विद्यमान होने पर भी भारत में दलों का विकास आकस्मिक हुआ है और आज इनकी संख्या 50 से भी अधिक है ।

7 विचारधारा की अस्पष्टता व अनिश्चितता—भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली की एक विशेषता यह है कि यहां के दलों में विचारधारा की अस्पष्टता और अनिश्चितता पाई जाती है अर्थात् दला का संघातिक आधार बहुत पतला है । कांग्रेस जैसे अखिल भारतीय राजनीतिक दल के भी कोई ठोस निश्चित और स्पष्ट सिद्धान्त नहीं । इसमें दक्षिण पंथी, वाम पंथी, मध्यममार्गीय सभी विचारधाराओं के समन्वय पाए जाते हैं । इसकी नीतियां निर्वाचनों में जीतने और सत्ता में बने रहने से प्रभावित रही हैं । उदाहरणतया 1971 के संसदीय चुनावों में "गरीबी हटाओ" का नारा किमी मुनिश्चित रचनात्मक कार्यक्रम पर आधारित नहीं था बल्कि "इंदिरा हवा" का मतो को प्राप्त करने के लिये चुनाव करिश्मा (charisma चमत्कार) था इतना ही नहीं कांग्रेस ने भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया है । उदाहरणतया 1971 के संसदीय निर्वाचनों में कांग्रेस ने साम्यवादियों के साथ समझौता किया, तामिलनाडु में द्रमुक (DMK) से समझौता किया, 1972 में राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन में एक राज्य में साम्यवादियों के साथ समझौता किया और दूसरे राज्य में उसका विरोध किया है । इतना ही नहीं, कांग्रेस की राष्ट्रीय धर्म निरपेक्ष नीतियों के होन पर भी केरल में साम्प्रदायिक, सकीण बस्ति वाली मुस्लिम लीग के साथ सरकार में साझेदार है । और तो और जातिवाद की खुलम-खुल्ला भत्सना करत हुए भी कांग्रेस ने, कम में कम राज्य स्तर पर प्रत्याशियों के

1 'In India as elsewhere politics makes strange bed fellows'
Palmer Norman D Ibid, p 208

चयन और चुनाव प्रचार में जाति का सहारा लिया है या कम से कम उनके निष्पक्ष इस तत्व से प्रभावित रहे हैं।

भारतीय विरोधी दल भी अनिश्चितता की स्थिति में है। समाजवादियों को अपनी स्पष्ट विचारधारा का ही ज्ञान नहीं, साम्यवादियों की अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की विचारधारा होने हुए भी आंध्र और केरल में चुनाव अपील जाति (आंध्र में कामा जाति और केरल में एजावस जाति) पर आधारित है। मुस्लिम लीग मुस्लिम जाति, भवाली दल सिक्ख जाति, रिपब्लिकन दल अछूत जाति हिंदू महासभा हिंदू जाति पर आधारित है। जनमध यद्यपि हिंदू जाति पर आधारित नहीं, परन्तु उनके समयन का आधार हिंदी भाषाई राज्यों तक सीमित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) उसके अनुशासित अंग के रूप में कार्य करता है। यद्यपि औपचारिक या सैधान्तिक दृष्टि से दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है। द्रमुक (DMK) जन्मे दल तो केवल क्षेत्रवाद पर ही आधारित है। बुद्ध भाषाई समुदाय इतने बल शाली रहे हैं कि उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पृथक समितियों का गठन किया जैसे गुजरात में महागुजरात जनता परिषद्, महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र समिति और आंध्र में तेलंगाना प्रजा समिति, आदि। स्पष्ट है कि भारतीय राजनीतिक दलों में अनिश्चितता और स्पष्ट विचारधारा का अभाव होने से वह जाति भाषा, क्षेत्र धर्म, आदि तत्वों से प्रभावित रहे हैं।

3 निदलीय सदस्यों का महत्त्व—निदलीय सदस्य ससदीय लोकतंत्र के लिये शुभ नहीं होते। उनके न तो कोई अपने रचनात्मक कार्य होते हैं और न ही कोई नीतियाँ। वे नीति विहीन, दिशा विहीन आदर्श विहीन सदस्य होते हैं जो राजनीति में अवसरवादिता दल बल राजनीतिक अनैतिकता, अस्थायी मैत्रियों, अस्थिर मंत्रिमण्डलों आदि को जन्म देते हैं। निदलीय सदस्य भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक चुनौती है। परन्तु आश्चर्य तो यह है कि निर्वाचना में दलीय सदस्यों को पर्याप्त लोकमत और लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में पर्याप्त स्थान प्राप्त हुए हैं।

9 विरोध की नीति (style) आंदोलनकारी रही है—भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में विरोध की रीति (style of opposition) की दो विशेषताएँ रही हैं। प्रथम तो यह कि सरकारी नीतियों का विरोध केवल सैधान्तिक साधनों द्वारा नहीं किया गया बल्कि राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास से वरसत में प्राप्त आंदोलन के साधनों द्वारा—प्रदर्शन, हड़ताल धेराव धरना, बंद, बहिष्कार आदि द्वारा किया गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में इन रीतियों को स्वीकार किया जाता है। दूसरे, विरोध केवल बुद्धि जीवियों तक सीमित रहा है, सब मायारण व्यक्ति इसमें प्रयत्न करते हैं। यद्यपि जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 से चलाया गया सम्पूर्ण जाति का आंदोलन सर्वमाधारण व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सचेत कर रहा है परन्तु उसकी सफलता कितनी है इसका अनुमान लगाना कठिन है। यह भविष्य का इतिहास ही बना सकेगा। वर्तमान में

इतना ही कहा जा सकता है कि भूखे नगे, वन की चिता में घसन, निरश्वर, अनभिन्न मतगता से राजनीति में सक्रिय भाग लेने की अपेक्षा करना दुष्कर है। वह राटी' से चिंतित है 'भतदान या अधिकारा' की वास्तविकता से नहीं। अधिकारा का तो वह ग्रथ ही नहीं समझता।

10 आदर्श और मूल्यों में समानता—भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली की एक विशेषता यह रही है कि इसमें पक्ष और विपक्ष के आदर्शों और मूल्यों में साम्यता पाई जाती है। दोनों (केवल नक्सलवादिया¹ का छोड़कर) मविधान द्वारा स्थापित मसदीय मस्याओं को बनाय रखना चाहते हैं, नौना भारतीय समाज का पुनरुत्थान चाहते हैं। उनका विरोध मस्याओं में नहीं उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों में है।

11 नेतृत्व का प्रभाव—भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली पर नेतृत्व का विशेष प्रभाव रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस पर माहृत्मा गांधी का, जब में व राजनीति में आये विशेष प्रभाव था, स्वतंत्रता के बाद विशेषकर 1950 में पटेल की मृयु के बाद कांग्रेस पर जवाहरलाल नेहरू का प्राधान्य था। नेहरू का व्यक्ति व इतना प्रभावशाली था कि किसी में उनका विरोध करने का साहस ही नहीं होता था। सन् 1967 में कांग्रेस पर श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रभाव रहा है। जिस ढंग से राज्या के मुख्य मंत्री अपने अस्तित्व के लिये नेतृत्व पर निर्भर करते हैं वह नेतृत्व के प्राधान्य को अभिन्यक्त करता है कांग्रेस दल ही केवल नेतृत्व से आच्छादित नहीं रहा, विरोधी दलों के नेतृत्व में भी यही प्रवृत्ति पायी जाती है। द्रमुक (DMK) पर 'अन्ना' का और माकमवादिया पर नम्बूदरीपाद का नेतृत्व प्रभावकारी रहा है। "व्यक्ति पूजा अर्थात् नेतृत्व पूजा की विशेषता भी भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली को राष्ट्रीय आंदोलन और ऐतिहासिक अनुभवों में बराबर के रूप में प्राप्त हुई है।

12 दल प्रणाली के विकास में सरकार की भूमिका—विकास योजनाओं के माध्यम से, जिसमें नीकरगाही की भूमिका भी निर्णायक रही है, दला ने अपने सगठनात्मक आधार के तान बान को बुनने का प्रयत्न किया है। वित्तीय प्रमाणा का प्रयोग दलों में अपने उद्देश्यों के लिए किया है। इस प्रक्रिया में कांग्रेस अधिक लाभान्वित हुई है और बिन्दु कम। परन्तु इसका एक लाभ यह हुआ है कि राज्या में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने पर भी विकास योजनाओं में बाधा प्रस्तुत नहीं हुई।

13 राजनीतिज्ञों का महत्व सरकार के साथ सम्बंधित रहने तक सीमित रहा है—भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में राजनीतिज्ञों का महत्व, चाहे वे किसी समय कितने ही महान प्रबुद्ध क्रियाशील नेता क्यों न रहे हों केवल उत समय तक रहा है, जब तक उनका सम्बन्ध सरकार से रहा है। सम्बन्ध बिच्छेद होने ही व

1 नक्सलवादी मसदीय मस्याओं, निर्वाचनों, मन पत्रा आदि में विश्वास नहीं करते। वे राजनीतिक हत्याओं, हिंसा और आतंक में विश्वास करते हैं।

“विस्मरण व्यक्ति” (forgotten men)¹ बन गये। इस विशेषता ने दलों में कुछ मात्रा तक अनुशासन रखने में सहयोग दिया है।

स्वस्थ राजनीतिक दलों के विकास में बाधाएँ

(Hindrances to the growth of healthy party system)

भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक तत्व ऐसे विद्यमान हैं, जो स्वस्थ राजनीतिक दलों के विकास में बाधा प्रस्तुत करते हैं। इन बाधाओं में प्रमुख बाधाएँ निम्न हैं —

- (i) दलों में विचारधारा की अस्पष्टता और अनिश्चितता,
 - (ii) एक दल प्राधाय व्यवस्था,
 - (iii) सुदृढ विरोधी दल का अभाव,
 - (iv) दलों का साम्प्रदायिक आधार जो राष्ट्रीयता, धर्म निरपेक्षता और लोकतन्त्र को चुनौती देते हैं,
 - (v) दल विहीन राजनीति (partyless politics) के विचार का विद्यमान होना,
 - (vi) शुद्ध अवधानिक साधना में अविश्वास—आन्दोलन की रीति। नक्सलवादी तो राजनीतिक हत्याओं हिंसा और आतंक में विश्वास करते हैं, आदि।
- उपयुक्त सभी बिंदुओं की विस्तृत व्याख्या इस अध्याय में यथा स्थान कर दी गयी है अतः यहाँ उसे दोहराने से कोई लाभ नहीं।

भारतीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण

(Classification of Indian political parties)

सन् 1953 में दलीय स्थिति पर टिप्पणी करते हुए प० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि “कांग्रेस के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दलों का चार समूहों में विभक्त किया जा सकता है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके अपने धार्मिक सिद्धांत हैं। फिर साम्यवादी दल और उसका सहयोगी संगठन हैं। फिर भिन्न भिन्न नामकरणों को नियंत्रित हुए अनेक साम्प्रदायिक दल हैं जो सकीण साम्प्रदायिक विचारधारा का अनुसरण करते हैं और फिर अनेक स्थानीय दल समूह हैं जिनकी अपील प्रांत या उससे भी कम क्षेत्र तक सीमित है।”²

नेहरूजी द्वारा भारतीय राजनीतिक दलों का किया गया उपयुक्त वर्गीकरण आज भी उतना ही सत्य है जितना कि वह उस समय या जब उस वर्गीकृत किया गया था। फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय राजनीतिक दलों को मोटे तौर पर निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकरण किया जा सकता है —

- 1 इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जम शी० राजगोपालाचारी, वृष्णा मेनन, गुलजारीलाल नन्दा, आदि।
- 2 The Hindustan Times March 19 1953 Quoted by Palmer, Norman D. The Indian political system (2nd edn) p 208

A क्षेत्र के आधार पर दलों का वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर भारतीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण माटे तौर पर दो भागों में किया जा सकता है (1) अखिल भारतीय राजनीतिक दल, और (ii) क्षेत्रीय राजनीतिक दल।

(i) अखिल भारतीय राजनीतिक दल—अखिल भारतीय राजनीतिक दल व दल हैं जिनका कार्य क्षेत्र समूचे भारत में है और जिनके संगठन की इकाइयाँ निम्न स्तर पर भी विद्यमान हैं। इनका अपना गामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है और विकास के अपने कार्यक्रम हैं। कांग्रेस, समाजवादी दल, (प्रसोपा PSP, मनोपा SSP, समाजवादी दल SP), साम्यवादी दल, जनसंघ मरतन्त्र दल, भारतीय लोक तन्त्र आदि अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के उदाहरण हैं।

अखिल भारतीय राजनीतिक दलों का अखिल भारतीय स्तर पर संगठन होने का यह अभिप्राय नहीं कि उन्हें भारत के सभी क्षेत्रों में समान समयन या उनका सबम समान प्रभाव है। कुछ अखिल भारतीय दलों का प्रभाव क्षेत्र एक या दो या तीन राज्य या भारत के कुछ खण्डों में हो सकता है। उदाहरणतया जनसंघ का प्रभाव हिंदी भाषाई राज्यों में (उत्तर भारत के राज्यों में विशेषकर उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश आदि) अधिक है जबकि दक्षिणी भागों में जहाँ हिंदी का विरोध है, इसकी निर्वाचन अपील अभी तक नगण्य रही है। इसी तरह साम्यवादियों का संगठन प्रत्येक राज्य में होने पर भी उनकी निर्वाचन अपील विशेषकर पश्चिमी बंगाल, केरल और आंध्र राज्यों में रही है। स्वतन्त्र दल की निर्वाचन अपील भी गुजरात राजस्थान और उड़ीसा राज्यों तक सीमित रही है।

अखिल भारतीय राजनीतिक दलों का राजनीतिक व्यवहार भी सभी राज्यों में समान स्थिति में एक सा नहीं रहा। अनेक बार स्थानीय तत्त्व दत्तन वलशाली रहे हैं कि अखिल भारतीय राजनीतिक दलों ने केन्द्र में एक प्रकार की, एक राज्य में दूसरे प्रकार की और एक राज्य में किसी और प्रकार की नीति का अनुसरण किया है। उदाहरणतया 1967 के निर्वाचनों के बाद कांग्रेस ने विरोधियों के साथ मिलकर मिली जुली सरकार का निर्माण करने से इंकार कर दिया और भिन्न-भिन्न राज्यों में पक्ष-परित्याग (defections) को बढ़ावा दिया विशेषकर उन व्यवस्थापिका सदस्यों को अपने दल में निर्मात्रत किया जिन्होंने स्वतन्त्र (independent) उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। परन्तु 1969 के विघटन के बाद, 1971 के संसदीय निर्वाचनों में सत्तारूढ़ कांग्रेस (इंदिरा गांधी कांग्रेस) ने तमिलनाडु में द्रमुक (DMK) के साथ निर्वाचन समझौते किये और 1972 के निर्वाचन के बाद केरल में मुस्लिम लीग जने साम्प्रदायिक दल के साथ संयुक्त सरकार का निर्माण किया। इस विधर्ती (shifiting) स्थिति ने अनेक बार दल के मुख्यालय (HQ) और स्थानीय कार्यालयों में भिन्नताएँ और कटुताएँ भी उत्पन्न की हैं। दूसरी ओर, स्वतन्त्र दल का स्वरूप यदि बिहार और राजस्थान में अभिजातीय (aristocratic) रहा है, वहाँ आंध्र में इसका स्वरूप लोकप्रिय (popular) रहा है।

(ii) क्षेत्रीय राजनीतिक दल—क्षेत्रीय राजनीतिक दल वे दल हैं जिनका कार्य क्षेत्र समूचे भारत में हो कर क्षेत्र विशेष तक सीमित है। भारत बन्तुन इतना बड़ा देश है कि इसमें अनेक राष्ट्रीयतायें निवास करती हैं। प्रत्येक की अपनी भिन्न संस्कृति, लिपि और भाषा है। प्रत्येक अपनी पृथक पहचान (identity) को बनाये रखना चाहती है। इससे अतिरिक्त अनेक एमी क्षेत्रीय समस्यायें हैं जिनका समाधान क्षेत्रीय स्तर ही हो सकता है। अतः क्षेत्रीय दलों का भारतीय राजनीतिक प्रणाली में विद्यमान होना अस्वाभाविक बात नहीं। क्षेत्रीय दलों के मुख्य उदाहरण हैं द्रमुक (DMK) जिसका कार्य क्षेत्र तमिलनाडु तक सीमित है। पंजाब का अकाली दल भी क्षेत्रीय दल का उदाहरण है जिसकी कार्य सीमायें केवल पंजाब तक सीमित हैं।

B प्रकृति के आधार पर दलों का वर्गीकरण—प्रकृति के आधार पर भारतीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण मोटे तौर पर दो भागों में किया जा सकता है (i) धर्म निरपेक्षतावादी, और (ii) साम्प्रदायिक राजनीतिक दल।

(i) धर्म निरपेक्षतावादी दल—धर्म निरपेक्षतावादी वे दल हैं जो सभी धर्मों को समान दृष्टि से दम्त है और धर्म, जाति, भाषा, प्रात आदि या इनमें से किसी एक आधार पर नागरिकों में भिन्नता नहीं करते। ये दल सभी को समान समझते हैं और सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करना चाहते हैं। अखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक दल, कांग्रेस, साम्यवादी, स्वतंत्र दल, जनसंघ, इसी वर्गीकरण में आते हैं। इनके दलों की सदस्यता किसी जाति या धर्म विशेष पर निर्भर नहीं करती बल्कि सभी के लिये खुली रहती है।

धर्म निरपेक्षता का यह अर्थ नहीं कि दलों ने राजनीतिक अवसरोचित्य (political expediency) के आधार पर जाति का प्रयोग नहीं किया वस्तुतः इस रोग से वे दल भी पीड़ित रहे हैं जो सुल्लभ-धुल्ला जातिवाद को भ्रमना करते हैं परन्तु चुनाव में प्रत्याशियों का चयन और समयन के लिये जाति का सहारा लेते हैं। यह तत्व कांग्रेस में भी पाया जाता है, विशेषकर राज्य स्तर पर, जितना कि साम्यवादी दल में (केरल में साम्यवादी दल को एजावस (Ezhasas) जाति और आंध्र में कामा जाति का समयन प्राप्त है और निर्वाचन में वह इन जातियों का प्रयोग करती है)। जनसंघ की अपील हिंदूवाद पर आधारित नहीं यद्यपि उसके मूल्यक गठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की अपील इसी पर आधारित है।

(ii) साम्प्रदायिक दल—साम्प्रदायिक दल वे दल हैं जो जाति, धर्म या भाषा विशेष पर आधारित हैं। निर्वाचन में समयन प्राप्त करने के लिये ये जाति विशेष पर निर्भर करते हैं। अपने आपको सुले रूप में साम्प्रदायिक कहने वाले दलों की संख्या कम है परन्तु इस वर्गीकरण में केरल की मुस्लिम लीग और पंजाब के अकाली दल को लिया जा सकता है। वरुण मुस्लिम लीग विभाजन के पूर्व की मुस्लिम लीग का ही अग्रगण्य है। इसके सदस्य मुगलमान हैं और उही के हितों को सुरक्षित रखते हैं।

के लिये रचित की गयी है। मर्यादों दान की मध्यमता तबल मिकमा व लिये खुली है। यह पथ (मिक्मर धम) की रक्षा करना चाहती है और खालिस्तान (sikhistan) की स्थापना चाहती है। रिपब्लिकन दल तो असृष्ट्य जातियो (untouchable) पर आधारित है। रामराज्य परिषद् जम कुछ ऐन साम्प्रदायिक दल हैं जो साम्प्रदायिक होन के साथ पारम्परिक (traditional) भी हैं और कुछ साम्प्रदायिक होने के साथ प्राधुनिक भी है। भारतखण्ड (हॅल), घाल पार्टी हिल लीडस का फ्रॅस (APHLC) एम दल हैं जो स्थानीय होने के साथ (local and communitarian) भी हैं।

C विचारधारा (सिद्धान्त) के आधार पर दलों का वर्गीकरण—विचारधारा व आधार पर भारतीय राजनीतिक दल का वर्गीकरण मुख्यतया तीन भागों में किया जा सकता है (i) दक्षिणपथी (rightists), (ii) वामपथी (leftists), और (iii) मध्यममार्गी (centrists) विचारधारामें ये इस मोटे वर्गीकरण के अन्तर्गत अनेक उपखण्ड हैं जैसे वामपथियों में उदार, उग्र तथा अति वामपथी और मध्यम मार्गियों में “मध्यम दायाँ” (right of centre) और “मध्यम बायाँ” (left of centre) आदि उपखण्ड विद्यमान हैं।

(i) दक्षिणपथी दल—दक्षिणपथी दल वे दल हैं जो यथा स्थिति (status quo) में विश्वास करते हैं। क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक जीवन पर राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप चाहते हैं, अतः इन्हें रूढ़िवादी, अनुदारवादी और प्रतिस्पर्धावादी कहते हैं। स्वतंत्र दल, जनमध, भारतीय लोक दल इसी वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। ये दल दान को वामपथ से बचाना चाहते हैं। ये राज्यवाद, समाजवाद और योजना के विरोधी हैं। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और उद्योग पर राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप चाहते हैं।

(ii) वामपथी दल—वामपथी दल वे दल हैं जो परिवर्तन के इच्छुक हैं और वर्तमान सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन लाना चाहते हैं। क्योंकि ये परिवर्तन चाहते हैं अतः इन्हें प्रगतिवादी भी कहते हैं।

वामपथियों को दो उपखण्डों में बाटा जा सकता है (a) उदार वामपथी और (b) उग्र वामपथी। उदार वामपथियों को समाजवादी कहा जाता है। प्रसोपा (PSP), नगोपा (SSP) और समाजवादी दल (SP) इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इनकी विचारधारा अस्पष्ट और अमूर्त से पूर्ण हैं वस्तुतः इन दलों के नेताओं को यह स्पष्ट ही नहीं कि वे किस विचारधारा का अनुसरण करना चाहते हैं। क्या वे कोई विचारधारा चाहते भी हैं या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं। क्या वे गांधीवादी समाजवाद, फेबियनवाद या मार्क्सवाद का समर्थन करना चाहते हैं या कि इनमें से किसी दो या तीनों का मिश्रण चाहते हैं ?

उग्र वामपथियों को और तीन उपखण्डों में विभक्त किया जा सकता है (i) मसदोय लोकतंत्र में विश्वास करने वाले और सर्वधार्मिक साधना या प्रयोग

करने वाले साम्यवादी जैसे भारतीय साम्यवादी दल (CPI) के सदस्य, (ii) ससदीय लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, परन्तु उग्र साधनों का प्रयोग करने वाले साम्यवादी जैसे भारतीय साम्यवादी दल (मावमवादी) CPI (M) के सदस्य, (iii) ससदीय लोकतंत्र में विश्वास न करने वाले, राजनीतिक हत्या आतंक और हिंसा का प्रयोग करने वाले साम्यवादी जस भारतीय साम्यवादी दल (मावमवादी-मिनवादी) CPI (M L) के सदस्य। इस तीसरी श्रेणी (category) के वामपंथी साम्यवादी को नक्सलवादी या माओवादी (naxalites or maoists) कहा जाता है।

(iii) मध्यम वर्गीय दल—मध्यम वर्गीय दल, व दल हैं जिनकी कोई मुद्दा और स्पष्ट विचारधारा नहीं, जिनमें सतुलन और समायोजन की अपार शक्ति है। इस वर्गीकरण के अन्तर्गत मुख्य उदाहरण कांग्रेस दल का है जो समाजवादियों और साम्यवादियों, अनुदारवादियों और प्रगतिवादियों, पारस्परिक और आधुनिक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, धर्म निरपेक्ष और साम्प्रदायिक विचारधारारूपों का अपने अंदर सतुलन और समायोजन (balance and accommodation) कर सकती है। कांग्रेस के इसी स्वरूप को सक्षिप्त (composite) कहा जाता है। यदि यह "समाजवादी ढांचे के समाजवाद (the socialist pattern of society) के उद्देश्य को अपना कर समाजवादियों को (विशेषकर मसोपा को) उद्देश्यहीन बना सकती है तो भूमि सुधारों की नीति में ढील देकर स्वतंत्र दल के समर्थकों (विशेषकर बड़े बड़े जमींदारों) को अपने में मिला सकती है और क्षेत्रवाद और जातिवाद के ढग के प्रभाव को नष्ट करने के लिये द्रमुक और मुस्लिम लीग से साठ-गाठ कर सकती है। यदि मोरिस जोस की शब्दावली का प्रयोग किया जाय तो कांग्रेस "अरस्तुवादी दल" (aristotelian party)¹ है जिसने मध्यम मार्ग अपनाया है। पामर का मत है कि नेहरू और इंदिरा गांधी के काल में कांग्रेस की नीति मध्य से बायें (left of centre)² की रही है। कांग्रेस वस्तुतः लोकतंत्र भी चाहती है और समाजवाद भी। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत निजी उद्योगों को रियायतें भी देना चाहती है।

D दलों की आंतरिक कायवाही में वास्तविक सवधानिक लोकतंत्र के आधार पर दलों का वर्गीकरण—भारत में कुछ दल ऐसे हैं जैसे प्रसोपा (PSP) जो अपनी आंतरिक कायवाही में साधारण से साधारण सदस्यों को भी दलीय नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, ऐसे दल भी हैं जैसे भारखण्ड (हल) दल जिनका या तो कोई सविधान नहीं और यदि है भी तो वह प्रायः मृत पत्र (dead letter) के समान है। भारखण्ड दल तो जयपाल सिंह

1 Morris Jones W H The Government and politics of India (Indian edn 1974) p 172

2 Palmer Norman D Ibid p 216

को सत्ता और नतुत्व पर ही निर्भर है । दलीय अनुशासन की दृष्टि से जनसभ का सन्निधान भी सदस्यों से बड़े अनुशासन की मांग करता है ।

E परम्परा और आधुनिकता के आधार पर दलों का वर्गीकरण—परम्परा और आधुनिकता के आधार पर भी दलों का वर्गीकरण किया जा सकता है । राम राज्य परिषद् यदि परम्परा की दायक है तो साम्यवादी दल आधुनिकता का । स्वतन्त्रदल तो परम्परा और आधुनिकता का मिश्रण है । यदि इसके मस्थापक राजाजी परम्परा के दायक हैं तो मीनू मसानी आधुनिकता के । जैसाकि मौरिस जास ने लिखा है कि “सत्यता यह है कि भारतीय राजनीतिक आन्दोलनों में आधुनिकता और परम्परा एक दूसरे को प्रभावित करने वाली जुड़वा विशेषतायें रही हैं जिन्हें मिश्रण का अनुपात सगठनों के स्तरों में भिन्न भिन्न रहा है, प्रारम्भिक स्थानों पर परम्परा की ‘शली और विचार’ शक्तिशाली हो सकने है, यदि पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण के आधार पर नहीं तो राजनीतिक अनुभव के आधार पर उच्च नेता आधुनिक बनने का प्रयास करते हैं ।”¹

तदर्थ एव भालर सगठन (Ad hoc and fringe organization)—भारतीय राजनीतिक प्रणाली में कुछ ऐसे दल हैं जिन्हें तन्त्र और भालर सगठना (दलों) की सजा दी जाती है । तदर्थ सगठन प्रायः उन राजनीतियों द्वारा रचित किये गये हैं जो मूल सगठन के नतुत्व या कायवाहियों से असंतुष्ट या असहमत (disgruntled or dissidents) रहते हैं । उनके उदाहरण हैं बंगला कांग्रेस, केरल कांग्रेस, विहार कांग्रेस, उड़ीसा कांग्रेस (बीजू पटनायक की प्रगति पार्टी) हरयाणा कांग्रेस आदि । भालर सगठन वे सगठन हैं जिनका वर्तमान भारतीय राजनीतिक प्रणाली में अस्तित्व प्रायः नगण्य है । हिंदू महासभा, राज्य सभा परिषद् और रिपब्लिकन पार्टी इनके उदाहरण हैं । अनेक बार भापाई जातियों ने भी तदर्थ समूहों या समितियों को जन्म दिया है जैसे गुजरात में महागुजरात जनता परिषद् महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र समिति और व आंध्र में तेलगाना प्रजा समिति आदि ।

एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली—क्या यह ससदीय सस्थाओं को जीवित रखती है ?

(A dominant party system—does it sustain parliamentary institutions ?)

भारतीय राजनीतिक दल विज्ञान (stasiology) की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इसमें, थोड़े से काल को छोड़ कर, एक दल (कांग्रेस) का प्रभुत्व रहा है । सत्ता पर प्रायः कांग्रेस का एकाधिकार रहा है । यद्यपि शासन सत्ता प्राप्त करने के लिये कांग्रेस के अनेक प्रतिद्वंद्वी रहे परन्तु वे अपने प्रयासों में असफल रहे । सन् 1967 के चौथे चुनाव परिणामों ने कांग्रेस के प्रभुत्व को प्रबल और प्रबल कर दिया परन्तु 1969 के मध्यावधि चुनावों, 1971 के ससदीय चुनावों और 1972 के चुनावों ने

फिर एक बार सामन सत्ता पर कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति से भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का ही प्रभुत्व बना रहा है, किन्तु अनेक लेखकों ने 'एक दलीय राज्य (one party state) को भी सना दी है।

कांग्रेस प्रभुत्व को बनाये रखने में सहायक तत्व—भारतीय राजनीति में अनेक तत्व ऐसे विद्यमान रहें हैं जिन्होंने कांग्रेस के प्रभुत्व को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें प्रभुत्व तत्व निम्न हैं —

(i) स्वतंत्रता आन्दोलन में कांग्रेस की भूमिका अद्वितीय थी उसका बर्णन बहुत था। उसी के नेतृत्व में राष्ट्र ने विदेशी दासता से मुक्ति प्राप्त की थी। भारतीय जन मानस कांग्रेस के नेतृत्व से परिचित ही नहीं था बल्कि उसके लिए जान में मर्दान्ता विश्वास भी रखता था। अतः भारतीय जन मानस ने विरोधी दलों का समयन करने का स्थान पर कांग्रेस का अप्रार्थित समयन (unsolicited support) किया। कांग्रेस के नेतृत्व में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर भारतीय जन मानस सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी उसी के नेतृत्व में प्राप्त करना चाहता था।

(ii) कांग्रेस दल ही वस्तुतः एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसे अखिल भारतीय दल कहा जा सकता है। यद्यपि समाजवादी साम्यवादी, जननघ भारतीय राष्ट्र दल आदि ऐसे राजनीतिक मगठन हैं जिन्हें अखिल भारतीय दल की मना दी जाती है परन्तु किसी एक का अखिल भारतीय स्तर पर लोक समयन (popular support) नहीं और न ही अखिल भारतीय स्तर पर किसी एक दल की मगठनात्मक इकाइयाँ हैं। कुछ सागो का मगठन तो दो तीन या कुछ राज्यों तक ही सीमित है जहाँ कांग्रेस को समयन सभी वर्गों में प्राप्त होता है वहाँ अल्प दलों के समयन का आधार सीमित है, साम्यवादी दल मुख्यतः पश्चिमी बंगाल केरल और आंध्र प्रदेश तक सीमित है जननघ हिन्दी भाषाई क्षेत्र में ही प्रभाव रखता है, द्रमुक तामिलनाडु तक सीमित है आदि। कांग्रेस के मगठन की इकाइयाँ प्रत्येक गाँव बाड़ और नगर में विद्यमान हैं जिसे अल्प दलों की तुलना में उसका जन समर्थक अधिक है।

(iii) भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का प्रभुत्व इन कारणों भी विद्यमान रहा है कि विपक्ष आपस में बुरी तरह विभक्त है। प्रत्येक दल अपनी पृथक पहचान (identity) को बनाये रखना चाहता है। यद्यपि हाल ही में "संघीय दल" (federal party) के विचार को जन्म दिया गया है परन्तु यह अपनी प्रारम्भिक स्थिति से आगे नहीं बढ़ सका। यद्यपि अनेक बार निर्वाचन से पूर्व अनेक प्रकार की निर्वाचन मैत्रिणी उत्पन्न की गयी परन्तु वे अल्पसंख्यक (expediency) पर आधारित थीं, ठाम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धान्तों पर आधारित नहीं थीं। अतः निर्वाचन के बाद वे समाप्त हो गयीं। 1967 के बाद जो मिली-जुली सरकारें बनीं वे बुरी तरह असफल हुईं।

विपक्ष के विभक्त रहने का एक गम्भीर परिणाम यह निकला है कि निर्वाचन में कुल मिला का बहुमत प्राप्त करने पर भी उन सौक सना और राज्य विधान मन्त्रालयों में कम स्थान प्राप्त हुए हैं जबकि कांग्रेस को निर्वाचनों में कुल मतों का

ग्रहण न प्राप्त होने पर भी लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अधिक स्थान प्राप्त हुए।

(iv) गासन सत्ता में निरंतर बने रहने के कारण कांग्रेस के हाथों में मरक्षण (patronage) की अपार शक्ति केन्द्रित हो गयी है। यह न केवल अपने समर्थकों को आश्रय देने की स्थिति में है। बल्कि उहे भी अपनी आर आकर्षित करने में सफल हो जाती है। जो सत्ता या पदा स प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। इस तरह पक्ष त्याग को बढ़ावा देकर कांग्रेस अपनी दुबल स्थिति को भी मजबूत बना लेती है। कांग्रेस विकासकारी योजनाओं और विस्तार सवाओं (development projects and extension services) द्वारा आर सवायें प्रदान कर सकती है। गासन सत्ता से वंचित रहने के कारण विपक्ष में मरक्षण, लाभप्रद और सवायें प्रदान करने में असमर्थ है¹। रजनी कोठारी ने ठीक लिखा है कि दल की प्रामाण्यता "इसकी सत्ता और व्याप्यता की ऋणी है।"²

(v) कांग्रेस की कोई ठोस या निश्चित विचारधारा नहीं रही। इसने सदा मध्यम मार्गी स्थिति (centrist position) को बनाये रखा है। यही कारण है कि इसने स्थिति के अनुकूल दक्षिणपथी या वामपथी विचारों को अपने में सतुलित और समायोजित कर उनके मता को प्राप्त करने का प्रयास किया है जमाकि मौरिन जो त ने लिखा है कि कांग्रेस अपनी स्थिति को परिवर्तित करने में इतनी दक्ष रही है कि इसने सदा मध्यम मार्गी स्थिति को बनाये रखा है और दूसरों को परिधीय स्थिति के भिन्न भिन्न समूहों में छोड़ दिया है।³ इतना ही नहीं, कांग्रेस न समाजवादी या अनुदारवादी, जसी भी, स्थिति ने माग की दला के तत्वा उद्देश्यों और नीतियों को अपनाकर उन्हें जीए कर दिया। उदारहरणतया 1955 में अवादी अधिवेशन में 'समाजवादी ढांचे के समाजवाद (the socialist pattern of society) को अपनाकर प्रसोपा (PSP) को उद्देश्यहीन बना दिया।

(vi) कांग्रेस ने जिन प्रारम्भिक समस्याओं का समाधान किया उनका उसने निर्वाचन समर्थन (electoral support) प्राप्त करने में पूरा लाभ उठाया। उदाहरणतया विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं जैसे शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या का समाधान किया, देशी राज्या का भारतीय सघ में विलय किया विघटनकारी एवं पृथक्तावादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखा तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। कांग्रेस के इन रचनात्मक कार्यों से जनता अत्यधिक प्रभावित हुई और उस अप्रार्थित समर्थन प्रदान किया।

1 The Congress had the loaves to eat and fishes to distribute, while the opposition had neither the loaves nor the fishes

2 Kothari, Rajni Ibid p 201

3 Morris Jones W H The Government and Politics of India p 176

उपयुक्त कारण से ही कांग्रेस की प्रभुत्वपूर्ण स्थिति रही है। परन्तु यह स्थिति केवल केन्द्र में रही है, राज्यों में उसके प्रभुत्व का अनेक प्रकार की चुनौतियाँ दी गयी हैं। ये चुनौतियाँ जहाँ दल की आकस्मिक गुटबन्दीयों से उत्पन्न हुई हैं वहाँ विरोधी दल भी उभरे ये चुनौतियाँ देते रहते हैं। राज्यों में, कांग्रेस के प्रभुत्व काल में भी (1951-67), केरल में नम्बूदरी पाद के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार का निर्माण हुआ, 1967 से तामिलनाडु में द्रमुक (DMK) की सरकार है, 1967 में अनेक राज्यों में मिली जुली सरकारों का निर्माण हुआ। यद्यपि ये अल्पकाल तक ही जीवित रही परन्तु उन्होंने इस तथ्य को सिद्ध कर दिया कि राज्यों में शासन सत्ता पर कांग्रेस का एकाधिकार नहीं। इन तत्वों के अतिरिक्त कांग्रेस की आंतरिक गुटबन्दी ने राज्यों में उसके प्रभुत्व पर प्रहार किया है। अनेक राज्यों में तो कांग्रेस के संगठन ने (अर्थात् प्रदेश कांग्रेस समिति) कांग्रेस मुख्यमंत्री का विरोध करके अपने आपको हाई कमाण्ड या राज्य की जनता के समक्ष, वैकल्पिक सरकार (alternative government) के रूप में प्रस्तुत किया। उदाहरणतया उत्तर प्रदेश में चन्द्र भानु गुप्त ने मुख्यमंत्री सम्पूर्णानन्द को पद त्यागने के लिये और उड़ीसा में पटनायक ने मेहताव को पद त्यागने के लिये बाध्य किया।¹ आज कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री देवराज उस को प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष एच० के० पाटिल चुनौती देते हैं। इस तरह व्यक्ति द्वेषों और प्रतिद्वन्द्विताओं के कारण कांग्रेस संगठन (PC) ने सत्तारूढ कांग्रेस पक्ष का विरोध किया। ये सभी तत्व एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली के प्रभुत्व को प्रतिबलित (neutralize) करने हैं। अतः इसे एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली कहने के स्थान पर इसे कम से कम राज्य स्तर पर प्रतिद्वन्द्वित दलीय प्रणाली (competitive party system) कहना चाहिये। वस्तुतः एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली की दो प्रमुख विशेषताएँ रही हैं जैसाकि रजनी कोठारी ने लिखा है कि "प्रभुत्वपूर्ण दल के अन्दर बहुविधता है जो इसे अति प्रतिनिध्यात्मक बनाती है इसको अधिक नमनीयता प्रदान करती है और आंतरिक प्रतिद्वन्द्विता को जीवित रखती है। उसी समय यह दल के बाहर व समूहों और आंदोलनों का अपने में मिलाने के लिये तैयार है और इस तरह अल्प दलों को शक्ति प्राप्त करने से रोकता है।"² एक अन्य स्थान पर रजनी कोठारी ने लिखा है कि "कांग्रेस पृथक राजनीतिक दल होने के स्थान पर मतव्ययता का ढाँचा अधिक रही है।"³

1 Morris Jones W H Ibid, p 206

2 See Kothari, Rajni The Congress 'system in India, in his Party System & Election Studies, p 3 Quoted by Hardgrave Jr Ibid, p 124

3 "The Congress has been more a frame work of consensus than a discrete political party Kothari Rajni Politics in India p 176

क्या एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली ससदीय सस्याओं का पोषण करती है ?

प्रो० मोरिस जोस जैसे लेखकों का मत है कि प्रभुत्वपूर्ण दलाय व्यवस्था ने ससदीय सस्याओं को नष्ट नहीं किया बल्कि उनका पोषण किया है¹ जबकि नामन डी० पामर जैसे लेखकों का मत है कि एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली ने स्वस्थ दलीय प्रणाली के उद्गम में बाधा प्रस्तुत की है।² प्रो० जोस का मत है कि एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली ने राजनीतिक शैलियों (रीतियाँ) (political style) का एकीकरण करने में सहायता की है। यदि एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली नहीं होती तो पारम्परिक सामाजिक समूह अपने पृथक् राजनीतिक संगठनों को निमित्त करने में प्रेरित होते जिनका क्षेत्र प्रदेश होता, जिनकी रीतियाँ आधुनिक होने के स्थान पर पारम्परिक (traditional) होती, जिनका नेतृत्व प्राधिकृत (ascriptive and authoritarian) होता और जो यूनतम मात्रा में नीतियों से प्रेरित होते।

प्रो० जोस का मत है कि काँग्रेस ने एक महान् शिक्षक के रूप में कार्य किया है। अपनी मध्यममार्गीय विचारधारा में इसने अनेक विचारधाराओं को संतुलित एवं समायोजित किया है और अनेक अतिवादी, परम्परावादी विचारधाराओं को आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित किया है। एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली ने परंपरा और आधुनिकता में संतुलन पदा किया है जसाकि मोरिस जोस ने लिखा है कि एक प्रभुत्वपूर्ण दल (काँग्रेस) ने "केवल समस्तरीय अर्थ में ही नहीं जिसमें भिन्न भिन्न विचारों और हिता को संगठित किया जाता है बल्कि महत्वपूर्ण विषयमस्तरीय अर्थ में भी परिष्कृत से लेकर साधारण और पारम्परिक राजनीति के सभी स्तरों तक को एक दूसरे के सम्पर्क में लाने और व्यापक करने में एकीकृत अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है।"³

एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों में राजनीतिक एकता और स्थिरता उत्पन्न करने में बरदान सिद्ध हुई। विघटन से उत्पन्न समस्याओं का समाधान शरणार्थियों का पुनर्वास, राज्यों का पुनर्गठन, दशौं रियास्तों का भारतीय संघ में विलय, विघटनकारी तत्वों का दमन आदि समस्याओं का सफलता पूर्वक सामना इस कारण हो सका कि देश में एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली थी।

एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली ने भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आधार को नष्ट नहीं किया बल्कि तनाव और संकट के काल में भी उसे बनाये रखा है। निर्वाचनों में जनमानस का भाग यथापूर्व बना रहा है और कांग्रेस ने मतपत्रों से ही शासन सत्ता को प्राप्त किया है। इसने सबसत्तावादी, एकत्ववादी प्रवृत्तियों को

1 See Morris Jones, W H Ibid, pp 174-175

2 See Palmer, Norman D The Indian Political System (Second edn) p 206

3 Morris Jones, W H Ibid, p 175

ज म नहीं दिया बल्कि विपक्ष के निबल होने पर भी दल की आन्तरिक गुटबाजी ने विपक्ष का काय किया और अतिवादी वृत्तियों को बढ़ावा देने के स्थान पर उन्हें अपनी मध्यमार्गीय नीतियाँ में समेट लिया। आज विपक्ष का कुचला नहीं जाता (यद्यपि यदा कदा इसका आरोप लगाया जाता है) बल्कि उसे कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करने, उसकी उपलब्धियों पर कटाक्ष करने और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की भत्सना करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यहाँ सम्पूर्ण शक्ति लाने वाले तत्व भी उसी प्रकार विद्यमान हैं जिस प्रकार अनुदारवादी और प्रतिन्यावादी तथा साम्यवादी और नक्सलवादी। विपक्ष कितना स्वरमान (vocal) है यह इस तथ्य से सिद्ध है कि असुर (MISA) कानून में परिवर्तन करने वाले विधेयक को विपक्ष के मगठित विरोध पर सरकार को वापस लेना पड़ा।

पामर की यह विचारधारा केवल अर्द्ध सत्य है कि एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली न स्वस्थ विपक्ष के विकास में बाधा प्रस्तुत की है। यदि यह मान भी लिया जाय कि एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली ने विपक्ष के विकास को अवरोध किया है तो इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि विपक्ष स्वयं बुरी तरह विभक्त है। उसके पास सामाजिक और आर्थिक कायन्त्रम का अभाव है। वह केवल नकारात्मक तत्व "कांग्रेस हटाओ" पर आधारित रहा है। यदि उसके पास कोई रचनात्मक कायन्त्रम होता तो भारतीय मनदाता आज इतना योग्य है कि वह नीतियों और आदर्शों के सम्बंध में निर्णय कर लेता। उसका सम्युक्त सरकारों का अनुभव अच्छा नहीं। दूसरे भारत में सर्वोदय जैसी विचारधाराएँ और जय प्रकाश नारायण जैसे प्रभावशाली नेता विद्यमान हैं जिन्हें दलीय लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं और जादलविहीन लोकतंत्र (partyless democracy) की कल्पना करने हैं। ये तत्व भी स्वस्थ दल के विकास में बाधा प्रस्तुत करने हैं।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि एक प्रभुत्वपूर्ण दलीय प्रणाली ने सत्तीय सत्याग्रह को नष्ट नहीं किया बल्कि उनका पोषण किया है और जिन्हीं परिस्थितियों में तो विपक्ष के अभाव में दल की आन्तरिक गुटबाजी ने विपक्ष का काय किया है।

दल विहीन शासन या दल विहीन लोकतंत्र

क्या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में यह सम्भव है ?

(Partyless government or partyless democracy—
Is it possible in a representative democracy?)

पश्चिमी लोकतंत्र में पले हुए व्यक्तियों के लिये प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में दलविहीन शासन या दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना तो दूर उसकी कल्पना भी दुपत्तर है। राजनीतिक दल उनकी राजनीतिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। उन दलों में भी जहाँ न मविधान निर्माणा ने दल की कल्पना ही नहीं की थी, जहाँ मधुवरीकी मविधान निर्माणा ने, और जो निर्वाचनों को दल के दूषित परिणामों से विमुक्त रखना चाहते थे, वहाँ भी दल का विनाश इतनी गति में हुआ

है कि उच्च से उच्च सावजनिक पद और निम्न से निम्न सावजनिक पद के लिये प्रत्याशियों के चयन, निर्वाचन के संचालन, सरकार का निर्माण, नीतियों की कार्यावधि और लोककल्याण के लिये राजनीतिक दलों की आवश्यकता अपरिहाय समझी जाती है। जसा कि मुनरो ने लिखा है कि जिम पत्थर को (मविदान) निर्माताओं ने अस्वीकार कर दिया था वह किनारे का मुख्य पत्थर बन गया है।¹

वस्तुतः इन देशों में लोकतंत्र की कल्पना राजनीतिक दलों के बिना नहीं की जाती। परन्तु एशिया के देशों में कुछ ऐसी विचारधाराएँ विद्यमान हैं जो दलों को अपनी परम्परागत भावनाओं और मूल्यों के विपरीत समझते हैं। उदाहरणतया, जहाँ पाश्चात्य लोकतंत्र में सघष को राजनीतिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग समझा जाता है, हिंदी और निष्ठाओं का विरोध अवश्यम्भावी और अपरिहाय समझा जाता है, सत्ता और संरक्षण के लिये प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है वहाँ भारत में आधुनिक राजनीतिक दलों की व्यवस्था को परम्परागत भारतीय मूल्यों और भावनाओं के विपरीत समझा जाता है। भारतीय भावना का आधार सघष प्रतिद्वंद्विता और स्वायत्त नहीं बल्कि सहयोग, सम वय और सहित है। यहाँ सत्ता पद और भौतिक सुखों के स्थान पर लोक सेवा और आध्यात्मिक सुखों पर बल दिया जाता है। अतः भारत में आज भी ऐसे समूह और नेता विद्यमान हैं जो राजनीति के स्थान पर लोकनीति और राजनीतिक दलों के स्थान पर 'दल विहीन राजनीति' की बात करते हैं।

भारत में दल विहीन शासन और दल विहीन लोकतंत्र की विचारधारा इस तथ्य से भी शक्ति ग्रहण करती है कि दलों की बहुतायत होने पर भी यहाँ एक दल का (काँग्रेस) प्रभुत्व रहा है। उस स्थिति में भी एक दल का प्रभुत्व रहा है जब उस कभी भी लोकमतों का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। यह विरोधी दलों की निर्वाचन में असफलता और निराशा का भी परिणाम है और अस्थिर राजनीतिक स्थिति, पक्ष परित्याग (defections) की राजनीति तथा अनतिक राजनीति और प्रशासनिक भ्रष्टाचार से भी शक्ति ग्रहण करती है। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण और कुशल प्रशासन के लिये भी दल विहीन लोकतंत्र या दल विहीन शासन की मांग की जाती है।

दल-विहीन शासन एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के शासन की स्थापना नहीं चाहता। ऐसा शासन दल विहीन हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं।² दल विहीन शासन तो इस बात की मांग करता है कि जनता के प्रतिनिधि दलीय आधार पर कार्य करने के स्थान पर सामाजिक आधार पर कार्य करें, राजनीति के स्थान पर लोकनीति को महत्व दें, लोक इच्छा की अभिव्यक्ति के लिये निर्वाचनों और ससदों के स्थान पर अन्य साधनों पर भी बल देते हैं जिनकी वे व्याख्या नहीं करते।

1 (The stone which the builders rejected has become the chief stone of the corner —Munro)

भारत में महात्मा गांधी और उनके सर्वोच्च अनुयायी विशेषकर आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र और दल विहीन शासन के समर्थक हैं। सर्वोच्च समाज दलों को महत्व नहीं देता। उसका विश्वास है कि दल समाज को विभक्त करते हैं। अनुचित प्रचार, निर्वाचकों को भ्रष्ट करने के लिये धन का प्रयोग, विरोधियों पर शारीरिक आक्रमण, दलीय भावनाओं के परिणाम हैं। सर्वोच्चवादि का कहना है कि सत्ता प्राप्त करने के लिये दल दूषित सधन को जन्म देते हैं, दलीय तंत्र लोकतंत्र का स्थान ले लेता है और दलीय अनुशासन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्थान ले लेता है अर्थात् "मतदाता भिन्न और सिद्ध कर रह जाता है।" जयप्रकाश नारायण ने लिखा है कि "दलीय पद्धति लोगों को भेडा की स्थिति में ला देना चाहती है जिनका एकाधिकार केवल नियत समय पर गड़रियों को चुन लेना है जो उनके बर्खास्त की चिन्ता करेंगे।" सर्वोच्च समाज ऐसे लोकतंत्र की स्थापना चाहता है जो दलों तथा दलीय भावनाओं और पक्ष तथा प्रतिपक्ष से मुक्त हो।

दल विहीन राजनीति, दलीय राजनीति और निर्वाचन की काय पद्धति के स्थान पर सामुदायिक संवत्सम्पत्ति (community consensus) और बहुमत के निर्णय के स्थान पर मतसम्यता (consensus) को महत्व देती है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचनों के स्थान पर विशाल अप्रत्यक्ष निर्वाचन या नाम निर्देशन (indirect elections or nominations) की व्यवस्था चाहती है। यह ग्राम पंचायत में ही ग्राम के वयस्क नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप में हिस्सा लेने की व्यवस्था करती है। क्षेत्र उच्च श्रेणियों (पंचायतों) के लिये अप्रत्यक्ष निर्वाचन या नाम निर्देशन की व्यवस्था करती है अर्थात् ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायतें, जिला पंचायतों को ग्राम पंचायतें, प्रदेश (प्रान्त) पंचायतों को जिला पंचायतें और राष्ट्रीय पंचायत को प्रांतीय पंचायतें निर्वाचित करेगी। इस तरह इस दल विहीन राजनीति में वयस्क नागरिकों का प्रत्यक्ष नाग ग्राम पंचायत में होगा, उच्च पंचायतों में नहीं।

दल विहीन लोकतंत्र को आदर्श मानते हैं—जहाँ वही अन्तर्धिकार विस्तृत है अर्थात् जहाँ वयस्क अन्तर्धिकार है जहाँ लोगों को राज्य के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार है बड़ा निर्वाचन और दलीय प्रणाली अनिश्चय है। निर्वाचनों में अन्तर्धिकार के प्रयोग द्वारा लोग महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर अपने विचारों का अभिव्यक्त कर सकते हैं, अमुक नीति या योजना का समर्थन या विरोध कर सकते हैं।

दल विहीन लोकतंत्र इन तथ्यों की उपाय करता है कि दल का उद्गम

भिन्न-भिन्न समस्याओं के प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों (approaches) के कारण होता है जो एक-दूसरे के भ्रमगत होने हैं। मानव की प्रकृति (स्वभाव) और व्यवहार भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न होता है। मानव के विचार कभी स्थिर नहीं होने बल्कि ज्ञान, परिस्थिति और अनुभव के आधार पर बदलते रहते हैं अतः समान विचारावादी व्यक्ति अपनी विचारधारा की मगठित अभिव्यक्ति के लिये अपने आपको समूह में मगठित कर लेते हैं। इन मगठित समूहों को ही राजनीतिक दल कहा जाता है। हो सकता है कुछ राजनीतिक दल यथा स्थिति का समयन करें, कुछ प्रमुख राजनीतिक मामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का और कुछ आमूल परिवर्तनों का हो सकता है कुछ परम्परावादी हों और कुछ आधुनिक और कुछ दोनों का मिश्रण भी हो सकते हैं। लोकतंत्र में लोग इन्हीं भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के मध्यम द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और उन्हें कार्यान्वित कराने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में दलों का आधार ही इस मायना पर आधारित है कि वे किसी विचारधारा को अभिव्यक्त करते हैं।

दल विहीन शासन की यह मायना कि निर्वाचन के बाद सदस्य दलीय दृष्टिकोणों को त्याग दें, यह न तो सम्भव है और न आवश्यक। निर्वाचन में प्रत्याशियों का चयन दल करते हैं, उनके लिये चुनाव खर्च दल करते हैं, उन्हें जिताने का प्रयास दल करते हैं तथा मतदाता भी दलीय चुनाव घोषणापत्र (election manifesto) के आधार पर उनका निर्वाचन करते हैं। इन सब बातों के बावजूद व्यवस्थापिका के सदस्यों से यह आशा करना कि वे दलीय भावना से ऊपर उठ कर काम करें, यह असम्भव है।

प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में दल ही, जिसका बहुमत होता है, सरकार का निर्माण करते हैं और अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं, आदि। यदि दल गल्प सरण में है तो वह सत्ताह्वय दल का विरोध करता है, उसकी गृहिया को प्रकाशित करता है और जनमत को जागरूक रखने के साथ उसे प्रभावित भी करता है। इस तरह राजनीतिक दलों के बिना लोकतांत्रिक शासन का विचार कोरा आदर्श और कल्पना है जो कभी पूरी होने वाली नहीं।

दल विहीन शासन या दल विहीन लोकतंत्र की यह मायना है कि व्यवस्थापिका के सदस्यों को भिन्न-भिन्न विचारधाराओं का परित्याग कर राष्ट्रीय और मामाजिक हितों में काम करना चाहिये। परंतु यह मायना दल विहीन शासन की मांग नहीं करती बल्कि सब दलीय शासन (all party government) की मांग करती है।

(दल विहीन शासन या लोकतंत्र दल विहीन निर्वाचन की मांग करता है, परंतु भारत में मन्त्र और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों की बात तो दूर नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचन भी दल विहीन भावना से नहीं लड़े जाते।)

उपश्रुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि दल विहीन लोकतन्त्र या दल विहीन शासन का विचार कोण भ्रादश है। लोकतन्त्र में राजनीतिक दल समुद्र में ज्वारभाटे की भांति अपरिहाय है। जिन्होंने इनका प्रथम द्वार से निष्कासन करने का प्रयास किया है, उ होने ही इमे पीछे के द्वार से स्वीकार किया है। भारत में जिस बात की आवश्यकता है वह दल विहीन शासन या दल विहीन लोकतन्त्र की नहीं बल्कि सुदृढ, सुदृढ मिद्धा तवादी राजनीतिक नतिकता रखने वाले दलो की आवश्यकता है जा सत्तामूढ दलो का विरोध करने और वैकल्पिक सरकार का निर्माण करने में सक्षम हो।

दल बदल राजनीति (Politics of defection)

दल बदल राजनीति की भारतीय राजनीति का स्वरूप और उसके निर्धारक तत्वों के प्रभाव में देखिय।

भारतीय राजनीतिक दलो का संगठन, नीतिया और कार्यक्रम (Organization policies and programmes of Indian political parties)

1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (The Indian National Congress)

कांग्रेस का संगठन (Organization of Congress)—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसकी इकाइयाँ प्रत्येक ग्राम, नगर जिला और प्रदेश में हैं। निम्न से निम्न स्तर पर स्थानीय समितियाँ हैं जो ग्राम, नगर या वाड में विद्यमान हैं। इनसे ऊपर क्षेत्रीय (bloc) समितियाँ हैं इनके ऊपर जिला समितियाँ हैं फिर प्रदेश समितियाँ और फिर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC), कार्यकारिणी (CWC) और कांग्रेस अध्यक्ष दल व क्षेत्रीय अभिवर्ण हैं। स्थानीय समितियाँ का निर्वाचन दल के सदस्य करते हैं और उच्च समितियाँ का निर्वाचन निम्न समितियाँ करती हैं। प्रदेश कांग्रेस समितियाँ (PCC) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का निर्वाचन करती हैं। ब्लाक या वाड समितियाँ की संख्या 5000 है, जिला या नगर कांग्रेस समितियों की संख्या लगभग 450 है, 20 प्रदेश और 6 क्षेत्रीय कांग्रेस समितियाँ हैं।¹

मिद्धा त रूप में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन सर्वोच्च नीति निर्माण विचार है परंतु व्यवहार में उनका स्वरूप दल सम्मेलन (rallies) से बढ कर पुछ नहीं। हजारों की संख्या में जो प्रतिनिधि कांग्रेस के इन वार्षिक अधिवेशन में भाग लते हैं वे बिना किसी याद विधान के दलीय हाई कमांड (high command)² द्वारा तयार या स्वीकृत प्रस्तावों का अनुमोदन करते हैं।

1 Quoted from Palmer Ibid, p 214

2 नीति निर्माण करने वाले उच्चतम नताभा के मण्डल की हाई कमांड कहते हैं।

दन के केन्द्रीय अभिकरणा मे पाच अभिकरणा अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इनके नाम हैं अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC), कायकारिणी (CWC) जिसे हाई कमाण्ड (high command) की सजा दी जाती है, कांग्रेस ससदीय दल (CPP) ससदीय मण्डल (parliamentary board) और केन्द्रीय चुनाव समिति (central election committee), अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) का निर्वाचन प्रदेश कांग्रेस समिति (PCC)¹ करती है। इसके अधिवेशन नियमित रूप से नहीं होते। सिद्धांत रूप में यह दल की नीति निर्धारक निकाय है परंतु व्यवहार में उसका यह कार्य औपचारिक है क्योंकि कायकारिणी (CWC) द्वारा लिये गये निर्णयों को यह प्रायः अनुमोदन कर देती है।

कांग्रेस दल के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण निकाय कायकारिणी (CWC) है जिसका निर्वाचन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति करती है। इसका एक अध्यक्ष (जिसे कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं) और 20 सदस्य होते हैं। इन 20 सदस्यों में 7 निर्वाचित और 13 कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं। इस समिति में कांग्रेस के उच्चतम नेता होते हैं, प्रधान मंत्री, मंत्रिमण्डल के महत्वपूर्ण सदस्य अनिवार्यतः इसका सदस्य होते हैं। क्योंकि कायकारिणी में दल के उच्चतम सदस्य होते हैं अतः वस्तुतः यही दल हाई कमाण्ड है। कांग्रेस की मूल नीतियाँ और निर्णय इसी के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) तो केवल उनका अनुमोदन करती है जो केवल औपचारिकता है। परामर्श और समझन के लिये नेहरूजी इस कायकारिणी के सदस्यों पर ही निर्भर करते थे। कांग्रेस कायकारिणी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पामर ने लिखा है कि यह “कायपालिका ही नहीं बल्कि ज्ञाना मंत्रिमण्डल भी है और नियमित मंत्रिमण्डल से अधिक वास्तविक शक्ति और प्रभाव का उपभोग करती है।”²

कांग्रेस ससदीय दल (CPP) कांग्रेस के केन्द्रीय अभिकरणा में एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय है। प्रधान मंत्री इस ससदीय दल का नेता होता है। कांग्रेस दल के मसौदा सदस्य ही इसके सदस्य होते हैं क्योंकि कांग्रेस का अभी तक ससद में बहुमत रहा है अतः ससद कक्ष में निर्णय लेने के स्थान पर कांग्रेस ससदीय दल की गुप्त बैठकों में ही निर्णय ले लिये जाते हैं परंतु ये निर्णय उन निर्णयों से भिन्न नहीं होते जो हाई कमाण्ड पहले ही ले चुकी होती है। फ्रैंक मोरस इसकी महत्वता बताते हुए लिखते हैं कि “भारत में प्रमुख निर्णय न तो ससदीय स्तर पर और न ही सत्ता पट्ट दल द्वारा लिये गये हैं बल्कि एक दल के अंदर एक छोटे समूह द्वारा लिये गये हैं। कांग्रेस में ये निर्णय कायकारिणी द्वारा लिये जाते हैं जिस पर आधिपत्य कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं बल्कि प्रधान मंत्री का होता है।”³

- 1 प्रदेश कांग्रेस समितियाँ (PCC) राज्य स्तर पर कांग्रेस सत्ता के केन्द्र हैं।
- 2 Palmer Ibid p 215
- 3 Moraes Frank India Today p 163 Also see Johari J C Indian Government and politics p 482

काग्रस दल के अथ दो महत्वपूर्ण अभिकरण सदस्यीय मण्डल (parliamentary board) और केन्द्र चुनाव समिति हैं। सदस्यीय मण्डल के 6 सदस्य होते हैं जिसका निर्वाचन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) करती है। यह राज्य स्तर पर दल और सरकार को निर्देशन देता है तथा उनमें समन्वय उत्पन्न करता है। केन्द्रीय चुनाव समिति के 12 सदस्य होते हैं। यह समिति सभी चुनावों में दलीय प्रत्याशियों का चयन करती है तथा चुनावों का संचालन करती है।

कांग्रेस दल की सदस्यता—कांग्रेस दल की सदस्यता तीन प्रकार की है (i) प्राथमिक, (ii) सक्रिय, और (iii) सह-सदस्यता। प्राथमिक सदस्यता प्रत्येक उम्र व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, कांग्रेस उद्देश्यों को स्वीकार करता हो तथा जिम्मे लिये लिखित घोषणा की हो और जो 2½ पैस वार्षिक चढ़ा देता हो। प्राथमिक सदस्यता को “चार आना” (four anna membership) वाली सदस्यता भी कहा जाता है। सक्रिय सदस्यता प्रत्येक उस व्यक्ति का प्राप्त हो सकती है जो दो वर्ष तक उसका प्राथमिक सदस्य रह चुका हो, जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो, जो एक रु० वार्षिक चढ़ा देता हो, जो खादी पहनता हो, जो मद्य का प्रयोग न करता हो, जो छुपातून को न मानता हो, जो साम्प्रदायिक एकता में विश्वास करता हो तथा दूसरे धर्मों के प्रति आन्तरिक भाव रखता हो और जो रचनात्मक कार्य या सामाजिक सेवा में कुछ समय व्यतीत करता हो। प्राथमिक सदस्यता की सरया लगभग 60 लाख है और सक्रिय सदस्यता की संख्या एक लाख है¹। सह-सदस्यों (associate members) की संख्या अत्यधिक नहीं होती। इन्हें उस समय ही यह सदस्यता प्रदान की जाती है जब कांग्रेस के किसी काम से उन्हें सम्बंधित किया जाता है।

कांग्रेस की नीतियाँ और उद्देश्य (Aims and objectives of the Congress)—स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कांग्रेस की नीतियाँ का मूल उद्देश्य देश को ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति दिलाना था। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका मूल उद्देश्य अपने आपको सत्ता में बनाये रखना है और उसके फलों को भोगना तथा लामो की दल के सदस्यों में वितरित करना है। इसकी घोषित नीतियाँ का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना समाजवादी समाज की स्थापना करना, अल्प संख्यक वर्गों, पिछड़ी हुई जातियाँ विशेषकर अनुसूचित जातियाँ और जन जातियाँ का उत्थान करना भूमि सुधार और शहरी सम्पत्ति की सीमावदी करना, बेकारी को दूर करना, रोजगार की व्यवस्था करना, शरीरी हटाना, उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकारी नियंत्रण रखना, मूल उद्योग पर सावजनिक स्वामित्व स्थापित करना आदि है। संक्षेप में कांग्रेस की नीतियाँ का मूल उद्देश्य लोकतन्त्र धर्म निरपेक्ष समाजवाद की स्थापना करना है।

1 See Palmer, Ibid p

कांग्रेस की नीतियों को निम्न शीपका के अतगत अध्ययन किया जा सकता है —

1 स्पष्ट एवं निश्चित विचारधारा का अभाव—कांग्रेस रंग बिरंगी विचार धारा वाले ऐसे लोगों का राजनीतिक संगठन है जिन्हें किसी एक विचारधारा से बाधा नहीं जानकता। एक तरफ इसमें रूढ़िवादी, अनुदारवादी, दक्षिण पंथी विचारधारा के समयक सदस्य रहे हैं तो दूसरी ओर प्रगतिवादी आमूल परिवर्तनवादी वामपंथी विचारधारा के समयक भी इसमें सदस्य रहे हैं। कांग्रेस का यह विषम जातीय एवं सवर्णनी (heterogeneous and omnibus nature) स्वरूप उन्मेषनीयत में प्राप्त हुआ है। स्वयं गांधीजी रूढ़िवादी और आमूल परिवर्तनवादी दोनों ही थे। जैसाकि पामर ने लिखा है कि 'कुछ विषयों में गांधीजी रूढ़िवादियों से भी अधिक रूढ़िवादी थे और कुछ अथ विषयों में आमूल परिवर्तनवादियों से भी अधिक अमूल परिवर्तनवादी थे।'¹ राबर्ट आई० ट्रेन ने भी लिखा है कि 'प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय से कांग्रेस का आंतरिक इतिहास अग्रणीत विशेष हिता और भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों में मिलाप का इतिहास रहा है।' पामर के ही शब्दा में "जब कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति का मुख्य संगठन था वह भिन्न भिन्न पृष्ठ भूमियों और हितों वाले लोगों को अपनी पक्तियों में शामिल कर सकती थी। बिना किसी गम्भीर राजनीतिक बदहजमी के यह ज्ञाता या सववेशनी (umbrella or omnibus organization) संगठन के रूप में कार्य कर सकती थी।"

2 गांधीवाद समाजवाद, उदारवाद, लोक सेवी राज्य का मिश्रण—कांग्रेस नीतियों में अनेक विचारधाराओं का मिश्रण स्पष्ट नजर आता है विशेषकर गांधीवादी समाजवादी, उदारवादी, लोक सेवी राज्य की विचारधारायें प्रतिलक्षित होती हैं। कांग्रेस गांधीवाद के सर्वोदय समाज से अत्यधिक प्रभावित है। विकेन्द्रीकृत व्यवस्था कुटीर उद्योगों ग्राम आत्मनिर्भरता, समाज सेवा के कांग्रेस सिद्धांतों में गांधीवाद सर्वोदय समाज के दर्शन किये जा सकते हैं। आर्थिक विषमताओं को दूर करना सम्पत्ति को कुछ हाथों में केन्द्रित होने से रोकना, रोजगार की व्यवस्था करना, उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकारी नियंत्रण मूल उद्योगों पर मावजनिक स्वामित्व आदि सिद्धांतों में समाजवाद के दर्शन किये जा सकते हैं। मिश्रित अथ व्यवस्था में मुक्त उद्यम के अधिकार की स्वीकृति में उदारवाद के दर्शन किये जा सकते हैं। पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान और समाज सेवी नीतियों में लोक कल्याणकारी राज्य के दर्शन किये जा सकते हैं। इस तरह कांग्रेस नीतियों में गांधीवाद समाजवाद, उदारवाद और लोक सेवी राज्य के सिद्धांतों का अद्वितीय मिश्रण है। और तो और किसी एक दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए इनका प्रयोग पारस्परिक विनिमय शीलता (interchangeably) के रूप में किया जाता है। जैसाकि पामर ने लिखा है कि 'गांधीवादी आदर्शों का दिखावा करते हुए (भारत में) मुख्य पद्धति मुह्य समाज

1 Palmer, Ibid, p 211

2 Palmer, Ibid pp 210-211

वादी भावना सहित, लोक कल्याणकारी राज्य की ओर रही है। सन् 1955 के अवादी प्रस्ताव के बहुत पहले कांग्रेस ने समाजवादी ढाँचे के समाज के उद्देश्य की स्वीकार कर लिया था यद्यपि समाजवादी स्वरूप की सूक्ष्म रूप रेखा के ओर अवादी दशकों के सम्बन्ध में पूर्ण सहमति नहीं थी। नहरो और उसने बाद उनकी पुत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 'निजी क्षेत्र' को पर्याप्त रियायतें देते हुए मध्य से बाय माग का अपनाया है।"

3 समाजवादी ढाँचे का समाज (Socialist pattern of society)—
 आर्थिक विचारधारा समाजवादी ढाँचे के समाज को स्थापित करना चाहती है। यह समाजवादी ढाँचा लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। कांग्रेस के उच्चतम नेता इस बात को कहते थेकान अनुभव नहीं करते कि वे लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना चाहते हैं। परन्तु यह इतनी अस्पष्ट विचारधारा है कि इतना कुछ भी प्रयत्न हो सकता है। इसका अर्थ मिश्रित अर्थ व्यवस्था के नियंत्रण में मुक्त व्यापार भी हो सकता है और सावजनिक हित में निजी सम्पत्ति और उद्योग का राष्ट्रीयकरण भी। इतना अवश्य है कि यह समाज न तो सबसत्तावाद को स्वीकार करता है और न अत्यधिक केन्द्रीकरण को। यह तो त्रिके द्रिवृत सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करता है जिसने मूल आदस लोकतन्त्र धमनिपक्षता सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर की समानता, साम्प्रदायिक एकता आदि है। जहाँ यह मूल उद्योग पर (जैसे लोहा, इस्पात, कोयला, मीमे ट, रिजुत, परिवहन, संचार साधन आदि) सावजनिक स्वामित्व का इच्छुक है वहाँ यह निजी क्षेत्र को भी रियायतें देना समर्थक है। अर्थात् सावजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र को भी बनाये रखना चाहता है। इस लोकतांत्रिक समाजवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामाजिक परिवर्तनों के लिये यह गोली (bullet) अर्थात् हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं करता बल्कि मत पत्रा (ballots) अर्थात् सवैधानिक साधनों का प्रयोग करता है।

कांग्रेस द्वारा समाजवादी ढाँचे के समाज की म्बोदृति ने अर्थ समाजवादी दल (जैसे प्रगोषा और मसोषा) और साम्यवादी दल (जैसे CPI, CPI (M), CPI (ML) के विकास का अवसर दिया है। आज कांग्रेस उसी प्रकार समाजवाद के नाम से पहचानी जाती है जितना कि अर्थ समाजवादी या साम्यवादी दल समाजवाद में पहचाने जाते हैं। जसाकि आज बेसी ने लिखा है कि "भारत का समाजवादी दल न तो समाजवादी दल है और न ही साम्यवादी दल बल्कि कांग्रेस ही समाजवादी दल है। अन्तर दशाब्दिया पूर्व इन समाजवाद का अपना में समेट लिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में पंचवर्षीय योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के रूप में भारत के महान् समाजवादी प्रयास कांग्रेस द्वारा ही चिह्नित किये गये, उसी के द्वारा कार्यान्वित किये गये तथा उसी के द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं।"²

1 Palmer, Ibid p, 216

2 Bailey, George, "Pandit Nehru's One Party Democracy The Reporter, No 13 1965 p 31 Quoted by Palmer Ibid p 216

4 सत्ता में अटूट बने रहने की इच्छा—कांग्रेस की घोषित नीति समाजवादी ढाँचे के समाज की स्थापना अवश्य है¹ परन्तु समाजवादी से लगाव उसका उस समय तक ही है जिस समय तक उसकी सत्ता को चेतावनी नहीं दी जाती। अर्थात् वह समाजवाद की स्थापना से कहीं अधिक महत्व सत्ता को देती है। अपने आपको सत्ता में बनाये रखने के लिये कांग्रेस ने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया है (विशेषकर प्रादेशिक स्तर पर) जो न तो लोकतंत्र की रक्षा करती है और न ही समाजवाद की वस्तुतः ये नीतियाँ कांग्रेस की घोषित नीतियों के विरुद्ध भी हैं। उदाहरणतया कांग्रेस ने पक्ष त्याग (defections) की नीति को बढ़ावा देकर मुहृद सयुक्त विरोधी पक्ष को उभरने ही नहीं दिया, समद के मन्थिण्डल के सयुक्त उत्तरदायित्व की परम्परा को स्वीकार न कर ससदीय लोकतंत्र के अर्थ को ही बदल दिया है। राष्ट्रीय महत्त्वता के नाम पर इसने ऐसे राजनीतिक दलों साम्प्रदायिक समूहों और स्थानीय नेताओं के साथ मिलाप (accommodate) किया है अर्थात् ऐसे वर्गीय, जातीय नेताओं को अपने दल में स्थान दिया है जो कांग्रेस की राष्ट्रीय धम निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी नीतियों पर ही कुठाराघात करत हैं। सत्ता में बने रहने के लोभ के कारण ही कांग्रेस की घोषित नीतियों और उपलब्धियों में महान अंतर पाया जाता है। इसी ने ही आधुनिकता और परम्परा में तनाव उत्पन्न किया है। मायरेन वीनर ने ठीक लिखा है कि "जीतने के प्रयास में कांग्रेस अपने आपको स्थानीय सत्ता और ढाँचे के अनुकूल बना लेती है। यह उन लोगों में से भरती (सदस्यों की भरती) करती है जिनके पास स्थानीय सत्ता और प्रभाव है इससे ऐसी राजनीतिक प्रणाली का उदय हुआ है जो शासन, जिसकी समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने की इच्छा है, और दल में, जिसे चुनाव जीतने के लिये अपने आपको स्थानीय वातावरण के अनुकूल बनाना है, पर्याप्त तनाव को जन्म देती है।"²

5 कांग्रेस की विदेश नीति—कांग्रेस की विदेश नीति के मूल तत्व शांतिवाद, पंचशील सहअस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सस्थाओं के प्रति आस्था, अमलगनता आदि हैं। कांग्रेस पड़ोसी देशों के साथ, चीन पाकिस्तान सहित, अच्छे सम्बन्ध बनाने की इच्छुक है। यह उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद जाति भेद का

1 कांग्रेस ने कुछ काय ऐसे अवश्य किये हैं जो समाजवादी समाज की स्थापना में सहायक हो सकते हैं। जैसे बड़े बड़े बकों का राष्ट्रीयकरण राजाघा के प्रिवी पस की समाप्ति, गविधान में 25 वा मसोधन जिसने अनुच्छेद 31 में मुअवजे (compensation) के स्थान पर राशि (amount) शब्द को जोड़ दिया। परन्तु ये काय वास्तविक होने के स्थान पर दिखावटी अधिक हैं।

2 Weiner Myron Party Building in a New Nation p 15 Also see Hardgrave Jr Ibid p 125

विरोधी है। यह किसी देश के आन्तरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती परन्तु साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन की समर्थक है। इसकी नीति असलमता की है अर्थात् यह पश्चिमी या पूर्वी गुटा का भाषाई-नैतिक समझौते की इच्छा नहीं। परन्तु इसकी विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चुपचाप बैठक की नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा रखती है। चूंकि नहरूजी ने सितम्बर 1949 में कहा था कि जहाँ स्वाधीनता मकड़ में हो, चाय उत्तर में हो आश्रमण की घटना हुई हो वहाँ हम न तो तटस्थ रह सकते हैं और न तटस्थ रहेंगे।

कांग्रेस का गुटिय स्वयं

(The factional character of the Congress)

कांग्रेस का आन्तरिक स्वरूप गुटबन्दी का रहा है। इसका मूल कारण यह है कि इसका संगठन लचीला है और इसकी नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट विचार धारा का अभाव है। कांग्रेस को प्रायः मध्यमवर्गीय (centrists) कहा जाता है। यद्यपि इसमें दक्षिणपंथी (rightists) और वामपंथियों (leftists) का प्रभाव भी पर्याप्त रहा है। नहरू और इंदिरा गांधी की नातियाँ को तो 'मध्य से बायें' (left-of centre) की संज्ञा दी गयी है। अस्तुत् हर प्रकार की विचारधारा के लोग इसमें पाए जाते हैं जस उदारवादी, लोकतन्त्रवादी, रूढ़िवादी, अनुदारवादी, परम्परावादी, समाजवादी, साम्यवादी, सामूल परिवर्तनवादी, आदि। यमिन्न भिन्न विचार धारा वाले लोगों के अपने-अपने विशेष हित और स्वायत्त हात हैं जिनकी पूर्ति के लिये वे 'युनाधिक मात्रा में कांग्रेस की नीतियों, उद्देश्यों और कार्यक्रमों को प्रभावित करते रहते हैं तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को उठाने और सत्ता के लाभों को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। यही भिन्न भिन्न हित, स्वार्थ और दबाव समूह ही कांग्रेस में गुटबन्दी का जन्म देते हैं।

कांग्रेस में आन्तरिक गुटों और आन्तरिक दलों के विद्यमान होने का एक कारण यह है कि उसने राष्ट्रीय आन्दोलन के अपने उदार और सहित्य (eclectic and composite) स्वरूप को बनाय रखा है। यह सामाजिक और सद्धान्तिक भिन्नताओं में सन्तुलन और समायोजन उत्पन्न करती रहती है। इस सन्तुलन और समायोजन की प्रक्रिया में कांग्रेस को सजातीय (homogeneous) बनाने के स्थान पर विजातीय (heterogeneous) बनाया है। जसाकि गोपाल टुप्पल ने लिखा है कि "दल ने अपने सहित्य स्वरूप को बनाय रखा है परन्तु बहकाने वाले तत्वों के अघोषुध मेल ने उसे अधिक विजातीय बना दिया है क्योंकि आर्थिक विवाद, समाजवाद और लोकतन्त्र के इन गिद उत्पन्न की गयी भन्वयता दिखावटी रही है।" 1 पॉल गारो-ब्रास ने भी लिखा है कि कांग्रेस ने समायोजन और मल जोल की नीति को अपनाया

1 Krishna Gopal One Party Dominance, p 29 Also see Hardgrave Jr Ibid p 125

है, इसने पारम्परिक व्यवस्था को बदलने के स्थान पर उसे प्रभावित किया है। भारत में आधुनिकता एक तरफा प्रक्रिया नहीं। यदि राजनीतिक संस्थाएँ समाज का आधुनिकीकरण करती हैं तो समाज भी संस्थाओं को पारम्परिक बनाता है।

कांग्रेस के आंतरिक गुट और दल, कांग्रेस की भाँति मिथी ठोस विचार धाराओं या सिद्धांतों पर आधारित नहीं। प्रायः ये व्यक्ति विशेष के दृढ़ गिद धूमने हों या ये निजी प्रतिस्पर्धा (personal rivalries) पर निर्भर करते हों या सत्ता के लाभ को प्राप्त करने के लिये उत्पन्न होते हों। जैसा कि हाडग्रेव जूनियर ने लिखा है कि आंतरिक 'संघर्ष सैद्धांतिक नहीं व्यक्तिगत हैं और अस्थिर राजनीतिक संघर्ष से चित्रित होता है।¹ पाल और ब्रास ने भी लिखा है कि 'मित्रताएँ बनती हैं और ग्रुप नेताओं की पारस्परिक सुविधा और सत्ता राजनीति में अस्थायी साक्षरों की आधार पर विघटन और पक्ष—परित्याग (disfections) उत्पन्न होते हैं।'²

कांग्रेस की आंतरिक गुटबंदी ने ही अनेक पथक राजनीति दलों को जन्म दिया है परंतु पृथक होने के बाद भी ये दल अपनी छाया के रूप में कांग्रेस में कुछ तत्त्वों को छोड़ आते हैं और बाद में इन्हीं छाया तत्वों के माध्यम से या सीमांत में रहकर कांग्रेस की नीतियों और उद्देश्यों को प्रभावित करते रहे हैं। जैसा कि हाडग्रेव जूनियर ने लिखा है कि 'पृथक दलों के रूप में कांग्रेस छत्रों से संगठित समूह प्रकट हुए हैं परंतु प्रत्येक ने अपने सिद्धांतों के अनुरूप गुट को कांग्रेस के अंदर छोड़ दिया। इस तरह प्रत्येक विरोधी दल ने जनसंघ, स्वतंत्र दल, समाजवादी, साम्यवादी कांग्रेस में प्रवेश के अवसरों को बनाए रखा है जो उसे अपनी आकृति में कहीं अधिक प्रभाव प्रदान करती हैं।'³

भारतीय राजनीतिक प्रणाली में सुदृढ़ विरोधी दलों के विकास न होने का एक कारण यह है कि कांग्रेस की संतुलन और सभायोजना की प्रवृत्ति न विरोधी दलों की नीतियों, उद्देश्यों और समयन के आधारों को अपना लिया है। इस प्रवृत्ति ने जहाँ विरोधी दलों के विकास को अव्यक्त किया है वहाँ कांग्रेस में गुटबंदी और सिद्धांतहीनता को जन्म दिया है और अपने आपको जीवित रखा है। जैसा कि हाडग्रेव ने लिखा है कि विरोध को क्षति पहुँचा कर ही कांग्रेस ने अपने आपको जीवित रखा है। उदाहरणतया 1955 में कांग्रेस ने अवादी में 'समाजवादी ढाँचे के समाजवाद (the socialist pattern of society) के उद्देश्य को स्वीकार कर प्रजा समाजवादी दल (PSP) की शक्ति को क्षीण कर दिया। स्वतंत्र दल की शक्ति को क्षीण करने के लिये कांग्रेस ने सामंतवादियों और जमींदारों (जो स्वतंत्र दल के समर्थक समझे जाते हैं) को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये अपनी भूमि सुधारों की नीति में ढील दे दी। अनेक दलों के क्षेत्रीय और जातीय आधारों को निबल करने के लिये कांग्रेस ने क्षेत्रवाद भाषावाद और जातिवाद से, कम से कम राय और स्वामीय स्तर पर, समझौते किये। तमिल नाडु में द्रमुक (DMK) का गिथिल कर

1 Hardgrave Jr Ibid p 126

2 Hardgrave Jr Ibid p 124

के लिये कामराज के नेतृत्व में मगर प्राज्ञाण मंत्रिमण्डल का निर्माण किया, जहाँ के प्राधार पर दलीय हिता को देखते हुए, राज्या का पुनर्गठन किया। काँग्रेस यह भी जातिवाद की मत्तमा करती है परन्तु निर्वाचना में प्रत्यागियों का चयन और चुनाव प्रचार शुद्ध मिथ्याता के प्राधार पर नहीं किया जाता, निर्वाचन क्षेत्र में जाति प्रभुत्व (dominant caste) का ध्यान रखा जाता ३ ।

काँग्रेस की धातुरिक गुटबन्दी के परिणाम—काँग्रेस की धातुरिक गुटबन्दी के दो प्रकार के प्रभाव रहे हैं (1) नकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक दृष्टि से इसका अनेक दुःप्रभाव रहे हैं प्रथम किमी भी राजनीतिक दल में गुटों का अस्तित्व उसकी जीवन शक्ति और कार्यक्षमता पर दुःप्रभाव डालता है। दूसरे, गुटबन्दी का सकारणता और स्वयं को लोचक होनी है अतः ये राजनीतिक दल के व्यापक धारण की प्रशंसा करती हैं। तीसरे, इन गुटबन्दीयों ने दलीय निष्ठा और अनुशासन का पुनर्जागरण दे दे जिन्होंने न केवल काँग्रेस की प्रतिमा का अन्वयन किया है बल्कि उस पक्ष को प्रशान करन वाला और सामा को विनिरित करन वाला सगठन बना लिया है। चौथे धातुरिक गुटबन्दीयों ने उन राज्या में भी अस्थिर राजनीतिक स्थिति का उत्पन्न किया है जहाँ काँग्रेस की स्थिति सुदृढ़ है। यह अस्थिरता "पूनाधिक भाग में प्रथम काँग्रेसी मंत्रिमण्डल में पाई जाती है परन्तु उत्तरप्रदेश विहार, उडुपी और पश्चिमी बंगाल में काँग्रेसी मंत्रिमण्डल इसमें विनिर प्रभावित रहे हैं। पाँचवें धातुरिक गुटबन्दीयों ने काँग्रेस को धर्म निरूपणा राष्ट्रीयता और समाजवाद, धातुरिक ही प्रचार किया है। काँग्रेस की धातुरिक गुटबन्दीयों ने "व्यक्ति" के इन्द्रिय ही विद्यमान नहीं रही बल्कि समूह जाति सम्प्रदाय और धर्म पर भी धातुरिक रही हैं। इनमें में कुछ धर्म और हिता को विशेष रूप में प्रभावी रहे हैं। यदि काँग्रेस 28 वर्षों के निरन्तर शासन में भी अपने समाजवादी ढाँचे के समाजवाद के उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है तो इसका मूल कारण व धातुरिक गुट है जो अपने स्वार्थों हिता की पूर्ति के लिये काँग्रेस कार्यक्षमता में बाधा डालते हैं। यद्यपि 1961 में कामराज योजना द्वारा गुटबन्दी के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया परन्तु यह योजना भी अपने उद्देश्य में सफल हुई और गुटबन्दी का रोग काँग्रेस में आज भी विद्यमान है।

यह सत्य है कि गुटबन्दी के प्रभाव अतन्त दल के सगठन और राष्ट्र के व्यापक हिता के विरुद्ध मिथ्या होते हैं परन्तु फिर भी इन धातुरिक गुटों के अनेक नकारात्मक प्रभाव भी निकले हैं उदाहरणतया इन्होंने एकीकरण मत्तक्षमता (consensus) समायोजन (adjustment) मेल जोन (accommodation) की प्रवृत्तियों को भी जम दिया है और सवसत्तायानी एकत्ववादी प्रवृत्तियों के विकास को प्रवर्द्ध किया है। इन धातुरिक गुटों में ही काँग्रेस को एकात्मिक (monolithic) बनाने के स्थान पर गहनानी (pluralistic) रूप प्रदान किया है। दूसरे सुदृढ़ विरोधी दलों के अभाव में काँग्रेस के धातुरिक गुटों की विरोधी दल (विपक्ष opposition) का अभाव काय करन रहा है। उद्धरण और पयव्यक्त का यह मत है कि काँग्रेस के सगठन (organizational wing) ने काँग्रेस के मंत्रिमण्डल के विपक्ष के रूप में

काय किया है और अपने आपको वैकल्पिक सरकार (alternative government) के रूप में, कांग्रेस हार्ड कमाण्ड और राज्य के लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। उदाहरणतया चन्द्रभान गुप्त (UPPCPP के अध्यक्ष) ने डा. सम्पूर्णानन्द (उत्तर प्रदेश का कांग्रेसी मंत्रिमण्डल के मुख्य मंत्री) के विकल्प में अपने आपको प्रस्तुत किया। इसी प्रकार उन्नीसा में मेहताव न पटनायक के विकल्प में अपने आपको प्रस्तुत किया। रजनी कोठारी ने लिखा है कि "दल के शासनात्मक और सगठनात्मक भागों के सघन वस्तुतः द्विदलीय प्रणाली को गठित किया। "हाइग्रैव जूनियर का विश्वास है कि इसकी (कांग्रेस दल की) पकितया का आंतरिक गुट और आंतरिक दल ही विरोध के आधार रहे हैं। तीसरे, कांग्रेस की आंतरिक गुटबन्धियाँ ने एकीकरण की क्रिया में सहयोग दिया है। क्योंकि ये गुटबन्धियाँ केवल एक बग, जाति, या हित पर आधारित नहीं अतः "दवाव समायोजन और भेन मिलाप की" की निरंतर प्रक्रिया द्वारा वे एक दूसरे पर प्रभाव डालती रहती हैं। जसाकि पॉल थार व्रास ने लिखा है कि सभी गुट नेता जाति से बाहर भिन्नता को ढूँढने की कोशिश करते हैं क्योंकि जिस बात की वे इच्छा रखते हैं वह केवल जाति के दावों (अधिकारों) का विस्तार मान नहीं बल्कि वह राजनीतिक सत्ता है जिसको वे प्राप्त करना चाहते हैं। चौथे, गुटों ने कांग्रेस के सामाजिक आधार को व्यापक बनाया है। प्रत्येक गुट केवल एक जाति या बग का ही समर्थन प्राप्त करना नहीं चाहता बल्कि अनेक जातियाँ और वर्गों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता है। अतः इस प्रक्रिया में वह जाति का आधार को कम निरपेक्ष या अर्थात् राष्ट्रीय लोकतांत्रिक भावनाओं से प्रभावित करने अर्थात् जाति का राजनीतिकरण करने की कोशिश करता है पाँचवें आंतरिक गुटों ने जहाँ 1967 के चुनावों में कांग्रेस को गम्भीर क्षति पहुँचाई है वहाँ कम से कम 1967 तक, जसाकि वीनर ने लिखा है "गम्भीर अतदलीय सघन हान पर भी लोक समर्थन के आधार का धाया रखा है।"

सकट और फूट—1969 का कांग्रेस विघटन (Crisis and split—1969 Congress split)—कांग्रेस का इतिहास आंतरिक झगड़ों मकटा मतभेदों, विरोधों और पडगानों का इतिहास रहा है। सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों में मतभेद के आधार पर कभी नतुत्व के प्रश्न को लेकर, कभी सगठन या शासन में लाभ के पदों से वंचित रहने से असंतुष्ट और असहमत सदस्यों के कारण और कभी सगठन के नेतृत्व (organizational leadership) और शासन के नेतृत्व (administrative leadership) में मतभेदों के कारण और कभी विचारधाराओं में भिन्नता के कारण उत्पन्न हुए हैं।

कांग्रेस में बचल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही सकट उत्पन्न नहीं हुए बल्कि स्वतंत्रता से पूर्व भी ये सकट और मतभेद विद्यमान थे। कांग्रेस में सर्वप्रथम सकट कोसवी गताब्दी के आरंभ में उदारवाणियों और उग्रवादियों के मध्य उत्पन्न हुआ था और साधनों में गम्भीर मतभेद के कारण 1907 में सूरत में कांग्रेस दो भागों में

विभक्त हो गयी थी। आठ वष तक विभक्त रहने के पश्चात् 1916 में लखनऊ में दोनो भाग एक हो गये परन्तु फिर भी कुछ भेद तो विद्यमान रहे। सन् 1920 में महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व सम्मेलन के बाद भी भेद विद्यमान रहे। स्वयं गांधीजी जो प्रथम युद्ध काल में शासन के सहयोगी थे युद्ध के बाद (रोलट विधेयक जलियावाला बाग हत्याकाण्ड और खिलाफत के प्रश्न पर) शासन के विरोधी हो गये। अमहयोग आन्दोलन (1920-1922) के प्रश्न पर ही कांग्रेस विभाजित थी गांधीवादी इसके समर्थक थे और उग्रवादी नेता तथा बाद में जिहाने स्वराज्य दल की स्थापना की जैसे देशबंधु चितरन्जन दास, बिपिनचन्द्र पाल, मदन मोहन मालवीय, ऐनी बेसेंट, आदि इसके विरोधी थे। अमहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव पास होने के बाद जब कांग्रेस एक जुट हो कर आन्दोलन कर रही थी तो चोरी चोरी काण्ड के प्रश्न पर महात्मा गांधी द्वारा इसे वापस लेने पर उग्र मतभेद उत्पन्न हुए और एक बार तो गांधी के नेतृत्व को भी चेतावनी दी गयी। "परिपदा में प्रवेश" के प्रश्न पर कांग्रेस 1923 में दिल्ली अधिवेशन में परिवर्तनवादियों (changers) और अपरिवर्तनवादियों (non changers) में विभक्त हो गयी। सन् 1937 के प्रांतीय निर्वाचन में जब कांग्रेस को छः प्रांता में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तो मंत्रिमण्डल में निमाण के प्रश्न पर कांग्रेस विभाजित थी। कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य, विशेषकर सुभाष चंद्र बोस और नेहरू मंत्रिमंडल को स्वीकार करने के विरोधी थे परन्तु राजगोपालाचार्य, डा० राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल आदि नेता मंत्रिमंडल को स्वीकार करने के पक्ष में थे। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के निर्वाचन के समय कांग्रेस स्पष्टतया गांधीवादी और वास गुटों में विभक्त थी। श्री बोस ने गांधीजी द्वारा समर्थित डा० पट्टाभि सीतारमय्या को पराजित अवश्य किया परन्तु कांग्रेस कार्यकारिणी (CWC) में विरोध के कारण श्री बोस को त्याग पत्र देना पडा और उन्होंने कांग्रेस के अंदर 'फारवर्ड ब्लाक' (forward bloc) की स्थापना की।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कांग्रेस में अनेक गुट और हित विद्यमान रहे हैं जिनके दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न रहे हैं। इन गुटों में से कुछ तो स्वयं कांग्रेस से अलग हो गये और कुछ को कांग्रेस से निकाल दिया गया। 1948 में महामा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस से पृथक् हो गया। प्रथम चुनाव के कुछ समय पूर्व कांग्रेस असहमतता (dissidents) ने जे० बी० वृपलाणी के नेतृत्व में विमान मादूर प्रजा पार्टी (KMPP) का निर्माण किया। इसी बीच में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के प्रश्न पर कांग्रेस नेहरू और पटेल गुटों में विभक्त हो गयी थी। जहाँ नेहरू गुट श्री० रामगोपालाचार्य के पक्ष में था वहाँ पटेल गुट डा० राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष में था। अतः पटेल गुट की विजय हुई और डा० राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। पटेल गुट ने मुत्तोल्लमदास टण्डन के अध्यक्षत्व में एक 'फारवर्ड ब्लाक' की स्थापना की। पटेल गुट के मतभेद उत्पन्न हुए परन्तु

दिसम्बर 1950 में पटेल की मृत्यु के बाद पटेल ग्रुप को घक्का लगा और 1951 में प० जवाहरलाल कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिये गये। इस तरह सगठनात्मक नेतृत्व और शासनात्मक नेतृत्व नेहरू के हाथों में सग्रहित हो गया और 1964 में मृत्यु तक सगठन और शासन पर नेहरूजी का आविपत्य रहा। 1951-1963 के काल में जितने भी कांग्रेस अध्यक्ष बने जैसे यू० एन० डेबर (U N Dhebar) इंदिरा गांधी, मजीब रेड्डी डी० सजीवय्या, वे सब प्रधान मंत्री नेहरू के बंदी (captive)¹ थे और उन्हीं की आज्ञाओं का पालन करते थे। इस काल में कांग्रेस अध्यक्ष की, फ्रैंक मोरिस के शब्दों में "प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस के द्रीय सरकार के 'चम्बी कायालय'" बँरे की सजा दी जाती थी। इस तरह शासन के नेतृत्व को सगठन के नेतृत्व से कोई चुनौती नहीं थी।

यह सत्य है कि नेहरू काल में कांग्रेस विघटित नहीं हुई और विरोधी तत्व दब रहे (क्योंकि नेहरू के व्यक्तित्व को चेंतावनी देने का साहस किसी में नहीं था) परन्तु फिर भी कांग्रेस असहमता ने अनेक राज्यों में इस काल में भी पृथक् सगठन बनाये और विरोधी दलों के साथ साठ गाठ करने का प्रयास किया जैसे उत्तरप्रदेश में 'पीपल्स कांग्रेस पार्टी' (Peoples Congress Party) का निर्माण हुआ, द्राणा कोर कोचीन में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी (Congress Democratic Party) का निर्माण किया गया, पश्चिमी बंगाल में कृषक प्रजा मजदूर पार्टी (Krishak Praja Mazdoor Party) आदि।

मई 27, 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस में फूट के तत्व बलशाली होने लगे और प्रधान मंत्री पद के लिये सव श्री लालबहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई प्रत्याशी के रूप में सामने आये। परन्तु कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने जिसे 'किंग मेकर' (king maker) की सजा दी जाती थी, मुकाबले को टालने के लिये, दलीय अनुशासन को बनाये रखने के लिये और मतव्यवस्था (consensus) प्राप्त करने के लिये कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्य संख्या 42 कर दी जिसमें कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य, मुख्य मंत्रियों, कांग्रेस संसदीय दल, के द्रीय मंत्रिमण्डल के प्रमुख मंत्रियों आदि को शामिल किया गया। इसमें वृष्णा मेनन को भी निर्मात्रित किया गया। माइकेल ब्रेकर ने इस वृहद् कार्यकारिणी को "भारत राज्य की महान परिषद" (the grand council of the republic)² की सजा दी है। अत्यधिक दबाव के कारण मोरारजी देसाई ने अपने नामांकन (nomination) का वापस ले लिया और लालबहादुर शास्त्री का निर्वाचन सवममति से हो गया। कांग्रेस विघटन से बच गयी।

1 This terminology has been used by Hardrave Jr Robert L in his India Government & politics in a Developing Nation, p 130

2 Quoted in Kochanek, The Congress Party, p 89 Also see Hardrave Jr Ibid, p 132

जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद के लिये फिर दो प्रत्याशी सामने आये। इस समय दो प्रत्याशी थे श्रीमती इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। इस बार मोरारजी देसाई अपना नामांकन वापस लेने के लिये तयार नहीं हुए जैसाकि माइकेल शेवरेन ने लिखा है कि "मनक्यता की रान नीति ने स्पष्ट पक्ष की राजनीति' के मामले घुटने टुक दिये। दलीय निर्वाचन में श्रीमती इंदिरा गांधी की विजय हुई। उन्हें 355 मत प्राप्त हुए जबकि मोरारजी देसाई को 169 मत प्राप्त हुए।¹ यद्यपि चुनाव के बाद मोरारजी देसाई ने श्रीमता इंदिरा गांधी का समर्थन करने का आश्वासन दिया परन्तु हमने यह स्पष्ट कर दिया कि दल में गहरे मतभेद हैं। शीघ्र ही दलीय मगठन और इंदिरा गांधी के मतभेद उपन हो गये। तनाव, सघष घुटन-दी और पड़ोस-तन दल में गहरा स्थान प्राप्त कर लिया।

1967 के चौथे चुनाव में कांग्रेस की पराजय—चौथे चुनाव से पूर्व एक असंतुष्ट और असहमत काय मिया ने जिन्हें गासन या दल में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं थे राज्या में पृथक कांग्रेसी मगठना को काम दिया और विरोधी दलों के साथ साठ गठ भी की। उदाहरणतया उड़ीसा में जन कांग्रेस का जम हुआ जिसने स्वयं न दल के साथ निर्वाचन मंत्रिया (electoral alliances) स्थापित की, राज स्थान में जनता पार्टी का उदय हुआ जिनके कांग्रेस के विरोध में विरोधी दलों के साथ निर्वाचन मंत्रिया की। इसी प्रकार बिहार में जन प्रति दल, मध्य प्रदेश में जन कांग्रेस और पंजाब में जनता पार्टी का उदय हुआ। उत्तरप्रदेश और आंध्र प्रदेश में यद्यपि पृथक कांग्रेसी दलों का निर्माण नहीं किया गया परन्तु तनाव, फूट, विरोध आदि तब यहा भी विद्यमान थे, इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस का लगभग सभी राज्यों में बहुमत गिर गया और अनेक राज्यों में तो इसे विरोध पक्ष में बठना पडा। कांग्रेस को उस समय के 15 राज्यों में से केवल 7 में बहुमत प्राप्त हुआ।

एक दृष्टि से कांग्रेस की चौथे चुनाव में पराजय ने इंदिरा गांधी की स्थिति का मजबूत किया। राज्यों के अनेक कांग्रेसी नेताओं (congress state bosses) को पराजय का मुह-रचना पडा और बिना किसी विरोध के ये नेता इंदिरा गांधी के मार्ग में दूर हो गये या कम से कम उनके प्रभाव में अत्यधिक कमी आई। दूसरे, चुनाव पराजय ने नतत्व के प्रश्न पर मतक्यता पर बल दिया जैसाकि कोचनक ने लिखा है कि चुनाव पराजयों ने पहले से ही निवृत्त बनाई गयी पार्टी में फूट विघ्न को टाला के लिये नतत्व के प्रश्न पर मलैकता उत्पन्न कराने के लिये जबरदस्त दबाव को काम किया।¹

सद्भासित मतभेद (Ideological differences)—चौथे निर्वाचन के बाद केन्द्र में इंदिरा गांधी की सरकार बनी जिसमें मोरारजी देसाई उप प्रधान मंत्री थे तथा वित्त विभाग भी मोरारजी देसाई के पास था। सरकार ने सामाजिक परिवर्तन

¹ See Hardgrave Jr Ibid, p 133

को शीघ्र लाने के लिये एक दस सूत्री कार्यक्रम तैयार किया जिसमें वको के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी शामिल था। श्री मोरारजी देसाई तथा उन जैसी विचार धारा रखन वाले अभिपद (syndicates) बंकों के राष्ट्रीयकरण के विरोधी थे। अप्रैल 1969 के फरीदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा (Nijalingappa) प्रगतिशील उपायों (progressive measures) की बड़े दायित्व में मालोचना की और सरकारी उपक्रमों (public undertakings) की कुशलता की मांग की और निजी एकाधिकार उपक्रमों की प्रशंसा की। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा का विरोध किया और ये विचार व्यक्त किये कि सावजनिक क्षेत्र में लाभ हा या नहीं, यह स्वयं में एक साध्य है। फरीदाबाद अधिवेशन में यद्यपि दोनों विचारधाराओं में प्रत्यक्ष तोड़ फोड़ तो नहीं हुई परन्तु इस अधिवेशन में दोनों गुटों के गम्भीर मत भेदा को स्पष्ट कर दिया।

इंदिरा गांधी के बिखरे हुए विचार (Stray thoughts of Indira Gandhi)—अप्रैल 1969 के फरीदाबाद अधिवेशन में ही यह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस में दो प्रकार की विचारधारायें कायम कर रही थी। एक विचारधारा अभिपदों (syndicates) की थी जो सामाजिक परिवर्तन की ओर धीरे धीरे और सावधानी से बढ़ना चाहत थे। दूसरी विचारधारा संकेतका (indicates) की थी जो शीघ्र और आमूल परिवर्तन लाने के इच्छुक थे। जुलाई 1969 के बंगलौर अधिवेशन में इंदिरा गांधी ने 'बिखरे हुए विचारों' (stray thoughts) के नाम से एक प्रपत्र प्रस्तुत किया जिसमें कांग्रेस की आर्थिक नीति के सम्बंध में कुछ प्रस्ताव थे। इस प्रपत्र में जिन प्रस्तावों का मुख्यतया उल्लेख किया गया था वे थे प्रमुख व्यावसायिक वर्गों का राष्ट्रीयकरण, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण, भूमि, शहरी आय और सम्पत्ति की सीमा बढ़ाई, एकाधिकार प्रवृत्तियों का दमन करने के लिये लाइसेंस नीति में परिवर्तन, औद्योगिक लाभों में श्रमिकों का हिस्सा, भूमि सुधारों की शीघ्र कार्यावधि, आदि। इंदिरा गांधी के इस कार्यक्रम से अभिपद (syndicates) खुश नहीं थे परन्तु राष्ट्र के वातावरण को देखते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को राजनीतिक उपयोगिता (political expediency) के रूप में स्वीकार कर लिया।

राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के प्रश्न पर मतभेद (Differences over presidential candidate)—राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के प्रश्न को लेकर सिंडीकेट्स और इण्डिकेट्स में उग्र मतभेद ही उत्पन्न नहीं हुए बल्कि इसी प्रश्न ने अंततः कांग्रेस के 1969 के विघटन को भी जन्म दिया जो कांग्रेस इतिहास की स्थायी घटना बन गयी है।

परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिये प्रत्याशी का नाम कांग्रेस ससदीय दल के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। परन्तु ससदीय दल के द्वारा राष्ट्रपति पद के

लिये जो नाम प्रस्तुत किये गये थे,¹ व कांग्रेस के मगठन को पसन्द नहीं थे। क्योंकि उस समय मि जीनेटस प्रभाव में थी अतः उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशी सजीव रेडडी (जो उस समय लोकसभा के स्पीकर थे) को राष्ट्रपति पद के लिये नामांकित किया गया। सजीव रेडडी के नामांकन का समयान्तरण करने वाला मे इंदिरा गांधी भी थी। पन्तु 3-4 महीना में ऐसी घटना घटी कि कांग्रेस का विघटन अनिवार्य हो गया। ये घटनाएँ मुख्यतया निम्न थी—

(i) श्री वी० वी० गिरिन, जो कायदात्मक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया और राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव लड़ने का घोषणा कर दी। सिन्डीकेटस का अनुमान था कि वी० वी० गिरिन इंदिरा गांधी के समर्थन पर यह निर्णय लिया है।

(ii) यह अनुभव करते हुए कि कुछ कांग्रेसी एम० पी० और एम एल ए सजीव रेडडी की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष निर्जलिंगप्पा नदलीय सचेतक (party whip) जारी किया कि कांग्रेस एम० पी० और कांग्रेस एम एल ए कांग्रेस के प्रत्याशी सजीव रेडडी का समर्थन करें। निर्जलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी से भी ऐसा ही सचेतक (whip) जारी करने के लिये कहा।

(iii) बंगलौर अधिवेशन के बाद इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई मंत्रित्व विभाग को छोड़ लिया। साथ ही अपनी रेडिकल (Radical) नीतियाँ का परिष्कार देने के लिये इंदिरा गांधी ने 14 वें व्यावसायिक वक्ता का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मोरारजी देसाई ने आत्म सम्मान के लिये उप प्रधान मंत्री पद और मंत्रिमण्डल से त्याग पत्र दे दिया।

(iv) कांग्रेस अध्यक्ष निर्जलिंगप्पा और प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाये। यह हवा फल रही थी कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद सिन्डीकेट के सदस्य केन्द्र में राष्ट्रपति की अपरक्षित शक्तियों का प्रयोग कर इंदिरा गांधी को अपदस्थ करने का प्रयास करेंगे तथा जन सच और स्वतंत्र दल के साथ मिल कर मिली जुली सरकार (Coalition government) का निर्माण करेंगे। इंदिरा गांधी ने निर्जलिंगप्पा पर जनसच और स्वतंत्र दल के साथ माऊगाठ (गुप्त समझौते) का आरोप लगाया, निर्जलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी पर साम्यवादियों के साथ साठ गाठ का आरोप लगाया।

(v) इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी सजीव रेडडी के लिये सचेतक (whip) जारी करने से इंकार कर दिया। इतना ही नहीं इंदिरा गांधी के सन्तुष्टि के लिये राष्ट्रपति निर्वाचन में 'अंतरात्मा' और 'स्वतंत्र मतदाता' (free vote) की मांग करना शुरू कर दिया।

1 ससदीय दल ने प्रथम तो वी० वी० गिरिन का समर्थन करने के लिये कहा था और बाद में जगजीवनराम का नाम राष्ट्रपति पद के लिये नामांकित किया था।

उपयुक्त घटनाप्रा ने, जो बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही थी, मिडीकेट और इटीकेट के मत भेदों को चरम सीमा तक पहुँचा दिया। राष्ट्रपति निर्वाचन में कांग्रेस प्रत्याशी मजीब रेड्डी पराजित हो गये और स्वतंत्र उम्मीदवार वी० वी० गिरि विजयी हुए।

राष्ट्रपति निर्वाचन में सिडीकेटम बुरी तरह पराजित हुए थे और उन कांग्रेस सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर तुले हुए थे जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सजीव रेड्डी को पराजित करने में विरोधिया का साथ दिया था। यद्यपि चह्लान और सुब्राह्मण्यम ने दोनों घुटों में समझौता कराने का प्रयास किया परन्तु यह एकता घुँघली ही रही क्योंकि मद्वातिक मतभेद गम्भीर थे। निर्जलिगप्पा ने सुब्राह्मण्यम और फल्लूदीन अली अहमद को कांग्रेस कार्यकारिणी से निकाल दिया, दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने उन चार मंत्रियों से त्यागपत्र मागे जिन्हें सिडीकेट्स समझा जाता था। 3 नवम्बर, 1969 को इंदिरा गांधी ने रेलमंत्री राममुभग सिंह को मंत्रिमण्डल से निकाल दिया दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकारिणी ने जिसमें केवल सिडीकेट्स के सदस्य ही शामिल हुए थे इंदिरा गांधी पर "पडवत, अनुशासन हीनता और भ्रष्टाचार" का आरोप लगा कर 12 नवम्बर, 1969 को उन्हें कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से वंचित कर दिया। कांग्रेस कार्यकारिणी ने इडीकेट्स की इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) का विशेष अधिवेशन बुलाया जाय। कांग्रेस कार्यकारिणी ने कांग्रेस मसदीय दल से पृथक नतीजा निर्वाचन के लिये निर्देश दिये। परन्तु कांग्रेस मसदीय दल ने इंदिरा गांधी पर अपने विश्वास को प्रकट किया और इंदिरा गांधी की प्राथमिक सदस्यता के समाप्त करने के कार्य को अवध और अय्यपूण बताया निर्जलिगप्पा पर अविश्वास अभिव्यक्त किया, सुब्राह्मण्यम को अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया और बाद में जगजीवनराम को नई (सत्तारूढ) कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चुना। दूसरी ओर मिडीकेट्स के 65 सदस्यों ने मोरारजी देसाई के निवास स्थान पर एक बैठक की। इन्होंने राममुभग सिंह का लाकसभा और एस एन मिश्र को राज्य सभा में अपना नेता नियुक्त किया। मोरारजी देसाई मसदीय पार्टी के चेयरमैन निर्वाचित किये गये। इस तरह कांग्रेस की आंतरिक फूट ने कांग्रेस का विघटन किया। आज ये दो पृथक दल हैं जिन्हें संगठन कांग्रेस (Congress-O) और सत्तारूढ कांग्रेस (Congress-R) के नाम से जाना जाता है।

कांग्रेस फूट का तत्काल परिणाम यह निकला कि इंदिरा गांधी की सरकार का लोकसभा में बहुमत समाप्त हो गया परन्तु द्रमुक (DMK), साम्यवादिया और अकालियों के समर्थन ने उसने सत्तारूढ कांग्रेस को अदृश्य होने में बचा लिया। इंदिरा गांधी ने अपने तथाकथित रेडिकल (radical) कार्यक्रम और 'गरीबी हटाओ' की दुहाई देते हुए 1971 में मसदा के निर्वाचन कराये जिसमें उमेशाशाने भी अधिक स्थान प्राप्त हुए। अंत इंडीकेट्स आज सत्तारूढ हैं और संगठन कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रह रही है।

2 समाजवादी दल (The Socialist Parties)

भारतीय समाजवादी दलों का इतिहास विघटन और विलयन का इतिहास रहा है। परस्पर अव्यवस्थित और अस्थिर होने से इहे निराशा और असफलताओं का सामना करना पड़ा है। आपस में विभक्त होने और प्रभावपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के अभाव में य न तो चुनाव अनुगमिता को प्राप्त कर सके हैं और न ही कांग्रेस के विरुद्ध सुदृढ़ मुसक्ति, समुक्त लोकतांत्रिक समाजवादी मोर्चा बनाने में सफल रहे हैं। ये तो अपनी विचारधारा के बारे में भी स्पष्ट नहीं। क्या ये समाजवाद, गांधीवाद राष्ट्रवाद और लोकतन्त्र का सश्लेषण चाहते हैं या कि किसी अथ प्रकार स लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना चाहते हैं? इस तरह भारतीय समाजवादी अगमनिया अनिणयो और असफलताओं से ही पीडित रहे हैं। जैसाकि वामस ए० रुश्य ने लिखा है कि 'विचारधारा, ससदीय कौशल और प्रोग्राम क सम्बध में इमके नेताओं में असगमनिया और अनिणय स्पष्ट दिखाई देते हैं। वे इस वान पर भी सहमत नहीं कि उहे किसी विचारधारा की आवश्यकता है या विचारधारा किस कहते हैं या क्या वे मार्क्सवाद और गांधीवाद का सश्लेषण चाहते हैं या कि भारतीय मदन में किसी नवीन प्रयोजनात्मक लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत की खोज करना चाहते हैं दलीय सक्तों से भी ये पीडित रहे हैं जैम राष्ट्रीय नेतृत्व, विचारधारा मगठन और कौशल (strategy) में वाद्धित परिवतना को द्वितीय सोपाना और मदस्यो तक प्रभावपूर्ण ढग से पहुँचान की अयोग्यता, भारतीय राज नीति में अपनी भूमिका का सही मूल्यांकन करने और उस पर हृदतापूर्वक डटे रहने (पालन करने) में असफलता और सावजनिक विपत्ति और दलीय विद्रोह की स्थिति में ममजन (cohesion) बनाय रखन में असफलता आदि।'

भारतीय समाजवादी कांग्रेस समाजवादी दल के ही वंशज (discendants) में से हैं। उनके इतिहास का पान चरगा में विभक्त किया जा सकता है। पहला चरण 1934 में 1948 तक का चरण है जब कि समाजवादी कांग्रेस वं अन्तर कांग्रेस समाजवादी दल (CSP—Congress Socialist Party) के रूप में कार्य करने रहा। परन्तु इस वान में वे कांग्रेस पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। इहोने प्रांतीय म्नायनता — काल में कांग्रेसी मंत्रिमण्डला 1946 में सर्वैधानिक सभा और न्हक मंत्रिमण्डल में भाग लिया। दूसरा चरण 1948 से 1952 तक का चरण है जब कांग्रेस समाजवादी दल के मन्म्या ने कांग्रेस से पृथक् होकर स्वतन्त्र समाजवादी दल के रूप में कार्य करना शुरू किया और रचनात्मक णाय, मरादीय कार्यप्रणाली और अन्तिक म्नायेन द्वारा अर्णत् "पावडे, मन और जेल" (the spade the vote and prison) द्वारा कांग्रेस का चेनायनी उन का प्रयाग किया। इस काल में कांग्रेस समाजवादी दल क मदर्या का कांग्रेस में पृथक् हान का मूल कारण बन गया।

14 या त्रिम में कांग्रेस वं ीतर अथ राजनीतिक दला में विद्यमान रहने पर

मनाही कर दी गयी थी। इसी वक्त में कांग्रेस सहमतों का एक समूह आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में कांग्रेस से पृथक हो गया था और उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी (KMPP) के नाम से एक पृथक संगठन का निर्माण कर लिया था। इन दोनों दलों को विश्वास था कि वे कांग्रेस को प्रथम चुनाव में पराजित करने या कम से कम उसका दृढ़ विरोध करने में सफल होंगे। परन्तु प्रथम निर्वाचन परिणामों ने उनमें निराशा को जन्म दिया। तीसरा चरण 1952 से 1955 तक का चरण है जब स्वतंत्र समाजवादी दल और किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने अपने राजनीतिक अस्तित्व को उद्धार के लिये दोनों दलों का विलय कर अगस्त 1952 एक नये राजनीतिक दल को जन्म दिया जिस प्रजा समाजवादी दल (प्रसोपा PSP) की मज्जा दी गयी। कुछ समय बाद ही पश्चिमी बंगाल का फारवर्ड ब्लाक भी इसमें शामिल हो गया। आचार्य कृपलानी को प्रसोपा का सभापति और अण्णाक मेठता को महासचिव नियुक्त किया गया। परन्तु प्रसोपा भी संगठित रूप से कार्य नहीं कर सका। इसके मुख्यतया दो कारण थे प्रसोपा-कांग्रेस सहयोग के प्रश्न पर जयप्रकाश नेहरू पत्राचार में अनेक प्रकार की अटकलवाजियों को जन्म दिया। यद्यपि दोनों में कोई सहयोग उत्पन्न नहीं हुआ परन्तु इसने प्रसोपा संगठन को निबल अवश्य किया। दूसरे प्रसोपा के प्रमुख नेता जगप्रकाश नारायण गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर राजनीति में अलग हो गये थे। उन्होंने विनोबा भावे के भ्रूशन आ दालन को अपना जीवन अर्पित कर दिया और दल विहीन लोकतंत्र (Partyless Democracy) के विचार का प्रचार करने लगे। चौथा चरण 1955 से 1964 तक का चरण है। इस चरण की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। कांग्रेस के साथ सहयोग के प्रश्न पर प्रसोपा 1953 से ही विभक्त थी। अण्णाक मेठता का विश्वास था कि 'पिछड़े हुए समाज की राजनीतिक वाध्यताएँ' कांग्रेस के साथ सहयोग की मांग करती हैं। उसकी यह धारणा थी कि भारत जसा समान, जिसके अन्तर्गत दुर्लभ है विरोध की विलानिता को महान नहीं कर सकता। प्रसोपा में दूसरे गट का नतत्व डॉ॰ राम मनोहर लोहिया के पक्ष में था जो कांग्रेस के साथ सहयोग के पक्ष में नहीं था। यह गट कांग्रेस और समाजवादी दल दोनों से "समान दूरी" (equi distance) रखने के पक्ष में था। जब 1955 में कांग्रेस ने मवादी अधिवेशन में 'समाजवादी समाज' (Social Pattern of Society) के आदान को स्वीकार कर लिया तो अण्णाक मेठता गूठ में और डॉ॰ राम मनोहर लोहिया गुट में कांग्रेस सहयोग के प्रश्न पर उग्र मतभेद हो गये। अपने आपको कांग्रेस के समाजवादी समाज से पूर्ण पृथक करने के लिये डॉ॰ लोहिया अधिकाधिक आधिकारी दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे और उन्होंने प्रसोपा के अन्दर एक युयुत्सु (नडाडू जगजू) पक्ष की स्थापना की। इस पर डॉ॰ राममनोहर लोहिया को प्रसोपा से बाहर निकाल दिया गया। डॉ॰ राममनोहर लोहिया ने दिसम्बर 1955

2 Quoted by Weiner, Myron Party Politics in India p 31 Also see Hardgrave Jr Ibid p 140

२ समाजवादी दल (The Socialist Parties)

भारतीय समाजवादी दलों का इतिहास विघटन और विलयन का इतिहास रहा है। परस्पर अव्यवस्थित और अस्थिर होने से इन्हें निराशा और असफलताओं का सामना करना पड़ा है। आपस में विभक्त होने और प्रभावपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के अभाव में वे न तो चुनाव अनुगामिता को प्राप्त कर सके हैं और न ही कांग्रेस के विरुद्ध मुद्दे मुसलमानी मयुक्त लोकतांत्रिक समाजवादी मोर्चा बनाने में सफल रहे हैं। ये तो अपनी विचारधारा के बारे में भी स्पष्ट नहीं। क्या ये समाजवाद, गांधीवाद राष्ट्रवाद और लोकतन्त्र का संश्लेषण चाहते हैं या कि किसी अन्य प्रकार से लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना चाहते हैं? इस तरह भारतीय समाजवादों अगतिशील अग्रगण्य और असफलताओं से ही पीड़ित रहे हैं। जसाकि धामम ए० रद्व ने लिखा है कि 'विचारधारा, ससदीय कौशल और प्रोग्राम के सम्बन्ध में इनके नेताओं में असंगतियाँ और अनिर्णय स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये इस ध्यान पर भी सहमत नहीं कि उन्हें किसी विचारधारा की आवश्यकता है या विचारधारा किम कहते हैं या क्या वे मार्क्सवाद और गांधीवाद का संश्लेषण चाहते हैं या कि भारतीय संदर्भ में किसी नवीन प्रयोजनात्मक लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत की स्थापना करना चाहते हैं। दलीय सक्चो से भी ये पीड़ित रहे हैं जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व विचारधारा संगठन और कौशल (strategy) में वाञ्छित परिवर्तनों की क्रियात्मक सोपाना और सदस्यों तक प्रभावपूर्ण ढंग से पहुँचाने की अयोग्यता, भारतीय राजनीति में अपनी भूमिका का सही मूल्यांकन करना और उस पर हृदयपूर्वक हटते रहने (पालन करने) में असफलता और सावजनिक विपत्ति और दलीय विद्रोह की स्थिति में समज (cohesion) बनाये रखने में असफलता आदि।'

भारतीय समाजवादी कार्यसमाजवादी दल के हावजा (discendants) में से हैं। इनके इतिहास को पान चरणों में विभक्त किया जा सकता है। पहला चरण 1934 से 1948 तक का चरण है जब कि समाजवादी कांग्रेस के अन्दर काग्रम समाजवादी दल (CSP-Congress Socialist Party) के रूप में कार्य करने रहे। परन्तु इस काल में वे कांग्रेस पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। इन्होंने प्राथमिक स्वायत्तता के काल में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों, 1946 में संवैधानिक सभा और नेहरू मंत्रिमण्डल में भाग लिया। दूसरा चरण 1948 से 1952 तक का चरण है जब कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों ने कांग्रेस से पृथक् होकर स्वतंत्र समाजवादी दल के रूप में कार्य करना शुरू किया और रचनात्मक कार्य ससदीय कार्यप्रणाली और अहिंसक आन्दोलन द्वारा अर्थात् 'पावडे, मत और जेल' (the spade the vote and prison) द्वारा कांग्रेस को चेताने के लिए का प्रयास किया। इस काल में कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों का कांग्रेस से पृथक् होना का मूल कारण यह था कि जग में कांग्रेस के भीतर अन्य राजनीतिक दलों में विद्यमान रहने पर

मनायी कर दी गयी थी। इसी बात में कांग्रेस सहमतों द्वारा एक समूह आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में कांग्रेस से पृथक् हो गया था और उद्धाने किसान मजदूर प्रजा पार्टी (KMPP) के नाम से एक पृथक् संगठन का निर्माण कर लिया था। इन दोनों दलों की विश्वास था कि वे कांग्रेस को प्रथम चुनाव में पराजित करने या कम से कम उसका दृढ़ विरोध करने में सफल होंगे। परंतु प्रथम निर्वाचन परिणामों ने उनमें निराशा को जन्म दिया। तीसरा चरण 1952 से 1955 तक का चरण है जब स्वतंत्र समाजवादी दल और किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने अपने राजनीतिक अस्तित्व को उन्नत के लिये दोनों दलों का विलय कर अगस्त 1952 एक नये राजनीतिक दल को जन्म दिया जिसे प्रजा समाजवादी दल (प्रमोपा PSP) की संज्ञा दी गयी। कुछ समय बाद ही पश्चिमी बंगाल का फारवर्ड ब्लाक भी इसमें शामिल हो गया। आचार्य कृपलानी को प्रमोपा का सभापति और अण्णक मेहता का महासचिव नियुक्त किया गया। परंतु प्रमोपा भी लगे रहने से काम नहीं कर सका। इसके मुख्यतया दो कारण थे, प्रमोपा कांग्रेस सहयोग के प्रश्न पर जयप्रकाश नरहर पराचार ने अनेक प्रकार की अटकलबाजियों को जन्म दिया। यद्यपि दोनों में कोई सम्योग उत्पन्न न हुआ परंतु इसने प्रमोपा संगठन को निबल अवश्य किया। दूसरे प्रमोपा के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर राजनीति में गलत हो गये थे। उन्होंने विनोदा भावे के भूदान आंदोलन को अपना जीवन अर्पण कर दिया और दल विहीन लोकतंत्र (Partyless Democracy) के विचार का प्रचार करने लगे। चौथा चरण 1955 से 1964 तक का चरण है। इस चरण की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। कार्यक्रम के साथ सहयोग के प्रश्न पर प्रमोपा 1953 से ही विभक्त थी। अण्णक मेहता का विश्वास था कि पिछड़े हुए समाज की राजनीतिक आवश्यकताएँ काँग्रेस के साथ सहयोग की मांग करती हैं। उसकी यह धारणा थी कि भारत जैसा समाज, जिसके स्त्रोत दुर्लभ हैं विरोध की विलामिता को महन नहीं कर सकता। प्रमोपा में दूमरे गट का नतत्व डॉ॰ राम मनोहर लोहिया का रहे थे जो कांग्रेस के साथ सहयोग के पक्ष में नहीं था। यह गट कांग्रेस और साम्यवादी दल दोनों से "समान दूरी" (equi distance) रखने के पक्ष में था। जब 1955 में कांग्रेस ने प्रवादी अधिवेशन में समाजवादी समाज" (Social Pattern of Society) के आदेश का स्वीकार कर लिया तो अण्णक मेहता गट में और डॉ॰ राम मनोहर लोहिया गट में कांग्रेस सहयोग के प्रश्न पर उग्र मतभेद हो गये। अपने आपका कांग्रेस के समाजवादी समाज से पूरा पृथक् करने के लिये डॉ॰ लोहिया अधिक नातिकारी दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे अतः उद्धाने प्रमोपा के अंदर एक युयुत्सु (लडाऊ जू) पक्ष की स्थापना की। इस पर डॉ॰ राममनोहर लोहिया की प्रमोपा से बाहर निकाल लिया गया। डॉ॰ राममनोहर लोहिया ने दिसम्बर 1955

2 Quoted by Weiner, Myron Party Politics in India, p 31 Also see Hardgrave Jr Ibid p 143

म एक नये भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की। इस काल की एक अन्य विनी पता यह है कि अशोक मेहता, अरुण साहिया व साथ, कांग्रेस में मिन गय धार 1963 म उ होन योजना आयोग के उप सभापति (Deputy Chairmanship) पत्र को स्वीकार कर लिया। अशोक मेहता न यद्यपि कांग्रेस प्रमोवा मगठना म सहयोग की दृष्टि से इस कदम को उठाया या परंतु प्रमोवा न अशोक मेहता का दल न निकान दिया। इसके बाद प्रमोवा और लोहिया ग्रुप के भारतीय समाजवादिया में विलय की बात गुरु हो गयी और 1964 म एक नय समाजवादी दल को जन्म दिया गया जिस समुक्त समाजवादी दल (मसोवा-SSP) की स्थापना दी गयी। पाचवा चरण 1965 से आज तक का चरण है। इस काल क. भारतीय समाजवादी दल का इतिहास भी गम्भीर फूट का इतिहास रहा है। प्रभाषा ससोवा प्रमोवा दल (PSP-SSP honeymoon) कुछ समय तक ही जीवित रहा और 1965 म अनेक छोटे छोटे समाजवादी समूह नजर आने लगे। यद्यपि प्रभाषा और ससोवा म आचार्य नरेंद्र देव एस० एम० जोशी राजनारायण सिंह, चन्द्राखररा, एच० बी० कामय प्रेम नसीन, कपूरी ठाकुर श्री नाथपाई, जाज फर्नेंडिस मधु दण्डवत, मधु विमाये जस योग्य कायकर्ता हैं परंतु राष्ट्रीय नवृत्त और स्पष्ट विचारधारा के अभाव म वे निर्वाचन अनुमानिता को बढ़ा नहीं सके। अगस्त 1971 में PSP और SSP ने फिर एकता के प्रस्तावों का स्वीकार कर लिया और समाजवादी पार्टी (SP) का जन्म दिया इसका उद्देश्य अन्य बातों सहित देश के गरीबों को घर भूमिहीनों को भूमि और बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है। समाजवादी दल पहले के समाजवादियों की भांति विभक्त है। स्पष्ट है कि जसा कि एल० पी० सिंह ने लिखा है, 'अक्सर वादित, अनुशासनहीनता निर्वाचन पराजयों न्यप्य के निर्वाचनों में निराशावाद की सम्भावनाओं और समाजवाद के प्रश्न पर नताओं में द्वंद्व नृत्ति न दल में निरंतर पक्ष त्याग (defections) और समाजवादी कायकर्ताओं के मनोबल को कम करने म सहयोग दिया है।

प्रमोवा की नीतियाँ और उद्देश्य (Aims and Objectives of PSP)— प्रमोवा "शांतिमय साधनों द्वारा ऐसे लोकतांत्रिक समाज की स्थापना चाहता है जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण से मुक्त हो।" यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए सयनवादी सामाजिक व्यवस्था के आधार पर देश का पुनर्निर्माण चाहता है। यद्यपि यह कांग्रेस पर दोषारोपण करता है कि उसकी दृष्टि पूँजीवादी (Capitalist mentality) है परन्तु फिर भी यह "लोकतांत्रिक समाजवादी नीतियों को कायाचित करने के लिये कांग्रेस सहित उन सभी दलों के साथ सहयोग करने के लिय तयार है जो राष्ट्रवाद धमनिरक्षता लोकतंत्र और समाजवाद में विश्वास करते हैं।

प्रमोवा का कथन है कि किसानों तथा अन्य ग्रामीण लोगों के साथ अभी तक अच्छा व्यवहार नहीं किया गया उन्हें अभी भी भूमि से निष्कासित किया जाता है

भूमि सुधार प्रायः मत्त मात्र रह है। केवल व लोग ही सुविधाये प्रात कर पाये हे जिनकी पहुँच ऊपर तब है। जहरतम दों की ओर ध्यान नही दिया जाता। इसलिये प्रसोपा ऐसे भूमि सुधारा का समथक है जिससे “भूमि जोतने वाला ही भू स्वामी हो।” यह सहकारी विपणन ऋण (Cooperative marketing credit) का विकास करना चाहता है। यह फसल बीमा (Crop insurance) नीति का समर्थक है। यह किसानों की कृषि वस्तुओं का उचित मूल्य दिलाने, सम्पन्न किसानों से गल्ला वसून करने का समर्थक है। यह शहरी सम्पत्ति का परिशीमन करने, सम्पत्ति कर लगाने, उचित मूल्य की दूना। खोलने का समर्थक है। यह न्यूनतम वेतनों, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था करते का समर्थक है।

ससोपा मसर की सर्वोच्चता के सिद्धांत मे विश्वास करता है और प्रशासन मे भ्रष्टाचार को दूर करना चाहता है। यह नागरिक स्वतंत्रताओं का समर्थक है और राष्ट्रपति की सवटकालीन शक्तियों को सीमित करना चाहता है।

विदेश नीति के सम्बंध मे प्रसोपा और कांग्रेस मे कोई अंतर नही। यह असलगतता की नीति का समर्थक है और तटस्थ देगा के साथ महयोग की नीति अपनाने के पक्ष मे है। यह पाकिस्तान के साथ विवादा को शांति एव मित्रता पूर्वक हल करना चाहता है। यह चीनी विन्तार को रोकना चाहता है, समुक्त राष्ट्र सघ को शक्तिशाली बनाना चाहता है, हिन्दमहासागर की स्वतंत्रता बनाय रखना चाहता है। यह जातिवाद का विरोधी है और परमाणु अस्त्रों को सीमित करना चाहता है।

ससोपा की नीतियाँ और उद्देश्य (Aims and Objectives of SSP)—
ससोपा अपने आपको एक नाँतिकारी दल कहता है जो उग्र सामाजिक परिवर्तन मे विश्वास करता है। इसकी मायता है कि तीसरे विश्व मे समाजवाद के विकास के लिये पूँजीवाद और समाजवाद दोनों ही असगत है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण मे विश्वास करता है और छोटी-छोटी इकाइयों—ग्राम, कस्बा, जिला—में सत्ता को प्रदान करना चाहता है। इसकी विचारधारा समतावादी (egalitarian) है। यह सम्पत्ति के अधिकार को उम सीमा तक सुरक्षित रखना चाहता है जिसमे भाडे के मजदूरों की आवश्यकता न हो। यह सभी आय को 1000 रु० तक सीमित करना चाहता है। भू स्वामित्व पर सीमायें लगाना चाहता है तथा अतिरिक्त भूमि को निधन किसानों, भूमिहीन मजदूरों मे बाँटना चाहता है। यह सप्तवर्षीय सिंचाई योजना बनाने का इच्छुक है।

ससोपा शासन और शिक्षा के क्षेत्र मे पिछड़ी हुई जातियों, अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिये 60 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखना चाहता है। यह राज्य पाल, कलक्टर आदि के पदा को समाप्त करना चाहता है।

ससोपा अंग्रेजी भाषा का विरोधी है। उसकी मायता है कि अंग्रेजी का चना रहना ‘विदेश दमन’ और ‘राष्ट्रीय अपमान का चोतक है। अतः ससोपा

प्रशासन में हिंदी का प्रयोग करना चाहता है। हिंदी के विकास के साथ-साथ मसोमा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के पथ में भी है।

ससोपा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये गांधीवादी सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, धेराव आदि शस्त्रों का प्रयोग करता है। ह्त्ताल को यह सरकारी मायता दिलाता चाहता है।

विदेश नीति के सम्बन्ध में ससोपा अमलगनता की नीति को अधिक रचना मक बनाना चाहता है, राष्ट्र मण्डल से पृथक होना चाहता है और तिन्वत का स्वाधीन बनाकर भारत चीन सीमाप्रा को निश्चित करना चाहता है।

निर्वाचन अनुगामिता—भारतीय ममाजत्र दी दलों की निर्वाचन अनुगामिता प्रभावशाली नहीं रही। 1962 के चुनावों में प्रसापा के लोक सभा में केवल 12 सदस्य थे और लोहिया ग्रुप के केवल 6 सदस्य थे। 1967 के निर्वाचनों में ससोपा को लोक सभा में 23 स्थान प्राप्त हुए।

3 भारतीय साम्यवादी दल (Communist Party of India)

भूमिका (Introduction)—भारतीय साम्यवादी दल का उद्गम श्रमिकों और कृषकों (workers and peasants) के क्षेत्रीय संगठनों से हुआ है। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1924 में की गयी। आरम्भ में इसका सम्बन्ध ब्रिटेन का साम्यवादी पार्टी से घनिष्ठ था। यह कमिन्टर्न (Comintern) के नियमों में था और मास्को के निर्देशनों का पालन करती थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वृद्धि आलोचक होने से ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया और इसे आवश्यक रूप से गुप्त रूप में अपनी गतिविधियाँ को जारी रखना पड़ा। कुछ समय के लिये यह कांग्रेस ममाजत्रादी दल (Congress Socialist Party) में शामिल हो गयी परन्तु 1939 में कांग्रेस से इसे निकाल दिया गया।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान भारत में साम्यवादी दल का दृष्टिकोण बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और राष्ट्र विरोधी रहा। द्वितीय युद्ध के आरम्भ में युद्ध साम्यवादियों के लिये साम्राज्यवादी युद्ध (imperialist war) था परन्तु 1941 में जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया तो यही साम्राज्यवादी युद्ध भारतीय साम्यवादियों के लिये "मुक्ति युद्ध" (War of Liberation) और 'जन युद्ध (People's War) बन गया। युद्ध के प्रश्न पर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार से असहयोग की नीति अपनाई और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये "भारत छोड़ो" आन्दोलन (Quit India Movement) का संगठन किया तो भारतीय साम्यवादी दल ने ब्रिटिश सरकार से असहयोग की नीति अपनाई। इतना ही नहीं साम्यवादियों ने गांधीजी की निन्दा भी की और मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की माँग का समर्थन भी किया। दमन विधायिका धनिका और विज्ञान संगठनों में धुमधम कर राष्ट्रिय गणितियों को विपन्न प्रारंभ बनाया गया था। अन्तिम में भी

किया। साम्यवादियों के इस दृष्टिकोण को देखकर ब्रिटिश सरकार ने साम्यवादी दल पर से प्रतिबंध हटा लिया। इसमें साम्यवादी दल की सदस्यता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई और जन समूहों पर उसका प्रभाव भी उदा पर तु उस पर "राष्ट्र विरोधी कलक भी लग गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी भारतीय साम्यवादियों की नीतियाँ को राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता। इसके सम्बंध अतिरिक्त देशीय (extra territorial) है। यदि भारतीय साम्यवादी दल (CPI) मास्को का पिछलग्गू है तो भारतीय साम्यवादी दल (माकसवादी) पीकिंग का पिछलग्गू है। भारतीय साम्यवादी दल (माकसवादी लेनिनवादी) तो आतंकवादियों, हत्यारों और उग्रवादियों का गिरोह है।

साम्यवादी दल का संगठन—साम्यवादी दल का संगठन उसी प्रकार का है जिस प्रकार कि विश्व के अन्य देशों के संगठन हैं। विद्यार्थी, औद्योगिक श्रमिक, किसान और सफ़दपोश बाबू मिलकर साम्यवादी दल का निर्माण करते हैं। जिन व्यक्तियों को साम्यवादी सिद्धांतों में विश्वास है और जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है वे इसके सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता प्राप्त करते समय दल के प्रति भक्ति रखने की शपथ लेनी पड़ती है, उसके नियमों का पालन करना पड़ता है तथा उसका चर्चा दा नियमित रूप से देना पड़ता है।

निम्न से निम्न स्तर पर दल का एक 'कक्ष (cell) होता है जिनके दो या तीन सदस्य होते हैं। इस कक्ष को शिक्षा मस्थानों, फ़ैक्टोरियों, कार्यालयों, कारखानों आदि में स्थापित किया जाता है। कक्ष में ऊपर ग्राम समिति, जिला और प्रांतीय समितियाँ होती हैं। इन समितियों का संचालन मण्डल (governing body) होता है जिसे कार्यकारी समिति (executive committees) कहते हैं। इस मंचालन मण्डल का एक सचिव और पाँच सदस्य होते हैं। भारतीय साम्यवादी दल का सर्वोच्च अंग "एकल भारतीय कांग्रेस" (All India Party Congress) है। यह कांग्रेस दल की समिति और महासचिव (General Secretary) का निर्वाचन करती है जो मिलकर दल की मुख्य कार्यपालिका कहलाते हैं। दल की आन्तरिक कोर (inner core) होती है जिसे पालिटब्यूरो (Politbureau) कहते हैं। इस आन्तरिक कोर में महासचिव सहित दल के महत्वपूर्ण सदस्य शामिल होते हैं। यही कोर (पालिटब्यूरो) दल की नीतियों का निर्माण करता है, अतः यह अपरिहार्य प्रग है।

नीति और उद्देश्य—भारतीय साम्यवादियों की नीति 'नव माओवादी चालों' (neo maolist tactics) की रही है। इसमें समाजवादियों प्रगतिशील बुद्धि और वर्गों से सहयोग की नीति को अपनाया है, शांतिमय साधना और मत पत्रों की शक्ति में विश्वास अभिव्यक्त किया है और ससद के माध्यम में समाजवादी परिवर्तन में आस्था व्यक्त की है। अप्रैल 1958 में अमृतसर अधिवेशन में भारतीय साम्यवादी दल ने अपनी राष्ट्रीय विदेशनीयता का इन नीतियों में अभिव्यक्त किया

"भारतीय साम्यवादी दल शांतिमय साधना द्वारा पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त

समाजवाद को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका तिनार है कि शक्तिशाली जन आंदोलन के विराम द्वारा, मसद में बहुमत प्राप्त करने और जन स्वीकृति के समयन द्वारा, श्रमिक वर्ग तथा उसी साथी प्रतिश्रियावादी शक्तियों के प्रतिरोध को पराजित (बर्जीभूत) कर सके हैं और श्रमिक, सामाजिक और राज्य संरचना में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिये मसद को लोक इच्छा का आस्वस्त यंत्र बना सकते हैं।¹

विश्व के अन्य समाजवादियों की भांति भारतीय साम्यवादी दल का उद्देश्य भी समाजवाद और साम्यवाद का विस्तार करना तथा सहकार के नेतृत्व में जन लोकतंत्र की स्थापना करना है। साम्यवादी दल मजदूरों के सामाजिकरण, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन उद्योगों, विदेशी कम्पनियों और वकी के राष्ट्रीयकरण, सांख्यिक क्षेत्र का विस्तार रोजगार की व्यवस्था, जोन की सीमा घटाने, किसानों को सस्ते दर पर ऋण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा उचित मजदूरी देने और हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है।

साम्यवादी दल साम्प्रदायिकता असुरक्षितता और जाति पंचा का विरोधी है। यह धर्म निरपेक्षता का पोषक है और पिछड़े हुए तथा अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण देने के पक्ष में है। यह पुलिस सगठन को समाप्त कर राष्ट्रीय नागरिक सेना (national militia) की स्थापना चाहता है। यह राज्य संरचना में परिवर्तन का इच्छुक है। यह संसद की सर्वोच्चता में विश्वास करता है, यह आयाधीशों के लिए वरिष्ठता के नियमों को स्वीकार नहीं करता। यह राज्य सभा और विधान परिषदा (अर्थात् उच्च सदन) को समाप्त करने का इच्छुक है। यह राज्यों को अधिक अधिकार देने के पक्ष में है। यह शिक्षा प्रणाली में शामिल परिवर्तन कर उच्च तकनीकी (technology) ज्ञान पर आधारित करना चाहता है।

विदेश नीति के सम्बन्ध में साम्यवादी दल विश्व के अन्य समाजवादी राष्ट्रों से अच्छे एवं सुदृढ सम्बन्धों के पक्ष में है। यह पाकिस्तान सहित अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्धों को बनाने पर बल देता है। यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद रंग भेद की नीति का विरोधी है। जहाँ कहीं भी साम्राज्यवाद के चंगुल से छुटकारा पाने के लिये उपनिवेशों के लोग संघर्ष में लगे हैं वहाँ साम्यवादी दल सहायता देने के पक्ष में है।

भारतीय साम्यवादी दल की उपयुक्त नीतियाँ और उद्देश्यों से स्पष्ट है, जसाकि हाडग्रेव ने लिखा है कि जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के प्रति सद्भावितक वचनमद्धता को पूरा करने के लिये बाध्य है वहाँ इसने अपनी राष्ट्रीय पहचान को भी नष्ट रखने का प्रयास किया है।

भारतीय साम्यवादियों की एक विशेषता यह भी है उनका कौशल ऊपर के

1 Quoted by Hardgrave Jr Robert L Ibid p 143

निर्देशों पर इतना अधिक निर्भर नहीं करते जितना कि स्थानीय परिस्थितियों और समस्याओं पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि अलिल भारतीय स्तर का दल होने पर भी साम्यवादियों की दिशा कांग्रेस की भांति क्षेत्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद और साम्यवादी विचारधाराओं और सिद्धांतों के प्रति भक्ति रखते हुए भी स्थानीय और क्षेत्रीय हितों की अपील करते हैं। केरल और आंध्र प्रदेश में तो इसकी अपील जातियों पर आधारित है। उदाहरणतया केरल में एजावस (ezhavas) और आंध्र में कामा (kamas) जातियाँ साम्यवादियों का समर्थन करती हैं। जबकि मासल विण्डमिलर ने 1956 में कहा था कि भारतीय साम्यवादी दल इस बात में विश्वास करता है कि 'वास्तविक सत्ता मुख्यतः राज्य स्तर पर निवास करती है और राष्ट्रीय पदों को प्राप्त करने के स्थान पर किसी विशेष क्षेत्र या श्रमिक वर्ग के संगठन में जन समूह की अनुगामीता (mass following) अधिक महत्वपूर्ण है।' नवम्बर 1956 में साम्यवादी दल के महामंत्री अजय घोष ने कहा था कि 'ममज'वादी ममज में विभिन्न स्वरूपा' को मायता देनी होगी।

साम्यवादी दल में विभाजन—तीनों साम्यवादी दल—भारतीय साम्यवादी दल (CPI), भारतीय साम्यवादी दल (माक्सवादी) CPI(M) भारतीय साम्यवादी दल (माक्सवादी लेनिनवादी) CPI (M L)—भारतीय साम्यवादी दल की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि यह सिद्धांत में अनुशासनबद्ध होते हुए भी अनुशासन हीन रहा है। सुदृढ़ नेतृत्व के अभाव और मांग की स्पष्टता के अभाव में यह दल आज अनेक गुटों में विभक्त है जैसे CPI, CPI, (M), CPI, (M L) जैसा कि एलनराय ने सिखा है कि "भारतीय साम्यवादी दूसरे देशों के साम्यवादियों से भिन्न नहीं सिवाय इसके कि दूसरे साम्यवादियों की तुलना में भारतीय साम्यवादियों ने अनेक त्रुटियों की हैं, अनेक दिशा परिवर्तन किये हैं और अनेक कलावाजियाँ लगायी हैं।'

आरम्भ से ही भारतीय साम्यवादी दो गुटों में विभक्त रहे हैं। यदि एक गुट कम युद्धकारी (less belligerent) और कम सिद्धांतवादी (less doctrinaire) रहा है तो दूसरा अधिक युद्धकारी और बट्टू सिद्धांतवादी रहा है। एक का विश्वास है कि शक्तिमय साधनों द्वारा, मत पत्रों की शक्ति और संसद में बहुमत प्राप्त करके वांछित समाजवादी परिवर्तन लाये जा सकते हैं और जन आन्दोलन के माध्यम से प्रतिनिधायकी शक्तियों को पराजित किया जा सकता है दूसरे का विश्वास है कि सत्तारूढ़ बुजुर्ग अपनी अधिमाय स्थिति को स्वेच्छा से कभी नहीं त्यागेगा। उसे तो बट्टू की नोक अर्थात् हिंसा, राजनीतिक हत्या और क्रांति द्वारा ही अपदस्थ किया जा सकता है। एक कांग्रेस सहित, प्रगतिवादी लोकतांत्रिक बुजुर्गों के साथ सहयोग के पक्ष में है तो दूसरा उनका विरोध करना चाहता है अर्थात् एक साम्राज्यवादी साम तवाद को मुख्य शत्रु समझता है और श्रमिकों, बुजुर्गों, समूहों साम्राज्यवाद विरोधी, साम तवाद विरोधी दलों के साथ मिलकर 'ऊपर से मयुक्त मोर्चा' (united front from above) बनाना चाहता है दूसरा पूँजीवादी और बुजुर्गों को

अपना दाय, समझता है और श्रमिकों, किसानों और छोटे छोटे बुजुर्गों के साथ मिल कर "नीचे से संयुक्त मोर्चा" (united front from below) बनाना चाहता है। दूसरे शब्दों में, एक "राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे" में विश्वास करता है और दूसरा "जनता के लोकतांत्रिक मोर्चे" में। जहाँ पी०सी जोशी जैसे साम्यवादी नेहरू सरकार के समर्थक थे वहाँ बी० टी० रणदिवे उसका विरोध करते थे। ये मानसवादी नेहरू को "साम्राज्यवादियों का दौड़ता हुआ कुत्ता" (running dog of imperialism) और "पूँजीपतियों और जमींदारों का वकील" कहकर निन्दित करते थे। एक न चीन के भारत पर आक्रमण को आक्रमण (aggression) की सजा देकर चीन के क्राय को भत्सना की। इतना ही नहीं, अर्थ दलों की भाँति यह गुट भारत चीन सीमाओं में मकमोहन (McMohan) रेखा को मानता है और खोई हुई भूमि को फिर से लाने और मानभूमि की रक्षा हेतु इकट्ठा होने की अपील भी की। दूसरे ने चीनी आक्रमण को आक्रमण की सजा नहीं दी और न ही उसके क्राय की भत्सना की बल्कि चीन के क्राय को "सीमा विवाद की सजा दी जो अतन्त युद्ध में परिवर्तित हो गया। यह गुट चीन के साथ विवाद को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाना चाहता है। संक्षेप में भारतीय साम्यवादी दल के दो गुट हैं, एक दक्षिण पश्चिमी और नम्र साम्यवादियों का गुट है जो रूस का पिछलग्गू एवं पक्षपाती है, दूसरा वामपंथियों अर्थात् मानसवादियों का गुट है जो चीन का पिछलग्गू एवं पक्षपाती है। दक्षिण पंथी या नम्र साम्यवादियों के प्रमुख नेता हैं एस० ए० डांगे, राजेश्वर राव, एन के कृष्णन, इन्द्रजीत मुत्त एस जी सरदेसाई आदि। दूसरे प्रमुख नेता हैं नम्बूरीपाद, ज्योतिबपु, सुदरंया, हरीकिशन सिंह सुरजीत, आदि। हाइब्रिड जूनियर ने दोनों साम्यवादी गुटों के भेदों की इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि 'सामाजिक आचरण, समयन के आधार और विचारधारा के क्षेत्र में साम्यवादी दल अपने जन्मकाल से ही विभाजित रहा है।'

भारतीय साम्यवादियों में भेद उत्पन्न होने के मूल कारण हैं (i) रूस और चीन के प्रति दृष्टि। यदि दक्षिण पंथी या नम्र दलीय साम्यवादी रूस के सशोषणवाद में विश्वास करते हैं तो वाम पंथी या उग्र दलीय साम्यवादी चीन के मानसवाद (माओवाद) में विश्वास करते हैं। (ii) चीन के भारत पर आक्रमण के प्रश्न पर मत भेद है। दक्षिण पंथी चीन की भत्सना करते हैं, खोई हुई भूमि को वापस लेना चाहती है तथा मानभूमि की रक्षा हेतु सरकार की नीति का समर्थन करते हैं। वाम पंथी चीन के आक्रमण की भत्सना नहीं करते तथा सीमा विवाद को शान्तिमय साधना से सुलझाना चाहते हैं। (iii) सामाजिक परिवर्तन के नियमों में भिन्नता है। दक्षिण पंथी जन आंदोलन मत पत्रों और संसद द्वारा सामाजिक परिवर्तन के का इच्छुक है। वाम पंथी जाति, हिंसा हत्या में विश्वास करते हैं। (iv) प्रगतिशील लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ सहयोग के प्रश्न पर भिन्नताएँ हैं। दक्षिण पंथी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे की स्थापना के पक्ष में हैं अर्थात्

“ऊपर से सयुक्त मोर्चे” के पक्ष में हैं जबकि वामपंथी “जनता के लोकतांत्रिक मोर्चे” के पक्ष में और “नीचे से सयुक्त मोर्चे” के पक्ष में हैं। दूसरे शब्दों में भारतीय साम्यवादियों की मुख्य समस्या यह रही है कि किन समूहों, दलों या वर्गों को मित्र और किन को शत्रु समझें।

उपरोक्त भिन्नताओं, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों और समस्याओं के कारण ही भारतीय साम्यवादी दल मजुलाई, 1964 में पहली बार विभाजन तब हुआ जब तेनाली में विरोधी (माक्सवादी) साम्यवादियों ने अपना पृथक् सम्मेलन बुलाया। गोपालन के नेतृत्व में लोकसभा में, 11 साम्यवादियों ने अपना पृथक् गुट बना लिया। इस नये दल ने अपना नाम भारतीय साम्यवादी दल (माक्सवादी) (CPI M) रखा।

माक्सवादी भी बहुत देर तक इकट्ठे मिल कर काम न कर सके क्योंकि इनमें भी कुछ उग्र तत्व (extremist elements) ऐसे थे जिन्हें मसदीय लोकात्त में ही विश्वास नहीं था। जिनकी धारणा थी कि शांतिपूर्ण उपायों द्वारा जनता के लोकतांत्रिकी स्थापना और समाजवादी परिवर्तनों को नहीं लाया जा सकता। माक्सवादियों का यह गुट राजनीतिक हत्याओं, घातकों, दमन और हिंसा में विश्वास करता है। ये चीनी आदर्श का अनुसरण करते हैं और किसान विद्रोहों, हथियार बंद लड़ाई और छापामार युद्धों का सहारा लेते हैं। यह तत्काल सशस्त्र संघर्ष, ग्रामों की मुक्ति और नगरों की घेरेबंदी (immediate armed struggle, the liberation of the countryside, and encirclement of the cities) में विश्वास करते हैं। यह आन्दोलनकर्ताओं (agitators) का गिरोह (समूह) है जिन्हें नक्सलवादी कहा जाता है।

नक्सलवाद पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग त्रिल के नक्सलवादी स्थान की देन है जहाँ उग्र माक्सवादियों ने किसान आन्दोलनों को संगठित किया, बड़े बड़े जमींदारों की भूमि को जरूरतमندی छीनकर भूमिहीन किसानों में वितरित किया। बलपूर्वक फसल उपजों और फाटी। इतना ही नहीं इन्होंने ‘जनता के आयासलों’ की स्थापना भी की। चीन ने नक्सलवादियों की इन गतिविधियों को बढ़ावा दिया, और नक्सलवादियों द्वारा प्राप्त क्षेत्र को ‘लाल जिला’ (Red district) और ‘स्वतंत्र या विमुक्त प्रायार’ (liberated base) कह कर सम्बोधित किया। भारत सरकार के लिए चीन की इन गतिविधियों पर चिन्ता व्यक्त की गयी, और चीन की इस सहायता की भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। पश्चिमी बंगाल के वामपंथी (माक्सवादी) समुक्त मोर्चे की सरकार की गति बहुत पाबुल हो गयी। नक्सलवादी आन्दोलनों को सीमित करने और नाश और व्यवस्था बनाये रखने के प्रयत्न पर वामपंथी समुक्त मोर्चे की सरकार को पतिया में तनाव उत्पन्न हो गया, माक्सवादीयों में विभाजन हो गया।

नक्सलवादी आन्दोलन केवल पश्चिमी वंगाल तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि आंध्र प्रदेश और केरल में भी यह आन्दोलन फैल गया। आंध्र प्रदेश में नागीरेड्डी और केरल में कोसला रामदास के नेतृत्व में इसी प्रकार के नक्सलवादी आन्दोलनों का संगठन किया गया। सन् 1969 में भिन्न भिन्न नक्सलवादी पार्टियों को मिलाकर एक नये संगठन को जन्म दिया गया जिसे भारतीय साम्यवादी दल (माक्सवादी लेनिनवादी) कहते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष चारु मजूमदार थे जिनकी मृत्यु जेल में अगस्त 1972 में हुई। चारु मजूमदार चीन के आतंककारी माओ के प्रशंसक थे और माओ की भांति इस बात में विश्वास करते थे कि "राजनीतिक सत्ता तब तक की दुनाली में से निकलती है।" उनका कहना था कि 'नक्सलवादी भारतीय भूमि पर माओवाद का पहला प्रयोग' है।

नक्सलवादियों का समूह इस समय बहुत छोटा है और इस समय इस सभी भारतीय माओवादियों (वामपंथियों, माक्सवादियों) का समर्थन प्राप्त नहीं परन्तु भारत के ससदीय प्रजातंत्र को इस जैसे समूहों से ही वास्तविक खतरा है। जसकि एम० एफ फ्रांजा ने लिखा है कि यही "युयुत्सु भारतीय साम्यवादियों को संगठनात्मक विकल्प प्रदान करता है जो माक्सवादियों और भारतीय साम्यवादियों की निर्वाचन सम्बंधी नीतियों को अस्वीकार करते हैं।" पामर ने भी लिखा है कि "यद्यपि माओवादी 'धारा गैर माओवादी विचारधारा से छाटो है परन्तु भारतीय राजनीतिक प्रणाली की चेंतावनी देने में अधिक गतिशील और सशक्त है।"

साम्यवादी दल के उपयुक्त त्रिकोणीय विभाजन के प्रभावा को एम० जे० अकबर ने बड़े सुन्दर शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्त किया है "सन 1972 में स्थिति का सजीव पहलू यह है कि भारतीय साम्यवादी दल (CPI) कांग्रेस का समर्थन कर रही है। इसका प्रभाव यह है कि एक साम्यवादी दल दूसरे साम्यवादी दल को कुचलने में सरकार की सहायता कर रहा है। सन् 1967-71 के दौरान माक्सवादियों को अपने अनेक सच्चे कार्यकर्ताओं से हाथ धोने पड़े क्योंकि वे उभरते हुए माओवादी दल (CPI-ML) में शामिल हो गये। इसका निहितार्थ (मन्ना)-स्पष्ट है। तीन दिशाओं में विभाजन। इस तरह तीनों एक-दूसरे को टट करने में अपनी शक्ति को खर्च कर रहे हैं। यही कारण है कि न तो अकेले और न ही मयुक्त रूप में (भारतीय) साम्यवादी सत्ताष्ट कांग्रेस के विकल्प के रूप में अपने प्राणको प्रस्तुत करने में सफल हो रहे हैं।"

साम्यवादी दलों का निर्वाचनों में निष्पादन (Performance of Communist Parties in Elections)—विरोधी दलों में साम्यवादी दल ही ऐसा दल है जिसका केन्द्रीय सदन और लगभग सभी राज्य विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व है। वस्तुतः इसमें प्रत्येक निर्वाचन में अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। केरल में 1957 में साम्यवादी आन्दोलन व इतिहास में पहली बार निर्वाचन का माध्यम ग ई० एम० एस नम्बू रीयार के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार का निर्माण

किया गया। चौथे निर्वाचन के बाद केरल और पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चा की सरकारों का निर्माण हुआ जिनमें प्रमुख घटक थीं। सन् 1971 के संसदीय निर्वाचनों और 1972 के राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों में भारतीय साम्यवादी दल ने इंदिरा गांधी (सत्तारूढ़) की कांग्रेस के साथ निर्वाचन सम्मन्धी समायोजन (electoral adjustments) किये। यह सत्य है कि साम्यवादियों ने किसी एक कौशल (strategy) को नहीं अपनाया। यदि केन्द्र में इसने सत्तारूढ़ दल के साथ सहयोग किया तो राज्यों में वही कांग्रेस का साथ दिया और कहीं कांग्रेस का विरोध किया।

साम्यवादी दल (दल) की चुनाव अनुगामिता (electoral following) काफी है और यह लगभग 10 प्रतिशत मत प्राप्त होते रहे हैं। सन् 1952 के निर्वाचनों में इसे 3.30 प्रतिशत मत प्राप्त हुए, 1962 में 9.96 प्रतिशत। सन् 1962 में साम्यवादी दल को लोकसभा में 29 स्थान प्राप्त हुए और यह सबसे बड़ा विरोधी दल था। राज्य विधानसभाओं में भी इसे 153 स्थान प्राप्त हुए। साम्यवादी दल में विभाजन के बाद सन् 1967 के निर्वाचन में भी इसे 9% मत प्राप्त हुए। साम्यवादियों (CPI) को 4.80 प्रतिशत और मार्क्सवादियों (CPI-M) को 4.28 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। यद्यपि मतों का प्रतिशत 1962 के निर्वाचनों की तुलना में कम था परन्तु लोकसभा में दोनों को मिलाकर 42 (साम्यवादियों को 23 और मार्क्सवादियों को 19) स्थान प्राप्त हुए और राज्य विधानसभाओं में 249 (साम्यवादियों को 122 और मार्क्सवादियों को 127) स्थान प्राप्त हुए। सन् 1969 के मध्यवर्ती निर्वाचनों में भी इनकी स्थिति ठीक थी जसाकि पामर ने लिखा है कि "बिहार में ये स्वयं खड़े हो सकते थे, पंजाब में इन्होंने कुछ खोया और पश्चिमी बंगाल में तो इन्होंने अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया। बंगाल में साम्यवादियों को 30 और मार्क्सवादियों को 80 स्थान प्राप्त हुए।

यह सत्य है कि साम्यवादियों ने हर निर्वाचन में अपनी स्थिति को सुधार कर उसे सुदृढ़ किया है परन्तु इनका प्रभाव तीन राज्यों (आंध्र, केरल और पश्चिमी बंगाल) में ही अधिक है। भारत के केन्द्र उत्तर प्रदेश में तो साम्यवादियों का प्रभाव कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में साम्यवादियों का प्रतिनिधित्व घट कर 4 प्रतिशत और मार्क्सवादियों का 1 प्रतिशत रह गया है।

4 भारतीय जनसंघ

(Bhartiy Jan Sangh or Peoples Party)

भारतीय राजनीतिक दलों में जनसंघ ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी प्रेरणा के स्रोत भारत तथा भारतीय संस्कृति में ढूँढे जा सकते हैं। जहाँ कांग्रेस किसी ठोस विचारधारा से प्रेरित नहीं या अच्छाई से अन्धरी स्थिति में यह भिन्न भिन्न विचारधाराओं का मिश्रण है, जहाँ साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद अपनी प्रेरणा के स्रोतों को ढूँढते हैं, जहाँ समाजवादी सिद्धान्तों के बारे में ही नहीं, कभी प्रजातंत्र और कभी साम्यवाद और कभी लोकतांत्रिक सामाजवाद

प्रणाली का स्रोत है, वहाँ भारतीय जन सभ की विचारधारा "भारतीय सभ्यता और "भारतीयकरण" से प्रेरित है। उसकी नीतियाँ, उद्देश्य और मापदण्ड इन्हीं दो तत्वों पर आधारित हैं और इन्हीं में वह अपने उद्देश्यों का सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है। संक्षेप में भारतीय जनसभ की विचारधारा भारतीयता से प्रभावित है।

जन सभ की स्थापना डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा सन् 1951 में की गयी थी। सन् 1953 में मुखर्जी की मृत्यु के बाद इस दल का नवम्बर 1953 में दीन दयाल उपाध्याय के हाथों में रहा। उसके बाद इसका प्रमुख नेता सर्वश्री बलराज मधोकर, एम० एल० सोधी, अटल बिहारी वाजपयी और लाल कृष्ण अडवानी रहे हैं।

जन सभ एक दक्षिण पंथी (Rightist) राजनीतिक दल है। अतः इसे उन्हीं वर्गों और समूहों का समर्थन प्राप्त है जो दक्षिण पंथी विचारधारा में विश्वास करते हैं। इसका समर्थन करने वाले प्रमुख वर्गों में वे लोग हैं जो पाकिस्तान से शरणार्थी बन कर भारत आये, या इस कुछ भूतपूर्व नरेशों का समर्थन प्राप्त है या इसे उन लोगों का समर्थन प्राप्त है जो पाकिस्तान के प्रति दृढ़ नीति अपना देने के पक्ष में हैं या इसे उन समूहों का समर्थन प्राप्त है जो आर्थिक क्षेत्र में राज्यवाद (statism) के स्थान पर अधिक से अधिक आर्थिक स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। यह लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहता है परन्तु समाजवादी राज्य की नहीं, यद्यपि हाल के कुछ वर्षों में इसने सामाजिक नीतियों के साथ कुछ समझौता करने का प्रयास किया है। सन् 1951 में देव प्रसाद घोष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि "समाजवादी राज्य दास राज्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है और यदि समाजवाद समानता लाता भी है तो यह दासता और कृषि दासता को समानता है।"

जनसभ एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल है परन्तु इसका प्रभाव क्षेत्र बल उत्तर के हिंदी भाषी राज्यों तक ही सीमित है। इसका मूल कारण सम्भवतः यह है कि जनसभ हिंदी भाषा का समर्थक है और हिंदी को अंग्रेजी के स्थानों पर राज्यों की सम्पर्क भाषा (link language) बनाना चाहता है। दक्षिण के राज्यों में यह इस कारण अपना प्रभाव क्षेत्र नहीं बढ़ा सका कि वे हिंदी विरोधी राज्य हैं। हिंदी भाषी राज्यों में भी जनसभ का प्रभाव क्षेत्र मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है यद्यपि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी पर्याप्त प्रभाव है।

जनसभ की नीतियाँ और उद्देश्य—जन सभ की नीतियाँ और उद्देश्यों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत उल्लिखित किया जा सकता है—

1. भारतीय राष्ट्रियता में अटूट विश्वास—जन सभ 'एक देश, एक राष्ट्र, एक सभ्यता और कानून के शासन' में विश्वास करता है। यह बहुमत और अल्पमत की दृष्टि से नहीं सोचता बल्कि सामान्य भारतीय नागरिकता के रूप में सोचता है। यह सभी को भारतवासी के रूप में देखता है, हिंदू, मुस्लिम सिक्ख, ईसाई, आदि के रूप में नहीं देखता। यह जाति, धर्म, भाषा आदि या इनमें से किसी एक आधार

पर नागरिकों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं करता। यह किसी सम्प्रदाय के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति भक्ति भाव प्रकट करता है। यह सभी को कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। यह सभी के लिये समान नागरिक संहिता का निर्माण करना चाहता है।

जनसभ भारतीय संस्कृति, उसकी परम्पराओं और मूल्यों को सुरक्षित रखना चाहता है। यह शिक्षा प्रणाली में प्राचीनता (परम्परा) और आधुनिकता का मिश्रण चाहता है। यह शिक्षा को नतिकता और देश भक्ति की भावनाओं से ओत प्रोत करना चाहता है। यह "गाय" का रक्षक है और गौवध पर मवैधानिक प्रतिग्रह चाहता है। यह आयुर्वेदिक उपचार का विकास करने के पक्ष में है।

2 आर्थिक नीति—जनसभ आर्थिक सत्ता के विकेंद्रिकरण के पक्ष में है। परन्तु सम्पत्ति के अवैधानिक अधिकार को नष्ट करना नहीं चांता। यह सम्पत्ति के अधिकार को बनाये रखना चाहता है परन्तु कृषि-भूमि सम्पत्ति और शहरी भूमि सम्पत्ति की सीमायें निर्धारित करना चाहता है। यह अधिक से अधिक और धून से न्यून आयों (incomes) को निर्धारित करना चाहता है। आयों की भिन्नता के अनुपात को यह 1 10 तक सीमित रखना चाहता है।

जनसभ अमीर गरीब की गहरी खाई को पाटना चाहता है और इसके लिये यह "उपभोग कर" (consumption tax) के पक्ष में भी है। यह निधनता के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहता है। यह बेरोजगारों को भत्ता देने, उद्योगों के प्रवर्धन में श्रमिकों को हिस्सा देने, छँटनी (retrenchment) को समाप्त करने लामों की सीमा निर्धारित करने, मूल्यों को स्थिर रखने और समान काय के लिये समान वेतन देने के पक्ष में है।

आर्थिक दृष्टि से जनसभ आत्मनिर्भरता में विश्वास करता है। यह विदेशी सहायता की वृत्ति को समाप्त करना चाहता है। सोवियत सभ पर बढ़ती हुई निर्भरता को यह आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से हानिकारक समझता है। यह मूलभूत उद्योगों, रक्षा उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। यह खानों काय बागान तथा ऐसे ही उद्योगों का भारतीयकरण चाहता है।

जनसभ नये उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस देने की व्यवस्था को राजनीतिज्ञों के हाथों से लेकर स्वायत्त संस्था (autonomous body) के विशेषज्ञों के हाथों में सौंपना चाहता है। जनसभ वर्तमान पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर स्वावलम्बी स्वदेशी योजनाओं पर बल देता है। यह लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहता है। साधन के मामले में यह आत्मनिर्भर होना चाहता है, फालतू दृष्टि योग्य भूमि को भूमिहीन मजदूरों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों और सेवा निवृत्त सैनिकों में वितरित कर देना चाहता है। जनसभ इस बात में विश्वास करता है कि "भूमि उसी की है जो उसको जोतता है।" यह पक्ष

और बीमा योजनाएँ या समर्थक है तथा राशन में घोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का विरोधी है। यह जमाखोरी, मुताफाखोरी व प्रात कठोर दण्ड की व्यवस्था का समर्थक है तथा उचित मूल्यों की दूकानों (Fair Price Shops) का जाल विद्यमान चाहता है।

3 राज्य ढाँचे के प्रति नीति—जन मघ राज्य की वामान मघीय व्यवस्था म परिवर्तन का इच्छुक है। उसकी मायता है कि वामान मघीय व्यवस्था एक प्रा मघ और राज्यों म अनावश्यक प्रतिस्पर्द्धता को जन्म दता है और दूमरी मार राज्य की एकता और सुदृढ़ता पर आघात पहुँचता है। प्रा जन मघ एनामन राज्य का स्थापना के पक्ष म है। वह राज्यों म विधान परिषदा (उच्च-सम्म) को समाप्त कर दना चाहता है। हमरी धारणा है कि राज्यों का पुनगठन मन्कार की सुविधा या दनीय उपयोगिता के आधार पर या केवल भाग के आधार पर न हो बल्कि मभा प्रशासनिक, विवास आदि तवा का ध्यान में रखकर राज्यों का पुनगठन किया जाय।

जन मघ प्रशासन में लाल पीतागती अकुशलता और भ्रष्टाचार का विरोधी है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के निय यह लोकपाल और लोकपुक्तों की स्थापना के पक्ष में है।

4 विदेश एष सुरक्षा नीति—जनमघ की विदेश नीति “प्रबुद्ध स्वाय” (enlightened self interest) पर आधारित है। यह शान्ति और युद्ध के प्रश्न को तथा राष्ट्रा में पारस्परिक सम्बन्धों को शुद्ध राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से धारता है, बोरे ‘आदर्शों’ की दृष्टि से नहीं। यह सत्य है कि जनमघ ने विभाजन को स्वीकार किया और आज भी अखण्ड भारत के स्वप्न देखता है परन्तु इसकी नीति युद्ध लोलुपता या साम्राज्यवादी या “आश्रमक” नहीं बल्कि व्यावहारिकता और परस्परता (reciprocity) पर आधारित है। क्योंकि पाकिस्तान की नीति भारत विरोधी है और भारतीयों के प्रति घृणा पर आधारित है अतः यह पाकिस्तान के प्रति कठोर और दृढनीति अपनाने के पक्ष में है। यही कारण है कि तत्काल और शिमला समझौते में भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के प्रति अपनाई गयी मृदुनीति का विरोधी है। जनसघ कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है। और “आजाद कश्मीर - को वापस लेने का पक्षपाती है। कश्मीर समस्या को यू० एन० ओ० से वापस लेना चाहता है और अनुच्छेद 370 में कश्मीर राज्य को दिये गये विशेष स्तर (status) को समाप्त करना चाहता है। चीन के प्रति भी यह ‘मृदु’ (soft) नीति अपनाने के पक्ष में नहीं और चीन द्वारा हस्तगत की गई भारतीय भूमि को वापस लेना चाहता है।

जनसघ राष्ट्रमण्डल की सदस्यता त्यागने के पक्ष में है और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देगों के साथ सम्बन्ध बढ़ाने के पक्ष में है। यह साम्यवादी रुत पर अधिक निर्भर रहने के पक्ष में नहीं बल्कि अय गैर-साम्यवादी देगों के साथ-सम्बन्धों को

बढ़ाने के पक्ष में है। यह उन अंतर्राष्ट्रीय विवादा में भाग नहीं लेना चाहता जिनका प्रत्यक्ष भारत में सम्बन्ध नहीं।

सुरक्षा के क्षेत्र में जनसभ आत्मनिभरता पर विश्वास करता है, शस्त्रास्त्रों में वह देश को स्वावलम्बी बनाना चाहता है, सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक अस्त्रों से लैस करना चाहता है और अणु शक्ति का विकास कर अणु शस्त्रों के अणुार को निर्मित करना चाहता है।

5 निर्वाचन सम्बन्धी सुधार—जनसभ की मायता है कि वनमात्र निर्वाचन पद्धति दूषित है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार और काले धन का बालबाला होता है। अतः निर्वाचना का स्वतंत्र और निमल बनाने हेतु वह (i) निर्वाचन से पूर्व मन्त्रियों से मन्त्रिपद त्यागने की माग करता है, (ii) सरकारी बाहना के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना चाहता है, (iii) भ्रष्टों की गणना मतदान केन्द्रों के आधार पर कराना चाहता है, (iv) चुनाव आयोग को बहुसंस्थीय संस्था बनाना चाहता है।

निवाचन अपील या अनुगामिता (Electoral Appeal or following)—अन्य विरोधी दला की तुलना में जनसभ की निर्वाचन अपील या अनुगामिता पर्याप्त है। सन् 1957 के प्रथम चुनाव में जनसभ को लोकमतदान (popular vote) का 3 प्रतिशत प्राप्त हुआ। इसे लोकसभा में 3 और राज्य विधान सभाओं में 34 स्थान प्राप्त हुए, सन् 1957 के द्वितीय चुनाव में इसे लोकसभा में 4 और राज्य विधान सभाओं में 46 स्थान प्राप्त हुए सन् 1962 के तीसरे चुनाव में इसे लोकसभा में 14 और राज्य विधान सभाओं में 116 स्थान प्राप्त हुए, सन् 1967 के चौथे चुनाव में इसे लोकसभा में 35 और राज्य विधान सभाओं में 267 स्थान प्राप्त हुए सन् 1971 के निर्वाचन में इसे लोकसभा में 22 स्थान और 1972 के चुनाव में 105 स्थान राज्य विधान सभाओं में प्राप्त हुए। स्पष्ट है कि 1971 के लोकसभा और 1972 के राज्य विधान सभा के चुनावों को छोड़कर जनसभ की लोक अपील का विस्तार हुआ है। सन् 1967 के निर्वाचन के बाद इसे अनेक राज्यों में अन्य दलों के साथ मिल कर सरकार में भाग लेने का अवसर भी मिला। निर्वाचनों में जनसभ ने अनेक दलों के साथ निर्वाचन सम्बन्धी समायोजन (electoral adjustment) भी किया है। हाल ही में जून 1975 के गुजरात चुनावों में, जनसभ ने मगधन कांग्रेस भारतीय लोकदल और संयुक्त समाजवादी दल के साथ निर्वाचन सम्बन्धी समायोजन किया है और जनता मोर्चे की स्थापना की है।

जनसभ एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल है परन्तु इसका प्रभाव क्षेत्र हिन्दी भाषाई राज्यों तक ही सीमित रहा है। यद्यपि चौथे चुनाव के बाद इतने दक्षिणी भारत के राज्यों (अहिन्दी भाषाई राज्यों) में अपना स्थान बढ़ाने का प्रयास किया है परन्तु यहाँ उसे अधिक सफलता या अनुगामिता (following) प्राप्त नहीं हो सकी। अहिन्दी भाषाई क्षेत्र में इसका विकास न होने का एक कारण यह है कि यह हिन्दी का समकक्ष है और अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को राज्यों की सम्पक

नाया बनाना चाहता है। अहिदी भापाई राज्य हिदी साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। अहिदी भापाई क्षेत्रों में अब तक इसे केवल 1 स्थान ही (नागालडम) लोकसभा में प्राप्त हुआ है। हिदी भापाई क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश इसके केन्द्र मान जाते हैं। यद्यपि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली में भी इसकी पर्याप्त अनुशासिता है जैसाकि वी० जी० वर्गाज ने लिखा है कि 'जब तक जनसंघ नवीन आदर्श को प्रस्तुत नहीं करता तब तक यह हिदी क्षेत्रीय दल ही बना रहेगा।'

वर्तमान परिस्थितियों में जनसंघ ने अपने आपको समयानुकूल बनाने का प्रयास किया है। यद्यपि हिदी को सम्पन्न भाषा बनाना चाहता है परन्तु अंग्रेजी के साथ समझौता वृत्ति भी रखता है इसी तरह जनसंघ यद्यपि अत्यधिक राज्यवाद (statism) और समाजवाद का विरोधी है फिर भी इसने मूल और सुरक्षा उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण और विदेशी बाजारों के भारतीयकरण पर बल दिया है। "भारतीयकरण" की इसकी विचारधारा 'हिंदूकरण नहीं बल्कि विघटनकारी प्रवृत्तियाँ का विरोध है, आदि।

क्या भारतीय जनसंघ एक साम्प्रदायिक दल है?—भारतीय जनसंघ पर प्रायः एक आरोप लगाया जाता है कि यह एक साम्प्रदायिक दल है। नेहरू जैसे नेताओं ने भी इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का "अवैध शिशु" (illegitimate child)¹ कह कर निन्दित किया है। वर्तमान कांग्रेसी नेता तो प्रायः इसी आधार पर जनसंघ की आलोचना करते हैं और अल्पमत वाला के समक्ष जनसंघ को इसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। परन्तु जनसंघ पर यह आरोप न केवल सत्य से दूर है बल्कि उसकी नीतियों और उद्देश्यों का सही मूल्यांकन भी नहीं है। यह सत्य है कि जनसंघ भारतीय सभ्यता में विश्वास करता है और उसके आदर्शों और मूल्यों को सुरक्षित रखना चाहता है। परन्तु भारतीय सभ्यता केवल हिंदू सभ्यता नहीं। भारतीय सभ्यता में तो अनेक सभ्यताओं का मिश्रण है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि सभ्यताओं का मिश्रण है। भारतीय सभ्यता को सुरक्षित रखने का अर्थ हिंदू सभ्यता मानना गलत है। दूसरे, यह सत्य है कि इसके प्रमुख नेता हिंदू हैं परन्तु इसकी सदस्यता केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। इसकी सदस्यता सभी जातियों के लिये खुली है। गैर हिंदू भी इसके सदस्य हैं पश्चिमी बंगाल में तो जनसंघ का अध्यक्ष ही मुसलमान है और तमिलनाडु में जनसंघ की स्थापना एक ईसाई द्वारा की गयी है। तीसरे यह सत्य है कि जनसंघ संविधान द्वारा स्थापित धर्म निरपेक्षता को कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति अपनाई गयी तुष्टिकरण की नीति का परिणाम मानता है परन्तु वह साम्प्रदायिकता का प्रचार नहीं करता, धर्म, जाति, भाषा या अन्य किसी एक आधार पर नागरिकों में

1 See Hardgrave Jr Robert L Ibid p 150-151

भिन्नता नहीं चाहता। वह सभी को, बिना किसी भिन्नता के, नागरिकता के समान अधिकार प्रदान करना चाहता है। वह 'हिन्दू राज' नहीं चाहता "भारतीय राज्य" चाहता है। जनसंघ के नेताओं ने अनेक बार अपनी असाम्प्रदायिकता को स्पष्ट किया है। चौधे, जनसंघ "बहुमत" और 'अल्पमत' की बात ही नहीं करता। वह तो भारतीय राष्ट्रीय एगना की बात करता है। पावर्से बलराज मधोक के "भारतीयकरण के सिद्धांत" (Theory of Indianisation) को लेकर कुछ आलोचकों ने जनसंघ को साम्प्रदायिक दल सिद्ध करने की कोशिश की है परन्तु इस सिद्धांत के आधार पर भी उस साम्प्रदायिक नहीं कहा जा सकता। यद्यपि इसमें भारतीय मुसलमानों के भारतीयकरण की ओर संकेत था परन्तु फिर भी यह सिद्धांत हिंदू राज्य की स्थापना की मांग नहीं करता। इसका अर्थ तो यह है कि जो लोग अपने आपको "भारतीय सभ्यता और चिंतन की मुख्य धारा" से पृथक् मानते हैं जिनकी विचारधारा आज भी क्लृप्त है या बहुराष्ट्रीयता पर आधारित है या जिनकी निष्ठा भारत के बाहर है उन्हें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है और किसी भी देश की सुरक्षा, एकता, अखण्डता और स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक तत्व है। इतना ही नहीं, जातीय सहिष्णुता और सद्भावना के लिये भी भारतीय राष्ट्रीयता का विकास आवश्यक है। अटलाबहारी वाजपेयी ने इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा था कि यह धार्मिक, जातीय, भाषाई या अन्य ऐसी ही सकीण और विघटनकारी वफादारियों को राष्ट्रीय वफादारियों (भक्ति) के नीचे रखना चाहता है। छठ, यह सत्य है कि जनसंघ "अखण्ड भारत" की स्थापना चाहता है परन्तु यह न तो युद्ध लोलुप्त है और न ही "आनामक"। यह अपने राजनीतिक उद्देश्यों को सवधानिक साधनों (मतपत्रों) द्वारा ही प्राप्त करना चाहता है। स्पष्ट है कि जनसंघ को साम्प्रदायिक राजनीतिक दल कहना गलत है। यह राष्ट्रीय दल है, जिनके राष्ट्रीय उद्देश्य हैं।

जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Jan Sangh and RSS)—जनसंघ के सम्बन्ध में प्रायः एक प्रश्न यह किया जाता है कि इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से क्या सम्बन्ध है? इसका उत्तर मई 1960 में दीनदयाल उपाध्याय ने इन शब्दों में दिया "दोनों में सवधानिक दृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं। केवल एक सम्बन्ध यह है कि दल के बहुत से सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) तो एक सांस्कृतिक संगठन है जो राजनीति में भाग नहीं लेता।" ¹ स्पष्ट है कि सवधानिक तौर पर जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई सम्बन्ध नहीं परन्तु फिर भी इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसके बहुत से सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के या तो सदस्य रहे हैं या आज भी हैं। कुछ शेष

1 बलराज मधोक ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के नाम से एक पृथक् दल की स्थापना की।

मे तो इस घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण राष्ट्रीय स्वयं सेवक मण्डल को जन की "आन्तरिक कोर" (inner core) भी कहा जाता है और जनमण्डल को राष्ट्रीय स्वयं सेवक मण्डल का 'राजनीतिक पक्ष' (political wing) भी कहा जाता है।

जनसंघ में फूट—भारतीय राजनीतिक दल में जनसंघ अत्यधिक अनुशासित संगठन रहा है परन्तु फिर भी इसमें थोड़े बहुत फूट के तत्व उस समय नजर आयें जब बलराज मधोक को दल विरोधी वक्तव्यों के कारण दल में बाहर निकाल दिया गया। 1972 के निर्वाचन में बुरी तरह पराजित होने के बाद, बलराज मधोक और एम० एल० सोधी जैसे नेताओं ने भगलपुर अधिवेशन में चुनाव में पराभाव (defeat) के विषये जनमण्डल के नेतृत्व को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। जब मधोक को दल में निकाल दिया गया तो उस समय यह अनुमान लगाया जाता था कि दल में पक्ष-त्याग (defection) की समस्या उत्पन्न हो जायगी परन्तु यह समस्या गम्भीर रूप से उत्पन्न नहीं हुई और दल सदस्यों में अनुशासन रखने में सफल हुआ।

5 स्वतन्त्र दल

(The Swatantra Party)

स्वतन्त्र दल की औपचारिक स्थापना अगस्त 1959 में बम्बई में एक सम्मेलन में की गयी। इस सम्मेलन में लोग थे जिन्हें कांग्रेस में घोर दक्षिण-पंथी (rightists) कहा जाता था। सी० राजगोपालाचार्य (राजाजी या सी० आर०), के० एम० मुन्शी, वी० पी० मेनन, एन० जी० रंगा एम० आर० मत्तानी जैसे अनुभवी एवं प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ इसके संस्थापकों में से थे। परन्तु योग्य नेतृत्व के बाद भी स्वतन्त्र दल प्रारम्भिक सफलताओं के बावजूद भारतीय राजनीति में अपना स्थायी स्थान बनाने में असफल रहा है और पिछले कुछ समय से तो यह लोकतान्त्रिक हृदयवादी दलों के साथ इसके विलय की बात भी कही गयी है।

स्वतन्त्र दल एक हृदयवादी, प्रतिनिध्यावादी और अनुदारवादी दल है। जैसाकि पामर ने लिखा है कि "1959 में पहली बार एक एक हृदयवादी दल की स्थापना की गयी जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था" में विश्वास करता है। स्वतन्त्र दल यद्यपि कांग्रेस की समाजवादी नीतियों के विरुद्ध प्रगतिशील, उदारवादी विकल्प के रूप में सामने आया परन्तु इसकी न तो लोक-अनुगामीता है और न ही ग्रामों में इसकी शाखाएँ हैं। इसे तो भूतखूब नरेंगों, सामंता, बड़े बड़े जमींदारों और उद्योगपतियों तथा एकाधिकार-पूजियों का समय ही प्राप्त है। इसे उन लोगों का समय भी प्राप्त है जो उदारवादी में विश्वास करते हैं।

नीतियाँ और उद्देश्य—स्वतन्त्र दल इस बात से इनकार करता है कि उसकी नीतियाँ यथेच्छाचारिता पर आधारित हैं या यथेच्छाचारिता की प्रतिपादन और समर्थन हैं। परन्तु उसका नीतियाँ और उद्देश्य का अच्युत प्रकार इसी एक

मे, यथेच्छाचारिता मे, (laissez faire) अभिव्यक्त किया जा सकता है। स्वतंत्र दल राज्यवाद, समाजवाद और साम्यवाद का घोर विरोधी है। यह आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र मे राज्य का सूनतम हस्तक्षेप चाहता है। यह राज्य को "रात्रि के चौकीदार" के रूप मे स्वीकार तो करता है परन्तु उसके काय क्षेत्र का विस्तार नहीं चाहता। इसका विश्वास है कि राजनीतिक दुराश्यों की जड़ मे मूलत "परमिट-लाइमेस-कोटा" नीति है। उसका कहना है कि राज्य का काय शासन करना है, व्यापार करना नहीं। अतः वह राज्य को उद्योग मे 'सामेदार' के रूप मे स्वीकार नहीं करता बल्कि 'महायक और नियंत्रक' के रूप मे स्वीकार करता है। यह राज्य का इसलिये बनाये रखना नहीं चाहता कि वह निर्जा उद्योग को समाप्त करदे बल्कि उसके अनुप्रकर के रूप मे उसे बनाये रखना चाहता है। जैसाकि राजाजी ने कहा था कि "मेरा दल वस्तुतः मुक्त उद्यम मंच का राजनीतिक प्रक्षेप है।" यही कारण है कि स्वतंत्र दल आर्थिक नियोजन का विरोधी है और नियोजन आयोग को समाप्त कर देना चाहता है।

स्वतन्त्र दल 'खत, परिवार और स्वतन्त्रता' को सुरक्षित रखना चाहता है। वह हर एक के पास सम्पत्ति रखने का समर्थक है। यही कारण है कि वह सर्वधानिक अधिधार को बनाये रखता चाहता है भूमि की हदबंदी और सहकारी खेती (cooperative farming) का विरोधी है। स्वतन्त्र दल का उदय ही वस्तुतः उस समय हुआ जब कांग्रेस ने 1959 के नागपुर अधिवेशन मे सहकारी खेती के प्रस्ताव को पारित किया जो स्वतन्त्र दल की दृष्टि मे "साम्यवाद की ओर शाही सडक है। स्वतन्त्र दल ने 17 वें, 24 वें और 25 वें सर्वधानिक सशोधनी, बैंको के राष्ट्रीयकरण और राजाजी के प्रिवी पम की समाप्ति का विरोध किया है।

स्वतन्त्र दल कांग्रेस और उसकी तथा कथित समाजवादी नीतियाँ का कट्टर विरोधी है। हॉवर्ड एल० अडमैन ने स्वतन्त्र दल को "ऐसे स्थानीय असह्य समूहों की नियंत्रक कम्पनी की मंजा दी है जो केन्द्र मे कांग्रेस का प्रभावपूर्ण विरोध करने के लिये इकट्ठे हुए हैं।" कांग्रेस का पराजित करने के लिये वह किन्हीं और कैसे भी दलों के साथ समझौता करने के लिये तैयार है। जैसाकि राजाजी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस को पराजित करने के लिये व 'शैतान से भी मित्रता करने के लिये तैयार है। स्वतन्त्र दल ने कांग्रेस द्वारा अपनायी गयी आर्थिक नियोजन की नीति को 'नियोजित अवस्था' की मंजा दी है। उसका कहना है कि कांग्रेस की नीतियाँ साम्यवादी कौशल (tactics) से भरपूर हैं। राजाजी का विश्वास था कि कांग्रेस धार्मिक मूल्या को गिरा रही है और "धन तथा सम्पत्ति को अनावश्यक महत्व दे रही है। के एम. मुन्शी ने कहा था कि 'कांग्रेस की मुखतापूर्ण आर्थिक नीतियाँ का पहला गिबार सामान्य व्यक्ति हुआ है उसे मूल आवश्यकताओं में भी वित्त कर दिया गया है। उसे निरन्तर स्वाध मन्त्री का भाषना करना पडता

है खाद्य उत्पादन अनियोजित, यून और अनुमानित रहा है तथा इस पर कम खर्च किया गया है।

स्वतंत्र दल का उद्देश्य गेन में घम की स्थापना ³ परन्तु इसका घम, जसाकि हाइड्रेव जूनियर ने लिखा है "कि हिंदू कट्टरपंथी वाला घम नहीं। यह ता व्यापार समुदाय का घम है।" हावड एल बडमन ने लिखा है कि उनका "अनुदारना-परम्परा को इतना प्रतिबिम्बित नहीं करता जितना कि कांग्रेस के अन्दर पुराने उदारवादियों की स्थिति को अभिव्यक्त करता है।" स्वतंत्र दल 'साम्यवादी समाजवाद' के स्थान पर "गांधीवादी समाजवाद" का समर्थन करता है। अपन उद्देश्यों को स्पष्ट करने हुए स्वतंत्र दल ने 1960 में कहा था कि 'सामाजिक न्याय और कल्याण को तत्कालीन समाजवाद की तकनीक के प्रतिरिक्त अन्य मार्गों का अनुगमन करके भी प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक न्याय और कल्याण को लाने के लिये हिंसा अथवा राज्य द्वारा अशरित वाश्याताओं को प्रयोग में नहीं लाना चाहिये। स्वतंत्र दल व्यक्ति की काम करन की पहचान को नष्ट करना नहीं चाहता। सन् 1969 के मध्यवर्ती चुनावों के बाद स्वतंत्र दल ने अपने कार्य क्रमों में बेरोजगारी को कम करने और शिक्षित बेरोजगारों को काम देने के प्रोग्राम भी शामिल कर लिये हैं।

स्वतंत्र दल की विदेश नीति पूणतया स्पष्ट नहीं यद्यपि 1962 के चीनी आक्रमण के बाद इसका विश्वास है कि असलाभता, पंचशील और सह-प्रस्तित्व की नीति अथहीन हो गयी है। यह भारत को पश्चिमी गुट के साथ मित्रता देना चाहता है ताकि साम्यवादी आक्रमण के समय भारत को पूण मनिक व आर्थिक सहायता प्राप्त होती रहे। जहा साम्यवादी चीन के साथ यह कठोर दृष्टिकोण अपनायन के पक्ष में है वहा यह पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारना चाहता है। इजराइल और फारमोसा के साथ यह कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना चाहता है।

निर्वाचन अनुगामिता—स्वतंत्र दल की निर्वाचन अनुगामिता भिन्न भिन्न निर्वाचनों में भिन्न भिन्न रही है परन्तु इने लोक अनुगामिता का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ। सन् 1962 के निर्वाचन में स्वतंत्र दल को लोकसभा में 22 और राज्य विधान सभाओं में 166 स्थान प्राप्त हुए। सन् 1967 के चुनावों में इसे लोकसभा के 44 और राज्य विधान सभाओं में 255 स्थान प्राप्त हुए। सन् 1971 के चुनावों में इसे लोकसभा में केवल 8 स्थान प्राप्त हुए। यद्यपि इसने जनमध, सिडीकेट (सगठन कांग्रेस) और ससोपा के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया था।

स्वतंत्र दल की अनुगामिता अधिक न होने के अनेक कारण हैं। प्रथम, यद्यपि इसके संस्थापक कट्टरपंथिता और मयूत्स हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे फिर भी इसे और प्रतिक्रियावादी दल अपने में मिलाये हैं। नरहजी ने इसे प्रकार के निहित हिता को दल की नीतियों का

अनुसूचित किया जाय तो भारत का सवनाश हो जायगा।¹ दूसरे, समाजवाद विरोधी विचारधारा होने से इसे ग्रामो में समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। साधारण नागरिक तो इसे भूतपूर्व नरेशों, जमींदारों बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूँजीपतियों की जमात मानता है और इसे प्रतिनिध्यावादी, अनुदारवादी और रूढ़िवादी कह कर निन्दित करता है। तीसरे, कांग्रेस को पराजित करने के लिये इसने किंहीं और कसे भी दलों के साथ समझौता किया है जिससे इसे अवसरवादी भी कहा गया है। कांग्रेस को पराजित करने के लिये राजाजी 'शतान' से भी समझौता करने के लिए तयार थे। चौथे, राष्ट्रीय स्तर पर यद्यपि इसका दृष्टिकोण नम्र, धर्म निरपेक्षतावादी और राष्ट्रवादी रहा है परन्तु राज्य में यह प्रतिनिध्यावादी पिजरे में ही बंद रहा है। उदाहरणतया यदि राजस्थान में जयपुर की महारानी स्वतंत्र दल का नेतृत्व करती है तो बिहार में रामगढ़ के राजा के जनता दल से इसकी साठ गाँवों और उड़ीसा में गणतंत्र परिषद के साथ भी जोकि राजाओं का ही दल है। इस तरह राज्यों में स्वतंत्र दल प्रतिनिध्यावादी तत्वों से ही घिरा रहा है।

6 भारतीय लोक दल

(The Bharatiya Lok Dal or People's Party of India)

29 अगस्त 1974 को दिल्ली में भारतीय राजनीतिक दल विज्ञान (stasiology) में एक नये राजनीतिक दल की स्थापना की गयी जिसे भारतीय लोक दल कहते हैं। इस दल का जन्म सात दलों के विलय से हुआ था। इसमें शामिल होने वाले दल थे चौधरी चरणसिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांति दल, पीलू मोदी के नेतृत्व में स्वतंत्र दल, बोजू पटनायक के नेतृत्व में उत्कल कांग्रेस, बलराज मजोरु के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, चांदराम के नेतृत्व में किसान मजदूर दल, राज नारायण के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल, और बाबा महेन्द्रसिंह के नेतृत्व में पंजाब की खेती बाड़ी जमींदार युनियन।

भारतीय लोक दल के समय यह आशा की जाती थी कि सगठन कांग्रेस और जनसंघ का विलय भी इसमें हो जायगा। यद्यपि इन दोनों दलों की हमदर्दी भारतीय लोकदल से है परन्तु न तो सगठन कांग्रेस और न ही जनसंघ इस दल में शामिल हुआ। गोवा के स्वतंत्र संसद सदस्य धार जनसंघ के दो भूतपूर्व संसद सदस्य मनोहरलाल सोधी और मेजर रणजीतसिंह भारतीय लोकदल में शामिल हो गये। परन्तु सात दलों और इन सदस्यों के मिलने के बाद भी संसद में भारतीय लोकदल के सदस्यों की संख्या 12 से अधिक नहीं हुई, जिसका अर्थ है कुल सदस्य संख्या का सिर्फ 3 प्रतिशत।² भारतीय क्रांति दल के नेता चौधरी चरणसिंह को भारतीय लोकदल का सभापति (chairman) चुना गया। दल ने भारतीय क्रांति दल के झंडे और चिह्न (flag and symbol) को अपने झंडे और चिह्न के रूप

1 Quoted by Palmer, Ibid, p 223

2 देखिये दिनमान, 15 9 1974, प 5

में स्वीकार कर लिया) और ऐसा करना उचित भी था क्योंकि तीन दलों का छोड़कर (भारतीय प्रगतिदल, स्वतंत्र दल और समुक्त समाजवादी दल) बाकी दलों का स्वरूप स्थानीय था।

भारतीय लोक दल के निर्माण के कारण— भारतीय लोकदल के निर्माण के कारणों पर चौधरी चरणसिंह ने अपने मध्यमश्रीय भाषण में कहा कि हम एक भयानक संकट का क्षण में दृष्टिगोचर हुए हैं जबकि देश का हर व्यक्ति पीड़ा, निराशा, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, जोर और जुल्म का शिकार है। उनका कहना था कि 27 वर्षों के स्वशासन के बाद आज देश की प्रतिष्ठा सबसे निचले स्तर पर पहुँच गयी है, बाहरी शक्तियाँ हमारे घाटस्थनी मामलों में हस्तगत कर सकती हैं विध्वंसक या विघटनकारी शक्तियाँ हमारे राष्ट्रीय तंत्र को नष्ट करने पर तुली हुई हैं। राष्ट्रीय हित भुला दिया गया है। ऐसे अवसर पर यदि देश को सही रास्ते पर ले आने के लिए एक राष्ट्रीय विकल्प तैयार नहीं किया जाता तो देश का विनाश अवश्यम्भावी है। अतः विकल्प के उसी स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय लोक दल की स्थापना की है।¹ स्पष्ट है कि भारतीय लोकदल का जन्म सत्ताधारी कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प (national alternative) के रूप में हुआ है।

भारतीय लोकदल के उद्देश्य — भारतीय लोक दल गैर-कांग्रेसी, गैर साम्यवादी विचारों के प्रति समर्पित लोगों का मंच है जिसका विश्वास है कि मात्रात्मकवाद भारतीय समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं। यह 'मध्यम गांधीवादी' (middle Gandhian path) के पक्ष में है और लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्म निरपेक्षता और सामाजिक न्याय के चार सिद्धांतों में, जिन्हें वह चारपाई के चार पाय कहता है, विश्वास करता है।

भारतीय लोक दल की नीतियों और उद्देश्यों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है—

1. आर्थिक एवं सामाजिक नीतियाँ और उद्देश्य—आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भारतीय लोकदल पूँजीवादी और साम्यवाद दोनों को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के सन्दर्भ में अथहीन मानता है। वह गांधीवादी अर्थ व्यवस्था में विश्वास करता है तथा मध्यम गांधीवादी मार्ग (middle Gandhian path) को अपनाना चाहता है। यह ऐसी सामाजिक रचना चाहता है जो मूलतः स्वनिर्वाह (self employment) पर आधारित हो। यह लघु उद्योगों को भारी उद्योगों से संरक्षण देने के पक्ष में है। यह छोटे से उद्योगपतियों द्वारा पुंज उत्पादन (mass production) नहीं चाहता। यह जन समूह (masses) द्वारा उत्पादन चाहता है। पूर्ण राजगार मिलने तक यह इसी नीति को अपनाता चाहता है। यह हर प्रकार की जमाखोरी व्यवस्था का उन्मूलन चाहता है और किसानों का निर्माण करना

चाहता है उह ग्राम ऋण, अच्छे बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई की सुविधायें, कृषि भूमि पर स्वामित्व प्रदान करना चाहता है। संक्षेप में भारतीय लोकदल भारी उद्योगों के स्थान पर कृषि को प्राथमिकता देता है, फिर लघु और कुटीर उद्योगों को और अन्त में भारी और बृहद् उद्योगों पर बल देता है। अर्थात् यह नेहरू नीति को उलट कर, जिसमें बृहद् उद्योगों को प्राथमिकता दी गयी थी, कृषि और लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल देना चाहता है।

भारतीय लोकदल अनावश्यक आर्थिक नियंत्रण में विश्वास नहीं करता, विशेष कर गेहूँ के राष्ट्रीयकरण में इस दल का विश्वास नहीं। यह वेतनों पर आघात कर को समाप्त कर देना चाहता है और अप्रत्यक्ष करों को भी कम करने के पक्ष में है। इसकी धारणा है कि अप्रत्यक्ष कर समाज के निम्न वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

भारतीय लोक दल पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर आधारित सरचना योजनाओं (infra structural plan) पर बल देता है ताकि प्रत्येक राज्य, जिला अपने स्रोतों द्वारा अपनी योजनाओं का निर्माण करे। इससे केन्द्रीय सरकार का आर्थिक बोझ हल्का होगा और वह सामान्य राष्ट्रीय हित के अन्तर्गत प्रश्नों पर जैसे विदेश नीति, सुरक्षा यातायात, राष्ट्रीय एकीकरण, आदि पर अधिक विचार कर सके।

2 सत्ता का विकेंद्रीकरण—भारतीय लोक दल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहता है। यह राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास नहीं करता और एकता की स्वायत्तता की सीमा पर केन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली भी नहीं बनाना चाहता। इसका यह अर्थ नहीं कि दल निबल के द्र के पक्ष में है। यह केन्द्र को तो शक्तिशाली बनाना चाहता है परन्तु राज्य सरकारों को “जिला परिषद्” का स्तर प्रदान करना नहीं चाहता। यह अधिकतर सत्ता को निम्न से निम्न स्तर तक पहुँचाना चाहता है। यह राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में है। यह राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति का नहीं सौंपना चाहता। यह राज्यपाल के स्थान पर विधान सभा को इस बात का निर्धारण करने की सत्ता प्रदान करना चाहता है कि, प्रमुख मंत्रिमण्डल को बहुमत वा समर्थन प्राप्त है या नहीं।

दल आर्थिक सत्ता का भी विकेंद्रीकरण चाहता है और सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधनों का अत्यधिक विकेंद्रीकरण चाहता है।

3 यायपालिका की स्वतंत्रता—भारतीय लोक दल यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के पक्ष में है। यह शीघ्र याय दिलाने के पक्ष में है परन्तु न्यायालय में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं। इसकी धारणा है कि न्यायालय का कानून्य विधान की व्याख्या करना है, कायपालिका की इच्छानुसार नियम देना नहीं।

4 विदेश नीति—विदेश नीति के सम्बन्ध में भारतीय लोक-दल एक स्वतन्त्र, प्रभावशाली, राष्ट्रीय नीति के पक्ष में है। इसकी धारणा है कि गुप्त निरपेक्षता (non alignment) की नीति शीत युद्ध के काल में प्रादुर्भाव हो सकती थी परन्तु आज इसकी उपयोगिता नहीं। दल की धारणा है कि व्यावहारिक धरातल पर गुप्त निरपेक्षता के नाम पर समय-समय पर बड़ी शक्तियों से किये गये गुटबन्धन में परिवर्तन होते रहे हैं। अतः दल महाशक्तियों में शक्ति और शक्ति सहायता लेने के पक्ष में नहीं। दल का यह भी विश्वास है पिछले कुछ वर्षों में (विशेषकर 1971 से) भारत रूस पर अत्यधिक निर्भर करने लग गया है। अतः दल स्वतन्त्र नीति के पक्ष में है, पाकिस्तान सहित, पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों का सुधारने के पक्ष में है, परन्तु खोये हुए क्षेत्रों को वापस लेना चाहता है। दल समाज प्रवर्धन के उपनिवेशवाद—चाहे वह पूँजीवाद के देश (भूषण) में हो या साम्यवाद के देश में हो। दल उप महाद्वीपीय साम्राज्य निर्माण करने के पक्ष में है।

वर्तमान समय में भारतीय लोक-दल सत्ताधारी कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प प्रस्तुत करने में सफल होगा, यह सन्दिग्ध है। जैसा कि ब्रिटेन में साप्ताहिक इकानॉमिस्ट (Economist) ने टिप्पणी करते हुए लिखा था कि “भारत में सत्ता परिवर्तन स्वतन्त्र चुनावों द्वारा सधीय स्तर पर होता दिखाई नहीं पड़ता। वर्तमान सत्ता का विरोध दल में मौजूद है और अतः इस विरोध का एक प्रकार से पुनर्गठन हो रहा है, नयी कंजर्वेटिव (Conservative) पार्टी बनी है जो अपने को सत्ताधारी कांग्रेस का विकल्प बताती है।”

एक दृष्टि से भारतीय लोक दल का उदय वरदान गिद्ध हो सकता है। दलों के विलय की जिस प्रवृत्ति को इसने जन्म दिया है यदि उसका विकास हुआ तो यह भारतीय लोकतान्त्रिक मसदीय प्रणाली के लिये शुभ होगा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर द्वि-पक्षीय प्रणाली के विकास की सम्भावना बढ जायगी। हाल ही में जनसंघ, मगठन कांग्रेस, समाजवादी दल और भारतीय लोक-दल के विलय के जो मुझाव रखे गये हैं वे यद्यपि अभी तक असफल हुए हैं परन्तु ‘फेडरल पार्टी’ का विचार तो सामने आया ही है और हो सकता है कि आगामी चुनावों तक इसको जीवन मिल जाये।

B क्षेत्रीय दल (Regional Parties)—भारतीय राजनीतिक दल विज्ञान (stasiology) की एक विशेषता यह रही है कि इसमें अखिल भारतीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व भी विद्यमान रहा है। क्षेत्रीय दलों के मुख्य उदाहरण हैं द्रमुक (DMK), अकाली दल, मुस्लिम लीग आदि। इन क्षेत्रीय दलों की सजा इमलिये दी जाती है कि इनका प्रभाव क्षेत्र विशेष तक सीमित रहता है। क्योंकि ये जाति, धर्म, भाषा प्रदेश आदि पर आधारित हैं अतः इन्हें साम्प्रदायिक दल भी कहा जाता है। इन आधारों पर क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व इस बात का ध्यातक है कि आज भी भारत में क्षेत्र, जाति, धर्म भाषा आदि की समस्याएँ गम्भीर

है और समय समय पर राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा प्रस्तुत कर देते हैं जिनसे विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है।

अखिल भारतीय दलों की सरया गिनी चुनी है परन्तु क्षेत्रीय दलों की सख्या अत्यधिक है। क्षेत्रीय दलों में केवल वे दल ही नहीं आते जो क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित हैं बल्कि वे तदर्थ (ad hoc) और 'भ्रंशर समूह' (fringe groups) भी शामिल किये जाते हैं जो स्थान, सम्प्रदाय, कबायली क्षेत्र, व्यक्तित्व, या निर्वाचन सम्बन्धी समायोजन (electoral adjustment) पर आधारित हैं। कबायली जातियों पर आधारित क्षेत्रीय दलों के उदाहरण हैं बिहार की भ्रंशर दल पार्टी जिसे आज हल भ्रंशर दल कहते हैं और असम तथा मेघालय की भ्रंशर दल पार्टी हिल लीडर का फ्रंट (APHLC)। कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस असहमतों (dissidents) के दल हैं जस बंगला कांग्रेस, करल कांग्रेस उत्तरकल कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस। प्रगति पार्टी और वी० के० डी० कांग्रेस असहमता की ही पार्टी थी। अन्य उदाहरण ऐसे हैं जैसे जनता पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी लोकतान्त्रिक दल आदि। जो किसी नती के व्यक्तित्व के इत गिद चक्कर वाटते हैं। कुछ मोर्चा फ्रंट आदि का उदय निर्वाचन सम्बन्धी समायोजन (electoral adjustments) के लिये होता है जस गुजरात में जून 1975 के निर्वाचन से पूर्व सगठन कांग्रेस जनसभ भारतीय लोक दल, समाजवादी दल का जनता फ्रंट (Janata front) और निर्वाचन के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। निर्वाचन सम्बन्धी समायोजन पर केवल विरोधी दलों का अधिकार ही नहीं अपितु सत्तारूढ कांग्रेस ने भी साम्यवादी दल और केरल में मुस्लिमलीग से समायोजन किये। अनेक क्षेत्रीय दल सम्प्रदाय पर आधारित है जैसे अकाली दल, हिन्दू महासभा (यह तो अब लोप की स्थिति में है) राम राज्य परिषद्, रिपब्लिकन पार्टी (अनुसूचित जाति सघ—scheduled cast federation)। कुछ क्षेत्रीय दल चरम वामपथी हैं जैसे महाराष्ट्र की पीपेड एण्ड वर्कर पार्टी (Peasants and Workers' Party) जिहे साम्यवादियों से पृथक् करना कठिन है।

क्षेत्रीय दलों में कुछ क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जैसे तमिलनाडु की द्रमुक (DMK) जो अपने क्षेत्र में कांग्रेस से लोहा लेने की स्थिति में है। पंजाब का अकाली दल यद्यपि लोहा लेने की स्थिति में तो नहीं परन्तु पंजाब में यह एक ऐसी शक्ति है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। केरल में मुस्लिमलीग सरकार निर्माण में सहायक है चाहे उसका निर्माण कांग्रेस द्वारा या वामपथी या दक्षिण पश्चिमी द्वारा किया जाय। अन्य क्षेत्रीय दल तो केवल हल्फ (हाईफन—adjunct) मात्र हैं।

1 द्रमुक (DMK)

द्रमुक का पूरा नाम है द्रविड मुनेत्र कषगम (Dravida Munnetra Kazhagam) शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ है तामिल विकास दल। उत्पत्ति की दृष्टि से इसकी जड़े जस्टिस दल (Justice party) और द्रविड कषगम (D K) में देखी

जा सकती हैं अर्थात् द्रमुक द्रविड आन्दोलन की उत्पत्ति है जिसका उच्च मंदारम में ब्राह्मण विरोधी मधुप के रूप में हुआ था। जैसाकि हैरिसन ने लिखा है कि "द्रविड आन्दोलन मूलतः तामिल लोगों का ब्राह्मणों और उत्तरी भारत के आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध सामाजिक विरोध था।"¹

जस्टिस दल, जिसे साउथ इण्डियन लिबरल फेडरेशन भी कहते हैं की स्थापना डा० सी० नातेमा मुदालियार, टी० एम० नायर और पाना ल के राजा सर पी० थ्योगारोया चेट्टी (Sir P. Thejagiroya Chetty) के नेतृत्व में चौथी शतब्दी की दूसरी दशाब्दी में (1917 में) की गयी। इसका उद्देश्य उन गर ब्राह्मण (द्रविडियन) का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास करना था जो निधनता, निरक्षरता और अनभिन्नता में डूबे हुए थे। द्वैध प्रणाली के अंतर्गत यह दल कुछ समय तक मद्रास में सत्तारूढ भी रहा, जब कांग्रेस ने इसे अपस्थ कर दिया। मई 1938 में ई० वी० रामा स्वामी नाइकर, जि हे परिवार (सत या साधु) भी कहा जाता था, जस्टिस दल के अध्यक्ष बने। आंतरिक संकट उत्पन्न होने से परिवार ने जस्टिस दल से सम्बंध विच्छेद कर लिया और 1944 में द्रविड कपगम (DK) की स्थापना की, जिसे द्रविडियन फेडरल (Dravidian federal) भी कहा जाता है। परिवार के प्रमुख लेपटीनेट थे सी एन अन्नादोराई, जि हे प्यार में "अन्ना" (Anna) कहा जाता था।

द्रविड कपगम (DK) एक कठोर मवृत (closed) निरकुश, लोकतंत्र विरोधी संगठन था जो ब्राह्मणों और पुरानिक हिंदूवाद की रीतियों और सत्कारों द्वारा सम्पन्न की जाने वाली क्रियाओं का विरोधी था। इस तरह इसका स्वभाव ब्राह्मण विरोधी, ब्रिटिश विरोधी और धर्म विरोधी था। यह द्रविड परम्परा और तामिल सस्कृति पर बल देता था और राजनीतिक गतिविधियों द्वारा तामिल समुदाय के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये इच्छुक था। इतना ही नहीं, द्रविड कपगम द्रविड स्थान के रूप में स्वतंत्र तामिल राज्य की स्थापना भी चाहता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसने मद्रास, आंध्र, मैसूर, द्रावनकोर, कोचीन राज्यों को मिलाकर एक पृथक द्रविडस्थान की स्थापना की माँग भी की। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु द्रविड कपगम ने अपने आपको अर्द्ध सैनिक संगठन के रूप में पुनर्गठित भी किया और राष्ट्रीय झण्ड और भारतीय संविधान का सम्मान करने से इन्कार दिया।

परिवार के प्रमुख लेपटीनेट सी एन अन्नादोराई को अपने राजनीतिक गुरु की उपयुक्त गतिविधियाँ पसंद नहीं थीं। अन्ना राष्ट्रीय निरकुश और लोकतंत्र विरोधी नीतियों में विश्वास नहीं करते थे। जब परिवार ने अपनी राष्ट्रीय और लोकतंत्र विरोधी नीतियों में परिवर्तन करने में इन्कार कर दिया तो अन्ना ने द्रविड कपगम में मध्यस्थ विच्छेद कर 1949 में द्रमुक (DMK) नाम से एक राजनीतिक दल की स्थापना की।

द्रमुक (DMK) का प्रारम्भिक दृष्टिकोण साम्प्रदायिक था। जैसाकि हाड

1 Harrison India The Most Dangerous Decides pp 122-124

श्रेय ५ लिखा है कि तमिलनाडु में (तामिल) संस्कृति के सामान्य चिह्न का प्रयोग करते हुए, द्रविड़ियों के भूत के गौरव को लजकारते हुए और ब्राह्मणों बनियों और उत्तर के आर्यों द्वारा गैर ब्राह्मणों पर किये गये सामाजिक अत्याचार का महारा लने हुए द्रमुक ने लोगों को आत्म चेतन समुदाय में डालने का प्रयास किया। परन्तु द्रमुक ने शीघ्र ही अपने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को त्याग दिया और मद्रास के निधनों, निरक्षरों और दलित वर्गों के उत्थान का बीड़ा उठाया। समय पा कर इसने अपने सामाजिक आधार को भी चौड़ा कर लिया। द्रमुक में यद्यपि मुत्तलियार (mudaliar) जाति का प्रभुत्व है परन्तु सहयोग के लिये यह सभी वर्गों (ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, दलित वर्गों आदि) से अपील करता है। यद्यपि द्रमुक का कार्यक्षेत्र तमिलनाडु में व्यापक न हो सका परन्तु फिर भी इसकी व्यापक अनुगामीता (large following) है नगरी में निम्न वर्ग, सबहारा निम्न मध्यम वर्ग और बुद्धि जीवी आदि वर्गों का समर्थन इसे प्राप्त है। आज तो यह प्रभावपूर्ण सुसंगठित, सोपानिक संरचना संगठन है। जहाँ द्रविड़ कथन का दृष्टिकोण 'विरोध' और 'साम्प्रदायिक' था वहाँ द्रमुक का दृष्टिकोण प्रादेशिक होत हुए भी व्यापक है या कम से कम विघटनकारी तो नहीं। चीनी आक्रमण के बाद अर्थात् 1963 में द्रमुक (DMK) ने अपने दल के संविधान में परिवर्तन कर द्रविड़स्थान की मांग को त्याग दिया। आज द्रमुक राज्या के लिये अधिक स्वायत्तता की मांग करता है। यह उत्तरी भारत के हिंदी साम्राज्यवाद का भी विरोधी है।

द्रमुक का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया है और प्रत्येक निर्वाचन में इसने अपनी स्थिति का सुधार है। सन् 1952 के निर्वाचनों को इसने लड़ा ही नहीं सन् 1957 के निर्वाचन में इस राज्य विधान सभा में 15 और लोक सभा में 2 स्थान प्राप्त हुए, सन् 1962 के निर्वाचनों में राज्य विधान सभा में यह बड़ा विरोधी दल था। इसे विधान सभा में 50 और लोक सभा में 7 स्थान प्राप्त हुए। सन् 1967 के निर्वाचनों में इसने सब राजनीतिक पण्डितों की भविष्यवाणियों को गलत सिद्ध कर दिया और इसे राज्य विधान सभा के 231 स्थानों में से 138 स्थान प्राप्त हुए। यद्यपि 1967 के निर्वाचनों में कांग्रेस को हर राज्य में कम स्थान प्राप्त हुए थे परन्तु कांग्रेस की जो दुर्गति तमिलनाडु में हुई वह आश्चर्यजनक थी। कांग्रेस को तमिलनाडु में केवल 49 स्थान प्राप्त हुए। द्रमुक के लिये सबसे महत्व की बात यह नहीं थी कि उसे राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ बल्कि यह थी कि इसने लोकसभा के जिन 25 स्थानों के लिये चुनाव लड़ा इसे सभी स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के बाद भारतीय निर्वाचन के इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी दल को उन सभी स्थानों पर विजय प्राप्त हुई जिनके लिये चुनाव लड़ा था। सन् 1971 के निर्वाचन में द्रमुक को राज्य विधानसभा में 234 स्थानों में से 184 स्थान प्राप्त हुए और लोक सभा में 23 स्थान। सन् 1967 से यह तमिलनाडु में सत्ता पर विद्यमान है।

द्रमुक की नीति उग्र जायवाद (radical populism) की है। यह समाजवादी अथवा व्यवस्था में बिस्थापन कागता है। यह वैको घोर परिवहन (transport) का राष्ट्रीयकरण चाहता है तथा भूमि का सुधार कर उसका पुनर्वितरण चाहता है। इन नीतियों का समर्थन करना व कारण हो द्रमुक ने 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार का¹ माध्यमियों के साथ मिलकर समयन विषय घोर उम नाकमभा में गिराने का उपाय किया। मत्र 1971 के निर्वाचन में द्रमुक ने कावेम में कुछ सुविधायें भी प्राप्त की परंतु कावेम द्रमुक धिनोदकान (honeymoon) अव्यवधान तक ही विद्यमान रहा और दोना फिर घसल हो गया।

विद्यल कुछ वर्षों में द्रमुक में कुछ अरों उत्पन्न हो गयी है जिसमें द्रमुक का मुदृढता पर यद्यपि प्रतिबूल प्रभाव ता नहीं डाला परंतु उम पर भ्रष्टता का घात लगाकर उम बरनाम किया है। एम जी रामवर्दन के नेतृत्व में अम्रा मुक (ADMK) की स्थापना भी कर गयी है।

2 शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal)

अकाली दल मुदृढ और हिंदू संगठन है। मिश्र सम्प्रदाय के सम्प्र ही इसका सम्प्र ही सक्ते हैं। हिंदू इसमें शामिल नहीं हो सक्ते। अत यह मुदृढ साम्प्रदायिक संगठन है। इसका वाय क्षेत्र बवल पजाब है और पजाब में भी केवल मिश्र सम्प्रदाय पर इसका अनाधिक प्रभाव है।

अकाली दल सिक्खों का सामाजिक और राजनीतिक संगठन है। इसका उग्र प्रथम महायुद्ध के बाद एक सुधार समूह व रण में हुआ जो गुग्दरों में सुधार लाने का इच्छुक था और उन्हें बट्टर मिश्र सम्प्रदाय के नियंत्रण में लाना चाहता था। सन् 1925 में यह गुग्दरों को एक निर्वाचित समिति, जिसे शिरोमणी गुग्दर प्रबंधक समिति (SGPC) कहते हैं, के नियंत्रण में लाने में सफल हो गया। इसका कार्यालय अमृतसर में स्वर्ण मंदिर (golden temple) में है। अकाली दल के हाथों में गुग्दरों का प्रबंध घाने से उसे महान पेटरोनेज (patronage सरक्षण) की शक्ति ही प्राप्त नहीं हुई बल्कि उनसे उत्पन्न होने वाली अक्षयनिधि (endowment) भी प्राप्त हुई। इसमें अकाली दल की शक्ति पजाब में मुदृढ हो गयी।

लगभग तीन दशकियों तक अकाली दल पर मास्टर तारासिंह का आधिपत्य रहा। जैसाकि बलदेवराज नायर ने लिखा है कि 'सिक्ख, राजनीतिक विश्व में वह एक महामूर्ति की तरह बठा रहा।'² सन 1930 से 1962 तक या तो वह स्वयं

1 सन 1969 में कांग्रेस दल में फूट पड जाने के कारण कांग्रेस के कुछ मस सदस्यों ने इंदिरा गांधी सरकार का समर्थन करना छोड दिया था और वे विरोधी पक्ष में बठने लग गये थे। इन असहमतों (dissidents) को अक संगठन कांग्रेस कहा जाता है।

2 Master Tara Singh bestrode "the Sikh political world like a colossus Quoted by Palmer, Norman, D The Indian Political System Second edn p 236

अकाली दल का अध्यक्ष रहा या उसका कोई आश्रित (protege) या उसके प्रति भक्ति रखने वाला दलीय नेता। सन् 1962 में सत फतेह सिंह व नेतृत्व में एक पृथक अकाली दल की स्थापना हो गयी और इस गुट का प्रभाव अकाली दल पर बिन प्रति दिन बढ़ने लगा। सन 1966 में मास्टर तारा सिंह की मृत्यु हो गयी और 1969 में मध्यवर्ती चुनाव से पूर्व दोनों गुट मिल गये। सन 1972 में सत फतेह सिंह की मृत्यु हो गयी। एक बार गुटों से बशीभूत होने पर अकाली दल गुटबंदी से न बच सना और आज सन्त अकाली दल, मास्टर तारासिंह दल, फेरुमान अकाली दल, गुरुनामसिंह अकाली दल, निरलेपकौर अकाली दल, आदि व हर म इमम अनेक गुट विद्यमान हैं। इन गुटों का विद्यमान होना अकाली नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा का द्योतक है।

अकाली दल के दृष्टिकोण में न भिन्न रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से यह 'पंथ' (सिक्ख धर्म, समूह या समुदाय) का रक्षक है, भाषाई दृष्टिकोण से यह गुरुमुखी लिपि में पंजाबी को पंजाबी की राजभाषा (official language) बनाना चाहता है और सिक्ख राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति अर्थात् राजनीतिक दृष्टिकोण से यह 'सिक्ख स्वदेश' (sikh homeland) अर्थात् सिक्खस्थान (sikhistan) या पंजाबी सूबे की स्थापना चाहता है।

गुरुद्वारों और सिक्ख धर्म की रक्षा हेतु पृथक सिक्ख स्वदेश अर्थात् पृथक राज्य की माँग को मास्टर तारा सिंह ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी प्रस्तुत किया था परन्तु अंग्रेजों ने सिक्खा को इस माँग को स्वीकार नहीं किया। सिक्ख वस्तुतः पाकिस्तान निर्माण के कट्टर विरोधी थे। क्योंकि पाकिस्तान के बनने से पंजाब में उनका बहुमत अल्प मत में रह जाने और सिक्खों की जम भूमि ननकाना¹ के पाकिस्तान में जाने की सम्भावना थी और पाकिस्तान के निर्माण के बाद ठीक यही हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मास्टर तारा सिंह ने सन् 1950 में पंजाबी सूबे के रूप में 'सिक्ख स्वदेश' की माँग को फिर प्रस्तुत किया और 1960 में उसे अर्द्ध मैनिक आंदोलन का रूप दे दिया। जैसाकि बलदेवराज नायर ने लिखा है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अकाली दल ने तीन युद्ध कौशल (strategies) को अपनाया—संवैधानिक, घुस पैठ और आंदोलनात्मक²। सन् 1965 में उस समय स्थिति गम्भीर हो गयी जब मत फतेह सिंह ने सरकार को यह अंतिम चेतावनी (ultimatum) दे दी कि यदि पंजाबी सूबे की माँग को स्वीकार नहीं किया गया तो वे 15 दिन का आमरण उपवास रखेंगे और यदि उस समय तक जीवित रहेंगे

1 ननकाना साहब आज पाकिस्तान का भाग है।

2 See Nayar, Baldev Raj, *Minority Politics in the Punjab*, VI Also see Palmer, *Ibid*, p 236

तो 15 दिन के बाद आत्मदाह (self-immolation) द्वारा अपने शरीर का दान करेंगे। पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ जाने से यद्यपि सत फतेह सिंह ने आत्मदाह क्रिया को त्याग दिया परन्तु सरकार ने युद्ध के बाद पंजाबी सूब की मांग को स्वीकार कर लिया और 1966 में भापा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया तथा हरियाणा और पंजाब के दो राज्या का जन्म हुआ। इस तरह भापाई रूप में अकाली दल को 'सिक्ख स्वदेश' की प्राप्ति हुई जिसकी राज भापा पंजाबी है। परन्तु चण्डीगढ़ के प्रश्न पर अभी भी हरियाणा और पंजाब में मतभेद है। यद्यपि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के पद्म निर्णय (award) ने चण्डीगढ़ पंजाब को द दिया परन्तु पंजाब इसके लिये फाजिलका से हाथ धोना नहीं चाहता।

अकाली दल के पास कोई निश्चित आर्थिक या सामाजिक कार्यक्रम नहीं। इसकी नीति व्यवस्थावादिता की रही है। यही कारण है कि आरम्भ से राजनीति में भाग लेने के बाद भी इसकी निर्वाचन अपील (electoral appeal) उतनी नहीं जितनी की तमिलनाडु में द्रमुक (DMK) की है। यह तो सिक्खों की निष्ठा का भी दावा नहीं कर सकता। सन् 1967 तक पंजाब की राजनीति पर कांग्रेस दल छाया रहा और 1972 में फिर कांग्रेस दल की सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा। अकाली दल को 1962 के निर्वाचनों में कुल मतों के 119 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए। पंजाबी भापाई क्षेत्र में भी जहाँ सिक्खों की जनसंख्या 55 प्रतिशत थी वहाँ भी इस 20 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए अर्थात् इसे सिक्खा के 40 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि 1967 के निर्वाचन में पंजाब विधान सभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था अतः अकाली दल ने दूसरे दला के साथ मिलकर गुरुनाम सिंह के नेतृत्व में समुक्त सरकार का निर्माण किया परन्तु यह सरकार गुटबंदी व वीरभूत होने पर अकाली नेतृत्व की निजी महत्वकाशियों के कारण टिकाऊ न रह सकी। सन् 1969 के मध्यावर्ती चुनाव में अकाली दल के दोना गूटो (सन्त फतेह सिंह का अकाली दल और मास्टर तारासिंह का अकाली दल) को पहले से अधिक स्थान प्राप्त हुए। दूसरे दला के साथ मिलकर गुरुनाम सिंह के नेतृत्व में फिर समुक्त सरकार का निर्माण किया गया परन्तु यह सरकार भी टिकाऊ न रह सकी। सन् 1970 में प्रकाशसिंह बादल के नेतृत्व में फिर अकाली दल ने समुक्त सरकार का निर्माण किया परन्तु यह भी अल्पकाल तक जीवित रह सकी। सन् 1972 के निर्वाचन में अकाली दल को कांग्रेस के हाथों पराजय का मुह देखना पड़ा।

समीक्षा-प्रश्न

(Review Questions)

- 1 भारत में दलीय व्यवस्था के स्वरूप की व्याख्या कीजिय।
- 2 भारत में दलीय प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिय। विरोधी दलों की भारतीय राजनीति में क्या भूमिका रही है ?

- 3 एक राजनीतिक दल की प्रधानता से आपका क्या तात्पर्य है ? भारतीय सन्दर्भ में उगकी उपयोगिता और सीमाओं पर प्रकाश डालिये ।
- 4 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों, नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिये ।
- 5 "विपक्ष बुरी तरह विभक्त है ।" यही तथ्य भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली और मसदात्मक लोकतंत्र को वास्तविक चुनौती प्रदान करता है । क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? कारण लिखिये ।
- 6 1969 के कांग्रेस विभाजन के क्या कारण थे ? क्या यह दलीय संगठन और दलीय शासन के भेदों का परिणाम था या कि नेतृत्व और सिद्धांत का प्रश्न था ।
- 7 भारत में प्रमुख राजनीतिक दलों की नीतियाँ और कार्यक्रमों की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिये ।
- 8 'दल विहीन' शासन से आप क्या समझते हैं ? क्या दलीय प्रणाली के दोषों का यह सही विकल्प है ?
- 9 क्षेत्रीय दलों से आप क्या समझते हैं ? क्या क्षेत्रीय दल भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में बाधक हैं ? किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये ।



दबाव समूह (The Pressure Groups)

परिचय (Introduction)

कोई भी राजनीतिक प्रणाली इस बात का दावा नहीं कर सकती कि वह किसी समाज में विद्यमान सभी हितों का प्रतिनिधित्व करती है। समाज की किसी भी मांग के प्रति उसकी त्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि उस मांग के प्रति कितना और किस समूह का समर्थन या दबाव है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली की तो प्रमुख विशेषता ही यह रही है कि यह मांग की वैयता या औचित्य से उतना प्रभावित नहीं हुई जितना कि जन आन्दोलन के उप साधना जैसे जन रेलिया, महान् प्रदर्शनो सब व्यापी हड़ताल, बंदों धरनाप्रो आदि से प्रभावित हुई है अर्थात् यह प्रणाली इस बात में अधिक प्रभावित हुई है कि 'किसी मांग के समर्थकों में अव्यवस्था फलान में कितनी क्षमता है। इस तत्व व प्रभाव को राष्ट्रीय, राज्यीय, स्थानीय सभी स्तरों पर उठने वाली मांगों के प्रति अपनाये गये दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। प्रश्न चाहे राज्यों के पुनगठन का हो या सांख्यिक उद्योगों की स्थापना का हो या श्रमिक मणों, राज्य कमचारियों या विद्यापिया का हो सभी में यही नीति काय करती है। जैसाकि मायरन वीनर ने लिखा है कि किसी मांग को इस लिये स्वीकार नहीं किया जाता कि वह उचित है, बल्कि हमलिये स्वीकार किया जाता है कि जो समूह उमकी मांग कर रहा है उमक पीछे कितनी शक्ति है और वह कितना विनाग करने की क्षमता रखता है। विंगाल परन्तु गतिमय समूहों की मांगों के प्रति सरकार प्रायः अग्रियाणील रही है जबकि उन समूहों की मांगों के प्रति पूर्ण रियायतें दे दी गयी जिन्होंने अपनी मांगों को हिंसक ढंग से मनवान के लिये उन पर दबाव डाला।'¹

अथ उद्देश्य एवपरिभाषा

सोवतांत्रिक, सभ्य और औद्योगिक समाजों में जहा रक्त न भाषण, अतिव्यक्ति और मध तथा समूह बनाने की आगा होती है तथा नागरिक अपनी गिवायता को दूर कराने के लिये याचिका (Petition) प्रस्तुत कर सकते हैं वहाँ भिन्न भिन्न समुदाय और वग विद्यमान होते हैं। मतदाता धन हितों की अभिव्यक्ति के लिये

1 Weiner, Myron The Politics of scarcity P 201

प्रायः दो प्रकार के सगठनों का प्रयोग करते हैं जिन्हें राजनीतिक शब्दावली में दबाव समूह और राजनीतिक दल कहा जाता है। दबाव समूह मतदाताओं के विनियमित हितों (Special interests) औद्योगिक, व्यावसायिक, प्राथमिक वृत्त, धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक आदि को अभिव्यक्त करने के साधन प्रदान करते हैं। परंतु राजनीतिक दल सामान्य हितों (general interest) को अभिव्यक्त करने के साधन प्रदान करते हैं। दबाव समूह अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही सम्बन्धित होते हैं। वे न तो सभी नागरिकों के सामान्य हितों को अभिव्यक्त करते हैं और न ही उन्हें अभिव्यक्त करने का दावा करते हैं। इस दृष्टि में उनके उद्देश्य सीमित, सकील और विशेष प्रश्न या समस्या तक ही केन्द्रित होते हैं। वे राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना नहीं चाहते न ही मतदाताओं की स्वीकृति या प्रसवीकृति के लिये निर्वाचन में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। उनका कोई राजनीतिक प्रोग्राम या नीतियां नहीं होती। वे निर्णय नहीं लेते बल्कि निर्णय लेने वाला प्रक्रियाओं सावजनिक पदाधिकारियों, विधायकों तथा सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने का काम करते हैं। वे व्यक्तिगत सम्पर्क, मनोरंजन के साधनों (भोजन, मद्यपान, कामुक स्त्रियों का प्रयोग आदि) विदेशी यात्रा का लानच, धूम या प्रत्यक्षतया जनमत द्वारा उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि वे अनुसूचित निर्णय या विधान के पक्ष या विपक्ष में निर्णय ले या मतदान करें। इस तरह दबाव समूह दबाव द्वारा अपने समूह के सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं तथा सावजनिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरणतया दबाव समूह अपने समूह के सदस्यों के लिये अनुसूचितियां (licences) प्राप्त करते हैं, करों को लगाने या न लगाने में निलचस्पी लेते हैं, सरकारी सहायता, सुरक्षा और सुविधा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तथा किसी अनुसूचित विधेयक को पास करवाने या न करवाने में हिस्सा लेते हैं आदि। संक्षेप में वर्तमान समय में तो विधि निर्माण वस्तुतः हितों, व्यक्तियों और सत्ताओं द्वारा प्रस्तुत विचारों को मिलान और समायाजित करने की प्रक्रिया है।

सहयोग और साधियों के साथ मिल कर काम करना मानव का स्वाभाविक गुण है अतः सामान्य हित रखने वाले व्यक्ति एकत्रित हो कर काम करते हैं। क्योंकि राज्यों के कार्यों की प्रकृति निर्व्यक्तिक (impersonal) होती है अतः सामान्य हित वाले अपने आपको सघ या समूहों में गठित कर लेते हैं। यही कारण है कि समाज में अनेक प्रकार के समूह या सघ उत्पन्न हो जाते हैं जैसे कृषक, मजदूर, औद्योगिक मजदूर, मालिक, भूपतियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, डाक्टरों, इंजीनियरों, सरकारी कर्मचारियों आदि। ये सभी सघ या समूह स्वेच्छिक होते हैं परंतु, इनका क्षेत्र एक उद्योग, कार्यालय प्रशासनिक विभाग, प्रांत, राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। संचार और आवागमन के साधनों के विकास और लोकतांत्रिक प्रणाली के विद्यमान होने से ये समूह आधुनिक जीवन के अभिन्न अंग बन गये हैं। जैसा कि कोरी और अब्राहम ने लिखा है कि एक रसायनवत् समूह जीवन

(Spontaneous group life) प्रारम्भ ही चुका है जिसका इतिहास में कोई सानो नहीं है।¹

दबाव समूह राजनीतिक दलों के प्रतिद्वन्द्वी नहीं बल्कि पूरक हैं। दबाव समूह ही राजनीतिक दलों को विशेष हितों की उपेक्षा करने से होकते हैं और उम समायोजन (accommodate) की नीति अपनाते के लिये बाध्य करत हैं। वान जे० फ्रेडरिक ने ठीक लिखा है कि दबाव समूह ही 'दलों के पीछे सक्रिय जन होते हैं।'² (the living public behind the parties) संगठित समूहों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वी० ओ० की० ने लिखा है कि "स्पष्टतया संगठित समूह अर्थाई या बुराई के लिये राजनीतिक प्रणाली में प्रतिनिधित्व का काम करते हैं संगठित समूह भौगोलिक प्रतिनिधित्व के पूरक हैं।"³

दबाव समूहों की अपनी कोई ठास नीति या कार्यक्रम नहीं होता। वे तो विशेष मामले (special issue) से ही सम्बन्धित होते हैं। परन्तु फिर भी वे "शक्ति संगठन" होते हैं और अपने सदस्यों के हितों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निरन्तर सक्रिय रहते हैं। ये स्वयं द्वारा संचालित या प्रशासित साधना के माध्यम से पत्रिकाएँ, रेडियो टेलीविजन आदि साधना से या भीषे निजी सम्पर्क द्वारा, धन राशि या अन्य साधना के प्रयोग द्वारा, अपने दावों को प्रस्तुत करते हैं एवं उनके पक्ष में समर्थन प्राप्त करते हैं।

दबाव समूहों का प्रभाव बहु-दलीय प्रणाली की अपेक्षा द्वि-दलीय प्रणाली में प्रत्यधिक होता है। इसका कारण यह कि बहु-दलीय पद्धति में दलों का स्वयं का आधार इतना प्रास्य और स्थानीय होता है कि वे स्वयं ही दबाव समूह लगते हैं।

परिभाषा—हितबद्ध गुटों या दबाव समूहों की अनेक परिभाषाएँ दी गयी हैं जिनमें प्रमुख निम्न हैं —

1 मायरन थोजर के शब्दों में हित या दबाव समूह ऐसा स्वेच्छित संगठित समूह है जो प्रशासनिक ढाँचे से बाहर हो और जो सरकारी कर्मचारियों के नामांकन अथवा नियुक्ति को, सार्वजनिक नीतियों को अपनाने जाने को उनके प्रशासन और निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास करता है।¹

2 ओट्टो गार्ड के शब्दों में 'दबाव समूह एक सामान्य उद्देश्य एवं स्वार्थ हो और जो पटनामा के क्रम को,

1 Corry and Abraham Elements of Democratic Government, p 346

2 Friedrich Carl J Constitutional Government and Democracy p 460

3 Key V O Politics Parties and Pressure groups p 158-159

विशेष रूप से सावजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिये प्रभावित करने का प्रयत्न करें कि उनके अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि करें।”

3 डविड ट्रुमेन के शब्दों में “हितवद्ध गुट सहभाजित अभिवृत्ति गुट (shared attitude group) है जो समाज के अन्य गुटों पर कतिपय दाव प्रस्तुत करता है। जब कभी यह गुट शासन की सस्थाओं पर या उनके माध्यम से दाव प्रस्तुत करता है तो उसे राजनीतिक हितवद्ध गुट कहते हैं।”¹

4 मकाइवर के शब्दों में “दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों का जोड़ है जो दबाव के दाव पेशों का प्रयोग करता है।”²

5 जेगलर के शब्दों में “दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का संगठित जोड़ है जो औपचारिक सरकारी पदों पर अपने समूह के सदस्यों को बिठाये बिना सरकारी निर्णयों के आशयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस परिभाषा का आशय यह है कि यह व्यक्तियों का जोड़ है जो सचेत इकट्ठे हुए हैं, जो अपनी शक्ति को सम्मिलित करते हैं, संगठित नीति के प्रश्नों पर परामर्श करते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करते हैं।”³

हितवद्ध गुट—दबाव समूह—लॉबी—(Interest Group—Pressure Group—Lobby)—

हितवद्ध गुट, दबाव समूह और लाबी तीनों का मूल उद्देश्य अपने समूह के हितों की पूर्ति करना है। फिर भी इनमें कुछ सूक्ष्म भेद पाये जाते हैं जिन्हें अध्ययन की दृष्टि से समझ लेना आवश्यक है। रोसिटर ने इनके भेदों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है समूह को हम “हितवद्ध गुट तब कहते हैं जब हम अपने आपको ‘नदानिक’ (रोगी) समझते हैं, जब हम अपने आपको ‘सकटमय’ समझते हैं तो वह समूह दबाव समूह बन जाता है और जब हम उन्हें राजधानियां में कार्य करते देखते हैं तो वह लॉबी का रूप धारण कर लेता है।”⁴ दूसरे शब्दों में जब सामान्य हित वाले व्यक्ति संगठित हो जाते हैं और अपने विशेष वर्ग के हितों की सिद्धि के लिये प्रयत्नशील रहते हैं तो उन्हें हितवद्ध समूह (गुट) कहते हैं जब ये संगठित हितवद्ध गुट विधायक

- 1 Truman, David The Government Process, Quoted by George S Blair in his Americans legislatures Structure & Process p 228
- 2 MacIver Robert M Social Pressures Encyclopedia of the Social Sciences, vol XII, p 347
- 3 Zeigler Harmon Interest groups in American Society, p 30 Quoted by Blair, Ibid, p 282
- 4 “We call them ‘interest groups’ when we are feeling clinical ‘pressure groups’ when we are feeling critical and ‘lobbies’ when we are watching them at work in our legislative courts” Rossiter Clinton Parties & Politics in America p 21 Quoted by Blair, Ibid p 280

प्रशामनिक अधिकारियों या अन्य निरुपय लेने वाले अधिकारियों पर दबाव या प्रभाव डालते हैं तो उन्हें दबाव समूह कहते हैं और जब दबाव समूहों के समर्थक व्यक्ति अभिकर्ता या वग विधान सभा के गोष्ठी कक्ष (Lobby) में विधायकों पर यह प्रभाव डालते हैं कि वे किसी विधेयक या नीति के पक्ष या विपक्ष में मतदान करें तो उसे लांबी कहते हैं। इस तरह दबाव समूह लांबी नहीं। दबाव समूह की गति विधिया लांबी से व्यापक और विशाल होती हैं जबकि लांबिस्ट की गतिविधियाँ सीमित होती हैं। जहाँ दबाव समूह विधायकों और जनहित गणों को प्रभावित करने का प्रयास करता है वहाँ लांबी या लांबिस्ट केवल विधान मण्डल या विधायकों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। लांबी तभी फ़िराशील होती है जब विधान मण्डल के अधिवेशन हो रहे होते हैं और जब वे किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में दिलचस्पी रखते हैं। अधिकांश दबाव समूह राजधानियों में अपनी लांबियों को बनाये रखते हैं। अमरीका में "चीनी लामो" और 'कृषि लांबी' तो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। दबाव समूहों के अनेक उदाहरण हैं जैसे अमरीका में उत्पादकों का राष्ट्रीय समूह (National Association of Manufacturers of America), अमरीकन महाजनो का सघ (American Banker Association) अमेरिकन श्रमिक सघ (American Federation of Labour), अमरीकन लीजन (American Legion), अमरीकन रेल रोड समुदाय (The Association of American Railroad) आदि, ब्रिटेन में राष्ट्रीय कृषक सघ (National Farmers Union), फैबियन समाज (The Fabian Society) आदि, भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) फ़ेडरेशन ऑफ इण्डियन चम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (FICCI), अखिल भारतीय कारखानेदारों का मगठन अखिल भारतीय रेलवे मेटल पोलिसियन, अखिल भारतीय पोस्टल एण्ड टेलीग्राफ़ यूनियन, फोरम ऑफ फ्री इंटरप्राइज (Forum of free Enterprise), आदि

✓ दबाव समूह और राजनीतिक दल—भिन्नताएँ—(Pressure Groups and Political Parties—Differences)—दबाव समूहों और राजनीतिक प्रक्रिया के क्षेत्र में पर्याप्त समानता है क्योंकि दोनों मूलतः नीतियों की कार्यान्विति से सम्बन्धित हैं परन्तु दोनों के उद्देश्यों और कार्य क्षेत्रों में अत्यधिक भिन्नता है। दोनों की भिन्नताओं को निम्न बिन्दुओं द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है —

1. दबाव समूह शासन सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। वे पदा को प्राप्त करना नहीं चाहते और न ही अपने सदस्यों को पद दिलाने की इच्छा रखते हैं। वे तो विधायकों, निर्वाचित पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर दबाव डाल कर सावजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दल शासन सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने

दल के सदस्यों को सावजनिक पद दिलाने के इच्छुक होते हैं। शासन सत्ता को प्राप्त कर वे सावजनिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करते एवं कार्यान्वित करवाते हैं।

2 दबाव समूह निर्वाचना में अपने प्रत्याशियों को उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं करते, वे निर्वाचन में कोई प्रोग्राम या नीतियों की घोषणा नहीं करते, यद्यपि वे दलों द्वारा निर्वाचना में खड़े किये गये प्रत्याशियों के चयन में दिलवस्पी रखते हैं और उनके चुनाव प्रचार में वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता दे सकते हैं। दूसरे राजनीतिक दल निर्वाचनों में माध्यम से ही शासन सत्ता को प्राप्त करते हैं चुनाव में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं तथा जिताने का प्रयास करते हैं। चुनाव में वे अपने कार्यक्रम की घोषणा भी करते हैं।

3 दबाव समूह उन्हीं व्यक्तियों का समूह है जिनका विशेष विषय या मसले पर समान हित और दृष्टिकोण एक सा होता है अर्थात् विचारधारा को दृष्टि से दबाव समूह अर्थात् संयुक्त और सजातीय समूह (ग्रुट) होता है। दबाव समूह में विचारों को जितनी अधिक सगति (consistency) होगी दबाव समूह राजनीतिक दृष्टि से उतना अधिक प्रभावी होता है। दूसरी ओर राजनीतिक दल का आधार और उद्देश्य व्यापक होता है वह किसी विशिष्ट विषय या मसले से सम्बंधित नहीं होता बल्कि सावजनिक अर्थात् सामान्य उद्देश्यों सम्बंधित होता है। दलों का प्रभाव उनके व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आधार पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से दलों का कार्य क्षेत्र बहुरूपी होता है।

4 दबाव समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी है (Over lapping) एक व्यक्ति एक समय पर उतने ही दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है जितने कि उसके हित हैं। उदाहरणतया एक व्यक्ति एक समय पर पितृ समूहों (Parent groups), उपभोक्ता समूहों या सघों (Consumer s groups or Associations), मुहल्ला सघों, शिक्षक सघों आदि का सदस्य हो सकता है। यही कारण है कि दबाव समूह के सदस्यों की अपने समूह के प्रति भक्ति विभाजित ही नहीं होती बल्कि उपक्षित भी हो सकती है। इस तरह से दबाव समूह एक ढीला संगठन है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों की सदस्यता अनन्य (exclusive) होती है। कोई व्यक्ति एक समय पर एक ही दल का सदस्य हो सकता है। यही कारण है कि अपने दल के प्रति सदस्यों की भक्ति एकाग्र होती है चाहे दल के सदस्य दल की किसी नीति से सहमत हो या न हो। दलीय अनुशासन या निर्देशन की उपेक्षा उस सदस्य के लिये राजनीतिक मृत्यु (political death) का निमित्त हो सकती है। इस दृष्टि से दल का एक सुदृढ़ संगठन है।

दबाव समूह और राजनीतिक दल—एक दूसरे के पूरक के रूप में
(Pressure Groups and Political Parties—Supplement each other)

दबाव समूह और राजनीतिक दलों में उपयुक्त भिन्नताओं के बावजूद भी वे एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सहायक हैं एक दूसरे के शत्रु नहीं मित्र हैं जहाँ

एक विशेष हितों की रक्षा कर समाज की सेवा करता है (यह आवश्यक नहीं होता कि विशेष हित समाज सावजनिक हित के विरोधी होते हैं, विशेष हित भी समाज के एक भाग के हितों की पूर्ति करने हैं) यह सावजनिक हितों पर बल दूर उन्हें (विशेष हितों को) उनमें पाप (सावजनिक हितों के) माथ गमजित करने का प्रयास करता है दबाव समूह ही राजनीतिक मांगों को स्पष्ट और समुक्त करते हैं, सौदागरी द्वारा या तार्किक ढंग से दूसरे समूहों का समयन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और राजनीतिक सेवा में लगे व्यक्तियों तथा सावजनिक नीति निर्माण और प्रियाचयन की विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रभावित करके इन मांगों को अधिकारिक सावजनिक नीति में बदलने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर, राजनीतिक दला या यह प्रयास रहता है कि वचारिक और मद्दातिक कठोरता में समुचित लचीलापन रखते हुए एक सामुक्तिक भावना कायम कर और अधिकारिक हित समूहों को एक विनाल और समुक्त रूप देने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में दल व्यवस्था की स्थिति मध्यम्यता की होनी है जो हित समूह व्यवस्था और अधिकारिक नीति निर्माण अभिकरणों में मध्यम मांग अपनाती है। जहाँ दल व्यवस्था दबाव समूहों के विघटनकारी और सकीण हितों से सावजनिक हितों की रक्षा करती है वहाँ वह विभिन्न हितों को समुक्त कर उन्हें सावजनिक रूप देने का प्रयास करती है। यही कारण है कि दल व्यवस्था और समूह व्यवस्था मिलकर ऐसे विधानों का निर्माण करती हैं जो विशेष और सामान्य दोनों हितों की रक्षा कर सके। यह दोनों व्यवस्थाएँ मिल कर समाज में असंतोष को दूर कर मतुलन बनाये रखने का प्रयास करती हैं।

एक दृष्टि में तो दबाव समूह द्वि मार्गीय सन्तुलन (Two way balances) का काय करते हैं। एक ओर वे जन इच्छा को विधायक या प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचा कर उनके नियमों की जन इच्छा के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं दूसरी ओर वे प्रशासन की नीतियों और दृष्टिकोणों को जनता तक पहुँचा कर उसे शांत करने का प्रयास करते हैं।

हितबद्ध समूहों का वर्गीकरण तथा प्रभाव शक्ति

(Classification of Interest Groups and their power of influence)

दबाव समूहों का वर्गीकरण करना कठिन है। वस्तुतः यह समय, परिस्थिति आवश्यकता और हितों पर निर्भर करते हैं। समाज में जितने अधिक हित होंगे उतने ही अधिक दबाव समूह होंगे। यह समाज के औद्योगिकरण और विकास पर निर्भर करता है, शासन प्रणाली के स्वरूप और आकार पर निर्भर करते हैं। कुछ दबाव समूह स्थायी और अस्थायी हो सकते हैं कुछ मगठित और असंगठित हो सकते हैं कुछ आकार में छोटे और कुछ बड़े हो सकते हैं कुछ व्यावसायिक कुछ वर्गीय कुछ धार्मिक कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक कुछ उपभोक्ता कुछ कृषक कुछ औद्योगिक कुछ श्रमिक कुछ विद्यार्थियों कुछ साम्प्रदायिक कुछ सांस्कृतिक आदि से सम्बन्धित हो सकते हैं।

कुछ ऐसे दबाव समूह भी हो सकते हैं, जैसे भारत में गांधीवादी संगठन, जो केवल विचारधारा से सम्बन्धित हो।

प्रत्येक दबाव समूह का प्रभाव अनेक कारणों पर निर्भर करता है जैसे समूह के पास धन की मात्रा, उसके सदस्यों की संख्या, उसके सदस्यों में संयोग शीलता (Cohesiveness) की मात्रा और सामाजिक प्रणाली के प्रति उसका बहाव। इन कारणों के अतिरिक्त अनेक कारण भी ऐसे हैं जो दबाव समूह की प्रभाव शक्ति को निर्धारित करने हैं। इनमें प्रमुख कारण निम्न हैं —

- 1 समूह का जीवन काल (age) और सामाजिक स्तर।
- 2 समूह के नेतृत्व की योग्यता, सुदृढता और नेतृत्व।
- 3 समूह का विशेष ज्ञान।
- 4 लॉबींग के समय समर्थक या अभिकर्ताओं की योग्यता और युशलता।
- 5 आन्तरिक सम्बन्ध।
- 6 हित की तीव्रता।
- 7 धन को व्यय करने की इच्छा और क्षमता।

कोई भी दबाव समूह अपने प्रभाव में तभी सफल हो सकता है जब वह उपयुक्त सभी कारणों का अनुकूल प्रयोग करने की क्षमता रखता है।

हितबद्ध समूहों द्वारा अपनाई जाने वाली युक्तियाँ (Tactics employed by Interest Groups)

हितबद्ध समूह (ग्रुप) अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अनेक प्रकार की युक्तियों (tactics) का प्रयोग करते हैं। इनमें प्रमुख निम्न हैं —

1 विधायकों का मनोरंजन—विधायकों के मनोरंजन के लिये हितबद्ध समूह अनेक प्रकार की दावता भोजनों, नाइट क्लबों, आदि का आयोजन करते हैं। इनके अतिरिक्त वे उन्हें अनेक प्रकार की सुविधायें प्रदान करते हैं जैसे विदेश यात्रा का आश्वासन, उच्च जीवन तथा अनेक प्रकार के तोफे तरफदारियाँ आदि।

2 दलों के मंच को प्रभावित करना—दबाव समूह अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिये विशेष प्रकार के दशन का समर्थन करते हैं। अतः जब दल निर्वाचनों के लिये अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं तो दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का चयन कराते हैं जो उनके हितों के समर्थक हैं या उनके हितों से हमदर्दी रखते हैं। इसके बदले दबाव समूह प्रत्याशियों के चुनाव खर्च में आर्थिक सहायता और चुनाव प्रचार का आश्वासन देते हैं। यह भी हो सकता है कि जिद्दी विधायकों के विरुद्ध कानून कायदों का प्रयोग करें।

3 धूस द्वारा विधायकों को खरीदना—विधायकों को अपने हितों के पक्ष में करने के लिये दबाव समूह सभी प्रकार के कायदे बाम में लाते हैं। इसके लिये वह हर प्रकार की धूस (स्त्री, शराब, धन) का प्रयोग करते हैं। अमेरिका में यह प्रथा

“माई वेस्ट बिल्स” (Mae west bills or come up and see me sometime) के नाम से प्रसिद्ध है।

4 **घास-तरकीका (Grass root Method)**—इस युक्ति द्वारा नबाव समूह अपने हिता की पूर्ति के लिये सावजनिक जनता का समयन प्राप्त कर विचारों का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसके लिये भी व हर प्रकार व जन-साधन (Mass media) को—पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, टी० वी० आदि प्रयोग में लाते हैं।

5 **असाधारण एव अनसनी फलाने वाले तरीके (Unusual or Sensational techniques)**—इन तरीकों को वाधा प्रस्तुत करने वाले या दुसदाई तरीके भी कहा जा सकता है। कीरु (Keefe) इन्हें “विचित्र लॉडिंग” (Bizarre lo bying)¹ की संज्ञा देता है। यह तरीका उन दंगर समूहों द्वारा अपनाया जाता है जो किसी उद्योग, कार्यालय या प्रतिष्ठान (concern) द्वारा छद्मी नियम वमचारियों या अधिकारियों द्वारा निमित्त किये जाने हैं और जो विधायका का ध्यान उनकी समस्या का प्रति प्रभावित करने के लिए उद्योग, कार्यालय, प्रतिष्ठान या सार्वजनिक मागों की नाका बंदी करते हैं।

6 **न्यायालय**—दबाव समूह जब उपर्युक्त साधनों द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो अपने हितों की रक्षा हेतु न्यायालय का गरण करते हैं अर्थात् न्यायालय में वाचिका प्रस्तुत कर अपने पक्ष में नियुक्त होते हैं। उदाहरणतया भारत में जब 1970 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो बैंकों के प्रबंधकों ने अपने हिता की रक्षा हेतु मूल अधिकारों का सहारा लेते हुए न्यायालय से अपने पक्ष में नियुक्त ले लिया।

दबाव समूहों का मूल्यांकन—गुण-दोष

दबाव समूहों को प्रायः हेय दृष्टि से देखा जाता है। उनका प्रति सामाज्य दृष्टिकोण ‘शत्रुता’ (hostility) का है। उन्हें एसी पाप आत्माएँ समझा जाता है जो सावजनिक अनैतिकता, भ्रष्टाचार, घुसखोरी को बढ़ावा देती हैं। आलोचकों का कथन है कि ये तत्व प्रशासन पर दूषित प्रभाव डालते हैं जो सुदृढ सावजनिक नीति के लिये हानिकारक है। विधायकों के मता को खरीद कर पड़वत्रा को जन्म दिया जाता है। आलोचकों का यह भी मत है कि दबाव समूह अपने सभी गुणों और स्वार्थी हिता की पूर्ति के लिये सावजनिक मागों और निर्वाचन मण्डल की आदेश भावनाओं को विफल (विगाडने) करने की कोशिश करने हैं। ‘दबाव’ (pressure) का अर्थ बल है। इस बात का प्रतीक है कि अमुक वाक्य को इसलिये नहीं किया गया या अमुक नीति को इसलिये नहीं अपनाया गया कि उपर्युक्त अर्थित या बलिक इसलिये किया गया या इसलिये अपनाई गयी कि उसको करने या अपनाने के लिये किसी सुदृढ संगठित समूह का दबाव था। भारत में तो इन्हें विघटनकारी तत्व समझा जाता है।

1 Keefe and Ogul Quoted by Blair, Ibid, p 302

जो तकबुद्धि नीति और सावजनिक व्यवस्था में बाधा है। आलोचकों का कहना है कि जन-प्रदर्शन आन्दोलनों हड़तालों, दंगों, धरनों, बंदों आप को बड़ा बाधा देकर ये हिंसा का वातावरण पैदा करते हैं।

उपरोक्त अवयवों और दोषों के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि दबाव समूह निरर्थक, अनावश्यक और बेहूदा हैं। वस्तुतः वे प्रजातांत्रिक सभ्य और औद्योगिक प्रणाली के आवश्यक विशेषक (Adjunct) हैं। वे लोकतंत्र की कार्यान्वयन में बाधा नहीं बल्कि प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी और योगदान को सुदृढ़ करने में सहायक हैं। जनसम्पर्क के साधनों द्वारा वे जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लाखों लोग इन्हीं दबाव समूहों का माध्यम से ही अपने आपको अभिव्यक्त करते हैं। वे अनिर्णीत और अस्पष्ट जन भावनाओं को स्पष्ट करते हैं। पाइन्टर ने दबाव समूहों को ठीक ही 'तृतीय सदन सहायक गृह' (The Third House, the Assistant Government) की संज्ञा दी है। स्टीफन के० वेली और अन्य लेखकों ने भी लिखा है कि हितवद्ध समूह बौद्धिक नेतृत्व के समय के अतिरिक्त अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वे अपने संगठन में राय (महामति) को जुटाते हैं, सामान्य राजनीतिक फूट को निमित्त करने के लिये एक दूसरे को मित्रान का प्रयास करते हैं, वे आधार स्तंभों को उपजाऊ बनाते हैं, वे जन साधनों का शोषण (प्रयोग) करते हैं और अपने जनसम्पर्क के साधनों का निर्माण करते हैं, वे सुस्त (क्रियाहीन) अधिकारी वर्ग को क्रियाशील बनाते हैं, वे विधायकों और गवर्नरों की लंबी और घाबराहट करते हैं, अस्थायी पराजयों और धक्कों की स्थिति में वे शक्ति और प्रतिष्ठानों को निरंतर बनाये रखते हैं। कभी कभी वे प्रति उद्देश्यों (Cross purpose) के रूप में कार्य करते हैं परंतु जब वे सुदृढ़ और समनुगत नेतृत्व (Coherent leadership) के अधीन एकट्ठे होकर कार्य करते हैं तो वे राजनीतिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कार्य को सम्पन्न करते हैं।'

दबाव समूहों द्वारा किये जाने वाले उपयोगी कार्य निम्न हैं —

1. दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विद्यमान अनेक जनो (Many publics) की भावों, शिकायतों और रचनात्मक विचारों को समायोजित करते हैं और इस तरह सामाजिक असंतोष और गुटिय हताशा पैदा करने वाले क्षेत्रों को रोकते हैं।
2. अत्यधिक जटिल प्रश्नों पर विधायकों को विशेषज्ञ राय (Expert Opinion) प्रदान करते हैं।
3. वे पारस्परिक सदिग्ध चित्त प्रहरी (Mutually suspicious watchdog) की भाँति कार्य करते हैं। दूसरे समूहों की सूक्ष्म जिद्द पर वे नाक सुकोडते हैं और कार्य में व्यस्त विधायकों, कार्यपालिका अधिकारियों और जनसाधारणों की उनकी जिद्द को प्रकट करते हैं।

- 4 अपने समूह के महत्त्व का जो सात्रजनिक विषय पर मूचना विवरण का माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।
- 5 अपने समूह के सदस्यों में, जो प्रायः रंग विरगी विचारधारा के होत हैं, मध्यस्थ उपकरण के रूप में कार्य करते हैं और इस तरह सामाजिक संघर्ष के तापमान को कम करते हैं।
- 6 कतिपय प्रयोजनों (Cause) के लिए व्यापक प्रचार करते हैं जनमत का निर्माण करते हैं और आवश्यक हो तो आन्दोलन, प्रदर्शन, रैलियाँ, हड़ताल धरना व दा आदि का सहारा लेकर किसी अनुकूल नीति के पक्ष में विषय में वातावरण उत्पन्न करते हैं।
- 7 शासनाधिकारियों से निजी सम्पर्क बसाकर अपने प्रयोजनात्मक अचिन्त्य सिद्ध करते हैं। इसके लिये वे ससदीय समितियों के समक्ष गवाही भी देते हैं।

भारत में हितवद्ध गुट (समूह) (Interest Groups in India)

भारतीय हितवद्ध गुटों (समूहों) की विशेषताएँ (Features of Indian Interest Groups) or भारतीय हितवद्ध समूहों की प्रकृति (Nature of Indian Interest Groups)—भारतीय हितवद्ध गुटों की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं

1 स्वतंत्र अस्तित्व का अभाव—भारतीय हितवद्ध गुटों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। ये राजनीतिक दलों के सहायक अंग मात्र बन कर रह गये हैं। उदाहरणतया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) का सम्बंध सम्यवादी दल से, इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) का कांग्रेस से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जनसंघ से, फोरम ऑफ फ्री इंटर्प्राइस (Forum of Free Enterprise) का स्वतंत्र दल से है। क्योंकि ये दुबल और अविच्छिन्न हैं अतः इनमें हितों की समायोजित करने और विस्तारशील सहभागिता (Expanding Participation) की प्रवृत्ति का अभाव है। ये तो केवल दलों के लिए शक्ति जुटाने (mobilize) हैं, स्वयं हितों को समायोजित नहीं करते।

हितवद्ध गुटों (समूहों) के स्वतंत्र रूप से विकसित न होने का एक कारण यह है कि भारत का सबसे प्रभावपूर्ण दल स्वयं-विचालियों (middleman) और मिलान (linkage) का काम करता है। कांग्रेस दल (केन्द्रीय प्रशासनिक इकाईयों) स्वयं राज्य प्रशासन के उपकरणों पर दबाव डालता है और जिन राज्यों में कांग्रेस सरकारें हैं (और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस सरकारें हैं, केवल गुजरात में फ्रंट की सरकार है और तमिल नाडु में डी० एम० के० की सरकार है) वहाँ प्रशासन इन दबावों के प्रति संवेदनशील (sensitive) रहना है। सत्य तो यह है कि कांग्रेस

दल के भीतर ही इतने हितबद्ध गुट हैं कि वे ही विशिष्ट हितों के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। जिसे स्वतंत्र हितबद्ध गुटा के विकास की सम्भावना नहीं रहती और यदि कोई उत्पन्न भी होती है तो कोई न कोई दल उसे अपना अभिन्न अंग बना लेता है। कांग्रेस के अन्दर अनेक प्रकार के हितबद्ध गुटों को देखा जा सकता है जस (a) विचारधारा की दृष्टि से दक्षिणपथी, वामपथी, उग्र दक्षिणपथी, उग्र वामपथी, केन्द्रित स्थिति रखने वाले गुट, केन्द्र से बायें और केन्द्र से दायें, आदि। (b) व्यावसायिक दृष्टि से ग्रामीण भू स्वामियों का प्रभाव भी पर्याप्त रहा है। (c) विविष्ट हिता की दृष्टि में नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) और युवा कांग्रेस (Youth Congress) प्रमुख हैं।

स्वतंत्र हितबद्ध समूहों के विकसित न होने का दूसरा कारण यह है कि इनका क्षेत्र केवल नगरीय या व्यवसाय तक सीमित रहा है। भारत की ग्रामीण जनता (और ग्रामों में ही भारत की 80 प्रतिशत जनता निवास करती है) इसके प्रभाव से प्रायः मुक्त है। यद्यपि कुछ किमान सगठन हैं जैसे ऑल इण्डिया किसान सभा, न तो उनकी संख्या अधिक है और न ही उन्होंने अभी स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण किया है। जब कि शहरी, औद्योगिक और व्यावसायिक हितबद्ध समूहों का अस्तित्व ही पूणतया स्वतंत्र नहीं तो ग्रामीण हितबद्ध समूहों के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी कठिन है।

2 पारिवारिक और जातीय स्वरूप—भारतीय हितबद्ध समूहों की दूसरी विशेषता यह है कि इनका सम्बन्ध प्रायः कुछ परिवारों जैसे टाटा, बिडला, डालमिया और कुछ जातियों जैसे मारवाड़ी, जैन, पारसी, चेटीयार आदि से है। भारत में प्रकाशित होने वाले अधिकांश दैनिक पत्रों पत्रिकाओं, शिक्षा संस्थानों, आदि का सम्बन्ध इन घरानों या जातियों या समुदायों में है आग्ल भारतीय एसोसियेशन, सनातन धर्म दक्षिणी सभा, आय प्रतिनिधि सभा, मारवाड़ी एसोसियेशन हरिजन सेवा मध्य, जाट सभा, वश्य महासभा, बंगाली समाज, आदि। यद्यपि भारतीय नागरिकता एक ही फिर भी छात्रावास जातीय आधार पर बनाय गया है, छात्र-वृत्तियाँ जातीय आधार पर वितरित होती हैं, सावजनिक पदा पर नियुक्तियों में जाति तत्त्व बलशाली रहता है, आदि।

3 विघटनकारी स्वरूप—भारतीय हितबद्ध समूहों की तीसरी विशेषता यह है—प्रशासनिक इकाइयों तथा निगमों अधिनागरीय (decision maker) इन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आवश्यक विशेषक (adjunct) नहीं समझते। इन्हें नही वह उहे व्यवस्था और मनवना का विघटन करे वाला तत्व ही समझते हैं। भारत में निगम अधिकांशों का मन / कि युक्तिगुण नीति (rationality) और सावजनिक हित (public interest) का मानना ही मात करत है। समूहों का प्रभाव उन पर नदर। इन का हितबद्ध गुटा की

प्रशासनिक एवं नियंत्रण अधिकारियों का दृष्टिकोण उपेक्षा और अहमर्षि का होता है। इसका परिणाम यह होता है कि अपने सदस्यों के हितों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा प्रशासन को क्रियाशील बनाने के लिये हितवद्ध समूह आलोचनों जन प्रदर्शनों रेलिया, हड़ताल, दंगे, बंदो, धरना तथा सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह के अथवा तरीकों को अपनाते हैं जिससे हिंसक वातावरण को बल मिलता है। एम अनेक उदाहरण हैं जहाँ सरकार हिंसक आंदोलनों के प्रागे ही मुकी। उदाहरणतया रज्या के पुनगठन की माग को तभी स्वीकार किया गया जब दंगे हुए भाषा के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है। सावजनिक क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों जैसे सीमेंट, लोहा आदि उद्योगों के सम्बन्ध में, कामचारियों के वतनों की वृद्धि सम्बन्ध में भी यही नीति अपनाई जाती है। इन सब उदाहरणों से हिंसा की शक्ति को बल के वैधता प्राप्त होती है। हितवद्ध समूहों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक में यह भाव पैदा हो चुके हैं कि प्रशासन मसालों के औचित्य से नहीं बल्कि जन आलोचना और हिंसक घटनाओं में ही चतता है। यही कारण है कि भारत में अथवा देशों की भांति हितवद्ध समूहों की क्रिया नीति के निर्माणात्मक चरण (formative or initial stage) पर प्रभावी नहीं होती बल्कि उनकी कार्यावधि के चरण पर प्रभावी होती है अर्थात् या तो पावनी (forestalling) करत हैं या उनमें परिवर्तन करने पर बल देत हैं।

4 राजनैतिक वातावरण के बरोमीटर—भारतीय हितवद्ध समूहों की चौथी विशेषता यह है कि ये लोग और शिष्टजन (elite) में मेल (link) के रूप में काय करते हैं। एक ओर वे लोगों में राजनीतिक सचेतता उत्पन्न करत हैं और दूसरी ओर शिष्टजन को लोगों की भावनाओं से अवगत करत हैं। इस तरह वे लोकतांत्रिक मसालों में लोगों के विस्तारशील सहभागिता को बढ़ावा देत हैं। इतना ही नहीं हितवद्ध समूह उन भावनाओं का संस्थागत (institutionalise) करत हैं। इस तरह हितवद्ध समूह राजनीतिक वातावरण के ऐसे बरोमीटर हैं जिनके आधारे पर नियंत्रण अधिकारी अपनी नीतियों को निर्धारित कर सकते हैं तथा उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। जनाकि ब्रूस एच० मिलन ने लिखा है कि “हितवद्ध समूह अपने सदस्यों की मूल मांगों को नियोजित करते हैं—उन्हें परिचालित (collate) करते हैं कभी कभी बहुमत के हित में उनमें मिलावट करते हैं और अंत में वे उन्हें ऐसे स्वरूप में उच्चारित करत हैं जिन पर समाज में उपयुक्त स्थान पर काय किया जा सके। मसालों में जहाँ हितवद्ध समूह अपने सदस्यों के लिए समाज से कुछ मांगों की पूर्ति के लिये दबाव डालत हैं वहाँ वे उन्हें समय में भी रखते हैं।

5 सामाजिक एकीकरण के वाहन—भारतीय हितवद्ध समूहों की पाचवी विशेषता यह है कि वे लोगों में वैध राजनीतिक जागृति ही पैदा नहीं करते, या राजनीतिक नेतृत्व के भण्डारों के रूप में ही काय नहीं करते बल्कि वे अपने नवीन और प्राधुनिक संगठनों में (जो स्कूला, रोडो, कुमा, रासायनिक खादों,

धारखाना, नौकरियों, आदि की माग करते हैं ऐसे भिन्न भिन्न प्रवृत्ति, स्वभाव और दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को सम्मिलित करते हैं जो परम्परा, रुढ़िवादिता, साम्प्रदायिकता, मताग्रहों में जकड़े हुए हैं ऐसे लोगों को अपनी पक्तियाँ (ranks) में शामिल कर वे विषय स्तरीय (Vertical) और सम स्तरीय (horizontal) एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। इस तरह भारतीय समाज में विद्यमान दशाओं को भरने का प्रयत्न करते हैं।

6 पारस्परिक सहयोग की कमी—भारतीय हितबद्ध समूहों की छटी विशेषता यह है कि इनमें पारस्परिक सहयोग की कमी है। यही कारण है कि वे प्रशासन पर या विधान पर सयुक्त प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं हैं। इतना ही कुछ हितबद्ध समूहों (विशेष कर ट्रेड यूनियनों) के पारस्परिक सम्बन्ध अत्यधिक कटु हैं। इनमें किसी प्रकार की आचार संहिता का विकास नहीं हुआ। इनके सदस्य अपनी वफादारियाँ (loyalties) को बदलते रहते हैं और श्रमिक संघों के लाभ के स्थान पर निजी स्वार्थों की पूर्ति करते हैं।

भारतीय हितबद्ध समूहों का वर्गीकरण

(Classification of Indian Interest Groups)

भारतीय हितबद्ध समूहों को तीन भागों में बाटा जा सकता है जो निम्न प्रकार से हैं—

(A) विशेष हितों वाले समूह (संगठन)

(Special interest groups or organization)

(B) सामुदायिक संघ (Community Associations)

(C) विचारधारा से सम्बन्धित समूह (संगठन)

(Interest groups or Organization based on Ideology)

A विशेष हितों वाले समूह (संगठन) (Special Interest groups or organization)—विशेष हितों से सम्बन्धित समूह भारत में अनेक हैं। इन्हें मुख्यतः निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत व्यक्त किया जा सकता है—

1 व्यावसायिक समूह (Business groups)—वर्तमान राजनीतिक प्रणाली

की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें व्यावसायिक समूहों का प्रवेश अत्यधिक है। राजनीतिक व्यवस्था चाहे रूस की भाँति एकत्ववादी या सर्वसत्तावादी और एकदलीय हो या अमरीका और ब्रिटेन की भाँति लोकतांत्रिक और द्वि-दलीय हो या फ्रांस और भारत की भाँति लोकतांत्रिक और बहुदलीय हो सबसे व्यावसायिक समूहों का प्रवेश अत्यधिक रहा है और आज भी है। अतः केवल इतना है कि अमरीका जैसे विकसित औद्योगिक देशों में व्यावसायिक हितबद्ध समूह स्पष्टतया संगठित होते हैं। वे अपने समर्थकों या अभिकर्ताओं को स्थायी रूप से राजधानियों में रखते हैं जो व्यक्तिगत सम्पत्ति या लॉबींग द्वारा या अन्य प्रभाव के साधनों द्वारा (मनोरंजन, भोजन या घूस) विधायकों और नियुक्त अधिकारियों की नीतियों के

पक्ष या विपक्ष में निराश्रय लेने के लिए प्रभाव डालते रहते हैं अर्थात् वे व्यावसायिक हिता की रक्षा करते हैं। भारत जैसे अविकसित औद्योगिक देश में व्यावसायिक हित समूह स्पष्टतया संगठित नहीं हैं। हाल ही में यह प्रवृत्ति भा वढ़ने लगी है और भारत जैसे देश में भी व्यावसायिक हित समूहों का राजनीतिक दलों, विधान और प्रशासनिक कार्यों में प्रवेश अत्यधिक है।

भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दल—कांग्रेस स्वतंत्र, जन सघ (केवल साम्यवादी दल को छोड़ कर जो उद्योग में सामाजिककरण और राज्यवाद में विश्वास करता है)—व्यावसायिक समूहों से प्रभावित रह रहे हैं। इसमें सबसे अधिक लाभ कायस दल न उठाया है क्योंकि वह दल ही स्वतंत्रता प्राप्त से सत्ता में रहा है। यदि दल व्यावसायिक समूहों से च ³ की राशि' को प्राप्त करता है तो वह अनुपत्तिया (licence) के माध्यम से उन्हें लाभान्वित भी कर सकता है। यही कारण है कायस की आर्थिक नीतियाँ समाजवादी ढांचे के समाज' से प्रभावित हैं। हानि का भी व्यावसायिक समूह उसी का समर्थन करने के इच्छुक रहे हैं। स्वतंत्र दल की आर्थिक नीति यद्यपि व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता और धनन सरकारी हस्तक्षेप पर आधारित है फिर भी व्यावसायिक समूह उसका समर्थन इतना नहीं करते जितना कि कायस का। इसी प्रकार जनसघ भी व्यावसायिक समूहों से पूरा लाभ नहीं उठा सका। इस सबका कारण सम्भवतः यही है कि व्यावसायिक समूह कायस को अनावश्यक नाराज करना नहीं चाहते और उसे साम्यवादी मांग से रोकना चाहते हैं। दूसरी ओर यदि कांग्रेस अपनी समाजवादी नीतियों को पूरानया कार्यान्वित नहीं कर सके तो इसका मूल कारण यही है कि व्यावसायिक समूहों का प्रभाव उस पर अत्यधिक है। व्यावसायिक समूह नीतियों के प्रभाव को खुल्ला धारण करना नहीं करते। वे अनुभव, समर्थन तथा समायोजन की नीति अपनाते हैं।

व्यावसायिक समूह अनेक प्रकार से राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। वे दलों को ब दा दन हैं उपहार देते हैं सावजनिक कोषों में दान देते हैं, औद्योगिक और शिक्षा संस्थाओं में (जिन्हें उद्योग द्वारा प्रशासित और संचालित किया जाता है) उच्च पदों को मंत्रियों निगमन अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिये उनसे सन्धिधियाँ मियाँ या जान-पहचान वालों के लिए सुरंगित रचना हैं आदि। व्यावसायिक घरानों या जातियों द्वारा मंत्रियों के पदाभिषेक तथा निगम संस्थाओं का निर्माण भी किया जाता है जो सावजनिक प्रयोग के लिये खोल दी जाती है।

भारत में व्यावसायिक समूहों के अपने सत्ता के माध्यम से ही राजनीति तक पहुँचाने और उसे प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। फेडरेशन पार इन्डियन फेडरेशन ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्रीज (FICCI) व्यावसायिक समूहों में शीर्ष पर है। फेडरेशन का मध्यम विज्ञानी व्यापार, परिवहन, उद्योग कारणों से बनी बन्धुता

वित्त एव अथ आर्थिक विषयो मे भारतीय व्यवसाय को प्रोत्साहन देना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा उक्त आर्थिक हितो को प्रभावित करने वाले विज्ञापनो का यथासम्भव समर्थन या विरोध करना आदि। इसके अतिरिक्त आल इण्डिया मै यूफैक्चस आरगेनाइजेशन छोटे छोटे उद्योगपतिया का सागठन और एसोसियेटड चेम्बम ऑफ कामस विदेशी पू जीपतिया का सागठन है। ये दोनो सागठन फेडरेशन के समाने नही पर तु फिर भी उसके पूरक हैं।

भारतीय व्यवसाय सावजनिक सम्बन्धो और औपचारिक ससदीय लाबिंग से प्रायः कम सम्बन्धित रहा है परन्तु उसने ससद के महत्त्वपूर्ण एव प्रभावशाली सदस्यों से निरंतर सम्पर्क बनाये रखो है। वस्तुतः अनेक महद सदस्या के द्वीय और राज्य मन्त्रिमण्डलो के सदस्य तथा राजनीतिज्ञो का सम्बन्ध इन्ही व्यावसायिक घरानो से है या तो वे स्वयं इनसे सम्बन्धित हैं या व्यवसाय द्वारा ही उनके लिए निर्वाचन व्यय और प्रचार किया जाता है। उदाहरणतया सबश्री टी० टी० कृष्णामाचारी होमी मोदी, ए० डी० पुरुचोत्तमरास ठाकुरदास जी० एल० मेहता आदि इन्ही घरानो या समूहा से सम्बन्धित थे। ये व्यावसायिक समूह नई दिल्ली और राज्यों की राजधानियो मे अपने म्टाफ का बनाये रखत हैं जो व्यवसाय और प्रशासनिक निकाया और अभिकरणो से निरंतर सम्पर्क बनाये रखते हैं। अपने व्यवसाय के लिये अनुज्ञपतिया (licences) प्राप्त करत हैं तथा व्यवसाय के अनुकूल विधि निर्माण करवाने का प्रयास करत हैं। व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि तो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रशासनिक परामशदात्री समितियो मे निरंतर भाग लेन रहत हैं। बिडलाज के सम्बन्ध मे तो यह कहा जाता है कि भारत के वित्त मन्त्री कचन मे उसका प्रमुख हाथ होता है। डालमिया जैन उद्योगो के सम्बन्ध मे विपिन चन्द्र बोस आयोग और बिडला उद्योग से सम्बन्धित डा० हजारी की रिपोर्टों पर सरकार ने इन घरानो के प्रभाव के कारण लीपा पोती कर दी।

भारत मे व्यावसाय की अथ प्रमुख विशेषताये भी हैं। जैसाकि व्यवसाय कुछ परिवारो से ही सम्बन्धित है। इनमे प्रमुख नाम है टाटा बिडला, डालमिया, सिथानिया, थापर, आदि। कुछ जातियाँ ही व्यावसायिक जातियाँ हैं जस मारवाडी जैन, पारसी, चेडिया, महाराष्ट्र और मद्रास के उद्योगपति, आदि। भारत मे निक्लने वाले दैनिक पत्रा जस हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया, कामस क्विटल, इण्डियन फाइननेस, ईस्टन इक्वॉमिस्ट आदि का इन्ही व्यावसायिक घरानो या जातियो से सम्बन्ध है। भारत के छापाखाने के सम्बन्ध मे तो यह कहा जाता है कि यह उद्योग (Industry) नहीं बल्कि इस पर "उद्योग का स्वामित्व" (Owned by the Industry) है। यही कारण है कि पत्रो के सम्पादका को उस माना मे स्वतन्त्रता नहीं जिस मात्रा मे उन्हें स्वतन्त्रता की आवश्यकता है। हाँ मे जिस ढंग से हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक वी० जी० वॉर्म को अपने पदच्युत किया गया वह इस बात का प्रतीक है कि सम्पादको का घटनाघा

वर्षान की कितनी स्वतंत्रता है। यह कहा जाता है कि इनकी पद्धति में भारत सरकार का हाथ था क्योंकि उनका दृष्टिकोण शासन विरोधी था। सरकार ने स्वतंत्रता को मानने में इन्कार किया है। इन व्यावसायिक समूहों या मण्डलों की एक विशेषता यह है कि इनमें जहाँ कुछ समूहों या संघों के आचार पर सगठित हैं जस एम्प्लायम केंड्रेगन आफ इण्डिया, बाम्बे मिल ऑनन एमोसिपेगन आदि। वहाँ कुछ धर्म और जाति पर आधारित हैं जस मुस्लिम एव भारतीय चर्मस अ. कामस आदि। ये सब व्यावसायिक दृष्टिकोण में एकता लाने के स्तर के उपाय उठाने में क्रियाशील रहते हैं।

व्यावसायिक हित समूहों द्वारा राजनीतिक दलों को दी जाने वाली सहायता की प्रथा अत्यन्त दूषित प्रथा है क्योंकि यह निर्वाचन प्रणाली को भ्रष्ट करती है। बम्बई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. सी. खान्ना ने जयन्ती लाल आर. कोटिया बनाम टाटा आइरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज (1957) के मुकदमें में इस प्रथा के न्याय को इन गणों में व्यक्त किया था सभ्यता का ध्यान इस ओर आकर्षित करने में हम यह श्रमा काव्य समझते हैं कि कम्पनियाँ द्वारा राजनीतिक दलों की निधियाँ में सहायता की प्रथा में अतिनिहित स्वतंत्रता है। यह ऐसा स्वतंत्रता है कि यदि इसका विकास नतीजे में हुआ तो यह या तो लोकतंत्र पर हावी हो जायेगा या उसका गला घोट देगा।¹ मई 1969 में कम्पनी मनीषन अधिनियम (Company Amendment Bill) द्वारा कम्पनियाँ द्वारा राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को केवल निर्वाचन उद्देश्यों में सहायता की प्रथा पर रोक लगा दी गयी। परन्तु यह अधिनियम प्रायः मृतक बान्धन (dead letter) की भाँति रहा है क्योंकि जो सहायता के रूप में दिया जाता था वह अब गुप्त रूप में किया जाना लगा। 9 दिसम्बर, 1974 के निरूपण द्वारा कम्पनियाँ पर लगाया गया यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को 50,000 रु० या पिछले तीन वर्षों के मामूली लाभ (average profit) का प्रतिशत सहायता के रूप में दे सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुरनाय चावला बनाम कवरलाल गुप्त के मुकदमे में (1974) यह अवलोकित किया था कि यदि एक उम्मीदवार के चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित हो लयिन उक्त मियाँ समझको तथा राजनीतिक दलों का यह स्वतंत्रता है कि उम उम्मीदवार के समर्थन में जितना चाहे धन खर्च कर सकते हैं तो चुनाव पर होने वाले खर्च की सीमा निर्धारित करने का भवसद ही विष्म हो जायेगा इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुद्धता के हित में यह जो व्यवस्था है वह अप्रहोत हो जायेगी ऐसी स्थिति में धन के महत्त्व से उत्पन्न होने वाली त्रिस भुराई को समाप्त करने की मंगा है वही बंद जायेगी तथा सभ्यता का सामान्य वातावरण दूषित हो

¹ See Competition Master Jan 1975 p 334

जायगा विधायिका की यह नियत कभी भी नहीं रद्दी होगी कि जो काम एक उम्मीदवार न कर सके, वही काम उसके समर्थक मित्रों या राजनतिक पार्टी को करने दिया जाये।”¹ सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रभाव का समाप्त करने के लिये सरकार ने दिसम्बर 1974 में जन प्रतिनिधित्व (सशोधन) अधिनियम मंगाधन कर “उम्मीदवार के निर्वाचन के सम्बन्ध में एक राजनतिक पार्टी या अथ सगठन व्यक्तियों के समूह या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया या अधिकृत किया गया खर्च उस उम्मीदवार द्वारा किया गया खर्च नहीं माना जायगा।”² कम्पनियों द्वारा राजनतिक दला को दिये जान वाले खर्च पर हटाये गये प्रतिबंध को भी इसी सन्दर्भ में समझा जा सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कम्पनियां अब राजनतिक दला को कानूनी सीमा के अतगत खर्चा दे सकती है।

2 श्रमिक सघ (Trade Unions)—भारत में अनेक प्रकार के श्रमिक सघ विद्यमान हैं जिनका राजनीति में प्रवेश अत्यधिक है परंतु फिर भी अय दशों का भाति व न तो अपने सदस्यों को व सेवायें प्रदान कर पाये हैं जिनके लिये उन्हें स्थापित किया गया था और न व अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाये रख सके हैं। जसा कि माथरन वीनर न लिखा है कि सघों का कमजोर साठन है सदस्यता अत्यधिक है देय राशि (dues paying) सामित और अनियमित है और सघों की गतिविधियां हड़ताल प्रदर्शनों और चुनाव कार्यों तक सीमित है। बहुत कम मात्रा में सघ अपने सदस्यों को सेवायें प्रदान करते हैं। विरोधी सघों का बोल-वाला है। सघों का नतृत्व असदस्यों के हाथों में है और उनका नियंत्रण प्रायः राजनीतिक दला के हाथों में है जो उनका प्रयोग अपने उद्देश्यों के लिये करते हैं।”³

भारत में श्रमिक सघों का प्रभावशील न होना के अनेक कारण हैं जिन्हें निम्न वि. दुग्री द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—

(1) श्रमिक सघ दलों के विशेषक है—भारत के प्रमुख श्रमिक सघ राजनीतिक दलों के विशेषक (adjunct) ही नहीं बल्कि उनके अभिन्न अंग ही हैं। उदाहरणतया अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस (AITUC) का सम्बन्ध साम्यवादी दल से है, इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) का सम्बन्ध कांग्रेस दल से है, हिंदू मजदूर सभा (HMS) का सम्बन्ध समाजवादी दल से है और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (UTUC) का सम्बन्ध माकमवादियों से है, आदि। इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना तो सरकारी आशीर्वाद से हुई थी। दलों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होने के कारण इनमें स्वतंत्र अस्तित्व का अभाव है।

1 देखिये दिनमान, दि० 8 दिसम्बर, 1974, पृ० 9

2 देखिये दिनमान दि० 29 दिसम्बर 1974, पृ० 74

3 See Weiner, Myron Ibid, p 93

(ii) श्रमिक सघों में अनुशासन की कमी—भारतीय श्रमिक सघा में अनुशासन का भी अभाव है व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये न केवल श्रमिक सघों के सन्ध्य ही बल्कि कुछ मात्रा में नेतृत्व में भी सघ के प्रति अशक्ति पाई जाती है और वफादारियाँ को छोटे छोटे मसला पर बदल दिया जाता है। इतना ही नहीं, सदस्य एक समय पर अनेक श्रमिक सघों में सदस्य बन जाते हैं जिसमें उनकी भक्ति विभाजित हो जाती है।

(iii) हित उच्चारण के स्थान पर स्थिरता और अनुशासन पर बल दिया जाता है—श्रमिक सघों में श्रमिकों की हितों को उच्चारित करने के स्थान पर स्वीय भक्ति स्थिरता और अनुशासन पर बल दिया है। उदाहरणतया भारत के सबसे बड़े श्रमिक सघ इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (INTUC) की भक्ति पहले कांग्रेस प्ले के प्रति है, फिर सरकार के प्रति, फिर राष्ट्र के प्रति और अंत में श्रमिकों के प्रति है। चीनर ने भी लिखा है श्रमिक सघों ने मित्तवाह (moderation) की स्थिति को बनाया रखा है क्योंकि उनका विश्वास है कि श्रमिका के हितों की सुरक्षा राष्ट्रीय विकास पर निर्भर करती है और राष्ट्रीय विकास सुदृढ़ सरकार और सुदृढ़ कांग्रेस प्ले पर निर्भर करती है।¹ स्थिरता और आर्थिक विकास के नाम पर श्रमिक सघ विरोधी शक्ति को पालित करने के स्थान पर अनुशासन के साधन बन कर रह गये हैं। परंतु यह आशंका की जाती है कि जो श्रमिक सघ (INTUC) श्रमिकों को नियंत्रण में रखती है और कांग्रेस की कुछ मात्रा में नेतृत्व भी प्रदान करती है उसका कांग्रेस की नीतियों के निर्माण और चुनाव में प्रत्यागियों के चयन में कोई हाथ नहीं।

(iv) सामाय आचार संहिता का अभाव—भारतीय श्रमिक सघों में न केवल पारस्परिक सहयोग की कमी है बल्कि आचार संहिता के अभाव में उनके सन्ध्य अपनी वफादारियाँ को बल देने रहने हैं। इतना ही नहीं उनके पारस्परिक सम्बंध बनने वट्ट हैं कि सामाय उद्देश्यों की प्राप्ति में भी वे न्युक्त हो कर कार्य नहीं कर सके। पारस्परिक रूप से विभक्त होने से उनकी एकता प्रायः नष्ट हो चुकी है।

(v) सामूहिक सौदाकारी (Collective bargaining) का अभाव—भारत में श्रमिक सम्बंधों में मुख्य भूमिका राज्य की रही है। श्रमिक सघ अल्प वेतन काय की सुविधाओं आदि को प्राप्त करने के लिये राज्य पर निर्भर करते हैं व्यवसाय के प्रबंधकों (Management) पर नहीं। राज्य का हस्तक्षेप भी इतना अधिक रहा है कि श्रमिक और प्रबंधकों दोनों ही राज्य के निर्वाचन या पंचायती समझौते (arbitration) पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि श्रमिकों और प्रबंधकों में सामूहिक सौदाकारी प्रायः अनुपस्थित है। राज्य का दृष्टिकोण दृढ़तापूर्वक और ताला बंदियों (lockouts) को बंद करना रहा है। राज्य श्रमिक या प्रबंधकों की विषयों को राष्ट्रीय आर्थिक विकास के उद्देश्यों के अधीन समझता है।

(vi) श्रमिक सघों पर बाह्य प्रभाव—भारतीय श्रमिक सघा की एक विशेषता यह है कि उनका नेतृ व श्रमिक नेताओं के हाथों में नहीं बल्कि मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों के हाथों में है। लाला लाजपतराय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कार्यों के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद सवधी पितरजनदास सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू तथा मुभाष चंद्र बोस इस पद पर रहे। आज भी स्थिति प्रायः यही है कि राजनीतिज्ञ और बुद्धिजीवी ही श्रमिक सघा का नेतृत्व करते हैं।

(vii) सीमित कार्य क्षेत्र—भारतीय श्रमिक सघ केवल उन नगरों तक सीमित है जहाँ उद्योग विद्यमान है। अर्थात् इनका सम्बन्ध औद्योगिक श्रमिकों में रहा है कृषक मजदूरों से नहीं। पारस्परिक सम्बन्ध न होने में वे कोई समुक्त नीति या कार्यक्रम नहीं अपना पाये।

3 छात्र संगठन (Student organization)—भारत में छात्र संगठनों का इतिहास वस्तुतः 1920 के असहयोग आंदोलन से शुरू होता है जब विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश लेना शुरू किया। इतना ही नहीं, महात्मा गाँधी द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भागत छोड़ो आंदोलन में विद्यार्थियों की भूमिका सक्रिय और प्रभावपूर्ण थी। सन् 1936 में जब अखिल भारतीय छात्र सघ (All India Students Federation) की स्थापना की गई तो वह साम्यवादी दल के प्रभाव में आ गया। आज स्थिति यह है कि प्रायः प्रत्येक राजनीतिक दल ने अपने-अपने विद्यार्थी संगठन बना रखे हैं। छात्रों की राष्ट्रीय यूनियन (National Union of Students) गौर युवा कांग्रेस छात्र संगठनों का अन्य उदाहरण हैं।

विद्यार्थी सघों या संगठनों का माध्यम से दल विद्यार्थी समुदाय में घुसपठ करके अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनका प्रयोग करते हैं। चाहे प्रश्न स्कूलों और महाविद्यालयों के छात्र सघों के चुनाव से हो या शिक्षा के माध्यम से (medium of instructions) या राज्यों के सीमावर्ती झगड़ों से हो या विधान सभा के भंग कराने का प्रश्न हो सबसे राजनीतिक दल विद्यार्थियों और उनके सघों का प्रयोग करते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि जहाँ यह विद्यार्थियों की एकता को विभक्त करती है उहाँ अपने अध्यापन के क्षेत्र से विचलित करती है वहाँ उहाँ यह राजनीतिक दलों के उद्देश्यों के हथकण्डे बनाकर रख देती है। इन सबका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित आंदोलनों, हड़तालों, प्रदर्शनों, रैलियों, धरनों, बंदों, तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों में हिस्सा लेते हैं और ये तब उनमें अनुशासनहीनता और अवज्ञा की भावनाएँ पैदा करते हैं।

पिछले वर्षों के इतिहास से अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जहाँ छात्र संगठनों द्वारा संचालित आंदोलनों का सम्बन्ध शिक्षा या विद्यार्थियों में सम्बंधित समस्याओं से तो कम था परंतु राजनीतिक प्रश्नों से अधिक था। उदाहरणतया कलकत्ता विद्यार्थियों में बंगाल विहार विलय विवाद में सक्रिय भाग लिया तमिलनाडु

मे विद्यायिया न हिंदी भाषा को राज भाषा बनाने का विरोध किया, उत्तर में विद्यायियो ने हिंदी के समयन में विरोध किये। सरगे महत्त्वपूर्ण उदाहरण जहाँ विद्यायिया ने सगठित हो कर निर्वाचन विधान सभा को इस प्राधार पर भग कराने में सफलता प्राप्त की कि विधायको ने लोगो का विस्वास गो दिया है, वह गुजरात में मफलता प्राप्त 15 माघ 1974 को गुजरात विधानसभा को राष्ट्रपति ने जिसके दबाव के कारण 15 माघ 1974 को गुजरात विधानसभा को राष्ट्रपति ने भग कर दिया। गुजरात में विधम नई पटेल व मंत्रिमण्डल व पतन की घुस्मात विद्यायिया के उस छोटे से आन्दोलन में हुई थी जिसे उन्होंने इजिनियरिंग काउन्सिल में भोजन दामो (mess bills) में भी गई थोड़ी सी वृद्धि के प्रति भग तोप व्यक्त करने के लिये घुस् किया था।¹ धारे धीरे यह आन्दोलन गति पकड़ता गया और मंत्रिमण्डल पर भ्रष्टाचार व प्रारोप साध्यात्रो, तेना आदि की गम्भीर कमी और गम्भीर बेरोजगारी की समस्यायें विद्यार्थी आन्दोलन व पतन किया। जयप्रकाश नारायण के कर विद्यायियो के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल का पतन किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विहार में चलाये गये सम्पूर्ण शक्ति व 'आन्दोलन के पीछे सक्रिय गति विद्यायिया की ही है। यद्यपि इसमें पूण सफलता नहीं मिली परन्तु जिन विषयो का उभागा गया है उनका समाधान होगा अनिवाय है प्रायया स्वयं प्रजातंत्र को खतग उत्पन्न हो सकता है। मुख्यतः य समस्यायें हैं प्रगामन में भ्रष्टाचार विधायका को अपने निर्वाचक मण्डलो व प्रति उत्तरदायिक् विधायको का घराब और उनके त्याग पत्र की माग निष्प्रिय या भ्रष्ट होने पर विधानसभाया को समय स पूव भग कराने की माग आदि। यद्यपि गुजरात में जून 1975 में हुए निर्वाचनो में निर्वाचन प्रत्यायियो के चयन में "नव निर्माण समिति की भूमिका अत्यधिक उभाव की नहीं रही परन्तु भविष्य इस दिशा की और अवश्य सचेत करता है।

सक्षेप में, आज के विद्यार्थी और उनके मगठनो की मागें केवल शिक्षा शुल्को बनी या सिनमा घरों में रिवायती या अय सुविधाओ तक सीमित नहीं है आज व आन्दोलन की नीति अपनाते हैं उपकुलपतियो या प्राचार्यो और अध्यापको का ही घराब नहीं करत बल्कि मन्थना ससद या विधान सभा क सदस्या का भी घराब करने हैं धरना देत हैं हडताल करते हैं, विधायको और मंत्रिमण्डलो क इस्तीफे की माग करते हैं, सावजनिक सम्पत्ति का हानि पहुचाते हैं लोगो को कर न देने के लिये भी आवाहन कर है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओ पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और इन सबके लिये वे कण्ट सहन करते हैं पुनिस की लाठिया खाते हैं, गोलियो के शिकार बनते हैं आदि। विद्यायियो द्वारा इन साधनो को अपनाना और उक्त यातनाएँ निश्चित ही समाज और देश के लिये हानिकारक हैं परन्तु इन सबके लिये उत्तरदायी स्वयं राजनीतिक दल (नाह वह सत्तारूढ हो या प्रतिपक्ष में हो) जो

¹ See The Competition Master April 1974 p. 17

विद्यार्थियों का प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिये करने हैं। विद्यार्थियों को राजनीति का पाठ पढ़ा कर उनसे अराजनीतिक बने रहने की अपेक्षा करना मूल्यता है। इसका एक मात्र विकल्प यह है कि विद्यार्थियों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में रहने दिया जाय और उन्हें अध्यापक का नेतृत्व प्रदान किया जाय। विद्यार्थियों में उच्चारण की शक्ति है परन्तु उन सम्बद्धता और निर्दोषता की आवश्यकता है।

4 कृषक समूह (Agrarian Groups)—जहाँ नगरों के श्रमिक सघ और छात्रों के सगठन संगठित हैं तथा उनमें उच्चारण की शक्ति है वहाँ ग्रामों के कृषक सघ अलग-थलग हैं और उनमें उच्चारण की कमी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है परन्तु फिर भी यहाँ कृषक सगठन निष्क्रिय हैं। राष्ट्रीय और राज्य की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता उनमें नहीं है। राज्य द्वारा उनके हितों के लिये अपनायी जाने वाली नीतियाँ को भी उनकी निष्क्रियता और भूमि-पतियों की क्रियाशीलता ने उन्हें प्रभावहीन बना दिया है। देश में पचासवीं राज की स्थापना के बाद भी स्थिति प्रायः यही है। इसका मूल कारण यह है इन सगठनों के पास धन के स्रोतों, सगठन और नेतृत्व का अभाव है। साधारण किसान आज भी रूढ़िवादी और परम्परा में प्रसक्त हैं और आधुनिकता उसे प्रभावित नहीं कर पायी। वह मतदान में भाग अवश्य लेता है परन्तु उसमें 'चयन' और विभेदीकरण (differentiation) की शक्ति नहीं। ग्रामों में स्कीण जातीय या धार्मिक गुटों का अस्तित्व है जिससे कृषक सगठन परस्पर विभक्त हैं। भारतीय कृषक में उस प्रकार के व्यावसायिक हित समूहों का विकास नहीं हो सका जिस प्रकार अमरीका में है। अमरीकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन (American Farm Bureau Federation) या पटरस प्रॉफेसर्स (Patrons of Husbandry) या फार्मर यूनियन (Farmers' union) जैसे सगठन भारत में विद्यमान नहीं हैं।

भारत के अग्र हित बद्ध समूहों की भाँति कृषक सगठन भी राजनीतिक दलों के विशेषक (adjunct) बन कर रह गये हैं। उदाहरणतया अखिल भारतीय किसान सभा (All India Kisan Sabha) साम्यवादियों के नियन्त्रण में है हिंदू किसान पचासवें समाजवादियों के नियन्त्रण में है। कांग्रेस दल के अपने छोटे छोटे कृषक सगठन हैं परन्तु वे न तो काश्तकारों के और न भूमिहीन मजदूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सफल हुए हैं। कांग्रेस दल की भूमि सुधार की नीतियाँ भी प्रायः "कागज के शेर" सिद्ध हुई हैं। जब कभी भी भूमि की अधिकतम नीमा और भू सुधार सम्बन्धी अथवा कानूनों को पारित किया गया है तो भू पतियों ने उनकी कार्यशक्ति में बाधा प्रस्तुत की है और ये भू पति वे हैं जो कांग्रेस दल के या तो सन्ध्य हैं या उसका समयन करते हैं और उसके लिये चढ़ती राँटें और घोट घेंच के अभिवर्तनों के रूप में कार्य करते हैं।

भारत में अनेक प्रकार के कृषक विद्रोह भी हुए हैं। जने 1946-48 के हैदराबाद राज्य के तेलंगना क्षेत्र में और तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में।

क्रान्दोलनों के पीछे साम्यवादियों का हाथ था। बंगाल और वेस्ट बंक्सवादियों द्वारा भी कृपण क्रान्दोलनों को समय समय पर उन्नत किया गया है। परन्तु 5 शिक्षित वर्गों से सम्बन्धित सगठन—

भारत में भी शिक्षित वर्गों से सम्बन्धित सगठन— प्रायः लोकतांत्रिक दृष्टि की भाँति है। इस सगठनों का प्रायः राजनीति से सम्बन्ध नहीं होता, विशेषकर सरकारी कर्मचारी मध्य तो वर्धानिक रूप में किसी दल से सम्बन्ध नहीं रख सकते परन्तु फिर भी अपने हिता की रक्षा हेतु व न तो राजनीति से झूठे रहे हैं और न लोकतांत्रिक समाज में झूठे रह सकते हैं। यदि निर्वाचन के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समुक्त राजनीति के निर्वाचन में अधिक रुचि रखते हैं तो बदले में वे उच्च राजनीति से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि वे उनके हिता या उचित भागों के समयन करेंगे। बड़े-बड़े नगरों में जहाँ कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है वहाँ कर्मचारी सगठनों का दृष्टिकोण चुनाव परिणामों को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है।

भारत में शिक्षित वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले मुख्य सगठन हैं ऑल इण्डिया यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (All India University College Teachers' Association) अखिल भारतीय मेडिकल काँग्रेस (All India Medical Council) अखिल भारतीय रेलवे मैन्स एसोसिएशन (All India Railway Men's Association) अखिल भारतीय पोस्टल एण्ड टेलीग्राफर्स एसोसिएशन (All India Postal and Telegraphs Union), अखिल भारतीय बार एसोसिएशन (All India Bar Association) आदि। जब जब सरकार न किर्से सम्बन्धित वर्ग अपने हिता की रक्षा हेतु तत्पर रहा है और विधान क्रिया पर यथा सम्भव प्रभाव डाला है। शिक्षक संघ विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं। इन शिक्षित वर्गों की एक विशेषता यह रही है कि इन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये श्रमिक संघों के साधनों (Trade union methods) को अपनाया है अर्थात् 'कलम रोक हड़ताल (Pendown Strike) मद काय हड़ताल (Go slow strike), पूर्ण हड़ताल (Complete strike) धरना प्रदर्शन आदि का सहारा लिया है।

6 महिला सगठन—महिलाओं के हिता की रक्षा करने हेतु भारत में महिलाओं के सगठन भी विद्यमान हैं। इनमें सबसे प्रमुख सगठन अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (All India Women's Conference) है जिसकी शाखायें सारे भारत में हैं। यह सम्मेलन पहले साम्यवादी दलों के प्रभाव में था परन्तु धीरे धीरे यह उनका प्रभाव से निकल कर काँग्रेस के प्रभाव में आ गया है। यह सम्मेलन महिलाओं के कल्याण से सम्बन्धित अननक प्रश्नों—विवाह, तलाक, पारिवारिक अधिकार पत्रक सम्पत्ति में समान अधिकार सामाजिक स्तर आदि से विशेष रूप से सम्बन्धित रहा है। जब मसद में हिन्दू कोड बिल पर विचार हो रहा था तो इस सम्मेलन ने हितवद्ध समूह के रूप में मसद सभ्यता पर अत्यधिक प्रभाव डाला।

7 साम्प्रतिक समूह—साम्प्रतिक समूहों का मूल उद्देश्य किसी देश की मसूढ़ति का विकास करना तथा दूसरे देशों के सांस्कृतिक समूहों से मेल बढ़ा कर मित्रता और भावनात्मक पदा करना होता है। यद्यपि ये अपना काय क्षेत्र सांस्कृतिक पहलुओं तक सीमित रखते हैं परंतु वे इन समूहों के माध्यम से अर्थात् सांस्कृतिक शिष्ट मण्डलों, नृत्य मण्डलियों, अनुसंधान छात्रवृत्तियों, धार्मिक शिष्ट मण्डलों, धार्मिक मिशनो, शिक्षा मस्थानों, पुस्तकालयों आदि के माध्यम से देश की राजनीति पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं और अनेक परिस्थितियों में तो उनकी यह भूमिका विघटनकारी रूप ग्रहण कर लेती है। यद्यपि प्रायः ये निजी मस्थानों के माध्यम से काय करते हैं परंतु वे सरकारी और अर सरकारी आर्थिक सहायता भी प्राप्त करते हैं। भारत में सांस्कृतिक समूहों के अनेक उदाहरण हैं जैसे भारत चीन मंत्री समाज, भारत रूस सांस्कृतिक मण्डल, अखिल भारतीय शांति परिषद् आदि। इन सांस्कृतिक समूहों की प्रमुख विशेषता यह रही है जो भारत के रूस व चीन से मंत्री सम्बन्धों के समर्थक हैं वे साम्यवादी नीति का समर्थन करते हैं और जो पश्चिमी देशों जैसे ब्रिटेन, अमरीका आदि देशों से मित्रता चाहते हैं वे पूँजीवादी व्यवस्था के समर्थक रहे हैं।

8 अनियत या अप्रतिमानित समूह (Anomic groups)—भारत में कुछ समूह ऐसे भी विद्यमान हैं जिनका कोई स्थायी संगठन नहीं और जिनकी मांगों का समर्थन करने के लिये कोई संगठन तैयार नहीं परंतु फिर भी अपने असंतोष का अभिव्यक्त करने के लिये जन प्रदर्शनों का सहारा लेते हैं और अव्यवस्था या अराजकता की स्थिति पैदा कर देते हैं। हिन्दी के सम्प्रथ में किये गये जन प्रदर्शनों और 1966 में नई दिल्ली में गाय बंध पर प्रतिबंध लगाने के सम्प्रथ में किये गये जन प्रदर्शनों को अनियत या अप्रतिमानित समूहों की संज्ञा दी जा सकती है। बिहार आंदोलन के सम्बन्ध में किये गये जन प्रदर्शनों (यद्यपि इसे अनेक दलों का समर्थन प्राप्त और था) हान ही में कलकत्ता और दिल्ली में किये गये जन प्रदर्शनों या रेलिया (यद्यपि इनके पीछे सत्तारूढ़ दल का हाथ था) को इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। इन अनियत समूहों के पास अज्ञान का कोई तार्किक आधार नहीं होता परंतु क्योंकि प्रशासन उनकी समस्याओं के प्रति ध्यान नहीं देता या उनकी उपेक्षा करता है, (जैसे प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार दूषित निर्वाचन प्रणाली, कमर तोड़ मंहगाई और बेरोजगारी) अतः ये समूह गली, मुहल्ला और नगर प्रदर्शनों का रूप धारण कर लेते हैं जो प्रायः हिंसक रूप धारण कर लेते हैं। इन अनियत समूहों ने 'धेराव' और 'जबरनस्ती त्यागपत्रों को लेने' का तरीका भी अपनाया है। दुर्भाग्य की वजह यह है कि भारत में जन प्रदर्शनों, धेराव, हिंसा आदि उग्र साधनों का प्रयोग केवल अनियत समूहों ने

1 इस प्रदर्शन में अग्र्य व्यक्तियों के सहित भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति त्रिपु मुनि, साधु, नगे साधु आदि थे।

ही रही किया कि उन राजनीतिक तलाश भी किया है जो मजदूरीय दायकों में विश्वास करते हैं और जो अपने प्रायः गांधीवादी विचारधारा व प्रनुवाची बताने हैं। जग भारत में साम्यवादी और मानववादी उग्र आन्दोलन के समयक हैं वग नवसलवादी हितों और राजनीतिक हत्या के पुनारी हैं।

B सामुदायिक सभ—भारत में इनके प्रकार की जातियाँ निवास करती हैं जिनकी अपनी मायतय हैं पूजा की अपनी रीतियाँ हैं सामाजिक लक्षण विवाह आदि व अपने तरीके हैं उनकी अपनी भाषा और मन्वृति है। इन जानियाँ विनोपता यह है कि ये अपनी सन्वृतियों ने गौरव में विरगम करती हैं और उनका यनाय रसना चाहती हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रायः जातियों ने अपने जातियों से सम्बन्धित सभों और गण्डना का जन्म लिया है ताकि वे जाति के हितों को सुरक्षा रख सकें। जगतियाँ द्वारा स्थापित किये गये प्रमुख सभों के नाम हैं भारतीय ईसाइयत के अखिल भारतीय सम्मेलन पारसिया की केन्द्रीय एसोसियेशन, अखिल भारतीय एमोसियेशन, सनातन धर्म दक्षिणी सभा, अग्रय प्रतिनिधि सभा, मारवाड़ी एसोसियेशन नाडार महाजन सभ (Nadar Mahajan Sangam) हरिजन संघ वनियाकुला क्षत्रिय सभ (Vanniyakula Kshatriya Sangam) हरिजन संघ मध्याट सभा वरुण महासभा वाली सभा, त्याग सभा आदि।

भारतीय सामुदायिक सभों में कुछ सभ स्तने सुसंगठित हैं कि उनमें दूसरे समुदायों का प्रवेश प्रायः असम्भव है। जातियों द्वारा प्राणित एवं मंचालित उद्योग और शिक्षा संस्थाओं में अग्र्य समुदायों के सदस्यों की नियुक्ति कठिन है। जातियों द्वारा अपनी जातियों के छात्रों को इनके प्रकार की छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं छात्रावास जाति पर आधारित है। यद्यपि सभी राजनतिक दल जातिवाद की भत्सना करते हैं परन्तु निर्वाचनों में प्रत्याशियाँ के चयन के लिये जाति तत्व प्रभावशाली सिद्ध होता है। यद्यपि निर्वाचनों में जाति का नारा नगाना बुनाव प्रभटाचार है परन्तु फिर भी जाति से प्रपील का जाती है आदि।

सामुदायिक सभों में कुछ न तो राजनीतिक दल का रूप ही ग्रहण कर लिया है। इसमें प्रमुख उदाहरण राष्ट्रीय स्वयं सेवक सभ (RSS) का है जो यद्यपि अपने आप को एक सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन मानता है परन्तु यह तथ्य किनी से छुना नहीं कि जन सभ की शक्ति और नेतृत्व इसी संगठन से प्राप्त होती है।

जातीय और साम्प्रदायिक सभों को प्रायः विघटनकारी सभ समझा जाता है। इसका मूल कारण यह है कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण साम्प्रदायिकता के कारण हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी ये तत्व जातिवाद भाषावाद और क्षेत्रवाद के रूप में विद्यमान रहे हैं। भाषा के आधार पर राज्या का पुनसंघन ट्राविडस्तान की मांग, पंजाबी सूबे की मांग, आदि इसी प्रवृत्ति को व्यक्त करते हैं। इस विघटनकारी प्रभाव के बावजूद भी सामुदायिक सभ जाति और धर्म के प्राधुनिकीकरण (Modernization) के लिये प्रभावशाली सत्त्व रहे हैं। जहाँ इन समुदाय सभान

जाति की मांगों का निर्माण कर उसके हितों को उच्चारित किया है वहा राजनीतिक प्रणाली में जाति के प्रवेश के लिये भी य मत्र ही उत्तगदायी रहे हैं। यह बात मूत्त्वपूर्ण है कि आज सामुदायिक सघों की शक्ति धार्मिक क्रियाओं पर इतनी निर्भर नहीं करती जितना कि उनकी सदस्य पत्राग प्रौर राजनीतिक निरासीरता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे जातियों के आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक भेद क्या होंगे वैसे वैसे इन समुदायों में दूसरे समुदायों का प्रवेश अविन्य होगा। आज स्थिति यह है कि कोई भी राजनीतिक दल शासन शक्ति को प्राप्त करने के लिये किसी एक जाति के समर्थन पर निर्भर नहीं रहे सक्ता और जितना अविन्य सामुदायिक सघों का विकास होगा उतनी अधिक समुदायिक सघों के सदस्यों की राजनीतिक प्रणाली में सहभागिता बढ़ेगी और राष्ट्रीय एकीकरण का विकास होगा। टाडग्रव जूनियर ने ठीक लिखा है "जाति स्वयं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का प्रखाटा वन कर रहे गयी है।"¹

C विचारधारा से सम्बंधित समूह (सगठन)—विचारधारा से सम्बंध रखने वाले समूह केवल भारत में विद्यमान है। इनका सम्बंध मुख्यतः गांधीवादी विचारधारा से है। इस विचारधारा से सम्बंध रखने वाले मुख्य सगठन हैं सर्वोप्य समाज, सब सेवा सघ हि दुस्तानी प्रचार सभा, तालीमी सघ आदि। ये सगठन नगावदी, वैसिक शिक्षा सामाजिक, समानता, नतिकता, कुटीर उद्योगों का विकास और 'सना रहित राजनीति' (Politics without power) से सम्बंध रखते हैं और यथा सम्भव सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालते रहते हैं।

गांधीवादी सगठनों की प्रमुख विशेषता यह है कि इन्हें देश की राजनीति में ही नहीं बल्कि बुद्धि जावियों और साधारण जीवन में भी अत्यधिक प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त है। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन अपने आप में अद्वितीय है। उनकी शांति सेना ने सामाजिक शांति स्थापित करने में पर्याप्त योगदान दिया है। डाकुओं की समस्या के समाधान के लिये इस सेना ने अद्वितीय काय किये हैं। इस सगठनों की दूसरी विशेषता यह है कि इनके सदस्यों की, श्री जयप्रकाश नारायण और श्री विनोबा भावे की, राजनीतिक के उच्च स्तरा तक पहुंच है और वे अपने व्यक्तित्व और त्याग के प्रभाव से राजनीति पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा संचालित 'समग्र शांति' का आंदोलन अपने आप में अद्वितीय है। यह वर्तमान प्रशासन और निर्वाचन प्रणाली के दोषों के प्रति प्रशासन का ही नहीं बल्कि जनता का भी ध्यान आकर्षित करता है और यदि यह निर्वाचक मण्डलों (साधारण मतदाताओं) को लोकतंत्र में अपने उत्तरदायित्वों और जन प्रतिनिधियों को अपने निर्वाचकों के प्रति, उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करने में सफल होता है तो यह भारतीय लोकतंत्र की अभूतपूर्व सेवा होगी।

1 "The caste itself has become an arena of political competition" Hardgrave Jr Robert L. Ibid, p 110

गांधीजीका विचारधारा व विचार व विषय विचारविद्यया व विचार का स्थापित विषय है। यकाद गांधीजीका विचारधारा का भिन्न भिन्न विषय पर अध्ययन करते हैं। मना करते हैं अनुसंधान करता है और यथा सम्भव उक्त विचार करते हैं।

समीक्षा प्रश्न (Review Questions)

1. हितचक्र समूह किम कहत है ? सोनाच म दमका भूमिका और महत्व पर प्रकाश डालिये।
2. हितचक्र समूह, दवाय समूह और तीसी में क्या अंतर है ? क्या तीसा एक दूसरे व पूरक है ?
3. 'दवाय समूह राजनीतिर दना व प्रतिद्वंद्वी नहीं बलिन उनक पूरक है' इन कथन व म दम म दवाय समूहो की प्रकृति और कार्यो पर प्रकाश डालिये।
4. हितचक्र समूह तीसी पाप आत्मार्थे है जो राजनीतिक वातावरण को दूषित करते हैं ? क्या आप इस कथन स सहमत हैं ? कारण सहित व्याख्या कीजिये।
5. भारतीय राजनीति व भिन्न दवाय गुटो की प्रकृति और भूमिका पर एक निबंध लिखिये।
6. व्यावसायिक समूहो की भारतीय राजनीति म क्या भूमिका है ?
7. दवाय समूहो के रूप म भारतीय राजनीति मे विद्यार्थी संगठनो की भूमिका को स्पष्ट कीजिये। क्या विद्यार्थी संगठनो की दवाय समूह कहना उचित है ?
8. भारतीय दवाय समूह की क्या विशेषताये हैं ?
9. दवाय समूहो और राजनीतिक दलो म भिन्नतामा को स्पष्ट करते हुए दमाय समूहो के महत्व पर प्रकाश डालिये।

पुस्तक 6

निर्वाचन

1 निर्वाचन

परिचय (Introduction)

निर्वाचन लोकतंत्र का आधार है और जनता की इच्छा जानने के आवश्यक बेंरोमीटर है। इसके माध्यम में ही साधारण नागरिक राज्य के प्रशासन में सक्रिय भाग ले सकता है। इस तरह निर्वाचन जहां शासन और जनता का जोड़ने की आवश्यकता है वहां वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आवश्यक अंग हैं। परंतु लोकतंत्र का सफल संचालन के लिए केवल निर्वाचन ही आवश्यक अंग हैं। उनका निष्पक्ष और स्वतंत्र (and free) होना उनका संचालन निरदलीय आधार पर हो और व किसी समय सत्तासूट दल के प्रभाव से मुक्त हो। निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन की आवश्यकता पर बल देते हुए सविधान सभा के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने ठीक कहा था कि 'यदि निर्वाचन मशीनरी (यंत्र) धुट्टिपूग है, या अयुक्त है या ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित की जाती है जिनकी सत्यनिष्ठा (इमानदारी) पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो लोकतंत्र स्रोत के स्थान पर ही विपत्ति हो जायगा। इतना ही नहीं, साधारण निर्वाचन से यह सींगन की वजाय कि मत का प्रयोग कम किया जाय जिस तरह अपने मत के विवेक सम्मत प्रयोग द्वारा व सविधान में परिवर्तन आर प्रशासन में सुधार ला सकते हैं व यह सीखेंगे कि किस प्रकार पड़यंत्र पर आधारित दल का निर्माण किया जा सकता है और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए (या इच्छामार्ग की पूर्ति के लिए) वे किन अनुचित साधनों का प्रयोग कर सकते हैं।' टी० ई० स्मिथ ने भी लिखा है कि 'विशुद्ध निर्वाचन प्रशासन के लिए ऐसे प्रशासनिक यंत्र की आवश्यकता है जो निष्पक्षता से और विभ्रान्ति व विना निर्वाचन का संचालित करने की योग्यता रखता हो।'

निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचनों की आवश्यकता को अनुभव करते हुए भारतीय सविधान निर्माताओं ने, कनाडा का अनुसरण करते हुए निर्वाचन की

सर्वशक्ति सम्बन्ध प्रदान कर दी। नविधान निर्माता लोगों के इस सार्वभौमिक अधिकार को कितनी मात्रा में सुनिश्चित करना चाहते थे यह हम तब से ही स्पष्ट है कि उन्होंने एक पूरा अन्धान ही निर्वाचन तथा उनमें सम्बन्धित परना पर साक्षात् दिया। नविधान के अनुच्छेद 15 के 6 अनुच्छेद (अनुच्छेद 324 से 329) निर्वाचन से ही सम्बन्धित हैं। इन अनुच्छेदों में निर्वाचन मशीनरी का पूरा उल्लेख है। नविधान निर्माताओं ने निर्वाचन के लिए हमलिये भी स्थायी व्यवस्था का प्रयत्न किया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्वाचन कभी भी टूट नहीं होवे। कभी लोक सभा कभी राज्य विधान सभा, कभी स्थानीय संस्थाओं, कभी मन्त्रिमण्डल निर्वाचन और कभी उप निर्वाचनों की आवश्यकता पड़नी ही रहती है।

भारत में निर्वाचन मशीनरी

(The Electoral Machinery in India)

भारतीय निर्वाचन मशीनरी के मुख्य अंग हैं निर्वाचन आयोग (Election Commission) मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner), निर्वाचन आयुक्त (Election Commissioner) प्रादेशिक आयुक्त (Regional Commissioner) मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer), रिटर्निंग अधिकारी (Returning Officer) पीठासीन अधिकारी (Presiding Officers), मतदान अधिकारी (Polling Officers) तथा निर्वाचन से सम्बन्धित स्टाफ, आदि।

निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस आयोग के अध्यक्ष को मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है जिनकी संख्या वह स्वयं निर्धारित करता है। परन्तु राष्ट्रपति ने अभी तक सिर्फ ही निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त नहीं किया। सम्भवतः इसकी आवश्यकता ही अनुभव नहीं की गयी। अतः भारत की सारी निर्वाचन मशीनरी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में कार्य करती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों को नियुक्त करता है जिन्होंने शक्ति और सेवा की शर्तों भी राष्ट्रपति नियमा द्वारा निर्धारित करता है। सेवा की ये शर्तें संसद द्वारा निमित्त कानूनों के अनुसार ही होती हैं। प्रथम निर्वाचन में (1951-52) में राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग के साथ में सहायता के लिए चार प्रादेशिक आयुक्तों के पदों को स्वीकृति दी थी। परन्तु वस्तुतः दो ही नियुक्त किये गये थे। दूसरे चुनाव में (1957) राष्ट्रपति ने तीन उप-निर्वाचन आयुक्तों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया।

निर्वाचन आयोग के अधीन प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन मशीनरी स्थापना की गयी है जिसके अध्यक्ष को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श पर की जाती

सरकार प्रायः नामाची एक पानिका (panel) की सिफारिश करती है जिसमें स
एक को मुख्य नियाचा आयुक्त नियुक्त करता है। मुख्य निवाचन अधिकाारी के साथ
म सहायता के लिए एक सहायक निर्वाचन अधिकाारी भी होता है।

प्रत्येक जिले में एक रिटनिंग अफसर होता है जो प्रायः जलकटर या डिप्टी
कमिश्नर होता है। उसके नीचे सहायक रिटनिंग अफसर, पीठासीन अधिकाारी और
मतदान अधिकाारी कार्य करते हैं।

भारतीय संविधान के अध्याय 15 में उल्लिखित अनुच्छेदों की तीन प्रमुख
विशेषतायें हैं प्रथम यह है कि सारी निवाचन मशीनरी, चाहे वह कदम स सम्बंधित
हो या राज्या से, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधीन है। अतः राज्या में निर्वाचन
के लिये संविधान पृथक् निवाचन आयोग की व्यवस्था नहीं करता। केंद्रीय आयोग
अपने ही अधीन पदाधिकारियों का जोस प्रादेशिक आयुक्तों, रिटनिंग अधि
कारियों, पीठासीन अधिकारियों आदि का निर्वाचन स सम्बंधित कार्यो पर निर्देशन
दता है, चाहे प्रश्न निर्वाचन के संचालन स सम्बंधित हो, या निवाचन सूचिया की
तयारी स हो या निवाचन स सम्बंधित नियादा आदि से ह। यह व्यवस्था संविधान
के अंतर्गत प्राप्त मताधिकार का आस्वादान दती है। दूसरी यह कि निर्वाचन
आयोग का कार्यपालिका के नियम स पूरातया स्वतंत्र रखा गया है।¹ संविधान
इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों
को उसके कार्यकाल के दौरान उसके अहित में नहीं बदली जा सकती है। मुख्य
निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र द सकता
है परंतु राष्ट्रपति उस समय से पूर्व स्वयं पदच्युत नहीं कर सकता। मध्य में पूर्व
मुख्य निर्वाचन आयुक्त का उसी प्रकार हटाया जा सकता है जोस कि सर्वोच्च
न्यायालय के किसी यायाधीश का। अतः उन प्रमाणित बदलाचर' (proved
misbehaviour) और अयोग्यता (incapability) के आधार पर महाभियोग का
प्रस्ताव संमोहित होने पर जोस सद के प्रथम सदन के उपस्थित सदस्यों के ने
तिहाई बहुमत तथा प्रत्येक सदन की कुल सदस्य मत्या के आधे से अधिक सत्स्यो
द्वारा पारित किया गया हो, राष्ट्रपति उस समय से पूर्व पदच्युत कर सकता है।
निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों को भी राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त
के परामर्श पर ही हटा सकता है। मुख्य निवाचन आयुक्त और सर्वोच्च न्यायालय
की नियुक्ति में केवल यह अंतर है कि जहां यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पयत
अर्थात् 65 वर्ष की आयु तक हाती है वहां मुख्य निवाचन आयुक्त का केवल कुछ काल
के लिए ही नियुक्त किया जाता है।

तीसरे, भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन (Delimitation of Con
stituencies) के कार्य को भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण में

1, Sec Art 324,

स्वतंत्र रखा गया है। यह निर्वाचनों को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाये रखने के लिए किया गया है। जहाँ भ्रमरीता म जेरीमेन्डरिंग (Gerrymandering) नाम की बुझ्नात प्रया विद्यमान है वहाँ भारत में इसके विवास की कोई सम्भावना नहीं। भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के लिए एक स्वतंत्र आयोग की व्यवस्था की गयी है जिसे सीमांकन आयोग (Delimitation Commission) कहते हैं। इसकी स्थापना 1952 के सीमांकन आयोग अधिनियम द्वारा की गयी थी। इन सीमांकन आयोग के तीन सदस्य होना हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में कार्य करता है। इनमें अन्य दो सदस्य सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के 'यादाधीन' (चाहें कार्य कर रहे हैं या सेवा निवृत्त हो) होने हैं। यह आयोग दस वर्षों के उपरान्त प्रत्येक जनगणना के साथ या प्रत्येक चुनाव से पूर्व यदि इसकी आवश्यकता अनुभव की गयी हो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करता है। इस आयोग की सहायता के लिए अधिनियम में प्रत्येक राज्य से दो से सात सहायक सदस्यों का प्रावधान है। ये सहायक सदस्य सम्बद्ध राज्य से लोक सभा के लिए या राज्य विधान मण्डल के लिए निर्वाचन सदस्यों में से चुने जाते हैं। इस तरह आयोग की रचना में प्रत्येक राज्य तथा मुख्य राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के सम्बन्ध में लोग व्यक्तिगत रूप में या संगठित रूप से आयोग के प्रस्तावों पर आपत्तियाँ या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग इन पर सावजनिक बैठकों में विचार करता है और उसके बाद सीमांकन आदेश की घोषणा की जाती है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

निर्वाचन आयोग और उसके पदाधिकारियों की शक्तियाँ

निर्वाचन आयोग और उसके पदाधिकारियों की शक्तियों को निम्न बिंदुओं द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है—

(a) निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियाँ—निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ विविध और बहुगुणी हैं। इसकी शक्तियों को निम्न बिंदुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—

(i) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों को संचालित करना तथा उनका अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करना।

(ii) समद तथा राज्य विधान सभाओं व स्थानीय सस्थाओं के निर्वाचनों का संचालन करना तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए उनका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना।

(iii) निर्वाचना के लिए निर्वाचन सूचियाँ तैयार करना और प्रत्येक दस वर्षों के उपरान्त प्रत्येक जनगणना के साथ और प्रत्येक सामान्य निर्वाचन से पूर्व आवश्यकतानुसार परिशाधित (revise) करना।

(iv) निर्वाचन कार्यक्रम और निर्वाचन तिथियों की अधिसूचना निकालना ताकि नामांकन पत्रों को समय पर पेश किया जा सके और उनकी समय पर हो सके।

(v) निर्वाचन प्रबंध के सम्बंध में उत्पन्न हान वाले विवादा की जांच के लिए अधिवारियों को नियुक्त करना ।

(vi) निर्वाचन को संचालित करने के लिए आयाग राष्ट्रपति या राज्यपाल से आवश्यक कमचारियों की नियुक्ति के लिए प्राथना कर सकता है ।

(vii) राजनीतिक दला का मायता प्रदान करना । इसके लिए आयोग ने एक बसोटी तैयार की है अर्थात् जा दल चुनाव में 3 प्रतिशत मत प्राप्त कर है तो उसे मायता दे दी जाती है ।

(viii) राजनीतिक दला को चुनाव चिह्न प्रदान करना ।

(ix) संसद या राज्य विधान सभाओं के सदस्यों की अनहताया (disqualifications) के सम्बंध में राष्ट्रपति या राज्यपाल को, जसी भी स्थिति हो, पराम देना ।¹

(x) प्रादेशिक आयुक्ता की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से प्राथना करना ।

(xi) राजनीतिक दला का आवाशवाणी पर चुनाव भाषणों की सुविधाएँ दिलाना ।

(xii) प्रत्याशियों द्वारा कुल व्यय की राशि को निर्धारित करना ।

(xiii) मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना ।

(xiv) निर्वाचन याचिकाओं आदि के सम्बंध में सरकार को आवश्यक परामश देना ।

(xv) राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता (code of conduct) को निर्मित करना ।

उदाहरणतया फरवरी 1972 में राज्य विधान सभाओं के निर्वाचना के समय आयोग ने एक आचार संहिता जारी की थी जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान किसी ऐसे कार्य को न करें जिससे दला के वर्तमान भेद उग्र रूप धारण कर ल दला की आलोचना नीतिया और प्रोग्रामा तक सीमित हो दला को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उनके समयक दूसरे दला द्वारा आयोजित चुनाव सभाओं या प्रदर्शना में बाधा प्रस्तुत न करें मता को प्राप्त कराने के लिए दल जाति या साम्प्रदायिक भावनाओं को अपील न करें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च का प्रयोग चुनाव कार्यों के लिए न किया जाय चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए कमचारियों का सहयोग करें भ्रष्ट प्रथाओं का प्रयोग न करें, मतदाताओं की पहचान चिट्टें साधारण कागज पर हों, आदि ।

(b) रिटनिंग अफसर के कार्य — निर्वाचन प्रशासन में रिटनिंग अफसर जिता स्तर का अधिकारी है परंतु निर्वाचन में उसकी स्थिति उस धुरी के समान है जिसके ऊपर सारी निर्वाचन व्यवस्था की मफनता निर्भर करती है । उसकी निष्पक्षता,

¹ See Arts 103 and 192

- (vi) तामांकित पत्रों की जोच, प्रत्यागियों की घोषणा व चुनाव चिह्न का घायटा ।
- (vii) चुनाव घोषणा पत्र ।
- (viii) चुनाव अभियान तथा मतदानों का जुटाना ।
- (ix) मतदानाघा द्वारा मतदान का प्रयोग तथा निर्वाचन म उतारी गान्तारी ।
- (x) निर्वाचन परिणामा ती घोषणा तथा पत्र ती मपथ ।

(i) मताधिकार—जुन प्रतिनिधित्व राजूत क अतगत भारत म वयम्न मताधिकार की प्रणा ती म्पावित की गयी है अर्थात मताधिकार प्राप्त रण के निये काई सम्पत्ति, वरा की मीमा, शिक्षा त्रिग आदि ती घायताये गही रगी गयी । प्रयेर भारतीय नागरिक जिनकी आयु 21 वष ती है या उमम उपर है उम मताधिकार प्राप्त है । वयम्न मताधिकार ती वयम्न्या वस्तुत नागतीय प्रजातन्त्र का मून आधार है । नागतीय नागरिता ती वयम्न मताधिकार प्रदान कर मविधान निमाताघा न उत विश्वास का व्यक्त रिया जा उह भारतीय लाग की व्यु कूलनगीतता (adaptability) और घायता पर था । यह मविधान निर्माताघो का महान रदम था । जमाकि निर्वाचन आयाग त प्रथम चुनाव के बाद अपन प्रतिरुत म कहा था कि 'यह निश्चय ही विश्वास का काम था । भारत त माधारम व्यकि म तथा उमकी व्यावहारिक बुद्धि म विश्वास ।'¹

स्वतन्त्रता म पूर भारतीय मतदानाघा की मग्या अत्यधिक मीमिती की । मन् 1919 के अधिनियम के अतगत केवल 3% नागरिका का तत्र 10% नागरिका का मताधिकार प्राप्त था, मन् 1935 के अधिनियम के अतगत यह मताधिकार केवल 10% नागरिकों का प्राप्त था । मताधिकार त त्रिन मीमिती वा वल्लि माम्प्रदायिक और सम्पत्ति शिक्षा, वर उपाधि आदि मे भी मयागित था । परन्तु नागतीय मविधान निमाताघा न स्वतन्त्रता के बाद भारत क प्रथम नागरिक की वयम्न मताधिकार प्रदान कर रिया । माम्प्रदायिक मताधिकार का ममशा व त्रिग ममाप्त कर दिया । "एर आत्मी एर मत का सिद्धान्त मर्यत्र त्रिप्रमा १ । आज भारत की आधी जनता मताधिकार का प्रयाग करती २ अथान मताताघा ती मन्दा 25 वराड मे भी उपर है ।

मविधान मना के बुद्ध मन्म एमे अत्रशय थ जिहनि वयम्न मताधिकार की तकमगता पर मन्हे व्यक्त किय थ । उनवा रन्ना था कि भारत का नागरिक

1 It was a momentous step, "an act of faith-faith in the common man of India and in his practical common sense".
Government of India, Election Commission Report on the First General Elections in India 1951-52 p 10

अधिकांशतः अशिक्षित है, निधन है, उसके पास निर्वाचन अनुभव का अभाव है, अतः उससे मताधिकार के सही प्रयोग और प्रत्याशियों में विभ्रमिता (discreteness) का अपेक्षा करना भ्रूखता है। एक आलोचक ने व्यस्त मताधिकार की तुलना "उस भरी हुई बट्टक से की थी जो बच्चे ने हाथ में दे दी गयी हो"¹ आलोचका का यह भी कहना था कि राजनीतिक जनोत्तेजक (political demagogues) भोली भाली, रूढ़िवादी जनता को बहकाकर उनमें मत प्राप्त कर लेंगे।

आलोचकों की उपयुक्त आशंकाएँ तथा सन्देह निराधार सिद्ध हुए हैं। यह सत्य है कि भारतीय मतदाता आज भी अशिक्षित और रूढ़िवादी है और जाति का भी उस पर प्रभाव है राजनीतिक चेतना की कमी नहीं। वह राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय समस्याओं से भिन्न ही व्यग्र या उनके प्रति उदासीन हो परन्तु वह कम से कम स्थानीय समस्याओं और विशेष कर उन समस्याओं से अवश्य ही परिचित है जिनमें वह दैनिक जीवन में पीड़ित है जैसे प्रशासन में भ्रष्टता, व्याप्तियों की कमी, गम्भीर महंगाई, बेरोजगारी आदि। ये सब तत्त्व उसी निर्वाचन और मतदान व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। सन् 1967 के चुनाव परिणाम (जिसमें कांग्रेस दल की प्रधानता भंग हो गई) 1971 के मध्यावधि चुनाव जिसमें निर्वाचक मण्डलता न पुनः इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया और जून 1975 के गुजरात चुनाव जिसमें निर्वाचन मण्डलता न पुनः कांग्रेस के प्रति अविश्वास और प्रशासनिक भ्रष्टता, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी के प्रति विरोध प्रकट किया है, इस बात के स्पष्ट उदाहरण हैं कि भारतीय मतदाता चेतनशील है और उन्हें आज इस बात का ज्ञान है कि वे निर्वाचन में अपने मतों से शासन का तस्मात् उलट सकते हैं। जमाबंदी नामक डी० पामर ने लिखा है कि ये "निर्वाचन अधिकांशतः निरक्षर लोगों की योग्यता के प्रभावशाली प्रदर्शन हैं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग बुद्धिमत्ता से कर सकते हैं।"² भारतीय मतदाताओं की राजनीतिक चेतना और बुद्धिमत्ता इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि अवध (invalid) मतों का प्रतिशत कुल डाले गये मतों के 3 या 4 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा।

(ii) निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन तथा सुरक्षित स्थान—निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन है। क्योंकि भारत में जनसंख्या की वृद्धि अत्यधिक मात्रा में हो रही है अतः मविधान निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन की व्यवस्था करता है। परन्तु यहाँ भी सविधान ने निष्पक्ष और स्वतंत्र

1 भारत में अद्य तक पाए सामान्य चुनाव (1951-52, 1957, 1962, 1967-1971) और अनेक मध्यावधि और उप चुनाव हुए हैं और प्रत्येक चुनाव में भारतीय मतदानात्मा ने अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है।

2 These elections have been impressive demonstrations of the ability of a largely illiterate people to exercise the franchise wisely. Palmer Norman D. The Indian Political System (Second edn) p. 242

आयोग की स्थापना की है अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन की प्रक्रिया को काय-पालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण में मुक्त रखा गया है। यही कारण है कि अमरीका की कुर्यात प्रथा जेरीमेन्डरिंग (Gerrymandering) का भारत में विकास होने की सम्भावना नहीं।

भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के लिये एक सीमांकन आयोग की व्यवस्था है। इस आयोग के तीन सदस्य होते हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इसमें राज्य का मुख्य सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। यह आयोग दस वर्ष के उपरान्त प्रत्येक जनगणना के साथ या प्रत्येक चुनाव से पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करता है। इस आयोग की सहायता के लिये अधिनियम में प्रत्येक राज्य से दो से सात सहायक सदस्यों का प्रावधान है। ये सहायक सदस्य सम्बद्ध राज्य से लोक सभा के लिये या राज्य विधान मण्डलों के लिये निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं। इस तरह आयोग की रचना में प्रत्येक राज्य तथा मुख्य राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है।

निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के सम्बन्ध में लोग व्यक्तिगत रूप से या संगठित रूप से आयोग के प्रस्तावों पर आपत्तियाँ या मुद्दा प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग इन पर सावजनिक बैठकों में विचार करता है और उसके बाद सीमांकन आदेश की घोषणा की जाती है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

प्रथम और द्वितीय निर्वाचनों में भारत में द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (Double member Constituencies) के परन्तु 1961 में एक अधिनियम द्वारा द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया। आज सारे भारत में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र ही है अर्थात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि ही निर्वाचित होता है। प्रत्येक राज्य की लोक सभा में उसके स्थान उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं और राज्य के नियम निश्चित किये गये हैं वा इस प्रकार पाटा जाता है कि प्रति सीट जनसंख्या का अनुपात राज्य भर में समान हो।

भारत में यद्यपि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था का समाप्त कर दिया गया है फिर भी सविधान अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये, उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोक सभा और अनुच्छेद 332 में राज्य विधान सभाओं में स्थानों का सुरक्षित रखा गया है। सविधान न सविधान जागू हान के 10 वर्ष तक प्रथम 1960 तक इन स्थानों को सुरक्षित रखा था परन्तु इस अवधि को दो बार बढ़ा दिया गया है और अब सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था 1980 तक है। ये अनुच्छेद इन जातियों के प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिलाते हैं। इसी प्रकार सविधान अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति को लोक सभा में एंग्लो इण्डियन समुदाय के दो प्रतिनिधियों और अनुच्छेद 333 राज्यपाल को राज्य विधान सभा में एक प्रतिनिधि का नामांकन करने का अधिकार प्रदान करता है यदि वह विश्वास हो जाय कि इन जातियों को लोक सभा या राज्य विधान सभा, जगती भी स्थिति हो, में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ।

(iii) निर्वाचन सूचियों की तयारी — निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचन सूचियों की तयारी एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि निर्वाचन सूची में पंजीकृत नागरिक को ही मताधिकार प्राप्त होता है और सूची में पंजीकरण ही इस बात का प्रमाण है कि श्रमण नागरिक की आयु 21 वर्ष या उमरे ऊपर है। प्रत्येक 21 वर्ष आयु प्राप्त नागरिक को निर्वाचित सूची में अथवा नाम पंजीकृत कराने का अधिकार है बशर्ते कि वह (i) भारत का नागरिक हो, (ii) निर्वाचन क्षेत्र का सामान्यतः निवासी हो, (iii) अल्पमत द्वारा उमे विद्युत मानस (पागल) घोषित न किया गया हो, (iv) निर्वाचन बानून में अंतगन भ्रष्टाचार या किसी अपराध के कारण मतदान में वंचित न किया गया हो। दूसरे पक्ष में जो भारत का नागरिक नहीं निर्वाचन क्षेत्र का निवासी नहीं पागल है अपराधी है या भ्रष्टाचार के कारण मन्दायालय द्वारा दण्डित किया गया है तो उमे निर्वाचन सूची में अथवा नाम पंजीकृत कराने का अधिकार नहीं।

भारत की निर्वाचन सूचियाँ की विशेषता यह है कि इन्हें निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर तयार किया जाता है जाति धर्म, त्रिग या समुदाय के आधार पर नहीं। निर्वाचन क्षेत्र में रहे वाले सभी नागरिकों को त्रिग या समुदाय के आधार पर नहीं करने है। निम्नी जाति के हैं निम्नी भाषा का प्रयोग करने हैं, एक ही निर्वाचन सूची तयार की जाती है। उस दृष्टि से अनुच्छेद 325 निर्वाचन में धर्म निरपेक्षता का पालन करता है। काइ मतदाता इम वान की माग नहीं कर सकता कि धर्म जाति या त्रिग के आधार पर पुनः निर्वाचन सूची में उमना नाम पंजीकृत किया जाय। निर्वाचन सूचियाँ निर्वाचक आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण में तयार की जाती हैं। जिना में स्थापित की गयी निर्वाचन शाखाओं निर्वाचन आयोग को इस कार्य में सहायता करती हैं। यदि कोई नागरिक निर्धारित तिथि तक 21 वर्ष की आयु ग्रहण कर लेता है या उमके बाद भी (परन्तु चुनाव की तिथि से पूर्व) यह आयु प्राप्त कर लेता है तो निर्वाचन सूची में अथवा नाम पंजीकृत कर उसके नाम के पत्रे करण की व्यवस्था है।

(iv) निर्वाचन की घोषणा — निर्वाचन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इस घोषणा से ही निर्वाचन में जान आनी शुरू हो जाती है। यह घोषणा निर्वाचन आयोग के परामर्श पर की जाती है। चुनाव की अधिसूचना गजट ऑफ इण्डिया में प्रकाशित की जाती है। इस घोषणा के बाद चुनाव दिन के तिथियाँ नामांकन पत्र जमा कराने उन्की जाच की तिथि, नामांकन पत्रों का वापस लेने की तिथि तथा चुनाव पूर्ण करने की तिथियाँ आदि के नियम चुनाव अधिसूचना जारी की जाती है।

(v) दला द्वारा प्रत्याशिया का चयन — चुनाव प्रत्याशिया के चयन का अवसर दला के लिए सगर्मी का अवसर होता है क्योंकि यही ऐसा अवसर है जब दल के सदस्यों की मता और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए रास्ता मिलता है।

दल के लिए भी यह शक्ति जुटाने, मुटुढता लियाने और अनुशासन को प्रनाय रखने की घड़ी होती है जसा कि हाइड्रेव जूनियर न लिखा है कि "प्रत्याशिया का चयन नयी भर्ती और शक्ति जुटाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।"

चुनाव प्रत्याशिया के चयन में अनेक प्रकार के आंतरिक और बाह्य तत्वों का प्रभाव होता है। अनेक स्थितियाँ में दल के केन्द्रीय संगठन बलशाली होते हैं और कभी स्थानीय संगठन ही प्रभावपूर्ण होते हैं। दलों के आंतरिक गुणों के लिए भी यह रस्साकशी का अवसर होता है क्योंकि प्रत्येक गुट अपने समर्थकों का चुनाव प्रत्याशी के रूप में खटा करना चाहता है। कभी कभी दल की वृद्धा पीढ़ी (old guard) और युवा पीढ़ी (youth organisations) में रस्साकशी होती है दल को व्यापक सामाजिकता प्रदान करने का तत्त्व भी अत्यधिक बलशाली होता है। अनेक बार व्यावसायिक समूह, धार्मिक मंचों सामुदायिक संघों, आदि का प्रभाव भी पड़ता है। इन प्रभावों के अतिरिक्त अत्यंत तत्त्व जा प्रभावी होते हैं उनमें प्रमुख हैं (i) इच्छुक (अभिलाषी) प्रत्याशी का दल के प्रति भक्ति, निष्ठा और आस्था (ii) दल के प्रोग्रामों के प्रति वचन बद्धता, (iii) विधायी अनुभव, रचनात्मक कार्यक्रम में योगदान, (iv) उसका सामाजिक और आर्थिक आधार (v) दल की निधि में आर्थिक योगदान आदि। यद्यपि प्रत्येक दल ऊपर से जाति की भूमना करता है परंतु किसी भी दल के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशिया के चयन में यह तत्त्व अत्यधिक बलशाली होता है। प्रायः यह देखा गया है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कोई अल्प जाति की बहुतायत है तो दल प्रायः उसी जाति में प्रत्याशी का चयन करने है और यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो या तीन जातियाँ लगभग बराबर हैं तो उनके मतों का निष्प्रभाव (neutralize) करने के लिए किसी अल्प जाति के सदस्य को प्रत्याशी के रूप में खडा कर दिया जाता है।

सन्त प्रता प्राप्त स अब तक केन्द्र में और प्रायः सभी राज्या में (1967-69) के कुछ कालों को छोड़ कर और वर्तमान के तमिलनाडु, गुजरात और गोआ को छोड़कर) कांग्रेस दल का प्रभुत्व रहा है अतः कांग्रेस टिकटा के लिए होड हमेशा लगी रहती है।

भारतीय निर्वाचन प्रणाली की एक विशेषता यह रही है कि यहाँ निम्नलिखित प्रत्याशिया की सरया अत्यधिक रही है और चुनाव में उन्हें पर्याप्त महत्त्वता भी मिली है।

(vi) नामांकन, नामांकन पत्रों की जाच, प्रत्याशिया की घोषणा व चुनाव चिह्न का आवंटन—चुनाव प्रत्याशिया के चयन के बाद दल या स्वयं प्रत्याशी या उमका कोई अधिकर्ता निर्धारित तिथि और समय से पूर्व निर्धारित नाम की प्रथम नाम निर्देशन पत्र का रिटर्निंग अफसर के समक्ष प्रस्तुत करता है। इन नाम निर्देशन पत्र पर प्रत्याशी और निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता के हस्ताक्षर द्वारा प्रविष्ट है, नियमों के अनुसार नाम निर्देशन पत्र के साथ कानून द्वारा निर्धारित जमानत की

राशि को भी जमा कराना पड़ता है। रतना ही नहीं, प्रत्येक प्रत्याशी को रिटर्निंग अफसर व गणना गविधान के प्रति पिण्डा और देश की प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेनी पगती है। ताम निर्देशन पत्र म, अय सूचनाया क गतिरिक्त चुनाव चिट व मन्त्र म अगनी पगद भी व्यक्त करता है।

रिटर्निंग अफसर नभी नाम निर्देशन पत्रा की जाच करता है तथा वष नाम निर्देशन पत्रा की घापणा करता है तथा उह प्रवाशिन करवाता है। दला के आरक्षित चुनाव चिह उा दला र अधिकत सिफारिश व आगर

द्वारा स्वीकृत चुनाव चिट प्रदान किय जात हैं। निदलीय प्रत्याशिया का चुनाव प्रायाग पर दन के प्रत्याशिया का दिय जाने हे। निवाचन आयोग द्वारा स्वीकृत मुख्य चुनाव चिट हैं (i) दा वला की जाडी, (ii) गाय और वछडा, (iii) भापडी, (iv) लोपक (v) दराती और अनाज व पीधे का शोप, (vi) खडा हुआ शर,

(vii) मानव हाथ (viii) घोडा और सवार (ix) उगता हुआ सूय, (x) हाथा, (xi) मषान (xii) साखन, (xiii) फावडा (वलना) और भट्टी म कोयला भानन (xiv) घटा (xv) सीडी (xvi) मुगा (xvii) तीर-बमान, (xviii) वक्ष (xix) ताग (xx) ताव (xxi) फूल (xxii) तरगजू (xxiii) ऊट, (xxiv) बैलगाडी, (xxv) अनाज को पद्योगता हुगा निमान, (xxvi) दा पत्तिया वाली डाली, आदि।

(vii) चुनाव घोपणा पत्र—चुनाव स पूव प्रत्येक दन अपने कायनम को घोपणा करता है जिस चुनाव घोपणा पत्र कहत है। इस घोपणा पत्र म प्रत्येक दन अपने आधिक और सामाजिक कायनम को प्रस्तुत करता है। परतु भारतीय चुनाव की विशेषता यह है कि उह कायनम व आधार पर नहीं तडा जाता। वस्तु

भारतीय मतदाता म अभी इतनी योग्यता नहीं आई कि वह दलो का चयन कायनम के आधार पर कर सके। मतदाता ता प्राय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतिया व अनभिन रहता है। काइ अगिल भारतीय मतल नही, केवल अगिल भारतीय

शिकायत है। यहा चुनाव मुख्यतया व्यक्तित्व (personality) क आधार पर तडा जाता है और इसम कांग्रेस दल का ही लाभ हुआ है। प्रथम दो तीन चुनाव कांग्रेस ने माधी और नहरू के नाम पर मत गता सग्राम व लोगा के आधार पर, जीत और पाचव चुनाव म इंदिरा हवा' (Indira wave) ने ही चुनाव पर जाइ कर दिया। बवल 1967 का चुनाव हा ऐसा है जिसम मतदाता ने विभिन्नता (discreteness) का प्रयाग किया परतु यहा भी चयन दला के घोपणा पत्रा म उल्लिखित नीतियों के आधार पर नहीं वल्कि कांग्रेस व प्रति असन्ताप यढती हुई महगाई, सूसा और बेराजगारी स पीडित होवर अपन अपन असन्ताप का व्यक्त करने के लिए विभिन्नता का प्रयाग किया।

There are no all India issues as such—there are only all India grievances' Times of India dt 14 2-1967 Quote d by Hardgrave Jr Ibid p 178

(viii) चुनाव अभियान तथा मतदातागो को जुटाना—किमी दल का चुनाव अभियान अनेक बाता पर निर्भर करता है जैसे दल के वित्तीय स्रोत, दल का संगठन, दल के सदस्यो एव कायकर्त्ताओ की कमठता ग्रीन लोगो तक उनकी पहुच, अनुनय और प्रभाव ।

चुनाव अभियान में सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व 'धन' का होता है । प्रत्येक दल अपने वित्तीय स्रोतो को सुगुंढ करने का प्रयास करता है जिसे वह सदस्यता शुल्क, चंदा, सावजनिक सभाओ, धनाढ्य समथना, निधि संग्रह अभियाना, काता धन कमान वालो आदि से प्राप्त करता है । भारत में जितने भी दल है उन मवम काग्रेस दल की वित्तीय स्थिति अत्यधिक सुगुंढ है । इसका मूल कारण यह है कि काग्रेस स्वतन्त्रता प्राप्ति से बेदर और अधिकाश राज्या में सत्तारूढ रही है और वह अपने समथका अर्थात् काग्रेस निधि में चंदा दन वाला को परमिट्टा और अनुज्ञप्तिया (licences) द्वारा लाभाहित कर सकती है । अर्य दल अपन समथका को यह सरक्षण प्रदान करने की स्थिति में नहीं है । उदाहरणतया 1965 में कामराज ने जो उस समय काग्रेस अध्यक्ष थे, अपने जन्म दिवस पर काग्रेस निधि के लिए 17 लाख रुपये इकट्ठे किये ।

चुनाव कानून चुनाव व्यय की राशि भी निर्धारित करता है जो लोक सभा के निवाचन क्षेत्र के लिए 35000 रु० और राज्य विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए भिन्न भिन्न राज्या में भिन्न है ।¹ परन्तु वास्तविकता यह है कि चुनाव में इन राशियो के कई गुणा व्यय किया जाता है । और कानून द्वारा व्यय की निर्धारित राशि केवल कागजी महत्व रखती है यद्यपि प्रत्याशी चुनाव व्यय का हिसाब रिटर्निंग अफसर को दते है परन्तु वह प्रायः गलत होता है क्यकि सामान्यतया नाबो रुपय चुनाव व्यय किय जाते है ।

चुनाव अभियान में सबसे महत्वपूर्ण बात मतदाताओ का जुटाने की है । यह काय "उत्सव और सघप" का मिश्रण होता है स्थानीय कार्यालय स्थापित किये जाते जाते है दल के कायकर्त्ताओ या अभिकर्त्ताओ को त्रियाशील बनाया जाता है, चारा तरफ प्रत्याशियो के इशितहार, चित्रित नारे, सभी प्रकार के वाहनो पर दनीय भण्डे, चिह्न आदि तजर आते हैं । इस अभियान में सबसे अधिक बल चुनाव चिह्न पर दिया जाता है क्यकि अतत इसी के आधार पर मतदाना मतदान करते हैं । चुनाव अभियान में जन प्रदशन किय जाते है, विशाल सावजनिक सभाओ का आयोजन किया जाता है भाषण मालाओ का कार्यक्रम जागी रखा जाता है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओ से लेकर अभिनताओ (actors) अभिनत्रिया तक सभी भाग लेते है, गली मुहल्ला में सभायें की जाती है और घर घर जाकर प्रत्याशियो के लिए

1 इतना धन तमिलनाडु में 12 जिला से प्राप्त किया गया था । दलिय Hardgrave Jr Ibid, p 173

मत मागे जाते ह। यद्यपि सविधान चुनाव मे जाति, धर्म, या सम्प्रदाय आदि के नारो या अपील की मनाही करता है परन्तु इनका प्रयोग गुप्त रूप से खुल आम किया जाता है। जाति के नेताओ को खरीदा जाता है और इस तरह मता को प्राप्त किया जाता है, पर तु चुनाव मे 'धन' और 'जाति' का किस माना म प्रभाव है, कहना कठिन है क्योंकि मतदान गुप्त है और मतदाता पर किसी प्रकार का दबाव या नियंत्रण नहीं। जैसा कि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सेन वर्मा न सन् 1969 म कहा था कि 'इस देश के मतदाता को स्वाकार करके आम नहीं चला जा सकता। मतदाता को धन का प्रलोभन दिया जा सकता है, उसे किसी प्रत्याशी के वादना म लाया और ले जाया जा सकता है, पर तु इन सुविधाओ के प्रयोग के बाद भी उसे उस प्रत्याशी के पक्ष म मतदान करने मे सकोच नहीं हागा जिसे वह अच्छा समझता ह।'¹ यद्यपि सविधान चुनाव कार्यों के लिए धार्मिक स्थाना (मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्च आदि) के प्रयोग की मनाही करता ह परन्तु इन स्थानों का प्रयोग भी किया जाता ह।

(ix) मतदाताओ द्वारा मतदान का प्रयोग तथा निर्वाचनों मे उनकी साभेदारी—चुनाव के दिन मतदाता अपने मत का प्रयोग करता है परन्तु यह कहना कठिन है कि उसन किस आधार² पर मतदान किया। पिछले पाच चुनावों के बाद यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के मतदाता आज भी अधिकांशतः निरक्षर है निधन ह, दृष्टियों म फटा हुआ ह उसके हित जातीय और साम्प्रदायिक ह, वह उच्चारण की क्षमता नहीं रखता, राष्ट्रीय मसलों म वह चिन्तित नहीं परन्तु इन सबके बाद भी आज के मतदाता यह जानता है कि वह शासन का अपने मतदान द्वारा बदल सकते हैं। वह इस बात का भी जानता है कि मता को गरीबों वाना और चुनाव अभियान म लाभा रूपया खर्च करने वाला किस उद्देश्य मे चुनाव लड़ रहा ह, आदि। यद्यपि उसम दला के आर्थिक और सामाजिक नीतिया म विभिन्नता की क्षमता नहीं परन्तु वह निजी और स्थानीय समस्याओ से प्रबन्ध परिचित है और वे अपन प्रतिनिधिया मे कम स कम उनके समाधान या उनक निजा हितों की पूर्ति³ की आशा अवश्य रखते हैं और आवश्यकता होन पर अपने असताप को भी व्यक्त करते है जसाकि 1967 के चुनावों म और जून 1975 के गुजरात चुनावों म कांग्रेस के विरुद्ध असताप का अभियान किया है। राजनीति वस्तुतः

- 1 See Times of India, dt 8-12-1969 टा० दिनेश चन्द्र चतुर्वेदी की पुस्तक 'भारतीय शासन और राजनीति' से उद्धृत, पृ 305
- 2 मतदान पर कौन सा तत्व प्रभावी हाते है इसके लिय विस्तृत वलन पुस्तक चार म दिया गया है।
- 3 Hardgrave Jr writes 'The voters expect the MLA to be the broker between the man and the elite Ibid, p 185

“मरणाण” और नाम को पारम्परिक विद्या
पञ्चमिन् तनी रखा जा सकता, तदन नाम को
जीरित रखा जाता है । 1

(x) निर्वाचन परिणामों की घोषणा तथा पदों
का यह अंतिम उरण है जब मतों की गणना कर
प्रति घोषित कर दिया जाता है । मतों और राज
प्रतिगणन से पूर्व पदों की शपथ लिना जाता है ।

भारतीय निर्वाचनों की विशेषताएँ या Features of Indian Elections

भारतीय निर्वाचनों की विशेषताएँ (Nature of Indian Elections)

Or Features of Indian Elections

भारतीय निर्वाचना में कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं—
विद्युत् तंत्र द्वारा किया जा सकता है—

1 विश्व का विशाल लोकतंत्र—भारतीय चुनावों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये चुनाव विश्व में सत्रम विशाल माने जाते हैं। 60 लाख थी, 1957 के निर्वाचन में यह संख्या 24 करोड़ थी और 1967 के निर्वाचन में यह संख्या 45 करोड़ थी। 1971 के मयात्रि निर्वाचन में 25 करोड़ मतदाताओं की जनसंख्या का मतदान प्राप्त है। चुनावों में मतदाताओं की संख्या बढ़ती रही फिर भी उनके अनुपात में प्रथम चुनाव में मतदान करत मात्र 45.47 प्रतिशत थी, तीसरे चुनाव में 56.29 प्रतिशत थी, चौथे चुनाव में 61.33 प्रतिशत थी।

भारत के विधान सभा का संचालन अपने अर्थ में ही परतु फिर भी कुछ घटनाओं का छोड़ निर्वाचन व्यवस्थित ढंग में सम्पन्न हुए हैं। प्रथम निर्वाचन के सम्पन्न वहाँ द्वितीय चुनाव का 19 दिन तृतीय चुनाव को 10 दिन ही लग। इन चुनावों में सम्पन्न कराने के अवधारिया आदि की सेवाओं का प्रयोग किया जाता है।

है “इसे नतिक अपीलों द्वारा फायदा की मात्राओं में इसे

को शपथ—निर्वाचन प्रक्रिया
हुमत प्राप्त प्रत्याशी को निर्वा-
विधान सभा के सदस्यों को

कृति

विषयों
(ons)

जो अद्वितीय हैं। इन्हें निम्न

को की सबसे प्रमुख विशेष-

1 अथ अनेक लोकतांत्रिक

उदाहरणतया 1951-52

60 लाख थी, 1957 के

के निर्वाचन में यह संख्या

संख्या 24 करोड़ थी और

आज तो प्रायः भारत की

दान करने वाले मतदाताओं

जनक नहीं कहा जा सकता।

प्रतिशत थी, दूसरे चुनाव

थी और चौथे चुनाव में

प में एक गम्भीर समस्या

प्रायः शांतिपूर्ण और बड़े

कराने में जहाँ 4 महीने

10 दिन चौथे चुनाव को

लिए लाखों कर्मचारियों,

Change Orissa in

Ibid, p 186

1 See Buley F G Politics and Society
1959 p 141 Quoted by Hardgrave

(ii) अशिक्षित, निधन परतु समझदार मतदाता—भारतीय जनता का अधिकांश भाग ग्रामों में निवास करता है जो निरक्षरता, निधनता और रुढ़िवादिता के गट हैं परन्तु फिर भी पिछले चुनावों का अनुभव यह सिद्ध करता है कि भारतीय मतदाता निरक्षर होते हुए भी समझदार हैं। प्रथम दो या तीन चुनावों में वह भले ही मतों के महत्त्व का अधिक न समझता हो परन्तु आज उसे या सामूहिक रूप से उठ आभास है कि वह या उन अपने मतों का प्रयोग द्वारा शासन के तत्त्वों को बदल सकता है। यद्यपि उसमें आज भी दल प्रोग्रामों या नीतियों में विभिन्नता करने (discreteness) की कमी है परन्तु वह उन समस्याओं को अच्छी तरह समझता है जिनमें वह दैनिक जीवन में (जैसे भ्रष्टाचार बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी आदि) अन्वित है। उदाहरणतया यदि उसने 1967 के चुनावों में अपने अस्तित्व को यत्न करने के लिए कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिया तो उसी ने 1971 में कांग्रेस का साथ धर कर प्रतिपक्ष का यह महसूस करा लिया कि उसे राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है, गांधी-गलौज की भाषा और भ्रष्टाचार का मान मदन कर उसे बताया कि उसकी समस्याओं का शीघ्र समाधान अति आवश्यक है।

(iii) मतदान का आधार राष्ट्रीय विषय नहीं होते—भारतीय निर्वाचनों में तीसरी विशेषता यह है कि यहाँ मतदाता सिद्धांतों प्रोग्रामों या नीतियों के आधार पर मतदान नहीं करता। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों और समस्याओं के वह अनभिन्न ही नहीं रहता बल्कि उदासीन भी रहता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो राजनीतिज्ञ चुनाव घोषणा पत्र (Election Manifesto) को संकालित हैं वे उन पर चुनाव नहीं लड़ते। जैसाकि टाइम्स ग्रॉफ इण्डिया ने लिखा है कि 'वाइ अखिल भारतीय मसने नहीं बन अखिल भारतीय सिकायतें हैं।' निरंतर का शिथिल बन भन ही चुनाव घोषणा पत्रों से प्रभावित होता हो (परन्तु है ही भी इमका प्रभाव अस्तिदिग्ध है) परन्तु साधारण मतदाता तो उससे झूठा है।

भारतीय चुनावों में नीतियों का स्थान पर व्यक्तित्व और 'नेतृत्व' का अधिक प्रभाव है और महान नेताओं का प्रभाव तो जादू की भाँति होता है। यद्यपि गांधी नेहरू और इन्दिरा का। इस प्रभाव में भारतीयों के स्वार्थों और प्रभाव भी अत्यधिक वनशाली है क्योंकि भारतीय अपने नेताओं की भूलों और जर्मियों के लिये उन्हें क्षमा करना या उनका विरोध करना नहीं जानते। गम्भीरताओं और राष्ट्रीय हानियों पर भी वे नेतृत्व के परिवर्तन में विश्वास नहीं करते।

भारत में एक अनेक समूह जातियाँ और सम्प्रदाय हैं जिनका समर्थन और प्रभाव (चाहे इसका कारण कुछ भी रहा हो) एक ही दल (काँग्रेस) को दिया जाता है। उदाहरणतया मुसलमानों का तथा और अनुसूचित जातियाँ तथा अन्य जातियों का मत प्रायः काँग्रेस का ही दिया जाता है। यह तर्क न तो चुनावों के

के लिये शुभ कहा जा सकता है। निर्वाचकों में विभिन्नता
ना और लोकतंत्र की अनिवाय आवश्यकता है।

नाम जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि तत्वों के
है परंतु यह तत्त्व किसी से छुपा नहीं कि जो दल खुले में
वे ही गुप्त रूप में या परदे के पीछे इन्हीं तत्वों का सहाय
में तो चुनाव के दौरान इस नारे का खुले आम प्रयोग
की वेटी जाट का, जाट का वोट जाट को।' इतना ही
ने और समूहों से सामूहिक मत प्राप्त करने के लिये उस
मूह के पुरोहित वगैरे या मुख्य नेताओं और व्यक्तियों का
में पर दबाव डाला जाता, धमकाया जाता है, उन्हें खरीदा
री। म काले, आइरिश, या इटालियन वाट पाये जाते
'रेड्डी वोट' (Reddy Vote) और 'जाट वोट' (Jat

में भ्रष्टाचार के विविध रूप सामने आये हैं। सामान्यतया
प्रयोग तो है ही, इसके अतिरिक्त, डर, आतंक, भय,
स्वारों को खरीदना, अपहरण आदि तत्व भी इसमें शामिल
कि सत्तारूढ़ दल चुनाव के समय ऐसे साधनों का प्रयोग
क धोखे' और 'भ्रम' की सजा दी जा सकती है जैसे
प्रा की घोषणा जा चुनाव के बाद प्रायः कागज पर ही
विशेष सुविधाओं को प्रदान करना आदि।

में विदेशी और देशी धन का प्रयोग भी अत्यधिक है।
संगठना, छात्र संस्थाओं, साम्प्रदायिक संस्थाओं एवं युवा
रित होता है। यदि सी०आई०ए०, के अभिकर्ता चुनाव में
गैर रुस की एजेंसिया भी सक्रिय रहती है। देशी धन भी,
Money) की सजा दी जा सकती है, अत्यधिक प्रयोग में
र व्यापारिक और व्यावसायिक समूहों द्वारा जा अपने
ने हैं, चंदे के रूप में राजनीतिक दलों की निधियों को
कांग्रेस दल अत्यधिक फायदे की स्थिति में है क्योंकि
समर्थकों को परमिट्टा और अनुज्ञप्तियाँ (licences) द्वारा

व 'यूनाधिक' मात्रा में मतदाता के व्यवहार पर प्रभाव
समय कौनसा तत्व अत्यधिक बलशाली सिद्ध होता है
मतदान गुप्त होता है और उस समय मतदाता पर कोई

(ii) अशिक्षित, निधन परतु समझदार मतदाता—भारतीय जनता का अधिवाश भाग ग्रामा म निवास करता है जो निरक्षरता, निधनता और रुढ़िवादिता के गढ़ है परतु फिर भी पिछले चुनावो वा अनुभव यह सिद्ध करता है कि भारतीय मतदाता निरक्षर होते हुए भी समझदार है। प्रथम दो या तीन चुनावो म वह भले ही मतो के महत्त्व को अधिक न समझता हो परतु आज उसे या सामूहिक रूप से उह आभास ह कि वह या व अपन मता के प्रयोग द्वारा शासन के तरते को बदल सक्ते है। यद्यपि उसम आज भी दलो, प्रोग्रामा या नीतिया मे विभिन्नता बरल (discreteness) की बमी है परन्तु वह उन समस्याओ को अच्छी तरह समझता है जिनसे वह दैनिक जीवन म (जस अष्टाचार बढती हुई महगाई, बेरोजगारी आदि) सम्बन्धित है। उदाहरणतया यदि उसने 1967 के चुनावो म अपने असतोप को व्यक्त करने के लिए कांग्रेस को भजभोर दिया तो उसी न 1971 म कांग्रेस वा साथ देकर प्रतिपक्ष को यह महसूस करा दिया कि उसे राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है 'गाली-गलोज की भाषा और असमसदीय व्यवहार की नही', और उसी मतदाता न जून 1975 के गुजरात चुनाव मे कांग्रेस वा मान मदन कर उसे बता दिया कि उसकी समस्याओ वा शीघ्र समाधान अति आवश्यक है।

(iii) मतदान का आधार राष्ट्रीय विषय नहीं होते—भारतीय निर्वाचको की तीसरी विशेषता यह है कि यहा मतदाता सिद्धात्ता प्रोग्रामा या नीतिया व आधार पर मतदान नहीं करता। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयो और समस्याओ से वह अनभिा ही नहीं रहता बल्कि उदासीन भी रहता है। और दुर्भाग्य की बज यह है कि जो राजनीतिन दल चुनाव घोषणा पत्रो (Election Manifesto) को निकालते हैं व उन पर चुनाव नहीं लडते। जसाकि टाइम्स गाँफ दण्डिया न लिखा है कि काई अनिल भारतीय मसले नहीं केवल अखिल भारतीय शिवायतें हैं। भारत वा शिक्षित बग भल ही चुनाव घोषणा पत्रो से प्रभावित होता हो (परन्तु यहा भी इसका प्रभाव असन्दिग्ध है) परतु साधारण मतदाता तो उससे अज्ञाना है। भारतीय चुनावो म नीतिया के स्थान पर 'व्यक्तित्व' और नेतृत्व" वा अत्यधिक प्रभाव है और महान नेताओ वा प्रभाव ता 'जाहू की भांति होना है जसाकि 'गांधी', 'नेहरू और इन्दिरा वा। इस प्रभाव म भारतीय अपन नेताओ की भूला और वा प्रभाव भी अत्यधिक बजगाली है कयाकि भारतीय अपन नेताओ की भूला और कुत्रमों के लिये उह दण्डित करना या उनका विराध करना नहीं जानत। गम्भीर मुटिया और राष्ट्रीय हानियो पर भी वे नेतृत्व व परिवर्तन म विश्वास नहीं बरत। भारत म एने अनक समूह जातिया और सम्प्रदाय हैं जिनका ममपन परम्परा स (वा इमका कारण कुछ भी रहा हो) एक ही दल (कांग्रेस) को रिया जाता है। उदाहरणतया मुजमागा ईगादया और अनुसूचित जातिया तथा जन जातिया के मत प्राय काँग्रेस वा ही दिय जाते हैं। यह तर्क न ता चुनाव व

लिये और न तो वतन्त्र के लिये शुभ कहा जा सकता है। निर्वाचको में विभिन्नता का स्वभाव होना निर्वाचना और लोकतंत्र की अनिर्णय आवश्यकता है।

सविधान निर्वाचना में जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि तत्त्वों के प्रयोग की मनाही करता है परंतु यह तत्त्व किसी से छुपा नहीं कि जो दल खुले में इनकी भत्सना करते हैं वे ही गुप्त रूप में या परदे के पीछे इही तत्त्वों का सहारा लेते रहते हैं। हरियाणा में तो चुनाव के दौरान इस नारे का खुले आम प्रयोग किया गया था कि 'जाट की देटी जाट को, जाट का वोट जाट को।' इतना ही नहीं धिरादरियो, समुदाय और समूहों से सामूहिक मत प्राप्त करने के लिये उस विरादरी, समुदाय या समूह के पुरोहित वगैरे या मुख्य नेताओं और व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता, धमकाया जाता है, उन्हें खरीदा जाता है। जिस प्रकार अमरीका में काले, आइरिश, या इटालियन वोट पाये जाते हैं उसी प्रकार भारत में 'रेडडी वोट' (Reddy Vote) और "जाट वोट" (Jat Vote) पाये जाते हैं।¹

भारतीय चुनावों में भ्रष्टाचार के विविध रूप सामने आये हैं। सामान्यतया धन, स्त्री और मदिरा का प्रयोग तो है ही, इसके अतिरिक्त डर, घातक, भय, जालसाजी, विरोधी उम्मीदवारों को खरीदना, अपहरण आदि तत्त्व भी इसमें शामिल हैं। अद्वितीय बात तो यह कि सत्तारूढ़ दल चुनाव के समय ऐसे साधनों का प्रयोग करता है जिन्हें "सावजनिक धोखे" और "भ्रम" की सजा दी जा सकती है जैसे चुनाव से पूर्व नई योजनाओं की घोषणा या चुनाव के बाद प्रायः कागज पर ही रहती है, विशेष अनुदान, विशेष सुविधाओं को प्रदान करना, आदि।

भारतीय चुनावों में विदेशी और देशी धन का प्रयोग भी अत्यधिक है। विदेशी धन प्रायः श्रमिक संगठनों, छात्र संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं एवं युवा संगठनों के माध्यम से वितरित होता है। यदि सी०आई०ए०, के अभिकर्ता चुनाव में सक्रिय रहते हैं तो चीन और रूस की एजेंसियाँ भी सक्रिय रहती हैं। देशी धन भी, जिसे काले धन (Black Money) की संज्ञा दी जा सकती है, अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता है। विशेषकर व्यापारिक और व्यावसायिक समूहों द्वारा जो अपने हितों का प्रति करना चाहते हैं, चंद के रूप में राजनीतिक दलों की निधियाँ को भरा जाता है। इसमें भी कांग्रेस दल अत्यधिक फायदे की स्थिति में है क्योंकि सत्तारूढ़ होने से वह अपने समर्थकों को परमिटों और अनुमत्तियों (licences) द्वारा लाभ पहुँचा सकती है।

उपरोक्त सभी तत्त्व 'यूनाधिक' मात्रा में मतदाता के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं परंतु मतदान के समय कौनसा तत्त्व अत्यधिक बलशाली सिद्ध होता है यह कहना कठिन है क्योंकि मतदान गुप्त होता है और उस समय मतदाता पर कोई प्रभाव नहीं होता।

1 See Hardgrave Jr Ibid, p 181

(ii) अतिशक्ति, निर्धन परंतु समझदार मतदाता—भारतीय जनता का अतिवाश भाग यामा म निवाम करता है जो निरक्षरता, निबनता और रुदिकादिता के गढ है परंतु फिर भी पिछने चुनावा वा अनुभव यह सिद्ध करता है कि भारतीय मतदाता निरक्षर होते हुए भी समझदार है। प्रथम दो या तीन चुनावा म वह भने ही मतों के महत्त्व को अधिक र समनता हो परंतु आज उस या सामूहिक रूप म उ हे आभास है कि वह या व अपना मता र प्रमाण द्वारा शासन के तत्त्वे का बतन सकते है। यद्यपि उसम आज भी दला, प्राधामा या नीतिया म विभिन्नता करन (discruteness) की कमी है परंतु वह उन समस्याओं वा अच्यी तरह समझता है जिनसे वह दनिक जीवा म (जमे भ्रष्टाचार बढती हुई मद्गाई, बेरोजगारी आदि) मम्प्रभित है। उदाहरणतया यदि उमने 1967 के चुनावा मे अपने घस तोप को व्यक्त करन क लिए कांग्रेस वा मन्भोर दिया तो उसी ने 1971 म कांग्रेस वा साथ देकर प्रतिपक्ष को यह महसूस करा दिया कि उसे राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है, "गाली-गलौज की भाषा और अससदीय व्यवहार की नहीं" और उमी मतदाता ने जून 1975 के गुजरात चुनाव म कांग्रेस वा मान मदन कर उसे बना लिया कि उसकी समस्याओं वा शीघ्र समाधान अति आवश्यक है।

(iii) मतदान का आधार राष्ट्रीय विषय नहीं होते—भारतीय निर्वाचनों की तीसरी विशेषता यह है कि यहां मतदाता मिष्ठाता, प्रोप्रामो वा नीतिया क आधार पर मतदान नहीं करता। राष्ट्रीय और अ तराष्ट्रीय विषयों और समस्याओं से वह अनभिन्न ही नहीं रहता प्रतिक्र उत्पमीन भी रहता है। और दुर्भाग्य की बा यह है कि जो राजनीतिक दल चुनाव घोषणा पत्रों (Election Manifesto) को निकारते हैं व उन पर चुनाव नहीं लडते। जैसाकि टाइम्स ऑफ इण्डिया न रिता है कि 'कोई अंग्ल भारतीय मसले नहीं, केवल प्रतिल भारतीय शिकायतें हैं।' भारत ना शिक्षित वा भल ही चुनाव घोषणा पत्रों से प्रभावित होता हा (परन्तु यहां भी इसका प्रभाव असिदिग्ध है) परंतु साधारण मतदाता ना उससे अछूता है।

भारतीय चुनावों म नीतिया के स्थान पर "व्यक्तित्व" और "नेतृत्व" का अत्यधिक प्रभाव है और महान नेताओं वा प्रभाव तो "जादू" की भाति होता है जसाकि 'गांधी', 'गुरू' और इत्यादि का। इस प्रभाव म भारतीयों क सत्कारों वा प्रभाव भी अत्यधिक वनशाली है क्योकि भारतीय अपने नेताओं की भूला और कुबर्षों के लिये उहे दण्डित करना या उनका विरोध करना गही जानते। मम्भीर श्रुतियों और राष्ट्रीय हानियों पर भी व गतृत्व के परिवर्तन म विश्वास नहीं करते।

भारत म लमे अन्व समूह, जातिया और मम्प्रदाय हैं जिनका समपन परम्परा से (चाटे इसका कारण कुछ भी रहा हा) एक ही दल (कांग्रेस) वा लिया जाता है। उदाहरणतया मुसलमाना ईसाइया और अनुसूचित जातिया तथा जन जातियों के मत प्राय कांग्रेस वा ही लिये जाते हैं। यह तत्त्व न ता चुनावों के

तिये और न लोकतन्त्र के लिये शुभ कहा जा सकता है। निर्वाचको में विभिन्नता का स्वभाव होना निर्वाचना और लोकतन्त्र की अनिवाय आवश्यकता है।

सविधान निर्वाचना में जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि तत्वों के प्रयोग की मनाही करता है परन्तु यह तत्त्व किसी से छुपा नहीं कि जो दल खुले में इनकी भत्सना करते हैं वे ही गुप्त रूप में या परदे के पीछे इन्हीं तत्वों का सहारा लेते रहे हैं। हरियाणा में ता चुनाव के दौरान इस नारे का खुले आम प्रयोग किया गया था कि "जाट की बेटी जाट को, जाट का बाट जाट को।" इतना ही नहीं विरादरियो, समुदायो और समूहों से सामूहिक मत प्राप्त करने के लिये उस विरादरी, समुदाय या समूह के पुरोहित वगैरे या मुख्य नेताओं और व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता, धमकाया जाता है, उद्-खरीटा जाता है। जिस प्रकार अमरीका में काले, आइरिश, या इटालियन वोट पाये जाते हैं उसी प्रकार भारत में 'रेड्डी वोट' (Reddy Vote) और "जाट वोट" (Jat Vote) पाये जाते हैं।¹

भारतीय चुनावों में भ्रष्टाचार के विविध रूप सामने आये हैं। सामान्यतया धन, स्त्री और मदिरा का प्रयोग ता है ही, इसके अतिरिक्त, डर, आतंक, भय, जालसाजी, विरोधी उम्मीदवारों को खरीदना, अपहरण आदि तत्व भी इसमें शामिल हैं। अद्वितीय बात तो यह कि सत्तारूढ़ दल चुनाव के समय ऐसे साधनों का प्रयोग करता है जिन्हें "साधजनिक घोषे" और "भ्रम" की सजा दी जा सकती है जैसे चुनाव से पूर्व नई योजनाओं की घोषणा या चुनाव के बाद प्रायः वागज पर ही रहती है, विशेष अनुदान, विशेष सुविधाओं को प्रदान करना, आदि।

भारतीय चुनावों में विदेशी और देशी धन का प्रयोग भी अत्यधिक है। विदेशी धन प्रायः अमिक सगठना, छान सस्थाओं, सांस्कृतिक सस्थाओं एवं युवा सगठना के माध्यम से वितरित होता है। यदि नी०आई०ए०, के अभिकर्ता चुनाव में सक्रिय रहते हैं तो चीन और रूस की एजेंसिया भी सक्रिय रहती हैं। देशी धन भी, जिसे काले धन (Black Money) की सजा दी जा सकती है, अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता है। विशेषकर व्यापारिक और व्यावसायिक समूहों द्वारा, जो अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, चंदे के रूप में राजनीतिक दलों की निधियाँ को भरा जाता है। इसमें भी कांग्रेस दल अत्यधिक फायदा की स्थिति में है क्योंकि सत्तारूढ़ होने से वह अपने समर्थकों को परमिटों और अनुज्ञप्तियों (licences) द्वारा लाभ पहुँचा सकती है।

उपयुक्त सभी तत्व अनाधिक मात्रा में मतदाता के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं परन्तु मतदान के समय कौनसा तत्व अत्यधिक बलशाली सिद्ध होता है यह कहना कठिन है क्योंकि मतदान गुप्त होता है और उस समय मतदाता पर कोई प्रभाव नहीं होता।

1 See Hardgrave Jr Ibid, p 181

(ii) चुनावों पर एन दल का प्रभाव—भारत में बहुदलीय प्रणाली है परन्तु फिर भी चुनावों पर एन दल ही (काँग्रेस ही) हावी रहता है। यही दल चुनाव में सभी स्थानों के लिये अपने प्रत्याशियों का उठा करता है। अन्य दल तो सभी स्थानों के लिये अपने प्रत्याशियों का उठा करने की स्थिति में नहीं। इसका मूल कारण यही है कि काँग्रेस के वित्तीय स्रोत सुदृढ़ हैं और उसे चढ़ की आर्थिक राशि प्राप्त होती है। जगति ऊपर कहा गया है काँग्रेस अपने समयका का संरक्षण (patronage) द्वारा लाभ पहुँचाने की स्थिति में है। हमारे काँग्रेस दल का सगज अन्य दलों की तुलना में अधिक संगठित है, उनके पास अल्प भारतीय स्तर के नेता हैं और अभी भी वह स्वतंत्रता संग्राम में किये गये त्यागों के पत्रों की भोगता है।

(v) बहुपक्षीय मुकाबला (Multi-cornered Contest)—भारतीय चुनावों की एक विशेषता यह है कि यहाँ चुनाव प्रायः बहुपक्षीय होते हैं, सीधे दो दलों या दो प्रत्याशियों में मुकाबला उद्भूत कम होता है। इसका मूल कारण यह है कि भारत में प्रतिपक्ष नियत ही नहीं बल्कि विभक्त भी है। इसका लाभ काँग्रेस को मिलता है। प्रतिपक्ष के मत आपस में ही विभक्त हो जाते हैं। परन्तु जब कभी प्रतिपक्ष न संयुक्त होकर रचनात्मक वायव्य के आधार पर काँग्रेस का मुकाबला किया तो उसमें उसे बड़ा मुकाबला मिला। परन्तु यहाँ भी 1971 के चुनाव परिणाम, कुछ और ही दिशा को व्यक्त करते हैं। इस चुनाव में जनमत, स्वतंत्र पार्टी, संगठन काँग्रेस और संयुक्त समाजवादी दल के महात् राजनीतिक गठबंधन को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा, उनकी आशाएँ मिट्टी में मिल गयीं। चुनाव विशेषज्ञों की प्रतिष्ठा तो धक्का लगा। इस चुनाव में 'इन्दिरा हवा' (Indira Wave) ने सभी अनुमानों को मिथ्या सिद्ध कर दिया। परन्तु जून 1975 के गुजरात चुनाव परिणाम यह सिद्ध करते हैं कि यदि प्रतिपक्ष सुदृढ़, सक्रिय और रचनात्मक वायव्य प्रस्तुत कर सकता है तो वह काँग्रेस का विकल्प बन सकता है। इस चुनाव में पांच दलों के फ्रंट को यद्यपि पूर्ण बहुमत नहीं मिला परन्तु वह काँग्रेस का पराजित करने, उसके मान मढ़ा करने में तो सफल हुई।

(vi) निदलीय उम्मीदवार—भारतीय निर्वाचनों की एक विशेषता यह भी है कि चुनावों में निदलीय उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त होती है। 1951-52 के निर्वाचन में निदलीय उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से एक तिहाई थी। यद्यपि 8 में से 7 निदलीय उम्मीदवार अपनी जमानतें भी खो बैठते हैं परन्तु फिर भी उन्हें कुछ सफलता तो मिलती ही है। भारत का मतदाता 'दल-चेतन' (Party oriented or Party conscious) है और वह अपने मत का प्रयोग समझदारी से करने का प्रयास करता है परन्तु फिर भी निदलीय उम्मीदवारों की संख्या विधानसभाओं में पर्याप्त रही है। 1971 के लोकसभा के मध्यावधि चुनावों में निदलीय सदस्यों को 8.3% मत पड़े और आज उनके सदस्यों की संख्या

30 के लगभग है। राज्य विधानसभा में इनकी संख्या पर्याप्त है। यह तत्त्व भारतीय निर्वाचन प्रणाली में एक दूषित तत्त्व है क्योंकि यह अतः राजनीतिक अस्थिरता, पक्ष त्याग (defection), स्वाथ आदि तत्त्वों को बढ़ावा देता है। क्योंकि निर्दलीय सदस्यों की कोई ठोस नीतियाँ या प्रोग्राम नहीं होते अतः उन्हें अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये दल बदलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती।

(vii) विप्लव चुनाव अभियान—भारतीय चुनावों की एक विशेषता यह है कि यहाँ चुनाव अभियान शुद्ध राजनीतिक साधनों के आधार पर संचालित नहीं किया जाता। चुनाव सभाओं में प्रत्याशियों और नेताओं पर व्यक्तिगत आक्षेप किये जाते हैं, गाली गलौज साधारण बातें कीचड़ उछाला जाता है। आक्षेप में चुनाव में हार अच्छे बुरे हथियार का प्रयोग किया जाता है। इस सब का मूल कारण यह है कि राजनीतिक दलों में आचार संहिता की कमी है और राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है।

(viii) राजनीतिक वैश्यावृत्ति या सिद्धांत रहित गठबंधन—भारतीय चुनावों की एक विशेषता यह भी है कि चुनाव के समय या चुनाव के बाद ऐसे अवसरवादी सिद्धांत रहित गठबंधन होते हैं जो अन्य देशों में नहीं पाये जाते हैं। इस रोग से केवल विरोधी दल ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल भी पीड़ित हैं। उदाहरणतया धर्म निरपेक्षता में विश्वास करने वाले कांग्रेस दल ने केरल में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण अपनाते वाली मुस्लिम लीग से समझौता किया, इसी प्रकार लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कांग्रेस दल ने हिंसा में विश्वास करने वाले साम्यवादी दल से गठबंधन किया। इतना ही नहीं कांग्रेस ने साम्यवादी दल के साथ संसद के चुनाव में तो समझौता किया परंतु उसी साम्यवादी दल का राज्या में विरोध किया। इतना ही नहीं सत्ता का अपने हाथ में बनाये रखने के लिये कांग्रेस ने ही दल बदल की दूषित प्रणाली को बढ़ावा दिया। प्रतिपक्ष ने भी ऐसे सगठन और संयुक्त मार्चों और फाटों का निर्माण किया जिनके सिद्धांतों में कोई सामंजस्य नहीं था। उदाहरणतया स्वतंत्र दल और जनसंघ जैसे दक्षिण पंथी दलों ने माक्सवादियों जैसे वाम पंथी दलों से गठबंधन किये। ये सब तत्त्व भारतीय राजनीति की वैश्यावृत्ति और सिद्धांत रहित वैश्यावृत्ति को स्पष्ट करते हैं।

(ix) विधान सभा में प्राप्त स्थानों और दल को प्राप्त मतों में कोई सामंजस्य नहीं—भारतीय निर्वाचनों की एक विशेषता यह रही है कि जिन दलों को विधान सभा में जो स्थान प्राप्त हुए हैं और जो मतों का प्रतिशत उन्हें प्राप्त होता है उनमें कोई सामंजस्य नहीं। उदाहरणतया 1951-52 के निर्वाचन में कांग्रेस को डाले गये मतों के 45% मत ही पड़े परंतु लोक सभा में उसे 74.4 स्थान प्राप्त हुये परंतु 1967 के चुनाव में कांग्रेस को 40.73 प्रतिशत मत पड़े परंतु उसे 54.42 स्थान ही प्राप्त हुए। 1971 के मध्यावधि चुनाव में भी कांग्रेस को 43.6 मत ही पड़े परंतु लोक सभा में उसे लगभग 70% स्थान प्राप्त हुए।

निर्वाचनो का सक्षिप्त विवरण (A brief description of Elections)

सविधान लागू होने के समय से अत्र तत्र पांच सामान्य चुनाव हो चुके हैं। इनका सक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है—

प्रथम चुनाव—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय नागरिकां के लिये यह पहला अवसर था जब उन्हें वयस्क मतदाताओं के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया था। इसमें कुल 17 करोड़ 60 लाख मतदाता थे। इसमें लोक सभा के 489 स्थानों और राज्य विधान सभाओं के 3,300 स्थानों के लिये चुनाव लड़े गये, इन स्थानों के लिये 17,500 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए जिनमें 240 महिलायें थीं। खड़े होने वाले प्रत्याशियों में एक तिहाई से अधिक निदलीय सदस्य थे। इस चुनाव में कुल मिलाकर 75 दलों ने भाग लिया। कांग्रेस दल ही एक ऐसा दल था जिसने सारे स्थानों के लिये अपने प्रत्याशी लड़े लिये।

प्रथम चुनाव में कांग्रेस ही लोक सभा और अठारह राज्यों में विजयी रही। लोक सभा में इसे 489 स्थानों में से 364 स्थान प्राप्त हुए, साम्यवादी दल को 16, समाजवादी दल को 12, किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9, हिन्दू महासभा को 4, जन सच और राम राज्य परिषद् को तीन-तीन, रिपब्लिकन पार्टी का 2, अथ छोट छोट दलों का 35 और निदलीय उम्मीदवारों को 41 स्थान प्राप्त हुए। यद्यपि राज्य विधान सभाओं में कांग्रेस विजयी रही थी परन्तु चुनाव परिणाम उसमें लिये चिन्ता के विषय थे। प्रथम तो उसे कुल मतों के 45% मत ही प्राप्त हुए थे जो कुल मतों के आधे में भी कम था। दूसरे साम्यवादियों को अनेक राज्यों में आश्चर्यजनक सफलता मिली थी और लोक सभा में भी उसे 16 स्थान प्राप्त हुए थे। तीसरे निदलीय उम्मीदवारों की संख्या काफी थी जो इस बात का प्रतीक थे कि भाग्यनीय मतदाताओं ने अनेक दलों का अस्वीकार किया था।

प्रथम चुनाव की सचम पसुल विशेषता यह थी कि "अंधकार के पगभराल" (Prophets of gloom) की भविष्य शक्तियां मिथ्या मिथ्य हुईं और अशिक्षित, अनभिज्ञ रूढ़िवादी मतदाताओं ने मिथ्य कर दिया कि उनमें मतदान की योग्यता है और लोकतंत्र को बाधित करने की उनमें क्षमता है। प्रायः सभी स्थानों पर चुनाव शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से हुए। यद्यपि निरक्षरता और रूढ़िवादिता तथा परम्पराओं ने कुछ कठिनाइयां अवश्य पेश की परन्तु उन पर समुचित समाधान चुनाव चिह्न की प्रथा ने कर दिया। अनेक प्रथम चुनाव में भारतीय लोकतंत्र को उग रास्ते पर लाने का प्रयास कर दिया गया जो वहाँ अपने विराग की धार निरंतर बढ रहा है।

दूसरे चुनाव (24 फरवरी से 11 मार्च 1957)—दूसरा चुनाव भी पञ्जाब की भांति एक मजान काय था। यहाँ भी विश्व शांति संग्रह विधान चुनाव था। इस चुनाव की मुख्य विशेषताएँ निम्न थीं।

(I) मतदाताओं की संख्या बढ़ कर 19 करोड़ 30 लाख हो गयी ।

(II) लोक सभा के स्थानों की संख्या 494 थी ।

(III) इन चुनावों को 3 सप्ताह में ही सम्पन्न करा दिया गया ।

(IV) चुनाव आयोग को इस चुनाव में उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा जो उसे प्रथम चुनाव के समय अनुभव करनी पड़ी थी । इसका मूल कारण यह था कि चुनाव आयोग को प्रथम चुनाव के अनुभव के अतिरिक्त, प्रथम और द्वितीय चुनाव के काल के दौरान तीन राज्यों में मध्यावधि चुनावों (पेप्सू ट्रावनकोर, कोचीन और आंध्र प्रदेश में) और अनेक उप चुनावों से अनुभव प्राप्त हो गया था ।

(V) चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर 4 और राज्य स्तर पर 11 राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की । राष्ट्रीय स्तर पर जिन दलों को मान्यता दी गयी उनके नाम हैं कांग्रेस, साम्यवादी दल, प्रजा समाजवादी दल और जनसंघ ।

दूसरे चुनाव परिणामों ने भारत के राजनीतिक नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं किया क्योंकि लोक सभा में और अविभाजित राज्यों में कांग्रेस को ही बहुमत प्राप्त हुआ । परंतु जहां कांग्रेस ने लोक सभा में अपने स्थानों में वृद्धि की (लोक सभा में कांग्रेस को 494 स्थानों में से 371 स्थान प्राप्त हुए) वहां राज्य विधान सभाओं में उसे 300 में 400 स्थानों से हाथ धोने पड़े । यद्यपि साम्यवादी दल की स्थिति लोक सभा में प्रायः पहले चुनाव की भांति रही परंतु राज्यों में उसकी स्थिति को सुदृढ़ किया, विशेषकर केरल में उसकी स्थिति पूर्ण बहुमत से थोड़ी कम थी (साम्यवादी दल को केरल विधान सभा में 60 स्थान प्राप्त हुए थे) परंतु 5 निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से (जिनका साम्यवादी दल ने चुनाव में समर्थन किया था) उसने ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया । यह साम्यवादी इतिहास में पहला अवसर था जब साम्यवादी दल ने लोकतांत्रिक निर्वाचना के माध्यम से शासन सत्ता को प्राप्त किया । इस चुनाव में हिंदू महासभा के दा प्रमोद नेताओं (एन० सी० चटर्जी जा महासभा के अध्यक्ष थे और बी० जी० देशपांडे जो उसने महा सचिव थे) को पराजय का मुह देखना पड़ा । राम राज्य परिपद का तो एक भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ ।

दूसरे चुनाव की एक विशेषता यह भी थी कि कुछ स्थानीय दल उभर कर सामने आये, विशेषकर उड़ीसा में गणतंत्र परिपद, मद्रास (तामिलनाडु) में डी० एम० क०, बिहार में भरकद पार्टी और बम्बई में मयुक्त महाराष्ट्र समिति और महा गुजरात जनता परिपद ने अपनी स्थितियां सांभाल लीं । यद्यपि चुनाव विशेषज्ञों ने यह भविष्यवाणी की थी कि ये चुनाव राष्ट्रीय और आर्थिक मंगला को लेकर लड़े जायेंगे, प्रादेशिक या भाषाई मतलों को लेकर नहीं परंतु यह भविष्यवाणी सिद्ध हुई क्योंकि बम्बई में विशेषकर, प्रदेश और भाषा के तत्त्व बलशाली रहे । जसा कि रासने लिखा है कि "चुनाव अभियान सामान्य उक्तियों (cliche) में ही भरपूर था और मंगला के वाक्यों का प्रयोग

की गयी।¹ फिर भी इस चुनाव में निर्वाचन बग (समूह) ने अपनी जीवन क्षमता (Viability) को अभिव्यक्त किया और साधारण से साधारण मतदाता न भी यह स्पष्ट कर दिया कि वह मत, मतपत्र और मत पटी के अर्थ को भली भाँति समझता है और इनका प्रयोग करना जानता है।

दूसरे चुनाव की एक विशेषता यह भी थी कि चुनाव से पूर्व अनेक प्रकार के चुनाव समझौते (election alliances or arrangements) किये गये। चुनाव समझौते पूरातया सिद्धातहीन थे और उनका मूल उद्देश्य कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध करना था। महत्त्वपूर्ण चुनाव समझौते पश्चिम बंगाल में किये गये। उदाहरण तया पांच वामपन्थी दला (साम्यवादी प्रजा समाजवादी, नान्तिकारी समाजवादी फारबड ब्लाक और मानसवादी फारबड ब्लाक) को मिला कर संयुक्त चुनाव समिति बनाई गयी।

✓ तीसरा चुनाव (16 फरवरी से 25 फरवरी, 1962)—तीसरे चुनाव की अपनी अनेक विशेषताएँ थी जिन्हें निम्न बिन्दुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—

1 यह पहला चुनाव था जिसमें सारे भारत में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (Single Member Constituency) का प्रयोग किया गया था अर्थात् एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि के निर्वाचित होने की व्यवस्था की गयी थी। पहले दो चुनावों में कुछ द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (Double Member Constituencies) थे जहाँ से दो प्रतिनिधि चुने जाते थे। एक अनुसूचित जाति या जन जाति में से और एक सामान्य में से। परन्तु इन द्वि सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को 1961 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

2 इस चुनाव की दूसरी विशेषता यह थी कि राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीतिक दलों के भेद को समाप्त कर दिया गया और निर्वाचन आयोग ने उन दलों को राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्रदान की जिन्हें कुल डालते गये मतों का 3% प्राप्त हुआ हो। इस तरह 1962 के चुनाव में 16 दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी गयी।

3 इस चुनाव की तीसरी विशेषता यह थी कि मतदान प्रणाली में सुधार किया गया, विशेषकर अक्षर पद्धति (marking system) में सुधार किया गया। अब मतदाता को मतपत्र पर केवल उस चिह्न पर चॉस (X) का निशान लगाना था जिसके लिये वह अपना मत देना चाहता था। अक्षर पद्धति (marking system) की यह प्रणाली इतनी सफल हुई कि इस स्थायी रूप से अपना लिया गया। अब एक ही मत पटी प्रयोग में लायी गयी थी।

4 इस चुनाव की एक विशेषता यह थी कि भारतीय राजनीतिक मंच पर एक नये दल का उदय हुआ जिसे स्वतंत्र दल कहते हैं। यद्यपि इस दल की स्थापना

1 Roach India 1957 Elections p 76 Quoted by 'Palme Norman D p 25,

सो० राजगोपालाचाय के नेतृत्व में सन् 1959 में की गयी थी परन्तु इसने पहली बार 1962 के चुनाव में हिस्सा लिया।

5 तीसरा चुनाव नेहरू युग का अंतिम चुनाव था।

तीसरा चुनाव पहले दो चुनावों की तुलना में प्रायः मंद (dull) था। पहले चुनावों की भाँति इसमें हलचल कम थी। न तो कोई राष्ट्रीय मसले उभर कर सामने आये और न ही स्थानीय मसले उग्र हुए। इसमें भारत के राजनीतिक स्वरूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। कांग्रेस केन्द्र और राज्यों में प्रायः बहुमत में रही। केन्द्र में यद्यपि इसे पिछले चुनाव से 10 स्थान कम प्राप्त हुए (1957 के चुनाव में कांग्रेस को लोक सभा में 371 स्थान प्राप्त हुए थे, 1962 के चुनाव में कांग्रेस को 361 स्थान प्राप्त हुए) परन्तु इसके मतों के प्रतिशत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। तीसरे चुनाव में उनके प्रमुख नेताओं की पराजय का मुह देखना पड़ा।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्य मंत्री काटजू को पराजय का मुह देखना पड़ा। कांग्रेस का प्रभाव यदि उत्तर में कम हुआ तो पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, (तमिलनाडु) और उड़ीसा में उसका प्रभाव बढ़ने लगा। इस चुनाव में विरोधी दलों के अनेक नेताओं की पराजय का मुह देखना पड़ा जैसे निदलीय आचार्य कृपलानी प्रसोपा के अशोक मेहता, एन० जी० गौरे साम्यवादी दल के एस० ए० डांगे, जनसंघ के बलराज मधोक और स्वतंत्र दल के एन० जी० रंगा को भी पराजय का मुह देखना पड़ा।

तीसरे चुनावों में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 21 करोड़ 60 लाख तक पहुँच गयी थी।

✓ चौथा चुनाव 15 फरवरी से 21 फरवरी 1967—चौथा चुनाव भारतीय चुनावों के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे ठीक ही प्रथम यथार्थ सामान्य चुनाव (First true General Elections), "द्वितीय क्रान्ति" (Second Revolution), "मतपत्र द्वारा क्रान्ति" (Revolution by ballot), "भारतीय राजनीतिक विकास में जल विभाजक" (Watershed in the political development of India) की संज्ञा दी जाती है। यह पहला चुनाव था जिसे "प्रतिद्विदिता" के आधार पर खड़ा गया था। यह पहला चुनाव था जिसे भारतीय राजनीतिक मानचित्र को ही बदल दिया था। इसने एक दलीय प्रभुता के युग को समाप्त कर दिया। इसने एक ऐसे युग को जन्म दिया जो अत्यधिक महभागिता पर तो आधारित था परन्तु जो राजनीतिक अस्थिरता मिली-जुली राजनीति और अनिश्चित राजनीतिक गुटवादों से आच्छादित था¹। इसने बहुदलीय राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति (Politics of Polarization) शासन में वाजार की नीति

की गयी।¹ फिर भी इस चुनाव में निर्वाचन वर्ग (समूह) ने अपनी जीवन क्षमता (Viability) को अभिव्यक्त किया और साधारण से साधारण मतदाता ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि वह मत, मतपत्र और मत पेटी के अर्थ को भली भाँति समझता है और इनका प्रयोग करना जानता है।

दूसरे चुनाव की एक विशेषता यह भी थी कि चुनाव से पूर्व अनेक प्रकार के चुनाव समझौते (election alliances or arrangements) किये गये। चुनाव समझौते पूर्णतया मिद्धातहीन थे और उनका मूल उद्देश्य कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध करना था। महत्वपूर्ण चुनाव समझौते पश्चिम बंगाल में किये गये। उदाहरण तया पाच धामपथी दला (साम्यवादी प्रजा समाजवादी, शान्तिकारी समाजवादी, फारवर्ड ब्लाक और माक्सवादी फारवर्ड ब्लाक) को मिला कर संयुक्त चुनाव समिति बनाई गयी।

तीसरा चुनाव (16 फरवरी से 25 फरवरी, 1962) — तीसरे चुनाव में अपनी अनेक विशेषताये थी जिन्हें निम्न विदुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—

1 यह पहला चुनाव था जिसमें सारे भारत में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (Single Member Constituency) का प्रयोग किया गया था अर्थात् एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि के निर्वाचित होने की व्यवस्था की गयी थी। पहले दो म कुछ द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (Double Member Constituency) से दो प्रतिनिधि चुने जाते थे। एक अनुसूचित जाति या जन जाति सामान्य म से। परन्तु इन द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को 1962 द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

का सहारा लिया। इस सारे वातावरण में चुनावों में कांग्रेस की पराजय होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी।

चौथे चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ कर 25 करोड़ तक पहुँच गयी। इसमें मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत 61 था जो अब तक के मतदान से सबसे अधिक था।

चौथे चुनाव परिणामों की मुख्य विशेषतायें निम्न थीं—

1 इसने राजनीतिक दृश्य को ही बदल दिया। भारतीय राजनीति पर कांग्रेस दल का प्रभुत्व समाप्त हो गया। यद्यपि केन्द्र में कांग्रेस दल का बहुमत ही रहा परन्तु इसके सदस्या की संख्या 361 (जो स्थान उसे 1962 के चुनाव में प्राप्त हुए थे) से घटकर 283 रह गयी। राज्य विधान सभाओं में इसकी पराजय अत्यधिक आश्चर्यजनक थी। उस समय के 17 राज्यों में 8 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। बिहार, मद्रास, पंजाब और पश्चिमी बंगाल में इसकी हानिया अत्यधिक थीं। केरल में लोक सभा के 19 स्थानों में से कांग्रेस को 1 स्थान प्राप्त हुआ और केरल राज्य विधान सभा के 133 स्थानों में से कांग्रेस का केवल 9 स्थान प्राप्त हुए। इस चुनाव में प्रतिपक्ष में सबसे अधिक लाभ स्वतंत्र दल को हुआ जिसे लोक सभा में 44 स्थान प्राप्त हुए। जनसंघ, मावसवादी, डी० एम० के०, ससोपा, दलों की स्थिति में सुधार हुआ जिन्हें क्रमशः 35, 25, 23 और 19 स्थान प्राप्त हुए।

2 कांग्रेस तथा प्रतिपक्ष के अनेक महारथियों को पराजय का मुह देखना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज बंगाल के अतुल्य घोष और बम्बई के एस० के० पाटिल को मुह की खानी पड़ी। चुनाव में 9 केन्द्रीय मंत्री, 4 मुख्य मंत्री और अनेक राज्य मन्त्रिमण्डलों के मंत्री पराजित हुए। प्रतिपक्ष के जो महारथी पराजित हुए उनमें प्रमुख थे आचार्य कृष्णानंद कृष्णा मेनन (जो चुनाव में निदलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे) एन० जी० रंगा, आदि।

3 चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को अवश्य भ्रमभोर दिया, उसके स्थानों में कमी हुई परन्तु इससे राजनीतिक स्थिति स्पष्ट सामन्य नहीं आयी। यह नहीं कहा जा सकता था कि कांग्रेस को अस्वीकार कर निवाचक वर्ग ने किसने (वाम पथ को या दक्षिण पथ को) स्वीकार किया है। इससे केवल इतना स्पष्ट था कि मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति असंतोष को व्यक्त किया है। चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपीनियन के प्रवक्ता निदेशक ई० पी० डब्लू ड० कोण्टा ने यह विचार व्यक्त किया कि 'भारतीय निवाचक वर्ग, जो नाटकीय पसंद करने में अत्रि और अयोग्य समझा जाता है, नातिकारी परिवर्तन के चिह्न स्पष्ट कर रहा है। युवा पीढ़ी कम शिक्षित लोग विशेषकर निरक्षर अल्पसंख्यक वर्ग और सत्र में अधिक अप्रत्याशित (unpredictable) निम्न आय समूह सबसे सत्र अपनी मूल वफादारियों को पुनः लित रहे हैं। प्रत्याशी के लिए यह सम्भवतः

(Market Policy in Government), सौदेबाजी की प्रक्रिया (Process of bargaining) और अवसरवादिता (opportunism) और दल बदल (defection) की नीति को बढ़ावा दिया। इसने राजनीतिक सत्ता के केन्द्र को ही बदल दिया। सत्ता का केन्द्र नई दिल्ली से हटकर राज्या की राजधानिया में पहुँच गया। चौथे चुनाव ने भारतीय निर्वाचन समूह की परिपक्वता का परिचय दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि असाधारण मतदाता निरक्षर और अनभिज्ञ होते हुए भी समझारी, बुद्धिमत्ता और विभिन्नता (discreteness) का कार्य कर सकता है।

चौथे चुनाव की विशेषताओं का वर्णन करने से पूर्व उम राजनीतिक वातावरण का अध्ययन आवश्यक है जिसमें इसे लड़ा गया था और जिसका चौथे चुनाव परिणाम पर प्रभाव पड़ना अनिवाय था। तीसरे और चौथे चुनावों के बीच का काल अग्रणीत उपद्रवी, तनावपूर्ण और असंतुष्ट घटनाओं का काल था। इस काल में अक्टूबर-नवम्बर 1962 में चीन ने भारतीय सीमाओं पर आक्रमण किया और नेफा में भारतीय सेनाओं का पराभव (debacle) हुआ जिससे राष्ट्रीय सम्मान को धक्का लगा। हमारे मई 1964 में प० नेहरू का दहान्त हो गया जिसने कांग्रेस को अत्यधिक हानि हुई। तीसरे राष्ट्र अधी सास ही नहीं ले पाया था कि 'बच्छ की रन' (Rann of Kutch) में पाकिस्तान की सरगर्मी शुरू हो गयी और अभी यह शांत ही हो पाई थी कि सितम्बर 1965 में पाकिस्तान ने घुसपठ शुरू कर दी। यद्यपि इस युद्ध ने 1962 की हानि का कुछ पूरा किया परन्तु 1966 में ताशकंद समझौते के बाद लाल वहादुर शास्त्री चल बसे। इससे राष्ट्र को हानि हुई परन्तु कांग्रेस में नेतृत्व की समस्या गम्भीर हो गयी। क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी को "समझौते" के रूप में स्वीकार किया गया था अतः उनकी स्थिति दृढता की नहीं थी। इसी काल में अकाल पड़े वस्तुओं की कीमतें आकाश को छूने लगी, खाद्यान्नों की कमी होने लगी। बिहार और अन्य राज्या के कुछ भागों में सूखे की स्थिति थी। यह युग जन प्रदर्शनों, बंद धरान आदि का युग भी था। गैर संवधानिक (extra constitutional) साधना का प्रयोग साधारण बात थी। नवम्बर 1966 में दिल्ली में 'गाय-बध' के विरुद्ध नागे साधुओं, ऋषि मुनियों ने विशाल प्रदर्शन किया जिसने हिंसा को जन्म दिया। इसी काल में पुरी के शंकराचार्य ने "गाय बध" समाप्त कराने के लिए आत्मरण व्रत रखा तथा सन्त फनेर्हसिंह ने पंजाबी सूखे की स्थापना के लिए आत्म बलि (self immolation) की व्रत की दी। इन घटनाओं के अतिरिक्त चुनाव के लिए जिन प्रत्याशियों का चयन किया गया था उससे कांग्रेस के अनेक गुट असंतुष्ट थे। इन असंतुष्ट कांग्रेसी गुटों ने विरोधी कांग्रेसी संगठनों को जन्म दिया। इन सारी घटनाओं ने मिल कर सारे देश के वातावरण को दूषित कर दिया था जो कांग्रेस विरोधी होने के साथ साथ प्रतिपक्ष के लिए लाभकारी प्रतीत होता था। इस राजनीतिक वातावरण के साथ प्रतिपक्ष ने निर्वाचन साभेदारिया और समझौते

का सहारा लिया। इस सारे वातावरण में चुनावों में कांग्रेस की पराजय होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी।

चौथे चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ कर 25 करोड़ तक पहुँच गयी। इसमें मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत 61 था जो अब तक के मतदान से सबसे अधिक था।

चौथे चुनाव परिणामों की मुख्य विशेषताएँ निम्न थी—

1 इसने राजनीतिक दृश्य को ही बदल दिया। भारतीय राजनीति पर कांग्रेस दल का प्रभुत्व समाप्त हो गया। यद्यपि केन्द्र में कांग्रेस दल का बहुमत ही रहा परन्तु इसके सदस्या की संख्या 361 (जा स्थान उसे 1962 के चुनाव में प्राप्त हुए थे) में घटकर 283 रह गयी। राज्य विधान सभाओं में इसकी पराजय अत्यधिक आश्चर्यजनक थी। उम्र समय के 17 राज्यों में 8 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। बिहार, मद्रास, पंजाब और पश्चिमी बंगाल में इसकी हानिया अत्यधिक थी। केरल में लोक सभा के 19 स्थानों में से कांग्रेस को 1 स्थान प्राप्त हुआ और केरल राज्य विधान सभा के 133 स्थानों में से कांग्रेस को केवल 9 स्थान प्राप्त हुए। इस चुनाव में प्रतिपक्ष में सबसे अधिक लाभ स्वतंत्र दल को हुआ जिसे लोक सभा में 44 स्थान प्राप्त हुए। जनसंघ, मावमवादा, डी० एम० के०, मसोपा, दलों की स्थिति में सुधार हुआ जिन्हें क्रमशः 35, 25, 23, और 19 स्थान प्राप्त हुए।

2 कांग्रेस तथा प्रतिपक्ष के अनेक महारथियों की पराजय का मुह देखना पड़ा। कांग्रेस के अग्र्यक्ष कामराज, बंगाल के अतुल्य घोष और बम्बई के एस० के० पाटिल की मुह की धानी पड़ी। चुनाव में 9 केन्द्रीय मंत्री, 4 मुख्य मंत्री और अनेक राज्य मंत्रिमण्डलों के मंत्री पराजित हुए। प्रतिपक्ष के जो महारथी पराजित हुए उनमें प्रमुख थे आचार्य कृपलानी वृष्णा मेनन (जो चुनाव में निदलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े हुए थे) एन० जी० रंगा, आदि।

3 चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को अवश्य भ्रमभोर किया, उसके स्थानों में कमी हुई परन्तु इससे राजनीतिक स्थिति स्पष्ट सामने नहीं आयी। यह नहीं कहा जा सकता था कि कांग्रेस को अस्वीकार कर निर्वाचक वगैरे किस्तों (वाम पक्ष को या दक्षिण पक्ष को) स्वीकार किया है। इससे केवल इतना स्पष्ट था कि मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति असंतोष को व्यक्त किया है। चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए इण्डियन इंसटीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपीनियन के प्रवक्ता निदेशक ई० पा० डब्लू ड० कोप्पा ने यह विचार व्यक्त किया कि "भारतीय निर्वाचक वगैरे, जो नाटकीय पसन्द करने में अक्रिय और अयोग्य समझा जाता है, क्रांतिकारी परिवर्तन के विह्वल स्पष्ट कर रहा है। युवा पीढ़ी कम शिक्षित लोग विशेषकर निरक्षर अल्पसङ्ख्यक वगैरे और सबसे अधिक अप्रत्याशित (unpredictable) निम्न आय समूह अपने स्वयं की मूल वफादारियों को पुनः लिख रहे हैं। प्रत्याशी के लिए यह नम्बवत

की इच्छा पर निर्भर करता है परन्तु चौथे चुनाव परिणामों ने सिद्ध कर दिया कि वे द्र और राज्यों के राजनीतिक स्वरूप में भिन्नता आन पर उनके सम्प्रदाय म तनाव की स्थिति पदा हो सकती है और भारत का सघीय स्वरूप सघीय आधार पर बन सकता है। राज्यपाला की नियुक्ति और राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता के प्रश्न सक्रिय बन गये।

✓ **पाचवा चुनाव (मार्च 1971)**—भारतीय चुनावों के इतिहास में यह पहला अवसर था जब लोक सभा को सगय से पूव भग करा कर (लोक सभा को 27 दिसम्बर 1970 का भग कर दिया गया था) मार्च 1971 में लोक सभा के लिये मध्यावधि चुनाव कराये गये। ये मध्यावधि चुनाव अकारण ही नहीं कराये गये थे। इनके पीछे कुछ मूल प्रवृत्तियाँ काय कर रही थीं। प्रथम तो इन्दिरा गांधी नई कांग्रेस की शक्ति को लोक सभा में सुदृढ करना चाहती थी। सन् 1969 के कांग्रेस विभाजन के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार अल्पमत की सरकार थी। यद्यपि वह डी एम के, साम्यवादियों और अन्य छोटे दलों के समर्थन से शासन का काय चला रही थी परन्तु उसके लिये सुदृढ समाजवादी नीतियों को अपनाना कठिन महसूस हो रहा था क्योंकि उनके लिये लोक सभा में ठोस बहुमत की कमी थी। दूसरे राजाओं के प्रिवी पस तथा उनके विशेषाधिकारों से सम्बंधित कानून जब राज्य सभा में बहुमत की कमी के कारण पाम न हो सका तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार ने अघ्यादश जारी किया परन्तु इस 'यायालय न असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसी प्रकार 14 वका के राष्ट्रीयकरण से सम्बंधित अघ्यादेश को भी 'यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। 'यायालय के ये दाना निणय सरकार की प्रगतिशील नीतियों में बाधा थे। अतः श्रीमती इन्दिरा गांधी लोगों का समर्थन प्राप्त कर अपनी समाजवादी, प्रगतिशील नीतियों का कार्यान्वित करना चाहती थी। तीसरे, श्रीमती इन्दिरा गांधी विरोधी दलों से प्रारम्भ (initiative) को छीन लेना चाहती थी अर्थात् वह प्रतिपक्ष को इतना समय नहीं देना चाहती थी कि वह अपने आपमें सुदृढ रूप में संगठित कर सकें। सगठन कांग्रेस द्वारा जो अन्य विरोधी दलों के साथ गठबंधन की बात चल रही थी श्रीमती गांधी उसे हतासहित करना चाहती थी। चौथे सत्तारूढ कांग्रेस को यह महसूस होने लगा था कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी जनता उमक साथ थी क्योंकि राज्यों में विधान सभाओं के लिये जो चुनाव हुए थे तथा उप चुनावों के जो परिणाम निकले थे, उनमें सत्तारूढ कांग्रेस के प्रति जनता में प्रसन्नता व्यक्त नहीं किया था। अतः इन सब कारणों से श्रीमती इन्दिरा गांधी अपनी सरकार को चुनाव के दाव पर लगा दिया और अन्ततः विजय पाई।

सन् 1971 के मध्यावधि चुनाव परिणामों में न केवल राजनीतिक भविष्य वाणिष्य करने वाले विशेषणों का अन्वय दिया बल्कि सारे दलों के राजनीतिक वातावरण को पुनः बदन दिया। सत्तारूढ कांग्रेस चुनाव में बेवकूफ

4 भारतीय मतदाता स्वयं राजनीतिक अस्थिरता से तंग आ चुके थे और उन्हें सशक्त सरकार के कटु अनुभव अभी भूते नहीं थे। अतः वे द्रम मुन्द, सशक्त, और स्थिर सरकार की स्थापना चाहते थे। इसलिये निर्वाचन यग ने श्रीमती गांधी का साथ दिया।

जून 1975 का गुजरात चुनाव भारतीय चुनावों के इतिहास में जून 1975 का गुजरात चुनाव अपना एक विशेष महत्त्व रखता है। इस चुनाव की पहली विशेषता यह है कि यह मारारजी दसाई के मरण व्रत का फल था और दूसरा यह कि जनता मोर्चे की सरकारों और विरोधी दलों के अस्तित्व का प्रश्न इसमें निहित था। दोनों ही पक्षा में भारतीय जनता ने अपनी जागरूकता और समझदारी का प्रमाण दिया। प्रथम तो मारारजी दसाई चुनावों को जून में कराने में (जबकि कांग्रेस इन्हीं का सितम्बर में चुनाव कराने की इच्छुक थी) सफल हुए। दूसरे चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि गुजरात की जनता कांग्रेस नेतृत्व और उसकी नीतियों से असन्तुष्ट है। तीसरे गुजरात चुनावों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को काफी बड़ा आघात पहुँचाया। उन्होंने इस चुनाव में 11 दिन में 116 सभाओं को सम्बोधित किया और हर प्रकार से गुजराती मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। श्रीमती गांधी ने श्रीकृष्ण और रणछोडराय के मंदिरों की यात्रा की, राज्य कमचानिया को अतिरिक्त सहायता दी गयी, अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये 15 करोड़ रुपये का लघुवाणिज्य ऋण दिया गया, गेटों के भाव में भी पाच रुपये क्विंटल की कमी कर दी गयी,¹ आदि।

गुजरात चुनाव परिणामों में कांग्रेस को अग भग कर दिया। राज्य विधान सभा के 182 स्थानों में से (चुनाव केवल 181 स्थानों के लिये लड़े गये विराम ग्राम निर्वाचन में जनता फ्रंट में प्रत्याशी की मृत्यु होने से वहाँ चुनाव नहीं हुए) उसे केवल 75 स्थान प्राप्त हुए। सन् 1972 के चुनावों में कांग्रेस का 168 स्थानों में 140 स्थान प्राप्त हुए थे। यद्यपि जनता मोर्चे को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ परन्तु फिर भी उसे सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए और उसने निदलीय और क्रिमरॉप के समर्थन से सरकार का निर्माण किया। जनता मोर्चे में शामिल दलों का जो स्थान प्राप्त हुए थे वे इस प्रकार हैं—संगठन कांग्रेस 56 (पहले उसे 16 स्थान प्राप्त थे), जनसघ 18 (पहले उसे 3 स्थान प्राप्त थे) भारतीय कमिटी दल 2, समाजवादी दल 2, एन० एल० पी०। और जनता मोर्चे द्वारा समर्थित निदलीय सदस्य 7² गुजरात चुनावों की विशेषता यह थी कि वाम पंथी और साम्प्रदायिक दलों को एक भी स्थान नहीं मिला।

1 विस्तृत विवरण के लिये देखिये दिनमान 8 जून 1975, पृ० 19-20 और 22 जून 1975, पृ० 21-22

2 Figures Quoted are from Competition Master July, 1975, p 741

सदस्य थे प्रो० वे० डी दसाई, वी० एम० तारकुंटे, एम० आर० मसानी, पी० जी० गानचार, ए० जी० गंगी और ई० पी० ज्यू डिप्लोमा (गयाजक)। समिति ने सान महीन तम निर्वाचन प्रणाली तथा मनदाा सम्बन्धी सुधारा के सम्बन्ध में विचार किया। समिति के समक्ष सत्कार्ड कांग्रेस और द्रमुन के पक्ष को प्रस्तुत करने के लिये वाद प्रतिनिधि प्रस्तुत नहीं हुए। समिति के समक्ष भावपा, मापका जनसघ आदि अथ दत्ता व प्रतिनिधि प्रस्तुत हुए। दत्ता के स्मृति पत्रा के अनिर्दिष्ट समिति ने 112 व्यक्तियों के लिखित विचारों तथा 18 प्रमुख नेताओं तथा चितका¹ की मोतिन गवाहिया पर विचार किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1975 में प्रकाशित की। मुख्य समस्याएँ और उन पर दिये गये सुझाव² प्रधानतः निम्न थे—

1 निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता—निर्वाचन में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। समिति का कहना था कि चुनाव आयोग के चयन का आधार ऐसा नहीं रहा जिससे जनमत के सभी वर्ग उनकी निष्पक्षता पर शंका रख सकें। समिति का कहना था कि इस पद पर अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति से यह धारणा बलवती हुई है कि इस तरह से लाभाहित अधिकारी अपने पक्ष के लिये सरकार के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। इसमें चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा गिरने का अनुमान ही सत्यता है।

समिति ने सुझाव दिया कि चुनाव आयोग का गठन इस प्रकार हो कि इसकी निष्ठा और न्यायप्रियता असादिग्ध रहे अर्थात् चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एवं एसी समिति का निर्धारण से करे जिसमें प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता या सदन के विपक्ष द्वारा मनानीय कोई सदस्य और मुख्य न्यायाधीश हों। बमालि चुनाव आयोग का स्वरूप लोक सेवा आयोग की भांति है अतः यह सुझाव दिया गया कि एक सदस्यीय चुनाव आयोग की जगह तीन सदस्यीय चुनाव आयोग की व्यवस्था की जाय। आयोग की सदस्यता का अधिकार अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलना चाहिये। संविधान की धारा 324 में जो अथ चुनाव आयोग की व्यवस्था है उसे लागू किया जाय (अभी तक किसी चुनाव में चुनाव आयोग की नियुक्ति नहीं की गयी) तथा राज्यों में भी चुनाव आयोग की नियुक्ति सम्बन्धी सर्वधानिक प्रावधान का लागू किया जाय।

- 1 समिति के समक्ष जो प्रमुख नेता व चितक प्रस्तुत हुए वे थे भावपा नेता इ० एम० एस० नम्बूदरीपाद, और पी० राममूर्ति, सगठन कांग्रेस के सुचेता कृपनानी तथा सिक्कर वरत, जनसघ अध्यक्ष तालकृष्ण अडवाणी, लोक दल के पीनू मोदी, बलराज मधोक, इण्डियन एसोसिएशन के एस० मुलगावकर और हिंदुस्तान टाइम्स के वी० जी० वर्गोज, आदि।
- 2 देखिये दिनमान दि० 8 दिसम्बर 1974, पृ० 9 और 16 मार्च, 1975, पृ० 79

भारतीय साम्यवादी दल, माक्सवादी दल और मुस्लिम लीग का एक भी चुनाव नहीं गया। चुनाव में अनेक महारथियों का मानमदन हुआ जैसे फतेहसिंह राव गायकवाड प्रदेश कांग्रेस के मंत्री प्रबोध रावल, डा० ठ पटेल और किसान मजदूर लोक पक्ष (फिमनोप) के अध्यक्ष चिमन भाई पराजय का मुह देखना पड़ा।

गुजरात चुनाव परिणाम से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जिन्हें विदुषों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—

(i) गुजरात के निर्वाचक वर्ग ने वाम पंथ को अस्वीकार कर दिया कांग्रेस का साम्यवादी दल से उसका गठन धन स्वीकार नहीं किया।

(ii) निर्वाचन वर्ग गोलखले नारा और आश्वासनों से सन्तुष्ट नहीं। म कांग्रेस को अस्वीकार कर गुजरात की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस अपने वायदा को पूरा नहीं करती और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करती ता आने वाले लोक सभा के चुनावों में उसने स्याल खतरा हो सकता है।

(iii) गुजरात के चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गर कांग्रेस विभाजित होने से बचाया जा सकता है, विभिन्न विचारधाराओं और परम्परागत राजनैतिक दलों को एक मंच पर खड़ा करके आपसी सहयोग के आधार पर किया जा सकता है और यदि जनता माँचों की सरकार स्थिर रहती है। रचनात्मक काम करने में सफल रहती है ता वह राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रति प्रस्तुत करने में सफल हो सकता है। अर्थात् प्रतिपक्ष के गौर साम्यवादी मिलाकर कांग्रेस का विकल्प तयार किया जा सकता है जो भारतीय लोक चिरकाल तक रहने वाला लाभ होगा।

(iv) सन् 1975 में कई दलों की मिली जुली सरकार के प्रति ग्राम में उतना विश्वास और सन्देश नहीं जितना कि 4 वर्ष पूर्व 1971 में था हवा" का जादू फीका पड़ता नजर आता है।

भारतीय निर्वाचन प्रणाली—समस्याएँ तथा सुधार या भारतीय निर्वाचन प्रणाली में सुधारों पर जन समिति के सुझाव
(Indian Electoral System—Problems and Reforms) Or Proposals of Jana Samati on the Reforms of Indian Electoral System

भारतीय निर्वाचन प्रणाली को अधिक में अधिक जन प्रतिनिधित्व प्रणाली बनाने, उसमें भारतीय जनता की सहभागिता (participation) और निष्पक्ष तथा स्वतंत्र निर्वाचनों की व्यवस्था करने के लिए समय-समय पर सुधार के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इन सुझावों में मई 1974 में गमाज (नागरिक के लिए नागरिक) (Citizen for Democracy) की श्रीजय प्रकाश तारामण ने एक दूरदर्शी समिति का गठन किया। इस सं

सदस्य ये प्रो० के० डी देमाई, वी० एम० तारकुडे, एम० आर० मसानी, पी० जी० मावन्कर, ए० जी० नूरानी और ई० पी० डब्ल्यू टिगाटा (मधोजक)। समिति ने सान महीने तम निर्वाचन प्रणाली तथा मतदान सम्प्र वी सुधारा के सम्प्र व म विचार किया। समिति के समक्ष सत्ताष्ट काग्रेस और द्रमुज के पक्ष को प्रस्तुत करने के निय कोइ प्रतिनिधि प्रस्तुत नहीं हुआ। समिति के समक्ष भाकपा, माकपा जनसघ आदि अय दला के प्रतिनिधि प्रस्तुत हुए। दला के स्मृति पत्रा के अतिरिक्त समिति ने 112 व्यक्तियों के लिखित विचारा तथा 18 प्रमुख नेताओं तथा चितको¹ की मौखिक गवाहिया पर विचार किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट माच 1975 मे प्रकाशित की। मुख्य समस्याये और उन पर दिये गये सुझाव² प्रधानत निम्न थ—

1 निर्वाचन आयोग की स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता—निर्वाचन मे निर्वाचन आयोग की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता एक महत्त्वपूर्ण तब होता है। समिति का कहना था कि चुनाव आयुक्त के चयन का आधार ऐसा नहीं रहा जिससे जनमत के सभी वग उनकी निष्पक्षता पर भरोसा रख सके। समिति का कहना था कि इस पद पर अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति से यह धारणा बलवती हुई है कि इस तरह से लाभान्वित अधिकारी अपन पद के लिये सरकार के प्रति कृतज्ञ रहगा। इससे चुनाव आयोग की पतिष्ठा गिरने का अनुमान हा सकता है।

समिति न सुझाव दिया कि चुनाव आयोग का गठन इस प्रकार हो कि इसकी निष्ठा और यायप्रियता असंदिग्ध रहे अथान चुनाव आयाग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक ऐसी समिति की सिफारिश से करे जिसमे प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता या ससद के विपक्ष द्वारा मनानीत कोई सदस्य और मुख्य यायाधीश हा। क्योंकि चुनाव आयोग का स्वरूप लोक सेवा आयोग की भाति है अत यह सुझाव दिया गया कि एक सदस्यीय चुनाव आयोग की जगह तीन सदस्यीय चुनाव आयाग की व्यवस्था की जाय। आयाग की सदस्यता का अधिकार अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलाा चाहिये। सविधान की धारा 324 मे जा अय चुनाव आयुक्तों की व्यवस्था है उस लागू किया जाय (अभी तक किसी चुनाव, म चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की गया) तथा राज्या मे भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सम्बन्धी सवधानिक प्रावधान वा लागू किया जाय।

1 समिति के समक्ष जो प्रमुख नेता व चितक प्रस्तुत हुए वे थे भाकपा नेता ई० एम० एस० नम्बूदरीपाट्ट, और पी० राममूर्ती, सगठन काग्रेस के गुचेता कृपलानी तथा मिन्दर वरत, जनसघ अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी, लाल दल के पीनू मादी, बलराज मधोन, इण्डियन एक्मप्रेम के एम० मुलगावन्कर और हिंदुस्ता टाइम्स के वी० जी० वर्गोज, आदि।

2 देगिय दिनमान दि० 8 दिसम्बर 1974, पृ० 9 और 16 माच, 1975 पृ० 79

समिति ने यह भी गुभाव दिया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मतदान के लिये घनाये जान वाले नियम तभी लागू हों जबकि ससद उनका अनुमोदन कर दे। यह भी कहा गया कि ससद या विधायिकाओं में कोई भी स्थान रिक्त होने पर अधिक से अधिक छह माह के भीतर उपचुनाव अवश्य कराये जायें।

2 घन की शक्ति—भारतीय निर्वाचना में सबसे गम्भीर समस्या "घन की शक्ति है"। अर्थात् निर्वाचना में प्रत्याशिया या उनके समर्थका, मित्रो और राजनीतिक दला द्वारा बेतहाशा घन व्यय किया जाता है। इससे निवाचन प्रणाली में न केवल नतिक पतन होता है बल्कि कानून द्वारा निर्वाचन व्यय के लिये निर्धारित की गयी सीमा महत्त्वहीन हो जाती है। जहा कानून ससद के निर्वाचन क्षेत्र के लिये केवल 35,000 रु० और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिये 9000 रु० से 13500 रु० की घन राशि निश्चित करता है वहा वास्तविकता यह है कि निर्वाचनो में लाखों रुपया खर्च किया जाता है। ससद सदस्य कृष्णाकांत का विश्वास है कि पूरी लोक सभा के चुनाव पर 70-80 करोड रुपये का व्यय आता है।¹ यद्यपि कानून प्रत्येक प्रत्याशी से निर्वाचन के व्यय का लेगा-जोखा प्रस्तुत करने की माग करता है परन्तु निर्वाचनो में किये गये खर्चों से स्पष्ट है कि वह लेखा जोखा मिथ्या और गलत होता है। जैसाकि निवाचन आयोग ने तीसरे चुनाव पर अपने प्रतिवेदन में कहा था कि "जहा चुनावो में बडा मुवावला है वहा यथाथ में गम्भीर प्रत्याशियो को चुनाव व्यय की निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक खर्च करना पड़ता है और वे धस्तुत खर्च करते भी हैं।"²

एक दृष्टि से देखा जाय तो चुनाव व्यय के लिये निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा वास्तविकताओं से बेखबर है। उदाहरणतया लोक सभा के एक निर्वाचन क्षेत्र के लिये चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 35,000 रु० है जबकि यदि निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को एक पोस्ट कार्ड भी भेजा जाये तो उसके लिये कम से कम 75 हजार रुपये की आवश्यकता है, यदि यह मान लिया जाये कि उस निर्वाचन क्षेत्र में 7½ लाख मतदाता ही हैं और चुनाव जीतने के लिये केवल पोस्ट कार्ड भेजने की ही आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त अनेक जीपो, साइकलो, इश्तहारो, पर्चों, जन प्रदर्शना, सावजनिक सभाओं आदि की भी आवश्यकता होती है और इन सबके लिये घन की आवश्यकता होती है।

1 देखिये दिनमान दि० 15 दिसम्बर, 1974, पृ० 13

2 'Where elections are hotly contested the really serious candidates have to and do in fact, spend much more than the prescribed maximum limit Report on the Third General Elections Also see Competition Master January, 1975, p 365

निर्वाचन व्यय से सम्बंधित दो अथ प्रमुख समस्यायें है प्रथम तो यह कि कानून प्रत्याशी पर चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसे चुनाव व्यय के लेखे जोखे को प्रस्तुत करने के लिये भी कहता है परंतु वर्तमान कानून में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि वह दलो, मित्रा और समथको द्वारा प्रत्याशियों पर किये जाने वाले खर्चों की न तो सीमा वा घटा है और न ही दलो से चुनाव खर्चों का लेखा जोखा ही मागता है। दूसरे शब्दों में, चुनाव व्यय से सम्बंधित वर्तमान कानून एक हाथ से जो निर्धारित करता है दूसरे हाथ से उसे समाप्त कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अमरनाथ चावला बनाम कवरलाल गुप्त के मुकदमे¹ में 4 अक्टूबर 1974 को निम्न देते हुए अवलोकित किया था कि 'यदि एक उम्मीदवार के चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित हो लेकिन उसके मित्रों, समथको तथा राजनैतिक पार्टी को यह स्वतंत्रता हो कि उस उम्मीदवार के समथन में जितना चाहे धन खर्च कर सकते हैं तो चुनाव पर होने वाले खर्च की सीमा निर्धारित करने का मकसद ही विफल हो जायेगा, इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुद्धता के हित में यह जो व्यवस्था है वह अर्थहीन हो जायेगी, ऐसी स्थिति में धन के महत्त्व से उत्पन्न होने वाली जिस बुराई को समाप्त करने की मशा है, वही बढ़ जायेगी तथा देश का सामान्य वातावरण दूषित हो जायेगा, विधायिका की यह नियत कभी भी नहीं रही होगी कि जो काम एक उम्मीदवार न कर सके, वही काम उसके समथको, मित्रा या राजनैतिक पार्टी को करने दिया जाये।'² इस सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव व्यय पर सीमा लगाने के उद्देश्यों की विवेचना करते हुए कहा था "किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति या दल के लिए यह सुविधा होनी चाहिए कि वह बड़े से बड़े धनी व्यक्ति या पार्टी के विरुद्ध समानता के आधार पर चुनाव लड़ सके और विशाल वित्तीय साधनों के कारण किसी भी व्यक्ति या पार्टी को लाभ नहीं मिलना चाहिये।'³

दुभाग्य की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त निम्न को प्रभावहीन बनाने के लिये पहले 19 अक्टूबर 1974 को एक अध्यादेश जारी किया गया और बाद में जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की चुनाव खर्च सम्बंधी धारा 77(1) में संशोधन कर यह व्यवस्था बर दी गयी कि किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन के सम्बंध में एक राजनैतिक पार्टी या अथ

1 इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सदर से कांग्रेस टिकट पर निर्वाचित श्री अमरनाथ चावला का निर्वाचन इस कारण रद्द किया था कि उसके चुनाव पर उसके दल, मित्रों और समथका ने निर्धारित सीमा से अधिक धन खर्च किया था।

2 देखिये दिनमान दि० 8 दिसम्बर 1974, पृ० 9

3 वही

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मतदान के लिये बनाये जाने वाले नियम तभी लागू हो जबकि ससद उनका अनुमोदन कर दे। यह भी कहा गया कि ससद या विधायिकाओं में कोई भी स्थान रिक्त होने पर अधिक से अधिक छह माह के भीतर उपचुनाव अवश्य कराये जायें।

2 धन की शक्ति—भारतीय निर्वाचना में सबसे गम्भीर समस्या "धन की शक्ति है"। अर्थात् निर्वाचनों में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों, मित्रों और राजनीतिक दलों द्वारा वेतहाशा धन व्यय किया जाता है। इससे निर्वाचन प्रणाली का न केवल नतिष्प पतन होता है बल्कि कानून द्वारा निर्वाचन व्यय के लिये निर्धारित की गयी सीमा महत्वहीन हो जाती है। जहाँ कानून ससद के निर्वाचन क्षेत्र के लिये केवल 35,000 रु० और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिये 9000 रु० से 13500 रु० की धन राशि निश्चित करता है वहाँ वास्तविकता यह है कि निर्वाचनों में लाखों रुपया खर्च किया जाता है। ससद सदस्य कृपणकाय का विश्वास है कि पूरी लोक सभा के चुनाव पर 70-80 करोड़ रुपये का व्यय आता है।¹ यद्यपि कानून प्रत्येक प्रत्याशी से निर्वाचन के व्यय का लेगा जोखा प्रस्तुत करने की मांग करता है परन्तु निर्वाचनों में किये गये खर्चों से स्पष्ट है कि वह लेखा जोखा मिथ्या और गलत होता है। जैसाकि निर्वाचन आयोग ने तीसरे चुनावों पर अपने प्रतिवेदन में कहा था कि "जहाँ चुनावों में कड़ा मुकाबला है वहाँ यथाथ में गम्भीर प्रत्याशियों को चुनाव व्यय की निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक खर्च करना पड़ता है और वे वस्तुतः खर्च करते भी हैं।"²

एक दृष्टि से देखा जाय तो चुनाव व्यय के लिये निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा वास्तविकताओं से बेखबर है। उदाहरणतया लोक सभा के एक निर्वाचन क्षेत्र के लिये चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 35,000 रु० है जबकि यदि निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को एक पोस्ट कार्ड भी भेजा जाये तो उसके लिये कम से कम 75 हजार रुपये की आवश्यकता है, यदि यह मान लिया जाये कि उस निर्वाचन क्षेत्र में 7½ लाख मतदाता ही हैं और चुनाव जीतने के लिये केवल पोस्ट कार्ड भेजने की ही आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त अनेक जीपा, साइकलो, इशतहारो, पत्तों, जन प्रदर्शनो, सावजनिक सभाओं आदि की भी आवश्यकता होती है और इन सबके लिये धन की आवश्यकता होती है।

1 देखिये दिनमान दि० 15 दिसम्बर, 1974, पृ० 13

2 'Where elections are hotly contested, the really serious candidates have to and do in fact, spend much more than the prescribed maximum limit Report on the Third General Elections Also see Competition Master January, 1975, p 365

निर्वाचन व्यय से सम्बंधित दो अथ प्रमुख समस्यायें हैं प्रथम तो यह कि कानून प्रत्याशी पर चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसे चुनाव व्यय के लेखे जोखे को प्रस्तुत करने के लिये भी कहता है परंतु वर्तमान कानून में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि वह दला, मित्रा और समथको द्वारा प्रत्याशियों पर किये जाने वाले खर्चों की न तो सीमा बाधता है और न ही दलों से चुनाव खर्च का लेखा जोखा ही मांगता है। दूसरे शब्दों में, चुनाव व्यय से सम्बंधित वर्तमान कानून एक हाथ से जो निर्धारित करता है दूसरे हाथ से उसे समाप्त कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अमरनाथ चावला बनाम कवरलाल गुप्त के मुकदम¹ में 4 अक्टूबर 1974 को निम्न देते हुए अवलोकित किया था कि 'यदि एक उम्मीदवार के चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित हो लेकिन उसके मित्रा, समथको तथा राजनैतिक पार्टी को यह स्वतंत्रता हो कि उस उम्मीदवार के समर्थन में जितना चाहे धन खर्च कर सकते हैं तो चुनाव पर होने वाले खर्च की सीमा निर्धारित करने का मकसद ही विफल हो जायेगा, इससे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया की शुद्धता के हित में यह जो व्यवस्था है वह अर्थहीन हो जायेगी, ऐसी स्थिति में धन के महत्त्व से उत्पन्न होने वाली जिस बुराई को समाप्त करने की मशा है, वही बढ़ जायेगी तथा देश का सामान्य वातावरण दूषित हो जायेगा, विधायिका को यह नियत कभी भी नहीं रही होगी कि जो काम एक उम्मीदवार न कर सके वही काम उसके समर्थको, मित्रो या राजनैतिक पार्टी को करने दिया जाये।'² इस सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव व्यय पर सीमा लगाने के उद्देश्यों की विवेचना करते हुए कहा था "किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति या दल के लिए यह सुविधा होनी चाहिए कि वह बड़े से बड़े धनी व्यक्ति या पार्टी के विरुद्ध समानता के आधार पर चुनाव लड़ सके और विशाल वित्तीय साधनों के कारण किसी भी व्यक्ति या पार्टी को लाभ नहीं मिलना चाहिये।"³

दुर्भाग्य की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त निम्न को प्रभावहीन बनाने के लिये पहले 19 अक्टूबर 1974 को एक अध्यादेश जारी किया गया और बाद में जन प्रतिनिधित्व (सशोधन) अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की चुनाव खर्च सम्बंधी धारा 77(1) में सशोधन कर यह व्यवस्था कर दी गयी कि किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन के सम्बंध में एक राजनैतिक पार्टी या अथ

1 इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सदर स कांग्रेस टिकट पर निर्वाचित श्री अमरनाथ चावला का निर्वाचन इस कारण रद्द किया था कि उसके चुनाव पर उसके दल, मित्रा और समथका न निर्धारित सीमा में अधिक धन खर्च किया था।

2 दैनिक दिनमान दि० 8 दिसम्बर 1974, पृ० 9

3 वही

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मतदान के लिये बनाये जाने वाले नियम तभी लागू हों जबकि ससद उनका अनुमोदन कर दे। यह भी कहा गया कि ससद या विधायिकाओं में कोई भी स्थान रिक्त होने पर अधिक से अधिक छह माह के भीतर उपचुनाव अवश्य कराये जायें।

2 धन की शक्ति—भारतीय निर्वाचना में सबसे गम्भीर समस्या “धन की शक्ति है”। अर्थात् निर्वाचनों में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों, मित्रों और राजनीतिक दलों द्वारा बेतहाशा धन व्यय किया जाता है। इससे निर्वाचन प्रणाली का न केवल नतिव पतन होता है बल्कि कानून द्वारा निर्वाचन व्यय के लिये निर्धारित की गयी सीमा महत्वहीन हो जाती है। जहाँ कानून ससद के निर्वाचन क्षेत्र के लिये केवल 35,000 रु० और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिये 9000 रु० से 13500 रु० की धन राशि निश्चित करता है वहाँ वास्तविकता यह है कि निर्वाचनों में लाखों रुपये खर्च किया जाता है। ससद सदस्य वृष्णकांत का विश्वास है कि पूरी लोक सभा के चुनाव पर 70-80 करोड़ रुपये का व्यय आता है।¹ यद्यपि कानून प्रत्येक प्रत्याशी से निर्वाचन के व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करने की मांग करता है परन्तु निर्वाचनों में किये गये खर्चों से स्पष्ट है कि वह लेखा जोखा मिथ्या और गलत हाता है। जैसाकि निर्वाचन आयोग ने तीसरे चुनावों पर अपने प्रतिवेदन में कहा था कि “जहाँ चुनावों में बड़ा मुकाबला है वहाँ यथाथ म गम्भीर प्रत्याशियों को चुनाव व्यय की निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक खर्च करना पड़ता है और वे वस्तुतः खर्च करते भी हैं।”²

एक दृष्टि से देखा जाय तो चुनाव व्यय के लिये निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा वास्तविकताओं से देखकर है। उदाहरणतया लोक सभा के एक निर्वाचन क्षेत्र के लिये चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 35,000 रु० है जबकि यदि निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को एक पोस्ट कार्ड भी भेजा जाये तो उसके लिये कम से कम 75 हजार रुपये की आवश्यकता है, यदि यह मान लिया जाये कि उस निर्वाचन क्षेत्र में 7½ लाख मतदाता ही हैं और चुनाव जीतने के लिये केवल पोस्ट कार्ड भेजने की ही आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त अनेक जीपों, साइकलों, इशतहारों, पत्तों, जन प्रदर्शनों, सावजनिक सभाओं आदि की भी आवश्यकता होती है और इन सबके लिये धन की आवश्यकता होती है।

1 देखिये दिनमान दि० 15 दिसम्बर 1974, पृ० 13

2 'Where elections are hotly contested, the really serious candidates have to, and do in fact, spend much more than the prescribed maximum limit Report on the Third General Elections Also see Competition Master January, 1975, p 365

निर्वाचन व्यय से सम्बंधित दो अथ प्रमुख समस्यायें हैं प्रथम तो यह कि कानून प्रत्याशी पर चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसे चुनाव व्यय के लेखे जोखे को प्रस्तुत करने के लिये भी कहता है परंतु वर्तमान कानून में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि वह दलो, मित्रो और समयको द्वारा प्रत्याशियों पर किये जाने वाले खर्चों की न तो सीमा बाधता है और न ही दला से चुनाव खर्च का लेखा जोखा ही मागता है। दूसरे शब्दों में, चुनाव व्यय से सम्बंधित वर्तमान कानून एक हाथ से जो निर्धारित करता है दूसरे हाथ से उसे समाप्त कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अमरनाथ चावला बनाम कवरलाल गुप्त के मुकदमे¹ में 4 अक्टूबर 1974 को निर्णय देते हुए अवलोकित किया था कि 'यदि एक उम्मीदवार के चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित हो लेकिन उसके मित्रा, समयको तथा राजनैतिक पार्टी को यह स्वतंत्रता हो कि उस उम्मीदवार के समर्थन में जितना चाहे धन खर्च कर सकते हैं तो चुनाव पर होने वाले खर्च की सीमा निर्धारित करने का मकसद ही विफल हो जायगा, इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुद्धता के हित में यह जो व्यवस्था है वह अथहीन हो जायेगी, ऐसी स्थिति में धन के महत्त्व से उत्पन्न होने वाली बिस बुराई का समाप्त करने की मशा है, वही बढ जायेगी तथा दश का सामान्य वातावरण दूषित हो जायेगा, विधायिका की यह नियत कभी भी नहीं रही होगी कि जो काम एक उम्मीदवार न कर सके, वही काम उसके समर्थको, मित्रो या राजनैतिक पार्टी को करने दिया जाये।'² इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव व्यय पर सीमा लगाने के उद्देश्यों की विवेचना करते हुए कहा था "किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति या दल के लिए यह सुविधा होनी चाहिए कि वह बड़े से बड़े धनी व्यक्ति या पार्टी के विरुद्ध समानता के आधार पर चुनाव लड सके और विशाल वित्तीय साधनों के कारण किसी भी व्यक्ति या पार्टी को लाभ नहीं मिलना चाहिये।"³

दुर्भाग्य की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त निर्णय को प्रभावहीन बनाने के लिये पहले 19 अक्टूबर 1974 को एक अध्यादेश जारी किया गया और बाद में जन प्रतिनिधित्व (सशोधन) अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की चुनाव खर्च सम्बंधी धारा 77(1) में सशोधन कर यह व्यवस्था कर दी गयी कि किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन के सम्बंध में एक राजनैतिक पार्टी या अथ

1 इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सदर से कांग्रेस टिकट पर निर्वाचित श्री अमरनाथ चावला का निर्वाचन इस कारण रद्द किया था कि उसके चुनाव पर उसके दल, मित्रा और समयका ने निर्धारित सीमा से अधिक धन खर्च किया था।

2 द्वितीये दिनमान दि० 8 दिसम्बर 1974, पृ० 9

3 वही

मूलभूत परिवर्तन किये हैं जो उसकी आत्मा पर ही कुठाराघात करते हैं। आलोचकों ने इस प्रणाली के इन्हीं दोषों की आर सकेत किया है। भारत में इस प्रणाली का लाभ मुख्यतया कांग्रेस को हुआ है यद्यपि कभी कभी तमिलनाडु, केरल और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में विरोधी दलों को भी हुआ है।

जन समिति ने भी बहुमत प्रणाली के उपयुक्त दोषों को व्यक्त किया है। उसका इस सम्बन्ध में सुभाव यह है कि ऐसी प्रणाली अपनाई जाये कि बड़ी मात्रा में मत व्यय न जायें और साथ ही सभी मतों का महत्त्व समान हो।

बहुमत प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रतिपक्ष द्वारा कभी यह सुभाव दिया जाता है कि सूची प्रथा, एकल परिवर्तनीय मत प्रणाली, सामूहिक मतदान प्रणाली और द्वितीय मतदान आदि के तरीकों को अपनाया जाय। यह कहा जाता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली भारतीय जनता का मही प्रतिनिधित्व करने में सफल होगी क्योंकि इसमें अल्पमत वालों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है।

बहुमत प्रणाली के विकल्प के उपयुक्त जितने भी सुभाव दिये गये वे अन्वयावहारिक हैं। इन सबसे सबसे बड़ा खतरा राजनीतिक अस्थिरता के उत्पन्न होने का है और 1967 के चुनाव परिणामों का अनुभव यह बताता है कि मिली-जुली सरकारें अस्थिर ही नहीं होती बल्कि ठोस, सुदृढ़ और राष्ट्रीय नीति अपनाने में भी असमर्थ होती हैं जैसा कि सविधान सभा में विचार व्यक्त किया गया था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली विधायिका को विघटित कर देगी और स्थायी सरकार चाना असम्भव हो जायगी।" इसके अतिरिक्त भारत में ससदीय शासन प्रणाली अपनाई गयी है जो समुक्त उतरदायित्व की मांग करती है परन्तु समुक्त सरकारों में इसका प्रायः अभाव देखा गया है क्योंकि इसके सदस्य दलीय नियंत्रण और अनुशासन से बाध्य नहीं होते। इसके मंत्रियों की भक्ति शासन के प्रति होने के स्थान पर अपने दल के प्रति होती है। इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के लिये अपेक्षाकृत शिक्षित, कुशल और विभिन्नता कर सकने वाले मतदाताओं की आवश्यकता होती है जिसका भारत में अभाव है।

कुछ का मत है कि बहुमत प्रणाली के दोषों को मतदान अनिवाय बनाकर दूर किया जा सकता है। इस प्रकार का सुभाव देने वाले लोगों का मत है कि मताधिकार केवल नागरिक अधिकार ही नहीं बल्कि कृषक भी है अतः प्रथम नागरिक को कानूनी तौर पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिये बाध्य होना चाहिये। इस प्रकार के सुभाव देने वालों का यह भी कहना है कि इससे प्रजातन्त्र वास्तविक बनेगा और लोगों की राज्य के प्रशासन और देश के समक्ष आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों में हिस्सा लेने की रक्ति बढ़ेगी। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या मतदान को इतने बड़े प्रजातन्त्र देश में अनिवाय बनाया जा सकता है। यह प्रायः असम्भव है। यह ठीक है कि कुछ देशों में मताधिकार का जानबूझ कर प्रयोग न

करने पर दण्ड की व्यवस्था है जैसे आस्ट्रेलिया और यूजीलण्ड में मताधिकार का प्रयोग करने वालों को जुर्माना देना होता है। चिली में तो ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सकता है। स्विटजरलैण्ड के कुछ कैंटोन्स में तो मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य है परन्तु भारत में इन सभी सुझावों की आवश्यकता नहीं। जिस बात की आवश्यकता है वह यह कि नागरिकों को इसके सम्बंध में शिक्षित किया जाय और इसके महत्त्व को समझाया जाय ताकि नागरिक अधिक से अधिक सरप्रास में मतदान का प्रयोग करें। इस प्रणाली में एक सुधार यह अवश्य किया जा सकता है कि जीतने वाले प्रत्याशी के लिये कम से कम डाले गये (यदि कुल मता का नहीं हो सकता) मतों का 50% + 1 मत प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाय और यदि किसी प्रत्याशी को यह निर्धारित प्रतिशत प्राप्त न हो तो दो अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों के लिये पुनः चुनाव कराया जाय और जिसे बहुमत प्राप्त हो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाय।

4 मतदान की आयु—मतदान की आयु के प्रश्न को लेकर भी राजनीतिक हलकों में काफी सरगर्मी रही है। वर्तमान में भारतीय संविधान व्यवस्था मताधिकार की व्यवस्था करता है अर्थात् 21 वर्ष प्राप्त होने वाले प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त होता है। यह सुझाव दिया जाता है कि इस आयु को घटा कर 18 वर्ष कर देना चाहिये ताकि भारत की युवा पीढ़ी राज्य के प्रशासन में हिस्सा ले सके। भारत सरकार, चुनाव आयोग, राज्य सरकारें तथा उन जसी विचारधारा रखने वाले लोक मतदान की आयु घटाने के पक्ष में नहीं। जो व्यक्ति या राजनीतिज्ञ या सस्थायें इस परिवर्तन का विरोध करते हैं उनका कहना है कि भारतीय युवक या युवती 18 वर्ष की आयु में अपरिपक्व, अनभिज्ञ, अनुत्तरदायी, अनुशासनहीन रहती हैं। इनका यह भी कहना है कि युवक आसानी से धोखे में आ जाते हैं और सत्य असत्य और अच्छाई बुराई में भ्रमता नहीं कर सकते हैं। आलोचकों का यह भी कहना है कि इससे मतदाता सूची में 5 करोड़ नाम और जुड़ जायेंगे, चुनाव खर्च बढ़ जायेगा और चुनाव प्रबंध का कार्य कठिन हो जायेगा। यह भी कहा जाता है कि 18 वर्ष की आयु वाले युवक युवतियों में राजनीतिक परिपक्वता का संभाव होता है परन्तु ये सब तक निराधार हैं।

भारतीय युवा पीढ़ी न तो इतनी अनुत्तरदायी है और न ही इतनी अनुशासनहीन। वस्तुतः स्थिति यह है कि आज का युवक अधिक जागरूक और चेतन है और तथाकथित निपुण राजनीतिज्ञों की कुरीतियों, से अच्छी तरह परिचित है। यह कहना भी मिथ्या है कि इससे चुनाव खर्च बढ़ जायेगा। यदि ऐसा है भी तो प्रजातंत्र अपनी वीर्यमत्त मांगती है और इस आधार पर 18 वर्ष की आयु वाले युवक-युवतियों को मतदान से वंचित करना उनके साथ अन्याय करना है। वस्तुतः युवा पीढ़ी को मताधिकार देकर राष्ट्रीय जीवन में जान पैदा करना होगा। यदि 80 90 या 100 वर्ष के वृद्धों को (जिसमें सम्भवतः बुद्धि का अभाव हो जाता है) मताधिकार का अधिकार

जाता है। यद्यपि गुले में सभी राजनीतिक दल जाति धर्म और सम्प्रदाय आदि की भूमना करते हैं परन्तु गुप्त रूप से निर्वाचन की सभी प्रक्रियाओं में प्रत्याशिया का चयन, चुनाव अभियान, मतों के लिए अपील आदि में जाति, धर्म, और सम्प्रदाय का प्रयोग किया जाता है। इन दूषित दवावों के प्रभाव से बचने का एकमात्र विवरूप राष्ट्रीय शिक्षा का विस्तार और निरपेक्ष भावनाओं का विकास है। निधनता, आर्थिक असमानता आदि तत्वा को भी दूर किया जाना चाहिये।

समिति द्वारा जो अर्थ सुझाव दिये गये—वे थे (i) ऐसी परम्परा विकसित की जाये कि ममद या विधान सभा भंग करने की घोषणा के समय से प्रगले चुनाव तक तत्कालीन मंत्रिमण्डल काम चलाऊ सरकार के रूप में कार्य करे, (ii) इस तरह काम चलाऊ सरकार को किसी भी तरह की नीति विषयक घोषणा या वायदा नहीं करना चाहिये, न किसी नयी योजना की शुरुआत करनी चाहिये, न ही किसी विस्म का भत्ता या वज्र दत्त की स्वीकृति या वेतन में वृद्धि की घोषणा करनी चाहिये (iii) इस दौरान सार्वजनिक भिमानों-गाडियो का उपयोग न करे, (iv) रेडियो और टेलीविजन को एक स्वशासन सस्था बनाया जाय और किसी भी मंत्री या नेता को उस पर उसके गतिरिक्त कोई भी समय न दिया जाये जो कि राजनीतिक दलों के लिये चुनाव प्रचाराय निर्धारित हो, (v) अधिकारियों के तबादले न किये जायें, (vi) इस दौरान सरकारी खर्च पर विज्ञापन न कराये जायें, (vii) निवाचन क्षेत्र में सरकारी साधनों का उपयोग हो तो न्यायालयों को अधिकार होना चाहिये कि वे इस आधार पर चुनाव को अवध करार दे सकें, (viii) इस दौरान में सरकारी वाहन का प्रयोग केवल चुनाव अधिकारियों की अनुमति से हो (ix) अनुचित कार्यों को भ्रष्ट कार्य करार दिया जाय।

(vii) मतों की गणना—समिति ने मतों की गणना के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया कि उन्हें मतदान केन्द्रों के हिसाब से की जाय। समिति का यह भी सुझाव था कि मत पत्र के प्रतिपण (Counter foil) पर मतदाताओं के हस्ताक्षर लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाय। जून 1975 में गुजरात में हुए चुनावों में मत पत्र के प्रतिपण पर हस्ताक्षर लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।¹

(viii) निदलीय उम्मीदवार—भारत में चुनावों में निदलीय उम्मीदवारों की संख्या इतनी अधिक होती है² कि वे मतदाताओं में आतुरिया पैदा करते हैं चुनाव परिणामों को विकृत करते हैं। निवाचन प्रक्रिया में जटिलता पैदा करते हैं और चुनावों के बाद दल बदल की नीति अपना कर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। यद्यपि निर्वाचित निदलीय उम्मीदवारों की संख्या 5 प्रतिशत से अधिक नहीं

1 See Competition Master, June, 1975 p 680

2 अनुसूचित जातियों पर निदलीय उम्मीदवारों की संख्या दल द्वारा बड़े किय गये उम्मीदवारों की संख्या में भी अधिक होती है।

नहीं हुई परन्तु उन्हें 20 प्रतिशत तक मत प्राप्त हुए हैं जो मता की भयंकर बरबादी है। अतः यह आवश्यक है कि चुनावों में निम्नोक्त उम्मीदवारों की संख्या घुनततम हो, उम्मीदवारों का दला द्वारा ही लडा किया जाय और जहा तक सम्भव हो मुकाबला बहुमुली (Multi cornered) होने के स्थान पर सीधे दो उम्मीदवारों में हो। यदि सम्भव हो तो उन प्रतिनिधियों का वापस (Recall) चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिये जिनका विधान सभा में निष्पादन (Performance) असा-ीपजनक हो या जो भ्रष्ट हो जाय। दल बदल करने वाले विधायक या मन्त्रों की मदद की मजतूर किया जाना चाहिये कि वह/वे अपनी मददगारों में त्याग पत्र दें और पुनः चुनाव लडे आदि।

समीक्षा-प्रश्न

(Review Questions)

- 1 निवाचन आयोग की रचना कायों द्वारा महत्त्व की आलाचनात्मक व्याख्या कीजिये।
- 2 "निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन मशीनरी की आवश्यकता है।" इस कथन का सन्दर्भ में भारतीय संविधान के उन उपबन्धों की आलाचनात्मक व्याख्या कीजिये जो भारतीय निवाचन मशीनरी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा करते हैं? क्या इन उपबन्धों में सुधार की आवश्यकता है?
- 3 भारतीय निर्वाचनों की मुख्य समस्या लोकायुक्त यथायथ प्रतिनिधित्व की है। वर्तमान बहुमत प्रणाली कहां तक लोकायुक्त यथायथ प्रतिनिधित्व करती है? क्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली वर्तमान बहुमत प्रणाली का सही विकल्प है? कारण सहित उत्तर लिखिए।
- 4 जन समिति या लोकतंत्र के लिए नागरिक समिति (श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा नियुक्त समिति) द्वारा निवाचन प्रणाली में सुधार के सुझावों की व्याख्या कीजिए। इन्हें कहां तक कार्यान्वित किया जा सकता है?
- 5 सर्वोच्च न्यायालय ने कवरलाल गुप्त बनाम अमरनाथ चावला विवाद (1974) में राजनीति में द्रव्य (धन) शक्ति का विमोचन (पर्दाफाश) किया है। इस कथन की व्याख्या करते हुए भारत में लोकतंत्र का द्रव्य आधारित होने की अपेक्षा जन आधारित बनाने हेतु सुझाव दीजिए।
- 6 "भारतीय निर्वाचन वगैरे सामाजिकता निरक्षर और अनभिज्ञ है परन्तु उसमें समझदारी की कमी नहीं। इस कथन के सन्दर्भ में पिछले पांच सामाजिक निर्वाचनों में उदाहरण देते हुए इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए कि भारतीय राजनीति को प्रभावित करने तथा उसे दिशा देने में भारतीय निर्वाचक वगैरे की क्या भूमिका रही है?

- 7 ' भारतीय राजनीतिक विकास मे 1967 का चुनाव जल विभाजक है ।" आप इस कथन से क्या तक सहमत है ? इस निर्वाचन मे जो समस्याये उभर कर सामने आयी उनका सक्षिप्त मे बखान कीजिये ।
- 8 "यदि 1971 का चुनाव 1967 के पूव की स्थिति की पुनरावृत्ति थी तो जून 1975 का गुजरात का चुनाव 1967 की प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति है" आप इस कथन से क्या तक सहमत है ? उदाहरण सहित बखाना कीजिए ।
- 9 मनिष्य टिप्पणियाँ लिखिये—
- (a) मतदान अनियाय होना चाहिये ।
 - (b) मतदान की आयु 18 वष होनी चाहिये ।
 - (c) निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग न होकर सदस्यीय आयोग होना चाहिए ।
 - (d) वयस्क मताधिकार ।
 - (e) निर्वाचन क्षेत्र सीमाकन आयोग ।
 - (f) निर्वाचन व्यय की निर्धारित सीमा ।
-

पुस्तक 7

भारतीय विदेश नीति

1 भारतीय विदेश नीति

भारतीय विदेश नीति (India's Foreign Policy)

विदेश नीति का अर्थ—जिस नीति या कार्यक्रम द्वारा कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ सम्बन्ध निवारित करता है अंतर्राष्ट्रीय सङ्गठनों और सम्मेलनों में अपने प्रतिबिम्ब को प्रक्षेपित (project) करता है युद्ध और शान्ति के प्रश्नों पर अपनी भूमिका निभाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय समाज में सर्वश्रेष्ठ सम्भाव्य स्थान प्राप्त करने का प्रयास करता है उस उस राष्ट्र की विदेश नीति कहते हैं। यह नीति सदैव उस राष्ट्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भौगोलिक स्थिति और आर्थिक कुबलता व सुदृढता पर आधारित होती है, यह राष्ट्रीय हिता से प्रेरित एवं प्रभावित होती है और निरंतर परिवर्तित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित होती रहती है। कुट लण्डन के शब्दों में किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति से अर्थ राष्ट्रों के सदैव म उतसा माग निधारित होता है। वह एक कार्यक्रम होती है और उसका उद्देश्य होता है शान्तिपूर्ण उपायों या युद्धोत्तर उपायों से राष्ट्रों के लिये सर्वश्रेष्ठ सम्भाव्य स्थिति को प्राप्त करना। उसके उद्देश्य हाते हैं प्राकृतिक संपन्नता की सुरक्षा, राजनीतिक स्वतन्त्रता की रक्षा तथा लोगों के लिये सुमुचित जीवन स्तर की वृद्धि।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत की विदेश नीति स्वतन्त्र दृष्टिकोण और असलमनता की रही है। इसके उद्देश्य हैं विश्व शान्ति का बनाय रखना युद्ध की सम्भावनाओं का टालना विवादा का मध्यस्थता या विवाचन द्वारा निपटारा करना, जातिवाद, रंगभेद, साम्राज्यवाद का विरोध करना तथा राष्ट्रीय हिता की रक्षा करना है। भारत की विदेश नीति के सम्बन्ध में प० जवाहरलाल नेहरू ने सितम्बर, 1946 में ही कह दिया था कि 'भारत वैश्विक सम्बन्धों के क्षेत्र में एक स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटा की सींच तान से दूर रहते हुए विश्व के समस्त पराधीन देशों के लिये आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढतापूर्वक उन्मूलन करने का प्रयास करेगा। साथ में वह विश्व के साथ स्वतन्त्रता प्रेमी और शान्तिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिये निरंतर प्रयत्नशील रहेगा।

गर साम्यवादी देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी धनी आवादी है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में यही एक ऐसा देश है जिसे प्रभावा राष्ट्र की सजा दी जा सकती है, मध्य और यूगोस्लाविया के साथ मिलकर भारत ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व किया है, अफ्रीकाई राष्ट्रों में यह सबसे अधिक प्रभावशाली है। संक्षेप में, भारत 'तीसरे विश्व (Third World) का प्रमुख प्रवक्ता, "शांति के वातावरण का मुख्य निर्माता (Chief architect of climate of place) और कूटनीतिक व्यवहार में "मृदुता और मिठास" का समर्थक है।

भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व (Factors shaping India's Foreign Policy)

प्रत्येक देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है जो अनेक परस्पर विरोधी तत्वों जैसे किसी देश की भौगोलिक स्थिति, उसकी आर्थिक और सैनिक क्षमता, ऐतिहासिक और परम्परागत विचारधाराएँ, सामाजिक प्रथाएँ, नेताओं तथा राजनयज्ञों का दृष्टिकोण तथा व्यवहार आदि द्वारा प्रभावित होती रहती है। विभिन्न और परस्पर विरोधी तत्वों के प्रभावित होने के कारण किसी देश की विदेश नीति सभी समयों और सभी स्थितियों में एक जैसी नहीं हो सकती। यही कारण है कि प्रत्येक देश की विदेश नीति समय, परिस्थिति और आवश्यकता-नुसार परिवर्तित होती रहती है। भारत की विदेश नीति भी इसका कोई अपवाद नहीं। उसके निर्धारण में भी अनेक वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ तत्वों ने योगदान दिया है। वस्तुनिष्ठ तत्वों में प्रमुख हैं भूगोल, अर्थतन्त्र और जनसंख्या, आत्मनिष्ठ तत्वों में प्रमुख हैं मनोबल और नेतृत्व।¹ इसे निर्धारित करने वाले मूल तत्व निम्न हैं —

1 राष्ट्रीय हित — जसा कि नेहरूजी ने कहा था कि "भारत की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है।" राष्ट्रीय हितों को परिभाषित करना कठिन है क्योंकि वे अत्यन्त सूक्ष्म, जटिल और परिवर्तनशील होते हैं। फिर भी भारत की विदेश नीति जिन राष्ट्रीय हितों में प्रभावित होती है उनमें प्रमुख हैं भारत की भौगोलिक स्थिति उसकी स्थलीय सीमा, उसका विशाल समुद्री तट, उसका विदेशी व्यापार, सीमावर्ती राज्या में बसने वाले भारतीयों का कल्याण, उसकी आर्थिक कमजोरी, छाछानों का अभाव, उसके विकास के लिये विदेशी पूँजी, और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, पाकिस्तान और साम्यवादी चीन के साथ विगड़ते हुए सम्बंध, शांति की आवश्यकता, मित्रों की राजतंत्र गुटों से पृथक् रहकर उनसे मित्रतापूर्ण सम्बंधों को बनाये रखने की आवश्यकता, अफ्रीकाई राष्ट्रों की एकता, और साम्यवादी देशों में महत्वपूर्ण स्थान पाने की अभिलाषा आदि। सन् 1970 तक भारत प्रायः

1 See Palmer, Norman D The Indian Political System, pp 265 66

सैनिक दृष्टिकोण से भी निवल था परन्तु 1971 में बांगला देश की घटनाओं, 1974 के अणु परीक्षण और 1975 के अंतरिक्ष परीक्षण (भारत ने 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में आद्यभट्ट नाम का उपग्रह अंतरिक्ष में फेंका) के बाद भारत को सैनिक दृष्टि में दुबल नहीं कहा जा सकता। इतना अग्रथ है कि सैनिक सुरक्षा के प्रश्न ने भारतीय विदेश नीति को अत्यधिक प्रभावित किया है।

भारत की विदेश नीति किस प्रकार राष्ट्रीय हिता से प्रभावित रही है उसे निम्न उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है (i) भारत की विदेश नीति साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद विरोधी है परन्तु फिर भी ब्रिटिश सरकार ने मलाया के स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने के लिये जब सितम्बर, 1953 में नेपाल से सेनायें मगायीं तो भारत ने इन्हें अपनी भूमि से होकर जान दिया। (ii) सन् 1956 में स्वेज सड़क के समय भारत ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी हमले की कटु आलोचना की परन्तु साथ में नासीर को मृदु नीति अपनाते का सुभाव दिया क्योंकि स्वेज नहर को खुले रखने में भारत के राष्ट्रीय और व्यापारिक हित थे (iii) भारत शांतिप्रिय और गुट निरपेक्ष राष्ट्र है परन्तु जब सन् 1971 में बांगला देश से आने वाले शरणार्थियों की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी और इस उप महाद्वीप में युद्ध के बादल मण्डराने लगे तो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिये और सड़क की घड़ी के लिये मित्रता का मुद्दा करने के लिये 9 अगस्त, 1971 को रूस के साथ वीस वर्षीय संधि की। ये सब उदाहरण भारतीय राष्ट्रीय हिता को अभिव्यक्त करते हैं और उसकी विदेश नीति के व्यावहारिक पहलुआ (real politik) स्पष्ट करते हैं। आज तो भारत विश्व में 'शक्ति' की राजनीति के महत्त्व को पहचानता है।

2 भौगोलिक स्थिति—भारत की विदेश नीति के निर्धारण में उसकी भौगोलिक स्थिति का अत्यधिक महत्त्व रहा है। यह विश्व धरातल के ऐसे भाग में स्थित है जहाँ भौगोलिक और सांख्यिक दृष्टि से "इसका स्थानीय, क्षेत्रीय और विश्व व्यापी महत्त्व" ¹ है। भारत दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पश्चिमी एशिया का 'धुरीय केन्द्र' (pivotal centre) है। जैसा कि नेहरूजी ने एक बार कहा था कि "हम एशिया के सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भाग हिन्द महासागर के मध्य में हैं। अतीत एवं वर्तमान काल में हमारे सम्बन्ध पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा सुदूरपूर्वी एशिया के साथ रहें हैं। यदि हम चाहें तो भी इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते।" भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल लार्ड बर्जिस ने 1903 में ही कहा था कि भौगोलिक स्थिति उसे अधिकाधिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अग्रणी स्थान की ओर ले जाने में भूमि अदा करेगी। ²

1 See P P Karan 'India's Role in Geopolitics' India Quarterly, IX (April-June 1953), 160-169, K M Panikkar India and the Indian Ocean Quoted by Palmer, Ibid, p 266

2 Quoted by Palmer Ibid, p 266

भारत की समुद्री और स्थलीय सीमाये उसकी विदेश नीति पर प्रभाव डालती हैं। भारत का समुद्री तट 3,500 मील और स्थलीय सीमाये 8,200 मील लम्बी है। केवल चीन के साथ भारत की सीमाये 1,500 मील लम्बी है जो विश्व में किसी भी साम्यवादी देश की गर साम्यवादी देश के साथ सबसे लम्बी स्थलीय सीमा है। उत्तर में दो महा साम्यवादी राष्ट्र (चीन और रूस) विद्यमान हैं। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर विद्यमान हैं। भारत का विदेशी व्यापार इही मार्गों से होता है। अतः समुद्री व स्थलीय सीमाओं की रक्षा के लिये भारत के चीन, रूस, नेपाल, भूटान, बंगला देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, थाईलैण्ड, लाओस आदि देशों से अच्छे सम्बन्धों का होना अनिवार्य है। चीन और पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्धों बनाने के कारण भारत की स्थलीय सीमाओं की सुरक्षा के लिये भारत को उन देशों के साथ, विशेषकर ब्रिटेन के साथ, अच्छे सम्बन्धों बनाये रखने की आवश्यकता है जिनका समुद्र पर स्वामित्व है। संक्षेप में, यदि स्थलीय सीमाओं की सुरक्षा के लिये साम्यवादी राष्ट्रों पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि से मित्रतापूर्ण सम्बन्धों की आवश्यकता है तो समुद्री तट की रक्षा के लिये तथा समुद्री मार्गों को सुलभ रखने के लिये पश्चिमी राष्ट्रों की मित्रता की आवश्यकता है। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति के मूल आधार गुट निरपेक्षता, मित्रों की खोज और शांतिपूर्ण सम्बन्धों की है।

हिंद महासागर में भी भारत का सबसे बड़ा हित यह है कि वह इसे "स्वतंत्र क्षेत्र" (Free zone) बनाये रखना चाहता है। भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ब्रिटेन के इस क्षेत्र से हट जाना किसी प्रकार की "शक्ति शून्यता" (Power Vacuum) की स्थिति पैदा होगी। भारत की यह धारणा है कि यदि कोई शून्यता उत्पन्न होगी तो हिंद महासागर के समुद्र तटवर्ती राज्य (Littoral States) इस शून्यता को पूरा भर सकने की क्षमता रखते हैं। अतः भारत डायगो गार्शिया में अमेरिकी सैनिक अटडा का उतारना ही विरोधी है जितना कि इस क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रभाव का। भारत की धारणा है कि इस क्षेत्र में महाशक्तियों की गतिविधियाँ बढ़ जाना से उसकी सीमाओं और व्यापार का खतरा उत्पन्न हो सकता है अतः भारत इस क्षेत्र को "स्वतंत्र क्षेत्र" "शांति क्षेत्र" (Free Zone—Area of Peace) बनाये रखना चाहता है।

3 आर्थिक और सैनिक तत्त्व—आर्थिक और सैनिक तत्त्वों ने भी भारत की विदेश नीति को अत्यधिक प्रभावित किया है। करीब दो सौ वर्ष तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहने के कारण भारत का आर्थिक ढांचा नष्ट-भ्रष्ट हो चुका था। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण कर उसे आत्मनिर्भर बनाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मूलतः दो रातों की आवश्यकता थी। पहली तो यह कि आर्थिक विकास के लिये विदेशी सहायता (पूँजी) और तकनीकी ज्ञान की सहायता निर्वाह करना पश्चिमी और रूसी गुट दोनों

के देशों में प्राप्त होती रहे और दूसरे विश्व में शांति बनी रहे ताकि इस विकास में बाधा प्रस्तुत न हो। जसाकि श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित ने कहा था कि "बुद्ध हमारे लिये साम्यवाद की अपेक्षा अधिक बढ़ा सकट है।" उदाहरणतया स्वेज नहर के बंद होने पर भारत को 1700 करोड़ रुपये केवल भाड़े के रूप में ही अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। भारत की असमर्थता की नीति के मूल में यही तत्त्व अतिनिहित है कि दोनों गुट भारत के मित्र रहें और दोनों से आर्थिक और साधनों की सहायता प्राप्त होती रहे।

सैनिक दृष्टि से भी भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, अत्यंत निबल देश था और 1962 के चीनी आक्रमण ने तो उसकी सैनिक शक्ति के खोपलेपन को स्पष्ट भी कर दिया था। परंतु 1965 और 1971 के युद्धों ने तथा 18 मई 1974 के अणुपरीक्षण और 19 अप्रैल 1975 के अतिरिक्त में छोड़े गये आघात नाम के उपग्रह में स्पष्ट है कि भारत आज सैनिक दृष्टि से दुबल नहीं और वह अपनी आत्मरक्षा की सामर्थ्य रखता है। फिर भी, भारत के पास अपने विशाल समुद्री तट की रक्षा हेतु आज भी विशाल समुद्री बेड़े की कमी है और भारत समुद्री मार्गों की रक्षा के लिये विदेशी सहायता पर निर्भर करता है।

4 ऐतिहासिक, लोकतांत्रिक परम्पराओं और विचारधाराओं का प्रभाव— भारत की विदेशनीति पर अनेक परम्पराओं और विचारधाराओं का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। परंतु यहाँ भारत की विदेश नीति ने मध्यम मार्ग (Middle way) अपनाया है। जहाँ भारतीय राजनीतिक सस्थाओं, ससदीय प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था और कानूनी पद्धति पर ब्रिटेन का प्रभाव नजर आना है वहाँ उसकी अर्थ व्यवस्था पर समाजवादी प्रभाव नजर आता है। ब्रिटिश उदारवाद को स्वीकार करते हुए भी भारत ने समाजवादी समाज के ढाँचे को स्वीकार किया है और व्यावहारिक होते हुए भी उसकी विदेश नीति में आदर्श और नतिक मूल्या का समावेश है। उदाहरणतया भारत का शांतिवाद भारतीय परम्परागत दर्शन की सहिष्णुता उदारता और मानवता पर आधारित है बाह्य आक्रमण (चीन और पाकिस्तान के आक्रमण) का सामना करते हुए भी भारत ने अपने आक्रमणकारियों के प्रति सहिष्णुता और मित्रता का हाथ बढ़ाया है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध राष्ट्रों की स्वतंत्रता के विचारों में प्रभावित है जातीय या रंगभेद की नीति का विरोध भारतीय मानवतावादी विचारों से प्रभावित है पंचशील के सिद्धांतों पर गांधी की अहिंसा और बुद्ध के अष्टमार्ग का प्रभाव है, आदि। नेहरूजी ने अपनी रचना "दी डिस्कवरी ऑफ इण्डिया में लिखा है कि "हम बहुत प्राचीन हैं, और पगबिह मिटी हुई शताब्दियाँ हमारे कानों में निरंतर बुद्ध बजनाफूसी करती हैं।"¹

5 वैयक्तिक प्रभाव—किसी भी देश की विदेश नीति पर उन सस्याग्रो और व्यक्तियों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता जो उसका संचालन करते हैं। उदाहरणतया देश के प्रधान मंत्री, मन्त्रिमण्डल के सदस्य विदेश मन्त्रालय, राजनयजो (Diplomats), वैदेशिक विषयो की परामशदात्री समिति, समाचार पत्रों के सम्पादकीय लेखो, विदेश नीति पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। भारत की विदेश नीति इसका कोई अपवाद नहीं। भारत की विदेश नीति पर भारत के प्रधान मंत्री प० नेहरू का प्रभाव अत्यधिक था। वस्तुतः प० नेहरू ही भारत की शांतिवादी, अमलग्नता की नीति के कण्ठधार थे। उनका शांतिवादी, सहिष्णु, साम्राज्यवाद विराधी, दृष्टिकोण ही भारतीय विदेश नीति में प्रतिबिम्बित होता है। भारत चीन सम्बन्ध में चीन में भारत के राजदूत श्री के० एम० पणिकर और कृष्णामेनन का अत्यधिक प्रभाव था।

6 आन्तरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव—किसी देश की आन्तरिक शक्तियाँ और दबाव समूह भी उसके निर्धारण में अत्यधिक भूमिका निभाते हैं। जब राष्ट्र आन्तरिक दृष्टि से अविा सुदृढ और मनोवज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में गुंथा होता है तो राष्ट्र की विदेश नीति भी अधिक स्पष्ट, सुदृढ और प्रभावशाली होती है। परन्तु जब राष्ट्र आन्तरिक फूट (मनभेद) के कारण विभक्त होता है और राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है तो विदेश नीति प्रायः शिथिल और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रायः निष्क्रिय और प्रभावहीन होती है। भारत की विदेश नीति भी इसका अपवाद नहीं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के 17 वर्षों तक भारत आन्तरिक, आर्थिक और सैनिक दृष्टि में गिबल होने पर भी विश्व राजनीति में इस कारण अधिक योगदान दे सका कि श्री नेहरू का व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली था और देश में उनका विराय करन का साहस किसी में नहीं था। परन्तु उनकी मृत्यु के बाद (1964) भारतीय विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय स्थल पर शिथिल पड़ गयी, कम से कम यह स्थिति 1970 तक रही। परन्तु जब 1971 में श्रीमती गांधी का व्यक्तित्व उभर कर सामने आया तो कम से कम इस उपमहाद्वीप में उनके व्यक्तित्व का निर्णायक प्रभाव पड़ने लगा। सन् 1971 में बंगला देश की स्वतन्त्रता, सन् 1974 में अणुबम का विस्फोट और सन् 1975 में आयाभट्ट का अन्तरिक्ष में फेंके जान में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव का विकास हुआ।

भारतीय विदेश नीति के मूल तत्त्व या लक्षण

(Basic Principles or Features of India's Foreign Policy)

किसी भी देश की विदेश नीति के मूल तत्व उसके राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। जसाकि नेहरूजी ने दिसम्बर 1947 में लोक सभा में कहा था कि "विदेश नीति की आधारशिला उसका राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। चाल्म इबाम ह्यूज ने भी कहा है कि 'विदेश नीतियों का निर्माण मूढम गिड़गिड़ाता के आधार पर नहीं होता बल्कि यह राष्ट्रीय हितों के क्रियात्मक विचारों का परिणाम है।"

है।" परन्तु ये राष्ट्रीय हित इतने विस्तृत जटिल और परिवर्तनशील होते हैं कि उह सभी समयों के लिये लिपिवद्ध करना कठिन होता है। ये समय, परिस्थिति और आवश्यक वतानुसार बदलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हिता का निर्माण परस्पर विरोधी, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक आदि हिता से भी होता है। परन्तु फिर भी विदेश नीति के कुछ ऐसे मूल आधार होते हैं जो उस दिशा प्रदान करते हैं। यद्यपि इनका सवदा अक्षरशः पालन नहीं किया जाता फिर भी व उस दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हैं जो किसी समय अपनाई गयी विदेश नीति में अतर्निहित होते हैं। उदाहरणतया भारतीय सविधान का अनुच्छेद 51 उसी दृष्टिकोण और दिशा को अभिव्यक्त करता है जो भारत के सविधान निर्माता भारतीय विदेश नीति को देना चाहते थे। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्य निम्न चीजों का प्रयास करेगा—

(i) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि,

(ii) राष्ट्रों में शान्तिपूर्ण और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखना,

(iii) अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति तथा विभिन्न राष्ट्रों को पारस्परिक सम्बन्धों में संधियों के पालन के प्रति सम्मान बढ़ाना,

(iv) विवाचन (arbitration) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन देना।

उपयुक्त अनुच्छेदों के तत्त्वों से स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति के मूल आधार हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, शान्तिपूर्ण सहजीवन और पंचशील। इनकी प्राप्ति के लिये भारत विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करता है, पड़ोसी तथा अन्य राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील रहता है, विभिन्न महाशक्तियों की गुटबन्दीय और सैनिक समझौतों से पृथक् रह कर असलमता की नीति का अनुसरण करता है, जातिभेद और रंगभेद की नीति, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की नीति का घोर विरोध करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र संधि के सिद्धांतों के प्रति गहरी आस्था प्रकट करता है आदि।

भारत की विदेश नीति के मूल तत्त्वों को निम्न बिन्दुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है—

1 शान्तिपूर्ण सहजीवन की नीति—भारत की विदेश नीति के मूल तत्व पंचशील के पांच सिद्धांत हैं अर्थात् भारत प्रत्येक राष्ट्र की प्रादेशिक अखण्डता और सम्प्रभुता का सम्मान करता है, किसी राष्ट्र पर आक्रमण करने या किसी राष्ट्र की सीमाओं का अतिक्रमण करने की इच्छा नहीं रखता। किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, सभी के साथ समान व्यवहार और सहयोग के लिये तयार रहता है। संधि में, शान्तिपूर्ण सहजीवन भारतीय विदेश नीति का मूल तत्व है।

भारत युद्ध के किसी रूप को स्वीकार नहीं करता। उसकी मान्यता है कि युद्ध राज्या में पारम्परिक नदभावना और सहयोग आधिक विस्तृत और विश्व शांति में सबसे बड़ी बाधा है। यही कारण है कि भारत की गहरी हार्दिक इच्छा है कि 'उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उपनि को क्षमता में डालने वाला कोई युद्ध न हो।' जसजि नेहरूजी ने 19५2 में कहा था कि "हमारी पट्टी नीति तो यह होनी चाहिये कि हम ऐसी नीति अपनाएँ जो गठित होने से रोके, दूरगामी नीति इसमें बचने की हानी चाहिये और तीसरी नीति भी ऐसी स्थिति बनाने की होनी चाहिये कि यदि युद्ध छिड़ जाये तो हम उसको रोकने में समर्थ हो सकें।" परन्तु भाग्य की विडम्बना यह है कि युद्ध न चाहते हुए भी भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से लेकर आज तक चार आक्रमणों का सामना करना पड़ा है, पहला 1947-48 में पाकिस्तान का दूमरा 1962 में चीन का, तीसरा 1965 में पाकिस्तान का, और चौथा 1971 में पाकिस्तान का।

भारत वस्तुतः युद्ध की यथायथा में विश्वास ही नहीं करता और सदा शांति बनाये रखने का प्रयास करता है। उसकी धारणा है कि युद्ध समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं करते बल्कि नये युद्धों को जन्म देते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिये भारत शांतिमय साधनों द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्तालाप, समझौते, मध्यस्थता, पंच निष्पत्ति या विवादान, आदि पर बल देता है। पाकिस्तान के साथ भी, जिसके भारत के साथ बटु सम्बन्ध रहे हैं, भारत शांतिमय साधनों से अपने विवादों को हल करना चाहता है। उदाहरणतया हाल में पाकिस्तान से पानी पर चल रहे विवादों के कारण जो दोनो देशों में सन् 1९६० में सिन्धु जल संधि (Indus Water treaty) द्वारा हल किया गया। इस संधि पर १९६४ प्रधान मंत्री नेहरू और राष्ट्रपति अय्यंगर जी ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह संधि, जो कि भारत का अग्र है, उस पर भी जून 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिये एक त्रिपक्षीय दस्तावेज स्थापित करना स्वीकार कर लिया और भारत में उसे विरोध के बाद भी भारत सरकार ने राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर और सम्बन्धों को सुधारने हेतु दस्तावेज द्वारा किये गये निष्पत्ति को स्वीकार कर लिया। सन् 1966 में ताशकंद समझौते में भी भारत ने पाकिस्तान को वे क्षेत्र लौटा दिये जो कश्मीर भारत सुरक्षा के लिये आवश्यक थे। सन् 1971 में युद्ध के बाद भी भारत ने पाकिस्तान में प्रति गद्भावना का अग्र अपनाया और 1972 में शिमला में द्विपक्षीय वार्तालाप पर हस्ताक्षर किये गये। 1974 के त्रिपक्षीय समझौते द्वारा युद्ध बन्दिया गये, जहाँ 19५५ में युद्ध बन्दिया गये जिन पर बगना देश अमानुषिय हत्याओं ने गुजरना पड़ना था, जो कि 19५५ में युद्ध बन्दिया गये।

केवल पाकिस्तान के साथ ही नहीं, भारत ने अग्र पक्षीय वार्तालाप के द्वारा 19५५ में युद्ध बन्दिया गये जिन पर बगना देश अमानुषिय हत्याओं ने गुजरना पड़ना था, जो कि 19५५ में युद्ध बन्दिया गये।

विवादों का निपटारा शांतिमय साधनों से किया है। अग्र पक्षीय वार्तालाप पर हस्ताक्षर किये गये। सन् 1974 के त्रिपक्षीय समझौते द्वारा युद्ध बन्दिया गये।

रहने वाले भारतीयों की समस्या के सम्बन्ध में, और 1,50,000 राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों (stateless persons) के सम्बन्ध में जनवरी 1954 में समझौता हुआ। इसी प्रकार पाक जलडमरूमध्य (Pak Strait) में स्थित कच्छदीव टापू (Kachchdiv Island) के सम्बन्ध में जून 1974 में समझौता हुआ। भारत सरकार ने इस द्वीप पर श्री लंका का दावा स्वीकार कर लिया है। बंगला देश के साथ भी सीमा सम्बन्ध मतभेदों को पारस्परिक समझौता द्वारा हल किया गया है। उदाहरणतया 1974 में दाना देशों में अनेक समझौते किये गये जैसे सीमा सम्बन्धी समझौते द्वारा बरुवाडी की समस्या का समाधान किया गया। यह क्षेत्र भारत को मिल गया और भारत ने सीमा स्थित दाहाग्राम और असनाग क्षेत्रों को बंगला देश को दे दिये। इतना ही नहीं, दाहाग्राम और अररपेटा को मिलान के लिए भारत के बीच में एक पट्टी (Corridor) बंगला देश के लिए छोड़ दी गई। इसी प्रकार फरक्का बांध (Farakka barrage) के सम्बन्ध में भी समझौते हुए। बर्मा के साथ भी अगस्त 1974 में सीमा सम्बन्धी मतभेदों को दूर करने के लिए समझौता किया गया। चीन के साथ भी भारत विवादा को शांतिमय माध्यमों से निपटाना चाहता है परन्तु सम्भवतया चीन की इन मायना या समझौतों में रुचि नहीं।

केवल पड़ोसी देशों के साथ ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी भारत शांति का दूत माना जाता है उदाहरणतया कारिया युद्ध (1950-53) में भारत ने शांति स्थापित करने के अनेक प्रयास किये और पाक राष्ट्रा के आयोग में (Neutral Nations Repatriation Commission), जिसका अध्यक्ष भारत था, युद्धवन्दियों की समस्या का हल करने में सराहनीय कार्य किया। इसी प्रकार हिन्द चीन (Indo China) के सम्बन्ध में 1954 के जेनेवा समझौते के बाद राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थापित किये गये अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग (International Control Commission) का भारत अध्यक्ष था। सन् 1956 में स्वेज मकट के समय राष्ट्रपति नासीर की नीति का समर्थन करते हुए भी उसे मृत्यु नीति अपनाने का मुभाव दिया।

भारत देश की विदेश नीति का मूल आधार वस्तुतः विश्व शांति और शांतिवाद है। गुटा से पृथक् रहने की उसकी अमलगतता की नीति का मूल उद्देश्य यही है। भारत शस्त्रों की हटाएँ वा विरोधी है और विश्व शांति के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक समझता है। भारत ही पहला देश था जिसने 1963 की आशिक अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किये थे। भारत ने 1968 की परमाणु अस्त्र विस्तार निषेध संधि पर इसीनिये हस्ताक्षर नहीं किये नि महा शक्तियाँ इस प्रकार की संधि द्वारा विश्व में परमाणु शक्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती हैं और छोटे तथा अल्पविकासि राष्ट्रा को उनकी दया पर निर्भर करना चाहती हैं।

आज भारत भी एक अणु मण्डल देश है और उसने 19 अप्रैल 1975 को प्रायःभट्ट नाम का एक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़कर अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी कुशलता का परिचय भी दिया है। परन्तु अणु शक्ति सम्पन्न होने पर भी भारत अपने पड़ोसी या अन्य राष्ट्रों को आतंकिता करना वा इच्छा नहीं रखता अणु या परमाणु प्रस्था का निर्माण नहीं करता ताहता और न ही किसी भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। आज भी भारत 'साथी और "भाई" बनना चाहता है, "नेता" नहीं। भारत ने अणु शक्ति का विराम शांतिमय साधना के लिए किया है। भारत हमने विराम में अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान करना चाहता है तथा गैर, तेज, विद्युत्, स्वास्थ्य आदि साधना में इसका प्रयोग करना चाहता है। परन्तु भारत का शांतिवाद बोगा उदारतावादी नहीं यह गवारात्मक भी है और जब कभी भारत पर युद्ध थाप दिया जाता है या उसकी सीमाओं का अतिप्रमण किया जाता है तो वह अपनी मुद्रा करता भी जाता है।

2 असतन्त्र या गुट निरपेक्षता की नीति—एक शब्द जिसमें भारत की विशेष नीति जानी जाती है वह है असतन्त्रता या गुट निरपेक्षता। जबसे इस नीति को गढ़ा गया है तब से भारतीय विदेश नीति के निम्नानामों के लिए यह 'विश्वास का अवतरण' (an article of faith)¹ रही है और आज भी है। सन् 1962 के चीनी आक्रमण, 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण, 1971 की भारत-पाक संधि और पाकिस्तानी आक्रमण के समय हमने अनेक बार अग्नि परीक्षा की गई और हर बार हमने अपनी गतिशीलता और व्यवहारवाद (dynamism and pragmatism) को अभिव्यक्त किया है। वस्तुतः जैमिनि ट्रुएणा मेन ने 1969 में कहा था कि भारत के लिए "असतन्त्रता वा कोई विकल्प नहीं", यह "नीति की स्वतन्त्रता" की अभिव्यक्ति है।² प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस वक्तव्य को बार-बार दाहराया है कि न केवल 'द्विध्रुवीय विश्व' (Bipolar World) में बल्कि 'बहुध्रुवीय विश्व' (Multipolar World) और विश्व गुटा के शीतयुद्ध अर्थात् अमनस्य शैथिल्य (detente) की स्थिति में हमारी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है।

असतन्त्रता या गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि विश्व के किसी भी गुट ने सा-ज जुड़ा हुआ न होना, अर्थात् ताटो, सीटो या वासॉ सगठनों जैसे किसी सैनिक गठ-व-गनों में शामिल न होना। यह ऐसी नीति है जो विश्व में स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करती और हर समस्या पर अपने विचारों को प्रकट करने और दृष्टिकोण को अपना देने के लिए स्वतन्त्र समझती है। यह किन्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर काय

1 Quoted by Palmer, Norman D The Indian Political System, p 273

2 Quoted by Palmer Ibid, p 273

नहीं करती। यह समस्याओं पर वस्तुनिष्ठ (objective) दृष्टिकोण अपनाती है, व्यक्तिनिष्ठ (subjective) नहीं।

असलग्नता की नीति को विविध नामों से पुकारा जाता है। इसे 'तटस्थता', (neutrality), 'गत्यात्मक तटस्थता' (dynamic neutrality) 'शांतिवाद' तथा 'गुटवैदिया से पृथक् रहने की नीति' दोहरे गठबंधन (Double alignment) की नीति, आदि कहा जाता है। कुछ लेखकों ने नीति कहने के स्थान पर 'दृष्टिकोण' (attitude) कहना ही पसंद करते हैं। पामर इसे व्यवहारवाद¹ (pragmatism) की सजा देना पसंद करते हैं। भारत देश की विदेश नीति के सम्बन्ध में अभिव्यक्त किये गये ये विचार वस्तुतः अनेक आतियों को पैदा करते हैं। भारत की विदेश नीति तटस्थता की नहीं क्योंकि तटस्थता एक स्थैतिक और नकारात्मक (static and negative) विचार है जबकि असलग्नता एक गतिशील और सकारात्मक (dynamic and positive) विचार है। जहाँ तटस्थता अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर पृथक्ता (Isolationism) का दृष्टिकोण अपनाती है वहाँ असलग्नता अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर पृथक्ता का दृष्टिकोण नहीं अपनाती बल्कि उन पर स्वतंत्र रूप से विचार करती है, उनमें सहभागिता की भूमिका निभाती है और आवश्यकता हो तो विरोधी गुटों में या युद्ध के संधि में सलग्न पक्षकारों में मध्यस्थता का कार्य करती है।

भारत की विदेश नीति असलग्नता की है। वह दोनों गुटों से दूर रहना चाहती है, दोनों की मित्रता चाहती है और दोनों से सहायता प्राप्त कर अपनी उन्नति करना चाहती है। वह दोनों महाशक्तियों की राजनीति में अपने आपकी उलझना नहीं चाहती परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भारत की नीति चुपचाप बैठ कर तमाशा देखने की है। भारत ने हमेशा, अपने विचारों के अनुसार, 'याय, औचित्य और शांति का साथ दिया है और जब वह स्वयं आक्रमणों का शिकार रहा है तो उसने अपनी सीमाओं की रक्षा भी की है। अपने स्वतंत्र विचारों के अनुसार यदि भारत ने निःशस्त्रीकरण, जाति भेदभाव और क्षेत्रीय सैनिक संगठनों की समस्याओं पर रूस का साथ दिया है तो हंगरी और चेकोस्लावाकिया में रूसी हस्तक्षेप की निन्दा भी की है। अपनी सीमाओं की रक्षा और इस उपमहाद्वीप में शांति बनाये रखने के लिये भारत ने 1971 में भारत रूस संधि जैसी शांति संधि भी की है। सन् 1949 में अमरीकी सीनैट में भाषण देते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "जहाँ स्वतंत्रता के लिये खतरा उपस्थित हो, 'याय को धमकी दी जाती हो, अथवा जहाँ आक्रमण होता हो वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न तटस्थ रहेंगे।' कृष्णा मेनन ने भी संयुक्त राष्ट्र सभ की महासभा में भारतीय विदेश नीति का

1 डा० दिनेश चन्द्र चतुर्वेदी की पुस्तक भारतीय शासन और राजनीति से उद्धृत पृ० 427

विदेशीय शक्ति के प्रति हम तटस्थ नहीं हैं। हम साक्षात्कार के अभाव में अथवा अथवा दशा द्वारा अधिपत्य स्थापित करने के अभाव में भी तटस्थ नहीं हैं। हम नवित्त मूल्यों के सम्भव में तटस्थ नहीं हैं। हम उन बड़ी आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के अभाव में तटस्थ नहीं हैं जिन्होंने भी उदय हो गये हैं। हमारी स्थिति यह है कि हम शीत युद्ध के अभाव में गुट विग्रह तथा अप्रतिपक्ष हैं।¹

भारतीय विदेश नीति का पूणतया शांतिवाद की भी सना नहीं दी जा सकती क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा और युद्ध की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर ही कार्य करता है। शांति की इच्छा रखते हुए भी उसे चार आग्रमणा का सामना करना पडा है।

भारत की विदेश नीति का पूणतया व्यवहारवाद की सना देना, जसाकि पामर में कहा है, भी गलत है क्योंकि व्यवहारवाद अतन्त अवसरवाद को जन्म देता है जवकि भारत की विदेश नीति अवसरवादी नहीं। यदि इसमें राष्ट्रीय हितों का समावेश है तो इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि इसमें आदेश और नैतिक भावनाओं का भी समावेश रहा है। इसमें मूलतः शांति का भाव छुपा है स्वायत्तता का नहीं।

पाकिस्तान और चीन में भारत की विदेश नीति को दोहरे गठबन्धन की सना दी है। उनका कहना है कि भारत ने अमेरिका और रूस दोनों से सहायता प्राप्त कर दाना में गठबन्धन किये हैं। परन्तु भारतीय विदेश नीति को यह नामकरण भी गलत है क्योंकि विकास के त्रिये मित्रों से सहायता प्राप्त करना कोई गठबन्धन नहीं। वस्तुतः चीन और पाकिस्तान भारत के विकास और समृद्धि के विरोधी हैं।

उपयुक्त वचन से स्पष्ट है कि जिस एक शब्द से भारत की विदेश नीति अभिव्यक्त की जा सकती है वह है तटस्थता, व्यवहारवाद या दोहरी गठबन्धनता नहीं बल्कि शांतिवाद और असलग्नता या गुट निरपेक्षता है।

असलग्नता की नीति की अग्नि परीक्षा—भारत की असलग्नता की नीति अनेक बसोठियों पर बसी गई है। यद्यपि इस नीति के आलोचना ने हर सकट के उत्पन्न होने पर इसकी असफलता, इसके साखलेपन और अव्यावहारिक पक्षा को उभाड़ने की कोशिश की परन्तु यह स्पष्ट हो चुका है कि विश्व चाहे द्वि ध्रुवी, रहे या बहु ध्रुवी, भारत चाहे अपने आर्थिक विकास के लिए पश्चिम या पूर्व (रूस) से सहायता ले या सीमाओं की रक्षा के लिए पश्चिम से सैनिक अस्त्र शस्त्र ले या भारत रूस जैसी शांतिमय संधियों का निर्माण करे, भारत के लिए यही नीति सर्वोत्तम है, इसी से उसके राष्ट्रीय हितों की सर्वोत्तम सुरक्षा हो सकती है और इसी के माध्यम से इस उप महाद्वीप तथा विश्व में शांति स्थापित करने या सघन में सलग्न पक्षा में सेतुबन्धन का काम कर सकता है।

1 डा० दिनेशचन्द्र चतुर्वेदी की पुस्तक भारतीय शासन और राजनीति से उद्धृत, पृ० 427

प्रारम्भ में (1947-54) भारत की असमग्नता की नीति कुछ पश्चिम की ओर झुकी हुई नजर आती थी। इसका मूल कारण यह था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत अपनी सीमाओं की रक्षा हेतु तथा अपन आर्थिक विकास हेतु आर्थिक और तकनीकी सहायता के लिए पश्चिम (विशेष कर ब्रिटेन) पर निर्भर करता था, भारत के विदेश व्यापार का 97% भाग पश्चिमी राष्ट्रों से होता था। इतना ही नहीं भारत का शिक्षित वर्ग पश्चिमी विचारधाराओं से अत्यधिक प्रभावित था। यही कारण है कि भारत न पश्चिम का साथ देते हुए कोरिया युद्ध में उत्तरी कोरिया को आनामक घोषित किया और पूर्वी जमनी का यह कह कर मायता देने से इंकार कर दिया कि इस जमनी के विभाजन को स्वीकार करना होगा। वस्तुतः यह काल भारत के "आदर्शवाद" और "उपयोगिताओं" का काल था और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी भूमिका अतर्निहित शक्ति से कहीं अधिक थी।

सन् 1954 में जब अमरीका ने सीटो (SLATO)¹ का निर्माण कर शीत युद्ध को भारत के दरवाजे पर ला कर खड़ा कर दिया और भारत के घोर विरोध पर भी अमरीका ने पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्रा से सुसज्जित किया तो भारत की विदेश नीति रूस के पक्ष में लहराने लगी। रूस और भारत के नेताओं ने 1955 में (खुश्चव और नेहरू ने) एक दूमरे देश की सदभावना यात्राओं की। रूस ने भारत को भिलाई इस्पात कारखाने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता भी दी। सन् 1956 में स्वेज संकट उत्पन्न होने पर भारत ने, रूस की भांति, ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण की निंदा की। सन् 1954-57 का काल भारत की "प्रमाद काल" भी था जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई के तार भी लगाये गये। परन्तु इस काल की विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता यह थी, जसाकि इंदर मनहोना ने लिखा है कि "सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं का विदेश नीति की आवश्यकताओं के साथ मिलाने में निव्वल (अयोग्य) सिद्ध हुई।"² भारत को इस बात का अहसास अक्टूबर 1962 में चीनी आक्रमण के समय हुआ।

चीनी आक्रमण (1962) भारत की असमग्नता की नीति को भक्कान दिया। इसके विरोधिया त इसकी असफलता की घोषणा करना शुरू कर दिया और पश्चिमी गुट में शामिल होने का सुझाव दिया जाने लगा। 21 नवम्बर 1962 के हिंदुस्तान टाइम्स में 'असमग्नता कहा' (Whither Neutrality) के शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित एक लेख में आचार्य कृपलानी ने कहा कि "चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति में न तो भारत असमग्नता की नीति का अवलम्बन कर सकता है और न अमरीकी सहायता स्वीकार करने के बाद इसका दावा ही कर सकता है।" परन्तु १० नवम्बर ने ब्रिटेन और अमरीका से सैनिक सहायता प्राप्त करते हुए भी इसी नीति

1 पाकिस्तान सीटो का सदस्य बनाया गया था।

2 Quoted by Palmer Ibid, p 275

के प्रभुत्व पर चर्चा पर चर्चा किया। मगर म भाषण दत्त हुए नहर् जी ने कहा कि 'हम अपनी वागवात बटिगाई के कारण अपना मूल मित्रता को छाड़ना पडा जा रह है।' उता कहा मा, और यह सत्य भी मित्र हुआ, कि अमरीकी गुट म शामिल होने मे भारत की सीमा मरफ का समाधान नहीं होगा बल्कि वह शीत युद्ध के घणाटे म पम जायगा। उतामे इस बात का दाहराया कि अमरीकी सहायता के बावजूद आज तक ता कोरिया और जपान का रकीवरण हुआ और जनवादी शीत का पना और ता ही पाकिस्तान का कश्मीर मिन रहा। आज की विश्व राजीति भी यही मित्र करती है कि अमरीकी हस्तक्षेप के कारण ही पश्चिमी एशिया की समस्या का समाधान नहीं हुआ, वियतनाम की समस्या ता हल कहा की राष्ट्रपति शक्तिया। तिया और अमरीका दक्षिण वियतनाम के यू के शासन के पना का त बना मना, प्रादि। यगुता भारत न अमनगता की नीति का प्रभुत्व इमलिय तिया या कि भारत अपनी स्वतंत्रता व साथ किसी स समभौता करत व तिन सवार नहीं था और गुट म मिलन का ग्रथ है 'अपना लगर छाड़ना', "मातगमता" गाना अर्थात बहुमूल्य मिधि (राष्ट्रीय स्वतंत्रता) का विनाश करना।

मई 1964 म श्री नहर् जी मृत्यु के बाद उाके उत्तराधिवारिया ने अगतगता की नीति ता प्रभुत्व ही नहीं किया बल्कि उगमे प्रति अपनी 'आस्था' और 'विश्वास' की भी प्रकट किया है। यह सत्य है कि नहर् जी की मृत्यु के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र म भारत त अपनी भूमिका को दबी हुई आवाज से निभाया परंतु 1971 म बंगला देश का स्वतंत्र करत तक भारत त सिद्ध कर दिया कि भारत राष्ट्रीय स्वतंत्रता म सीत दशा की सहायता ही नहीं कर सकता बल्कि उनका मुक्तिता भी बन सकता है।

1965-71 के काल म विश्व की राजीति म अत्यंत गम्भीर परिवर्तन हुए और युद्ध म शीतलता आई, प्राचीन वमनस्थ शात हान लगे, न केवल रूस और अमरीका एक दूसरे के निरुद्ध आय बल्कि चीन और अमरीका भी एक दूसरे के निरुद्ध आन लग। इही परिस्थितिया म भारत को पहले 1965 म और फिर 1971 म पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करना पडा। जब बंगला देश की समस्या पर विश्व की महाशक्तिया बाय करने म असफल रही तो भारत न अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए 9 अगस्त 1971 को रूस के साथ 20 वर्षीय संधि की। इस संधि का भारत की असलगता की नीति की कब्र कहा जाता है परंतु यह इस संधि का सही मूल्यांकन नहीं। यह संधि सबूत के समय के लिए "मित्र" उत्पन्न करती है 'सैनिक' गठबंधन नहीं और मित्रता की खोज असलगता की निषेध नहीं। यह वास्तविकता है कि भारत न तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र म और न ही इस उप महाद्वीप मे अपने स्वतंत्र ढंग से बाय करने की क्षमता को रूस के हाथ बेचा है। भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता इस तथ्य के कि रूस और भारत मे गहरी मित्रता और सहयोग की भावना होती हुए

ने रूस द्वारा "एशियाई सामूहिक सुरक्षा" के विचार को कोई बड़ावा नहीं दिया और 18 मई 1974 के भारतीय अणु परीक्षण की तो रूस को हवा तर न उगन दी। 19 अप्रैल 1975 का भारतीय आयाभट्ट¹ जहाँ भारत रूस की मित्रता का प्रतीक हो सक्ता है वड़ा वह भारत की अंतरिक्ष म स्वतंत्र नीति का भी प्रतीक है। भारत ने हिंद महासागर का केवल रूसी हस्तक्षेप से ही नहीं बल्कि अमरीकी हस्तक्षेप से भी मुक्त रखन पर बल दिया है। दायागा गांधिया म बनाये जान वाले अमरीकी सैनिक अड्डा का विरोध भारत न गुल कर लिया है।

यह सत्य है कि "प्राचीन विभाजन फीका पड गया है और आज विश्व मे वैमनस्य शैथिल्य (detente) की स्थिति है और प्राचीन गुटबन्दिवा का युग इतिहास की घटना मात्र बन कर रह गया है, शक्ति संरेखण (power alignment) म बुद्ध परिवर्तन हुआ है, राष्ट्र पारम्परिक मेल के लिए भारत के सेतुबन्ध पर निर्भर नहीं करते बल्कि उनके मध्य हाट लाइन (Hot line) स्थित है, परन्तु वस्तुतः स्थिति यह है कि बहु ध्रुवी विश्व म भी अमलमनता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि द्विध्रुवी विश्व म थी। जगदि श्रीमती इंदिरा ने जनवरी 1969 म कहा था कि "द्वि ध्रुवी विश्व म तो इमकी प्रासंगिकता और भी अधिक है।"² यद्यपि राष्ट्र आज एक दूसरे को समझन का प्रयास कर रहे हैं परन्तु इससे असलमनता की नीति का महत्त्व कम नहीं हाता बल्कि और बढ जाता है।

3 अक्रेशियाई एक्ता—एशिया और अफ्रीका के दश पश्चिमी साम्राज्यवाद के शिकार रह है। आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से ये देश अल्पविकसित, अर्द्ध-विकसित या पिछडे हुए है, लागो का स्तर सामान्य जीवन स्तर से "यून है। अत भारत की विदेश नीति की एक विशेषता यह है कि जहाँ साम्राज्यवाद के चंगुल से स्वतंत्र होने वाले इन क्षेत्रों के देशों का स्वतंत्रता स्थाई रह वहाँ ये देश पारस्परिक सहयोग द्वारा अपना आर्थिक और औद्योगिक विकास भी करें। राष्ट्रा की एक्ता बनाये रखने के लिये सब प्रथम माच 1947) मे दिल्ली म एक एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया दूसरा सम्मेलन, इण्डोनेशिया के प्रश्न पर फिर जनवरी 1949 मे दिल्ली म आयोजित किया गया। सम्मेलन म एशिया के 15 राज्यों और आस्ट्रेलिया तथा "यूजीलण्ड ने भाग लिया। इस सम्मेलन के फलस्वरूप

1 भारत ने आयाभट्ट नाम का अपना पहला उपग्रह सोवियत प्रक्षेपण स्थल (मस्क्वा से थोड़ी दूर वियस भील के पास) से 19 अप्रैल, 1975 को अंतरिक्ष म फेका।

2 'In a bipolar world non alignment may have been easier to understand, but in bimultipolar world it is even more relevant Mrs Gandhi, Indira Quoted by Palmer, Ibid pp 273-274

डाॅमिनियो मे डच साम्राज्य को पुनः स्थापित करना असम्भव हो गया। 18 अप्रैल, 1955 को इण्डोनेशिया के नगर वाण्डुंग में अफ्रीकियाई दशा ने हिंसा निया जिनम निवेशवाद का विरोध किया गया, पंचशील व सिद्धांत में आस्था व्यक्त करते। उनका विस्तार किया गया तथा एक दूसरे के साथ सहयोग के वचन दिये गये। उक्त राष्ट्र सघ में भी इन राष्ट्रों की एकता महसूस की जाने लगी। परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया और एशिया तथा अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गये वैसे-वैसे ण्डुंग भावना (Bandung spirit) फीरी पड़ती गयी, राष्ट्रों के अपने-अपने स्वार्थ बढ़ते-बढ़ते और पारस्परिक भगड़े उठने लगे। यही कारण है कि वाण्डुंग के सम्मेलन के बाद अफ्रीकियाई राष्ट्रों का कोई सम्मेलन नहीं हुआ। इस समय एशिया के दो महा-राष्ट्रों (चीन और भारत) के सम्बन्ध मधुर नहीं। भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध सामान्य नहीं। दूसरे, अनेक देशों के अपने सीमावर्ती भगड़े हैं। तीसरे पश्चिम जगत् के राष्ट्रों द्वारा अपनाई गयी 'तेल अस्त्र की नीति' और तेल की कीमती में गयी अत्यधिक वृद्धि ने इस एकता के आधार को गहरा आघात पहुंचाया है। तेल की कीमती बढ़ जाने से एशिया के अल्पविकसित राष्ट्रों के औद्योगिक विकास की योजनाओं पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा है। स्वयं भारत इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं गुट निरपेक्ष कहलाय जाने वाला 'तृतीय विश्व' (Third world) अब दो भागों में विभक्त हो गया है जिसे 'तृतीय' और चतुर्थ विश्व (fourth world) की संज्ञा दी जाती है। 'तृतीय विश्व' शब्द का प्रयोग अब तेल आने वाले देशों के लिये किया जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय प्रथम और द्वितीय विश्व कहलाय जाने वाले देशों के व्यक्तियों से भी अधिक है। चतुर्थ विश्व अब वह विश्व है जो विश्व का सबसे निचला क्षेत्र माना जाता है। इसमें अधिकांशतः एशिया के कुछ अफ्रीका के देश (जो तेल उत्पादक देश नहीं हैं) सम्मिलित किये जाते हैं। पंचमे, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद की कड़म सुद जाने से इन राष्ट्रों में आतंक का आधार हिल गया और पारस्परिक सहयोग का स्थान प्रतिद्वन्द्विता और आतंक ने ले लिया। इन घटनाओं के विकसित होने के बाद भी भारत का प्रयास अफ्रीका में पारस्परिक सहयोग और सन्भावना का विकास करना है। इसी उद्देश्य के लिये ही मे उप राष्ट्रपति जत्ती और विदेश मंत्री चहान की यात्रा का आयोजन किया गया।

4 रंग भेद, जाति भेद उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध—भारत में रंग भेद, जाति भेद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को मानव जाति और विश्व शांति का शत्रु समझता है अतः वह इन सब का घोर विरोध करता है। जहाँ कहीं जाति के आधार पर व्यक्तियों में भेद किया जाता है भारत उसका विरोध करता है। चाहे प्रश्न अफ्रीका में नीग्रो के साथ भेदभाव का हो या दक्षिण अफ्रीका में भेद (apartheid) की नीति का हो या रोडेसिया में अग्रान स्मिथ द्वारा अफ्रीकी शांति को अवधानिक अधिकारों से वंचित किया गया हो, भारत इन सबका विरोध

करता है और दलित वर्गों का अपन अधिकार दिलाने के लिये प्रयत्नशील रहता है। भारत रणभक्त और जाति भेद की नीति का विरोधी विराधी है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका की रणभेद की नीति के कारण उससे राजनय सम्बन्ध विच्छेद कर रखे हैं। भारत मानव अधिकारों का पक्षपाती है और सभी जातियों का सभी वर्गों का अपन विक्रम के लिये मूल स्वतन्त्रताएँ प्रदान करने का समर्थक है।

भारत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को विरुद्ध शक्ति के लिये यत्नशील समर्थक है अतः यह इनका विरोध करता है। साम्राज्यवाद का रूप चाहे कूटनीतिक हो या आर्थिक भारत सभी का विरोध करता है। भारत ने सबदा उन राष्ट्रीय शक्तियों का समर्थन किया है जो स्वतन्त्रता संग्राम में लीन हैं। उदाहरणतया द्वितीय महायुद्ध के बाद जब हालण्ड ने दक्षिण अफ्रीका पर अपना साम्राज्य पुनः स्थापित करने का प्रयास किया तो भारत ने उसका घोर विरोध किया। इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये भारत ने अफ्रीकन राष्ट्रों का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत ने इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता का समर्थन किया। सन् 1956 में जब इंग्लैंड और फ्रान्स ने मिस्र (Egypt) पर आक्रमण किया और म्बेज नहर का हस्तान्तरण की बोलियाँ की तो भारत ने उसका घोर विरोध किया। इसी प्रकार भारत ने लीबिया, ट्यूनिशिया, मोरक्को, मलाया, अल्जिरिया आदि अफ्रीकी राष्ट्रों के स्वतन्त्रता संग्राम में पूरा समर्थन दिया। पश्चिम अफ्रीका में भारत ने इनके साम्राज्यवाद का सबदा विरोध किया है और अनेक राष्ट्रों का साथ दिया है। भारत फिनिशिया जनता का अपन अधिकार विरोध के लिये सबदा प्रयत्नशील रहा। हिन्दोनी में (वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, कम्बोडिया) अमेरिकी हस्तक्षेप का भारत ने सबदा विरोध किया है। भारत मलयालु गुटा (नागा, मीटा, वांगसा, पवट आदि) का सबदा विरोधी रहा है क्योंकि ये संगठन राष्ट्रों की स्वतन्त्रता के लिये घातक हानि हैं। इस प्रकार महाशक्तियों के इशारे पर बनायी गयी कठपुतली सरकारों का भी भारत ने विरोध किया है। वर्तमान दशक की स्वतन्त्रता में तो भारत की भूमिका एक मुक्तिदाता के रूप में रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यात्रा परिषद में भी भारत ने सक्रिय भूमिका निभायी है और हमें ज्ञात पर बत दिया है कि स्वशासन न करने वाले प्रदेशों का शासन चाहेर के सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिये।

संक्षेप में जहाँ कहीं मानवता, जातिवाद, साम्राज्यवाद, शक्तिवाद या आतंकवाद में मुद्दे उत्पन्न हैं। भारत ने बड़े राष्ट्रीय स्वतन्त्रता में तीन शक्तियों का साथ दिया है।

5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (यू० एन० ओ०) और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आस्था—भारत विश्व में उन देशों में से एक है जिनकी विदेश नीति में लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में मिलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाँति भारत विश्व में शान्ति का समर्थक है। युद्ध से स्वयं उच्यता चाहता है और दूसरे देशों का भी हम

भयानक स्थिति में प्रत्याना चाहता है, विनाश या पारम्परिक बार्तानापा, मध्यप्रता या विनाश द्वारा हनन का चाहता है तथा साम्राज्य और उपनिवेशवाद का विरोधी है। भारत का यह मत है कि विश्व की कल्पना सयुक्त राष्ट्र सघ के बिना नहीं की जा सकती। यही एक एसी सस्था है जो विश्व को भय, शभाव व रोग से मुक्ति देना सकती है। यही कारण है कि भारत ने सयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा किये गये शांतिमय कार्यों, वैज्ञानिक अनुसंधान और आर्थिक तथा सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया है। भारत ही सम्भवतः एक मात्र ऐसा देश है जिम्मे सयुक्त राष्ट्र सघ की उपजा या उल्लंघना नहीं की, कश्मीर के प्रश्न पर भारत ने यू० एन० ओ० के प्रस्तावों को स्वीकार किया है। पाकिस्तान के आक्रमणकारी होते हुए भी भारत ने यू० एन० ओ० की विगम सचिवाय के प्रस्तावों को स्वीकार किया है, यू०एन०ओ० की मांग पर भारत की शांति सभायें कोरिया, मिस्र और थायो भेजी गयीं।

भारत सयुक्त राष्ट्र सघ के भिन्न भिन्न अंगों का सक्रिय सदस्य भी रहा है। भारत दो बार सुरक्षा परिषद् का सदस्य रहा है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित महासभा की अध्यक्षता रह चुकी है श्री बी० एन० राय अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक के सदस्य रह चुके हैं, स्वर्गीय डा० राधाकृष्णन् यूनेस्को (UNESCO) के सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं, आदि। भारत सयुक्त राष्ट्र के अनेक अभिकर्ण, आयोग, समितियों आदि का भी सदस्य रहा है।

सयुक्त राष्ट्र सघ का विश्व व्यापी सस्था बनाने में भी भारत की भूमिका अद्वितीय रही है, विशेष कर उस समय (कोरिया युद्ध के बाद) जब महाशक्तियों में यू० एन० ओ० की मर्यादा के प्रश्न पर गतिराव उत्पन्न हो गया था। भारत की धारणा है कि सावलोक्ति विरम सगठन ही विश्व में शांति स्थापित रखने में सामर्थ्य हो सकता है। यही कारण है कि भारत ने उन देशों का भी सयुक्त राष्ट्र सघ की सदस्यता दिवाने का प्रयास किया, जैसा साम्यवादी चीन को, जिनका भारत ने प्रति विरोधी दृष्टिकोण रहा है।

निष्कर्षोपरण पर भी भारत की विदेश नीति यू० एन० ओ० के उद्देश्यों से मिलती है। भारत ने 1963 की अणु संधि पर हस्ताक्षर किये हैं यद्यपि 1968 की परमाणु संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये। आज भारत एक अणु सम्पन्न देश है और उसमें अतिरिक्त में भी अपना आयभट्ट नाम का उपग्रह छोड़ दिया है परन्तु भारत के ये राज्य शांतिमय उद्देश्यों के लिये हैं। इतना अवश्य है कि आवश्यकता होने पर भारत इस ज्ञान का प्रयोग सैनिक उद्देश्यों के लिये भी कर सकता है। सम्भवतः भारत की यह नीति चीन ने अणु सम्पन्न राष्ट्र बनने और महाशक्तियों से 'परमाणु छतरी' प्राप्त न कर सकने से प्रभावित हुई है।

6 राष्ट्रों में मजबूत सम्बन्ध -- भारत की विदेश नीति की एक विशेषता यह है कि यह न केवल पड़ोसी देशों से बल्कि विश्व के सभी देशों से मजबूत

गता है और दलित वर्गों को अपने अधिकार दिलाने के लिये प्रयत्नशील रहता है। भारत रंग भेद और जाति भेद की नीति का विरुद्धाग्रिणी है, यह इस तथ्य में स्पष्ट है कि भारत में दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की नीति के कारण उससे राजनय सम्बन्ध विच्छेद कर रहे हैं। भारत मानव अधिकारों का पक्षपाती है और सभी जातियों का सभी वर्गों का अपने विकास के लिये मूल स्वतंत्रताएँ प्रदान करने का समर्थक है।

भारत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को विरुद्ध शक्ति के लिये सतत समझता है अतः वह इनका विरोध करता है। साम्राज्यवाद का रूप चाहे कूटनीति हो या आर्थिक, भारत सभी का विरोध करता है। भारत ने मबदा उन राष्ट्रीय शक्तियों का समर्थन किया है जो स्वतंत्रता संग्राम में लीन है। उदाहरणतया द्वितीय महायुद्ध के बाद जब हालण्ड ने इण्डोनेशिया पर अपना साम्राज्य पुनः स्थापित करने का प्रयास किया तो भारत ने उसका घोर विरोध किया। इण्डोनेशिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये भारत ने अफ्रीकन राष्ट्रों का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया, संयुक्त राष्ट्र सभ में भी भारत ने इण्डोनेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया। सन् 1956 में जब इंग्लैंड और फ्रांस ने मिस्र (Egypt) पर आक्रमण किया और स्वयं नहर को हड़पने की कोशिश की तो भारत ने उसका घोर विरोध किया। इसी प्रकार भारत ने लीबिया ट्यूनिशिया मारक्का, मनाया अलजीरिया आदि अफ्रीकी राष्ट्रों के स्वतंत्रता संग्राम में पूरा समर्थन दिया। पश्चिम एशिया में भारत ने जालर साम्राज्यवाद का सबदा विरोध किया है और अरब राष्ट्रों का साथ दिया है। भारत फिलिस्तीनी जनता का अपने अधिकार दिवाने के लिये सबदा प्रयत्नशील रहा। हिंदी दचीन में (वियतनाम लाओस बर्माडिया थाईलैंड) अमरीकी हस्तक्षेप का भारत ने सबदा विरोध किया है। भारत सनिक गुटा (नाटा सीटा, वारसा पब्ल आदि) का सबदा विरोधी रहा है क्योंकि ये संगठन राष्ट्रा की स्वतंत्रता के लिये घातक होते हैं। इस प्रकार महाशक्तियों के इशारे पर बनायी गयी कठपुतली सरकारों का भी भारत ने विरोध किया है। बंगला देश की स्वतंत्रता में तो भारत की भूमिका एक मुक्तिदाता के रूप में रही है। संयुक्त राष्ट्र सभ में यास परिषद में भी भारत ने सक्रिय भूमिका निभायी है और इस बात पर बल दिया है कि स्वशासन न करने वाले प्रदेशों का शासन चाटर के सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए।

सक्षेप में, जहाँ वही मानवता जातिवाद साम्राज्यवाद, सनिकवाद या आतंकवाद से सुकृती हुई है। भारत ने वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता में लीन शक्तियों का साथ दिया है।

5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (यू० एन० ओ०) और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आस्था—भारत विश्व के उन देशों में एक है जिनकी विदेश नीति के लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सभ के उद्देश्यों में मिलते जुलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सभ की भांति भारत विश्व में शांति का समर्थक है, युद्ध से स्वर्य वचना चाहता है और दूसरे देशों को भी इस

भयानक स्थिति से प्रभावित चाहता है, विवादात्त पारस्परिक वार्ताताप, मध्यस्थता या विवाचन द्वारा हल करना चाहता है तथा साम्राज्य और उपनिवेशवाद का विरोधी है। भारत का यह मत है कि विश्व की कल्पना सयुक्त राष्ट्र सभ के बिना नहीं की जा सकती। यही एक ऐसी सस्था है जो विश्व को भय, अभाव व रोग से मुक्ति देना सकती है। यही कारण है कि भारत न सयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा किये गये शांतिमय कार्यों, वैज्ञानिक अनुसंधानों और आर्थिक तथा सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया है। भारत ही सम्भवत एक मात्र ऐसा देश है जिम्हने सयुक्त राष्ट्र सभ की उपेक्षा या उल्लंघना नहीं की, नश्मीर के प्रश्न पर भारत ने यू० एन० क्रो० के प्रस्तावों को स्वीकार किया है। पाकिस्तान के आतंमरणकारी होते हुए भी भारत ने यू० एन० क्रो० की विराम संधिया के प्रस्तावों को स्वीकार किया है, यू०एन०क्रो० की मांग पर भारत की शांति सभाय कौरिया, गिन्न और वागो भेजी गयी।

भारत सयुक्त राष्ट्र सभ के भिन्न भिन्न अंगों का सक्रिय सदस्य भी रहा है। भारत दो बार सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित महा-मभा की अध्यक्षता रह चुकी है, श्री वी० ए० राज अंतर्राष्ट्रीय-यायालय के सदस्य रह चुके हैं, स्वर्गीय डा० गधाप्रप्लान् यूनेस्को (UNESCO) के सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं, आदि। भारत सयुक्त राष्ट्र के अनेक अभिकरणों, आयोगों, समितियों आदि का भी सदस्य रहा है।

सयुक्त राष्ट्र सभ का विश्व व्यापी सस्था बनाने में भी भारत की भूमिका अद्वितीय रही है, विशेष कर उस समय (कोरिया युद्ध के बाद) जब महाशक्तियों में यू० एन० क्रो० की मददस्यता के प्रश्न पर गतिराध उत्पन्न हो गया था। भारत की धारणा है कि भावनात्मक विग्रह मगठन ही विश्व में शांति स्थापित रखने में सामर्थ्य ले सकता है। यही कारण है कि भारत ने उन देशों का भी सयुक्त राष्ट्र सभ की मददस्यता दिलाने का प्रयास किया, जिनमें साम्यवादी चीन को, जिनका भारत ने प्रति विरानी दृष्टिकारण रहा है।

निष्पत्तीकरण पर भी भारत की विदेश नीति यू० एन० क्रो० के उद्देश्यों से मिलती है। भारत ने 1963 की अणु संधि पर हस्ताक्षर किये हैं यद्यपि 1968 की परमाणु संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये। आज भारत एक अणु सम्पन्न देश है और उसमें अंतरिक्ष में भी अपना आयभट्ट नाम का उपग्रह छोड़ दिया है परन्तु भारत के ये कार्य शांतिमय उद्देश्यों के लिये हैं। इतना अवश्य है कि आवश्यकता होने पर भारत इस ज्ञान का प्रयोग सैनिक उद्देश्यों के लिये भी कर सकता है। सम्भवत भारत की यह नीति चीन के अणु सम्पन्न राष्ट्र बनने और महाशक्तियों से 'परमाणु छतरी' प्राप्त न कर सकने में प्रभावित हुई है।

6 राष्ट्रों में मजबूत सम्बन्ध--भारत की विदेश नीति की एक विशेषता यह है कि यह न केवल पड़ोसी देशों में बल्कि विश्व के सभी देशों में मैत्रीपूर्ण

सम्बन्धों को उठाने का इच्छुक है। जैसाकि नेहरूजी ने कहा था कि उस "विशाल विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने साथ हमारे सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण या विराधी हो।" भारत ने अनेक दशों के साथ मैत्रीपूर्ण सन्धिया और समझौते किये हैं। जस स्विट्जरलैण्ड, अफगानिस्तान, नेपाल, सिक्किम (अब यह भारतीय सघ का 22 वा राज्य है) इण्डोनेशिया, बर्मा, तुर्की, सीरिया, जापान फिलिपाइंस, ईराक, मिस्र, रूस, बंगलादेश आदि दशों के साथ मैत्रीपूर्ण सन्धिया की है। पाकिस्तान और चीन के साथ भी भारत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को स्थापित करने का इच्छुक है परन्तु इन दोनों देशों का दृष्टिकोण व्यावहारिक और मदभावना का होने के स्थान पर हठधर्मी अधिक है। भारत का मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण तो उस एक तथ्य में स्पष्ट है कि तीन बार पाकिस्तान के आक्रमण का शिकार होने के बाद भी भारत पाकिस्तान से सम्बन्धों को सामान्य बनाने का इच्छुक है और डाक, तार, व्यापार आदि के क्षेत्र में दोनों देशों में 1974 में समझौते हुए हैं। चीन का दृष्टिकोण तो मित्रतापूर्ण होने के स्थान पर उत्तेजनापूर्ण रहा है। जैसाकि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि यद्यपि चीन न जानबूझ कर उत्तेजनापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है परन्तु हमने सबदा धैर्यता और परिपक्वता के साथ प्रतिक्रिया की है।¹

7 सेतुबन्ध का काय—भारत की विदेश नीति का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि दो विरोधी गुटों में तनाव को स्थिति उत्पन्न हान पर सेतुबन्ध का काम करना। जैसाकि नेहरूजी ने कहा था कि "एक भाग काम पुला को बनाना है, तोड़ना नहीं" यद्यपि आज प्राचीन गुटों में परिवर्तन आने लगा है पारस्परिक वैमनस्य में शान्तिय (detente) की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और दाना महाशक्तियों में सीधे सम्पर्क के लिये हाट लाईन (Hot Line) विद्यमान की गयी है परन्तु फिर भी आज भी इस विभक्त, सघपणमय विश्व में ऐसी शक्तियों की आवश्यकता है जो तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में सेतुबन्ध का काम कर सकें। भारत की अग्रगण्यता की नीति इस भूमिका के लिये उपयुक्त है और रही है।

भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन (Evaluation of India's Foreign Policy)

भारत की विदेश नीति अत्यधिक आलोचना और अत्यधिक प्रशंसा का पात्र रही है। आलोचकों के लिये यह अविश्वसनीय असफल, लायली कोरा आदर्शवाद मित्रहीन और अव्यवहारिक नीति रही है जबकि प्रशंसकों के लिये यह राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने, आर्थिक विकास करने और विश्व में शांति स्थापित करने में सफल रही है। जिन आधारों पर भारतीय विदेश नीति की आलोचना और प्रशंसा की गई है उन्हें निम्न बिन्दुओं द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है।

1 'China seems to be deliberately provocative but we have always reacted calmly and with maturity' Quoted by Indian Express, dt 22-7-1975, p 1

विपक्ष में दिये जाने वाले तर्क—जिन आघात पर भारतीय विदेश नीति की आलोचना की गयी है उनमें प्रमुख निम्न है—

1 **ध्यावहारिकता का अभाव**—भारतीय विदेश नीति आवश्यकता से अधिक आदर्शमूलक, शांतिवाद और तुष्टिकरण की रही है। इन सब का परिणाम यह हुआ है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने तथा शत्रुओं और मित्रों में भिन्नता करने में असफल रहा है। अत्यधिक शांतिवाद और पचशील पर बल देने के कारण भारत चीन के आक्रमणकारी इरादा को न पहचान सका। इतना ही नहीं, पचशील की आड़ में चीन तिब्बत को हटप गया और हजारों वर्गमील भारतीय भूमि को आज भी हस्तगत रिये हुए है। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति प्रायः तुष्टिकरण की रही है और यही कारण है कि वह भारत के लिये अधिक सरदर का कारण रहा है। पाकिस्तान के साथ तीन युद्धों के बाद भी भारत यह नहीं समझ सका कि शक्ति राजनीति के विश्व में 'शांति' या 'तुष्टिकरण' का महत्त्व प्रायः सीमावर्त (marginal) हो सकता है। अत्यधिक शांतिवाद में भारत यह भूल गया कि राजनीति "मत्ता" पर आधारित होती है बोरी अहिंसा, और शांति पर नहीं। भारत ने पाकिस्तान और चीन के प्रति जितनी मृदु नीति अपनाई चीन और पाकिस्तान ने उतना ही हठधर्मी दृष्टिकोण अपनाया।

2 **विश्व राजनीति में ठोस मित्रों का अभाव**—आलोचकों का यह भी कहना है कि भारत की अमलगनता की नीति विश्व में ठोस मित्रों को प्राप्त करने में असफल रही है। इतना ही नहीं, वह मित्र और शत्रु के भेद को समझने में भी असफल रही है, उही राष्ट्रों ने भारत की कठिनाई के समय साथ नहीं दिया जिनका साथ भारत न दिया। उदाहरणतया भारत ने अरब गणराज्य, इण्डोनेशिया, घाना आदि का सबदा साथ दिया परन्तु चीन के आक्रमण के समय ये राष्ट्र चुप बैठे रहे। अरब इजरायल संघर्ष में भारत ने सबदा अरब राष्ट्रों का साथ दिया परन्तु बगला देश की समस्या उत्पन्न होने से विश्व के किसी राष्ट्र ने सहायता नहीं की। वस्तुतः अरब राष्ट्रों की नीतियों ने सबदा भारतीय हितों को हानि पहुँचाई है। उदाहरणतया 1956 में म्वेज सबट उत्पन्न होने पर भारत के आर्थिक विकास की योजनाओं को अत्यधिक हानि हुई। सन् 1973-74 में तेल सबट ने (जब अरब राष्ट्रों ने अरब इजरायल संघर्ष के बाद तेल अरब का प्रयोग करने हुए तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि की) भारत सहित अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचाई। रवात में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ जो व्यवहार किया गया वह एक स्वतन्त्र घमनिरपक्ष स्वाभिमान, सावभौम राज्य के लिये अपमान की बात है, आदि।

3 **विदेशी आक्रमणों का शिकार**—आलोचकों का कथन है कि भारत किसी गुट में सम्मिलित न होने के कारण विदेशी आक्रमणों का शिकार रहा है। सर्वश्री राजगोपालाचार्य, आचार्य कृपलानी, ए० डी० गोरवाला तथा उस जमी विचारधारा

रखने वाले लोगों का कथन है कि यदि भारत पश्चिम गुट में शामिल हो जाता तो न तो चीन भारत पर आक्रमण का विचार करता और न ही पाकिस्तान का दृष्टिकोण अनुत्पास्य होता। इन लेखकों का कहना है कि चीन फारमामा, हांगकांग, मकाओ, वियतनाम आदि को अपना क्षेत्र मानता है परंतु उमने कभी भी इन प्रदेशों पर आक्रमण करने का विचार नहीं किया क्योंकि इन देशों को अमरीका, ब्रिटेन या अन्य पश्चिमी शक्तियों का परक्षण प्राप्त है। इन लेखकों का यह भी कहना है कि 1962 में सेला, चोमदिला और वेलांग में जिन अमान्यता पराजया का सामना भारत का करता पडा वे सम्भवतः न करनी पडती यदि भारत पश्चिमी गुटों से सम्बद्ध होता।

4 शुद्ध, स्वतंत्र, असलमन नीति का अभाव—आलाचकों, का कथन है कि यद्यपि भारत की विदेश नीति को स्वतंत्र और असलमनता से जाना जाता है परंतु वास्तव में भारत की नीति न तो पूणतया स्वतंत्र रही है और न ही असलमन। उदाहरण देते हुए आलाचक कहते हैं कि भारत अपने आपको साम्राज्यवाद विरोधी मानता है और इसका दावा भी करता है परंतु उसी भारत ने मलाया के राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिये अपनी सीमाओं से ब्रिटिश सेनाओं को गुजरने दिया। इसी प्रकार अरब इजरायल संघर्ष में इजरायल के पक्ष को समर्थन बिना अरब राष्ट्रों का अधाधुनिक समर्थन किया। जहाँ भारत न पश्चिमी जगत द्वारा सम्पन्न किये गये नाटो, सीटो जैसे संगठनों की कड़ी भूमना की वहाँ रूस द्वारा संगठित किये गये वासी जैसे संगठनों की आलोचना उस मात्रा में नहीं की। इसी प्रकार जहाँ वियतनाम में अमरीकी विदेश नीति भारत की कटु आलोचना का पात्र रही है वहाँ हंगरी (1956) और चेकोस्लोवाकिया (1968) में रूसी हस्तक्षेप की अत्यधिक आलोचना नहीं की। घम निरपेक्ष राज्य होने पर भी रवात जैसे मुस्लिम सम्मेलन में भारत के भाग लेने का कोई औचित्य नहीं था।

आलोचकों ने भारत की असलमनता की नीति को 'वेप-दे के लाटे' की नीति कहा है जो कभी पश्चिम की और कभी पूर्व (रूस) की ओर झुकी हुई नजर आती है। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति न केवल पश्चिम के समर्थकों की आलोचना का पात्र रही है बल्कि पूर्व (रूस) के समर्थकों की आलोचना का पात्र भी रही है। रूसी दृष्टिकोण रखने वाले लेखकों ने भारत की विदेश नीति को पश्चिम की पिच्छलगु नीति कहा है। भारतीय साम्यवादी दल के अनुसार यह 'एगला अमरीकन साम्राज्यवादियों के साथ सहायक छिपाने का आवरण मात्र है।' गर्मिगर का मत है कि 'स्वतंत्र नीति का दावा करते हुए भी भारत की विदेश नीति ब्रिटिश और अमरीका की ओर झुकी हुई है।' चीनी आक्रमण के समय भारत न अमरीका और ब्रिटेन में जा सैनिक सहायता प्राप्त की थी उस पर टिप्पणी करते हुए आचार्य त्रिपलानी ने कहा था कि "ब्रिटेन और अमरीका से आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त करने का भारत असलमनता की नीति का दावा कर सकता

है।" रजनी पाम दत्त ने ता नेहरूजी को "एशिया के नये च्याग वार्ड शेरु' की सजा दी। दूसरी ओर, पश्चिम के समयक लेवको ने, मसानी के शब्दा में, भारतीय विदेश नीति को "रूसी उपग्रह की नीति" (Policy of Russian Satellite) की सजा दी है। अगस्त 1971 की भारत रूस संधि पर यह टिप्पणी की गयी है कि भारत ने "अपनी विदेश नीति के मूल बिन्दु की (स्वतन्त्रता और असलमनता की) वक्र खाद दी है।" इस संधि ने विश्व राजनीति में समस्याओं पर भारत की 'आरम्भन की शक्ति को लगडा बना दिया है। इस संधि की आलोचना में यह भी कहा गया है कि इसने भारत के शत्रुओं (चीन और पाकिस्तान) को निकट लाने और कुछ मात्रा तक अमरीका को भी भारत से दूर करने में अवसर प्रदान किया है। संधि पर टिप्पणी करते हुए नेपाल के पत्र राईजिंग नेपाल (Rising Nepal) ने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत की विदेश नीति "ग्रद्ध तटस्थता" की है। बलराज मधव की यह शक्ति थी कि "भारत रूस के सम्बन्धों में यह माईल स्टोन (mile stone) वही भारत की गदन के इतने गिद एवं पत्थर न हो जाय।" यह 'हाथी के साथ एक विस्तर या लेटने के समान थी" यह शक्ति भी व्यक्त की गई है कि इससे भारत में रूसी पिटठुआ को बढ़ावा मिलेगा और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के लिये स्वतन्त्र रूप से वाय करना कठिन होगा।

5 दूसरे देशों की विदेश नीति को समझने में अक्षम—भारत की विदेश नीति की यह कह कर भी आलोचना की गयी है कि वह दूसरे देशों की विदेश नीति को समझने और अपनी विदेश नीति को उसके साथ सम्बद्ध करने में असफल रही है। विशेषकर भारत पाकिस्तान और चीन का समझने तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महा शक्तियों की रणनीति का समझन में भी असफल रहा है। आलोचक कहते हैं, आचार्य कृपलानी के शब्दों में, कि 'यदि भारत ने माओत्से तुंग को सली भाति समझा होता तो भारत चीन के हाथों परास्त न होता।' भारत का कूटनीतिक प्रचार अपने राष्ट्रीय पतित्रिम्ब (समस्याओं पर भारतीय दृष्टिकोण) का सही ढंग में प्रक्षेपित (project) नहीं कर पाया।

पक्ष में दिये जाने वाले तक—भारतीय विदेश नीति के सम्बन्ध में की गयी उपयुक्त आलोचनायें अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। इन आलोचनाओं में केवल इतना मात्र सत्यास है कि भारत की नीति आवश्यकता से अधिक आदर्शवादी और भावना प्रधान रही है। यह सत्य है कि भारत 'हिंदी चीनी भाई भाई' के नारा में अपनी सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को भूल गया और पाकिस्तान के प्रति तुष्टिकरण की नीति से उसे उसके आक्रमणों का शिकार होना पड़ा परन्तु यह कहना अत्युक्तिपूर्ण एवं अतिरञ्जित है कि भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों का सुरक्षित रक्षण में असफल रही है या यह केवल 'बारी बकवास मात्र (unmitigated nonsense) है। वस्तुतः आलोचकों ने भारतीय विदेश नीति की आलोचना करते समय इस बात की उपेक्षा की है कि भारतीय विदेश नीति के भी बुद्ध राष्ट्रीय

हित है जिनकी उसने सुरक्षा करनी है, उसकी राजनीतिक स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता को बनाये रखना है, तथा भारतीय जन मानस के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये उसे आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता है। इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये भारत को दूसरे देशों से आर्थिक, सैनिक और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है।

भारत की विदेश नीति की सफलता की प्रामाणिकता तो इस बात से ही स्पष्ट है कि दूसरे देशों से सभी प्रकार की सहायता लेते हुए भी यह किसी गुट से बाधित नहीं अर्थात् भारत स्वतन्त्र और असलमन नीति का अनुसरण कर रहा है, आक्रमण का शिकार होने पर भी भारत विषम शांति का इच्छु और मित्रता बढ़ाने का समर्थक रहा है, इस उप महाद्वीप में शक्तिशाली होते हुए भी (आज तो भारत एक अणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है) इसे साम्राज्यवाद से धृणा है, भारत ऐसे स्वतंत्र विश्व की कल्पना करता है जिसमें सभी देश शांति और सह-अस्तित्व के आधार पर काय करें।

निम्न तथ्य स्पष्ट करते हैं कि भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है—

1 दोनों गुटों के शासनाध्यक्षों की प्रशंसा की पात्र—भारत देश को विदेश नीति की सफलता इस बात से प्रमाणित होती है कि यह दोनों गुटों के शासनाध्यक्षों की प्रशंसा की पात्र रही है। भारतीय संरक्षण सेनाओं द्वारा कोरिया में, चिनियाँ शांति काय और मध्यस्थता की सहायता न केवल राष्ट्रपति आइज़नहावर ने की बल्कि स्टालिन ने भी की। जैसाकि 1962 में खूबशेव ने कहा था कि “भारत की तटस्थ नीति ने विश्व रंगमंच पर भारी राजनीतिक और नैतिक शक्ति प्राप्त करली है।”

2 दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने में सफलता—भारतीय विदेश नीति की सफलता इस बात में भी स्पष्ट होती है कि किसी गुट से सम्बंधित न होते हुए भी भारत ने न केवल संकटों में (विदेशी आक्रमण की स्थिति में) बल्कि शांति काल में भी अपने सैनिक और विकास कार्यों के लिये दोनों गुटों से सहायता प्राप्त की है। उदाहरणतया 1962 के चीनी आक्रमण के समय भारत का ब्रिटेन, अमरीका और रूस तीनों से सहायता प्राप्त हुई। आर्थिक उत्थान और समृद्धि के लिये भारत को न केवल अमरीका में बल्कि रूस में भी सहायता प्राप्त हुई। यदि तारापुर के अणु विजलीघर, दुर्गापुरा और टरकेला के इस्पात कारखाने पश्चिमी शक्तियों (अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी) के सहयोग के उदाहरण हैं तो भिलाई का इस्पात कारखाना, हनुमानगढ़, हैदराबाद और मद्रास में भारी मशीनों के कारखाने तथा ऋषिकेश में दवाई बरतन का कारखाना रूसी सहयोग के उदाहरण हैं। यदि भारत किसी एक गुट में सम्मिलित होता तो भारत दूसरे गुट की सहायता सहयोग और सदभावना से वंचित रह जाता।

उसके सहायक अग्रा में इस असलमन राष्ट्रों की शक्ति के प्रभाव को महसूस किया जाता है। असलमन राष्ट्रों की अनुवाही भारत ही करता है। पाँचवें, चीनी आक्रमण ने यद्यपि असलमनता की नीति को भ्रम भाग दिया परन्तु उमने उसे यथाथवादी बना दिया अर्थात् भारत शक्ति के लिये 'शक्ति' के महत्त्व को समझन लगा। सन् 1971 में बंगला देश की मुक्ति 1974 के अणु त्रिस्फोट और 1975 के आघमट्ट के अतर्गिध म फँसे जान के बाद ता भारत की शक्ति और प्रभाव को भी महसूस किया जान लगा है। दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र भारत को आज 'केवल एन' नैतिक शक्ति के रूप में ही नयी देग्त बल्कि एन शक्तिशाली दश के रूप में भी उसका आकलन करते हैं।¹ पश्चिमी और पूर्वी अस्तिया भी इस अनुभव करने लगी हैं। इस महाद्वीप की राजनीति में अब भारत की उपक्षा नहीं की जा सकती। छूटे भारत की असलमनता की नीति ने ही उसे आत्म निभरता का पाठ पढ़ाया है। यदि भारत किसी गुट में शामिल हा जाता, जैसा कि कुछ लेखक इसका समर्थन करते हैं, तो भारत न केवल विचारों की दृष्टि से भी पराधीन हा जाता बल्कि आर्थिक और सैनिक दृष्टि से भी पराधीन हो जाता। उदाहरणतया पाकिस्तान, सीटो, मेटो से सम्बन्धित होने से सैनिक अस्त्र शस्त्रों के लिये गुटीय राज्या पर निभर करता है जबकि भारत सैनिक दृष्टि से आज प्रायः आत्म निभर है। ग्याद्यात्र के क्षेत्र में भी होन पर भी उसका प्रयास आत्म निभरता की ओर है। सातवें, यह भारत की मैत्रीपूर्ण नीति का ही परिणाम है कि दो तीन राष्ट्रों का छोड़कर भारत के सम्बन्ध सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण हैं। हाल ही में बंगला देश के साथ सीमाघ्रा बेरूजाडी और फरकना बाघ के सम्बन्ध में, वर्मा के साथ सीमा सम्झौती और श्री लका के साथ भारतीय नागरिकों राष्ट्रियताहीन व्यक्तियों (Stateless persons) पाके जलडमरूमध्य में स्थित कच्छदीव टापू के सम्बन्ध में समझौते हुए हैं। आठवें यदि यह मान भी लिया जाय कि अरब इजराईल संघर्ष में भारत का दृष्टिकोण अरबों के पक्ष में रहा है तो भी यह भारत के आर्थिक और सामरिक हित में है ताकि भारत के व्यापार के लिये स्वेज नहर और पश्चिमी एशिया के हवाई मार्ग खुले रहें और तल गवाध रूप से प्राप्त होता रहे। नवें, जा ईरान 1971 तन पाकिस्तान का पक्षधर था वह अब भारत पाकिस्तान सम्बन्धों में तटस्थ हो चला है। दसवें साक्ष्यित रूस से सहायता लेते हुए भी भारत ने अपनी प्रभुसत्ता को दाव पर नहीं रगया। भारतीय विदेशी नीति की यह एक ऐसी सफलता है जिसकी उपक्षा नहीं की जा सकती।

संक्षेप में, भारत की विदेश नीति के निर्माताओं न विदेश नीति के जिन लक्ष्यों को निधारित किया था—शांतिवाद गुट निरपक्षता अश्लेशियाई एकता, आदि—के लक्ष्य ही भारत की विदेश नीति के पात्र हैं और इन्हीं के माध्यम से भारत अपनी राष्ट्रीय हितों, राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रभुसत्ता और अखण्डता तथा आर्थिक समृद्धि

को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगर कोई अंतर आया है तो वह यह है कि समय, राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं ने इसे यथावधि बना दिया है। यह भारतीय विदेश नीति की कुशलता और त्रियाशीलता का परिचायक है उसकी अमफलता नही। श्रीमती गांधी ने जिस स्वतंत्र विदेश नीति की अवधारणा की है वह न तो महज नतिव है, न ही इसका महत्व केवल जागृती है। उसका स्पष्ट राजनीतिक आशय है और वह भारत के राष्ट्रीय हितों पर आश्रित है। उसकी बुनियाद है शक्ति, उसकी अभिव्यक्ति है शक्ति प्रदर्शन, लेकिन उसका उद्देश्य आक्रमण नहीं बल्कि केवल राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। दरअसल श्रीमती गांधी रूस, अमरीका और चीन तीनों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर भारत का बराबरी का दर्जा दिलाना चाहती है। वह जानती है कि भारत को महाशक्ति का दर्जा दिलाये बिना भारत की समस्याओं का निदान नहीं।¹ पोकरण विस्फोट और आण्डोलन का यही उद्देश्य है।

पञ्चशील के सिद्धान्त (Principles of Panchsheel)

पञ्चशील के शाब्दिक अर्थ है 'आचरण के पांच सिद्धान्त'। पञ्चशील के सिद्धान्तों का सबसे प्रथम उच्चारण महात्मा बुद्ध ने किया था। बुद्ध ने इन्हीं पांच व्रतों में अभिव्यक्ति किया था। ये व्रत थे अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण और मद्यत्याग। महात्मा बुद्ध के इन पांच व्रतों का सम्बन्ध व्यक्ति के आचरण अर्थात् व्यवहार में था। आधुनिक समय में इण्डोनेशिया के डा० सुकरण ने 1 जून, 1945 को अपनी विदेश नीति के सम्बन्ध में पाञ्जशीला (Panjashila) के सिद्धान्तों की स्थापना की थी। ये पांच सिद्धान्त थे—गणतन्त्र मान्यता में विश्वास, स्वाधीनता, सामाजिक न्याय और ईश्वर विश्वास। राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्धारण करने में जिन पांच सिद्धान्तों का निर्माण अप्रैल 1954 में तिब्बत के सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच हुए एक सम्मेलन में, किया गया था उन्हें अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में पञ्चशील के सिद्धान्तों के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ महात्मा बुद्ध के पांच सिद्धान्तों का सम्बन्ध व्यक्ति के आचरण से था जहाँ डा० सुकरण के पांच सिद्धान्त एक राष्ट्र की विदेश नीति से सम्बन्धित थे वहाँ भारत और चीन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का सम्बन्ध राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों सहअस्तित्व के प्रश्नों और विश्व शांति से है। चीन के प्रधान मंत्री चाऊ एन-लाई और भारतीय प्रधान मंत्री प० नरहरी 28 जून, 1954 को इन सिद्धान्तों का संयुक्त प्रवचन में दोहराया। पञ्चशील के ये पांच सिद्धान्त निम्न थे—

(i) सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्राणशिक अखण्डता और सम्प्रभुता का सम्मान कर।

(ii) कोई राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण न करे और दूसरा की राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण न करे। किसी राज्य की सीमा को कोई दूसरा राज्य भंग न करे।

(iii) कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।

(iv) प्रत्येक राज्य एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करे तथा पारस्परिक हित में सहयोग प्रदान करे अर्थात् सभी देश समान हैं, कोई न बड़ा है और न कोई छोटा। सबको इसी सिद्धांत पर आचरण करना चाहिये।

(v) सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करें तथा इसी सिद्धांत के आधार पर एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहें तथा अपनी पृथक्-पृथक् सत्ता एवं स्वतंत्रता बनाये रखें।

पचशील के सिद्धांतों का मूल्योक्ते—पचशील के सिद्धांत आलोचना और प्रशंसा दोनों के पात्र रहे हैं। जिन आधारों पर पचशील के सिद्धांतों की आलोचना और प्रशंसा की गयी है उनमें प्रमुख निम्न हैं—

आलोचना—पचशील के सिद्धांतों की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है—

1. कौरा आदेशमात्र—पचशील के सिद्धांतों की यह कह कर आलोचना की गयी है कि ये सिद्धांत कारे आदेश हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय जगत के ठोस व्यावहारिक सवधानों में महत्त्व कम है। आलोचना का कथन है कि यथाथ परिस्थितियों में इनका अनुसरण करना कठिन है। यही कारण है कि इनकी तुलना 1815 के पवित्र संध (Holy Alliance) तथा 1927 के केलॉग-ब्रिगा पैंक्ट से की गई है। इन सिद्धांतों को व्यर्थ भी कहा जाता है क्योंकि पचशील का कोई सिद्धांत ऐसा नहीं जिसे संयुक्त राष्ट्र संध के चार्टर में उल्लिखित न किया गया हो।

2. सिद्धांतों की कार्यान्वितिके लिए मशीनरी का अभाव—पचशील के सिद्धांतों के निर्माणों में इन सिद्धांतों का निर्माण तो किया परंतु इनकी कार्यान्वितिके लिए कोई संस्था स्थापित नहीं की और न ही कोई ऐसी व्यवस्था की कि आक्रमण, हस्तक्षेप या अतिक्रमण की घटनाएँ घटित ही न हो। इन सिद्धांतों में इस बात की भी व्यवस्था नहीं कि यदि युद्ध हो जाये तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। अतः इनकी उपयोगिता संदिग्ध है। ये सिद्धांत यथा स्थिति के भी पोषक हैं। अतः ये अ-व्यावहारिक भी हैं।

3. पापपूर्ण परिस्थितियों को उपज—जिस पृष्ठभूमि में इन सिद्धांतों की रचना की गयी वह पापपूर्ण थी। सिद्धांतों की रचना राष्ट्रा की स्वायत्तता और अखण्डता की रक्षा के लिए की गयी थी ताकि कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र के आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। परंतु भारत ने तात्कालिक स्वयत्तता के अपहरण में चीन का साथ दिया। जसाकि आचार्य कृपलानी न कहा था कि यह महान सिद्धांत

पापपूर्ण परिस्थितियाँ की उपज है" क्योंकि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से हमारे साथ सम्बद्ध एक प्राचीन राष्ट्र के विनाश पर हमारी स्वीकृति पान के लिए प्रतिपादित किया गया था।"

4 प्रतिपादको द्वारा इन सिद्धांतों की कब्र खोद दी गई—पंचशील के सिद्धांत भारतीय राजनीति की हार मिट्टि हुए हैं। भारत की राजनीति इस तथ्य को ही न समझ सके कि जम चीन "हिंदी चीनी" भाई भाई के तारे लगा रहा था तो वह भीतर ही भीतर भारत पर आक्रमण की तयारी कर रहा था। चीन ने पहले 1959 में तिब्बत को पूर्णतया हड़प कर लिया और बाद में 1962 में भारत पर आक्रमण कर इन सिद्धांतों की कब्र खोद दी। भारत को भी पाकिस्तान के साथ तीन आक्रमणों का सामना करना पड़ा है। अरब राष्ट्रों ने इन सिद्धांतों को मानते हुए भी इनकी उल्लंघना की है। रूस ने पंचशील के सिद्धांतों को मान्यता देने के पश्चात् 1956 में हंगरी में और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप किया। इण्डोनेशिया ने मलेशिया के प्रति आक्रामक नीति का अनुसरण किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 1956 में मिस्र पर आक्रमण करके इन सिद्धांतों की कब्र खोदी, अमरीका की विदेश नीति ने भी इनकी उल्लंघना की है। संक्षेप में, प्रतिपादकों और समयको द्वारा इन सिद्धांतों की उल्लंघना इनके घोषलेखन को अभिव्यक्त करती है। राष्ट्रों ने इन सिद्धांतों के प्रति ऊपरी दिसावा किया है इह व्यवहार में लागू नहीं किया।

महत्त्व—पंचशील के सिद्धांतों की उपयुक्त आलोचना के बाद भी इनका अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विशेष महत्त्व रहा है और आज भी है। इन सिद्धांतों ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की जड़ पर ही कुठाराघात किया है। इन्होंने 'शीत युद्ध के कोहरे' को हटाने का प्रयास किया है। इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र को कम शक्तिशाली राष्ट्रों पर राजनीतिक, सैनिक या आर्थिक शक्ति नहीं लादनी चाहिये। अर्थात् ये राष्ट्रों में प्रादेशिक और आर्थिक साम्राज्यवाद के सिद्धांतों पर ही कुठाराघात करते हैं। दूसरे शब्दों में, ये सिद्धांत शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा दूसरे देशों में कठपुतली सरकारों के निर्माण, विद्रोहात्मक कार्यों और राष्ट्रों की स्वतंत्रता और अखण्डता में हस्तक्षेप की निंदा करते हैं। यदि इन सिद्धांतों का राष्ट्र पालन करें तो पारस्परिक सहयोग के आधार पर विश्व को अभाव, भय, दरिद्रता, निरक्षरता और बीमारी से छुटकारा दिलाया जा सकता है।

पंचशील के सिद्धांतों में सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धांत शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व का है। इस सिद्धांत की स्वीकृति और कार्यान्वयन ही विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित कर सकती है। इस सिद्धांत के आधार पर ही परस्पर विरोधी विचारधारा वाले राष्ट्र एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं और वस्तुतः इन सिद्धांतों के आभास

ने ही महाराष्ट्रा में पारस्परिक वैमनस्य में शैथिल्य (detente) की स्थिति पैदा की है, न केवल अमरीका और रूस ही एक दूसरे के निवृत्त आग्रह हैं और उद्दान विज्ञान और अतिरिक्त के क्षेत्र में सहयोग की भावना का बढावा दिया है बल्कि इस सिद्धांत के आभास ने ही अमरीका और चीन को एक दूसरे को निवृत्त लाने में सहयोग दिया है। अमरीकी राष्ट्रपति नक्सन की फरवरी 1972 की पीकिंग यात्रा के समय जारी की गई मयुक्त विनयित म भी प्रणालियां, विचारधाराओं और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सगठना में भेद हाते हुए भी पचशील के आधार पर पारस्परिक सम्बन्धों के सामान्यीकरण की बात पर बल दिया गया। राष्ट्रों द्वारा पचशील के सिद्धांत, विशेषकर सह अस्तित्व के सिद्धांत में, आस्था ही इनकी सफलता और महत्त्व का प्रमाण है। इन्हीं सिद्धांतों की स्वीकृति और कार्यान्वयित ही विश्व में तनाव का कम कर सकती है और स्थायी शांति का आधार बन सकती है। इनका विवलय सघष, युद्ध और विनाश है।

यह सत्य है कि पचशील के सिद्धांत में आदश भाव अधिक है परन्तु राष्ट्रों के जीवन में भी आदर्शों का उतना ही महत्त्व है जितना कि व्यक्ति के जीवन में। ये आदर्श ही राष्ट्रों में सद्भावना सहयोग आदि की भावनाय पदा करते हैं। मई 1955 के एशिया और अफ्रीका के 29 राष्ट्रों ने वाण्डु में जिन 10 सिद्धांतों की स्थापना की थी वे वस्तुतः पचशील के सिद्धांतों का ही विस्तार मात्र थे। यूरोप की सुरक्षा और सहयोग के सम्मेलन में (Conférence on Security and Co-operation in Europe—CSCE) जिन दस्तावेजों को तयार किया है वे वस्तुतः पचशील के सिद्धांतों का विस्तार मात्र हैं। इन दस्तावेजों पर हेनमिनी में 35 राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष (अमरीका रूस सहित) हस्ताक्षर करेंगे। इन दस्तावेजों में चार पिटागों (Four Baskets) का निर्माण किया गया है। पिटागों एक अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों (Inter State relations) में सम्बन्धित है जिसमें 10 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है 'पिटारा दो' (Basket 2) आर्थिक, बज्जानिक, तन्नीरी पर्यावरणी (environmental) सहयोग में सम्बन्धित है, पिटागों तीन बरते हुए मानव सम्पर्कों से सम्बन्धित है और पिटागों चार अनुवर्ती प्रयों (follow up arrangements) से सम्बन्धित है। यह दस्तावेज जहाँ वैमनस्य शैथिल्य (detente) की विजय है वहाँ पचशील के सिद्धांतों विशेषकर सह अस्तित्व के सिद्धांतों की भी विजय है।¹

पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध (India's Relations with its neighbours)

भारत के पड़ोसी देशों में प्रमुख दश हैं। चीन रूस और पाकिस्तान। नेपाल, भूटान, बर्मा, श्री लंका, बंगला दश भी भारत के पड़ोसी देश हैं। चीन और पाकिस्तान

1 See Article of T V Parasuram 'Triumph of detente published in Indian Express dt 29-7-1975, p 4

को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं। रुम और बंगला देश के साथ भारत के घनिष्ठ सम्बन्ध हैं; भूटान भारत के संरक्षण में है (सिक्किम 36 वें संशोधन द्वारा भारत का 22 वां राज्य बन गया है, पहले यह भारत के संरक्षण में था), नेपाल और बर्मा के साथ भारत के सम्बन्ध अच्छे हैं। श्री लंका के साथ सम्बन्धों में धनक मुधार हुए हैं। श्री लंका में परवासी भारतीय नागरिकों और राष्ट्रव्यतिहीन व्यक्तियों (Stateless persons) की समस्याओं और पाक जल डमरूमध्य में बच्छदोव टापू की समस्याओं का समाधान समझौते द्वारा हो गया है। बंगला देश के साथ भी अनेक प्रकार के समझौतों द्वारा सीमाओं का सीमांकन किया गया है, देखाची और फरवना वाद के सम्बन्ध में समझौते किये गये हैं आदि।

भारत पाकिस्तान सम्बन्ध (Relations with Pakistan)

भारत और पाकिस्तान विघटन पड़ोसी हैं। दोनों एक दूसरे के लिये "प्रथम सुरक्षा पंक्ति" (First Line of Defence) हैं परन्तु फिर भी दोनों के सम्बन्धों में इतना तनाव रहा है जितना कि किसी अन्य देशों के पारम्परिक सम्बन्धों में (अरब इजरायल सघर्ष को छोड़ कर) नहीं रहा। जसाकि माइकेल ब्रुकर ने लिखा है कि "स्वतन्त्र राज्यों के अपन सक्षिप्त इतिहास में तीव्रता का भिन्न भिन्न मात्राओं में, भारत और पाकिस्तान अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे हैं।¹ ज्योती भूषण दास गुप्त ने भी लिखा है कि 'भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में मतभेद रहे हैं कभी अप्रत्यक्ष और कभी प्रत्यक्ष परन्तु सदा मतभेद'।² भारत और पाकिस्तान में तनाव का मूल कारण भय, शका घृणा, प्रतिस्पर्धा, जातीय वमनस्य और शत्रुता का दृष्टिकोण रहा है। जसा कि दशितायन हुसन बुरशी ने लिखा है कि 'भारत का भय सदा पाकिस्तान की विदेश नीति पर छाया रहा है। पाकिस्तानिया की दृष्टि में पाकिस्तान की प्रतिरक्षा समस्या अत्रिवांशत भारत के विरुद्ध प्रतिरक्षा की समस्या है। पाकिस्तान के लिये साम्यवादी जुसपठ या वास्तविक साम्यवादी आक्रमण गौण तत्व हैं, क्योंकि भारतीय सक्क की तुलना में सदैव दूर और अप्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तात्विक और क्रमिक संकट विशेष परिस्थितियों में भारत से आता हुआ लगता है। तनाव और "जहाद" की स्थिति ने दोनों देशों की विदेश नीति के प्रत्येक चरण और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर दृष्टिकोण और उपागम को पभावित किया है।

- 1 India and Pakistan have been in a state of undeclared war with varying degrees of intensity throughout their brief history as independent states. Brucher Michael Nehru A Political Biography (London 1959) p 576
- 2 Relations between India and Pakistan have been one of discord sometimes latent sometimes manifest but discord all the same [Gupta Jyoti Bhusan Das Indo Pakistan Relations 1947-55 (Amsterdam, 1958), p 34

भारत पाकिस्तान सम्बंधों को प्रभावित करने वाली मुख्यतया तीन प्रकार की समस्याएँ रही हैं। एक प्रकार की समस्याएँ वे हैं जो "विभाजन" से उत्पन्न हुई हैं दूसरी प्रकार की समस्याएँ वे हैं जो मूलतः पाकिस्तान के शासन द्वारा जानबूझकर अपनायी गयी भारत विरोध नीति अर्थात् "जहाद" (धार्मिक युद्ध की नीति से उत्पन्न हुई है। अर्थात् ये समस्याएँ पाकिस्तान के साम्प्रदायिक आधार से उत्पन्न हुई हैं। तीसरी प्रकार की समस्याएँ तब उत्पन्न हुईं जब पाकिस्तान ने सीटा, सटो की सदस्यता स्वीकार कर इस उप महाद्वीप की शीत युद्ध का अण्डा बताने का प्रयास किया।

1 विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ—विभाजन न अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया जिन्होंने भारत पाकिस्तान सम्बंधों में तनाव की स्थिति को उत्पन्न किया है। ये समस्याएँ थी आमदनी तथा बज्र का बंटवारा एवं लागत धन के सम्बंध में मतभेदजनक विभाजन, मुद्रा एवं व्यापारिक सम्बंध, विस्थापितों की सम्पत्ति की समस्या, दशो रियासतों के विलयन की समस्या, नदियों के पानी की समस्या आदि।

विस्थापितों की सम्पत्ति की समस्या, नदियों के पानी की समस्या और देशों राज्यों के विलयन की समस्याओं पर दोनों राज्यों के सम्बन्ध में मतभेद थे। जो हिन्दू शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी सम्पत्ति छोड़ कर आये थे उसका मूल्य तीन हजार करोड़ था जबकि जो मुसलमान भारत में अपनी सम्पत्ति छोड़ कर गये थे उसका मूल्य तीन सौ करोड़ था। सन् 1950 में नहर लियाकन अली समझौते द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया। नदियों के पानी के सम्बंध में 1960 में विश्व बैंक की अध्यक्षता से सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) द्वारा समझौता हुआ। इस समझौते पर प्रधान मंत्री नहर, और राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिण्डी में हस्ताक्षर किये। दशो राज्यों के सम्बंध में, विशेषकर जुनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर राज्यों के सम्बंध में, दोनों दशों में भिन्नताएँ रही हैं। जहाँ जुनागढ़, हैदराबाद की समस्याएँ समाप्त हो गयी हैं वहाँ कश्मीर के भारत में विलयन की समस्या आज भी दोनों देशों में तनाव का कारण बनी हुई है। वस्तुतः कश्मीर की समस्या ऐसे ज्वालामुखी की तरह है जो समय समय पर लावा उगलती रहती है और इसने तीन युद्धों (1947-48, 1965, 1971) को जन्म दिया है। अलाप माइकेल ने लिखा है कि 'कश्मीर समस्या अन्विष्यत भूमि या पानी की समस्या नहीं, यह 'लोगों और प्रतिष्ठा की समस्या है।'

2 धरणा और वननस्य अर्थात् जहाद की नीति से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ—दूसरी प्रकार की समस्याएँ वे हैं जो पाकिस्तान के साम्प्रदायिक आधार से उत्पन्न हुई हैं और जिन्होंने धरणा और वननस्य की प्रेरणा दी है। जातीय वननस्य को पाकिस्तान के शासनाध्यक्षों ने जान बूझकर बनाया रखा है और समय समय पर साम्प्रदायिक भावनाओं को कभी भाषणा द्वारा कभी चलचित्रों द्वारा और कभी

रेडियो प्रसारण द्वारा निरन्तर बचाये गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस साम्प्रदायिक विषय का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सगठना में भी अभियुक्त किया जाता है। यस्तुत पाकिस्तान में भारत के साथ सम्बन्धों का सुधारण की कभी यथाथ इच्छा व्यक्त नहीं की और भारत के "युद्ध नहीं करो" (No War Pacts) के सुभाषा का कभी स्वीकार नहीं किया।

सम्बन्धों का सुधारण के लिए अनवरत प्रयास किये गये हैं परन्तु हर बार वे असफल हुए हैं। सन् 1962-63 में, अभी कलकत्ता में और कभी रावलपिण्डी में स्वर्ण सिंह भुट्टो वातायें हुईं परन्तु इनसे कोई लाभ नहीं हुआ। सन् 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के समय पाकिस्तान ने भारत की कड़ी आलोचना की। इतना ही नहीं पाकिस्तान ने अतिकृत कश्मीर का एक बहुरंग बड़ा भाग चीन को दे दिया। भारत के विराम का पाकिस्तान पर कुछ असर न हुआ। सितम्बर 1973 में हजारत चाल बाण्ड को लेकर पाकिस्तान ने भारत में विशेषकर कश्मीर में साम्प्रदायिक दंग बनाने का प्रयास किया। पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) में साम्प्रदायिक दंग भी हुए जिनमें हजारों व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। इसी प्रतिप्रिया भारत में भी हुई। सन् 1964 में "जासूसी पड्यन्तों" का पता लगाने का दोनों देशों के सम्बन्धों में तनाव की स्थिति फिर पैदा हो गयी और नवम्बर 1964 में राजशाही में भारतीय हाई कमिश्नर के कार्यालय को बंद कर दिया गया।

कच्छ का युद्ध—“कच्छ की रण” (Runn of Kutch) को लेकर पाकिस्तान ने अग्रे 1965 में इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। यह लड़ाई जून 1965 तक चली जब ब्रिटिश प्रधान मंत्री विरसन की मध्यस्थता द्वारा युद्ध विराम हुआ। समस्या के समाधान के लिए तीन व्यक्तियों का एक द्विबाल बनाया गया जिसके निर्णय पर उग्र प्रतिप्रिया होने पर भी भारत ने उसे स्वीकार कर लिया।

1965 का युद्ध—कच्छ समझौते की कभी स्याही सूखने भी न पाई थी कि पाकिस्तान ने अगस्त 1965 में बड़े पैमाने पर कश्मीर में घुसपठियों को (छापामार सैनिकों का) भेजना शुरू कर दिया और कश्मीर में विद्रोह भटवान के लिए साम्प्रदायिक विषय का सहारा लिया। इतना ही नहीं, 1 सितम्बर 1965 को पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पार कर छत्र जूरिया क्षेत्र में (कश्मीर क्षेत्र में) आक्रमण कर दिया और 5 सितम्बर 1965 को अमृतसर के हवाई अड्डा पर हमला कर दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और दाना देश अघोषित युद्ध में सलग्न हो गये। अयुव खा ने तो स्पष्ट कह दिया था कि “हम लोग अब युद्ध की स्थिति में हैं।” संयुक्त राष्ट्र सभ की मध्यस्थता से 23 सितम्बर 1965 को युद्ध विराम हुआ।

इस युद्ध में यद्यपि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी विजय के दावे किये परन्तु इससे पाकिस्तान को निराशा और भारत को कुछ लाभ ही हुआ। पाकिस्तान को

निगाशा इस बात से हुई कि (i) न तो वह कश्मीर में विद्रोह या भारत में साम्प्रदायिक दंग भड़का सका, (ii) न चीन ने युद्ध में भाग लिया, (iii) न सीटा और सेण्टो से उसे मनचाही सैनिक सहायता प्राप्त हो सकी। इस युद्ध में जहाँ पाकिस्तान की तानाशाही ने सोसलेपन को स्पष्ट कर दिया और पाकिस्तानी सैनिक शासन पर ही सदेह व्यक्त करने लगे वहाँ इस युद्ध ने उन पर एहसास भी करा दिया कि कम के आधार पर भारत के मुसलमानों का भड़काया नहीं जा सकता और कश्मीर का हिमा या पशु शक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस युद्ध में पिण्डी पीकिंग-जकाता धुरी की गरिमा को शांत कर दिया। दूसरी ओर, इस युद्ध ने जहाँ भारतीय 'नेट रिमानो' की कुशलता और अमरीकी 'पटन टकी' की नियंत्रीनता को स्पष्ट किया वहाँ 1962 के चीनी आक्रमण से भारत के सैनिक मनोबल का जो मानमदन हुआ था उसने वह पुनः प्राप्त कर लिया। दूसरे शब्दों में, इस युद्ध में भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली प्रदर्शित करते हुए भारत को इस उप महाद्वीप में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रकट किया।

ताशकन्द सम्मेलन—सन् 1965 के युद्ध में सावित्यत सभ की शूटनीति को इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने का अवसर दिया और उसके प्रयासों से पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान और भारतीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनवरी 1966 का रसी नगर ताशकन्द में एक समझौता किया जिसे ताशकन्द समझौता कहते हैं। इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने दोनों देशों की भावना, जेनेवा भावना, विधाना भावना और कैम्प डेविड भावना की भाँति ताशकन्द भावना को जन्म दिया अर्थात् ताशकन्द भावना ने अंतर्राष्ट्रीय सदभावना के वातावरण को उत्पन्न किया और विश्व समस्याओं को सद्भावना के वातावरण में हल करने पर ध्यान दिया जान लगा भारत पाकिस्तान सम्बन्धों में नया माट को जन्म दिया। इस समझौते द्वारा दोनों देशों ने यह आश्वासन दिया कि वे "बल प्रयोग का सहारा नहीं लेंगे", 'विवादों को शांतिपूर्ण ढंग में सुलभायेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा विरोधी प्रचार को निरस्त कर देंगे तथा मत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करेंगे।

घृणा और वैमनस्य—ताशकन्द समझौते पर अभी स्याही भी सूखना पाई थी कि जुलाई अगस्त 1966 में सीमाओं पर सैनिक हलचल पुनः शुरू हो गई और 1967 में उत्पन्न क्षेत्र में फिर दोनों देशों के सैनिकों में भड़कें हुईं। इस तरह ताशकन्द में जिस सदभावना के वातावरण को उत्पन्न किया था वह समाप्त हो गया और घृणा और वैमनस्य का वातावरण फिर गम्भीर रूप में लगे जिसका विस्फोट 1969 में रवात मुस्लिम शिपार सम्मेलन के समय हुआ जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान ने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ घटन से इन्कार कर दिया।

इण्डियन एयरलाइंस के जहाज का अपहरण तथा लाहौर में आग लगाने की घटना—30 जनवरी 1971 को भारत के इण्डियन एयरलाइंस के जहाज के

अपहरण की घटना और फिर 2 फरवरी 1971 का नाहोर हवाई अड्डे पर आग लगाने जैसे ध्वंस किए जाने तथा नाहोर रेलवे स्टेशन द्वारा टेलिविजन पर इस घटना के प्रदर्शन ने दोना दशों में तनाव का स्थिति में भी की आहुति दी। प्रति क्रिया के रूप में भारत ने भारतीय आकाश में पाकिस्तान के अज्ञानिक विमानों की उड़ान का निषेध कर दिया।

पाकिस्तान का गृह युद्ध तथा स्वतंत्र बंगलादेश का निर्माण—पाकिस्तान में गृह युद्ध के शुरू होने का मूल कारण शेख मुजीबुर्रहमान की अग्रणी पार्टी की दिसम्बर 1970 के चुनावों में विजय थी। जब राष्ट्रीय एसेम्बली के अधिवेशन का राष्ट्रपति याह्या खान ने स्थगित कर दिया तो 15 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने स्वाधीन बंगला देश की घोषणा कर दी। याह्या खान ने विद्रोह को कुचलने के लिए अमानुषिक अत्याचार किये, मुजीब को बंदी बना लिया गया, हजारों की तादाद में अगली बुद्धि जीवितों की हत्याएँ की गयीं, स्त्रियों का अपहरण किया गया तथा लोगों की सरयाँ में लागू शरणार्थी बन कर सीमा लाग कर भारत आने लगे। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने विदेशों की यात्रा द्वारा विश्व की महाशक्तियाँ तथा अथ राष्ट्रीय समस्या की गम्भीरता और भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था या गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव को बताते हुए शांति स्थापित करने के लिए अनुरोध किया। परंतु भारत के प्रयास असफल हो गये। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने "युद्ध हिस्टीरिया" (war hysteria) का वातावरण उत्पन्न कर दिया था, युद्ध की धमकियाँ दी जा रही थी और चीनी सहायता की दुहाई दी जा रही थी। अमरीकी विशेष दूत डा० कीर्निंगर ने भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि चीन पाकिस्तान का सहायता करता है तो भारत का अमरीकी सहायता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। परिस्थितिवश भारत ने इस के साथ 9 अगस्त 1971 को एक 20 वर्षीय संधि की परंतु यह संधि भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण को रोकने नहीं। जब 3 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमले किये तो भारत ने जवाबी कार्रवाही की, 6 दिसम्बर 1971 को भारत ने बंगला देश को मायता दे दी और 16 दिसम्बर का पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के कमाण्डर जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों के साथ भारतीय जनरल जगतसिंह धरोड़ा के सामने आत्म समर्पण कर दिया। भारत के एक तरफ युद्ध विराम को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया।

1971 से भारत पाकिस्तान सम्बंध—1971 के युद्ध अर्थात् बंगला देश का स्वाधीनता के बाद भारत पाकिस्तान सम्बंधों को निवारित करने वाली मुख्य समस्याएँ निम्न रही हैं—

(i) युद्ध विराम का प्रश्न

(ii) पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मायता देने का प्रश्न

(iii) कश्मीर समस्या तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ।

शिमला समझौता—उपयुक्त समस्याओं पर विचार करने के लिए भारतीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो का शिखर सम्मेलन 28 जून 1972 को शिमला में शुरू हुआ। दोनों देशों ने शिमला में 2 जुलाई 1972 का जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये उसे शिमला समझौता कहते हैं। इस समझौते की प्रमुख विशेषतायें यह हैं कि दानो दशान "अपने मतभेदों का द्वि-पक्षीय वाता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने, पारस्परिक बमनस्य, घृणित प्रचार और विवादा को समाप्त कर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने, डाक, तार सेवा तथा संचार व्यवस्था स्थापित करने व्यापारिक और आर्थिक सहयोग का प्रयास करने तथा विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान प्रदान करने आदि का आश्वासन दिया।

पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मायता तथा त्रिपक्षीय समझौता—पाकिस्तान ने शिमला समझौते की भावना को लागू करने में अनावश्यक देरी की जिससे इस उप महाद्वीप में तनाव की स्थिति बनी रही। पाकिस्तान ने लाहौर मुस्लिम सम्मेलन के बाद फरवरी 1974 में बंगला देश को मायता दी जिससे त्रिपक्षीय वातालाप के द्वार खुल गये। 5 अप्रैल 1974 का भारत-पाकिस्तान बंगला देश के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार युद्ध बंदिया की, उन 195 युद्ध बंदियों सहित जिन पर बंगला देश जन महार और अमानुषिक हत्याओं के लिए अभियोग लगाना चाहती थी, 31 मार्च 1974 तक वापस लौटा दिया गया। पाकिस्तान ने बंगाल में रह गये पाकिस्तानियों को वापस लेने का वायदा किया तथा भारत-पाकिस्तान में संचार माघना, यात्रा सुविधा, वाणिज्य आदि विषयों पर वार्ता के द्वार खुल गये।

भारत-पाकिस्तान वार्तायें—जमीन और युद्ध बंदिया की वापसी के बाद भारत और पाकिस्तान ने अपने सम्बन्धों को सुधारने के लिए डाक तार, जहाजरानी व्यापार आदि सम्बन्धों पर वार्ताओं के दौर को शुरू करना चाहा परंतु जो वार्तायें 10 जून 1974 को शुरू होने वाली थीं पाकिस्तान ने उन्हें यह कह कर एक तरफा समाप्त कर दिया कि भारत की अणु परीक्षण (18 मई 1974) ने वातावरण को दूषित कर दिया है अतः समझौते के लिए उप महाद्वीप में शांति या सामान्य सम्बन्धों के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है। बाद में सितम्बर 1974 में जो वार्तायें इस्लामाबाद में हुईं, उनके फलस्वरूप डाक, तार और यात्रा सुविधाओं की व्यवस्था को फिर से चालू किया गया, 30 नवम्बर 1974 को भारत-पाकिस्तान के मध्य एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 से जो व्यापार बन्द पड़ा था उसे पुनः स्थापित किया गया। जहाजरानी के सम्बन्ध में भी समझौता हा चुका है और फरवरी 1975 में व्यापारी जहाजों पर दानो दशान के बन्दरगाहों में प्रवेश पर लगाई गई पाबंदियाँ हटाई गई हैं परंतु

दुर्भाग्य की बात यह है कि वायु मार्ग सम्प्रदायी समझौते के मिलमिले में आयोजित उच्च स्तरीय वार्ता सफल नहीं हुई है। असहमति का मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था (ICAO) में भारत के विरुद्ध दायर किये गये अभियोग का तत्र तत्र वापस लेने के लिए तैयार नहीं जब तक दोनों देशों के बीच हवाई मार्ग की सुविधा के सिलसिले में व्यापक समझौता नहीं हो जाता। यद्यपि व्यापारिक समझौता में राजनीतिक सम्बन्धों के सुधारों की आशा की जा सकती है परन्तु पाकिस्तान ने न तो भारत के साथ और न बंगला देश के साथ अभी दूतनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं।

3 पाकिस्तान की गुटनीति—भारत पाकिस्तान सम्बन्धों में कटुता पैदा करवाती एक प्रमुख समस्या पाकिस्तान की गुटनीति और शस्त्रों की होड़ की नीति है। वस्तुतः पाकिस्तान ने सैटो (1954) और सेटो (1955) जैसे सैनिक संगठनों का सदस्य बन कर शीत युद्ध को भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। दूसरे पाकिस्तान ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, भारत विरोधी प्रचार का महाराज लेजर, अमरीका से ही नहीं बल्कि सेटो शक्तियाँ, विशेष कर ईरान से प्रचुर मात्रा में सैनिक सहायता प्राप्त की। इतना ही नहीं, भारत चीन सम्बन्धों में विगाह आने में पाकिस्तान ने चीन की हमदर्दी प्राप्त करने की कोशिश की और उगमे अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त किया। पश्चिमी शक्तियाँ भी इस उप महाद्वीप में पाकिस्तान को भारत के सातुलन में बनाये रखना चाहती हैं, सम्भवतः इसलिए कि वे समझती हैं कि यदि भारत को शांति का समय मिल गया तो वह एक महान शक्ति बन जाय। अमरीका न तो भारत के विरोध पर पाकिस्तान को अस्त्र ही नहीं दिये बल्कि आर्थिक सहायता के क्षेत्र में भी दोनों को समान समझा है जबकि भारत आजादी की दृष्टि में पाकिस्तान से पाच गुणा है। आज भी पाकिस्तान भारत के शांतिमय नाभिरीय विस्फोट की दुहाई देकर अमरीका से युद्ध सामग्री प्राप्त कर रहा है। सन्धि में, पाकिस्तान अपने ज मकाल से कभी ब्रिटेन, कभी अमरीका और कभी चीन के हाथों का खिलौना रहा है।

उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में उनके जन्म काल से ही तनावपूर्ण रहे हैं। यद्यपि सम्बन्धों का सुधारने के लिए अनेक बार उच्च स्तरीय वार्तायें की गयी हैं परन्तु उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। शिमला भावना अपने पूरे रूप में फलित नहीं हुई। सम्बन्धों के सुधार में सत्रस बड़ी बाधा "कश्मीर" है। कश्मीर समस्या पाकिस्तान के लिए कामबेनु है क्योंकि इसे जाबिन रख कर ही पाकिस्तानी सरकार सत्ता और देश पर अपनी पकड़ रख सकती है।¹ समय समय पर पाकिस्तानी शासक कश्मीरिया को भड़काते रहते हैं। शेख अब्दुल्ला

के साथ भारतीय सरकार द्वारा किये गये समझौते के समय ही पाकिस्तान के राष्ट्र-पति भुट्टो ने कश्मीर वासियों को हड़ताल की सलाह दी। दाना देना के नागरिकों में सीधे सम्पर्क के अभाव में पाकिस्तान के शासन ने अपन अस्तित्व के लिए विरोधी प्रचार का सहारा लिया है। अपन अस्तित्व का बचाव करने के लिए श्री भुट्टा यह भी कहते हैं कि 'भारत पाकिस्तान के धोखा को हड़पने की योजनाएँ बना रहा है।'¹ जब तक पाकिस्तान के शासन इस प्रकार के विरोधी और घृणित प्रचार में विश्वास रखेंगे तब तक भारत पाकिस्तान सम्बन्धों में यथाय सुधार नहीं हो सकते। यह सत्य है कि पोकरण में विस्फोट से शीघ्र अन्तरिक्ष में आयभट्ट नाम के उपग्रह का फेंक कर भारत ने इस उप महाद्वीप में शक्ति सन्तुलन अपने पक्ष में कर लिया है। परन्तु यह सन्तुलन तो सबदा भारत के पक्ष में रहा है क्योंकि आकार, आबादी और साधनों की दृष्टि से भारत पाकिस्तान से सबदा शक्तिशाली रहा है और सर्वदा रहगा।

कश्मीर समस्या (Kashmir Problem)

भारत पाकिस्तान सम्बन्धों में कटुता, वैमनस्य, घृणा, द्वेष और तनाव पैदा करने में जितना उत्तरदायित्व कश्मीर समस्या का है उतना किमी और समस्या का नहीं। इस समस्या का लेकर पाकिस्तान ने इस उप महाद्वीप में ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सगठना और मत्थाओं में भाग लेने विरोधी दृष्टिकोण अपनाया है। कभी प्रचार द्वारा, कभी रेडियो प्रसारण द्वारा और कभी घुमपट्टियाँ द्वारा पाकिस्तान ने केवल कश्मीर में ही नहीं अपितु भारत में भी साम्प्रदायिक दंग भड़काने का प्रयास किया। पाकिस्तान ने पश्चिमी शक्तियाँ, विशेष कर अमेरिका, के साथ द्वि-पक्षीय संधियाँ द्वारा इस महाद्वीप में शस्त्रास्त्रों की होट को जन्म दिया। पाकिस्तान ने ही सीटों और सेटों जैसे सैनिक सगठना का सदस्य बनकर शीत युद्ध का भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान ने ही तीन बार (1947-48, 1965, 1971) भारतीय भूमि पर आक्रमण करके युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। दुर्भाग्य का बात यह है कि सुरक्षा परिषद ने कश्मीर समस्या पर यथाय और औचित्य की भावना से विचार करने के स्थान पर राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर विचार करना शुरू कर दिया और आन्तत को आन्तत के साथ मिलान का प्रयास किया। यही कारण है कि कश्मीर समस्या आज भी भारत और पाकिस्तान में तनाव का कारण बनी हुई है। यह समस्या ऐसे ज्वालामुखी की तरह है जो कभी भी लावा उगल सकती है। जमाकि माइकेल ब्रेकर ने लिखा है कि 'कश्मीर भारत और पाकिस्तान के सघर्ष की जड़ का प्रतीक है। यही वह सद्भातिक दरार है जो लड़ाई का अन्तिम क्षण है।' उमी ने 1947 में उप महाद्वीप का पृथक् पृथक् कर

दिया। यही उग द्वि राष्ट्र सिद्धांत के औचित्य का अंतिम परीक्षण है¹ जिस पर पाकिस्तान आधारित है और उमके बने रहने का आधार है।”

कश्मीर समस्या का उद्गम भारत के विभाजन में निहित है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने जहां भारत और पाकिस्तान के दो अधिराज्यो (Dominions) को जन्म दिया वहां देशी राज्यों को यह स्वतंत्रता भी प्रदान की कि वे स्वेच्छा से किसी अधिराज्य में मिल सकते थे या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाये रख सकते थे। कश्मीर के राजा ने अपने राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाये रखने का निश्चय किया। परंतु पाकिस्तान कश्मीर को अपने अधिराज्य में मिलाना चाहता था। अतः उमने पहले आर्थर दत्त द्वारा (अनाज, नमक, पेट्रोल भेजना बंद कर दिया) और बाद में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के क्वायलियों के माध्यम से, जो पाकिस्तान के समर्थक थे, 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण किया। थोड़े ही समय में क्वायली श्रीनगर के निकट वारामूला तक पहुंच गये। स्थिति की गम्भीरता का देखते हुए कश्मीर के राजा ने भारत में विलय की प्रार्थना की। भारत ने कश्मीर के राजा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह (Referendum) की शर्त के साथ उसे भारत का अंग मान लिया।

भारत के बार बार आग्रह करने पर भी जब पाकिस्तान ने कश्मीर में क्वायलियों के प्रवेश का नहीं रोका तो भारत ने यू० एन० ओ० के चांसेलर की धारा 34 और 35 के अनुसार 1 जनवरी, 1948 को सुरक्षा परिषद के समक्ष शिकायत की कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त कर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के क्वायलिया ने भारतीय भूमि पर आक्रमण किया है जिसमें 'अंतरराष्ट्रीय शांति भंग होने का भय है। अतः सुरक्षा परिषद आक्रमण को रोकने और शांति बनाये रखने के लिये आवश्यक कदम उठाये। भारत ने सुरक्षा परिषद में इस समस्या का इस कारण प्रस्तुत किया कि उसे वहां 'यम मिलने की सम्भावना थी परंतु, जसाकि बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया, कि यह भारत की भूल थी। सुरक्षा परिषद में समस्या का समाधान हाने के स्थान पर वह शीत युद्ध के अग्राडे में फस गयी।

कश्मीर समस्या का समाधान करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संधि (UNO) ने जो समय समय पर प्रयास किये उम प्रमुख निम्न हैं —

1 21 अप्रैल, 1948 को 5 सदस्यों के एक आयोग की रचना की गिले 'भारत और पाकिस्तान के लिये संयुक्त राष्ट्र के आयोग (United Nations Commission for India and Pakistan) की सला दी गयी।

2 एक अन्य प्रस्ताव द्वारा सुरक्षा परिषद ने यह सिफारिश की कि कश्मीर से

1 सन् 1971 में बंगला देश के निर्माण से द्वि राष्ट्र सिद्धांत का आधार नष्ट हो चुका है।

विदेशी कवायली, पाकिस्तान के नागरिक और बड़ी मात्रा में भारतीय सेनायें हटा ली जाये और जनमत संग्रह के लिये उचित वातावरण तैयार किया जाय ।

3 संयुक्त राष्ट्र सभ के आयोग ने भारत और पाकिस्तान के साथ विचार विमर्श के बाद 13 अगस्त, 1948 को बंद करने का मुद्दा दिया । आयोग ने जो सिफारिशें की वे निम्न थी —

(a) पाकिस्तान अपनी सेनायें कश्मीर से हटा ले तथा विदेशी कवायलिया और कश्मीर में सामान्य रूप में न रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वहां से हटाने का प्रयास करे ।

(b) पाकिस्तानी सेना द्वारा खाली किये गये क्षेत्र का प्रबंध आयोग की निरीक्षण में स्थानीय अधिकारी करें ।

(c) जब पाकिस्तान उपयुक्त दोनों शर्तों की पूर्ति कर दे और उसकी सूचना भारत को दे दे तो भारत भी अपनी सेना का अधिकांश भाग कश्मीर से हटा ले ।

(d) अंतिम समझौता होने तक भारत युद्ध विराम की सीमाओं के भीतर उतनी ही सेनायें रखे जितनी इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिये आवश्यक हैं ।

4 संयुक्त राष्ट्र सभ के आयोग के प्रयासों द्वारा 1 जनवरी, 1949 को युद्ध विराम (Cease fire) हुआ जिसकी देखरेख के लिये विभिन्न राष्ट्रों के निरीक्षण नियुक्त किये गये । जनमत संग्रह के लिये अमरीकी नागरिक श्री चेस्टर निमिटज को नियुक्त किया गया । परन्तु भारत पाकिस्तान में जनमत संग्रह के सिद्धांत पर समझौता न होने के कारण चेस्टर निमिटज ने त्याग पत्र दे दिया । मैकनाटन योजना (Mcnaughton Plan) में भी आक्रान्त और आक्रान्ता को एक स्तर पर रखा गया था अतः भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया ।

5 सन् 1950 में सुरक्षा परिषद ने सर ओवन डिक्सन (Sir Owen Dixon) को समस्या का समाधान करने और कश्मीर से दोनों पक्षों की सेनायें हटाने (demilitarization) के लिये नियुक्त किया गया । डिक्सन ने पाकिस्तान की नियमित सेनाओं के कश्मीर में प्रवेश को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोध की सलाह दी । पाकिस्तान को आक्रान्ता मानते हुए भी डिक्सन ने कश्मीर में दोनों पक्षों की सेनायें हटाये जान पर बल दिया । भारत को यह मुद्दा मंजूर नहीं था क्योंकि आक्रान्त का आक्रान्ता के साथ मिलाना उचित नहीं था । अपनी अंतिम योजना में डिक्सन ने कश्मीर के विभाजन का मुद्दा दिया अर्थात् पाकिस्तानी सेनाओं के अधिकार में क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया जाय और भारतीय सेनाओं के अधिकार में क्षेत्र को भारत को दे दिया जाय और कश्मीर घाटी के भाग्य का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किया जाय जाय । जब यह योजना भी दोनों पक्षों को स्वीकार नहीं हुई तो डिक्सन ने सुरक्षा परिषद में यह सिफारिश की कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता द्वारा समस्या का समाधान करने के लिये कहा जाय ।

6 डिक्मन आयोग की असफलता के बाद सुरक्षा परिषद ने मार्च, 1951 में डॉ० फ्रैंक ग्राहम (Dr. Frank Graham) को समस्या का समाधान करने के लिये नियुक्त किया गया परन्तु डिक्मन आयोग की भांति ग्राहम आयोग भी असफल रहा।

काश्मीर समस्या के सम्बन्ध में दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने लंदन, कराची और नई दिल्ली में वार्तायें भी हुईं, परन्तु व्यवहार भी हुए परन्तु समस्या का कोई समाधान न हो सका।

सन् 1953-54 में कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं जिन्होंने काश्मीर समस्या पर गम्भीर प्रभाव डाले। पाकिस्तान ने अमरीका से सैनिक सहायता प्राप्त की और 1954 में वह सीटो और 1955 में सेटो जैसे सैनिक संगठनों का सदस्य बन गया अर्थात् पाकिस्तान के इरादा में शीतयुद्ध को भारत के दरवाजे पर ताल मारना शुरू कर दिया और इस उप महाद्वीप में शस्त्रों की होड़ को जन्म दिया। अमरीका की दिनचर्या भी हम के साथ लगन वाले गिनगित क्षेत्र में सैनिक अड्डे बनाने की थी। यद्यपि अमरीकी राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्यों में यह आश्वासन देने का प्रयास किया कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायगा परन्तु भारतीय प्रधान मंत्री ने 1 मार्च, 1954 को कहा कि "आक्रमण होता है और उसे रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता अमरीका में (काश्मीर पर पाकिस्तानी) आक्रमण की आज तक निंदा नहीं की और हम यह कहा जाता रहा है कि हम शांति बनाये रखने के लिये इस पर आग्रह नहीं करे।" जब 1955 में सोवियत प्रधान मंत्री बुलगानिन और साम्यवादी दल के सचिव श्री ख्रुश्चेव भारत आय तो उन्होंने काश्मीर का भारत का अंग मानते हुए कहा कि "आप चोटी पर खड़ा होकर आवाज दे दीजिएगा और हम आपकी सहायतावादी आ जायेंगे।" इसी बीच काश्मीर की सविधान निमात्री परिषद ने काश्मीर के भारत के साथ विलय का निश्चय लिया और कानून बनाया कि 26 जनवरी, 1957 का काश्मीर भारत के साथ अन्तिम रूप में मिल जायगा। श्री नेहरू ने 13 अप्रैल, 1956 के भाषण में स्पष्ट कर दिया कि 1954-56 की घटनाओं ने (पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता, पाकिस्तान का सैनिक संगठनों में शामिल होना तथा काश्मीर सविधान निमात्री परिषद् के निर्णय ने) जनमत संग्रह के मूल आधार को नष्ट कर दिया है, अतः इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं।

7 पाकिस्तान के अनुसूच पर सुरक्षा परिषद ने 16 जनवरी, 1957 को (26 जनवरी, 1957 को काश्मीर सविधान निमात्री परिषद् के निर्णय व अनुसार काश्मीर का अन्तिम विलय भारत में होने वाला था) काश्मीर समस्या पर पुनर्विचार किया गया और यह प्रस्ताव रखा गया कि सुरक्षा परिषद के प्रधान स्वीडन के गुन्नार जारिंग (Gunnar Jarring) भारत और पाकिस्तान जाकर इस समस्या का

सुलझाने का प्रयास करें और परिपद को सुभाव दें कि कश्मीर के विसैन्यीकरण (demilitarization) तथा जनमत सग्रह होने तक संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन सेना (UN Emergency Force) को कश्मीर भेजा जाये या कि नहीं। भारतीय प्रतिनिधि श्री कृष्णा मेनन ने संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन सेनाओं के भेजे जाने का विरोध किया रूस ने भारत का साथ दिया और कहा कि "कश्मीर के प्रश्न का निराण वहा की जनता कर चुकी है और वह भारत का अभिन्न अंग है।" जब सुरक्षा परिपद में 20 जनवरी को प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो रूस ने निषेधाधिकार का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव का रद्द कर दिया। अग्य प्रस्ताव द्वारा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सघ की आपातकालीन सेनाओं का भेजने की व्यवस्था नहीं थी, गुनार जारिग को भारत भेजा गया परंतु दोनों देशों की यात्राओं के बाद गुनार जारिग ने प्रतिवेदन में कहा कि वह ऐसे ठोस प्रस्ताव रखने में असमर्थ हैं, जिनसे समस्या का समाधान हो सके। प्रतिवेदन में उलान इस बात का स्वीकार किया कि "पिछले नौ वर्षों में कश्मीर की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है।"

8 दिसम्बर, 1957 को फ्रैंक ग्राहम को पुनः समस्या का समाधान करने के लिये भेजने का निश्चय किया गया। जनवरी फरवरी, 1958 का ग्राहम भारत-पाकिस्तान सरकारों से वार्तालाप करते रहे और 3 अप्रैल 1958 का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया उसमें पुनः वार्तालाप की ही दोहराया गया था। इस प्रतिवेदन में भी पाकिस्तान को आनाता घोषित नहीं किया गया था।

9 सन् 1962 में आयरलैण्ड ने सुरक्षा परिपद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि समस्या के समाधान के लिये दोनों देश प्रत्यक्ष वार्ता प्रारम्भ करें और ऐसी कोई वायदाही न करें जिसमें उम क्षेत्र में शांति भंग होती हो। क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था अतः भारत ने प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया। रूस ने भी अपने निषेधाधिकार के प्रयोग द्वारा प्रस्ताव को रद्द कर दिया।

सन् 1962-63 में पाकिस्तान ने भारत के विरोध पर भी, कुछ ऐसे कदम उठाये जो उसके वमनस्थ और विरोध की व्यक्त करते थे। सन 1962 में चीनी आक्रमण के समय पाकिस्तान ने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया, फरवरी 1963 में चीन के साथ समझौता करके पाकिस्तान ने अतिक्रम कश्मीर का एक बहुत बड़ा भू भाग चान को दे दिया। दिसम्बर, 1963 में श्रीनगर के हजरत वाल मस्जिद में पगम्बर मुहम्मद साहब का पवित्र बाल चारी होने पर पाकिस्तान ने साम्प्रदायिक दंगे भडकाने की कोशिश की और जो सरगर्मी उत्पन्न हुई पाकिस्तान ने उम 'कश्मीरिया के विद्रोह' की सजा दी और संयुक्त राष्ट्रसघ से हस्तक्षेप की माग की। शेख अब्दुल्ला ने जेल से छूटते ही आत्म निराण के अधिकार और जनमत सग्रह की माग की।

10 1965 और 1971 के युद्ध और कश्मीर—सुरक्षा परिपद के माध्यम

से कश्मीर को प्राप्त करने में असफल होने पर पाकिस्तान ने सैनिक शक्ति के आधार पर कश्मीर को हस्तगत करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देकर कश्मीर भेजना शुरू कर दिया ताकि वहाँ हवाई अड्डों, छावनियों और महत्वपूर्ण मार्गों पर अधिकार जमाने का प्रयास करे। पाकिस्तानी छापामारों ने युद्ध-विराम रखा को पार कर कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्य सैनिक पर्यवेक्षक जनरल निम्मा ने इसकी सूचना महासचिव को भी दी। 1 मितम्बर, 1965 को पाकिस्तानी सेनाओं ने छम्ब, अखनूर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाही में न केवल घुसपैठियों का मफाया कर दिया बल्कि पाकिस्तानी सेनाओं के हमले भी पस्त कर दिए। भारतीय सेनाओं ने ताहौर, कसूर, डेरा बाजा नानक तथा स्यालकोट क्षेत्रों में भी मोर्चे खोल दिए। स्थिति को गंभीर होते देखा, संयुक्त राष्ट्रसंघ ने दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील की और दोनों देशों का आदेश दिये कि वे 22 सितम्बर, 1965 तक युद्ध विराम कर दें और अपनी अपनी सेनाओं को 5 अगस्त, 1965 की स्थिति में ले जायें। दोनों देशों ने युद्ध विराम की स्वीकार कर लिया।

सन् 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध बंगला देश की समस्या से उत्पन्न हुआ था परन्तु इनमें भी कश्मीर समस्या को सम्मिलित कर लिया गया था। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर ही हमला किया तो भारतीय सेनाओं ने कारगिल, गुरेज, टिथवल उरी, पूछ आदि क्षेत्रों में अनेक पाकिस्तानी चौकियों पर अपना अधिकार कर लिया।

उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि कश्मीर की समस्या आज भी भारत पाकिस्तान सम्बन्धी म तनाव का कारण बनी हुई है।

ताशकन्द समझौता (Tashkent Agreement)

सन् 1965 के युद्ध विराम के बाद भारतीय सीमाओं पर पूरा शांति स्थापित नहीं हुई थी। युद्ध अवधि समाप्त हो गई थी परन्तु युद्ध का वातावरण अभी विद्यमान था और छोटी सी घटना सीमा पर तनाव दाना देशों की सेनाओं में भड़का का कारण बन जाती थी। इस स्थिति को समाप्त करने के लिये सोवियत राजनय काफी सक्रिय था। अतः सोवियत प्रधानमंत्री श्री कोसिगिन के प्रयासों के फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ताशकन्द में 4 जनवरी 1966 को पारस्परिक वार्तालाप के लिये एकत्रित हुए। सोवियत मध्यस्थता से दोनों देशों में 10 जनवरी 1966 को ताशकन्द में जो समझौता हुआ वह ताशकन्द समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्न हैं —

1 भारत और पाकिस्तान अर्द्धे पडोसियो की तरह सम्बन्ध स्थापित करेंगे, वे बल प्रयोग का सहारा नहीं लेंगे और अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे। दोनों ने इस बात को महसूस किया कि दोनों में तनाव की स्थिति हानिकारक है।

2 दोनों देश युद्ध विराम का पालन करेंगे तथा 25 फरवरी तक अपनी सेनाओं को 5 अगस्त 1965 की स्थिति में ले जायेंगे।

3 भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

4 दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार के प्रचार को निरस्त/निवृत्त करेंगे तथा ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देंगे जो दोनों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देते हों।

5 दोनों देशों के उच्चायुक्त अपनी अपनी जगह पर लौट जायेंगे और दोनों देशों में सामान्य राजनय सम्बन्ध फिर से स्थापित किये जायेंगे।

6 दोनों देश आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने पर विचार करेंगे।

7 युद्ध वृद्धियों की अदला-बदली का कार्य किया जायगा।

8 दोनों पक्ष शरणार्थियों, निष्कासिता और मर जानूनी रूप से बसने वालों की समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्नों पर बातचीत जारी रखेंगे अर्थात् दोनों पक्ष ऐसा वातावरण उत्पन्न करेंगे जिससे जनता में भगदड़ समाप्त हो।

9 जिन विषयों का दोनों देशों से सीधा सम्बन्ध है, उन पर विचार के लिये, दोनों पक्षों की सर्वोच्च एवं अग्र स्तरों पर बैठकें होती रहें अर्थात् दोनों देशों की संयुक्त समितियाँ अपनी अपनी सरकारों के विषयों पर परामर्श दें।

10 दोनों देशों के शासनाध्यक्षों ने सोवियत राजनय के प्रति अपनी वृत्तान्तों को अभिव्यक्त किया।

ताशकन्द समझौते का मूल्यांकन—ताशकन्द समझौते की आलोचना दोनों देशों में की गयी। पाकिस्तान में इसकी आलोचना का आधार यह था कि उसे अपने लक्ष्य काश्मीर का पाने में किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली थी। भारत में इस समझौते की आलोचना का आधार यह था कि हाजीपीर कागिल और टिब्बाल के महत्त्वपूर्ण दरों को पाकिस्तान का लौटाना एक भयंकर सामरिक भूल थी। इन्हीं दरों के द्वारा पाकिस्तान काश्मीर में घुसपैठियों को भेजता था। यह भारतीय सैनिकों के पराक्रम तथा बलिदान के साथ विश्वासघात था। एक भारतीय कमाण्डर ने ये विचार व्यक्त किये थे कि 'उनकी सतानों को पुनः युद्ध करना पड़ेगा।' यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। दूसरे भारत के लिये पाकिस्तानी वायुदलों पर विरोध करना बर्तन था। तीसरे, भारत ने सोवियत राजनय दबाव के कारण ही इस

समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, क्याकि ऐमान करने से काश्मीर पर सोवियत समर्थन के खा जान का भय था। चौथे, जसाकि वाद की घटनाओ ने सिद्ध कर दिया, पाकिस्तान न न ता भारत के प्रति घणा और वमनस्य की भावनाओ को त्यागा और न ही तनाब के वातावरण को शिथिल किया।

उपयुक्त आलाचनाओ के बाद भी ताशरन्द का भारत पाकिस्तान सम्बन्धो म अपना महत्व है। इसने तत्काल सवट का टाल दिया और भारत ने रूस का साक्षी बनाते हुए पाकिस्तान को शक्ति का प्रयोग छोडने पर सहमत कर लिया। दूसरे, इसन चीन-पाकिस्तान सयुक्त मोर्चे के खतरे को कम कर दिया। तीसरे, इसने दोनो देशो मे समस्याओ के निवारण की आशा बढा दी। चौथे, इसन अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना के वातावरण का भी उत्पन्न किया और त्रिष्व की समस्याओ को सदभावना के वातावरण म हल करने पर बल दिया। ताशरन्द भावना की तुलना लोकानो, जेनेवा, वियाना और कैम्प डेविड भावना से की जान नगी।

शिमला समझौता (Simla Agreement)

सन् 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अर्थात् बगला देश की मुक्ति के बाद इस उपमहाद्वीप मे स्थायी शांति स्थापित करने और भारत पाकिस्तान सम्बन्धो म सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जुल्फीकार अली भुट्टा का एक शिखर सम्मेलन 28 जून, 1972 को शिमला मे शुरू हुआ। यह पहला अवसर था जब दोनो देशो के शासनाध्यक्षो ने बिना किसी तीसरे दश की मध्यस्थता से सीधे सम्पर्क द्वारा वार्ताये शुरू की। दोनो देशो के शासनाध्यक्षो ने शिमला म 2 जुलाई, 1972 को जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये उसे शिमला समझौता कहते हे। इस समझौते की महत्वपूर्ण विशेषताये निम्न हैं —

1 दोनो देश पारस्परिक वमनस्य और विवादो को समाप्त कर पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धो को स्थापित करेंगे तथा इस महाद्वीप म स्थायी शांति की स्थापना के लिये काय करेंगे ताकि दोना देश अपने साधनो और शक्ति का प्रयोग अपन देश की जनता के कल्याण मे उपयोग कर सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दोना देशो ने निम्न बातो पर सहमति प्रकट की —

(a) दोनो देश अपन मतभेदा को द्विपक्षीय वाता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेंगे।

(b) सयुक्त राष्ट्रसंघ के चाटर के अनुसार, दोना देश एक दूसरे के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं करेंगे, सोमाओ का अतिप्रमण नहीं करेंगे तथा एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

2 दोना देश एक दूसरे के विरुद्ध घुसित प्रचार नहीं करेंगे और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करेंगे।

3 पाठ्यपरिवर्तन सम्झौता म सामान्यता लाने के लिये दोना देशो मे डान, तार सेवा तथा जन, बल, वायु मार्गों द्वारा पुन संचार व्यवस्था स्थापित की जायगी। यात्रिया (नागरिका) का एक दूसर देश म आन जान की सुविधा दी जायगी। दाना देशो म व्यापारिक और आर्थिक सहयोग का प्रयास किया जायगा जितान और सांस्कृतिक क्षेत्रा म आदान प्रदान किया जायगा।

4 भारतीय और पाकिस्तानी मायाे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म लीड जायेगी। दोना देश जम्मू कश्मीर म 17 दिसम्बर, 1971 को हुए युद्ध विराम के फलस्वरूप नियंत्रण रेखा को मायेग। सनाआ की वापसी इस समझौते के नागू हाने के 30 दिन के भीतर पूरी हो जायगी।

दोना देशा के राज्याध्यक्षा की भविष्य मे फिर वार्तायें होगी जिनमे युद्ध बंदियो एव नागरिका की वापसी, जम्मू कश्मीर के अन्तिम हल तथा कूटनीतिक सम्झौता को फिर से स्थापित करने आदि समस्याओ का शांतिपूर्ण हल किया जाता है।

शिमला समझौते का मूल्यांकन—शिमला समझौता आलोचना और प्रशंसा दोनो का पात्र रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह भारत का पाकिस्तान के समक्ष आत्म संपरण था। भारत के सनियों ने जिस युद्ध को युद्ध मैदान मे जीता था, उसे भारत की कूटनीति न शिमला म खो दिया अर्थात् भारत युद्ध जीतकर भी हार गया और पाकिस्तान युद्ध हार कर भी जीत गया। आलोचका ना यह कहना है कि कश्मीर समस्या का स्थायी हल ढूँढे बिना पाकिस्तान के 5,139 बग मील के क्षेत्र को लौटाना राजनीतिक सफलता नहीं कहा जा सकता। इस समझौते ने भारत को केवल 79 बगमील भूमि ही वापस मिलनी थी। दूसरे शब्दा म, आलाचकों का कहना था कि शिमला समझौते ने कश्मीर पर पाकिस्तान से सादेवाजी करन का अवसर हाथ मे खो दिया है। दूसरे, आलाचका का यह भी कहना था कि श्री भुट्टो के आश्वासना पर विश्वास करना राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक नहीं था क्यकि श्रीभुट्टो किसी समय अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और पश्चिमी या चीनी इशारे पर नाच सकते है। श्री समर गुहा का तो यह विश्वास था कि शिमला समझौता ताशकंद म किया गय आत्म संपरण से भी बुरा था।

उपर्युक्त आलोचनाओ के बाद भी शिमला समझौते का अपना विशेष महत्त्व है। प्रथम तो यह कि इस समझौते द्वारा पाकिस्तान ने पहली बार भारत के साथ अनाक्रमण संधि का है। दूसरे शब्दो मे, श्री भुट्टो ने पाकिस्तान के अंतर्मुख शासकों द्वारा अपनाई गयी इस नीति को त्यागा है कि कश्मीर की समस्या का हल हुए बिना दानो देशो म अनाक्रमण संधि नहीं हो सकती। दूसरे, इस समझौते का सबसे बड़ा महत्त्व इस बात म है कि भारत और पाकिस्तान ने पारस्परिक मतभेदो को शांतिपूर्ण ढंग से निपटान के लिये द्वि पक्षीय वार्ताओ को स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह है

कि किन्हीं तीसरे पक्षों को दोनों देशों में पड़ोस का अवसर नहीं मिलेगा। जहाँ एक समीक्षक ने लिखा है कि "इस समझौते में न भारत की विजय थी और न पाकिस्तान की। यह दोनों देशों की समझौतारी की विजय थी। इस समझौते में सबसे अधिक चोट विदेशी पड़ोस तथै सांभ्राज्यवादी शक्तियाँ को, जो इस महाद्वीप के देशों को आपस में लडा कर स्वाथमिद्धि करत रह थे, पहुँची है। तीसरे, शिमला समझौते की तुलना ताशकन्द समझौते से नहीं की जा सकती क्योंकि ताशकन्द समझौता रूस की मध्यस्थता का परिणाम था, दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता का परिणाम नहीं था। इतना ही नहीं, जहाँ ताशकन्द समझौते में भारत ने जम्मूकश्मीर क्षेत्र में जीत गये क्षेत्र का वापस लौटा दिया था वहाँ शिमला समझौते द्वारा 17 दिसम्बर 1971 को वास्तविक नियंत्रण रखा का मान्यता दी गयी है। चौथे, शिमला समझौते ने एक "अच्छी शुरुआत" को आरम्भ किया है। यद्यपि शिमला समझौते की भावना को पूरातया लागू नहीं किया गया और पाकिस्तान ने बंगला देश को मान्यता देने में अनावश्यक देरी की पर तु फिर भी अप्रैल 1974 में जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है उससे युद्ध बंदियों की समस्या का समाधान हुआ है, सितम्बर 1974 में वार्तालाप द्वारा डाक, तार, यात्रा आदि के सम्बन्ध में समझौता हुआ है नवम्बर 1974 में व्यापार समझौता हुआ और फरवरी 1975 में व्यापारी जहाजाँ पर दोनों देशों की बन्दरगाहों में प्रवेश पर लगायी गयी पाबंदियाँ हटायी गयी हैं। वायु मार्ग सम्बन्धी समझौता अभी तक सम्पन्न नहीं हो सका और कूटनीतिक सम्बन्धों को स्थापित नहीं किया गया।

भारत-रूस सम्बन्ध

(Indo-Russian Relations)

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की स्थायी मित्रता का दावा नहीं कर सकता पर तु स्वतन्त्रता प्राप्त के बाद भारत-रूस सम्बन्ध, कुछ टुट-पुट घटनाओं को टाड कर, निरन्तर मृदुता, मित्रता और घनिष्टता के रहे हैं। सन् 1971 की भारत-रूस संधि के समय से तो ये सम्बन्ध उत्तरोत्तर वृद्धि की आरम्भ हुए हैं। क्या उद्योग, क्या व्यापार, क्या विज्ञान, क्या अन्तरिक्ष, क्या अन्तराष्ट्रीय राजनीति सभी क्षेत्रों में दोनों के सम्बन्ध अद्भुत मित्रता के बन्ते चले जा रहे हैं। इस बढ़ती हुई मित्रता का प्रमाण इस एक तथ्य से मिल जाता है कि शायभट्ट नाम का पहला भारतीय भू उपग्रह सावियत रूस के यानविदा और इंजीनियरों की सहायता से अन्तरिक्ष में 19 अप्रैल 1975 को छाडा गया। दोनों देशों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिये अनेक संयुक्त आयागों की स्थापना की गयी है, दोनों देश

- 1 पाकिस्तान ने बंगला देश का मान्यता, लाहौर मुस्लिम सम्मेलन के बाद, फरवरी 1974 में मान्यता दी।

के शासनाध्यक्षा और उच्च पदाधिकाऱ्या की यात्राय निरन्तर जारी रहती है। मंगोल
म, दाना दशा म एन-द्वय म निय अयधित मन्भावना (goodwill) विद्यमान है।

भारत रूस म घटिष्ट सम्बन्ध होत हुए भी कुछ एन ममम्यामा पर दाना के
विचार भिन्न रह हैं परन्तु विचारों की भिन्नता म दोनों के सम्बन्धों का कभी दूषित
नहीं किया। जय ता रूसी यात्रा म भारत की विद्वान नीति की स्वाभाविक और
असम्पन्नता का गरी ममभा था तय ता ही विचार म भिन्नता उत्पन्न हुई।
उदाहरणतया स्टालिन ताल म भारत की विदेश नीति का 'निर्जन और अयमर
यादी' कहा गया था। भारत म रूसी ममथका ने, जैसे रजनी पाम दत्त म
नहरूजी की एशिया के नय च्याग काई शक' की उपमा दी थी और भारतीय
साम्यवादी दल म "भारत की सत्यता की नीति का "गैंगो-अमरीकन साम्राज्य
वादियों के साथ सट्टयाग का दुःखान का धारण मात्र कहा था।' जय 1950 म कारिया
के प्रश्न पर पश्चिमी शक्तियों की भाति भारत ने उत्तरी कारिया का आभामर
घोषित किया, जय 1956 म हगरी और 1968 म चैकोस्लोवाकिया म रूसी हस्त
क्षेप की भारत न निन्दा की जय 1968 म रूस ने पारिस्तात का सैनिक साजो
सामान देने का निश्चय किया और 1970 म सोवियत विश्य षेप म छय नवगों म
नेफा और अक्षय चीन का चीन का हिम्मा उताया गया ता दोना देशा म विचारों की
भिन्नतायें उत्पन्न हुई परन्तु इन भिन्नताया म दाना दशा म तनाय की स्थिति कभी
उत्पन्न नहीं की।

भारत और रूस के सम्बन्धों म निरन्तर मृदुता और मित्रता रहने का मुख्य
कारण यह है कि अन्तर्-राष्ट्रीय समस्यामा पर भारत रूस के दृष्टिकोण म
समानता पायी जाती है। उदाहरणतया उपनिवेशवाद के दृष्टिकोण म समानता पायी
जाती है। उदाहरणतया उपनिवेशवाद के उन्मूलन, जातीय विभेद की नीति की
समाप्ति, निःशस्त्रीकरण अणुबम और नियेधाधिकार आदि के प्रश्नों पर दोना के
विचार प्रायः समान हैं। कश्मीर और गोघा के प्रश्नों पर रूस ने हमेशा भारत का
साथ लिया। कश्मीर के प्रश्न पर तो रूस न सुरक्षा परिषद म वीटा का प्रयोग भी
किया।

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाया न भी भारत रूस का एक दूसरे के निकट लाने म
सहयोग दिया है। उदाहरणतया जब अक्टूबर 1949 म चीन म साम्यवादी आति
हुई तो भारत ने उसका जारदार समर्थन किया। इतना ही नहीं सयुक्त राष्ट्र सभ म
चीन का स्थान दिान के लिये भरसक प्रयाम किया। इससे भारत ने रूस की सहानु
भूति प्राप्त की। सन् 1954 म सीटा के निर्माण द्वारा जय अमरीका ने शीत युद्ध की
भारत के दरवाजे पर लाकर खडा कर दिया ता भारत का रूस के निकट आना
स्वाभाविक था। सम्बन्धों का सुधारने के लिये दोना देशों के शासनाध्यक्षों ने जून
1955 मे एक दूसरे देश की सद्भावना यात्रायें की। सन् 1962 मे चीनी आक्रमण के
समय रूस ने दास्त भारत की सहायता हेतु भाई चीन पर युद्ध बन्द करने के लिय

दबाव हो नहीं जाता बल्कि भारत को भिग (MIG 21) विमान भी प्रदान किये और उनके निगमन के निये भारत में एक कारखाना स्थापित करने के निये आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान की।

सन् 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ की भूमिका सराहनीय रही। उदाहरणतया जब पश्चिमी राज्यों ने भारत की कायवाहिया को 'आतंकवाद' कह कर सम्बोधित करना शुरू कर दिया तो रूस ने इसे 'आत्मरक्षा' के निये अनिवार्य बताया, जब इंग्लैंड, तुर्की और इण्डोनेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन का वचन दिया, जब आंग्ल अमरीकी गुट ने भारत को आतंकवाद घोषित करने का पड्य चरचा, जब चीन ने 16 सितम्बर 1965 को भारत को तीन दिन की अन्तिम चेतावनी (ultimatum) दी तो सोवियत संघ ने इन सब शक्तियों को चेतावनी दी कि वे भारत-पाकिस्तान विवाद में हस्तक्षेप करके स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास न करें। सोवियत संघ की इस चेतावनी ने इन सब शक्तियों के हौसले पस्त कर दिये। इतना ही नहीं रूसी राजनय ने भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को सुधारने के लिये अपने सत्प्रयत्न (good offices) अर्पित किये और रूसी प्रधानमंत्री कोसिगिन के प्रयासों द्वारा ही भारत-पाकिस्तान के शांताध्यक्षा का एक सम्मेलन ताशकन्द में 4 जनवरी 1966 का शुरू हुआ और 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों में एक समझौता हुआ जिसे ताशकन्द समझौता कहते हैं। जहाँ ताशकन्द समझौता एशिया की राजनीति में रूसी कूटनीति की महान विजय थी वहाँ भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों में यह सुधार का प्रयास भी था।

बगला दश के प्रश्न पर भी रूस ने भारत का साथ दिया। जब भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की विदेश यात्रा का कोई फल नहीं हुआ और वाशिंगटन-पिण्डी पीकिंग की चाले रण लाने लगी तो इस उप महाद्वीप में शांति बनाये रखने के लिये भारत रूस ने 9 अगस्त 1971 को एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किये। इस संधि से जहाँ भारत रूस सम्बन्धों में दृढता उत्पन्न हुई वहाँ इसने वाशिंगटन-पिण्डी पीकिंग के गठबन्धन की सम्भावनाएँ पस्त हो गयीं। रूस ने पाकिस्तान को भी धमकी दी कि यदि वह युद्ध के साथ पिलवाड न करे। इस संधि का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इसने भारत-पाकिस्तान के सम्भावित संघर्ष में चीनी हस्तक्षेप पर पहले से ही राक लगा दी। जब पाकिस्तान की सहायता हेतु अमरीकी मध्यम पैदा बगल की खाड़ी की ओर खाना होगा तो प्रक्षपास्त्रों से युक्त रूसी युद्धपोतों को भी हिंद महासागर की गार बढाने के आदेश दे निये गये। इसने मध्यम बड़े के हौसले पस्त कर दिये। जब अमरीकी गुट ने सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्ताव रखे तो रूस ने वीटो का प्रयोग कर उन्हें विफल कर दिया। अगस्त में 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में रूसी दृष्टिकोण भारत के दृष्टिकोण से बन गया था। इसने बगला दश की समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उपयुक्त वरदान से स्पष्ट है कि रूस ने सफ्ट काल में हमेशा भारत का साथ दिया है। सुरक्षा परिषद में चाहे प्रश्न कश्मीर का या या गोआ का, चाहे प्रश्न था चीन के आक्रमण का या भारत पाकिस्तान सम्बन्धी का या बंगला देश की समस्या का रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया।

रूस ने भारत की सहायता केवल सैनिक या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ही नहीं की बल्कि औद्योगिक विकास में आर्थिक और तकनीकी सहायता भी की है। भारत के मूल उद्योगों में भिलाई इस्पात कारखाना रूसी सहयोग का प्रतीक है, बोकारो इस्पात कारखाने में भी रूस ने सहयोग प्रदान किया है, रांची का भारी मशीन उद्योग, हरिद्वार का भारी विजली कारखाना, ऋषिकेश और हैदराबाद में स्थापित ऐंटी वाइटिंग कारखाने, राजस्थान की सूरतगढ़ फ़ाम की मात्रिक खेती रूसी सहयोग के उदाहरण हैं। आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के लिए दोनों देशों में 29 नवम्बर 1973 को एक समझौता हुआ जिसमें उद्योग, विद्युत, कृषि, लोहा, इस्पात औद्योगिक गैस, तेल आदि क्षेत्रों में सहयोग का आश्वासन दिया गया। भारत रूस व्यापार में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत रूसी व्यापार जो 1953 में 13 करोड़ रु० का था वह 1974 में बढ़कर 618 करोड़ रु० का हो गया और 1975 में इसके 750 करोड़ रु० तक बढ़ने की आशा है।¹

उपयुक्त वरदान से स्पष्ट है कि भारत सैनिक और आर्थिक विकास रूसी विदेश नीति का एक आवश्यक अंग है। उसकी यह धारणा है कि एशिया में चीन एक मात्र महाशक्ति न रहे। भारत रूस सम्बन्धी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सोवियत रूस से सभी प्रकार की सहायता लेते हुए भी भारत ने अपनी सम्प्रभुता को कभी दाव पर नहीं लगाया। भारत ने सदैव अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण किया। उदाहरणतया 1974 का अणु परीक्षण भारतीय नीति की स्वतंत्रता का द्योतक है। दूसरे भारत ने एशियाई सामूहिक सुरक्षा के रूसी विचार को सदैव अग्रवर्णित रखा है। यद्यपि ब्रिजनेव अपनी 1973 की भारत यात्रा के समय भारतीय नेताओं को यह समझाने का प्रयास किया कि "यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन की भाँति अथवा महाद्वीपों में भी सामूहिक सहयोग और सुरक्षा की व्यवस्था की जा सकती है परन्तु भारतीय नेताओं ने इस मुझाव के प्रति कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं की।

भारत-रूस संधि (Indo Russian Treaty)

कारण—भारत रूस संधि के सम्पन्न होने में उन घटनाओं का अत्यधिक महत्त्व है जो विश्व की राजनीति और इस उप महाद्वीप में तीव्र गति से बढ़ रही थी। ये घटनाएँ मुख्यतया निम्न थी—

1 दसिये, पिनमान दिनांक 15 जून 1975, पृ० 17

1 पीकिंग को रिक्ताने की वांशिंगटन की इच्छा—अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन के साथ सम्बन्धों में सुधार करने के लिए अपने विशेष दूत डा० किस्सिंगर को चीन की यात्रा पर भेजा। चीन में गुप्त वार्ताओं के बाद राष्ट्रपति निक्सन की पीकिंग यात्रा की नाटकीय घोषणा की गई।

2 वांशिंगटन-पीकिंग पिण्डों गठबंधन की सम्भावना—क्याकि चीन के साथ अमरीकी सम्बन्धों के सुधार में पाकिस्तान ने मुख्य भूमिका निभाई थी अतः ऐसी सम्भावना थी कि वांशिंगटन पीकिंग पिण्डों गठबंधन की रचना की जायगी। अमरीका और चीन दोनों पाकिस्तान को एक सैनिक शक्ति बनाये रखने के समर्थक थे। हथियारों से लदे हुए जहाज पक्षा और सुदूरबन अमरीकी बन्दरगाहों से रवाना हो चुके थे। जसाकि स्वर्णसिंह ने कहा था कि 'भिन्न भिन्न विश्व शक्तियों की सन्धिति (configuration) में परिवर्तन हो रहा था।'

3 बंगला देश की समस्या के सम्बन्ध में महाराष्ट्रों की चुप्पी—भारतीय प्रधान मन्त्री की विदेश यात्राओं के बाद भी महाराष्ट्रों ने बंगला देश में हो रहे नरसंहार और अत्याचारों के प्रति आखें मूंद ली थी। लाखों की संख्या में लोग शरणार्थियों के रूप में पूर्वी पाकिस्तान (बंगला देश) से भारत में रह रहे थे। निकट भविष्य में शरणार्थियों के इस ताते के समाधान होने की कोई सम्भावना नहीं थी। इन शरणार्थियों के आन से भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, भारत में व्यावसायिक, सामाजिक और साम्प्रदायिक समस्याएँ भी उत्पन्न होनी शुरू हो गयी थी।

4 अरब राष्ट्रों का विद्रोही रुख—अरब राज्य न केवल बंगला देश की समस्या को समझने में असफल रहे थे बल्कि तानाशाही माह्या खा को सैनिक सहायता देकर नर-संहार और युद्ध वातावरण उत्पन्न करते रहे।

5 भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रयोग—पश्चिमी शक्तियों ने, विशेषकर अमरीका ने बंगला देश की समस्या को भारत पाकिस्तान की समस्या बनाने का पडसन् रचा। संयुक्त राष्ट्र सभ के प्रेक्षकों की नियुक्ति के अमरीकी प्रस्ताव का यही उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र सभ के महासचिव ऊयाट का दृष्टिकोण भी पक्षपातपूर्ण था। उसने समस्या पर चुप्पी ठान कर अप्रत्यक्ष रूप से नर-संहार में अपना सहयोग दिया।

उपयुक्त पृष्ठभूमि में भारत अपने आपको एकाकी अनुभव करने लगा था भारतीय जन मानस में निराशा खिसियाहट, ग्लानि और पछताव की भावनाएँ पैदा हो रही थी। दूसरी ओर, रूस भी यह अनुभव करने लगा था कि वांशिंगटन पीकिंग का गठबंधन रूस को विश्व राजनीति में पिछाडन, हिंद चीन को हटाने तथा एशिया में रूस के प्रभाव क्षेत्र को कम करने की दोहरी तलवार थी। इन सब कारणों से रूस और भारत ने अपने मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ करने, इन उन्-

गंगादीप म शांति और सुरक्षा बनाय गया ता ता गपना सीमाघात, प्रभुमत्ता अमण्डल और स्वतंत्रता की रक्षा रगा ने लिए 9 अगस्त 1971 का एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए जा भारत कम संधि का नाम से प्रसिद्ध है। एक संधि पर भारतीय विदेश मंत्री स्वर्णसिंह और रूसी विदेश मंत्री ऐंड्रे कोसिगवा ता अगला अपने राष्ट्र की शोर् में हस्ताक्षर किए। यद्यपि यह संधि 20 वर्ष के लिए है परंतु उमर बाद भी, जय ता संधि कता राष्ट्र। म ताई एक संधि ता समाप्त कर। ती इच्छा 12 महीने पूर्व व्यक्त त कर द, रने पाच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह संधि हिंदी रूसी और अंग्रेजी भाषा म की गई है।

संधि की शर्तें— भारत एक संधि म कुल 12 धारयें हैं। प्रथम 7 धारयें केवल बयन मात्र है। प्रास्ताविक धारयें ता 8, 9 और 10 हैं जो सुरक्षा म सम्बन्धित है। धारा 9 संधि की मुख्य धारा (kingpin) है अर्थात् सबसे महत्वपूर्ण धारा 9 है। इसम कहा गया है कि "संधि तता राष्ट्र। मे किसी पर आक्रमण या आक्रमण के भय की स्थिति म दाना राष्ट्र, आक्रमण के भय ता दूर रग्न के लिए एक दूसरे से तत्काल पारस्परिक विचार विमर्श करेगे और अतो राष्ट्र। की शान्ति और सुरक्षा को बनाय रखन के लिए 'आक्रमण प्रभावगानी कदम' उठायेगे। दोनो राष्ट्र। मे वाइ एक राष्ट्र किसी ठेगे तृतीय पक्ष को किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा जो (संधि के) दूसरे पक्ष के साथ संधि म सलग्न हो।" धारा 8 म यह कहा गया है कि दोनो संधि कता राष्ट्र किसी अथ राज्य या राज्या से कोई गुप्त या सावजनिक समझौता नहीं करेगा जो इस संधि के विरुद्ध हा, कोई दूसरे पक्ष पर आक्रमण नहीं करेगा और अपनी सीमाघात ता प्रयोग ठेके तही हान देगा ता वह दूसरे पक्ष के लिए हानिकारक हो।

संधि का स्वागत— भारत म संधि का स्वागत सभी राजनीतिक दलो न किया। इस संधि को भारत कम सम्बन्ध के इतिहास म "महत्वपूर्ण चिह्न" (important landmark) की सत्ता दी गई है। स्वर्णसिंह न इने भारत कम सम्बन्ध के माग म "महत्वपूर्ण पत्थर" (important milestone) की सत्ता दी है। माक्सवादी साम्यवादी दल के नेता ए०के० गापालन न इसकी यह कह कर प्रशंसा की कि 'यह भारत की पश्चिम पर निरभरता का समाप्त कर देगी।। साम्यवादी दल के नेता हिरेन मुगर्जी न इस "समकालीन इतिहास म एक महत्वपूर्ण चिह्न" (a landmark in contemporary history) की सत्ता दी। वी० के० कृष्णा मेनन ने इस असलभनता की विदेश नीति के अनुरूप 'स्वीकार किया और इसे 'स्वस्थ विकास (a healthy development) की सत्ता दी। जनसंघ के नेता ए० वी० वाजपयी न इसकी यह कह कर प्रशंसा की कि "यह भारत के लिए एक मित्र का उत्पन्न करती है। इमने पाकिस्तान के आक्रमणकारी इगला को रोक दिया है और इसन सम्भावित पाकिस्तानी आक्रमण की दशा म चीनी हस्तक्षेप पर

पहले से ही रोक लगा दी है।" इस संधि का विश्व 'शक्ति सन्तुलन' में भी अत्यधिक महत्त्व है। साम्यवादी दल न इगरी यह कह कर प्रशंसा की कि यह एशिया में शान्ति और विकास के लिए ठोस कदम है।

संधि का मूल्यांकन—भारत इस संधि जहाँ प्रशंसा की पात्र रही है वहाँ इगरी यह आलोचना भी की गई है। संधि के पक्ष और विपक्ष में व्यक्त किये गये विचारों को निम्न विदुषा द्वारा अभिप्रेत किया जा सकता है—

संधि के विपक्ष में तर्क—भारत इस संधि की आलोचना निम्न विदुषों के आधार पर की गई है—

1 असहमता का परित्याग—इस संधि की यह कह कर उग्र आलोचना की गयी है कि हमने भारत के अपनी परम्परागत असहमता की नीति का परित्याग कर दिया है। आलोचना का कथन है कि भारत विश्व राजनीति में पहले की भाँति न तो स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सकेगा और न पूर्व पश्चिम के गतिरोध में सेतुबन्ध (bridge builder) का कार्य कर सकेगा। काठमाण्डू के एक पत्र राईजिंग नेपाल (Rising Nepal) ने यह विचार व्यक्त किया कि संधि के बाद भारत की विदेश नीति तो 'अर्द्धतटस्थता' की है। एक अन्य आलोचक के अनुसार भारत ने अपनी विदेश नीति के "मूल बिन्दु को बर्तन गोट दी है", "भारत ने अपनी आरम्भन की शक्ति को लगडा बना दिया है।"

2 भारत के रूसी उपग्रह बनने की सम्भावना—आलोचकों का कथन है संधि का समान पक्ष में नहीं। रूस की तुलना में भारत सैनिक दृष्टि से निबल है। आलाचक संधि के विपक्ष में 'हंगरी' और 'चेकोस्लावाकिया' तथा 'ब्रेजनेव सिद्धांत' (मीमिन सम्प्रभुता का सिद्धांत) का हवाला देते हैं। एक आलोचक के अनुसार यह संधि "एक हाथी के माथे त्रिस्तर पर लेटन के समान है" (The treaty is like lying in bed with an elephant) बलराज मधोक जने आलाचक का कथन है कि हमने भविष्य में भारत की सम्प्रभुता पर प्रहार हा सकता है। यह भी सम्भावना है कि रूस अपनी स्थिति में लाभ उठाते हुए भारत के सामाजिक और आर्थिक ढाँचे को परिवर्तित करने का प्रयास करे। बलराज मधोक का यह शक है कि यह संधि बही "भारत की गर्दन के इतने गिद एक पत्थर न हो जाय (a milestone around India's neck)। उनका विश्वास है कि भारत रूस की मुट्ठी (grip) में आ सकता है। श्री मसानी ने तो इस संधि को सावियन उपग्रहवाद की नीति की सना दी है (a policy of Soviet Satellism) आलाचक का यह भी कथन है कि रूस भारत में अपने पिट्टुग्रा (stooges) की सहायता से साम्यवाद का प्रसार करने का प्रयास करेगा। आलोचकों का यह भी कहना है कि हिंद महासागर जल क्षेत्र में जिसे भारत दोनों महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में मुक्त रखना चाहता है रूस अपने समुद्री शक्ति को रक्षण की मांग को दाहरायगा।

3 भारत के शत्रुओं को एक दूसरे के निवट लाने में सहायक—आलोचना का कथन है कि इस संधि से भारत के शत्रुघा, विशेषकर पाकिस्तान और चीन तथा चीन और अमरीका को एक दूसरे के निवट लाना में सहायक होगी। यह भी कहा जाता है कि इससे अमरीकी जनमत का वह भाग हताह्वित होगा जो भारत से अच्छे सम्बंध स्थापित करना चाहता है। यह भी कहा व्यक्त की गई है कि क्या भारत चीन, पाकिस्तान और अमरीका की शत्रुता को एक साथ सहन कर सकता है? आलोचना का कथन है कि भविष्य में संधि से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ बढ़ सकती हैं। रूस चीन की मुठभेड़ें या रूस अमरीका की मुठभेड़ में रूस कम से कम भारत के विरोध से मुक्ति पा चुका है। दूसरे शब्दों में, यह संधि भारत का चीन-रूस-अमरीका के त्रिकोणीय शीत युद्ध में घसीटती है। इस दृष्टिकोण में यह संधि शीत युद्ध के क्षेत्र को सीमित करने के स्वान पर उसका विस्तार करती है। इतना ही नहीं यह संधि भारत चीन, भारत-पाकिस्तान सम्बंधों को सुधारण में भी बाधा प्रस्तुत कर सकती है।

4 जल्दबाजी में की गयी संधि—आलोचकों का कथन है कि भारत रूस संधि जल्दबाजी में की गयी एक संधि है जिसकी आवश्यकता नहीं थी। जसाकि आचार्य कृपलानी ने कहा था कि “संधि की आवश्यकता नहीं थी। इसे जल्दबाजी में बनाया गया है इसके पक्ष में व्यक्त किये गये विचार उतने ही उतावले हैं जितने कि संधि पर किये गये हस्ताक्षर हैं।” आलोचकों का कथन है कि संधि तभी उपयोगी सिद्ध हो सकता है जब भारत राजनीतिक आर्थिक और सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली हो।

5 वास्तविक समस्याओं के प्रति उदासीन—भारत रूस संधि की यह कह कर भी आलोचना की गयी है कि इसने भारत की किसी तत्कालीन समस्या का समाधान नहीं किया। संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गयी उसमें “बंगला देश की समस्या”, “शरणार्थियों की समस्या”, “भारत पर सम्भावित पाकिस्तानी चीनी आक्रमण की स्थिति में सैनिक सहायता आदि प्रश्नों पर कोई बल नहीं दिया। आलोचकों का कहना है कि “विचार विमश” से बहुमूल्य समय ही नष्ट नहीं होता बल्कि युद्ध प्रयासों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। युद्ध तो तत्काल सुदृढ़, एकाग्र और ठोस प्रयासों की माग करता है। आलोचकों का यह भी कहना था कि हो सकता है कि रूस भारत को उन अस्त्र शस्त्रों को देने से इन्कार कर दे जिसकी भारत को आवश्यकता हो।

6 सैनिक संधि—कुछ आलोचकों का विश्वास है कि यह संधि “बारसा समझौते” की तरह है। आलोचकों का कहना है कि यह सत्य है कि संधि का शांति मित्रता और सहयोग” की संधि की सजा दी गयी है, संधि में “संयुक्त कमाण्ड जमीन व्यवस्था नहीं है परन्तु सभी संधियों का अंतर्निहित उद्देश्य ‘सैनिक प्रबंधों या समझौतों की व्यवस्था करना हाता है और यदि इस प्रकार की संधियों का

उद्देश्य न हो तो उनका महत्त्व ही नहीं रहता। आलोचक कहते हैं कि सन्धि में "आक्रमण की स्थिति में तत्काल पारस्परिक विचार विमर्श और "आवश्यक प्रभावकारी बदला का जिक्र इस आर सकेन करते हैं। यह आक्रमण से रक्षा की गति है और आक्रमण को रोकने के लिए सैनिक सहायता की आवश्यकता होती है। स्वतंत्र दल के तत्त्वाधान में जो संगोष्ठी (Seminar) सितम्बर 1971 में हुई थी उसमें डा० नेठी ने मत व्यक्त किया था कि यह संधि "सैनिक संधि है और अन्य सैनिक संधियों की भांति यह भी असमान पक्षों में सन्धि है।"

संधि के पक्ष में तक—उपयुक्त आलोचनाओं के बाद भी भारत-रूस संधि के पक्ष में अनेक तर्क दिये गये हैं। पक्ष में दिये गये तर्कों को निम्न विद्वानों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है—

1 भारत-पाकिस्तान भूगर्भ में महाशक्तियों के हस्तक्षेप के विरुद्ध बीमा सुरक्षा—संधि के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि भारत-पाकिस्तान विवादा में महाशक्तियों के हस्तक्षेप के विरुद्ध यह बीमा सुरक्षा है। इस संधि के बाद भारत-पाकिस्तान विवादा में किसी महाशक्ति का हस्तक्षेप तृतीय युद्ध को जन्म दे सकता है और कोई महाशक्ति विश्व युद्ध का खतरा मोल नहीं ले सकती। इस संधि का ठीक ही "रक्षा कवच" (Safeguard) की संज्ञा दी गई है। यह संधि सम्भावित वांशगटन-पीपिंग पिण्डों धुरी के विरुद्ध चेतावनी है। इसमें जुटकारा पाने तथा उसके प्रभाव को कम करने के लिए यह संधि एक उपचार है। जैसाकि स्वर्ण सिंह ने कहा था कि यह संधि "पारस्परिक सहयोग का विश्वसनीय आश्वासन" (a credible assurance of mutual cooperation) है। यह संधि उन राष्ट्रों के लिए प्रतिरोध (deterrent) का कार्य करेगी जो भारत के प्रति आक्रमणकारी इरादे रखते हैं।

2 असलमनता की नीति की गतिशीलता की द्योतक—इस संधि में यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की असलमनता की नीति क्रियाहीन नीति नहीं बल्कि यह गत्यामान और क्रियाशील नीति है। इसने यह भी सिद्ध कर दिया है कि भारत शक्ति की यथायथा को समझता है और अपने हितों की रक्षा करने और शांति स्थापित करने के लिए स्वयं निर्णय ले सकता है। भारत की शांति की नीति भीरता की नीति नहीं। भारत अपने हितों की रक्षा हेतु मित्रों की खोज कर सकता है और यह संधि रूम के रूप में एक ठोस मित्र को उत्पन्न करती है। इसने यह भी सिद्ध कर दिया है कि "असलमनता की नीति उद्देश्यों (राष्ट्रीय हितों) को प्राप्त करने के लिए साधन मात्र है, यह कोई धर्म नहीं जिसकी शपथ ली जाती है।" इसने जहाँ भारत की राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है वहाँ उसकी कूटनीति की गतिशीलता और व्यावहारिकता का परिचय भी दिया है।

3 यह सैनिक संधि नहीं, शांति की संधि है—भारत रूस संधि पर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जाना है कि यह सैनिक संधि है और इससे भारत ने अपनी

भारत-चीन सम्बन्धों के सम्बन्ध में व्यक्त किये उपयुक्त कथन सत्य से भरपूर है। वस्तुतः चीन और भारत में मैत्रीपूर्ण एवं घनिष्ठ सम्बन्ध उत्पन्न होने में अनेक बाधाएँ हैं (i) एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो जनसंख्या, शक्ति और प्राकृतिक साधनों में चीन का प्रतिद्वन्द्वी बनने की क्षमता रखता है। क्योंकि चीन एशिया में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता है अतः भारत का शक्ति के रूप में उभरना, आर्थिक दृष्टि से उसका सम्पन्न होना और राजनीतिक सुदृढता प्राप्त करना चीन के लिये ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य का कारण है। दूसरे शब्दों में, भारत चीनी विस्तारवाद के माग में महानतम बाधा है। (ii) भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रणालियाँ एवं संस्थाएँ चीनी साम्यवादी प्रणाली और उसकी संस्थाओं से भिन्न हैं। तीसरे, भारत की परम्परागत एवं वर्तमान नीति का मूल आधार पंचशील के पाँच सिद्धांत हैं। यद्यपि नेहरू के बाद के काल में भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति के महत्त्व को समझने लगा है और उसने परमाणु विस्फोट और अंतरिक्ष में आघातों को भी छोड़ दिया है परंतु भारत के इरादे साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नहीं हैं। भारत परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करना चाहता बल्कि उसके अनुसन्धान द्वारा अपनी आर्थिक समस्याओं (गन्धक, तेल, विद्युत् स्वास्थ्य आदि) का समाधान करना चाहता है। भारत अपनी शक्ति से किसी को आतंकित करना नहीं चाहता। दूसरी ओर, साम्यवादी चीन के इरादे साम्राज्यवादी और विस्तारवादी हैं। उनकी इच्छाएँ एशिया में एकाधिकार की हैं और उसके साधन तोटफोड़, आतंक, भय, क्रांति, मुक्ति युद्ध, अन्न, कपड़ों और हिंसा आदि हैं। मार्क्सवाद और माओ नीति (Mao-archy and Mao policy) शक्ति को 'बढ़ाने की नीति' से प्राप्त करती है, यह वह दूर और तलवार को राज्य का आधार मानती है। इसके लिये महत्प्रयत्न मूल्यता की निश्चिन्ता है। यह समाजवाद की स्थापना के लिये सशस्त्र क्रांति को अनिवार्य मानती है आदि। भारत चीन सम्बन्धों के पिछले 25 वर्षों का इतिहास ही इस बात का साक्ष्य है कि "प्रमोदकाल में भी जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाये जा रहे थे चीन अदर ही अदर अपने इरादों का ज़ुपा रहा था और भारत पर आक्रमण की तैयारियाँ कर रहा था।

भारत चीन सम्बन्धों के इतिहास को अध्ययन की मुद्रिका की दृष्टि से दो भागों में बाँटा जा सकता है (i) प्रमोदकाल (1949-57) और (ii) मतभेदा, सर्पों आक्रमण और वैमनस्य तथा तनाव काल (1958-75)

(i) प्रमोद काल (1949-57)—यद्यपि चीन भारतीय मित्रता का हृदय में इच्छुक कभी नहीं रहा फिर भी साम्यवादी क्रांति के समय (अक्टूबर 1949) में लेकर 1957 तक उनकी नीति भारत के प्रति कम से कम ऊपरी मित्रता की अवश्य रही। चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारम्भ में ही मित्रतापूर्ण रहा है। भारत उनकी मित्रता का हृदय में इच्छुक था और आज भी है। जैसा कि पामर ने लिखा है कि 'साम्यवादी चीन के प्रति नहरू और उनके सत्यागिनी का उपागम स्पष्ट रूप में तुष्टी

कारी था।¹ विन्सेंट शीयन के शब्दा में "चीनिया के साथ मित्रता प्राप्त करने में जितना प्रयास नेहरू ने किया है उतना इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया।"² अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति का भारत ने हृदय से स्वागत किया। गैर साम्यवादी देशों में भारत ही ऐसा पहला देश था जिसने चीन को राजनय मायता प्रदान की। अमरीका की नाराजगी की कीमत पर भी भारत ने कोरियाई युद्ध में चीन का समर्थन किया। यू० एन० ओ० में भारत ने उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें चीन को आक्रान्ता घोषित किया गया था। सितम्बर 1950 में सेन फ्रांसिस्को में 49 राष्ट्रों के साथ होने वाली जापानी संधि में भारत इसलिये शामिल नहीं हुआ कि चीन को उसमें शामिल नहीं किया गया था। सयत्त राष्ट्र संधि में चीन को मायता दिलाने का भारत ने भरसक प्रयास किया। भारत ने उस समय भी चीन को मायता दिलाने का प्रयास किया जब चीन का भारत के प्रति दृष्टिकोण शत्रुतापूर्ण था। भारत ने सबदा अमरीका की उन नीतियाँ की आलोचना की जो चीन को अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों या सस्थाओं में उसे 'उचित स्थान' (Rightful Place) दिलाने में बाधा प्रस्तुत करती थी।

सन् 1954-57 का काल ना भारत चीन सम्बन्धों में प्रमोद काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में, इस काल में ऐसा प्रतीत होता था कि निम्न निम्न राजनीतिक प्रणालियों के समर्थक होने पर भी (भारत में प्रजातान्त्रिक प्रणालियाँ विद्यमान हैं और चीन में सबसत्तावादी प्रणालियाँ विद्यमान हैं) दोनों के अंतराष्ट्रीय स्तर पर उद्देश्य समान हैं। इस काल में 29 जून 1954 को दोनों राष्ट्रों के मध्य एक 8 वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत भारत ने तिब्बत में अपने 'अतिरिक्त दशिय अधिकार' (Extra territorial rights) को चीन को सौंप दिया। इन व्यापारिक समझौतों की प्रस्तावना में ही पंचशील के सिद्धांतों की रचना की गयी। भारत ने तिब्बत में चीन की सम्प्रभुता को स्वीकार कर लिया। जून 1954 में जब चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई भारत आये तो सयुक्त विज्ञापित पंचशील के सिद्धांतों पर बल दिया गया। अक्टूबर 1954 में प० नेहरू न भी चीन की यात्रा की। अप्रैल 1955 में वाण्डुंग सम्मेलन में नेहरू और चाऊ एन लाई ने पूर्ण सहयोग के साथ कार्य किया। बाद में भी गोवा के प्रश्न पर चीन ने भारत का साथ दिया और क्यूमायें (Quemoy) और टापुओं पर भारत ने चीन का समर्थन किया।

(ii) मतभेदों, सघर्षों, आक्रमणों और चमत्कृत का काल (1957-75)— यद्यपि प्रमोद काल में भी भारत और चीन में कुछ मतभेद विद्यमान थे परन्तु 'मित्रता

- 1 Sec Palmer, Norman D The Indian Political System, p 286
- 2 Sheean, Vincent, Nehru Thee Yars of Power, p 185 Quoted by Palmer, Ibid p 286

और हिन्दी-चीनी भाई भाई के नशे में भारत को उनका आभास नहीं हुआ और चीन अपने दुष्ट इरादा का मित्रता का स्वाग रच कर ठुपाता रहा ।

जिन समस्याओं ने भारत-चीन सम्बन्धों में तनाव पैदा किया है वे मुख्यतया निम्न हैं —

1 तिब्बत समस्या—भारत चीन सम्बन्धों में मतभेदों और वचनस्य के मूल में 'तिब्बत का प्रश्न' रहा है । चीन प्रारम्भ से ही तिब्बत की स्वतन्त्रता को समाप्त कर अपनी सीमाओं के साथ मिलाना चाहता था जबकि भारत तिब्बत की स्वतन्त्रता बनाये रखना चाहता था । अतः तिब्बत को साम्राज्यवादी पड़थानों से मुक्ति दिलाने के लिये चीन ने 1 जनवरी 1950 को तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और भारत के विरोध पर चीन ने कड़ा हल अपनाते हुए यह उत्तर दिया कि "पश्चिम की साम्राज्यवादी नीति से प्रभावित भारत चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस न करे ।" जब 23 मई 1951 को चीन और तिब्बत में समझौता हुआ गया (इसमें तिब्बत के वदेशिक सम्बन्धों, व्यापार सुरक्षा, आवागमन पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया गया था) तो मामला ठण्डा पड़ गया । परन्तु चीन की हस्तक्षेप निरन्तर जारी रही । सन् 1955 में चीनिया न बड़ाहोती पर अधिकार कर लिया और अपनी एक सैन्य टुकड़ी भी वहाँ स्थापित कर दी । अप्रैल 1956 में चीनी सेना की टुकड़ियाँ न दमजान और उत्तर प्रदेश के विलास में पवेश किया । 1956 में शिपकी दर्रे (हिमाचल प्रदेश) और 1957 में लोहित क्षेत्र (नेफा) में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण किया । जुलाई 1958 में चीनिया ने लद्दाख के खुरनाक किले पर अपना कब्जा कर लिया । इसी वर्ष चीन ने एक भारतीय गश्ती दल का अक्साइचिन के उत्तर में घेराव बना कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया । इतना ही नहीं, चीनिया ने अक्साइचिन (Aksai chin) के पठार में सड़क का निर्माण भी कर लिया ।

भारत चीन सम्बन्धों में उस समय अत्यधिक तनाव उत्पन्न हुआ जब तिब्बत में मार्च 1959 में चीन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ और भारत ने तिब्बत के लोगों के प्रति अपनी हमदर्दी व्यक्त की ।¹ यही से "हिंदी चीनी प्रमोदवाले" का अर्थ शुरू होता है, यही से भारत चीन शीत युद्ध का प्रारम्भ होता है । 31 मार्च 1959 को तिब्बत के दलाई लामा (Dalai Lama) भागकर भारत आ गये और भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण प्रदान कर दी तो चीन ने इसे "शत्रुतापूर्ण कार्य बतलाया और भारत पर विस्तारवादी हानि का आरोप भी लगाया । इतना ही नहीं चीन ने भारत को चुनौती दान हुए यह भी सूचित किया कि 'पंचशील की शर्तों का अर्थ वह अपनी मुविधा के अनुसार निभायेगा ।' अगस्त 1959 में चीन ने नेफा में लांगजू (Longju) नाम की चौकी को भी हस्तगत कर लिया । नेहरूजी ने इस 'आक्रमण' की

1 From Statement of Pt. Nehru, dt 30.3.1959 in Lok Sabha

सजा दी और भारतीय अखण्डता और सीमाओं की रक्षा करने के निश्चय को दोहराया। 8 सितम्बर, 1959 को चाऊ एन लाई ने भारत पर यह आरोप लगाया कि वह "तिब्बत में सशस्त्र विद्रोहियों को मरक्षण दे रहा है।"

सम्बंधों को सुधारने के त्रिये चीनी प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई अक्टूबर, 1960 में भारत आये परंतु दोनों देशों के मतभेद दूर न हो सके।

2 सीमा विवाद—दुमरी समस्या जिमने भारत चीन सम्बंधों में बढ़ता पड़ने की है वह है सीमा विवाद (Border Dispute)। सीमा विवाद का सिद्धांत के ऊपर है उत्तर पूर्व में मैक महान रेखा (McMohan Line) और उत्तर पश्चिम में लद्दाख। जहां उत्तर पूर्व की सीमा के सम्बंध में 27 अप्रैल, 1914 के शिमला सम्मेलन का उल्लेख मिलता है वहां उत्तर पश्चिम की सीमा के सम्बंध में त्रिमी सम्मेलन या अभिलेख का उल्लेख नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में जहां उत्तर पूर्वी सीमा मैक महान रेखा का परिणाम है वहां उत्तर-पश्चिमी सीमा परम्परागत सीमा पर आधारित है। शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश, तिब्बत और चीनी प्रतिनिधियों ने बाह्य तिब्बत और भारत के बीच की ऊंची पर्वत श्रेणियों को सीमा मानकर एक नक्शे में लाल पेंसिल से निशान कर दिया। यही सीमा रेखा मैक महान रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। सन् 1959 तक चीन ने मैक महान रेखा के सम्बंध में कोई आपत्ति नहीं की थी परंतु इस वर्ष चीन ने यह दावा किया कि दानो दश के बीच सीमाओं का विधिपूर्वक निर्धारण कभी नहीं हुआ। अतः वह मैक महान रेखा को पूर्णतया अस्वीकार करता है। वस्तुतः 1956 में ही 'चाइना पिक्टोरियल' में ही भारत और भूटान के अनेक प्रदेश चीन की सीमा के अंतर्गत दिखाये गये थे। जब नेहरूजी ने चीन का भयावह इन नक्शों की ओर दिलाया तो चीन ने इसे यह कहकर टाल दिया कि "ये नक्शे पुराने नक्शों के आधार पर छपे हैं" अतः इस सम्बंध में भारत को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि भारतीय और चीनी प्रतिनिधि 1960 में रगून में सीमाओं के सम्बंध में गमभीर के आधार को ठूँडने के लिये एकत्रित हुए परंतु कोई समझौता न हो सका। वार्ता के बाद जो प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया उसमें (i) 50 हजार वर्ग मील के भारतीय प्रदेश पर चीन ने अपना दावा प्रस्तुत किया अनाधिकृत रूप से 12 हजार वर्ग मील के इलाके पर उसने अपना अधिकार भी स्थापित कर लिया है (ii) चीन कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानता आदि।

20 अक्टूबर, 1962 का चीनी आक्रमण—20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर बड़े सुनियोजित ढंग से आक्रमण किया। यह आक्रमण उत्तर पूर्वी (नफा) और उत्तरी पश्चिमी (लद्दाख) सीमाओं पर किया गया। यद्यपि लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेनाओं ने अपनी जागरूकता, शक्ति और साहस का परिचय दिया परंतु नफा क्षेत्र में भारतीय सेनाओं की पराजय हतोत्साहित करने वाली थी। नफा में

चीनी सेनाया ने भारतीय सेनाया का पिछाडते हुए सला और बोमडिला आदि पर वज्रा कर लिया। अगम के मैदाना का भी पतरा उत्पन हा गया। इस क्षेत्र म चीन ने लगभग साढे चौदह हजार वगमोल भारतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। तद्दाम म चीनी सेनाया न 40 चीनिया भारत से छीन ली और व चुशुल तक आ पहुँची।

जिम आक्सिमन ढग ने 20 अक्टूबर 1962 को भारतीय सीमाओ पर चीन न आक्रमण किया न उमी आक्सिमन ढग स चीन ने 21 नवम्बर, 1962 का एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस घोषणा म कहा गया था कि यदि (i) चीनी मनाये 7 नवम्बर, 1959 की 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Actual line of control) के 20 किमी मीटर अपनी ओर हट जायेंगी। सेना का हटना 1 दिसम्बर, 1962 से शुरू किया जायगा। (ii) चीनी सेनाओ के हटने से जो क्षेत्र खानी हागा उसमे चीनी सरकार अपनी असैनिक चीकिया स्थापित करेगी।

भारत ने यद्यपि युद्ध-विराम को स्वीकार कर लिया परन्तु उपयुक्त दोनों शर्तों को मानने से इन्कार कर दिया। श्री नहरो ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक चीनी सेनाये 8 सितम्बर, 1962 की स्थिति तक वापस नहीं लौट जाती तब तक उससे कोई वार्ता नहीं हा सकती। चीन न वाद म जीते हुए भारतीय प्रदेशो को भी खाली कर दिया, भारतीय सैनिक वदियों को छाड दिया तथा भारत के सैनिक साजोसामान को भी लौटा दिया।

उपयुक्त वरण से स्पष्ट है कि चीन भारत पर आक्रमण कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था भारत की निवृत्ता का प्रदर्शित करना चाहता था तथा उभ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे अपना मानित वरमा चाहता था। चीन का यह भी सम्भावना थी कि युद्ध की स्थिति मे रूसी साम्यवादी भाई उसका साथ देगा, भारत म आतंरिक दगे होंगे, आदि। परन्तु चीन को ये कामनाये सफल न हो सगी। अमरीका, ब्रिटेन और उसके वाद फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी आस्ट्र लिया और कनाडा न द्रुत गति से भारत की सैनिक सहायता की, रूस प्राय तटस्थ रहा और उसन चीन पर युद्ध न द करन के लिये दबाव डाला। मिस्र, यूगोस्लाविया और घाना जैसे तटस्थ राष्ट्रो का दृष्टिकरण बडा ही निराशाजनक रहा। आक्रमण की जिंदा करना तो दूर उठौने आक्रमण के समय चुप्पी ठान ली। पाकिस्तान ने चीनी आक्रमण का लाभ उठाते हुए भारत की जिंदा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने चीनी आक्रमण को "सामान्य स्थानीय मामले" का रूप देने का प्रयास किया।

एक तरफा चीनी युद्ध विराम का उद्देश्य कुछ भी रहा ही उसे अपने मूल उद्देश्य म सफलता मिली। सैनिक, वृत्तांतिक और मनोवज्ञानिक दृष्टि से उसने भारत के सोललेपन को स्पष्ट कर दिया। नहरोजी न भी इस बात को स्वीकार किया कि "हम अपने द्वारा रचित अद्वितीय वातावरण मे ही रह रहे थ" (We have

been living in an artificial atmosphere of our own creation) जहाँ चीनी आक्रमण ने भारत को भूकम्प दिया वहाँ भारत की विदेश नीति के भविष्य को भी निर्धारित कर दिया अर्थात् भारत आदर्शवादी नीति से निकलकर यथार्थवादी युग में प्रवेश करने लगा और विश्व राजनीति में शक्ति के महत्त्व को समझने लगा। उत्तर नहर्क काल (Post Nehru period) में भारत विदेश नीति का आधार "यथार्थवादिता" और "शक्ति" है। इस दृष्टि से चीनी आक्रमण भारत के लिये शुभ सिद्ध हुआ है।

कोलम्बो प्रस्ताव (Colombo Proposals)—युद्ध विराम के बाद, श्री लका की प्रधान मंत्री भण्डारनायके से प्रेरणा पाकर छ राष्ट्रों (श्रीलंका, बर्मा, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, मिस्र, घाना) के प्रतिनिधि 10-11 दिसम्बर, 1962 को कोलम्बो में भारत-चीन विवाद का हल ढूँढने में लिये एकत्रित हुए। इस सम्बन्ध में श्रीमती भण्डारनायके पीकिंग और नई दिल्ली भी गयी। भारत-चीन विवाद को हल करने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव 19 जनवरी, 1963 को प्रकाशित किये गये उन्हें कोलम्बो प्रस्तावों के नाम से जाना जाता है। ये प्रस्ताव निम्न थे—

(i) वर्तमान तथ्यत युद्ध विराम का समय भारत-चीन विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये सवथा उपयुक्त है।

(ii) भारत-चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्रों से चीन 20 किलोमीटर और पीछे हट जाय जैसाकि चीन के प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित किया है।

(iii) भारत अपनी वर्तमान स्थिति को बनाये रखे।

(iv) सीमा विवाद का अंतिम हल होने का तक चीनी सैनिकों द्वारा खाली किया गया क्षेत्र अर्धनिक क्षेत्र हो और उसकी निगरानी गैर सैनिक चौकियों द्वारा की जाय। किन्तु इसमें उस क्षेत्र में भारत और चीन दोनों की पहले की उपस्थिति का दावा सतम नहीं होगा।

(v) पूर्वी नेफा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा का दावा सरकारें स्वीकार करें।

(vi) मध्यवर्ती क्षेत्र की समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से हो।

(viii) इससे दोनों देशों में वार्ता के लिये माग प्रशस्त होगा।

शुद्ध स्पष्टीकरण के बाद भारत ने सम्पूर्ण कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, परन्तु चीन ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। जितने भी प्रस्ताव इस सम्बन्ध में किये गये, चीन ने सत्रको अस्वीकार कर दिया।

सन् 1963 से 1975 तक भारत-चीन सम्बन्ध—सन् 1963 से 1975 तक भारत-चीनी सम्बन्धों का इतिहास भी कटुता और वमनस्य का इतिहास है। इस काल में हुई घटनाओं से स्पष्ट है कि चीन-भारत के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिये तयार नहीं। उसके शत्रुतापूर्ण इरादे इस एक

तथ्य से स्पष्ट है कि जब जब चीन को अवसर मिला है तब तब उसने भारत विरोधी नीति का अनुसरण किया है। उदाहरणतया 1963-64 के विदेशी दौरे में, विशेषकर पाकिस्तान के दौरे में, चाऊ एन लाई ने 'कश्मीर में जनमत संग्रह का पाकिस्तानी माग का समर्थन किया, पाकिस्तान की सीटों से टो की सदस्यता का समर्थन किया तथा यह वक्तव्य दिया कि पाकिस्तान ने इन सगठनों की सदस्यता का आत्म रक्षा के लिए स्वीकार किया है। चीन पाकिस्तान गठबंधन भारत विरोध पर आधारित है अतः भारत के मन में उनका भय सदा छाया रहता है। सन् 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में चीन की अंतिम चेतावनी (ultimatum) चीन पाकिस्तान गठबंधन को अभिव्यक्त करते थे। 'भायूला काण्ड' और 'चोला काण्ड' में यद्यपि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के दात खट्टे किए परन्तु ये दोनों काण्ड चीन के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हैं। चीन की परमायु शक्ति ने भी भारत का भयाणुहन (Blackmail) करने का प्रयास किया। चीन ने नक्सलवादियों का छापामार युद्ध में प्रशिक्षण ही नहीं दिया बल्कि उन्हें शस्त्रों से भी लेस किया है। सन् 1971 की बंगलादेश की घटनाओं में चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। जहाँ भारत ने चीन की यू० एन० ओ० की सदस्यता का समर्थन किया वहाँ चीन ने यू० एन० ओ० में बंगलादेश के प्रवेश को रोकने के लिये वीटो (Veto) का प्रयोग किया।'

सन् 1971-75 की विश्व राजनीति में शान्ति (detente) की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। एक दूसरे के कट्टर विरोधी राष्ट्रों ने एक दूसरे के निकट आने का प्रयास किया है। परन्तु भारत-चीन के सम्बन्ध इस काल में भी ऋतुता के ही रहे हैं। भारत रूस मैत्री को चीन अपने लिये एक चुनौती समझता है। यही कारण है कि 1971 की भारत-रूस संधि चीन की आंखों में खटकती है। पिंग पांग नीति ने एक दूसरे को निकट लाने का प्रयास किया है। परन्तु मित्रिम के भारत में विनाश पर (1975) चीन ने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया और एक प्रचार अभियान छेड़ दिया। आज भी भारत-चीन के प्रति मित्रता बढ़ाने का इच्छुक है यद्यपि चीन इसका इच्छुक नहीं। डा० वी० पी० दत्त ने लिखा है "कि चीन के प्रति भारतीय नीति की परेशानी यह है कि यह प्रतिक्रिया की रही है, क्रिया की नहीं।"¹

भारत-अमेरिकी सम्बन्ध (Indo-American Relations)

“भारत अमेरिकी सम्बन्ध सक्रिय और यथाथ है परन्तु मैत्रीभाव यदावदा ही उपस्थित रहा है।”²

—रिचर्ड एल० पार्क

-
- 1 Vidya Prakash, India and China Quoted by Palmer Norman Ibid, p 291
- 2 Park, Richard L India's Foreign Policy 1964-68, p 201

भारत और अमेरिका दोनों प्रजातांत्रिक देश हैं, दोनों प्रजातांत्रिक प्रणालियों में विश्वास करते हैं। दोनों विश्व शांति और स्वतंत्रता के इच्छु हैं। जसाकि नेहरूजी ने कहा था कि "दोनों गणराज्य प्रजातांत्रिक मर्यादा और प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति के प्रति समान विश्वास रखते हैं और शांति तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिये दृढ़ सक्लप हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य मित्रता और पारस्परिक सहयोग होना नितान्त स्वाभाविक है।" "एक दूसरे की कठोर आलोचना के बाद भी दोनों देशों का दृष्टिकोण मैत्रीपूर्ण है, दोनों का दृष्टिकोण आशासक्त (appreciative) है। यह ऐसा दृष्टिकोण है जो एक दूसरे को समझने तथा सम्बन्धों में सुधार की इच्छा रखता है।"¹

भारत और अमेरिका दोनों में सम्बन्धों का सुधार की इच्छा होते हुए मैत्रीभाव के स्थान पर मतभेदों का क्षेत्र अत्रिच चौड़ा रहा है। इसका कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और इस उप महाद्वीप की विशिष्ट समस्याओं के प्रति दोनों देशों के दृष्टिकोणों में गम्भीर भिन्नताएँ रही हैं। दूसरे, लोकतंत्र का समर्थक होते हुए भी अमेरिका ने विदेशों में तानाशाही शासन और शासकों का समर्थन किया है और हथियारों की सप्लाई को निरन्तर जारी रखकर विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में तनाव की स्थिति को बनाये रखा है। अमेरिकी विदेश नीति पर प्रकाशित एक लेख में दिनमान ने टिप्पणी करते हुए लिखा था कि 'घर में लोकतंत्र और बाहर तानाशाही, अमेरिका की विदेश नीति का आधार स्तम्भ रहे हैं, वीरतनाम हो या चिली ग्रीस हो या पुतगाल, अमेरिका ने आरम्भ से ही पौजी तानाशाहों का समर्थन किया और लोकतंत्र के दमन में महत्त्वपूर्ण और सन्निय योगदान दिया। सी० आई० ए० अमेरिकी विदेश नीति का केवल एक कारण अस्त्र है। अमेरिकी विदेश नीति का दूसरा कारण अस्त्र है उन देशों को हथियारों की सप्लाई जो कि अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में बन रहे हैं प्रतिद्वन्द्वी देशों को लिये चुनौती बन सकते हैं।² संक्षेप में, 'शांति का कपोल और तलवार' अमेरिकी विदेश नीति को अभिव्यक्त करते हैं।

भारत अमेरिकी सम्बन्धों की कठोरता में गतिमान उदाहरण है। वस्तुतः भारत अमेरिका सम्बन्धों में लट्ट (yo-yo)³ की तरह उतार चढ़ाव का कारण यह है कि, जसाकि सी० राजगोपालाचार्य ने 1955 में कहा था, "इस पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के अमेरिकी साधन भारत का अपील नहीं करते।"⁴ भारत अमेरिकी

1 Nehru J.L. Quoted by Palmer, Norman D. Ibid p 300

2 देखिये दिनमान दि० 2 मार्च, 1975

3 This terminology has been used by Robert Trumbull Quoted by Palmer, Norman Ibid, p 302

4 See the Hindustan Times dt 3-3-1955, Quoted by Palmer, Norman Ibid, p 301

मन्त्रों पर प्रतिकूल एवं अनुकूल प्रभाव डालना वाले तत्त्व का निम्न शीपका के घातगत अभिव्यक्त किया जा सकता है —

A भारत-अमेरिकी सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तत्त्व — जो तत्त्व भारत अमेरिकी सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं या प्रतिकूल प्रभाव डालते रहें उनमें प्रमुख निम्न हैं —

1 साम्यवाद—द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका की विदेश नीति पर साम्यवाद ने हाथी और उमके भय का प्रभाव अत्यधिक बलशाली रहा है। यदि यह कहा जाये कि युद्धोत्तर काल में अमेरिकी विदेशी नीति का मूल आधार ही 'साम्यवाद के प्रसार को रोकना' (Containment of Communism) रहा है तो कोई प्रतिशयोक्ति नहीं होगी। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिये ही अमेरिका ने युद्धोत्तर काल में उन्हीं पापीवादी तथा तानाशाही शासनो का समर्थन किया जिनके विरुद्ध उसने द्वितीय महायुद्ध में भाग लिया था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अमेरिका ने अपने आपका "विश्व का पहरेदार" बना लिया और संधियाँ, समझौते और नाटो, सीटो जैसे सैनिक संगठनों के निर्माण द्वारा साम्यवाद के प्रसार को रोकने का प्रयास किया। जो राष्ट्र अमेरिका के साथ समझौते या सैनिक संगठनों के माध्यम से सम्बद्ध नहीं हुआ अमेरिका ने उसे 'विरोधी या "शत्रु" या "रूस के पिछलग्गु" भी मज्जा दी। मई 1949 की चीनी साम्यवादी क्रांति से अमेरिका चौंकता उठा। वास्तविकता का न पहचानते हुए अमेरिका साम्यवादी चीन का विरोध करता रहा और फारमोसा स्थित च्यांग काई शेक की सरकार को ही चीन की वास्तविक सरकार मानता रहा। अमेरिका के विरोध पर ही 1971 तक साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता न मिल सकी। इतना ही नहीं अमेरिका न चीन को उचित स्थान देना में भी आनाकानी की।

दूसरी ओर, भारत न तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और न ही आज साम्यवादी हाथी से भयभीत है। भारत के लिये साम्यवादी हूँकारा चिन्ता का इतना अधिक निपय नहीं जितना कि उमके लिये आर्थिक विकास की समस्या है। अपने आर्थिक विकास के लिये भारत का न केवल विदेशों आर्थिक सहायता की आवश्यकता है अपितु यंत्रा और तकनीशियनों क्रांति की भी आवश्यकता थी। अतः भारत दोनों महाशक्तियों (अमेरिका और रूस) से मैत्री चाहता है, दोनों से आर्थिक सहायता चाहता है। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारत ने स्वतंत्र एवं असलगत विदेश नीति का अनुसरण किया जो पिछलग्गुओं की सतान को पदा करने वाले अमेरिकियों को ना पसंद है। अमेरिका इस तथ्य को आज तक समझन में असमर्थ रहा है कि भारत स्वयं में एक शक्ति है और उसे पाकिस्तान के साथ समकक्ष नहीं रखा जा सकता। भारत अमेरिका की उस आधीनता को कभी स्वीकार नहीं कर सकता जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार किया है।

भारत ने साम्यवादी चीन का समर्थन उमके जम काल से किया है। भारत

ही पटना और साम्यवादी दश या जिगी साम्यवादी चीन का राजतय मान्यता प्रदान की और, अमेरिका के विरोध पर ही, चीन को यू० एन० ओ० की सदस्यता दिलाने का उस समय भी प्रयास किया जब चीन भारत विरधी नीति अपना रहा था। कोरिया युद्ध में भी जब अमेरिका ने यू० एन० ओ० में प्रभाव द्वारा चीन का 'आक्रामक' घोषित किया तो भारत ने उमरा विरोध किया। अमेरिका तथा पश्चिमी जगत के घापापाणे ने कोरिया युद्ध में भारत की तटस्थता और शान्तिवादी नीति की खिल्ली उड़ाते हुए श्री डॉन क्विक्जॉट (Don Quixote) की सात दी।

सक्षेप में, अमेरिका की साम्यवाद विरोधी नीति और साम्यवाद के प्रति भारत की तटस्थता की नीति भारत-अमेरिकी सम्बन्ध में मतभेद का कारण रही है।

2 सैनिक सगठनों के सम्बन्ध में मतभेद—द्वितीय महायुद्ध के बाद महाशक्तियाँ युद्धकालीन सहायक समाप्त हो गयी थी। विश्वास भया, भय और वैमनस्य में परिवर्तित हो गया था। अतः अमेरिका ने एक के बाद एक ऐसी सैनिक सगठनों का जन्म दिया जिनसे विश्व में शांति स्थापित होन के स्थान पर अतः युद्ध से तीव्रता उत्पन्न हुई। अमेरिकी राज्याँ या सगठन, सीटो, सेटा आदि इसके मूल उदाहरण हैं। भारत पहले से ही इस प्रकार के सैनिक सगठना या क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का विरोधी था। भारत की यह धारणा है कि इस प्रकार के सैनिक सगठन तनाव, सद्दह और वैमनस्य को बढ़ावा देने हैं। ये शांति के स्थान पर अशांति और सद्भावना के स्थान पर सद्दह उत्पन्न करते हैं। अतः भारत ने अमेरिका की इस नीति की उग्र आलोचना की। सक्षेप में, जहाँ अमेरिका सैनिक सगठनों का शांति और सुरक्षा के लिये आवश्यक समझता रहा है वहाँ भारत उन्हें "असुरक्षा, अनिश्चितता और अस्थिरता" पैदा करने वाले समझता रहा है। भारत की धारणा है कि ये सगठन 'युद्ध वृत्ति' युद्ध हिस्टीरिया (war hysteria), शस्त्रा की हाड का जन्म देते हैं जो अतः अशांति पैदा करने हैं।

3 अमेरिका का एकपक्षीय दृष्टिकोण—भारत अमेरिका सम्बन्ध में मतभेदों का मूल कारण यह है कि भारत पाकिस्तान सम्बन्ध में अमेरिका ने एकपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया है। चाहे कश्मीर का प्रश्न है या बंगला देश का, चाहे आर्थिक सहायता का प्रश्न है या सैनिक सहायता का प्रश्न, अमेरिका ने सदैव भारत विरोधी दृष्टिकोण ही नहीं अपनाया बल्कि शरारतपूर्ण एवं शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण भी अपनाया है। यह जानते हुए भी कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका है और कश्मीर विधान निर्मात्री सभा और जनता ने कश्मीर के भारत में विलय पर अपनी मोहर लगा दी है, फिर भी पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिये अमेरिका 'कश्मीर प्रश्न के राजनीतिक समाधान', जनमत संग्रह आदि की बात करता है। कश्मीर प्रश्न पर अमेरिका ने आक्रामक आक्रान्तियों के साथ मिलाने का प्रयास किया

सेनाओं द्वारा किये जाने वाले नर संहार के प्रति ग्रामों में भूँद ली और फिर याह्या खा के तानाशाही शासन की पीठ पर थपथपी करते हुए, चीन के साथ मिल कर याह्या खा का युद्ध के लिये भडकाया (सन् 1971 में किसिमर की पीकिंग यात्रा में विश्व में नये शक्ति गुट—वाशिंगटन पीकिंग-पिंडी धुरी—के निर्मित होने की सम्भावना थी)। अमरिका ने शरणाथिया के प्रत्यावतन का सम्भव और मरल बनाने के लिय सीमा के दोनों ओर सयुक्त राष्ट्रीय प्रेक्षका की नियुक्ति का सुभाव देकर बगला देश की समस्या को भारत पाकिस्तान की समस्या बनाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, भारत को अपमानित करने, डराने और कमजोर करने का प्रयास भी किया गया और यह भी कहा गया कि भारत पाकिस्तान युद्ध में चीनी हस्तक्षेप पर अमेरिकी सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। 9 अगस्त 1971 को भारत-रूस सन्धि से अमरिका हक्का बक्का रह गया। नवम्बर 1971 में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पश्चिम यात्रा बगला देश समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकालने में असफल रही। जब पाकिस्तान ने 3 दिसम्बर 1971 को भारत पर आक्रमण कर दिया तो 6 दिसम्बर 1971 को अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। भारत ने जब पाकिस्तानी आक्रमण की प्रतिनिया की तो अमेरिका ने सयुक्त राष्ट्र सभ में एक प्रस्ताव में यह कहा कि 'पूर्वी पाकिस्तान में भारत का सैनिक अभियान वास्तव में उस पर बोजा करना है। यह कदम सयुक्त राष्ट्र सभ के एक सदस्य राष्ट्र के अस्तित्व पर खतरा है।' भारत के अमेरिकी दृष्टिकोण का उत्तर देने के लिये हुनाई सरकार के साथ अपने राजनय सम्बन्धों के दर्जे को बढ़ा कर राजदूत स्तर का कर दिया। अमेरिका का भारत विरोधी दृष्टिकोण उस समय नजर आया जब अमरिका ने भारत को डराने, कमजोर करने के लिये स्वचालित परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित तातवें अमेरिकी वेडे का बगल की ग्राडी की ओर रवाना होने के लिये आदेश दिये।

संक्षेप में अमरिका ने पाकिस्तान का अवाधुनिक समर्थन कर उस हथियारों की सप्लाई कर, सयुक्त राष्ट्र सभ में भारत विरोधी नीति अपना कर तथा चीन से गठन बन बढ़ा कर भारत अमेरिकी सम्बन्धों में तनाव पैदा किया है। इतना ही नहीं अमेरिका ने भारत पर यह आरोप भी लगाने का प्रयास किया है कि "भारत एक शक्तिशाली देश बन कर पड़ोसी देशों को दबाना चाहता है।" सन् 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निकसन की पीकिंग यात्रा के बाद जो सयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई उसमें भारत पाकिस्तान सम्बन्धों की चर्चा की गई। सन् 1975 में पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर अमेरिका ने पुनः तनाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया है।

4 भिन्न भिन्न प्रश्नों पर मतभेद — भारत अमेरिका सम्बन्धों में उपयुक्त मतभेदों के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रश्नों पर भी उनके दृष्टिकोणों में गम्भीर मतभेद रहे हैं। ये मतभेद निम्न हैं —

(1) गोआ के प्रश्न पर अमेरिका ने पुनर्गाली उपनिवेश का समर्थन किया।

अमेरिकी विदेश मन्त्रिजी जान फास्टर डलेस ने तो गोआ को "पुतगाल के एक प्रात की सना दी ।" इसमे भारतीय भावनाओ को अत्यधिक ठेम पहुँची ।

(ii) भारत रगभेद की नीति का सवदा विरोधी रहा है जबकि अमेरिका ने प्रत्यक्षत और अप्रत्यक्षत रगभेद की नीति का समथन किया है । नवम्बर 1974 मे अमेरिका न, ब्रिटन और फ्रांस के साथ मिल कर, सुरक्षा पन्पद मे, दक्षिण अफ्रीका को यू एन या से निष्कासित करने के प्रस्ताव पर, त्रिराष्ट्रीय वीटो (Triple Veto) का प्रयोग किया । इही राष्ट्रों ने दक्षिण अफ्रीका का सप्लाई किया जान,वाले 'सजसत्र निषेधाता' (arms embargo) के प्रस्ताव पर पुन 6 जन 1975 को त्रिराष्ट्रीय वीटो का प्रयोग किया । इहाने ही रोडेशिया के आयन स्मिथ के प्रजातीय शासन (racist regime) का समथन किया है । भारत इस दृष्टिकरण का विराधी रहा है । भारत ने अमेरिका म नीयो के प्रति भेदभाव की नीति का भी विरोध किया है ।

(iii) वियतनाम की समस्या पर भी भारत अमेरिका के मतभेद उग्र रहे हैं । वियतनाम म अमेरिकी नीति का भारत कटु आताचक्र रहा है । अमेरिका ने अपना रोप प्रकट करने के निय भारतीय प्रधान मंत्री शास्त्री को दिया गया 1965 का निमंत्रण यह कह कर वापिस ले लिया कि राष्ट्रपति जानसन काय म व्यस्त हैं । भारतीय जनता और मरुमार ने इमे देश का अपमान समभा ।

(iv) नि शस्त्रीकरण के सम्बन्ध मे भारत के विचार अमेरिका की तुलना मे रूस के अधिक्त निरुट है । भारत ने 1968 की परमाणु संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया । सन् 1974 का भारत का परमाणु विस्फोट अमेरिका को नहीं भाया ।

(v) अरब इजराईल सघष म जहा अमेरिका न इजराइल का पक्ष लिया है वहा भारत अरब देशा का समथक रहा है ।

(vi) हिंद महासागर में स्थित दियागो गार्सिया म अमेरिका द्वारा नौसैनिक अड्डा के निर्माण का प्रश्न भारत अमेरिका सम्बन्धी मे मतभेद का मुख्य कारण बन गया है । इम क्षेत्र म अमेरिकी नौसैनिक अड्डा के निर्माण के लिये अमेरिकी प्रशासक यह तर्क दते हैं कि यदि अमेरिका यहा अड्डा का निर्माण न करे तो हिंद महासागर मे गोवियत नौसेना का जबदस्त विस्तार हा जायगा और शक्ति सतुनन बिगड जायगा । अमेरिका के डेनियल पट्रिक मोयनिहन जैसे राजदूत तो दियागो गार्सिया को हिंद महासागर बहन के स्थान पर मेडागास्कर सागर बहना पसंद करत है । अमेरिका का यह भी कहना है कि रूस के मामालिया मे बरबरा (Berbers) म, ईराक म उम सासर (Um Sasr) दक्षिण यमन म अदन (Aden) म अड्डे हैं । दूसरी ओर, भारत हिंद महासागर म महाशक्तियो की उपस्थिति का शांति और अपनी सीमाओ की सुरक्षा के लिये घातक समझता है । भारत हिंद महासागर को "शांति का क्षेत्र" (Zone of Peace) बनाये रखना चाहता है । अत भारत दियागो गार्सिया मे अमेरिकी नौसैनिक अड्डो के निर्माण का विरोधी है ।

B भारत अमेरिकी सम्बन्धों पर अनुसृत प्रभाव डालने वाले तत्व — उद्युक्त बणन से स्पष्ट है कि भारत अमेरिकी सम्बन्धों में अमेरिकी भावना पाय जान है और ये मतभेद ही दाता दशा में उद्युक्त का कारण है। अतः किन्हीं भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय में लेकर अत्र तात् गुन्ध सम्बन्धों और प्रश्न रहे हैं जिसे पर भारत अमेरिका दृष्टिकोण में साम्य होना पर होता है। जो म अद्युक्त सम्बन्धों का विनाश हुआ। जिन तत्वों ने भारत अमेरिकी सम्बन्धों में अद्युक्त प्रभाव डाला है उद्युक्त प्रमुख निम्न हैं—

(i) दाता दशा में अत्र दूधर अत्र त अमेरिका। ता सम्बन्ध मन्त्र पता रहा है। हजारों की सम्बन्धों में भारतीय अद्युक्तधान कार्यों के लिए, निम्न या प्रतिभाग न लिये, व्यापार या भ्रमण के लिये अमेरिका गये हैं और उन्हीं प्रकार अमेरिका के नागरिक भी भारत आय हैं। दाता ही उन्हीं अत्र भारतीय विश्वविद्यालयों में अमेरिका विषयों का अध्याय किया जाता है और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भारतीय विषयों का अध्यायन किया जाता है।

(ii) अमेरिका त भारत की गाथाओं की सम्बन्धों में सम्बन्धों करने के लिए भारत का प्रचुर मात्रा में सहायता लेते हैं। अमेरिकी सहायता इस तथ्य में स्पष्ट है कि 1974 में पारित तां 480 (P L 480) की कवाया धनराशि में से अमेरिका ने 1,664 करोड़ की धनराशि अनुसृत के रूप में भारत को दी।

(iii) सन् 1956 में स्वयं मन्त्र के समय अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का भारत ने समर्थन किया।

(iv) सन् 1962 में चीनी आक्रमणों के समय अमेरिका द्वारा भारत को दी गई सैनिक सहायता के लिये भारत अपने आपकी अनुसृष्टीन समझना है। भारत ने अपनी वृत्तता को अभिव्यक्त भी किया।

उद्युक्त बणन से स्पष्ट है कि भारत अमेरिकी सम्बन्धों पर अनुसृत प्रभाव डालने वाले तत्वों की तुलना में प्रतिरूत प्रभाव डालने वाले तत्व ही अधिक बलशाली रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि अमेरिकी राजदूत डेनियल पट्रिक्स मायनिहून के शब्दों में, अमेरिका ने "भारत की उपेक्षा और अग्रहलना" की है, "अमेरिकी प्रशासक भारत की समस्याओं का समर्थन भी नहीं समर्थ पाते।" अमेरिकी राजदूत विलियम सक्सेबी ने भी कहा है कि 'मैंने बहुत कोशिश की कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार न दे, मगर मैं इसमें विफल रहा।' भारत और अमेरिका के सम्बन्धों पर इससे अच्छी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। सन् 1974 में डॉ॰ किसिंगर की भारत यात्रा के बाद यह आशा बढ गई थी कि अमेरिका भारत को 'महाशक्ति' स्वीकार करता है तथा भारत और पाकिस्तान को समान समर्थन का युग समाप्त होगया है तथा 'गन बोट दृष्टनीति' (gun boat diplomacy) को अग्र नहीं दाहराया जायगा पर तु पाकिस्तान का हथियारों की सप्लाई शुरू कर अमेरिका

ने अपनी नीतियों को स्पष्ट कर दिया है। आर्थिक, वाणिज्य, विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, सांस्कृतिक महयोग आदि क्षेत्रों में समुक्त आयोजनों की स्थापना यद्यपि भारत अमेरिका सम्बंधों को सुधारने में सहायक होगी परंतु पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई निश्चित ही इस उपमहाद्वीप में शांति की हानि का जन्म देगी और भारत-पाकिस्तान सम्बंधों में तनाव का बनाव रगने में सहायक होगी।

भारत, ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल (India, Britain and the Commonwealth)

भारत और ब्रिटेन के सम्बंध अनेक शताब्दियों से चले आ रहे हैं। परंतु जहाँ 1947 से पूर्व भारत और ब्रिटेन के सम्बंध उपनिवेश और साम्राज्य के थे वहाँ 1947 के बाद ये सम्बंध वास्तव में सावधोक्त राज्यों के पारस्परिक उपयोगिता के सम्बंध हैं। स्वतंत्रता संग्राम के कड़ुवे अनुभवों का भुलाते हुए भारत ने साम्राज्यवादी ब्रिटेन के साथ सम्बंधों को केवल बनाये रखने का प्रयास ही नहीं किया बल्कि उह समय समय पर सुधारों का प्रयास भी किया है। यद्यपि भारत ब्रिटिश सम्बंधों को पूर्ण सौहार्द या मित्रता के नहीं कहा जा सकता, फिर भी ये सम्बंध समझौते के अन्तर्गत रहे हैं यद्यपि किन्हीं विशिष्ट समस्याओं पर ब्रिटिश दृष्टिकोण एकपक्षीय, अन्धवर्ण और शरारतपूर्ण भी रहा है।

भारत ब्रिटिश सम्बंधों पर प्रतिकूल और अनुरक्त प्रभाव डालने वाले तत्वों का उल्लेख करने से पूर्व उन कारणों को अध्ययन की दृष्टि से जान लेना उपयोगी होगा जो भारत ब्रिटिश सम्बंधों को बनाये रखने में सहायक रहे हैं। ये कारण मुख्यतया निम्न हैं—

1 स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं का अभिविचार (Orientation) ब्रिटेन में हुआ था और ये ही वंश नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शासन की वागडोर को सम्भाला। ये नेता ब्रिटिश इतिहास, साहित्य, राजनीतिक विचारों, संस्कृति आदि से भली भाँति परिचित थे।

2 भारतीय संविधान ने जिन राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित किया उन पर ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। उदाहरणतया भारत की संसदात्मक प्रणाली, प्रशासनिक ढाँचा, न्यायिक व्यवस्था, मंत्रि मण्डल, शिक्षा पद्धति, व्यावसायिक तौर तरीके आदि ब्रिटिश नमूने पर आधारित हैं।

3 भारत अपने आर्थिक विकास के लिये विदेशी सहायता पर निर्भर करता था। इसके अनिश्चित उम्मेदोंपत्रों और यंत्रों की आवश्यकता थी। ब्रिटेन के साथ सम्बंधों को बना कर भारत पश्चिमी देशों में इस प्रकार की सहायता सरलता से प्राप्त कर सकता था। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार भी पश्चिमी देशों के साथ होता है।

4 ब्रिटेन के साथ गौप्यकारिक सम्बंध बनाये रखने का एक कारण यह भी था कि भारत अपने समुद्री तटों की रक्षा के लिये ब्रिटिश नौमत्ता पर निर्भर करता था।

भारत ब्रिटिश सम्बन्धों पर प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव डालने वाले तत्व— भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध सदैव सामान्य, सौहार्दपूर्ण या घनिष्ठ मित्रता के नहीं रहे। इनमें उतार-चढ़ाव आता रहा है। भारत ब्रिटिश सम्बन्धों पर प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव डालने वाले तत्वों को निम्न बिन्दुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है —

A प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तत्व—जिन तत्वों ने भारत ब्रिटिश सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है उनमें प्रमुख निम्न हैं —

1 स्वेज सड़क—सन् 1956 में जब ब्रिटेन ने, फ्रान्स और इजरायल के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने ब्रिटिश कायदाही की घोर निन्दा की। ब्रिटेन के इस काय का भारत ने साम्राज्यवादी तरीका की पुनरावृत्ति की सजा दी।

2 भारत पाकिस्तान सम्बन्ध—पाकिस्तान के प्रति ब्रिटेन का दृष्टिकोण हमेशा हमदर्दी पूर्ण और भारत विरोधी रहा है। न केवल स्वतन्त्रता के बाद विलि स्वतन्त्रता से पूर्व भी भारत में ब्रिटेन की नीति इस दशक की दो महान जातियाँ (हिन्दुओं और मुसलमानों) को भिन्न कर अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति करना रहा है। वस्तुतः धार्मिक आधार पर पाकिस्तान का निर्माण ब्रिटिश धूर्तता का ही परिणाम था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कश्मीर तथा अन्य समस्याओं पर पाकिस्तान का समर्थन कर ब्रिटेन ने इस उप महाद्वीप में तनाव बनाये रखने में सहायता दी। जब कश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत किया गया तब-तब ब्रिटेन ने भारत विरोधी प्रस्तावों का समर्थन किया। सन् 1962 में चीनी आक्रमण के समय भारत को आर्थिक और सैनिक सहायता देते समय ब्रिटेन ने भारत पर यह दबाव डालने का प्रयास किया कि भारत कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान के साथ वातालाप शुरू करे। यद्यपि सन् 1965 में कच्छ की रण पर भारत पाकिस्तान में संधि उत्पन्न होगया था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेरल्ड विल्सन के प्रयासों से दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) में समझौता हो गया परंतु यहाँ भी विल्सन की भूमिका भारतीय हितों से इतनी प्रभावित नहीं थी जितनी कि ब्रिटिश हितों से। कच्छ की रण में ब्रिटिश भूमिका तब शुरू हुई जब पीकिंग पिण्डी जनता घुरी की सम्भावना ने दक्षिण और दक्षिणी-पश्चिमी एशिया में ब्रिटिश हितों के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। कच्छ की रण पर समझौते की स्मृति भी सुनने में पायी थी कि पाकिस्तान न भारत पर आक्रमण कर दिया। जब भारत न पाकिस्तानी आक्रमण का उत्तर देने के लिये प्रतिनिधियों को तो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री हेरल्ड विल्सन ने भारत की कायदाही को 'आक्रमण' की सजा दी। दूसरे शब्दों में 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में ब्रिटिश समाज, ब्रिटिश छापाखाना और ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान के पक्ष में हमदर्दी और सहायता का दृष्टिकोण अपनाते हुए उसका माय दिया और भारत का विरोध किया।

सन 1971 की वगला देश की समस्या और दिसम्बर, 1971 के पाकिस्तानी आक्रमण के समय ब्रिटेन की नीति तटस्थता की रही।

3 बागो, विशेषकर कटागा और गोवा के प्रश्ना पर ब्रिटेन ने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया।

4 प्रवासी भारतीयों की समस्या—विदेशों में प्रवासी भारतीयों की समस्या को लेकर भारत ब्रिटिश सम्बंधों में कटुता की स्थिति रही है। उदाहरणतया केनिया के प्रवासी भारतीयों के प्रश्न पर ब्रिटेन का दृष्टिकोण अवायव्य और अमानवीय रहा है। जब 1968 में केनिया सरकार ने अफ्रीकीकरण की लहर में एशियाई लोगों के साथ घर नागरिकता जसा व्यवहार करना शुरू किया और एशिया निवासी सुरक्षा के लिए ब्रिटन भागन लगता ब्रिटिश संसद ने "एशियाई बाढ़" को रोकने के लिए एक कानून पास कर दिया अर्थात् उन एशियाई निवासियों को, जिनका ब्रिटेन ने पासपाट जारी किया था तथा जो ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर चुके थे, ब्रिटेन में प्रवेश लेने से मनाही कर दी। ब्रिटिश की इस कायवाही पर भारत में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का विकास हुआ और अनेक भारतीयों ने भारत में ब्रिटिश सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रमण्डल की सदस्यता त्यागने की मांग की।

5 जाति तथा रंग भेद की नीति—जाति या रंग के आधार पर व्यक्तियों में भेद की नीति का भारत में विरोधी रहा है जबकि ब्रिटेन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इसका गमथन रहा है। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की नीति का समर्थन ही नहीं किया बल्कि उसे हथियारों की सप्लाई कर उसे सुदृढ़ करने का प्रयास भी किया। इसी तरह ब्रिटन ने अफ्रीकी निवासियों की स्वतंत्रता की कीमत पर रोडेशिया की अमान्य स्मिथ की सरकार का यदि प्रत्यक्षत नहीं तो अप्रत्यक्षत समर्थन किया है। इस तरह ब्रिटन ने बहुमत के शासन को कुचलने और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का गला घाटने का प्रयास किया है।

6 बी० बी० सी० की विकृत फिल्में—सन 1970 में बी० बी० सी० (BBC) द्वारा तयार की गई फिल्मों में भारत के जन जीवन के विकृत रूप को प्रदर्शित किया था। भारत में इसका इतना विरोध किया कि 1970 में भारत में बी० बी० सी० की सारी सुविधाएँ समाप्त कर दी।

B अनुकूल प्रभाव डालने वाले तत्व—उपयुक्त प्रश्नों पर भारत ब्रिटिश सम्बंधों पर अवश्य कटुता उत्पन्न हुई परंतु फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न भी रहे हैं जिन्होंने भारत ब्रिटिश सम्बंधों में सुधार किया है। ये तत्व मुख्यतया निम्न हैं—

1 राष्ट्रमण्डल—भारत ब्रिटिश सम्बंधों को बनाये रखने में राष्ट्रमण्डल एक महत्वपूर्ण बड़ी रही है। वस्तुतः भारत ने राष्ट्रमण्डल की सन्म्यता स्वीकार कर उसे सजीव बनाने का प्रयास किया है। भारत प्रथम गैरश्वेत (non-white) राष्ट्र था जिसने राष्ट्रमण्डल की सदस्यता को स्वीकार किया। राष्ट्रमण्डल की सदस्यता को स्वीकार कर भारत ने विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके द्वारा भारत ने विश्व को यह प्रमाण दे दिया कि भारत ने केवल

परस्पर विरोधी विचारधाराओं (गणतन्त्र और राजतन्त्र) में सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है वलिन उम दश के साथ मधुर सम्यक् भी बनाये रख सकता है जिसने शताब्दियों तक भारत का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण किया। इतना ही नहीं राष्ट्रमण्डल की सदस्यता को स्वीकार कर भारत ने उमने आचार को अत्यधिक व्यापक बना दिया। भारत राष्ट्रमण्डलीय देशों में ही नहीं प्रति विश्व का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश है। अतः भारत का अनुसरण करते हुए एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्र राष्ट्रमण्डल के सदस्य बन गये। इस तरह राष्ट्रमण्डल श्वेत लोगों के यूरोपीय संगठन के स्वान पर यूरोपीय एशियाई और अफ्रीकी संगठन बन गया।

2 महारानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा—सन् 1961 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ राजकीय यात्रा पर भारत में आयी। उनके आगमन से भारत ब्रिटिश सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ।

3 सन् 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन ने भारत की आर्थिक और सैनिक सहायता की। परन्तु भारत ने ब्रिटेन के इन दवाव का आदर नहीं किया भारत कश्मीर प्रश्न पर पाकिस्तान से वार्तालाप करें।

4 सन् 1971 के बंगला देश के प्रश्न पर तथा बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध में ब्रिटेन प्रायः तटस्थ रहा।

5 सन् 1972 में ब्रिटिश विदेश मंत्री सर अलेक्जेंडर डगलस ह्यूम की भारत यात्रा में दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार की सम्भावना को उठा किया। श्री ह्यूम ने यात्रा के दौरान यह विचार भी व्यक्त किया कि "भारत अथवा एशिया में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, यदि चीन से ज्यादा नहीं तो उसके बराबर तो निश्चय ही।"

उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि भारत ब्रिटिश सम्बन्धों में जहाँ प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तत्व विद्यमान रहे हैं वहाँ अनुकूल प्रभाव डालने वाले तत्व भी विद्यमान रहे हैं।

क्या राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भारत के लिए लाभकारी है ?

कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्झौता किसी अमुक राष्ट्र के लिए कितनी लाभकारी है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अमुक राष्ट्र के हितों की पूर्ति कहाँ तक होती है अर्थात् उमकी मन्स्यता अमुक राष्ट्र के आर्थिक, सैनिक राजनीतिक आदि हितों की पूर्ति करने में कहाँ तक सहायक है। राष्ट्रमण्डल अपने आप में किसी सदस्य राष्ट्र के हितों की पूर्ति करने में असमर्थ है क्योंकि यह, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शब्दों में, "विचार विमर्श में अधिक कुछ नहीं।" यद्यपि राष्ट्रमण्डल के सैन्य अत्यधिक गहरे और परम्परागत हैं परन्तु यह संगठन न तो कोई राज्य है न राष्ट्र, यह न कोई संधि है न सम्झौता इसकी सदस्यता न कोई अधिकार प्रदान करती है न कत'या या उत्तरदायित्वों को उत्पन्न करती है। यह शक्तिहीन, अनौपचारिक संगठन है। यह व्यावहारिक कम और भावात्मक अधिक है।

भारत के लिए राष्ट्रमण्डल न तो सैनिक दृष्टि से, न आर्थिक दृष्टि से और न ही राजनीतिक दृष्टि में लाभकारी सगठन सिद्ध हुआ है। भारत को सैनिक सहायता जितनी अमेरिका और रूस से प्राप्त हुई है (और दोनों ही राष्ट्रमण्डलीय देश नहीं) उतनी राष्ट्रमण्डलीय देशों से प्राप्त नहीं हुई। रूस में भारत को जो परिष्कृत (Sophisticated) नाविक और वायु सामग्री—पनडुब्बिया और अघिस्वनिक वायुयान (Super Sonic aircraft)—प्राप्त हुई है वह सम्भवतया ब्रिटेन में हम कभी भी प्राप्त नहीं होती। ब्रिटिश सैनिक सहायता और ब्रिटिश मण्डिया में अस्त्रों की खरीद राष्ट्रमण्डल की सदस्यता पर निर्भर नहीं करता। इतना ही नहीं, जब कभी ब्रिटेन का भारत को सैनिक सहायता प्रदान भी की तो वह भारतीय हितों या आवश्यकताओं से उतनी प्रेरित नहीं थी जितनी कि ब्रिटिश औद्योगिक और वाणिज्यिक हितों से प्रेरित थी।

आर्थिक और व्यापार के क्षेत्र में भी राष्ट्रमण्डल की सदस्यता कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं करती। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत का ऋण गयी आर्थिक सहायता एसी नहीं जिस पर नाज किया जा सके। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में ब्रिटेन का अनुदान कम हुआ है। अथवा राष्ट्रमण्डलीय देशों की भारत को सहायता केवल प्रतीकवादी रही है। ब्रिटेन के साथ भारत का व्यापार कुछ वस्तुओं—चाय, कपाम, कपड़ा, पटमन, आदि—तक ही सीमित है। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि राष्ट्रमण्डलीय देशों में व्यापार और आर्थिक सहायता राष्ट्रमण्डलीय सदस्यता पर निर्भर नहीं करती बल्कि द्विपक्षीय वार्तालापों और समझौतों पर निर्भर करती है। यद्यपि ब्रिटेन “राष्ट्रमण्डलीय विशेष सुविधाओं” (Commonwealth Preference Arrangement) की बात का दोहराता है परन्तु वस्तुतः यह विशेषाधिकार केवल राष्ट्रमण्डलीय देशों तक सीमित नहीं। दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड दोनों राष्ट्रमण्डल के सदस्य नहीं परन्तु फिर भी ये दोनों राष्ट्र “विशेष सुविधाओं” का लाभ उठाते रहे हैं। बर्मा और ईराक ने भी इनमें लाभ उठाया है। मई 1964 में तो श्रमिक दल की सरकार ने सभी राष्ट्रमण्डलीय देशों से आने वाले आयात माल पर 15% सीमा शुल्क लगा दिया। आज राष्ट्रमण्डलीय देशों के हितों के प्रतिबल ब्रिटेन यूरोपियन आर्थिक समुदाय (European Economic Community) का सदस्य बन गया है।

राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भारत के लिए लाभकारी या सुविधाजनक होने के स्थान पर एक सरदर रही है। पारिस्थान ने राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलनों में द्विपक्षीय समस्याओं को उठाने का प्रयास किया जिसमें भारत को अनावश्यक ध्वराहत और प्रतिबल प्रचार (adverse publicity) का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं राष्ट्रमण्डल का गठन होने से भारत ब्रिटेन की उपनिवेशवादी नीति की खुलकर आलोचना भी नहीं कर पाया। जहाँ फ्रेंच, डच और

उपनिवेशवादी नीति की बड़ी आलोचना की है वहाँ भारत ने ब्रिटेन की मलाया, कीनिया (Kenya) और साइप्रस में उपनिवेशवाद नीति की आलोचना उतनी उग्रता से नहीं की। ब्रिटेन की एक पक्षीय नीति ने भारत अमेरिका सम्बंध में भी तनाव और जटिलताएँ उत्पन्न की हैं, राष्ट्रमण्डलीय देशों ने भारतीय प्रवासियों के विरुद्ध अनेक प्रकार की हानावटें पैदा की हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटिश दृष्टिकोण के कारण राष्ट्रमण्डलीय देशों ने भारत को महत्व देने के स्थान पर साम्यवादी चीन को महत्व दिया है।

उपयुक्त बहानों में स्पष्ट है कि भारत को राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से न तो सनिब, न आर्थिक और न ही राजनीतिक लाभ हुआ है। अतः अनेक परिस्थितियों में परेशानी ही उठानी पड़ी है। यदि यो कहा जाये कि ब्रिटेन की नीतियों ने ही राष्ट्रमण्डल को निबल बना दिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही कारण है कि जब जब ब्रिटेन ने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया है तब-तब ही भारत में राष्ट्रमण्डल की सदस्यता को त्यागने की मांग की गयी। यद्यपि भारत राष्ट्रमण्डल के पतन के पक्ष में नहीं परन्तु राष्ट्रमण्डल काई ऐसी पवित्र समस्या भी नहीं जिसका सदस्य बने रहना भारत के लिए अनिवाय हो। क्योंकि भारत स्वच्छा से इसका सदस्य बना है अतः स्वेच्छा से बह इसकी सदस्यता त्याग सकता है। इसकी सदस्यता से भारत की स्वतंत्रता या अखण्डता पर कोई आंच नहीं आती। भारत में पुना को बाधना सीखा है तोड़ना नहीं। अतः भारत राष्ट्रमण्डलीय बड़ी को बनाये रखने के पक्ष में है। कम में कम इसकी सदस्यता द्वारा भारत छ महाद्वीपों में विसरे हुए अनेक राज्यों के साथ विशेष सम्पर्कता बनाये रग सकता है।

भारत, दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया (India, South Asia, South East Asia and West Asia)

भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, चीन रूस आदि देश ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के नेपाल, भूटान, जंगला देश और श्री लंका के देश भी हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के वमा कम्प्राडिया, थाईलैंड (श्याम), लाओस, वियतनाम, मलाया, सुमात्रा, युगिनी, इण्डोनेशिया, फिलिपाइंस आदि के देश भी हैं, और पश्चिमी एशिया में अफगानिस्तान, मिथ्र तथा अरब अरब राज्य भी हैं। इन क्षेत्रों के देश भारत की तुलना में छोटे देश हैं परन्तु भारतीय सीमाओं की सुरक्षा, समुद्री तट की रक्षा तथा विदेशी व्यापार की सुरक्षा के लिए इन देशों के साथ भारत के मित्रतापूर्ण सम्बंधों का होना आवश्यक है। यद्यपि इन देशों के साथ भारत के सम्बंध प्रायः मधुर रहे हैं परन्तु फिर भी कुछ समस्याएँ ऐसी रहीं हैं जिन्होंने पारस्परिक सम्बंधों में तनाव और कटुता उत्पन्न की हैं। इन देशों के साथ भारत के सम्बंधों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्त किया जा सकता है—

A दक्षिण एशिया के देशों के साथ भारत के सम्बंध—भारत के अतिरिक्त

दक्षिण एशिया के अग्र्य देश है नेपाल, भूटान, वगला देश, श्रीलंका, आदि। इनके साथ भारत के सम्बन्धों का वर्णन निम्न प्रकार से है—

1 भारत नेपाल सम्बन्धों नेपाल भारत के उत्तर में है और चीन द्वारा तिब्बत को हस्तगत करने के बाद भारत-चीन सम्बन्धों में नेपाल की भूमिका का राजनीतिक महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है। आज उत्तर से भारत की सुरक्षा बहुत कुछ नेपाल की सुरक्षा पर निर्भर करती है। जैसा कि पं० जवाहरलाल नेहरू ने 17 मार्च 1950 को कहा था कि "जहाँ तक कुछ एशियाई गतिविधियों का सम्बन्ध है भारत और नेपाल के बीच कोई सैनिक समझौता नहीं है परन्तु नेपाल पर किसी प्रकार के आक्रमण को भारत सरकार महन नहीं कर सकती। नेपाल पर सम्भावित कोई भी आक्रमण अवश्यम्भावी रूप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा।" डॉ० राजेंद्र प्रसाद ने भी अक्टूबर 1956 में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान कहा था कि "नेपाल की शान्ति और सुरक्षा को कोई भी खतरा भारत की शान्ति और सुरक्षा के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। आपके (नेपाल के) मित्र हमारे मित्र हैं और हमारे (भारत के) आपके।"

सुरक्षा सम्बन्धों में भारत और नेपाल के हित समान होने पर भी भारत नेपाल सम्बन्धों में अत्यधिक उत्तार-चढ़ाव रहा है और अनेक बार तो ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हुई है कि भारतीय हितों की उपेक्षा करते हुए अर्थात् भारतीय हितों के विरुद्ध नेपाल ने साम्यवादी चीन के साथ समझौते भी किये हैं। भारत नेपाल सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। उदाहरणतया राजनीतिक गलतफहमियों (political misunderstanding) वस्तुओं के लिए पारगमन की सुविधाओं (transit facilities) और व्यापार संचालन के सम्बन्धों में मतभेद रहे हैं। दूसरे, नेपाल में चीन की गतिविधियाँ भारत विरोधी और ध्वसात्मक रही हैं। स्थानीय शासनो के कल्याण के नाम पर अमरीका भारत को विस्तारवादी कहता है, पाकिस्तान भी नेपाल की, भारत के विरुद्ध अपनी ओर आकर्षित करने के अक्सर ढूँढता रहता है। तीसरे, नेपाल के भूतपूर्व नरेश महेन्द्र और नेपाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री टका प्रसाद आचार्य का रुझान चीन के प्रति रहा है। श्री आचार्य तो साम्यवाद को ही एक मात्र ऐसा साधन मानते थे जा पूँजीवादी व्यवस्था पर प्रभावपूर्ण ढंग से प्रहार कर सकता था। इतना ही नहीं, श्री आचार्य भारत-चीन सम्बन्धों में सेतुबंधन का कार्य करने की इच्छा रखते थे। नेपाल में भारत-विरोधी भावना फलान में जहाँ चीन, अमरीका और पाकिस्तान उत्तरदायी हैं वहाँ श्री आचार्य जैसे नेताओं का उत्तरदायित्व भी कम नहीं। चीन भी नेपाल का रिश्ताने के लिए नेपालियों चीनियों में एक ही "रक्त प्रवाह" की बात दोहराता रहा है। चौथे नेपाल द्वारा अपनाई गई कतिपय नीतियों ने भारत नेपाल सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न किया है। उदाहरणतया श्री आचार्य के शासनकाल में तिब्बत के सम्बन्धों में नेपाल और चीन के मध्य एक सन्धि हुई। भारत द्वारा नेपाल को दी गयी आर्थिक

सहायता की उपेक्षा करते हुए चीन द्वारा प्राप्त 6 करोड़ की सहायता को महाराजा महेन्द्र ने "उदार व स्वायत्तीन" की सजा दी। नेपाल चीन में एक्सेस पवत के सम्बन्ध में प्रारम्भिक समझौता नेपाल का भारत के प्रति विश्वासघात ही नहीं था बल्कि इसका उद्देश्य भारत को परेशान करना भी था। नेपाल द्वारा काठमाण्डू ल्हासा सड़क माग बनाने के सम्बन्ध में चीन के साथ समझौता स्पष्टतया भारत विरोधी ब्रह्म था। इतना ही नहीं, महाराजा महेन्द्र ने तो अपने शासन के लिए साम्यवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त करने की वांछिण भी की। जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो नेपाल ने तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया।

भारत पर चीनी आक्रमण के बाद नेपाल चीन के वास्तविक इरादों को समझने लगा और भारत नेपाल सम्बन्धों में सुधारों की सम्भावना बढ़ गयी। एक दूसरे देश के उच्च पदाधिकारियों, मंत्रियों और शासनाध्यक्षों की यात्राओं द्वारा दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार आने लगा। भारत ने नेपाल के लिए 9 करोड़ रुपये की लागत से सीमावर्ती कस्बे सुनौती और मध्यपूर्वी नेपाल में ओश्वरा घाटी के बीच 128 मील लम्बी सड़क का निर्माण करने का निश्चय किया। काठमाण्डू से भारतीय सीमा रक्सौल का जोड़ने वाली एक अन्य सड़क योजना भी भारत ने अपने हाथ में ली। इसने अतिरिक्त भारत ने अपने खर्चों से कोसी योजना पूरी करने का निश्चय किया। अगस्त 1971 में भारत नेपाल में एक पंचवर्षीय व्यापार समझौता हुआ जिसमें दाना देशों ने एक दूसरे का "परम इष्ट राष्ट्रीय व्यवहार" (most favoured nations treatment) देने का वायदा किया। मई 1974 में भारत-नेपाल में सिंचाई, विद्युत, संचार, उद्योग, कृषि आदि सम्बन्धी समझौते हुए। नेपाल में कर्नाली नदी (Karnali River) के जल से विद्युत पैदा करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के सम्बन्ध में भी समझौता हुआ। यद्यपि 1974-75 में सिक्किम में हुई सवधानिक घटनाओं से नेपाल में हलचल पैदा हुई और नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन भी हुए, परन्तु भारत नेपाल सम्बन्धों में कोई गम्भीर तनाव पैदा नहीं हुआ।

2 भारत भूटान सम्बन्ध—भूटान एक अर्द्ध स्वतंत्र राज्य है। सन् 1949 की संधि के अनुसार भूटान के विदेशी सम्बन्धों का प्रबंध भारत के हाथ में है। भारत की पहल पर ही भूटान सन् 1971 में यू० एन० ओ० का और सितम्बर 1973 में असलमन राष्ट्रा का सदस्य बना। विदेशी सम्बन्धों के क्षेत्र में भारत भूटान के विचारों में पूर्ण सहमति है। भारत भूटान की अनेक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है।

3 भारत बंगला देश सम्बन्ध—सन् 1971 में स्वतंत्र, सावधोक्त, प्रजातांत्रिक और धर्म निरपेक्ष बंगला देश का उदय इस उप महाद्वीप में सर्वोत्तम महत्त्व की घटना है। जहाँ इसने भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभारा है वहाँ इसने

स्वतंत्र बंगला देश के निर्माण के समय से लेकर अब तक 'भारत बंगला देश के सम्बन्ध घनिष्ठ मित्रता के रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति दोनों का दृष्टिकोण समान रहा है। दोनों राजनीतिक स्थिरता में विश्वास करते हैं, दोनों अपने लोगों के कल्याण और आर्थिक विकास के लिए शांति के इच्छुक हैं, दोनों की विदेश नीति पंचशील के सिद्धांतों (महामुक्ति, अनाक्रमण, राजनीतिक सीमाओं का आदर, आदि) पर आधारित है, दोनों गुट निरपेक्षता की नीति में विश्वास करते हैं, दोनों घम निरपेक्षता में विश्वास करते हैं तथा राष्ट्रों के मध्य झगड़ों का पारस्परिक समझौते द्वारा हल करना चाहते हैं। दोनों उपनिवेशवाद रगभेद की नीति के विरोधी हैं, दोनों हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाये रखना चाहते हैं।

बंगला देश का मायता दिलाने में भारत की कूटनीतिक अत्यधिक सक्रिय रही है। जनवरी 1972 में जब काहिरा में अफेशियाई एकता सम्मेलन हुआ तो उसमें पाकिस्तान के विरोध पर भी बंगला देश को सम्मेलन का स्थायी सदस्य बनाया गया। यद्यपि 1972 में चीन के वीटो के कारण बंगला देश यू० एन० ओ० का सदस्य बन सका परन्तु जब फरवरी 1974 में पाकिस्तान ने बंगला देश को मायता दे दी तो बंगला देश यू० एन० ओ० का सदस्य बन गया।

भारत बंगला देश ने अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिये अनेक प्रकार की संधियाँ और समझौते किये हैं जिनमें प्रमुख निम्न हैं —

(i) 19 मार्च 1972 की मैत्री संधि—भारत बंगला देश के मध्य 19 मार्च, 1972 का एक 25 वर्षीय मैत्री सन्धि हुई जिस पर श्रीमती इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर्रहमान ने हस्ताक्षर किये। यह संधि भारत बंगला देश में मैत्री, सद्भावना, सहयोग आदि की द्योतक है। इसके द्वारा ही दोनों देशों ने "एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक दूसरे देश की प्रादेशिक अखण्डता का आदर करने, विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने, उपनिवेशवाद, रगभेद तथा साम्राज्यवाद का उन्मूलन करने संधि के स्थान पर सहयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने का संकल्प लिया है। एक दूसरे देश पर आक्रमण या आक्रमण की सम्भावना पर दोनों देश तत्काल आपस में विचार विमर्श करेंगे, ताकि संकट को दूर किया जा सके। इस संधि में यह भी व्यवस्था है कि दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध किसी अन्य देश की सहायता नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, किसी एक या अन्ध देशों के साथ युद्ध या गोपनीय समझौता नहीं करेंगे और न ही किसी ऐसे उत्तरदायित्व को स्वीकार करेंगे जो इस संधि के विरुद्ध हो। इस संधि में इस बात की भी व्यवस्था है कि दोनों देश संधि से उत्पन्न होने वाले मतभेदों का आपसी बातचीत द्वारा हल करेंगे, सन्धि संधियों में हिंसा नहीं लगे तटस्थता और संधि शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व का अनुसरण करेंगे तथा नियमित तौर

पर सम्पक बनाये रखेंगे। इस संधि में आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सम्बन्धों के सम्बन्ध में, व्यापार, परिवहन, संचार, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत, कला, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति स्वास्थ्य आदि विषयों के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की गयी है।

(ii) व्यापार समझौता—25 मार्च, 1972 को भारत बंगला देश में एक व्यापार समझौता हुआ। इस समझौते की विशेषता यह है कि यह सीमाओं के दोनों ओर सोलह सोलह किलोमीटर तक उन्मुक्त व्यापार की व्यवस्था करता है। इसमें आयात निर्यात और विनिमय सम्बन्धी कोई नियंत्रण नहीं, दानो देश रुपये का आधार पर एक दूसरे से पचास करोड़ रुपये मूल्य तक माल भेज सकते हैं।

(iii) आर्थिक सहायता—बंगला देश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये भारत ने 25 करोड़ रुपये के मूल्य का माल और सेवाएँ आदि प्रदान करने का वचन दिया है। भारत ने बंगला देश को 50 लाख पौण्ड की विदेशी मुद्रा का ऋण देने का भी निश्चय किया है।

(iv) सांस्कृतिक समझौता—भारत बंगला देश के मध्य बढ़ते हुए मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का एक उदाहरण 30 दिसम्बर 1972 का सांस्कृतिक समझौता भी है।

(v) नियमित विचार विमर्श—19 मार्च 1972 को भारत बंगला देश संधि के अंतर्गत भारत और बंगला देश के मध्य सामान्य विषयों पर नियमित विचार-विमर्श होता रहता है। उदाहरणतया जून जुलाई 1972 में भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला में शिखर सम्मेलन होने से पूर्व भारत ने युद्ध बंदियों, पाकिस्तान द्वारा बंगला देश की मायता आदि प्रश्नों पर विचार विमर्श किया। यही कारण है कि शिखर सम्मेलन के बाद जो सयुक्त विज्ञप्ति जारी की गयी उसमें युद्ध बंदियों के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य नहीं था क्योंकि पाकिस्तान ने उस समय तक बंगला देश को कोई मायता नहीं दी थी। अप्रैल, 1973 में दोनों देशों ने (भारत और बंगला देश) मानवीय समस्याओं पर विचार विमर्श करके एक त्रि-सूत्री कार्यक्रम तैयार किया। इसी त्रि-सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर भारत पाकिस्तान ने अगस्त 1973 में मानवीय प्रश्नों पर एक समझौता किया।

(vi) त्रि-पक्षीय समझौता—फरवरी 1974 में लाहौर मुस्लिम सम्मेलन के बाद जब पाकिस्तान ने बंगला देश को मायता प्रदान कर दी तो तीनों देशों में (भारत पाकिस्तान बंगला देशों में) वार्ता का माग खुल गया। 9 अप्रैल, 1974 को एक त्रि-पक्षीय समझौता हुआ जिसमें बंगला देश ने उन 195 युद्ध बंदियों पर मुकदमें चलाने के निश्चय को त्याग दिया जिन्होंने बंगला देश में अमानुषिक अत्याचार किये थे, पाकिस्तान ने अपने अत्याचारों की निंदा की तथा पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लेने का आश्वासन दिया।

उपरोक्त बरतन से स्पष्ट है कि अपने स्वतंत्रता सघष के बाल में लेकर और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत बंगला देश के सम्बन्ध घनिष्ट मित्रता, पारस्परिक विश्वास और सद्भावना के रहे हैं।

4 भारत श्री लका सम्बन्ध— श्री लका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा द्वीप है। सांस्कृतिक दृष्टि से श्री लका भारत के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रहने वाले भारतीय तमिलनाडु प्रदेश के मूल निवासी हैं। श्री लका के अधिकांश निवासी बौद्ध धर्मावलम्बी हैं। सैनिक एवं सामरिक दृष्टि से भी श्री लका का भारत के लिये महत्त्व अत्यधिक है। हिन्द महासागर में भारत की समीपता के कारण श्री लका का सैनिक महत्त्व बढ़ जाता है।

प्राचीन समय से भारत श्री लका के सम्बन्ध घनिष्ठता के रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि भारत की भाँति श्री लका की नीति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांतिवाद, गुटनिरपेक्षता सह अस्तित्व, दूसरे देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध आदि की रही है। भारत की भाँति श्री लका भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य है। कोलम्बो योजना के अंतर्गत, जिसकी रचना 1950 में कोलम्बो में राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में की गयी थी दोनों देशों ने आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण सहयोग किया है।

भारत श्री लका में मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होते हुए भी कुछ समस्याएँ ऐसी रही हैं जिनके कारण दोनों के सम्बन्धों में तनाव की स्थिति रही है, विशेषकर श्री लका में भारतीय प्रवासियों की समस्या और पाक जलडमरूमध्य (Pak Strait) में स्थित कच्छद्वीप टापू (Kachchatave Island) के सम्बन्ध में दोनों देशों में तनाव रहा है।

भारतीय प्रवासियों की समस्या के सम्बन्ध में भारत और श्री लका के मध्य अनेक बार समझौते हुए हैं, परन्तु इस समस्या का पूर्ण हल अभी तक नहीं हुआ। श्री लका में भारतीय प्रवासियों के सम्बन्ध में सर्वप्रथम, 1949 में 'नेहरू-बोटले' वाला समझौता हुआ जिसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि जो भारतीय श्री लका की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उनके नाम एवं रजिस्टर में दर्ज कर लिये जायें और जो अपनी भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ना चाहते वे भारत लौट जायें। इस समझौते में गैर वानूनी भारतीय प्रवासियों को भारत लौट जाने के लिये कहा गया था और भविष्य में भारतीयों के लिये श्री लका में प्रवेश पर राक लगा दी गयी थी। इस समझौते को पूर्णतया लागू नहीं किया गया। अतः 1954 में नेहरू बोटले वाला भेंट में यह निश्चय किया गया "राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों की समस्या कम कर दी जाये पंजीकरण (registration) क्रिया में शीघ्रता लाई जाय और दो वर्ष की अवधि में इस कार्य को पूरा किया जाय। अक्टूबर 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्री भण्डारनायक के मध्य पत्र व्यवहार द्वारा भारतीय प्रवासियों के सम्बन्ध में जो समझौते हुए, जिसे भारत लका समझौता 1964 कहते हैं (India Ceylon Agreement, 1964) उनकी मुख्य बातें निम्न थी—

(1) श्री लका में निवास करने वाले सभी भारतीय, जो अभी तक किसी देश के नागरिक नहीं, दोनों देशों में से किसी देश के नागरिक बन जायें।

(2) यह अनुमान लगाया गया था कि श्री लका में राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों (Stateless Persons) की कुल संख्या 9,75,000 है। यह निश्चय किया गया कि

इसमें 5,25,000 राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों को भारत अपनी नागरिकता प्रदान करे, 3,00,000 को श्री लका अपनी नागरिकता प्रदान करे और शेष 1,50,000 राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों के बारे में निश्चय बाद में पृथक समझौते द्वारा किया जाय।

(iii) आगामी 15 वर्षों में इस काय को पूरा किया जाय।

(iv) भारत लौटने वाले भारतीयों को सामान्य सुविधायें प्राप्त हों, जो अन्य विदेशियों को प्राप्त होती हैं परन्तु उन्हें विदेशों को धन भेजने की सुविधा प्रदान नहीं की जायगी।

(v) भारतीय अपनी कमाई हुई पूंजी को भारत ले जा सकेंगे परन्तु उसकी सीमा चार हजार से कम नहीं होगी।

उपयुक्त समझौते की आलोचना दोनों देशों में की गयी। भारत में इसकी आलोचना इस आधार पर की गयी कि क्योंकि भारतीय प्रवासी श्री लका में प्राचीन समय से रह रहे थे अतः उन्हें श्री लका की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिये थे। इस समझौते की यह कह कर भी आलोचना की गयी कि इस समझौते ने व्यक्तियों को एक 'वस्तु' (Commodity) मानकर दोनों देशों ने आपस में बटवारा कर लिया और सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछने का प्रयास नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 1,50,000 राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों के भविष्य को अज्ञान में छोड़ दिया गया।

जनवरी 1974 में जब श्री लका की प्रधान मंत्री श्रीमती भण्डारनायकें भारत आईं तो 1,50,000 राष्ट्रीयताहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार 75,000 भारतीय प्रवासियों को भारत में वापस लेना स्वीकार कर लिया और शेष 75,000 को श्री लका ने अपनी नागरिकता प्रदान करने का निश्चय किया।

कच्छदीव टापू (Kachative) के सम्बन्ध में भी जून 1974 में भारत श्रीलका के मध्य हुए समझौते द्वारा नियम हा गया। भारत ने कच्छदीव टापू पर श्री लका की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया है।

उपयुक्त वचन से स्पष्ट है कि भारत श्री लका ने पारस्परिक वार्ता और समझौते द्वारा, मैत्रीपूर्ण और सद्भावना के वातावरण में पारस्परिक समस्याओं का समाधान कर लिया है। आज दोनों देशों के सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हैं।

B भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया—दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रमुख देश हैं बर्मा, बम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैण्ड, फिलिपाइन्स, इण्डोनेशिया, सुमात्रा आदि। शुरु से ही इन देशों में भारत को एक नतिक शक्ति के रूप में देखा जाना रहा है परन्तु 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और स्वतन्त्र बंगला देश की रचना के बाद तथा 1974 में अणु शक्ति के विस्फोट और 1975 में आघात के अतिरिक्त मर्कट जान के बाद इन देशों में भारत का अवलोकन आज एक शक्तिशाली देश के रूप में ही किया जाता है।

वर्मा और भारत में नीतियो या हिता सम्बन्धी कोई मतभेद नहीं। वस्तुतः वर्मा भारत का ही अभिन्न अंग था और 1935 के अधिनियम व अतः 1 अप्रैल, 1937 को इसे भारत में अलग कर दिया गया था। वर्मा और भारत में मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होने का एक कारण यह भी है कि भारत की भाँति वर्मा की विदेश नीति भी शांतिवाद, और गुट निरपेक्षता पर आधारित है, भारत की भाँति वर्मा की उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोधी है। भारत वर्मा सम्बन्धों में जिन समस्याओं ने तनाव पैदा किया है वह वर्मा में भारतीय प्रवासियों की हैं। क्योंकि अधिकांश भारतीय प्रवासी भारत लौट आये हैं, अतः भारत वर्मा सम्बन्धों में तनाव पैदा करने वाली कोई समस्या नहीं। मई 1973 में दोनों देशों में एक "वायु समझौता" (Air Agreement) भी हुआ है।

हिंद चीन के मुक्ति मोर्चों का भारत में सवदा समर्थन किया है। क्योंकि भारत स्वयं साम्राज्यवादी चालों का शिकार रहा है अतः वह इस क्षेत्र में पश्चिमी साम्राज्यवादी चालों का कटु आलोचक रहा है। वस्तुतः भारत उन गिन चुने देशों में से है जिन्होंने शुरू से कम्बोडिया और वियतनाम में मुक्ति मोर्चों का समर्थन किया है यद्यपि ऐसा करते हुए भारत ने पश्चिमी महाशक्तियों, विशेषकर अमरीका, की नाराजगी भी मोल ली। यद्यपि भारत 1954 के जेनेवा सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ परंतु हिंद चीन की समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने व लिये जेनेवा सम्मेलन के विचारार्थ छ प्रस्ताव रखे। जेनेवा सम्मेलन में, हिंद चीन की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिये जिन तीन सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना की भारत उसका अध्यक्ष था (अथ सदस्य थे पोलंड और वनाडा)। सन् 1964 में जब अमरीका ने वियतनाम में प्रत्यक्ष रूप से सैनिक हस्तक्षेप किया तो भारत ने उसकी घोर भत्सना की तथा इसे शांति के लिये खतरा माना। सन् 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में जब अमरीका ने भारत के लिये खतरा माना। सन् 1972 में भारत ने इस क्षेत्र में अमरीकी नीति का घोर विरोध किया। 1975 में जब इस क्षेत्र की मुक्ति सेनाओं को विजय मिली तो भारत ने इनका हार्दिक स्वागत किया।

दक्षिण पूर्वी देशों में आईलैण्ड और फिलिपाइंस ही ऐसे दो देश हैं जिनके साथ भारत में मधुर सम्बन्ध नहीं बंधे जा सकते। इसका कारण यह है कि ये दोनों देश सैनिक समझौते (SEATO) से सम्बद्ध हैं और भारत सैनिक गुटा को निश्च शांति के लिये खतरा समझता है।

इस क्षेत्र में इण्डोनेशिया एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत में सम्बन्धों में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहा है। वस्तुतः भारत ही एक ऐसा देश था जिनमें इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को स्थायी बनाए रखने के लिए प्रयास किया और उच्च साम्राज्यवाद

चाला वा विरोध किया। यू० एन० ओ० मे भी भारत ने इण्डोनेशियाई स्वतंत्रता वा समर्थन किया और अफे शियाई संगठन एव एक्ता वा प्रयास किया। परन्तु 1962 म जब चीन न भारत पर आक्रमण किया ता इण्डोनेशिया न, जो भारत की मित्रता वा दम भरता था, अथ असलमन राष्ट्र की भांति, चुप्पी ठान ली। सन् 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध म इण्डोनेशिया वा दृष्टिकोण शरारतपूर्ण ही नहीं अपितु धनुनापूर्ण भी था। इस युद्ध के समय इण्डोनेशिया न पाकिस्तान को सनिक सहायता देन वा धमकासन दिया। एसा दिग्वाई देता था कि "पिण्डी पीकिंग जकोर्ता धुरी" वा निर्माण अवश्यम्भावी है। परन्तु सन् 1965-66 म इण्डोनेशिया की आंतरिक उथल पुथल न इस धुरी को जम लेन से पूर्व ही नष्ट कर दिया। श्री सुहार्तो के सत्ता म आने से इण्डोनेशिया वा चीन के साथ प्रमोत्काल समाप्त हो गया और वह स्वतंत्र नीति अपनाने लगा। इससे भारत इण्डोनेशिया के सम्बन्धो मे सुधार होने लगा। आज दोना देशा के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण है।

C भारत और पश्चिमी एशिया—पश्चिम एशिया मे टर्की और ईरान को छाड़कर भारत के सम्बन्ध अथ अरब राष्ट्रो से मधुर है। ईरान के साथ भी पिछ्लो 4 5 वर्षो से सम्बन्धो म कुछ सुधार हुआ है। वस्तुतः सन् 1971 तक जो ईरान पाकिस्तान का पक्षधर था वह अब कम से कम भारत पाकिस्तान सम्बन्धो म अपक्षावृत्त तटस्थता वा दृष्टिकोण अपनाने लग गया है। अक्टूबर 2 से अक्टूबर 4, 1974 तक अपनी भारत यात्रा के दौरान ईरान के शाह बे नवीन यथाथवाद (realism) और व्यावहारिकतावाद (pragmatism) का परिचय दिया। 3 अक्टूबर 1974 के प्रेस सम्मेलन मे बोलते हुए ईरान के शाह ने कहा कि "ईरान पाकिस्तान वा शत्रु नहीं देगा यदि उसने भारत पर आक्रमण किया।"¹ इतना ही नहीं, शाह न इस क्षेत्र म शांति और सहयोग पर बल दिया।

मिस्र के साथ भारत के सम्बन्ध प्रारम्भ से ही अच्छे रह है। भारत के प० जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगास्लाविया के माशाल टीटो ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र म गुट निरपक्षता की नीति की आधारशिला ही नहीं रखी बल्कि उसे व्यावहारिक बनाने वा प्रयास भी किया।

भारत पश्चिम एशिया के देशा के सम्बन्धो वा की प्रमुख विशेषता यह रही है कि जहाँ भारत न पश्चिमी एशिया के अरब राष्ट्रो का, विशेषकर अरब इजराइल सम्बन्ध मे समर्थन किया है वहाँ अरब राष्ट्रो का दृष्टिकोण भारत के प्रति मित्रतापूर्ण नहीं रहा। वस्तुतः ये सम्बन्ध प्रायः एकतरफा रहे हैं। उदाहरणतया जब 1965 मे ब्रिटिश फ्रेंच सेनाया ने इजराइल के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत न ब्रिटेन और फ्रांस की धार भत्सना की परन्तु जब 1962 मे चीन ने भारत पर आक्रमण किया ता मिस्र ने चीन के आक्रमण की निंदा करना तो दूर उसने इस

1 See Competition Master January, 1975, p 409

सम्बन्ध में पूरातया चुप्पी टान ली। सन् 1958 में जब सेवतान में अमरीकी सेनायें उतारी गयीं तो भी भारत ने अमरीकी कायबाही की निन्दा की। जहाँ अरब इजरायल सघर्ष में भारत ने अरब पक्ष का अधाधुध समर्थन किया है वहाँ भारत पाकिस्तान सम्बन्धों में कुछ अरब देशों ने तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया है और कुछ न तो स्पष्टतया पाकिस्तान का समर्थन किया है। उदाहरणतया 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में जार्डन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, साऊदी अरब जैसे राज्यों ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता भी प्रदान की। सन् 1971 की बंगला देश की घटनाओं के प्रति अरब राज्यों का दृष्टिकोण चुप्पी का रहा क्योंकि वे इसे पाकिस्तान का घरेलू मामला समझते थे। बंगला देश की समस्या के प्रति अरब राज्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिये जब जयप्रकाश नारायण काहिरा पहुँचे तो मिस्र के राष्ट्रपति सघादत ने उनसे भेंट करने से मनाकर दिया। दिसम्बर 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया तो अरब राज्य या तो मौन रहे या पाकिस्तान का समर्थन करते रहे। संयुक्त राष्ट्र सघर्ष की महासभा में भी अरब राज्यों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जो भारत विरोधी था। इतना ही नहीं लीबिया के नगर बेघाजी में 23 मार्च 1973 को जब 26 मुस्लिम राज्यों का सम्मेलन हुआ तो उसमें भी भारतीय हितों के विरुद्ध युद्ध-विद्रोहों के प्रश्न को उठाया गया। भारत ने उस प्रस्ताव को "शरारतपूर्ण प्रस्ताव" की संज्ञा दी जिसमें युद्ध-विद्रोहों का उल्लेख किया गया था।

अरब राष्ट्रों में कभी भी मित्रा और शत्रुओं में किसी प्रकार का भेद नहीं किया और जिन नीतियों का अनुसरण अरब राज्यों ने पश्चिमी राष्ट्रों के लिये किया उन्हीं नीतियों का प्रयोग उन्हीं भारत के विरुद्ध किया। उदाहरणतया जब स्वेज नहर को बन्द किया गया तो उससे भारत के व्यापार को करोड़ों रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। इसी प्रकार जब 1973 के अरब-इजरायल सघर्ष के पश्चात् अरब राज्यों ने "तेल अस्त्र" का प्रयोग किया तो उसका कु प्रभाव न केवल विकसित राष्ट्रों पर पड़ा बल्कि भारत जैसे अल्पविकसित राष्ट्र पर अत्यधिक पड़ा। तेल की कीमतें बढ़ जाने से उद्योग-धंधों पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अरब राष्ट्रों का दृष्टिकोण सदा साम्प्रदायिक रहा है और उ होने भारत की धर्म-निरपेक्षता को समझने का प्रयास ही नहीं किया। इस विषय में अरब राज्यों ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। उदाहरणतया जेरूसलम में अल अक्सा मसजिद के अग्निकाण्ड पर वार्तालाप के लिये जब 22 नवम्बर 1969 को इस्लामी देशों का शिखर सम्मेलन रवात में हुआ तो पहले तो पाकिस्तान के विरोध पर भारत को निर्मित नहीं किया गया और निमन्त्रण देने में वाद भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ जो व्यवहार किया गया वह भारत राष्ट्र का अपमान था। अर्थात् पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान के अनुरोध पर भारत को सम्मेलन से निष्कासित कर दिया गया।

उपर्युक्त बरान से स्पष्ट है कि भारत पश्चिमी एशियायी राष्ट्रों के सम्बन्ध एक तरफा मित्रता के रहे हैं। भारत को इनमें अधिक यथाथवादी और व्यावारिकतावादी होने की आवश्यकता है।

समीक्षा प्रश्न

(Review Questions)

1. भारत विदेश नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।
2. उन सिद्धांतों का जो भारतीय विदेश नीति के आधार समझे जाते हैं परीक्षण कीजिये। आपके विचार में इन सिद्धांतों का वहाँ तक व्यवहार में पालन किया गया है ?
3. कश्मीर विवाद के सन्दर्भ में 1947 से आज तक भारत पाकिस्तान सम्बन्धों की व्याख्या कीजिये।
4. भारत के उसके पड़ोसी देशों से, मुख्यतया चीन और पाकिस्तान से, सम्बन्धों का विवरण कीजिये।
5. 'सन् 1971 में बंगला देश का उदय भारत की धर्म निरपेक्ष नीति की सफलता है' इसके सन्दर्भ में भारत बंगला देश सम्बन्धों पर एक निबंध लिखिये।
6. नेहरू काल और उत्तर नेहरू काल की भारतीय विदेश नीति में क्या कोई अंतर आया है ? यदि कोई अंतर है तो उसका भारत की शांतिवादी और गुट निरपेक्षता की नीति के सन्दर्भ में विवरण कीजिये।
7. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये—(i) असलमता की नीति, (ii) पंचशील (iii) कश्मीर समस्या (iv) भारत सोवियत शान्ति, मैत्री और सहयोग संधि।

Bibliography

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1 | Alexandrowics C H | Constitutional Development in India |
| 2 | Austin, Granville | The Indian Constitution Corner Stone of a Nation |
| 3 | Azad Maulana Abul Kalam | India Wins Freedom |
| 4 | Aziz, K K | The Making of Pakistan |
| 5 | Bahadur Dr Lal | The Muslim League Its History Activities and Achievements |
| 6 | Bannerjee, Surendra Nath | A Nation in the Making |
| 7 | Bose S C | The Indian Struggle |
| 8 | Chand, Tara | History of the Freedom Movement in India, Vols I to IV |
| 9 | Chatterji Amiya | The Constitutional Development of India |
| 10 | Chintamani, C Y | Indian Politics Since the Mutiny |
| 11 | Chitrol | Indian Unrest |
| 12 | Constituent Assembly | Debates |
| 13 | Coupland | The Indian Problem |
| 14 | Garrat | An Indian Commentary |
| 15 | Gopal, Krishna | One Party Dominance |
| 16 | Gopal Ram | How India Struggled for Freedom |
| 17 | Gupta D C | Indian National Movement and Constitutional Development |
| 18 | Haqqi S A H | Union State Relations in India |
| 19 | Hardgrave Jr, Robert L | India Government and Politics in a Developing Nation |
| 20 | Jain, M P | Indian Constitutional Law |
| 21 | Johari, J C | Indian Government and Politics |
| 22 | Kaul and Shakhder | Practice and Procedure of Parliament |
| 23 | नाथय्य, सुभाष | संवैधानिक विचार और भारतीय संसद |
| 24 | Keith, A B | A Constitutional History of India |
| 25 | Kothari Rajni | Politics in India |
| 26 | नारायण, डॉ० इकबाल | द्वैतवादी दृष्टि में संसद व्यवस्था |
| 27 | Narain, Dr Iqbal | Twilight and Dawn |

- 28 Majumdar, J C History of Freedom Movement in India
- 29 Markandan, K C , The Amending Process and Constitutional Amendment in the Indian Constitution
- 30 Mehta & Patwardhan The Communal Triangle
- 31 Morris Jones W H Parliament in India
- 32 Morris Jones W H The Government and Politics of India
- 33 Munshi K M Advent of Independence
- 34 Palmer, Norman D The Indian Political System
- 35 Pradhan India's Struggle for Swaraj
- 36 Punniah K V The Constitutional History of India
- 37 Pylee, M V Constitutional Government in India
- 38 Sharma B M The Republic of India
- 39 Shrinivasan N Democratic Government in India
- 40 Singh, G N Landmarks in Indian Constitutional and National Movement
- 41 Sittaramayya History of the National Movement
Dr Pattabhi in India
- 42 Varma, Dr V P Modern Indian Political Thought
- 43 Weiner, Myron Party Politics in India
- 44 Zakarias Renascent India
-

